ये मोती जवाहरात

اللولو والمرجان

یہ موتی یہ جواہرات

ज़ेरे एहतिमाम

मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरान जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن جودھپور

प्रकाशक

शोबा नश्र व इशाअत

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राजस्थान)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ये मोती ये जवाहरात

اللؤلؤ والمرجان

یہ موتی یہ جواہرات

मुरत्तिब

मुहम्मद फ़वाद अ़ब्दुल बाक़ी

ज़ेरे एहतिमाम

مرکزی انجمن خدام القرآن جودھپور

मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरान जोधपुर

प्रकाशक : **शोबा नश्रो इशाअ़त**

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर व राजस्थान

नाम किताब	अल्लूलू वल मरजान **ये मोती ये जवाहरात**
मुरत्तिब (अ़रबी)	मुहम्मद फव्वाद अब्दुल बाकी
प्रुफ चेकिंग	मौलाना जमशेद आ़लम सल्फ़ी
मार्केटिंग एक्जिक्युटिव	अ़ली हम्जा, 82338-55857
लेज़र टाइपसेटिंग	खलीज मीडिया, जोधपुर
कवर डिजाइनिंग	कमाल डीटीपी, जोधपुर (राज.) 096807-91786
प्रिण्टिंग	अनमोल प्रिण्टस, जोधपुर (राज.)
तादाद पेज	624 पेज
प्रकाशन (द्वितीय संस्करण)	रमजान 1438 (जून 2017 इस्वी)
तादाद (द्वितीय संस्करण)	1000 कॉपी
क़ीमत	500 रुपये

प्रकाशक

مرکزی انجمن خدام القرآن جودھپور

मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरान जोधपुर

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

Sole Distributor
Office: **Popular Book Store**
O/S MERTI GATE ASHRAF MANZIL
JODHPUR-342001 (RAJASTHAN)
Phone: +91 94607 68990

अल किताब इन्टरनेशनल
जामिया नगर, नई दिल्ली-25,
फोन : 011-6986973

मकतबा अल फहीम
रेहान मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, धोबिया इमली रोड, सदर चौक
मऊनाथ भन्जन (यू.पी.) 275101 फोन : 0547-2222013

अल हीरा पब्लिकेशन
उर्दू बाजार, मटिया महल, जामा मस्जिद
दिल्ली मो.: 090153-82970

(विषय सूची)

अ़र्ज़े-नाशिर

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.

ये किताब अ़रबी की मशहूर व मारूफ़ किताब **अल लूलू वल मर्जान** का आसान हिन्दी तर्जुमा है। इस किताब के मुरत्तिब जनाब मुहम्मद फ़व्वाद अ़ब्दुल बाक़ी (रह.) हैं। आपने वो अहादीष़ जमा की हैं जो जामेअउस्स़ह़ीह़ बुख़ारी और जामेअउस्सहीह मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं। स़हीह होने के लिहाज़ से ये बलन्दतरीन मेअ़यार पर हैं। ऐसी अहादीष़ के लिये मुह़द्दिष़ीने किराम ने मुहद्दिष़ीने–किराम ने **मुत्तफ़क़ अ़लैह** (सर्वसम्मत) की इस्तिलाह (परिभाषा) इस्तेमाल की है। ऐसी अहादीष़ का हवाला देते वक़्त **स़ह़ीहैन** भी लिखा जाता है, यानी ये अहादीष़ दोनों स़ह़ीह़ किताबों में रिवायत की गई हैं। इस किताब में इस बात का भी लिहाज़ रखा गया है कि वो हदीषें मुन्तख़ब (चयनित) की जाएं जो दोनों किताबों (बुख़ारी, मुस्लिम) में एक ही स़हाबी से रिवायत की गई हों।

किताब का नाम **'ये मोती—ये जवाहरात'** काफ़ी मअ़नीख़ेज़ (अर्थपूर्ण) है। **अल्लाह के रसूल (ﷺ) के इर्शादात से ज़्यादा सच्चे मोती और जवाहरात क्या हो सकते हैं?** सारी दुनिया के ख़ज़ाने आप (ﷺ) के इन इर्शादात के मुक़ाबले में हैच (बेकार) हैं।

किसी किताब को शाए करने में कई मरहले आते हैं, ख़ुसूसन हिन्दी तर्जुमा करने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। बहुत कोशिश के बावजूद स़हीह़ तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) का दावा नहीं किया जा सकता। किताब में ग़लतियों के रह जाने ख़तरा मुतर्जिम (अनुवादक) और नाशिर (प्रकाशक) को हर वक़्त बड़ा नादिम (शर्मिन्दा) करता रहता है। ग़लतियों पर गिरफ़्त (पकड़) जल्दी और सख़्त भी की जाती है और की भी जानी चाहिये, लेकिन इस्लाह की ख़ातिर, ताकि आइन्दा इशाअ़त में उसे स़ह़ीह़ किया जा सके।

इस किताब पर एक साल से काम हो रहा है और जमाअ़त के बहुत से साथियों ने इस काम में तअ़वुन किया है। अल्लाह तआ़ला उन सबको जज़ा–ए–ख़ैर अ़ता फ़र्माए, आमीन!

वस्सलाम

अ़ब्दुर्रहमान ख़िलजी

ख़ादिमे–जमइयत अहले ह़दीष़ राजस्थान

तक़रीज

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.

अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल उम्मी, ख़ातिमुन्नबी व मनत्तबहु बिइहसानि अला यौमिद्दीन अम्मा बअद. **अल लूलू वल मर्जानि फ़ी मा इत्तफ़का अलैहि शैख़ान** नामी ये किताब आपके हाथों में है; दरअसल ये किताब अरबी ज़बान में है जिसको तर्तीब देने वाले आलिम अरब के एक जय्यिदो–मुहक़्क़िक़ आलिम फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी (रह.) हैं। अब वो इस दुनिया में तो नहीं रहे लेकिन अपने पीछे एक बड़ा क़ीमती वरषा छोड़ा है जिससे रहती दुनिया तक के तमाम किताबो–सुन्नत से मुहब्बत करने वाले लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे और मुअल्लिफ़ व मुरत्तिब के नाम–ए–अअमाल में नेकियों का इज़ाफ़ा होता रहेगा, इंशाअल्लाह! अल लूलू वल मर्जान ये सूरह रहमान की एक आयत का टुकड़ा है। किताब को तर्तीब देने वाले ने इससे मुराद बुख़ारी व मुस्लिम को लिया है। गोया कि मुरत्तिब अलैहिर्रहमा ने अहादीषे–नबविया के इस फैले हुए समन्दर को एक कोज़े में बन्द कर दिया है और इशारा इस जानिब कर दिया है कि ये वो समन्दर है जिसमें डुबकी लगाने वाले को मोती और मर्जान जैसी क़ीमती व बेमिषाल चीज़ें हासिल हो सकती हैं, सुब्हान अल्लाह!

इस किताब की अफ़ादियत को देखकर अरबी से उर्दू में तर्जुमा सैयद शब्बीर अहमद ने किया है अल्लाह उनको जज़ा–ए–ख़ैर अता करे। एक आम आदमी को जब कभी सहीह व मुस्तनद व मज़बूत अहादीष की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी पहली नज़र सहीह बुख़ारी व मुस्लिम पर पड़ती है। इन दोनों किताबों को अल्लाह ने ऐसी मक़बूलियत अता फ़र्माई है कि दलील देने वाला बुख़ारी व मुस्लिम की दलील देकर अपने आपको बड़ा महफ़ूज़ महसूस करता है। **अल लूलू वल मर्जान** नामी इस किताब ने पूरी सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम को खंगालने से भी बेनियाज़ कर दिया है। इस मजमूआ से रोज़मर्रा के मसाइल तक़रीबन हल ही हो जाते हैं, लेकिन चूँकि ये किताब असलन अरबी में थी, हर एक की पहुँच से बाहर थी लेकिन उर्दू के तर्जुमे ने इस कमी को किसी हद तक पूरा कर दिया। लेकिन हिन्दुस्तान के कुछ इलाक़े ऐसे भी हैं जहाँ उर्दू का चाल–चलन या तो बिल्कुल नहीं है या तो बहुत कम है इन्हीं इलाक़ों में से एक इलाक़ा हमारा मग़रिबी राजस्थान भी है। ऐसी तबीयतों का ख़याल व लिहाज़ करके इस किताब को हिन्दी ज़बान में मुन्तक़िल किया जा रहा है। ग़ालिबन मेरी मालूमात की हद तक, अभी तक **अल लूलू वल मर्जान** का हिन्दी ज़बान में तर्जुमा नहीं हो सका है, वल्लाहु अअलम!

ये किताब शहरी जमीयत अहले हदीष के ज़ेरे–एहतिमाम शाए हो रही है, ये एक बेहतर व मुस्तहसन क़दम है। जमीयत और जमाअत को ऐसे कामों की तरफ़ ख़ास तवज्जो देनी चाहिये ताकि आम व ख़ास यक्साँ तौर पर फ़ायदा उठा सकें। मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि इस किताब की इशाअत में जिन भाइयों ने जैसी–जैसी ख़िदमात अंजाम दी है, अल्लाह तआला उन सभी को पूरा सिला व बदला नसीब करे और इसको तोश–ए–आख़िरत बनाए, आमीन! मुहतरम जनाब अब्दुल्लाह फ़ारूक़ साहब हफ़िज़ुहुल्लाह, अमीर जमीयत अहले हदीष जोधपुर के हुक्म से चन्द सतरें पेश की जा रही हैं, अल्लाह क़ुबूल करे और आपको आफ़ियतो–सलामती नसीब करे, मज़ीद जमीयत व जमाअत के कामों की तौफ़ीक़ बख़्शे, आमीन!

असदुल्लाह ख़ान नदवी

इमाम व ख़तीब मस्जिद अहले हदीष तेलियान जोधपुर.

तअस्सुरात

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.

जेरे नज़र किताब **'ये मोती—ये जवाहरात'** जो दरअसल एक हिन्दी तर्जुमा है जिसको जमाअत के हरदिल अज़ीज़, बा–सलाहियत, हौसलामन्द और क़ाबिले–क़द्र सलीम ख़िलजी ने किया है। **'अल लूलू वल मर्जान'** नामी ये क़ीमती मोती राक़िम (लेखक) के पास एक ज़माने से हैं, ख़ुत्ब–ए–जुमुआ में जब किसी नये उन्वान के इंतख़ाब (चयन) की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे फ़ायदा हासिल करता हूँ। ये एक हक़ीक़त है कि रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को दारुल अमल क़रार दिया है जो दारुल फ़ना भी है। अल्लाह तआला ने नजात का ज़रिया ईमान व नेक अमल को क़रार दिया है। इन दो उसूलों को निगाह में रखते हुए अगर ये कहा जाना बिल्कुल सहीह होगा कि ये किताब इन दोनों उसूलों को अमली जामा पहनाने के लिये काफ़ी व शाफ़ी है। हिदायत का असल सरचश्मा क़ुर्आन व सुन्नत है, रब्बुल आलमीन के फ़ैसले के मुताबिक़ क़यामत तक क़ुर्आन व अहादीषे नबवी (ﷺ) का वजूद बाक़ी रहेगा क्योंकि दीने–इस्लाम क़यामत तक बाक़ी रहेगा तो इसकी हिदायत के सरचश्मे भी बाक़ी रहेंगे। इसलिये रब्बुल आलमीन हर ज़माने में ऐसे अफ़राद तैयार करता रहेगा जो दीने–हनीफ़ के सच्चे अमीन होंगे।

पुराने मुहद्दिषीन ने जिन–जिन किताबों को इख़्लास के साथ मुरत्तिब किया, उनकी कोशिश यही थी कि हदीषे–नबवी (ﷺ) किसी तरह से महफ़ूज़ रह सके और कोई भी हदीष छूट न सके। इसलिये उन्होंने हदीष के मेअयार को निगाह में न रखा और सहीह व सुल्म का ख़याल न किया। अलबत्ता बाद के मुहद्दिषीन ने इसका इल्तिज़ाम किया जिसकी वाज़ेह मिषाल सिहाहे–सित्ता (हदीष की छह सहीह किताबें) हैं। तमाम अहादीष अपनी जगह पर एक अहम मुक़ाम रखती है, लेकिन उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि बुख़ारी व मुस्लिम की अहादीष सिहत के आला मुक़ाम को पहुँची हुई हैं; इन्हीं दोनों किताबों की हदीषें इस किताब में शामिल की गई हैं और अबवाब की तर्तीब सहीह मुस्लिम से माख़ूज़ है। ज़ेरे नज़र किताब **'ये मोती—ये जवाहरात'** यक़ीनन इल्म का कभी न ख़त्म होने वाला ख़ज़ाना है। हर वो शख़्स जो हक़ बात की तलाश में रहता है, उसके लिये ये किताब ज़िन्दगी के हर मोड़ पर एक रहनुमा है क्योंकि आज कहने को तो हर शख़्स दावा कर सकता है कि फ़लां किताब बड़ी मुफ़ीद है लेकिन जब उसको सिहत की कसौटी पर परखा जाता है तो हर रुतबो–बास का मजमूआ होता है जिसकी वजह से उसकी सिहत और अफ़ादियत मश्कूक होती नज़र आती है।

अल्हम्दुलिल्लाह! ये किताब हर तरह से मोअतबर है, ज़रूरत इस बात की है कि हर शख़्स इसको अपने पास रखे और दूसरों को इसकी तर्ग़ीब दिलाकर इसका ख़रीदार बनाए। सूबा राजस्थान अवाम का ख़ास ख़याल रखते हुए इस किताब को आसान हिन्दी में छापा गया है जिससे इसकी अफ़ादियत दोगुनी हो गई है। जमीअत अहले हदीष जोधपुर के ज़िम्मेदारान को अल्लाह जज़ा–ए–ख़ैर दे कि उन्होंने वक़्त की एक अहम ज़रूरत को महसूस करते हुए बहुत कम अर्से में इस लम्बे सफ़र को तय किया है। अल्लाह तआला से दुआगो हूँ कि रब्बुल आलमीन इस किताब को हर आम व ख़ास के लिये मुफ़ीद बनाए और इस किताब की इशाअत में जिस–जिसकी भी ख़िदमात रही हों, उसको क़ुबूल फ़र्माए, ख़ास तौर पर नाशिर व मुतर्जिम की ख़िदमात को। अल्लाह से दुआ है कि नश्रो–इशाअत का ये सिलसिला लगातार जारी व सारी रहे, आमीन!

मौलाना अबुल कलाम फ़ैज़ी

इमाम व ख़तीब मस्जिद मुहम्मदी, जोधपुर.

गुज़ारिश

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.

शबे–तारीक के घटाटोप अंधेरे में आसमान की मद्धम रोशनी मुसाफ़िरों की रहनुमाई करती है। समन्दर की वुस्अतों में जब सफ़ीने राह भूल जाते हैं तो आसमान के चमकते सितारे रहबरी करते हैं। मगर फ़िक्रो–नज़र, ईमानो–ऐतक़ाद, उमूरे–मुआमलात की उलझनों में जब नस्ले–इन्सानी भटक जाए तो उनके लिये नागुज़ीर है कि वो नुबुव्वत की दूरबीन आँखों पर लगाकर हक़ाइक़ की तलाश करें। इससे उम्मीद है कि वो हक़ीक़त व सच्चाई की राह पा जाए और उसे हिदायत नसीब हो जाए।

तमाम नस्ले–इन्सानी के लिये हिदायत का सरचश्मा कुर्आने–मजीद व अहादीषे–नबवी (ﷺ) हैं। अल्हम्दुलिल्लाह! कुर्आन मजीद का तर्जुमा दुनिया की क़रीब–क़रीब तमाम ज़बानों में हो चुका है, हिन्दी ज़बान में कुर्आन मजीद का तर्जुमा व तफ़ासीर भी मुन्तक़िल की जा चुकी है जिससे लोगों की एक बड़ी तादाद फ़ैज़याब हो रही है। लेकिन जहाँ तक अहादीषे–नबवी (ﷺ) का मुआमला है, मेरी जानकारी के मुताबिक तमाम कुतुबे–अहादीष हिन्दी में मुहैया नहीं है। ये अल्लाह का एहसानो–करम है कि जमीअत अहले हदीष जोधपुर के ज़ेरे–इंतज़ाम पिछले कुछ सालों में बहुत सी इल्मी किताबों का हिन्दी तर्जुमा करके छापा गया है जिनसे हिन्दी ज़बान के जानकार फ़ैज़याब हो रहे हैं जिनमें **'अहकामो–मसाइल'**, **'फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ)'**, **'मेरा जीना मेरा मरना; अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिये है'** वे किताबें हैं जो काफ़ी मक़्बूल हुई हैं। यह भी बड़ी ख़ुशी की बात है कि **'मुकम्मल सहीह बुख़ारी (मय तफ़्सीर)'** को हिन्दी में छापने का काम तेज़ी से चल रहा है और जमीअत अहले हदीष के ज़रिये आठ जिल्दों पर मुश्तमिल इल्म का ये ख़ज़ाना अनक़रीब मंज़रे–आम पर आने की तैयारी में है।

ज़ेरे–नज़र किताब **'ये मोती–ये जवाहरात'** हिन्दीदाँ लोगों के लिये एक रहनुमा का काम करेगी, इंशाअल्लाह! इस किताब में वे अहादीष शामिल की गई हैं जो हर ऐतबार से सहीह मुस्तनद हैं। किसी हदीष के साथ बुख़ारी व मुस्लिम का हवाला होना उसकी सिहत की दलील होता है और उन अहादीष की अहमियत तो और ज़्यादा हो जाती है जिन्हें इमाम बुख़ारी (रह.) और इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी–अपनी कसौटी पर परखकर सहीह क़रार दिया है।

तमाम क़ारेईन से गुज़ारिश है कि वे इस किताब का ग़ौर से मुतालआ करें और हर रोज़ इस किताब के कुछ हिस्से को पढ़ना अपनी आदत में शामिल करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इल्म के समन्दर से ऐसे नायाब मोती और जवाहरात दस्तयाब होंगे, जिनकी आपको तलाश है। अल्लाह से दुआ है कि यह किताब तमाम लोगों के लिये हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बने और जिन हज़रात ने इस कारे–ख़ैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह तआला उनको अज्रे–अज़ीम से नवाज़े, आमीन!

मुहम्मद मुज्तबा हसन कासमी

इमाम व ख़तीब मस्जिद इक़रा जोधपुर.

हर्फ़े-आग़ाज़
(इस किताब के बारे में)

क़ारेईने किराम! एक साल की कड़ी मेहनत के बाद अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के फ़ज़्ल व एहसानो-करम से आपके हाथों में वो किताब सौंपी जा रही है जिसे बेमिषाल, नायाब और बेशक़ीमती ख़ज़ाना कहना यक़ीनन दुरुस्त होगा।

किताब की इम्तियाज़ी ख़ास़ियतें :-

01. इस किताब में स़िर्फ़ वे अहादीष़ दर्ज की गई हैं जो जामेअउस्स़हीह बुख़ारी व जामेअउस्स़हीह मुस्लिम दोनों में एक ही स़हाबी से रिवायत की गई हैं।

02. किताब की तर्तीब स़हीह़ मुस्लिम के अबवाब (अध्यायों) के मुताबिक़ है। स़हीह़ मुस्लिम में बयान की गई हदीष़ स़हीह बुख़ारी में किस चैप्टर (किताब) व किस अध्याय (बाब) में है, इसका ख़ुलासा हर हदीष़ के आख़िर में किया गया है।

03. इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि ये किताब, किसी दूसरी किताब की नक़ल-भर न होकर रह जाए। इसके लिये किताब में दर्ज की गई अहादीष़ के तर्जुमे व रावियों के नामों का स़हीह़ बुख़ारी व स़हीह मुस्लिम की अस़ल किताबों से मिलान किया गया है, इसके लिये अरबी के माहिर आलिम मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी की ख़िदमात बेहद सराहनीय रही है।

04. हमें ये बख़ूबी एहसास है कि ये किताब हिन्दी भाषी पाठकों के लिये तैयार की जा रही है, इसलिये इसकी ज़बान व लहजे को सादा व आम-फ़हम रखा गया है।

05. जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ हदीष़ पूरी होने के बाद फ़ुटनोट देकर हदीष़ का ख़ुलासा करने की कोशिश की गई है। लम्बे फ़ुटनोट को आसानी से समझाने के लिये बिन्दुवार (Pointwise) दिया गया है।

06. बयान की गई हदीष़ में अगर कोई बात क़ाबिले-ग़ौर है तो उसे **बोल्ड अक्षरा** में छापा गया है।

07. **इस किताब की हिन्दी को उर्दू के मुवाफ़िक़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई है इसके लिये उर्दू के कुछ ख़ास़ हर्फ़ों को अलग तरह से लिखा गया ह** मिष़ाल के तौर पर :- (ا) के लिये **अ**, (ع) के लिये **अ़**; (ث) के लिये **ष़**, (س) के लिये **स**, (ش) के लिये **श**, (ص) के लिये **स़**; (ح) के लिये **ह़**, (ہ) के लिये **ह**, (خ) के लिये **ख़**, (غ) के लिये **ग़**, (ف) के लिये **फ़**, (ك) के लिये **क**, (ق) के लिये **क़** लिखा गया है। (ج) के लिये **ज** का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ज़ाल (ذ) ज़े (ز) ज़ाद (ض) ज़ोय (ظ) के लिये मजबूरी में एक ही हुरूफ़ **ज़** का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन हर्फ़ों के लिये स़ह़ीह़ विकल्प हमें नज़र नहीं आया।

आपको यह बता देना मुनासिब होगा कि उर्दू ज़बान के कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा हुरूफ़ लिख दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक लफ़्ज़ उर्दू में पाँच तरह से लिखा जाता है; **असीर,** अलिफ़ (ا)-सीन (س) ये (ی) रे (ر) जिसका मतलब होता है **क़ैदी**। **अष़ीर,** अलिफ़ (ا) ष़े (ث) ये (ی)

रे (ر) जिसका मतलब होता है **ख़ालिस़**। **अ़सीर** अ़ेन (ع) सीन (س) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **मुश्किल**। **अ़स़ीर** अ़ेन (ع) स़ाद (ص) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **अंगूर की चाशनी (शीरा)**। अ़ष़ीर अ़ेन (ع) ष़े (ث) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **धूल**। कहने का मतलब ये है कि इस किताब में स़ह़ीह़ तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) के लिये हद–दर्जा कोशिश की गई है। उर्दू का एक मशहूर शेर है,

हम दुआ (دعا) लिखते रहे, वो दग़ा (دغا) पढ़ते रहे;

एक नुक़्ते (.) ने मुझे मह़रम (محرم) से मुजरिम (مجرم) कर दिया.

किताब की अहमियत :–

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की मुरत्तबकर्दा किताब, अल जामेउस्स़ह़ीह़ अल बुख़ारी, को किताबुल्लाह के बाद बिल इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मति से) और बिल इज्माअ़ (बहुमत से) स़ह़ीह़तरीन किताब क़रार दिया गया है। इसकी अहमियत को समझने के लिये इमाम बुख़ारी (रह.) का यह फ़र्मान ही काफ़ी है, आपने लिखा है, **मैंने कोई ह़दीष़ इस किताब में उस वक़्त तक दाख़िल नहीं की जब तक कि ग़ुस्ल कर के दो रकअ़त नमाज़ अदा न कर ली हो। बैतुल्लाह शरीफ़ में उसे मैंने लिखा और दो रकअ़त नमाज़ पढ़कर हर ह़दीष़ के लिए इस्तिख़ारा किया। मुझे जब हर तरह़ इस ह़दीष़ की स़िह़त का यक़ीन हुआ, तब मैंने उसके इंदराज (लिखने) के लिए क़लम उठाया। इसको मैंने अपनी नजात के लिए हुज्जत बनाया है और छह लाख ह़दीष़ों से छांट–छांटकर मैंने उसे जमा किया है।** इसी त़रह स़ह़ीह़ मुस्लिम का दर्जा भी दीगर ह़दीष़ की किताबों से आ़ला है। इसकी वजह ये है कि इमाम बुख़ारी (रह.) व इमाम मुस्लिम (रह.) ने ह़दीष़ दर्ज करने में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लिया है। यही वजह है कि जो ह़दीष़ें स़ह़ीह़ बुख़ारी व स़ह़ीह़ मुस्लिम दोनों में मौजूद हो उन्हें **'अह़ादीष़े–स़ह़ीहैन'** कहते हैं। इन्हीं अह़ादीष़ के मज्मूअ़े (संग्रह) को **'ये मोती–ये जवाहरात'** के नाम से क़ारेईन की ख़िदमत में पेश किया जा रहा है।

वैसे तो इस किताब में हमारी रोज़मर्रा ज़िन्दगी से जुड़े तमाम मामलात से मुता'ल्लिक़ अह़ादीष़ मौजूद हैं लेकिन हमारी ये ख़्वाहिश है कि तमाम बड़ी–बड़ी ह़दीष़ की किताबों का हिन्दी में तर्जुमा हो। अल्हम्दुलिल्लाह! हमें ये जानकारी देते हुए बेहद ख़ुशी हो रही है कि इसी साल **आठ जिल्दों में 'मुकम्मल स़ह़ीह़ बुख़ारी'** हिन्दी भाषा में आपकी ख़िदमत में पेश की जाएगी, इंशाअल्लाह! आपसे गुज़ारिश है कि आप हर मुमकिन तरीक़े से तअ़वुन (सहयोग) करें, शैतान के शर से बचाव के लिये हरदम अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। इस किताब को तर्तीब देने में जिन किताबों से हमें मदद मिली है, उनके मुरत्तिब करने वाले ह़ज़रात को अल्लाह तआ़ला अपने ख़ास़ फ़ज़्ल से नवाज़े और उन्हें आख़िरत में ऐसा बदला अ़ता फ़र्माए जो दुनिया की तमाम नेअ़मतों और मालो–दौलत से बढ़कर हो यानी जन्नतुल फ़िरदौस। इस किताब को आप तक पहुँचाने में जिन ह़ज़रात ने हमारा तअ़वुन किया उन्हें भी अल्लाह का फ़ज़्लो–करम नस़ीब हो। इस किताब की कम्पोज़िंग, तस़्ह़ीह़ (त्रुटि संशोधन) और कवर डिज़ाइनिंग में मेरे जिन साथियों की मेहनत जुड़ी हैं, उन सब पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें व सलामती नाज़िल हों।

ऐ अल्लाह! मेरे वालिद–वालदा को अपने अ़र्श के साये तले, अपनी रहमत की पनाह नस़ीब फ़र्मा जिनकी दुआओं के बदले तूने मुझे दीने–इस्लाम का फ़हम अ़ता किया। मेरे तमाम उस्ताद ह़ज़रात पर रहमत नाज़िल फ़र्मा जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। ऐ अल्लाह! हमारी ख़त़ाओं और कोताहियों से दरगुज़र फ़र्माते हुए तू हमसे राज़ी हो जा और हमें रोज़े आख़िरत वो नेअ़मतें अ़ता फ़र्मा, जिनका तूने अपने बन्दों से वादा फ़र्माया है। आमीन! तक़ब्बल या रब्बल आ़लमीन!!

व स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़ला नबिय्यिना व अ़ला आलिही व अस़्ह़ाबिही व अत्बाइ़हि व बारिक व सल्लिम.

सलीम ख़िलजी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मुक़द्दमा (भूमिका)

रसूले करीम (ﷺ) की तरफ़ झूठ (ऐसी बात जो आप ﷺ ने फ़र्माई न हो) मन्सूब करना बहुत बड़ा गुनाह है और इस पर आप (ﷺ) ने शदीद वईद फ़र्माई है

01. ह़दीष़ अ़ली (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मेरे मुता'ल्लिक़ झूठ मत बोलो। या'नी ऐसी बात जो मैंने न कही हो, अपनी तरफ़ से गढ़कर मेरी तरफ़ मन्सूब न करो; इसलिये कि जो मेरे बारे में झूठ गढ़ेगा, वो ज़रूर जहन्नम में जाएगा।'

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 38 मन कज़ब अलन्नबी)

---

02. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे तुम्हारे सामने ज़्यादा ह़दीषें बयान करने से जो चीज़ रोकती है, वो ये है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया है, 'जो शख़्स़ अ़मदन (जान–बूझकर) कोई झूठी बात गढ़कर मेरी तरफ़ मन्सूब करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।'

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 38 मन कज़ब अलन्नबी)

---

03. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'जो शख़्स़ अ़मदन (जान–बूझकर) कोई झूठ गढ़कर मेरी तरफ़ मन्सूब करे, उसे चाहिये कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।'

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 38 मन कज़ब अलन्नबी)

---

04. ह़दीष़ मुग़ीरा (रज़ि.) : ह़ज़रत मुग़ीरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम से सुना है कि आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'मेरे बारे में झूठ बोलना किसी दूसरे (आ़म) शख़्स़ के बारे में झूठ बोलने के मानिन्द (समान) नहीं है। जो शख़्स़ जान–बूझकर झूठ गढ़कर मेरी तरफ़ मन्सूब करे; वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।'

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 34 मा युकरहु मिनन्नियाहति अ़लल मय्यित)

किताबुल ईमान

बाब 1 : ईमान की ता'रीफ़ और ईमान की इम्तियाज़ी ख़ासियतें

05. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं, एक दिन आँहज़रत (ﷺ) लोगों के सामने तशरीफ़ फ़र्मा थे कि आप (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ और उसने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ईमान की (माहियत) क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ईमान का मफ़हूम यह है कि तुम अल्लाह की ज़ात पर, मलाइका (फ़रिश्तों) के वजूद पर, हश्र के दिन अल्लाह के सामने पेश होने पर, अल्लाह के रसूलों के बरहक़ होने पर ईमान लाओ और मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा किए जाने का यक़ीन रखो।

उसने फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस्लाम की ता'रीफ़ क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस्लाम यह है, (1) तुम महज़ अल्लाह की इबादत करो और इबादत में किसी ग़ैर को अल्लाह का शरीक न बनाओ (तौहीद फ़िल् इबादत) (2) और फ़र्ज़ नमाज़ अदा करो (3) ज़कात दो (4) और रमज़ान के रोज़े रखो।

फिर उसने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इहसान क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, इसलिये कि यह एक हक़ीक़त है कि अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो वो तो यक़ीनन तुमको देख रहा है।

फिर उसने सवाल किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ियामत कब बर्पा होगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिससे सवाल किया गया है क़ियामत के बारे में वो भी सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। अल्बत्ता मैं तुमको क़ियामत बर्पा होने की कुछ शराइत (निशानियाँ) बताए देता हूँ; जब लौंडी अपना आक़ा जनेगी और जब ऊँटों के स्याह फ़ाम (काले–कलूटे और ग़ैर मुहज़्ज़ब) चरवाहे बड़ी–बड़ी इमारतें बनाने में एक–दूसरे पर बाज़ी ले जाएँगे। दरअसल क़ियामत का अ़िल्म उन पाँच उमूरे ग़ैबिया में से है जिनको अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आप (ﷺ) ने यह आयते करीमा तिलावत फ़र्माई, **'उस घड़ी (क़ियामत) का अ़िल्म अल्लाह ही के पास है। वही बारिश बरसाता है। वही जानता है कि माँओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई शख़्स यह नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है और न किसी शख़्स को ख़बर है कि किस सरज़मीन में उसको मौत आनी है।'** (लुक़मान : 34)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि इस बातचीत के बाद वो शख़्स पीठ मोड़कर चला गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे वापस बुलाओ।' चुनाँचे सहाबा किराम (रज़ि.) ने उसे तलाश किया। लेकिन उसका कोई सुराग़ न मिला तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वह जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) थे, जो इस ग़र्ज़ से आए थे कि इस तरह लोगों को दीन के ज़रूरी उमूर की ता'लीम हो।' **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 37)**

बाब 3 : नमाज़ इस्लाम का एक अहम रुक्न है

06. हदीष तलहा बिन उबैदा (रज़ि.) : हज़रत तलहा (रज़ि.) बयान करते हैं, आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में नज्द का रहने वाला एक शख़्स इस हाल में हाज़िर हुआ कि उसके बाल बिख़रे हुए थे। उसकी गुनगुनाहट तो सुनाई देती थी लेकिन बात समझ में नहीं आती थी, यहाँ तक कि वो जब क़रीब आया तो मा'लूम चला कि इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दिन और रात (के 24 घंटों में) पाँच नमाज़ें। उसने सवाल किया, क्या इनके अलावा कोई और नमाज़ भी मुझ पर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (फ़र्ज़) नहीं है। हाँ! अगर तुम रिज़ाकाराना अदा करना चाहो तो कर सकते हो। और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, माहे रमज़ान के रोज़े। साइल ने पूछा, क्या रमज़ान के अलावा कोई और रोज़ा भी मुझ पर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (फ़र्ज़) नहीं! अल्बत्ता तुम रिज़ाकाराना रखना चाहो तो रख सकते हो। आप (ﷺ) ने उसे ज़कात के बारे में भी बताया। उस शख़्स ने पूछा, क्या मुझ पर इसके अलावा कोई और भी अदायगी ज़रूरी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (फ़र्ज़) नहीं, अल्बत्ता तुम रिज़ाकाराना देना चाहो तो दे सकते हो। रावी कहते हैं, फिर वो शख़्स वापस जाने के लिये मुड़ गया और कहता जाता था, क़सम अल्लाह की! मैं न इसमें कोई इज़ाफ़ा करूँगा और न किसी क़िस्म की कमी। आप (ﷺ) ने (उस शख़्स की यह बात सुनकर) फ़र्माया, फ़लाह पा गया (ये शख़्स) अगर उसने अपनी बात सच कर दिखाई।

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 34)

बाब 5 : उस ईमान का बयान जिसका हामिल जन्नत में दाख़िल होगा

07. हदीष अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे ऐसा अमल बताइए जिसको अंजाम देने से मैं जन्नत में दाख़िल हो सकूँ। (उस शख़्स को आगे बढ़ते और आहज़रत ﷺ से मुख़ातिब होते देखकर) लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसे क्या हुआ है? क्यूँ इस तरह बात कर रहा है? इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, कुछ नहीं हुआ। इसे मुझसे काम है, इसे कहने दो। फिर आप (ﷺ) ने उस शख़्स को मुख़ातब करके फ़र्माया, अल्लाह की इबादत ऐसे ख़ुलूस से करो कि उसके सिवा किसी ग़ैर की इबादत (किसी भी रूप में) हर्गिज़ न करो बल्कि अल्लाह की जो इबादत करो, उसमें भी शिर्कते ग़ैर का शाइबा न हो। ख़ालिसतन् अल्लाह की और अल्लाह के लिये हो; नमाज़ क़ायम करो; ज़कात अदा करो और रिश्तेदारों से मेल–जोल और हुस्ने–सुलूक करो। फिर फ़र्माया, 'उसे छोड़ दो।' रावी कहते हैं, ऐसा मा'लूम होता है कि यह शख़्स ऊँटनी पर सवार था और उसे रोक कर आप (ﷺ) से सवाल कर रहा था। चुनाँचे जवाब देने के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपनी सवारी को चलने दो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 10)**

नोट : यह भी मुमकिन है कि जिस वक़्त वो आदमी आप (ﷺ) से बातचीत कर रहा था, उस वक़्त आप (ﷺ) अपनी सवारी पर सवार रहे हों और उस शख़्स ने आप (ﷺ) की सवारी की नकेल (रस्सी) पकड़ रखी हो; फिर आप (ﷺ) ने उसके सवाल का जवाब देने के बाद सवारी की बाग (डोर) छोड़ देने के लिये कहा हो कि इसे छोड़ दो।

---

08. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक देहाती हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे ऐसा अमल बताइए जिसको अंजाम देने से जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि इबादत में अल्लाह के साथ किसी ग़ैरूल्लाह को अल्लाह का शरीक न बनाओ। फ़र्ज़ नमाज़ें और मुक़र्ररा ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। उस देहाती ने कहा, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है! मैं इन अहकाम पर बिला

कमी–बेशी के पूरा–पूरा अ़मल करूँगा, यह कहकर जब वो शख़्स वापस जाने के लिये मुड़ा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसे यह बात पसन्द हो कि वो किसी जन्नती को देखे, वो इस शख़्स को देख ले।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 1)

नोट : इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर है कि अगर कोई शख़्स इस तरह ज़िन्दगी गुज़ारे कि किसी भी मामले में अल्लाह के साथ हर्गिज़ शिर्क न करे; फिर उसके बाद वो फ़र्ज़ नमाज़ें, ज़कात, रोज़े रख ले (और अगर उस पर फ़र्ज़ हो गया हो तो हज्ज कर ले), तो ये तमाम चीज़ें उसे जन्नत में ले जाने के लिये काफ़ी हैं।

---

09. हदीष इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, इस्लाम की बुनियाद पाँच अरकान पर रखी गई है, (1) यह शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं (2) नमाज़ क़ायम करना (3) ज़कात देना (4) बैतुल्लाह का हज करना (5) रमज़ान के रोज़े रखना। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 2)**

बाब 7 : अल्लाह तआ़ला, रसूलुल्लाह (ﷺ) और अहकामे–दीन पर ख़ुद ईमान लाने और दूसरों को उन सब पर ईमान लाने की दअ़वत देने का हुक्म

10. हदीष इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब क़बीला अब्दुल क़ैस का वफ़्द (प्रतिनिधि मण्डल) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कौन लोग हैं? (या आप ﷺ ने फ़र्माया) किस क़बीले का वफ़्द है? उन लोगों ने अ़र्ज़ किया, हमारा तअ़ल्लुक़ क़बील–ए–रबीआ़ से है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम लोगों' या 'वफ़्द' (नोट : यहाँ रावी को शक है कि आप ﷺ ने क्या अल्फ़ाज़ इर्शाद फ़र्माए थे) को ख़ुश आमदीद! बाइज़्ज़त और सुर्ख़रू (होकर) आओ। उन लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम आपकी ख़िदमत में सिर्फ़ 'शहरुल् हराम' (हुर्मत वाले महीनों) में हाज़िर हो सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरम्यान यह क़बीला या'नी कुफ़्फ़ारे मुज़र का क़बीला पड़ता है। लिहाज़ा आप (ﷺ) हमें ऐसे जामेअ़ और क़तई उमूर तलक़ीन फ़र्मा दीजिए जो हम उन लोगों को भी जाकर फ़र्मा दे जो हमारे साथ आपकी ख़िदमत में हाज़िर नहीं हो सके और जिन पर अ़मल करके हम जन्नत में दाख़िल हो जाएँ (गोया सीख लेने के बाद दीनी उमूर के बारे में बार–बार पूछने न आना पड़े और उन्हीं पर अ़मल करने से जन्नत में दाख़िल हो जाएँ) इसके अ़लावा उन लोगों ने आप (ﷺ) से मशरूबात (पीने की चीज़ों) के मुता'ल्लिक़ भी पूछा। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उन्हें चार बातों के करने का हुक्म दिया और चार बातों से मना फ़र्माया। आप (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि सबको छोड़कर सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान लाएँ। फिर फ़र्मायां, तुम्हें मा'लूम है कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अ़र्ज़ किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल (ﷺ) बेहतर जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ईमान बिल्लाह से मुराद यह गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। और उन्हें हुक्म दिया कि नमाज़ क़ायम करो और माहे रमज़ान के रोज़े रखो और ग़नीमत में से ख़ुमुस (पाँचवां हिस्सा) बैतुलमाल में दिया करो; फिर चार चीज़ों के बारे में आप (ﷺ) ने फ़र्माया, या'नी चार क़िस्म के बर्तनों हन्तुम, दुब्बा, नक़ीर और मुज़फ़्फ़त में पानी रखने और पीने से मना फ़र्माया (रावी कहते हैं, इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कभी–कभी 'नक़ीर' की बजाए 'मुक़य्यर' बोला करते थे) नीज़ आप (ﷺ) ने उन लोगों से इर्शाद फ़र्माया कि इन अहकाम को बख़ूबी ज़हननशीन (याद) कर लो और जो लोग तुम्हारे इलाक़े में पीछे रह गए हैं और यहाँ हाज़िर नहीं हो सके, उनको भी इन अहकाम से मुत्तलअ़ (अवगत) करा दो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 40)**

नोट : अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ऐसे बर्तनों में नबीज़ तैयार करने से मना फ़र्माया (1) हन्तुम : ऐसे हरे या लाल रंग के घड़े को कहते हैं जिसकी गर्दन पहलू की जानिब रखी जाती है और उसे मिट्टी में बाल व ख़ून मिलाकर बनाया जाता है; या ऐसे लाख के घड़े को जिस पर लाख और काँच का लेप किया गया हो, (2) दुब्बा : ऐसा बर्तन जो कद्दू की तूम्बी से बनाया जाता है, (3) मुज़फ़्फ़तः ऐसा बर्तन जो राल का लेप करके बनाया जाता है, (4) नक़ीरः ये बर्तन खजूर की जड़ में खुदाई करके बनाया जाता था और उसमें शराब रखी जाती थी, (5) अल मुक़य्यिर : वो रोग़नी (रंगदार) बर्तन जिस पर क़ार (कोलतार) या क़ीर का लेप किया गया हो (मुलाहिज़ा हो कि क़ीर एक ऐसी बूटी है जिसे सुखाकर और जलाकर राल की तरह उसका लेप कश्तियों पर किया जाता था)।

---

11. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने जब हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो आप (ﷺ) ने उनसे मुख़ातिब होकर फ़र्माया, 'ऐ मुआज़! तुम ऐसे लोगों की तरफ़ जा रहे हो जो अहले किताब हैं, लिहाज़ा तुम सबसे पहले उन्हें अल्लाह की इबादत की दअ़वत देना। अगर वो अल्लाह को पहचान लें (तुम्हारी दअवत कुबूल कर लें) तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर दिन और रात (के चौबीस घंटों) में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं अगर वो यह भी कुबूल कर लें तो उन्हें मुत्तलअ़ करना कि अल्लाह ने उन पर उनके माल की ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदारों से वसूल की जाएगी और उन्हीं के ग़रीबों में तक़्सीम की जाएगी अगर वो इस हुक्म को भी तस्लीम कर लें और ज़कात की अदायगी पर आमादा हो जाएँ तो उनकी ज़कात वसूल करना, ख़बरदार! लोगों के बेहतरीन माल को हाथ न लगाना।' **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 41)**

नोट : इस हदीष में मुसलमानों को ता'लीम दी गई है कि किसी ग़ैर-मुस्लिम के सामने इस्लाम किस तरह पेश किया जाए? हर मुस्लिम की ज़िम्मेदारी है कि

01. वो ग़ैर-मुस्लिम शख़्स को अल्लाह की पहचान कराए; या'नी वो सबसे पहले यह समझाए कि इन्सानों का ख़ालिक़ (रचयिता) एक अल्लाह है, जो सबका मालिक है।
02. उसके बाद उसे चाहिये कि यह समझाए कि अल्लाह एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है।
03. वही एक अल्लाह हमारी हर क़िस्म की इबादतों, हम्दो-षना (पूजा-वन्दनाओं) का हक़दार है। अगर एक से ज़्यादा इलाह (पूज्य) होते तो धरती व आसमान में फ़साद (अव्यवस्था) फैल जाती।
04. उसके बाद यह भी समझाए कि अल्लाह के न तो कोई बीवी है और न कोई औलाद है और न ही उसको इनकी ज़रूरत ही है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है।
05. जब किसी इन्सान को अल्लाह के बारे में पूरी तरह समझा दिया जाए, उसके बाद ही उसे नमाज़, रोज़ा और ज़कात के बारे में बतलाया जाए। यह बात सहीह इसलिये है कि जब तक लोग अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, तब तक उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो उसकी बन्दगी का हक़ अदा करें।

---

12. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ को यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो इर्शाद फ़र्माया, मज़लूम की बद्दुआ से डरते रहना क्योंकि मज़लूम की फ़रियाद और अल्लाह तआला के दरम्यान कोई पर्दा हाइल (आड़े) नही है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 9)

नोट : हाकिम (सत्ताधीशों) के हाथों अत्याचार होना आम बात है। लेकिन इस्लाम ने हाकिमों को इस बात से डराया है कि अल्लाह मज़लूम या'नी अत्याचार से पीड़ित की दुआ को जल्दी क़ुबूल कर लेता है। यह नसीहत तमाम इन्सानों के लिये है। सबको चाहिये कि वे ज़ुल्म करने से बचें वर्ना हाकिमों का हाकिम अल्लाह उन्हें कड़ी सज़ा देगा।

बाब 8 : काफ़िरों से उस वक़्त तक जंग की जाए जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का इक़रार न कर लें

13. ह़दीष़ अबूबक्र व उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि जब आँह़ज़रत (ﷺ) वफ़ात पा गए और अबूबक्र (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के ज़माने में अ़रब के कुछ क़बीलों ने ज़कात देने से इंकार कर दिया तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ह़ज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) से कहा कि आप किस तरह से लोगों से जंग करेंगे जबकि नबी अकरम (ﷺ) का इर्शाद है, 'मुझे लोगों से उस वक़्त तक जंग करने का हुक्म दिया गया है जब तक कि वो **ला इलाहा इल्लल्लाह** का इक़रार न कर लें। चुनाँचे जिस शख़्स़ ने इस कलिम–ए–तय्यिबा की शहादत दे दी, उसने अपना जान व माल महफ़ूज़ कर लिया। अब उसे मेरे हाथों नुक़्सान पहुँचने का कोई ख़तरा नहीं। सिवाय इसके कि इस्लाम की रू से उस पर कोई हक़ वाजिबुल अदा हो और उसका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है।' इस पर ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं हर उस शख़्स़ से जंग करूँगा जो नमाज़ और रोज़े में फ़र्क़ करेगा, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है (जिसका अदा करना अल्लाह की तरफ़ से फ़र्ज़ किया गया है) अल्लाह की क़सम! अगर इन लोगों ने मुझे एक ऊँटनी देने का भी इंकार किया (जिस तरह आँह़ज़रत ﷺ के ज़माने में दिया करते थे) तो मैं उनसे इस इंकार की बिना (आधार) पर जंग करूँगा। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि (बाद में) ह़ज़रत उ़मर ने कहा था कि अल्लाह की क़सम! असल बात यह थी कि अल्लाह तआ़ला ने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) का सीना खोल दिया था कि ह़ज़रत स़िद्दीक़ (रज़ि.) का मौक़िफ़ ही बरहक़ है।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 1)

नोट : रोज़े और ज़कात में फ़र्क़ करने का मतलब यह है कि जो कोई शख़्स़ रोज़ा तो फ़र्ज़ समझता है लेकिन ज़कात को फ़र्ज़ समझकर अदा नहीं करता। अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) पर ईमान लाने के बाद हर मुस्लिम व मोमिन पर नमाज़, रोज़ा, ज़कात व हज्ज फ़र्ज़ है। अब जो कोई शख़्स़ साहिबे–माल होने के बावजूद जान–बूझकर ज़कात अदा न करे या हज न करे तो गोया वो इन अरकान से कुफ़्र (इन्कार) करता है और इस्लामी हुकूमत को इन्कार करने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद करने की इजाज़त है।

---

14. ह़दीष़ ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि, 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक जंग करूँ जब तक वो **ला इलाहा इल्लल्लाह** का इक़रार न कर लें। चुनाँचे जिस शख़्स़ ने **ला इलाहा इल्लल्लाह** का इक़रार कर लिया उसने अपना जान व माल मुसलमानों के दस्तरस से महफ़ूज़ कर लिया सिवाए इसके कि उस पर कोई क़ानूनी हक़ वाजिबुल अदा हो और (इस इक़रार के बाद) उसका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द हो गया।' **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 102)**

---

15. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूँ ताकि वो **ला इलाहा इल्लल्लाह** की शहादत दें, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात अदा करें। जब लोग इन अफ़आ़ल व अअ़माल पर कारबंद हो जाएँगे तो उनके जान व माल मेरे हाथों की (रसाई) से महफ़ूज़ हो जाएगा सिवाए उस हक़ के जो इस्लाम की रू से उन पर वाजिबुल अदा होगा और उनके बातिन का हिसाब अल्लाह के सुपुर्द होगा।' **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 17)**

बाब 9 : ईमान की इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह के इक़रार से होती है

16. हदीष़ मुसय्यिब (रज़ि.) बिन हज़्न : हज़रत मुसय्यिब (रज़ि.) बयान करते हैं कि, जब अबू तालिब का वक़्ते वफ़ात क़रीब आया, तो आँहज़रत (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाए। उस वक़्त अबू तालिब के पास अबू जहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या बिन मुग़ीरह मौजूद थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, चचाजान! कलिमा **'ला इलाहा इल्लल्लाह'** का इक़रार कर लीजिए। यही वो कलिमा है जिसकी बिना पर मैं बारगाहे ऐज़दी में आपके मुसलमान होने की शहादत दूँगा।' इस मौक़े पर अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या ने कहा, ऐ अबू तालिब! क्या तुम दीने अब्दुल मुत्तलिब से मुनहरिफ़ (विमुख) हो जाओगे? उसके बाद नबी (ﷺ) ने मुसलसल अबू तालिब के सामने कलिमा **'ला इलाहा इल्लल्लाह'** का इक़रार कर लेने की दअ़वत पेश करते रहे और वो दोनों (अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या) अपनी बात दोहराते रहे। यहाँ तक कि अबू तालिब ने जो आख़िरी बात उन दोनों से कही, वो यह थी, 'मैं दीने अब्दुल मुत्तलिब पर क़ायम हूँ' और कलिमा **ला इलाहा इल्लल्लाह** का इक़रार कर देने से इंकार कर दिया। इसके बावजूद आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'अल्लाह की क़सम! मैं आपके लिये उस वक़्त तक इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा जब तक कि मुझे इससे मना न कर दिया जाए। चुनाँचे इसी वाक़िये के पसे मंज़र यह आयते करीमा नाज़िल हुई,' **'नबी (ﷺ) को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं ज़ेबा नहीं देता है कि मुश्रिकों के लिये मग़्फ़िरत की दुआ करें चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों न हों जबकि इन पर यह बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक़ हैं।'** (अत् तौबा : 113)

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 17)

बाब 10 : जो शख़्स अल्लाह तआला के हुज़ूर ऐसा ईमान लेकर हाज़िर होगा जिसमें ज़रा भी शक की मिलावट न होगी, वो सीधा जन्नत में जाएगा जहन्नम की आग उस पर हराम है

17. हदीष़ उ़बादा (रज़ि.) : हज़रत उ़बादा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि जिस शख़्स ने यह शहादत दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और यह शहादत दी कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं और यह शहादत दी कि हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह के बन्दे, अल्लाह के रसूल और कलिमतुल्लाह हैं जो उसने हज़रत मरयम की तरफ़ इल्क़ा फ़र्माया था और रूहुल्लाह हैं नीज़ यह शहादत दी कि जन्नत और जहन्नम बरहक़ हैं। अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल फ़र्माएगा ख़्वाह उसके अअ़माल कैसे ही हों। हदीष़ के रावियों में से एक रावी ने मज़ीद इज़ाफ़ा किया है कि जन्नत के आठ दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहेगा जन्नत में दाख़िल हो सकेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 48)

---

18. हदीष़ मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) : मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी अकरम (ﷺ) के साथ आप ही की सवारी पर आप (ﷺ) के पीछे बैठा था और मेरे और आपके बीच सिर्फ़ कजावे की लकड़ी की आड़ थी, अचानक आपने फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैं ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! लब्बैक व सादैक या रसूलल्लाह (ﷺ)! (मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूँ) फिर आप कुछ देर चलते रहे और उसके बाद दोबारा फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैंने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! लब्बैक व सादैक! फिर आप मज़ीद कुछ देर चलते रहे और तीसरी बार फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैंने अर्ज़ किया, 'लब्बैक व सादैक' या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया,

क्या तुम जानते हो बन्दों पर अल्लाह का क्या हक़ है? मैंने कहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल (ﷺ) बेहतर जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **'बन्दों पर अल्लाह का यह हक़ है कि वो सिर्फ़ उसी की इबादत करें और किसी ग़ैर को इबादत में ज़रा भी शरीक न ठहराएँ।'**

यह इर्शाद फ़र्माकर आप (ﷺ) कुछ देर (ख़ामोशी से) चलते रहे, उसके बाद फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह (ﷺ)! व सादैक! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **'क्या तुम जानते हो कि जब बन्दे अल्लाह का हक़ अदा करें तो अल्लाह पर बन्दों के क्या हक़ हैं ?'** मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **'बन्दों का हक़ अल्लाह पर यह है कि फिर वो उनको अज़ाब न दे।'**

(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 101)

---

19. हदीषे मुआज़ (रज़ि.) : हज़रत मुआज़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे उ़फ़ैर नामी गधे पर सवार था आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ मुआज़! क्या तुम्हें मा'लूम है कि बन्दों पर अल्लाह का क्या हक़ है? और अल्लाह पर बन्दों का क्या हक़ है?' मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बन्दों पर अल्लाह का हक़ यह है कि वो सिर्फ़ उसी की इबादत करे और इबादत में उसके साथ किसी ग़ैर को ज़रा भी शरीक न ठहराएँ और अल्लाह पर बन्दों का यह हक़ है कि जो शख़्स शिर्क न करे वो उसे अज़ाब न दे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं यह ख़ुशख़बरी लोगों तक न पहुँचा दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! उन्हें यह ख़ुशख़बरी न दो कि फिर वो इसी पर भरोसा करके बैठे रहेंगे (और अमल में कोताही करेंगे)।'

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 46)

---

20. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक मौक़े पर जबकि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की सवारी पर पीछे सवार थे। हुज़ूर (ﷺ) ने मुआज़ से फ़र्माया, 'ऐ मुआज़!' हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, 'लब्बैक या रसूलल्लाह (ﷺ) व सादैक!' हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि तीन मर्तबा आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को मुख़ातब किया और हर मर्तबा हज़रत मुआज़ ने यही अल्फ़ाज़ दोहराए। तीसरी मर्तबा आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो कोई शख़्स दिल से इस बात की शहादत (गवाही) दे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह उस पर दोज़ख़ की आग हराम कर देगा।' हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं इस बात से लोगों को मुत्तलअ़ (सूचित) न कर दूँ कि वो ख़ुश हो जाएँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं! अगर तुम उनको यह बात बता दोगे तो वह इसी पर भरोसा करके बैठे रहेंगे।' चुनाँचे हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने यह हदीष अपने इंतिक़ाल के वक़्त बयान की, वो भी इस ख़याल से कि हदीष न बयान करने की वजह से गुनाहगार न रहूँ।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 49)

नोट : इन अहादीष से साफ़ ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) क़ियामत के दिन किसी भी काफिर या मुश्रिक की शफ़ाअ़त नहीं करेंगे। अगर किसी शख़्स ने मौत के फ़रिश्ते नज़र आने से पहले–पहले भी सच्चे दिल से इस बात का इक़रार कर लिया कि अल्लाह एक है और उस एक अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक़ नहीं और सच्चे दिल से यह भी इक़रार कर लिया कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं; तो वो जन्नत में ज़रूर दाख़िल होगा। लेकिन इससे यह भी मतलब न निकाला जाए कि अभी तो मनचाही ज़िन्दगी गुज़ार लो, जब मौत का वक़्त क़रीब आएगा तब कलिम–ए–तय्यिबा पढ़कर तौबा कर लेंगे क्योंकि कोई शख़्स ये नहीं जानता कि उसकी मौत कब आएगी? आए दिन हम सुनते हैं कि कोई इन्सान कारोबार या सफर के इरादे से घर से निकला और उसे ज़िन्दा घर लौटना नसीब नहीं हुआ। ऐसे भी कई लोग हैं जो रात को सोए तो सुबह को जाग ही न सके। इसके

अ़लावा आँधी, तूफ़ान, बाढ़, भूकम्प, एक्सीडेण्ट जैसे अनेक बहाने हैं जो कब किस इन्सान को मौत की आगोश में सुला दे, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। लिहाज़ा हर इन्सान की ज़िम्मेदारी है कि वो हर वक़्त सच्चे दिल से कलिम–ए–तय्यिबा पढ़ता रहे, ताकि उसे मोमिन की मौत नसीब हो।

बाब 12 : ईमान की शाखों का बयान

21. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ईमान की साठ से ज़्यादा शाख़ें हैं और हया भी ईमान की एक शाख़ है।' **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 3)**

---

22. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) एक अन्स़ारी के पास से गुज़रे जो अपने भाई को हया की नस़ीहत कर रहा था (कि हया अच्छी बात नहीं है) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कि उस उसके हाल पर छोड़ दो (हया से मना न करो) क्योंकि हया ईमान का एक शोअ़बा है।'
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 16)

---

23. ह़दीषे़ इमरान बिन हुस़ैन (रज़ि.) : ह़ज़रत इमरान (रज़ि.) बयान करते हैं कि आह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हया सिर्फ़ भलाई लाती है।' **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाबुल हया)**

बाब 14 : इस्लाम के बाज़ अअ़माल की बाज़ पर फ़ज़ीलत का बयान और ये कि इस्लाम की रू से अफ़ज़ल काम कौनसे हैं?

24. ह़दीषे़ अब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं, एक शख़्स़ ने नबी (ﷺ) से पूछा, कि इस्लाम के अअ़माल में से कौनसा अ़मल सबसे अफ़ज़ल है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, **'सबसे बेहतर अ़मल यह है कि तुम ग़रीबों व मिस्कीनों को खाना खिलाओ और हर शख़्स़ को ख़्वाह शनासा (परिचित) हो या अजनबी सलाम करो।'** **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 6)**

---

25. ह़दीषे़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि सहाबा (रज़ि.) ने पूछा, **या रसूलल्लाह (ﷺ)! किस शख़्स़ का इस्लाम सबसे बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर (बुराई) से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें।'** **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 5)**

बाब 15 : जो शख़्स़ नीचे लिखे औस़ाफ़ (गुणों) व ख़स़ाइल (आ़दतों) से आरास्ता (सुसज्जित) होगा वही ईमान की मिठास को महसूस करेगा

26. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिस शख़्स़ में यह तीन ख़स़लतें होंगी वो ईमान की मिठास पा लेगा,

(1) अल्लाह और रसूल (ﷺ) उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हों।

(2) वो जो अगर किसी शख़्स से मुहब्बत करे तो महज़ अल्लाह के लिये करे (किसी और ग़र्ज़ से न करे)।
(3) वो जिसे कुफ़्र की हालत में वापस लौटना इतना नापसंद और तक्लीफ़देह हो जितना आग में डाला जाना।'
(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 9)

बाब 16 : रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अपने अहलो–अयाल, माँ–बाप और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा मुहब्बत रखना वाजिब है

27. ह़दीषे अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम में से कोई शख़्स उस वक़्त तक मो'मिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने वालदैन, औलाद और सारी दुनिया के इंसानों से ज़्यादा महबूब नहीं रखता।' **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 48)**

बाब 17 : यह बात भी ईमान के औस़ाफ़ में से है कि इंसान जो कुछ अपने लिये पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिये पसंद करे

28. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'तुममें से कोई शख़्स उस वक़्त तक मो'मिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने (मुसलमान) भाई के लिये वो कुछ पसंद न करे जो अपनी ज़ात के लिये पसंद करता है।' **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 7)**

बाब 19 : पड़ौसी और मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम करना और यह ख़ूबी कि अगर बोले तो भलाई की बात बोले वरना ख़ामोश रहे ईमान का हिस्सा है

29. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़जरत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उस पर लाज़िम है कि अपने पड़ौसी को तक्लीफ़ न दे और जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का एहतराम करे और जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अगर बोले तो भलाई की बात कहे वरना ख़ामोश रहे।'
(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 31)

---

30. ह़दीष़ अबू शुरैह अ़दवी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू शुरैह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरी दोनों आँखों ने देखा जब नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ौसियों का एहतराम करे और जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। 'जाइज़ा' और ख़ातिर मुदारात से।' सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! जाइज़ा कब तक है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाइज़ा एक दिन–रात है और ज़ियाफ़त तीन दिन और तीन रात! और जो इससे भी बढ़ जाए वो फिर उसके लिये सद्क़ा होगा। और जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अगर बोले तो भलाई की बात बोले वरना चुप रहे।' **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 31)**

बाब 20 : ईमान वालों का ईमान के ऐतबार से एक—दूसरे से अफ़ज़ल होना और ईमान में अहले यमन के बढ़ जाने का ज़िक्र

31. हदीष अबू मस्ऊद उक़्बा बिन अम्र (रज़ि.) : हज़रत उक़्बा बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से यमन की जानिब इशारा करते हुए फ़र्माया, 'ईमान यमनी है या'नी इधर (यमन) में है और याद रखो सख़्ती और संगदिली उन ऊँटों के चरवाहों में पाई जाती है जो ऊँटों की दुमों के पास खड़े होकर हाँक लगाते हैं या'नी रबीआ और मुज़र के क़बीलों में, जहाँ से शैतान के दोनों सींग निकलते हैं।'

(सहीह बुख़ारी किताबुल बदउल ख़लक़ बाब 15)

---

32. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हारे पास अहले यमन आए हैं, यह लोग नर्मदिल और लतीफ़ मिज़ाज के मालिक हैं, 'फ़िक़ह' यमनी है और 'हिकमत' यमन वालों की है।' **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 74)**

---

33. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कुफ़्र का सरचश्मा मश्रिक़ की जानिब है और फ़ख़्र व गुरूर मालिकाने अस्प व शुत्र में पाया जाता है जो बड़े—बड़े रेवड़ पालने वाले और हाँका करने वाले वहशी हैं, और इत्मीनाने क़ल्ब (दिल का संतोष) और बुर्दबारी (तत्वदर्शिता) भेड़—बकरियाँ पालने वालों का वस्फ़ (गुण) है।' **(सहीह बुख़ारी किताबुल बदउल ख़ल्क़ बाब 15)**

---

34. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना कि फ़ख़्र व गुरूर ऊँटों के वहशी मालिकों का ख़ुसूसी वस्फ़ (विशेष गुण) है और सुकून व तमानियत (नरम ख़ूई) भेड़—बकरियाँ पालने वालों का ख़ास्सा (विशेषता) है और ईमान यमन वालों में है और हिक़मत व दानाई भी यमन से तअल्लुक़ रखती है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 1)**

बाब 21 : दीन (की रूह दूसरों की) ख़ैर—ख़्वाही है

35. हदीष जुरैर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जुरैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर बैअत की थी कि 'अहकामे इलाही को सुनूँगा और इताअत करूँगा और हर मुसलमान की भलाई चाहूँगा।' तो आप (ﷺ) ने मुझे तल्क़ीन फ़र्माई थी कि कहो, 'जिस क़दर मेरी बिसात (क्षमता) में होगा।'

(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 43)

बाब 22 : गुनाहों के इर्तिक़ाब से ईमान नाक़िस हो जाता है और जब गुनाहगार के ईमान की नफ़ी की जाती है तो उससे मुराद दरअसल ईमान—कामिल की नफ़ी होती है

36. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'ज़ानी ब—हालते ज़िना मो'मिन नहीं होता, इसी तरह शराबी शराब पीते वक़्त मो'मिन नहीं होता और चोर, चोरी करते वक़्त मो'मिन नहीं होता। और एक रिवायत में यह इज़ाफ़ा है कि कोई शख़्स उस वक़्त मो'मिन नहीं होता जब

वो कोई क़ीमती माल लूट रहा हो और लोग इसकी वजह से उसकी तरफ़ निगाहें उठाएँ या'नी लोगों की नज़रों के सामने लूटकर ले जाए।' **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अशरबा बाब 1)**

नोट : उलमा व मुहक़्क़िक़ीन ने इस ह़दीष़ से ये मानी लिये हैं कि इन गुनाहों का इर्तिकाब करते वक़्त उसका ईमान कामिल नहीं होता; ये तावील इस आधार पर है कि ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायतशुदा एक दीगर ह़दीष़ में है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा, ख़्वाह वो ज़िना या चोरी करे। इसके अलावा इर्शादे बारी तआला है, अल्लाह तआला सिर्फ़ शिर्क को माफ़ नहीं करेगा और इसके अलावा दूसरे जुर्मों को चाहे तो माफ़ कर देगा।

बाब 23 : मुनाफ़िक़ की ख़स़लतों का बयान

37. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, चार ख़स़लतें ऐसी हैं जो अगर सबकी सब किसी शख़्स़ में मौजूद हों तो वो पूरा मुनाफ़िक़ होगा। और जिस शख़्स़ में इनमें से कोई एक ख़स़लत पाई जाएगी उसमें निफ़ाक़ की एक सिफ़त (निशानी) मौजूद होगी जब तक कि उसको छोड़ दे, अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, और अगर अ़हद (वादा) करे तो धोखा दे और जब झगड़ा करे तो बदगोई करे। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 24)**

---

38. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं, (1) बात करता है तो झूठ बोलता है (2) वादा करता है तो वादाख़िलाफ़ी करता है और (3) अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में ख़यानत करता है।'

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 24)

बाब 24 : मुसलमान भाई को काफ़िर कहने वाले के ईमान का बयान

39. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, **'जब कोइ मुसलमान अपने मुसलमान भाई को काफ़िर कहकर पुकारता है तो उन दोनों में से एक ज़रूर काफ़िर हो जाता है।'** **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 83)**

नोट : आजकल लोग बग़ैर सोचे–समझे किसी को काफिर कह देते हैं। किसी इन्सान को तब तक काफ़िर कहने से बचना चाहिये जब तक कि इस बात का कामिल यक़ीन न हो जाए कि उसने ईमान बिल्लाह और ईमान बिर्रिसालत (ﷺ) से मुँह मोड़ लिया है।

बाब 25 : उस शख़्स़ की ईमानी हालत का बयान जो दानिस्ता ख़ुद को अपने ह़क़ीक़ी बाप के बजाए दूसरे बाप की तरफ़ मनसूब करे

40. ह़दीष़ अबू ज़र (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना कि, 'जिस शख़्स़ ने दीदा–दानिश्ता (जानते–बूझते) ख़ुद को अपने बाप के बजाए दूसरे बाप की तरफ़ मन्सूब किया उसने कुफ़्र किया और जिसने किसी ऐसी क़ौम (क़बीले) में से होने का दा'वा किया जिससे उसका कोई नसबी रिश्ता न हो तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।' **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 5)**

---

41. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'अपने आबा व अजदाद (पूर्वजों) से इन्हिराफ़ करके ख़ुद को दूसरों की तरफ़ मन्सूब न करो क्योंकि अपने हक़ीक़ी बाप के बाप से इंकार करना कुफ़्र है।' **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़राइज़ बाब 29)**

---

42. हदीष सअद बिन अबी वक़्क़ास और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) : हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना कि, 'जो शख़्स जानते-बूझते यह दा'वा करे कि उसका बाप उसके हक़ीक़ी वालिद के अलावा कोई दूसरा शख़्स है उस पर जन्नत हराम है।' यह हदीष जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के सामने बयान की गई तो उन्होंने कहा कि इस हदीष को मैंने अपने दोनों कानों से आँहज़रत (ﷺ) से ख़ुद सुना और मेरे हाफ़ज़े ने उसे याद रखा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़राइज़ बाब 29)**

नोट : ऊपर बयान की गई अहादीष में एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ़ इशारा किया गया है जिसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी आजकल आम हो गई है और लोग उसे बुरा भी नहीं समझते। अपने बाप के अलावा किसी और को बाप कहना बहुत बड़ा गुनाह है। कई बे-औलाद लोग अपने किसी रिश्तेदार के बच्चों को गोद ले लेते हैं और उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखाते हैं, ये सरासर कुफ़्र है। इसी तरह कोई शख़्स किसी मालदार शख़्स की जायदाद का वारिष बनने के लिये जानते-बूझते उसका नाम ब-हैषियत बाप के, अपने साथ जोड़ लेता है, यह अमल जहन्नम में ले जाने वाला है। इसी तरह जिस क़ौम से नस्ली व नसबी रिश्ता न हो, फ़ख़्र व बरतरी हासिल करने के लिये अपने आप को उस क़ौम से जोड़ना भी लानतवाला काम है, ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है।

बाब 26 : मुसलमान को गाली देना और उसे बुरा-भला कहना गुनाह है और मुसलमानों से जंग करना कुफ़्र है

43. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि, 'मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ (नाफ़र्मानी) है और मुसलमानों से जंग करना कुफ़्र है।' **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 36)**

नोट : इस हदीष का मफ़्हूम यह है कि चूँकि हर मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है और यह उसका दीनी फ़र्ज़ है कि वो अपने दीनी भाई की इज़्ज़त-आबरू की हिफ़ाज़त करे; अब अगर कोई शख़्स किसी मुस्लिम को गाली देता है या बुरा-भला कहता है तो वो इस्लामी अहकाम की नाफ़र्मानी करता है इसलिये वो फ़ासिक़ (नाफ़र्मान) है। गाली देने की मनहूस आदत आजकल मुसलमानों में आम हो गई है। लोग अपने ही बच्चों को 'हराम की औलाद' कहते वक़्त या माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देते वक़्त ज़रा-सा भी ख़याल नहीं करते। मुसलमानों से जंग करना चूँकि काफ़िरों का काम है, इसलिये इस हदीष में मुसलमानों से जंग करने को कुफ़्र कहा गया है; वल्लाहु अअलम!

बाब 27 : नबी अकरम (ﷺ) का इर्शाद कि मेरे बाद दोबारा काफ़िर न हो जाना कि एक-दूसरे को क़त्ल करने लगो

44. हदीष जुरैर (रज़ि.) : हज़रत जुरैर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज्जतुल विदा के मौक़े पर मुझे हुक्म दिया कि लोगों को ख़ामोश रहने के लिये कहो, चुनाँचे जब लोग ख़ामोश हो गए तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'मुसलमानों! मेरे बाद फिर काफ़िर न हो जाना कि आपस में एक-दूसरे को क़त्ल करने लगो।'
(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 43)

---

45. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'अल्लाह तआला तुम पर रहम फ़र्माए! मेरे बाद काफ़िर न हो जाना कि आपस में एक–दूसरे को क़त्ल करने लगो।'

(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 95)

बाब 30 : जो शख़्स कहे कि बारिश सितारों के अषर से हुई है वो काफ़िर हो गया

46. हदीष ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हमारे साथ हुदैबिया के मुक़ाम पर फ़ज्र की नमाज़ अदा की, उस रात बारिश हुई थी और सुबह के वक़्त नमी बाक़ी थी। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) सहाबा की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया, 'तुम्हें मा'लूम है अल्लाह तआला ने क्या इर्शाद फ़र्माया है?' सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जनाबे बारी तआला ने इर्शाद फ़र्माया है, (बारिश होने के बारे में मुख़्तलिफ़ ऐतिक़ाद रखने के आधार पर) आज सुबह मेरे बन्दों में से कुछ मो'मिन हो गए और कुछ काफ़िर हो गए। जिसने कहा कि हम पर अल्लाह के फ़ज़्लो–करम से बारिश हुई है उसने मुझे माना और सितारों के मुवष्षिर (अषरकारी/प्रभावी) होने का इंकार किया और जिसने कहा कि बारिश फ़लाँ सितारे के अषर से हुई है उसने मेरा इंकार किया और सितारों पर ईमान लाया।'

(सहीह बुख़ारी किताबुल आज़ान बाब 156)

बाब 31 : अन्सार से मुहब्बत रखना ईमान की निशानी है :

47. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अन्सार से मुहब्बत करना ईमान की निशानी है और अन्सार से बुग़्ज़ रखना निफ़ाक़ की अलामत है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 10)

---

48. हदीष बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अन्सार से मुहब्बत सिर्फ़ एक मो'मिन ही करता है और अन्सार से बुग़्ज़ कोई मुनाफ़िक़ ही रख सकता है। चुनाँचे जो शख़्स अन्सार से मुहब्बत करेगा उससे अल्लाह तआला मुहब्बत करेगा और जो अन्सार से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह तआला उससे नफ़रत करेगा।' **(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 4)**

बाब 32 : इबादत और अहकाम की ता'मील में कोताही करने से ईमान में कमी वाक़ेअ हो जाती है

49 हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ईदुल अज़्हा या ईदुल फ़ित्र के दिन ईदगाह में जब ख़्वातीन के पास से गुज़रे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ गिरोहे ख़्वातीन! सदक़ा दिया करो क्योंकि मुझे (शबे मेअराज में) दिखाया गया कि जहन्नम में तुम्हारी ता'दाद निस्बतन ज़्यादा है।' ख़्वातीन ने अर्ज़ किया, 'या रसूलल्लाह ! ऐसा क्यूँ हैं?' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम लान–तअन ज़्यादा करती हो और शौहरों की नाशुक्री करती हो। मैंने कोई ऐसी चीज़ नही देखी जो अक़्ल और दीन के ऐतबार से नाक़िस होने के बावजूद अक़्लमंद और मोहतात (बुद्धिमान व सतर्क) मर्द के अक़्ल व होश को तुमसे ज़्यादा शिकार करने वाली

हो।' ख़्वातीन ने अ़र्ज़ किया, 'या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम दीन व अ़क़्ल के लिहाज़ से नाक़िस़ किस तरह हैं?' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ़ (आधी) नहीं है?' ख़्वातीन ने अ़र्ज़ किया, 'यक़ीनन!' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह चीज़ औरतों में अ़क़्ल कम होने की दलील है। दूसरे क्या ऐसा नहीं है कि औरत ब-हालते हैज़ नमाज़ अदा नहीं कर सकती है और न रोज़ा रख सकती है?' ख़्वातीन ने अ़र्ज़ किया, 'दुरुस्त है।' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह चीज़ ख़्वातीन के दीन के ऐतबार से नाक़िस़ होने का षुबूत है।'

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 6)

बाब 34 : अल्लाह पर ईमान लाना सब अ़अ़माल से अफ़ज़ल अ़मल है

50. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) से पूछा गया कि अफ़ज़ल तरीन अ़मल कौनसा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) पर ईमान लाना। फिर पूछा, इसके बाद कौनसा अ़मल सबसे बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। फिर पूछा गया कि इसके बाद कौनसा अ़मल सबसे बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हज्जे मबरूर। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 18)**

नोट : मबरूर लफ़्ज़े बरी से बना है; हज्जे-मबरूर का मतलब वो हज्ज है जिसके करने से इन्सान तमाम गुनाहों से बरी हो जाए। या'नी जो हज्ज ख़ुलूसे-निय्यत के साथ किया गया हो और जिसकी अदायगी में कोई गुनाह वाला काम नहीं किया गया हो। बाज़ उ़लमा का ख़याल है कि हज्जे-मबरूर वो हज्ज है जिसके बाद आदमी गुनाहों से तौबा करके नेक बन जाए।

---

51. ह़दीष़ अबू ज़र (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से पूछा कि कौनसा अ़मल सबसे अफ़ज़ल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना। फिर मैंने पूछा, कैसा गुलाम आज़ाद करना अफ़ज़ल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो क़ीमत के लिहाज़ से महंगा और मालिक को सबसे ज़्यादा पसंद हो। मैंने अ़र्ज़ किया, अगर मैं यह काम न कर सकूँ तो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी काम करने वाले (कारकुन) की मदद करो या किसी ऐसे शख़्स़ का काम करो जो काम करना नहीं जानता या कर नहीं सकता। ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, अगर मैं यह भी न कर सकूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों को अपने शर से महफ़ूज़ रखो। यह भी एक स़दक़ा है जो तुम अपनी ज़ात पर करते हो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 2)**

नोट : इस ह़दीष़ में आख़री बात जो कही गई है कि लोगों को अपने शर से महफ़ूज़ रखो, इसका मतलब यह है कि अगर इन्सान ईमान लाने के बाद ऊपर बयान किये काम न कर सके तो उसे कम से कम इतना तो करना ही चाहिये कि वो लोगों के ह़क़ में भलाई का मामला करे और किसी को अपने हाथों से नुक़्स़ान न पहुँचाए।

---

52 ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) से पूछा कि, कौनसा अ़मल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वक़्त पर नमाज़ अदा करना। मैंने अ़र्ज़ किया, इसके बाद कौनसा अ़मल? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वालदैन से हुस्ने सुलूक। मैंने फिर पूछा, इसके बाद कौनसा अ़मल? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि यह बातें मुझसे ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माईं। और अगर मैं मज़ीद (और कुछ) पूछता तो आप (ﷺ) और भी बयान फ़र्माते। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस़्स़लात बाब 5)**

बाब 35 : उस अम्र का बयान की शिर्क सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है और शिर्क के बाद दूसरे बड़े गुनाह क्या–क्या हैं?

53. हदीष अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह कि तू किसी ग़ैरूल्लाह को अल्लाह का हमसर और शरीक ठहराए, हालाँकि अल्लाह तेरा ख़ालिक़ है। मैंने अर्ज़ किया, यह तो वाक़ई बहुत बुरी बात और बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मैंने पूछा, इसके बाद कौनसा गुनाह बड़ा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह कि तू अपने बच्चे को इस ख़याल से क़त्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाने में शरीक होगा (बोझ बनेगा)। मैंने फिर अर्ज़ किया, इसके बाद कौनसा गुनाह बड़ा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि तू अपने पड़ौसी की बीवी से ज़िना करे।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर तफ़्सीर सूरतुल बक़र बाब 3)

नोट : ज़िना करना एक संगीन गुनाह है जिसकी इस्लामी शरीअत में बड़ी सख़्त सज़ा है। वह सज़ा यह है कि अगर शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करे तो उन्हें संगसार किया जाएगा और ग़ैर–शादीशुदा ज़िना करे तो उसे सौ कोड़े मारे जाएंगे। इस गुनाह की संगीनी उस वक़्त और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई शख़्स अपने पड़ौसी की बीवी (बेटी या बहन) के साथ ज़िना करे। इसकी वजह यह है कि इससे मुहल्ले से शर्मो–हया का नामोनिशान ख़त्म हो जाता है और आवारागर्दी आम हो जाती है और एक पड़ौसी का दूसरे पड़ौसी पर भरोसा करना इन्तिहाई मुश्किल हो जाता है।

बाब 36 : कबीरा गुनाहों का और उनसे भी बड़े गुनाहों का बयान

54. हदीष अबूबक्र (रज़ि.) : हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, कि क्या मैं तुम्हें न बता दूँ कि सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है? आप (ﷺ) ने यह कलिमात तीन बार दोहराए। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़रूर बता दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के साथ ग़ैर को शरीक बनाना और वालदैन की नाफ़र्मानी करना। यह कलिमा इर्शाद फ़र्माते ही आप सीधे बैठ गए जबकि पहले आप टेक लगाए आराम फ़र्मा रहे थे और उसके बाद फ़र्माया, और याद रखो झूठ बोलना (सबसे बड़ा गुनाह है) इस फ़िक़रे को आप (ﷺ) इस हद तक बार–बार दोहराते रहे कि हमने अपने दिलों में कहा कि काश आप (ﷺ) ख़ामोश हो जाएँ या'नी यह तकरार फ़र्माना तर्क कर दें। **(सहीह बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 10)**

---

55. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) से क़बीरा गुनाह की बाबत पूछा गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (1) अल्लाह के साथ ग़ैर को शरीक बनाना (2) वालदैन की नाफ़र्मानी करना (3) इंसान को क़त्ल करना (4) और झूठी गवाही देना। **(सहीह बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 10)**

---

56. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, सात तबाह व बर्बाद कर देने वाले कामों से बचो। सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो कौनसे हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (1) अल्लाह के साथ शिर्क करना (2) जादू करना (3) उस जान को हलाक करना कि जिसका हलाक करना अल्लाह ने हराम कर दिया है, सिवाय यह कि किसी हक़ की बिना पर क़त्ल किया जाए (4) सूद खाना (5) यतीम का माल हड़प करना (6) जंग के दिन मुँह मोड़कर भाग जाना (7) और पाक दामन भोली–भाली मो'मिन ख़्वातीन पर तोहमत लगाना। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वसाया बाब 23)**

---

57. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत बड़े–बड़े गुनाहों में से एक यह है कि कोई शख़्स अपने वालदैन पर लअ़नत भेजे (गाली दे) पूछा गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह कैसे हो सकता है कि कोई शख़्स अपने ही वालदैन पर लअ़नत भेजे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो इस तरह कि कोई शख़्स दूसरे शख़्स के वालिद को गाली दे और वो जवाब में उसके वालदैन को गाली दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 4)**

बाब 38 : जिस शख़्स का दामन मौत के वक़्त शिर्क से पाक होगा वो जन्नत में जाएगा

58. हदीष अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स इस हालत में मरा कि अल्लाह के साथ ग़ैर को शरीक ठहराता था, वो जहन्नम में जाएगा (अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद कहते हैं) और मैं कहता हूँ, जो शख़्स इस हाल में मरेगा कि उसका दामन शिर्क से पाक हो वो जन्नत में जाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 1)**

---

59. हदीष अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि मेरे पास रब की तरफ़ से एक पैग़ाम लाने वाला आया और उसने मुझे ख़बर दी या आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, 'मुझे ख़ुशख़बरी दी' कि मेरी उम्मत में से जो शख़्स इस हालत में मरेगा कि उसका दामन शिर्क से पाक होगा वो जन्नत में दाख़िल होगा। मैंने अर्ज़ किया कि ख़्वाह उसने ज़िना और चोरी का इर्तिकाब किया हो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! ख़्वाह उसने ज़िना और चोरी जैसा जुर्म भी किया हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 1)**

---

60. हदीष अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त आप (ﷺ) सफ़ेद चादर ओढ़े नींद में थे चुनाँचे मैं दोबारा हाज़िर हुआ अब आप (ﷺ) बेदार हो चुके थे (उस मौक़े पर) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने शहादत दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, फिर उसी पर क़ायम रहते हुए मर गया वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, ख़्वाह उसने ज़िना किया हो या उसने चोरी की हो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़्वाह वो ज़िना और चोरी का मुर्तकिब हुआ हो। मैंने फिर इस्तिजाबन अर्ज़ किया कि वाक़ई ख़्वाह उसने ज़िना और चोरी का इर्तिकाब किया हो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! ख़्वाह उसने ज़िना और चोरी जैसा जुर्म किया हो। मैंने तीसरी बार यही अल्फ़ाज़ दोहराए कि ख़्वाह ज़िना और चोरी का मुर्तकिब हुआ हो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! ख़्वाह ज़िना और चोरी का मुर्तकिब हुआ हो और ख़्वाह यह अबू ज़र (रज़ि.) के लिये कितना ही परेशानकुन क्यूँ न हो **(अला रग़मि अन्फ़ि अबी ज़र)** हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) जब भी यह हदीष बयान किया करते थे **'वइन रग़िमा अन्फ़ा अबी ज़र्रिन'** (ख़्वाह अबू ज़र अपनी नाक ख़ाक आलूद कर लें) ज़रूर कहा करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 24)**

नोट : इन अहादीष से ज़ाहिर होता है कि कौन इन्सान जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में; इसका फ़ैसला इस बात से होगा कि उसे किस हालत में मौत आई? बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई इन्सान ज़िन्दगी भर नेक काम करता रहे और आख़िर वक़्त में उससे कोई शिर्किया काम सरज़द हो जाए और उसे उसी हालत में मौत आ जाए; ऐसा शख़्स जहन्नमी होगा। इसी तरह अगर कोई शख़्स किसी बड़े गुनाह का अपराधी रहा हो लेकिन मरने से पहले उसे ईमान की तौफ़ीक़ मिल जाए और वो सच्चे दिल से कलिम–ए–तय्यिबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का इक़रार कर ले तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आगे शफ़ाअत के बयान में आप पढेंगे कि जब सारे जन्नती, जन्नत में और जहन्नमी, जहन्नम में चले जाएंगे उसके बाद नबी करीम (ﷺ) अल्लाह

के सामने शफ़ाअत की दरख़्वास्त पेश करेंगे तो अल्लाह तआला उन तमाम लोगों को भी जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाल देगा, जिनके दिल में ईमान मौजूद होगा।

बाब 39 : काफ़िर अगर ज़ुबान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अदा कर दे तो उसका क़त्ल हराम हो जाता है

61. हदीष़ मिक़दाद बिन अल अस्वद (रज़ि.) : हज़रत मिक़दाद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि अगर मेरा किसी काफ़िर से सामना हो जाए और हम एक–दूसरे से बाक़ायदा जंग करें जिसमें वो मेरे एक हाथ पर अपनी तलवार मारकर मेरा हाथ काट दे फिर वो किसी दरख़्त की ओट में चला जाए और कहे कि मैं इस्लाम क़ुबूल करता हूँ; या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या उसके ऐसा कहने के बाद मैं उसे क़त्ल कर सकता हूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! तुम उसे क़त्ल न करो। मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसने मेरा एक हाथ काट दिया है और हाथ काटने के बाद यह अल्फ़ाज़ कहे हैं। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, कुछ भी हो तुम उसे हर्गिज़ क़त्ल न करो और अगर तुम उसे क़त्ल करोगे तो वो उस मुक़ाम पर होगा जिस पर उसे क़त्ल करने से पहले तुम थे। और तुम उस मुक़ाम पर होगे जिस पर कलिमा **ला इलाहा इल्लल्लाह** कहने से पहले वो था। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 12)**

---

62. हदीष़ उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) : हज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने हमें 'हुर्क़ा' की जानिब रवाना किया और हमने सुबह के वक़्त उन पर हमला करके उन्हें शिकस्त दे दी और मैं और एक अन्सारी जवान उस क़बीले के एक शख़्स के पीछे लग गए। फिर जब हमने उसे घेर लिया तो उसने कलिमा **ला इलाहा इल्लल्लाह** पढ़ लिया। यह सुनते ही अन्सारी ने तो उससे अपना हाथ रोक लिया लेकिन मैंने नेज़ा मारकर उसे क़त्ल कर दिया। इसके बाद जब हम वापस आए और आँहज़रत (ﷺ) को मेरे इस काम की इत्तिला मिली तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ उसामा! तुमने **ला इलाहा इल्लल्लाह** कहने के बाद भी उसे क़त्ल कर दिया? मैंने अ़र्ज़ किया, उसने जान बचाने के लिये कलिमा पढ़ा था। लेकिन आप मुसलसल यही फ़र्माते रहे कि तुमने **ला इलाहा इल्लल्लाह** कहने के बाद भी उसे क़त्ल कर दिया। आपने इस फ़िक़रे का इस क़दर तकरार फ़र्माया कि मेरे दिल में यह आरज़ू पैदा हुई कि 'काश मैं आज से पहले मुसलमान ही न हुआ होता' और आप (ﷺ) की नाराज़गी की वजह न बनता। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 45)**

बाब 40 : रसूले अकरम (ﷺ) का इर्शाद है, जिसने किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ हथियार उठाया वो हममें से नहीं

63. हदीष़ अब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जिसने हमारे (या'नी मुसलमानों के) ख़िलाफ़ हथियार उठाया वो हममें से नहीं (हमारे तरीक़े पर नहीं)। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल फितन बाब 7)**

बाब 41 : रुख़सार (गाल) पीटना, गिरेबान चाक करना और ज़मान-ए-जाहिलियत के नारे लगाना हराम है

64. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाया वो हममें से नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 7)**

---

65. हदीष अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जिसने मुँह सर पीटा, गिरेबान चाक किया और ज़मान-ए-जाहिलियत जैसे फ़िक़रे बोले और नारे लगाए वो हममें से नहीं (हमारे तरीक़े पर नहीं है)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 39)**

---

66. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) एक मर्तबा सख़्त दर्द में मुब्तला हुए यहाँ तक कि बेहोश हो गये इस हालत में आपका सर आपके अहले बैत में से किसी ख़ातून की गोद में था (और वो हाय-वाय चीख़ व पुकार में मशग़ूल थी) अबू मूसा चूँकि बेहोश थे इसलिये उस औरत की चीख़ व पुकार पर किसी रद्दे-अमल (प्रतिक्रिया) का इज़्हार न कर सकते थे। चुनाँचे जब आप होश में आए तो फ़र्माया, मैं उन सब बातों से बेज़ारी का इज़्हार करता हूँ जिनसे नबी अकरम (ﷺ) ने बेज़ारी का इज़्हार फ़र्माया; रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मुसीबत में) चीख़ व पुकार करने वाली, सर मुँडाने वाली व गिरेबान चाक करने वाली औरतों से बेज़ारी का इज़्हार फ़र्माया है।
(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 38)

बाब 42 : ग़ीबत करने और चुग़ली खाने की शदीद हुर्मत का बयान

67. हदीष हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूल अकरम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि चुग़लख़ोर जन्नत में नहीं जाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 5)**

बाब 43 : टख़नों से नीचे कपड़े लटकाने, कोई चीज़ देकर एहसान जताने और उन तीन लोगों का ज़िक्र जिनसे क़ियामत के दिन अल्लाह तआला न कलाम करेगा न उनकी तरफ़ रहमत की नज़र डालेगा और न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है

68. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन शख़्स ऐसे हैं कि रोज़े क़ियामत अल्लाह तआला न उनकी तरफ़ रहमत की नज़र से देखेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है; एक वो शख़्स है जिसके पास ब-हालते सफ़र अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद हो और वो दूसरे मुसाफ़िर को देने से इंकार कर दे, दूसरा वो शख़्स है जिसने इमाम की बैअत महज़ दुनयवी अग़राज़ और मफ़ादात की ख़ातिर की हो। चुनाँचे इमाम उसे अगर दुनयवी माल व मताअ देता है तो वो उससे राज़ी रहता है और अगर नहीं देता है तो नाराज़ हो जाता है, तीसरा वो शख़्स है जो बाद अज़ अस्र (बवक़्ते शाम) अपना सामाने-तिजारत लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है, उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं! मैंने यह माल इतने में दामों ख़रीदा है और लोग उसे सच्चा समझ लेते हैं।

फिर आप (ﷺ) ने यह आयते करीमा तिलावत फ़र्माई, **'वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी**

क़समों को थोड़ी क़ीमत पर बेच डालते हैं, तो उनके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह क़ियामत के दिन न उनसे बात करेगा न उनक तरफ़ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिये तो सख़्त दर्दनाक अज़ाब है।' (आले इमरान : 77) **(सहीह बुख़ारी किताबुल मसाक़ा बाब 5)**

बाब 44 : ख़ुदकुशी के सख़्त हराम होने का बयान और इस बात का बयान कि जो शख़्स ख़ुदकुशी करेगा उसे दोज़ख़ में उसी चीज़ से अज़ाब दिया जाएगा जिससे उसने ख़ुद को हलाक किया होगा और इस बात का बयान कि जन्नत में सिर्फ़ वो लोग दाख़िल होंगे जो दिलो–जान से मुसलमान होंगे

69. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जिस शख़्स ने ख़ुद को पहाड़ से गिराकर ख़ुदकुशी की होगी वो जहन्नम में जाएगा और वहाँ भी मुसलसल उसी तरह से पहाड़ से गिराए जाने के अज़ाब में हमेशा–हमेशा के लिये मुब्तला रहेगा और जिसने ज़हर खाकर ख़ुद को हलाक किया वो भी जहन्नम में ज़हर हाथ में लिये ख़ुद को उसी ज़हर से हलाक करता रहेगा और हमेशा उसी तक्लीफ़ में मुब्तला रहेगा और जिस शख़्स ने ख़ुद को किसी लोहे के हथियार से हलाक किया वो जहन्नम में भी वही हथियार हाथ में लिये मुसलसल उसे अपने पेट में मारकर ख़ुद को हलाक करता रहेगा और हमेशा–हमेशा उसी अज़ाब में मुब्तला रहेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तिब्ब बाब 56)**

---

70. हदीषे षाबित बिन ज़ह्हाक (रज़ि.) : हज़रत षाबित (रज़ि.) जो कि अस्हाबे–बैअते–रिज़वान में से हैं रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जिस शख़्स ने इस्लाम के सिवा किसी दूसरे मज़हब के दस्तूर के मुताबिक़ क़सम खाई तो वो वैसा ही है जैसा कि उसने ख़ुद कहा (या'नी उसी मज़हब का फ़र्द बन गया) और जिस चीज़ पर इंसान को इख़्तियार न हो, उसके मुतअल्लिक़ अगर नज़र मान ली जाए तो ऐसी नज़र को पूरा करना ज़रूरी नहीं। और ख़ुदकुशी करने वाला इस दुनिया में जिस चीज़ से ख़ुद को हलाक करेगा क़ियामत में उसी चीज़ से उसे अज़ाब दिया जाएगा और मो'मिन पर लअनत भेजने का गुनाह मो'मिन को क़त्ल करने के बराबर है। नीज़ मो'मिन पर कुफ़्र की तोहमत लगाने या'नी काफ़िर कहने का गुनाह भी मो'मिन को क़त्ल करने के बराबर है।
(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 44)

---

71. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) के साथ ख़ैबर की जंग में शरीक हुए तो आप (ﷺ) ने एक ऐसे शख़्स के मुता'ल्लिक़ जो इस्लाम का दावेदार था इर्शाद फ़र्माया, 'यह शख़्स जहन्नमी है।' आप (ﷺ) के इर्शाद के साथ जब जंग शुरू हुई तो वो शख़्स बहुत ज़ोर–शोर के साथ काफ़िरों से जंग करता रहा यहाँ तक कि ज़ख़्मी हो गया। चुनाँचे नबी अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने जिस शख़्स के मुता'ल्लिक़ फ़र्माया था कि वो जहन्नमी है, उसने आज बड़ी बहादुरी के साथ काफ़िरों से ज़ोरदार जंग की और हलाक हो गया। यह सुनकर भी आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वो जहन्नम में गया। क़रीब था कि कुछ लोगों को आप (ﷺ) की इस बात पर शक हो जाए कि अचानक उसी वक़्त किसी ने कहा कि वो मरा नहीं बल्कि सख़्त ज़ख़्मी है। लेकिन बाद में जब रात को ज़ख़्मों की तक्लीफ़ बर्दाश्त न कर सका तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। फिर जब यह इत्तिला आँहज़रत (ﷺ) को दी गई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाहु अकबर! मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ।' इसके बाद आप (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को

हुक्म दिया कि वो यह ऐलान कर दे कि जन्नत में सिर्फ़ वो शख़्स दाख़िल होगा जो दिलो-जान से मुसलमान होगा और यह कि बाज़ अवक़ात (कभी-कभी) अल्लाह तआला किसी फ़ाजिर शख़्स से भी इस दीन (इस्लाम) की मदद फ़र्माता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 182)**

---

72. हदीष सहल बिन सअद साएदी (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक ग़ज़वे में नबी अकरम (ﷺ) और मुश्रिक़ों का आमना-सामना हुआ और फ़रीक़ैन ने आपस में जंग की। आख़िरकार आँहज़रत (ﷺ) अपनी क़ियामगाह की तरफ़ लौट आए और मुश्रिक़ीन अपने ठिकानों की तरफ़ चले गए। आँहज़रत (ﷺ) के साथियों में एक ऐसा शख़्स था जो अगर दुश्मन के किसी फ़र्द को मौक़े-बे-मौक़े अकेला देखता तो उसका पीछा करता और अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देता। उसकी इस कार्रवाई को देखकर लोगों ने कहा कि आज की लड़ाई में जिस क़दर कारनामे फ़लाँ शख़्स ने किए हैं, किसी और ने नहीं किए। यह सुनकर नबी (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'मगर वो तो जहन्नमी है।'

आपका इर्शाद सुनने के बाद एक सहाबी ने बतौर ख़ुद फ़ैसला किया कि मैं उसके साथ रहूँगा। रावी कहते हैं कि यह साहब उसके हमराह चल पड़े। जब वो ठहरता यह भी ठहर जाते और जब वो दौड़ता यह भी उसके साथ दौड़ पड़ते। रावी बयान करते हैं कि इसी काम में वो शख़्स शदीद ज़ख़्मी हो गया और उसने ख़ुद को हलाक करने में जल्दबाज़ी से काम लिया और तलवार का क़ब्ज़ा ज़मीन पर टिकाया और तलवार की नोक अपनी छाती में दोनों पिस्तानों के दरम्यान रखकर अपने जिस्म का सारा बोझ उस पर डाल दिया और ख़ुद को हलाक कर लिया। यह कार्रवाई देखते ही वो साहब जो पीछे थे आँहज़रत (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया, मैं गवाही देता हूँ कि आप (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि बात क्या है? उसने अ़र्ज़ किया कि जिस शख़्स के मुता'ल्लिक़ आप (ﷺ) ने अभी फ़र्माया था कि वो जहन्नमी है और लोगों पर यह बात नागवार गुज़री थी तो मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मैं इसकी तहक़ीक़ करूँगा। चुनाँचे मैं उसके पीछे चल पड़ा। यहाँ तक कि वो ज़ख़्मी हो गया और फिर उसने मौत को गले लगाने में जल्दबाज़ी से काम लिया। चुनाँचे अपनी तलवार का दस्त ज़मीन पर और तलवार की नोक अपने सीने पर दोनों पिस्तानों के बीच रखी और उस पर सवार हो गया और ख़ुद को हलाक कर लिया। यह सुनकर आँहज़रत (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, बसा औक़ात एक शख़्स बज़ाहिर अहले जन्नत का अ़मल करता है लेकिन दरअसल वो जहन्नमी होता है और एक शख़्स बज़ाहिर दोज़ख़ियों जैसे काम करता है लेकिन दरहक़ीक़त वो जन्नती होता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 77)**

---

73. हदीष जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमसे पहले जो उम्मते गुज़री हैं उनमें से एक शख़्स ज़ख़्मी हो गया और ज़ख़्मों की तक्लीफ़ से इस क़द्र बेचैन हो गया कि उसने छुरी से अपना हाथ काट डाला। फिर उसका ख़ून न रुका जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ेअ़ हो गई। उसकी इस हरकत पर अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़र्माया, मेरा बन्दा ख़ुद को हलाक करने में मुझ पर सबक़त ले गया (मेरा फ़ैसला जाने बग़ैर उसने अपनी हलाक़त का फ़ैसला ख़ुद कर लिया) इसलिये मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 50)**

बाब 45 : माले ग़नीमत में ख़यानत करने की शदीद हुर्मत का बयान और यह कि जन्नत में सिर्फ़ ईमानदार ही दाख़िल होंगे

74. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने ख़ैबर फ़तह किया तो माले

ग़नीमत में हमें सोना– चाँदी नहीं बल्कि गाय, ऊँट, साज़ो–सामान और बाग़ात मिले। फ़तहे–ख़ैबर के बाद हम नबी (ﷺ) के हमराह लौटकर वादी अल क़ुरा में आए, उस वक़्त आप (ﷺ) के साथ आपका गुलाम था जिसका नाम मुदअम था और यह गुलाम आप (ﷺ) की ख़िदमत में बनिज़्ज़बाब में से एक शख़्स़ ने बतौरे हद्या पेश किया था, चुनाँचे जब यह गुलाम नबी (ﷺ) का कजावा उतार रहा था, अचानक उसे एक तीर आकर लगा जिसके चलाने वाले का पता न चल सका और वो हलाक हो गया। लोगों ने कहा, इसे शहादत मुबारक हो। यह सुनकर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दुरुस्त है! लेकिन क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है! उसने जंगे ख़ैबर के दिन माले ग़नीमत तक़्सीम होने से पहले जो चादर अज़ ख़ुद ले ली थी वो चादर उसके लिये आग का शोला बनेगी।' आप (ﷺ) का यह इर्शाद सुनकर एक शख़्स़ एक या दो तस्मे लेकर आया और कहने लगा, यह वो चीज़ है जो मुझे मिली थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह भी आग के हो जाते ख़्वाह एक तस्मा था या दो।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)

बाब 51 : क्या ज़मान–ए–जाहिलिय्यत के अअ़माल पर मुवाख़ज़ा किया जाएगा?

75. ह़दीष़े इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स़ ने सवाल किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हमसे ज़मान–ए–जाहिलियत के अअ़माल पर भी मुवाख़िज़ा होगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स़ ने मुसलमान होने के बाद नेक काम किए उससे अअ़माले जाहिलियत पर मुवाख़िज़ा नहीं होगा और जिसने इस्लाम क़ुबूल करने के बाद भी बुरे काम किए उसके अगले–पिछले तमाम अअ़माल पर पकड़ होगी।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल .... बाब 1)

बाब 52 : इस्लाम क़ुबूल कर लेने से साबिक़ा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं इसी तरह हिजरत और ह़ज्ज से भी (साबिक़ा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं)

76. ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि कुछ मुश्रिकों ने (ज़मान–ए–जाहिलियत में) क़त्ल के जुर्म का इर्तिकाब किया था और बेशुमार क़त्ल किए थे इसी तरह उन्होंने ज़िना किया था और कष़रत से किया था फिर यह लोग जब नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो कहने लगे कि आप (ﷺ) जो कुछ फ़र्माते हैं और जिन बातों की आप (ﷺ) दअ़वत देते हैं वो यक़ीनन बहुत अच्छी हैं, काश! आप (ﷺ) हमें यह बता सकते कि हमने जो गुनाह ज़मान–ए–जाहिलियत में कर चुके हैं उनका कुछ कफ़्फ़ारा भी है? इसी सिलसिले में यह आयत नाज़िल हुई,

> **'जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और मअ़बूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई जान को नाहक़ हलाक नहीं करते और न ज़िना के मुर्तकिब होते हैं। यह काम जो कोई करेगा वो अपने गुनाह का बदला पाएगा।'** (सूरह फ़ुर्क़ान : 68)
>
> **'(ऐ नबी ﷺ) कह दो कि ऐ मेरे बन्दों! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ, यक़ीनन अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है, वो तो ग़फ़ूरुर्रहीम है।'**
> (सूरह ज़ुमर : 53)

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर बाब 39)

बाब 53 : काफ़िरों के वो (नेक) अअ़माल जो उन्होंने बहालते कुफ्र किए थे और बाद में मुसलमान हो गए, क्या उन्हें उन अ़मलों का अज्र मिलेगा?

77. हदीष़ हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) : हज़रत हकीम (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे मेरे उन भलाई के कामों के मुता'ल्लिक़ बताइए जो मैं बहालते कुफ्र करता रहा हूँ मष़लन सदक़ा, गुलाम आज़ाद करना और सिलारहमी वग़ैरह, क्या मुझे उन कामों का अज्र मिलेगा? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तुम अपनी साबिक़ा नेकियों की वजह ही से तो मुसलमान हुए हो (या'नी उनका अज्र यही है कि तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारे पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हो गए और तुम्हारे कुफ्र के दौर की नेकियाँ भी बेकार न जाएँगी बल्कि उन सबका भी ष़वाब मिलेगा। अल्बत्ता अगर तुम मुसलमान न होते और कुफ्र की हालत पर मर जाते तो तुम्हारी सब नेकियाँ बर्बाद हो जाती)। **(स़हीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 24)**

---

78. हदीष़ अब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब यह आयते करीमा नाज़िल हुई, **'हक़ीक़त में तो अमन उन्हीं के लिये है और राहे रास्त पर वही है जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को ज़ुल्म के साथ आलूदा नहीं किया।'** (अल अन्आम : 82) तो मुसलमानों पर बहुत शाक़ गुज़रा और उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हममें से कौन है जिसने अपनी जान पर ज़ुल्म न किया हो। तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, नहीं! यहाँ ज़ुल्म से मुराद वो ज़ुल्म नहीं है जो तुम समझ रहे हो, दरहक़ीक़त आयते करीमा में ज़ुल्म से मुराद शिर्क है क्या तुमने (क़ुर्आन मजीद में) हज़रत लुक़्मान का वो क़ौल नहीं सुना जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, **'बेटा! अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, हक़ यह है कि शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है।'** (लुक़मान : 13)

(स़हीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 41)

बाब 56 : शैतानी वस्वसे और दिल के अंदेशे और ख़याल, अगर दिल में रासिख़ न हो जाएँ तो अल्लाह तआ़ला उनसे दरगुज़र फ़र्माता है

79. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ने मेरी उम्मत को यह रियायत दी है कि (तुम्हारे) ऐसे वस्वसों और अंदेशों को मुआफ़ फ़र्मा देता है जो दिल में पैदा होते हैं जब तक कि तुम उनके मुताबिक़ अ़मल न कर गुज़रो या उनके बारे में दूसरों से गुफ़्तगू न करो।

(स़हीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 11)

बाब 57 : जब कोई शख़्स नेकी का इरादा करता है तो उसके नाम-ए-अअ़माल में एक नेकी लिख दी जाती है लेकिन अगर बुराई का क़स्द करता है तो वो नहीं लिखी जाती जब तक कि कर न गुज़रे

80. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जब कोई शख़्स अपने इस्लाम को बेहतर बना लेता है (एहसान पर अ़मल करता है) तो हर एक नेकी पर जो वो करता है दस गुना से सात सौ गुना तक अज्र लिखा जाता है और हर बुराई के बदले में जिसका वो इर्तिकाब करता है

सिर्फ़ एक गुनाह दर्ज किया जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 31)**

---

81. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने (एक हदीषे क़ुदसी में) अल्लाह तआला से रिवायत करते हुए फ़र्माया, कि अल्लाह तआला ने नेकियाँ और बदियाँ लिखीं फिर उनको बयान करते हुए इर्शाद फ़र्माया, जिस शख़्स ने नेकी करने का इरादा किया और अपने इरादे को अमली जामा न पहना सका उसके लिये भी अल्लाह तआला पूरी एक नेकी का षवाब लिख लेता है और अगर किसी ने नेकी का इरादा किया और फिर अपने इरादे पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह तआला उसके लिये दस नेकियों से सात सौ गुना नेकियों का बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा नेकियों का षवाब लिख लेता है और जिस शख़्स ने बदी का इरादा किया फिर उस इरादे पर अमल नहीं किया तो अल्लाह तआला उसके लिये पूरी एक नेकी का षवाब लिख लेता है और अगर किसी ने बुराई का इरादा किया फिर उस बुराई को कर गुज़रा तो उसके नाम–ए–अअमाल में एक ही बदी और गुनाह लिखा जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 31)**

बाब 58 : बहालते ईमान वस्वसे का पैदा होना; जिसके दिल में वस्वसा पैदा हो उसे क्या कहना चाहिए?

82. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (बसा औक़ात ऐसा होता है) कि तुम में से किसी के पास शैतान आता है और कहता है कि यह किसने पैदा किया? वो किसने पैदा किया? वग़ैरह। यहाँ तक कि वो यह वस्वसे पैदा करता है कि तेरे रब को किसने पैदा किया? जब किसी के दिल में इस क़िस्म के वस्वसे पैदा होते हों तो उसे चाहिए कि, (शैतान के शर से) अल्लाह की पनाह माँगे और ख़ुद को ऐसे ख़याल से बचाकर रखे। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 11)**

---

83. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोग हमेशा एक–दूसरे से सवाल करते रहेंगे यहाँ तक कहेंगे यह तो दुरुस्त है कि अल्लाह हर चीज़ का ख़ालिक़ है लेकिन आख़िर अल्लाह को किसने पैदा किया? **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिसाम बाब 3)**

बाब 59 : उस शख़्स के लिये अज़ाबे दोज़ख़ की वईद, जो झूठी क़सम खाकर किसी मुसलमान को उसके हक़ से महरूम कर दे

84. हदीष अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी मुसलमान को उसके माल से महरूम करने की ख़ातिर, हाकिम के हुक्म पर या दीदा दिलेरी से झूठी क़सम खाएगा वो अल्लाह तआला के सामने इस हालत में हाज़िर होगा कि अल्लाह तआला उस पर सख़्त ग़ज़बनाक होगा। चुनाँचे आप (ﷺ) के इर्शाद की तस्दीक़ में यह आयते करीमा नाज़िल हुई,

'वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों को थोड़ी क़ीमत पर बेच डालते हैं, तो उनके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह क़ियामत के दिन न उनसे बात करेगा और न ही उनकी

तरफ़ देखेगा और न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।' (आले इमरान : 77)

रावी कहते हैं कि उसी वक़्त हज़रत अशअष बिन क़ैस (रज़ि.) आए और पूछने लगे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद आप लोगों से कौनसी हदीष बयान कर रहे थे। हमने बताया कि फ़लाँ हदीष बयान कर रहे थे। हज़रत अशअष (रज़ि.) कहने लगे कि यह आयत तो मेरे हक़ में नाज़िल हुई थी, मेरे चचाज़ाद भाई की ज़मीन में मेरा एक कुँआ था (जिस पर हम दोनों का आपस में झगड़ा था) नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि या तो तुम गवाह पेश करो कि (कुँआ तुम्हारा है) या फिर वो (मुद्दअ अलैहि) क़सम खाए (कि कुँआ उसका है)। मैं ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो तो क़सम खा लेगा। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने किसी मुसलमान का माल दबाने की ग़र्ज़ से झूठी क़सम खाई वो अल्लाह के सामने इस हालत में पेश होगा कि अल्लाह तआला उस पर सख़्त ग़ज़बनाक होगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर 3 सूरतुल आले इमरान बाब 3)

बाब 60 : जो शख़्स किसी का माल नाजाइज़ तरीक़े पर छीनने की कोशिश करे, उसका ख़ून मुबाह है और उसकी कोशिश में अगर वो क़त्ल हो गया तो जहन्नम में जाएगा और जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करते हुए मारा जाए वो शहीद है

85. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करते हुए मारा गया वो शहीद है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 33)

बाब 61 : रिआया के हुक़ूक़ में ख़यानत करने वाला हाकिम जहन्नम का मुस्तहिक़ है

86. हदीषे मअक़ल बिन यस्सार (रज़ि.) : रावी बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत मअक़ल (रज़ि.) के मरज़ुल मौत में आपकी इयादत के लिये आया तो हज़रत मअक़ल (रज़ि.) ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक ऐसी हदीष बयान करता हूँ, जो मैने ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) से सुनी है। मैंने नबी अकरम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि जिस बन्दे को अल्लाह तआला ने रइय्यत (जनता) का हाकिम व मुहाफ़िज़ बनाया और उसने भलाई और ख़ैर-ख़्वाही के तक़ाजों के मुताबिक़ रइय्यत की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो वो जन्नत की ख़ुश्बू भी न पा सकेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 8)

बाब 62 : बाज़ दिलों से अमानत और ईमान के उठ जाने और दिलों पर फ़ित्नों के तारी होने का बयान

87. हदीष हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने हमसे दो ऐसी हदीषें बयान फ़र्माई थीं जिनमें से एक को पूरा होते मैंने देख लिया है और दूसरी का इंतिज़ार कर रहा हूँ। आप (ﷺ) ने हमसे बयान फ़र्माया कि अमानत और ईमान लोगों के दिलों की जड़ पर उतरी (या'नी इंसान की फ़ितरत में रख दी गई है) फिर लोगों ने क़ुर्आन से और सुन्नत से उसका (अमानत और ईमान का) इल्म हासिल किया। नीज़ आप (ﷺ) ने हमसे अमानत और ईमान के उठ जाने का ज़िक्र फ़र्माया कि एक शख़्स कुछ देर के लिये सोएगा और उसके दिल से अमानत उठा ली जाएगी और उसका महज़ इस क़दर निशान बाक़ी रह जाएगा जितना ज़ख़्म के अच्छा हो

जाने के बाद ज़ख़्म का निशान बाक़ी रह जाता है फिर वो कुछ देर के लिये सोएगा तो (बाक़ी बची) अमानत भी सल्ब कर ली जाएगी और उसका निशान इस तरह का बाक़ी रह जाएगा जैसे तुम किसी अँगारे को अपने पाँव पर लुढ़काओ जिससे एक छाला सा पड़ जाए जो फूल जाए और तुम उसे उभरा हुआ देखते हो हालाँकि उसमें कोई चीज़ नहीं होती (अंदर से खाली होता है) हालत यह हो जाएगी कि लोग आपस में ख़रीद व फ़रोख़्त करेंगे लेकिन कोई भी अमानत के तक़ाज़े पूरे न करेगा यहाँ तक कि कहा जाएगा, फ़लाँ क़बीले में एक शख़्स ईमानदार है या किसी शख़्स के बारे में कहा जाएगा कि वो बहुत अक़्लमंद और ख़ुशमिज़ाज है; हालाँकि उसके दिल में राई के बराबर भी ईमान न होगा। मुझ पर एक ज़माना ऐसा गुज़र चुका है जब मुझे मुत्लक़न् परवाह नहीं होती थी कि मैं तुममें से किस से ख़रीद रहा हूँ क्योंकि (गड़बड़ की सूरत में) अगर वो मुसलमान होता तो उसका इस्लाम और अगर नसरानी होता तो उसका हाकिम मुझे उससे मेरा हक़ दिलवा दिया करता था लेकिन आज हालत यह है कि मैं सिर्फ़ फ़लाँ और फ़लाँ से ख़रीद व फ़रोख़्त करता हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 35)**

बाब 63 : इस्लाम की शुरूआत गुर्बत और बेचारगी में हुई है और इस्लाम फिर दोबारा उसी हालत में लौट आएगा और सिमट–सिमटाकर दो मस्जिदों (मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी) के बीच बाक़ी रह जाएगा

88. हदीस हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हज़रत उमर (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे कि आप (रज़ि.) ने हाज़िरीन से पूछा, तुममें से किस शख़्स को फ़ित्ने के बारे में आँहज़रत (ﷺ) की कोई हदीस याद है? हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं, मैंने कहा कि मुझे याद है और बिल्कुल उसी तरह याद है जिस तरह नबी (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया था। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि तुमसे यक़ीनन इस जुर्अत (बहादुरी) की उम्मीद हो सकती है, मैंने कहा कि आदमी का वो फ़ित्ना जो उसके अहल व माल और औलाद व हमसाए में होता है उसका कफ़्फ़ारा तो नमाज़, रोज़े और सदक़े और अम्र बिल मअरूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर से हो जाता है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने इस फ़ित्ने के मुता'ल्लिक़ नहीं पूछा था बल्कि मैं उस फ़ित्ने की बात कर रहा था जो तूफ़ानी समुन्दर की तरह ठाठें मार रहा होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अमीरुल मो'मिनीन! उस फ़ित्ने से आपको कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि आपके और उस फ़ित्ने के बीच एक बंद दरवाज़ा है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, यह दरवाज़ा तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा? हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, तोड़ा जाएगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, तो फिर कभी बंद न होगा। हाज़िरीन ने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा, क्या हज़रत उमर (रज़ि.) को मा'लूम था कि उस दरवाज़े से क्या मुराद है? उन्होंने कहा, हाँ! हज़रत उमर (रज़ि.) दरवाज़े के मुता'ल्लिक़ इस तरह जानते थे जैसे तुमको कल से पहले रात के होने का इल्म है। मैंने हज़रत उमर से ऐसी हदीस बयान की थी जो ग़लत न थी।

रावी कहते हैं कि दरवाज़े के मुता'ल्लिक़ हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछते हुए हमें ख़ौफ़ महसूस हुआ तो हमने हज़रत मस्रूक़ (रह.) से कहा कि वो पूछें। चुनाँचे उन्होंने जब हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछा तो आपने कहा कि दरवाज़ा तो ख़ुद हज़रत उमर (रज़ि.) थे। **(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 4)**

---

89. हदीस अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, ईमान मदीना के अंदर इस तरह सिमट आएगा जिस तरह साँप अपने बिल में सिमट आता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ज़ाइले मदीना बाब 6)

बाब 65 : अगर जान का ख़ौफ़ हो तो ईमान व इस्लाम को छुपाकर रखना जाइज़ है

90. हदीष हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि जो लोग इस्लाम का कलिमा पढ़ते हैं उन सबके नाम लिखकर मुझे दो। चुनाँचे हमने एक हजार पाँच सौ नाम लिखकर पेश कर दिए और दिल में कहा कि हम अब तक काफ़िरों से डरते हैं, हालाँकि हमारी ता'दाद 1500 है और ख़ुद को इस क़दर फ़ित्ने में मुब्तला पाते हैं कि हम में से बाज़ अफ़राद ख़ौफ़ की वजह से तन्हा नमाज़ पढ़ते हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 181)

बाब 66 : जिस शख़्स का ईमान कमज़ोर हो और उसके ईमान का ख़तरा हो उसकी दिलजोई का हुक्म और ठोस दलील के बग़ैर पूरे यक़ीन के साथ किसी को मो'मिन कहने की मुमानअत

91. हदीष सअद (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने मेरी मौजूदगी में एक गिरोह को माल अता किया और एक ऐसे शख़्स को छोड़ दिया (कुछ नहीं दिया) जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था चुनाँचे मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़लाँ शख़्स के साथ आपने यह रवैया क्यों इख़्तियार फ़र्माया जबकि अल्लाह की क़सम! मेरे ख़याल में वो मो'मिन है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मो'मिन है या मुस्लिम? आप (ﷺ) का यह इर्शाद सुनकर थोड़ी देर मैं ख़ामोश रहा इसके बाद उन बातों ने जो मैं उसके मुता'ल्लिक़ जानता था फिर बोलने पर मजबूर किया और मैंने दोबारा अपने अल्फ़ाज़ दोहराए कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने फ़लाँ शख़्स के साथ यह रवैया क्यों इख़्तियार फ़र्माया जबकि अल्लाह की क़सम! मेरे ख़याल में वो मो'मिन है? आप (ﷺ) ने फिर इर्शाद फ़र्माया, मो'मिन है या मुस्लिम?

यह सुनकर मैं कुछ देर फिर ख़ामोश रहा लेकिन उन बातों ने जो मैं उसके बारे में जानता था मुझे फिर बोलने पर मजबूर किया और मैंने अपनी साबिक़ा बात दोहराई और आँहज़रत (ﷺ) ने भी अपने अल्फ़ाज़ दोहराए। फिर कुछ देर तवक्क़ुफ़ (ठहरने) के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ सअद (रज़ि.)! मैं बसा अवक़ात एक शख़्स को देता हूँ (और दूसरे को नज़रअंदाज़ कर देता हूँ) जबकि दूसरा (जिसको नहीं देता) मुझे उससे (जिसको देता हूँ) ज़्यादा पसंद होता है लेकिन उसे इस ख़ौफ़ से देता हूँ कि (न देने की सूरत में यह इस्लाम ही से बरगश्ता न हो जाए और) अल्लाह उसे औंधे मुँह जहन्नम में डाल दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 19)**

बाब 67 : दलाइल के ज़ोरदार होने से दिल को ज़्यादा इत्मीनान हासिल होता है

92. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया हम हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से ज़्यादा शक करने के हक़दार हैं जब उन्होंने कहा था, **'मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को ज़िन्दा कैसे करता है।' फ़र्माया, 'क्या तू ईमान नहीं रखता?' उसने अर्ज़ किया, 'ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है।'** (अल बक़र : 260) और अल्लाह तआला हज़रत लूत (अलैहिस्सलाम) पर रहम फ़र्माए कि वो किसी मजबूत सहारे की पनाह चाहते थे। और अगर मैं क़ैदखाने में इतनी देर रहा होता जितने दिन हज़रत युसुफ़ (अलैहिस्सलाम) रहे थे तो मैं क़ासिद की बात मान लेता।

बाब 68 : इस बात पर ईमान लाना वाजिब है कि ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) पूरी दुनिया के इंसानों के लिये रसूल बनाकर भेजे गए हैं और मिल्लते इस्लामिया ने तमाम अद्यान (धर्मों) को मन्सूख़ कर दिया है

93. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जितने अंबिया (अ़लैहिस्सलाम) भी मबअूष हुए हैं उनमें से हर नबी को ऐसे ही मोअ़जज़ात अ़ता किए गए हैं जैसे उससे पहले नबी को मिल चुके थे और जिनको देखकर लोग उन पर ईमान लाए, लेकिन मुझे जो चीज़ दी गई है वो वह्य है जो अल्लाह तआ़ला ने मेरी तरफ़ नाज़िल फ़र्माई (और क़ियामत तक बाक़ी रहेगी) इसलिये मुझे उम्मीद है कि रोज़े क़ियामत मेरी पैरवी करने वाले ता'दाद में सब अंबिया के मुत्तबिईन (पैराकारों) से ज़्यादा होंगे।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबु फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 1)

---

94. हदीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तीन शख़्स ऐसे हैं जिन्हें दुगुना अज्र व ष़वाब मिलेगा (1) वो शख़्स जो अहले किताब में से हों और अपने नबी (अ़लैहिस्सलाम) पर भी ईमान लाए और फिर ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर भी ईमान लाए (2) वो ज़रख़रीद गुलाम जो अल्लाह तआ़ला का भी हक़ अदा करे और अपने आक़ा का भी (3) वो शख़्स जिसके पास कोई लौण्डी हो और उसे वो बेहतरीन ता'लीम दे फिर उसे आज़ाद कर दे और (निकाह करके) उसे अपनी बीवी बना ले तो उसे भी दोहरा अज्र व ष़वाब मिलेगा। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 31)**

बाब 69 : जब ह़ज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) नाज़िल होंगे तो शरीअ़ते मुहम्मदिया के मुताबिक़ तमाम फ़ैसले करेंगे

95. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम है उस ज़ात की कि जिसके क़ब्ज़े कुदरत में मेरी जान है अनक़रीब जब इब्ने मरयम (अ़लैहिस्सलाम) तुम पर हाकिम बनकर नाज़िल होंगे तो वो सलीब को तोड़ देंगे, सूअर को हलाक कर देंगे, जिज़्या साक़ित कर देंगे और माल व दौलत की इतनी रेल–पेल होगी कि लोगों को दौलत पेश की जाएगी लेकिन उसे कोई क़ुबूल न करेगा।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 102)

---

96. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम कैसा महसूस करोगे (तुम्हें कितनी ख़ुशी होगी) जब ईसा बिन मरयम (अ़लैहिस्सलाम) तुम्हारे दरम्यान नाज़िल होंगे और (उनकी मौजूदगी में भी) तुम्हारा इमाम तुममें से ही होगा। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 59)**

नोट : इस हदीष़ का मफ़हूम यह है कि जब ह़ज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) दोबारा दुनिया में आएंगे तो वे एक मुस्लिम की हैष़ियत से शरीअ़ते–मुहम्मदिया (ﷺ) की पैरवी करेंगे और लोगों के बीच इंजील नहीं बल्कि क़ुर्आन व हदीष़ के मुताबिक़ फ़ैसले करेंगे। लेकिन बहुत अफ़सोस है इस्लाम से बुग़्ज़ रखने वाले ईसाइयों की अ़क़्ल पर; जो न सिर्फ़ इस्लाम का इन्कार करते हैं बल्कि वे ईसा वर्सेज़ मुहम्मद या'नी ह़ज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) की तुलना अल्लाह के रसूल ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) से करते हुए ह़ज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) को आप (ﷺ) से बेहतर ष़ाबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इस मक़सद से सैंकड़ों वेबसाइटें बना डाली है।

बाब 70 : उस वक़्त का बयान जब ईमान लाना क़ाबिले क़ुबूल न होगा (कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा)

97. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक सूरज मग़रिब (पश्चिम) से तुलूअ नही होगा। और जब सूरज मग़रिब से तुलूअ होगा और लोग उसे देख लेंगे तो सब लोग ईमान ले आएँगे लेकिन यह वो वक़्त होगा कि उस वक़्त किसी शख़्स का ईमान लाना उसको कोई नफ़ा न देगा। फिर आप (ﷺ) ने यह आयते करीमा तिलावत फ़र्माई, **'क्या अब लोग इस इंतिज़ार में हैं कि उनके सामने फ़रिश्ते आ खड़े हों या तुम्हारा रब ख़ुद आ जाए, या तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ नमूदार हो जाएँ? जिस वक़्त तुम्हारे रब की बाज़ मख़्सूस निशानियाँ नमूदार हो जाएँगी फिर किसी ऐसे शख़्स को उसका ईमान कुछ फ़ायदा न देगा जो पहले ईमान न लाया हो या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो।'** (अल अन्आम : 158)

(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर, तफ़्सीर सूरतुल अन्आम बाब 9)

---

98. हदीष अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ तो नबी अकरम (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे। फिर जब सूरज गुरूब हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू ज़र (रज़ि.)! तुम्हें मा'लूम है यह सूरज कहाँ चला जाता है? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह (अल्लाह तआला के हुज़ूर) जाकर सज्दे की इजाज़त चाहता है। चुनाँचे जब उसे इजाज़त मिल जाती है फिर उसे (एक मर्तबा) हुक्म दिया जाएगा कि जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ पस वो अपने जाए गुरूब से तुलूअ करेगा। फिर आप (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई, **(ज़ालि-क मुस्तक़र्रुल्लहा)** 'और यही वो मुस्तक़र (ठिकाना) है जिसकी तरफ़ सूरज चला जा रहा है।' **(सहीह बुख़ारी किताबुत तौहीद बाब 22)**

बाब 71 : रसूले अकरम (ﷺ) की तरफ़ नुज़ूले वह्य का आग़ाज़

99. हदीष उम्मुल मो'मिनीन आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, जिस चीज़ से नबी अकरम (ﷺ) पर वह्य की इब्तिदा की गई वो नींद की हालत में नज़र आने वाले सच्चे ख़्वाब थे, चुनाँचे आप (ﷺ)जो ख़्वाब देखते वो सुबह की सफेदी की तरह रोशन और नुमायाँ सामने आ जाता। फिर आपको तन्हाई और यक्सूई मर्ग़ूब हो गई और आप (ﷺ) ग़ारे हिरा में ख़ल्वते-गुज़ीं (एकान्तवासी) रहने लगे जहाँ आप कई-कई रातें घर लौटे बग़ैर तहन्नुष या'नी इबादत में मशग़ूल रहते थे। इस (ख़ल्वते गुज़ीनी और इबादत की) ग़र्ज़ से खाने-पीने का सामान अपने साथ ले जाया करते थे (और जब यह ख़त्म हो जाता) तो फिर हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के पास वापस आकर पहले की तरह कुछ खाने-पीने का सामान ले जाते।

यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा यहाँ तक कि एक दिन जब आप (ﷺ) हस्बे दस्तूर ग़ारे-हिरा में तशरीफ़ फ़र्मा थे आप (ﷺ) के पास हक़ (वह्य) आ गया। आप (ﷺ) के पास फरिश्ता आया और उसने कहा, पढ़िये! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, यह सुनकर फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ा और इस क़दर भींचा कि मेरा दम घुटने लगा। फिर छोड़ दिया और दोबारा कहा, पढ़िए! मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फ़रिश्ते ने दोबारा पकड़ कर मुझे इस क़दर भींचा कि मेरा दम घुटने लगा और मुझे छोड़कर कहा, पढ़िए! मैंने फिर वही जवाब दिया कि, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने तीसरी बार पकड़कर मुझें फिर इस क़दर भींचा कि मेरा

दम घुटने लगा और फिर छोड़कर कहा, **'पढ़ो! (ऐ नबी!) अपने रब के नाम के साथ जिसने जमे हुए ख़ून के एक लोथड़े से इंसान की तख़्लीक़ की। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है।'** (सूरह अलक़ : 1-3)

चुनाँचे नबी अकरम (ﷺ) ने यह कलिमात इस हालत में दोहराए कि आपका दिल काँप रहा था। इसके बाद आप (ﷺ) हज़रत ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलद (रज़ि.) के पास तशरीफ़ लाए और आते ही फ़र्माया, मुझे ढाँप दो! मुझे चादर ओढ़ा दो। हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने आपको चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि जब उस ख़ौफ़ का अषर ज़ाइल हुआ जो आप (ﷺ) पर तारी था तो आप (ﷺ) ने हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) से गुफ़्तगू की और उन्हें पूरी बात बताई और फ़र्माया, 'मुझे तो अपनी जान का ख़तरा लाहिक़ हो गया था।' इस पर हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने कहा, **अल्लाह की क़सम! हर्गिज़ नहीं! अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप (ﷺ) तो सिलारहमी (रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक) करते हैं। दूसरों का बोझ उठाते हैं और मुहताजों की मदद के लिये कोशिश करते हैं, मेहमान की ख़ातिरदारी करते हैं और राहे हक़ में दरपेश मसाइब व आलाम (मुसीबतों व तकलीफ़ों) को बर्दाश्त करते हैं और इस सिलसिले में दूसरों की मदद भी करते हैं।**

इसके बाद हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) आप (ﷺ) को अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफ़िल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। यह साहब ज़मान–ए–जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और इब्रानी ज़ुबान लिखना–पढ़ना जानते थे और इब्रानी ज़ुबान में इंजील लिखा करते थे, बहुत बूढ़े थे और नाबीना (अंधे) हो चुके थे।

हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) उनके पास पहूँची और कहा, ऐ मेरे चचाज़ाद भाई! अपने भतीजे से उनकी वारदात सुनो। वर्क़ा ने आप (ﷺ) से पूछा कि भतीजे! आपने क्या देखा है? चुनाँचे आँहज़रत (ﷺ) ने जो कुछ देखा था उसकी तफ़्सील से उन्हें आगाह किया। यह सुनकर वर्क़ा ने आप (ﷺ) से कहा यह तो वही नामूस (फ़रिश्ता) है जो अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) की तरफ़ नाज़िल फ़र्माया था। काश! मैं इस वक़्त जवान होता। ऐ काश! मैं उस वक़्त तक ज़िन्दा रह सकता, जब आपकी क़ौम आपको (अपने वतन से) निकाल देगी। इस पर आप (ﷺ) ने हैरान होकर पूछा, क्या यह लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे? वर्क़ा ने कहा, हाँ! जो चीज़ आप (ﷺ) लेकर आए हैं (नुबुव्वत) ऐसी चीज़ जो भी जब कभी लेकर आया उसके साथ ज़रूर दुश्मनी की गई और अगर मुझे वो ज़माना मयस्सर आया (जब यह लोग आपके दुश्मन हो जाएँगे) तो मैं आपकी पूरी–पूरी और पुरजोश मदद करूँगा।

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल वह्य बाब 3)

---

100. हदीष जाबिर बिन अ ब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने उस दौर का ज़िक्र करते हुए जब वह्य आरज़ी तौर पर मुंक़तअ हो गई (अस्थाई तौर पर रूक गई) थी फ़र्माया, एक मर्तबा मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ़ से एक आवाज़ सुनी तो वही फ़रिश्ता जो ग़ारे हिरा में मेरे पास आया था ज़मीन और आसमान के बीच एक कुर्सी पर बैठा था, उसे देखकर मुझ पर रौब तारी हो गया और मैं घर लौट आया और मैंने कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो। उसी मौक़े पर अल्लाह तआला ने यह आयात नाज़िल फ़र्माईं, **'ऐ चादर ओढ़ने वाले! उठो और ख़बरदार करो। और अपने रब के नाम की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और (बुतों) की गंदगी से दूर रहो।'** (सूरः मुद्दष्षिर : 1–5)। इसके बाद वह्य बड़ी तादाद में और लगातार आने लगी। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल वह्य बाब 3)**

---

101. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : यह्या बिन कषीर (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू सलमा (रह.) बिन हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) से पूछा कि क़ुर्आन की कौनसी आयत सबसे पहले नाज़िल हुई थी, उन्होंने कहा, **या अय्युहल मुद्दष्षिर**। मैंने कहा, और लोग तो कहते हैं, **इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़** सबसे पहले

नाज़िल हुई थी। मेरी बात सुनकर हज़रत अबू सलमा (रह.) कहने लगे कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से इसके बारे में पूछा था और उनसे यही बात कही थी जो तुम कह रहे हो। उस पर हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, कि मैं तुमसे वो कुछ बयान करूँगा जो ख़ुद नबी अकरम (ﷺ) ने बयान फ़र्माया है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि मैं ग़ारे हिरा में अकेला था, फिर जब में अपना ऐतिकाफ़ पूरा कर चुका और वहाँ से उतरा तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मैंने दाँए–बाँए और आगे– पीछे देखा लेकिन मुझे कोई चीज़ नज़र न आई फिर मैंने सिर उठाकर ऊपर की तरफ़ देखा तो मैंने एक चीज़ देखी। और मैं हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के पास आया और मैंने कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो और मुझ पर ठण्डा पानी डालो। चुनाँचे उन्होंने मुझे चादर ओढ़ाई और मुझ पर ठण्डा पानी डाल दिया। उस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई, **या अय्युहल् मुद्दष़्ष़िर, क़ुम फ़ अंज़िर, वरब्बुका फ़कब्बिर)।**

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरह मुद्दष़्ष़िर बाब)

बाब 72 : रसूलुल्लाह (ﷺ) का मेअराज अलस्समावात और नमाज़ों का फ़र्ज़ किया जाना

102. हदीष़ अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मैं मक्का में था तो (एक रात) मेरे घर की छत फाड़ दी गई और हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) नाज़िल हुए उन्होंने मेरा सीना चाक किया और आबे ज़मज़म से धोया। फिर सोने का एक तश्त लाए जो दानाई और ईमान से भरा हुआ था उसे मेरे सीने में उण्डेल दिया और मेरे सीने को हमवार कर दिया। फिर हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर आसमाने दुनिया की तरफ़ बलन्द हो गए।

जब हम पहले आसमान पर पहुँचे तो हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने आसमान के दरबान से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसने पूछा, कौन है? हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया, जिब्रईल। दरबान ने पूछा, आपके साथ कोई और भी है? हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा, मेरे साथ मुहम्मद (ﷺ) हैं। दरबान ने पूछा, क्या आप (ﷺ) को बुलाने के लिये किसी को भेजा गया था? हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा, हाँ। यह सुनकर दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया और हम आसमाने दुनिया के ऊपर पहुँच गए। वहाँ हमने देखा कि एक शख़्स बैठा है उसके दाँयीं तरफ़ और बाँयीं तरफ़ लोगों का हुजूम है और वो शख़्स जब दाँए जानिब देखता है तो हँसता है और जब बाँए जानिब देखता है तो रो पड़ता है उसने (हमें देखते ही) कहा, ऐ सालेह नबी और नेक बेटे ख़ुश–आमदीद! मैंने जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) से पूछा कि यह साहब कौन है? उन्होंने कहा कि यह हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) है और दाँए–बाँए की भीड़ उनकी ज़ुर्रियत की अरवाह (रूहें) हैं, **इन रूहों में से दाँए जानिब वाले जन्नती है और बाँए जानिब वाले दोज़ख़ी, इसीलिये जब हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) दाँए जानिब देखते हैं तो (ख़ुश होकर) हँसते हैं और जब बाँए जानिब देखते हैं तो (रंज व ग़म से) रो पड़ते हैं।**

(फिर जिब्रईल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लिये और बलंद हुए) यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर आ पहुँचे और उसके दरबान से कहा कि दरवाज़ा खोलो। और इस दरबान से भी वही सवाल व जवाब हुए जो पहले आसमान वाले से हुए थे, इसके बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी अकरम (ﷺ) ने आसमानों पर हज़राते आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को देखा लेकिन आप (ﷺ) ने यह बयान नहीं फ़र्माया कि उनके मंज़िलों और दर्जों की कैफ़ियत क्या है? सिवाय इसके कि आप (ﷺ) ने ज़िक्र फ़र्माया कि मैंने आदम (अलैहिस्सलाम) को आसमाने दुनिया पर और हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को छठे आसमान पर पाया।

हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) जब आँहज़रत (ﷺ) के साथ हज़रत इदरीस (अलैहिस्सलाम) के पास से गुज़रे तो उन्होंने कहा, 'ऐ सालेह नबी और सालेह भाई, ख़ुशआमदीद!' मैंने जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) से पूछा, यह कौन है? उन्होंने बताया, यह हज़रत इदरीस (अलैहिस्सलाम) हैं। फिर मेरा गुज़र हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास से हुआ, उन्होंने भी कहा, 'ख़ुश आमदीद! ऐ सालेह नबी और नेक भाई।' मैंने जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) से पूछा, यह कौन है? उन्होंने बताया, यह हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) हैं। फिर मेरा गुज़र हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के पास से हुआ उन्होंने भी ख़ुश–आमदीद! ऐ सालेह नबी और सालेह भाई कहकर इस्तिक़बाल किया, मैंने पूछा, यह कौन है? जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने बताया, यह हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) हैं। फिर मैं हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास से गुज़रा उन्होंने भी 'ख़ुश आमदीद! ऐ बा–सलाहिय्यत नबी और नेक बेटे!' कहकर इस्तिक़बाल किया। मैंने पूछा कि यह कौन है? जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने बताया कि यह हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) हैं।

(आप ﷺ ने फ़र्माया) फिर मुझे और ऊपर ले जाया गया यहाँ तक कि मैं एक ऐसे मुक़ाम पर पहुँच गया जहाँ मैं (तक़्दीर लिखने वाले) क़लम की आवाज़े कशिश सुन रहा था चुनाँचे अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ क़रार दीं। मैं यह (तोहफ़ा) लेकर वापस आते हुए हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास से गुज़रा, उन्होंने पूछा, अल्लाह तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने बताया, 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा, आप अपने रब के पास वापस जाइये (और नमाज़ों के मुआमले में नज़रे षानी की दरख़्वास्त कीजिए) क्योंकि आप (ﷺ) की उम्मत इतनी नमाज़ें अदा करने की ताक़त नहीं रखती। चुनाँचे मूसा (अलैहिस्सलाम) ने मुझे वापस भेजा और अल्लाह तआला ने नमाज़ों की ता'दाद में से एक हिस्सा मुआफ़ फ़र्मा दिया। मैं लौटकर फिर हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास आया और बताया कि अल्लाह तआला ने एक हिस्सा मुआफ़ फ़र्मा दिया है। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा अपने रब के पास वापस जाइये (और नमाज़ों में मज़ीद तख़्फ़ीफ़ की दरख़्वास्त कीजिए) क्योंकि आपकी उम्मत इस मिक़्दार की भी ताक़त नहीं रखती। मैं फिर लौटकर गया और अल्लाह तआला ने एक और हिस्सा मुआफ़ फ़र्मा दिया। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फिर कहा, फिर अपने रब के पास वापस जाइये क्योंकि आप (ﷺ) की उम्मत इसकी ताक़त भी नहीं रखती। चुनाँचे मैं फिर बारी तआला से रुजूअ किया। इस मर्तबा अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि अब यह पाँच नमाज़ें हैं जो पचास के बराबर होगी, **'मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती।'** (सूरह काफ़ : 29) मैं लौटकर हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास आया। उन्होंने फिर मश्वरा दिया कि (इस मुआमले में) अपने रब से फिर रजूअ कीजिए। लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे अब और ज़्यादा कहते हुए अपने रब से शर्म आती है। हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) मुझे लेकर फिर चले यहाँ तक कि सिदरतुल् मुनतहा तक पहुँचा दिया, जहाँ अजीब क़िस्म के कैफ़ व रंग का आलम था जिसकी हक़ीक़त व माहियत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया और मैंने देखा कि वहाँ मोतियों के गुम्बद हैं और जन्नत की मिट्टी में मुश्क़ की ख़ुश्बू है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 1)**

---

103. हदीष मालिक बिन सअसआ (रज़ि.) : हज़रत मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं ख़ान–ए–काबा के क़रीब ऐसी हालत में (बैठा) था जो ख़्वाब व बेदारी के बीच थी, (रावी बयान करते हैं कि आप (ﷺ) ने यह ज़िक्र भी फ़र्माया था कि मैं दो शख़्सों के बीच में था), कि मेरे पास एक सोने का तश्त लाया गया जो हिकमत व ईमान से भरा था, फिर मेरे सीने को पेट के निचले हिस्से तक चाक किया गया फिर मेरे पेट को आबे ज़मज़म से धोया गया और इसके बाद उसे हिकमत व ईमान से भर दिया गया। नीज़ एक सफ़ेद चौपाया लाया गया जो ख़च्चर से छोटा और गधे से बड़ा था या'नी 'बुर्राक़।' फिर मैं हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) के

साथ चल पड़ा यहाँ तक कि हम दोनों आसमाने दुनिया (के दरवाज़े) तक पहुँच गए वहाँ पूछा गया, कौन है? जवाब दिया, जिब्रईल (अलैहिस्सलाम)। पूछा गया, आपके साथ कौन है? हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया, मुहम्मद (ﷺ)! पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया, हाँ! कहा गया, मरहबा! उनकी आमद ख़ुश–आईंद और मुबारक हो। (उस आसमान पर) मैं हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) के पास गया और उन्हें सलाम किया, ख़ुश आमदीद आपको जो बेटे भी हैं और नबी भी।

फिर हम दूसरे आसमान पर पहुँचे (वहाँ भी) पूछा गया, कौन है? जवाब दिया कि जिब्रईल (अलैहिस्सलाम)। सवाल, आपके साथ कौन है? जवाब दिया कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ)! सवाल, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब, 'हाँ!' यह जवाब सुनकर कहा गया, उन्हें ख़ुश आमदीद! और जिस सफ़र पर वो तशरीफ़ लाएँ हैं वो मुबारक व ख़ुशगवार हो। (उस आसमान पर) मैं हज़रत ईसा और हज़रत यह्या (अलैहिस्सलाम) के पास गया। उन दोनों ने मेरा इस्तिक़बाल करते हुए कहा, मरहबा ऐ भाई और नबी मुहतरम मरहबा!

फिर हम तीसरे आसमान पर पहुँचे (वहाँ भी पूछा गया) कौन है? जवाब, जिब्रईल (अलैहिस्सलाम)। सवाल, आपके साथ कौन है? जवाब, हज़रत मुहम्मद (ﷺ)! सवाल, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब, 'हाँ!' कहा, 'उन्हें ख़ुश आमदीद! और जिस सफ़र पर तशरीफ़ लाए हैं वो ख़ुशगवार और मुबारक हो।' उस आसमान पर मैं हज़रत युसुफ़ (अलैहिस्सलाम) से मिला और उन्हें सलाम किया। हज़रत युसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने कहा, ऐ बिरादर और नबी मुहतरम ख़ुश आमदीद!

फिर हम चौथे आसमान पर पहुँचे, वहाँ भी सवाल हुआ, कौन है? जवाब, जिब्रईल (अलैहिस्सलाम)। सवाल, आपके साथ कौन है? जवाब, हज़रत मुहम्मद (ﷺ)! सवाल, क्या आपको क़ासिद भेजकर बुलाया गया है? जवाब, 'हाँ!' यह सुनकर कहा गया, इन्हें ख़ुश आमदीद! और जिस सफ़र पर तशरीफ़ लाए हैं वो मुबारक और ख़ुशगवार हो। यहाँ मैं हज़रत इदरीस (अलैहिस्सलाम) से मिला और उन्हें सलाम किया। उन्होंने मेरा इस्तिक़बाल करते हुए कहा, ऐ भाई और नबी मुहतरम मरहबा!

फिर पाँचवें आसमान पर पहुँचे, वहाँ भी सवाल किया गया, कौन है? जवाब जिब्रईल। सवाल, आपके साथ कौन है? जवाब, हज़रत मुहम्मद (ﷺ)! सवाल, क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब, 'हाँ।' कहा गया, इन्हें ख़ुश आमदीद और जिस सफ़र पर आए हैं वो मुबारक और ख़ुशगवार हो। यहाँ हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) से मुलाक़ात हुई और मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे भाई और नबी मुहतरम, ख़ुश आमदीद, जब मैं आगे बढ़ गया तो हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) रोने लगे। पूछा गया, आप रो क्यों रहे हैं? कहने लगे! या अल्लाह! यह नौउम्र जिसे तूने मेरे बाद रसूल बनाकर भेजा है इसकी उम्मत जन्नत में मेरी उम्मत से ज़्यादा ता'दाद में दाख़िल होगी।

फिर हम सातवें आसमान पर गए सवाल हुआ, कौन है? जवाब, जिब्रईल (अलैहिस्सलाम)। सवाल, आपके साथ कौन है? जवाब, हज़रत मुहम्मद (ﷺ)! सवाल, क्या इन्हें क़ासिद भेजकर बुलाया गया है? जवाब, 'हाँ!' कहा गया, इन्हें ख़ुश आमदीद, और जिस सफ़र पर तशरीफ़ लाए हैं वो मुबारक और ख़ुशगवार हो। यहाँ मैं हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से मिला और मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने कहा, ऐ नबी और बेटे आपको ख़ुशआमदीद!

फिर मुझे बैतुल मअ़मूर दिखाया गया, मैंने जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) से पूछा, यह क्या है? उन्होंने जवाब दिया, यही बैतुल मअ़मूर है, यहाँ हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते नमाज़ अदा करते हैं और यह 70,000 जब नमाज़ अदा करके चले जाते हैं फिर यह क़ियामत तक दोबारा लौटकर न आएँगे (कषरते ता'दाद की वजह से दोबारा इनकी बारी न आएगी)।

फिर मुझे सिदरतुल मुन्तहा दिखाई गई, मैंने देखा कि उसके बेर इतने बड़े थे जैसे मक़ामे हिज्र के 'नांद' (बड़े मटके) और उसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे। उसकी जड़ से चार नहरें निकलती हैं, दो बातिनी और दो

ज़ाहिरी। मैंने जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) से पूछा तो उन्होंने बताया, **बातिनी नहरें तो जन्नत में हैं और ज़ाहिरी नहरें नील और फ़रात हैं।**

इसके बाद मुझ पर (और मेरी उम्मत पर) 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। फिर मैं लौटते हुए ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास से गुज़रा तो उन्होंने माजरा पूछा। मैंने बताया पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा, इंसानों की हालत मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मैंने बनी इस्राईल को भरपूर तरीक़े से आजमाया है और आपकी उम्मत भी यक़ीनन (इतनी नमाज़ों के भार को) बर्दाश्त न कर सकेगी, बिना देर किये आप (ﷺ) अपने रब के पास वापस जाइये और (कमी करने की) गुज़ारिश कीजिये। चुनाँचे मैं लौटकर गया और मैंने गुज़ारिश की तो अल्लाह तआला ने 40 नमाज़ें कर दीं। ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फिर वही कहा जो पहले कहा था और मैं फिर वापस गया और अल्लाह तआला ने नमाज़ों की ता'दाद 30 कर दी। फिर वही कुछ हुआ और मैं वापस आया तो अल्लाह तआला ने नमाज़ों की ता'दाद 20 कर दीं। ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फिर वही मश्वरा दिया और मैं लौटकर फिर जनाबे बारी तआला के हुज़ूर में हाज़िर हुआ और नमाज़ों की ता'दाद 10 हो गई। मैं फिर ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास आया उन्होंने फिर हस्बे साबिक़ मश्वरा दिया (और मैं जनाबे बारी तआला के हुज़ूर हाज़िर हुआ और दरख़्वास्त की) तो अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ नमाज़ें पाँच कर दीं। ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फिर वही मश्वरा दिया तो मैंने कहा, कि मैंने तो सरे तस्लीम ख़म कर दिया है। उस वक़्त जनाबे बारी तआला की तरफ़ से निदा आई कि मैंने अपना फ़रीज़ा उसी तरह नाफ़िज़ रहने दिया है और अपने बन्दों पर कमी भी कर दी है वो इस तरह कि मैं हर नेकी पर दस गुना अज्र दूँगा। (गोया पाँच नमाज़ों का अज्र पचास नमाज़ों के बराबर होगा)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 6)**

---

104. ह़दीष़ इब्ने अब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, शबे मेअराज मैंने ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को देखा, वो गंदुमी रंग, दराज़ (लम्बा) क़द और घुँघराले बालों वाले हैं और क़बीला शनूअह के लोगों से बहुत ज़्यादा मुशाबह (समरूप) हैं और ह़ज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) को देखा वो मियाना (मध्यम) क़द औसत दर्जे के सुर्ख़ व सफ़ेद रंग और सीधे बालों वाले हैं, उसी रात मैंने जहन्नम के दारोग़ा और दज्जाल को भी देखा। (ह़ज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. कहते हैं) कि यह निशानियाँ मिनजुम्ला उन निशानियों के थीं जो उस रात अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) को दिखाई थीं। फिर आप (रज़ि.) ने यह आयत तिलावत की, **'लिहाज़ा उसके मिलने पर तुम्हें कोई शक न होना चाहिए।'** (सूरह सज्दा : 23)

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 7)

---

105. ह़दीष़ इब्ने अब्बास (रज़ि.) : मुजाहिद (रह.) बयान करते हैं कि हम ह़ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे कि बाज़ लोगों ने दज्जाल का ज़िक्र छेड़ दिया और कहा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया है, दज्जाल की दोनों आँखों के बीच लफ़्ज़ 'काफ़िर' लिखा हुआ होगा। ह़ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने यह बात नहीं सुनी अल्बत्ता आप (ﷺ) ने यह ज़रूर फ़र्माया है, कि 'ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) का लब्बैक कहते हुए वादी में उतरना इस वक़्त भी मेरी आँखों के सामने है।' **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 30)**

---

106. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने मेअराज की रात ह़ज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को देखा, वो एक दुबले–पतले शख़्स़ थे जिनके बाल भी ज़्यादा ख़मदार न थे ऐसा मा'लूम होता है कि गोया वो क़बीला शनुअह के एक फ़र्द हैं और ह़ज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम)

को देखा वो मियाना क़द और सुर्ख़ रंग के थे (उनका चेहरा इतना तरोताज़ा था) गोया वो अभी हमाम (गुस्लखाने) में से निकले हैं, और औलादे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) में हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से सबसे ज़्यादा मुशाबह हों। फिर मेरे पास दो प्याले लाए गए एक में दूध था और दूसरे में शराब। जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा इन दोनों में से जो चाहें पी लें! मैंने दूध वाला प्याला उठाकर पी लिया, उस पर कहा गया, आप (ﷺ) ने फ़ितरत को पा लिया इसके बरअक्स अगर आप (ﷺ) शराब पसंद फ़र्माते तो आप (ﷺ) की उम्मत गुमराह हो जाती।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 24)

बाब 73 : मसीह बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) और मसीह दज्जाल का ज़िक्र

107. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने एक दिन लोगों के सामने मसीह दज्जाल का ज़िक्र फ़र्माया, चुनाँचे आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला हर्गिज़ काना नहीं है जबकि मसीह दज्जाल दाईं आँख से काना है और उसकी आँख क्या है? गोया फूला हुआ अँगूर।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 48)

---

108. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, आज रात मैंने ख़्वाब में देखा कि मैं ख़ान-ए-काबा के पास हूँ और गंदुमी रंग के शख़्स को देखा जिसका रंग उन तमाम गंदुमी रंग के लोगों से बेहतर था जो तुम लोगों ने देखे होंगे, उसके बाल दोनों शानो तक सीधे लटके हुए थे और सर से पानी टपक रहा था वो शख़्स दो आदमियों के कँधों पर हाथ रखे बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने पूछा, यह कौन है? जवाब मिला, यह हज़रत मसीह इब्ने मरयम (अलैहिस्सलाम) हैं। फिर मैंने उनके पीछे एक शख़्स को देखा जिसके बाल सख़्त उलझे हुए और घुँघराले थे, दाईं आँख से काना था और इब्ने क़ुत्न से बहुत ज़्यादा मुशाबह (समरूप) था वो भी एक शख़्स के दोनों शानों पर अपने हाथ रखे बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने पूछा, यह कौन है? जवाब मिला, यह मसीह दज्जाल है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 48)**

---

109. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि जिस वक़्त क़ुरैश ने (वाक़िआ मेअराज के बारे में) मेरी तकज़ीब की (झुठलाया), मैं मुक़ामे-हिज्र के क़रीब खड़ा था उसी वक़्त अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने नुमाया कर दिया और मैं उसको देखता जाता था और क़ुरैश को उसकी निशानियाँ बताता जाता था। **(सहीह बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्सार बाब 41)**

बाब 74 : सिदरतुल मुन्तहा का बयान

110. हदीष इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) : अबू इस्हाक़ शैबानी (रह.) कहते हैं कि, मैंने ज़र्र बिन हुबैश (रह.) से जमाबे बारी तआला के इर्शाद, **'यहाँ तक कि दो कमानों के बराबर या इससे भी कुछ कम फ़ासला रह गया तब उसने अल्लाह के बंदे को वह्य पहुँचाई जो वह्य भी उसे पहुँचानी थी।'** (सूरह अन नज्म : 9-10) के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने बताया है कि इससे मुराद यह है कि नबी अकरम (ﷺ) ने हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) को देखा था जिनके 600 पंख थे।

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 7)

बाब 75 : इर्शादे बारी तआला (व लक़द रआहू नज़्लतन् उख़रा) की तफ़्सीर, नीज़ क्या नबी अकरम (ﷺ) ने शबे मेअ़राज अपने रब को देखा था?

111. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : मसरूक़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, ऐ वालिदा मुहतरमा! क्या रसूले अकरम (ﷺ) ने अपने परवरदिगार को देखा था? हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, तेरी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या तुम्हें उन तीन बातों की ख़बर नहीं है? जो शख़्स तुमसे इन तीन बातों के बारे में (अपनी तरफ़ से) कुछ कहे वो झूठा है,

(1) अगर कोई शख़्स तुमसे कहे कि रसूले अकरम (ﷺ) ने अपने रब को देखा है वो झूठा है। फिर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने यह आयात तिलावत फ़र्माई, **'निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। वो निहायत बारीक बीन और बाख़बर है।'** (अल अन्आम : 103) **'किसी बशर का यह मुक़ाम नहीं है कि वो अल्लाह के रूबरू बात करे उसकी बात या तो वह्य के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से।'** (सूरह शूरा : 51)

(2) इसी तरह जो तुमसे कहे कि आप (ﷺ) यह जानते थे कि कल क्या होने वाला है, तो वो भी झूठा है फिर आप (रज़ि.) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई, **'कोई शख़्स नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है।'** (सूरह लुक़मान : 34)

(3) इसी तरह जो शख़्स तुमसे यह कहे कि आप (ﷺ) ने कोई बात (अज् उमूरे रिसालत) छुपाई है वो भी झूठा है। फिर आप (रज़ि.) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई, **'ऐ रसूल (ﷺ)! जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम पर नाज़िल किया गया है वो लोगों तक पहुँचा दो, अगर तुमने ऐसा न किया तो अपनी पैग़म्बरी का हक़ अदा न किया।'** (अल माइदा : 67)

चुनाँचे ऊपर बयान की गई आयत का मफ़हूम यह है कि आँहज़रत (ﷺ) ने जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी असली सूरत में दो मर्तबा देखा है। **(स़हीह बुख़ारी किताबुत् तफ्सीर 53 सूरह अन् नज्म बाब 1)**

---

112. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि, जो शख़्स ऐसा ख़याल करता है कि नबी अकरम (ﷺ) ने अपने रब को देखा था, उसने बहुत बड़ी बात कह दी (ग़लत कहा) हक़ीक़त यह है कि आप (ﷺ) ने जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी असली सूरत में देखा था और उनकी यह शक्ल व सूरत आसमान के उफ़क़ पर छा गई और उसने आसमान को एक किनारे से दूसरे किनारे तक छुपा लिया था।

(स़हीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 7)

बाब 78 : इस बात का षुबूत कि आख़िरत में मो'मिन अपने रब का दीदार करेगा

113. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में दो बाग़ ऐसे हैं जिनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब चाँदी का है और दो बाग़ ऐसे हैं कि जिनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब सोने का है और जन्नते अद्न में अ़ज़मत व किबरियाई की चादर के सिवा बन्दों और दीदारे बारी तआ़ला के बीच कोई चीज़ हाइल न होगी और यह चादर रब्बे जलील के चेहरे पर होगी।

(स़हीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरह रहमान बाब 1)

बाब 79 : दीदारे बारी तआला की सूरत क्या होगी?

114. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने नबी अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम क़ियामत के दिन अपने परवरदिगार को देखेंगे? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क्या तुम्हें चौदहवीं रात को चाँद के देखने में जबकि उसके ऊपर बादल भी न हो शक व शुब्हा होता है? लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें सूरज को देखने में जबकि उस पर अब्र (बादल) न हो कभी शक व शुब्हा होता है? लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तुम इसी तरह क़ियामत के दिन अपने परवरदिगार को देखोगे। क़ियामत के दिन लोग उठाए जाएँगे तो अल्लाह तआला फ़र्माएगा, कि जो शख़्स दुनिया में जिसकी परस्तिश करता था उसके पीछे हो जाए चुनाँचे कुछ लोग सूरज के पीछे हो जाएँगे और कुछ लोग चाँद के पीछे और कुछ लोग बुतों के पीछे चल पड़ेंगे इसके बाद सिर्फ़ यह उम्मत बाक़ी रह जाएगी जिसमें मुनाफ़िक़ भी शामिल होंगे। फिर अल्लाह तआला उनके पास आएगा और फ़र्माएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ तो वो (उसे नहीं पहचानेंगे) कहेंगे कि हम इस जगह उस वक़्त तक खड़े रहेंगे जब तक हमारा परवरदिगार नहीं आ जाता जब हमारा परवरदिगार आएगा हम उसे पहचान लेंगे।

इसके बाद अल्लाह तआला फिर उनके सामने आएगा (जानी–पहचानी सूरत में) और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ तो वो इक़रार करेंगे कि हाँ! तू ही हमारा रब है। इसके बाद जहन्नम की पुश्त पर एक पुल बनाया जाएगा और सबको (उस पर चलने के लिये) कहा जाएगा चुनाँचे रसूलों में सबसे पहला रसूल मैं होऊँगा जो अपनी उम्मत को लेकर उस पर से गुज़रूँगा और उस दिन रसूलों के सिवा कोई शख़्स न बोल सकेगा और रसूलों की ज़ुबान पर भी **अल्लाहुम्मा सल्लिम! सल्लिम!** (ऐ अल्लाह! जहन्नम से महफ़ूज़ रख और सलामती से गुज़ार दे) के कलिमात होंगे और जहन्नम में सअदान के काँटों की मानिन्द आँकड़े होंगे (आप ﷺ ने पूछा,) क्या तुमने सअदान के काँटे देखे हैं? सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, हाँ! देखे हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो वो आँकड़े शक्ल व सूरत में सअदान के काँटों जैसे होंगे अल्बत्ता यह बात कि बड़े किस क़दर होंगे। अल्लाह तआला के सिवा और कोई नहीं जानता। वो (आँकड़े) लोगों को उनके अअमाल के मुताबिक़ उचक लेंगे उस पुल पर गुज़रने वालों में से कुछ लोग अपने अअमाल की बिना पर (जहन्नम में गिर कर) हलाक हो जाएँगे और कुछ लोग पारा–पारा हो जाएँगे लेकिन बाद में नजात पा जाएँगे चुनाँचे (इस तमाम कार्रवाई के बाद) जब अल्लाह तआला जहन्नम में गिरने वालों में से जिन पर मेहरबानी फ़र्माना चाहेगा उनके बारे में फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि हर उस शख़्स को जो अल्लाह की इबादत करता था जहन्नम से निकाल लो और फ़रिश्ते उनको सज्दे के निशान से पहचान लेंगे क्योंकि अल्लाह तआला ने जहन्नम की आग पर हराम कर दिया है कि वो सज्दे के निशान को खाए।

चुनाँचे निशाने सज्दा के अलावा आग इब्ने आदम के पूरे जिस्म को खा जाएगी (लेकिन निशाने सज्दा बाक़ी रहेगा) और इसी शिनाख़्त (पहचान) से (अल्लाह की इबादत करने वाले) लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा। यह लोग जहन्नम से इस हाल में निकाले जाएँगे कि जलकर कोयला बन चुके होंगे। फिर जब उन पर आबे हयात डाला जाएगा तो वो इस तरह उगेंगे जैसे सैलाब की लाई हुई मिट्टी में ख़ुदरव दाना उगता है।

फिर जब अल्लाह तआला बन्दों के बीच फ़ैसलों से फ़ारिग़ हो चुका होगा तो एक शख़्स बाक़ी रह जाएगा। यह जन्नत में दाख़िल होने वाला आख़िरी शख़्स होगा जो अहले जहन्नम में से जन्नत में दाख़िल होगा लेकिन उसका मुँह जहन्नम की तरफ़ होगा। यह जनाबे बारी में दरख़्वास्त करेगा कि ऐ मेरे रब! मेरा मुँह जहन्नम की जानिब से (दूसरी तरफ़) फेर दे क्योंकि मुझे इसकी बू हलाक किए दे रही है और इसके शोले मुझे झुलसा रहे हैं। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, अगर तेरी दरख़्वास्त मंज़ूर कर ली जाए तो तू कोई और माँग तो नहीं करेगा? वो शख़्स कहने लगा कि नहीं! तेरी इज़्ज़त की क़सम! मैं हर्गिज़ कुछ और न मागूँगा। और वो उस सिलसिले में अल्लाह से हर क़िस्म का अहद व पैमान

करेगा। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला उसका मुँह आग की तरफ़ से फेरकर जन्नत की जानिब कर देगा। अब वो जब जन्नत को उसकी आराइश व ज़ैबाइश (सजावट) को देखेगा तो (कुछ देर) जब तक अल्लाह चाहेगा चुप रहेगा फिर दरख़्वास्त करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे दरवाज़े जन्नत से क़रीब कर दे। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, क्या तूने अ़हद व पैमान न किए थे कि तू जो कुछ माँग रहा है उसके सिवा मज़ीद कुछ न माँगेगा? तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब! मैं तेरी मख़्लूक़ में सबसे बदनसीब शख़्स नहीं होना चाहता। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा तुझसे यह तवक़्क़ुअ़ (उम्मीद) नहीं रखी जा सकती कि अगर यह तेरा सवाल पूरा कर दिया जाए तो तू फिर कुछ नहीं माँगेगा। वो अ़र्ज़ करेगा, नहीं! तेरी इ़ज़्ज़त की क़सम! मैं मज़ीद कुछ त़लब नहीं करूँगा।

इस मर्तबा भी वो रब्बे करीम से हर वो अ़हद व पैमान करेगा जो वो उससे लेना चाहेगा और अल्लाह तआ़ला उसे जन्नत के दरवाज़े के क़रीब कर देगा। फिर जब वो जन्नत के दरवाज़े के क़रीब पहुँच जाएगा और जन्नत की बहार और वहाँ का कैफ़ व सुरूर देखेगा तो कुछ देर जिसकी मिक़्दार का अंदाज़ा सिर्फ़ अल्लाह को है, ख़ामोश रहेगा। उसके बाद कहेगा, ऐ मेरे रब! मुझे भी जन्नत में दाख़िल कर दे। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, ऐ इब्ने आदम! तुझ पर हैरत है तू किस क़दर अ़हद शिकन (वादा तोड़ने वाला) वाक़ेअ़ हुआ है। क्या तूने इस बात पर कि जो कुछ तुझे दे दिया गया है उसके अ़लावा तू मज़ीद कुछ त़लब नहीं करेगा, हर क़िस्म के अ़हद व पैमान नहीं किए थे? वो अ़र्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब! मुझे अपनी मख़्लूक़ में सबसे ज़्यादा बदनसीब न रहने दे। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला को उसकी इन बातों पर हँसी आ जाएगी और उसे जन्नत में दाख़िल होने की इजाज़त दे देगा। उसके बाद फ़र्माएगा, जो आरज़ू कर सकता है कर। चुनाँचे वो तमन्ना करेगा, त़लब करेगा और माँगेगा यहाँ तक कि उसकी तमाम आरज़ुएँ ख़त्म हो जाएगी। फिर उसे अल्लाह तआ़ला याद दिलाएगा कि मज़ीद यह और यह (आरज़ू कर और त़लब कर) यहाँ तक कि जब उसके दिल की तमाम आरज़ुएँ और तमन्नाएँ पूरी हो जाएँगी तो अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, तुझे यह सब कुछ अ़त़ा किया और इसी क़दर मज़ीद दिया गया। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 129)**

---

115. ह़दीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या रोज़े क़ियामत हम अपने परवरदिगार की ज़ियारत करेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें जब आसमान मतलअ़ साफ़ हो और बादल न हो, तब चाँद और सूरज को देखने में कोई दिक़्क़त होती है? हमने अ़र्ज़ किया, नहीं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तुम्हें रोज़े क़ियामत अपने रब को देखने में उतनी ही दिक़्क़त होगी जितनी इन (चाँद और सूरज) को देखने में होती है। फिर आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा कि हर गिरोह के लोग उसके साथ जाकर खड़ें हो जाएँ जिसकी वो पूजा किया करते थे। चुनाँचे स़लीब को मानने वाले स़लीब के साथ और बुतपरस्त अपने–अपने बुतों के साथ और हर इलाहे बातिल के मानने वाले अपने–अपने इलाह के साथ जा मिलेंगे यहाँ तक कि सिर्फ़ वो लोग बाक़ी रह जाएँगे जो अल्लाह तआ़ला की इ़बादत करते थे ख़्वाह वो नेकोकार हो या बदकार और अहले किताब में से भी कुछ बचे–खुचे लोग बाक़ी रह जाएँगे। फिर जहन्नम को उनके सामने किया जाएगा जो (दूर से) उन्हें सराब की मानिन्द नज़र आ रहा होगा। फिर यहूद से पूछा जाएगा तुम किसकी पूजा करते थे? वो कहेंगे, हम ह़ज़रत उ़ज़ैर (अ़लैहिस्सलाम) को इब्ने अल्लाह मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। उन्हें कहा जाएगा तुमने झूठ कहा था, अल्लाह तआ़ला की न कोई बीवी है और न कोई औलाद। फिर उनसे पूछा जाएगा कि अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हमें पानी पिलाया जाए। कहा जाएगा, पीयो और इसके साथ ही वो जहन्नम में गिर जाएँगे।

फिर नसारा से पूछा जाएगा, तुम किसकी इ़बादत करते थे? जवाब देंगे, हम ह़ज़रत मसीह (अ़लैहिस्सलाम) को अल्लाह का बेटा मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। उन्हें भी कहा जाएगा, तुम झूठ कहते थे। अल्लाह की न तो

बीवी है और न कोई औलाद। फिर सवाल किया जाएगा, अब तुम क्या चाहते हो? वो भी यही जवाब देंगे, हमें पानी पिलाया जाए। कहा जाएगा, पीयो और वो भी जहन्नम में जा गिरेंगे। इसके बाद सिर्फ़ वो लोग बाक़ी रह जाएँगे जो अल्लाह की इबादत करते थे, ख़्वाह नेक थे या बदकार। उनसे पूछा जाएगा, तुम्हें किस चीज़ ने रोक रखा है जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो जवाब देंगे, हम तो इन लोगों से उसी वक़्त जुदा हो गए थे जबकि हमें उनकी उस वक़्त आज से कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी, नीज़ हमने एक मुनादी करने वाले को यह मुनादी करते हुए सुना था कि हर गिरोह उसके साथ जा मिले जिसकी वो इबादत करता था। चुनाँचे हम अब अपने रब का इंतिज़ार कर रहे हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला उनके सामने ऐसी शक्ल व सूरत में आएगा जो उस सूरत से मुख़्तलिफ़ होगी जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा और फ़र्माएगा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ तो वो कहेंगे, तू हमारा रब है? उस दिन बारी तआला से सिवाए अंबिया के और कोई बात न कर सकेगा। फिर अल्लाह तआला पूछेगा, क्या तुम्हारे लिये रब की तरफ़ से ऐसी कोई निशानी है जिससे तुम उसे पहचान सको? वो जवाब देंगे, पिण्डली बतौर निशानी है है। चुनाँचे अल्लाह तआला अपनी पिण्डली खोल देगा, उसको देखकर सब मो'मिन सज्दा रेज़ हो जाएँगे और वो लोग बाक़ी रह जाएँगे जो रिया के लिये और शोहरत के लिये अल्लाह तआला को सज्दा किया करते थे चाहेंगे वो भी कि सज्दा करें लेकिन उनकी पीठ तख़्ते की तरह अकड़कर रह जाएगी (सज्दा न कर सकेंगे)

इसके बाद पुल सिरात लाकर जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह पुल सिरात क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, एक (ऐसा ख़तरनाक) मुक़ाम जहाँ से गुज़रने वाला फिसलेगा और लड़खड़ाएगा उस पर उचक लेने वाले काँटे और जकड़ लेने वाले आँकड़े लगे हुए हैं, और बड़े वसीअ व अरीज़ गोख़रू और ऐसे टेढ़े-मेढ़े काँटे लगे हुए हैं, जैसे इलाक़-ए-नज्द में पाए जाते हैं जिन्हें 'सअदान' कहा जाता है। मो'मिन उस पुल पर से देखते ही देखते बिजली और हवा की तेज़ी से और तेज़ रफ़्तार घोड़ों और सवारियों की मानिन्द गुज़र जाएँगे। उन बचकर निकल जाने वालों में कुछ तो सहीह सालिम होंगे और कुछ कटे-फटे जहन्नम की आग में झुलसे हुए होंगे यहाँ तक कि सबसे आख़िर में नजात पाने वाले अपने आपको घसीट-घसीटकर निकालेंगे। उस दिन जब मो'मिन देखेंगे कि वो ख़ुद तो बचकर निकल आए हैं और उनके भाई जहन्नम में रह गए हैं तो हर मो'मिन (अपने भाईयों को बचाने की ग़र्ज़ से) अल्लाह तआला से मुज़ाकरा और मुतालबा करने में उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत इख़्तियार करेगा (पुरजोश होगा) जिस क़दर तुम किसी ऐसे हक़ के सिलसिले में जो पूरी तरह अयाँ हो चुका हो मुझसे गुफ़्तगू और मुतालबा करने में आज (यहाँ दुनिया में) शिद्दत इख़्तियार करते और पुरजोश होते हो। वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब! यह सब भाई हमारे साथ नमाज़ अदा करते थे, रोज़े रखते थे और दूसरे नेक काम किया करते थे, यह जहन्नम में कैसे चले गए? उनको भी मुआफ़ फ़र्मा दे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि जाओ! जिसके दिल में भी एक दीनार के बराबर ईमान हो उसे आग से निकाल लो और अल्लाह तआला उनकी सूरतों को जलाना और मस्ख़ करना आग के लिये हराम क़रार दे देगा। चुनाँचे वो लोग उनके पास जाएँगे, जबकि उनमें से बाज़ क़दमों तक और कुछ आधी पिण्डलियों तक आग में डूबे हुए होंगे और जिस जिसको पहचानेंगे दोज़ख़ से निकाल लेंगे फिर लौटकर आएँगे (मज़ीद दरख़्वास्त करेंगे) तो अल्लाह तआला फ़र्माएगा, अच्छा जाओ जिसके दिल में आधे दीनार बराबर ईमान हो उसे भी दोज़ख़ से निकाल लो, चुनाँचे यह लोग जाएँगे और जिसको पहचानेंगे जहन्नम से निकाल लाएँगे, फिर लौटकर आएँगे (मज़ीद दरख़्वास्त करेंगे) अल्लाह तआला फ़र्माएगा, जाओ! जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लो। चुनाँचे अब फिर यह जिस जिसको पहचान पाएँगे उसे निकाल लेंगे।

(यह हदीष बयान करते हुए) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर तुमको मेरी बात का यक़ीन न हो तो क़ुर्आन मजीद की यह आयत पढ़ लो, **'अल्लाह किसी पर ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह उसे दोगुनी कर देता है।'** (अन निसा : 40)

जब सब अंबिया फ़रिश्ते और अहले ईमान सिफ़ारिश कर चुके होंगे तो अल्लाह जल्ला शानुहू इर्शाद फ़र्माएगा, (सब सिफ़ारिश कर चुके) मेरी शफ़ाअत बाक़ी है और मुट्ठी भरकर जहन्नम से (लोगों को) निकालेगा, अब वो लोग निकलेंगे जो जलकर भस्म हो गए होंगे, उनको निकाल कर एक नहर में डाला जाएगा जो जन्नत के सिरे पर वाक़ेअ है और जिसे **'आबे हयात'** कहा जाता है। उस नहर में गिरते ही यह लोग इस तरह दोबारा सर–सब्ज़ व शादाब हो जाएँगे जैसे गल्ले का दाना पानी के रास्ते में उग आता है और सर–सब्ज़ हो जाता है तुमने अकषर किसी पत्थर या दरख़्त के किनारे ऐसे दाने को उगा हुआ देखा होगा उनमें से जो सूरज के रुख़ होता है वो सब्ज़ होता है और जो साए में रहता है वो सफ़ेद होता है। यह लोग (उस नहर में से) मोती की मानिन्द आबदार होकर निकलेंगे अल्बत्ता उनकी गर्दन पर मुहर लगा दी जाएगी और जब वो जन्नत में दाख़िल होंगे तो (मुहर की वजह से पहचानकर) अहले जन्नत कहेंगे, यह वो लोग हैं जिनको अल्लाह तआला ने ख़ुद आज़ाद फ़र्माया है और किसी अमल और नेकी के बग़ैर फ़ी सबीलिल्लाह जन्नत में दाख़िल किया है। उन्हें अल्लाह तआला की तरफ़ से ख़ुशख़बरी सुनाई जाएगी, यह जो कुछ तुम देख रहे हो न सिर्फ़ यह तुम्हारा है बल्कि इसी क़दर और ज़्यादा तुम्हें मिलेगा।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत् तौहीद बाब 24)

बाब 80 : शफ़ाअत का षुबूत और इस बात का बयान की मुवह्हिदीन को जहन्नम से निकाल लिया जाएगा

116. ह़दीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (हिसाब–किताब के बाद जब) जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाख़िल हो चुके होंगे तो इसके बाद अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद हो, उसे जहन्नम से निकाल लिया जाए। चुनाँचे (बहुत से) लोग निकाले जाएँगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो (जलकर कोयले की तरह) काले हो चुके होंगे फिर उन्हें नहरे हयात या नहरे हया (रावियाने ह़दीष़ में से किसी एक रावी को इस बात में शक है कि आप (ﷺ) ने हयात फ़र्माया था या हया) में डाल दिया जाएगा और वो इस तरह उग आएँगे जैसे ग़ल्ले का दाना पानी की गुज़रगाह में उग आता है, क्या तुमने देखा नहीं कि वो किस ख़ूबसूरती से लिपटा सुनहरी रंग का उगता है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 15)

बाब 81 : जहन्नम से बाहर निकलने वाला आख़िरी शख़्स़

117. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं उस शख़्स़ को बख़ूबी जानता हूँ जो जहन्नम में से सबसे आख़िर में निकलेगा और जन्नत में दाख़िल होने वालों में भी आख़िरी शख़्स़ होगा, यह शख़्स़ जहन्नम से मुँह के बल (घिसटता हुआ) निकलेगा, अल्लाह तआला इससे फ़र्माएगा, जाओ जन्नत में दाख़िल हो जाओ। वो जन्नत की तरफ़ आएगा तो उसे ऐसा मा'लूम होगा कि वो पूरी तरह भर चुकी है चुनाँचे वो लौट जाएगा और अ़र्ज़ करेगा ऐ परवरदिगार! वो तो पुर हो चुकी है। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, जाओ जन्नत में दाख़िल हो जाओ (तुम कहते हो जन्नत में गुंजाइश नहीं है) मैंने तुमको दुनिया के बराबर बल्कि इससे दस गुना ज़्यादा (वुस्अ़त) अ़ता फ़र्माई। या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया से दस गुना वुस्अ़त अ़ता फ़र्माई। (उसे यक़ीन नहीं आएगा) और वो अ़र्ज़ करेगा, क्या तू मुझसे मज़ाक़ कर रहा हैं? या मेरी हँसी उड़ाता है हालाँकि तू तो बादशाह है। इस मौक़े पर मैंने देखा कि यह बात कहते हुए नबी अकरम (ﷺ) इतने मुस्कुराए कि आपके दंदाने मुबारक नज़र आने लगे। और (रावी कहते है) कहा जाता था कि यह शख़्स़ अहले जन्नत में सबसे

पस्त मर्तबा का होगा। (सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)

बाब 82 : सबसे कम मर्तबे वाला जन्नती

118. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब रोज़े क़ियामत अल्लाह तआला लोगों को (मैदाने हश्र में) जमा करेगा तो वो कहेंगे, काश! कोई होता जो बारी तआला के हुज़ूर में हमारी सिफ़ारिश करके हमें इस (मुसीबत की) जगह से नजात दिला सकता। चुनाँचे सब लोग आदम (अलैहिस्सलाम) के पास जाएँगे और कहेंगे, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा फ़र्माया है, आप में अपनी (ओर से) रूह फूँकी है और फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सज्दा किया चुनाँचे आप अल्लाह तआला से हमारी सिफ़ारिश करें। हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) अपनी ग़लती का ज़िक्र करेंगे और कहेंगे, मेरा यह मुक़ाम नहीं है कि मैं जनाबे बारी में तुम्हारी सिफ़ारिश कर सकूँ, तुम हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) के पास जाओ। वो सबसे पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने मबऊष फ़र्माया।

चुनाँचे सब लोग हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) के पास जाएंगे (और उनसे सिफ़ारिश करने की दरख़्वास्त करेंगे) वो भी अपनी ग़लती का ज़िक्र करके कहेंगे कि मेरा यह मुक़ाम नहीं। तुम हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास जाओ, उन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था।

फिर सब लोग हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास जाएँगे (और उनसे दरख़्वास्त करेंगे) वो भी अपनी ग़लती का ज़िक्र करके कहेंगे, मेरा यह मुक़ाम नहीं, तुम सब लोग हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास जाओ, उन्हें अल्लाह तआला ने शर्फ़े हमकलामी बख़्शा है।

फिर सब लोग हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास जाएँगे (और उनसे दरख़्वास्त करेंगे) वो भी अपनी ग़लती का ज़िक्र करके यही जवाब देंगे कि मेरा यह मुक़ाम नहीं, तुम लोग हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के पास जाओ।

चुनाँचे लोग हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचेंगे, वो भी यही जवाब देंगे कि मेरा यह मुक़ाम नहीं है कि सिफ़ारिश कर सकूँ, तुम लोग हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ क्योंकि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) वो बुजुर्ग व बरगुज़ीदा हस्ती हैं जिनकी अल्लाह तआला ने अगली–पिछली सब लग्ज़िशें मुआफ़ फ़र्मा दी हैं।

आख़िर में सब लोग मेरे पास आएँगे और मैं जनाबे बारी में हाज़री की इजाज़त तलब करूँगा (जब इजाज़त मिलेगी) तो मैं उसके रूबरू पहुँचते और दीदार से शर्फ़याब होते ही उसके हुज़ूर में सज्दा रेज़ हो जाऊँगा और जब तक अल्लाह तआला चाहेगा मुझे उसी (सज्दे की) हालत में रहने देगा। फिर इर्शाद होगा, अपना सर उठाइए और माँगिये जो आप (ﷺ) माँगेंगे दिया जाएगा। बोलिये! आप (ﷺ) की बात सुनी जाएगी। आप (ﷺ) की शफ़ाअत कुबूल की जाएग, शफ़ाअत कीजिए। चुनाँचे मैं सर उठाऊँगा और पहले अपने रब की हम्दो षना उन अल्फ़ाज़ में करूँगा जो ख़ुद अल्लाह तआला मुझे (उस मौक़े पर) तलक़ीन फ़र्माएगा और उसके बाद शफ़ाअत करूँगा चुनाँचे मेरे लिये अल्लाह तआला एक हद मुक़र्रर फ़र्मा देगा (कि इस हद तक लोगों को निकाल लो) और मैं उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाख़िल करूँगा, इसके बाद लौटकर फिर जनाबे बारी में हाज़िर होऊँगा और फिर पहले की तरह सज्दे में गिर जाऊँगा, इसी तरह तीसरी और चौथी मर्तबा भी करूँगा, यहाँ तक कि जहन्नम में सिर्फ़ वो लोग रह जाएँगे जिनको क़ुर्आन ने रोक दिया है या'नी जिनके ख़ुलूद फ़िन्नार (जहन्नम में दाख़िल होने) का फ़ैसला क़ुर्आन ने फ़र्मा दिया है। (सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)

---

119. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने हमसे बयान फ़र्माया, जब क़ियामत का दिन होगा तो इंसान अपनी कषरते ता'दाद की वजह से समुन्दर की मौज़ों की तरह आपस में गुत्थम–गुत्था हो रहे होंगे और परेशानहाल हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) के पास आएँगे और उनसे दरख़्वास्त करेंगे कि अपने रब के हुज़ूर सिफ़ारिश कीजिए। वो जवाब देंगे, मैं इस काम का अहल नहीं हूँ, अल्बत्ता तुम हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास जाओ वो ख़लीलुल्लाह हैं।

चुनाँचे लोग हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास जाएँगे, वो भी यही जवाब देंगे कि मैं यह काम नहीं कर सकता अल्बत्ता तुम मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास जाओ, वो कलीमुल्लाह हैं। चुनाँचे सब लोग हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास जाएँगे। वो भी कहेंगे, यह काम मेरे बस का नहीं है तुम हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के पास जाओ वो रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं। लोग हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचेंगे, वो भी कहेंगे कि मैं इस काम के लायक़ नहीं हूँ, तुम हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ।

चुनाँचे सब लोग मेरे पास आँएगे और मैं कहूँगा, हाँ! मैं ही यह काम कर सकता हूँ और करूँगा। फिर मैं बारगाहे इलाही में हाज़िरी की इजाज़त तलब करूँगा और मुझे इजाज़त मिल जाएगी (मज़ीद बराँ) मुझे उस वक़्त हम्दो षना के ऐसे कलिमात तलक़ीन किए जाएंगे जो अभी मुझे मुस्तहज़र नहीं हैं, मैं उन अल्फ़ाज़ से अल्लाह तआला की हम्दो–षना करते हुए उसके हुज़ूर में सर–ब–सुजूद हो जाऊँगा। उसके बाद कहा जाएगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! सर उठाओ, कहो जो कहना चाहते हो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। माँगो जो माँगना चाहते हो, तुम्हारी दरख़्वास्त मंज़ूर की जाएगी। सिफ़ारिश कीजिए आप (ﷺ) की सिफ़ारिश क़ुबूल की जाएगी। उस वक़्त मैं अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत को बख़्श दीजिए। मेरी उम्मत के गुनाह मुआफ़ फ़र्मा दीजिए।

चुनाँचे मुझे कहा जाएगा, जाओ और जाकर हर उस शख़्स को जहन्नम से निकाल लो जिसके दिल में एक जौ के बराबर भी ईमान हो। चुनाँचे मैं जाऊँगा और ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल लूँगा, फिर वापस आऊँगा और उन्हीं कलिमात से, जो मुझे तलक़ीन किए गए थे, अल्लाह तआला की हम्दो–षना बयान करूँगा और सज्दे में गिर जाऊँगा। चुनाँचे फिर कहा जाएगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! सर उठाइए। बात कीजिए आपकी बात सुनी जाएगी। सवाल कीजिए, आपका सवाल पूरा किया जाएगा। सिफ़ारिश कीजिए आप (ﷺ) की सिफ़ारिश क़ुबूल की जाएगी। मैं फिर कहूँगा, ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत को बख़्श दीजिए। फिर कहा जाएगा, जाइए और जाकर उन सब लोगों को जहन्नम से निकाल लीजिए जिनके दिलों में एक ज़र्रे या राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। मैं फिर जाऊँगा और ऐसे तमाम लोगों को जहन्नम से निकाल लूँगा।

मैं फिर (तीसरी बार) लौटकर आऊँगा, मज़कूरा बाला कलिमात से अल्लाह तआल की हम्दो–षना करूँगा और उसके हुज़ूर सज्दा रेज़ हो जाऊँगा। फिर कहा जाएगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! सर उठाइये, बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। सवाल कीजिए आप (ﷺ) जो माँगेंगे दिया जाएगा। सिफ़ारिश कीजिए आप (ﷺ) की सिफ़ारिश क़ुबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दीजिए, मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा लीजिए। मुझसे कहा जाएगा, जाइये और जाकर उन सब लोगों को जहन्नम से निकाल लीजिए जिनके दिलों में राई के दाने से भी बेइंतिहा कम ईमान हो। चुनाँचे मैं फिर जाऊँगा और ऐसे तमाम लोगों को जहन्नम से निकाल लूँगा।

फिर मैं चौथी मर्तबा लौटकर आऊँगा और मज़कूरा बाला अल्फ़ाज़ में अल्लाह की हम्दो–षना बयान करूँगा और उसके हुज़ूर में सर–ब–सुजूद हो जाऊँगा। फिर कहा जाएगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! सर उठाइये! कहिए, आप (ﷺ) की बात सुनी जाएगी, माँगिये! आप (ﷺ) जो माँगेंगे दिया जाएगा, शफ़ाअत कीजिए! आप (ﷺ) की शफ़ाअत क़ुबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब! मुझे ऐसे तमाम लोगों को जहन्नम से निकालने की इजाज़त दे दीजिए जिन्होंने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़ुबान से कहा हो। जवाब में जनाब बारी तआला इर्शाद फ़र्माएगा,

मुझे अपने इ़ज़्ज़त व जलाल और अ़ज़्मत व किबरियाई की क़सम! मैं जहन्नम से हर उस शख़्स को निकाल लूँगा जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान से अदा किया होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तौहीद बाब 36)**

---

120. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में एक दिन कुछ गोश्त (बतौरे तोहफ़ा) आया उसमें से दस्त का कुछ हिस्सा आप (ﷺ) को पेश किया गया क्योंकि यह हिस्सा आपको मरग़ूब था। आप (ﷺ) ने उसमें से थोड़ा सा तनावुल फ़र्माया **फिर इर्शाद फ़र्माया, क़ियामत के दिन मैं सब इंसानों का सरदार होऊँगा, क्या तुम्हें मा'लूम है यह कैसे होगा?** रोज़े क़ियामत तमाम अगले–पिछले इंसान एक ही मैदान में इकट्ठा किए जाएँगे (यह मैदान ऐसा हमवार होगा कि) एक पुकारने वाले की आवाज़ सब सुन सकेंगे और सबको एक ही निगाह में देखा जा सकेगा, और सूरज बहुत क़रीब आ जाएगा, लोग ऐसे कर्ब व रंज़ में मुब्तला होंगे जो इंसानी ताक़त से बाहर और नाक़ाबिले बर्दाश्त (असहनीय) होगा चुनाँचे लोग आपस में एक–दूसरे से कहेंगे,. क्या तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि तुम किस मुसीबत में गिरफ़्तार हो? क्यों नहीं! कोई ऐसी हस्ती तलाश करें जो तुम्हारे रब के हुज़ूर तुम्हारी सिफ़ारिश करें? कुछ मश्वरा देंगे कि ह़ज़रत आदम (अ़लैहिस्सलाम) के पास जाना चाहिए। लोग ह़ज़रत आदम (अ़लैहिस्सलाम) के पास जाएँगे और उनसे अ़र्ज़ करेंगे, आप (अ़लैहिस्सलाम) सब इंसानों के बाप हैं, अल्लाह तआ़ला ने आप (अ़लैहिस्सलाम) को अपने हाथ से बनाया, आप (अ़लैहिस्सलाम) में अपनी (ओर से) रूह फूँकी और फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सज्दा किया, आप (अ़लैहिस्सलाम) अपने रब के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश फ़र्माइए, क्या आप देखते नहीं कि हम किस तक्लीफ़ व मुसीबत में मुब्तला हैं और हमारा हाल क्या हो गया है? ह़ज़रत आदम (अ़लैहिस्सलाम) जवाब देंगे, आज मेरा रब दर हक़ीक़त इस क़दर ग़ज़बनाक है कि न पहले कभी हुआ और न आइन्दा कभी होगा, दूसरे (मैं एक भूल का इर्तिकाब कर चुका हूँ) उसने मुझे एक मख़्सूस दरख़्त के क़रीब जाने से मना फ़र्माया था, लेकिन मुझसे हुक्मउदूली हो गई, इसलिये इस वक़्त मुझे तो ख़ुद अपने ज़ात की फ़िक्र है, काश! कोई बचाने वाला हो। काश! कोई बचा सके। तुम किसी दूसरे शख़्स के पास जाओ। तुम ह़ज़रत नूह (अ़लैहिस्सलाम) के पास जाओ।

चुनाँचे लोग ह़ज़रत नूह (अ़लैहिस्सलाम) के पास जाएँगे और दरख़्वास्त करेंगे, ऐ नूह (अ़लैहिस्सलाम)! आप रूए ज़मीन पर अल्लाह के पहले रसूल हैं और अल्लाह तआ़ला ने आपका लक़ब अ़ब्दुश्शकूर (शुक्रगुज़ार बन्दा) रखा है। आप (अ़लैहिस्सलाम) बारगाहे इलाही में हमारी शफ़ाअ़त कीजिए, आप देखते नहीं हम किस मुसीबत में गिरफ़्तार हैं? ह़ज़रत नूह (अ़लैहिस्सलाम) जवाब देंगे, रब्बे ज़ुलजलाल आज इस क़दर ग़ज़बनाक है कि न पहले कभी हुआ और न आइन्दा कभी होगा। (और मुझसे एक भूल हो चुकी है) मुझे एक बद्–दुआ़ का इख़्तियार दिया गया था और मैंने अपनी क़ौम को बद–दुआ़ दी थी (जिसकी वजह से) आज तो मुझे ख़ुद अपनी ज़ात और नजात का फ़िक्र लाहिक़ है। काश! मुझे कोई बचाने वाला हो। काश! मुझे कोई बचा सके। तुम किसी और के पास जाओ, तुम ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के पास जाओ।

चुनाँचे सब लोग ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के पास जाएँगे और अ़र्ज़ करेंगे, ऐ इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम)! आप अल्लाह के नबी और पूरे ज़मीन में अकेले ऐसे शख़्स हैं जिसे अल्लाह तआ़ला ने अपनी दोस्ती से नवाज़ा है, आप बारगाहे रब्बुल इ़ज़्ज़त में हमारी सिफ़ारिश कीजिए, आप देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में गिरफ़्तार हैं? ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) जवाब देंगे, आज रब्बे कायनात इस क़दर ग़ज़बनाक है कि न आज से पहले कभी हुआ था और न कभी होगा, और मैं तीन झूठ बोलने की भूल कर चुका हूँ, आज मुझे अपनी ज़ात और अपनी नजात की फ़िक्र है, काश! कोई मुझे बचाने वाला हो। काश! मुझे कोई बचा सके। तुम किसी दूसरे के पास जाओ। तुम ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के पास जाओ।

चुनाँचे सब लोग हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचेंगे और उनसे कहेंगे, ऐ मूसा (अलैहिस्सलाम)! आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तआला ने आपको न सिर्फ़ अपनी रिसालत से नवाज़ा बल्कि आप (अलैहिस्सलाम) को शर्फ़े हमकलामी अता फ़र्माकर सब इंसानों पर फ़ज़ीलत बख़्शी, आप रब्बे ज़ुलजलाल के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश कर दीजिए, आप देख रहे हैं हम किस मुसीबत में गिरफ़्तार हैं? हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) जवाब देंगे, आज मेरा रब इस क़दर ग़ज़बनाक है कि न आज से पहले कभी हुआ और न आइन्दा कभी होगा। और (मुझसे एक चूक हो चुकी है) मैं एक ऐसे शख़्स को क़त्ल कर चुका हूँ जिसे क़त्ल करने का मुझे हुक्म नहीं दिया गया था, आज तो मुझे ख़ुद अपनी ज़ात की नजात की फ़िक्र है, काश! कोई होता जो मुझे बचा सकता। काश! कोई मेरी मदद को पहुँच सकता। तुम लोग किसी और के पास जाओ। तुम सब हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के पास जाओ।

लिहाज़ा सब लोग हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के पास आएँगे और उनसे कहेंगे, ऐ ईसा (अलैहिस्सलाम)! आप अल्लाह के रसूल हैं, आप कलिमतुल्लाह हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने हज़रत मरयम (अलैहिस्सलाम) की तरफ़ भेजा था और आप रूहुल्लाह हैं और आपने बहालते शीरख़्वारगी गहवारे (दूध पीने की उम्र) में लोगों से गुफ़्तगू की थी, आप (अलैहिस्सलाम) हमारी शफ़ाअत कीजिए, क्या आप देखते नहीं कि आज हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं? हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) जवाब देंगे, आज रब्बे ज़ुलजलाल इस क़दर ग़ज़बनाक है कि न पहले कभी हुआ और न फिर कभी होगा, हज़रत ईसा ने अपनी किसी ख़ता का ज़िक्र नहीं किया (सिर्फ़ यही कहा) कि आज तो मुझे ख़ुद अपनी ज़ात का फ़िक्र लाहिक़ है, काश! कोई मुझे बचा सके। काश! कोई मुझे बचाने वाला हो। तुम लोग किसी और के पास जाओ, तुम हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ। चुनाँचे सब लोग आँहज़रत (ﷺ) के पास हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे, या मुहम्मद (ﷺ)! आप अल्लाह के आख़री रसूल हैं, अल्लाह तआला ने आपकी अगली-पिछली सब लग़ज़िशें मुआफ़ फ़र्मा दी हैं, आप (ﷺ) देख रहे हैं, हम किस मुसीबत में गिरफ़्तार हैं? आप रब्बे ज़ुलजलाल के हुज़ूर हमारी शफ़ाअत फ़र्माइए।

लिहाज़ा मैं (शफ़ाअत के लिये) रवाना होऊँगा और जाकर अर्श के नीचे सज्दा-रेज़ हो जाऊँगा, उस वक़्त अल्लाह तआला अपनी हम्दो-सना के कुछ ऐसे अंदाज और तरीक़े मुझ पर मुंकशिफ़ फ़र्माएगा जो उससे पहले किसी को नहीं सिखाए गए, इसके बाद कहा जाएगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! सर उठाइये और माँगिये आप (ﷺ) जो माँगेंगे दिया जाएगा, शफ़ाअत कीजिए आपकी शफ़ाअत क़ुबूल की जाएगी। लिहाज़ा मैं सर उठाऊँगा और अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत की ख़ताएँ बख़्श दीजिए, मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा लीजिए। लिहाज़ा मुझसे कहा जाएगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! जाइये अपनी उम्मत के ऐसे तमाम अफ़राद को जो हिसाबो-किताब से अलग हैं, दाँए दरवाज़े से जन्नत में दाख़िल कर लीजिए, मज़ीद बराँ उन लोगों को दूसरे दरवाज़े से आने-जाने की इजाज़त भी होगी। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है, दरवाज़-ए-जन्नत के हर किवाड़ों के दरम्यान इतना फ़ासला होगा जितना मक्का और हिम्यर के बीच या जितना मक्का और बसरा के बीच है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर 17 सूरतुल इस्रा बाब 5)

बाब 83 : नबी (ﷺ) का अपनी शफ़ाअत की दुआ को अपनी उम्मत के ख़ातिर रोज़े क़ियामत के लिये महफ़ूज़ रखना :

121. हदीस अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नबी की एक (मक़्बूल) दुआ होती है इसलिये मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अपनी दुआ को क़ियामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिये महफ़ूज़ रखूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तौहीद बाब 32)**

---

122. हदीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नबी ने एक सवाल मांगा या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नबी को एक दुआ का इख़्तियार दिया गया है जो हर एक ने माँग ली और कुबूल हो गई लेकिन मैंने अपनी दुआ क़ियामत के दिन उम्मत की शफ़ाअत के लिये महफ़ूज़ कर ली है।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुद् दअवात बाब 1)

नोट : ऊपर बयान की गई इन तमाम अहादीष़ से स़ाफ़ ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला के नज़दीक नबी–ए–करीम ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) का दर्जा, दूसरे तमाम अंबिया (अलैहिमुस्सलाम) से अफ़ज़ल है। आप (ﷺ) को क़ियामत के दिन शफ़ाअत का हक़ दिया गया है जो किसी दूसरे नबी को नहीं दिया गया। हर नबी को अपनी ज़िन्दगी में एक मख़्सूस़ दुआ माँगने का हक़ मिला और हर नबी ने दुनिया में वो दुआ माँग ली; लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने अपनी ख़ास़ दुआ को क़ियामत के दिन के लिये बचाकर रखा। यहाँ यह बात याद रखने लायक़ है कि रोज़े–क़ियामत आप (ﷺ) की शफ़ाअत के ज़रिये जन्नत में जाना उन्हीं लोगों को नस़ीब होगा जिनको ईमान की हालत में मौत आई होगी। मुश्रिकों के लिये अल्लाह के रसूल (ﷺ) शफ़ाअत की दुआ नहीं करेंगे। मुलाहिज़ा हो कि जब आप (ﷺ) के चाचा अबू तालिब की मौत का वक़्त क़रीब था, तब आप (ﷺ) ने उन्हें बार–बार कलिम–ए–तय्यिबा पढ़ने का इसरार किया था और कहा था कि इसी कलिमे के ज़रिये मैं आपके हक़ में सिफ़ारिश कर सकूँगा। लेकिन अबू तालिब ने कलिम–ए–तय्यिबा का इक़रार नहीं किया तो उनके लिये जहन्नम लाज़िम हो गई।

बाब 87 : अल्लाह तआला का इर्शाद है, 'और अपने क़रीबतरीन रिश्तेदारों को डराओ'

123. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब अल्लाह तआला ने आयते करीमा, **'अपने क़रीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ।'** (सूरह शुअ़रा : 214) नाज़िल फ़र्माई तो नबी करीम (ﷺ) ने खड़े होकर (ख़ुत्बा दिया) और फ़र्माया, ऐ गिरोहे क़ुरैश! (या इसी तरह के कुछ और अल्फ़ाज़ फ़र्माए) अपनी जानों को (जहन्नम से) बचा लो, मैं तुमको अ़ज़ाबे इलाही से ज़रा भी न बचा सकूँगा। ऐ बनी अ़ब्दे मुनाफ़! मैं तुमको अल्लाह की गिरफ़्त से ज़रा भी न बचा सकूँगा। ऐ अ़ब्बास (रज़ि.) बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब! मैं आपको अल्लाह की गिरफ़्त से न बचा सकूँगा। ऐ स़फ़िया (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की फूफी! मैं आपको भी अल्लाह की गिरफ़्त से ज़रा भी न बचा सकूँगा। और ऐ फ़ातिमा (रज़ि.) मेरी बेटी! तुम मुझसे मेरे माल में से जो चाहे ले लो, मगर मैं अल्लाह तआला की गिरफ़्त से तुम्हें ज़रा भी न बचा सकूँगा। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल वस़ाया बाब 11)**

---

124. हदीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब वो आयत नाज़िल हुई जिसका मफ़हूम यह है, 'अपने क़रीबी रिश्तेदारों और अपने क़बीले के मुंतख़ब या'नी ख़ास़–ख़ास़ लोगों को डराओ।' तो रसूले करीम (ﷺ) घर से बाहर तशरीफ़ लाए और कोहे स़फ़ा पर चढ़कर आप (ﷺ) ने बलन्द आवाज़ से पुकारा, या स़बाह (ख़बरदार! होशियार!) यह आवाज़ सुनकर लोग हैरान हुए कि कौन शख़्स़ है जो ख़बरदार कर रहा है और आप (ﷺ) के गिर्द जमा होने लगे। जब लोग आ गए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे बताओ कि अगर मैं तुमको इत्तिला दूँ कि सवारों का दस्ता इस पहाड़ के दामन की ओट से निकलने (और तुम पर हमलावर होने) वाला है, तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? सबने जवाब दिया, हमने कभी आपकी कोई बात झूठी नहीं पाई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो मैं तुम्हें मुस्तक़बिल के यक़ीनी और सख़्ततरीन अ़ज़ाब से आगाह करता हूँ। अबू लहब कहने लगा, ख़राबी और हलाकत हो आप के लिये (अल अ़ियाज़ बिल्लाह) क्या महज़ इसी बात के लिये आपने हम सबको बुलाया और जमा किया था? यह कहने के बाद वो उठकर चला गया। उसी के बारे में सूरह लहब **(तब्बत यदा अबी लहबिंव् व तब्ब)** नाज़िल हुई।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर बाब)

बाब 88 : नबी (ﷺ) का अबू तालिब की शफ़ाअत फ़र्माना और आप (ﷺ) की शफ़ाअत से अबू तालिब के अज़ाब में तख़्फ़ीफ़ (कमी) होना

125. हदीष अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) : हज़रत अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)!, क्या आप (ﷺ) ने अपने चचा अबू तालिब को कुछ नफ़ा पहुँचाया? क्योंकि वो आप (ﷺ) की हिमायत व हिफ़ाज़त किया करते थे और आप (ﷺ) की ख़ातिर मुख़ालिफ़ों पर गुस्से हुआ करते थे, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो टख़नों तक आग में होंगे और अगर मैं उनकी शफ़ाअत न करता तो वो जहन्नम के निचले हिस्से में होते। **(सहीह बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्सार बाब 40)**

---

126. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) के सामने आपके चचा अबू तालिब का ज़िक्र हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उम्मीद है क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत उन्हें कुछ फ़ायदा पहुँचाए और वो जहन्नम के ऊपर के हिस्से में रखे जाएँ जहाँ आग उनके टख़नों तक पहुँचेगी, जिसके अषर से उनका दिमाग़ खोलने लगेगा।' **(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार 40 बाब)**

बाब 89 : जहन्नमियों में सबसे कम अज़ाब वाला

127. हदीष नो'मान बिन बशीर (रज़ि.) : हज़रत नो'मान (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) को कहते हुए सुना है कि क़ियामत के दिन सबसे हल्के अज़ाब वाला शख़्स वो होगा जिसके तलवों के नीचे आग का अंगारा रख दिया जाएगा और उसके अषर से उसका दिमाग़ खोल रहा होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)**

बाब 91 : मो'मिनों को मो'मिनों से दोस्ती रखनी चाहिए और ग़ैरों से क़तअ तअल्लुक़ और बेज़ारी का ऐलान करना चाहिए

128. हदीष अम्र बिन आस (रज़ि.) : हज़रत अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) को ख़ुफ़िया तरीक़े से नहीं बल्कि अलल् ऐलान फ़र्माते हुए सुना है कि अबू फ़लाँ की औलाद मेरे दोस्त नहीं हैं, बेशक मेरा दोस्त तो अल्लाह तआला और मो'मिनों में से वो लोग हैं जो नेक हैं लेकिन उनसे (आले 'अबू फ़लाँ' से) मेरी रिश्तेदारी है इसलिये मैं उनके साथ हस्बे ज़रूरत हुस्ने सुलूक करता हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 14)**

बाब 92 : इस बात का षुबूत कि मुसलमानों में से कुछ गिरोह बग़ैर हिसाब–किताब के जन्नत में दाख़िल होंगे और अज़ाब से भी महफ़ूज़ रहेंगे

129. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि, मेरी उम्मत में से 70000 अफ़राद पर मुश्तमिल एक जमाअत जब जन्नत में दाख़िल होगी तो उनके चेहरे चौदहवीं के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) का यह बयान सुनकर हज़रत उक्काशा बिन मुहस्सिन असदी (रज़ि.) अपनी चादर समेटते हुए उठे और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला मुझे भी उनमें शामिल करे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह!

ऊ़क्काशा (रज़ि.) को उनमें शामिल फ़र्मा ले। इसके बाद अन्सार में से एक और शख़्स खड़ा हुआ और उसने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे लिये भी दुआ़ कीजिए, अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल फ़र्माए। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, दुआ़ के सिलसिले में ऊ़क्काशा (रज़ि.) तुम पर सबक़त ले गया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 50)**

---

130. ह़दीष सहल बिन सअ़द (रज़ि.) : सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में से 70000 या सात लाख (रावी को ठीक याद नहीं कि आप ﷺ ने तादाद क्या बताई थी) जन्नत में एक–दूसरे का हाथ पकड़े इस तरह दाख़िल होंगे कि जब तक उनमें का आख़िरी शख़्स जन्नत में दाख़िल न हो लेगा उस वक़्त तक पहला भी अंदर न जाएगा। उनके चेहरे चौदहवीं के चाँद की तरह रोशन होंगे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)

---

131. ह़दीष इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन सहाबा किराम के पास तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मेरे सामने उम्मतें पेश की गईं फिर जब अंबिया मेरे सामने से गुज़रने लगे तो उनमें से किसी नबी के साथ सिर्फ़ एक शख़्स था और किसी के साथ दो शख़्स और किसी नबी के साथ एक मुख़्तसर (छोटा सा) गिरोह था, उनमें से ऐसे नबी भी थे जिनके साथ एक भी शख़्स न था। फिर मैं ने एक जम्मे–ग़फ़ीर (बड़े झुण्ड) को देखा जो पूरे उफ़क़ पर फैला हुआ था मुझे उम्मीद हुई कि यह मेरी उम्मत होगी लेकिन कहा गया, यह ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और उनकी उम्मत है। फिर मुझसे कहा गया, देखिये! मैंने निगाह उठाई तो मुझे एक बहुत बड़ा हुजूम नज़र आया जो निगाह की हद तक पूरे उफ़क़ पर छाया हुआ था और मुझसे कहा गया कि, इधर और उधर (दाँए और बाँए) देखिए! लिहाज़ा मैंने (हर तरफ़) देखा तो (उन अतराफ़ में भी यही हाल था) पूरा उफ़क़ उनके पीछे छुप गया था। मुझे बताया गया कि यह आप (ﷺ) की उम्मत है और इनमें से 70000 ऐसे हैं जो बिला हिसाब जन्नत में दाख़िल होंगे। (इस बातचीत के बाद) लोग मुन्तशिर हो गए और उन पर सूरतेहाल वाजेह न हो सकी। लिहाज़ा सहाबा किराम (रज़ि.) आपस में मुख़्तलिफ़ बातें करते रहे, किसी ने कहा कि हम तो शिर्क की हालत में पैदा हुए थे अगरचे बाद में हम अल्लाह और रसूल (ﷺ) पर ईमान ले आए लेकिन यह लोग (बिला हिसाब जन्नत में दाख़िल होने वाले) हमारी औलाद होंगे। इन बातों की इत्तिला जब नबी करीम (ﷺ) को पहुँची तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह वो लोग हैं जो न तो शगुने–बद लेते हैं और न (टोने–टोटके के तरीक़े पर) दाग़ वग़ैरह से इलाज करवाते हैं, सिर्फ़ अपने रब पर भरोसा रखते हैं। यह बात सुनकर ह़ज़रत ऊ़क्काशा बिन मुहस़िन (रज़ि.) उठे और पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं भी उनमें से हूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तुम इनमें से होगे। फिर एक और शख़्स उठे और पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं भी उनमें से हूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऊ़क्काशा (रज़ि.) तुम पर सबक़त ले गए। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत् तिब्ब बाब 42)**

---

132. ह़दीष अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि (एक मौक़े पर) हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक ख़ैमे में थे (उसी हालत में) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम लोग इस बात पर ख़ुश हो कि तुम अहले जन्नत के चौथाई होगे? हमने अ़र्ज़ किया, हाँ! आप (ﷺ) ने मज़ीद फ़र्माया, क्या तुम लोग इस पर ख़ुश हो कि तुम जन्नत वालों का एक तिहाई होओगे? हमने अ़र्ज़ किया, हाँ! आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, क्या तुम लोग जन्नत का आधा हिस्सा होओगे? हमने अ़र्ज़ किया, 'हाँ!' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम है उस ज़ात की कि जिसके क़ब्ज़–ए–क़ुदरत में मेरी जान है! मैं उम्मीद (आशा) करता हूँ कि तुम अहले जन्नत के आधे होओगे क्योंकि जन्नत में सिर्फ़ वो शख़्स दाख़िल होगा जिसने अपने नफ़्स को मुसलमान बना लिया और अहले शिर्क के

मुक़ाबले में तुम्हारी मिषाल ऐसी है जैसे काले बैल की ख़ाल में कोई एक सफ़ेद बाल हो या लाल बैल की ख़ाल पर एक आधा काला बाल हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 45)**

बाब 94 : रोज़े क़ियामत अल्लाह तआला हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) से कहेगा, हर 1000 अफ़राद में से 999 जहन्नम में भेजे जाने के लिये अलग कर लो

133. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (कयामत के दिन) अल्लाह तआला हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) से फ़र्माएगा, ऐ आदम! हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) अर्ज़ करेंगे, मैं हाज़िर हूँ! इताअत गुज़ार हूँ!! हर भलाई तेरे हाथ में है!!! अल्लाह तआला फ़र्माएगा, जहन्नम में भेजने के लिये लोगों को अलग कर लो। हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) पूछेंगे, जहन्नम में भेजे जाने वाले किस क़दर हैं? अल्लाह तआला फ़र्माएगा, हर 1000 में से 999! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यही वो वक़्त होगा जब बच्चा बूढ़ा हो जाएगा और हामिला औरतों के हमल गिर जाएँगे और लोगों की हालत ऐसी होगी गोया वो नशे में हैं हालाँकि नशे में न होंगे बल्कि यह कैफ़ियत अल्लाह के सख़्त अज़ाब के अषर से होगी।

यह इर्शाद सुनकर सहाबा सख़्त परेशान हो गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस 1000 में से एक जो जन्नत में जाएगा हममें से कौन–कौन होगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम ख़ुश हो जाओ कि जहन्नम में जाने वालों में 1000 याजूज–माजूज होंगे और एक तुम में से होगा। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़–ए–क़ुदरत में मेरी जान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अहले जन्नत का एक तिहाई होओगे। रावी कहते हैं, यह सुनकर हमने अल्लाह की हम्दो–षना की और अल्लाहु अकबर कहा। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़–ए–क़ुदरत में मेरी जान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अहले जन्नत का आधा होओगे, दूसरी उम्मतों के मुक़ाबले में तुम्हारी मिषाल ऐसी है जैसे काले बैल की ख़ाल में एक सफ़ेद बाल, या गधे के बाज़ू में सफ़ेद दाग़। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 46)**

किताबुत् तहारत

बाब 2 : नमाज़ के लिये तहारत वाजिब है

134. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम में से किसी का वुज़ू टूट जाता है तो अल्लाह तआला उसकी नमाज़ उस वक़्त तक क़ुबूल नहीं फ़र्माता जब तक कि वो (दोबारा) वुज़ू न कर ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हियल बाब 2)**

बाब 3 : वुज़ू करने का तरीक़ा और मुकम्मल वुज़ू करने की कैफ़ियत

135. हदीष उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) : (रावी बयान करते हैं), हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने पानी का बर्तन मँगवाया (और हमें वुज़ू करके दिखाया) पहले आपने अपने दोनों (हाथों के) पहुँचों पर तीन बार पानी डाला और उन्हें धोया, फिर अपना दायां हाथ बर्तन में डालकर (चुल्लू में पानी लिया और) कुल्ली की और नाक में पानी डाला फिर तीन मर्तबा अपना मुँह धोया और तीन ही मर्तबा अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक धोया, फिर सर का मसह किया फिर आपने अपने दोनों पाँव तीन बार टख़नों तक धोए और फ़र्माया कि रसूले अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि जिस शख़्स ने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया और फिर दो रकअतें इस तरह अदा कीं कि उसका दिल किसी और ख़याल में मशग़ूल न हुआ (पूरे ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ से मेरी तरफ़ ध्यान रखा) उसके अगले-पिछले सब गुनाह मुआफ़ हो गए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 24)**

बाब 7 : नबी अकरम (ﷺ) के वुज़ू का बयान

136. हदीष अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा गया कि रसूले अकरम (ﷺ) किस तरह वुज़ू किया करते थे? तो उन्होंने पानी का एक बर्तन मँगवाया और पूछने वालों को आँहज़रत (ﷺ) का वुज़ू करके दिखाया। सबसे पहले उन्होंने बर्तन झुकाकर अपने हाथ पर पानी उण्डेला और दोनों हाथ तीन बार धोए, फिर बर्तन में हाथ डालकर तीन चुल्लू पानी से तीन बार कुल्ली की फिर तीन बार नाक में पानी डालकर नाक साफ़ की, फिर बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया और तीन बार चेहरे को धोया फिर दो-दो मर्तबा अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक धोया फिर बर्तन में हाथ डाला और सर का मसह इस तरह किया कि पहले अपने दोनों हाथों को सर के अगले हिस्से से सर के पिछले हिस्से की तरफ़ ले गए और फिर पीछे से सामने की तरफ़ लाए। यह अमल एक मर्तबा किया। फिर आपने अपने दोनों पाँव टख़नों तक धोये। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 39)**

बाब 8 : नाक में पानी डालने की ता'दाद का और इस्तिंजा के ढेलों की ता'दाद का त़ाक़ (विषम) होना अफ़ज़ल है

137. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स़ वुज़ू करे उसे चाहिए कि नाक में पानी डालकर नाक स़ाफ़ करे और जो मिट्टी के ढेलों से इस्तिंजा करे उसे चाहिए कि ढेलों की ता'दाद त़ाक़ रखे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 25)**

---

138. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स़ सोकर उठे उसके लिये ज़रूरी है कि तीन मर्तबा नाक सिनके (स़ाफ़ करे) इसलिये कि शैतान सोने वाले की नाक के बांसे पर रात बसर करता है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 11)**

बाब 9 : (वुज़ू में) पूरा पाँव धोना ज़रूरी है

139. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक बार हम नबी अकरम (ﷺ) के साथ स़फ़र कर रहे थे, स़फ़र के दौरान आप (ﷺ) हमसे पीछे रह गए लेकिन कुछ देर बाद आप (ﷺ) हमसे आ मिले। जिस वक़्त आँह़ज़रत (ﷺ) तशरीफ़ लाए, नमाज़ का वक़्त तंग हो चुका था और हम (आप ﷺ का इंतिज़ार करके) वुज़ू कर रहे थे और जल्दी के ख़याल से पाँव धोने की बजाए उनको हाथ से मसह करके तर कर रहे थे (यह देखकर) नबी करीम (ﷺ) ने बुलन्द आवाज़ में दो या तीन मर्तबा कहा (ख़ुश्क रह जाने वाली) ऐड़ियों के लिये जहन्नम की आग से तबाही है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इ़ल्म बाब 3)**

---

140. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) गुज़र रहे थे (उन्होंने देखा कि) लोग लोटे से वुज़ू कर रहे हैं तो उन्होंने फ़र्माया, 'भरपूर तरीक़े से वुज़ू करो।' क्योंकि मैंने जनाब अबुल क़ासिम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, ऐड़ियों के लिये जहन्नम की आग से तबाही है (या'नी अगर वुज़ू करते वक़्त सूखी रह जाएँ)।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 29)

बाब 12 : चेहरे को इस क़दर धोना कि सर के सामने का हिस़्सा भी धुल जाए और इसी तरह हाथों और पाँव को कोहनियों और टख़नों से ऊपर तक फैलाकर धोना मुस्तहब है

141. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, मेरी उम्मत के लोगों को जब क़ियामत के दिन बुलाया जाएगा तो वो इस हाल में आएँगे कि उनके चेहरे हाथ और पाँव वुज़ू के अष़रात की वजह से सफ़ेद बुर्राक़ होंगे (या'नी पंज कलियान होंगे, चेहरे दोनों हाथ व पाँव नूरानी होंगे) इसलिये तुम में से जो शख़्स़ वुज़ू के वक़्त अपने चेहरे को ज़्यादा फैलाकर धो सके और अपने नूर को बढ़ा सके वो ऐसा ज़रूर करे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 3)**

बाब 15 : मिस्वाक करने का बयान

142. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मैं अपनी उम्मत के लिये (या आप ﷺ ने यूँ फ़र्माया) लोगों के लिये बाइषे मशक़्क़त ख़याल न करता तो उन्हें हुक्म देता कि हर नमाज़ के लिये मिस्वाक किया करें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुम्आ बाब 8)**

---

143. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते है कि मैं नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) के हाथ में मिस्वाक थी जिससे आप (ﷺ) दाँत साफ़ कर रहे थे और उसे मुँह में डालकर अअ अअ की आवाज़ निकाल रहे थे जैसे उल्टी करते वक़्त आती है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 73)**

---

144. हदीष हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) जब रात के वक़्त की नमाज़ (तहज्जुद) के लिये उठते तो मिस्वाक से अपने दाँतों को ख़ूब मल–मलकर और ख़ुरचकर साफ़ किया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वूज़ू बाब 73)**

बाब 16 : तबई और फ़ित्री ख़सलतें (स्वाभाविक आदतें)

145. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़ित्री बातें पाँच हैं, या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच बातें ऐसी है जिनका तअल्लुक़ फ़ित्रत से है (1) ख़त्ना करना (2) मू–ए–ज़िहार (ज़ेरे नाफ़ का बाल) मूँडना (3) बग़ल के बाल उख़ाड़ना (4) नाख़ून तराशना (5) मूँछे कतरवाना। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 63)**

---

146. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अपनी वजअ क़तअ मुश्रिकों से मुख़्तलिफ़ रखो! दाढ़ी बढ़ाओ और मूँछें कतरवाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 64)**

---

147. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं किरसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मूँछों को कतरवाओ और दाढ़ियाँ बढ़ाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 65)**

बाब 17 : बैतुल् ख़ला जाने के आदाब

148. हदीष अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम क़ज़ा–ए–हाजत के लिये जाओ क़िब्ले की तरफ़ न मुँह करो न पीठ, बल्कि अपना रुख़ मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ रखा करो। हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं कि बाद में जब हम शाम गए तो वहाँ क़दमचे (बोल व बराज़ के लिये नशिस्तगाहें) क़िब्ले–रूख़ बने हुए थे लिहाज़ा हम (ब–हालते मजबूरी) उन पर ही बैठते थे और मुँह मोड़ लेते थे और अल्लाह तआला से मुआफ़ी माँग लेते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 29)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने कहा है कि ये हुक्म अहले मदीना के लिये है और उन लोगों के लिये है जिनका क़िब्ला मश्रिक़ व मग़्रिब (पूरब व पश्चिम) में न हो बल्कि उत्तर या दक्षिण में हो। हिन्दुस्तानियों के लिये क़िब्ला पश्चिम की ओर है, इसलिये हमारे लिये पूरब व पश्चिम की ओर मुँह या पीठ करके पैशाब–पाखाना करना जाइज़ नहीं है।

---

149. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहा करते थे कि बाज़ लोग कहते हैं, जब क़ज़ा–ए–हाजत के लिये बैठो तो क़िब्ले और बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ न मुँह करो न पीठ। लेकिन मैं एक दिन अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने ख़ुद देखा था कि नबी अकरम (ﷺ) दो ईंटों (की खड्डी) पर बैठकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ रुख़ किए क़ज़ा–ए–हाजत फ़र्मा रहे थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 12)**

---

150. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने किसी काम से (अपनी बहन) उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत ह़फ़्स़ा (रज़ि.) के घर की छत पर चढ़ा तो वहाँ से देखा कि नबी अकरम (ﷺ) क़िब्ले की तरफ़ पीठ और शाम की तरफ़ मुँह करके क़ज़ाए हाजत फ़र्मा रहे हैं।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 14)

बाब 18 : दाँए हाथ से इस्तिंजा करने की मुमानअ़त

151. ह़दीष़े अबू क़तादा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स़ पानी पी रहा हो तो उसे चाहिए कि बर्तन के अंदर सांस न छोड़े और क़ज़ा–ए–हाजत के वक़्त (बैतुल ख़ला में) न तो दाँए हाथ से अ़ज़्वे–तनासुल को छुए और न दाँए हाथ से इस्तिंजा करे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 18)

बाब 19 : त़हारत करते वक़्त और दूसरे कामों में भी दाँए हाथ से और दाँए तरफ़ से शुरू करने का बयान

152. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, नबी अकरम (ﷺ) अपना हर काम दाँए हाथ और दाहिनी तरफ़ से करना पसंद फ़र्माते थे यहाँ तक कि जूता पहनना, कँघी करना और त़हारत करना भी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 31)**

बाब 21 : पैशाब और पाख़ाना से फ़ारिग़ होकर पानी से इस्तिंजा करने का बयान

153. ह़दीष़े अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूले अकरम (ﷺ) क़ज़ा–ए–हाजत के लिये तशरीफ़ ले जाते थे तो मैं और एक लड़का पानी का डोल और एक बर्छी उठाकर साथ हो लेते थे और आप पानी से इस्तिंजा फ़र्माया करते थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 17)**

---

154. ह़दीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी अकरम (ﷺ) क़ज़ा–ए–हाजत के लिये खुले मैदान में (लोगों की नज़रों से दूर) तशरीफ़ ले जाया करते थे तो मैं आप (ﷺ) के पास

पानी लाया करता था, जिससे आप (ﷺ) इस्तिंजा फ़र्माया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 56)**

बाब 22 : मोज़ो पर मसह करने का बयान

155. हदीष जुरैर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जुरैर (रज़ि.) ने पैशाब किया और फिर वुज़ू किया और वुज़ू में मोज़ों पर मसह किया फिर आप उठे और नमाज़ अदा की, लिहाज़ा आपसे इस तर्जे अमल (मोज़ो पर मसह) के बारे में पूछा गया तो आपने फ़र्माया, 'मैंने नबी अकरम (ﷺ) को इसी तरह करते हुए देखा है।'

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 25)

---

156. हदीष हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक बार मैं नबी अकरम (ﷺ) के साथ चला जा रहा था कि आप (ﷺ) एक क़बीले के घूरे (कचरा फेंकने की जगह) के क़रीब एक दीवार की ओट में तशरीफ़ ले गए और जैसे सब खड़े होते हैं उसी तरह खड़े होकर आप (ﷺ) ने पैशाब किया उस वक़्त मैं आप (ﷺ) से दूर हटकर खड़ा हो गया, लेकिन आप (ﷺ) ने मुझे इशारे से क़रीब बुलाया और मैं आकर आप (ﷺ) की ऐड़ियों के क़रीब (पसे पुश्त) खड़ा रहा यहाँ तक कि आप (ﷺ) पैशाब से फ़ारिग़ हो गए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 61)**

नोट : खड़े होकर पैशाब करने के सिलसिले में अहादीष में इख़्तिलाफ़ है। हज़रत आइशा (राज़.) से मरवी एक रिवायत के मुताबिक़ खड़े होकर पैशाब करना मम्नूअ क़रार दिया गया है। लेकिन उलमा ने दोनों हदीषों में तौफ़ीक़ व तत्बीक़ इस तरह की है कि अगर ज़मीन पथरीली हो और छींटे उड़ने का डर हो; या ऐसी जगह (मषलन कूड़े का घूरा, डम्पिंग यार्ड) हो जहाँ बैठकर पैशाब करने से कपड़े गन्दे होने का अन्देशा हो तो खड़े होकर पैशाब करना जाइज़ है। इसी तरह अगर किसी को ऐसी बीमारी लाहिक़ हो कि बैठने में तकलीफ़ होती हो तो भी खड़े होकर पैशाब करना जाइज़ है। बिना किसी जाइज़ उज्र के खड़े होकर पैशाब करना मकरूह है और इससे बचना चाहिये।

---

157. हदीष मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) : हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिये तशरीफ़ ले गए और मैं आप (ﷺ) के पीछे-पीछे पानी का एक डोल लेकर गया। लिहाज़ा जब आप (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग़ हो गए तो मैंने (आप ﷺ के हाथों पर) पानी डाला और आप (ﷺ) ने वुज़ू फ़र्माया और मोज़ों पर मसह किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 48)**

---

158. हदीष मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) : हज़रत मुग़ीरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र में नबी अकरम (ﷺ) के साथ था, आप (ﷺ) ने हुक्म दिया, ऐ मुग़ीरा! पानी का डोल उठा लो! मैंने डोल उठा लिया और आप (ﷺ) तशरीफ़ ले गए यहाँ तक कि मेरी निगाह से ओझल हो गए और आप (ﷺ) ने क़ज़ा-ए-हाजत फ़र्माई उस वक़्त आप (ﷺ) शामी जुब्बा पहने हुए थे इसलिये (वुज़ू के वक़्त) जब आप (ﷺ) ने उस जुब्बे की आस्तीन में से अपना दस्ते मुबारक निकालना चाहा तो आस्तीन तंग थी (हाथ आस्तीन में से निकाल न सका) लिहाज़ा आप (ﷺ) ने (आस्तीन की बजाए) जुब्बे की निचली तरफ़ से हाथ बाहर निकाला और मैंने आप (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर पानी डाला और आप (ﷺ) ने नमाज़ के लिये वुज़ू किया, वुज़ू करते वक़्त आप (ﷺ) ने मोज़ों पर मसह किया फिर आप (ﷺ) ने नमाज़ अदा की। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 7)**

---

159. हदीष मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) : हज़रत मुग़ीरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक सफ़र के दौरान रात के वक़्त मैं रसूले अकरम (ﷺ) के साथ था कि आप (ﷺ) ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने कहा, हाँ है। लिहाज़ा आप (ﷺ) अपनी सवारी से नीचे उतरे और (एक तरफ़) रवाना हो गए यहाँ तक कि रात की तारीकी में मेरी नज़रों से ओझल हो गए। फिर आप (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाए और मैंने डोल से पानी डालना शुरू किया और आप (ﷺ) ने अपना चेहरा और दस्ते मुबारक तो धो लिये लेकिन चूँकि उस वक़्त आप (ﷺ) ऊनी चोग़ा ज़ैबतन किए हुए थे (और उसकी आस्तीनें तंग थीं) इसलिये जब आप (ﷺ) ने उसमें से अपने बाज़ू को निकालना चाहा तो न निकाल सके और आप (ﷺ) ने चोग़े के नीचे से बाज़ू को निकालकर उसे धोया फिर सर का मसह फ़र्माया। फिर मैं झुका ताकि आप (ﷺ) के मौज़े उतारूँ, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, रहने दो! मैंने मौज़े पाँव धोकर पहने थे। फिर आप (ﷺ) ने मौज़ों पर मसह फ़र्माया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 11)**

बाब 27 : जिस बर्तन में से कुत्ता पानी पी ले उसके बारे में हुक्म

160. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अगर किसी बर्तन में कुत्ता पानी पी ले तो उस बर्तन को सात मर्तबा धोना ज़रूरी है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 33)**

बाब 28 : ठहरे हुए पानी में पैशाब करना मना है

161. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, हर शख़्स को यह एहतियात करना ज़रूरी है कि ठहरे हुए पानी में (जो साकिन हो बह न रहा हो) न तो पैशाब करे और न पैशाब करने के बाद उसमें गुस्ल करे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 68)**

बाब 30 : मस्जिद अगर पैशाब या किसी और नजासत से गंदी हो जाए तो उसको धोना वाजिब है और ज़मीन धोने से पाक हो जाती है उसे खोदने की ज़रूरत नहीं

162. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक देहातीने मस्जिद में पैशाब कर दिया तो लोग उसे रोकने के लिये उठे यह देखकर नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, उसका पैशाब मत रोको! फिर जब वो पैशाब कर चुका तो आप (ﷺ) ने एक पानी का डोल मँगवाया और उस जगह पर (जहाँ उसने पैशाब किया था) बहा दिया गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 35)**

बाब 31 : दूध पीते बच्चे की नजासत का हुक्म और उसको धोने का तरीक़ा

163. हदीष आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी अकरम (ﷺ) के पास लोग बच्चों को लाते थे और आप (ﷺ) उनके लिये दुआ फ़र्माया करते थे एक मर्तबा एक बच्चा आप (ﷺ) की ख़िदमत में लाया गया और उसने आप (ﷺ) के कपड़ों पर पैशाब कर दिया तो आप (ﷺ) ने पानी मँगवाकर उस पर छिड़क दिया और कपड़ों को धोया नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुद दअवात बाब 3)**

नोट : जुम्हूर उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर दूध पीता बच्चा लड़का है तो कपड़े पर पानी छिड़क देना काफ़ी है और लड़की है तो कपड़े को धोना ज़रूरी होगा। अगर बच्चा अनाज खाने लगे तो उसके पैशाब कर देने के बाद कपड़े को धोना ज़रूरी होगा, चाहे लड़का हो या लड़की।

---

164. हदीष उम्मे क़ैस बिन्ते मुहसिन (रज़ि.) : हज़रत उम्मे क़ैस (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) के पास एक ऐसे छोटे बच्चे को लेकर हाज़िर हुई जिसने अभी ठोस ग़िज़ा खाना शुरू न किया था, उसे आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी गोद में बिठा लिया और उसने आप (ﷺ) के कपड़ों पर पैशाब कर दिया तो आप (ﷺ) ने पानी मँगवाकर उस जगह पर (जहाँ बच्चे ने पैशाब किया था) छिड़क दिया और कपड़ों को धोया नहीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 59)

बाब 32 : मनी को कपड़े से धोने और खुरचने का बयान

165. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा गया कि अगर कपड़े पर मनी लग जाए तो क्या करना चाहिए? उन्होंने फ़र्माया, मैं नबी अकरम (ﷺ) के कपड़ों को (जब मनी लग जाती थी) धो दिया करती थी और आप उसी कपड़े के साथ नमाज़ अदा करने के लिये तशरीफ़ ले जाया करते थे जबकि धोने का निशान और पानी की तरी कपड़े पर बाक़ी होती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 64)**

बाब 33 : ख़ून की नजासत का बयान और धोने का तरीक़ा

166. हदीष अस्मा (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में एक औरत हाज़िर हुई और उसने पूछा कि अगर किसी औरत के कपड़ों पर हैज़ का ख़ून लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, पहले ख़ून को खुरचे फिर कपड़े पर पानी डालकर मले फिर धो डाले फिर उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ सकती है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब)**

बाब 34 : पैशाब नजिस है और इससे बचना ज़रूरी है

167. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दोनों क़ब्र वाले अज़ाब में मुब्तला हैं और अज़ाब की वजह कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें एक का कुसूर यह है कि वो पैशाब (के छींटों) से न बचा करता था और दूसरा चुग़लख़ोर था। फिर आप (ﷺ) ने एक हरी टहनी ली, उसे बीच से चीरकर दो हिस्सों में तक़्सीम किया और एक-एक हिस्सा दोनों क़ब्रों पर गाड़ दिया। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने ऐसा क्यूँ किया? फ़र्माया, मुम्किन है कि इस तरह इनके अज़ाब में कुछ कमी हो जाए, जब तक यह सूख न जाएँ (अल्लाह की तस्बीह करती रहेंगी)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 56)

किताबुल हैज़

बाब 1 : हाइज़ा औरत के साथ ज़ेरेजामा के ऊपर से जिस्मानी इख़्तिलात

168. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जिन दिनों हम में से या'नी उम्महातुल मो'मिनीन में से कोई बहालते हैज़ होती थी और आप (ﷺ) उसके साथ जिस्मानी इख़्तिलात फ़र्माना चाहते तो हैज़ के ग़लबे की सूरत में उसे ज़ेरेजामा ज़ेबतन करने (पहनने) का हुक्म देते इसके बाद उसके जिस्म के साथ अपना जिस्म छुआ लिया करते थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, (यह ज़ब्त सिर्फ़ आहज़रत ﷺ को ही हासिल था) तुममें से कौनसा शख़्स अपनी शहवते नफ़्सानी पर इस क़दर इख़्तियार रखता है जितना आप (ﷺ) को अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात व शहवात पर था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 5)**

---

169. हदीषे मैमूना (रज़ि.) : हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब आँहज़रत (ﷺ) अपनी अज़वाजे मुतह्हरात में से किसी एक के साथ इख़्तिलाते जिस्मानी फ़र्माना चाहते और वो बहालते हैज़ होती तो उसे ज़ेरजामा पहनने का हुक्म देते। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 5)**

बाब 2 : हाइज़ा औरत के साथ एक ही चादर में लेटना

170. हदीषे उम्मे सलमा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक मर्तबा मैं नबी अकरम (ﷺ) के साथ एक ही चादर में लेटी हुई थी तो अचानक मुझे हैज़ शुरू हो गया तो मैंने ख़ुद को धीरे-धीरे चादर में से बाहर निकाल लिया और अपने हैज़ का लिबास पहन लिया आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें माहवारी शुरू हो गई है? मैंने अर्ज़ किया, हाँ। यह मा'लूम होने के बावजूद आप (ﷺ) ने मुझे बुला लिया और मैं आकर आप (ﷺ) के साथ उसी चादर में लेट गई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 22)**

---

171. हदीषे उम्मे सलमा (रज़ि.) : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि .... और मैं और रसूले अकरम (ﷺ) एक बर्तन में से पानी लेकर गुस्ले जनाबत कर लिया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 21)

बाब 3 : हाइज़ा औरत अपने शौहर का सर धो सकती है और उसके सर में कँघी कर सकती है

172. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) (बहालते ऐतिकाफ़) अपना सर मेरी तरफ़ बढ़ा दिया करते थे और मैं उसमें कँघी कर दिया करती थी और आप (ﷺ) ऐतिकाफ़ के दिनों में ज़रूरत के बग़ैर घर में तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिकाफ़ बाब 3)**

---

173. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ऐसी हालत में कि मैं हाइज़ा होती मेरे साथ इख़्तिलात (जिस्म के साथ जिस्म मिलाना) फ़र्मा लिया करते थे इसी तरह जब आप (ﷺ) ऐतिकाफ़ में होते तो अपना सरे मुबारक मस्जिद से बाहर मेरे हुज्रे की तरफ़ बढ़ा दिया करते थे और मैं आप (ﷺ) के सरे मुबारक को धो देती थी हालाँकि मैं हाइज़ा हुआ करती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिकाफ़ बाब 4)**

---

174. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जिन दिनों मुझे हैज़ आ रहा होता था ऐसी हालत में रसूले अकरम (ﷺ) मेरी गोद का तकिया लगाकर क़ुर्आन मजीद की तिलावत फ़र्मा लिया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 3)**

बाब 4 : मज़ी का बयान

175. हदीष अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में से था जिनके मज़ी बहुत ज़्यादा निकलती है। लेकिन मुझे आँहज़रत (ﷺ) से इसके बारे में पूछने में शर्म आती थी और इसलिये मैंने हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) बिन अल अस्वद से कहा कि वो जनाबे रसूल (ﷺ) से इसके बार में पूछे (लिहाज़ा उन्होंने पूछा) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मज़ी निकलने की सूरत में वुज़ू करना ज़रूरी है।

बाब 6 : बहालते जनाबत सोना जाइज़ है लेकिन वुज़ू कर लेना मुस्तहब है

176. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब बहालते जनाबत सोना चाहते तो अपनी शर्मगाह को धो लिया करते थे और जिस तरह नमाज़ के लिये वुज़ू किया जाता है बिल्कुल वैसा वुज़ू किया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 27)**

---

177. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या जब कोई शख़्स हालते जनाबत में हो तो उसके लिये सोना जाइज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! जनाबत की हालत में वुज़ू करके सोने की इजाज़त है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 26)**

---

178. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि मुझे रात को एहतलाम हो जाता है (ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए?) आप

(ﷺ) ने फ़र्माया, वुज़ू करो, अपनी शर्मगाह को धो लो और सो जाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ग़ुस्ल बाब 27)**

---

179. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) एक ही रात में अपनी तमाम अज़वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) के पास हो आते थे (सबसे जिमाअ फ़र्माते थे) और उस ज़माने में आप (ﷺ) की नौ अज़वाजे मुतह्हरात थीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ग़ुस्ल बाब 24)**

बाब 7 : अगर औरत को इंज़ाल हो तो उस पर भी ग़ुस्ल ज़रूरी है

180. हदीष उम्मे सलमा (रज़ि.) : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला सच बात में कोई बाक महसूस नहीं फ़र्माता, क्या अगर औरत को एहतलाम (स्वप्नदोष) हो जाए तो उस पर भी ग़ुस्ल वाजिब है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अगर उसे इंज़ाल हो जाए और मनी देखे (तो उस पर भी ग़ुस्ल वाजिब है)। यह बात सुनकर हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने (शर्म से) अपना चेहरा ढाँप लिया और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या औरतों को भी एहतलाम होता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों। औरत को भी एहतलाम होता है, अगर नहीं होता तो बच्चा औरत से किस बिना पर मुशाबह होता है?

(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 50)

बाब 9 : ग़ुस्ले जनाबत का तरीक़ा

181. हदीष आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब अकरम (ﷺ) जब ग़ुस्ले जनाबत फ़र्माते थे तो सबसे पहले दोनों हाथ धोते, फिर वुज़ू करते जैसा नमाज़ के लिये किया जाता है। फिर आप (ﷺ) अपनी उँगलियाँ पानी में डालकर उन उँगलियों को सर के बालों में कँघी की तरह फेरते, फिर अपने दोनों हाथों से सर पर तीन चुल्लू डालते, इसके बाद पूरे जिस्म पर पानी डाल लेते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ग़ुस्ल बाब 1)**

---

182. हदीष मैमूना (रज़ि.) : हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) के ग़ुस्ल के लिये पानी का एहतमाम किया। लिहाज़ा (जब आप ﷺ ग़ुस्ल फ़र्माने लगे तो) आप (ﷺ) ने अपने दाँए हाथ से अपने बाँए हाथ पर पानी डालकर दोनों हाथों को धोया फिर अपनी शर्मगाह को धोया। फिर आप (ﷺ) ने अपने हाथ को ज़मीन पर रखकर मिट्टी से रगड़ा और फिर उसे धो डाला उसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी डाला फिर चेहरे को धोया और सर पर पानी डाला फिर उस जगह से हटकर आप (ﷺ) ने अपने दोनों पाँव धोए फिर आप (ﷺ) को रूमाल पेश किया गया लेकिन आप (ﷺ) ने उससे (जिस्म को) न पोंछा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ग़ुस्ल बाब)**

---

183. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी अकरम (ﷺ) जब ग़ुस्ले जनाबत फ़र्माना चाहते तो हिलाब (डोल) की तरह का कोई बर्तन तलब फ़र्माते और उसमें से अपने चुल्लू में पानी लेकर पहले सर का दाँया हिस्सा धोते और फिर बाँया हिस्सा, इसके बाद अपने दोनों चुल्लू से सरे मुबारक पर पानी डाला करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ग़ुस्ल बाब 2)**

बाब 10 : गुस्ले जनाबत में किस क़दर पानी लेना मुस्तहब है

184. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं और नबी अकरम (ﷺ) (दोनों) एक ही बर्तन में से या'नी एक बड़े लगन में से जो फ़िर्क़ कहलाता है पानी लेकर नहा लिया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 2)

---

185. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत अबू सलमा (रह.) बिन अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबूबक्र (रज़ि.) ने नबी अकरम (ﷺ) के गुस्ल के बारे पूछा तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने एक बर्तन मँगवाया जो साअ के बराबर था और गुस्ल करके दिखाया और अपने सर पर पानी बहाया (उस वक़्त) हमारे और आपके बीच पर्दा की ओट थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 6)

---

186. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) एक साअ से पाँच मुद तक पानी से गुस्ल फ़र्माया करते थे और एक मुद पानी से वुज़ू फ़र्मा लिया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 47)

बाब 11 : सर और जिस्म के दीगर हिस्से पर तीन–तीन बार पानी डालना मुस्तहब है

187. हदीषे जुबैर बिन मुतअम (रज़ि.) : हज़रत जुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तो अपने सिर पर तीन बार पानी डालता हूँ। यह फ़र्माते हुए आपने अपने हाथों की तरफ़ इशारा किया (या'नी दोनों हाथों के चुल्लुओं से तीन बार पानी डालता हूँ)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 4)**

---

188. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : अबू जाफ़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं और मेरे वालिद (इमाम ज़ैनुल आबिदीन (रज़ि.) हज़रत जाबिर (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे और आपके पास कुछ और लोग भी मौजूद थे, उन लोगों ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से गुस्ल के बारे में पूछा। हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, एक साअ पानी काफ़ी है। उनमें से एक शख़्स बोला, मेरे लिये तो एक साअ काफ़ी न होगा। इस पर हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, एक साअ पानी उस हस्ती के लिये काफ़ी हो जाता था जिनके बाल तुमसे कहीं ज़्यादा थे और जो (हर बात में) तुमसे अफ़ज़ल थे या'नी रसूले अकरम (ﷺ)। इस बातचीत के बाद हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने हमें नमाज़ पढ़ाई और उन्होंने सिर्फ़ एक कपड़ा पहन रखा था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 3)**

बाब 13 : हाइज़ा औरत के लिये गुस्ल के वक़्त मुश्क (या किसी ख़ुश्बू) में बसा हुआ कपड़े का टुकड़ा उस मुक़ाम पर फेर लेना मुस्तहब है जहाँ ख़ून लगता है

189. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक औरत ने रसूले अकरम (ﷺ) से हैज़ के बाद गुस्ल करने का तरीक़ा पूछा, आप (ﷺ) ने गुस्ल का तरीक़ा बताया और फ़र्माया, मुश्क (या किसी ख़ुश्बू) में बसा हुआ कपड़े का टुकड़ा लेकर उससे तहारत करो। उसने अर्ज़ किया, ख़ुश्बू वाले कपड़े से किस तरह

तहारत करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस उसके ज़रिये से सफ़ाई कर लो। (वो समझ न सकीं) उसने फिर पूछा, किस तरह? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! (तअज्जुब है तुम इतनी सी बात नहीं समझती हो) बस उस ख़ुश्बूदार कपड़े से सफ़ाई कर लो। (यह कैफ़ियत देखकर) मैं उस औरत को खींचकर अपने साथ ले गई और मैंने उसे बताया कि (आप ﷺ की मुराद यह है) ख़ुश्बू वाले कपड़े को उन सब मुक़ामात पर फेर लो जहाँ–जहाँ ख़ून का निशान लगता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 13)**

बाब 14 : जिस औरत को हैज़ के दिनों के अलावा भी ख़ून आने का मर्ज़ हो वो किस तरह ग़ुस्ल करे और किस तरह नमाज़ अदा करे?

190. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि फ़ातिमा (रज़ि.) बिन्ते अबी जैश रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे मुसलसल ख़ून आता रहता है और कभी पाक नहीं होती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! यह हैज़ का ख़ून नहीं है, बल्कि यह ख़ून किसी रग से आता है। इसलिये जब तुम्हारी माहवारी के अय्याम (दिन) हों उन दिनों नमाज़ छोड़ दो और जब यह अय्याम ख़त्म हो जाएँ तो अपने जिस्म पर से ख़ून धोकर नमाज़ पढ़ लिया करो और हर नमाज़ के लिये ताज़ा वुज़ू किया करो, जब तक कि दोबारा तुम्हारी माहवारी के दिन न आ जाएँ (जब दोबारा माहवारी के दिन आएँ तो नमाज़ छोड़ दो)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 63)**

---

191. हदीष आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा (रज़ि.) बिन्ते जहश को सात साल तक मर्ज़े इस्तिहाज़ा का ख़ून आता रहा तो उन्होंने नबी अकरम (ﷺ) से अपनी इस सूरतेहाल के बारे में इस्तिफ़सार किया (कि मुझे क्या करना चाहिए?) आप (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम ग़ुस्ल कर लिया करो। और फ़र्माया, (यह हैज़ का ख़ून नहीं है) बल्कि किसी रग से ख़ून आता है। लिहाज़ा उम्मे हबीबा (रज़ि.) हर नमाज़ के लिये ग़ुस्ल करती थीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 26)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने अपनी किताब में जुम्हूर (अधिकांश) उलमा का मसलक नक़ल करते हुए लिखा है कि इस्तिहाज़ा की बीमारी वाली औरत के लिये हर नमाज़ के लिये ग़ुस्ल करना ज़रूरी नहीं है; सिर्फ़ हैज़ से फ़ारिग़ होने पर ग़ुस्ल करे अलबत्ता हर नमाज़ के लिये ताज़ा वुज़ू करना ज़रूरी है। हर नमाज़ के लिये ग़ुस्ल करने की जितनी हदीषें आई हैं, वो ज़ईफ़ हैं।

बाब 15 : हाइज़ा औरतों पर रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है जबकि नमाज़ की क़ज़ा नहीं

92. हदीष आइशा (रज़ि.) : एक औरत ने उम्मुल मो'मिनीन से पूछा, हैज़ के दिनों में औरत की जो नमाज़ें छूट जाती हैं क्या पाक हो जाने के बाद वो उनकी क़ज़ा पढ़े? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्या तुम ख़ारजी हो? हमें तो नबी अकरम (ﷺ) के ज़माने में जब हैज़ आता था तो आप (ﷺ) हमें उन नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ने का हुक्म नहीं दिया करते थे या आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, हम तो ऐसा नहीं किया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 20)

बाब 16 : ग़ुस्ल करते वक़्त कपड़े से या ऐसी ही किसी चीज़ से ओट कर लेना चाहिये

193. हदीष़ उम्मे हानी (रज़ि.) : हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) बिन्ते अबू तालिब बयान करती हैं कि जिस साल मक्का फ़तह हुआ मैं रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई, उस वक़्त आप (ﷺ) ग़ुस्ल फ़र्मा रहे थे और आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) आप (ﷺ) के लिये ओट किए हुए थीं। उम्मे हानी (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने आप (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, मैं उम्मे हानी हूँ, अबू तालिब की बेटी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उम्मे हानी (रज़ि.) को ख़ुश आमदीद! उसके बाद जब आप (ﷺ) ग़ुस्ल से फ़ारिग़ हो गए तो आप (ﷺ) ने सिर्फ़ एक कपड़ा लपेटकर आठ रकअ़त नमाज़ अदा की, फिर जब आप (ﷺ) फ़ारिग़ होकर मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ जाए (या'नी मेरे भाई हज़रत अ़ली रज़ि.) कहते हैं कि मैं इब्ने हबीरा नामी शख़्स को क़त्ल कर दूँगा, जबकि मैं उसे पनाह दे चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने भी उस शख़्स को पनाह दी जिसे उम्मे हानी (रज़ि.) पनाह दे चुकी है। उम्मे हानी (रज़ि.) कहती हैं कि यह नमाज़ जो आप (ﷺ) ने पढ़ी थी यह चाश्त की नमाज़ थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 4)**

बाब 18 : तन्हाई में नंगे नहाना जाइज़ है

194. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल के लोग सब मिलकर नहाया करते थे और एक-दूसरे के क़ाबिले-सतर मुक़ामात को देखते थे और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) तन्हा नहाया करते थे। चुनाँचे बनी इस्राईल कहने लगे, मूसा (अ़लैहिस्सलाम) जो सबके सामने नहीं नहाते इसकी वजह यक़ीनन यह है कि वो फ़तक़ के मरीज़ हैं। फिर ऐसा हुआ कि एक बार मूसा (अ़लैहिस्सलाम) नहा रहे थे और उन्होंने अपने कपड़े उतारकर एक पत्थर पर रखे थे कि वो पत्थर उनके कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) उसके पीछे मेरे कपड़े! मेरे कपड़े! कहते हुए भागे। यहाँ तक कि बनी इस्राईल ने उनके जिस्म को अच्छी तरह देख लिया और कहने लगे कि अल्लाह की क़सम! मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को तो कोई बीमारी नहीं है। फिर मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने कपड़ों को जा लिया और पत्थर को मारना शुरू कर दिया। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि, अल्लाह की क़सम! उस पत्थर पर मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की चोट के छः या सात निशान मौजूद हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ग़ुस्ल बाब 20)**

नोट : फ़तक़ एक बीमारी है जिसमें ख़ुस्यतैन बढ़ जाते हैं।

बाब 19 : शर्मगाह को छुपाना इंतिहाई ज़रूरी है

195. हदीष़ जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि काबा की तामीरे नौ के वक़्त नबी करीम (ﷺ) भी क़ुरैश के साथ मिलकर पत्थर ढो रहे थे और आप (ﷺ) तहबंद बाँधे हुए थे कि आप (ﷺ) के चचा हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, भतीजे! अगर आप तहबंद खोल देते तो मैं उसे आपके शाने (काँधे) पर पत्थर के नीचे रख देता। हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि फिर हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने आप (ﷺ) का तहबंद खोलकर उसे आप (ﷺ) के शाने पर रख दिया, लेकिन आप (ﷺ) बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद कभी आप (ﷺ) बरहना नहीं देखे गए। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 8)**

नोट : काबा की तामीरे-नौ (पुनर्निर्माण) का वाक़िया आप (ﷺ) के बचपन के दौरान पेश आया था। इस हदीष़ से ष़ाबित होता है कि आप (ﷺ) बचपन में भी बुरी आदतों से महफ़ूज़ (सुरक्षित) थे। एक रिवायत में यह भी आता

है कि उसी वक़्त आसमान से एक फ़रिश्ता उतरा और उसने आप (ﷺ) का सतर ढाँप दिया।

बाब 21 : गुस्ल सिर्फ़ इसी सूरत में ज़रूरी है जब मनी ख़ारिज हो

194. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक अन्सारी को बुलाने के लिये एक आदमी को भेजा। चुनाँचे वो इस हालत में (दौड़ा) आया कि उसके सर से ताज़ा–ताज़ा गुस्ल करने की वजह से पानी के क़तरे टपक रहे थे। आप (ﷺ) ने उसे देखकर फ़र्माया, शायद हमारे बुलाने की वजह से तुमको आने में जल्दी करनी पड़ी। अन्सारी ने कहा, जी यही बात है। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब ऐसी सूरतेहाल हो कि तुमको जल्दी अलग होना पड़े या इंज़ाल न हो तो सिर्फ़ वुज़ू करना ज़रूरी है (गुस्ल लाज़िम नहीं)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 34)**

---

197. हदीष अबी बिन कअब (रज़ि.) : हज़रत अबी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर कोई शख़्स अपनी बीवी से जिमा करे और उसे कोई इंज़ाल न हो तो (क्या इस सूरत में गुस्ल ज़रूरी है?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके जिस्म पर जो आलूदगी औरत के जिस्म से लग गई हो, धो डाले फिर वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 29)**

---

198. हदीष उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) : हज़रत उष्मान (रज़ि.) से ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) ने पूछा, कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी से जिमा करे और इंज़ाल न हो तो (क्या उस पर गुस्ल वाजिब है?) उन्होंने फ़र्माया, वुज़ू करे जैसे नमाज़ के लिये वुज़ू किया जाता है और अपनी शर्मगाह को धो ले। (यह बयान करने के बाद हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने फ़र्माया, जो कुछ मैंने कहा है, यह रसूले अकरम (ﷺ) से इसी तरह सुना था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 34)

नोट : ऊपर लिखी हुई तीन हदीषों में बयान किया गया यह हुक्म बाद में मन्सूख़ (रद्द) हो गया। तफ़्सील के लिये हदीष नं. 199 का नोट देखें।

बाब 22 : यह हुक्म कि 'सिर्फ़ इंज़ाल की सूरत में गुस्ल वाजिब है' मन्सूख़ (रद्द) हो गया (और बाद में इस पर इजमा हो गया कि) जब मर्द व औरत दोनों के आज़ा–ए–तनासुल आपस में (आपस में) मिल जाएँ तो गुस्ल वाजिब हो जाता है

199. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मर्द ने औरत के साथ जिस्मानी मिलाप किया और (जिमाअ की) कोशिश की (तो इंज़ाल हो या न हो) उस पर गुस्ल वाजिब हो गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 28)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इस हदीष का मफ़हूम यह है कि गुस्ल वाजिब होने के लिये मनी ख़ारिज होने की शर्त नहीं है बल्कि दुख़ूले–हश्फ़ा से मर्द व औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस मसले में शुरूआती दौर में सहाबा के बीच इख़्तिलाफ़ था लेकिन बाद में इजमा (सर्वसम्मति) हो गई और अब इस मसले पर तमाम मसलक और फ़िक़्हों का इत्तफ़ाक़ है कि गुस्ल वाजिब होने के लिये मनी ख़ारिज होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ दोनों की शर्मगाहें मिल जाने से ही दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है।

बाब 24 : यह ह़दीष़ कि 'आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू वाजिब हो जाता है' मन्सूख़ (निरस्त) है

200. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने बकरी के शाने (बाज़ू) का गोश्त तनावुल फ़र्माया और उसके बाद नमाज़ अदा की और वुज़ू नहीं किया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 50)**

---

201. ह़दीष़ अ़म्र बिन उमय्या (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़म्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि, मैंने देखा कि आँह़ज़रत (ﷺ) बकरी के शाने का गोश्त छुरी से काटकर खा रहे थे इतने मे नमाज़ का बुलावा आ गया तो आप (ﷺ) ने छुरी एक तरफ़ डाल दी और वुज़ू किए बग़ैर नमाज़ अदा की। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 50)**

---

202. ह़दीषे मैमूना (रज़ि.) : ह़ज़रत उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने मेरे घर बकरी के शाने का गोश्त तनावुल फ़र्माया फिर नमाज़ अदा की और वुज़ू नहीं किया।

---

203. ह़दीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूध पिया फिर कुल्ली की और फ़र्माया, दूध से मुँह चिकना हो जाता है (इसलिये कुल्ली कर लेना चाहिए)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बाब)**

बाब 26 : इस बात का षुबूत कि अगर किसी शख़्स़ को तहारत का यक़ीन हो उसके बाद अगर उसे बेवुज़ू होने का शुबहा–सा हो तो वो उसी वुज़ू से नमाज़ पढ़ सकता है

204. ह़दीष़ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़स़िम अन्स़ारी (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) से पूछा कि बसा औक़ात किसी शख़्स़ को नमाज़ पढ़ते हुए ऐसा ख़याल होता है कि कुछ (ख़ारिज) हुआ है (या'नी उसका वुज़ू टूट गया है) तो क्या करे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ न तोड़े जब तक कि आवाज़ न सुने या बू न महसूस करे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 4)**

बाब 27 : मुर्दा जानवर की खाल दबाग़त से पाक हो जाती है

205. ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) की लौंडी को किसी ने सदक़े की बकरी दी थी (जो मर गई) और नबी अकरम (ﷺ) ने उसे पड़े हुए देखा तो फ़र्माया, तुम लोगों ने उसकी खाल से क्यूँ फ़ायदा न उठाया! उन्होंने कहा, यह तो मुर्दार थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुर्दार का खाना हराम है (न कि खाल का इस्ते'माल)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 61)**

बाब 28 : तयम्मुम का बयान

206. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम एक बार रसूले

करीम (ﷺ) के साथ सफ़र कर रहे थे जब हम लोग मुक़ामे—बैदा या ज़ातुल ज़ैश पर पहुँचे तो मेरा हार टूटकर गिर गया और रसूले अकरम (ﷺ) उसको तलाश करने के लिये रुक गए और बाक़ी लोग भी आप (ﷺ) के साथ ही रुक गए उस मुक़ाम पर पानी नहीं था लिहाज़ा लोग हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पास गए और कहने लगे, आपने देखा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने क्या किया? उनकी वजह से रसूले करीम (ﷺ) को भी रुकना पड़ा और लोगों को भी। जबकि यह जगह ऐसी है कि यहाँ पानी नहीं है और लोगों के पास भी ख़त्म हो गया है। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) मेरे पास तशरीफ़ लाए उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) मेरे ज़ानू पर सर रखकर आराम फ़र्मा और मह्वे—ख़्वाब (नींद में) थे उन्होंने आते ही कहा कि तुमने नबी करीम (ﷺ) को भी रुकने पर मजबूर कर दिया और लोगों को भी, और पानी न इस जगह है न लोगों के पास है, हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) मुझ पर ख़ूब नाराज़ हुए और जो कुछ कह सकते थे कह रहे थे और साथ—साथ मेरे कूल्हे में अपने हाथ से कचोके देते रहे (जिससे मुझे अच्छी—ख़ासी तक्लीफ़ हो रही थी) लेकिन चूँकि आँहज़रत (ﷺ) मेरे ज़ानू पर सर रखे आराम फ़र्मा थे इसलिये मैं हरकत न कर सकती थी। सुबह के वक़्त जब आप (ﷺ) बेदार हुए तो पानी न था, अल्लाह तआला ने आयते तयम्मुम नाज़िल फ़र्माई और सबने तयम्मुम किया। इस मौक़े पर उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) ने कहा था, ऐ आले अबूबक्र (रज़ि.)! तुम्हारी बरकतों में से यह कुछ पहली बरकत नहीं है। (या'नी मुसलमान तुम्हारी बरकतों से पहले भी नफ़ा उठाते रहे हैं) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि इसके बाद हमने उस ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो मेरा हार उसके नीचे दबा हुआ मिल गया। **(स़हीह बुख़ारी किताबुत तयम्मुम बाब 1)**

---

207. हदीषे अम्मार (रज़ि.) : हज़रत अम्मार (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) और हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था, हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से कहा कि अगर किसी शख़्स को जनाबत हो तो क्या वो तयम्मुम करके नमाज़ न पढ़े? रावी कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, तयम्मुम न करे ख़्वाह एक माह तक पानी न मिले, इस पर हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, क्या आप सूरह मायदा की इस आयत को नज़रअंदाज कर देंगे, **'और पानी न मिले तो पाक मिट्टी से काम लो।'** (सूरह अल माइदा : 6) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहने लगे, अगर इस सिलसिले में लोगों को इजाज़त दे दी जाएगी तो फिर जब उन्हें पानी ठंडा लगेगा तो मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करेंगे। रावी कहते हैं, मैंने कहा, तो आप तयम्मुम को इसीलिये नापसंद करते हैं? उन्होंने फ़र्माया, 'हाँ!' इस पर हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, क्या आपने हज़रत अम्मार (रज़ि.) की वो बात नहीं सुनी जो उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) से बयान की थी कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी काम से भेजा (दरमियाने सफ़र में) मुझे गुस्ल की ज़रूरत लाहिक़ हो गई और पानी न मिला तो मैंने मिट्टी में जानवर की तरह लौट लगाई (या'नी पूरे जिस्म को मिट्टी से लत—पत किया) फिर मैंने यह वाक़िया नबी करीम (ﷺ) से बयान किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हें सिर्फ़ इस तरह कर लेना काफ़ी था, यह फ़र्माकर आप (ﷺ) ने अपना हाथ एक बार ज़मीन पर मारा फिर उसे झाड़ा और इसके बाद अपने हाथ की पुश्त को बाँए हाथ से मसह फ़र्माया, या (रावी ने कहा कि) अपने बाँए हाथ की पुश्त को हाथ से मसह फ़र्माया। फिर अपने हाथ अपने चेहरे पर फेर लिये। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने कहा कि तुमने देखा नहीं! हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अम्मार (रज़ि.) के क़ौल पर भरोसा नहीं किया था। **(स़हीह बुख़ारी किताबुत तयम्मुम बाब 8)**

नोट : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) शुरू में इस बात के क़ाइल न थे कि जनाबत से पाक होने के लिये तयम्मुम किया जा सकता है, जबकि दीगर स़हाब—ए—किराम (रिज़.) व ताबेईने—किराम इसको स़हीह मानते थे। बाद में हज़रत उमर (रज़ि.) व हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने भी अपने क़ौल से रुजूअ कर लिया था। लिहाज़ा इस बात पर सब का इजमा (सर्वसम्मति) है कि पानी न मिलने की सूरत में जनाबत से पाक होने व नमाज़ अदा करने के लिये तयम्मुम करना ज़रूरी है।

208. हदीषे अम्मार (रज़ि.) : एक शख़्स हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आया और पूछा, अगर मैं जनबी हो जाऊँ और पानी न मिले (तो मुझे क्या करना चाहिए?) इस पर हज़रत अम्मार (रज़ि.) बिन यासिर ने हज़रत उमर (रज़ि.) बिन ख़त्ताब से कहा, क्या आपको याद नहीं कि एक दफ़ा हम दोनों सफ़र में थे और आपने तो नमाज़ ही नहीं पढ़ी थी लेकिन मैंने मिट्टी में लौट लगाई थी और नमाज़ पढ़ ली थी। बाद में जब इस बात का ज़िक्र मैंने नबी करीम (ﷺ) से किया था तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, कि (लोट लगाने की ज़रूरत न थी) तुम्हारे लिये सिर्फ़ इतना काफ़ी था, यह फ़र्माकर आप (ﷺ) ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, उन पर फूँका फिर उन (दोनों हाथों) से अपने चेहरे और दोनों हाथों पर मसह फ़र्माया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तयम्मुम बाब 8)**

---

209. हदीषे अबू जहीम अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के आज़ाद–कर्दा गुलाम उमैर (रह.) रिवायत करते हैं कि मैं और अब्दुल्लाह बिन यसार (उम्मुल मो'मिनीन हज़रत मैमूना के आज़ाद–कर्दा गुलाम) हज़रत अबू जहीम बिन अल हारिष बिन अस्सुमा अन्सारी के पास गए, अबू जहीम (रज़ि.) ने कहा, रसूले अकरम (ﷺ) बीरे–जमल की तरफ़ से तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते में आप (ﷺ) को एक शख़्स मिला और उसने आप (ﷺ) को सलाम किया तो आप (ﷺ) ने उसे सलाम का जवाब न दिया बल्कि आप (ﷺ) ने एक दीवार का रुख़ किया और (उस पर हाथ मारकर पहले) अपने चेहरे और हाथों का मसह किया फिर उसके सलाम का जवाब दिया।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तयम्मुम बाब 3)

बाब 29 : इस बात का षुबूत कि मुसलमान नजिस नहीं होता

210. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) मुझे (रास्ते में) मिले उस वक़्त मैं जनाबत की हालत में था, आप (ﷺ) ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आप (ﷺ) के साथ चलता रहा। यहाँ तक कि जब आप (ﷺ) बैठ गए तो मैं खिसक गया और अपनी क़ियामगाह में जाकर मैंने गुस्ल फ़र्माया फिर आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ उस वक़्त आप (ﷺ) उसी जगह तशरीफ़ फ़र्मा थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू हुरैरह! तुम कहाँ चले गए थे? मैंने आप (ﷺ) को सूरतेहाल बताई, (कि मैं नापाक था और गुस्ल करने गया था) इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! मो'मिन किसी भी हालत में नजिस नहीं होता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 24)

बाब 32 : बैतुल ख़ला जाते वक़्त पढ़ने की दुआ

211. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब बैतुल ख़ला में दाख़िल हुआ करते थे तो यह कलिमात पढ़ा करते थे, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनल ख़ुबुषि वल ख़बाइष** (तर्जुमा) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नापाक जिन्नों और जिन्नियों से।' **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 9)**

बाब 33 : बैठे–बैठे सो जाने से वुज़ू नहीं टूटता

212. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक बार इक़ामत हो गई थी और नबी करीम (ﷺ) किसी शख़्स के साथ मस्जिद के एक कोने में आहिस्ता–आहिस्ता बातें कर रहे थे चुनाँचे जब आप (ﷺ) नमाज़ के लिए खड़े हुए उस वक़्त तक लोग ऊँघने लगे थे (और फिर सबने उसी तरह नमाज़ पढ़ी थी या'नी वुज़ू किए बग़ैर)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 27)**

किताबुस्सलात

बाब 1 : अज़ान की इब्तिदा

213. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुसलमान जब मदीना में आए तो इब्तिदा में वक़्ते मुक़र्ररा पर अज़ ख़ुद जमा हो जाया करते थे और नमाज़ पढ़ लिया करते थे, अज़ान नहीं दी जाती थी। फिर एक दिन इसके बारे में मुसलमानों ने आपस में बातचीत की (कि इत्तिला का कोई इंतिज़ाम होना चाहिए) चुनाँचे बाज़ लोगों ने मश्विरा दिया कि नसारा के नाक़ूस (घण्टे) की तरह नाक़ूस बजाया जाए। कुछ ने कहा कि नहीं! यहूद के शंख (नरसिंहा) की तरह शंख बजाया जाए, हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि क्यूँ न एक आदमी मुक़र्रर कर दिया जाए जो नमाज़ की मुनादी कर दिया करे यह सुनकर रसूले अकरम (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) से कहा, उठो! नमाज़ का ऐलान कर दो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 1)**

बाब 2 : अज़ान के कलिमात दो–दो मर्तबा और तकबीर इक़ामत के कलिमात सिवाए 'क़द् क़ामतिस्सलात' के एक–एक मर्तबा कहे जाएँ

214. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि, (नमाज़ के ऐलान के सिलसिले में) लोगों ने आग और नाक़ूस का ज़िक्र किया फिर उस ज़िम्न (संदर्भ) में यहूद और नसारा के तरीक़ों का ज़िक्र आया (कि वो यह–यह करते थे) इसके बाद नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो अज़ान दे और अज़ान में (अज़ान के कलिमात) दो– दो मर्तबा कहे और इक़ामत के लिये यही कलिमे एक–एक मर्तबा कहें।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 1)

नोट : अज़ान के सभी कलिमात दो–दो बार कहे जाने का मफ़हूम यह है कि शुरू में अल्लाहु अक्बर चार बार कहे जाते हैं लेकिन अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर एक ही साँस में कहे जाने के कारण उसको एक ही गिना जाता है। इक़ामत में क़दक़ामतिस्सलाह के अलावा तमाम कलिमात एक बार कहने का इस हदीष में हुक्म आया है। इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक (रह.) और उलम–ए–सलफ़िया का यही मसलक है लेकिन हनफ़ी मसलक के मुताबिक़ इक़ामत में क़दक़ामतिस्सलाह समेत तमाम कलिमात दो–दो बार कहे जाने चाहिये।

बाब 7 : अज़ान सुनने वाला भी वही कलिमात दोहराए जो मुअज़्ज़िन कहता है फिर नबी करीम (ﷺ) पर दरूद भेजे और आप (ﷺ) के लिये 'वसीले' की दुआ माँगे

215. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने

इर्शाद फ़र्माया, जब तुम अज़ान सुनो तो वही कलिमात कहो जो मुअज़्ज़िन कहता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 7)

नोट : मुअज़्ज़िन अज़ान में जब हय्या अलस्सलाह व हय्या अलल फ़लाह कहे तो हदीषे–उमर (रज़ि.) के मुताबिक़ उसके जवाब में ला–हौल व–ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना चाहिये।

बाब 8 : अज़ान की फ़ज़ीलत का बयान और यह कि अज़ान सुनकर शैतान भाग खड़ा होता है

216. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ मोड़कर भाग खड़ा होता है और (डर व दहशत की वजह से) उसकी हवा ख़ारिज हो जाती है और इतनी दूर चला जाता है जहाँ अज़ान की आवाज़ न सुन सके और जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस लौट आता है और फिर जब इक़ामत कही जाती है तो फिर पीठ मोड़कर भाग जाता है यहाँ तक कि जब इक़ामत ख़त्म हो जाती है तो वापस चला आता है और इंसान के दिल में वस्वसे पैदा करने लगता है और कहता है, 'यह याद कर, वो याद कर' या'नी हर वो बात जो उसे पहले याद नहीं थी (नमाज़ में खड़े होते ही उसे याद दिलाने लगता है) नतीजा यह निकलता है कि (उस शैतानी चक्कर में उलझकर इंसान को) यह भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 4)

बाब 9 : तक्बीरे तहरीमा, रुकूअ और रुकूअ से उठते वक़्त दोनों हाथों को कँधों तक उठाना (रफ़यदैन करना) मुस्तहब है और सज्दे से सर उठाते वक़्त रफ़यदैन न करना चाहिये

217. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) को देखा है कि जब आप (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े हुआ करते थे तो अपने दोनों हाथ इस क़दर उठाया करते थे कि वो कँधों के बराबर हो जाएँ और यही अमल (रफ़यदेन) रुकूअ की तक्बीर कहते वक़्त करते थे, और जब आप (ﷺ) अपना सर रुकूअ से उठाते थे उस वक़्त भी यही अमल किया करते थे और (रुकूअ से उठते वक़्त) जब आप (ﷺ) समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहा करते थे और सज्दे में जाते या उठते वक़्त आप रफ़यदेन नहीं किया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 84)

---

218. हदीष मालिक बिन हुवेरिष (रज़ि.) : अबू क़लाबा (रह.) बयान करते हैं कि मैंने मालिक बिन हुवेरिष (रज़ि.) को देखा है कि वो नमाज़ में तक्बीर (ऊला) के वक़्त भी 'रफ़यदेन' करते थे और जब रुकूअ में जाते या रुकूअ से सर उठाते थे उस वक़्त भी रफ़यदेन करते थे और मालिक बिन हुवेरिष (रज़ि.) ने कहा कि नबी (ﷺ) ऐसा किया करते थे (या'नी तक्बीरे तहरीमा के वक़्त, रुकूअ में जाते वक़्त, रुकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़यदेन किया करते थे)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 84)

बाब 10 : नमाज़ में हर बार झुकने और उठने के मौक़े पर अल्लाहु अकबर कहने और रुकूअ से उठते वक़्त 'समिअल्लाहुलिमन हमिदह' कहने का षुबूत

219. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाते वक़्त जब झुकते थे या उठते थे तो अल्लाहु अकबर कहा करते थे और सलाम फेरने के बाद आपने कहा था, मेरी नमाज़ तुम सब लोगों के मुक़ाबले में नबी (ﷺ) की नमाज़ से ज़्यादा मुशाबह (मिलती–जुलती) है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 115)**

---

220. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी अकरम (ﷺ) नमाज़ अदा फ़र्माते थे तो खड़े होते वक़्त अल्लाहु अकबर कहते और जब रुकूअ में जाते तो फिर अल्लाहु अकबर कहते लेकिन जब रुकूअ से उठते तो **'समिअल्लाहुलिमन हमिदह'** कहते और फिर खड़े–खड़े **'रब्बना लकल हम्द'** कहा करते थे। फिर अल्लाहु अकबर कहते और सज्दे में चले जाते और जब सज्दे से सर उठाते तो फिर अल्लाहु अकबर कहते फिर दोबारा सज्दे में जाते वक़्त **अल्लाहु अकबर** कहते और सज्दे से सर उठाते वक़्त भी **अल्लाहु अकबर** कहते थे और इसी तरह आप (ﷺ) पूरी नमाज़ में किया करते थे यहाँ तक कि नमाज़ ख़त्म फ़र्माते और दो रकअत के बाद जब क़अदा ऊला से जब उठते थे उस वक़्त भी अल्लाहु अकबर कहा करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 117)**

---

221. हदीषे इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) : मुतर्रिफ़ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने और इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने हज़रत अली (रज़ि.) के पीछे नमाज़ पढ़ी। हज़रत अली (रज़ि.) जब सज्दे में जाते थे तब भी अल्लाहु अकबर कहते थे और जब सज्दे से सर उठाते थे तब भी अल्लाहु अकबर कहते थे और जब दो रकअत पूरी करने के बाद उठते तब भी अल्लाहु अकबर कहते थे जब नमाज़ ख़त्म हो गई तो इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा, आज की नमाज़ ने मुझे नबी अकरम (ﷺ) की नमाज़ याद दिला दी; या आपने यह अल्फ़ाज़ कहे थे, हज़रत अली (रज़ि.) ने हमें रसूले अकरम (ﷺ) की नमाज़ पढ़ाई है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 116)**

बाब 11 : हर रकअत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है

222. हदीषे उबादा बिन सामित (रज़ि.) : हज़रत उबादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज़ ही नहीं हुई। (सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 95)

---

223. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि, नमाज़ की हर रकअत में क़िरअत करना चाहिए जिन नमाज़ों में रसूले अकरम (ﷺ) ने हमें सुनाकर (बुलंद आवाज़ में) क़िरअत फ़र्माई उनमें हमने भी तुमको सुनाकर (बुलंद आवाज़ से) पढ़ा और जिन नमाज़ों में आपने (आहिस्ता पढ़कर) हमसे छुपाया उनमें हम भी (आहिस्ता पढ़कर) तुमसे छुपाते हैं। (नमाज़ में) सूरह फ़ातिहा पढ़कर मज़ीद क़ुर्आन न पढ़ा जाए तो काफ़ी है (नमाज़ हो जाती है) और अगर मज़ीद क़ुर्आन पढ़े तो बेहतर है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 104)**

---

224. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाए उसी वक़्त एक शख़्स आया उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर उसने नबी (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने उसे सलाम का जवाब देते हुए फ़र्माया, जाओ! नमाज़ दोबारा पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं

पढ़ी। उस शख़्स ने जाकर फिर नमाज़ पढ़ी और वापस आकर आप (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने फिर वही अल्फ़ाज़ दोहराए कि जाओ जाकर नमाज़ अदा करो तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। इसी तरह तीन मर्तबा वो शख़्स नमाज़ पढ़कर आया और आप (ﷺ) उसे हर मर्तबा फ़र्माते रहे कि जाओ फिर नमाज़ अदा करो क्योंकि तुमने नमाज़ अदा नहीं की। आख़िरकार उस शख़्स ने अर्ज़ किया, क़सम है उस ज़ात की जिसने आप (ﷺ) को रसूले बरहक़ बनाकर भेजा है, मैं नमाज़ का इससे बेहतर तरीक़ा नहीं जानता, लिहाज़ा आप (ﷺ) मुझे सिखा दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम नमाज़ के लिये खड़े होओ तो पहले अल्लाहु अकबर कहो, फिर तुम जितना क़ुर्आन बा–आसानी पढ़ सकते हो, पढ़ो फिर रुकूअ करो और जब रुकूअ में इत्मीनान हासिल हो जाए तो रुकूअ से सर उठाकर सीधे खड़े हो जाओ इसके बाद सज्दा करो और जब सज्दे में इत्मीनान हासिल हो जाए तो सज्दे से सर उठाओ और इत्मीनान से बैठ जाओ (जब क़अदे में इत्मीनान हासिल हो जाए) तो दोबारा सज्दा करो यहाँ तक कि तुमको सज्दे में इत्मीनान हासिल हो जाए (यह एक रकअत हुई) फिर अपनी पूरी नमाज़ में इसी तरह किया करो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 122)

बाब 13 : बिस्मिल्लाह को (नमाज़ में) बुलंद आवाज़ से न पढ़ने की दलील

225. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) नमाज़ की इब्तिदा अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 89)

बाब 16 : नमाज़ में तशह्हुद पढ़ने का बयान

226. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि शुरू में जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते तो कहा करते थे, अस्सलामु अलल्लाहि क़िब्लि इबादिही, अस्सलामु अला जिब्रईल (अलैहिस्सलाम), अस्सलामु अला मीकाईल (अलैहिस्सलाम), अस्सलामु अला फ़लाँ! 'बन्दों से पहले अल्लाह पर सलाम, जिब्रईल पर सलाम, मीकाईल पर सलाम और फ़लाँ शख़्स पर सलाम वग़ैरह' फिर (एक दिन) नमाज़ से फ़ारिग़ होकर हज़रत नबी अकरम (ﷺ) हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़र्माया, अल्लाह तआला तो ख़ुद सलाम है इसलिये तुम जब (तशह्हुद के लिये) नमाज़ में बैठा करो, तो इस तरह कहा करो, **अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन** क्योंकि जब इस तरह सलाम भेजा जाएगा तो ज़मीन व आसमान में अल्लाह के जितने सालेह बन्दे मौजूद हैं सब पर सलाम पहुँच जाएगा। (इसके बाद कहो) **अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू** यह पढ़ने के बाद जो दुआ अल्लाह से माँगना चाहे माँगे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 3)

बाब 17 : तशह्हुद के बाद नबी अकरम (ﷺ) पर दरूद भेजने का तरीक़ा

227. हदीषे क़अब बिन उज्रह (रज़ि.) : अब्दुर्रहमान (रह.) बिन अबू लैला बयान करते हैं कि मुझे क़अब बिन उज्रह (रज़ि.) मिले और कहने लगे, मैं तुमको वो हदीष तोहफ़े में न दूँ जो नबी करीम (ﷺ) से मैंने ख़ुद सुनी है? मैंने कहा, क्यों नहीं! ज़रूर दीजिए। चुनाँचे उन्होंने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़

किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला ने हमें आप (ﷺ) पर और अहले बैत पर सलाम भेजने का तरीक़ा तो सिखला दिया है, हम आप (ﷺ) पर और अहले बैत पर किस तरह दरूद भेजें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस तरह कहो, **अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव् व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नक हमीदुम्मजीद; अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिंव् व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नक हमीदुम्मजीद। (सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 10)**

---

228. हदीषे अबू हुमैद सअदी (रज़ि.) : हज़रत अबू हुमैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम आप पर दरूद किस तरह भेजें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस तरह कहो, **अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव् व अज़्वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैत अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिंव् व अज़्वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारक्त अला आले इब्राहीम इन्नक हमीदुम्मजीद.**

(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 10)

बाब 18 : समिअल्ला हुलिमन हमिदह, रब्बना लकल् हम्द और आमीन कहने का बयान

229. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इमाम **समिअल्लाहु लिमन हमिदह** कहे तो तुम सब (मुक़तदी) **रब्बना! व लकल हम्द** कहो, इसलिये कि जिसका क़ौल मलाइका के क़ौल के मुताबिक़ हो गया उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ हो गए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 125)

---

230. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस वक़्त तुम में से कोई शख़्स आमीन कहता है तो उसके साथ ही आसमान पर मलाइका भी आमीन कहते हैं, फिर तुम्हारी और उनकी आमीन आपस में हम–आहंग (आपस में एक–सी) हो जाती है और कहने वाले के साबिक़ा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 112)**

---

231. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इमाम (नमाज़ पढ़ाते वक़्त) कहे, **'ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन'** तो सब आमीन कहो, इसलिये कि जिसका (आमीन) कहना मलाइका के (आमीन) कहने से मुताबिक़त हो जाएगा उसके तमाम साबिक़ा गुनाह मुआफ़ हो जाएँगें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 113)**

बाब 19 : मुक़्तदी पर इमाम की पैरवी लाज़िम है

232. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) घोड़े से गिर गए जिसकी वजह से आप (ﷺ) के जिस्म की दाँई जानिब छिल गई। हम आप (ﷺ) की इयादत के लिये हाज़िर हुए। जिस वक़्त हम आप (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे नमाज़ का वक़्त हो गया और आप (ﷺ) ने हमें बैठे–बैठे नमाज़ पढ़ाई और हमने भी बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब आप (ﷺ) नमाज़ अदा कर चुके तो फ़र्माया,

इमाम इसीलिये बनाया गया है कि उसकी पैरवी की जाए। लिहाज़ा जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर (अल्लाहु अकबर) कहो और जब वो रुकूअ में जाए तो तुम भी रुकूअ करो, और जब इमाम सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब इमाम **'समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह'** कहे तो तुम कहो, **'रब्बना लकल् हम्द'** और जब इमाम सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 128)**

---

233. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने बीमारी की हालत में अपने घर में नमाज़ पढ़ी और बैठकर पढ़ी तो कुछ लोगों ने आप (ﷺ) के पीछे खड़े होकर नमाज़ अदा की (यह देखकर) आप (ﷺ) ने उन्हें इशारे से बैठने का हुक्म दिया। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, इमाम बनाया ही इस मक़सद के लिये जाता है कि उसकी पैरवी की जाए लिहाज़ा जब वो रुकूअ में जाए तो तुम भी रुकूअ करो, और जब वो रुकूअ से सर उठाए तुम भी उठ जाओ, और जब बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठे–बैठे नमाज़ अदा करो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 51)**

---

234. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इमाम बनाया ही इस मक़सद से जाता है कि उसकी पैरवी की जाए चुनाँचे जब वो **'अल्लाहु अकबर'** कहे तो तुम भी **'अल्लाहु अकबर'** कहो और जब वो रुकूअ में जाए तो तुम भी रुकूअ करो, और जब वो **'समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह'** कहे तो तुम **'रब्बना लकल् हम्द'** कहो और जब इमाम सज्दे में जाए तो तुम भी सज्दा करो और जब इमाम बैठकर नमाज़ अदा करे तो तुम सब भी (उसके पीछे) बैठकर नमाज़ पढ़ो।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 82)

नोट : इमाम अगर बैठकर नमाज़ पढ़ाए तो मुक्तदियों को भी बैठकर नमाज़ पढ़ना चाहिये; इस मसले पर उ़लमा के बीच इख़्तिलाफ़ है। इमाम औज़ाई (रह.) और इमाम अह़मद (रह.) के नज़दीक इस ह़दीष पर अमल करना ज़रूरी है। इमाम मालिक (रह.) कहते हैं कि जो शख़्स खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता हो उसकी नमाज़ बैठकर पढ़ाने वाले के पीछे दुरुस्त नहीं। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.), इमाम शाफ़ई (रह.) और जुम्हूर उलमा के नज़दीक बैठकर पढ़ाने वाले के पीछे मुक़्तदियों को खड़े होकर नमाज़ पढ़नी चाहिये क्योंकि रसूले अकरम (ﷺ) ने अपने बीमारी के आख़री दिनों में बैठकर नमाज़ पढ़ाई और ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि.) और दीगर स़ह़ाब–ए–किराम ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी थी। इमाम की पैरवी का मतलब यह है कि मुक़्तदी ज़ाहिरी अरकान की अदायगी में इमाम की पैरवी करे।

बाब 21 : इमाम को अगर बीमारी या स़फ़र वग़ैरह का उ़ज़्र हो तो नमाज़ पढ़ाने के लिये वो अपना नाइब मुक़र्रर कर सकता है

235. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : ह़ज़रत उ़बैदुल्लाह (रह.) बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा बयान करते हैं कि मैं उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया, क्या आप मुझे रसूले अकरम (ﷺ) की बीमारी के बारे में कुछ न बताएँगी? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्यों नहीं! जब रसूले अकरम (ﷺ) बीमारी से गिराँ बार हुए तो आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने अ़र्ज़ किया, नहीं! सब आप (ﷺ) का इंतिज़ार कर रहे हैं। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मेरे लिये लगन में पानी रखो! ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, हमने आप (ﷺ) के इर्शाद की ता'मील की, चुनाँचे आप (ﷺ) ने बैठकर गुस्ल फ़र्माया और गुस्ल के बाद जब चलना चाहा तो आप (ﷺ) पर ग़शी (बेहोशी) तारी हो गई, लेकिन जब इफ़ाक़ा (कुछ आराम) हुआ तो आप (ﷺ) ने फिर दरयाफ़्त फ़र्माया, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने अ़र्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)!

वो सब आप (ﷺ) के मुंतज़िर हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे लिये तश्त में पानी रखो। फिर पानी रख दिया गया और आप (ﷺ) ने बैठकर गुस्ल फ़र्माया। लेकिन फिर जब उठकर चलने का इरादा किया तो आप (ﷺ) को फिर ग़श आ गया (थोड़ी देर बाद) फिर आराम हुआ तो आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! सब आप (ﷺ) का इंतिज़ार कर रहे हैं।

इधर लोगों की कैफ़ियत यह थी कि सब नमाज़े इशा के लिये मस्जिद में बैठे सब आप (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर थे बिल आख़िर आप (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को पैग़ाम भेजा कि वो नमाज़ पढ़ाएँ, जब एक आदमी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पास पहुँचा और उसने बताया कि आँहज़रत (ﷺ) ने हुक्म दिया है कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ! तो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) चूँकि रक़ीबुल क़ल्ब थे आपने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा कि ऐ उमर! आप लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि, आप इमामत के ज़्यादा हक़दार हैं (क्योंकि आप ही को हुक्म दिया गया है) चुनाँचे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उन तमाम दिनों में नमाज़ पढ़ाई। फिर एक दिन आप (ﷺ) की तबियत कुछ बहाल हुई तो आप (ﷺ) दो आदमियों का सहारा लेकर, जिनमें से एक हज़रत अब्बास (रज़ि.) थे, नमाज़ के लिये (मस्जिद में) तशरीफ़ ले गए जिस वक़्त आप (ﷺ) मस्जिद में पहुँचे तो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) लोगों की इमामत कर रहे थे जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) को तशरीफ़ लाते देखा तो पीछे हटना चाहा लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने इशारे से आप (रज़ि.) को पीछे हटने से मना कर दिया और फ़र्माया, मुझे अबू बक्र (रज़ि.) के पहलू में बिठा दो। चुनाँचे उन दोनों ने आप (ﷺ) को हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पहलू में बिठा दिया। रावी कहते हैं कि इसके बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) इस तरह नमाज़ पढ़ाने लगे कि वो ख़ुद तो नबी करीम (ﷺ) की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे।

उबैदुल्लाह (रह.) बयान करते हैं कि इसके बाद मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के पास गया और मैंने उनसे कहा कि, क्या मैं आपके सामने वो (तफ़्सीलात) बयान करूँ जो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी अकरम (ﷺ) की बीमारी के बारे में मुझसे बयान की हैं? उन्होंने कहा, सुनाओ! चुनाँचे हज़रत आइशा (रज़ि.) की बयानकर्दा पूरी रिवायत मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के सामने बयान की। और उन्होंने उसमें से किसी बात का इख़्तिलाफ़ नहीं किया; सिर्फ़ इतना कहा कि क्या हज़रत आइशा (रज़ि.) ने तुमको उस दूसरे शख़्स का नाम बताया है जो हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ थे? मैंने कहा, नहीं! हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा, वो हज़रत अली (रज़ि.) थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 51)**

---

236. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) की तबियत नासाज़ हुई और आपकी तक्लीफ़ बढ़ गई तो आप (ﷺ) ने अपनी तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्न अजमईन से बीमारी के दिनों में मेरे घर रहने की इजाज़त तलब की और सबने इजाज़त दे दी। उसी दरम्यान में (एक दिन) आप (ﷺ) दो आदमियों के कँधों पर हाथ रखकर बाहर तशरीफ़ ले गए, उस वक़्त आप (ﷺ) की हालत यह थी कि आप (ﷺ) के दोनों पाँव ज़मीन पर घिसट रहे थे, उन दो अश्ख़ास में से एक तो हज़रत अब्बास थे और दूसरे एक और शख़्स थे। हदीष के रावी हज़रत उबैदुल्लाह (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) की बातचीत का ज़िक्र हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से किया तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें मा'लूम है कि यह दूसरा शख़्स जिसका नाम हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नहीं लिया कौन था? मैंने कहा, मुझे मा'लूम नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा, यह हज़रत अली (रज़ि.) इब्ने अबी तालिब थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 14)

---

237. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करते हैं कि (जब रसूले अकरम ﷺ ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि. को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया तो) मैंने आप (ﷺ) से (इस हुक्म पर नज़रषानी की) बार-बार दरख़्वास्त की क्योंकि मुझे यह ख़याल आता था कि जो शख़्स भी आप (ﷺ) की जगह पर खड़ा होगा लोग उसे कभी पसंद न करेंगे बल्कि उसे मनहूस ख़याल करेंगे, लिहाज़ा मैं चाहती थी कि आप (ﷺ) हज़रत अबूबक्र को इस काम (इमामत) से मुआफ़ फ़र्मा दें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 83)**

---

238. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि, जिन दिनों रसूले अकरम (ﷺ) उस बीमारी में मुब्तला थे जिसमें आप (ﷺ) ने रहलत फ़र्माई, उन्हीं दिनों एक मर्तबा नमाज़ का वक़्त आ गया और अज़ान हो गई तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, हज़रत अबूबक्र से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ, अर्ज़ किया गया, (हज़रत) अबूबक्र (रज़ि.) नर्म दिल शख़्स हैं जब वो आप (ﷺ) की जगह खड़े होंगे तो (शिद्दते ग़म से) लोगों को नमाज़ न पढ़ा सकेंगे, आप (ﷺ) ने दोबारा अपना इर्शाद दोहराया, लोगों ने भी फिर वही अर्ज़ किया, तीसरी मर्तबा भी वही मुकालमा हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन तुम उन औरतों की मानिन्द हो जिन्होंने हज़रत युसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को वरगलाने की कोशिश की थी (जाओ! जाकर) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ! चुनाँचे (हज़रत अबूबक्र रज़ि. से कहा गया और) उन्होंने जाकर नमाज़ पढ़ाई (उसी दरम्यान में) रसूले अकरम (ﷺ) ने अपनी तबियत को कुछ बेहतर महसूस किया और आप (ﷺ) दो आदमियों के सहारे बाहर तशरीफ़ ले गए। आप (ﷺ) के तशरीफ़ ले जाने का वो मंज़र इस वक़्त भी मेरी नज़रों में फिर रहा है कि किस तरह बीमारी और ज़ुअफ़ (कमज़ोरी) की वजह से आप (ﷺ) के दोनों पाँव ज़मीन से घिसटते जा रहे थे। (आप ﷺ को तशरीफ़ लाते देखकर) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने पीछे हटना चाहा लेकिन आप (ﷺ) ने इशारे से उन्हें उसी जगह ठहरने का हुक्म दिया और आप (ﷺ) को क़रीब लाकर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पहलू में बिठा दिया गया। अब रसूले अकरम (ﷺ) नमाज़ पढ़ा रहे थे हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आपकी इक़्तिदा कर रहे थे और लोग हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ अदा कर रहे थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 39)**

---

239. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब रसूले अकरम (ﷺ) बीमार थे, (एक दिन) हज़रत बिलाल (रज़ि.) आप (ﷺ) को नमाज़ के लिये बुलाने आए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अबूबक्र (रज़ि.) से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नरम दिल इंसान हैं जब आपकी जगह खड़े होंगे तो (शिद्दते गिरया की वजह से) उनकी आवाज़ न निकल सकेगी और क़ुर्आन की तिलावत न कर सकेंगे अगर (उनके बजाय) आप (ﷺ) (हज़रत) उमर (रज़ि.) को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा! आप (ﷺ) ने दोबारा इर्शाद फ़र्माया, अबूबक्र (रज़ि.) से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। चुनाँचे मैंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) से कहा कि आप रसूले अकरम (ﷺ) से दरख़्वास्त करे कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नरमदिल इंसान हैं इसलिये जब वो आपकी जगह पर खड़े होंगे तो उनकी आवाज़ न निकल सकेगी और लोगों को न क़ुर्आन सुना सकेंगे लिहाज़ा अगर आप (ﷺ) हज़रत उमर (रज़ि.) को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। (हज़रत हफ़्सा रज़ि. ने अर्ज़ किया) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारा यह अंदाज़ बिल्कुल वैसा है जैसा उन औरतों का था जिनसे हज़रत युसुफ़ (अलैहिस्सलाम) का वास्ता पड़ा था, जाओ! हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ इसके बाद जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने में मसरूफ़ हो गए तो आपने अपनी तबियत को कुछ बेहतर महसूस किया और आप (ﷺ) उठकर दो शख़्सों के सहारे चलकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए जबकि आप (ﷺ) के पाँव ज़मीन पर घिसटते जा रहे थे जब

ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की आहट पाकर पीछे हटना चाहा तो आप (ﷺ) ने उन्हें इशारे से अपनी जगह खड़े रहने का हुक्म दिया और ख़ुद आकर ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की बाँए जानिब बैठ गए फिर सूरते हाल यह थी कि अबूबक्र (रज़ि.) खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहे थे और रसूले करीम (ﷺ) बैठकर नमाज़ पढ़ा रहे थे। ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नबी अकरम (ﷺ) की इक़्तिदा कर रहे थे और बाक़ी सब लोग ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 68)**

---

240. ह़दीषे अनस बिन मालिक अन्स़ारी (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.), जिन्हें शर्फ़े सोहबत से बढ़कर यह सआदत भी हासिल है कि मुद्दतों आप (ﷺ) के घर पर दिन–रात हाज़िर रहकर ख़िदमत–गुज़ार रहे हैं, बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) की आख़िरी अ़लालत (बीमारी) के दिनों में ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ की इमामत फ़र्माते रहे, पीर के दिन जब तमाम लोग स़फ़ बाँधे नमाज़ पढ़ रहे थे कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने हुज्रे का पर्दा उठाकर हमारी तरफ़ देखा, उस वक़्त आप (ﷺ) खड़े थे और आप (ﷺ) का चेहरा चमक रहा था। आप (ﷺ) (हमें नमाज़ में मशग़ूल देखकर) खुलकर मुस्कुराए (उधर हमारी हालत यह थी कि) हम रसूले अकरम (ﷺ) को देखकर ख़ुशी से पागल हुए जा रहे थे चुनाँचे ह़ज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) उल्टे पाँव पीछे हटने लगे ताकि ख़ुद नमाज़ियों की स़फ़ में खड़े हो जाएँ (और आप ﷺ इमामत कराएँ) इसलिये कि उन्होंने ख़याल किया था कि आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ाने तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन रसूले अकरम (ﷺ) ने हाथ के इशारे से (हमें मना फ़र्मा दिया) गोया हुक्म दिया कि सब अपनी–अपनी जगह खड़े रहकर नमाज़ मुकम्मल करो और पर्दा डाल लिया और उसी दिन आप (ﷺ) ने रेहलत फ़र्माई। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 46)**

---

241. ह़दीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि (अपनी आख़िरी अ़लालत के ज़माने में) तीन दिन रसूले अकरम (ﷺ) नमाज़ पढ़ाने बाहर तशरीफ़ न लाए, उन अय्याम (दिनों) में ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाते रहे। एक दिन नबी करीम (ﷺ) ने अपने हुज्रे मुबारक का पर्दा उठाया और हमें जब आप (ﷺ) के चेहरे मुबारक का दीदार मुयस्सर आया तो हमारे लिये उस वक़्त यह ऐसा अनोखा और ख़ुशकुन नज़ारा था जिससे ख़ूबसूरत मंज़र हमने ज़िंदगी भर नहीं देखा। फिर आप (ﷺ) ने अपने हाथ से ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को इशारा किया कि वो इमामत करें और पर्दा गिरा लिया। इसके बाद आप (ﷺ) अपनी वफ़ात तक (कमज़ोरी की वजह से) पर्दा उठाकर अपनी ज़ियारत कराने पर भी क़ादिर न हो सके। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 46)**

---

242. ह़दीषे अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि जिन दिनों रसूले अकरम (ﷺ) बीमार थे और जब आप (ﷺ) की बीमारी ने शिद्दत इख़्तियार कर ली तो आप (ﷺ) ने हुक्म दिया की ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ की इमामत कराएँ इस पर उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि अबूबक्र (रज़ि.) नरमदिल इंसान हैं वो आप (ﷺ) की जगह खड़े होंगे तो (शिद्दत की वजह से) नमाज़ न पढ़ा सकेंगे, आप (ﷺ) ने दोबारा इर्शाद फ़र्माया, अबूबक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया जाए कि वो नमाज़ की इमामत करें। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने दोबारा अपनी बात दोहराई, आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जाओ! ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। तुम औ़रतें वही हो जिन्होंने ह़ज़रत युसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम) को वरग़लाने की कोशिश की थी! चुनाँचे ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास क़ासिद को (यह हुक्म देकर) भेजा गया और आप (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) की ज़िंदगी में लोगों की इमामत की। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 46)**

बाब 22 : अगर इमाम को आने में देर हो जाए तो लोग किसी दूसरे शख़्स को इमाम बना सकते हैं बशर्ते कि उसके इमाम बनाने से किसी फ़साद का ख़तरा न हो

243. हदीषे सहल बिन सअ़द अस्साएदी (रज़ि.) : हज़रत सहल बिन सअ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) क़बीले बनी अम्र बिन औ़फ़ के बीच सुलह कराने तशरीफ़ ले गए थे इसी बीच नमाज़ का वक़्त हो गया इसलिये मुअज़्ज़िन ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से कहा, क्या आप नमाज़ पढ़ा देंगे? मैं तक्बीर कहूँ? हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, हाँ! चुनाँचे हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने लगे। अभी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे कि रसूले करीम (ﷺ) तशरीफ़ ले आए और लोगों से बचते–बचाते (अगली) सफ़ में आकर खड़े हो गए। आप (ﷺ) को देखकर लोग दस्तक देने लगे लेकिन हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) नमाज़ पढ़ते वक़्त किसी दूसरी तरफ़ मुतवज्जह नहीं हुआ करते थे (इसलिये आपने तवज्जुह न दी) फिर लोग जब ज़्यादा दस्तक देने लगे तो आप मुतवज्जह हुए और नबी अकरम (ﷺ) को देखकर पीछे हटना चाहा तो आप (ﷺ) ने इशारे से उन्हें हुक्म दिया कि अपनी जगह खड़े रहो, हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) के इस हुक्म (शर्फ़े इमामत बख़्शने) पर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की हम्दो–षना की और पीछे हटकर सफ़ में सबके बराबर खड़े हो गए और रसूले करीम (ﷺ) ने आगे तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, ऐ अबूबक्र!जब मैंने हुक्म दिया था कि अपनी जगह खड़े रहो तो क्यों न खड़े रहे? हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, अबू कहाफ़ा के बेटे में इतनी सकत कहाँ थी कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के आगे खड़ा होता। फिर आप (ﷺ) मुक़्तदियों की जानिब मुतवज्जह हुए और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने बहुत ज़्यादा दस्तक दी! यह हाथ से आहट पैदा करना तो औ़रतों के लिये है, तुम्हें जब नमाज़ में कोई ख़िलाफ़ बात पेश आ जाए तो सुब्हानल्लाह कहा करो, जब तुम सुब्हानल्लाह कहोगे तो इमाम तुम्हारी तरफ़ मुतवज्जह हो जाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 48)**

बाब 23 : नमाज़ में अगर कोई ग़ैर–मअ़मूली बात पेश आ जाए तो मर्द सुब्हानल्लाह कहें और औ़रतें हाथ से आहट पैदा करें

244. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (नमाज़ में अगर कोई ख़िलाफ़े–मअ़मूल बात पेश हो जाए तो) मर्द सुब्हानल्लाह! कहें और औ़रतें हाथ से आहट करें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अ़मल फ़िस्सलात बाब 5)**

बाब 24 : नमाज़ ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ से अदा करने और बेहतरीन तरीक़े से मुकम्मल करने का बयान

245. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम लोग ख़याल करते हो कि मैं सिर्फ़ क़िब्ले की तरफ़ देखता हूँ? हालाँकि अल्लाह की क़सम मुझे तुम्हारे ख़ुशूअ़ और रुकूअ़ की भी ख़बर होती है और जब मेरे पीछे खड़े होते हो, मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 40)**

---

246. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, रुकूअ और सज्दा अच्छी तरह किया करो। अल्लाह की क़सम! जब तुम रुकूअ और सज्दे करते हो तो मैं तुम्हें अपने पीछे से (या आप ﷺ ने फ़र्माया, अपनी पीठ पीछे) बख़ूबी देखता हूँ। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 88)**

बाब 25 : इमाम से पहले रुकूअ या सज्दे में जाने की मुमानअत

247. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स (नमाज़ में) अपना सर इमाम से पहले (सज्दे या रुकूअ से) उठा लेता है क्या उसे इस बात का ख़ौफ़ नहीं है कि अल्लाह तआला उसका सर गधे की तरह कर दे या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी सूरत गधे की सूरत की तरह बना दे। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 53)**

बाब 28 : जमाअत की स़फ़ों को बराबर और सीधा रखने का हुक्म

248. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवयात करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी स़फ़ों को बराबर और सीधा रखा करो क्योंकि स़फ़ों को सीधा और बराबर रखना नमाज़ को मुकम्मल करने और दुरुस्त तरीक़े पर अदा करने के अमल का हिस्सा है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 74)**

---

249. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी स़फ़ों को बिल्कुल दुरुस्त (सीधा और बराबर) रखा करो, **याद रखो! जब तुम मेरी पीठ के पीछे खड़े होते हो तब भी मैं तुमको देखता हूँ।** **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 71)**

---

250. हदीषे नो'मान बिन बशीर (रज़ि.) : हज़रत नो'मान (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको चाहिए कि तुम हर हालत में अपनी (जमाअत की) स़फ़ों को दुरुस्त, बराबर और सीधा रखो वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरों को एक–दूसरे की तरफ़ से फेर देगा (दिलों में इख़्तिलाफ़ डाल देगा)।
(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 71)

---

251. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर लोगों को मा'लूम हो जाता कि अज़ान देने और स़फ़े अव्वल में शामिल होने का किस क़दर ष़वाब है और उनको (इन दोनों का) मौक़ा सिर्फ़ क़ुर्आ–अंदाज़ी से मिल सकता तो ज़रूर आपस में (इन दोनों या'नी अज़ान और स़फ़े अव्वल के लिये) क़ुर्आअंदाज़ी करते और लोगों को मा'लूम होता कि अव्वल वक़्त नमाज़ अदा करने का ष़वाब किस क़दर है तो इस काम में भी एक–दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करते और अगर लोगों को मा'लूम होता कि नमाज़े इशा और नमाज़े फ़ज्र (बा–जमाअत) अदा करने का ष़वाब कितना ज़्यादा है तो वो इन दोनों में ज़रूर शामिल होते ख़्वाह उनको सुरीन के बल घसीटकर आना पड़ता। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 9)**

बाब 29 : मर्दों की पिछली सफ़ में नमाज़ पढ़ने वाली औरतें उस वक़्त तक सज्दे से अपना सर न उठाएँ जब तक मर्द सर न उठा लें

252. हदीसे सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि (कपड़ों की कमी की वजह से) कुछ लोग अपने तहबंद बच्चों की मानिन्द गले में बाँधे रसूले अकरम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे इसलिये ख़्वातीन से कहा जाता था कि जब तक मर्द सज्दे से सर उठाकर बिल्कुल सीधे न बैठ जाएँ ख़्वातीन सज्दे से सर न उठाएँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब)**

बाब 30 : अगर फ़ित्ने का ख़ौफ़ न हो तो ख़्वातीन को मस्जिद में जाने की इजाज़त है लेकिन ख़ुश्बू लगाकर जाना मना है

253. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारी बीवियाँ अगर मस्जिद में जाने की इजाज़त तलब करे तो उन्हें मना न किया करो।

(सहीह बुख़ारी किताबुन् निकाह बाब 116)

---

254. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) की एक बीवी सुबह और इशा की नमाज़ बा-जमाअत अदा करने के लिये मस्जिद जाया करती थीं। उनसे कहा गया, आपको मा'लूम है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ख़्वातीन का मस्जिद में जाना न पसंद करते हैं और ग़ैरत खाते हैं तो आप क्यों बाहर निकलती हैं? उन्होंने कहा, हज़रत उमर (रज़ि.) मुझे मना क्यों नहीं करते? मुझे रोकने से उन्हें क्या चीज़ मानेअ है? उस शख़्स ने जवाब दिया, इसलिये कि रसूले अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से मना न करो। बस यही बात हज़रत उमर (रज़ि.) को आपको रोकने से मानेअ है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 13)

---

255. हदीसे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि अगर रसूले अकरम (ﷺ) देखते कि औरतों ने (बनाव-सिंगार करके) ख़ुद को क्या बना लिया है (कैसे-कैसे फ़ैशन ईजाद कर लिये हैं) तो आप (ﷺ) ख़्वातीन को मसाजिद में जाने से मना फ़र्मा देते जिस तरह बनी इस्राईल की ख़्वातीन को मना कर दिया गया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 163)

बाब 31 : अगर बुलंद आवाज़ से तिलावत करने में फ़साद का अंदेशा हो तो जिन नमाज़ों में बा-आवाज़े बुलन्द क़िरअत की जाती है उनमें भी आहिस्ता आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ लेना चाहिए

256. हदीसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : आयते मुबारका **'और अपनी नमाज़ (में क़ुर्आन) न बहुत ज़्यादा बुलन्द आवाज़ से पढ़ो न बहुत ज़्यादा पस्त आवाज़ से।'** (बनी इस्राईल : 110) के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि यह आयत उस दौर में नाज़िल हुई जब रसूले अकरम (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में (एक घर में)

छुपकर नमाज़ अदा किया करते थे और सूरतेहाल ऐसी थी कि जब क़िरअत बुलन्द आवाज़ से की जाती और मुश्रिक सुन लेते तो क़ुर्आन मजीद, क़ुर्आन नाज़िल फ़र्माने वाले और क़ुर्आन लाने वाले सबको गालियाँ दिया करते थे। अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़र्माया, **'व ला तज्हर बिसलातिक व ला तुख़ाफ़ित बिहा'** या'नी क़ुर्आन मजीद इतनी बुलन्द आवाज़ से न पढ़ो कि मुश्रिकीन सुनें और आवाज़ इतनी पस्त भी न हो कि आप (ﷺ) के सहाबा किराम (रज़ि.) भी न सुन सकें बल्कि **'वब्तग़ि बैन ज़ालिक सबीला'** 'इन दोनों के बीच औसत दर्जे का लहजा इख़्तियार करो।' ताकि सहाबा किराम सुनकर आप (ﷺ) से क़ुर्आन को सीख सकें। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तौहीद बाब 34)**

बाब 32 : क़िरअत को कान लगाकर सुनने का हुक्म :

257. हदीसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इर्शादे बारी तआला **ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही** (अल् क़ियामा : 16) के बारे में बयान करते हैं कि जब हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) वह्य लेकर आते तो रसूले अकरम (ﷺ) अपनी ज़ुबान और अपने होंठों को हरकत दिया करते थे जिससे आप (ﷺ) को तक्लीफ़ हुआ करती थी और यह बात आप (ﷺ) के चेहरे से साफ़ ज़ाहिर होती थी चुनाँचे अल्लाह तआला ने सूरह क़ियामा में यह आयते करीमा नाज़िल फ़र्माई, **ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही. इन्ना अलैना जम्अहु व क़ुर्आनहु** (क़ियामा : 16-17) 'ऐ नबी (ﷺ)! इस वह्य को जल्दी–जल्दी याद करने के लिये अपनी ज़ुबान को हरकत न दो, इसको याद करा देना और पढ़वा देना मेरे ज़िम्मे है।' चुनाँचे **फ़ इज़ा क़रनाहू फत्तबिअ क़ुर्आनहु** (क़ियामा : 18) **सुम्म इन्ना अलैना बयानहु** (तर्जुमा) : **'फिर इसका मतलब समझा देना भी और आप (ﷺ) की ज़ुबान से इसको लोगों के सामने बयान कर देना भी हमारी ज़िम्मेदारी है।'** (क़ियामा : 19) चुनाँचे (यह आयत नाज़िल होने के बाद) जब हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आते तो आप (ﷺ) सर झुकाकर सुनते रहते और जब जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) चले जाते तो अल्लाह तआला के वादे के मुताबिक़ आप (ﷺ) उसे पढ़ लिया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर 75 सूरतुल क़ियामा बाब 2)

---

258. हदीसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इर्शादे बारी तआला का **ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही.** शाने नुज़ूल यह बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) नुज़ूले वह्य के वक़्त सख़्त दिक़्क़त महसूस किया करते थे क्योंकि आप (ﷺ) अपने दोनों होंठ हिलाया करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, मैं तुमको बिऐनिही उसी अंदाज़ में होंठ को हिलाकर दिखाता हूँ जिस तरह जनाब रसूले अकरम (ﷺ) अपने होंठ हिलाया करते थे। और सईद बिन ज़ुबैर (रह.), जिन्होंने यह हदीस हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत की है, ने कहा कि मैं तुमको दिखाता हूँ कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने किस तरह होंठ हिलाए थे। फिर आप (रह.) ने अपने होंठ हिलाकर दिखाए। चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह हुक्म दिया, **'ऐ नबी (ﷺ)! इस वह्य को जल्दी–जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत न दो, इसको याद करा देना और पढ़वा देना मेरे ज़िम्मे है।'** (अल क़ियामा : 16-17) इसलिये **'जब हम उसे पढ़ रहे हों तुम उसकी क़िरअत को ग़ौर से सुनते रहो।'** (अल क़ियामा : 18) **'फिर उसको पढ़वा देना और उसका मतलब समझा देना भी मेरे ज़िम्मे है।'** (अल क़ियामा : 19) चुनाँचे यह आयत नाज़िल होने के बाद आप (ﷺ) का तरीक़े–कार यह रहा कि जब हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आते आप (ﷺ) कान लगाकर सुनते रहते और जब वो वापस चले जाते तो रसूले करीम (ﷺ) नाज़िलशुदा आयात को बिल्कुल उसी तरह पढ़ लेते जिस तरह जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने पढ़ा होता।

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल वह्य बाब 4)

बाब 33 : नमाज़े फ़ज्र में क़ुर्आन बा-आवाज़े बुलन्द पढ़ने और जिन्नात के सामने तिलावते क़ुर्आन का बयान

259. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, (एक मर्तबा) रसूले करीम (ﷺ) अपने चंद अस्हाब के साथ बाज़ारे उक्काज़ का इरादा करके रवाना हुए। यह उस ज़माने की बात है जब शयातीन के लिये आसमानी ख़बरों के दरवाज़े बन्द कर दिए गए थे और उन पर आग के शोले बरसाए जाते थे चुनाँचे (ख़बरों के जासूसी में जाने वाले) शयातीन लौटकर जब अपने साथियों के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा, तुम पर क्या आफ़त पड़ी (जो खाली हाथ वापस आ गए हो?) उन्होंने जवाब दिया आसमानी ख़बरों तक हमारी रसाई (पहुच) रोक दी गई है और हम पर आग के शोले बरसाए गए हैं।

उनकी क़ौम (के बड़ों) ने कहा, ख़बरों तक पहुँच में जो-यह रुकावट पैदा हुई है ज़रूर इसका सबब कोई नई सूरते हाल है, चुनाँचे तुम्हें चाहिए कि ज़मीन के मश्रिक़ व मग़्रिब में हर तरफ़ फैल जाओ और पता लगाओ कि आसमानी ख़बरों तक हमारी रसाई में क्या चीज़ हाईल हो गई है (चुनाँचे जिन्नात तलाश में हर तरफ़ फैल गए) जो गिरोह तहामा की तरफ़ आया था वो नबी करीम (ﷺ) के पास पहुँचा आप (ﷺ) उस वक़्त बाज़ारे उक्काज़ की तरफ़ जाने के लिये मक़ामे-नख़्ला तक पहुँचे थे और (जिस वक़्त जिन्नों का यह गिरोह वहाँ पहुँचा) आप (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र अदा कर रहे थे। उन जिन्नात ने जब क़ुर्आन मजीद सुना तो पूरी तरह उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो गए और कहने लगे, अल्लाह की क़सम! यही वो चीज़ है जो आसमान की ख़बरों और हमारे बीच हाइल हो गई है। चुनाँचे वहाँ से गिरोह जब अपनी क़ौम के पास पहुँचा तो अपनी क़ौम से मुख़ातब होकर कहने लगे, '**हमने एक बड़ा ही अजीब क़ुर्आन सुना है जो राहे-रास्त की तरफ़ रहनुमाई करता है इसलिये हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब हम अपने रब के साथ हर्गिज़ किसी को शरीक नहीं करेंगे।**' (सूरह जिन्न : 1-2) इसी मौक़े पर अल्लाह तआला ने नबी करीम (ﷺ) पर 'सूरह जिन्न' नाज़िल फ़र्माई जो **क़ुल ऊहिय इलय्य इन्नहुस्तमअ नफ़रुम्मिनल जिन्नि** से शुरू होती है और जिसमें जिन्नों की बातें वह्य की गई हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 105)**

बाब 34 : ज़ुहर और अस्र की नमाज़ में क़िरअते क़ुर्आन का बयान

260. हदीषे अबू क़तादा (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) नमाज़े ज़ुहर की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा और दो सूरतें (हर रकअत में एक सूरत) पढ़ा करते थे, पहली रकअत में लम्बी क़िरअत करते थे और दूसरी रकअत में मुख़्तसर और कभी-कभी एक आध आयत हमें भी सुनाई देती थी और अस्र की नमाज़ में भी (पहली दो रकअतों में से हर रकअत में) सूरह फ़ातिहा और एक-एक सूरत पढ़ा करते थे, पहली रकअत में क़िरअत लम्बी होती थी और फ़ज्र की नमाज़ में पहली रकअत में क़िरअत लम्बी फ़र्माते थे और दूसरी में मुख़्तसर। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 96)**

---

261. हदीषे सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि अहले कूफ़ा ने हज़रत उमर (रज़ि.) से हज़रत सअद (रज़ि.) की शिकायत की तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत सअद (रज़ि.) को मअज़ूल (सस्पेंड) कर दिया और कूफ़ा का हाकिम हज़रत अम्मार (रज़ि.) को बना दिया, अहले कूफ़ा ने हज़रत सअद (रज़ि.) की जो शिकायत की थीं उनमें यह शिकायत भी थी कि वो नमाज़ अच्छी तरह नहीं पढ़ाते, चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत सअद (रज़ि.) को बुलवाया और उनसे कहा, ऐ अबू इस्हाक़ (रज़ि.)! यह लोग कहते हैं कि आप नमाज़ अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। हज़रत सअद (रज़ि.) ने जवाब दिया कि मैं तो इनको अल्लाह

की क़सम! वैसी ही नमाज़ पढ़ाता हूँ जैसी नमाज़ रसूले करीम (ﷺ) की होती थी मैंने उसमें कमी बेशी नहीं की। जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ाता हूँ तो पहली दो रकअतों को लम्बी करता हूँ और दूसरी दोनों रकअतों को मुख़्तसर रखता हूँ। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, ऐ अबू इस्हाक़ (रज़ि.)! आप से यही उम्मीद थी। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत सअद (रज़ि.) के साथ एक या चंद लोगों को कूफ़ा भेजा और उनके ज़रिये से हज़रत सअद के ख़िलाफ़ शिकायतों के मुता'ल्लिक़ तहक़ीक़ (जाँच) करवाई।

उन लोगों ने कूफ़ा की हर मस्जिद में जाकर लोगों से पूछा, सबने हज़रत सअद (रज़ि.) के अच्छे तर्जे अमल को सराहा लेकिन जब बनी अबस की मस्जिद में पहुँचे (और वहाँ के लोगों से पूछा) तो एक शख़्स, जिसका नाम उसामा बिन क़तादा और कुन्नियत अबू सअदा थी, उठा और कहने लगा कि अब जब आप लोगों ने क़सम दिलाकर पूछा है तो फिर वाक़िया यह है कि हज़रत सअद (रज़ि.) न तो फ़ौजी दस्ते के साथ ख़ुद जिहाद पर जाया करते थे, और न माले ग़नीमत की तक़्सीम मसावियाना (इन्साफ़ के) तरीक़े पर करते थे और न मुक़द्दमात का फ़ैसला करते वक़्त इंसाफ़ करते थे (उसके यह इल्ज़ामात सुनकर) हज़रत सअद (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! अब सच और झूठ के फ़ैसले की यही सूरत है कि मैं तीन दुआएँ माँगता हूँ (अगर यह शख़्स सच्चा होगा तो उनके वबाल से महफ़ूज़ रहेगा) : ऐ मौला! अगर तेरा यह बन्दा झूठा है और रियाकारी से हुसूले शोहरत के ख़ातिर यह बातें बना रहा है तो इसको लम्बी उम्र अता फ़र्मा, इसे तवील फ़क्र (तंगी, फ़ाक़ाकशी) में मुब्तला कर और इसे फ़ित्नों की आमाजगाह बना। रावी कहते हैं, उसके बाद उस शख़्स की हालत यह थी कि जब उससे हाल–चाल पूछा जाता था तो कहा करता था, क्या पूछते हो! एक बदबख़्त और मुसीबतज़दा बूढ़ा हूँ मुझे हज़रत सअद (रज़ि.) कर बद्दुआ लग गई है। हदीषों के रावियों में से अब्दुल मालिक (रह.) रावी बयान करते हैं, मैंने बाद के दौर में उस शख़्स को देखा है। बुढ़ापे की वजह से उसकी भँवें लटककर आँखों पर आ गई थीं और रास्तों में पड़ा आती–जाती लड़कियों का रास्ता रोककर उन्हें छेड़ा करता था और उनके चुटकियाँ भरा करता था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 95)**

बाब 35 : फ़ज्र और मग़्रिब की नमाज़ों में तिलावते क़ुर्आन का बयान

262. हदीषे अबू बर्ज़ा (रज़ि.) : हज़रत अबू बर्ज़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र ऐसे वक़्त पढ़ते थे जब इतनी रोशनी फैल जाए कि हर शख़्स अपने हमनशीन को पहचान ले। और (नमाज़े फ़ज्र में) साठ से सौ तक क़ुर्आनी आयात पढ़ा करते थे और नमाज़े ज़ुहर सूरज ढलने के बाद पढ़ते थे और नमाज़े अस्र ऐसे वक़्त में पढ़ा करते थे कि (नमाज़ के बाद) एक शख़्स मदीना के आख़िरी किनारे तक जाकर वापस आ जाए और सूरज चमक रहा हो और नमाज़े इशा को एक तिहाई रात तक मुअख़्ख़र (देरी) कर देने में भी कोई हर्ज नहीं समझते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 11)**

---

263. हदीषे उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि.) ने मुझे सूरह **वल मुर्सलाते उर्फ़ा** पढ़ते सुना तो कहा, बेटे! अल्लाह की क़सम! तुम्हारे इस सूरत की तिलावत से मुझे याद आ गया कि सबसे आख़िरी सूरह जो मैंने नबी करीम (ﷺ) को पढ़ते सुना, वो यही थी, आप (ﷺ) ने इस सूरत को मग़्रिब की नमाज़ में पढ़ा था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 98)**

---

264. हदीषे ज़ुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) : हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम (ﷺ) को नमाज़े मग़्रिब में सूरह **'अत् तूर'** पढ़ते सुना है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 99)**

बाब 36 : इशा की नमाज़ में क़िरअत का बयान

265. हदीषे बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) (एक मर्तबा) सफ़र में थे और आपने नमाज़े इशा की दो रकअतों में से एक में सूरह **'वत्तीनि वज़्ज़ैतून'** तिलावत फ़र्माई थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 100)

---

266. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) नमाज़े (इशा) हज़रत रसूले अकरम (ﷺ) के पीछे पढ़कर जाते थे और जाकर अपने क़बीले को नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक मर्तबा आपने नमाज़े (इशा) में सूरह बक़र पढ़ी। रावी बयान करते हैं कि एक शख़्स ने जमाअत से निकलकर (अलग) हल्की नमाज़ पढ़ी (और चला गया) जब हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को इसकी इत्तिला मिली तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, वो शख़्स यक़ीनन मुनाफ़िक़ है। आप (रज़ि.) के मुनाफ़िक़ कहने की ख़बर जब उस शख़्स को हुई तो वो रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम मेहनतकश मजदूर हैं (दिन भर) ऊँटों की मदद से पानी निकालते, लादते और पहुँचाते हैं और हज़रत मुआज़ (रज़ि.) की यह कैफ़ियत है कि बीती रात उन्होंने हमें (इशा की) नमाज़ पढ़ाई तो उसमें (पूरी) सूरह बक़रह पढ़ी, तो मैंने जमाअत से अलग होकर नमाज़ पढ़ ली, अब हज़रत मुआज़ (रज़ि.) कहते हैं कि मैं मुनाफ़िक़ हूँ यह सब सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ (रज़ि.) से मुख़ातब होकर फ़र्माया, ऐ मुआज़! क्या तुम लोगों को फ़ित्ने में मुब्तला करना और दीन से नफ़रत दिलाना चाहते हो? (जो यह तर्ज़े अमल इख़्तियार किया है) यह कलिमात आप (ﷺ) ने तीन बार इर्शाद फ़र्माए, सूरह **'वशशम्सि वज़्ज़ुहाहा'** और **'सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअ़ला'** और इसी तरह की दूसरी (मुख़्तसर) सूरतें पढ़ा करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 73)**

बाब 37 : इमाम के लिये हुक्म है कि ऐसी नमाज़ पढ़ाए जो हर लिहाज़ से मुकम्मल, लेकिन हल्की हो, किसी पर बोझ न बने

267. हदीषे अबू मस्ऊद अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स रसूले अकरम (ﷺ) के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं फ़लाँ शख़्स की वजह से नमाज़े फ़ज्र में शरीक नहीं हो सकता क्योंकि वो क़िरअत बहुत लम्बी कर देते हैं। हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले अकरम (ﷺ) को नसीहत के वक़्त कभी इस क़दर ग़ज़बनाक नहीं देखा जितना उस दिन थे। फिर आप (ﷺ) लोगों से मुख़ातब होकर फ़र्माया, ऐ लोगों! तुममें से कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को दीन से मुतनफ़्फ़िर करते (नफ़रत दिलाते) हैं। याद रखो! तुममें से जो शख़्स जब भी इमामत के फ़राइज़ निभाए, उस पर लाज़िम है कि नमाज़ मुख़्तसर पढ़ाए क्योंकि मुक़्तदियों में बूढ़े, कमज़ोर और काम–काज वाले (जिन्हें जल्दी जाना होता है) सभी क़िस्म के लोग होते हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 13)

---

268. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स दूसरों को नमाज़ पढ़ा रहा हो तो उसे चाहिए कि हल्की नमाज़ पढ़ाए (जो किसी पर बोझ न बने) क्योंकि नमाज़ियों में कमज़ोर, बीमार, बूढ़े हर तरह के लोग होते हैं और जब अपनी नमाज़ अकेले में पढ़े तो जिस क़दर चाहे लम्बी करे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 62)**

---

269. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) नमाज़ मुख़्तसर पढ़ाते थे लेकिन हर लिहाज़ से मुकम्मल होती थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 64)

---

270. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने किसी इमाम के पीछे नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ से ज़्यादा हल्की और मुकम्मल नमाज़ नहीं पढ़ी और अगर आप (ﷺ) किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो तो नमाज़ को और ज़्यादा हल्का कर देते थे इस डर से कि कहीं उसकी माँ परेशान न हो (और नमाज़ में तवज्जह क़ायम न रख सके)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 65)**

---

271. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं जब नमाज़ शुरू करता हूँ तो मेरा इरादा होता है कि उसे लम्बा करूँ लेकिन जब मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ तो नमाज़ को मुख़्तसर कर देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे के रोने की वजह से उसकी माँ सख़्त परेशान हो रही होगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 65)**

बाब 38 : नमाज़ के तमाम अरकान एतदाल से अदा करने और नमाज़ को हल्का करने का हुक्म

272. हदीषे बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) की नमाज़ में क़ियाम और क़अदे के सिवा बाक़ी सब अरकान या'नी रुकूअ व सुजूद, दोनों सज्दों के बीच का वक़्फ़ा (जलसा) और रुकूअ से सर उठाने के बाद खड़े होने का वक़्फ़ा (क़ौमा) सबकी मिक़्दार तक़्रीबन बराबर हुआ करती थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 121)

---

273. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, मैं इस काम में कोताही नहीं करता कि तुम्हें उसी तरह की नमाज़ पढ़ाऊँ जैसे नबी करीम (ﷺ) हमको पढ़ाया करते थे और जो आप (ﷺ) को पढ़ाते हुए मैंने देखा है।

हदीष के रावी षाबित (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) को (नमाज़ में) एक ऐसी चीज़ करते देखा है जो तुम लोग नहीं करते। हज़रत अनस (रज़ि.) जब रुकूअ से सर उठाते तो इतना लम्बा क़ियाम किया करते थे गोया आप सज्दे में जाना भूल गए हैं और (इसी तरह) दोनों सज्दों के बीच भी (इतना लम्बा वक़्फ़ा करते थे) कि देखने वाला ख़याल करता, शायद आप दूसरा सज्दा करना भूल ही गए हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 140)

बाब 39: इमाम की पैरवी करने और हर काम इमाम के बाद करने का बयान

274. हदीषे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) : हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हम रसूले अकरम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ा करते तो जिस वक़्त आप (ﷺ) **'समिअल्लाहु लिमन हमिदह'** कहते (या'नी रुकूअ से सर उठाते) तो कोई शख़्स उस वक़्त तक अपनी कमर न झुकाता (सज्दे में जाने की कोशिश न

करता) जब तक आप अपनी पेशानी मुबारक ज़मीन पर न रख देते। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 133)**

बाब 42 : रुकूअ और सज्दे में क्या पढ़ना चाहिये

275. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) अपने रुकूअ और सज्दे में अक्षर यह कलिमात पढ़ा करते थे '**सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मग़्फ़िरली।**' गोया इस तरह आप (ﷺ) कुर्आने हकीम के हुक्म पर अमल करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 139)

नोट : कुर्आन मजीद में इर्शादे बारी तआला है, तो तुम अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करो और उससे मग़्फ़िरत की दुआ माँगो (सूरह नस्र : 3)। बयान की गई हदीष में इसी हुक्म की तरफ़ इशारा किया गया है।

बाब 44 : सज्दे में किस–किस अज़्व (अंग) को ज़मीन पर टिकाना ज़रूरी है और सज्दा करते वक़्त बालों और कपड़ों को समेटने और बालों को बाँधने (जूड़ा बनाने) की मुमानअत

276. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) को हुक्म दिया गया था कि सज्दे के वक़्त सात अअज़ा (अंग) ज़मीन पर टिकाएँ और बालों और कपड़ों को न समेटें (वो सात अअज़ा यह हैं) पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने, और दोनों पाँव। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 133)**

बाब 46 : सज्दे में ऐतदाल पैदा करने, हथेलियों को ज़मीन पर रखने, कोहनियों को पहलुओं से अलग और पेट को रानों से जुदा रखने का बयान

277. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) नमाज़ में अपने दोनों हाथों और पहलुओं के बीच इतना फ़ासला रखते कि आप (ﷺ) के दोनों बग़लों की सफ़ेदी नज़र आती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 27)**

बाब 47 : नमाज़ी के लिये सुतरा इख़्तियार करने का बयान

278. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ईद के दिन जब (नमाज़ के लिये) बाहर (खुले मैदान में) तशरीफ़ ले जाते तो आप (ﷺ) के हुक्म से आप (ﷺ) के सामने बर्छा गाड़ दिया जाता था और उसकी ओट में नमाज़ अदा फ़र्माया करते और बाक़ी सब लोग आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुआ करते थे। और आप (ﷺ) दौराने सफ़र भी ऐसा ही किया करते थे यही वजह है कि हुक्काम ने इसी तरीक़े को इख़्तियार कर रखा है। (जब नमाज़ अदा करते हैं तो बर्छा सामने गाड़ देते हैं)। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 90)**

---

279. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) अपनी ऊँटनी को सामने की तरफ़ बिठा कर उसकी आड़ में नमाज़ अदा फ़र्मा लिया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 98)

---

280. हदीषे अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को अज़ान देते हुए देखा है और जिस वक़्त वो अज़ान देते थे और अपना मुँह इधर और उधर मोड़ते थे तो मैं उनके साथ–साथ उसी तरफ़ देखता था जिधर वो अपना मुँह फेरते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 19)**

---

281. हदीषे अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को (मक्के में) देखा कि आप लाल चमड़े के शामियाने में तशरीफ़ फ़र्मा थे। **फिर मैंने देखा कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) आपके वुज़ू से (बचा हुआ) पानी लाए और मैंने देखा कि लोग वुज़ू के उस पानी की तरफ़ लपक रहे थे और जिसके हाथ थोड़ा–बहुत पानी आ जाता वो उसे (अपने मुँह पर) मल लेता और जिसे न मिलता वो अपने साथी के हाथों की तरी से ख़ुद को सैराब कर लेता।** फिर मैंने देखा कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने एक बर्छा ज़मीन पर गाड़ दिया और नबी (ﷺ) सुर्ख़ जोड़ा पहने हुए और उसे अपनी पिंडलियों तक ऊँचा उठाए बाहर तशरीफ़ लाए और बर्छे की सीध में खड़े होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और मैंने देखा कि उस बर्छे के आगे से लोग और जानवर निकल रहे थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 17)**

---

282. हदीषे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) मुक़ामे मिना में बग़ैर किसी ओट के (खुले मैदान में) नमाज़ पढ़ा रहे थे, मैं एक गधी पर सवार सामने की तरफ़ से आया और उतरकर गधी को चरने के लिये छोड़ दिया और ख़ुद सफ़ के आगे से गुज़रकर नमाज़ में शामिल हो गया, मैं उस वक़्त (बच्चा नहीं था बल्कि) जवान होने के क़रीब था (इसके बावजूद) आप (ﷺ) ने मेरे इस इक़्दाम को नापसंद नहीं फ़र्माया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 18)**

बाब 48 : नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को रोकने का बयान

283. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : अबू सालेह सम्मान (रह.) बयान करते हैं कि मैंने देखा है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) जुम्अे के दिन एक चीज़ की आड़ में लोगों से अलग नमाज़ पढ़ रहे थे कि आले अबू मुईत के एक नौजवान ने आपके आगे से गुज़रना चाहा हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने उसके सीने पर हाथ मारकर धक्का दिया उस नौजवान ने (इधर–उधर) देखा लेकिन उसे आपके आगे से गुज़रने के अलावा कोई रास्ता नज़र न आया चुनाँचे उसने दोबारा आपके आगे से गुज़रने की कोशिश की, इस दफ़ा हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने उसे पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया, नतीजतन वो शख़्स अबू सईद (रज़ि.) से उलझ पड़ा और उसने आपको सख़्त सुस्त कहा, इसके बाद मर्वान के पास तशरीफ़ ले गए। मर्वान ने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से पूछा, यह आपके और आपके भतीजे के बीच क्या झगड़ा है? हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने नबी अकरम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, जब कोई शख़्स किसी चीज़ की आड़ लेकर नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई दूसरा शख़्स उसके सामने से (नमाज़ी और आड़ के बीच में से) गुज़रना चाहे तो नमाज़ी को चाहिए कि उसे धक्का दे दे और अगर वो फिर भी बाज़ न आए

तो उससे लड़े क्योंकि वो शैतान है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 100)**

284. हदीषे अबू जुहैम (रज़ि.) : बुस्र बिन सईद (रह.) बयान करते हैं कि ज़ैद (रह.) बिन ख़ालिद (रज़ि.) ने मुझे हज़रत अबू जहीम (रज़ि.) अब्दुल्लाह बिन हारिष बिन सुम्मा अन्सारी (रज़ि.) के पास यह पूछने के लिये भेजा कि उन्होंने नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में हज़रत रसूले अकरम (ﷺ) से क्या सुना है? हज़रत अबू जहीम (रज़ि.) ने जवाब दिया कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है, अगर नमाज़ पढ़ने वाले से आगे गुज़रने वाले को मा'लूम होता कि उसे कितना गुनाह होगा तो वो नमाज़ी के आगे से गुज़रने के मुक़ाबले में 40 (साल, माह या दिन रावी को शक है कि आप ﷺ ने क्या फ़र्माया था) तक खड़ा रहना बेहतर ख़याल करता। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 101)**

बाब 49 : सुतरा या'नी ओट और नमाज़ी के बीच कितना फ़ासला होना चाहिए?

285. हदीषे सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) जिस जगह नमाज़ के लिये खड़े होते उसमें और सामने की दीवार में एक बकरी गुज़रने की गुंजाइश के बराबर फ़ासला होता था। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 91)**

---

286. हदीषे सलमा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मस्जिदे नबवी की (क़िब्ले के रुख़ वाली) दीवार मिम्बर के क़रीब थी और (उस दीवार और मिम्बर के बीच इतना फ़ासला था कि) बमुश्किल एक बकरी गुज़र सकती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 91)**

---

287. हदीषे सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : यज़ीद बिन अबू उबैद (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) के साथ मस्जिदे नबवी (ﷺ) में आया करता था तो आप (रज़ि.) उस सुतून के क़रीब नमाज़ पढ़ा करते थे जो मुसहफ़ के पास है। मैंने आप (रज़ि.) से एक मर्तबा पूछा, ऐ अबू मुस्लिम (रज़ि.)! (हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ि. की कुन्नियत) मैं देखता हूँ कि आप इस सुतून के क़रीब नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं (इसकी क्या वजह है?) आपने फ़र्माया, इसलिये कि मैंने देखा है रसूले अकरम (ﷺ) भी इस सुतून के पास नमाज़ पढ़ने की कोशिश किया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 95)**

बाब 51 : नमाज़ पढ़ने वाले के आगे लेटना

288. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ा करते थे जबकि मैं घर के फ़र्श पर आप (ﷺ) के आगे क़िब्ले की जानिब जनाज़े की तरह (आड़ी) लेटी हुआ करती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 22)**

---

289. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ा करते और मैं आप (ﷺ) के बिस्तर पर आड़ी लेटी सो रही थी फिर जब आप (ﷺ) वित्र पढ़ना चाहते तो मुझे भी जगा लेते थे और मैं भी (आप ﷺ के साथ) वित्र पढ़ा करती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 103)**

---

290. हदीषे आइशा (रज़ि.) : मसरूक़ (रह.) रिवायत करते हैं कि उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के सामने ज़िक्र किया गया कि कुत्ता, गधा और औरत अगर नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से गुज़र जाए तो नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। उम्मुल मो'मिनीन (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुमने हमें (औरतों को) कुत्ते और गधे के मुशाबेह (समरूप) कर दिया हालाँकि अल्लाह की क़सम! मैंने ख़ुद रसूले करीम (ﷺ) को इस तरह नमाज़ पढ़ते देखा है कि मैं आप (ﷺ) के सामने क़िब्ले की तरफ़ तख़्त पर लेटी हुआ करती फिर उसी हालत में अगर मुझे कोई हाजत लाहिक़ हो जाती तो मैं इस ख़याल से कि आप (ﷺ) को तक्लीफ़ होगी, बैठना मुनासिब न समझती थी और आप (ﷺ) के क़दमों की तरफ़ से खिसक जाया करती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 105)**

---

291. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम लोगों ने हमें (औरतों को) कुत्तों और गधों से मिला दिया हालाँकि वाक़िआ यह है कि मैं तख़्त पर लेटी होती थी और नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाते और उसी तख़्त के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ते ऐसी हालत में मुझे मअयूब (ऐबदार) सा लगता कि मैं आप (ﷺ) के सामने लेटी रहूँ चुनाँचे मैं तख़्त के पायों की जानिब से अपने लिहाफ़ में से बाहर खिसक जाया करती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 99)**

---

292. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) के सामने (जब आप ﷺ नमाज़ पढ़ा करते थे) लेट कर सो रही होती थी और मेरे पाँव आप (ﷺ) से क़िब्ले की तरफ़ और आप (ﷺ) के सज्दे करने की जगह पर होते थे चुनाँचे जब आप (ﷺ) सज्दा करने लगते तो मेरे पाँव को छूते तो मैं अपने पाँव को सिकोड़ लेती थी और जब आप (ﷺ) क़ियाम फ़र्माते तो मैं फिर अपने पाँव फैला लेती। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, उन दिनों घरों में चराग़ नहीं जलाए जाते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 104)**

---

293. हदीषे मैमूना (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) (कई बार) इस तरह नमाज़ पढ़ लिया करते थे कि मैं आप (ﷺ) के सामने (बैठी या लेटी) होती, और मैं हैज़ की हालत में होती और कभी ऐसा भी होता कि सज्दा करते वक़्त आप (ﷺ) का कपड़ा मुझसे छू जाता। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 19)**

बाब 52 : एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने का बयान और उसे पहनने की सूरत

294. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने रसूले अकरम (ﷺ) से पूछा, क्या एक कपड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ दुरुस्त हो जाती है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क्या तुममें से हर शख़्स को दो कपड़े मयस्सर हैं? **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 4)**

---

295. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स एक कपड़े में इस तरह नमाज़ न पढ़े कि उसके कँधे पर कुछ न हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 5)**

---

296. हदीषे उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) : हज़रत उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के घर में रसूले अकरम (ﷺ) को इस तरह नमाज़ पढ़ते देखा है कि आप (ﷺ) ने एक कपड़ा लपेट रखा था और उसके दोनों किनारे आप (ﷺ) के कँधों पर पड़े हुए थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 4)

---

297. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : मुहम्मद बिन मुन्कदिर (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूले करीम (ﷺ) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 3)**

किताबुल मसाजिद व मवाज़िउस्सलात

मस्जिदों का और उन मुक़ामात का बयान जहाँ नमाज़ पढ़ी जा सकती है

298. हदीषे अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़मीन पर कौनसी मस्जिद सबसे पहले ता'मीर की गई थी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मस्जिदुल हराम (ख़ाना–ए–कअबा) मैंने पूछा फिर कौनसी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बैतुल मक़्दिस। मैंने पूछा, इन दोनों की ता'मीर के बीच कितना वक़्फ़ा (समय अन्तराल) है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 40 साल का। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हें जिस जगह वक़्त आ ले उसी जगह नमाज़ अदा कर लो, यही अफ़ज़ल है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 10)**

नोट : इस हदीष में नमाज़ का वक़्त होते ही (या'नी अव्वल) वक़्त में नमाज़ अदा करने की तल्क़ीन की गई है। कोई शख़्स नमाज़ के वक़्त जिस जगह पर भी हो, वहीं नमाज़ अदा कर ले; सिवाय उन मक़ामात के जहाँ नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है जैसे क़ब्रिस्तान, ऊँटों और बकरियों के बाड़े, गन्दगी वाली तमाम जगहें और गुसलखाने–हम्माम वग़ैरह। अगर मस्जिद क़रीब हो तो मस्जिद में जाकर बा–जमाअत नमाज़ अदा करना चाहिये।

---

299. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे पाँच ऐसी ख़ुसूसियात (विशेषताएं) अता की गई है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गईं (1) मुझे अल्लाह की यह मदद हासिल है कि मेरा (मेरी और मुसलमानों की फौजों का) रौब एक माह की मसाफ़त (दूरी) से दुश्मन पर पड़ जाता है (2) मेरे लिये पूरी ज़मीन सज्दागाह और पाक बना दी गई है चुनाँचे मेरी उम्मत के हर शख़्स को इजाज़त है कि जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाए उसी जगह नमाज़ अदा कर ले (3) मेरे लिये माले ग़नीमत हलाल कर दिया गया है (4) बाक़ी तमाम अंबिया की नुबूवत उनकी अपनी क़ौम के लिये मख़्सूस व महदूद होती थी जबकि मैं पूरी दुनिया और सारी इंसानियत के लिये नबी व रसूल बनाकर भेजा गया हूँ (5) और मुझे शफ़ाअत का हक़ दिया गया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 56)**

नोट : अल्लाह के रसूल (ﷺ) रोज़े–महशर अल्लाह के हुक्म से अपनी उम्मत के लिये शफ़ाअत करेंगे और अल्लाह तआला आप (ﷺ) की शफ़ाअत की दुआ को क़ुबूल फ़र्माते हुए हर उस शख़्स को जहन्नम से आज़ाद करा लाने की इजाज़त देगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद रहा हो। विस्तृत जानकारी के लिये शफ़ाअत के बयान वाली अहादीष का मुतालआ कीजिये जो पहले गुज़र चुकी हैं।

---

300. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे **'जवामिउल कलिम'** (ऐसा कलाम जिसमें अल्फ़ाज़ कम और मअनी ज़्यादा हों) देकर भेजा गया है और मेरी मदद इस तरह की गई है कि (दुश्मन के दिल में) मेरा रौब बैठ जाता है और एक दिन जबकि मैं सो रहा था ज़मीन

के ख़ज़ानों की कुँजियाँ लाकर मेरे हाथ पर रख दी गईं (यह ह़दीष़ बयान करने के बाद) ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, रसूले अकरम (ﷺ) तो दुनिया से तशरीफ़ ले गए और तुम ज़मीन के वो ख़ज़ाने निकाल रहे हो।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 122)

नोट : आप (ﷺ) पर अल्लाह तआला की इनायत का ही यह फ़ैज़ है कि आप (ﷺ) के नबी होने के बाद से लेकर आज तक ज़मीन से तरह–तरह के मेटल, कोयला, यूरेनियम और पेट्रोलियम पदार्थ इन्सान ज़मीन में से निकाल रहा है और क़ियामत तक ज़मीन से ख़ज़ाने निकालने का यह सिलसिला जारी रहेगा, इंशाअल्लाह!

बाब 1 : मस्जिदे नबवी (ﷺ) की ता'मीर का बयान

301. ह़दीषे अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाए तो शहर के ऊँचाई वाले हिस्से में बनी अम्र बिन औफ़ के मुहल्ले में उतरे और वहाँ आप (ﷺ) ने 14 रातें क़ियाम किया। फिर आप (ﷺ) ने बनी नज्जार के लोगों को बुला भेजा और वो अपनी तलवारें लटकाए आ पहुँचे। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि (मैं ब–चश्मे तस़व्वुर) इस वक़्त भी देख रहा हूँ कि रसूले अकरम (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर सवार हैं और ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आप (ﷺ) के पीछे बैठे हैं और बनू नज्जार के रईस लोग आप (ﷺ) के इर्द–गिर्द खड़े हैं, बिल आख़िर अबू अय्यूब (रज़ि.) के अहाते में आप (ﷺ) ने अपना सामान उतारा। रसूले करीम (ﷺ) यह बात पसंद फ़र्माते थे कि जहाँ नमाज़ का वक़्त हो जाए उसी जगह नमाज़ पढ़ लें चुनाँचे इस दरम्यान में आप (ﷺ) बकरियों के बाड़े में भी नमाज़ पढ़ लिया करते थे। फिर आप (ﷺ) ता'मीरे–मस्जिद का फ़ैसला किया तो बनी नज्जार के लोगों को बुलवाया और उनसे कहा, ऐ बनी नज्जार! तुम अपना यह बाग़ मेरे हाथ बेच दो। उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की क़सम! हम इसकी कोई क़ीमत आप (ﷺ) से हर्गिज़ नहीं लेंगे हम तो अल्लाह तआला से इसका बदला चाहते हैं।

ह़ज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, मैं तुमको बताता हूँ उस बाग़ में क्या कुछ था उसमें कुछ तो मुश्रिकों की क़ब्रें थीं, कुछ टूटे–फूटे मकानात थे और कुछ खजूर के दरख़्त थे। चुनाँचे आप (ﷺ) के हुक्म से क़ब्रें उखाड़ दी गईं, खण्डहरों को हमवार कर दिया गया और खजूर के दरख़्तों को काट दिया गया और दरख़्तों के तनों को क़िब्ले की तरफ़ बराबर–बराबर खड़ा करके पर्दा कर दिया गया और दरवाज़ा इस तरह बनाया गया कि दोनों तरफ़ पत्थर लगा दिए गए, सहाबा किराम (रज़ि.) जिस वक़्त पत्थर ढो रहे थे तो रसूले करीम (ﷺ) भी उनके साथ (उस काम में) शरीक थे और यह शे'र पढ़ रहे थे,

अल्लाहुम्म ला ख़ैर इल्ला ख़ैरल आख़िरत फ़ग़्फ़िरिल अन्स़ार वल मुहाजिर

'ऐ हमारे मालिक! भलाई तो सिर्फ़ आख़िरत की भलाई है और तू अन्स़ार और मुहाजिरीन दोनों की मग़्फ़िरत फ़र्मा दे।'

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्स़लात बाब 48)

बाब 2 : तहवीले क़िब्ला या'नी बैतुल मक़्दिस की बजाए ख़ान–ए–कअ़बा का क़िब्ला मुक़र्रर किया जाना

302. ह़दीषे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) : ह़ज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने (मदीना तशरीफ़ लाने के बाद) 16–17 माह तक बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ी लेकिन आप (ﷺ) दिल से चाहते थे कि नमाज़ में अपना रुख़ ख़ाना कअ़बा की तरफ़ रखें, चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाज़िल

फ़र्माई, **'यह तुम्हारे चेहरे का बार–बार आसमान की तरफ़ उठना मैं देख रहा हूँ।'** (अल बक़र : 144)

इसके बाद आप (ﷺ) ने ख़ान–ए–कअबा की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। और बेवक़ूफ़ लोगों ने या'नी यहूदियों ने कहा, **'इन्हें क्या हुआ है कि पहले जिस क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए? ऐ नबी (ﷺ)! इनसे कहो, मश्रिक़ और मग़्रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है।'** (अल बक़र : 142) चुनाँचे जब यह हुक्म नाज़िल हुआ तो (सूरते हाल यह थी कि) एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) के साथ (ज़ुहर की) पढ़ी और नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद कहीं जा रहा था कि नमाज़े अस्र के वक़्त उसका गुज़र अन्सार के किसी क़बीले के पास से हुआ जो बैतुल मक़्दिस के रुख़ नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसने (बा–आवाज़े बुलन्द) कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी है और यह वाक़िआ है कि आप (ﷺ) ने अपना रुख़ ख़ान–ए–कअबा की तरफ़ मोड़ लिया है। यह सुनकर सब लोगों ने अपना रुख़ ख़ान–ए–क़अबा की तरफ़ कर लिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 31)**

---

303. हदीषे बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने रसूले अकरम (ﷺ) के साथ 16–17 माह तक बैतुल मक़्दिस की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ी फिर मौजूदा क़िब्ला (कअबा) की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म आ गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)**

---

304. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि लोग मस्जिदे क़ुबा में नमाज़े फ़ज्र अदा कर रहे थे कि एक शख़्स ने आकर उन्हें बताया, बीती रात रसूलेअकरम (ﷺ) पर क़ुर्आन की आयत नाज़िल हुई हैं जिनमें आप (ﷺ) को हुक्म दिया गया है कि अपना रुख़ कअबा की तरफ़ कर लें। चुनाँचे सबने अपना रुख़ कअबा की तरफ़ कर लिया है उस वक़्त उन लोगों के चेहरे शाम (बैतुल मक़्दिस) की तरफ़ थे यह ख़बर मिलते ही सब कअबे की तरफ़ मुड़ गए। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 32)**

बाब 3 : क़ब्रों पर मस्जिद बनाने की मुमानअत

305. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मुल मो'मिनीन हज़रत उम्मे हबीबा और उम्मुल मो'मिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने हब्शा में एक गिरजाघर देखा था जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। उन दोनों ने उस गिरजे का ज़िक्र रसूले करीम (ﷺ) से किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन लोगों (यहूद व नसारा) का दस्तूर था कि उनमें अगर कोई नेक शख़्स होता, फिर वो मर जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लिया करते थे और उस मस्जिद में इस क़िस्म की तस्वीर बनाया करते थे यह लोग क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक़ बदतरीन ख़लाइक़ होंगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 38)**

---

306. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने अपनी उस बीमारी के दौरान जिसमें आप (ﷺ) ने रहलत फ़र्माई यह इर्शाद फ़र्माया था, अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लअनत भेजे कि उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया है (यह हदीष बयान करके) उम्मुल मो'मिनीन (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर आप (ﷺ) का यह इर्शाद न होता तो आपकी क़ब्रे मुबारक खुली रखी जाती लेकिन मुझे डर है कि उसे भी मस्जिद बना लिया जाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 62)**

---

307. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला यहूद व नसारा को तबाह व बर्बाद करे उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया।
(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 55)

---

308. हदीषे आइशा (रज़ि.) व अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) दोनों बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) का वक़्ते विसाल क़रीब था और आप (ﷺ) की कैफ़ियत यह थी कि कभी अपनी चादर चेहरे मुबारक पर डाल लेते और जब दम घुटता तो चादर चेहरे से हटा देते, ऐसी हालत में भी आप (ﷺ) ने यह इर्शाद फ़र्माया था, अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लअनत भेजे, उन लोगों ने अपने अंबिया (के साथ यह ज़्यादती की है कि उन) की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया है। यह इर्शाद फ़र्माकर आप (ﷺ) ने गोया तमाम मुसलमानों को उनकी इस हरकत से डराया है और ऐसे काम से बाज़ रहने का हुक्म दिया है।
(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 55)

बाब 4 : ता'मीरे मसाजिद की फ़ज़ीलत और इस सिलसिले में जो तरग़ीब दिलाई गई है

309. हदीषे उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) : हज़रत उबैदुल्लाह ख़्वानी (रह.) बयान करते हैं कि जब हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने मस्जिदे नबवी की ता'मीरे नौ की और लोगों ने उस पर लान–तान किया और बातें बनाई तो हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने उस मौक़े पर कहा था कि तुम लोगों ने बहुत बातें बना लीं जबकि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, जो शख़्स महज़ अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी हासिल करने के लिये मस्जिद ता'मीर करेगा (या'नी उस काम से उसको कोई और ग़र्ज़ न होगी) तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में उसी तरह का घर बना देगा।
(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 65)

बाब 5 : रुकूअ में हाथों को घुटनों पर रखना मुस्तहब है और तत्बीक़ का हुक्म मन्सूख़ हो गया है

310. हदीषे सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) के बेटे मुसअब (रह.) बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत सअद (रज़ि.) के पहलू में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी तो अपने दोनों हाथों को मिलाकर रानों के बीच रख लिया, ऐसा करते देख मेरे वालिद (रज़ि.) ने मुझे मना किया और कहा, पहले हम ऐसा ही किया करते थे लेकिन फिर हमें इस तरह करने से मना कर दिया गया और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखने का हुक्म दिया गया।
(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 118)

नोट : तत्बीक़ का मा'नी है, दोनों हाथों को जोड़कर रानों के बीच में रख लेना। पहले नमाज़ के दौरान रुकूअ में तत्बीक़ का हुक्म था जो बाद में मन्सूख़ (रद्द) हो गया और घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म हुआ।

बाब 7 : नमाज़ में बातें करना हराम है, पहले इजाज़त थी जो मन्सूख़ हो गई

311. हदीसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि शुरू–शुरू में जब रसूले अकरम (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे होते तो हम आप (ﷺ) को सलाम कर लिया करते थे और आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ते हुए सलाम का जवाब दे दिया करते थे, लेकिन जब हम नज्जाशी के पास से (हिज्रते हब्शा से) वापस आए और हमने आप (ﷺ) को (नमाज़ पढ़ते हुए) सलाम किया तो आप (ﷺ) ने जवाब न दिया और फ़र्माया, नमाज़ में यकसूई (ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ) ज़रूरी है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अमल फ़िस्सलात बाब 2)**

---

312. हदीसे ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि पहले हम नमाज़ में बातें कर लिया करते थे और जो शख़्स चाहता अपने साथ वाले से अपने काम के बारे में बातें कर लेता था यहाँ तक कि यह आयते करीमा नाज़िल हुई, '**अपनी नमाज़ों की निगहदाश्त रखो, ख़ुसूसन ऐसी नमाज़ की जो महासिने सलात की जामेअ हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फ़र्माबरदार गुलाम खड़े होते हैं।**' (अल बक़र : 238) चुनाँचे (इसके बाद) हमें (नमाज़ में) ख़ामोश रहने का हुक्म दे दिया गया।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल बक़र बाब 43)

---

313. हदीसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि (एक मर्तबा) रसूले अकरम (ﷺ) ने मुझे अपने किसी काम से भेजा चुनाँचे मैं गया और वो काम करके वापस लौटा तो आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर सलाम किया लेकिन आप (ﷺ) ने सलाम का जवाब न दिया जिसका मुझे इस क़दर रंज हुआ जिसे अल्लाह तआला ही जानता है कोई दूसरा उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता और मैंने दिल में ख़याल किया कि शायद रसूले अकरम (ﷺ) इस वजह से नाराज़ हैं कि मुझे देर हो गई। फिर मैंने दोबारा सलाम किया, लेकिन आप (ﷺ) ने फिर जवाब न दिया। इस दफ़ा मुझे पहले से भी ज़्यादा दुख हुआ और मैंने फिर आप (ﷺ) को सलाम किया तो (इस मर्तबा) आप (ﷺ) ने मेरे सलाम का जवाब दिया और फ़र्माया, तुम्हारे सलाम का जवाब देने में सिर्फ़ यह बात मानेअ थी कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था। उस वक़्त आप (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर सवार थे और आप (ﷺ) का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ न था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अमल फ़िस्सलात बाब 15)**

नोट : इस हदीस में दो बातों की ता'लीम मिलती है; पहली यह कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हों और कोई शख़्स सलाम करे तो उसका जवाब नहीं देना चाहिये, दूसरी यह कि अगर आप सवारी पर सवार हो तो उस हालत में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और अगर सवारी का रुख़ कअबा की तरफ़ न हो तब भी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। आज के दौर में जब हम रेल में सफर करते हैं तो यह बात लागू होती है कि रेल की बोगी में नमाज़ अदा कर लेनी चाहिये।

बाब 8 : नमाज़ अदा करने के दौरान शैतान पर लअनत भेजना जाइज़ है

314. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने बयान फ़र्माया, एक ख़बीष और सरकश जिन्न ने कल रात अचानक मुझ पर हमला कर दिया ताकि मेरी तवज्जुह नमाज़ से हटा सके और मुझको नमाज़ तोड़ना पड़े लेकिन अल्लाह तआला ने मुझे उस पर ग़लबा अता किया और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने इरादा किया था कि उसे मस्जिद के सुतून से बाँध दूँ ताकि सुबह के वक़्त तुम सब उसे देखो, फिर मुझे अपने भाई हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम) की यह दुआ याद आ गई, '**ऐ मेरे रब! मुझे मुआफ़ कर दे और मुझे वो बादशाही दे**

जो मेरे बाद किसी के लिये सज़ावार न हो।' (सूरह साद : 35) **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 37)**

नोट : इस हदीष़ में यह बात ज़ाहिर होती है कि शैतान किसी नमाज़ी शख़्स पर हमला कर सकता है ताकि वो नमाज़ तोड़ने पर मजबूर हो जाए। इसलिये बेहतर यही है कि नमाज़ शुरू करने से पहले शैतान के शर से बचने के लिये अल्लाह की पनाह तलब कर ली जाए और अगर दौराने–नमाज़ भी अगर शैतान वस्वसे डाले तो अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़कर थुत्कार देना चाहिये।

बाब 9 : नमाज़ पढ़ते वक़्त बच्चे को उठा लेना जाइज़ है

315. हदीष़े अबू क़तादा अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि (एक मर्तबा) रसूले अकरम (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे और आपने उमामा को (जो आप ﷺ की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ि. और अबुल आस़ बिन रबीआ बिन अब्दे शम्स की बेटी, या'नी अपनी नवासी को) उठा रखा था, जब आप (ﷺ) सज्दे में जाते उसे नीचे उतार देते और जब खड़े होते तो फिर उठा लेते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 106)**

बाब 10 : नमाज़ पढ़ते हुए एक दो क़दम चल लेना जाइज़ है

316. हदीष़े सहल बिन सअद साएदी (रज़ि.) : अबू हाज़िम (रह.) बिन दीनार बयान करते हैं कि हज़रत सहल (रज़ि.) के पास कुछ लोग आए जो आपस में इस बात पर उलझ रहे थे कि (मस्जिदे नबवी का) मिम्बर किस लकड़ी का बना हुआ है। चुनाँचे उन लोगों ने आकर यह बात हज़रत सहल (रज़ि.) से पूछी। हज़रत सहल (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो किस लकड़ी से बना और किसने उसे बनाया। मैंने उसे उसी दिन देखा था जिस दिन वो पहली मर्तबा रखा गया था और जब पहली बार रसूले अकरम (ﷺ) उस पर तशरीफ़ फ़र्मा हुए थे (उसके बनने का वाक़िआ यूँ है कि) रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़लाँ औरत (हज़रत सहल (रज़ि.) ने उसका नाम लिया था लेकिन रावी को याद नहीं रहा) को कहलवा भेजा कि तुम्हारा जो गुलाम बढ़ई है उसे कहो कि चंद लकड़ियाँ जोड़कर मेरे लिये एक ऐसी चीज़ (मिम्बर) बना दे जिस पर मैं लोगों से ख़िताब करते वक़्त बैठ जाया करूँ। चुनाँचे उस औरत ने अपने गुलाम को हुक्म दिया और वो ग़ाबा (मुक़ाम का नाम) के झाऊ की लकड़ी का मिम्बर बनाकर ले आया और उस औरत ने यह मिम्बर रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में भिजवा दिया और आप (ﷺ) के हुक्म से उस जगह (जहाँ इस वक़्त रखा है) रख दिया गया। इसके बाद मैंने देखा है कि रसूले करीम (ﷺ) उस पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई (इस तरह) कि आप (ﷺ) उस पर खड़े होकर तक्बीरे (तहरीमा) कही और उसी पर रुकूअ किया फिर उल्टे पाँव नीचे उतरकर जहाँ मिम्बर रखा जाता है उसी जगह पर सज्दा किया फिर दोबारा आप (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ ले गए उसके बाद नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, लोगों! मैंने यह सब कुछ इसलिये किया है ताकि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी नमाज़ सीख सको।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 26)

बाब 11 : नमाज़ पढ़ते वक़्त कमर पर हाथ रखना मना है

317. हदीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि, कमर या'नी कूल्हों पर हाथ रखकर नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अमल फ़िस्सलात बाब 17)**

बाब 12 : नमाज़ पढ़ते हुए कंकरियाँ हटाने और मिट्टी साफ़ करने का बयान

318. हदीषे मुईक़ीब (रज़ि.) : हज़रत मुईक़ीब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ऐसे शख़्स के बारे में जो अपने सज्दे की जगह से मिट्टी साफ़ करना चाहता हो, इर्शाद फ़र्माया है कि अगर कोई शख़्स ऐसा ज़रूरत के तौर पर करना चाहता है तो सिर्फ़ एक मर्तबा कर ले (बार–बार न करे)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अमल फ़िस्सलात बाब 8)

बाब 13 : मस्जिद में थूकना मना है, नमाज़ पढ़ते हुए भी और नमाज़ के अलावा भी

319. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने मस्जिद के क़िब्ला–रुख़ दीवार पर थूक लगा हुआ देखा तो आप (ﷺ) ने उसे खुरच दिया। फिर फ़र्माया, नमाज़ पढ़ते वक़्त किसी शख़्स को अपने सामने की तरफ़ थूकना नहीं चाहिए इसलिये कि नमाज़ में अल्लाह तआला नमाज़ी के चेहरे के सामने की तरफ़ होता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 33)**

---

320. हदीषे अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने मस्जिद में क़िब्ले की तरफ़ बलग़म पड़ा हुआ देखा तो आप (ﷺ) ने उसे एक कंकरी से खुरच दिया फिर फ़र्मा दिया कि कोई शख़्स अपने सामने की तरफ़ या दाँए तरफ़ न थूके बल्कि (अगर ज़रूरी हो तो) बाँए तरफ़, या फिर अपने बाँए पाँव के नीचे थूके। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 36)**

---

321. हदीषे अबू हुरैरह व अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने मस्जिद की दीवार पर बलग़म लगा हुआ देखा तो आप (ﷺ) ने एक कंकरी उठाई और उससे खुरच दिया और इसके बाद फ़र्माया, अगर कोई शख़्स थूकना चाहे तो अपने सामने की जानिब और दाईं तरफ़ न थूके बल्कि उसे चाहिए कि अपने बाँए जानिब या बाँए पाँव के नीचे थूके। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब)**

---

322. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने (मस्जिद की) दीवार पर क़िब्ले रुख़ कुछ बलग़म, थूक या रेंट (नाक का फ़ुज़्ला) देखा तो आप (ﷺ) ने उसे खुरच दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 23)**

---

323. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मो'मिन जब नमाज़ पढ़ रहा होता है तो वो गोया अपने रब से मुनाजात (बातें) कर रहा होता है इसलिये उसे चाहिए कि अपने सामने की तरफ़ और दाईं तरफ़ हर्गिज़ न थूके बल्कि (अगर थूकना चाहे तो) अपने बाँए तरफ़ या बाँए पाँव के नीचे थूके। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 36)**

---

324. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और (अगर ऐसा कर बैठे तो) उसका कफ़्फ़ारा यह है कि उसे मिट्टी में दबा दे।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब)

नोट : यह उस ज़माने की बात है जब मस्जिदों के फर्श कच्चे होते थे। आजकल जबकि मस्जिदों के फ़र्श पक्के होते हैं, नमाज़ी को पहले वाले हुक्म पर ही अमल करना चाहिये, या'नी मस्जिद में नहीं थूकना चाहिये।

बाब 14 : जूतियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है

325. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : सईद (रह.) बिन यज़ीद अज़्दी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूले अकरम (ﷺ) जूतियाँ पहने हुए नमाज़ पढ़ लिया करते थे? हज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब दिया, 'हाँ!' **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 24)**

बाब 15 : फूलदार कपड़े में नमाज़ पढ़ना मकरूह है

326. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने एक फूलदार चादर ओढ़कर नमाज़ पढ़ी बाद में फ़र्माया, इस चादर के फूल-बूटों की वजह से मेरी तवज्जुह बंट गई और नमाज़ में ख़लल वाक़ेअ हुआ इसे अबू जहम (रज़ि.) के पास वापस ले जाओ और मुझे उनसे सादा मोटी चादर ला दो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 93)**

बाब 16 : खाना सामने आ जाने की सूरत में नमाज़ पढ़ना मकरूह है

327. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अगर शाम का खाना सामने आ जाए और (दूसरी तरफ़) जमाअत की तक्बीरे-इक़ामत हो रही हो तो पहले खाना खाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अतइमा बाब 58)**

---

328. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब खाना लगा दिया जाए तो नमाज़े मग़रिब से पहले खाना खाओ और खाना छोड़कर नमाज़ के लिये जाने में जल्दी न करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 42)**

---

329. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर शाम का खाना चुन दिया जाए और (दूसरी तरफ़) नमाज़ की तक्बीरे इकामत हो जाए तो पहले खाना खाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 42)**

---

330. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स के सामने शाम का खाना आ जाए और उसी वक़्त नमाज़ की जमाअत खड़ी हो रही हो तो पहले खाना खाए और खाने से फ़ारिग़ हुए बग़ैर नमाज़ के लिये जाने में जल्दी न करे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 42)

नोट : इन तमाम अहादीष़ से स़ाफ़ ज़ाहिर है कि जब खाना सामने रख दिया जाए तो बेहतर यही है कि पहले खाना खा लिया जाए और बाद में नमाज़ अदा की जाए; अगर इस दौरान नमाज़ की इक़ामत कही जा रही हो तब भी हुक्म यही है कि पहले खाना खा लिया जाए। यह हुक्म इसलिये दिया गया है कि नमाज़ यकसूई से पढ़ी जानी चाहिये, खाना छोड़कर नमाज़ की ओर जाने की सूरत में मुमकिन है कि नमाज़ी की यकसूई नमाज़ की तरफ़ न रहे और उसका ध्यान खाने की तरफ जाए। इसी तरह जब पैशाब या पाखाने की हाजत हो रही हो तो पहले उससे फ़ारिग़ हो लेना चाहिये फिर नमाज़ की जमाअत में शामिल हुआ जाए। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि अगर वक़्त तंग हो और खाने में मसरूफ़ होने की वजह से नमाज़ क़ज़ा होने का अन्देशा हो तो फिर पहले नमाज़ अदा कर लेनी चाहिये।

बाब 17 : लहसुन, प्याज़ और इसी तरह की दूसरी बदबूदार चीज़ें खाकर मस्जिद में आना मना है

331. ह़दीष़े इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने ग़ज़्व–ए–ख़ैबर के मौक़े पर फ़र्माया था, जो शख़्स़ यह पौधा या'नी लहसुन खाए उसे चाहिए कि हमारी मस्जिद के पास न फटके। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 160)**

---

332. ह़दीष़े अनस (रज़ि.) : अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) बयान करते हैं कि एक शख़्स़ ने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, कि आप (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से लहसुन के बारे में क्या सुना है? ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब दिया कि रसूले अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि जो शख़्स़ यह पौधा खाए उसे चाहिए कि हमारे क़रीब न आए या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हमारे साथ (खड़े होकर) नमाज़ न पढ़े। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 160)**

---

333. ह़दीष़े जाबिर (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि जो शख़्स़ लहसुन या प्याज़ खाए उसे चाहिए कि वो हमसे दूर रहे या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हमारी मस्जिद से दूर रहे और अपने घर में बैठे। नीज़ ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) के पास एक हंडिया लाई गई जिसमें कुछ हरी तरकारियाँ थीं, आप (ﷺ) ने उनमें बू महसूस की तो उनके बारे में पूछा, (कि यह क्या है?) चुनाँचे आप (ﷺ) को बताया गया कि उसमें कौन–कौनसी सब्ज़ी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया उसे या'नी फ़लाँ सहाबी को (जो पास ही बैठे थे) दे दो। जब आप (ﷺ) ने देखा कि उसने भी उसको खाना पसंद नहीं किया तो आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, तुम खा लो। (मैंने इस वजह से नहीं खाया कि) मैं उनसे बातें करता हूँ जिनसे तुम नहीं करते। (या'नी फ़रिश्तों से)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 160)**

नोट : रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ते वक़्त एक नमाज़ी गोया अल्लाह से हमकलाम होता है। बयान की गई अहादीष़ में नमाज़ी को नमाज़ के दौरान कच्चा लहसुन व प्याज जैसी मुँह में बदबू पैदा करने वाली चीज़ें खाकर आने से मना किया गया है। जो लोग बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा और दीगर ऐसी चीज़ें खाने के आदी हैं, उन्हें इस हदीष़ की रोशनी में ग़ौर करते हुए अपनी लत छोड़ देनी चाहिये।

बाब 19 : नमाज़ में भूलना और सज्द–ए–सह्व करना

334. ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ मोड़कर भाग उठता है और (डर व दहशत से) उसकी हवा ख़ारिज होती जाती

है, यहाँ तक कि वो इतनी दूर चला जाता है जहाँ अज़ान की आवाज़ न सुन सके। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो फिर आ जाता है फिर जब तक्बीरे इक़ामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और जब इक़ामत ख़त्म हो जाती है तो फिर आ जाता है और नमाज़ी के दिल में वस्वसे डालता है, कहता है यह याद करो, वो याद करो। तमाम ऐसी बातें याद दिलाता है जो पहले से बिल्कुल याद न हो। यहाँ तक कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं। चुनाँचे जब किसी को (यह हादषा पेश आए और उसे) याद न रहे कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं या'नी तीन या चार तो उसे चाहिए कि बैठे–बैठे दो सज्दे कर ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सहव बाब 2)**

---

335. हदीषे अब्दुल्लाह बिन बुहैना (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) किसी नमाज़ में दो रकअत पढ़कर खड़े हो गए और कअदा ऊला में बैठना भूल गए, लोग आपके साथ खड़े हो गए, जब आप (ﷺ) नमाज़ ख़त्म कर चुके और हम सलाम फेरने के मुंतज़िर थे। उस दौरान आप (ﷺ) ने 'अल्लाहु अकबर' कहा और बैठे–बैठे दो सज्दे किए और उसके बाद सलाम फेरा। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सहव बाब 1)**

---

336. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। इब्राहीम (रह.) जो कि हदीष के रावियों में से हैं कहते हैं, मुझे याद नहीं रहा कि आप (ﷺ) ने (नमाज़ में) कुछ ज़्यादा कर दिया था या कोई कमी हो गई थी। बहरहाल! जब आप (ﷺ) ने सलाम फेरा तो अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ के सिलसिले में कोई नया हुक्म आ गया है? आप (ﷺ) ने पूछा, क्यों, क्या बात है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि आप (ﷺ) ने नमाज़ 'इस तरह' अदा फ़र्माई है! चुनाँचे आप (ﷺ) ने अपने दोनों पाँव समेटे और क़िब्ला–रुख़ होकर दो सज्दे किए और सलाम फेर दिया। फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया, नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म आता तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका होता ऐसी बात नहीं है बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ और मुझसे भी तुम्हारी ही तरह भूल–चूक हो जाती है। इसलिये अगर मैं भूल जाया करूँ तो मुझे याद दिला दिया करो और जब किसी को नमाज़ पढ़ते हुए किसी बात में शक हो जाए तो कोशिश करे कि कोई सहीह राय क़ायम कर सके और उसी के मुताबिक़ नमाज़ को पूरा करके सलाम फेरे और इसके बाद दो सज्दे कर ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 31)**

---

337. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने (एक मर्तबा) जुहर की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअत पढ़कर सलाम फेर दिया और उस लकड़ी के पास तशरीफ़ लाए जो मस्जिद में क़िब्ले की तरफ़ लगी हुई थी और उस पर अपने हाथ रखकर खड़े हो गए। जमाअत में उस दिन हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) भी थे लेकिन यह दोनों बात करते हुए डरे, जो लोग जल्दबाज़ थे वो यह कहते हुए कि नमाज़ कम कर दी गई है जमाअत में से उठ खड़े हुए, जमाअत में एक शख़्स था जिसे नबी करम (ﷺ) 'जुल्यदैन (दो हाथ वाले)' कहकर याद फ़र्माया करते थे वो आगे बढ़ा और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! नमाज़ कम कर दी गई है, या आप (ﷺ) कुछ भूल गए हैं? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, न मैं भूला हूँ और न नमाज़ कम की गई है। इस पर सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, नहीं! या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) से चूक हो गई है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसके मा'नी यह है कि जुल्यदन ने सच कहा है फिर आप (ﷺ) ने खड़े होकर मज़ीद दो रकअत नमाज़ अदा की और सलाम फेरा; फिर अल्लाहु अकबर कहा और सज्दा किया यह सज्दा तक़रीबन वैसा ही था जैसा आप (ﷺ) किया करते थे या हो सकता है कुछ लम्बा हो फिर सज्दे से सर उठाते हुए 'अल्लाहु अकबर' कहा और फिर उसी तरह का, या उससे कुछ लम्बा सज्दा किया और फिर सज्दे से सर उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 45)**

नोट : सज्द–ए–सह्व के बारे में उलमा में इख़्तिलाफ़ पाए जाते हैं। कुछ का ख़याल है कि नमाज़ी को इख़्तियार है कि सज्द–ए–सह्व सलाम फेरने से पहले करे या बाद में। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक सज्द–ए–सह्व हमेशा सलाम के बाद होना चाहिये। इमाम शाफ़ई (रह.) के नज़दीक सज्द–ए–सह्व हमेशा सलाम फेरने से पहले करना चाहिये। इमाम मालिक (रह.) का मसलक यह है कि अगर भूल ऐसी हो कि नमाज़ में कुछ ज़्यादा हो गया हो तो सज्दा सलाम के बाद करे और नमाज़ में कुछ कमी वाक़ेअ हो गई हो तो सज्दा सलाम से पहले करे। लेकिन ऊपर बयान की गई अहादीस से ज़ाहिर है कि आप (ﷺ) को सलाम फेरने से पहले एहसास हुआ तो आपने सलाम से पहले सज्द–ए–सह्व किया और सलाम फेरने के बाद याद आया या किसी ने याद दिलाया तो आप (ﷺ) ने सलाम फेरने के बाद सज्द–ए–सह्व किया।

बाब 20 : सज्द–ए–तिलावत का बयान

338. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब हमारे सामने कोई ऐसी सूरह तिलावत फ़र्माया करते थे जिसमें सज्दा होता तो आप (ﷺ) भी सज्दा किया करते थे और हम सब (सुनने वाले) भी सज्दा किया करते थे और (उस वक़्त इतना हुजूम हो जाया करता था कि) कई लोगों को सज्दा करने के लिये पेशानी रखने की जगह न मिलती थी। **(सहीह बुख़ारी किताब सुजूदुल क़ुर्आन बाब 8)**

---

339. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मक्का में सूरह 'अन् नज्म' तिलावत फ़र्माई और उसके सज्द–ए–तिलावत पर सज्दा किया तो आप (ﷺ) के साथ बाक़ी सब लोग (या'नी मुश्रिक) भी सज्दे में गिर गए सिवाए एक बूढ़े के जिसने सज्दा करने की बजाए कंकरियों या मिट्टी की एक मुट्ठी भरी और उसे अपनी पेशानी के क़रीब ले जाकर कहने लगा, 'बस मेरे लिये यही काफ़ी है'। मैंने देखा, बाद में यह बूढ़ा (उमय्या बिन ख़लफ़) कुफ़्र की हालत में ही क़त्ल हुआ। (मुसलमान होने की तौफ़ीक़ न हुई)। **(सहीह बुख़ारी किताब सुजूदुल क़ुर्आन बाब 1)**

---

340. हदीषे ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) : अता बिन यसार (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) से (क़िरअत के बारे में) पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने रसूले अकरम (ﷺ) की मौजूदगी में **सूरतुन्नज्म** तिलावत की तो आप (ﷺ) ने सज्दा नहीं किया। **(सहीह बुख़ारी किताब सुजूदुल क़ुर्आन बाब 2)**

---

341. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : अबू राफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ी और उन्होंने उस नमाज़ में **सूरह इज़स्समाउन शक़्क़त** तिलावत की और सज्द–ए–तिलावत किया। मैंने बाद में आप से पूछा कि यह कैसा सज्दा था तो आपने फ़र्माया, मैंने इस सूरह में नबी (ﷺ) के पीछे सज्दा किया है और अब (इस सूरह की तिलावत पर) मैं उस वक़्त तक सज्दा करता रहूँगा जब तक कि आप (ﷺ) से न जा मिलूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 101)**

बाब 23 : नमाज़ के बाद ज़िक्र का बयान

342. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि तक्बीर की आवाज़ सुनकर

मुझे पता चल जाता है कि नबी अकरम (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हो चुके हैं।'

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 155)

बाब 24 : नमाज़ में अज़ाबे क़ब्र से पनाह की दुआ माँगना मुस्तहब है

343. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मदीना के यहूदियों में से दो बूढ़ी औरतें मेरे पास आईं और उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि मुर्दों को क़ब्र में अज़ाब दिया जाता है उनकी यह बात सुनकर मैंने उन्हें झुठलाया, उनकी बात को सहीह मानना मुझे अच्छा न लगा, जब वो चली गईं और नबी करीम (ﷺ) घर में तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! दो बूढ़ी यहूदनें आईं थीं और यह बात कहती थीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्होंने सच कहा है, अहले क़ब्र को ऐसा अज़ाब दिया जाता है जिसे जानवर तक सुनते हैं (हज़रत आइशा रज़ि. फ़र्माती हैं) इसके बाद मैंने देखा कि आप (ﷺ) जो नमाज़ पढ़ते उसमें अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल दअवात बाब 37)

बाब 25 : नमाज़ में किस-किस चीज़ से अल्लाह की पनाह माँगना चाहिए

344. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) को मैंने नमाज़ में फ़ित्न-ए-दज्जाल से (अल्लाह की) पनाह माँगते हुए सुना है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 149)

---

345. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) नमाज़ में यह दुआ माँगा करते थे, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ुबिक मिन फ़ित्नतिल मसीहिद्दजालि व अऊज़ुबिक मिन फ़ित्नतिल मह्याइ व फ़ित्नतिल ममाति, अल्लाहुम्म अऊज़ुबिक मिनल मअषमि वल मग़रमि.** 'ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ अज़ाबे क़ब्र से, और तेरी पनाह चाहता हूँ मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से, और तेरी पनाह माँगता हूँ ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गुनाहगार करने वाली बातों से, और मक़रूज़ (क़र्ज़दार) होने से।' आप (ﷺ) से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप क़र्ज़दारी से इतनी ज़्यादा पनाह क्यों माँगते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसलिये कि कोई शख़्स जब क़र्ज़दार हो जाता है तो झूठ बोलता है और वादाख़िलाफ़ी करता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 149)**

नोट : फ़ित्ने का मतलब होता है, आज़माइश। ज़िन्दगी के फ़ित्ने का मतलब वो तमाम दुनयवी चीज़ें हैं जिनमें इन्सान फंस जाता है; जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की हवस, इस सूरत में इन्सान को जाइज़-नाजाइज़ व हराम-हलाल की तमीज़ नहीं रहती। मौज-मस्ती की आदत, इस सूरत में इन्सान ज़िनाकारी और बुरे कामों में मुलव्विस हो जाता है। इसी तरह शोहरत-तलबी, तकब्बुर (घमण्ड) या ख़ुदसर होने (अपने आगे किसी को कुछ न समझने) की आदत, किसी से हसद करने या उसे नीचा दिखाने की चाहत जैसी तमाम चीज़ें और हुक़ूक़ुल इबाद में कोताही बरतना भी ज़िन्दगी के फ़ित्ने में शामिल हैं। मौत का फ़ित्ना यह है कि इन्सान बीमारी या तकलीफ़ों से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ले और जहन्नम का हक़दार बन जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्सान को मौत के वक़्त गुनाहों पर नादिम होने और तौबा माँगने की तौफ़ीक़ नहीं होती या ईमान की हालत में मौत नसीब नहीं होती, यह भी मौत के वक़्त का फ़ित्ना है। गुनाहगार करने वाली बातों से मुराद वो तमाम बातें हैं जिनसे आदमी गुनाह के कामों की तरफ़ माइल (आकर्षित) होता है। क़र्ज़ से पनाह इसलिये माँगनी चाहिये कि क़र्ज़ न चुका पाने की सूरत में इन्सान झूठ बोलने जैसा कबीरा

गुनाह करता है और वादाख़िलाफ़ी करके धोखाधड़ी जैसे गुनाह में गिरफ्तार होता है। कई लोग क़र्ज़ न चुका पाने की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं और कई घरों की औरतें इसकी वजह से अपनी इस्मत (इज़्ज़त–आबरू) का सौदा करने पर मजबूर हो जाती है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम फ़ित्नों से महफ़ूज़ रखे, आमीन!

---

346. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) यह दुआ माँगा करते थे, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन्नारि व मिन फित्नतिल मह्या वल ममाति व मिन फ़ित्नतिल मसीहिद्दज्जाल.** 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ क़ब्र के अज़ाब से और (जहन्नम की) आग के अज़ाब से और ज़िंदगी और मौत के फ़ित्नों से और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से।'
(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 88)

बाब 26 : नमाज़ के बाद कौनसा ज़िक्र मुस्तहब है और किस तरह करना चाहिए

347. हदीषे मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) : वर्राद (रह.) जो हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा के मुंशी थे, बयान करते हैं कि हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) ने मुझसे अमीर मुआविया (रज़ि.) के नाम एक ख़त तहरीर कराया, जिसमें लिखवाया कि रसूले अकरम (ﷺ) हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद यह कलिमात पढ़ा करते थे, **ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व वहु–व अला कुल्लि शैइन क़दीर; अल्लाहुम्म ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यन्फ़उ ज़ल्जद्दि मिन्कलजद्दु.** (तर्जुमा) **'नहीं है कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के, वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और हर तरह की हम्दो–षना महज़ उसी के लिये है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है, ऐ मेरे मअबूद! जो तू अता फ़र्माए उसे रोकने वाला कोई नहीं और जो चीज़ तू रोक दे उसे देने वाला कोई नहीं और किसी कोशिश करने वाले की कोशिश तेरे आगे काम नहीं दे सकती।' (सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 155)**

---

348. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़रीब लोग नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! दौलतमंद लोगों ने अपने माल के बलबूते पर बड़े–बड़े दर्जे और अबदी नेअमतें हासिल कर ली हैं। यह लोग हमारी तरह नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और इन्हें माल व दौलत की वजह से यह फ़ज़ीलत हासिल है कि हज्ज व उम्रह भी करते हैं, जिहाद भी करते हैं और सदक़ा भी देते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या मैं तुमको ऐसी बात न बता दूँ कि अगर तुम उसको अपना मअमूल (रूटीन, दिनचर्या) बना लो तो जो लोग तुम पर सबक़त ले गए हैं, उनके बराबर हो जाओ और उसके बाद कोई दूसरा तुम्हारी बराबरी न कर सके और तुम सब लोगों से बेहतर हो जाओ सिवाय उस शख़्स के जो (इनमें से) इस तरीक़े पर अमल करना शुरू कर दे? तुम हर नमाज़ के बाद 33–33 मर्तबा सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा करो। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, फिर हममें (कलिमात की ता'दाद के बारे में) कुछ इख़्तिलाफ़ हो गया बाज़ ने कहा कि सुब्हानल्लाह और अल हम्दुलिल्लाह 33–33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार कहना चाहिए। चुनाँचे मैंने इस सिलसिले में नबी अकरम (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम **सुब्हानल्लाह वल हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर** इस तरह पढ़ा करो कि हर कलिमा 33 बार अदा हो जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)**

बाब 27 : तक्बीरे तहरीमा और क़िरअत के बीच क्या पढ़ना चाहिए?

349. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) तक्बीरे तहरीमा और क़िरअत के बीच थोड़ी देर सुकूत (चुप्पी, शान्ति) फ़र्माया करते थे चुनाँचे मैंने (एक दिन) अर्ज़ किया, मेरे माँ-बाप आप (ﷺ) पर कुर्बान! या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप तक्बीरे तहरीमा और क़िरअत के बीच ख़ामोशी के वक़्फ़े में क्या पढ़ते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं कहता हूँ **अल्लाहुम्म बाइद बैनी व बैनल ख़तायाय कमा बाअत्त बैनल मश्रिकि वल मग़्रिबि. अल्लाहुम्म नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ष्षौबुल अब्यज़ु मिनद्दनसि अल्लाहुम्मग़्सिल ख़तायाय बिल मा-इ वष्षल्जि वल बरदि.** 'ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहो से इस तरह दूर कर दे जैसे तूने मश्रिक़ व मग़्रिब के बीच दूरी पैदा की है। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जिस तरह कपड़ा मैल-कुचैल से पाक-साफ़ हो जाता है। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओलों से धो दे।' **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 89)**

बाब 28 : नमाज़ के लिये सुकूनो-वक़ार से आना चाहिए दौड़ते हुए आना मना है

250. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, कि जब नमाज़ की जमाअत खड़ी हो जाए तो दौड़ते हुए न आओ बल्कि सुकून व इत्मीनान से चलते हुए आओ और नमाज़ का जितना हिस्सा जमाअत के साथ मिले पढ़ लो बाक़ी बचा अपने तौर पर पूरा कर लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 18)**

---

351. हदीषे अबू क़तादा (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम सब रसूले करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि आपने लोगों के क़दमों की चाप सुनी, नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या बात थी? तुम लोगों को क्या हो गया था? उन्होंने अर्ज़ किया, हम जमाअत में जल्द शरीक होने के लिये दौड़ते थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आइन्दा ऐसा न करना। नमाज़ के लिये जब भी आओ बड़े वक़ार और सुकून से आओ, जितनी नमाज़ जमाअत के साथ मिले पढ़ लो और जो बाक़ी रह जाए वो अपने तौर पर मुकम्मल कर लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 20)**

बाब 29 : नमाज़ी नमाज़ के लिये कब खड़े हों

352. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक मर्तबा जमाअत के लिये तक्बीरे इक़ामत कही गई और लोगों ने खड़े होकर सफ़ें बना ली और नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ ले आए, लेकिन जब आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ाने के लिये मुसल्ले पर खड़े हुए तो आप (ﷺ) को याद आया कि आप (ﷺ) बहालते जनाबत हैं चुनाँचे आप (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि सब लोग अपनी-अपनी जगह खड़े रहें। फिर वापस जाकर ग़ुस्ल फ़र्माया और जब दोबारा तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) के सरे-मुबारक से पानी टपक रहा था। आकर आप (ﷺ) ने तक्बीर कही और हमने आप (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ग़ुस्ल बाब 17)**

बाब 30 : जिसे बा-जमाअत नमाज़ की एक रकअत भी मिल गई उसकी वो नमाज़ बा-जमाअत हो गई

353. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया,

जिसे (बा–जमाअत) नमाज़ में से एक रकअत भी मिल गई उसकी वो नमाज़ जमाअत (से पढ़ी गई) शुमार होगी।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 29)

बाब 31 : पंजगाना नमाज़ों के अवक़ात

354. हदीषे अबू मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को यह इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आए और उन्होंने इमामत की और मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर (दूसरी) नमाज़ पढ़ी, फिर (तीसरी) नमाज़ पढ़ी, फिर (चौथी) नमाज़ पढ़ी, फिर (पाँचवीं) नमाज़ पढ़ी। यह बयान करते वक़्त आप उँगलियों पर पाँच नमाज़ें शुमार करते जाते थे।

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 6)

---

355. हदीषे अबू मस्ऊद अन्सारी (रज़ि.) : इब्ने शिहाब (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने एक दिन नमाज़ में कुछ ताख़ीर कर दी (उस वक़्त) उनके पास हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर (रह.) तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) को बताया कि एक दिन हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने जब आप इराक़ में थे, नमाज़ में देर कर दी थी तो आपके पास हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) तशरीफ़ लाए और कहा, ऐ मुग़ीरह (रज़ि.)! यह आपने क्या किया? क्या आपको यह नहीं मा'लूम कि हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और नबी करीम (ﷺ) ने (उनके साथ) नमाज़ पढ़ी, फिर हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने नमाज़ पढ़ाई और आप (ﷺ) ने (उनके साथ) नमाज़ पढ़ी। इसी तरह पाँचों नमाज़ें आप (ﷺ) ने हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) के साथ पढ़ीं फिर हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि इस तरह नमाज़ पढ़ने का आपको हुक्म दिया गया है। यह सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने हज़रत उर्वा से कहा, ऐ उर्वा! सोच–समझकर कहो, जो कुछ तुम कह रहे हो गोया इसका मतलब यह हुआ कि हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने नबी अकरम (ﷺ) को नमाज़ के अवक़ात मुतअय्यिन करके बताए। हज़रत उर्वा (रह.) ने कहा, इसी तरह बशीर (रह.) बिन अबू मस्ऊद अन्सारी भी अपने बाप (अबू मस्ऊद रज़ि.) से रिवायत किया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 1)

---

356. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) नमाज़े अस्र ऐसे वक़्त पढ़ लिया करते थे जबकि अभी सूरज या'नी धूप मेरे हुज्रे (के सहन) में होती थी और ऊपर न चढ़ी होती थी।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 1)

बाब 32 : सख़्त गर्मी के दिनों ज़ुहर की नमाज़ ठण्डे वक़्त पढ़ना मुस्तहब है

357. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब गर्मी में शिद्दत आ जाए तो नमाज़े (ज़ुहर) ठण्डे वक़्त पढ़ो क्योंकि गर्मी की शिद्दत दोज़ख़ की तपिश के फैलाव से होती है।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 9)

---

358. हदीषे अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने ज़ुहर की अज़ान दी तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, ठण्डा होने दो, ठण्डा होने दो। या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इंतिज़ार करो! इंतिज़ार करो। नीज़ फ़र्माया, गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश के फैलाव से होती है, इसलिये जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज़ ठण्डे वक़्त अदा करो (रावी बयान करते हैं कि) ज़ुहर की नमाज़ गर्मी के मौसम में आप (ﷺ) ने इतनी ताख़ीर से पढ़ी कि टीलों का साया नज़र आने लगा। **(सहीह बुख़ारी किताब मवाक़ीतुस्सलात बाब 9)**

---

359. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ की आग ने अपने रब से शिकायत की कि ऐ मेरे रब! (मैं अंदर ही अंदर इस तरह घुटकर रह गई हूँ कि) मेरे एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया है। इस पर अल्लाह तआला ने उसे दो मर्तबा सांस लेने की इजाज़त अता फ़र्मा दी। एक मर्तबा सर्दी के मौसम में और एक मर्तबा गर्मी के मौसम में। और यह सांस लेने का वक़्त वही होता है जब तुम (इन दोनों मौसमों में) गर्मी और सर्दी की शिद्दत देखते हो। **(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 9)**

बाब 33 : गर्मी शदीद न हो तो ज़ुहर अव्वल वक़्त में पढ़ना मुस्तहब है

360. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूले अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़े (ज़ुहर) सख़्त गर्मी में पढ़ा करते थे और (तपिश की वजह से) अगर कोई शख़्स अपनी पैशानी ज़मीन पर न टिका सकता तो कपड़ा बिछा कर उस पर सज्दा कर लिया करता था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अमल फ़िस्सलात बाब 9)

बाब 34 : नमाज़े अस्र अव्वल वक़्त पर पढ़ना मुस्तहब है

361. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूल करीम (ﷺ) नमाज़े अस्र ऐसे वक़्त पढ़ा करते थे जबकि अभी आफ़ताब बुलन्द और तेज़ होता था और (नमाज़ से फ़ारिग़ होकर) अगर कोई शख़्स मदीने के बालाई हिस्सो में जाना चाहता तो वहाँ ऐसे वक़्त पहुँच जाता जबकि सूरज बुलन्द और रोशन होता था। मदीने के बाज़ बालाई (कुछ ऊपरी) हिस्से चार मील के फ़ासले पर या इसके लगभग हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 13)

---

362. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : अबू उमामा (रह.) बयान करते हैं कि (एक मर्तबा) हमने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर हम लोग जब हज़रत अनस (रज़ि.) की ख़िदमत में पहुँचे तो देखा कि वो अस्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, चचाजान! यह कौनसी नमाज़ थी जो आप पढ़ रहे थे? हज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब दिया, अस्र की नमाज़! और ऐसी ही नमाज़ (या'नी ऐसे ही वक़्त में नमाज़) हम रसूले करीम (ﷺ) के साथ पढ़ा करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 13)

---

363. हदीषे राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) : हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के साथ हम अस्र ऐसे वक़्त में पढ़ते थे कि नमाज़ से फ़ारिग़ होकर हम ऊँट जिब्ह करते और उसे दस हिस्सों में बांटा जाता

और सूरज के गुरूब होने से पहले–पहले हम उसका पका हुआ गोश्त खा लिया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुश्शिर्कः बाब 1)

बाब 35 : नमाज़े अस्र के फ़ौत हो जाने का गुनाह और नुक़्सान कितना ज़्यादा है?

364. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स की नमाज़े अस्र फ़ौत हो गई उसका गोया घर–बार, माल व मताअ सब कुछ तबाह हो गया।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 14)

बाब 36 : 'सलातुल वुस्ता' से नमाज़े अस्र मुराद लेने वालों की दलील

365. हदीषे अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ज़्व–ए–अहज़ाब (ख़ंदक़) के दिन फ़र्माया, अल्लाह तआला उन (मुश्रिकों) के घरों को और उनकी क़ब्रों को आग से भर दे। उन्होंने हमें इतना उलझाए रखा कि हम सलातुल वुस्ता (नमाज़े अस्र) न पढ़ सके यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 98)

---

366. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़ज़्व–ए–ख़ंदक़ के दिन सूरज गुरूब होने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) नबी अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कुफ़्फ़ार और क़ुरैश को बुरा–भला कहते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अभी तक नमाज़े अस्र नहीं पढ़ सका हालाँकि सूरज गुरूब होने वाला है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मैं भी नहीं पढ़ सका। फिर हम सब मुक़ामे बत्हान की तरफ़ गए और रसूले करीम (ﷺ) ने और हम सबने नमाज़ के लिये वुज़ू किया और आप (ﷺ) ने सूरज गुरूब होने के बाद नमाज़े अस्र (बा–जमाअत) पढ़ाई और उसके बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 32)

बाब 37 : फ़ज्र और अस्र की नमाज़ों की फ़ज़ीलत का बयान और उनकी हिफ़ाज़त करने का हुक्म

367. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे पास रात के फ़रिश्ते और दिन के फ़रिश्ते एक–दूसरे के पीछे आते हैं और फ़रिश्तों के यह दोनों गिरोह नमाज़े फ़ज्र और नमाज़े अस्र में जमा होते हैं। फिर वो फ़रिश्ते जो रात भर तुम्हारे साथ रहे थे जब वापस आसमान पर जाते हैं तो उनसे तुम्हारा परवरदिगार पूछता है, तुमने मेरे बन्दे को किस हाल में छोड़ा था? (हालाँकि वो ख़ुद अपने बन्दों के हालात को फ़रिश्तों से ज़्यादा जानता है) तो वो जवाब देते हैं, हम जब उनके पास से आए उस वक़्त भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे और जब हम उनके पास गए थे उस वक़्त भी नमाज़ पढ़ रहे थे।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 16)

---

368. हदीषे जुरैर (रज़ि.) : हज़रत जुरैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर

थे। आप (ﷺ) ने एक रात चाँद (या'नी चौदहवीं के चाँद) को देखकर इर्शाद फ़र्माया, यक़ीनन तुम अपने परवरदिगार को अनक़रीब (रोज़े क़ियामत) बिल्कुल इसी तरह देखोगे जैसे इस वक़्त तुम उस चाँद को देख रहे हो और उसको देखने में तुम्हारे आगे किसी तरह की रुकावट न होगी। चुनाँचे जहाँ तक तुमसे हो सके कोशिश करो कि सूरज उगने से पहले की और सूरज डूबने से पहले की किसी नमाज़ में कोई रुकावट हाइल न हो (तुम से किसी क़िस्म की कोताही न हो) फिर आपने यह आयते करीमा तिलावत फ़र्माई, **व सब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश्शम्सि व क़ब्लल् गुरूब.** 'और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो, सूरज उगने और सूरज डूबने से पहले।'

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 16)

---

369. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दो ठण्डे वक़्तों की नमाज़ें (अस्र और फ़ज्र) पढ़ेगा वो जन्नत में दाख़िल होगा।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 26)

बाब 38 : मग़रिब का अव्वल वक़्त सूरज के ग़ुरूब होते ही हो जाता है

370. हदीषे सलमा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) बिन अक्वा बयान करते हैं कि हम रसूले करीम (ﷺ) के साथ मग़रिब की नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ा करते थे जब सूरज पर्दे के पीछे छुप जाता था।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 18)

---

371. हदीषे राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) : हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूले करीम (ﷺ) के साथ मग़रिब की नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ा करते थे कि नमाज़ पढ़कर वापस जाते थे तो अभी इतनी रोशनी बाक़ी होती थी जिसमें इंसान अपने तीर गिरने की जगह को देख सकता था।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 18)

नोट : **इस हदीष की वज़ाहत एक और रिवायत से होती है जो मुस्नद अहमद में दर्ज है और जिसे हसन रिवायत का दर्जा हासिल है. इस रिवायत के रावी अली (रह.) बिन बिलाल हैं जो कुछ अन्सारी सहाबा के हवाले से रिवायत करते हैं कि हम जब नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आकर तीरंदाज़ी का मुक़ाबला करते थे और इससे फ़ारिग़ होकर जब अपने घरों को लौटा करते थे तो इतनी रोशनी होती थी कि जिससे हम उन जगहों को देख सकते थे जहाँ हमारे तीरों के निशान होते थे। इस हदीष से दो बातें पता चलती हैं; पहली यह कि मग़रिब की नमाज़ सूरज ग़ुरूब होने के फ़ौरन बाद पढ़ना चाहिये और दूसरा यह कि उसे लम्बी न करके मुख़्तसर करनी चाहिये।**

बाब 39 : इशा की नमाज़ का वक़्त और इस नमाज़ को देरी से पढ़ने का बयान

372. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक रात नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़े इशा में देर कर दी (यह उस ज़माने का वाक़िआ है जब अभी इस्लाम फैला नहीं था) और आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ न ले गए यहाँ तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बच्चे और औरतें सो गए हैं। यह सुनकर आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए और हाज़िरीने मस्जिद से फ़र्माया, ज़मीन पर बसने वालों में से तुम्हारे सिवा कोई शख़्स इस वक़्त इस नमाज़ का मुंतज़िर नहीं हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 22)**

---

373. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक रात नबी (ﷺ) को नमाज़े इशा के वक़्त कोई मसरूफ़ियत पेश आ गई और आप (ﷺ) को आने में इतनी देर हो गई कि हम सबको मस्जिद में (इंतिज़ार करते–करते) नींद आ गई इसके बाद बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए इसके बाद आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए (और नमाज़ पढ़ाई) फिर फ़र्माया, इस वक़्त ज़मीन पर बसने वालों में तुम्हरे सिवा कोई शख़्स ऐसा नहीं जो नमाज़ का इंतिज़ार कर रहा हो। **(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 24)**

---

374. हदीषे अनस (रज़ि.) : हुमैद (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा गया, क्या नबी करीम (ﷺ) ने अँगूठी इस्ते'माल की थी? हज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब दिया, एक मर्तबा रसूले अकरम (ﷺ) ने इशा की नमाज़ में आधी रात तक देर कर दी फिर आप (ﷺ) हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए (मैं इस वक़्त भी तसव्वुर की नज़र से आप ﷺ की अँगूठी देख रहा हूँ) और फ़र्माया, सब लोग नमाज़ पढ़कर सो चुके हैं और तुमने जितनी देर नमाज़ का इंतज़ार किया है गोया तुम नमाज़ ही पढ़ रहे थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 48)**

---

375. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं और मेरे साथी जो मेरे साथ कश्ती में आए थे हम सब मदीना में मुक़ामे बक़ी की कंकरीली ज़मीन पर क़ियाम किये हुए थे और रसूले अकरम (ﷺ) मदीना में थे; इसलिये हममें से एक–एक टोली रोज़ाना बारी–बारी इशा के वक़्त आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ करती थी। चुनाँचे इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि जिस दिन मैं अपने चंद साथियों के साथ आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप (ﷺ) किसी अहम काम में मसरूफ़ थे जिसकी वजह से नमाज़े इशा में इस क़दर देर हो गई कि आधी रात के क़रीब गुज़र गई उसके बाद आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर हाज़िरीन से इर्शाद फ़र्माया, ठहरो! तुम्हारे लिये ख़ुशख़बरी हो! तुम पर यह अल्लाह का एहसान है कि इस वक़्त तुम्हारे सिवा कोई और नमाज़ नहीं पढ़ रहा। या आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, इस वक़्त तुम्हारे सिवा किसी और ने नमाज़ नहीं पढ़ी। अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि इसके बाद हम वापस लौट आए और जो बात हमने आप (ﷺ) से सुनी थी उसकी वजह से हम सब मसरूर थे। **(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 22)**

---

376. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक रात नबी करीम (ﷺ) ने इशा की नमाज़ में इतनी देर कर दी कि लोग सोकर जागे, फिर सो गए और फिर जागे, यह कैफ़ियत देखकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) उठे और आपने नबी करीम (ﷺ) को इत्तिला दी कि नमाज़ तैयार है। चुनाँचे आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए। मैं इस वक़्त भी तसव्वुर की आँख से देख रहा हूँ जैसे आप (ﷺ) सरे मुबारक पर हाथ रखकर तशरीफ़ ला रहे हैं और आप (ﷺ) के सर से पानी टपक रहा है और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मुझे यह ख़याल न होता कि मेरी उम्मत तक्लीफ़ में मुब्तला हो जाएगी तो मैं हुक्म देता कि इसी तरह (या'नी इतनी ही देर से) नमाज़ (इशा) पढ़ा करें। (इब्ने जुरैज रह. जिन्होंने अता रह. के वास्ते से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. से यह हदीष बयान की है, कहते हैं) मैंने अता (रह.) से दरख़्वास्त की नबी करीम (ﷺ) का सर पर हाथ रखने का अंदाज़ जिस तरह उन्हें हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने करके दिखाया था वो भी अमलन मुझे करके दिखाएँ। चुनाँचे उन्होंने मुझे दिखाने के लिये अपनी उँगलियों को इस क़दर खोलकर उनके सिरों को अपने सर के अतराफ़ पर रख लिया फिर उनको सर से मिलाकर सर पर इस तरह फेरा कि अँगूठा कान के इस हिस्से में मसह करने लगा जो कनपट्टी और दाढ़ी के किनारों से मिला हुआ है। ऐसा करते वक़्त न तो बहुत देर लगाई और न ही बहुत जल्दी की बल्कि इस तरह कि बहुत ही इत्मीनान से यह अमल किया और फिर आप (ﷺ) का यह इर्शाद सुनाया, 'अगर मुझे यह एहसास न होता कि मेरी उम्मत

तक्लीफ़ में मुब्तला हो जाएगी तो मैं उन्हें हुक्म देता कि इसी तरह (या'नी इतनी ही देर से) नमाज़े इशा पढ़ा करें।'

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 24)

बाब 40 : नमाज़े फ़ज्र अव्वल वक़्त या'नी ऐसे वक़्त पढ़ना कि अभी आख़िरी रात की स्याही बाक़ी हो मुस्तहब है और नमाज़े फ़ज्र में क़ुर्आन किस मिक़्दार में पढ़ना चाहिए

377. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) के पीछे फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के लिये मुसलमान औरतें अपनी चादरें लपेटकर जाया करती थीं और नमाज़ से फ़ारिग़ होकर जब घरों को लौटती थीं तो (अभी इतना अँधेरा बाक़ी होता था कि) अँधेरे की वजह से कोई उन्हें पहचान न सकता था।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 27)

---

378. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ दोपहर के वक़्त (ज़वाले शम्स के फ़ौरन बाद) पढ़ा करते थे और नमाज़े अस्र ऐसे वक़्त पढ़ते कि सूरज पूरी तरह साफ़ और रोशन होता था और मग़्रिब ऐसे वक़्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था और इशा में कभी देर फ़र्माते थे और कभी जल्दी, या'नी अगर देखते कि लोग जल्दी जमा हो गए हैं तो जल्दी अदा फ़र्मा लेते और अगर देर से जमा होते तो देर से अदा फ़र्माते, और फ़ज्र की नमाज़ (रावी को याद नहीं रहा कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने 'मुसलमान' कहा था या 'नबी करीम (ﷺ)' कहा था) ऐसे वक़्त पढ़ा करते थे जब अभी आख़िरी रात का अँधेरा बाक़ी होता था।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 18)

---

379. हदीषे अबू बर्ज़ा असलमी (रज़ि.) : हज़रत अबू बर्ज़ा (रज़ि.) से नमाज़ों के अवक़ात के बारे में पूछा गया, तो आपने जवाब दिया कि नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ सूरज ढले पढ़ते थे और अस्र ऐसे वक़्त पढ़ते थे कि आदमी (नमाज़ के बाद) अगर मदीना के आख़िरी किनारे तक जाकर वापस आता तो सूरज पूरी तरह रोशन होता था, (रावी कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहा कि हज़रत अबू बर्ज़ा (रज़ि.) ने मग़्रिब के बारे में क्या बताया था) और रसूले करीम (ﷺ) इशा की नमाज़ को एक तिहाई रात तक मुअख़्ख़र कर देने में कोई हर्ज नहीं समझते थे लेकिन इशा की नमाज़ से पहले सोना और इशा की नमाज़ के बाद बातें करना आप (ﷺ) नापसंद फ़र्माते थे। और सुबह की नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ते थे कि नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आदमी अपने हमनशीन को देखता तो पहचान लेता था। और (सुबह की नमाज़ में) दोनों रकअतों में या हर रकअत में साठ से सौ आयतों तक तिलावत फ़र्माया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 104)

बाब 42 : नमाज़ बा—जमाअत की फ़ज़ीलत और जमाअत से पीछे रह जाने वालों के लिये सख़्त वईद

380. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि जमाअत के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज़ अकेले नमाज़ से 25 गुना ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है

और फ़ज्र की नमाज़ में रात के फ़रिश्ते और दिन के फ़रिश्ते जमा होते हैं। यह ह़दीष़ बयान करने के बाद ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते थे कि (अगर तुमको यक़ीन न आए तो) यह आयते करीमा पढ़कर देख लो, **'बेशक सुबह की नमाज़ (फ़रिश्तों) के हाज़िर होने का वक़्त है।' (बनी इस्राईल : 78)**

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 31)

---

381. ह़दीष़े अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का ष़वाब और फ़ज़ीलत अकेले नमाज़ के मुक़ाबले में 27 गुना ज़्यादा है।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 30)

---

382. ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़–ए–क़ुदरत में मेरी जान है! मैंने (कई बार) इरादा किया कि जलाने की लकड़ियाँ जमा किए जाने का हुक्म दूँ, फिर अज़ान का हुक्म दूँ और किसी शख़्स को नमाज़ पढ़ाने के लिये खड़ा करके ख़ुद उन लोगों के पास जाऊँ (जो जमाअत में शरीक नहीं होते) और उनके घरों को आग लगा दूँ। क़सम है उस ज़ात की कि जिसके क़ब्ज़–ए–क़ुदरत में मेरी जान है (उन लोगों की हालत यह है कि) अगर उनको मा'लूम हो कि नमाज़े इशा पढ़ने पर उन्हें एक गोश्त का मोटा टुकड़ा या बकरी के दो उम्दा पाए मिलेंगे तो इशा की नमाज़ में ज़रूर आएँ।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 29)

---

383. ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुनाफ़िक़ों के लिये सुबह और इशा की नमाज़ से ज़्यादा भारी कोई और नमाज़ नहीं हैं काश उन्हें मा'लूम हो जाता कि इन दो नमाज़ों का ष़वाब कितना ज़्यादा है तो यह इन नमाज़ों में शिर्कत करने के लिये ज़रूर आते ख़्वाह घुटनों के बल चलकर आना पड़ता। यह वाक़िआ है कि मैंने (कई बार) इरादा किया कि मुअज़्ज़िन से कहूँ कि वो तक्बीरे इक़ामत कहे और किसी को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूँ और ख़ुद आग के दहकते हुए शोले लेकर उन लोगों के घरों को आग लगा दूँ जो अभी तक नमाज़ के लिये न आए हों। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 34)**

बाब 47 : उज्र की बिना पर जमाअत से ग़ैर हाज़िर होना जाइज़ है

384. ह़दीष़े उत्बान बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत उत्बान (रज़ि.) जो बद्री सहाबी और अन्सारी थे, नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है और मैं अपने क़बीले की इमामत करता हूँ लेकिन जब बारिशें होती हैं और नशीबी इलाक़े में जो मेरे और मेरे क़बीले के बीच है सैलाब आ जाता है तो मैं उन्हें नमाज़ पढ़ाने के लिये उनकी मस्जिद तक नहीं पहुँच सकता। इसलिये या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी दिली आरज़ू है कि आप (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मेरे घर में (किसी मुक़ाम पर) नमाज़ पढ़ें ताकि मैं उस मुक़ाम को अपने लिये नमाज़ पढ़ने की जगह बना लूँ। रावी कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मैं इंशाअल्लाह यह आरज़ू अनक़रीब ज़रूर पूरी करूँगा। ह़ज़रत उत्बान (रज़ि.) बयान करते हैं कि (दूसरे दिन) सुबह के वक़्त दिन चढ़े नबी करीम (ﷺ) ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के साथ तशरीफ़ लाए और घर में आने की इजाज़त तलब की। मैं आप (ﷺ) को घर के अंदर ले आया। घर में तशरीफ़ लाकर आप (ﷺ) ने बैठने से पहले

ही पूछा, तुम घर के किस मुक़ाम पर चाहते हो कि मैं नमाज़ पढ़ूँ? मैंने एक गोशे की तरफ़ इशारा किया। नबी अकरम (ﷺ) ने खड़े होकर तक्बीर कही, हम भी सफ़ बाँधकर (आप ﷺ के पीछे) खड़े हो गए, आप (ﷺ) ने दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और सलाम फेर दिया। उत्बान (रज़ि.) कहते हैं कि (इसके बाद) हमने आप (ﷺ) को ख़ज़ीरा खाने के लिये रोक लिया जो हमने आप (ﷺ) ही के लिये तैयार कर रखा था। उत्बान (रज़ि.) कहते हैं कि घर में मुहल्ले के और लोग भी आ गए यहाँ तक कि काफ़ी आदमी जमा हो गए तो एक शख़्स ने कहा कि मालिक बिन दख़ीशन (या जो भी नाम था) कहाँ है? उस पर वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि वो तो मुनाफ़िक़ है; अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) को दोस्त नहीं रखता। यह सुनकर रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा न कहो! तुम देखते नहीं हो कि वो कलिमा **ला इलाहा इल्लल्लाह** पढ़ता है और महज़ अल्लाह तआला की रज़ा हासिल करने के लिये ऐसा करता है। किसी ने कहा, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं। उस शख़्स ने कहा, हमने तो इसकी तवज्जुह और ख़ैर-ख़्वाही मुनाफ़िक़ों के लिये देखते हैं। इस पर जनाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फिर इर्शाद फ़र्माया, अल्लाह तआला ने ऐसे शख़्स जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिये '**ला इलाहा इल्लल्लाह**' कहता है, जहन्नम की आग हराम कर दी है।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 46)

---

385. हदीषे महमूद बिन अर रबीअ (रज़ि.) : हज़रत महमूद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) अच्छी तरह याद हैं और मुझे आप (ﷺ) का कुल्ली करना भी याद है जो आप (ﷺ) ने हमारे मुहल्ले के डोल से की थी। यह बात कहकर हज़रत महमूद (रज़ि.) ने हज़रत उत्बान (रज़ि.) की रिवायत से मज़कूरा बाला हदीष बयान की।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 154)

बाब 48 : नफ़्ली नमाज़ बा-जमाअत पढ़ना और पाक चटाई, बोरे और कपड़े पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है

386. हदीषे मैमूना (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ा करते थे और मैं आप (ﷺ) के बराबर बैठी होती थी और मुझे हैज़ आ रहा होता था और कई बार सज्दा करते वक़्त आप (ﷺ) का कपड़ा मुझसे छू जाता था। हज़रत मैमूना (रज़ि.) कहती हैं कि आप (ﷺ) ख़जूर के बोरे पर नमाज़ पढ़ा करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 19)

बाब 49 : नमाज़ बा-जमाअत की फ़ज़ीलत और नमाज़ के इंतज़ार का षवाब

387. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बा-जमाअत नमाज़ का षवाब और फ़ज़ीलत किसी शख़्स के अकेले नमाज़ के मुक़ाबले में ख़्वाह वो घर में पढ़ी जाए या बाज़ार में, 25 गुना ज़्यादा है क्योंकि **एक शख़्स जब बेहतरीन तरीक़े से वुज़ू करके मस्जिद की तरफ़ जाता है और उसका मक़सद महज़ नमाज़ अदा करना होता है तो मस्जिद में दाख़िल होने तक जो क़दम वो उठाता है उस पर अल्लाह तआला उसका एक दर्जा बुलन्द फ़र्माता है और इस पर उसका एक गुनाह झड़ जाता है। फिर जब वो मस्जिद में दाख़िल हो जाता है तो जितनी देर उसे जमाअत के इंतज़ार में रुकना पड़ता है उसे नमाज़ का षवाब मिलता है और जब तक यह शख़्स अपनी नमाज़ की जगह पर रहता है फ़रिश्ते उसके लिये रहमत की दुआ करते रहते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह! इसके गुनाह बख़्श दे और**

इस पर रहम फ़र्मा। यह दुआ तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसका वुज़ू न टूट जाए।
(स्रहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 87)

बाब 50 : नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ जाते हुए जितने ज़्यादा क़दम उठाने पड़ें उतनी ही ज़्यादा फ़ज़ीलत है

388. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ का अज्र सबसे ज़्यादा उस शख़्स को मिलता है जो मस्जिद से ज़्यादा दूर रहता है और जिसे सबसे ज़्यादा चलकर मस्जिद तक आना पड़ता है और वो शख़्स जो इंतज़ार करता है कि इमाम के साथ बा–जमाअत नमाज़ पढ़े उसका अज्र उस शख़्स से बहुत ज़्यादा है जो जल्दी से नमाज़ पढ़कर सो जाता है।
(स्रहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 31)

बाब 51 : नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ जाने से गुनाह मुआफ़ होते हैं और दर्जात बुलन्द होते हैं

389. हदीशे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, तुम लोगों का क्या ख़याल है कि अगर किसी शख़्स के दरवाज़े पर नहर हो जिसमें वो रोज़ाना पाँच मर्तबा नहाता हो क्या ऐसे शख़्स के बदन पर मैल–कुचैल बाक़ी रहेगा? सबने अर्ज़ किया कि उसपर किसी क़िस्म का मैल बाक़ी नहीं रहेगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस यही मिषाल पाँच नमाज़ों की है इनकी वजह से अल्लाह तआला बन्दे के गुनाह मुआफ़ फ़र्माता है। (स्रहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब)

---

390. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त मस्जिद की तरफ़ नमाज़ के लिये जाता है अल्लाह तआला हर सुबह व शाम के आने– जाने पर उसके लिये जन्नत में ज़ियाफ़त का एहतिमाम करता है। (स्रहीह बुख़ारी किताबुल बाब)

बाब 53 : इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है?

391. हदीषे मालिक बिन हुवैरिष (रज़ि.) : हज़रत मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं अपने क़बीले के चंद लोगों के साथ रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हम आप (ﷺ) के पास 20 रातें ठहरे। आप (ﷺ) इंतिहाई महरबान और बड़े नरम मिज़ाज थे। चुनाँचे जब आप (ﷺ) ने देखा कि हम लोग अपने अहल व अयाल की तरफ़ वापस जाने के मुश्ताक़ (इच्छुक) हैं, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग अब वापस चले जाओ और अपने क़बीले में ठहरकर दीन की ता'लीम द. और नमाज़ पढ़ाओ, जब नमाज़ का वक़्त हो तो तुममें से एक शख़्स अज़ान दे और जो उमर में सबसे बड़ा हो वो इमामत कराए। (स्रहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान)

बाब 54 : जब मुसलमानों पर कोई बला नाज़िल हो तो सब नमाज़ों में क़ुनूते नाज़ला पढ़ना मुस्तहब है

392. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब (रुकूअ से) अपना सर उठाते तो कहा करते थे **समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना व लकल हम्द.** सुन ली है अल्लाह ने हर हम्द करने वाले की हम्द। ऐ हमारे रब! हम्द सिर्फ़ तेरे ही लिये है (इसके बाद) कुछ लोगों का नाम लेकर उनके हक़ में दुआ माँगते और फ़र्माते, ए अल्लाह! वलीद बिन वलीद (रज़ि.), सलमा बिन हिशाम (रज़ि.) और अयाश बिन अबी रबीआ (रज़ि.) और तमाम कमज़ोर मुसलमानों को (जिन पर अहले मक्का ज़ुल्म कर रहे हैं) इस मुसीबत से निजात दिला। ऐ अल्लाह! क़बीले मुज़र पर अपनी गिरफ़्त सख़्त कर दे, तेरी पकड़ अहले मुज़र पर वैसी ही कहतसाली (अकाल) की सूरत इख़्तियार कर ले जैसा कि हज़रत युसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के ज़माने में मुसलसल कई साल तक कहत आया था (यह क़ुनूते नाज़िला आप ﷺ उस ज़माने में पढ़ा करते थे जब) क़बीले मुज़र के मुश्रिक़ लोग आप (ﷺ) के मुख़ालिफ़ थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 128)**

---

393. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने रअल और ज़क्वान को बद दुआ देने के लिये एक माह तक क़ुनूते नाज़िला पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वित्र बाब 7)

---

394. हदीषे अनस (रज़ि.) : आसिम (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से दुआ–ए–क़ुनूत के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया, दुआ–ए–क़ुनूत रुकूअ में जाने से पहले पढ़ी जाती है। मैंने कहा, फ़लाँ शख़्स दा'वा करता है, कि आप (रज़ि.) ने कहा कि दुआ–ए–क़ुनूत रुकूअ से सर उठाने के बाद पढ़ी जाती है। उन्होंने फ़र्माया, उस शख़्स ने झूठ कहा। फिर हज़रत अनस (रज़ि.) ने यह हदीष बयान की कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक माह तक रुकूअ से सर उठाने के बाद क़ुनूते नाज़िला पढ़ी थी जिसमें आप (ﷺ) बनी सुलैम के बाज़ क़बीलों के लिये बददुआ कर रहे थे। हज़रत अनस (रज़ि.) ने बयान किया, कि रसूले करीम (ﷺ) ने उन मुश्रिकों की तरफ़ 40 या 70 क़ारी रवाना किए थे (ता'दाद में रावी को शक़ है) मुश्रिकों ने उन क़ारियों पर हमला करके उन्हें क़त्ल कर दिया था, हालाँकि उन क़बीलों और रसूले अकरम (ﷺ) के बीच मुआहदा–ए–अम्न व मुसालमत (शान्ति समझौता) था। चुनाँचे (इस ज़ुल्म व अहद शिकनी की वजह से) आप (ﷺ) को इन क़बीलों के ख़िलाफ़ इस क़दर शदीद नाराज़गी थी कि मैंने आप (ﷺ) को किसी पर इस क़दर नाराज़ और ग़ज़बनाक नहीं देखा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिज़या बाब 8)

---

395. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने क़ारियों का एक दस्ता रवाना किया और उनको क़त्ल कर दिया गया, चुनाँचे (इस हादषे से) नबी अकरम (ﷺ) को इस क़दर सदमा पहुँचा कि किसी और वाक़िअे पर मैंने आप (ﷺ) को इस क़दर ग़ज़बनाक और रंजीदा होते नहीं देखा और इस हादषे के बाद आप (ﷺ) ने एक माह तक नमाज़े फ़ज्र में क़ुनूते नाज़िला पढ़ी जिसमें आप (ﷺ) फ़र्माया करते थे, उसय्या ने अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाफ़र्मानी की है। **(सहीह बुख़ारी किताबुद दअवात बाब 58)**

बाब 55 : क़ज़ा नमाज़ अदा करने का बयान और यह कि क़ज़ा नमाज़ को जल्द अदा करना मुस्तहब है

396. हदीषे इमरान बिन हुस़ैन (रज़ि.) : हज़रत इमरान (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम सब एक सफ़र में रसूले करीम (ﷺ) के साथ थे, हम रात भर चलते रहे और जब सुबह क़रीब हुई तो पड़ाव कर लिया। नतीजतन नींद के ग़लबे की वजह से सबकी आँख लग गई, यहाँ तक कि सूरज ख़ूब रोशन हो गया, इस मौक़े पर सबसे पहले हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) बेदार हुए और यह तै शुदा दस्तूर था कि रसूले करीम (ﷺ) को जब तक आप (ﷺ) ख़ुद बेदार न हो जगाया नहीं जाता था। इसके बाद हज़रत उमर (रज़ि.) बेदार हुए और हज़रत सिद्दीक (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के सिरहाने बैठकर बुलन्द आवाज़ से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहने लगे यहाँ तक कि आप (ﷺ) भी बेदार हो गए और आप (ﷺ) ने हमें नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई।

एक शख़्स जमाअत से अलग रहा और उसने हमारे साथ नमाज़ नहीं पढ़ी, चुनाँचे नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) ने उस शख़्स से पूछा, तुमने हमारे साथ नमाज़ क्यों अदा नहीं की? उसने अर्ज़ किया, मुझे जनाबत (हाजते गुस्ल) लाहिक़ हो गई थी। आप (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि मिट्टी से तयम्मुम कर लो, उसने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली। मुझे रसूले अकरम (ﷺ) ने चंद सवारों के साथ आगे रवाना कर दिया क्योंकि हम सब लोग सख़्त प्यासे थे। जब हम आगे–आगे जा रहे थे हमें अचानक एक औरत नज़र आई जो अपनी दोनों टाँगे दो बड़े मश्कीज़ों के बीच लटकाए चली जा रही थी। हमने उससे पूछा, पानी कहाँ है? उसने कहा, पानी नहीं है। फिर हमने उससे पूछा, तेरे घर और पानी के बीच कितना फ़ासला है? कहने लगी, एक दिन और एक रात का। फिर हमने उससे कहा कि आओ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास चलो। कहने लगी, रसूलुल्लाह क्या हैं? मैं नहीं जानती। फिर हम उसे मजबूर करके आप (ﷺ) की ख़िदमत में ले आए। आप (ﷺ) से भी उसने वही कुछ कहा जो हमसे कह चुकी थी, अल्बत्ता मज़ीद यह बताया कि वो यतीमों को पाल रही है। **आप (ﷺ) ने उसके मश्कीज़े खोलने का हुक्म दिया और उन दोनों मश्कों के दहानों पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। इसके बाद हम 40 प्यासे आदमियों ने उन मश्कीज़ों से सैर होकर पानी पिया और जितने बर्तन और मश्कें हमारे पास थे सबको भर लिये, स़िर्फ़ ऊँटों को पानी न पिलाया। इधर उस औरत के मश्कीज़ों का यह हाल था कि पानी ज़्यादा भर जाने की वजह से वो फटे जा रहे थे। फिर आप (ﷺ) ने (सहाबा किराम रज़ि. को) हुक्म दिया कि जो तुम्हारे पास है ले आओ।** चुनाँचे रोटी के टुकड़े और ख़जूरें जो कुछ मौजूद था सब जमा करके उसे दे दिया गया और वो यह सब लेकर अपने घरवालों के पास पहुँची और जाकर उसने बताया, आज मैं सबसे बड़े जादूगर से मिली हूँ या फिर वो वाक़ई नबी हैं जैसा कि वो सब समझते हैं। चुनाँचे अल्लाह तआला ने उस पूरे गाँव को इस औरत की वजह से हिदायत अता फ़र्माई, वो औरत भी मुसलमान हो गई और गाँव वाले भी मुसलमान हो गए।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)

---

397. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कोई नमाज़ वक़्त पर अदा करना भूल जाए उसको चाहिए कि जब उसे याद आए फ़ौरन पढ़ ले, फ़रामोश-शुदा (भूली हुई) नमाज़ का क़फ़्फ़ारा यही है, **'और मेरी याद के लिये नमाज़ क़ायम करो।'** (ताहा : 14)

(स़हीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस़्स़लात बाब 37)

किताब सलातुल मुसाफ़िरीन व क़स्रुहा

बाब 1 : मुसाफिर की नमाज़ और सफ़र में नमाज़ को मुख़्तसर करने का बयान

398. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि (शुरू में) जब अल्लाह तआला ने नमाज़ फ़र्ज़ की तो सफ़र और हज़र दोनों में दो–दो रकअतें फ़र्ज़ की थीं बाद में सफ़र की नमाज़ को तो उसी हालत में बरकरार रखा गया और हज़र की नमाज़ में रकअतों में इज़ाफ़ा कर दिया गया।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 1)

---

399. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हफ़्स बिन आसिम (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने हमसे बयान किया, मैं (सफ़र में) नबी करीम (ﷺ) के साथ रहा हूँ और मैंने आप (ﷺ) को सफ़र के दौरान में सुन्नतें पढ़ते नहीं देखा और अल्लाह तआला का इर्शाद है, **लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना.** 'दर हक़ीक़त तुम लोगों के लिये अल्लाह के रसूल (ﷺ) में एक बेहतरीन नमूना है।' (अल अहज़ाब : 21)

(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 11)

---

400. हदीसे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुहर की नमाज़ में मदीना में चार रकअत पढ़ी और जुल हुलैफ़ा में दो रकअत पढ़ीं।

(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 5)

---

401. हदीसे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना से मक्का जाने के लिये निकले तो आप (ﷺ) (पूरे रास्ते में) दो–दो रकअत नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि हम मदीना लौटकर आए। हज़रत अनस (रज़ि.) से यह्या इब्ने अबी इस्हाक़ ने पूछा, क्या आप लोगों ने मक्का में कुछ दिन क़ियाम भी किया था? हज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब दिया कि हम मक्का में दस दिन ठहरे थे।

(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 1)

बाब 2 : मिना में नमाज़ को क़स्र करने का बयान

402. हदीसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ और हज़राते अबूबक्र सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के साथ भी मुक़ामे–मिना में दो रकअत नमाज़

(या'नी क़स्र) अदा की और हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) के साथ भी उनकी ख़िलाफ़त के शुरू के दौर में (मिना में) दो रकअ़त ही पढ़ी हैं, अल्बत्ता बाद में वो (सफ़र में) पूरी नमाज़ पढ़ने लगे थे।

(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 2)

---

403. हदीषे हारिषा बिन वह्ब ख़ुज़ाई (रज़ि.) : हज़रत हारिषा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमें रसूले करीम (ﷺ) ने मिना में दो रकअ़त नमाज़ (क़स्र नमाज़) पढ़ाई हालाँकि उस वक़्त हमारी ता'दाद पहले से बहुत ज़्यादा थी और हम उस वक़्त पहले से बहुत ज़्यादा अम्न की हालत में थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 84)**

बाब 3 : बारिश में घरों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त

404. हदीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने एक सर्द रात में जबकि आँधी चल रही थी अज़ान दी और (**हय्या अ़लस्सलात** की बजाय) कहा, लोगों! अपने–अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो। अज़ान से फ़ारिग़ होकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा, कि जब रात को सर्दी होती और बारिश हो रही होती तो रसूले अकरम (ﷺ) मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे कि वो अज़ान में (**हय्या अ़लस्सलात** की बजाए) **अला सल्लू फ़िर्रिहाल!** (अपने–अपने घरों में नमाज़ पढ़ो) कहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 40)**

नोट : इस रिवायत में सर्दी और हवा का ज़िक्र है; इससे उ़लमा ने तेज़ सर्दी और आँधी का मतलब लिया है और तेज़ गर्मी का हुक्म भी यही है क्योंकि इसमें भी मशक़्क़त मौजूद है। बारिश रात के वक़्त हो या दिन को दोनों सूरतों में रुख़्सत है। अलबत्ता आँधी की सूरत में रात की शर्त है क्योंकि रात ही ज़्यादा तकलीफ़ का कारण बनती है दिन नहीं। हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने आँधी को बारिश पर क़यास किया है क्योंकि मशक़्क़त दोनों में मौजूद है।

---

405. हदीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने एक मर्तबा (जुम्अ़े के दिन) जबकि बारिश हो रही थी मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया कि अज़ान में **अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह** के बाद **हय्या अ़लस्सलात** न कहना बल्कि यह कहना कि, **सल्लू फ़ी बुयुतिकुम** (अपने–अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो) लोगों को इस बात पर तअ़ज्जुब हुआ तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, (तुमको इस पर तअ़ज्जुब है हालाँकि) ऐसा ही तर्ज़े अमल उस हस्ती (ﷺ) ने भी इख़्तियार किया था जो मुझसे बेहतर है, नमाज़े जुम्आ़ यक़ीनन फ़र्ज़ है लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि मैं तुमको तक्लीफ़ में मुब्तला करूँ और तुम कीचड़ और फ़िसलन में चलते हुए आओ।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ़ बाब 40)

बाब 4 : सफ़र में नफ़्ली नमाज़ सवारी पर (चलते–चलते) पढ़ना जाइज़ है ख़्वाह सवारी का रुख़ किसी सिम्त (दिशा) में हो

406. हदीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) सफ़र में अपनी सवारी पर ही नमाज़ पढ़ लिया करते थे ख़्वाह उसका रुख़ किसी तरफ़ हो और (रुकूअ़ और सज्दा) इशारे से अदा करते थे यह रात की नमाज़ होती थी फ़र्ज़ के अलावा (फ़र्ज़ नमाज़ उतरकर पढ़ते थे और) वित्र सवारी पर पढ़ लिया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वित्र बाब 6)**

---

407. हदीषे आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) : हज़रत आमिर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने देखा है कि नबी करीम (ﷺ) सफ़र में रात के वक़्त अपनी सवारी पर ही नफ़्ल पढ़ा करते थे ख़्वाह सवारी का रुख़ किसी तरफ़ होता।

(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 12)

---

408. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : अनस बिन सीरीन (रह.) बयान करते हैं कि जब हज़रत अनस (रज़ि.) शाम तशरीफ़ लाए तो हम उनके इस्तिक़बाल के लिये गए और आप हमें मुक़ामे अैनुत्तमर पर मिले, मैंने उस वक़्त देखा कि आप (रज़ि.) अपने गधे पर बैठे नमाज़ पढ़ रहे थे और उनका रुख़ उस तरफ़ या'नी क़िब्ले के बाँए जानिब था। चुनाँचे मैंने उनसे पूछा कि मैंने देखा था कि आप (अपनी सवारी पर) नमाज़ पढ़ रहे थे और आप का रुख़ क़िब्ले से अलग सिम्त में था इस पर हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर मैंने रसूले करीम (ﷺ) को ऐसा करते न देखा होता तो मैं हर्गिज़ यह काम न करता। **(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 10)**

बाब 5 : सफ़र में दो नमाज़ों को जमा करना जाइज़ है

409. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूले करीम (ﷺ) को सफ़र की वजह से उज्लत (जल्दी) होती तो आप (ﷺ) मग़्रिब की नमाज़ में देर कर देते थे (कि इशा की नमाज़ का वक़्त आ जाता) फिर मग़्रिब और इशा दोनों को जमा करके एक ही वक़्त में पढ़ते थे।

(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 6)

---

410. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) अगर सूरज ढलने से पहले सफ़र पर रवाना होते तो जुहर की नमाज़ में अस्र के वक़्त तक देर कर दिया करते थे फिर (जब अस्र का वक़्त हो जाता तो) क़ियाम फ़र्माते और दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ा करते थे और अगर आप (ﷺ) की रवानगी से पहले सूरज ढल जाता तो जुहर की नमाज़ पढ़कर सफ़र पर रवाना होते थे।

(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 16)

बाब 6 : हज़र (जब सफ़र में न हो) में नमाज़ों को जमा करने का बयान

411. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) के साथ आठ रकअत नमाज़ (जुहर और अस्र) और सात रकअत नमाज़ (मग़्रिब और इशा) इकट्ठी मिलाकर पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 30)

बाब 7 : नमाज़ से फ़ारिग़ होकर इमाम दाँए जानिब या बाँए जानिब जिधर चाहे मुँह करके बैठ सकता है

412. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि किसी शख़्स को अपनी नमाज़ में से शैतान को हिस्सा नहीं देना चाहिए, नमाज़ में शैतान का हिस्सा इस तरह भी हो जाता है कि आदमी यह समझने लगे कि इस पर सिर्फ़ दाँए जानिब मुँह करके बैठना ज़रूरी है इसलिये कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा

है आप (ﷺ) बहुत दफ़ा बाँए जानिब मुँह करके बैठा करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 195)**

बाब 9 : तक्बीरे इक़ामत शुरू हो जाने के बाद नफ़्ल नमाज़ शुरू करना मकरूह है

413. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि वो तक्बीरे इक़ामत के हो जाने के बाद सुबह की दो सुन्नतें पढ़ रहा है चुनाँचे जब नबी करीम (ﷺ) ने सलाम फेरा तो सब लोग आप (ﷺ) के पास जमा हो गए और रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या सुबह की नमाज़ चार रकअत होती है? क्या सुबह की नमाज़ चार रकअत होती हैं?
(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 38)

बाब 11 : दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ना मुस्तहब है और यह दो रकअत पढ़े बग़ैर मस्जिद में बैठना मकरूह है और तहिय्यतुल मस्जिद तमाम अवक़ात में पढ़ी जा सकती है

414. हदीषे अबू क़तादा सुल्मी (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मस्जिद में आए उसे चाहिए कि बैठने से पहले दो रकअत (तहिय्यतुल मस्जिद) पढ़े।
(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 60)

बाब 12 : सफ़र से वापस आकर पहले मस्जिद में दो रकअत नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है

415. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक ग़ज़्वे में रसूले करीम (ﷺ) के साथ था लेकिन ऊँट के थक जाने की वजह से पीछे रह गया तो रसूले करीम (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, जाबिर हैं? मैंने अर्ज़ किया, हाँ, मैं जाबिर हूँ। फ़र्माया, क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अर्ज़ किया, मेरा ऊँट थक गया है और मैं पीछे रह गया हूँ। चुनाँचे मैं दूसरे दिन सुबह के वक़्त पहुँचा और जब मस्जिद की तरफ़ आया तो आप (ﷺ) मस्जिद के दरवाज़े पर ही मिल गए और पूछा, तुम अब पहुँचे हो? मैंने अर्ज़ किया, हाँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा! अपने ऊँट को यहीं छोड़ दो और पहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ (नफ़्ल) पढ़ लो। चुनाँचे मैंने मस्जिद में जाकर दो रकअत पढ़ीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 34)**

बाब 13 : चाश्त की नमाज़ मुस्तहब है और उसकी कम से कम मिक़्दार दो रकअतें है

416. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) बाज़ कामों का करना पसंद फ़र्माने के बावजूद इस ख़याल से उनको तर्क कर देते थे (न करते थे) कि कहीं लोग इन्हें मुसलसल करने लग जाए और वो फ़र्ज़ कर दिए जाएँ (और उम्मत पर मशक़्क़त बढ़ जाए) यही वजह है कि रसूले करीम (ﷺ) ने कभी चाश्त के नवाफ़िल नहीं पढ़े लेकिन मैं पढ़ती हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 5)**

---

417. हदीषे उम्मे हानी (रज़ि.) : इब्ने अबी लैला (रह.) कहते हैं कि हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) के सिवा हमें किसी ने यह इत्तिला बाहम नहीं पहुँचाई कि उसने रसूले करीम (ﷺ) को चाश्त के नवाफ़िल पढ़ते देखा है, हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत रसूले करीम (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन अपने घर में ग़ुस्ल फ़र्माया और उसके बाद आठ रकअत नमाज़ अदा की और यह नमाज़ आप (ﷺ) ने इतनी हल्की पढ़ी कि मैंने इतनी हल्की नमाज़ पढ़ते आप (ﷺ) को कभी नहीं देखा अल्बत्ता इसमें भी आप (ﷺ) ने रुकूअ और सज्दे पूरे एहतिमाम से किए थे। **(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 12)**

---

418. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने तीन बातों की वसिय्यत फ़र्माई थी मैं उन बातों को मरते दम तक न छोड़ूँगा, (1) हर महीने तीन रोज़े रखना। (2) चाश्त की नमाज़ अदा करना और (3) वित्र पढ़कर सोना। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 33)**

बाब 14 : फ़ज्र की सुन्नतों की फ़ज़ीलत और उनकी तरग़ीब दिलाने का बयान

419. हदीषे हफ़्सा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुअज़्ज़िन (अज़ान देकर) बैठ जाता था और सुबह शुरू हो जाती थी तो नबी करीम (ﷺ) नमाज़े जमाअत से पहले दो हल्की–फुल्की रकअतें पढ़ा करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 12)**

---

420. हज़रत आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) सुबह की नमाज़ के वक़्त अज़ान और इक़ामत के बीच दो हल्की–फुल्की रकअतें पढ़ा करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 12)**

---

421. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) सुबह की नमाज़ से पहले की दो सुन्नतें इतनी हल्की पढ़ा करते थे कि मुझे ख़याल होता कि आप (ﷺ) ने **'अल हम्द'** भी पढ़ी है कि नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तहज्जुद बाब 28)**

---

422. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) सुबह की सुन्नतों का जितना ख़याल व इल्तिज़ाम फ़र्माते थे उतना किसी और नफ़्ली नमाज़ का नहीं फ़र्माते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 27)**

बाब 15 : फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले और बाद में जो सुन्नतें बाक़ाइदा पढ़ी जाती हैं उनकी फ़ज़ीलत और ता'दाद का बयान

423. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) के साथ ये सुन्नतें पढ़ी हैं; दो रकअतें ज़ुहर से पहले, दो ज़ुहर के बाद, दो मग़रिब के बाद, दो इशा के बाद और दो जुम्आ के बाद। नीज़ मग़रिब और इशा की सुन्नतें आप (ﷺ) घर पर पढ़ा करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 29)**

बाब 16 : नफ़्ली नमाज़ पूरी खड़े होकर या पूरी बैठकर पढ़ना या एक रकअत का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ हिस्सा बैठकर पढ़ना जाइज़ है

424. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को रात की किसी नमाज़ में बैठकर क़िरअत करते नहीं देखा, यहाँ तक कि आप (ﷺ) बूढ़े हो गए तब भी पहले बैठकर पढ़ते फिर जब सूरत में से 30 या 40 आयतें बाक़ी रह जाती तो आप (ﷺ) खड़े हो जाते थे और उन बाक़ी बची आयतों को खड़े होकर पढ़ते थे और इसके बाद रुकूअ फ़र्माते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तहज्जुद बाब 16)**

---

425. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब बैठकर (नफ़्ली) नमाज़ पढ़ते तो बैठे–बैठे ही क़िरअत करते थे फिर जब आप (ﷺ) क़िरअत में से तक़रीबन 30 या 40 आयतें बाक़ी रह जाती तो आप (ﷺ) खड़े हो जाते और बाक़ी बची आयतों को खड़े होकर पढ़ते, फिर रुकूअ करते इसके बाद सज्दा करते और फिर दूसरी रकअत में भी इस तरह करते, बाद में जब आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ चुकते तो देखते, अगर मैं जाग रही होती तो मुझसे बातचीत फ़र्माते और अगर मुझे सोता हुआ पाते तो आप (ﷺ) भी लेट जाया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)**

बाब 17 : नमाज़ शब का बयान, रात की नमाज़ में आप (ﷺ) कितनी रकअतें पढ़ा करते थे नीज़ यह कि वित्र की एक रकअत होती है और एक रकअत भी सहीह नमाज़ है

426. हदीषे आइशा (रज़ि.) : अबू सलमा (रह.) बिन अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, कि माहे रमज़ान में नबी (ﷺ) के नमाज़ की कैफ़ियत क्या होती थी? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, रसूले अकरम (ﷺ) ख़्वाह रमज़ान हो या ग़ैर रमज़ान कभी 11 रकअत से ज़्यादा (नवाफ़िल) नहीं पढ़ा करते थे। पहले चार रकअत पढ़ते थे वो इतनी हसीन और तवील होती थी कि बस कुछ न पूछो, फिर चार और पढ़ते वो भी ऐसी ही ख़ूबसूरत और लम्बी होती थीं कि बयान से बाहर है फिर मज़ीद तीन रकअत और पढ़ते थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) वित्र पढ़ने से पहले सोते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ आइशा (रज़ि.)! मेरी आखें तो यक़ीनन सोती हैं, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं सोता। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तहज्जुद बाब 16)**

---

427. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) रात के वक़्त 13 रकअत नमाज़ पढ़ा करते थे इन 13 रकअतों में वित्र (की एक रकअत) भी शामिल है और फ़ज्र की दो सुन्नतें भी। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तहज्जुद बाब 10)**

---

428. हदीषे आइशा (रज़ि.) : अस्वद (रह.) बिन यज़ीद बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, नबी करीम (ﷺ) की रात की नमाज़ (तहज्जुद) कैसी होती थी? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, आप (ﷺ) पहली रात सो जाते थे और रात के आख़िरी हिस्से में उठकर नमाज़ पढ़ा करते थे और बाद में अपने बिस्तर पर आकर आराम फ़र्माते फिर जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता तो आप (ﷺ) कूदकर अपने बिस्तर से उतरते,

फिर अगर आप (ﷺ) को गुस्ल फ़र्माने की ज़रूरत होती तो गुस्ल फ़र्मा लेते वरना वुज़ू करके बाहर (मस्जिद की तरफ़) तशरीफ़ ले जाते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तहज्जुद बाब 15)**

---

429. हदीसे आइशा (रज़ि.) : मसरूक़ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूले करीम (ﷺ) को कौनसा अमल सबसे ज़्यादा पसंद था? **हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, आप (ﷺ) ऐसे अमल को पसंद फ़र्माते थे जो बाक़ायदा और हमेशा किया जाए।** मैंने सवाल किया, आप (ﷺ) रात को किस वक़्त उठा करते थे? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया, जब मुर्ग़ की आवाज़ सुनते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तहज्जुद बाब 7)**

---

430. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं किरसूले करीम (ﷺ) जब भी मेरे पास रात गुज़ारते सहर के वक़्त ज़रूर सोते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तहज्जुद बाब 7)**

---

431. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने वित्र रात के तमाम हिस्सों में पढ़े हैं यहाँ तक कि आख़िर में आप (ﷺ) वित्र सुबह सादिक़ के वक़्त पढ़ा करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वित्र बाब 2)**

बाब 20 : रात की नमाज़ दो-दो रकअतें हैं और वित्र रात के आख़िरी हिस्से में एक रकअत है

432. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने रसूले करीम (ﷺ) से रात की नमाज़ (नवाफ़िल) के बारे में पूछा, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, रात के नवाफ़िल दो-दो रकअतें करके पढ़े जाएँ फिर जब ख़याल हो कि अब तुलूए फ़ज्र क़रीब है तो एक रकअत अकेली पढ़ ले जिससे सारी पढ़ी हुई नमाज़ वित्र (ताक़) हो जाएगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वित्र बाब 1)**

---

433. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी रात की नमाज़ के आख़िर में वित्र पढ़ो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वित्र बाब 4)**

बाब 24 : रात के आख़िरी हिस्से में ज़िक्र और दुआ की तरग़ीब दिलाई गई है उस वक़्त दुआ क़ुबूल होती है

434. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हमारा रब जो बरकतों वाला और बुलन्द व बाला है; हर रात जब रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा बाक़ी रह जाता है, पहले आसमान पर उतरता और फ़र्माता है, कोई है जो (इस वक़्त) मुझे पुकारे कि मैं उसकी पुकार का जवाब दूँ? कोई है जो मुझसे माँगे कि मैं उसे दूँ? कोई है जो मुझसे बख़्शिश का तलबगार हो कि मैं उसको बख़्श दूँ? **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 14)**

बाब 25 : रमज़ान में क़ियामुल् लैल या'नी तरावीह की तरग़ीब दिलाई गई है

435. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने रमज़ान के महीने में ईमान के साथ और हुसूले षवाब के लिये रात का क़ियाम किया (तरावीह पढ़ी) उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 27)**

---

436. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक रात, दरम्यानी रात (मध्य रात्रि) में नबी करीम (ﷺ) ने मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी तो कुछ लोगों ने आप (ﷺ) के साथ (इक़्तिदा में) नमाज़ अदा की। सुबह के वक़्त इस मौज़ूअ पर लोगों ने एक-दूसरे से बात की तो (दूसरी रात) पहले से ज़्यादा लोग जमा हो गए और सबने आप (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। इससे अगले दिन इस बात का मज़ीद चर्चा हुआ तो तीसरी रात मस्जिद में लोग और ज़्यादा जमा हो गए और रसूले करीम (ﷺ) ने भी बाहर जाकर नमाज़ पढ़ाई और लोगों ने आप (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी, फिर जब चौथी रात हुई तो लोग इतने ज़्यादा जमा हो गए कि मस्जिद में उनके लिये गुंज़ाइश कम हो गई (उस रात आप ﷺ नमाज़ के लिये बाहर तशरीफ़ न ले गए)। यहाँ तक कि जब सुबह की नमाज़ के लिये बाहर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो नमाज़ से फ़ारिग़ होकर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और हम्दो-षना के बाद फ़र्माया, लोगों! आज की रात मस्जिद में तुम्हारी मौजूदगी मुझसे छुपी हुई नहीं है (लेकिन मैं इस वजह से नमाज़ के लिये बाहर नहीं आया था कि) मुझे डर हुआ कि कहीं इस तरह तुम पर (यह नमाज़) फ़र्ज़ न कर दी जाए और फिर तुम इसकी अदायगी से आजिज़ आ जाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 29)**

बाब 26 : रात की नमाज़ में दुआ माँगने और क़ियाम करने का बयान

437. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने एक रात उम्मुल मो'मिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) के घर क़ियाम किया (मैंने देखा कि) रसूले करीम (ﷺ) उठे, हाजाते ज़रूरियात से फ़ारिग़ हुए। अपने चेहरे मुबारक और हाथों को धोया और सो गए इसके बाद फिर उठे और मश्क के पास तशरीफ़ ले गए और उसका बंध खोला और औसत दर्जे का वुज़ू किया या'नी पानी तो ज़्यादा न बहाया लेकिन वुज़ू पूरा कर लिया। इसके बाद आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ने लगे तो मैं भी उठा और अँगड़ाई ली, इस ख़याल से कि कहीं आप (ﷺ) इस बात को नापसंद न फ़र्माएँ कि मैं जाग रहा था और आप (ﷺ) के मुआमलात की टोह ले रहा था। फिर मैंने भी वुज़ू किया। आप (ﷺ) खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे मैं आप (ﷺ) के बाँए जानिब जाकर खड़ा हो गया। आप (ﷺ) ने मुझे कान से पकड़ा और घुमाकर अपने दाँए जानिब खड़ा कर लिया। चुनाँचे आप (ﷺ) की यह नमाज़ 13 रकअतों में पूरी हुई इसके बाद आप (ﷺ) लेटकर सो गए यहाँ तक कि ख़र्राटे लेने लगे। आप (ﷺ) सोते में ख़र्राटे लिया करते थे। फिर हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने आप (ﷺ) को नमाज़े सुबह की इत्तिला दी चुनाँचे आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया और आप (ﷺ) अपनी दुआ में यह कलिमात अदा फ़र्माते थे, **'ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर भर दे और मेरी आँखों में भी नूर, मेरे कानों में भी नूर, मेरी दाँए जानिब भी नूर, मेरी बाँए जानिब भी नूर, मेरे ऊपर भी नूर, मेरे नीचे भी नूर, मेरे आगे भी नूर, मेरे पीछे भी नूर ही नूर कर दे और मुझे नूर अता फ़र्मा।'** कुरैब (रह.) जिन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह हदीष रिवायत की है। कहते हैं कि सात लफ़्ज़ और है जो मेरे पास लिखे हुए हैं इस वक़्त ज़ुबानी याद नहीं। (रावी कहते हैं कि) फिर मैं आले अब्बास में से एक शख़्स से मिला (और उससे पूछा कि वो सात कलिमात क्या थे?) तो उसने **असबी व लहमी व दमी व शे'री व बिशरी** का ज़िक्र किया और मज़ीद दो चीज़ों का ज़िक्र किया या'नी आप (ﷺ) ने दुआ में अपने आसाब,

गोश्त, ख़ून, बाल और ख़ाल सबके लिये नूर तलब किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुद् दअवात बाब 10)**

---

438. हदीषे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक रात अपनी ख़ाला उम्मुल मो'मिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) के घर ठहरा। मैं बिस्तर पर आड़ा लेट गया और नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) की बीवी मुहतरमा लम्बाई में लेट गए। फिर आप (ﷺ) सो गए, यहाँ तक कि जब तक़रीबन आधी रात हो गई या'नी आधी रात से थोड़ी पहले या आधी रात से कुछ बाद का वक़्त हो गया तो रसूले करीम (ﷺ) बेदार होकर बैठ गए और अपने चेहरे मुबारक पर हाथ रखकर नींद के अषरात दूर करने लगे। फिर आप (ﷺ) सूरह आले इमरान की आख़िरी दस आयात की तिलावत फ़र्माई। इसके बाद उठ खड़े हुए और एक लटकी हुई मश्क के पास तशरीफ़ ले गए और उसके पानी से वुज़ू किया और बहुत उम्दा वुज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैं भी उठ खड़ा हुआ और मैंने भी वही कुछ किया जो आप (ﷺ) ने किया था (या'नी आयतें पढ़ी और मुँह पर हाथ फेरकर नींद का अषर दूर किया और वुज़ू किया) और आकर आप (ﷺ) के बाँए जानिब खड़ा हो गया। आप (ﷺ) ने अपना दायाँ हाथ मेरे सर पर रखकर मेरा दायाँ कान पकड़ा और उसे मरोड़ना शुरू कर दिया; फिर आप (ﷺ) ने दो रकअतें पढ़ीं फिर दो और फिर दो और फिर दो और फिर दो और फिर दो और फिर एक रकअत वित्र की पढ़ी और उसके बाद लेट गए (और लेटे रहे) यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन ने आकर आप (ﷺ) को जगाया और आप (ﷺ) ने उठकर दो हल्की रकअतें पढ़ीं फिर बाहर (मस्जिद में) तशरीफ़ ले गए और नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 36)**

---

439. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) की नमाज़ या'नी रात की (नफ़्ली) नमाज़ में 13 रकअतें हुआ करती थीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तहज्जुद बाब 10)**

---

440. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने जब रात को तहज्जुद पढ़ते तो यह दुआ करते थे, 'ऐ अल्लाह! हम्द सिर्फ़ तेरे ही लिये है और आसमानों और ज़मीन का नूर तू है और हम्द तुझ ही को सज़ावार है, तू ही आसमानों और ज़मीन को क़ायम रखने वाला है और हर क़िस्म की हम्दो-षना तेरे ही लिये है तू आसमानों-ज़मीन और जो इनमें बसते हैं सबका रब है, तू हक़ है और तेरा वादा सच्चा है तेरा क़ौल भी सच्चा है, तेरे हुज़ूर हाज़िर होना बरहक़ है, जन्नत और जहन्नम दोनों हक़ीक़त हैं, तमाम अंबिया सच्चे हैं और रोज़े क़ियामत बरहक़ है। ऐ अल्लाह! मैं तेरा मुतीअे फ़र्मान (आज्ञाकारी) हूँ तुझ पर मेरा ईमान है और तुझ ही पर भरोसा है और मैं तुझ ही से लौ लगाए हुए हूँ, तेरे ही लिये झगड़ता हूँ और तुझ ही से फ़ैसले का तलबगार हूँ पस तू मेरे अगले-पिछले, पोशीदा (छुपे) और ज़ाहिर सब गुनाह बख़्श दे, तू ही सिर्फ़ मेरा रब व मअबूद है तेरे सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं।' **(सहीह बुख़ारी किताबुत तौहीद बाब 35)**

बाब 27 : रात की नमाज़ (तहज्जुद) में लम्बी किरअत करना मुस्तहब है

441. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक रात मैंने रसूले करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी तो आप (ﷺ) इतनी देर खड़े रहे कि मेरे दिल में एक बुरा काम करने का इरादा पैदा हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आप (रज़ि.) ने क्या इरादा किया था? कहने लगे, मैंने इरादा किया

कि बैठ जाऊँ और आप (ﷺ) को छोड़ दूँ। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 9)**

बाब 28 : ऐसे शख़्स के बारे में (जो सारी रात सोता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई) अहादीष़ में क्या वईद (चेतावनी) आई है

442. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के सामने ऐसे शख़्स का ज़िक्र किया गया जो सारी रात सोता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसे शख़्स के कानों में, या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कान में शैतान पेशाब कर देता है।

(स़हीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 11)

---

443. ह़दीषे अ़ली (रज़ि.) बिन अबी त़ालिब : ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) बयान करते हैं कि (एक मर्तबा) रसूले करीम (ﷺ) रात के वक़्त मेरे और ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के पास तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, क्या तुम नमाज़े (तहज्जुद) नहीं पढ़ते? मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारी जाने अल्लाह के क़ब्ज़े में हैं वो जब हमें उठाना चाहेगा उठा देगा। हमने जब यह बात कही तो आप (ﷺ) वापस जाने के लिये मुड़ गए और उस बात का कोई जवाब नहीं दिया; और जब आप (ﷺ) वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे तो मैंने आप (ﷺ) को अपनी रान पर हाथ मारते हुए यह फ़र्माते सुना, **व कानल् इन्सानु अक्ष़र शैइन जदला** (तर्जुमा) **'इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ेअ हुआ है।'** (अल कहफ़ : 54) **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत तहज्जुद बाब 5)**

---

444. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स सो जाता है तो शैतान उसकी गर्दन पर तीन गिरह (गांठ) लगा देता है। हर गिरह के साथ यह बात फूँकता है, बहुत लम्बी रात पड़ी है मज़े से सोए रहो। अब अगर यह शख़्स बेदार होकर अल्लाह को याद करता है तो एक गिरह खुल जाती है फिर अगर वुज़ू भी करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है और अगर नमाज़ भी पढ़ता है तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है और यह शख़्स सुबह के वक़्त हश्शाश–बश्शाश और ख़ुशमिजाज़ उठता है वरना बद मिजाज़ और काहिल उठता है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 12)**

बाब 29 : नवाफ़िल घर में पढ़ना मुस्तहब है अगरचे मस्जिद में पढ़ना भी जाइज़ है

445. ह़दीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी कुछ नमाज़ें अपने घरों में पढ़ा करो, अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 52)

---

446. ह़दीषे अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स अपने रब का ज़िक्र करता है वो ज़िन्दा इंसान है और इसके मुक़ाबले में वो शख़्स जो अपने रब का ज़िक्र नहीं करता उस की मिष़ाल मुर्दे की सी है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुद् दअ़वात बाब 66)**

447. हदीषे ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने माहे रमज़ान में चटाइयों का एक हुजरा बनाकर उसमें चंद रातें नमाज़ पढ़ी। (आप ﷺ को नमाज़ पढ़ता देखकर) सहाबा किराम में से कुछ हज़रात आप (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ने लगे। जब आप (ﷺ) को मा'लूम हुआ कि कुछ लोग नमाज़ में शरीक होते हैं तो आप (ﷺ) (नमाज़ के लिये) बाहर तशरीफ़ न लाए। इसके बाद (सुबह के वक़्त) उन लोगों के पास तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, तुम्हें जो कुछ करते हुए मैंने देखा है उसका मक़सद मुझे बख़ूबी मा'लूम है (या'नी तुम हुसूले षवाब की ग़र्ज़ से मेरे साथ नमाज़ में शरीक होते रहे हो)। इसलिये ऐ लोगों! तुम अपने घरों में (यह) नमाज़ पढ़ा करो क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा किसी शख़्स की सबसे अफ़ज़ल नमाज़ वो है जो अपने घर में पढ़ी जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 81)**

बाब 31 : जो शख़्स नमाज़ पढ़ते हुए ऊँघ जाए और तिलावते क़ुर्आन या ज़िक्रुल्लाह में ज़ुबान अटकने लगे तो उसे चाहिए उस वक़्त तक के लिये लेट या बैठ जाए जब तक कि उसकी यह कैफ़ियत दूर न हो जाए

448. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि (एक मर्तबा) नबी करीम (ﷺ) (मस्जिद में) तशरीफ़ लाए तो देखा कि दो सतूनों के बीच एक रस्सी तनी हुई है। आप (ﷺ) ने पूछा, यह रस्सी कैसी है? लोगों ने अर्ज़ किया, यह रस्सी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने बाँध रखी है वो (नमाज़ पढ़ते–पढ़ते) जब थकन महसूस करती है तो इसके सहारे लटक जाती हैं। यह सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! ऐसा नहीं करना चाहिए, इस रस्सी को खोल दो, दुरुस्त तरीक़ा यह है कि जब तक जी लगे, हवास क़ायम रहने तक नमाज़ पढ़े और जब थक जाए तो बैठकर आराम करे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 18)**

---

449. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए उस वक़्त मेरे पास एक औरत बैठी हुई थी। आप (ﷺ) ने पूछा, यह औरत कौन है? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया फ़लाँ औरत है। हज़रत आइशा (रज़ि.) उस औरत की ता'रीफ़ करने लगीं (कि सोती नहीं नमाज़ पढ़ती रहती है)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, रुक जाओ! यह कोई ख़ूबी नहीं है, सिर्फ़ ऐसे अमलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर डालो जिनको पूरा करने की ताक़त रखते हो, इसलिये कि अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला (षवाब देने से) नहीं थकता ताकि तुम इबादत से थक न जाओ।

नबी करीम (ﷺ) को दीन में वो काम सबसे ज़्यादा पसन्द था जिसको करने वाला बाक़ायदा और हमेशा करता रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 32)**

---

450. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स को नमाज़ पढ़ते हुए ऊँघ आ जाए तो उसे चाहिए कि सो जाए ताकि उस पर से नींद का अषर ज़ाइल हो जाए। इसलिये कि जब कोई शख़्स नमाज़ पढ़ते हुए ऊँघने लगता है तो उसको क्या पता कि वो तलबे मग़्फ़िरत करते–करते ख़ुद को कोसने लगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 53)**

बाब 33 : क़ुर्आन मजीद को बाक़ाइदा पढ़ने का हुक्म नीज़ यह कहना ग़ैर मुनासिब है, 'मैं फ़लाँ आयत भूल गया' बल्कि कहना चाहिए, 'फ़लाँ आयत मुझे भुला दी गई'

451. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने रात के वक़्त मस्जिद में एक शख़्स़ को क़ुर्आन मजीद पढ़ते हुए सुना तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह इस शख़्स़ पर अपनी रहमत नाज़िल फ़र्माए उसने मुझे फ़लाँ आयत याद दिला दी जो मैं फ़लाँ सूरत तिलावत करते वक़्त छोड़ गया था।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 27)

---

452. ह़दीषे इब्ने ड़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने ड़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाफ़िज़े क़ुर्आन की मिषाल उस शख़्स़ की सी है जो अपने ऊँट को टाँग से बाँधकर छोड़ रखा हो, अगर उसकी निगरानी करता रहेगा तो वो रुका रहेगा, अगर उसे आज़ाद छोड़ देगा तो कहीं चला जाएगा।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 23)

---

453. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स़ का यह कहना कि मैं क़ुर्आन मजीद की फ़लाँ–फ़लाँ आयत भूल गया हूँ मुनासिब नहीं है बल्कि इस तरह कहना चाहिए कि मुझे भुला दी गई है। क़ुर्आन को मुसलसल याद करते रहो क्योंकि क़ुर्आन (ग़फ़लत बरतने वाले) लोगों के सीनों से निकल जाने में वहशी ऊँटों से भी ज़्यादा तेज़ है।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 23)

---

454. ह़दीषे अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुर्आन की हिफ़ाज़त करते रहो (पाबन्दी के साथ मुसलसल तिलावत और याद करते रहो) इसलिये कि क़सम उस ज़ात की कि जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! क़ुर्आन छूटकर भागने में पाँव बँधे ऊँटों से भी ज़्यादा तेज़ है।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 23)

बाब34 क़ुर्आन को हुस्ने–क़िरअत से पढ़ना मुस्तहब है

455. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला किसी चीज़ को इतनी तवज्जुह से नहीं सुनता जितनी तवज्जुह से वो उस शख़्स़ की आवाज़ को सुनता है जो ख़ुशगुलूई से क़ुर्आन की तिलावत कर रहा हो। मुराद (अच्छे अन्दाज़ में) बा–आवाज़े बुलन्द क़िरअत करना चाहिए।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 19)

---

456. ह़दीषे अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने मुझसे मुख़ातब होकर फ़र्माया, ऐ अबू मूसा (रज़ि.)! तुमको ह़ज़रत दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) की ख़ुश इल्हानी में से हिस़्सा दिया गया है।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 31)

बाब 35 : फ़तहे मक्का के दिन नबी (ﷺ) का सूरह फ़तह तिलावत फ़र्माना

457. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को फ़तहे मक्का के दिन अपनी ऊँटनी पर सवार 'तरजीअ' के साथ सूरह फ़तह पढ़ते सुना है। अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ुल (रज़ि.) ने यह रिवायत बयान करते हुए कहा, अगर मुझे यह ख़दशा न होता कि लोग मेरे गिर्द जमा हो जाएँगे तो मैं आपको उसी तरह तरजीअ से तिलावत करके सुनाता जिस तरह नबी करीम (ﷺ) ने उस दिन तिलावत फ़र्माई थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 48)**

बाब 36 : तिलावते क़ुर्आन की बरकत से 'सकीनत' का नाज़िल होना

458. हदीषे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने सूरह कहफ़ की तिलावत की। उसके घर में एक जानवर बँधा हुआ था जो बिदकने लगा। उसने सलाम फेरकर देखा तो उसे एक कुहर या बदली नज़र आई जो उसे घेरे हुए थी।उस शख़्स ने इस वाक़िऐ का ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) से किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ शख़्स! तुम्हें तिलावत करते रहना चाहिए इसलिये कि 'यह सकीनत' थी जो तिलावते क़ुर्आन की बरकत से उतरी थी या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उतर रही थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

---

459. हदीषे उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) : हज़रत उसैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक रात मैं सूरह बक़र की तिलावत कर रहा था कि मेरा घोड़ा जो क़रीब ही बँधा हुआ था बिदकने लगा। फिर जब मैं ख़ामोश हो गया तो घोड़े ने भी बिदकना छोड़ दिया। मैंने फिर तिलावत शुरू की तो फिर बिदकने लगा और मैं जब फिर ख़ामोश हो गया तो वो भी ठहर गया। मैंने फिर पढ़ना शुरू किया तो वो फिर बिदकने लगा। इसके बाद उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) ने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि उनका बेटा यह्या घोड़े के क़रीब था उन्हें डर हुआ कि घोड़ा उसे नुक़्सान न पहुँचा दे। चुनाँचे उन्होंने उसे वहाँ से हटा लिया लेकिन उन्होंने सर उठाकर देखा तो आसमान नज़र न आया (बल्कि एक बदली जिसमें चिराग़ से जल रहे थे फ़िज़ा में ऊपर उठती हुई नज़र आई)। सुबह के वक़्त उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर सारा वाक़िआ बयान किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इब्ने हुज़ैर (रज़ि.)! काश तुम पढ़ते रहते। ऐ इब्ने हुज़ैर! तुम पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे अपने बेटे यह्या के बारे में ख़तरा महसूस हुआ था कि कहीं घोड़ा उसे कुचल ही न दे क्योंकि यह्या घोड़े के बिलकुल क़रीब था। चुनाँचे मैंने उसे सर उठाकर देखा और मुड़कर उसके क़रीब आ गया और अब जो सर उठाकर आसमान की तरफ़ देखा तो अचानक एक छतरी सी नज़र आई जिसमें गोया चिराग़ रोशन थे। फिर मैं वहाँ से दूर हट गया ताकि उसे न देखूँ। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम जानते हो वो क्या था? उसैद (रज़ि.) ने कहा, नहीं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह फ़रिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिये क़रीब आए थे और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह के वक़्त लोग उन्हें देखते और वो उनकी नज़रों से ओझल न होते। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 15)**

बाब 37 : क़ुर्आन की बाक़ायदा तिलावत करने वाले की फ़ज़ीलत

460. हदीषे अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उस मो'मिन की मिषाल जो क़ुर्आन की तिलावत करता रहता है संतरे (नारंगी) की सी है जिसकी ख़ुश्बू उम्दा है और ज़ाइक़ा भी उम्दा और उस मो'मिन की मिषाल जो क़ुर्आन की तिलावत नहीं करता, ख़जूर की सी है

जिसमें ख़ुश्बू नहीं है, अल्बत्ता उसका ज़ाइक़ा ज़रूर मीठा है और जो मुनाफ़िक़ क़ुर्आन पढ़ता है वो उस ख़ुश्बूदार पौधे की तरह है जिसकी बू तो अच्छी है लेकिन स्वाद कड़वा है और क़ुर्आन न पढ़ने वाला मुनाफ़िक़ उंदराईन के फल की तरह है जिसमें ख़ुश्बू भी नहीं है और मज़ा भी कड़वा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अतएमा बाब 30)**

बाब 38 : क़ुर्आन के हाफ़िज़ और क़ारी की और ऐसे शख़्स की फ़ज़ीलत जो हिफ़्ज़ो तिलावत पर मेहनत और मशक़्क़त बर्दाश्त करता है

461. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुर्आन मजीद के हाफ़िज़ की मिषाल मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों की सी है और वो उन्हीं के साथ होगा और जो शख़्स क़ुर्आन पढ़ता है और उसको हिफ़्ज़ करता है हालाँकि हिफ़्ज़ करना उसके लिये दुश्वार है, उसके लिये दुहरा अज्र है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर बाब)**

बाब 39 : उलमा और माहिरीने फ़न को क़ुर्आन सुनाना मुस्तहब है अगरचे सुनाने वाला सुनने वाले से मुक़ाम व मर्तबा में अफ़ज़ल व बरतर हो

462. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से कहा कि, अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हारे सामने सूरह **(लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू)** पढ़कर सुनाऊँ। हज़रत उबय (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, क्या अल्लाह तआ़ला ने मेरा नाम लेकर फ़र्माया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! अल्लाह तआ़ला ने नाम लेकर ज़िक्र किया है। यह सुनकर हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) रो पड़े। **(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 16)**

बाब 40 : क़ुर्आन सुनने की फ़ज़ीलत, हाफ़िज़े क़ुर्आन से सुनाने की फ़र्माइश करने और क़िरअत सुनते वक़्त रोने और ग़ौरो–तदब्बुर करने का बयान

463. हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आप (ﷺ) को क़ुर्आन सुनाऊँ। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपको क़ुर्आन सुनाऊँ? हालाँकि क़ुर्आन आप (ﷺ) पर नाज़िल हुआ है; आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा जी चाहता है कि मैं किसी और से सुनूँ। चुनाँचे मैंने सूरह निसा तिलावत की, जब में आयते करीमा **फ़ कैफ़ इज़ाजिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिंव् व जिअना बिक हा–उलाइ शहीदा** (तर्जुमा) उस वक़्त (इनका) क्या हाल होगा जब मैं हर उम्मत में से एक गवाह उठाऊँगा और आप को इन लोगों पर गवाह बनाकर खड़ा करूंगा (अन् निसा : 41) पर पहुँचा तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, रुक जाओ! या फ़र्माया, रोक दो! जब मैंने निगाह उठाकर देखा तो आप (ﷺ) की आँखों से आँसू बह रहे थे। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 35)**

---

464. हदीषे इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) : अलक़मा (रह.) बयान करते हैं कि जब हम लोग हिम्स में थे तो हज़रत इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) ने सूरह युसुफ़ तिलावत फ़र्माई, तो एक शख़्स ने कहा, इस तरह तो नाज़िल नहीं हुई थी। हज़रत इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) ने कहा, मैंने (यही सूरत इसी तरह) जनाबे रसूल करीम (ﷺ) के सामने पढ़ी थी तो आप (ﷺ)

ने फ़र्माया था, तुमने बहुत ख़ूब पढ़ा। उसी वक़्त उस शख़्स के मुँह से ह़ज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने शराब की बू महसूस की तो आप (रज़ि.) ने उससे फ़र्माया, तूने दो जुर्म किए हैं, (1) किताबुल्लाह को झुठलाया है (2) शराब पी रखी है। चुनाँचे आपने उस पर शराब पीने के जुर्म में हद (सज़ा) नाफ़िज़ फ़र्माई।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 8)

बाब 43 : सूरह फ़ातिहा की और सूरह बक़र की आख़िरी दो आयतों की फ़ज़ीलत

465. ह़दीषे अबू मस्ऊद बदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरह बक़र की आख़िरी दो आयतें जिस शख़्स ने रात को पढ़ीं वो उसके लिये (रात भर के लिये) काफ़ी हैं।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 12)

बाब 47 : उस शख़्स की फ़ज़ीलत का बयान जो क़ुर्आन को सीखकर दुसरों को सिखाता है या हिक्मते क़ुर्आनी मषलन् उलूमे–तफ़्सीर व फ़िक़ह हासिल करके ख़ुद भी उन पर अमल करता है और दूसरों को सिखाता है

466. ह़दीषे इब्ने अ़मर् (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी से हसद करना जाइज़ नहीं मगर दो शख़्सों से, एक वो जिसे अल्लाह तआला ने क़ुर्आन का इ़ल्म अ़ता फ़र्माया है और वो दिन रात उसी को पढ़ने–पढ़ाने में मस़रूफ़ रहे; दूसरा वो शख़्स जिसे अल्लाह तआला ने माल अ़ता फ़र्माया हो और वो उसे दिन–रात (राहे हक़ में) ख़र्च करता रहे। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुत् तौहीद बाब 45)**

---

467. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूल करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हसद करना जाइज़ नहीं है; मगर दो शख़्सों से एक वो शख़्स जिसे अल्लाह ने माल अ़ता फ़र्माया और साथ ही उस माल को राहे हक़ में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ भी दी, दूसरा वो शख़्स जिसे अल्लाह तआला ने हिक्मत व दानिश अ़ता फ़र्माई और वो उसके मुताबिक़ फ़ैसला भी करता है और दूसरों को भी इ़ल्म व हिक्मत की ता'लीम देता है। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इ़ल्म बाब 15)**

बाब 48 : क़ुर्आन मजीद सात मुख़्तलिफ़ लहजों में नाज़िल हुआ है और सात लहजों का मफ़्हूम

468. ह़दीषे उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक मर्तबा हिशाम (रज़ि.) बिन हकीम बिन हिज़ाम सूरह फ़ुर्क़ान की तिलावत कर रहे थे मगर उनका अंदाज़े तिलावत उससे कुछ मुख़्तलिफ़ था जैसे मैं पढ़ा करता था और जिस तरह हमें रसूले करीम (ﷺ) ने ता'लीम फ़र्माया था, क़रीब था कि मैं उन पर झपट पड़ता मगर मैंने स़ब्र किया यहाँ तक कि जब वो पढ़कर फ़ारिग़ हो गए तो मैंने उनके गले में पड़ी हुई चादर से उन्हें पकड़ लिया और नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ले आया; और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इन्हें मैंने (सूरह फ़ुर्क़ान) इससे मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में पढ़ते हुए सुना है जिस त़रीक़े से आप (ﷺ) ने हमें पढ़ाई है। आप (ﷺ) ने पहले मुझे हुक्म दिया कि इन्हें छोड़ दो, फिर उनसे मुख़ातिब होकर फ़र्माया, तुम तिलावत करके सुनाओ। चुनाँचे

उन्होंने तिलावत की। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसी तरह नाज़िल हुई है। फिर मुझे हुक्म दिया, तुम पढ़कर सुनाओ! मैंने भी पढ़कर सुनाई। आप (ﷺ) ने इस पर भी फ़र्माया, इसी तरह नाज़िल हुई है। (फिर वजाहत फ़र्माई कि) दरअस़ल क़ुर्आन मजीद सात मुख़्तलिफ़ लहजों और क़िरअतों में नाज़िल हुआ है। जिसको जिस तरह सहूलत हो उसी त़रीक़े से पढ़ ले। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ख़ुसूमात बाब 4)**

---

469. ह़दीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) ने मुझे एक लहजे और क़िरअत में क़ुर्आन पढ़ाया लेकिन मैं उनसे लहजों और क़िरअतों में इज़ाफ़ा का मुसलसल मुत़ालबा करता रहा यहाँ तक कि क़िरअतों की ता'दाद सात हो गई।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 6)

बाब 49 : क़ुर्आन मजीद ठहर–ठहर कर पढ़ना चाहिए, बेहूदगी या'नी बहुत तेज़–तेज़ पढ़ने से इज्तिनाब ज़रूरी है अलबत्ता एक रकअ़त में दो या दो से ज़्यादा सूरतें पढ़ना भी जाइज़ है

470. ह़दीषे इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) : अबू वाईल (रह.) बयान करते हैं कि एक शख़्स़ इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) के पास आया और उसने कहा कि मैंने शबे गुज़िश्ता तमाम 'मुफ़स्स़ल' सूरतें एक रकअ़त में पढ़ी हैं। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, क्या तुम इस तरह तेज़–तेज़ पढ़ते हो जैसे शे'र पढ़ते वक़्त तेज़ी दिखाई जाती है? इसके अ़लावा ह़ज़रत इब्ने मस्ऊ़द ने यह भी कहा, मैं उन नज़ाएर से बख़ूबी वाक़िफ़ हूँ जिनको रसूले करीम (ﷺ) एक क़िरअत में जमा करके पढ़ा करते थे चुनाँचे उन्होंने मुफ़स्स़ल की सूरतों में से बीस सूरतों का ज़िक्र किया जिनमें से आप (ﷺ) हर रकअ़त में से दो–दो सूरतें पढ़ा करते थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 106)**

नोट : मुफ़स्स़ल उन सूरतों को कहते हैं जो क़ुर्आन मजीद में सूरह फ़तह से लेकर सूरह अन् नास तक आई हुई हैं।

बाब 50 : क़िरअत से मुता'ल्लिक़ चंद उमूर

471. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) (**फ़हल मिम् मुद्दक्किर** अल क़मर : 17) तलफ़्फ़ुज़ फ़र्माया करते थे (मुज़्ज़क्किर नहीं)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर बाब 54)

---

472. ह़दीषे अबू दर्दा (रज़ि.) : इब्राहीम (रह.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) के (बाज़) साथी ह़ज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) के इलाक़े (शाम) में आए तो ह़ज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) उन्हें तलाश करते हुए उनके पास पहुँचे और पूछा, तुममें से कौन ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) की क़िरअत के मुत़ाबिक़ क़ुर्आन पढ़ सकता है? उन्होंने जवाब दिया कि हम सब उनकी क़िरअत के मुत़ाबिक़ ही क़ुर्आन पढ़ते हैं। ह़ज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) ने पूछा कि तुममें से किस शख़्स़ को उनकी क़िरअत का अंदाज़ सबसे ज़्यादा याद है? लोगों ने अ़लक़मा (रह.) की तरफ़ इशारा किया। आप ने अ़लक़मा (रह.) से मुख़ातिब होकर पूछा, तुमने ह़ज़रत इब्ने मस्ऊ़द को **वल्लैलि इज़ा यग़्शा** किस तरह पढ़ते हुए सुना है? अ़लक़मा (रह.) ने जवाब दिया, **वज़्ज़करि वल उन्षा**। ह़ज़रत

अबू दर्दा (रज़ि.) ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने भी रसूले अकरम (ﷺ) को इसी अंदाज़ से पढ़ते हुए सुना है, जबकि यह (शाम वाले) चाहते हैं कि मैं **वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल उन्षा** पढूँ। अल्लाह की क़सम! मैं इनकी पैरवी नहीं करूँगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर बाब 92)**

बाब 51 : वो अवक़ात जिनमें नमाज़ पढ़ना मना है

473. हदीषे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे सामने चंद बरगुज़ीदा अफ़राद ने, जिनमें मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा और पसंदीदा शख़्सियत हज़रत उमर (रज़ि.) हैं, इस बात की गवाही दी है कि रसूले करीम (ﷺ) ने दो वक़्तों में नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया है (1) नमाज़े फ़ज्र के बाद जब तक कि सूरज रोशन न हो जाए और (2) नमाज़े अस्र के बाद जब तक सूरज गुरूब न हो जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 30)

---

474. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि नमाज़े फ़ज्र के बाद सूरज पूरी तरह से बुलन्द हो जाने से पहले कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह नमाज़े अस्र के बाद सूरज गुरूब होने तक कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती।

(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 31)

---

475. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ ऐसे अवक़ात में न पढ़ो जब सूरज तुलूअ या गुरूब होता हो। **(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 30)**

---

476. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब सूरज का एक किनारा निकल आए तो उस वक़्त तक नमाज़ से रुक जाओ जब तक कि सूरज पूरी तरह निकल न आए। इसी तरह जब सूरज का एक किनारा गुरूब हो रहा हो तो भी उस वक़्त तक के लिये नमाज़ छोड़ दो जब तक कि पूरा सूरज गुरूब न हो जाए। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 11)**

बाब 54 : उन दो रकअतों की तहक़ीक़ जो नबी करीम (ﷺ) अस्र के बाद पढ़ा करते थे

477. हदीषे उम्मे सलमा (रज़ि.) : कुरैब (रह.) बयान करते हैं कि हज़रात इब्ने अब्बास और मिस्वर बिन मख़्रमा और अब्दुर्रहमान बिन अज़हर (रज़ि.) ने मुझे उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजा और कहा कि हम सब की तरफ़ से आप (रज़ि.) की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करने के बाद पूछना कि वो दो रकअतें कैसी थी जो नबी करीम (ﷺ) नमाज़े अस्र के बाद पढ़ा करते थे? नीज़ यह कि हमें इत्तिला मिली हैं कि आप (रज़ि.) भी यह दो रकअतें पढ़ती हैं, जबकि यह रिवायत भी हम तक पहुँची है कि नबी करीम (ﷺ) ने इन दो रकअतों के पढ़ने से मना फ़र्माया है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने यह भी कहा कि, मैं हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ मिलकर इन दो रकअतों के पढ़ने पर (लोगों को) मारा करता था। कुरैब (रह.) बयान करते हैं कि मैं उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे वो तमाम बातचीत अर्ज़ कर दी जो कहकर मुझे भेजा गया था। उम्मुल मो'मिनीन (रज़ि.) ने फ़र्माया, इसके बारे में उम्मुल मो'मिनीन हज़रत सलमा (रज़ि.) से पूछो। चुनाँचे मैंने वापस आकर हज़रत

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) वग़ैरह को बता दिया कि उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने यह जवाब दिया है।

चुनाँचे उन हज़रात (रज़ि.) ने मुझे उम्मुल मो'मिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास भेजा और जो बात उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से पुछवाई थी वही आप (रज़ि.) से पुछवाई। उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को इन दो रकअ़तों से मना करते ख़ुद सुना था लेकिन फिर मैंने (एक दिन) देखा कि आप (ﷺ) अ़स्र के बाद दो रकअ़त पढ़ रहे हैं। हुआ यह कि आप (ﷺ) नमाज़े अ़स्र पढ़ने के बाद मेरे घर तशरीफ़ लाए (और दो रकअ़त पढ़ने लगे) उस वक़्त मेरे पास अन्सार के क़बीले बनी ह़राम की चंद औरतें बैठी थीं, (मैं ख़ुद आप ﷺ की ख़िदमत में न जा सकी); मैंने आप (ﷺ) की ख़िदमत में एक लड़की को भेजा और उसे हिदायत की कि आप (ﷺ) के क़रीब जाकर एक तरफ़ हटकर खड़ी हो जाना और आप (ﷺ) से अ़र्ज़ करना कि उम्मे सलाम (रज़ि.) पूछती हैं, 'या रसूलल्लाह (ﷺ)!' मैंने आप (ﷺ) को उन दो रकअ़तों को पढ़ने से मना करते हुए ख़ुद सुना था और अब मैं देख रही हूँ कि आप (ﷺ) वो रकअ़तें पढ़ रहे हैं इसकी क्या वजह है? अगर आप (ﷺ) अपने हाथ से कोई इशारा करे तो पीछे हटकर खड़ी रहना (वरना वापस आ जाना)। चुनाँचे उस लड़की ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में जाकर जो कुछ मैंने कहा था कह दिया। आप (ﷺ) ने हाथ के इशारे से उसे ठहरने के लिये कहा, वो पीछे हटकर खड़ी हो गई। **जब आप (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू उमय्या की बेटी! (उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा रज़ि.) तुमने मुझसे उन दो रकअ़तों के बारे में पूछा है जो मैंने अ़स्र के बाद पढ़ी हैं तो सूरते हाल यह है कि (यह अ़स्र के बाद की रकअ़तें नहीं हैं) बल्कि मेरे पास क़बीले बनी अ़ब्दे क़ैस के कुछ लोग आ गए थे जिनकी वजह से में ज़ुहर के बाद की दो रकअ़तें नहीं पढ़ सका था तो यह जो अब (अ़स्र के बाद) मैंने पढ़ी हैं यह दरअ़स्ल ज़ुहर के बाद वाली दो रकअ़तें हैं।**

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल सह्व बाब 8)

---

478. ह़दीषे आ़इशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि दो नमाज़ें रसूले करीम (ﷺ) ने कभी तर्क नहीं की (या'नी कभी नहीं छोड़ी) न ऐलानिया न पोशीदा। (1) दो रकअ़त नमाज़े फ़ज्र से पहले (2) और दो रकअ़त नमाज़े अ़स्र के बाद। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 33)**

बाब 55 : नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअ़तें पढ़ना मुस्तहब है

479. ह़दीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे चुकता था तो कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) तेज़ी से सुतूनों की तरफ़ झपटते थे यहाँ तक कि रसूले करीम (ﷺ) (नमाज़ पढ़ाने) तशरीफ़ ले आते, लेकिन वो उसी तरह मग़रिब से पहले की दो रकअ़तें पढ़ रहे होते थे और अज़ान और इक़ामत के बीच कुछ ज़्यादा वक़्फ़ा नहीं होता था। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 14)**

बाब 56 : हर दो अज़ानों (अज़ान व इक़ामत) के बीच एक नमाज़ है

480. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर दो अज़ानों या'नी अज़ान और इक़ामत के बीच एक नमाज़ है, आप (ﷺ) ने तीन बार यह फ़िक़्रा दोहराया लेकिन तीसरी बार यह भी फ़र्माया, उसके लिये जो पढ़ना चाहे। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 16)**

बाब 57 : नमाज़े ख़ौफ़ का बयान

481. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने (बवक़्ते ख़ौफ़) लश्कर को दो हिस्सों में बांटकर के एक हिस्से के साथ नमाज़ (की एक रकअत) पढ़ी उस वक़्त दूसरा हिस्सा दुश्मन के सामने खड़ा था, फिर यह लोग (जो आप ﷺ के साथ एक रकअत पढ़ चुके थे) पीछे हटकर अपने साथियों की जगह पर जाकर खड़े हो गए और उन लोगों ने आकर आप (ﷺ) के साथ एक रकअत पढ़ी और (दो रकअत पढ़ाकर) आप (ﷺ) ने सलाम फेर दिया और उन लोगों ने खड़े होकर एक रकअत और पढ़ी और अपनी नमाज़ पूरी कर ली (और पीछे चले गए) फिर (उन लोगों ने भी जो एक रकअत आप (ﷺ) के साथ पढ़कर पीछे चले गए थे) खड़े होकर एक रकअत और पढ़ी और अपनी नमाज़ पूरी कर ली। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 31)**

---

482. हदीषे सहल बिन अबी जष्मा (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि (नमाज़े ख़ौफ़ में) इमाम क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके खड़ा होता है और लश्कर का एक हिस्सा इमाम के पीछे खड़ा हो जाता है और दूसरा हिस्सा दुश्मन के सामने रहता है और उनके चेहरे भी दुश्मन की तरफ़ होते हैं। इमाम उन लोगों को जो उसके पीछे खड़े होते हैं एक रकअत पढ़ाता है फिर यह लोग उसी जगह खड़े होकर बतौरे ख़ुद (इमाम से अलग) एक रकअत और पढ़ते हैं या'नी एक रुकूअ और दो सज्दे करते हैं और पीछे उन लोगों की जगह जाकर खड़े हो जाते हैं जो दुश्मन के सामने थे और वो इमाम के पीछे आ जाते हैं और इमाम उनके साथ एक रकअत और पढ़कर सलाम फेर देता है क्योंकि उसकी दो रकअत हो गईं और यह लोग बतौरे ख़ुद उसी जगह खड़े होकर एक रुकूअ और दो सज्दों के साथ एक रकअत और पढ़ते हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 31)**

---

483. हदीषे ख़्वात बिन जुबैर (रज़ि.) : सालेह बिन ख़्वात (रज़ि.) अपने वालिद ख़्वात (रज़ि.) से, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्वे ज़ातुर्रिक़ाअ में शरीक थे और उन्होंने आप (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी थी, रिवायत करते हैं कि (ज़ातुर्रिक़ाअ के दिन नमाज़ में) लश्कर के एक हिस्से ने आप (ﷺ) के पीछे खड़े होकर सफ़ बाँध ली और दूसरा हिस्सा दुश्मन के सामने खड़ा रहा; आप (ﷺ) ने उन लोगों को जो आप (ﷺ) के पीछे सफ़–बस्ता थे एक रकअत पढ़ाई, फिर आप (ﷺ) इतनी देर खड़े रहे कि यह लोग अपने तौर पर एक रकअत मज़ीद पढ़कर और अपनी नमाज़ पूरी करके दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और दूसरा गिरोह वो (जो दुश्मन के सामने था) आप (ﷺ) के पीछे आ गया और आप (ﷺ) ने उनको भी एक रकअत पढ़ाई जो आप (ﷺ) की नमाज़ में से अभी बाक़ी थी। फिर इतनी देर बैठे रहे कि उन लोगों ने अपनी नमाज़ पूरी कर ली फिर आप (ﷺ) ने उनके साथ मिलकर सलाम फेर दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 31)**

---

484. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़ज़्वे ज़ातुर्रिक़ाअ में हम रसूले करीम (ﷺ) के साथ थे, जब हम एक सायेदार दरख़्त के क़रीब पहुँचे तो हमने उसे रसूले करीम (ﷺ) के लिये मख़्सूस कर दिया (ताकि आप (ﷺ) उसके नीचे आराम फ़र्माएँ) फिर इसी दौरान एक मुश्रिक आया, उसने रसूले करीम (ﷺ) की तलवार जो दरख़्त के साथ लटकी हुई थी, अपने क़ब्ज़े में करके उसे म्यान से निकाल लिया और आप (ﷺ) से मुख़ातिब हुआ, क्या आप (ﷺ) मुझसे डरते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! उसने कहा कि अब कौन आपको मुझसे बचा सकता है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अल्लाह! (उस दरम्यान में सहाबा किराम पहुँच गए) और सहाबा किराम (रज़ि.) ने उसे धमकाया, फिर नमाज़ की तक्बीर हुई और आप (ﷺ) ने लश्कर के एक हिस्से के साथ दो रकअत अदा की और यह लोग पीछे चले गए फिर दूसरे हिस्से के साथ भी आप (ﷺ) ने दो रकअतें पढ़ीं गोया आप (ﷺ) की चार रकअतें हुईं और लोगों की दो–दो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 31)**

किताबुल जुमुआ

485. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स नमाज़े जुम्आ के लिये आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके आए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 2)

---

486. हदीषे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) एक बार जुम्अे का ख़ुत्बा पढ़ रहे थे कि इसी दौरान रसूले करीम (ﷺ) के सहाबियों में से एक ऐसे साहब तशरीफ़ लाए जो मुहाजिरीन के **तब्क़—ए—साबिक़ूनुल अव्वलून** में से थे, हज़रत उमर (रज़ि.) ने (मिम्बर पर से ही) आवाज़ देकर पूछा, आपके आने का यह कौनसा वक़्त है? उन्होंने कहा, मैं एक ज़रूरी काम में उलझा रहा जिसकी वजह से मुझे इतनी देर हो गई कि जिस वक़्त घर पहुँचा तो अज़ान हो रही थी फिर मैंने वुज़ू के अलावा और कुछ न किया (और नमाज़ के लिये आ गया) हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, और सिर्फ़ वुज़ू किया (यह दूसरी ग़लती है)? जबकि आपको मा'लूम है कि रसूले करीम (ﷺ) (जुम्अे की नमाज़ के लिये) गुस्ल का हुक्म दिया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 2)**

नोट : साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने ग़ज़व—ए—बद्र में शिकरत की, बैअते—रिज़वान में शरीक रहे और दोनों क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ पढ़ी। यहाँ जिनका ज़िक्र किया गया है उनसे मुराद तीसरे ख़लीफ़ा हज़रत उष्मान (रज़ि.) हैं। ये वाक़िया उन अनेक वाक़ियों में से एक है, जो इस्लामी तारीख़ में दर्ज हैं और जिनसे मा'लूम होता है कि तंबीह करने के लिये छोटी या बड़ी शख़्सियत में कोई फ़र्क़ नहीं किया गया।

बाब 1 : जुम्अे के दिन हर बालिग़ मर्द पर गुस्ल वाजिब होने के सिलसिले में जो अहकाम आए हैं

487. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुम्अे के दिन हर बालिग़ मर्द पर गुस्ल वाजिब है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 161)**

---

488. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जुम्अे के दिन लोग बारी—बारी अपने घरों और मदीने की बालाई दूर दराज़ इलाक़ों से गर्द व गुबार में अटे पसीने में सराबोर आया करते थे, गर्द (रेत) पसीने के साथ मिलती तो (बूदार) पसीना बहता, उन्हीं में से एक शख़्स (एक बार) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया; उस वक़्त आप (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ फ़र्मा थे, तो आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, कितना

अच्छा होता कि अगर तुम लोग आज के दिन पाक–साफ़ हो लिया करते (या'नी गुस्ल कर लेते)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब15)

बाब 2 : जुम्अे के दिन ख़ुश्बू लगाने और मिस्वाक करने का बयान

490. हदीषे अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुम्अे के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ मुसलमान पर वाजिब है और यह भी ज़रूरी है कि मिस्वाक करे और अगर मयस्सर हो तो ख़ुश्बू भी लगाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 3)**

---

491. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : ताऊस (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जुम्अे के गुस्ल के सिलसिले में रसूले करीम (ﷺ) की हदीष बयान की, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इस हदीष में यह भी है 'अगर उसकी बीवी के पास तेल और ख़ुश्बू हो वो भी लगाए?' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह बात मुझे नहीं मा'लूम। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 6)**

---

492. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूल करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मुसलमान पर यह अल्लाह का हक़ है कि हर सात दिनों में एक दिन गुस्ल करे जिसमें अपने सर और जिस्म को पूरी तरह धोये। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 12)**

नोट : ऊपर बयान की गई अहादीष में जुम्अे के दिन गुस्ल करने, ख़ुश्बू लगाने और मिस्वाक करने का बयान आया है। जुम्अे के दिन की नमाज़ की फ़ज़ीलत से हम और आप बख़ूबी वाकिफ़ हैं। आम दिनों में मस्जिद के क़रीबी लोग ही नमाज़ की जमाअत में शरीक होते हैं जबकि जुम्अे के दिन आस–पास के इलाक़ों के लोग भी नमाज़ में शामिल होते हैं, लिहाज़ा जुम्अे के दिन आम दिनों के मुक़ाबले में मस्जिदों में नमाज़ियों की तादाद ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह कि आम दिनों में लोग ज़ुहर की चार रकअत पढ़कर चले जाते हैं जबकि जुम्अे के दिन नमाज़ से पहले ख़ुत्बे का सुनना भी लाज़मी है; लिहाज़ा जब लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो और वे सब साफ़–सुथरे कपड़ों में मुअत्तर (सुगंधित) हों तो पूरे मजमे में किसी को तकलीफ़ नहीं होती। इसके बरअक्स अगर लोगों के जिस्म से अगर बू आ रही हो तो क़रीब–क़रीब बैठना दुश्वार हो जाता है। लिहाज़ा हमें चाहिये कि जुम्अे के दिन बाक़ायदा गुस्ल करें, साफ़–सुथरे कपड़े पहने, अगर मयस्सर (उपलब्ध) हो तो ख़ुश्बू लगाएं फिर जुम्अे की नमाज़ अदा करने के लिये जाएं। ये अच्छे अख़लाक़ की निशानी है साथ ही ऐसा करने से सुन्नत अदा करने का षवाब भी मिलेगा, इंशाअल्लाह!

---

493. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जिस शख़्स ने जुम्अे के दिन गुस्ले जनाबत किया, फिर (अव्वल वक़्त) जुम्अे की नमाज़ पढ़ने चला गया उसने गोया ऊँट की क़ुर्बानी दी; और जो दूसरी घड़ी में गया उसे गाय की क़ुर्बानी का षवाब है और जो तीसरी घड़ी में गया उसने गोया एक मेंढें की क़ुर्बानी की और जो चौथी घड़ी में गया उसे मुर्ग़ी की क़ुर्बानी का षवाब मिलेगा; और जो पाँचवी घड़ी में गया उसने गोया एक अण्डा अल्लाह की राह में क़ुर्बान किया। फिर जब इमाम मस्जिद में आ जाता है तो फ़रिश्ते भी ख़ुत्बा सुनने के लिये हाज़िर हो जाते हैं (और बाद में आने वाले की हाज़िरी नहीं लगाते)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 4)

बाब 3 : जुम्आ में ख़ुत्बा के वक़्त ख़ामोश रहना ज़रूरी है

494. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुम्अे के दिन जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो अगर तुमने अपने साथी से कहा, 'चुप हो जा' तो तुमने एक लग़्व और बेहूदा हरकत की। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 36)**

बाब 4 : क़ुबूलियते दुआ की उस घड़ी का बयान जो सिर्फ़ जुम्अे के दिन आती है

495. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने जुम्अे के दिन का ज़िक्र किया और फ़र्माया, इस दिन एक साअत (घड़ी) ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान बन्दा इत्तिफ़ाक़ से उस साअत में ब–हालते नमाज़ अल्लाह से कुछ तलब कर ले तो जो कुछ तलब करे उसे वो ज़रूर अता फ़र्मा देता है। यह फ़र्माते वक़्त आप (ﷺ) ने अपने हाथ से इशारा किया कि उस घड़ी का वक़्फ़ा बहुत थोड़ा है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 37)

बाब 6 : जुम्अे के दिन की तरफ़ रहनुमाई इस उम्मते मुस्लिमा को मिली है

496. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हम दुनिया में सब उम्मतों से पीछे आए हैं लेकिन क़ियामत के दिन हम सबसे सबक़त ले जाएँगे। इसकी वज़ाहत इस तरह है कि सब उम्मतों को किताब हमसे पहले मिली है और हमें उनके बाद मिली है (तो गोया दुनिया में वो हमसे साबिक़ हो गए और हम पीछे रह गए) लेकिन उस दिन (जुम्अे के दिन जो उन पर भी फ़र्ज़ किया गया था) के सिलसिले में उन्होंने तामीले–हुक्म से इख़्तिलाफ़ किया (तो यह दिन हमें मिल गया और इसी की वजह से हम क़ियामत के दिन उन पर सबक़त ले जाएँगे) पस कल का दिन (हफ़्ता/शनिवार) यहूद को मिला और परसों का दिन (इतवार) नसारा को मिला। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 54)**

बाब 9 : जुम्अे की नमाज़ का वक़्त सूरज ढलने के बाद होता है

497. हदीषे सहल (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम लोग (अहदे नबवी में) जुम्अे के दिन नमाज़ से पहले न खाना खाते थे और न क़ैलूला करते थे दोनों काम नमाज़ से फ़ारिग़ होकर करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)**

---

498. हदीषे सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम जुम्अे के दिन रसूले करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ से फ़ारिग़ होकर जब वापस घरों को आया करते थे तो दीवारों का साया ऐसा नहीं होता था कि हम उसमें पनाह ले सकें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 35)**

बाब 10 : नमाज़े–जुम्आ से पहले दो ख़ुत्बों और इनके बीच बैठने का बयान

499. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) (जुम्अे के दिन) खड़े होकर ख़ुत्बा दिया करते थे, बीच में कुछ देर के लिये बैठते थे बिलकुल उसी तरह जिस तरह

तुम लोग आजकल करते हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 27)**

बाब 11 : इर्शादे बारी तआला, 'व इज़ारऔ तिजारतन् औ लह्वनिन् फ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूक क़ाइमा' का शाने नुज़ूल :

500. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक बार हम नबी करीम (ﷺ) के पीछे नमाज़ (जुम्आ) पढ़ रहे थे कि उसी वक़्त एक क़ाफ़िला खाने का कुछ सामान लेकर आया तो अकषर लोगउसकी तरफ़ मुतवज्जह हो गए और आप (ﷺ) के साथ सिर्फ़ बारह अफ़राद रह गए, उस मौक़े पर यह आयत नाज़िल हुई, **'व इज़ारऔ तिजारतन् औ लह्वनिन् फ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूक क़ाइमा'** (तर्जुमा) 'और जब उन्होंने तिजारत और खेल–तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ़ लपक गए और तुम्हें छोड़ दिया।' (अल जुम्आ : 111) **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 38)**

बाब 13 : जुम्अे की नमाज़ और ख़ुत्बे को मुख़्तसर रखना चाहिए

501. हदीषे यअला बिन उमय्या (रज़ि.) : हज़रत यअला (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को (जुम्अे के दिन) मिम्बर पर यह आयत पढ़ते सुना, **'व नादौ या मालिकु लियक़्ज़ि अलैना रब्बुक'** (अज़् ज़ुख़रूफ़ : 77) **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 7)**

बाब 14 : ख़ुत्बे के वक़्त नफ़्ले–तहिय्या पढ़ने की इजाज़त

502. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि जुम्अे के दिन जिस वक़्त नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे एक शख़्स मस्जिद में आया तो आप (ﷺ) ने उससे पूछा, क्या तुमने नमाज़ पढ़ी? उसने कहा, नहीं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो दो रकअत (नफ़्ल) पढ़ लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 33)**

---

503. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक मर्तबा ख़ुत्बा देते वक़्त फ़र्माया, 'अगर कोई शख़्स ऐसे वक़्त (मस्जिद में) आए कि इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो' या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ुत्बा देने के लिये चल पड़ा हो– तो दो रकअतें पढ़ ले।'

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 25)

बाब 17 : जुम्अे के दिन क़ुर्आन मजीद की कौनसी सूरतें पढ़ना मुस्तहब है

504. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जुम्अे के दिन फ़ज्र की नमाज़ में सूरह सज्दा और सूरह दहर की तिलावत किया करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 10)

किताब सलातुल ईदैन

ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा की नमाज़ें

505. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) के साथ भी और हज़राते अबूबक्र व उमर व उष्मान (रज़ि.) के साथ भी ईदुल फ़ित्र की नमाज़ अदा की है। नबी करीम (ﷺ) भी और तीनों ख़ुलफ़–ए–राशिदीन भी पहले नमाज़ पढ़ा करते थे और बाद में ख़ुत्बा दिया करते थे। वो मंज़र इस वक़्त भी मेरी आँखों में फिर रहा है जब नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बे से फ़ारिग़ होकर मिम्बर से) नीचे उतरते थे और लोगों को हाथ के इशारे से बैठने का हुक्म देते हुए और सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़कर ख़्वातीन की सफ़ों तक पहुँचते थे उस वक़्त हज़रत बिलाल (रज़ि.) भी आपके साथ थे और आप (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई थी, **'या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा जा–अकल मोमिनातु युबाअिन–क अला अल्ला युश्रिकीन ....'** (तर्जुमा) **'ऐ नबी (ﷺ)! जब तुम्हारे पास मो'मिन औरतें बैअत करने के लिये आएँ और इस बात का अहद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, ज़िना न करेंगी, अपनी औलाद को क़त्ल न करेंगी, अपने हाथ–पाँव के आगे कोई बोहतान गढ़ कर न लाएँगी और किसी अम्रे मअरूफ़ में तुम्हारी नाफ़र्मानी न करेंगी तो उनसे बैअत ले लो और उनके हक़ में अल्लाह से दुआए मग़्फ़िरत करो, यक़ीनन अल्लाह दरगुज़र फ़र्माने वाला और रहम फ़र्माने वाला है।'** (अल मुम्तहिना : 12)

आयते करीमा की तिलावत से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) ने औरतों से पूछा, क्या तुम इन सब बातों पर मेरी बैअत करती हो? उनमें से सिर्फ़ एक औरत ने 'हाँ' कहा इसके अलावा किसी ने कोई जवाब न दिया। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम सद्क़ा दो। हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि लाओ! मेरे माँ–बाप तुम पर क़ुर्बान हों। चुनाँचे औरतें अपने छल्ले और अंगूठियाँ उस कपड़े में डालने लगीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 19)

---

506. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि ईदुल फ़ित्र के दिन नबी करीम (ﷺ) नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाए तो पहले आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई इसके बाद ख़ुत्बा दिया फिर ख़ुत्बे से फ़ारिग़ होकर मिम्बर पर से उतरे और औरतों की तरफ़ तशरीफ़ ले गए और उन्हें नसीहत फ़र्माई। उस वक़्त आप (ﷺ) हज़रत बिलाल (रज़ि.) के हाथ पर टेक लगाए हुए थे और हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने कपड़ा फैला रखा था जिसमें औरतें अपने सद्क़ात डाल रही थीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 19)**

---

507. हदीषे इब्ने अब्बास व जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और जाबिर (रज़ि.) दोनों बयान करते हैं कि, ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा दोनों की नमाज़ के लिये अज़ान नहीं दी जाती थी (या'नी नबी करीम ﷺ के ज़माने में)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 7)**

---

508. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के शुरूआती दिनों में उन्हें पैग़ाम भेजा था कि (नबी करीम ﷺ के ज़माने में) ईदुल फ़ित्र की नमाज़ के लिये अज़ान नहीं दी जाती थी, नीज़ यह कि (ईद का) ख़ुत्बा सिर्फ़ नमाज़ के बाद होता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 7)**

---

509. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) भी और हज़रात अबूबक्र व उमर (रज़ि.) भी दोनों ईदों की नमाज़, ख़ुत्बा देने से पहले पढ़ा करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 8)

---

510. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन जब ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ाते, फिर सलाम फेरते ही लोगों के सामने खड़े हो जाते, जबकि सफ़ों में लोग बैठे रहते और आप (ﷺ) उन्हें वअज़ और नसीहत फ़र्माते और मुख़्तलिफ़ अहकाम बताते। चुनाँचे अगर आप (ﷺ) को कोई लश्कर रवाना करना होता तो उसका इंतिज़ाम फ़र्माते या कोई और हुक्म देना होता तो वो देते फिर वापस तशरीफ़ ले जाते।

हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि लोग इसी तरीक़े पर क़ायम रहे यहाँ तक कि जब मर्वान मदीने का हाकिम बना। ईदुल फ़ित्र का मौक़ा था या ईदुल अज़्हा का मैं उसके साथ ईद की नमाज़ के लिये ईदगाह पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि कषीर बिन अस्सुल्त ने वहाँ एक मिम्बर रखा है तो मर्वान ने चाहा कि नमाज़ से पहले ही इस मिम्बर पर चढ़ जाए (और ख़ुतबा दे) मगर मैंने उसे कपड़ों से पकड़कर खींचा; लेकिन उसने मुझसे अपने कपड़े छुड़ा लिये और मिम्बर पर चढ़कर नमाज़ से पहले ख़ुत्बा दिया। चुनाँचे मैंने उससे कहा, अल्लाह की क़सम! तुम लोगों ने मसनून तरीक़े को बदल डाला है, इस पर मर्वान ने कहा, ऐ अबू सईद! तुम्हारे इल्म का दौर लद गया। मैंने उसे जवाब दिया कि अल्लाह की क़सम! जो कुछ मैं जानता हूँ वो इससे कहीं बेहतर है, जो मैं नहीं जानता। इस पर मर्वान ने कहा कि बात दरअसल यह है कि लोग नमाज़ के बाद हमारी बातें सुनने के लिये नहीं रुकते इसलिये हमने ख़ुत्बा नमाज़ से पहले शुरू कर दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 6)**

बाब 1 : औरतें ईदगाह जाकर ख़ुत्बा सुन सकती हैं लेकिन उन्हें मर्दों से अलग बैठना चाहिये

511. हदीषे उम्मे अतिया (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) बयान करती हैं, हमें हुक्म दिया गया था कि दोनों ईदों के मौक़े पर हाइज़ा औरतें और पर्दानशीन ख़्वातीन भी ईदगाह में जाएँ और मुसलमान मर्दों के साथ दुआ में शरीक हों। अलबत्ता हाइज़ा औरतें नमाज़ पढ़ने की जगह से ज़रा दूर रहें।

एक औरत ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर किसी के पास चादर न हो तो वो कैसे ईदगाह जाए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसे उसके साथी अपनी चादरों में से एक चादर दे दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 2)**

बाब 4 : ईद के दिन ऐसे खेलों की इजाज़त है जिन में कोई गुनाह की बात न हो

512. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे घर में ईद के दिन अन्सार की दो लड़कियाँ जो पेशेवर गवैय्या न थीं; वो बोल और टिप्पे गा रही थीं जो अन्सार ने जंगे बआष् के बारे में बना रखे थे कि इसी दरम्यान में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) तशरीफ़ ले आए और कहने लगे, यह शैतानी साज़ और रसूल (ﷺ) के घर में? यह सुनकर रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर क़ौम ईद मनाती है और आज हमारी ईद है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 3)

---

513. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे पास दो लड़कियाँ जंगे बुआष् के बारे में लोकगीत बैठी गा रही थीं, इसी हालत में रसूले अकरम (ﷺ) तशरीफ़ ले आए और आकर बिस्तर पर लेट गए और (उनकी तरफ़ से) अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) भी तशरीफ़ लाए (उन्होंने उन लड़कियों को गाते देखकर) मुझे सरज़निश की और कहा कि यह शैतानी गाना बजाना और रसूले करीम (ﷺ) के क़रीब? यह सुनकर जनाबे रसूले अकरम (ﷺ) हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, इन्हें कुछ न कहो! फिर जब आप (ﷺ) पर ग़ुनूदगी तारी हो गई तो मैंने उन लड़कियों को इशारा किया और वो दोनों बाहर चली गईं।

यह ईद का दिन था इसी मौक़े पर चंद हब्शी ढाल और भाले का करतब दिखा रहे थे अब मुझे याद नहीं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से ख़्वाहिश ज़ाहिर की थी या आप (ﷺ) ने ख़ुद ही पूछा था, 'क्या तुम देखना चाहती हो?' और मैंने कहा था, 'हाँ!' चुनाँचे आप (ﷺ) ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया और इस तरह कि मेरा रुख़्सार आप (ﷺ) के रुख़्सार पर टिका हुआ था और आप (ﷺ) उन हब्शियों से फ़र्माते जाते थे, ऐ अरफ़दा की औलाद! अपना खेल ज़ारी रखो यहाँ तक कि मैं थक गई तो आप (ﷺ) ने पूछा, क्या बस? मैंने कहा, 'हाँ!' चुनाँचे आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा जाओ!

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 2)

---

514. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि कुछ हब्शी नबी करीम (ﷺ) के क़रीब अपने भालों के करतब दिखा रहे थे कि इसी दरम्यान में हज़रत उमर (रज़ि.) आ गये और आते ही कंकरियाँ उठाने के लिये झुके ताकि उन हब्शियों को कंकरियाँ मारें लेकिन रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ उमर! इन्हें कुछ न कहो, करने दो जो कर रहे हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 79)

किताब सलातुल इस्तिस्क़ा

नमाज़े इस्तिस्क़ा का बयान

515. हदीषे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ने बारिश की दुआ माँगी तो आप (ﷺ) ने अपनी चादर को उलटकर ओढ़ा था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तिस्क़ा बाब 4)

बाब 1 : बारिश की दुआ माँगते वक़्त हाथ उठाने का बयान

516. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) किसी दुआ में अपने हाथ नहीं उठाया करते थे सिवाय बारिश की दुआ के। इस दुआ में आप (ﷺ) अपने हाथों को इतना ऊँचा उठाते कि आप (ﷺ) की दोनों बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगती थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तिस्क़ा बाब 22)

बाब 2 : इस्तिस्क़ा के लिये दुआ माँगने का बयान

517. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में एक बार क़हत (अकाल) पड़ा। चुनाँचे जुम्अे के दिन जिस वक़्त आप (ﷺ) ख़ुत्बा पढ़ रहे थे एक देहातीउठा और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे माल–मवेशी हलाक हो गए और बाल– बच्चे भूखे मर गए। लिहाज़ा आप (ﷺ) हमारे लिये अल्लाह से दुआ कीजिए। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक उठाए, उस वक़्त कैफ़ियत यह थी कि आसमान पर बादल का एक टुकड़ा तक नज़र न आ रहा था; लेकिन क़सम उस ज़ात की कि जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! आप (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक उस वक़्त तक नीचे नहीं किए जब तक बादलों की घटाएँ पहाड़ों की तरह उमड़कर न छा गईं और आप (ﷺ) अभी मिम्बर से उतरे नहीं थे कि मैंने आप (ﷺ) की रीशे मुबारक पर बारिश के क़तरे को टपकते हुए देख लिया। फिर जो बारिश हुई तो उस दिन सारे दिन बारिश होती रही फिर दूसरे दिन भी और फिर तीसरे दिन भी और उससे अगले दिन भी (लगातार मेंह बरसता रहा) यहाँ तक कि जुम्आ आ गया और वही देहातीया हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, कोई दूसरा देहातीखड़ा हुआ और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मकानात मुनहदिम हो गये (ढह गये) और माल मवेशी डूब गए। लिहाज़ा आप (ﷺ) हमारे लिये दुआ कीजिए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने फिर अपने हाथ उठाए और दरख़्वास्त की ऐ परवरदिगार! हमारे इर्द–गिर्द, हम पर नहीं। ग़र्ज़ आप (ﷺ) जिधर इशारा करते उधर से बादल छंट जाते और मदीना के बीच में आँगन की

तरह बाक़ी रह गया और क़िनात (नामी) नाला एक माह तक बहता रहा और अतराफ़ व जवानिब (आस–पास) से जो शख़्स भी आता वो लगातार और मूसलाधार बारिश की ख़बर देता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जुमुआ बाब 35)

बाब 3 : आँधी या बादल नज़र आए तो अल्लाह की पनाह तलब करना चाहिए और बारिश पर इज़हारे मसर्रत

518. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब आसमान पर कोई चीज़ देखते तो मषलन् बदली या बिजली वग़ैरह तो आप (ﷺ) का चेहरा मुबारक का रंग बदल जाता और कभी आगे जाते, कभी पीछे हटते, कभी अंदर तशरीफ़ ले जाते और कभी बाहर आते फिर जब बारिश हो जाती तो आप (ﷺ) की परेशानी दूर हो जाती। एक बार हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की कैफ़ियत को महसूस करके आप (ﷺ) से उसके बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं डर जाता हूँ, कहीं वैसा ही न हो जैसा कि क़ौमे (आद) के बारे में कुर्आन मजीद में वारिद हुआ है,

> **'फिर जब उन्होंने उसको अपनी वादियों की तरफ़ आते देखा तो कहने लगे, यह बादल है जो हमको सैराब कर देगा। नहीं! बल्कि यह वही चीज़ हैजिसके लिये तुम जल्दी मचा रहे थे, यह हवा का तूफ़ान है जिसमें दर्दनाक अज़ाब चला आ रहा है।'** (अल अहक़ाफ़ : 24)

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 5)

बाब 4 : सबा और दबूर के बारे में जो कुछ इर्शाद हुआ है

519. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पुरवा हवा से मेरी मदद की गई और पछुआ हवा से क़ौमे आद हलाक़ की गई।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तिस्क़ा बाब 26)

नोट : सबा उस हवा को कहते हैं जो पूरब की तरफ़ से आती है या'नी पुरवा या पुरवाई। और दबूर उस हवा को कहते हैं जो पश्चिम से आती है उसे पछुआ कहते हैं। पुरवा से मेरी मदद की गई; इस जुम्ले में ग़ज़वा–ए–अहज़ाब की तरफ़ इशारा है जिसमें क़रीब 12 हज़ार मुश्रिकों ने मदीना का घेराव कर लिया था तो अल्लाह तआला ने सख़्त व सर्द (ठण्डी) रात में बेहद ठण्डी पुरवाई भेजी जिसके थपेड़े दुश्मनों के मुँह पर लगे, उनकी आग ठण्डी पड़ गई, ख़ैमे उखड़ गये और उन्हें बिना लड़े ही भागना पड़ा था। दबूर या'नी पछुआ हवा जिससे क़ौमे–आद या'नी हज़रत हूद (अलैहिस्सलाम) की क़ौम हलाक़ की गई थी और जिसकी वजह से उनका वजूद मिट गया था।

किताब सलातुल कुसूफ़

बाब 1 : नमाज़े कुसूफ़ का बयान

520. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में सूरज गहन हुआ तो आप (ﷺ) ने नमाज़ (कुसूफ़) पढ़ाई जिसमें क़ियाम किया तो बहुत देर तक खड़े रहे, फिर रुकूअ किया तो वो भी बहुत लम्बा किया, फिर दोबारा काफ़ी लम्बा क़ियाम किया लेकिन पहली बार के क़ियाम से कम, इसी तरह फिर काफ़ी लम्बा रुकूअ किया लेकिन पहले रुकूअ से कम, फिर सज्दा किया और बहुत लम्बा किया। फिर आप (ﷺ) ने दूसरी रकअत में भी यही तमाम अमल दोहराया फिर सलाम फेर दिया और उसी दरम्यान में सूरज गहन से पूरी तरह बाहर निकल आया। फिर आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया और अल्लाह तआला की हम्दो षना के बाद फ़र्माया, सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं और यह दोनों किसी शख़्स के मरने या पैदा होने की वजह से नहीं गहन होते हैं। चुनाँचे जब चाँद या सूरज का गहन हो तो अल्लाह से दुआ माँगो, अल्लाह की अज़मत व किब्रियाई का तज़किरा करो, नमाज़ पढ़ो और सद्क़ा-ख़ैरात दो। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ उम्मते मुहम्मदिया! जब अल्लाह का कोई बन्दा या अल्लाह की कोई बन्दी ज़िना का इर्तिकाब करते हैं तो उनकी इस हरकत पर सबसे ज़्यादा ग़ैरत अल्लाह को आती है। ऐ उम्मते मुहम्मदिया (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! अगर तुम वो कुछ जानते जो मैं जानता हूँ तो यक़ीनन तुम हँसते कम और रोते ज़्यादा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 2)**

---

521. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) के दौरे-हयात एक बार सूरज गहन हुआ तो आप (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और लोग आप (ﷺ) के पीछे सफ़ बस्ता खड़े हो गए। फिर आप (ﷺ) ने अल्लाहु अकबर कहा और क़िरअत शुरू की और काफ़ी लम्बी क़िरअत फ़र्माई उसके बाद अल्लाहु अकबर कहा और रुकूअ में चले गए और काफ़ी लम्बा रुकूअ किया। फिर आप (ﷺ) ने **समिअल्लाहु लिमन हमिदा** कहा और फिर क़ियाम फ़र्माया और सज्दे में न गए और दोबारा लम्बी क़िरअत फ़र्माई लेकिन पहली बार की क़िरअत से कम लम्बी। फिर अल्लाहु अकबर कहा और रुकूअ में चले गए और फिर लम्बा रुकूअ किया, लेकिन पहले रुकूअ से कम लम्बा। फिर आप (ﷺ) ने **समिअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल् हम्द** कहा, इसके बाद सज्दा किया। इसी तरह दूसरी रकअत में भी इसी तरह सब कुछ किया और इस तरह कुल चार रुकूअ और चार सज्दे किए और आप (ﷺ) के सलाम फेरने से पहले ही सूरज पूरी तरह रोशन हो चुका था। फिर आप (ﷺ) ने खड़े होकर ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माया और हम्दो षना के बाद फ़र्माया कि चाँद और सूरज दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं इनमें किसी शख़्स की मौत या ज़िंदगी की बिना पर गहन नहीं लगता चुनाँचे जब तुम इन दोनों में से किसी में गहन देखो तो तेज़ी से नमाज़ की तरफ़ दौड़ो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 4)**

---

522. ह़दीषे आ़इशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि सूरज गहन हुआ तो रसूले करीम (ﷺ) (नमाज़ के लिये) खड़े हुए और आप (ﷺ) ने एक लम्बी सूरह तिलावत फ़र्माई; फिर रुकूअ़ किया और काफ़ी लम्बा किया; फिर रुकूअ़ से सर उठाकर दोबारा एक दूसरी सूरह की तिलावत की इसके बाद रुकूअ़ किया और रुकूअ़ पूरा करके सज्दा किया। फिर यही सब कुछ दूसरी रकअ़त में भी किया फिर (नमाज़ से फ़ारिग़ होकर) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं इसलिये अगर तुम इनको गहनाया हुआ देखो तो नमाज़ (कुसूफ़) पढ़ो ताकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारी मुश्किल हल फ़र्मा दे। मैंने आज अपने इस क़ियाम के दौरान में हर वो चीज़ देख ली जिसका मुझसे वादा किया गया था; यहाँ तक कि एक मौक़े पर जब तुमने देखा होगा कि मैं आगे की तरफ़ बढ़ रहा हूँ, मैंने ख़ुद महसूस किया था कि मैं इरादा कर रहा हूँ कि मैं जन्नत में से एक ख़ोशा ले लूँ इसी तरह मैंने देखा कि जहन्नम का एक हिस्सा जहन्नम ही के दूसरे हिस्से को ढा रहा है, यह वो मौक़ा था जब तुमने मुझे देखा होगा कि मैं पीछे हट रहा हूँ और मैं जहन्नम में अ़म्र बिन लुह्य को देखा है यह वो शख़्स था जिसने साँड खुला छोड़ने की रस्म शुरू की थी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अ़मल फ़िस्सलात बाब 11)**

बाब 2 : नमाज़े ख़ुसूफ़ में अ़ज़ाबे क़ब्र की याददेहानी

523. ह़दीषे आ़इशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक यहूदी औरत मेरे पास माँगने आई और बातचीत के वक़्त में उसने कहा कि अल्लाह आपको अ़ज़ाबे क़ब्र से बचाए। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, क्या लोगों को क़ब्र में भी अ़ज़ाब दिया जाता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह उस अ़ज़ाब से सबको बचाए।

फिर एक दिन नबी (ﷺ) सुबह के वक़्त कहीं जाने के लिये अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और सूरज गहन हो गया तो आप (ﷺ) चाश्त के वक़्त वापस तशरीफ़ ले आए और हुज्रे के पीछे से गुज़रते हुए (मस्जिद में तशरीफ़ ले गए) और नमाज़ के लिये खड़े हो गए और लोग भी आप (ﷺ) के पीछे खड़े हो गए। आप (ﷺ) ने नमाज़ में क़ियाम को बहुत लम्बा किया फिर रुकूअ़ किया, वो भी बहुत लम्बा था फिर रुकूअ़ से सर उठाकर दोबारा लम्बा क़ियाम किया लेकिन पहले क़ियाम से कम लम्बा। फिर रुकूअ़ किया, यह रुकूअ़ भी पहले रुकूअ़ से कम लम्बा था, फिर सर उठाया और सज्दे में चले गए, फिर उठकर क़ियाम किया काफ़ी लम्बा क़ियाम लेकिन पहले क़ियाम से हल्का। फिर लम्बा रुकूअ़ किया लेकिन यह रुकूअ़ पहले रुकूअ़ के मुक़ाबले में हल्का था। फिर लम्बा क़ियाम किया यह क़ियाम भी पहले क़ियाम से हल्का था फिर रुकूअ़ किया यह रुकूअ़ भी पहले रुकूअ़ के मुक़ाबले में कम लम्बा था फिर सर उठाकर सज्दे में गए और उसके बाद सलाम फेर दिया, नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) ने (ख़ुत्बा दिया और) जो कुछ इर्शाद फ़र्माना था फ़र्माया, इसके बाद आप (ﷺ) ने लोगों को हुक्म दिया कि वो क़ब्र के अ़ज़ाब से अल्लाह की पनाह माँगा करे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 7)**

बाब 3 : नमाज़े कुसूफ़ में नबी करीम (ﷺ) पर जन्नत व जहन्नम के बाज़ हालात दिखाये जाना

524. ह़दीषे अस्मा (रज़ि.) : ह़ज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के पास गईं तो वो नमाज़ पढ़ रही थीं। मैंने पूछा कि लोगों को क्या हुआ है? (इस वक़्त क्यों जमा हुए हैं?) ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने आसमान की तरफ़ इशारा किया (कि सूरज गहन लगा हुआ है) फिर मैंने देखा कि लोग

(नमाज़ के लिये) र ्ड़े हो गए और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने **'सुब्हानल्लाह'** कहा। मैंने पूछा, क्या कोई निशानी है? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने सर के इशारे से फ़र्माया, 'हाँ!' फिर मैं भी नमाज़ के लिये खड़ी हो गई, यह क़ियाम इतना लम्बा था कि मुझ पर ग़शी (बेहोशी) त़ारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर नबी करीम (ﷺ) ने अल्लाह तआला की हम्दो–षना की और उसके बाद फ़र्माया, हर वो चीज़ जो मुझे अब तक न दिखाई गई थी, आज मैंने अपने इस मुक़ाम पर खड़े–खड़े देख ली है यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम को भी देख लिया है और मेरी त़रफ़ वह्य की गई है कि क़ब्र में तुम्हारी आज़माइश होगी; फ़ित्न–ए–दज्जाल की सी आज़माइश या उसके क़रीब–क़रीब (रावी कहते हैं कि मुझे ठीक याद नहीं कि हज़रत अस्मा रज़ि. ने क्या अल्फ़ाज़ कहे थे)। चुनाँचे पूछा जाएगा कि तुम्हें उस शख़्स के बारे में क्या मा'लूम है? तो जो शख़्स मो'मिन होगा या साहिबे यक़ीन होगा (रावी को ठीक त़रीक़े से याद नहीं रहा कि हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने क्या अल्फ़ाज़ काम में लिये थे) वो तो बता देगा कि आप हज़रत मुहम्मद (ﷺ) हैं और अल्लाह के रसूल हैं। आप (ﷺ) हमारे पास अल्लाह की हिदायत और वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए थे चुनाँचे हमने आप (ﷺ) की दअ़वत को क़ुबूल किया और आप (ﷺ) की पैरवी की। वो तीन बार यही जवाब देगा (कि आप ﷺ हज़रत मुहम्मद हैं) फिर उससे कहा जाएगा कि आराम से सो जा हमें मा'लूम हो गया कि तू आप (ﷺ) पर ईमान रखता था, लेकिन मुनाफ़िक़ या जिसे शक होगा (रावी कहते हैं कि मुझे ठीक याद नहीं कि हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने क्या लफ़्ज़ बोला था) वो कहेगा कि मैं आप (ﷺ) को नहीं जानता अलबत्ता मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना था सो मैंने भी वही कह दिया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 24)

---

525. हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में सूरज गहन हुआ तो आप (ﷺ) ने नमाज़े (कसूफ़) पढ़ाई; जिसमें आप (ﷺ) ने इतना लम्बा क़ियाम किया जिसमें सूरह बक़रह तिलावत की जा सकती है, फिर बहुत लम्बा रुकूअ़ किया, फिर रुकूअ़ से सर उठाकर दोबारा लम्बा क़ियाम किया, लेकिन पहल क़ियाम के मुक़ाबले में कम, फिर एक लम्बा रुकूअ़ किया लेकिन यह रुकूअ़ भी पहले रुकूअ़ से कम लम्बा था। फिर सज्दा किया इसके बाद फिर खड़े हो गए और काफ़ी लम्बा क़ियाम किया, लेकिन पहले क़ियाम से हल्का, फिर लम्बा रुकूअ़ किया लेकिन यह भी पहले रुकूअ़ से हल्का था फिर खड़े हो गए और लम्बा क़ियाम लेकिन यह क़ियाम भी पहले क़ियामों से हल्का था फिर काफ़ी लम्बा रुकूअ़ किया लेकिन पहले रुकूओं से हल्का, फिर सज्दा किया और उसके बाद सलाम फेर दिया और उस वक़्त तक सूरज पूरी तरह रोशन हो चुका था। इसके बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं यह किसी शख़्स की मौत व हयात की वजह से नहीं गहनाते, चुनाँचे तुम अगर कभी उनको गहनाया हुआ देखो तो अल्लाह का ज़िक्र करो (नमाज़ पढ़ो) लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमने देखा था कि आप (ﷺ) ने अपनी जगह खड़े–खड़े कोई चीज़ ली थी, फिर हमने देखा कि आप (ﷺ) पीछे की तरफ़ हटे थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने जन्नत देखी थी और उसमें से एक ख़ोशा लेना चाहता था जो अगर मैं पा लेता तो तुम उसे रहती दुनिया तक खाते रहते (और ख़त्म न होता) और मुझे जहन्नम दिखाया गया था और आज के इस नज़ारे से ज़्यादा हौलनाक नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा और मैंने देखा कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा हैं। लोगों ने पूछा, क्या यह (औरतें) अल्लाह से कुफ़्र करती हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, शौहरों की नाशुक्री करती हैं और एहसान फ़रामोश होती हैं, आप उसके साथ ज़िंदगी भर अच्छा सुलूक करते रहें अगर कभी आप की तरफ़ से कोई ऊँच–नीच हुई तो फ़ौरन कह देगी, मुझे तो तुमसे कभी कोई भलाई पहुँची ही नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 9)**

बाब 5 : नमाज़े कुसूफ़ के लिये 'नमाज़ तैयार है' कहकर बुलाने का ज़िक्र

526. हदीषे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में सूरज गहन हुआ तो **'इन्नस्सलात जामिअतुन'** (नमाज़ तैयार है) कहकर लोगों को पुकारा गया था और नबी करीम (ﷺ) ने दो रकअत नमाज़ अदा की हर रकअत में दो–दो रुकूअ किये फिर आप (ﷺ) बैठे रहे यहाँ तक कि सूरज गहन से निकल आया (रावी कहते हैं कि) उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने इससे ज़्यादा लम्बा सज्दा कभी नहीं किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 8)**

---

527. हदीषे अबू मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रब अबू मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरज और चाँद किसी इंसान के मरने या जीने की वजह से नहीं गहनाते बल्कि यह दोनों अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं चुनाँचे तुम सूरज या चाँद को गहनाया हुआ देखो तो उठो और नमाज़ पढ़ो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 1)

---

528. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि (नबी करीम ﷺ के ज़माने में) सूरज गहन हुआ तो आप (ﷺ) घबराकर उठे कि कहीं क़ियामत न आ गई हो और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और नमाज़ पढ़ाई। जिसमें क़ियाम, रुकूअ और सज्दे इतने लम्बे थे कि इतने लम्बे मैंने पहले कभी नहीं देखे और आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, यह निशानियाँ हैं जो अल्लाह तआला भेजता है यह (सूरज और चाँद का गहन) किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं बल्कि इनसे अल्लाह अपने बन्दों को डराता है इसलिये जब तुम इस तरह की कोई चीज़ देखो तो तेज़ी से अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और उससे दुआ माँगो और इस्तिग़फ़ार करो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 14)

---

529. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरज और चाँद किसी शख़्स की मौत व हयात की वजह से नहीं गहनाते बल्कि यह दोनों अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं इसलिये अगर तुम सूरज और चाँद में गहन देखो तो नमाज़ पढ़ो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 1)

---

530. हदीषे मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) : हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में जिस दिन (आप ﷺ के बेटे) इब्राहीम (रज़ि.) का इंतिक़ाल हुआ उसी दिन सूरज गहन हुआ तो लोगों ने कहा कि सूरज इब्राहीम (रज़ि.) के वफ़ात की वजह से गहनाया है इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरज और चाँद किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं गहनाते। इसलिये जब सूरज या चाँद गहन में देखो तो नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ माँगो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल कुसूफ़ बाब 1)**

किताबुल जनाइज़

जनाज़े के मसाइल व अहकाम

बाब 6 : मुर्दे पर रोने और बैन करने के बारे में अहकाम

531. ह़दीषे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) : ह़ज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) की एक साहबज़ादी ने आप (ﷺ) को पैग़ाम भेजा कि मेरा बेटा क़रीबुल मर्ग है, इसलिये आप (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप (ﷺ) ने जवाबन उन्हें पैग़ाम भिजवाया कि जनाब नबी करीम (ﷺ) ने सलाम कहलवाया और फ़र्माया है कि जो कुछ अल्लाह ने लिया है वो भी उसी का था और जो उसने दे रखा है वो भी उसी का है और उसने हर चीज़ की एक मुद्दत (उम्र) मुक़र्रर फ़र्माई है, इसलिये तुमको चाहिए कि (इस स़द्मे पर) स़ब्र करो और ष़वाब की उम्मीद रखो। आप (ﷺ) की साहबज़ादी ने दोबारा क़ासिद भेजा और आप (ﷺ) को क़सम दिलाई कि आप (ﷺ) ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। चुनाँचे आप (ﷺ) हज़राते सअ़द बिन उ़बादा, मुआज़ बिन जबल, उबय बिन कअ़ब, ज़ैद बिन षाबित और दीगर चंद सहाबा किराम (रज़ि.) के साथ तशरीफ़ ले गए, बच्चे को आप (ﷺ) के पास लाया गया, उसका सांस उखड़ा हुआ था और वो खाली होती हुई मश्क की तरह था। उसकी हालत देखकर आप (ﷺ) की आँखें भर आईं तो सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) ने कहा कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह क्या? (आप ﷺ भी रोते हैं?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह वो रहमत है जो अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दों के दिलों में रखी है और अल्लाह अपने उन्हीं बन्दों पर रहम फ़र्माता है जो दूसरों पर रहम खाते हैं **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 33)**

---

532. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) बीमार हुए तो नबी करीम (ﷺ) उनकी इयादत के लिये तशरीफ़ ले गए। आप (ﷺ) के साथ ह़ज़राते अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ और अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) भी थे, जब आप (ﷺ) उनके पास पहुँचे तो उनको इस हालत में पाया कि घरवाले उन्हें अपने घेरे में लिये हुए थे। यह देखकर आप (ﷺ) ने पूछा, क्या इंतिक़ाल हो गया है? लोगों ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर आप रोने लगे और जब लोगों ने आप (ﷺ) को रोते हुए देखा तो सब रो पड़े। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनते हो! अल्लाह तआ़ला आँखों के आंसुओं और दिल के ग़मगीन होने और ज़ुबान से कलिमाते रहम निकालने पर अ़ज़ाब नहीं देता। अलबत्ता वो (आप ﷺ ने ज़ुबान की तरफ़ इशारा करते हुए फ़र्माया) इस पर ज़रूर अ़ज़ाब देता है और घरवालों के रोने से भी मरने वाले को अ़ज़ाब होता है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 54)**

बाब ८ : सब्र वो क़ाबिले ऐतबार है जो सद्मा के शुरू में किया जाए

533. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) एक औरत के क़रीब से गुज़रे जो एक क़ब्र पर बैठी रो रही थी। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, अल्लाह से डर और सब्र कर। उस औरत ने कहा, आप (ﷺ) चले जाएँ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें क्योंकि जो मुसीबत मुझ पर आई है वो आप पर नहीं आई और आप (ﷺ) उसे नहीं समझ सकते। उस औरत को बताया गया कि आप (ﷺ) अल्लाह के नबी थे। यह सुनकर वो नबी करीम (ﷺ) के दरवाज़े पर आई तो यहाँ उसने दरवाज़े पर दरबान भी न देखे। बहरहाल उसने कहा, (मुझसे ग़लती हो गई!) मैं आप (ﷺ) को पहचान न सकी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सब्र तो वही होता है जो सद्मे के शुरू में किया जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)**

बाब ९ : घरवालों के रोने पीटने से मय्यित को अज़ाब दिया जाता है

534. हदीषे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यित को क़ब्र में अज़ाब दिया जाता है लोगों के उस पर रोने-पीटने की वजह से।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 32)

---

535. हदीषे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) ज़ख़्मी हुए तो हज़रत सुहैब (रज़ि.) रोते हुए कहने लगे, हाय मेरा भाई! तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है, 'ज़िन्दा लोगों के रोने से मरने वाले को अज़ाब होता है।'

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 23)

---

536. हदीषे अब्दुल्लाह बिन अम्र व आइशा (रज़ि.) : अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैका बयान करते हैं कि हज़रत उष्मान (रज़ि.) की बेटी का मक्का में इंतिक़ाल हो गया और हम उसके जनाज़े में शरीक होने के लिये गए और हज़रत इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (रज़ि.) भी आए थे और मैं इन दोनों हज़रात के बीच बैठा था (या उन्होंने कहा था कि मैं उन दोनों बुज़ुर्गों में से किसी एक के पास बैठा था और दूसरे साहब आकर मेरे पहलू में बैठ गए। रावी को असल अल्फ़ाज़ में शक है) तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने हज़रत अम्र बिन उष्मान (रज़ि.) से कहा, क्या आप इस रोने से मना नहीं करेंगे? क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि मय्यित के घरवालों के रोने की वजह से मरने वाले पर अज़ाब होता है। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, हज़रत उमर (रज़ि.) तो कहा करते थे 'बाज़ क़िस्म के रोने से' (मय्यित को अज़ाब होता है)।

फिर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने तफ़्सीर से सारी बात बयान की, कहने लगे कि मैं हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ मक्का से (मदीना) वापस आ रहा था, जब हम मुक़ामे बैदा में पहुँचे तो वहाँ एक बड़े दरख़्त के साये में चंद सवार नज़र आए हज़रत उमर (रज़ि.) ने मुझसे कहा कि जाकर देखो यह सवार कौन लोग हैं? हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने जाकर देखा तो उनमें हज़रत सुहैब (रज़ि.) भी थे, मैंने वापस आकर हज़रत उमर (रज़ि.) को बताया तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि उन्हें मेरे पास बुला लाओ। चुनाँचे मैंने जाकर हज़रत सुहैब (रज़ि.) से कहा कि चलो अमीरुल मो'मिनीन से मिलो, फिर (कुछ अर्से बाद) जब हज़रत उमर (रज़ि.) ज़ख़्मी हो गए तो हज़रत सुहैब (रज़ि.) आए और रोते हुए कहते थे, हाय मेरे भाई! हाय मेरे साहिब! इस पर हज़रत उमर

(रज़ि.) ने फ़र्माया, ऐ सुहैब (रज़ि.)! तुम मुझ पर नोहा कर रहे हो हालाँकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि, मरने वाले को उसके घरवालों के बाज़ क़िस्म के रोने से अ़ज़ाब दिया जाता है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) के इंतिक़ाल के बाद मैंने इस हदीष का ज़िक्र उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आ़इशा (रज़ि.) से किया तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला हज़रत उ़मर (रज़ि.) पर रहम फ़र्माए। अल्लाह की क़सम! रसूले करीम (ﷺ) ने हर्गिज़ ऐसा नहीं फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला किसी मो'मिन को उसके घरवालों के रोने की वजह से अ़ज़ाब देता है बल्कि आप (ﷺ) का इर्शाद यह है कि 'अल्लाह तआ़ला काफ़िर पर उसके घरवालों के रोने की वजह से अ़ज़ाब में और इज़ाफ़ा कर देता है।' फिर हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने फ़र्माया तुम्हारे लिये क़ुर्आन काफ़ी है इर्शादे बारी तआ़ला है, **ला तज़िरू वाज़िरतुंव् विज़्र उख़्रा** तर्जुमा : **'कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।'** (अल अन्आम : 164) और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने उस मौक़े पर कहा, यह अल्लाह ही है जो हँसाता भी है और रुलाता भी।

इब्ने अबी मलैका कहते हैं कि अल्लाह की क़सम! ये सारी बातचीत सुनने के बाद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कुछ भी नहीं कहा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 33)**

---

537. हदीषे आ़इशा व इब्ने उ़मर (रज़ि.) : उ़र्वा (रह.) बयान करते हैं कि उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आ़इशा (रज़ि.) से ज़िक्र किया गया कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) इस हदीष को मरफ़ूअ़ (नबी करीम ﷺ तक पहुँची हुई) बताते हैं कि **'मुर्दे को उसके घरवालों के रोने की बिना पर क़ब्र में अ़ज़ाब दिया जाता है।'** हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) पर अल्लाह रहम फ़र्माए उन्हें इस सिलसिले में मुग़ालता हुआ है। नबी करीम (ﷺ) ने तो यह इर्शाद फ़र्माया था कि मुर्दे को उसके गुनाहों और ख़ताओं की वजह से अ़ज़ाब दिया जा रहा होता है और उसके घरवाले उस पर उसी वक़्त नोहा कर रहे होते हैं। हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का यह मुग़ालता बिलकुल उसी तरह का है जैसे वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने उस अँधे कुँए पर खड़े होकर, जिसमें बद्र के मक़्तूलीन डाले गए थे जो कुछ फ़र्माना था, फ़र्माने के बाद कहा था कि, **'यह लोग मेरी बातें सुन रहे हैं'** हालाँकि आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि **'यह लोग इस वक़्त यक़ीनन जान चुके हैं कि जो कुछ मैं कहा करता था वो सच है।'** फिर आप ने यह आयात तिलावत फ़र्माई, **'तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते।'** (सूर नम्ल : 80) और **'(ऐ नबी ﷺ) तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो क़ब्रों में दफ़्न हैं।'** (सूरह फ़ातिर : 22) उ़र्वा कहते हैं कि हज़रत आ़इशा (रज़ि.) की मुराद इन आयात को पेश करने से यह था कि जब इन काफ़िरों को जहन्नम में ठिकाना मिल चुका होगा। (तो अब उनको सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है और न वो सुन सकते हैं)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 8)**

नोट : ऊपर बयान की गई दोनों रिवायतों में हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की बयानकर्दा रिवायत में इख़्तिलाफ़ फ़र्माया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) इस पर ख़ामोश रहे। लेकिन इससे यह षाबित नहीं होता कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) की बयानकर्दा रिवायत ग़लत थी और उन्होंने हज़रत आ़इशा (रज़ि.) की बात पर यक़ीन करते हुए सकूत (चुप्पी) इख़्तियार की थी। इस बारे में उ़लमा की अलग-अलग तशरीहात मिलती हैं; ज़ैन बिन अल मुनीर (रह.) कहते हैं कि हो सकता है हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) इसलिये ख़ामोश रहे हों कि उन्होंने झगड़ा करना पसन्द न किया हो। क़ुर्तुबी (रह.) कहते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की ख़ामोशी इस वजह से नहीं थी कि उन्हें अपनी बात में शक हो गया था क्योंकि हदीष तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) के हवाले से मरफ़ूअ़ है; बल्कि वो इसलिये ख़ामोश हो गये कि हदीष में तावील की गुंजाइश थी और बहष व मुनाज़रा करने का वो मौक़ा न था। इमाम ख़त्ताबी कहते हैं जो कुछ हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने फ़र्माया उससे यह लाज़िम नहीं आता कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर की रिवायतें ग़लत हों क्योंकि दोनों हदीषों में न तो कोई तज़ाद

है और न ही कोई मुनाफ़ात। हज़रत उमर (रज़ि.) की हदीष़ के ये मानी हो सकते हैं कि मय्यित को अ़ज़ाब उस वक़्त होगा, जब वो ख़ुद नौहा करने व रोने–पीटने की वसीयत करके मरा हो; जैसा कि अ़रबों में इसका रिवाज था और ये बात उनके शाइरों के कलाम से भी ष़ाबित होती है। मिष़ाल के तौर पर एक अ़रबी शाइर तरफ़ा बिन अल मुईद का शेर है; इज़ा मुत्तु फनईनी बिमा अना अहलुहू, व शक्क़ी अ़लल जैबि या इब्नत मअ़बदिन तर्जुमाः ऐ मअ़बद की बेटियों! जब मैं मर जाऊँ तो मुझे याद करके इतना रोना–पीटना जिसका मैं मुस्तहिक़ हूँ बल्कि अपना गिरेबान भी चाक कर लेना।

दूसरे लफ़्ज़ों में यह कहा जा सकता है कि मरने वाला इस बात को पसन्द करता हो कि उसके मरने पर नौहा किया जाए, भारत में भी ऐसे रिवाज प्रचलित है। हिन्दू धर्म में किसी की मौत के बाद औ़रतें तेज़ आवाज़ में रोती है, औ़रतें अगर किसी के घर ताज़ियत के लिये जाती हैं तो दूर से ही आवाज़ें कसकर रोना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि उनके समाज में रुदाली की भी परम्परा प्रचलित है। रुदाली उन औ़रतों को कहते हैं जो पेशेवर नौहा करने वालियाँ होती हैं, या'नी मरने वाले की मौत पर धाड़े मारकर रोना–पीटना, आवाजें कसना और इस काम के लिये उनको रुपये–पैसे व दीगर चीज़ें दी जाती हैं।

चुनाँचे जुम्हूर (अधिकांश) उलमा ने इस हदीष़ का मफ़हूम यही लिया है कि अगर मरने वाला ख़ुद रोने–नौहा करने की वसीयत करके मरेगा तो उसे अ़ज़ाब होगा।

लिहाज़ा बेहतर यही है कि हर मुस्लिम नौहा करने पर क़राहियत का इज़हार करे जैसा कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने किया और हज़रत सुहैब (रज़ि.) को नौहा करने पर टोका था (देखें हदीष़ नं. 536)। ख़ास़ तौर पर जब किसी की मौत का वक़्त क़रीब हो या कोई बीमार पड़े तो वो अपने घरवालों को नसीहत और वसीयत करे कि अगर उसकी मौत हो जाए तो नौहा न किया जाए।

---

538. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) एक यहूदी औ़रत के पास से गुज़रे जिस पर उसके घरवाले नौहाकुना थे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह लोग उसके लिये रो रहे हैं और उसकी हालत यह है कि उसे क़ब्र में अ़ज़ाब दिया जा रहा है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 8)

---

539. हदीषे मुग़ीरह (रज़ि.) : हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि जिस पर नोहा किया जाता है उसे उस नोहे के मुताबिक़ अ़ज़ाब दिया जाता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 33)

बाब 10 : मुर्दों पर रोने–पीटने की शदीद मुमानअ़त

540. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) को हज़रत ज़ैद बिन हारिषा और हज़रत जा'फ़र बिन अबी त़ालिब और हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने रवाहा (रज़ि.) के शहीद होने की इत्तिला पहुँची तो आप (ﷺ) यह ख़बर सुनने के बाद (मस्जिद में) तशरीफ़ फ़र्मा हो गए और रंज व ग़म आप (ﷺ) के चेहरे मुबारक पर स़ाफ़ नज़र आ रहा था। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि मैं उस वक़्त दरवाज़े के दराज़ में से देख रही थी कि एक शख़्स ने आकर इत्तिला दी कि हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) के घर की औ़रतें उन पर रो–पीट रही हैं, आप (ﷺ) ने उस शख़्स को हुक्म दिया कि वो जाकर उन्हें (रोने–पीटने) से मना करे। चुनाँचे वो शख़्स गया और वापस आकर उसने बताया कि वो औ़रतें उसका कहना नहीं मानतीं। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया कि जाओ उन्हें मना करो। वो शख़्स तीसरी बार फिर वापस आया और उसने कहा, या रसलुल्लाह (ﷺ)! अल्लाह

की क़सम! उन औरतों ने हमें आजिज़ कर दिया है (किसी सूरत में नहीं मानती)। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि मेरा ख़याल है कि फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनके मुँह में ख़ाक भर दो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि यह कैफ़ियत देखकर मैंने उस शख़्स से कहा, अल्लाह तेरी नाक ख़ाक आलूद करे, न तो तू वो काम करता है जिसका रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तुझे हुक्म दिया है और न तू आप (ﷺ) का पीछा छोड़ता है कि चैन की सांस लें।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 41)

नोट : यहाँ इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मय्यित पर आवाज़ें कसकर रोने–पीटने से न सिर्फ़ मना किया बल्कि शदीद नाराज़गी का इज़हार भी फ़र्माया। आप (ﷺ) का यह कहना कि उनके मुँह में खाक भर दी जाए, यह एक सख़्त तम्बीह है उन औरतों के लिये जो नौहा करती हैं। ज़िन्दगी और मौत देना अल्लाह के क़ब्ज–ए–क़ुदरत की बात है किसी की मौत पर नौहा करना, अल्लाह को इस बात पर कोसना कि उसने फलां को मौत क्यों दे दी, फलां को मौत दे देता तो अच्छा था; गोया अल्लाह के फ़ैसले पर ऐतराज़ करने के समान है। जो कोई अल्लाह तआला के फ़ैसले पर राज़ी न हो तो उसके लिये अज़ाब वाजिब है।

---

541. हदीषे उम्मे अतिया (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि इस्लाम क़ुबूल करते वक़्त रसूले करीम (ﷺ) ने हमसे यह वादा भी लिया था कि हम नौहा (मय्यित पर बा–आवाज़े बुलन्द रोना–पीटना) नहीं करेंगी लेकिन यह वादा उन पाँच औरतों के सिवा किसी ने पूरा नहीं किया (1) उम्मे सुलैम (रज़ि.) (2) उम्मे अला (रज़ि.) (3) अबू समुरा (रज़ि.) की बेटी और हज़रत मुआज़ (रज़ि.) की बीवी और (4) दो और औरतें। रावी कहते हैं। या उम्मे अतिया ने इस तरह कहा था (3) अबू समुरा (रज़ि.) की बेटी (4) हज़रत मुआज़ (रज़ि.) की बीवी और (5) एक और औरत। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 46)**

---

542. हदीषे उम्मे अतिया (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैअत की (मुसलमान हुईं) तो आप (ﷺ) ने यह आयते करीमा तिलावत फ़र्माई, **अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शैआ** (मुम्तहिना : 12) 'और इस बात का वादा करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगी।' और हमें आप (ﷺ) ने मय्यित पर रोने–पीटने से मना फ़र्माया तो एक औरत ने अपना हाथ ख़ींच लिया और कहने लगीं कि फ़लाँ औरत ने (रोने–पीटने में) मेरा साथ दिया था। मैं चाहती हूँ कि उसका बदला चुका दूँ चुनाँचे उसे नबी करीम (ﷺ) ने कुछ न कहा और वो (उस वक़्त) चली गईं और फिर जब दोबारा लौटकर आई तो आप (ﷺ) ने उससे बैअत ली। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरह मुम्तहिना बाब 3)**

बाब 11 : औरतों को जनाज़े के साथ जाना मना है

543. हदीषे उम्मे अतिया (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि हमें जनाज़ों के साथ जाने से रोका जाता था लेकिन इस सिलसिले में ज़्यादा शिद्दत इख़्तियार न की जाती थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 30)

बाब 12 : मय्यित को ग़ुस्ल देने का बयान

544. हदीषे उम्मे अतिया अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) की एक बेटी का इंतिक़ाल हो गया तो आप (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, इन्हें तीन बार या

पाँच बार या अगर ज़रूरत समझो तो ज़्यादा दफ़ा पानी और बेरी के पत्तों से नहलाओ और आख़िरी बार काफ़ूर डाल लेना या आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, क़द्रे काफ़ूर डाल लेना और जब नहला चुको तो मुझे इत्तिला देना। चुनाँचे जब हमने आपको इत्तिला दी तो आप (ﷺ) ने हमें अपना तहबन्द दिया और फ़र्माया कि यह कपड़ा उनको इस तरह पहनाओ कि जिस्म से मुत्तसिल (लिपटा) रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 8)**

---

545. हदीषे उम्मे अतिया अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि जिस वक़्त हम नबी करीम (ﷺ) की बेटी को नहला रहे थे, आप (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, इसे पानी और बेरी के पत्तों से तीन बार या पाँच बार या (अगर ज़रूरत हो तो) इससे भी ज़्यादा बार नहलाओ और सबसे आख़िर में काफ़ूर इस्तेमाल करना और जब फ़ारिग़ हो जाओ तो मुझे इत्तिला देना। चुनाँचे जब हम नहला चुके तो आप (ﷺ) को इत्तिला दी और आप (ﷺ) ने हमें अपना तहबन्द दिया और फ़र्माया, कि यह उन्हें इस तरह पहनाओ कि उनके जिस्म के साथ लगा रहे।

अय्यूब (रह.) (हदीष के एक रावी) कहते हैं मुझसे उम्मुल मो'मिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने भी बिलकुल यही हदीष बयान की जैसी मुहम्मद (रह.) ने उम्मे अतिया (रज़ि.) की रिवायत से बयान की है फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) की हदीष में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया इन्हें ताक़ बार (विषम गिनती में) नहलाओ। और इसमें है कि तीन बार या पाँच बार या सात बार गुस्ल दो। दूसरे इस हदीष में यह है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि दाँए जानिब से शुरू करो और पहले वुज़ू के मुक़ामात धोओ। नीज़ इसमें यह भी है कि उम्मे अतिया (रज़ि.) ने कहा कि हमने कँघी करके उनके बालों की तीन मेंढियाँ बना दी थीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 11)**

---

546. हदीषे उम्मे अतिया (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब हमने नबी करीम (ﷺ) की बेटी को गुस्ल दिया तो आप (ﷺ) ने उस वक़्त जब हम उसे नहला रहे थे; फ़र्माया, गुस्ल की शुरूआत दाँए तरफ़ से करना और पहले वुज़ू के हिस्सों को धोना। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 11)**

बाब 13 : मय्यित के कफ़न का बयान

547. हदीषे ख़ब्बाब (रज़ि.) : हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) बिन अल अरत बयान करते हैं कि हमने रसूले करीम (ﷺ) के साथ हिजरत की तो हमारा मक़सद हुसूले–रिज़ा का था चुनाँचे हमारा अज्र अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब हो गया। हममें से कुछ लोग तो वो हैं जिनका इंतिक़ाल हो गया और उन्होंने अपने अज्र का कोई हिस्सा दुनिया में हासिल नहीं किया मषलन् मुसअब बिन उमैर (रज़ि.) और हममें से कुछ ऐसे हैं जिनके फल पक गए हैंऔर वो उन्हें चुन–चुनकर खा रहे हैं (हज़रत मुसअब रज़ि.)। मअरक–ए–उहुद में शहीद हो गए तो हमें उनको कफ़नाने के लिये एक चादर के सिवा और कुछ न मिल सका और वो भी इतनी तंग कि अगर हम उनका सर ढाँकते तो पाँव बाहर निकल आते और अगर पाँव ढाँपते तो सर खुल जाता था। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि सर ढक दिया जाए और पैरों पर इज़ख़र (ख़ुश्बूदार घास) डाल दी जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 28)**

---

548. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) को तीन सफ़ेद सूती कपड़ों का कफ़न दिया गया था जो यमन के इलाक़े सहूल के बने हुए थे और आप (ﷺ) के

कफ़न में न तो अमामा था न क़मीज़। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 19)**

बाब 14 : मय्यित को चादर ओढ़ा देने का बयान

549. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी अकरम (ﷺ) जब वफ़ात पा गए तो आप (ﷺ) को एक धारीदार यमनी चादर ओढ़ा दी गई थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 18)**

बाब 16 : जनाज़े में जल्दी करने का बयान

550. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जनाज़े को ले जाने में जल्दी करो इसलिये कि अगर वो नेक है तो उसे तुम भलाई और बेहतर अंजाम की तरफ़ ले जा रहे हो, और अगर यह बद है तो वो एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतारने जा रहे हो (इसलिये जितनी जल्दी उतार दो बेहतर है)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 52)**

बाब 17 : नमाज़े जनाज़ा पढ़ने और जनाज़े के साथ जाने का बयान

551. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जनाज़े में हाज़िर हुआ और उस वक़्त तक शरीक रहा यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा पढ़ी गई उसके लिये एक क़ीरात षवाब है और जो दफ़न करने तक शरीक रहा उसके लिये दो क़ीरात षवाब के हैं, पूछा गया कि दो क़ीरात से क्या मुराद है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दो बड़े पहाड़। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 59)**

---

552. हदीषे अबू हुरैरह व आइशा (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि जो शख़्स जनाज़े के साथ जाए उसे एक क़ीरात षवाब है। फिर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बहुत हदीषें बयान करते हैं और (जब उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा रज़ि. से इस हदीष के बारे में पूछा गया तो) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की तस्दीक़ की और फ़र्माया कि मैंने भी नबी करीम (ﷺ) को यह इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा, तब तो हमने बेशुमार क़ीरात ज़ाए (बर्बाद) कर दिये। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 58)**

नोट : इस हदीष का मफ़हूम यह है कि जो शख़्स किसी की मय्यित के साथ जाए लेकिन नमाज़े—जनाज़ा में शरीक न हो या फिर नमाज़े—जनाजा से फ़ारिग़ होकर चला जाए और क़ब्र में दफन करने तक न रूके, तो उसने बेशुमार क़ीरात षवाब के गंवा दिये। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का पहले ये मा'मूल था कि वे नमाज़े—जनाज़ा से फ़ारिग़ होकर चले जाते थे। बाद में जब आपको ये इल्म हुआ तो आपने फ़र्माया कि हमने बेशुमार क़ीरात (षवाब के) खो दिये।

बाब 20 : मरने वाले का ज़िक्र अगर अच्छाई या बुराई से किया जाए तो?

553. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने मरने वाले का ज़िक्र भलाई से किया और उसकी ता'रीफ़ की, यह सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, वाजिब हो गई। फिर एक और जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उसका ज़िक्र बुराई के साथ किया, आप (ﷺ) ने यह सुनकर

भी फ़र्माया, 'वाजिब हो गई।' इस पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने पूछा, क्या वाजिब हो गई? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह शख़्स जिसकी तुमने ता'रीफ़ की थी उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई, और यह दूसरा शख़्स जिसकी तुमने बुराई की थी उसके लिये आग वाजिब हो गई क्योंकि तुम लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 86)

बाब 21 : हदीष के अल्फ़ाज़ 'मुस्तरीहुन्' और मुस्तराहुम्मिन्हु का मफ़हूम

554. हदीषे अबू क़तादा रबई अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'राहत पा गया या लोग इससे नजात पा गए।' सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस बात के क्या मा'नी हुए? कि वो राहत पा गया या लोग उससे नजात पा गए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मो'मिन (मरने के बाद) दुनिया के मसाएब व आलाम से निजात पाता है और अल्लाह की रहमत के साये में पनाह लेता है और बदकार शख़्स के मरने से लोग—बाग, शहर व मुल्क, दरख़्त व जानवर सब नजात पाते हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 42)

बाब 22 : नमाज़े जनाज़ा की तक्बीरों का बयान

555. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने नज्जाशी (रज़ि.) के मरने की इत्तिला उसी दिन दे दी थी जिस दिन उनका इंतिक़ाल हुआ और नमाज़ पढ़ने की जगह तशरीफ़ ले गए और सहाबा किराम के साथ (नमाज़े जनाज़ा के लिये) सफ़ें बनाकर चार तक्बीरें कहीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 4)

---

556. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें नज्जाशी (रज़ि.) शाहे हब्शा के वफ़ात पा जाने की इत्तिला उसी दिन दे थी जिस दिन उनका इंतिक़ाल हुआ था और फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अपने भाई के लिये मग़्फ़िरत तलब करो (नमाज़े जनाज़ा पढ़ो)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 61)

---

557. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत अस्हमा नज्जाशी (रज़ि.) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और चार तक्बीरें कहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 65)**

---

558. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था, आज हब्श के एक नेक शख़्स का इंतिक़ाल हो गया है तो आओ उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ें। हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि हमने सफ़ें बाँधीं और नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। हम आप (ﷺ) के पीछे कई सफ़ें बनाए खड़े थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 55)

बाब 23 : क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान

559. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत सुलैमान शैबानी (रह.) बयान करते हैं कि मैंने शअबी (रह.) को कहते हुए सुना है कि मुझे एक शख़्स ने इत्तिला दी है कि जो नबी करीम (ﷺ) के साथ एक अलग–थलग बनी हुई क़ब्र पर गए थे और आप (ﷺ) ने इमामत कराई थी और सब लोगों ने आप (ﷺ) के पीछे सफ़ें बनाकर नमाज़ पढ़ी थी। शैबानी (रह.) कहते हैं कि मैंने शअबी (रह.) से पूछा, ऐ अबू अम्र! यह रिवायत आपसे किसने बयान की है? उन्होंने कहा, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 161)**

---

560. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक स्याह फ़ाम– मर्द था या औरत; मस्जिद की ख़िदमत किया करता था, उसका इंतिक़ाल हो गया और नबी करीम (ﷺ) को उसकी मौत का पता न चला। चुनाँचे एक दिन आप (ﷺ) ने उसे याद किया और फ़र्माया, वो शख़्स कहाँ गया? सहाबा किराम (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसका इंतिक़ाल हो गया। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तुमने मुझे क्यों ख़बर नहीं की? सहाबा किराम (रज़ि.) ने कहा उसकी मौत का वाक़िआ इतना बड़ा न था या'नी उसे कुछ ज़्यादा अहमियत न दी और उसके मर्तबे को हक़ीर जाना। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा मुझे उसकी क़ब्र बताओ। चुनाँचे आप (ﷺ) उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ ले गए और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 67)

बाब 24 : जनाज़े के एहतराम में खड़े होने का हुक्म

561. हदीषे आमिर बिन रबीअह (रज़ि.) : हज़रत आमिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ और खड़े रहो यहाँ तक कि वो आगे निकल जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 47)

---

562. हदीषे आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) : हज़रत आमिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स जनाज़ा देखे तो अगर वो उसके साथ न जा रहा हो तो उसे चाहिए कि वो खड़ा हो जाए और उस वक़्त तक खड़ा रहे यहाँ तक कि यह शख़्स जनाज़े के पीछे रह जाए या जनाज़ा उससे आगे बढ़ जाए या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (रावी को शक है) उससे आगे बढ़ने से पहले ज़मीन पर रख दिया जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 48)

---

563. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ और जो कोई शख़्स जनाज़े के साथ जा रहा हो वो उस वक़्त तक न बैठे जब तक कि जनाज़ा रख न दिया जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 49)**

---

564. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो जनाब रसूले करीम (ﷺ) उसके एहतराम में खड़े हो गए और हम सब भी आप (ﷺ) के साथ

खड़े हो गए। इसके बाद हमने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह एक यहूदी का जनाज़ा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ। **(स़हीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 50)**

---

565. हदीषे सहल बिन हनीफ़ व क़ैस बिन सअ़द (रज़ि.) : अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत सहल बिन हनीफ़ (रज़ि.) और हज़रत क़ैस बिन सअ़द (रज़ि.) दोनों क़ादसिया में बैठे हुए थे कि वहाँ के लोग एक जनाज़ा लेकर उनके पास से गुज़रे तो यह दोनों हज़रात खड़े हो गए। इनसे कहा गया कि यह जनाज़ा मुक़ामी शख़्स का या'नी ज़िम्मी (ईरानी मजूसी) का था तो दोनों हज़रात ने फ़र्माया कि एक बार नबी करीम (ﷺ) के पास से भी एक जनाज़ा गुज़रा था और आप (ﷺ) एहतराम के तौर पर खड़े हो गये थे। आप (ﷺ) से कहा गया कि यह जनाज़ा यहूदी का है, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या यहूदी में जान नहीं है?

(स़हीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 50)

बाब 27 : नमाज़े जनाज़ा में इमाम मय्यित से किस तरफ़ खड़ा हो

566. हदीषे समुरा बिन जुन्दुब (रज़ि.) : हज़रत समुरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के पीछे एक ऐसी औरत की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जो बाहालते निफ़ास (जचगी में) इंतिक़ाल कर गई थी और आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ाते वक़्त जनाज़े के बीच में (या'नी वस्त के बिल मुक़ाबिल) खड़े हुए थे।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 63)

किताबुज़्ज़कात

567. ह़दीषे अबू सईद (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच औक़िया चाँदी (दो सौ दिरहम या साढ़े बावन तौले चाँदी) से कम पर ज़कात नहीं है और न पाँच ऊँटों से कम पर ज़कात है और न पाँच वसक़ से कम (खजूर और ग़ल्ला) पर ज़कात है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 4)**

नोट : वसक़ तौल की एक यूनिट (इकाई) है। वज़न के लिहाज़ से एक वसक़ 60 साअ़ का होता है; एक साअ़ चार मुद का होता है; एक मुद दो रत्ल का और एक रत्ल आधा सेर आधा पाव का होता है और सेर 80 तौले का होता है। आज के दौर की मीट्रिक प्रणाली के हिसाब से एक तौले में 12.5 ग्राम होते हैं; इस लिहाज़ से एक सेर का वज़न होगा 80×12.5 ग्राम= 1000 ग्राम या'नी 1 किलो। एक रत्ल का मतलब होगा 500+125= 625 ग्राम। एक मुद का मतलब होगा, 625×2=1250 ग्राम या'नी 1.25 किलो। एक साअ़ का मतलब होगा, 4×1.25 किलो= 5 किलोग्राम। एक वसक़ का मतलब होगा, 60×5 किलोग्राम= 300 किलोग्राम या'नी 3 क्विण्टल। ऊपर बयान की गई हदीष़ के मुताबिक़ अगर किसी के पास 5 वसक़ या'नी 15 क्विण्टल (या 1500 किलोग्राम) अनाज हो, उस पर ज़कात लाज़िम है।

बाब 2 : ग़ुलाम और घोड़े पर ज़कात नहीं है

568. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान पर उसके घोड़ और ग़ुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 45)**

नोट : घोड़ा सवारी के काम आता है और ग़ुलाम ख़िदमत करने के; इन दोनों को ज़कात की गिनती से अलग रखा गया है। लेकिन अगर कोई शख़्स़ घोड़ों का व्यापार करता हो तो उन पर ज़कात लागू होगी सिवाय उन घोड़ों के जो उसके या उसके घरवालों की सवारी में काम आते हैं। इसी ज़िम्न (संदर्भ) में मकान व ज़मीन—जायदाद भी आते हैं। जो मकान रहने के काम आए, जो ज़मीन कारोबार या खेती के काम में इस्तेमाल हो, वो ज़कात से अलग है लेकिन जो मकान या ज़मीन तिजारत की निय्यत से ख़रीदे जाएं और वो ज़मीन रिहायशी मकान या खेती या फैक्टरी/दुकान के दर्जे में न हो या'नी ख़रीदने वाले का उसे बेचने का इरादा हो तो उसकी रक़म पर ज़कात अदा की जानी चाहिये क्योंकि वो माल के दर्जे में है।

बाब 3 : ज़कात अदा करने और ज़कात से इंकार करने का बयान

569. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़कात वसूल करने का हुक्म दिया तो आप (ﷺ) को इत्तिला मिली कि यह ह़ज़रात इब्ने जमील (रज़ि.), ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.), और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब ज़कात देने से इंकार करते हैं, इस पर नबी करीम

(ﷺ) ने फ़र्माया कि इब्ने जमील (रज़ि.) तो उस चीज़ का बदला ले रहा है कि पहले वो मुहताज था और अब उसे अल्लाह तआला और अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मालदार कर दिया है और हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) से ज़कात माँगकर तुम उस पर ज़ुल्म कर रहे हो, उन्होंने तो अपनी ज़िरह और हथियार तक अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दिए हैं। बाक़ी बचे हज़रत अब्बास (रज़ि.) बिन अब्दुल मुत्तलिब तो वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचा हैं और उनकी ज़कात बहरहाल वाजिब है बल्कि इसी क़दर मज़ीद उनको अता करना चाहिए। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 49)**

बाब 4 : सदक़-ए-फ़ित्र का बयान

570. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मुसलमान मर्द औरत पर ख़्वाह आज़ाद हो या ग़ुलाम, खजूर या जौ का एक साअ बतौर सदक़-ए-फ़ित्र अदा करना फ़र्ज़ है। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 71)**

---

571. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि सदक़-ए-फ़ित्र खजूर हो या जौ का एक साअ (या'नी 5 किलोग्राम) दिया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि लोगों ने (बाद में) गेहूँ के दो मुद (आधा साअ या'नी 2.5 किलोग्राम) को एक साअ जौ या खजूर के मसावी (बराबर) क़रार दे दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 74)**

---

572. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम सदक़-ए-फ़ित्र में एक साअ खाना (गंदुम/गेहूँ) या एक साअ खजूर या एक साअ जौ या एक साअ पनीर या एक साअ अँगूर दिया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 73)**

---

573. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में सदक़-ए-फ़ित्र में गंदुम, खजूर, जौ या अँगूर में से कोई एक चीज़ एक साअ दिया करते थे फिर जब हज़रत मुआविया (रज़ि.) की ख़िलाफ़त का ज़माना आया और शामी सुर्ख़ गेहूँ आ गया तो हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने कहा कि मेरा ख़याल है इस गेहूँ का एक मुद दीगर चीज़ों के दो मुद के बराबर है।
(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 75)

बाब 6 : ज़कात न देने का अज़ाब

574. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, घोड़े तीन तरह के हैं, एक अपने मालिक के लिये बाइषे अज्र (षवाब) है, एक अपने मालिक के लिये ऐब ढांपने वाला और एक अपने मालिक के लिये बाइषे गुनाह है। वो शख़्स जिसके लिये घोड़ा बाइषे षवाब है वो ऐसा शख़्स है जिसने घोड़े को अल्लाह की राह में जिहाद के लिये पाला और लम्बी रस्सी बाँधकर किसी चारागाह या बाग़ में छोड़ दिया तो उस रस्सी की लम्बाई में चारागाह या बाग़ का जितना हिस्सा आ जाएगा उतनी ही नेकियाँ उसके हिसाब में लिखी जाएँगी और अगर वो घोड़ा रस्सी तोड़कर एक या दो टीले फांद जाए तो उसकी लीद और उसके निशाने क़दम भी उसकी नेकियों में शुमार होंगे और अगर वो किसी नहर पर से गुज़रते हुए उसमें से पानी पी लेगा अगरचे

मालिक ने पानी पिलाने का इरादा न किया हो तब भी उसके हिसाब में नेकियाँ लिखी जाएँगी। जो शख़्स घोड़ा दिखावे और फ़ख़्र की ग़र्ज़ से बाँधे और अहले इस्लाम की दुश्मनी के लिये रखे वो घोड़ा उसके लिये बाइषे गुनाह है। और आप (ﷺ) से गधों के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस सिलसिले में मुझ पर कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ सिवाए इस आयत के जो अपने मा'नी के लिहाज़ से बेमिषाल है और इंतिहाई जामिइयत की हामिल है, '**फिर जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी वो उसे देख लेगा।**' (सूरह अल ज़िलज़ाल : 7-8) **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 48)**

बाब 8 : ज़कात ने देने वालों को सख़्ततरीन सज़ा दी जाएगी

575. हदीषे अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा जबकि आप (ﷺ) काबा के साए में बैठे हुए थे और फ़र्मा रहे थे, **क़सम है रब्बे काबा की! वही लोग सबसे ज़्यादा घाटे में हैं! क़सम है रब्बे काबा की! वही लोग सबसे ज़्यादा घाटे में हैं। मैंने कहा, मेरी क्या हालत है? क्या मुझमें कोई ऐसी बात नज़र आई है? फिर मैं आप (ﷺ) के पास बैठ गया और आप (ﷺ) यही कलिमात दोहराते रहे, चुनाँचे मैं ख़ामोश न रह सका और मैं शदीद रंज व ग़म में मुब्तला हो गया और मैंने फिर कहा, मेरे माँ—बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान! या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो कौन लोग हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो लोग जो ज़्यादा माल वाले हैं, सिवाए उनके जो इस तरह और उस तरह और उस तरह (या'नी आगे, पीछे और दाँए—बाँए हर तरफ़ मुस्तहिक़ लोगों पर) ख़र्च करते हैं।**

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 8)

---

576. हदीषे अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में ऐसे वक़्त पर पहुँचा जबकि आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे, क़सम है उस ज़ात की कि जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई इलाह नहीं! या जिस तरह भी आप (ﷺ) ने क़सम खाई, (क़सम खाकर आप ﷺ ने फ़र्माया) **जिस शख़्स के पास ऊँट, गाय या बकरियाँ हो और वो उनका हक़ (ज़कात) न अदा करे तो क़ियामत के दिन यह जानवर ज़्यादा से ज़्यादा अज़ीमुल जुष्षा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्बा या'नी तन्दुरुस्त हालत में लाए जाएँगे और उस शख़्स को अपने ख़ुरों से रौंदेंगे और कुचलेंगे और अपने सींगों से टक्करे मारेंगे जब इनमें से आख़िरी वाला जानवर गुज़र जाएगा तो पहला फिर आ जाएगा और यह अज़ाब उस शख़्स पर इसी तरह जारी रहेगा जब तक कि लोगों के तमाम मुआमलात के फ़ैसले न हो जाएं।** **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 43)**

नोट : अल्लाहु अक्बर! तसव्वुर (कल्पना) कीजिये वो अज़ाब कितना हौलनाक होगा क्योंकि हश्र का एक दिन 50 हज़ार साल के बराबर होगा। या'नी जिस शख़्स ने अपने जानवरों की ज़कात अदा न की होगी उसे एक लम्बी मुद्दत तक अपने जानवरों के खुरों तले रौंदे जाने का अज़ाब झेलना पड़ेगा।

बाब 9 : सदक़ा देने की तरग़ीब दिलाने का बयान

577. हदीषे अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ मदीना की कंकरीली ज़मीन पर शाम के वक़्त चला जा रहा था कि हमारे सामने उहुद की पहाड़ी आ-गई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू ज़र (रज़ि.)! मैं यह बात पसंद नहीं करता कि मेरे पास उहुद के बराबर सोना हो और मुझ पर एक

रात या तीन रातें ऐसी गुज़रें कि उनमें से एक दीनार भी मेरे पास बचे, सिवाय उस दीनार के जो मैं अदा–ए–क़र्ज़ के लिये रोक लूँ। इल्ला यह कि मैं उसको अल्लाह के बन्दों में इस तरह और उस तरह और उस तरह ख़र्च कर दूँ। यह फ़र्माते हुए आप (ﷺ) ने अपने हाथ का इशारा करके दिखाया। फिर फ़र्माया, ऐ अबू ज़र (राज़.)! मैंने कहा, लब्बैक व सादैक या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **ज़्यादा माल वाले लोग ही कम षवाब वाले हैं, सिवाय उस शख़्स के जिसने इस तरह या उस तरह (या'नी दाँए और बाँए हर तरफ़) ख़र्च किया।**

फिर आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, ऐ अबू ज़र (रज़ि.)! उसी जगह ठहरे रहो और मैं जब तक वापस न आऊँ कहीं न जाना। फिर आप (ﷺ) तशरीफ़ ले गए, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गए। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी और मुझे डर हुआ कि कहीं आप (ﷺ) को कोई हादषा पेश न आ गया हो, इसलिये मैंने आगे जाने का इरादा किया लेकिन मुझे फिर आप (ﷺ) की हिदायत याद आ गई कि यहाँ से कहीं न जाना। चुनाँचे मैं उसी जगह रुका रहा (फिर जब आप ﷺ वापस तशरीफ़ लाए तो) मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक आवाज़ सुनी थी और मुझे डर हुआ था कि कहीं आप (ﷺ) को कोई हादषा न पेश आ गया हो, फिर मुझे आप (ﷺ) का इर्शाद याद आ गया और मैं ठहरा रहा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह आवाज़ हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) की थी और वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे यह बात बताई है कि आपकी उम्मत में से जो शख़्स इस हाल में मरेगा कि उसने अल्लाह के साथ इबादत व इताअत में किसी दूसरे को ज़रा भी शरीक न किया होगा वो जन्नत में जाएगा। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ख़्वाह वो ज़िना या चोरी करे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! ख़्वाह ज़िना करे या चोरी का मुर्तकिब हुआ हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 3)**

---

578. हदीषे अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक रात (घर से) निकला तो देखा कि जनाबे नबी करीम (ﷺ) अकेले चले जा रहे हैं और आप (ﷺ) के साथ कोई शख़्स नहीं है। मुझे ख़याल हुआ कि शायद आप (ﷺ) (इस वक़्त) किसी को साथ ले जाना पसंद नहीं फ़र्माते। हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं कि इस ख़याल से मैं चाँदनी से बचकर चलने लगा (ताकि आप ﷺ मुझे न देख सकें) लेकिन आप (ﷺ) ने पलटकर देखा और मुझे देखकर पूछा, कौन है? मैंने कहा, अबू ज़र! अल्लाह मुझे आप पर क़ुर्बान करे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अबू ज़र (रज़ि.) आओ। हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं कि मैं आप (ﷺ) के साथ थोड़ी देर चलता रहा, फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **दरहक़ीक़त ज़्यादा माल वाले लोग ही क़ियामत के दिन कम दर्जे वाले और कम हैषियत वाले होंगे सिवाय उस शख़्स के जिसे अल्लाह ने माल अता फ़र्माया हो और वो उसे दाँए और बाँए, आगे और पीछे हर तरफ़ बिखेरे और उसे हर तरह के नेक काम में दे।**

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, इसके बाद मैं मज़ीद कुछ देर आप (ﷺ) के साथ चलता रहा। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यहाँ बैठ जाओ! हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं कि आप (ﷺ) ने मुझे एक साफ़ ज़मीन पर जिसके आसपास पत्थर बिखरे हुए थे बैठने का हुक्म दिया और फ़र्माया, मेरे वापस आने तक यहीं बैठे रहना। फिर जब आप (ﷺ) उस पथरीले इलाक़े में तशरीफ़ ले गए यहाँ तक कि आप (ﷺ) मेरी नज़रों से ओझल हो गए और वहाँ देर तक ठहरे रहे। उसके काफ़ी देर बाद मैंने आप (ﷺ) के तशरीफ़ लाने की आवाज़ सुनी और आप (ﷺ) फ़र्माते जाते थे, 'और अगरचे चोरी करे या ज़िना करे' अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं जब आप (ﷺ) (मेरे पास) तशरीफ़ ले आए तो मुझसे सब्र न हो सका और मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह मुझे आप (ﷺ) पर क़ुर्बान होने की सआदत नसीब फ़र्माए। यह पथरीली ज़मीन के उस तरफ़ आप (ﷺ) किससे बात कर रहे थे? मैंने नहीं सुना कि किसी ने आपको जवाब दिया हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) थे जो मुझे पथरीली ज़मीन के उस तरफ़ आकर मिले और उन्होंने कहा, अपनी उम्मत को बशारत दीजिए कि जो शख़्स इस हाल में मरेगा कि उसने किसी ग़ैरुल्लाह को

इबादत व इताअत में अल्लाह का शरीक न बनाया होगा वो जन्नत में जाएगा। मैंने कहा, ऐ जिब्रईल (अलैहिस्सलाम)! ख़्वाह उसने चोरी की हो या ज़िना किया हो तब भी? हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने फिर कहा कि ख़्वाह उसने चोरी की हो या ज़िना किया हो तो हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा, हाँ और अगरचे उसने शराब भी पी हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 13)**

बाब 10 : माल व दौलत को जमा करने और सैंत–सैंत कर रखने वालों का गुनाह और उनके लिये अज़ाब की शिद्दत

579. हदीषे अबू ज़र (रज़ि.) : हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं क़ुरैश के सरदारों में बैठा था कि एक शख़्स आया जिसके बाल और कपड़े मोटे और खुरदरे थे और हुलिया और शक्ल व सूरत भद्दी और परागंदा (मैली)। **उसने उन लोगों के पास खड़े होकर सलाम किया और कहा, माल जमा करने वालों को बशारत दे दो कि एक पत्थर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा फिर वो उनकी छाती पर रखा जाएगा जो उनके कँधे की हड्डी के पास से पार होकर दूसरी तरफ़ निकल जाएगा फिर वो उनके शाने की हड्डी पर रखा जाएगा तो छाती की नोक से बाहर निकल जाएगा और वो पत्थर उसी तरह मुसलसल हिलता हुआ आर–पार होता रहेगा। यह बात कहकर वो मुड़ा और एक सतून (खम्भे) के पास जाकर बैठ गया। मुझे बिलकुल मा'लूम न था कि वो कौन है। मैंने उससे कहा कि मेरा ख़याल है कि इन लोगों ने तुम्हारी बात को पसंद नहीं किया। वो कहने लगा यह लोग बेसमझ हैं, मुझसे मेरे ख़लील ने कहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे ख़लील कौन थे? कहने लगा, रसूलुल्लाह (ﷺ)!**

आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, ऐ अबू ज़र (रज़ि.)! क्या तुम इस उहुद पहाड़ को देख रहे हो? मैंने कहा, 'हाँ!' देख रहा हूँ। दरअसल आप (ﷺ) की बात सुनकर मुझे ख़याल हुआ था कि आप (ﷺ) मुझे किसी काम से भेजना चाहते हैं (लेकिन नहीं बल्कि) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मुझे यह बात पसंद नहीं कि मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो और मैं उसे सारे का सारा ख़र्च न कर दूँ सिवाय तीन अशरफ़ियों के।' (नबी अकरम ﷺ का यह इर्शाद सुनाने के बाद अबू ज़र (रज़ि.) ने कहा), यह लोग बेअक़्ल हैं सिर्फ़ दुनिया कमाते हैं। अल्लाह की क़सम! मैं इनसे न दुनिया की कोई चीज़ माँगूंगा न दीन के बारे में इनसे कोई बात पूछा करूँगा, यहाँ तक कि मैं अल्लाह से जा मिलूँ।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 4)

बाब 11 : ख़र्च करने की तरग़ीब और ख़र्च करने वाले के लिये बशारत कि जो वो ख़र्च करेगा उसे मिलेगा

580. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला फ़र्माता है, 'ख़र्च करो ताकि मैं भी तुम पर ख़र्च करूँ।' नीज़ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है और दिन–रात का बेतहाशा ख़र्च करना उसमें कुछ कमी नहीं करता। नीज़ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कभी तुमनें सोचा है कि अल्लाह तआला ने जब से आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं क्या कुछ ख़र्च किया होगा? और यह तमाम ख़र्च करने के बावजूद उस ज़ख़ीरे में जो उसके हाथ में है ज़रा भी कमी नहीं हुई और उसका अर्श पानी पर था और उसके हाथ में मीज़ान है, जिसे चाहता है पस्त करता है और जिसे चाहता है बुलन्द करता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरह हूद बाब 2)

बाब 13 : ख़र्च करने की तरतीब यह है, पहले अपनी ज़ात पर फिर अहल व अ़याल पर फिर क़राबतदार (क़रीबी रिश्तेदार) पर

581. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को इत्तिला मिली कि एक सहाबी ने अपने गुलाम को अपने बाद आज़ाद कर दिया है (या'नी वो उनके मरने के बाद आज़ाद हो जाएगा) जबकि उनके पास उसके सिवा कोई माल भी नहीं है। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने उस गुलाम को आठ सौ दिरहम में बेच दिया और उसकी क़ीमत उन साहब को भिजवा दी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 32)**

बाब 14 : सदक़ा रिश्तेदारों को देने और अपने अहलो अ़याल और वालदैन पर माल ख़र्च करने की फ़ज़ीलत, ख़्वाह वालदेन मुश्रिक ही क्यों न हो

582. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू तलहा मदीना के अन्सार में सबसे ज़्यादा मालदार शख़्स थे उनके खजूर के बाग़ात थे, और उनको अपना वो बाग़ जिसका नाम 'बीरेहा' था सबसे ज़्यादा मेहबूब था। यह बाग़ मस्जिदे नबवी के आगे की जानिब वाक़ेअ था और नबी करीम (ﷺ) उस बाग़ में तशरीफ़ ले जाते थे, उसका मीठा पानी पिया करते थे, हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब यह आयते करीमा नाज़िल हुई **'तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें (अल्लाह की राह में) ख़र्च न करो जिन्हें तुम अ़ज़ीज़ रखते हो।'** (आले इमरान : 92)

तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) उठे और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, और मेरा सबसे मेहबूब माल बीरेहा है लिहाज़ा वो (आज से) अल्लाह की राह में सदक़ा है और मैं उसके षवाब का आख़िरत में अल्लाह तआ़ला के पास उसके ज़ख़ीरे होने का उम्मीदवार हूँ। या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) अल्लाह तआ़ला के हुक्म के मुताबिक़ इसको मस्रफ़ (ख़र्च) में ले आएँ। रावी कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत ख़ूब! यह तो बहुत नफ़ाबख़्श माल है। यह तो वाक़ई नफ़ाबख़्श माल है। और जो कुछ तुमने कहा, मैंने सुन लिया, मेरा मश्विरा यह है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में बांट दो। हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आप (ﷺ) के हुक्म की ता'मील करूँगा। चुनाँचे अबू तलहा (रज़ि.) ने उसे अपने रिश्तेदारों और चचाज़ाद भाईयों में बांट दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)**

---

583. हदीषे मैमूना (रज़ि.) : हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने एक लौण्डी आज़ाद की तो रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम यह लौंडी अपने किसी मामूं को देकर उसके साथ सिलारहमी और हुस्ने सुलूक करती तो षवाब और अज्र और ज़्यादा होता। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 16)**

---

584. हदीषे जैनब ज़ोजा अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जैनब (रज़ि.) बयान करती हैं, मैं मस्जिद में थी कि मैंने देखा नबी करीम (ﷺ) औरतों को तलक़ीन फ़र्मा रहे हैं, **'सदक़ा दिया करो ख़्वाह अपने ज़ेवरात में से ही क्यों न हो।'** हज़रत जैनब (रज़ि.) अपने शौहर अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) पर और कुछ यतीमों पर जो उनकी ज़ेरे किफ़ालत थे ख़र्च किया करती थीं, चुनाँचे उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से कहा कि आप रसूले करीम (ﷺ) से पूछें कि यह जो मैं आप पर और इन यतीमों पर जो मेरे ज़ेरे परवरिश हैं, ख़र्च करती हूँ क्या मेरी तरफ़ से सदक़ा शुमार होगा? हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा कि तुम ख़ुद जाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछ लो। चुनाँचे मैं आप (ﷺ) की ख़िदमत

में जाने के लिये चली तो मुझे दरवाज़े पर एक अन्सारी ख़ातून मिलीं उनको भी यही मस्अला दरपेश था और आप (ﷺ) से पूछना चाहती थीं। उसी वक़्त हज़रत बिलाल (रज़ि.) हमारे पास से गुज़रे तो हमने उनसे कहा, नबी (ﷺ) से पूछकर के ह में बताओ कि वो ख़र्च जो मैं अपने शौहर और उन यतीम बच्चों पर करती हूँ जो मेरे पास पल रहे हैं मेरी तरफ़ से सदक़ा शुमार होगा? नीज़ हमने कहा कि आप (ﷺ) से हमारा ज़िक्र न करना। हज़रत बिलाल (रज़ि.) गए और उन्होंने आप (ﷺ) से यह मषला पूछा। आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, यह पूछने वाली औरतें कौन है? हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने कहा, ज़ैनब (रज़ि.)। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, कौनसी जैनब? हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने बताया, अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा! उसके लिये तो दो अज्र होंगे एक रिश्तेदार के साथ सिलारहमी का षवाब और दूसरा सदक़ा देने का अज्र। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 48)**

नोट : घर का ख़र्च चलाना मर्द की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई औरत मालदार हो और वो अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर या यतीमों पर माल ख़र्च करती है तो उसे सदका करने का षवाब तो मिलेगा ही साथ ही उसे सिलारहमी (रिश्तेदारों के साथ हुस्ने–सुलूक़) करने का भी षवाब मिलेगा। हदीष नं. 586 में इसका भी ज़िक्र आया है कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह तआला से षवाब की निय्यत रखते हुए अपने रिश्तेदारों पर माल ख़र्च करता है तो उसे सदक़ा करने का षवाब मिलता है।

---

585. हदीषे उम्मे सलमा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या जो कुछ मैं अबू सलाम (रज़ि.) के बेटों पर ख़र्च कर रही हूँ क्या मुझे उसका षवाब मिलेगा जबकि सूरतेहाल यह है कि मैं उनको छोड़ नहीं सकती कि वो इधर–उधर भटकते फिरें क्योंकि आख़िर वो मेरी औलाद हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हें इस ख़र्च का षवाब मिलेगा, जो तुम इन पर करोगी।

(सहीह बुख़ारी किताबुन् नफ़क़ाति बाब 14)

---

586. हदीषे अबू मस्ऊद अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान जब अपने घरवालों पर ख़र्च करता है और ख़र्च करते वक़्त षवाब की उम्मीद रखता है तो वो ख़र्च उसका सदक़ा बन जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुन् नफ़क़ाति बाब 1)**

---

587. हदीषे अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मेरी वालिदा आईं जबकि वो मुश्रिका थीं तो मैंने आप (ﷺ) से फ़त्वा पूछा। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी वालिदा (मेरे पास आईं हैं) और उन्होंने इस्लाम कुबूल नहीं किया है, क्या मैं उनकी माली मदद कर सकती हूँ और उनके साथ हुस्ने सुलूक कर सकती हूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ ज़रूर! वो तुम्हारी माँ हैं उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 29)**

नोट : इस्लाम ने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने–सुलूक करने का ताकीदी हुक्म दिया है, चाहे रिश्तेदार मुश्रिक व काफिर ही क्यों न हो। ऐसा इसलिये है कि अगर उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो उम्मीद है कि उनका दिल भी इस्लाम की तरफ़ माइल (आकर्षित) होगा। इसके विपरीत अगर कोई मुस्लिम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करेगा और उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा तो उनके मन में यह तअस्सुरात (भावनाएं) पैदा होंगी कि इस्लाम क़ुबूल करने के बाद ये लोग इन्सानियत को भी भुला बैठे हैं।

बाब 15 : मय्यित को उस सदक़े का ष़वाब पहुँचता है जो उसकी तरफ़ से किया जाए

588. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक शख़्स ने रसूले करीम (ﷺ) से पूछा कि मेरी वालिदा का अचानक इंतिक़ाल हो गया (और उन्हें वसिय्यत करने का मौक़ा नहीं मिला) और मेरा ख़याल है कि अगर उन्हें बात करने का मौक़ा मिलता तो वो सदक़ा देतीं। क्या अगर अब मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो उसका उनको ष़वाब पहुँचेगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 95)**

नोट : हर क़िस्म की नेकी के अज्र का दारोमदार ईमान के साथ है। अगर किसी शख़्स की ईमान की हालत में मौत हुई हो तो उसकी तरफ़ से किया गया सदक़ा, क़ुर्बानी, हज्ज या उमरह उसके लिये नफ़ाबख़्श होगा। अगर वो मुश्रिक या काफ़िर की मौत मरा है तो उसके लिये कोई नेकी आख़िरत में ष़वाब का बाइष़ नहीं बन सकती।

बाब 16 : हर नेक काम सदक़ा है

589. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मुसलमान पर सदक़ा वाजिब है। सहाबा किराम (रज़ि.) ने कहा, अगर किसी के पास कुछ न हो तो (वो कैसे सदक़ा दे?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने हाथ से मेहनत करके ख़ुद भी फ़ायदा उठाए और सदक़ा भी दे। सहाबा किराम (रज़ि.) ने कहा, अगर कोई शख़्स ऐसा करने की ताक़त भी न रखता हो या ऐसा भी न करे तो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दे। फिर कहा गया, अगर यह भी न करे तो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दूसरे को भलाई करने का या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नेकी करने का मश्विरा दे। फिर कहा गया, अगर यह भी न करे तो? दूसरों के साथ बुराई करने से और बुरे कामों से दूर रहे यह भी उस शख़्स की तरफ़ से सदक़ा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 33)**

नोट : इस्लाम हर मुस्लिम को आदर्श इन्सान बनाना चाहता है इसलिये नेकी से जुड़े हर काम करने को सदक़ा क़रार दिया है ताकि लोग उसकी तरफ़ माइल (आकर्षित) हों। अगली हदीष में यह भी बयान है कि रास्ते में पड़ी तकलीफ़देह चीज़ को हटाकर एक तरफ़ डाल देना भी सदक़ा है।

---

590. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान के जिस्म में जितने जोड़ हैं उनमें से हर एक पर हर दिन सदक़ा वाजिब है। **दो आदमियों के बीच इंसाफ़ से फ़ैसला कर देना भी एक सदक़ा है और किसी की मदद इस तरह करना कि उसे अपनी सवारी पर बैठाकर या उसका सामान लादकर मंज़िल तक पहुँचा दे यह भी सदक़ा है और कलिम–ए–ख़ैर या अच्छी बात कहना भी सदक़ा है और हर वो क़दम जो नमाज़ के लिये मस्जिद को जाते हुए उठता है वो भी सदक़ा है और रास्ते में से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना भी सदक़ा है। (सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 128)**

बाब 17 : सख़ी और बख़ील के बारे में

591. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सुबह के वक़्त दो फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं, उनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह! देने वाले को और दे। और दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह! बख़ील को तबाही दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 27)**

बाब 18 : सदक़ा दो इससे पहले कि सदक़ा लेने वाला कोई न मिले

592. हदीषे हारिषा बिन वहब (रज़ि.) : हज़रत हारिषा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, सदक़ा दो। इसलिये कि एक ऐसा वक़्त भी आने वाला है जब एक शख़्स सदक़ा देने के लिये निकलेगा और उसे लेने वाला कोई न मिलेगा, जिसको भी वो देना चाहेगा वो कहेगा कि अगर तुम कल लाते तो मैं इसे ले लेता आज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 9)**

---

593. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों पर ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा जब एक शख़्स सोना लेकर सदक़ा देने के लिये फिरेगा और उसे कोई ऐसा शख़्स नहीं मिलेगा जो सोना भी सदक़े में क़ुबूल करे और देखने में आएगा कि एक-एक मर्द के पीछे 40-40 औरतें फिरेंगी कि वो उन्हें अपनी पनाह में ले ले, दरअस़ल यह इस बिना (आधार) पर कि मर्द कम हो जाएँगे और औरतों की कषरत (अधिकता) होगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 9)**

---

594. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत उस वक़्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक कि तुम्हारे पास माल की इतनी कषरत न हो जाए कि वो बहने लगे और माल वालों को यह चीज़ परेशान करे कि कोई सदक़ा क़ुबूल करने वाला हो। नौबत यहा तक पहुँच जाएगी कि एक शख़्स दूसरे से सदक़ा क़ुबूल करने की पेशकश करेगा और वो कहेगा कि मुझे ज़रूरत नहीं।
(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 9)

बाब 19 : नेक कमाई का सदक़ा न सिर्फ़ क़ुबूल होता है बल्कि बढ़ता और फलता-फूलता है

595. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स अपनी पाक कमाई में से एक खजूर के बराबर भी सदक़ा देता है। और अल्लाह तक सिर्फ़ पाक चीज़ ही पहुँचती है तो अल्लाह उसे अपने दाँए हाथ से क़ुबूल फ़र्माता है फिर उसकी इस तरह बढ़ोतरी फ़र्माता है और उसे बढ़ाता है जिस तरह तुम अपने घोड़े के बच्चे को पालते और बढ़ाते हो यहाँ तक कि वो पहाड़ की तरह हो जाता है।
(सहीह बुख़ारी किताबुत् तौहीद बाब 23)

बाब 20 : सदक़ा देने की तरग़ीब; ख़्वाह एक खजूर का टुकड़ा हो या एक अच्छा कलिमा ही क्यों न हो, सदक़ा जहन्नम के आगे आड़ बन जाता है

596. हदीषे अदी बिन हातिम (रज़ि.) : हज़रत अदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि आग से बचो ख़्वाह उसका ज़रिया खजूर का एक टुकड़ा सदक़ा देना हो (कि यह भी जहन्नम की आग से बचने का बाइष बनेगा)। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 10)**

---

597. ह़दीषे अ़दी बिन ह़ातिम (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़दी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अ़न् क़रीब क़ियामत के दिन तुममें से हर शख़्स़ के साथ अल्लाह तआ़ला बराहे रास्त (सीधे तौर पर) बात करेगा और उस वक़्त ज़ाते बारी तआ़ला और बन्दे के बीच कोई तर्जुमान (मध्यस्थ) न होगा फिर बन्दा नज़र उठाकर देखेगा तो अपने सामने कुछ न पाएगा, फिर जब दूसरी बार देखेगा तो उसे अपने सामने आग ही आग दिखाई देगी जो उसका इस्तिक़बाल (स्वागत) कर रही होगी, चुनाँचे तुममें से जिसके इम्कान में हो ख़ुद को उस आग से बचाए और उससे बचने का ज़रिया सदक़ा है ख़्वाह वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो।

और ह़ज़रत अ़दी (रज़ि.) से ही रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आग से बचो। यह फ़र्माकर आप (ﷺ) ने मुँह फेर लिया और कराहत का इज़हार किया (जैसे आप ﷺ आग देख रहे हों) फिर फ़र्माया, आग से बचो। फिर कराहत का इज़हार करते हुए मुँह फेर लिया। आप (ﷺ) ने तीन बार ऐसा ही किया यहाँ तक कि हमें गुमान हुआ कि आप (ﷺ) आग को देख रहे हैं। फिर फ़र्माया, आग से बचो! सदक़ा दो! ख़्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो, और अगर किसी को यह भी मयस्सर न आए तो कलिम–ए–ख़ैर (नेकी वाली) और अच्छी बात कहे (यह भी सदक़ा है)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 49)**

बाब 21 : मज़दूरी करके उजरत बत़ौरे सदक़ा देने का बयान और क़लील सदक़ा देने वालों पर बातें बनाने और उनको ह़िक़ारत की नज़र से देखने की मुमानअ़त

598. ह़दीषे अबू मस्ऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मस्ऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हमें सदक़ा देने का हुक्म दिया गया तो हम बोझ ढोया करते थे या'नी हम्माली का काम करते थे (और उजरत या'नी मज़दूरी बत़ौर सदक़ा देते थे)। एक दिन ह़ज़रत अबू अ़क़ील (रज़ि.) आधी स़ाअ़ (खजूर जो उन्हें उजरत में मिली थी बत़ौर सदक़ा) लाए और एक शख़्स़ उनसे ज़्यादा लाया। इस पर मुनाफ़िक़ों ने कहा कि अल्लाह इस (अबू अ़क़ील रज़ि.) के सदक़े से बेनियाज़ है और इस दूसरे शख़्स़ ने जो कुछ किया है स़िर्फ़ नुमूद व नुमाइश (रिया, दिखावे) के लिये किया है, इस मौक़े पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई,

> **'जो बरेज़ा व रग़बत देने वाले अहले ईमान की माली क़ुर्बानियों पर बातें बनाते हैं और उन लोगों का मज़ाक़ उड़ाते हैं जिनके पास (राहे ख़ुदा में देने के लिये) इसके सिवा कुछ नहीं है जो वो अपने ऊपर मशक़्क़तें बर्दाश्त करके देते हैं, अल्लाह उन मज़ाक़ उड़ाने वालों का मज़ाक़ उड़ाता है और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है।'** (सूरह तौबा : 79)

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुत् तौबा बाब 11)

बाब 22 : दूध वाला जानवर किसी को दूध पीने के लिये बिला मुआवज़ा देने का ष़वाब

599. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ताज़ा बियाई हुई ऊँटनी स़ाफ़–सुथरी और इसी तरह स़ाफ़–सुथरी बकरी जो सुबह को भी एक बर्तन दूध दे और शाम को भी एक बर्तन भर दूध दे, बेहतरीन अ़त़िया है जो किसी को दिया जाए इस ग़र्ज़ से कि वो उसका दूध पिये।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 35)

बाब 23 : सख़ी (दानी) और बख़ील (कंजूस) की मिषाल

600. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने बख़ील और सदक़ा देने वाले की मिषाल ऐसे बयान की जैसे दो शख़्स हों जिन्होंने लोहे की दो ज़िरहें पहन रखी हों और उनके हाथ उनकी छाती और गले से बँधे हों फिर सदक़ा देने वाला जब सदक़ा देना चाहे तो उसकी ज़िरह खुलकर इतनी कुशादा (चौड़ी) हो जाए कि उसके पौरों को भी ढांप ले और उसके क़दमों के निशानों को भी मिटा दे और बख़ील जब सदक़ा देने का इरादा करे तो उसकी ज़िरह इतनी तंग हो जाए और उसका हर हल्क़ा अपनी जगह फंस जाए (कि न उसका हाथ बाहर निकल सके और न उसके दिल की तंगी दूर हो)।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को (यह मिषाल बयान करते वक़्त) अपनी ऊँगलियों को अपने गिरेबान में इस तरह डालते और कुशादा करते हुए देखा कि अगर तुम देखते तो साफ़ समझ जाते कि आप (ﷺ) कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुशादा नहीं हो रहा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 9)**

बाब 24 : सदक़ा चाहे ग़ैर मुस्तहिक़ के हाथ लग जाए देने वाले को अज्र ज़रूर मिलेगा

601. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, **एक शख़्स ने तय किया कि मैं आज सदक़ा दूँगा, फिर वो सदक़ा देने घर से निकला तो उसने (अंजाने में) सदक़ा एक चोर को दे दिया। सुबह के वक़्त लोगों में बातें होने लगी कि बीती रात एक चोर को सदक़ा दिया गया है। उस शख़्स ने सुनकर कहा, ऐ मेरे मअबूद! ता'रीफ़ सिर्फ़ तेरे लिये है, उसने फिर कहा कि मैं आज फिर सदक़ा दूँगा और जब वो सदक़ा देने निकला तो (अनजाने में) सदक़ा एक ज़ानिया औरत (वेश्या) के हाथ पर रख दिया। सुबह के वक़्त लोग फिर बातें बनाने लगे कि गुज़िश्ता रात किसी ने एक ज़ानिया को सदक़ा दिया है। यह बात उस शख़्स को मा'लूम हुई तो बोला, ऐ मेरे मअबूद! सब ता'रीफ़ सिर्फ़ तेरे लिये है, मेरा सदक़ा ज़ानिया के हाथ लग गया। उसने फिर कहा कि मैं आज ज़रूर सदक़ा दूँगा और जब देने निकला तो सदक़ा एक अमीर शख़्स के हाथ पर रख दिया। सुबह के वक़्त लोगों में फिर चर्चा हुआ कि एक अमीर आदमी को सदक़ा दिया गया है। जब उसे मा'लूम हुआ तो कहने लगा कि ऐ मेरे मअबूद! ता'रीफ़ सिर्फ़ तेरे ही लिये है। एक बार मेरा सदक़ा चोर को मिला फिर एक ज़ानी औरत को फिर एक मालदार शख़्स को, आख़िर यह माजरा क्या है? चुनाँचे उसे (ख़्वाब में) कोई शख़्स मिला और उसने बताया कि (तुम्हारा सदक़ा क़ुबूल हो गया है) जो सदक़ा चोर को मिला तो मुम्किन है वो चोर (कम अज़ कम उस दिन) चोरी से बाज़ रहा हो, इसी तरह ज़ानिया को जो सदक़ा मिला तो बहुत मुम्किन है वो उस दिन ज़िना से बाज़ रही हो और जो सदक़ा मालदार शख़्स को मिला तो हो सकता है उसे शर्म आए और वो भी अल्लाह के दिए हुए माल में से कुछ राहे ख़ुदा में ख़र्च कर दे।**

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 14)

बाब 25 : ख़ज़ाँची अगर दयानतदारी से उन तक पहुँचा दे जिनको देने का हुक्म दिया गया हो और औरत अगर शौहर के घर से सदक़ा दे (ख़्वाह शौहर की इजाज़त से या दस्तूरी इजाज़त के मातहत लेकिन नुक़्सान पहुँचाने के इरादे से नहीं) तो उन दोनों को ष़वाब मिलेगा

602. ह़दीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान दयानतदार ख़ज़ाँची जो अपने मालिक के अहकाम को नाफ़िज़ करे या बसा अवक़ात आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो उतना ही दे जिसका उसे हुक्म दिया गया हो, लेकिन दे पूरा और मुकम्मल (कोई कमी न करे या बान न लगाए) और ख़ुशदिली के साथ दे और उसी को दे जिसको देने का उसको हुक्म दिया गया हो, तो ऐसा ख़ज़ाँची ख़ुद भी एक सदक़ा देने वाला है (या'नी उसे भी सदक़ा देने का ष़वाब मिलेगा)। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 25)**

---

603. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आईश (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत जब अपने घर के खाने–पीने के सामान से सदक़ा देती है तो उसे भी अज्र मिलता है क्योंकि ख़र्च उसने किया है बशर्ते कि उसकी निय्यत नेक हो नुक़्सान पहुँचाने की न हो। और शौहर को भी ष़वाब मिलता है क्योंकि कमाई उसकी है। इसी तरह ख़जान्ची भी जब अपने मालिक के माल में से (उसकी इजाज़त से दयानतदाराना त़रीक़े पर) ख़र्च करता है तो उसे भी उसका अज्र मिलता है और यह सब एक–दूसरे के अज्र को ज़रा भी कम नहीं करते।
(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 17)

---

604. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हूरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिन दिनों शौहर घर में हो, बीवी को चाहिए कि उसकी इजाज़त के बग़ैर (नफ़्ली) रोज़ा न रखे।
(स़हीह़ बुख़ारी किताबुन् निकाह बाब 17)

---

605. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब औरत अपने शौहर की कमाई में से उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी औलाद, उसके रिश्तेदारों और मेहमानों पर ख़र्च करती है तो आधा ष़वाब शौहर को मिलता है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुन् नफ़क़ात बाब 5)**

बाब 27 : जो शख़्स़ सदक़ा भी दे और दूसरे नेक काम भी करे

606. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स़ अल्लाह की राह में देते वक़्त कोई चीज़ दो (या'नी जोड़ी) में देता है उसे जन्नत के दरवाज़े से पुकारा जाएगा कि ऐ अल्लाह के बन्दे! यहाँ आओ यह दरवाज़ा अच्छा है। जो नमाज़ियों में से होगा उसे बाबुस्सलात से पुकारा जाएगा जो अहले जिहाद में से होगा उसे बाबुल् जिहाद से पुकारा जाएगा और जो रोज़ा रखने वालों में से होगा उसे बाबुर्रय्यान (रोज़ेदारों के लिये ख़ास़ दरवाज़ा) से पुकारा जाएगा। और जो अहले सदक़े में से होगा उसे सदक़े के दरवाज़े से पुकारा जाएगा। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ–बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान। क्या कोई ऐसा शख़्स़ भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? और ऐसे शख़्स़ के लिये जो इन

तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? कौनसे अअमाल करना ज़रूरी है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, हाँ! ऐसे लोग भी होंगे और मुझे उम्मीद (आशा) है कि तुम उन्हीं लोगों में से होओगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 4)**

---

607. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने अल्लाह की राह में (एक की बजाए) दो चीज़ें दीं उसे जन्नत के दरबान आवाज़ देंगे, जन्नत के हर दरवाज़े का दरबान कहेगा, ऐ शख़्स! इधर आओ। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर ऐसे शख़्स को तो कोई परवाह और फ़िक्र न होगी (जिस दरवाज़े से चाहेगा जन्नत में चला जाएगा) रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं उम्मीद (आशा) करता हूँ कि तुम भी उन लोगों में से होओगे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 37)

बाब 28 : ख़र्च करने की तरग़ीब और जमा करके रखने की कराहत

608. हदीषे अस्मा (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़र्च कर और गिन-गिनकर न रख, क्योंकि अगर तू गिन-गिनकर रखेगी तो अल्लाह भी तुझे गिन-गिनकर देगा और सेंत-सेंतकर न रख अगर तू सेंत-सेंतकर रखेगी तो अल्लाह भी तुझसे बचाकर रखेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 15)

बाब 29 : सदक़ा देने का षवाब है ख़्वाह थोड़ा हो, थोड़ी चीज़ को हक़ीर जानकर उसके देने और लेने से बाज़ न रहना चाहिये

609. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ मुसलमान औरतों! तुम पर लाज़िम है कि कोई पड़ौसन अपनी पड़ौसन को हिकारत से न देखे, अगरचे वो बकरी का खुर ही भेजे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 1)**

नोट : यहाँ इस हदीष में बकरी के खुर का ज़िक्र बतौरे मिषाल पेश किया गया है। इस हदीष में यह हिदायत दी गई है कि अगर कोई शख़्स किसी दूसरे शख़्स को कोई चीज़ दे तो उस पर लाज़िम है कि वो उसकी क़ीमत न देखे बल्कि देने वाले के जज़्बात (भावनाओं) की क़द्र करे। तोहफ़ा चाहे मामूली क़ीमत का ही क्यों न हो उसे ख़ुशदिली के साथ क़ुबूल किया जाना चाहिये।

बाब 30 : सदक़ा छुपाकर देने की फ़ज़ीलत

610. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सात शख़्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह तआला उस दिन अपने साये में पनाह देगा; जिस दिन अल्लाह के साये के सिवा और कोई साया न होगा,

(1) अद्ल व इंसाफ़ करने वाला हाकिम

(2) वो जवान जिसकी नशोनुमा अल्लाह तआला की इबादत के साथ-साथ हो (जवानी और शऊर की शुरूआत से ही इबादत में मशग़ूल हो गया हो और पूरी ज़िंदगी इसी अंदाज़ से गुज़ार दे)

(3) वो शख़्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे (या'नी नमाज़ पढ़कर निकले तो अगली नमाज़ का ख़याल लगा रहे और कारोबार और मस्जिद से बाहर की दुनिया के मुक़ाबले में उसे मस्जिद में जाने का शौक़ ज़्यादा हो)

(4) वो दो शख़्स जो सिर्फ़ एक–दूसरे से अल्लाह के लिये मुहब्बत करें, अल्लाह के लिये ही आपस में मिलें और अल्लाह के लिये ही जुदा हों।

(5) वो शख़्स जिसे कोई बुलन्द मर्तबे वाली हसीन औरत गुनाह की दा'वत दे और वो उसकी दा'वत यह कहकर रद्द कर दे कि 'मैं अल्लाह से डरता हूँ।'

(6) वो शख़्स जो सदक़ा ऐसे छुपे हुए तरीक़े से दे कि दायाँ हाथ जो ख़र्च करे उसकी ख़बर बाँए हाथ को भी न हो।

(7) वो शख़्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आँखों से आंसू बह निकलें।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 36)

बाब 31 : बेहरीतन सदक़ा वो है जो तन्दरुस्ती की हालत में और ऐसे वक़्त दिया जाए जब माल की हिर्स (लालच) ग़ालिब हो

611. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! किस सदक़े का अज्र व षवाब सबसे ज़्यादा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उस सदक़े का जो तू तंदरुस्ती की हालत में और ज़िंदगी के ऐसे दौर में दे जब तुझ पर माल की हिर्स ग़ालिब हो, तुझे मुहताजी का ख़ौफ़ भी लाहिक़ हो और तू अमीरी की ख़्वाहिश भी रखता हो। गोया सदक़ा देने में आख़िरी वक़्त का इंतज़ार न करे जबकि जान हलक़ में आ अटके तो उस वक़्त तू कहे कि फ़लाँ को इतना दे दो और फ़लाँ को उतना, हालाँकि अब तो वो अज़ख़ुद फ़लाँ और फ़लाँ का हो चुका।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 11)

बाब 32 : देने वाला हाथ ऊपर रहता है और अफ़ज़ल है लेने वाले हाथ से; जो हमेशा नीचे होता है

612. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने मिम्बर पर ख़ुत्बे के वक़्त सदक़ा देने और सवाल करने और न करने का ज़िक्र करते हुए फ़र्माया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से कहीं बेहतर है, ऊपर वाला देने और ख़र्च करने वाला हाथ है और नीचे वाला दस्ते सवाल है।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 18)

---

613. हदीषे हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) : हज़रत हकीम (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और पहले उसको दो जिसकी किफ़ालत तुम्हारे ज़िम्मे है और बेहतरीन सदक़ा वो है जिसके देने के बाद भी देने वाला ग़नी रहे और जो शख़्स माँगने से परहेज़ करता है अल्लाह तआला उसको इफ़ाफ़ अता फ़र्माता है और जो बेनियाज़ी इख़्तियार करता है अल्लाह तआला उसे ग़नी कर देता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 18)

---

614. हदीषे हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) : हज़रत हकीम (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से (माल) माँगा तो आप (ﷺ) ने मुझे अता फ़र्माया। मैंने फिर माँगा, आप (ﷺ) ने मुझे फिर अता फ़र्माया। मैंने मज़ीद तलब किया आप (ﷺ) ने मुझे और दे दिया। फिर इर्शाद फ़र्माया, ऐ हकीम (रज़ि.)! यह माले दुनिया यक़ीनन (देखने में ख़ुशमंज़र) सरसब्ज़ और (स्वाद में) मीठा है लेकिन जो शख़्स उसे बेनियाज़ी और देने वाले की सख़ावत से लेता है उसके लिये इसमें बरकत होती है और जो इसे हिर्स व लालच से और माँगकर लेता है उसके लिये इसमें बरकत नहीं होती (हमेशा थोड़ा रहता है) जैसे कोई शख़्स खाना खाता है लेकिन वो सैर (भरपेट) नहीं होता (और याद रखो) देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज़्यादा अफ़ज़ल और बेहतर है।

हज़रत हकीम (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम है उस ज़ात की जिसने आप (ﷺ) को हक़ व सदाक़त देकर भेजा है! मैं आप (ﷺ) के बाद कभी किसी के आगे किसी चीज़ के लिये हाथ फैलाने की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगा यहाँ तक कि मैं दुनिया छोड़ जाऊँ।

चुनाँचे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) अपने दौरे ख़िलाफ़त में हज़रत हकीम (रज़ि.) को बुलाते रहे कि कुछ ले लें लेकिन आप इंकार ही करते रहे। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) हज़रत हकीम (रज़ि.) को बुलाते रहे कि उनको कुछ दें लेकिन वो उनसे भी क़ुबूल करने से इंकार करते रहे। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने लोगों से मुख़ातब होकर फ़र्माया, ऐ मुसलमानों! तुमको हज़रत हकीम (रज़ि.) के सिलसिले में गवाह बनाता हूँ कि मैं माले ग़नीमत में से उनको उनका हक़ पेश करता हूँ कि क़ुबूल कर लें लेकिन वो लेने से मुसलसल इंकार किए जाते हैं। चुनाँचे हज़रत हकीम (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के बाद कभी किसी से कुछ लेना गवारा नहीं किया यहाँ तक कि आप (रज़ि.) का इंतिक़ाल हो गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 50)**

बाब 33 : माँगने के लिये हाथ फैलाने की मुमानअत

615. हदीषे मुआविया (रज़ि.) : हज़रत मुआविया (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, **अल्लाह जिसकी भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता फ़र्मा देता है और मैं तो सिर्फ़ बांटने वाला हूँ, देता तो अल्लाह है (और याद रखो) यह उम्मते (मुस्लिमा) दीने हक़ पर ज़रूर क़ायम रहेगी (और जब तक यह दीने हक़ पर क़ियाम रहेगी) इन्हें इनके मुख़ालिफ़ीन कोई नुक़्सान न पहुँचा सकेंगे यहाँ तक कि क़ियामत आ जाएगी। (सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 13)**

यह रिवायत बुख़ारी शरीफ़ में इतनी ही है लेकिन सहीह मुस्लिम में यह अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं, मैं तो सिर्फ़ ख़ज़ाँची हूँ, तो जिसे मैं (बग़ैर माँगे) अपनी ख़ुशी और रिज़ा से दूँ, उसके लिये बरकत होती है और जिसको माँगने और इसरार करने के बाद दूँ उसका हाल उस शख़्स जैसा है जो खाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता।

बाब 34 : मिस्कीन वो है जिसे न तो बा–फ़राग़त मआश (लगातार रोज़गार) मयस्सर हो और न लोग ग़रीब समझकर सदक़ा दें

616. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मिस्कीन वो शख़्स नहीं है जो दर–दर फिरकर माँगता है और एक–दो लुक्मे या एक–दो खजूरें लेकर लौट जाता है बल्कि हक़ीक़तन मिस्कीन वो शख़्स है जिसे न तो ऐसी बा–फ़राग़त मआश मयस्सर हो जो उसे बेनियाज़ कर दे और न इतना तंगहाल हो कि लोग ख़ुद–ब–ख़ुद उसकी ग़रीबी का अंदाज़ा कर लें और उसे सदक़ा दे दें और न वो

लोगों के आगे दस्ते सवाल दराज़ कर सके। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब)**

नोट : हदीष के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर है कि जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिये सवाल कर ले या'नी माँग ले वो फ़क़ीर है। मिस्कीन वो शख़्स है जो किसी काम—धंधे के ज़रिये अपना गुज़ारा चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम हो कि गुजर—बसर न हो सके। वो शख़्स अपनी ग़ैरत और हया के चलते किसी से सवाल भी नहीं करता ताकि लोग उसे सदक़ा या ख़ैरात दे दें। ऐसे ही शख़्स को मिस्कीन कहा गया है और मिस्कीन को खाना खिलाने और उसकी ज़रूरत पूरी करने की तरफ़ इस्लाम ने मालदार लोगों को उभारा है।

बाब 35 : लोगों से सवाल करना किस क़दर नापसंदीदा है

617. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स लोगों से हमेशा माँगता रहता है (ताकि माल बढ़े) वो क़ियामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की एक बोटी भी न होगी (न सिर्फ़ बेआबरू होगा बल्कि चेहरे पर गोश्त भी न होगा)।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 52)

---

618. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इन्सान का जंगल से लकड़ियों का गट्ठर उठाकर लाना उससे कहीं बेहतर है कि वो किसी के आगे अपना हाथ फैलाए जो उसे कुछ दे या इन्कार कर दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 15)**

बाब 37 : लालच के बग़ैर और बिना माँगे दिया जाए तो ले लेना चाहिए

619. हदीषे उमर (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब मुझे कुछ देते तो मैं कहता कि यह उसे दीजिए जो मुझसे ज़्यादा इसका ज़रूरतमंद और मुहताज हो। इसी सिलसिले में (एक बार) आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जब कोई तुमको कोई माल बग़ैर लालच किये और बिना माँगे मिले तो उसे ले लिया करो और जो इस तरह न आए उसके पीछे मत पड़ा करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 51)**

बाब 38 : हिर्से—दुनिया की मज़म्मत (भौतिक लालच की निन्दा)

620. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, दो बातें ऐसी हैं जिनके लिये बूढ़े का दिल भी जवान रहता है, (1) माले दुनिया की मुहब्बत और (2) लम्बी आरज़ू का तानाबाना। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 5)**

---

621. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान बूढ़ा होता जाता है और उसके साथ—साथ दो बातें बढ़ती और पलती जाती हैं। (1) माल की मुहब्बत और (2) लम्बी उम्र की ख़्वाहिश। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 5)**

बाब 39 : इब्ने आदम को अगर (सोने की) दो वादियाँ भी मिल जाएँ तो (तीसरी का लालच करेगा

622. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस आदम के बेटे को अगर सोने से भरा हुआ जंगल भी मिल जाए तो यह चाहत करेगा कि काश दो हों। उसका मुँह तो सिर्फ़ (क़ब्र की) मिट्टी ही भर सकती है (यह इब्ने आदम की आम कैफ़ियत है) लेकिन जो इससे बाज़ आ जाए अल्लाह तआला उसकी तौबा क़ुबूल फ़र्मा लेता है (और उसे क़िनाअत या'नी सब्र का ख़ज़ाना दे देता है)।

(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब)

---

623. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, इब्ने आदम को अगर दौलत का एक भरा हुआ जंगल भी मिल जाए तो यह चाहेगा कि उसे ऐसा ही एक और मिल जाए और आदमी की चश्मे-हिर्स (लालच भरी आँखें) सिर्फ़ (क़ब्र की) मिट्टी से ही भरती है और जो इससे बाज़ आना चाहे (तौबा कर ले) तो अल्लाह उसकी तौबा क़ुबूल फ़र्मा लेता है (उसे ख़ज़ान-ए-क़िनाअत दे देता है)। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 10)**

बाब 40 : दौलतमंद वो नहीं जिसे साज़ो-सामान ज़्यादा मयस्सर हो

624. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अमीरी साज़ो-सामान की कषरत (अधिकता) से नहीं होती बल्कि हक़ीक़ी अमीरी और दौलतमंदी दिल की बेनियाज़ी है। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 15)**

बाब 41 : माल व मताअे-दुनिया का हुस्न व जमाल पुरफ़रेब है

625. हदीषे अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा डर ज़मीन की बरकतों से है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़मीन की बरकतों से क्या मुराद है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत। इस पर एक शख़्स ने कहा, क्या ख़ैर से शर पैदा हो सकता है? यह सुनकर आप (ﷺ) ख़ामोश हो गए और इतनी देर ख़ामोश रहे कि हमें गुमान हुआ कि आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हो रही है। फिर आप (ﷺ) ने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और फ़र्माया, वो शख़्स कहाँ है जिसने सवाल किया था? उसने कहा, मैंने पूछा था। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि (पहले जब उसने सवाल किया था तो नबी करीम ﷺ की ख़ामोशी देखकर सबने उसके सवाल को गुस्ताख़ी पर महमूल किया था और दिल में उसे मलामत की थी लेकिन) अब जो वो सामने आया तो सबने उसकी ता'रीफ़ की (कि उसका सवाल करना उचित था)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (असल उसूल यही है कि) ख़ैर का नतीजा ख़ैर ही होता है, लेकिन यह माले दुनिया जो देखने में हरा-भरा और स्वाद में मीठा है, बिलकुल सब्ज़-ए-नौबहार (ताज़ी हरियाली) की तरह है उसे जानवर अगर ज़्यादा खाए तो अफ़ारा हो जाता है और फिर वो या तो हलाक़ हो जाता है या मरने के क़रीब पहुँच जाता है। मगर वो जानवर जो हरी घास खाए और जब ख़ूब सैर हो जाए तो धूप में बैठकर जुगाली करे और लीद और पेशाब करे (जब पेट खाली हो जाए तो) फिर लौटकर आए और खाए (महफ़ूज़ रहता

है)। दरअस़ल यह माले दुनिया भी ख़ुशनुमा और अच्छा स्वाद है, लिहाज़ा इसे जिसने हक़ के मुताबिक़ ख़र्च किया तो यह ख़ुशगवार है और जिसने अपने हक़ से ज़्यादा लिया उसकी मिषाल उस शख़्स़ की–सी है जो खाता जाता है लेकिन सैर नहीं होता। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 7)**

---

626. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा हुए और हम सब आप (ﷺ) के आस–पास बैठ गये। फिर आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मुझे अपने बाद तुम्हारे बारे में जिस चीज़ का डर है वो दुनिया की सरसब्ज़ और ज़ेब व ज़ीनत है जिसके दरवाज़े तुम पर खोल दिए जाएँगे। एक शख़्स़ ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या यह हो सकता है कि ख़ैर के नतीजे में शर पैदा हो? यह बात सुनकर आप (ﷺ) ख़ामोश हो मए, तो उस शख़्स़ से कहा गया, तुमने ऐसी बात क्या कही कि रसूले अकरम (ﷺ) ने तुमको जवाब नहीं दिया? फिर हमने ख़याल किया कि आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हो रही है, फिर आप (ﷺ) ने पसीना पोंछा और पूछा, वो शख़्स़ कहाँ है जिसने सवाल किया था? गोया आप (ﷺ) ने उसके सवाल को ब–नज़रे इस्तिहसान देखा। फिर फ़र्माया, यह हक़ीक़त है कि ख़ैर के बदले में शर पैदा नहीं होता। लेकिन मौसमे बहार में जो कुछ उगता है वो (जानवर को) या हलाक कर देता है या हलाकत के क़रीब पहुँचा देता है सिवाय उस सब्ज़ी ख़ोर के जो खाकर सेर हो जाए तो धूप में बैठ जाए (जुगाली करे) और बोल व बराज़ (लीद व पैशाब) से फ़ारिग़ होकर फिर ख़ूब चरे। इसी तरह माल व दौलते–दुनिया भी सरसब्ज़ व शादाब और ख़ुश–स्वाद है और यह (माल व दौलत) उस मुसलमान का तो बहुत अच्छा दोस्त है जो इसमें से मिस्कीन, [illegible]ीम और मुसाफ़िर को दे। या जो अल्फ़ाज़ आप (ﷺ) ने फ़र्माए। आख़िर में फ़र्माया, जो शख़्स़ इस माल व दौलते दुनिया को हक़ के बग़ैर लेता है उसकी मिषाल उस शख़्स़ की–सी है जो खाता है लेकिन सैर नहीं होता और क़ियामत के दिन ख़ुद माल उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 47)**

बाब 42 : सवाल न करने और मआश की तंगी पर स़ब्र करने की फ़ज़ीलत

627. हदीषे अबू सईद (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि अन्स़ार में से चंद लोगों ने नबी करीम (ﷺ) से कुछ माँगना चाहा, आप (ﷺ) ने उन्हें दे दिया। उन्हों[illegible] फिर माँगा, आप (ﷺ) ने फिर दे दिया यहाँ तक कि जो कुछ आप (ﷺ) के पास मौजूद था सब ख़त्म हो गया। फिर आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मेरे पास जो माल होता है मैं उसको देने में कंजूसी नहीं करता और तुमसे बचाकर नहीं रखता। लेकिन जो शख़्स़ सवाल करने से बाज़ रहता है अल्लाह तआला उसे इफ़्फ़त अ़ता फ़र्माता है और जो बेनियाज़ी इख़्तियार करता है अल्लाह तआला उसे ग़नी कर देता है और जो स़ब्र को अपना शैवा (आदत) बना लेता है अल्लाह तआला उसके लिये स़ब्र आसान कर देता है और किसी को कोई अ़ता–ए–इलाही स़ब्र से ज़्यादा बेहतर और वुसअत वाली नहीं मिली।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 5)

बाब 43 : क़िनाअत करने और ज़रूरत पड़ने पर माँगने का बयान

628. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई, ऐ हमारे रब! आले मुहम्मद (ﷺ) को हस्बे ज़रूरत और बक़द्रे किफ़ाफ़ रिज़्क़ अ़ता फ़र्मा।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 17)

बाब 44 : ऐसे शख़्स को देने का बयान जिसने बेहूदगी और सख़्ती से सवाल किया

629. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ चला जा रहा था। आप (ﷺ) ने नजरानी चादर ओढ़ रखी थी जिसके किनारे मोटे थे। सरे राह एक देहाती मिला और उसने आप (ﷺ) को (चादर से पकड़कर) बड़े ज़ोर से अपनी तरफ़ ख़ींचा और मैंने देखा कि ज़ोर से ख़ींचने की वजह से आप (ﷺ) के कँधे में चादर का किनारा गढ़ गया और उस पर निशान पड़ गया। इस बेहूदा हरकत के बाद उस देहातीने कहा, आप (ﷺ) के पास जो अल्लाह का माल मौजूद है उसमें से कुछ मुझे देने का हुक्म दीजिए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने पलटकर उसकी तरफ़ देखा और आप (ﷺ) को हँसी आ गई, फिर आप (ﷺ) ने उसे कुछ देने का हुक्म दिया।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 19)

नोट : इस हदीष से दो बातें पता चलती है; पहली ये कि आप (ﷺ) का अख़लाक़ कितना आला व बुलन्द था कि बदतमीज़ी से पेश आने वाले की हरकत पर नाराज़गी का इज़हार नहीं किया और उसके सवाल करने पर उसे माल अदा करने का हुक्म दिया। दूसरी बात यह है कि सवाल करने वाले ने यह कहा कि जो माल तुम्हारे पास मौजूद है वो अल्लाह का है और अल्लाह का बन्दा होने के नाते मुझे भी उसमें से कुछ दिया जाए। लिहाज़ा हमें भी यह चाहिये कि अगर कोई ज़रूरतमंद इन्सान हमसे कुछ माँगे और हमारी हैषियत देने वाले की हो तो उसे कुछ न कुछ देना चाहिये, भले ही वो हमारे साथ बदतमीज़ी या बुरे अख़लाक़ से पेश आए।

---

630. हदीषे मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) : हज़रत मैसरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने क़बाएं बांटीं और हज़रत मख़रमा (रज़ि.) को कोई क़बा न मिली तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटे! मेरे साथ नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में चलो। लिहाज़ा में उनके साथ गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा, तुम अंदर जाकर आप (ﷺ) को बुला लाओ। मैसरा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने जाकर आप (ﷺ) को इत्तिला दी कि मख़रमा (रज़ि.) आपको बुला रहे हैं। चुनाँचे आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए उस वक़्त आप (ﷺ) ने उन क़बाओं में से एक क़बा पहन रखी थी और फ़र्माया, यह हमने तुम्हारे लिये छुपा रखी थी। मैसरा (रज़ि.) बयान करते हैं (क़बा अता फ़र्माने के बाद) आप (ﷺ) ने मख़रमा (रज़ि.) को देखा और फ़र्माया, मख़रमा! (अब तो) ख़ुश हो गए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 19)

बाब 45 : ज़ईफ़ुल ईमान लोगों को देने का बयान

631. हदीषे सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं हाज़िरे ख़िदमत था कि नबी करीम (ﷺ) ने कुछ लोगों को (माल) दिया और एक ऐसे शख़्स को न दिया जो मेरे नज़दीक उनमें सबसे ज़्यादा पसंदीद शख़्स था। लिहाज़ा मैं उठकर आप (ﷺ) के पास गया और चुपके-चुपके कहा, फ़लाँ शख़्स के सिलसिले में आप (ﷺ) ने यह रवैया क्यूँ इख़्तियार किया? अल्लाह की क़सम! मेरे ख़याल में वो शख़्स मो'मिन है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मो'मिन है या मुसलमान? हज़रत सअद (रज़ि.) कहते हैं कि आप (ﷺ) के इस इर्शाद के बाद कुछ देर मैं ख़ामोश रहा, फिर उस शख़्स के बारे में जो कुछ मैं जानता था, उन बातों ने मुझे मजबूर किया और मैंने दोबारा आप (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने फ़लाँ शख़्स को क्यों नहीं दिया? अल्लाह की क़सम! मेरे ख़याल में वो मो'मिन है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मो'मिन है या मुसलमान? हज़रत सअद (रज़ि.) कहते हैं कि यह सुनकर मैं फिर थोड़ी देर ख़ामोश रहा, फिर मुझ पर उन सब बातों ने ग़लबा पा लिया जो मैं उसके बारे में जानता था और मैंने फिर कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़लाँ शख़्स को क्यों नहीं दिया जबकि अल्लाह

की क़सम! मेरे ख़याल में वो मो'मिन है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, या मुसलमान? फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं कई बार एक शख़्स को देता हूँ जबकि दूसरा (जिसे नहीं देता) मुझे उससे कहीं ज़्यादा पसंद होता है और मैं इस डर से करता हूँ (कि अगर उसको न दिया गया तो यह कहीं इस्लाम से न फिर जाए या कोई उल्टी–सीधी बात मुँह से निकाल दे और नतीजतन) औंधे मुँह जहन्नम में जा गिरे। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 53)**

बाब 46 : जिनकी दिलजोई ज़रूरी हो उनको देना और क़विय्युल ईमान लोगों से हाथ रोक लेना

632. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब अल्लाह तआला ने हवाज़िन के मालो दौलत में से बेशुमार माले ग़नीमत बग़ैर लड़े–भिड़े रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिलवा दिया और आप (ﷺ) क़ुरैश के कुछ लोगों को सौ–सौ ऊँट देने लगे तो अन्सार में से कुछ लोगों ने कहा, 'अल्लाह तआला रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुआफ़ करे आप (ﷺ) क़ुरैश को तो (खुले दिल से) दे रहे हैं और हमें; जिनकी तलवारों से अभी तक क़ुरैश का ख़ून टपक रहा है, नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।' हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि इन लोगों के बातचीत की ख़बर जब नबी (ﷺ) को हुई तो आप (ﷺ) ने अन्सार को बुलवाया और उन्हें अधोड़ी के एक ख़ेमे में जमा किया और इस मौक़े पर अन्सार के अलावा किसी और को मदऊ न किया (नहीं बुलाया)। जब सब जमा हो गए तो आप (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, वो बातचीत क्या थी जिसके बारे में मुझे ख़बर मिली है कि तुम लोगों ने की है? इनमें जो फ़हम वाले लोग थे उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हममें से जो लोग बाशऊर (सभ्य) हैं उन्होंने तो कोई बात नहीं कही अलबत्ता चंद नौजवानों ने कहा है, 'अल्लाह तआला रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुआफ़ करे कि आप (ﷺ) क़ुरैश को तो दे रहे हैं लेकिन अन्सार को तो नज़रअंदाज़ कर रहे हैं जबकि हमारी तलवारों से अभी तक उनका (या'नी क़ुरैश का) ख़ून टपक रहा है।' यह बात सुनकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं फ़िल वाक़ेअ ऐसे लोगों को देता हूँ जो चंद दिन पहले काफ़िर थे और अभी–अभी मुसलमान हुए हैं। क्या तुम इस बात से ख़ुश नहीं हो कि लोग तो माल ले जाएँ और तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने घरों में लेकर लौटो। अल्लाह की क़सम! तुम जो दौलत लेकर जा रहे हो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है इस माल से जो वो लेकर अपने घरों में जाएँगे। यह सुनकर अन्सारी कहने लगा, क्यों नहीं, ज़रूर! हम सब इस पर ख़ुश हैं। इसके बाद आप (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, (ऐ अहले अन्सार!) बहुत जल्द मेरे बाद तुम इससे भी शदीदतर वाक़िआत से दो–चार होगे जिनमें तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी तो ऐसे मौक़ों पर सब्र करना, यहाँ तक कि तुम अपने रब से मुलाक़ाती हो और रसूलुल्लाह (ﷺ) से हौज़े कौषर पर मुलाक़ात करो। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, लेकिन हम सब्र के इस मेअयार पर पूरे न उतर सके।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 19)

---

633. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अन्सार को बुलवाया (जब सब लोग आ गए तो) फ़र्माया, क्या तुममें कोई ग़ैर–अंसारी भी है? उन्होंने कहा, नहीं! सिवाय हमारे एक भांजे के। यह सुनकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी ख़ानदान का भांजा भी उन्हीं का फ़र्द होता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िबत बाब 14)

---

634. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि फ़तहे मक्का के ज़माने में जब क़ुरैश को (माले ग़नीमत में से) दिया गया तो अन्सार ने कहा, अल्लाह की क़सम! यह अजीब बात है कि हमारी तलवारों से

क़ुरैश का ख़ून टपक रहा है और जो माले ग़नीमत हमने हासिल किया है वो क़ुरैश को दिया जा रहा है। इस बात की ख़बर जब नबी करीम (ﷺ) को हुई तो आप (ﷺ) ने अन्स़ार को बुलवाया। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि आप (ﷺ) ने उनसे पूछा, मुझे तुम्हारी तरफ़ से यह किस तरह की बातें पहुँच रही हैं? यह लोग झूठ नहीं बोला करते थे लिहाज़ा उन्होंने कहा कि जो ख़बर आप (ﷺ) को मिली है वो दुरुस्त है। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम लोग इस बात से ख़ुश नहीं हो कि लोग तो माले ग़नीमत का माल लेकर अपने घरों को जाएँ और तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) को लेकर अपने घरों को लौटो। जान रखो कि अन्स़ार जिस वादी या घाटी पर चलेंगे मैं भी उसी वादी या घाटी पर चलूँगा। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 1)**

---

635. ह़दीषे अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब ग़ज़व-ए-हुनैन हुआ तो क़बीला हवाज़िन मुक़ाबले पर आया और जनाबे नबी करीम (ﷺ) के साथ उस दिन दस हज़ार ग़ाज़ी थे और इनके अलावा मक्का के नवमुस्लिम भी थे। फिर यह लोग पीठ दिखा गए तो आप (ﷺ) ने अन्स़ार को आवाज़ दी, ऐ गिरोहे अन्स़ार! उन्होंने कहा, लब्बैक या रसूलल्लाह (ﷺ)! व सअ़दैक! लब्बैक व नह्नू बैन यदैक! (या रसूलल्लाह ﷺ! हम हाज़िर हैं, आप ﷺ की मदद को मौजूद हैं और आप ﷺ के सामने हैं)। फिर नबी करीम (ﷺ) अपनी सवारी से नीचे उतर आए और फ़र्माया, 'मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ।' चुनाँचे जब मुश्रिकों की हार हो गई इसके बाद आप (ﷺ) ने मक्का के नवमुस्लिम और मुहाजिरीन को तो माले ग़नीमत दे दिया लेकिन अन्स़ार को कुछ न दिया। इस पर अन्स़ार ने कुछ बातें बनाईं, तो आप (ﷺ) ने उन्हें बुलवाया और ख़ेमे में बिठाकर उनसे कहा, क्या तुम लोग इस बात पर ख़ुश नहीं हो कि लोग तो ऊँट और बकरियाँ ले जाएँ और तुम अल्लाह के रसूल (ﷺ) को ले जाओ? फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर लोग एक वादी में चलें और अन्स़ार किसी घाटी पर चल रहे हों तो मैं अन्स़ार की घाटी का इंतिख़ाब करूँगा। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 56)**

---

636. ह़दीषे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम (रज़ि.) : ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब ग़ज़व-ए-हुनैन में अल्लाह तआ़ला ने नबी करीम (ﷺ) को माले ग़नीमत अ़ता फ़र्माया तो आप (ﷺ) ने मुअल्लिफ़तुल् क़ुलूब (नव मुस्लिमों) में तो माले ग़नीमत बांटा लेकिन अन्स़ार को कुछ न दिया। फिर चूँकि जो कुछ और लोगों को मिला वो अन्स़ार को नहीं मिला था तो उन्हें इस बात का रंज हुआ। इस मौक़े पर आप (ﷺ) ने अन्स़ार से मुख़ातिब होकर कहा, ऐ गिरोहे अन्स़ार! क्या यह वाक़िआ नहीं है कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुमको मेरी वजह से हिदायत दी? तुम टोलियों में बंटे हुए थे फिर अल्लाह ने मेरी वजह से तुममें मुहब्बत व इत्तिफ़ाक़ पैदा फ़र्माया? नीज़ तुम मुफ़्लिस (ग़रीब) थे और अल्लाह तआ़ला ने मेरी बरकत से तुमको ग़नी कर दिया? नबी करीम (ﷺ) इन बातों में से जो बात फ़र्माते थे। अन्स़ार उसके जवाब में कहते थे अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अगर चाहो तो यह भी कह सकते हो कि आप (ﷺ) हमारे पास ऐसे और ऐसे हालात में आए थे (और हमने आप ﷺ पर यह यह एहसान किया वग़ैरह)। क्या तुम इस बात पर ख़ुश हो कि लोग बकरियाँ और ऊँट ले जाएँ और तुम रसूलुल्लाह को लेकर अपने घरों को जाओ? अगर हिजरत न होती तो मैं अन्स़ार ही का एक फ़र्द होता और अगर लोग एक वादी और घाटी पर चलें तो मैं अन्स़ार की वादी और घाटी पर चलूँगा। अन्स़ार उस कपड़े की तरह हैं जो जिस्म से चिमटा हुआ होता है और बाक़ी लोग उस कपड़े की तरह हैं जो ऊपर पहना जाता है। याद रखो! तुमको मेरे बाद बहुत सी ना-हमवारियों से दो-चार होना पड़ेगा तो ऐसे हालात में उस वक़्त स़ब्र करना यहाँ तक कि तुम फिर मुझसे हौज़े कौषर पर मिलो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 56)**

---

637. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब ग़ज़व–ए–हुनैन हुआ तो ग़नीमत बांटते वक़्त नबी करीम (ﷺ) ने कुछ लोगों को दूसरों पर तरजीह दी। चुनाँचे अक़्रअ बिन हाबिस (रज़ि.) को आप (ﷺ) ने सौ ऊँट दिये और उ़ययना (रज़ि.) को भी इतने ही दिए और अ़रब के कुछ और सरदारों को भी काफ़ी कुछ दिया। गोया आप (ﷺ) ने तक़्सीमे ग़नीमत में उन्हें तरजीह दी तो एक शख़्स ने कहा, अल्लाह की क़सम! इस तक़्सीम में अ़द्ल (न्याय) नहीं किया गया और न अल्लाह तआ़ला की रज़ा को मलहूज़ (लिहाज में) रखा गया है। मैंने उससे कहा, अल्लाह की क़सम! मैं इस बात की इत्तिला रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़रूर दूँगा। चुनाँचे मैं आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने आप (ﷺ) को बता दिया। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) अ़द्ल व इंसाफ़ न करेंगे तो फिर और कौन करेगा? अल्लाह तआ़ला हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) पर रहम फ़र्माए, उन्हें तो इससे भी ज़्यादा तक्लीफ़ पहुँचाई गई थीं लेकिन उन्होंने फिर भी सब्र किया। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 19)**

नोट : ऊपर बयान की गई चन्द अहादीष में इस बात का ज़िक्र है कि अगर नव–मुस्लिमों में माल बाँटने का मौक़ा हो और कुछ लोगों के बारे में अगर ये अन्देशा हो कि अगर इनको उनके हक़ से कुछ ज़्यादा माल न दिया जाए तो मुमकिन है कि वे लोग तंगी बर्दाश्त न कर सकें और दोबारा काफ़िर हो जाएं; तो उनको ज़्यादा माल दिया जा सकता है। जो लोग मज़बूत ईमानवाले हों उन्हें इस बात पर ख़ुश होना चाहिये कि अगर वे माल के बजाय रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुशी को तरजीह (प्राथमिकता) देंगे तो उन्हें क़ियामत के दिन हौज़े–कौषर पर रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुलाक़ात का मौक़ा मिलेगा। इस सब्र के बदले अल्लाह तआ़ला उन्हें ऐसी नेअ़मतें अता करेगा जिनसे उनका जी ख़ुश होगा।

बाब 47 : ख़ारजियों का ज़िक्र और उनके तौर (तरीक़ों) व आ़दतों का बयान

638. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुक़ामे जअ़राना में ग़नीमत बांट रहे थे कि एक शख़्स ने आप (ﷺ) से मुख़ातिब होकर कहा, इंसाफ़ कीजिए। यह सुनकर आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तू बड़ा बदबख़्त है अगर मैं अ़द्ल न करूँ (तो कौन करेगा?)। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 15)**

---

639. हदीषे अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में सोने के कुछ टुकड़े भेजे तो आप (ﷺ) ने उन्हें चार लोगों में बांट दिया (1)अक़्रअ बिन हाबिस अल हंज़ली (रज़ि.) जो बाद में मुजाशई कहलाए (2) उ़ययना (रज़ि.) बिन बद्र फ़ज़ारी (3) जैद त़ाई (रज़ि.) जो बाद में बनी नबहान में शामिल हो गए और (4) अ़लक़मा (रज़ि.) बिन इलाषा आ़मिरी जो बाद में बनी किलाब के एक फ़र्द बन गए; तो क़ुरैश व अन्सार इस बात पर नाराज़ हो गए और कहने लगे कि आप (ﷺ) नजद के सरदारों को देते हैं और हमें नज़रअंदाज़ करते हैं। इस पर आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि यह महज़ इसलिये करता हूँ ताकि उन लोगों के दिलों में इस्लाम की मुहब्बत पैदा हो। फिर एक शख़्स जिसकी आँखें धंसी हुई, गाल उभरे हुए, पेशानी ऊँची, दाढ़ी घनी और सर मुँडा हुआ था, आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! अल्लाह से डरो। यह सुनकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मैं ही अल्लाह की नाफ़र्मानी करूँगा तो फिर अल्लाह की इताअ़त कौन करेगा? अल्लाह ने तो मुझे अहले ज़मीन पर अमीन बनाकर भेजा है, तुम मुझे अमीन नहीं मानते? फिर एक शख़्स ने कहा, मेरा ख़याल है वो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) थे, आप (ﷺ) से उसे क़त्ल करने की इजाज़त त़लब की लेकिन आप (ﷺ) ने उन्हें मना फ़र्मा दिया। फिर जब वो पीठ मोड़कर चला गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया,

बेशक उस शख़्स की नस्ल में से या आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, उस शख़्स के पीछे कुछ लोग ऐसे होंगे जो क़ुर्आन पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक़ से नीचे न उतरेगा, यह लोग दीन से इस तरह निकल जाएँगे जिस तरह तीर शिकार में से निकल जाता है, अहले इस्लाम को क़त्ल करेंगे और बुतपरस्तों को खुला छोड़ देंगे। अगर यह लोग मेरे हाथ आ गए तो मैं उनको इसी तरह क़त्ल करूँगा जिस तरह क़ौमे आद हलाक की गई (कि उसका नामो-निशान बाक़ी न रहा)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 6)

---

640. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में यमन से कुछ सोना भेजा जो बबूल की छाल से रंगे हुए चमड़े के थैले में भरा हुआ था और अभी मिट्टी से जुदा नहीं किया गया था। आप (ﷺ) ने वो सोना चार लोगों में बांट दिया (1) उय़यना (रज़ि.) बिन बद्र (2) अक़रअ (रज़ि.) बिन हाबिस (3) ज़ैद अल ख़लील (रज़ि.) और (4) चौथे शख़्स या तो अलक़मा (रज़ि.) थे या आमिर बिन तुफ़ैल थे। (इस बंटवारे पर तनक़ीद करते हुए) सहाबा किराम (रज़ि.) में से एक शख़्स ने कहा, उन लोगों के मुक़ाबले में इस सोने के हम ज़्यादा हक़दार थे। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं कि इस बात की ख़बर जब नबी करीम (ﷺ) को हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम मुझे अमीन नहीं समझते हालाँकि मैं उसका अमीन हूँ जो आसमानों पर है? मेरे पास सुबह व शाम आसमान से वह्य आती है। अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि फिर एक शख़्स खड़ा हुआ। जिसकी दोनों आँखें अंदर धंसी हुई, गाल फूले हुए, पेशानी उभरी हुई, दाढ़ी घनी और सर मुण्डा हुआ था और अपने तहबन्द को उठाए हुए था। वो कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ) अल्लाह से डरिये। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, हलाकत हो तेरे लिये। क्या अहले ज़मीन में अल्लाह से तक़्वा इख़्तियार करने का हक़दार सबसे ज़्यादा मैं ही नहीं? रावी कहते हैं यह सुनकर वो शख़्स चला गया।

हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं उस शख़्स को क़त्ल न कर दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! हो सकता है कभी वो नमाज़ पढ़ता हो। हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने कहा, बहुत से नमाज़ पढ़ने वाले ज़ुबान से ऐसी बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं होतीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे यह हुक्म नहीं दिया गया कि लोगों के दिलों में नक़ब लगाऊँ या उनका पेट चीरकर देखूँ। फिर आप (ﷺ) ने उस शख़्स की तरफ़ देखा, वो पीठ मोड़े जा रहा था और फ़र्माया, उस शख़्स की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो क़ुर्आन मजीद रवानी से पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक़ से नीचे न उतरेगा, दीन से इस तरह ख़ारिज हो चुके होंगे जैसे तीर शिकार में से पार हो जाता है। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि आप (ﷺ) ने यह भी फ़र्माया था, अगर मैं उनको पाऊँगा तो उसी तरह हलाक करूँगा जिस तरह क़ौमे षमूद हलाक की गई थी (नामो-निशान मिटा दूँगा)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 61)

---

641. हदीषे अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, **तुममें से एक ऐसा फ़िर्क़ा ख़ारजी होगा जिनकी नमाज़ों के मुक़ाबले में अपनी नमाज़ों को, उनके रोज़ों के मुक़ाबले में अपने रोज़ों को और उनके नेक अमलों के मुक़ाबले में अपने नेक अमलों को, तुम हक़ीर ख़याल करोगे, वो क़ुर्आन की तिलावत करेंगे लेकिन क़ुर्आन उनके हलक़ से नीचे न उतरेगा (न समझकर पढ़ेंगे न ग़ौरो तदब्बुर करेंगे)। दीन से इस तरह ख़ारिज हो जाएँगे जैसे तीर शिकार में से पार हो जाता है।** शिकारी कभी तीर के फल को देखता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता फिर तीर की लकड़ी को देखता है उस पर भी उसे कोई निशान नज़र नहीं आता फिर तीर के परों को देखता है वहाँ भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता अल्बत्ता उसे सूफ़ार (तीर का आख़िरी हिस्सा जो कमान की तांत पर रखा जाता है) पर (ख़ून के निशान) हल्का

सा शुब्हा होता है। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले क़ुर्आन बाब 36)**

---

642. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे और आप (ﷺ) कुछ माल बांट रहे थे कि आप (ﷺ) के पास ज़ुल ख़ुवैसरा, जो कि बनी तमीम में से था आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इंसाफ़ कीजिए। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तेरे लिये ख़राबी हो! अगर मैं इंसाफ़ नहीं करूँगा तो कौन इंसाफ़ करेगा? तू भी नाकाम व नामुराद हो गया अगर मैं इंसाफ़ करने वाला न हुआ। इस मौक़े पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस शख़्स का सर क़लम कर दूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, रहने दो क्योंकि इसके साथी ऐसे लोग होंगे कि तुम उनकी नमाज़ों और रोज़ों के मुक़ाबले में अपने नमाज़ रोज़ों को हक़ीर ख़याल करोगे वो लोग क़ुर्आन पढ़ेंगे लेकिन क़ुर्आन उनके हलक़ से नीचे न उतरेगा, दीन से इस तरह ख़ारिज हो जाएँगे जैसे तीर शिकार में से बाहर निकल जाता है कि शिकारी तीर के फल को देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो पीकान की जड़ को देखता है तो वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता, फिर वो तीर की लकड़ी को देखता है तो भी उसे कोई निशान नज़र नहीं आता। फिर वो तीर के पर को देखता है तब भी उसे कुछ नहीं मिलता हालाँकि तीर शिकार के ख़ून और लीद के दरम्यान में से गुज़रकर आया है उन लोगों की निशानी यह है कि उनमें एक स्याह फ़ाम शख़्स होगा जिसका एक बाज़ू औरत के पिस्तान की तरह या गोश्त के थल–थल करते लोथड़े की तरह होगा यह लोग उस वक़्त ज़ाहिर होंगे जब लोगों (मुसलमानों) में इख़्तिलाफ़ व इफ़्तिराक़ पैदा हो चुका होगा।

हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने यह हदीष ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हुई और मैं यह भी गवाही देता हूँ कि जब हज़रत अली (रज़ि.) ने उन लोगों से जंग की और मैं आपके साथ था तो आपने उस शख़्स की तलाश का हुक्म दिया और उसे लाया गया यहाँ तक कि मैंने उसे देखा और बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा हुलिया आप (ﷺ) ने बयान फ़र्माया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

बाब 48 : ख़ारजियों के क़त्ल का हुक्म और तरग़ीब

643. हदीषे अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं, जब मैं तुमसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष बयान करता हूँ तो मुझे यह बात कि आसमान से ज़मीन पर आ गिरूं, कहीं ज़्यादा मेहबूब होती है, बमुक़ाबिल इसके कि मैं आप (ﷺ) की तरफ़ कोई झूठी बात मंसूब करूँ। लेकिन मैं जब कोई ऐसी बात बयान करता हूँ जिसका तअल्लुक़ हमारे आपस के तअल्लुक़ात से हो तो ख़याल रहे कि जंग में चालें चली जाती है (और मस्लिहतन कुछ बातें बताई नहीं जातीं या दूसरे रंग में बयान की जाती हैं)। मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, कि अख़ीर ज़माने में कुछ लोग ज़हूर पज़ीर (उदित) होंगे जो नौ–उम्र (कमसिन) और कम अक़्ल होंगे; बातें ऐसी करेंगे जो बज़ाहिर सबसे ज़्यादा हसीन नज़र आएँगी, लेकिन यह लोग दीन से इस तरह ख़ारिज होंगे जैसे तीर शिकार में से पार निकल जाता है। उनका ईमान उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। चुनाँचे ऐसे लोगों को तुम जहाँ पाओ क़त्ल करो क्योंकि उनका क़त्ल करना उन लोगों के लिये क़ियामत के दिन अज्रो–षवाब का बाइष होगा जो उन्हें क़त्ल करेंगे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)

बाब 49 : ख़ारजी फ़िर्क़ा सारी मख़्लूक़ में सबसे बदतर है

644. हदीषे सहल बिन हनीफ़ (रज़ि.) : युसैर (रह.) बिन ड़मर बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सहल (रज़ि.) से पूछा, क्या आपने नबी करीम (ﷺ) को ख़ारजियों के बारे में कोई बात इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है? कहने लगे कि मैंने आप (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, साथ ही आप (ﷺ) ने अपने हाथ से इराक़ की तरफ़ इशारा किया था कि इस तरफ़ से एक फ़िर्क़ा निकलेगा जो क़ुर्आन तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा और यह लोग इस्लाम से इस तरह निकल जाएँगे जैसे तीर शिकार में से पार हो जाता है।

(सहीह बुख़ारी किताब इस्तताबितुल मुर्तदीन बाब 7)

बाब 50 : रसूलुल्लाह (ﷺ) पर और आप (ﷺ) की औलाद या'नी बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब पर ज़कात लेना हराम है

645. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि खजूर तोड़ने के मौसम में नबी करीम (ﷺ) के पास लोग खजूरें लेकर आते थे कुछ एक लाता और कुछ दूसरा लाता। इस तरह आप (ﷺ) के पास खजूरों का ढेर लग जाता। एक बार हज़राते हसन व हुसैन (रज़ि.) उन खजूरों से खेलने लगे। खेलते– खेलते उनमें से किसी एक ने एक खजूर उठाकर अपने मुँह में डाल ली जिसे नबी करीम (ﷺ) ने देख लिया और फ़ौरन ही उसके मुँह से निकाल दी और फ़र्माया, क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि आले मुहम्मदिया (ﷺ) सदक़े की चीज़ नहीं खाते।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 57)

---

646. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (कुछ बार) जब मैं घर जाता हूँ और अपने बिस्तर पर कोई खजूर पड़ी पाता हूँ तो उसे खाने के लिये उठा लेता हूँ लेकिन फिर इस डर से कि कहीं सदक़े की न हो वापस डाल देता हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लुक़्ता बाब 6)**

---

647. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को राह चलते एक खजूर पड़ी हुई मिली तो आप (ﷺ) ने उसे देखकर फ़र्माया, अगर यह शुब्हा न होता कि सदक़े की न हो तो मैं खा लेता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 4)

बाब 52 : नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) की औलाद के लिये हद्या हलाल है ख़्वाह हद्या देने वाले को वो चीज़ सदक़े में मिली हो क्योंकि सदक़ा जब मुस्तहिक़ के क़ब्ज़े में आ गया तो वो सदक़ा नहीं रहा और अब वो उनके लिये भी हलाल हो गया जिनको सदक़ा लेना हराम है

648. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के पास गोश्त लाया गया जो हज़रत बरीरह (रज़ि.) को बतौरे सदक़ा मिला था तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह गोश्त बरीरह (रज़ि.) के लिये तो सदक़ा था लेकिन (अब जब बरीरह (रज़ि.) ने हमें पेश किया है तो) हमारे लिये यह हद्या है।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 62)

---

649. हदीषे़ उम्मे अ़तिया अंस़ारिया (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अ़तिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर तशरीफ़ लाए और पूछा, तुम लोगों के पास कुछ (खाने को) है? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, नहीं! अलबत्ता बकरी का थोड़ा सा गोश्त है जो आप (ﷺ) ने ही नसीबा (रज़ि.) (हज़रत उम्मे अ़तिया रज़ि.) को बतौरे सदक़ा भेजा था, वही उन्होंने हमें भेजा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सदक़ा तो अपनी जगह पहुँच गया था। **(स़हीह बुख़ारी किताबुज़कात बाब 62)**

बाब 53 : नबी करीम (ﷺ) हद्या क़ुबूल फ़र्मा लेते लेकिन सदक़ा क़ुबूल नहीं फ़र्माते थे

650. हदीषे़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में कोई खाना पेश किया जाता तो आप (ﷺ) लाने वाले से उसके बारे में पूछते, सदक़ा है या हद्या? अगर कहा जाता सदक़ा है तो आप सहाबा किराम से फ़र्माते कि तुम ले लो और ख़ुद तनावुल न फ़र्माते। और अगर कहा जाता कि हद्या है तो आप (ﷺ) उसे हाथ लगाते और दूसरों के साथ शामिल होकर खाते।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 7)

बाब 54 : सदक़ा लाने वाले को दुआ देने का बयान

651. हदीषे़ अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के पास जब लोग सदक़ा लेकर आते तो आप (ﷺ) उन्हें दुआ देते और फ़र्माते, ऐ अल्लाह! फ़लाँ ख़ानदान पर रहमत भेज। चुनाँचे एक बार मेरे वालिद अबू औफ़ा (रज़ि.) सदक़ा लेकर आए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! आले अबी औफ़ा (रज़ि.) पर रहमत नाज़िल फ़र्मा। **(स़हीह बुख़ारी किताबुज़कात बाब 64)**

किताबुस्सियाम

रोज़े के अहकाम व मसाइल

बाब 1 : माहे रमज़ान की फ़ज़ीलत

652. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, माहे रमज़ान के आते ही आसमान (जन्नत) के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं और शैतानों को ज़ंजीरें पहना दी जाती हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब)**

बाब 2 : चाँद नज़र आने से ही रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है और चाँद नज़र आने से ही ईदुल फ़ित्र होती है और अगर मत्लअ अब्र आलूद (बादल छाए) होने की वजह से चाँद नज़र न आ सके तो महीने के तीस दिन पूरे किये जाएँ

653. हदीसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने रमज़ान का ज़िक्र किया और फ़र्माया, जब तक चाँद नज़र न आ जाए रोज़ा न रखो, इसी तरह जब तक चाँद न देख लो इफ़्तार (ईदुल फ़ित्र) न करो और अगर बादल हों तो महीने के तीस दिन पूरे करो।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 11)

---

654. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, महीने इतने, इतने और इतने (10, 10 और 10 दिनों का) या'नी तीस दिन का होता है और इतने, इतने और इतने (10, 10 और 9 दिनों का) या'नी 29 दिन का। एक बार आप (ﷺ) ने (हाथ के इशारे से) तीस की गिनती बताई और एक बार 29 की गिनती बताई। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तलाक़ बाब 25)**

---

655. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हम उम्मी (अनपढ़) लोग हैं न लिखते हैं न हिसाब करते हैं, महीने इतने दिनों और इतने दिनों का होता है या'नी आप (ﷺ) ने अपने हाथ से एक बार 29 का इशारा किया और एक बार तीस का।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 13)

---

656. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (या ह़ज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने कहा) अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको देखकर (चाँद को) रोज़ा रखो और चाँद देखकर ही इफ़्तार (ईदुल फ़ित्र) करो और अगर बादल हों और चाँद नज़र न आए तो शाबान के तीस दिन पूरे करो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्स़ौम बाब 11)**

बाब 3 : रमज़ान से एक–दो दिन पहले रोज़ा न रखा जाए

657. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, माहे रमज़ान शुरू होने से एक दिन या दो दिन पहले किसी को रोज़ा न रखना चाहिए, अलबत्ता अगर कोई शख़्स इन तारीख़ों में हमेशा रोज़े रखता हो तो उसको (रमज़ान से पहले भी) रोज़े रखने की इजाज़त है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्स़ौम बाब 14)

बाब 4 : महीना 29 दिन का भी होता है

658. ह़दीषे उम्मे सलमा (रज़ि.) : ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने क़सम खाई थी कि अपनी कुछ बीवियों के पास एक माह तक न जाएँगे फिर जब 29 दिन हुए तो सुबह के वक़्त या शाम को आप (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ ले गये। आप (ﷺ) से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने तो क़सम खाई थी कि एक माह तक अपनी बीवियों के पास तशरीफ़ न ले जाएँगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, महीना 29 दिन का भी होता है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन् निकाह बाब 92)**

बाब 7 : दो महीने जिनमें ईदें आती हैं कम नहीं होते

659. ह़दीषे अबूबक्र (रज़ि.) : ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दो महीने ऐसे होते हैं जो कभी नाक़िस नहीं होते या'नी ईदों के दो महीने, एक रमज़ान और दूसरा ज़िल्हिज्ज।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्स़ौम बाब 12)

बाब 8 : रोज़े तुलूअे फ़ज्र से शुरू होते हैं, तुलूअे फ़ज्र तक खाना–पीना जाइज़ है नोज़ फ़ज्र का बयान

660. ह़दीषे अ़दी बिन हातिम (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़दी (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब यह आयते करीमा नाज़िल हुई, **'यहाँ तक कि तुमको स्याह शब की धारी से सफेद सुबह की धारी नुमायाँ नज़र आ जाए।'** (अल बक़र : 187) तो मैंने एक स्याह रस्सी ली और एक सफ़ेद रस्सी, और दोनों को अपने तकिये के नीचे रख लिया, फिर रात के वक़्त जब उनको देखता तो कुछ नज़र न आता। चुनाँचे सुबह के वक़्त मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से इस बात का ज़िक्र किया, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि इससे मुराद दरअस्ल रात की स्याही और दिन की सफेदी है (यह रस्सियाँ नहीं जो तुमने रख ली हैं)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्स़ौम बाब 16)

---

661. ह़दीषे सहल बिन सअ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि आयते करीमा **व कुलू वश्रबू ह़त्ता यतबय्यन लकुमल ख़ैतुल अब्यज़ु मिनल ख़ैतिल अस्वदि** नाज़िल हुई और अभी **मिनल फ़ज्र** नाज़िल नहीं हुआ था तो कुछ लोग रोज़ा रखने (और वक़्ते स़हर मा'लूम करने) के लिये अपने पाँव में एक सफ़ेद धागा और एक स्याह धागा बाँध लेते और उस वक़्त तक खाते रहते यहाँ तक कि उन्हें धागे स़ाफ़ नज़र आने लगते फिर अल्लाह तआ़ला ने '**मिनल फ़ज्र**' नाज़िल फ़र्माया तो उन्हें मा'लूम हुआ कि इससे दिन और रात (के सफ़ेद और स्याह डोरे) मुराद हैं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस़्स़ौम बाब 16)**

---

662. ह़दीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था, ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) रात को अज़ान देते हैं इसलिये (उनकी अज़ान के बावजूद) तुम खाते—पीते रहो यहाँ तक कि ह़ज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) (दूसरी) अज़ान दें। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 11)**

---

663. ह़दीषे आ़इशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) (रमज़ान में) ऐसे वक़्त अज़ान देते थे जब कि अभी रात होती थी इसलिये रसूले करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया था कि उस वक़्त तक खाते—पीते रहो जब तक कि ह़ज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) अज़ान न दें क्योंकि वो उस वक़्त तक अज़ान न देते जब तक कि फ़ज्र न हो जाए। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस़्स़ौम बाब 17)**

---

664. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स़ ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) की अज़ान सुनकर सहरी खाना न छोड़े क्योंकि वो रात में अज़ान देते हैं ताकि जो शख़्स़ तहज्जुद पढ़ रहा हो वो (खाने के लिये) आ जाए और जो सो रहा हो वो जाग जाए उनकी अज़ान पर किसी को यह न समझना चाहिए कि तुलूअ़े फ़ज्र या सुबह का वक़्त हो गया है और आप (ﷺ) ने अपनी उंगलियों से इशारा किया, पहले उनको ऊपर उठाया फिर नीचे झुकाया या'नी यहाँ तक कि इस तरह (सफ़ेदी) फैल जाए। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 13)**

बाब 9 : सहरी खाना अफ़ज़ल और मुस्तहब है नीज़ सहरी देर से खाना और इफ़्तार जल्दी करना मुस्तहब है

665. ह़दीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाना बाइ़षे बरकत है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस़्स़ौम बाब 10)**

---

666. ह़दीषे ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) ने मुझसे ज़िक्र किया कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) के साथ सहरी खाई इसके बाद सब लोग नमाज़ के लिये चले गए, मैंने पूछा, कि सहरी और नमाज़ के बीच कितना वक़्फ़ा था? ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि.) ने कहा, तक़रीबन 50 या 60 आयतों (की तिलावत) के बराबर। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस़्स़लात बाब 27)**

---

667. हदीसे सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, लोग भलाई पर क़ायम रहेंगे जब तक इफ़्तार जल्दी करते रहेंगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 45)**

बाब 10 : रोज़ा पूरा होने और दिन ख़त्म होने के वक़्त का बयान

668. हदीसे उमर (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने (इशारे करके) फ़र्माया, जब रात आई इस तरफ़ (मश्रिक़) से और दिन गया उसकी तरफ़ (मग़्रिब) और सूरज गुरूब हो गया तो रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त हो गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 43)**

---

669. हदीसे इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के हमरकाब थे (रमज़ान का महीना था जब सूरज गुरूब हो गया तो) आप (ﷺ) ने एक शख़्स से कहा, उतरो और मेरे लिये सत्तू तैयार करो। उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अभी सूरज मौजूद है। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, उतरो और मेरे लिये सत्तू बनाओ। उसने फिर कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अभी सूरज मौजूद है। आप (ﷺ) ने तीसरी बार इर्शाद फ़र्माया, उतरो और मेरे लिये सत्तू तैयार करो। चुनाँचे वो शख़्स सवारी से उतरा और उसने आप (ﷺ) के लिये सत्तू तैयार किए और आप (ﷺ) ने उन्हें पी लिया। फिर अपने हाथ से इधर (मश्रिक़ की तरफ़) इशारा करके फ़र्माया, जब तुम देखो कि रात इस तरफ़ से आ रही है तो रोज़ेदार को चाहिए कि इफ़्तार कर ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 33)**

बाब 11 : सौमे विसाल की मुमानअत

670. हदीसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूले करीम (ﷺ) ने वक़्फ़ा दिये बग़ैर मुसलसल रोज़े रखने से मना फ़र्माया तो सहाबा किराम ने कहा, आप (ﷺ) तो मुसलसल रोज़े रखते हैं। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया (मेरी बात और है) मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे खिलाया और पिलाया जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 48)**

---

671. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने सौमे विसाल से मना फ़र्माया तो सहाबा किराम में से एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) तो वक़्फ़ा के बग़ैर मुसलसल रोज़े रखते हैं। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, यह भी तो सोचो तुममें कौन शख़्स मेरी तरह है। मैं तो सारी रात इस लज़्ज़त व सुरूर में गुज़ारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। इसके बावजूद भी जब लोग सौमे विसाल से बाज़ न आए तो फिर आप (ﷺ) ने भी उनके साथ वक़्फ़ा दिये बग़ैर रोज़े रखना शुरू किए। एक–दो दिन गुज़रे थे कि (रमज़ान) का चाँद नज़र आ गया, तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि चाँद न हो जाता तो मैं मज़ीद मुसलसल रोज़े रखता। आप (ﷺ) का यह फ़र्माना इन लोगों के लिये बतौरे ज़ज्रो व तौबीख़ था इस बात पर कि आप (ﷺ) के मना करने के बावजूद यह लोग बाज़ न आए थे (या'नी सौमे विसाल से)। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 49)**

---

672. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सौमे विसाल हरगिज़ मत रखो। आप (ﷺ) ने यह बात दो मर्तबा इर्शाद फ़र्माई। कहा गया, आप (ﷺ) जो सौमे

विसाल रखते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तो रात इस तरह गुज़ारता हूँ कि मुझे मेरा रब खिलाता-पिलाता रहता है, तुम लोगों को चाहिए कि अपने ऊपर इसी क़दर अमल की ज़िम्मेदारी लो जिसकी ताक़त रखते हो।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 49)

---

673. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने महीने के आख़िरी अय्याम में सौमे वसाल रखे तो आप (ﷺ) के साथ कुछ और लोगों ने भी सौमे वसाल रखना शुरू कर दिए। इस बात की इत्तिला जब आप (ﷺ) को हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर यह महीना और लम्बा होता तो मैं इस क़दर सौमे विसाल रखता कि यह हद से बढ़ने वाले अपनी ज़्यादती से बाज़ आ जाते (रोज़े रखने से आजिज़ आ जाते)। मैं तुम जैसा नहीं हूँ मुझे तो मेरा रब मुसलसल खिलाता और पिलाता रहता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल तमन्नी बाब 9)

---

674. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूल करीम (ﷺ) ने सौमे विसाल से मना फ़र्माया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, आप (ﷺ) तो सौमे विसाल रखते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मुझे तो मेरा रब खिलाता भी है और पिलाता भी है।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 48)

बाब 12 : रोज़े की हालत में बोसा लेना जाइज़ है बशर्ते कि शहवत न हो

675. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) रोज़े की हालत में अपनी कुछ बीवियों का बोसा ले लिया करते थे, यह बयान करने के बाद वो हँस पड़ीं (गोया वो बीवी मुहतरमा आप ख़ुद हैं)। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 24)**

---

676. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा व किनार फ़र्मा लिया करते थे और आप सब इंसानों से ज़्यादा अपनी शहवत पर क़ाबू रखते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 23)**

बाब 13 : रोज़ेदार अगर सुबह तक बहालते जनाबत रहे तो रोज़ा सहीह है

677. हदीषे आइशा व उम्मे सलमा (रज़ि.) : अबूबक्र (रह.) बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिष बिन हिशाम बयान करते हैं कि मेरे वालिद अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने मर्वान से बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) दोनों ने मुझे बताया कि नबी करीम (ﷺ) को (बसा अवक़ात) इस हालत में सुबह हो जाती थी कि आप (ﷺ) अपनी किसी हरमे मुहतरम से जिमाअ करने की वजह से जुनुबी होते थे। फिर आप (ﷺ) (सहर के वक़्त) गुस्ल फ़र्माते और रोज़ा रख लेते थे।

मर्वान ने यह बात सुनकर अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बिन हारिष से कहा, मैं तुमको अल्लाह की क़सम दिलाता हूँ तुम यह बात हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के ज़रूर गोशे-गुज़ार करो। मर्वान उन दिनों हाकिमे मदीना था। अबूबक्र (रह.) कहते हैं कि अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने मर्वान की इस बात को नापसंद किया, फिर इत्तिफ़ाक़ से ऐसा हुआ कि

हम सब मुक़ामे जुलहुलैफ़ा में जमा हुए उस जगह ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की कुछ ज़मीन थी, अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कहा, मैं एक बात का आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ। हालाँकि अगर मर्वान ने मुझे क़सम न दिलाई होती तो मैं उसका ज़िक्र आपसे न करता। फिर अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने ह़ज़रत आइशा और ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की बात का उनसे ज़िक्र किया तो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, मुझसे ह़ज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) ने इसी तरह यह बात बयान की थी और वो ज़्यादा जानते हैं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बाब)**

बाब 14 : रमज़ान में रोज़ेदार के लिये दिन के वक़्त जिमाअ़ हराम है और अगर कर गुज़रे तो बड़ा कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है ख़्वाह ख़ुशहाल हो या तंगदस्त

678. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, एक ज़लील शख़्स (ख़ुद) रमज़ान में अपनी बीवी से जिमाअ़ का मुर्तकिब हुआ है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि एक गुलाम या लौंडी आज़ाद करो? कहने लगा, नहीं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो क्या तुम मुसलसल दो महीने के रोज़े रख सकते हो? उसने कहा, यह भी नहीं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा क्या तुम इतनी ताक़त रखते हो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला सको? कहने लगा, नहीं! फिर नबी करीम (ﷺ) के पास खजूरों को एक टोकरा कहीं से आया और आप (ﷺ) ने उस शख़्स से फ़र्माया, लो यह अपनी तरफ़ से (मिस्कीनों को) खिलाओ। कहने लगा, किसे खिलाऊँ? क्या अपने से ज़्यादा मुहताज को? जबकि वाक़िआ यह है कि मदीना के दोनों जानिब के पथरीले इलाक़ों के बीच हमसे ज़्यादा मुहताज कोई घर नहीं है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लो फिर अपने घरवालों को खिलाओ। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 31)**

---

679. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक शख़्स मस्जिद में नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, मैं जल गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कैसे जल गए? कहने लगा, मैंने रमज़ान में अपनी बीवी से जिमाअ़ कर लिया। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, सदक़ा (कफ़्फ़ारा) दो। कहने लगा कि मेरे पास तो (सदक़ा देने के लिये) कुछ भी नहीं है।

फिर वो बैठा रहा और नबी (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स गधे पर खाने का सामान लेकर हाज़िर हुआ (अब्दुर्रहमान रावी ह़दीष कहते हैं कि मुझे यह मा'लूम नहीं कि वो क्या था) आप (ﷺ) ने पूछा, वो जला हुआ शख़्स कहाँ है? उसने कहा, मैं यह हाज़िर हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लो इससे सदक़ा (कफ़्फ़ारा) दो। वो कहने लगा, किसे? अपने से ज़्यादा मुहताज को? (सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद तो मैं ख़ुद हूँ) मेरे घरवालों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लो फिर ख़ुद खाओ। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 26)**

बाब 15 : अगर सफ़र दो पड़ाव या इससे ज़्यादा हो तो मुसाफ़िर को रमज़ान में रोज़े रखने या न रखने की रुख़्सत है

680. ह़दीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान में मक्का जाने के लिये रवाना हुए। रवानगी के वक़्त आप (ﷺ) रोज़े से थे लेकिन जब मुक़ामे कदीद पर पहुँचे तो आप (ﷺ) ने रोज़ा इफ़्तार कर लिया और आप (ﷺ) के साथ लोगों ने भी इफ़्तार कर लिया।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 34)

---

681. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) सफ़र में थे एक जगह लोगों का हुजूम देखा कि एक शख़्स पर साया कर रहा था। आप (ﷺ) ने पूछा, यह क्या है? लोगों ने कहा, एक रोज़ेदार है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सफ़र में रोज़ा रखना कोई (बड़ी) नेकी नहीं है।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 36)

---

682. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ सफ़र कर रहे थे, सफ़र के दौरान में न तो रोज़ेदार रोज़ा न रखने वाले पर कोई ऐतराज़ करता और न रोज़ा न रखने वाला रोज़ेदार पर कोई ऐतराज़ करता। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 37)**

बाब 16 : सफ़र में रोज़ा न रखने और काम करने का षवाब ज़्यादा है

683. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम (एक सफ़र में) नबी करीम (ﷺ) के साथ थे और हालत यह थी कि हममें से सबसे ज़्यादा साया उसे मयस्सर था जिसने अपनी चादर से साया कर रखा था। लिहाज़ा जो रोज़ेदार थे उन्होंने तो काम बिलकुल नहीं किया अलबत्ता जिनका रोज़ा नहीं था, उन्होंने ऊँटों को पानी पिलाया और उनसे काम लिया और हर तरह की ख़िदमत अंजाम दी और काम किये। यह देखकर नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, आज वो लोग षवाब कमा गए जिनका रोज़ा नहीं था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 70)

बाब 17 : सफ़र में रोज़ा रखने और रोज़ा न रखने का इख़्तियार है

684. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम्ज़ा बिन अम्र असलमी (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, क्या सफ़र में रोज़ा रखूँ? यह साहब बहुत रोज़े रखा करते थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर चाहो तो रोज़ा रखो और चाहो तो न रखो। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 35)**

---

685. हदीषे अबू दर्दा (रज़ि.) : हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र पर रवाना हुए। गर्मी इस क़दर शदीद पड़ रही थी कि लोग गर्मी से बचने के लिये अपने सरों पर हाथ रखते थे। हममें नबी करीम (ﷺ) और इब्ने रवाहा (रज़ि.) के सिवा किसी का रोज़ा न था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)**

बाब 18 : वुक़ूफ़े अरफ़ात के दिन हाजियों के लिये रोज़ा न रखना मुस्तहब है

686. हदीषे उम्मुल फ़ज़ल बिन्तुल हारिष (रज़ि.) : हज़रत उम्मुल फ़ज़ल (रज़ि.) बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने मेरी मौजूदगी में वक़ूफ़े अरफ़ा के दिन इस बात पर आपस में इख़्तिलाफ़ किया कि आज रसूलुल्लाह (ﷺ) का रोज़ा है या नहीं। कुछ ने कहा कि आज आप (ﷺ) रोज़े से हैं और कुछ ने कहा कि आज आप (ﷺ) का रोज़ा नहीं है। चुनाँचे मैंने आप (ﷺ) की ख़िदमत में दूध का प्याला भेजा। आप (ﷺ) उस वक़्त (मुक़ामे अरफ़ात में) अपनी ऊँटनी पर वुक़ूफ़ (ठहराव) किए हुए थे। आप (ﷺ) ने वो दूध पी लिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 88)**

---

687. हदीषे मैमूना (रज़ि.) : हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि यौमे अरफ़ा नबी करीम (ﷺ) के रोज़े से होने में लोगों को शक़ हुआ, मैंने आप (ﷺ) की ख़िदमत में जब आप (ﷺ) मुक़ामे अरफ़ा में वक़ूफ़ फ़र्मा थे दूध का एक बर्तन भेजा तो आप (ﷺ) ने उसमें से लोगों के सामने दूध पीया। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 65)**

बाब 19 : यौमे आशूरा का रोज़ा

688. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ज़मान–ए–जाहिलियत में क़ुरैश यौमे आशूरा का रोज़ा रखते थे। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने भी उस दिन के रोज़े का हुक्म दिया था; लेकिन फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स चाहे यौमे आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे न रखे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 1)**

---

689. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि ज़मान–ए–जाहिलियत में लोग यौमे आशूरा का रोज़ा रखते थे, फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे न रखे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल बक़र बाब 24)**

---

690. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) के पास अशअत (रह.) बिन क़ैस आए, उस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) खाना खा रहे थे। अशअष (रह.) ने कहा कि आज तो यौमे आशूरा है। हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने जवाब दिया कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो यह रोज़ा मतरूक हो गया। आइए आप भी खाइए।
(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल बक़र बाब 24)

---

691. हदीषे मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) : हमीद बिन अब्दुर्रहमान (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) को उस साल जब उन्होंने हज्ज किया था, मिम्बर पर आशूरा के बारे में कहते हुए सुना है, ऐ अहले मदीना! तुम्हारे उलमा कहाँ है? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि आज आशूरा का दिन है और इस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है जबकि मैं आज रोज़े से हूँ और जिसका जी चाहे रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे रोज़ा न रखे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 69)**

---

692. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) ने देखा कि यहूदी यौमे आशूरा का रोज़ा रखते हैं। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उनसे पूछा कि यह रोज़ा कैसा है? कहने लगे, यह दिन बहुत अच्छा है इसी दिन बनी इस्राईल को अल्लाह तआला ने उनके दुश्मनों से नजात दिलाई थी, लिहाज़ा इस दिन मूसा (अलैहिस्सलाम) ने रोज़ा रखा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मूसा (अलैहिस्सलाम) से हमारा तअल्लुक़ तुमसे ज़्यादा है। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उस दिन ख़ुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 69)**

---

693. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि आशूरा का दिन यहूदियों की ईद

का दिन था लिहाज़ा नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि इस दिन मुसलमान रोज़ा रखे।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 69)

---

694. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को किसी दिन (और किसी महीने) को दूसरे दिनों और महीनों पर तरजीह देकर रोज़ा रखते हुए नहीं देखा सिवाय आशूरा के दिन के और रमज़ान के महीने के। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 69)**

बाब 21 : जिसने आशूरा के दिन कुछ खा लिया वो दिन के बाक़ी हिस्से में कुछ न खाए

695. हदीषे सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने यौमे आशूरा एक शख़्स को यह मुनादी करने के लिये भेजा था कि आज जो शख़्स कुछ खा चुका है वो बाक़ी दिन (बग़ैर खाए-पीए) पूरा करे या यह अल्फ़ाज़ थे कि बाक़ी दिन रोज़े से रहे और जिसने अभी कुछ नहीं खाया वो अब कुछ न खाए (और रोज़ा रख ले)। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 21)**

---

696. हदीषे रबीअ बिन्ते मुअव्वज़ (रज़ि.) : हज़रत रबीअ (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने आशूरा के दिन सुबह के वक़्त अन्सार की बस्तियों में यह हुक्म भेजा था कि जिस शख़्स ने आज रोज़ा नहीं रखा वो भी अपना बाक़ी दिन (बग़ैर खाए-पिये) पूरा करे और जिसने रोज़े की निय्यत कर ली है वो रोज़ा रखे। हज़रत रबीअ (रज़ि.) कहती हैं कि इस हुक्म के बाद से हम सब उस दिन रोज़ा रखते थे और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखाते थे और बच्चों के खेलने के लिये ऊन की गुड़िया बना दिया करते थे जब कोई बच्चा खाना माँगने के लिये रोता तो हम उसे गुड़िया खेलने के लिये दे देते यहाँ तक कि इफ़्तार का वक़्त हो जाता था। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 47)**

बाब 22 : ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिनों में रोज़े रखना मना है

697. हदीषे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, यह दो दिन ऐसे हैं जिनमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रोज़ा रखने से मना फ़र्माया है एक यौमुल फ़ित्र जब तुम रमज़ान के रोज़े पूरे करके फ़ारिग़ होते हो और दूसरा दिन वो है जब तुम गोश्त खाते हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 66)**

---

698. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, और दो दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़े रखना मना है, एक यौमुल फ़ित्र और दूसरा यौमुल् अज़्हा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)

---

699. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : ज़ियाद बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पास एक शख़्स आया और उसने कहा कि एक शख़्स ने एक ख़ास दिन का रोज़ा रखने की नज़्र मानी। ज़ियाद (रह.) कहते हैं, मेरा ख़याल है उसने पीर का दिन कहा था। अब इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि वो ईद का दिन आ पड़ा? हज़रत

इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह तआला ने अपनी नज़्र को पूरा करने का हुक्म दिया है और नबी करीम (ﷺ) ने इस दिन (ईद के दिन) रोज़ा रखने से मना किया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 67)**

नोट : हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने एक तरह से फ़ैसला उस शख़्स पर ही छोड़ दिया। यक़ीनन नज़्र पूरी करना ज़रूरी है लेकिन अगर किसी शख़्स ने सप्ताह के किसी एक दिन का रोज़ा रखने की मन्नत माँगी हो तो वो उसे अगले सप्ताह या किसी और सप्ताह के उस ख़ास दिन रोज़ा रखकर अपनी मन्नत पूरी कर सकता है। जहाँ तक ईद के दिन रोज़ा न रखने की ताकीद है तो यह याद रखने की बात है कि ईद का दिन साल में दो बार ही आता है, इसलिये इस दिन मन्नत का रोज़ा न रखना ही बेहतर है।

बाब 24 : सिर्फ़ जुम्आ के दिन रोज़ा रखना मकरूह है

700. हदीषे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : मुहम्मद (रह.) बिन अ़ब्बाद कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा, क्या नबी करीम (ﷺ) ने जुम्ओ के दिन रोज़ा रखने से मना फ़र्माया है? कहने लगे, हाँ!

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 63)

---

701. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना, कोई शख़्स जुम्ओ के दिन रोज़ा हर्गिज़ न रखे और अगर रखे तो उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रोज़ा रखे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 63)**

बाब 25 : आयते करीमा, 'व अ़लल्लज़ी-न युतीक़ूनहू फ़िद्यतुन्' मंसूख़ हो गई

702. हदीषे सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब आयते करीमा **'और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों (फिर न रखें) तो फ़िद्या दें। एक रोज़े का फिद्या एक मिस्कीन को खाना खिलाना है।'** (अल बक़र : 184) तो जो शख़्स चाहता था कि रोज़ा न रखे वो फिद्या दे दिया करता था यहाँ तक कि अगली आयत **'लिहाज़ा अब जो शख़्स इस महीने को पाए उस पर लाज़िम है कि वो इस पूरे महीने के रोज़े रखे।'** (अल बक़र : 185) नाज़िल हुई और इसने पहली आयत को मंसूख़ कर दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल बक़र बाब 26)**

बाब 26 : रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा शाबान में करने का बयान

703. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ऐसा होता था कि मुझ पर रोज़ों की क़ज़ा वाजिब होती, लेकिन मैं उनको सिर्फ़ (आइन्दा) शाबान में ही रख सकती थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 40)

नोट : हज़रत आइशा (रज़ि.) रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा आइन्दा साल रमज़ान आने से एक महीने पहले या'नी शाबान में किया करती थी। इससे षाबित होता है कि रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा ईद के फ़ौरन बाद करना ज़रूरी नहीं है, साल में कभी भी क़ज़ा रोज़े रखे जा सकते हैं। इस आसानी के बावजूद भी अगर क़ज़ा करने में जल्दी की जाए तो बेहतर है क्योंकि मौत कब आ जाए, ये कोई नहीं जानता।

बाब 27 : मय्यित की तरफ़ से रोज़ों की क़ज़ा

704. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मर जाए और उसके ज़िम्मे रोज़े वाजिबुल अदा हों तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़े रखे।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 42)

---

705. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की खिदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ और उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी वालिदा का इंतिक़ाल हो गया है और उनके ज़िम्मे कुछ रोज़े वाजिबुल अदा थे, क्या मैं यह रोज़े उन की तरफ़ से क़ज़ा करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! नीज़ फ़र्माया, क्योंकि अल्लाह तआला का क़र्ज़ इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसे अदा किया जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 42)

बाब 29 : रोज़ेदार को अपनी ज़बान की हिफ़ाजत करनी चाहिए

706. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, रोज़ा ढाल है और रोज़ेदार को चाहिए कि न फ़हश–कलामी करे और न जाहिलों जैसा काम करे और अगर कोई शख़्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसे कहना चाहिये कि 'मैं रोज़े से हूँ।' दो मर्तबा।

(नीज़ आप ﷺ ने इर्शाद फ़र्माया) क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, 'रोज़ेदार मेरे ख़ातिर खाना–पीना और शहवते नफ़्स के तक़ाज़े पूरे करना छोड़ता है।' रोज़ा एक ऐसा अमल है जो ख़ालिसतन् मेरे लिये है और मैं ही इसका अज्र देता हूँ और नेकी का बदला दस गुना दिया जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 2)**

बाब 30 : रोज़े की फ़ज़ीलत

707. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला फ़र्माता है, 'इब्ने आदम के तमाम अअमाल उसकी अपनी ज़ात के लिये हैं सिवाय रोज़े के; कि रोज़ा मेरे लिये होता है और मैं ही इसका अज्र और बदला देता हूँ।' और रोज़ा ढाल है, और जिस दिन कोई शख़्स रोज़े से हो तो उसे चाहिए कि न तो फ़हश–कलामी करे, न चीखे–चिल्लाए और न झगड़े, और अगर कोई शख़्स उसे गाली दे या लड़े तो रोज़ेदार को चाहिए कि कह दे, 'मैं रोज़े से हूँ।' और क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ेदार को दो मसर्रतें (ख़ुशियाँ) हासिल होती हैं, जब इफ़्तार करता है तो ख़ुश होता है और जब अपने रब से मिलेगा तो वो उससे रोज़े के सबब ख़ुश होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 9)**

---

708. हदीषे सहल (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम 'बाबुर्रय्यान' (सैराब करने वाला) है उस दरवाजे से रोज़े क़ियामत सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाख़िल होंगे उनके सिवा कोई और उस दरवाज़े से दाख़िल नहीं होगा। पुकारा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? तो सब

रोज़ेदार उठ खड़े होंगे (और उस दरवाज़े से दाख़िल हो जाएँगे) और उनके सिवा उस दरवाज़े से कोई और दाख़िल न हो सकेगा क्योंकि जब यह सब दाख़िल हो जाएँगे तो यह दरवाज़ा फिर बन्द कर दिया ज़ाएगा और कोई दूसरा दाख़िल न होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 8)**

बाब 31 : मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के रोज़े की फ़ज़ीलत जबकि वो रोज़ा रखने की ताक़त रखता हो और किसी नुक़्सान के बग़ैर और किसी हक़ की अदायगी छोड़े बिना रोज़ा रखे

709. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को कहते हुए सुना है कि, जिस शख़्स ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करते हुए एक दिन रोज़ा रखा अल्लाह तआला उसके मुँह को जहन्नम से 70 बरस के फ़ासले तक दूर कर देगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 32)**

बाब 33 : भूलकर खाने–पीने और जिमाअ करने से रोज़ा नहीं टूटता

710. हदीषे अबू हुरैरह रज़ि. : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर रोज़ेदार भूलकर खा–पी ले तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे क्योंकि यह तो उसे अल्लाह तआला ने खिलाया–पिलाया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 26)**

बाब 34 : नबी करीम (ﷺ) के नफ़्ली रोज़े का बयान, मुस्तहब यह है कि कोई महीना रोज़े के बग़ैर न हो

711. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब रोज़े रखते थे तो मुसलसल रखते चले जाते थे यहाँ तक कि हमें ख़याल होता कि अब आप (ﷺ) रोज़ा छोड़ेंगे ही नहीं, और फिर जब आप (ﷺ) रोज़े रखना छोड़ देते तो (इतना वक़्फ़ा गुज़र जाता कि) हम ख़याल करते कि आप (ﷺ) अब रोज़ा रखेंगे ही नहीं। इसके अलावा मैंने आप (ﷺ) को रमज़ान के अलावा किसी पूरे महीने के रोज़े रखते नहीं देखा। इसी तरह मैंने आप (ﷺ) को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते नहीं देखा।
(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 52)

---

712. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) किसी महीने में शाबान से ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे। शाबान में आप (ﷺ) पूरे महीने रोज़ा रखते थे और आप (ﷺ) का इर्शाद है, वही नेक अमल शुरू करो जिसको करते रहने की तुममें ताक़त हो क्योंकि अल्लाह तआला तो षवाब अता करने से कभी नहीं थकेगा। अलबत्ता तुम इबादत और नेक काम करते–करते थक जाओगे। नबी करीम (ﷺ) को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज़ वो थी जो मुसलसल और बाक़ायदा पढ़ी जाए ख़्वाह मिक़्दार और ता'दाद में कम हो, ख़ुद आप (ﷺ) ने जो भी नमाज़ पढ़ी उसे हमेशा और मुसलसल पढ़ते रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 52)**

---

713. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने शाबान के सिवा किसी पूरे महीने के रोज़े नहीं रखे और आप (ﷺ) की आदते मुबारका यह थी कि जब रोज़े रखते तो रखते ही चले जाते थे, यहाँ तक कि आदमी ख़याल करता कि अल्लाह की क़सम! अब आप (ﷺ) रोज़े रखना कभी न छोड़ेंगे और फिर जब रोज़े रखना छोड़ देते तो कहने वाला कहता, अल्लाह की क़सम! अब आप (ﷺ) रोज़ा न रखेंगे। **(स़हीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 53)**

बाब 35 : सौमुद्दहर (मुसलसल रोज़े रखना) मना है अगर रोज़े से नुक़्सान पहुँचता हो या किसी की हक़तल्फ़ी होती हो, नीज़ अगर ईदैन और अय्यामे तशरीक़ में भी न छोड़ा जाए और एक दिन के वक़्फ़े से रोज़ा रखना जाइज़ है

714. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को ख़बर मिली कि मैंने क़सम खाई है कि ज़िंदगी भर मैं हमेशा दिन को रोज़े रखूँगा और सारी रात क़ियाम करूँगा। (आप ﷺ ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने ऐसा कहा है?) मैंने कहा, मेरे माँ–बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान! मैंने ऐसी बात कही तो थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम ऐसा करने की ताक़त नहीं रखते इसलिये रोज़े भी रखो और इफ़्तार भी करो; और रात को क़ियाम भी करो और सोओ भी। हर महीने में तीन रोज़े रखो, नेकी का बदला दस गुना है (गोया तीन रोज़ों का षवाब तीस दिन के बराबर होगा) और यह गोया हमेशा रोज़े रखने की तरह होगा। मैंने कहा, मैं इससे ज़्यादा करने की ताक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो ऐसा करो कि एक दिन रोज़ा रखो और दो दिन न रखो। मैंने कहा, मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन न रखो क्योंकि यही हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) का रोज़ा रखने का तरीक़ा था और यही रोज़े की सबसे बेहतर सूरत है। मैंने कहा, मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इससे बेहतर कोई सूरत नहीं। **(स़हीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 56)**

---

715. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) : हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे पूछा, क्या ऐसा नहीं है मुझे जो इत्तिला मिली है कि तुम दिन में रोज़े रखते हो और रातभर जागकर इबादत करते हो? मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह स़हीह है, ऐसा ही है। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तो फिर तुम आइन्दा ऐसा न करो बल्कि रोज़ा भी रखो और इफ़्तार भी करो। और रात को जागकर इबादत भी करो और नींद भी लो, इसलिये कि तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक़ है, तुम पर तुम्हारी आँखों का भी हक़ है तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक़ है और तुम पर तुम्हारे मेहमान का भी हक़ है (सबका हक़ अदा करो)। और तुम्हारे लिये यह काफ़ी है कि तुम हर महीने में तीन दिन के रोज़े रख लो क्योंकि हर नेकी का अज्र दस गुना मिलता है गोया (तीन रोज़े पूरे महीने के रोज़े हो गए और) यह हमेशा रोज़े रखने की तरह हो गया। लेकिन मैंने शिद्दत की और मुझ पर शिद्दत हो गई और मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ख़ुद में क़ुव्वत महसूस करता हूँ। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया तो फिर अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) के रोज़े रखो और इससे ज़्यादा हर्गिज़ न करो। मैंने कहा, हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) किस तरह रोज़े रखते थे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, निस्फ़े दहर या'नी आप (अलैहिस्सलाम) एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ़्तार करते थे।

बाद में जब हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बूढ़े हो गए तो कहा करते थे, काश! मैंने नबी करीम (ﷺ) की अ़ताकर्दा रुख़सत क़ुबूल कर ली होती। **(स़हीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 55)**

---

716. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने (मुझसे) इर्शाद फ़र्माया, कुर्आन एक महीने में (पूरा) पढ़ा करो। मैंने कहा, मैं (इससे ज़्यादा की) कुव्वत अपने अंदर पाता हूँ। यहाँ तक कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **अच्छा बस सात दिन में एक कुर्आन ख़त्म करो और इस हद से न बढ़ना।** **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले कुर्आन बाब 34)**

---

717. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे इर्शाद फ़र्माया, ऐ अब्दुल्लाह (रज़ि.)! फ़लाँ शख़्स की तरह मत करना कि वो पहले रात को जागकर इबादत किया करता था, और बाद में उसने क़ियामुल्लैल तर्क कर दिया या'नी छोड़ दिया।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 19)

---

718. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को ख़बर मिली कि मैं लगातार रोज़े रखता हूँ और रातभर नमाज़ पढ़ता हूँ तो या तो आप (ﷺ) ने मुझे बुलवा भेजा या मैं ख़ुद आप (ﷺ) से मिला तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क्या ऐसा नहीं है जो मुझे ख़बर मिली है कि तुम लगातार रोज़े रखते हो और कोई रोज़ा नहीं छोड़ते और (रातभर) नमाज़ पढ़ते हो? इसलिये ऐसा करो रोज़े भी रखो और छोड़ा भी करो और रात को जागकर नमाज़ भी पढ़ो और नींद भी लो क्योंकि तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी अपनी जान का भी और तुम्हारे अहलो—अयाल का भी तुम पर हक़ और हिस्सा वाजिब है। मैंने कहा, मैं इन सब कामों के लिये काफ़ी कुव्वत रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो दाऊद (अलैहिस्सलाम) जैसे रोज़े रखो। मैंने कहा, वो कैसे थे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ़्तार (नाग़ा) करते थे और जब दुश्मन से मुक़ाबला दरपेश होता तो गुरेज़ व फ़रार इख़्तियार नहीं करते थे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे यह जुरअत व शुजाअत (बहादुरी) कहाँ नसीब हो सकती है?

(हदीष के रावी) अता (रह.) कहते हैं कि मुझे मा'लूम नहीं कि हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 'सियामुल् अबद' (हमेशा रोज़े रखने) का ज़िक्र किस तरह छेड़ा और कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने हमेशा रोज़े रखे उसने गोया रोज़ा ही न रखा। यह फ़िक़रा आप (ﷺ) ने दो बार दोहराया। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 57)**

---

719. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे पूछा, क्या तुम हमेशा रोज़े रखते हो और रातभर नवाफ़िल पढ़ते रहते हो? मैंने कहा, हाँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा न करो। ऐसा करने से तुम्हारी आँखों में गड्ढे पड़ जाएँगे और बदन कमज़ोर हो जाएगा। जिसने हमेशा रोज़े रखे उसने गोया रोज़ा ही न रखा, तीन दिन के रोज़े ही सौमुद्दहर (हमेशा के रोज़े) हैं। मैंने कहा, मैं इससे ज़्यादा रखने की ताक़त रखता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) की तरह रखो, जो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे और दुश्मन से मुक़ाबला हो तो गुरेज़ व फ़रार इख़्तियार नहीं करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 59)

---

720. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे मुख़ातिब होकर फ़र्माया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज़ हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) की नमाज़ है और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा रोज़ा भी हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) का रोज़ा है। हज़रत दाऊद

(अलैहिस्सलाम) आधी रात सोते थे और फिर उठकर एक तिहाई रात इबादत करते थे फिर रात का छठा हिस्सा सोकर गुज़ारते थे और एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ़्तार करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तहज्जुद बाब 7)**

---

721. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से मेरे रोज़ों का ज़िक्र किया गया तो आप (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने आप (ﷺ) को एक चमड़े का तकिया पेश किया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी लेकिन आप (ﷺ) ज़मीन पर बैठ गए और तकिया मेरे और आप (ﷺ) के बीच था। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हारे लिये हर माह तीन दिन के रोज़े काफ़ी नहीं हैं? मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (मैं इससे ज़्यादा रख सकता हूँ)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर माह पाँच रख लो। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (यह भी कम हैं) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सात रख लो। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (यह भी कम हैं) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नौ रख लो। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (यह भी कम हैं मैं ज़्यादा रख सकता हूँ) फ़र्माया, अच्छा! 11 रख लो। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दाऊद (अलैहिस्सलाम) के रोज़ों से बढ़कर कोई रोज़े नहीं। और वो आधे माह के रोज़े, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन छोड़ दो। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 59)**

बाब 37 : शाबान के आख़िरी दिनों में रोज़े रखने का बयान

722. हदीषे इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) : हज़रत इमरान (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे पूछा, या किसी और शख़्स से पूछा और इमरान सुन रहे थे (रावी को शक है)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू फ़लाँ! क्या तुमने इस माह के आख़िर में कुछ रोज़े नहीं रखे? रावी कहता है, मेरा गुमान है कि हज़रत इमरान (रज़ि.) ने कहा था कि आप (ﷺ) ने 'इस महीनें' फ़र्माकर रमज़ान का महीना मुराद लिया था। उस शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! नहीं। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम इफ़्तार कर लो (रमज़ान ख़त्म हो जाए) तो दो दिन के रोज़े रख लेना। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 62)**

नोट : रावी ने जो गुमान किया है कि 'इस महीने' फ़र्माकर रमज़ान का महीना मुराद लिया था, सहीह नहीं है क्योंकि इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष को दूसरी सनद से भी नक़ल किया है और उसमें महीने की वज़ाहत कर दी है और वो महीना शाबान का है।

बाब 40 : ललतुल क़द्र की फ़ज़ीलत और उसके तलाश की तरग़ीब और उन दिनों का बयान जिनमें लैलतुल क़द्र की उम्मीद (उम्मीद) की जा सकती है

723. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) में से कई अफराद को ख़्वाब में दिखाया गया कि लैलतुल क़द्र रमज़ान की आख़िरी सात तारीख़ों में है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं देखता हूँ कि तुम सबके ख़्वाब आख़िरी सात दिनों के बारे में एक-दूसरे के मुताबिक़त रखते हैं इसलिये जो शख़्स लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहता हो रमज़ान के आख़िरी सात दिनों में तलाश करे।
(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़्लु लैलतिल क़द्रि बाब 2)

---

724. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ रमज़ान के बीच के अशरे में ऐतिकाफ़ में बैठे। फिर आप (ﷺ) बीस तारीख़ को सुबह के वक़्त बाहर तशरीफ़

लाए और आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया और फ़र्माया, मुझे लैलतुल क़द्र दिखाई गई थी लेकिन फिर वो मुझे भुला दी गई। लिहाज़ा तुम उसे आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। नीज़ मैंने (ख़्वाब में) यह भी देखा है कि मैं पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ इसलिये तमाम वो लोग जिन्होंने मेरे साथ ऐतिकाफ़ किया था वापस आ जाएँ (अभी ऐतिकाफ़ ख़त्म न करें)। चुनाँचे हम वापस आ गए उस वक़्त आसमान पर बादल का कोई हल्का सा टुकड़ा मौजूद न था, फिर बादल आ गए और बरसे हत्ताकि मस्जिद की छत जो खजूर की शाख़ों से बनी हुई थी टपकी (और मस्जिद में कीचड़ हो गया)। फिर मैंने आप (ﷺ) को पानी और कीचड़ में सज्दा करते देखा, यहाँ तक कि आप (ﷺ) की पेशानी पर मुझे कीचड़ का निशान नज़र आया।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़्लु लैलतिल क़द्रि बाब 2)

---

725. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के बीच के अशरे में ऐतिकाफ़ किया करते थे। फिर जब बीसवीं तारीख़ की शाम गुज़र जाती और 21वीं रात आ रही होती तो अपने घर तशरीफ़ ले जाते और जो लोग आप (ﷺ) के साथ ऐतिकाफ़ कर रहे होते वो भी घरों को लौट जाते थे। फिर एक रमज़ान में आप (ﷺ) उस रात को भी ऐतिकाफ़ में रहे जिसमें घर तशरीफ़ ले जाया करते थे और ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माया और जो कुछ अल्लाह को मंजूर था, बयान करने के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं इस अशरे में ऐतिकाफ़ किया करता था लेकिन अब मुझ पर इंकिशाफ़ हुआ है कि इस आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ करूँ। लिहाज़ा जो शख़्स भी इस बार मेरे साथ ऐतिकाफ़ में था उसे चाहिए कि अपने ऐतिकाफ़ की जगह पर ही ठहरे। मुझे ख़्वाब में लैलतुल क़द्र दिखाई गई थी फिर वो मुझे भुला दी गई। अब तुम उसे इस आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। नीज़ मैंने देखा है कि मैं पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। फिर उसी रात बारिश हुई और आप (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने की जगह से मस्जिद टपकी। यह 21वीं रात थीं, फिर मेरी आँखों ने वो मंज़र देख लिया। आप (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ का सलाम फेरा और मैंने आप (ﷺ) की तरफ़ नज़र उठाई तो आप (ﷺ) का चेहरा मुबारक कीचड़ और पानी से आलूदा था। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़्लु लैलतिल क़द्रि बाब 3)**

---

726. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ किया करते थे और फ़र्माया करते थे लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में तलाश करो। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़्लु लैलतिल क़द्रि बाब 3)**

किताबुल ऐतिकाफ़

बाब 1 : रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ करने का बयान

727. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ फ़र्माया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिकाफ़ बाब 1)**

---

728. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ फ़र्माया करते थे। (आप ﷺ का यही मअमूल रहा) यहाँ तक कि आपने वफ़ात पाई। फिर आपके बाद आप (ﷺ) की अज़्वाजे मुतहहरात ने ऐतिकाफ़ फ़र्माया।
(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिकाफ़ बाब 1)

बाब 2 : मुअतकिफ़ कब अपनी ऐतिकाफ़गाह में दाख़िल हो

729. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ फ़र्माया करते थे। मैं आप (ﷺ) के लिये एक ख़ैमा बना दिया करती थी और आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर उसमें दाख़िल हो जाया करते थे। फिर (एक बार) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से अपना खैमा लगाने की इजाज़त तलब की तो आपने उन्हें इजाज़त दे दी और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने खैमा लगा लिया। फिर जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत जैनब बिन्ते जहश ने हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का ख़ैमा देखा तो उन्होंने भी एक और ख़ैमा लगा लिया। सुबह के वक़्त जब नबी करीम (ﷺ) ने कई खैमे लगे हुए देखे तो फ़र्माया, यह क्या है? आप (ﷺ) से वाक़िआ बयान किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हारा ख़याल है कि नेकी इन ख़ैमों से वाबस्ता है? चुनाँचे आप (ﷺ) ने उस महीने में ऐतिकाफ़ न किया और बाद में शव्वाल में दस दिन ऐतिकाफ़ फ़र्माया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिकाफ़ बाब 6)**

बाब 3 : रमज़ान का आख़िरी अशरा इबादत की ज़्यादा कोशिश में गुज़ारना चाहिए

730. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि (रमज़ान के) आख़िरी अशरे में नबी करीम (ﷺ) इबादत व रियाज़त में शिद्दत के साथ मशग़ूल हो जाते थे, ख़ुद भी रातों को जागते और अपने घरवालों को भी बेदारी कराते। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़्लु लैलतिल क़द्रि बाब 5)**

किताबुल हज्ज

बाब 1 : एहराम बाँधने के बाद मुहरिम के लिये क्या मुनासिब है और क्या नहीं?

731. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! एहराम बाँधने वाला कौनसा लिबास पहने? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़मीस़, पाजामा और बारानकोट न पहनो और न अमामा बाँधो और मोज़े भी न पहनो, सिवाय इसके कि किसी शख़्स को जूता मयस्सर न हो तो मोज़े पहन ले और उन्हें टख़ने के नीचे से काट डाले और न ऐसा कपड़ा पहने जो ज़ा'फ़रान या वर्स में रंगा हुआ हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 21)**

नोट : वर्स यमन के इलाक़े का एक ख़ुश्बूदार पौधा है जिसका रंग ज़ा'फ़रान से मिलता–जुलता पीले रंग का होता है और इसे रंग और बू दोनों मक़ासिद (उद्देश्यों) के लिये इस्ते'माल किया जाता हैं।

---

732. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा था कि जिस वक़्त नबी करीम (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हो मुझे इत्तिला कर देना ताकि मैं देख सकूँ, यअला (रज़ि.) कहते हैं कि बाद में जब नबी करीम (ﷺ) मुक़ामे जिअराना में थे और आप (ﷺ) के साथ चंद सहाबा किराम (रज़ि.) भी थे, एक शख़्स आया और उसने कहा कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस शख़्स के लिये क्या हुक्म है जिसने उमरह का एहराम बाँध रखा हो और उसके कपड़े और जिस्म ख़ुश्बू में बसे हों? यह इस्तिफ़्सार सुनकर नबी (ﷺ) कुछ देर ख़ामोश रहे, फिर आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हुई। चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने मुझे (यअला रज़ि. को) इशारा किया और मैं क़रीब आ गया। उस वक़्त एक कपड़ा तना हुआ था जिससे आप (ﷺ) के ऊपर साया किया गया था। मैंने अपना सर उस कपड़े के अंदर करके देखा तो नबी करीम (ﷺ) का चेहरा मुबारक सुर्ख़ हो रहा था और ख़र्राटों की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर के बाद आप (ﷺ) की यह कैफ़ियत दूर हो गई और आप (ﷺ) ने पूछा, वो शख़्स कहाँ है जिसने उमरह के बारे में सवाल किया था? चुनाँचे उस शख़्स को बुलवाया गया फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो ख़ुश्बू तुम्हारे जिस्म पर लगी हुई हो उसे तीन बार धो डालो और जुब्बा (जिसमें ख़ुश्बू लगी हुई है) उतार दो; बाक़ी उमरह में भी वही कुछ करो जो कुछ हज्ज में किया जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब-17)**

बाब 2 : हज्ज और उमरह के मीक़ात

734. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) आगे दर्जशुदा मीक़ात मुक़र्रर फ़र्माते थे, अहले मदीना के लिये **'ज़ुल हुलैफ़ा'** अहले शाम के लिये, **'जुहफ़ा'** और अहले यमन के लिये **'यलमलम'** यह मीक़ात उन लोगों के लिये भी हैं जो इन इलाक़ो में रहते हैं और उनके लिये भी जो

दूसरे इलाक़ों से आएँ और हज्ज या उमरह के इरादे से इधर से गुज़रें और जो लोग ऐसे इलाक़ों में रहने वाले हैं। जो इन मीक़ातों के अंदर मक्का की तरफ़ वाक़ेअ हैं वो अपने घर से एहराम बाँधें। इसी तरह अहले मक्का, मक्का से ही एहराम बाँधे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 9)**

---

735. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अहले मदीना **'ज़ुल हुलैफ़ा'** से एहराम बाँधें और शाम वाले **'जुहफ़ा'** से और अहले नजद **'क़र्न'** से एहराम बाँधें, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, मुझे यह ख़बर भी मिली है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, और अहले यमन **'यलमलम'** से एहराम बाँधें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 8)**

बाब 3 : 'लब्बैक' कहने का वक़्त और तरीक़ा

736. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लब्बैक इस तरह फ़र्माया करते थे, **'लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक; लब्बैक ला शरीक—लक लब्बैक; इन्नल हम्द वन्नेअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक'** मैं हाज़िर हूँ ऐ मेरे अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ! मैं हाज़िर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं! मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ! बेशक हम्दो—षना तेरे लिये ही है और तमाम नेअमतें तेरी हैं और मुल्क भी तेरा है कोई तेरा शरीक नहीं! **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 26)**

बाब 4 : अहले मदीना ज़ुल हुलैफ़ा की मस्जिद से एहराम बाँधे

737. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने जब भी एहराम बाँधा मस्जिद के क़रीब से बाँधा, मस्जिद से आपकी मुराद ज़ुल हुलैफ़ा है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 20)

बाब 'लब्बैक' उस वक़्त पुकारा जाए जब ऊँटनी उठे

738. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : उबैद बिन जुरैह (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान (रज़ि.)! मैंने आपको चार ऐसी बातें करते देखा है जो आपके किसी साथी को करते हुए नहीं देखा। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, ऐ इब्ने जरीह! वो कौनसी बातें हैं? इब्ने जुरैह (रह.) ने कहा, एक तो मैंने देखा है कि काबा के अर्कान में से आप सिर्फ़ उन दो रुक्नों को हाथ से छूते हैं जिन्हें (जानिबे यमन होने की बिना पर) रुक्ने—यमानी कहा जाता है; दूसरे मैंने देखा है कि आप 'सब्ती' (जूते की एक क़िस्म) पहनते हैं; तीसरे आप (अपनी दाढ़ी या लिबास) ज़र्द रंगते हैं; चौथे जब आप (ﷺ) मक्का में थे तो मैंने देखा कि लोगों ने चाँद देखकर एहराम बाँध लिया और **'लब्बैक'** कहना शुरू कर दिया था लेकिन आपने यौमे तरविया (ज़िल्हिज्ज की आठ तारीख़) से पहले न एहराम बाँधा और न लब्बैक कहा।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि अर्काने काबा का मुआमला तो ये है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को सिर्फ़ यही दोनों यमानी रुक्न छूते हुए देखा है, निआल सब्ती के बारे में ये है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को ऐसी जूतियाँ पहनते देखा है जिनमें बाल न हों और उनमें ही वुज़ू कर लिया करते थे (या'नी वुज़ू के बाद

गीले पाँव में जूती पहन लिया करते थे)। लिहाज़ा मैं भी यह जूती पहनना महबूब रखता हूँ, बाक़ी ज़र्द रंग! तो मैंने नबी करीम (ﷺ) को यह रंग इस्ते'माल करते देखा है लिहाज़ा मैं भी यह रंग इस्ते'माल करना पसंद करता हूँ और एहराम और लब्बैक क़हने के बारे में ये है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को लब्बैक कहते उस वक़्त तक नहीं देखा जब तक कि आपकी ऊँटनी खड़ी न हो जाती। (इसलिये मैं भी ऐसा ही करता हूँ)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 30)**

बाब 7 : एहराम बाँधते वक़्त ख़ुश्बू लगाना जाइज़ है

739. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) के एहराम बाँधते वक़्त मैं आप (ﷺ) के (जिस्म या लिबास में) ख़ुश्बू लगाया करती थी इसी तरह जब आप (ﷺ) इहराम खोलना चाहते तो ख़ाना काबा के तवाफ़ (इफ़ाज़ा या विदाअ) से पहले आप (ﷺ) को ख़ुश्बू लगा दिया करती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 18)**

नोट : जुम्हूर (उलमा) उलमा का मसलक यही है कि एहराम से पहले ख़ुश्बू का इस्तेमाल मुस्तहब है लेकिन इस ख़ुश्बू का अषर एहराम के बाद बाक़ी नहीं रहना चाहिये क्योंकि एहराम की हालत अगर जिस्म या लिबास में मौजूद हो तो उसको धोना ज़रूरी है जैसा कि हज़रत यअला (रज़ि.) की हदीष से षाबित होता है। एहराम खोलने से पहले जुमर–ए–अक़बा की रमी के बाद और तवाफ़े–इफ़ाज़ा से पहले ख़ुश्बू का इस्तेमाल व हलक़ (सर मुण्डाना) जाइज़ है। जुम्हूर उलमा का मसलक यही है।

---

740. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरी आँखें इस वक़्त भी वो चमक देख रही हैं जो ब-वक़्ते एहराम रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग में ख़ुश्बू लगाने से पैदा हो गई थी और बहालते एहराम भी नज़र आ रही थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल गुस्ल बाब 14)**

बाब 8 : एहराम बाँधने के बाद शिकार करना हराम है

742. हदीषे सअब बिन जषामा लैषी (रज़ि.) : हज़रत सअब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में जिस वक़्त आप (ﷺ) मुक़ामे अबवा में या मुक़ामे वद्दान में थे। एक जंगली गधा (ज़िन्दा) बतौरे हद्या पेश किया तो आप (ﷺ) ने वो मुझे वापस लौटा दिया। फिर जब आप (ﷺ) ने मेरे चेहरे पर मलाल के अषरात देखे तो इर्शाद फ़र्माया, यह महज़ इस बिना पर वापस लौटाया है कि इस वक़्त हम एहराम की हालत में हैं। **(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 6)**

---

743. हदीषे अबू क़तादा (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के साथ मुक़ामे क़ाहा तक पहुँचे थे। हममें कुछ लोग एहराम बाँधे हुए थे और कुछ बग़ैर एहराम के थे कि मैंने अपने साथियों को देखा कि वो कोई चीज़ एक–दूसरे को दिखा रहे हैं चुनाँचे मैंने भी नज़र उठाकर देखा तो वो एक गोरख़र था... उसकी मुराद यह है कि उसका कोड़ा गिर गया, तो दूसरों ने कहा कि इस शिकार में हम तुम्हारी कुछ मदद नहीं करेंगे क्योंकि हम एहराम में हैं। वो (चाबुक) मैंने ख़ुद उतरकर उठा लिया फिर मैं टीले के पीछे से होकर गोरख़र तक पहुँचा और मैंने (नेज़ा मारकर) उसकी कूँचे काट दीं और उठाकर साथियों के पास ले आया (यहाँ इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया) बाज़ ने कहा कि खा लेना चाहिए और बाज़ ने कहा कि न खाओ। चुनाँचे मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर

हुआ क्योंकि आप (ﷺ) हमारे आगे तशरीफ़ ले जा रहे थे और मैंने आप (ﷺ) से (उस शिकार के बारे में) पूछा तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, उसे खाओ! वो ह़लाल है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब जज़ाउस़्स़ैद बाब 4)**

---

744. ह़दीष़े अबू क़तादा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) के बेटे अ़ब्दुर्रह़मान (रह.) बयान करते हैं कि जिस साल सुलेह़ हुदैबिया हुई थी मेरे वालिद भी साथ गए थे, उनके साथियों ने एह़राम बाँध रखा था लेकिन वो ख़ुद बग़ैर एह़राम के थे और नबी करीम (ﷺ) को इत्तिला मिली थी कि दुश्मन आप (ﷺ) से जंग करना चाहते हैं। चुनाँचे आप (ﷺ) रवाना हुए (अबू क़तादा रज़ि. ने बयान किया) और मैं भी स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) के साथ था। अचानक वो एक-दूसरे को देखकर हँसने लगे, मैंने भी नज़र उठाकर देखा तो वहाँ एक गोरख़र नज़र आया। मैंने उस पर ह़मला किया और नेज़ा मारकर उसे रोक लिया और अपने साथियों से मदद माँगी तो उन्होंने मेरी मदद करने से इंकार कर दिया फिर हमने उसका गोश्त खाया और (चूँकि हम इस कार्रवाई की वजह से पीछे रह गए थे) हमें ख़ौफ़ हुआ कि कहीं हम नबी करीम (ﷺ) से जुदा न हो जाएँ। लिहाज़ा मैं आप (ﷺ) की तलाश में चला कभी अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाता तो कभी आहिस्ता चलाता। फिर आधी रात के वक़्त मुझे बनी ग़िफ़ार का एक शख़्स़ मिला और मैंने उससे पूछा कि तुमने नबी करीम (ﷺ) को किस जगह पर छोड़ा है? उसने बताया कि मैंने आप (ﷺ) को मुक़ामे तअ़ह्हुन में छोड़ा था और आप (ﷺ) सुक़िया में दोपहर को क़ैलूला करने का इरादा रखते थे। (जब मैं आप ﷺ की ख़िदमत में पहुँचा था) तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके अस़्ह़ाब आप (ﷺ) पर सलाम व रह़मत भेजते हैं, उन्हें डर था कि दुश्मन कहीं बीच में हाइल होकर उन्हें आप (ﷺ) से अलग न कर दे, इसलिये आप (ﷺ) उनका इंतज़ार फ़र्मा लीजिए। नीज़ मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक गोरख़र शिकार किया था और मेरे पास उसका कुछ गोश्त बचा हुआ है। आप (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया, खाओ! हालाँकि वो सब एह़राम बाँधे हुए थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब जज़ाउस़्स़ैद बाब 2)**

---

745. ह़दीष़े अबू क़तादा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ह़ज्ज के लिये रवाना हुए और आप (ﷺ) के साथ स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) भी चले। फिर आप (ﷺ) ने एक जमाअ़त को जिसमें ह़ज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) भी शामिल थे दूसरी तरफ़ मोड़ दिया और उन्हें ह़ुक्म दिया गया कि तुम समुन्दर के किनारे के रास्ते से चलो, आगे चलकर हम फिर आपस में मिल जाएँगे। चुनाँचे ये लोग समुन्दर के किनारे-किनारे चल पड़े फिर जब लौटे तो सबने एह़राम बाँध लिया। मगर अबू क़तादा (रज़ि.) ने एह़राम न बाँधा। फिर चलते-चलते रास्ते में उन्हें गोरख़र नज़र आया और अबू क़तादा (रज़ि.) ने उन पर ह़मला कर दिया और उनमें से एक मादा गोरख़र का शिकार कर लिया, फिर सब साथी उतर पड़े, और उन्होंने उसमें से कुछ गोश्त खाया, फिर कहने लगे कि क्या इस सूरत में कि हम एह़राम में हैं हम शिकार का गोश्त खा सकते हैं? लिहाज़ा हमने उसका बाक़ी बचा गोश्त उठा लिया और जब नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे तो कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम सबने एह़राम बाँध लिया था और अबू क़तादा (रज़ि.) ने एह़राम नहीं बाँधा था, फिर हमें गोरख़र नज़र आए तो अबू क़तादा (रज़ि.) ने उन पर ह़मला कर दिया और उनमें से एक मादा को गिरा लिया फिर हम सब उतर पड़े और हमने उसमें से थोड़ा सा गोश्त खाया बाद में हमें ख़याल आया कि हम एह़राम बाँधे हुए हैं और शिकार का गोश्त खा रहे हैं। चुनाँचे बाक़ी गोश्त हम अपने साथ उठा लाए हैं। आप (ﷺ) ने पूछा, क्या तुममें से किसी ने उन्हें ह़मला करने को कहा था या शिकार की तरफ़ इशारा किया था? कहने लगे, नहीं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर तुम बाक़ी बचा गोश्त भी खा लो।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब जज़ाउस़्स़ैद बाब 5)

बाब 9 : मुहरिम (एहराम वाले) और ग़ैर-मुहरिम (बिना एहराम वाले) को हरम से बाहर कौन—कौनसे जानदार मारने की इजाज़त है?

746. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, पाँच जानदार बदमाश हैं जिन्हें हरम में भी हलाक़ कर देना चाहिए कौआ, चील, बिच्छू, चूहा और कटखना कुत्ता। **(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 7)**

---

747. हदीषे हफ़्सा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच जानदार ऐसे हैं जिनको हलाक़ करने वाले पर कोई गुनाह नहीं है, कौआ, चील, चूहा, बिच्छू और कटखना कुत्ता। **(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 7)**

---

748. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच जानवर ऐसे हैं कि जिनको एहराम बाँधे हुए भी हलाक़ करने में कोई गुनाह नहीं है। **(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 7)**

बाब 10 : सर में कोई तकलीफ़ हो तो मुहरिम सर मुँडवा सकता है (अलबत्ता उस पर फ़िदया वाजिब होगा)

749. हदीषे कअ़ब बिन उजरह (रज़ि.) : हज़रत कअ़ब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने (मुझसे) फ़र्माया, ग़ालिबन तुमको तुम्हारे सर की जूएँ तक्लीफ़ दे रही हैं। मैंने कहा, हाँ या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपना सर मुँडा दो और तीन दिन के रोज़े रख लो या छः मिस्कीनों को खाना खिला दो या एक बकरी की क़ुर्बानी दे दो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मुहस्सिर बाब 5)**

---

750. हदीषे कअ़ब बिन उजरह (रज़ि.) : अब्दुल्लाह बिन मअ़क़ल (रह.) बयान करते हैं कि मैं इस मस्जिद में या'नी मस्जिदे कूफ़ा में हज़रत कअ़ब (रज़ि.) के पास बैठा और मैंने उनसे आयते करीमा **फ़िद्यतम्मिन सियाम** के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया उस वक़्त जूएँ मेरे सर से चेहरे तक बिखर रही थीं। आप (ﷺ) ने यह देखकर फ़र्माया, मुझे यह ख़याल नहीं था कि तुम इस क़दर तक्लीफ़ में हो। क्या तुम एक बकरी ज़िब्ह नहीं कर सकते? मैंने कहा, 'नहीं!' आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, फिर तीन रोज़े रख लो या छः मिस्कीनों को खाना खिला दो या'नी हर मिस्कीन को आधा साअ़ (ढाई किलो) के बराबर गेहूँ दो और अपना सर मुँडा दो तो यह आयत बतौरे ख़ास मेरे सिलसिले में नाज़िल हुई थी और तुम सबके लिये इसका हुक्म आम है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल बक़र बाब 32)**

बाब 11 : बहालते एहराम पछने लगवाना जाइज़ है

751. हदीषे इब्ने बुहैना (रज़ि.) : हज़रत बुहैना (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुक़ामे लहये जमल में बहालते एहराम अपने सर के बीच में पछने लगवाए। **(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 11)**

बाब 13 : एहराम की हालत में जिस्म और सर को धोना जाइज़ है

752. हदीषे अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) : अब्दुल्लाह (रह.) बिन हुनैन बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) के बीच मुक़ामे अबवा में बहालते एहराम गुस्ल करने के मसले पर इख़्तिलाफ़ हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा कि एहराम की हालत में सर धोना जाइज़ है और हज़रत मिस्वर (रज़ि.) कहते थे कि एहराम की हालत में हाजी सर नहीं धो सकता। लिहाज़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने मुझे हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) के पास भेजा। जब मैं उनके पास पहुँचा तो वो कुएँ की दो लकड़ियों के बीच एक कपड़े की ओट किए गुस्ल कर रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं अब्दुल्लाह बिन हुनैन हूँ, मुझे आपके पास हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने भेजा है ताकि मैं आपसे यह पूछूँ कि नबी करीम (ﷺ) एहराम की हालत में अपना सरे मुबारक किस तरह धोया करते थे? चुनाँचे अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) ने कपड़े पर अपना हाथ रखकर उसे इतना नीचे किया कि आपका सर नज़र आने लगा। फिर जो शख़्स उन पर पानी डाल रहा था, उससे कहा, पानी डालो! उसने आपके सर पर पानी डाला और आपने अपने हाथों को सर पर हरकत दी और पहले दोनों हाथ आगे की तरफ़ लाए फिर पीछे ले गए और कहा, मैंने नबी करीम (ﷺ) को इसी तरह करते हुए देखा है। **(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 14)**

बाब 14 : बहालते एहराम हाजी का इंतिक़ाल हो जाए तो क्या करना चाहिए?

753. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स अरफ़ा के दिन वुक़ूफ़ की हालत में था कि अचानक अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि इसे बेरी के पत्ते वाले पानी से गुस्ल दो और दो कपड़ों का कफ़न दो और इसे न तो ख़ुश्बू लगाओ और न ही इसका सर ढाँपो क्योंकि यह क़ियामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 20)

बाब 15 : एहराम बाँधते वक़्त हाजी यह मशरूते निय्यत कर सकता है कि अगर वो बीमार हो गया या और कोई उज़्र लाहिक़ हो गया तो एहराम खोल देगा

754. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) हज़रत ज़बाआ बिन्ते ज़ुबैर (रज़ि.) के पास तशरीफ़ ले गए और उनसे पूछा, ग़ालिबन तुमने हज्ज का इरादा किया है? उन्होंने कहा, 'हाँ!' अल्लाह की क़सम! लेकिन मैं अकषर बीमार हो जाती हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम हज्ज करो और (बवक़्ते एहराम) शर्त कर लो, इस तरह कहो, ऐ अल्लाह! मैं वहीं एहराम खोल दूँगी जहाँ तू मुझे रोक देगा। यह सहाबिया हज़रत मिक़्दाद बिन अल अस्वद (रज़ि.) के निकाह में थीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 15)

बाब 17 : एहराम की मुख़्तलिफ़ क़िस्मों का बयान और यह कि हज्ज की तीनों क़िस्मों या'नी इफ़राद, तमत्तोअ और क़िरान जाइज़ हैं

755. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज्जतुल विदाअ

के मौक़े पर हम नबी करीम (ﷺ) के साथ रवाना हुए तो पहले हमने सिर्फ़ उमरह की निय्यत से एहराम बाँधा और तल्बिया कहा। बाद में नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि जिसके पास हद्य (कुर्बानी का जानवर) हो वो हज्ज और उमरह दोनों की निय्यत से **'तल्बिया' (लब्बैक)** कहे और उस वक़्त तक एहराम न खोले जब तक दोनों से फ़ारिग़ न हो जाए। फिर जब हम मक्का पहुँचे तो चूँकि मैं बहालते हैज़ थी इसलिये मैंने न बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और न सफ़ा और मरवा के बीच सई की और जब मैंने नबी करीम (ﷺ) से शिकायत की कि मेरी हालत यह है तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अपने सर के बाल खोल डालो और कँघी कर लो और उमरा तर्क कर दो और सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँध लो। चुनाँचे जब हम सब हज्ज से फ़ारिग़ हो चुके तो आप (ﷺ) ने मुझे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) के साथ मुक़ामे तन्ईम की तरफ़ भेजा और वहाँ से मैंने (उमरा का एहराम बाँधकर) उमरा किया। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह उमरा तुम्हारे उस उमरे का बदल है (जो छूट गया था)। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि जिन लोगों ने उमरे का एहराम बाँधा था उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सई की फिर एहराम खोल दिया इसके बाद जब मिना से वापस आये तो एक तवाफ़ और किया, लेकिन जिन लोगों ने हज्ज और उमरा किया था उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ़ किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 31)**

---

756. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर जब हम नबी करीम (ﷺ) के साथ रवाना हुए तो कुछ लोगों ने उमरे की निय्यत से एहराम बाँधा था और कुछ ने हज्ज की निय्यत से एहराम बाँधा था। फिर जब हम मक्का पहुँचे तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने उमरे का एहराम बाँधा है लेकिन वो कुर्बानी का जानवर साथ न लाया वो एहराम खोल दे और जिसने उमरे का एहराम बाँधा था और उसके साथ कुर्बानी का जानवर भी है वो उस वक़्त तक एहराम न खोले जब तक कुर्बानी न कर ले और जिसने हज्ज की निय्यत से एहराम बाँधा और लब्बैक कहा है वो अपना हज्ज पूरा करे। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि इस तमाम अर्से में मुझे हैज़ आता रहा यहाँ तक कि वक़ूफ़े अरफ़ा का दिन (9 ज़िलहिज्ज) आ गया और मैंने सिर्फ़ उमरे की निय्यत से एहराम बाँधा था, फिर नबी करीम (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने सर के बाल खोल दूँ और कँघी करूँ और हज्ज की निय्यत से एहराम बाँध लूँ और उमरे को तर्क कर दूँ। चुनाँचे मैंने ऐसा ही किया और अपना हज्ज पूरा कर लिया इसके बाद नबी करीम (ﷺ) ने मेरे साथ अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र को रवाना किया और मुझे हुक्म दिया कि मैं (तनईम जाकर उमरे का एहराम बाँधू और) अपने (फ़ौतशुदा) उमरे के बदले में उमरा अदा करूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 18)**

---

757. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम रवाना हुए और ख़याल यही था कि हज्ज करने जा रहे हैं फिर जब मुक़ामे सरिफ़ पर पहुँचे तो मैं हाइज़ा हो गई और मैं रोने लगी। उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे रोता देखकर फ़र्माया, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम हाइज़ा हो गई हो? मैंने कहा, 'हाँ!' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह चीज़ तो अल्लाह तआला ने आदम (अलैहिस्सलाम) की बेटियों की तक़्दीर में लिखी है (जिससे चारा नहीं)। सो अब तुम सिवाय तवाफ़े-बैतुल्लाह के तमाम वो अरकान बजा लाओ जो हाजी अदा करते हैं। नीज़ हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात की तरफ़ से गायें कुर्बान की थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 1)**

---

758. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम हज्ज का एहराम बाँधकर हज्ज के महीनों में और हज्ज के आदाब के साथ रवाना हुए, जब हमने मुक़ामे सरिफ़ पर पहुचकर क़ियाम

किया तो नबी करीम (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को हुक्म दिया कि जिसके साथ क़ुर्बानी का जानवर न हो और अगर वो उमरा करना चाहता है तो उमरे की निय्यत कर ले और जिसके साथ क़ुर्बानी का जानवर है वो ऐसा न करे (या'नी वो हज्ज ही करे)। नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) के सहाबा किराम में से कुछ लोगों के पास क़ुर्बानी करने की ताक़त थी उन सबने उमरा की निय्यत न की, फिर नबी करीम (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी, आप (ﷺ) ने पूछा, तुम किस बात पर रो रही हो? मैंने कहा, आप (ﷺ) ने जो कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) से फ़र्माया है वो मैंने सुन लिया है लेकिन मैं उमरे से रोक दी गई हूँ। आप (ﷺ) ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती (या'नी माहवारी शुरू हो गई है)। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, इससे तुम्हें कोई नुक़्सान नहीं, तुम भी आख़िर आदम (अलैहिस्सलाम) की बेटी हो। और तुम्हारा मुक़द्दर भी वही है जो तमाम आदम (अलैहिस्सलाम) की बेटियों का है (या'नी हैज़ का आना औरत के लिये अल्लाह की बनाई हुई तक़्दीर है जिससे चारा व मफ़र नहीं) इसलिये तुम मौजूदा हालत में पहले हज्ज कर लो और हो सकता है अल्लाह तुमको उमरा भी नसीब करे।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं इसी हाल में रही यहाँ तक कि हम मिना से रवाना हुए फिर हम मुहस्सब में उतरे। उस वक़्त आप (ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) को बुलाया और इर्शाद फ़र्माया, अपनी बहन को हरम से बाहर ले जाओ ताकि वो उमरे का एहराम बाँध लें फिर तुम दोनों अपने तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर यहाँ पहुँच जाना मैं तुम्हारा इसी जगह इंतिज़ार करूँगा। चुनाँचे हम लोग फ़ारिग़ होकर आधी रात में पहुँचे। आप (ﷺ) ने पूछा, तुम दोनों अपने मनासिक से फ़ारिग़ हो गए? मैंने कहा, हाँ! चुनाँचे आप (ﷺ) ने अपने सहाबा किराम में कूच का ऐलान करा दिया और सब लोग चल पड़े और वो लोग भी साथ हो गए जिन्होंने नमाज़े फ़ज्र से पहले रात में ही तवाफ़ (विदाअ) कर लिया था और सब मदीना की ओर चल पड़े। **(सहीह बुख़ारी किताबुल उमरह बाब 9)**

---

759. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ रवाना हुए सबका ख़याल यही था कि हज्ज के लिये जा रहे हैं। जब हम मक्का पहुँच गए और खान-ए-काबा का तवाफ़ कर लिया तो नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि जो लोग क़ुर्बानी का जानवर साथ नहीं लाए वो एहराम खोल दें। चुनाँचे जिनके साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं था उन्होंने एहराम खोल दिया और मुझे चूँकि माहवारी शुरू हो गई थी, इसलिये मैंने खाना काबा का तवाफ़ भी नहीं किया। फिर जब रात हुई तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोग तो हज्ज और उमरह करके लौटेंगे और मेरा सिर्फ़ हज्ज होगा। आप (ﷺ) ने पूछा, जब हम मक्का पहुँचे थे तो क्या तुमने तवाफ़ नहीं किया था? मैंने कहा, नहीं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो तुम अपने भाई के साथ मुक़ामे तनईम तक जाओ और उमरे का एहराम बाँधो, फिर फ़लाँ मुक़ाम पर हमसे आ मिलो। (इसी मौक़े पर) उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया (रज़ि.) ने कहा, मेरा ख़याल है कि मैं तुम सबके रुकने की वजह बनूँगी (या'नी आप रज़ि. को भी माहवारी शुरू हो गई थी और आपको ख़याल हुआ कि तवाफ़े विदाअ की वजह से रुकना पड़ेगा)। नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत सफ़िया (रज़ि.) से मुख़ातिब होकर कहा, क्या तुमने यौमुन्नहर तवाफ़े (इफ़ाज़ा) नहीं किया था? उन्होंने कहा, यह तवाफ़ तो किया था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर कोई हर्ज नहीं। तुम हमारे साथ कूच करो। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि फिर मैं नबी करीम (ﷺ) से इस तरह आकर मिली कि आप (ﷺ) मक्का से (मदीना की तरफ़ रवाना होने के लिये) सतहे मुरतफ़अ पर चढ़ रहे थे और मैं मक्का के नशीब में (नीचे) उतर रही थी (रावी को मुग़ालता है कि शायद आपने यह कहा कि) मैं चढ़ रही थी और आप (ﷺ) उतर रहे थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 34)

---

760. हदीषे अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) : हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) को अपनी सवारी पर बैठाकर मुक़ामे तनईम तक ले जाऊँ और (वहाँ से उमरे का एहराम बाँधकर) आप उमरह कर आएँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल उमरह बाब)**

---

761. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : अता (रह.) रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से कुछ ओर लोगों की मौजूदगी में बयान करते हुए सुना है कि हम या'नी नबी करीम (ﷺ) के सहाबा किराम (रज़ि.) ने ख़ालिस हज्ज का एहराम बाँधा इसके साथ उमरे की निय्यत न थी। अता (रह.) का बयान है कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ज़िलहिज्ज की चौथी तारीख़ को सुबह के वक़्त (मक्का) तशरीफ़ लाए और जब हम लोग आप (ﷺ) के पास आए तो आप (ﷺ) ने हुक्म दिया कि हम एहराम खोल दें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एहराम खोल दो और औरतों के पास जाओ।' अता (रह.) कहते हैं कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि आप (ﷺ) ने उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था बल्कि एहराम खोलने के बाद औरतों के पास जाना हलाल कर दिया था। फिर आप (ﷺ) को ख़बर मिली कि हम लोग यह कहते हैं कि अब जबकि वुक़ूफ़े अरफ़ा में सिर्फ़ पाँच दिन बाक़ी रह गए हैं आप (ﷺ) ने यह हुक्म दिया है कि हम अपनी औरतों से सुहबत करें। गोया हम वक़ूफ़े अरफ़ा में इस हालत में जाएँ कि हमारे अअज़ाए तनासुल से मज़ी टपक रही हो। अता (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उसको हिलाकर दिखाया कि इस तरह। यह ख़बर मिलते ही आप (ﷺ) उठ खड़े हुए और फ़र्माया, तुमको अच्छी तरह मा'लूम है कि मैं तुम सबके मुक़ाबले में अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला और सबसे ज़्यादा नेकोकार हूँ और अगर मेरे साथ क़ुर्बानी का जानवर न होता तो मैं भी तुम्हारे साथ एहराम खोल देता। लिहाज़ा तुम एहराम खोल दो और अगर मुझे यह हुक्म पहले ही मा'लूम हो जाता जो बाद में मा'लूम हुआ है तो मैं क़ुर्बानी का जानवर साथ लेकर न चलता। चुनाँचे हमने आपका इर्शादे गिरामी सुना और दिलो—जान से इताअत की और एहराम खोल दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतसाम बाब 27)**

---

762. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत अली (रज़ि.) को हुक्म दिया था कि वो एहराम न खोलें। हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि सूरते वाक़िआ यह थी कि हज़रत अली (रज़ि.) (यमन से) अम्वाले सदक़ात की तहसील (वसूली) लेकर आए थे तो नबी करीम (ﷺ) ने उनसे पूछा, ऐ अली (रज़ि.)! तुमने एहराम बाँधते वक़्त क्या निय्यत की थी? हज़रत अली (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने यह निय्यत की थी कि जैसा एहराम नबी (ﷺ) ने बाँधा है वैसा मैं बाँधता हूँ। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर तो तुम क़ुर्बानी भी दो और अपने एहराम पर क़ायम रहो। (या'नी एहराम खोलने का जो हुक्म दूसरे सहाबा किराम (रज़ि.) को दिया गया है उसका इत्लाक़ हज़रत अली (रज़ि.) पर नहीं होता क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने भी क़ुर्बानी का जानवर साथ लाने की वजह से एहराम नहीं खोला था और हज़रत अली (रज़ि.) पर भी उनकी निय्यते एहराम की वजह से उसी सूरत का इत्लाक़ होता था)। हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के लिये भी क़ुर्बानी का जानवर हज़रत अली (रज़ि.) ही लाए थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 61)**

---

763. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) ने हज्ज की निय्यत करके एहराम बाँधा। इनमें से सिवाय नबी करीम (ﷺ) के और हज़रत तलहा (रज़ि.) के किसी के साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं था और हज़रत अली (रज़ि.) यमन से आए थे और उनके साथ भी क़ुर्बानी का जानवर था। हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा कि मैंने एहराम बाँधते वक़्त यह निय्यत

की थी कि जो एहराम नबी करीम (ﷺ) का है वही एहराम मेरा है और इस मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को यह इजाज़त दी थी कि जिनके पास कुर्बानी का जानवर है उनके सिवा बाक़ी सब इस एहराम को हज्ज की बजाए उमरह का कर दें और खान–ए–काबा का तवाफ़ करने के बाद एहराम खोल दें और बाल कटवा दें। तो बाज़ सहाबा किराम (रज़ि.) ने कहा, इसके मअनी यह हुए कि हम मिना की तरफ़ इस हालत में जाएँगे कि हमारी शर्मगाहों से मनी टपक रही होगी। इस बात की ख़बर जब नबी करीम (ﷺ) को हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर जो हिदायत मुझे बाद में दी गई है अगर वो मुझे पहले ही मा'लूम हो जाती तो मैं अपने साथ कुर्बानी न लाता और अगर मेरे साथ कुर्बानी का जानवर न होता तो मैं भी एहराम खोल देता। नीज़ हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि (उसी मौक़े पर) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) को माहवारी शुरू हो गई तो उन्होंने तवाफ़े बैतुल्लाह के सिवा तमाम मनासिके हज्ज अदा किए। फिर जब हज़रत आइशा (रज़ि.) पाक हो गईं और उन्होंने तवाफ़े बैतुल्लाह कर लिया तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सब लोग तो हज्ज और उमरह करके चले जाएँगे और मैं सिर्फ़ हज्ज करूँगी? चुनाँचे आप (ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया कि वो हज़रत आइशा (रज़ि.) के साथ तनईम तक जाएँ चुनाँचे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज्ज के बाद उमरह किया और ज़िलहिज्ज में किया।

नीज़ हज़रत सुराक़ा (रज़ि.) बिन मालिक बिन जअशम नबी करीम (ﷺ) से उक़्बा में रम्ये जिमार करते हुए मिले और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह इजाज़त (या'नी एहरामे हज्ज को उमरे में बदलने और उमरह करके एहराम खोल देने और अय्यामे हज्ज में उमरह करने की इजाज़त) सिर्फ़ हमारे लिये ही मख़सूस है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह हमेशा के लिये है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल उमरह बाब 6)**

बाब 21 : वुक़ूफ़े अरफ़ा और इर्शादे बारी तआला षुम्म अफ़ीज़ू मिन् हैषु अफ़ाज़न्नासु का बयान

764. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उर्वा (रह.) बयान करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में हिम्स के अलावा बाक़ी सब लोग खान–ए–काबा का तवाफ़ नंगे होकर किया करते थे। (हिम्स से मुराद कुरैश और उनकी औलाद हैं) और हिम्स षवाब की ख़ातिर लोगों को कपड़े देते थे। मर्द, मर्दों को और औरतें, औरतों को अपने–अपने कपड़े देते थे जिनको पहनकर वो तवाफ़ करते थे और जिसको हिम्स कपड़े न देते वो नंगा ही तवाफ़ करता था। नीज़ और सब लोग तो अरफ़ात जाकर वापस आया करते थे, लेकिन हिम्स (कुरैश) मुज़दलिफ़ा से ही लौट जाते थे। उर्वा (रह.) कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि आयते करीमा **'फिर जहाँ से सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो।'** (सूरह बक़र : 199) हिम्स के बारे में नाज़िल हुई है, यह लोग पहले मुज़दलिफ़ा से लौट जाते थे इसीलिये उन्हें अरफ़ात जाने का हुक्म दिया गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 91)**

---

765. हदीषे जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) : हज़रत जुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरा ऊँट गुम हो गया था चुनाँचे मैं अरफ़ा के दिन उसे तलाश करने के लिये निकला तो मैंने देखा कि नबी करीम (ﷺ) अरफ़ात में ठहरे हुए हैं। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की क़सम! यह तो हिम्स के लोग हैं इन्हें क्या हुआ जो यहाँ तक आ गए। (या'नी कुरैश तो मुज़दलिफ़ा से आगे नहीं जाया करते थे इसलिये नबी करीम (ﷺ) को अरफ़ात में देखकर उन्हें हैरानी हुई)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 91)

बाब 22 : एहराम खोलने की इजाज़त का मंसूख़ होना और जिस नियत से बाँधा था उसी के मुताबिक़ मनासिक अदा करने का हुक्म

766. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) उस वक़्त बत्हा में थे, आप (ﷺ) ने मुझसे पूछा, क्या तुमने हज्ज किया? मैंने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने पूछा, किस नियत से एहराम बाँधा था? मैंने कहा, मैंने यह नियत की थी कि जो एहराम रसूल (ﷺ) का सो मेरा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने अच्छा किया। अब जाओ। (और अपने मनासिक अदा करो) चुनाँचे मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सई की और इसके बाद मैं बनी क़ैस की औरत के पास गया जिसने मेरे सर की जूएँ निकाल दीं, फिर मैंने हज्ज का एहराम बाँध लिया। मैं हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त तक लोगों को ऐसा ही करने का फ़त्वा देता रहा। जब हज़रत उमर (रज़ि.) ख़लीफ़ा बने तो मैंने उनसे इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया, अगर हम कुर्आन मजीद पर अमल करें तो वो भी हमें हज्ज व उमरह दोनों को पूरा करने का हुक्म देता है और अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक़ अमल करें तो आप (ﷺ) ने भी उस वक़्त तक एहराम नहीं खोला था जब तक कि हद्य (कुर्बानी का जानवर) अपने मुक़ाम पर पहुँच न गया हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 125)**

बाब 23 : तमत्तोअ के जाइज़ होने को बयान

767. हदीषे इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) : हज़रत इमरान (रज़ि.) बयान करते हैं कि तमत्तोअ की आयत कुर्आन मजीद में नाज़िल हुई और हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ तमत्तोअ किया। बाद में भी कुर्आन मजीद में कोई ऐसा हुक्म नाज़िल नहीं हुआ जिससे उसकी हुर्मत षाबित होती हो और न ही नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना फ़र्माया यहाँ तक कि आप (ﷺ) का विसाल हो गया। अब अगर अपनी राय से कोई शख़्स मना करता है तो फिर जो उसका जी चाहे कहता रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरतुल बक़र बाब 33)**

बाब 24 : तमत्तोअ करने वाले पर कुर्बानी वाजिब है और अगर कुर्बानी की इस्तिताअत न हो तो दस रोज़े रखे, तीन रोज़े अय्यामे हज्ज में और सात घर लौटकर

678. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर हज्ज के साथ उमरह मिलाया था और कुर्बानी की थी और कुर्बानी का जानवर जुलहुलैफ़ा से अपने साथ ले गए थे और नबी करीम (ﷺ) ने शुरू में उमरे का एहराम बाँधा और उमरे का लब्बैक कहा। बाद में हज्ज का लब्बैक कहा तो लोगों ने भी नबी करीम (ﷺ) के साथ हज्ज को उमरे के साथ मिलाकर तमत्तोअ किया। कुछ लोगों के पास कुर्बानी का जानवर था जो उसे साथ ही लेकर आए थे और कुछ लोग कुर्बानी का जानवर साथ न लाए थे। फिर जब नबी करीम (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) ने लोगों को हुक्म दिया, जिस शख़्स के पास कुर्बानी का जानवर है वो न तो एहराम खोले और न ही उसके लिये कोई ऐसी चीज़ जो बहालते एहराम हराम है उस वक़्त तक हलाल होगी जब तक वो अपने हज्ज से फ़ारिग़ न हो लेगा और जो कुर्बानी का जानवर साथ न लाया हो वो बैतुल्लाह का तवाफ़ व सफ़ा व मरवा की सई करके बाल कटवा ले और एहराम खोल दे। इसके बाद फिर हज्ज का एहराम बाँधे और लब्बैक कहे जिसमें कुर्बानी देने की इस्तिताअत न हो वो तीन रोज़े अय्यामे हज्ज में और सात अपने घर पहुँचकर रखे।

नबी करीम (ﷺ) जब मक्का में आए तो तवाफ़े बैतुल्लाह किया और सबसे पहले रुक्न (हज्रे अस्वद) को

बोसा दिया, फिर तीन फेरों में दौड़कर और शाने उचकाकर चले या'नी रमल किया और बाक़ी चार फेरों में मअ़मूल की चाल से चले। जब तवाफ़ से फ़ारिग़ हो गए तो मुक़ामे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी और जब सलाम फेरकर नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो कोहे सफ़ा के पास आए और सफ़ा व मरवा की सात बार सई की, और फिर जब तक हज्ज पूरा न कर लिया और यौमुन्नहर क़ुर्बानी करके फ़ारिग़ न हो गए, न तो एहराम खोला और न ही ऐसी कोई चीज़ जो वक़्ते एहराम ख़ुद पर हराम की थी उसे अपने लिये हलाल किया। फिर मक्का लौटकर आए और तवाफ़े 'इफ़ाज़ा' किया। इसके बाद आप (ﷺ) ने एहराम ख़ोल दिया और हर वो चीज़ जो बवक़्ते एहराम ख़ुद पर हराम की थी उसे हलाल कर ली और यही सब कुछ जो नबी करीम (ﷺ) ने किया था उन सब लोगों ने भी किया जो अपने साथ हदी लेकर आए थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 104)**

---

769. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उर्वा (रह.) बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हज्ज और उमरह को मिलाकर तमत्तोअ़ करने और सहाबा किराम (रज़ि.) के आप (ﷺ) के साथ तमत्तोअ़ करने के बारे में बिल्कुल वही सब कुछ बताया जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की हदीष (बयानशुदा नं. 768) में बयान किया गया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 104)**

बाब 25 : हज्जे क़िरान करने वाला भी उस वक़्त एहराम खोले जब हज्जे इफ़राद करने वाले एहराम खोलते हैं

770. हदीषे हफ़्सा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या बात है कि लोगों ने उमरह करके एहराम ख़ोल दिया है और आप (ﷺ) ने उमरे के बाद एहराम नहीं खोला? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने अपने सर के बालों को (ख़त्मी वग़ैरह) से जमा लिया है और अपने क़ुर्बानी के जानवर के गले में क़लादा डाल रखा है इसलिये मैं जब तक क़ुर्बानी न कर लूँ एहराम नहीं खोल सकता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 34)

बाब 26 : अगर बैतुल्लाह तक रसाई (पहुँचने) में रुकावट पैदा हो जाए तो हाजी एहराम खोल सकता है और हज्ज व उमरह को जमा (क़िरान) भी कर सकता है

771. हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जब फ़ित्ने के ज़माने में (या'नी जिन दिनों हज्जाज बिन यूसुफ़ ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से जंग करने के लिये मक्का पर चढ़ाई की थी) उमरे का इरादा किया तो कहने लगे कि हमको बैतुल्लाह से रोक दिया गया है इसलिये हम वही कुछ करेंगे जो नबी करीम (ﷺ) के हमराह (साथ) हमने किया था। चुनाँचे हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने उमरे का एहराम बाँधा क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने सुलह हुदैबिया के मौक़े पर उमरे का एहराम बाँधा था। फिर हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने इस मसले पर ग़ौर किया तो कहने लगे हज्ज और उमरह दोनों का एक ही मुआमला है और अपने साथियों की तरफ़ मुतवज्जह होकर कहा कि इस सूरत में हज्ज और उमरह करने में कोई फ़र्क़ नहीं है। लिहाज़ा मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि मैंने उमरे के साथ हज्ज भी अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। फिर आपने हज्ज और उमरह दोनों के लिये एक ही तवाफ़ किया और उसी को काफ़ी ख़याल किया और क़ुर्बानी की। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मुहस्सर बाब 4)**

---

772. हदीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने उस साल जब हज्जाज ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) पर हमला किया था, हज्ज का इरादा किया तो आपसे कहा गया कि लोगों के बीच जंग होने वाली है और ख़तरा है कि कहीं आपको बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक न दिया जाए। इस पर आपने यह आयते करीमा तिलावत फ़र्माई, **'दरअस्ल तुम लोगों के लिये अल्लाह के रसूल (ﷺ) में एक बेहतरीन नमूना है।'** (अल अहज़ाब : 21)। अब मैं वही कुछ करूँगा जो नबी करीम (ﷺ) ने किया था, मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने ऊपर उ़मरह वाजिब कर लिया है। इसके बाद रवाना हो गए, फिर जब मुक़ामे बैदा पर पहुँचे तो कहने लगे कि हज्ज और उ़मरह दोनों का एक ही हुक्म है; मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि मैंने उ़मरे के साथ हज्ज भी अपने ऊपर वाजिब कर लिया है और क़ुर्बानी का जानवर भी साथ में ले लिया जो आपने मुक़ामे क़दीद से ख़रीदा था। इससे ज़्यादा आपने और कोई काम न किया, न क़ुर्बानी की और न ही कोई चीज़ ख़ुद पर हलाल की जो एहराम की हालत में ख़ुद पर हराम की थी न सर मुँडाया और न बाल कटाए यहाँ तक कि जब नहर का दिन (दस ज़िल्हिज्ज) आया तो आपने क़ुर्बानी की और सर मुँडवाया और उनका ख़याल था कि उन्होंने जो पहला तवाफ़ किया था वो हज्ज और उ़मरह दोनों के लिये काफ़ी था और हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने ऐसा ही किया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 77)**

बाब 27 : हज्ज और उ़मरह को मिलाकर करने या अलग–अलग करने का बयान

773. हदीषे इब्ने उ़मर व अनस (रज़ि.) : बकर (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से ज़िक्र किया कि हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज्ज और उ़मरे का एक ही एहराम बाँधा था और हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने पहले हज्ज का एहराम बाँधा था और हमने भी आपके साथ हज्ज का एहराम बाँधा था। बाद में जब हम मक्के पहुँचे तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जिसके साथ हदी न हो वो उसको उ़मरे में तब्दील कर ले और ख़ुद नबी करीम (ﷺ) के साथ क़ुर्बानी का जानवर था और हज़रत अ़ली (रज़ि.) यमन से हज्ज करने आए थे। आप (ﷺ) ने उनसे पूछा, तुमने एहराम बाँधते वक़्त क्या निय्यत की थी? तुम्हारे घरवाले तो तुम्हारे साथ हैं। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने इस निय्यत से एहराम बाँधा था कि जो एहराम नबी करीम (ﷺ) का सो वही मेरा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर तो तुम अपने इसी एहराम में रहो क्योंकि हमारे साथ क़ुर्बानी के जानवर हैं (या'नी हम क़ुर्बानी करने के बाद ही एहराम खोल सकते हैं)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 61)**

बाब 28 : जो हज्ज का एहराम बाँधकर मक्का आए उसे कितने तवाफ़ और सई करने चाहिए

774. हदीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : अ़म्र बिन दीनार (रह.) बयान करते हैं कि हमने हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से पूछा, कि अगर कोई शख़्स बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले लेकिन सफ़ा व मरवा के बीच की सई न करे तो क्या वो (एहराम खोल सकता है और) अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है? आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने तो मक्का में तशरीफ़ लाकर बैतुल्लाह का सात फेरे तवाफ़ किया था और मुक़ामे इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) पर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी थी और सफ़ा व मरवा के बीच सई की थी, और तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) में बेहतरीन नमूना है।

(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 30)

बाब 29 : क्या जो शख़्स बैतुल्लाह का तवाफ़ और सई कर ले उसे एहराम की हालत में रहना ज़रूरी है

775. हदीसे आइशा व अस्मा (रज़ि.) : मुहम्मद (रह.) बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल क़र्शी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अरवा बिन अज़्ज़ुबैर (रज़ि.) से (हज्ज के मुतअल्लिक़) पूछा तो आपने जवाब दिया कि नबी करीम (ﷺ) के हज्ज के बारे में मुझे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया है कि आप (ﷺ) जब मक्का पहुँचे तो पहला काम आप (ﷺ) ने यह किया कि पहले वुज़ू करके बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और उसे उमरे में नहीं बदला (या'नी एहराम नहीं खोला)। फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने हज्ज किया तो उन्होंने भी सबसे पहला काम जो किया वो तवाफ़े बैतुल्लाह था और हज्ज को उमरह में नहीं बदला। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी ऐसा ही किया, फ़िर हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने हज्ज किया तो मैंने देखा कि उन्होंने भी पहला काम तवाफ़े बैतुल्लाह किया और हज्ज को उमरह में नहीं बदला। फिर हज़रत मुआविया और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने भी ऐसा ही किया फिर मैंने अपने वालिद हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम (रज़ि.) के साथ हज्ज किया और उन्होंने भी पहला जो काम किया वो यही तवाफ़े बैतुल्लाह था और हज्ज को उमरह में तब्दील नहीं किया। बाद में मैंने बहुत से मुहाजिरीन व अन्सार (रज़ि.) को ऐसा ही करते हुए देखा है और किसी ने हज्ज को उमरह में नहीं बदला। फिर सबसे आख़िर में जिसे मैंने ऐसा करते हुए देखा वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हैं उन्होंने भी हज्ज को उमरह में तब्दील नहीं किया। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) तो आप में मौजूद हैं उनसे क्यों नहीं पूछा करते? और न ही उनसे पूछा जो गुज़र गए। जबकि यह सब लोग मक्का में क़दम रखते ही सबसे पहले तवाफ़े बैतुल्लाह किया करते थे और एहराम नहीं खोलते थे और मैंने अपनी वालिदा (हज़रत अस्मा रज़ि.) और अपनी खाला (उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि.) को भी हज्ज करते हुए देखा है यह दोनों भी जब मक्का में आतीं तो सबसे पहले जो काम करतीं वो यही तवाफ़े बैतुल्लाह था और एहराम नहीं खोलती थीं।

नीज़ मुझे मेरी वालिदा (हज़रते अस्मा बिन्ते अबीबक्र रज़ि.) ने बताया कि ख़ुद उन्होंने और उनकी बहन (उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि.) ने और हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने फ़लाँ और फ़लाँ शख़्स ने एहराम बाँधा और जब हजरे अस्वद को बोसा ले लिया तो एहराम खोल दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 78)**

---

776. हदीसे अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) के गुलाम अब्दुल्लाह (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अस्मा (रज़ि.) जब भी मुक़ामे हजून के पास से गुज़री, तब मैंने आपको यह कहते हुए सुना कि अल्लाह तआला हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर अपनी रहमत नाज़िल फ़र्माए, हम आप (ﷺ) के साथ (जब हज्ज को आते) तो इसी मुक़ाम पर उतरते थे उस वक़्त हम हल्के-फुल्के थे, हमारे पास सवारियाँ कम थीं और ज़ादेराह (सफ़र ख़र्च) क़लील (थोड़ा सा) था। मैंने और मेरी बहन (हज़रत आइशा रज़ि.) ने और हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने और फ़लाँ-फ़लाँ शख़्स ने उमरह किया। चुनाँचे जब हमने तवाफ़े बैतुल्लाह कर लिया तो एहराम खोल दिया, फिर शाम के वक़्त हमने हज्ज का एहराम बाँध लिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल उमरह बाब 11)**

बाब 31 : हज्ज के महीनों में उमरह करना जाइज़ है

777. हदीसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) ज़िलहिज्ज की चौथी तारीख़ की सुबह को हज्ज का एहराम बाँधे लब्बैक कहते हुए मक्का में आए फिर आप (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि सिवाए उन लोगों के जिनके साथ क़ुर्बानी का जानवर है बाक़ी सब इस हज्ज को उमरे में बदल दें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 134)**

---

778. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : अबू जमरह (रह.) नस्र बिन इमरान ज़बई बयान करते हैं कि मैंने हज्जे तमत्तोअ किया तो मुझे कुछ लोगों ने ऐसा करने से मना किया। चुनाँचे मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने मुझे तमत्तोअ करने का हुक्म दिया। फिर मुझे ख़्वाब नज़र आया, कोई शख़्स मुझे कह रहा है हज्ज भी मक़बूल और उमरह भी मक़बूल। मैंने उस ख़्वाब का ज़िक्र हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से किया तो उन्होंने कहा कि यही नबी करीम (ﷺ) का मसनून तरीक़ा था। फिर आपने कहा, मेरे पास ठहरो मैं अपने माल में से तुमको कुछ हिस्सा दूँ। शुअबा (रह.) रावी कहते हैं कि मैंने (अबू जमरह रह. से) पूछा कि यह माल देने का उन्होंने क्यूँ कहा? उन्होंने जवाब दिया, उस ख़्वाब की वजह से जो मैंने देखा था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 134)**

बाब 32 : हदी के गले में हार डालने और एहराम के वक़्त उसका कोहान चीरने का बयान

779. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : इब्ने जुरैह (रह.) बयान करते हैं कि मुझसे अता (रह.) ने कहा कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि जब किसी ने ख़ान–ए–काबा का तवाफ़ कर लिया तो उसका एहराम ख़त्म हो गया। मैंने कहा, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने यह बात किस दलील से कही? अता (रह.) ने कहा क़ुर्आन मजीद की इस आयत के हवाले से, **'फिर उन (के क़ुर्बान करने) की जगह उसी क़दीम घर के पास है।'** (सूरह हज्ज : 43) और इस दलील से कि नबी करीम (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर हुक्म दिया था कि एहराम खोलकर हलाल हो जाएँ। मैंने कहा, यह हुक्म तो आपने वुक़ूफ़े अरफ़ा के बाद दिया था। कहने लगे, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की राय में इसका इत्लाक़ वुक़ूफ़ से पहले और बाद दोनों पर होता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 77)

बाब 33 : उमरह में बाल कटवाने का बयान

780. हदीषे मुआविया (रज़ि.) : हज़रत मुआविया (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के बाल तीर के पैकान से कतरे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 127)**

बाब 34 : नबी करीम (ﷺ) के एहराम व क़ुर्बानी का जानवर का बयान

781. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) यमन से नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में (मक्का में) हाज़िर हुए तो आप (ﷺ) ने उनसे पूछा, तुमने एहराम बाँधते वक़्त क्या निय्यत की थी? (हज्ज की या उमरह की?) हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, मैंने एहराम में यह निय्यत की थी कि जैसा एहराम नबी करीम (ﷺ) ने बाँधा है वही मेरा एहराम है। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मेरे साथ क़ुर्बानी का जानवर न होता तो मैं भी (दूसरे लोगों की तरह उमरह करके) एहराम खोल देता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 32)

बाब 35 : नबी करीम (ﷺ) ने कुल कितने उमरे किए और किन अय्याम में किए

782. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने चार उमरे किये और सब माहे ज़ीक़ाद में हुए सिवाए एक उमरे के जो आप (ﷺ) ने हज्ज के साथ किया। एक उमरह वो था जो हुदैबिया

के साल किया, दूसरा उससे अगले साल और तीसरा जिअ़राना से आकर किया, जब आप (ﷺ) ने हुनैन का माले ग़नीमत बांट दिया और चौथा वो (जिसका ज़िक्र हो चुका है) जो हज्जतुल विदाअ़ के साथ किया।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल उ़मरह बाब 3)

---

783. हदीषे ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) : ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि.) से पूछा गया कि नबी करीम (ﷺ) के ग़ज़वात की ता'दाद क्या है? उन्हों ने जवाब दिया, उन्नीस। पूछा गया, आप नबी करीम (ﷺ) के साथ कितने ग़ज़वात में शरीक हुए? कहा, 17 में। फिर पूछा गया, इन में सबसे पहला कौनसा था? आपने जवाब दिया, उ़सैरह का, या उ़शैरह का (ग़ालिबन रावी को नाम में मुग़ालता है)। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 1)**

---

784. हदीषे ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) : ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने 19 ग़ज़वे किए और हिजरत के बाद आप (ﷺ) ने सिर्फ़ एक हज्ज किया या'नी हज्जतुल विदाअ़। इसके बाद आपने कोई हज्ज नहीं किया। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 77)**

---

785. हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर व आइशा (रज़ि.) : मुजाहिद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं और अ़रवा (रज़ि.) बिन अज़्ज़ुबैर (रज़ि.) मस्जिद में दाख़िल हुए तो देखा कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे के पास बैठे हैं और कुछ लोग मस्जिद में चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं। **हमने ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से उन लोगों की नमाज़ के बारे में पूछा कि यह कैसी नमाज़ है? आपने फ़र्माया, बिदअ़त है।** फिर आपसे पूछा कि नबी करीम (ﷺ) ने कुल कितने उ़मरे किए थे? आपने जवाब दिया, चार। और उनमें से एक उ़मरह आप (ﷺ) ने माहे रजब में किया था। (मुंजाहिद कहते हैंः) हमें बुरा मा'लूम हुआ कि हम आपकी बात झुठलाएँ इसलिये हम ख़ामोश रहे उसी वक़्त हमने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के मिस्वाक करने की आवाज़ सुनी तो यह अंदाज़ा करके कि आप हुज्रे में मौजूद हैं, ह़ज़रत अ़रवा (रज़ि.) ने कहा कि ऐ अम्मा जान! ऐ मोमिनो की माँ! क्या आपने नहीं सुना कि ह़ज़रत अबू अ़ब्दुर्रह़मान (अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ि.) क्या कह रहे हैं? आपने पूछा, क्या कह रहे हैं? उ़र्वा (रज़ि.) ने कहा, वो कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने चार उ़मरे किए थे जिनमें से एक रजब में किया था। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ह़ज़रत अबू अ़ब्दुर्रह़मान पर रहम फ़र्माए नबी करीम (ﷺ) ने जितने उ़मरे किए ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) सब में आपके साथ थे, ताहम आप (ﷺ) ने रजब में कोई उ़मरा नहीं किया। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल उ़मरह बाब 3)**

बाब 36 : माहे रमज़ान में उ़मरह करने की फ़ज़ीलत

786. हदीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक अंसारिया औरत से इर्शाद फ़र्माया, तुमको हमारे साथ हज्ज के लिये जाने से कौनसी चीज़ रोकती है? उसने कहा कि हमारे एक पानी ढोने के ऊँट पर तो अबू फ़लाँ और उसका बेटा (मुराद अपना शौहर और अपना बेटा) सवार होकर (हज्ज के लिये) चले गए और हमारे पास एक ऊँट छोड़ गए हैं जिस पर हम पानी ढोते हैं। यह सुनकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तुम रमज़ान में उ़मरह कर लेना क्योंकि रमज़ान के उ़मरे का षवाब हज्ज के बराबर है।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल उ़मरह बाब 4)

बाब 37 : मक्का में बुलन्दी की जानिब से दाख़िल होना और नीचे की तरफ़ से बाहर जाना मुस्तहब है गोया शहर में आने और जाने का रास्ता एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ होना चाहिए

787. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) मदीना मुनव्वरह से जब बाहर तशरीफ़ ले जाते तो शजरह की राह से जाते और जब मदीना में दाख़िल होते तो मुअर्रिस की राह से तशरीफ़ लाते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 15)**

---

788. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब मक्का में दाख़िल होते तो ऊँचे टीले की तरफ़ से तशरीफ़ लाते और जब मक्का से बाहर निकलते तो नीचे के टीले की जानिब से तशरीफ़ ले जाते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 40)**

---

789. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब मक्का में तशरीफ़ लाए तो बालाई जानिब से शहर में दाख़िल हुए थे और जब बाहर तशरीफ़ ले गए तो नशीबी जानिब से निकले। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 41)**

---

790. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के साल मक्का में कदाअ की जानिब से दाख़िल हुए थे और कुदा की तरफ़ से बाहर तशरीफ़ ले गए थे यह मुक़ाम मक्का की बुलन्द जानिब है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 41)**

नोट : कदाअ मक्का से ऊपर की तरफ़ एक पहाड़ का नाम है। आप (ﷺ) इसी ओर से मक्का में दाख़िल होते थे और कुदा मक्का से नीचे की तरफ़ यमन की तरफ़ एक पहाड़ है।

बाब 38 : मक्का में दाख़िल होने के इरादे से रात ज़ी तवा में गुज़ारना और सुबह के वक़्त नहाकर मक्का में दाख़िल होना मुस्तहब है

791. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने रात मुक़ामे ज़ी तवा में गुज़ारी थी और जब सुबह हुई तो मक्का में दाख़िल हुए थे और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) भी ऐसा ही किया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 39)**

---

792. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) मुक़ाम ज़ी तवा में उतरा करते थे और रात उसी मुक़ाम पर ठहरा करते थे यहाँ तक कि जब सुबह हो जाती तो नमाज़े फ़ज्र मक्का में आकर पढ़ते थे और आप (ﷺ) यह नमाज़ एक बड़े टीले पर पढ़ा करते थे उस मस्जिद में नहीं जो उस जगह ता'मीर की गई है बल्कि उससे नीचे की तरफ़ जो एक बड़ा सा टीला है उस पर पढ़ा करते थे।
(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 89)

---

793. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं नबी करीम (ﷺ) ने उस पहाड़ के दहानों की तरफ़ मुँह किया था जो काबा की तरफ़ बड़े पहाड़ और आप (ﷺ) के बीच वाक़ेअ था। गोया आप (ﷺ) ने उस मस्जिद को जो वहाँ अब टीले के किनारे पर बनी हुई है, बाँए जानिब छोड़ दिया था। दरअसल नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ पढ़ने की जगह उससे नीचे जो काला टीला है उस पर वाक़ेअ है। तुम उस काले टीले को दस हाथ या उससे कुछ कम व बैश छोड़कर और उस पहाड़ के दोनों दहानों का रुख़ करके नमाज़ पढ़ो जो तुम्हारे और काबा के बीच है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 89)**

बाब 39 : उमरह के तवाफ़ में और हज्ज के पहले तवाफ़ में 'रमल' मुस्तहब है

794. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब ख़ाना काबा का पहला तवाफ़ करते थे तो तीन बार तेज–तेज, छोटे–छोटे क़दम उठाकर तवाफ़ (रमल) करते थे और चार बार आम रफ़्तार से चलते और जब सफ़ा और मरवा की सई करते तो वादी के ढलान पर दौड़कर चला करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 63)

---

795. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) मक्का में आए तो मुश्रिकों ने कहा कि यह लोग इस हालत में आए हैं कि इनको यसरिब (मदीना) के बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है। तब नबी करीम (ﷺ) ने सहाबा किराम को हुक्म दिया था कि तवाफ़ करते वक़्त तीन फेरों में रमल करें (तेज़–तेज़ और मटक–मटककर चलें) और दोनों रुक्नों के बीच मअमूल की चाल से चलें और तमाम फेरों में जो आप (ﷺ) ने हुक्म नहीं दिया तो इसकी वजह सिर्फ़ यह है कि आप (ﷺ) के पेशे नज़र सहाबा किराम (रज़ि.) को सहूलत देना था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 55)**

---

796. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ाना काबा का तवाफ़ करते वक़्त और सफ़ा व मरवा की सई करते वक़्त तेज़ चलने (रमल) का हुक्म महज़ इसलिये दिया था ताकि मुश्रिक देखें कि मुसलमान (कमज़ोर नहीं हुए बल्कि पहले की तरह) ताक़तवर हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 80)

बाब 40 : तवाफ़ करते वक़्त सिर्फ़ दोनों यमनी रुक्नों (कोनों) को बोसा देना मुस्तहब है

797. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब से मैंने नबी करीम (ﷺ) को उन दोनों कोनों (यमनी रुक्नों) को बोसा देते हुए देखा है मैंने भी उनको बोसा देना नहीं छोड़ा न सख़्ती (भीड़) के वक़्त और न सहूलत की हालत में। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 57)**

नोट : बैतुल्लाह शरीफ़ चार कोनों वाली एक बड़ी कमरानुमा इमारत है। इसके दो कोने यमन की दिशा में हैं, उन्हें रुक्ने यमानी कहा जाता है और दो कोने शाम (सीरिया) की दिशा में है, जिन्हें शमियैन कहा जाता है। यमनी तरफ़ जो दो कोने हैं उनमें से एक में हज्रे–अस्वद (काला पत्थर) लगा हुआ है जिसको बोसा दिया जाता है और उसे छूना भी चाहिये और दूसरे कोने को सिर्फ़ छूना चाहिये। शामी रुक्नों वाले कोनों को न तो बोसा दिया जाता है और न छूना चाहिये क्योंकि दोनों हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की क़ायमकर्दा असल बुनियादों पर नहीं हैं।

---

798. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : अबुश्शअ़षा (रह.) बयान करते हैं कि मैंने कहा कि कौन है जो ख़ान–ए–काबा की किसी चीज़ से परहेज़ करे? हज़रत मुआविया (रज़ि.) तो तमाम अरकान को बोसा दिया करते थे, इस पर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि उन दो (शामी) रुक्नों को बोसा नहीं दिया जाता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 59)

बाब 41 : तवाफ़ के दौरान हज्रे अस्वद को बोसा देना मुस्तहब है

799. हदीष उमर (रज़ि.) : हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) हज्रे अस्वद के पास आए और उसको बोसा दिया फिर उससे मुख़ातिब होकर फ़र्माया, मैं जानता हूँ कि तू दरहक़ीक़त एक पत्थर है जो न नफ़ा पहुँचा सकता है न नुक़्सान और अगर मैंने नबी करीम (ﷺ) को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं भी तुझे न चूमता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 50)

बाब 42 : सवार होकर तवाफ़ करना और हज्रे अस्वद को छड़ी से इस्तिलाम करना (छूकर चूमना) जाइज़ है

800. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ़ में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया था और हज्रे अस्वद को छड़ी रखकर चूमा था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 58)

---

801. हदीषे उम्मे सलमा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से शिकायत की कि मैं बीमार हूँ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम सवार होकर सब लोगों के पीछे से तवाफ़ कर लो। चुनाँचे मैंने उसी तरह तवाफ़ किया और नबी करीम (ﷺ) बैतुल्लाह के एक पहलू में खड़े होकर नमाज़ में **'वत्तूरि व किताबिम्मसतूर'** तिलावत फ़र्मा रहे थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 78)**

बाब 43 : सफ़ा व मरवा की सई हज्ज का रुक्न है इसके बग़ैर हज्ज सहीह नहीं होता

802. हदीषे आइशा (रज़ि.): उर्वा (रह.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से, जबकि मैं अभी कमसिन था, अ़र्ज़ किया कि इर्शादे बारी तआ़ला, **'यक़ीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। लिहाज़ा जो शख़्स बैतुल्लाह का हज्ज या उमरह करे तो उसके लिये कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच सई कर ले।'** (सूरह बक़र : 158) की तफ़्सीर बताइये। इसलिये कि मैं तो इससे यह समझता हूँ कि अगर कोई शख़्स इन (दोनों पहाड़ियों) के बीच सई न करे तो उस पर कोई गुनाह न होना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, हर्गिज़ नहीं! इसलिये कि अगर तुम्हारा ख़याल सहीह होता तो यह आयते करीमा इस तरह होती **'कि कोई गुनाह की बात नहीं कि अगर कोई शख़्स इन पहाड़ियों के बीच सई न करे।'**

बात दरअसल यह है कि यह आयत अन्सार के हक़ में नाज़िल हुई है अन्सारे मदीना ज़मान–ए–जाहिलियत में मनात (बुत) के नाम पर लब्बैक पुकारा करते थे जो मुक़ामे क़दीद के बिल मुक़ाबिल नसब था और सफ़ा व मरवा

के बीच सई करने को बुरा समझते थे फिर जब इस्लाम का ज़माना आया तो उन्होंने इसके बारे में नबी करीम (ﷺ) से पूछा, उस पर यह आयत नाज़िल हुई, **इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह।**

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल उमरह बाब 10)

---

803. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उ़र्वा (रह.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, कि इर्शादे बारी तआ़ला, **'यक़ीनन स़फ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, लिहाज़ा जो शख़्स बैतुल्लाह का ह़ज्ज या उ़मरह करे तो उसके लिये कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच सई कर ले।'** (अल बक़र : 158) की तफ़्सीर बयान कीजिए क्योंकि अल्लाह की क़सम! इससे बज़ाहिर तो यह मा'लूम होता है कि इन दो पहाड़ियों की सई न करने वाले पर कोई गुनाह नहीं। उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) ने फ़र्माया, ऐ मेरे भतीजे! तुमने बहुत न दुरुस्त बात कही! क्योंकि इस आयत का मफ़हूम अगर वो होता जो तुम कह रहे हो तो यह आयत इस तरह होती, **'कोई गुनाह नहीं अगर कोई शख़्स इन पहाड़ियों के बीच सई न करे।'** अस़ल बात यह है कि यह आयत अन्स़ार के बारे में नाज़िल हुई है, यह लोग मुसलमान होने से पहले बदबख़्त मनात के नाम पर एह़राम बाँधा व लब्बैक कहा करते थे और मुशल्लल के पास उसी की पूजा किया करते थेतो जो शख़्स मनात के नाम पर एह़राम बाँध लेता था वो स़फ़ा और मरवा की सई को बुरा ख़याल करता था। फिर जब यह लोग मुसलमान हो गए तो उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसके बारे में पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग ज़मान-ए-जाहिलियत में स़फ़ा व मरवा के बीच सई को बुरा ख़याल करते हुए इससे बचते थे (क्या यह दुरुस्त है?)। इस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयते करीमा नाज़िल फ़र्माई, **इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह**.

उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, स़फ़ा व मरवा के बीच की सई को नबी करीम (ﷺ) ने वाजिब किया है इसलिये किसी को यह इजाज़त नहीं कि इनके बीच सई को न छोड़े।

(ह़दीष़ के रावी) ज़ुहरी (रह.) कहते हैं कि बाद में मैंने इस रिवायत का ज़िक्र अबूबक्र बिन अब्दुर्रह़मान (रह.) से किया तो उन्हों ने कहा, कि यक़ीनन इल्म व बस़ीरत इसी का नाम है लेकिन मैंने यह बात किसी से नहीं सुनी बल्कि मैंने बाज़ अहले इल्म से उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) की बयानकर्दा बात से मुख़्तलिफ़ बात सुनी है कि वो लोग जो मनात के लिये एह़राम बाँधते थे वो सब स़फ़ा और मरवा के बीच सई किया करते थे। फिर जब (मुसलमान हो गए और) अल्लाह तआ़ला ने क़ुर्आने मजीद में बैतुल्लाह के त़वाफ़ का ज़िक्र फ़र्माया और स़फ़ा व मरवा का ज़िक्र न किया तो उन लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम (ज़मान-ए-जाहिलियत में) स़फ़ा व मरवा के बीच सई किया करते थे और अल्लाह तआ़ला ने त़वाफ़े बैतुल्लाह का तो हुक्म फ़र्माया है लेकिन स़फ़ा व मरवा का ज़िक्र नहीं फ़र्माया तो क्या अगर हम स़फ़ा व मरवा की सई करें तो कोई गुनाह है? इसके जवाब में अल्लाह तआ़ला ने यह आयते करीमा नाज़िल फ़र्माई, **इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह**.

अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान (रह.) ने कहा, (कि अब तुमने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा रज़ि. के हवाले से जो कुछ बयान किया है तो) मैं सुन रहा हूँ और यह मा'लूम होता है कि यह आयत दोनों फ़रीक़ों के बारे में नाज़िल हुई थी उनके लिये भी जो ज़मान-ए-जाहिलियत में स़फ़ा व मरवा के बीच की सई को गुनाह समझते थे और उनके लिये भी जो ज़माना जाहिलियत में स़फ़ा व मरवा की सई किया करते थे और फिर मुसलमान होने के बाद उन्होंने इस सई को इसलिये बूरा ख़याल किया कि अल्लाह तआ़ला ने तो त़वाफ़े बैतुल्लाह का तो हुक्म दिया है और स़फ़ा व मरवा का ज़िक्र नहीं फ़र्माया, और उस वक़्त तक बूरा ख़याल करते रहे यहाँ तक कि त़वाफ़े बैतुल्लाह के ज़िक्र के बाद इस सई का ज़िक्र भी (क़ुर्आन में) आ गया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 79)**

---

804. (ह़दीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : आसिम बयान करते हैं कि मैंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, क्या आप ह़ज़रात या'नी अन्स़ार स़फ़ा व मरवा के बीच सई को बुरा ख़याल करते थे? ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब दिया, हाँ! क्योंकि यह ज़मान–ए–जाहिलियत की इ़बादत की रस्मों में से थी, यहाँ तक कि फिर अल्लाह तआ़ला ने यह आयते करीमा नाज़िल फ़र्माई, '**यक़ीनन स़फ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, लिहाज़ा जो शख़्स़ बैतुल्लाह का ह़ज्ज या उ़मरह करे तो उसके लिये कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच सई कर ले।**' (अल बक़र : 154) **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 80)**

बाब 45 : ह़ाजी को चाहिए कि मुसलसल बुलन्द आवाज़ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता रहे यहाँ तक कि क़ुर्बानी के दिन रमी जमर–ए–उ़क़्बा शुरू करे

805. ह़दीषे उसामा बिन ज़ैद व फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के गुलाम कुरैब (रह.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत उसामा (रज़ि.) बिन ज़ैद ने बयान किया, मैं मक़ामे अ़रफ़ात से रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे आप ही की सवारी पर बैठकर गया। जब आप (ﷺ) उस बाँए घाटी के पास पहुँचे जो मुज़दलिफ़ा से पहले वाक़ेअ़ है तो आप (ﷺ) ने ऊँट को बिठा दिया और इस्तिंजा किया। फिर जब फ़ारिग़ होकर वापस आए तो मैंने पानी डाला और आप (ﷺ) ने हल्का वुज़ू किया। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! नमाज़ पढ़ी जाए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) मुज़दलिफ़ा पहुँचे और वहाँ आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी, फिर मुज़दलिफ़ा की सुबह (दस तारीख़ को) आप (ﷺ) के साथ सवारी पर ह़ज़रत फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) बैठ गए।

कुरैब (रह.) बयान करते हैं कि बाद में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने मुझे ह़ज़रत फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत से बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुसलसल लब्बैक कहते रहे यहाँ तक कि आप (ﷺ) जमरह उ़क़्बा तक पहुँच गये (यहाँ पहुँचकर तल्बिया तर्क कर दिया।) **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 93)**

बाब 46 : अ़रफ़ा के दिन अ़रफ़ात जाते वक़्त (मुसलसल) लब्बैक और तक्बीरे तहरीमा कहना चाहिये

806. ह़दीषे अनस (रज़ि.) : मुहम्मद बिन अबीबक्र षक़फ़ी (रह.) बयान करते हैं कि मैंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) के साथ मिना से अ़रफ़ात जाते हुए आप (रज़ि.) से लब्बैक कहने के बारे में पूछा कि आप (रज़ि.) ह़ज़रात नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में लब्बैक किस तरह कहा करते थे? ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने बताया कि अगर एक शख़्स़ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारता था तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होता था इसी तरह अगर दूसरा शख़्स़ तक्बीर कह रहा होता था तो उस पर भी कोई ऐतराज़ नहीं होता था। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 12)**

बाब 47 : अ़रफ़ात से मुज़दलिफ़ा लौटने और उस रात मग़रिब व इ़शा मिलाकर पढ़ने का बयान

807. ह़दीषे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) : ह़ज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) अ़रफ़ात से मुज़दलिफ़ा लौटे यहाँ तक कि आप (ﷺ) घाटी के पास पहुँचे तो उतरकर इस्तिंजा फ़र्माया और हल्का सा वुज़ू किया।

मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! नमाज़! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ आगे चलकर पढ़ेंगे, चुनाँचे फिर सवार हो गए। फिर जब आप (ﷺ) मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो उतरे और भरपूर वुज़ू किया। फिर नमाज़ की तक्बीर हुई और आप (ﷺ) ने मग़्रिब की नमाज़ पढ़ी फिर हर शख़्स ने अपना ऊँट जहाँ था उसी जगह बिठा दिया और फिर नमाज़े इशा की तक्बीर कही गई और आप (ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ी और इन दोनों नमाज़ों के बीच में कोई नमाज़ नहीं पढ़ी (या'नी सुन्नत वग़ैरह)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 6)**

---

808. ह़दीषे उसामा (रज़ि.) : उर्वा (रह.) बयान करते हैं कि मैं ह़ज़रत उसामा (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था कि आप (रज़ि.) से पूछा गया, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ह़ज्जतुल विदाअ़ में जब अ़रफ़ात से मुज़दलिफ़ा लौटे थे तो किस रफ़्तार से चले थे? ह़ज़रत उसामा (रज़ि.) ने बताया कि आप (ﷺ) औसत़ रफ़्तार से चल रहे थे फिर जब आप (ﷺ) ने गुंजाइश देखी तो रफ़्तार ख़ूब तेज़ कर दी थी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 92)**

---

809. ह़दीषे अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ह़ज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर मुज़दलिफ़ा में मग़्रिब और इशा की नमाज़ मिलाकर पढ़ी थी।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 96)

---

810. ह़दीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को जब सफ़र दरपेश होता तो आप (ﷺ) मग़्रिब और इशा की नमाज़ मिलाकर पढ़ा करते थे।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब तक़्सीरुस़्स़लात बाब 13)

बाब 48 : क़ुर्बानी के दिन मुज़दलिफ़ा में फ़ज्र की नमाज़ इंतिहाई अँधेरे में लेकिन सुबह हो जाने के बाद पढ़ने का बयान

811. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को दो नमाज़ों के अ़लावा कोई नमाज़ स़ह़ीह़ वक़्त के बग़ैर पढ़ते नहीं देखा, एक मग़्रिब और इशा की नमाज़ें जो आप (ﷺ) ने (मुज़दलिफ़ा में) जमा करके पढ़ीं और दूसरे फ़ज्र की नमाज़ वक़्त से पहले पढ़ी (यह भी मुज़दलिफ़ा में)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 99)**

नोट : वक़्त से पहले से मुराद ये है कि इतने अंधेरे में पढ़ी कि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा मा'लूम होता था कि अभी फ़ज्र का वक़्त नहीं हुआ। या'नी फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त शुरू होते ही नमाज़ पढ़ ली।

बाब 49 : ज़ईफ़ औरतों और मर्दों को मुज़दलिफ़ा से सुबह सवेरे मिना की तरफ़ रवाना कर देना मुस्तहब है

812. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम मुज़दलिफ़ा में उतरे तो उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत सौदा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से इजाज़त त़लब की कि वो लोगों का हुजूम बढ़ने से पहले (मिना की त़रफ़) लौट जाएँ क्योंकि आप (रज़ि.) ज़रा भारी-भरकम और सुस्त रफ़्तार वाक़ेअ़ हुई

थीं। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उन्हें इजाज़त दे दी और वो लोगों के इन्हेदाम (भीड़–भाड़) से पहले ही रवाना हो गईं और हम लोग सुबह तक ठहरे रहे और फिर उस वक़्त चले जब नबी करीम (ﷺ) भी (सबके साथ) रवाना हुए उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से हज़रत सौदा (रज़ि.) की तरह (पहले रवाना होने की) इजाज़त ले लेती तो मेरे हक़ में इससे बेहतर होता जिस पर मैं ख़ुश हो रही थी (या'नी आप ﷺ के साथ रहने से)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 98)

---

813. हदीसे अस्मा (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) के ग़ुलाम अ़ब्दुल्लाह (रह.) हज़रत अस्मा (रज़ि.) के बारे में बयान करते हैं कि वो मुज़दलिफ़ा की रात जब मुज़दलिफ़ा में ठहरीं तो कुछ देर (तक़रीबन एक घंटे तक) नमाज़ पढ़तीं रहीं। फिर मुझसे पूछा, बेटे! क्या चाँद डूब गया? मैंने कहा, अभी नहीं। चुनाँचे फिर एक घंटे तक नमाज़ पढ़ती रहीं और फिर दोबारा पूछा, क्या चाँद डूब गया? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा कि अब चल पड़ो। चुनाँचे हम रवाना हो गए और चल पड़े हत्ताकि अस्मा (रज़ि.) ने जम्र (–ए–अक़्बा) की रमी की। फिर अपनी क़ियामगाह में वापस आकर सुबह की नमाज़ पढ़ी तो मैंने हज़रत अस्मा (रज़ि.) से कहा कि ऐ बीबी! हम बहुत अँधेरे मुँह चल पड़े थे। उन्होंने फ़र्माया, ऐ बेटे! नबी करीम (ﷺ) ने औ़रतों को (ऐसे ही वक़्त में रवाना होने की) इजाज़त दी है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 98)

---

814. हदीसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में शामिल था जिनको नबी करीम (ﷺ) ने अपने घर के ज़ईफ़ों के साथ मुज़दलिफ़ा की रात (बहुत पहले) आगे रवाना कर दिया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 98)

---

815. हदीसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) (मुज़दलिफ़ा की रात) अपने घर के ज़ईफ़ (कमज़ोर) लोगों को आगे भेज देते थे और वो मशअ़रुल् हराम के पास ठहरकर रात को अल्लाह के ज़िक्र में जब तक चाहते मशग़ूल रहते थे फिर इमाम के वक़ूफ़ करने और लौटने से पहले ही लौट जाते थे चुनाँचे उनमें से कुछ लोग तो मिना में आकर सुबह की नमाज़ पढ़ते थे और कुछ लोग नमाज़ के बाद पहुँचते थे और जब मिना में आते थे तो जम्र (–ए–अक़्बा) की रमी करते थे, और हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहा करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ईफ़ों के सिलसिले में इजाज़त दी है (मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ़ जल्दी रवाना होने की)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 98)

बाब 50 : जम्र–ए–अक़्बा पर कंकरियाँ मारने का तरीक़ा

816. हदीसे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने वादी के नशीब में खड़े होकर कंकरियाँ मारीं तो मैंने कहा, ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान (रज़ि.)! कुछ लोग तो ऊपर की जानिब खड़े होकर रम्ये जिमार करते हैं तो आपने फ़र्माया, क़सम है उस ज़ात की कि जिसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं! यही उस हस्ती के खड़े होने की जगह है जिस पर सूरह बक़रह नाज़िल हुई।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 135)

नोट : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के कहने का मतलब यह था कि जिस जगह खड़े होकर मैं कंकरिया मार रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर खड़े होकर अल्लाह के रसूल (ﷺ) कंकरी मारा करते थे।

---

817. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : अअमश (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज्जाज (बिन युसूफ़ षक़फ़ी) को मिम्बर पर कहते हुए सुना कि वो सूरह जिसमें बक़रह (गाय) का ज़िक्र है; वो सूरह जिसमें आले इमरान का ज़िक्र है और वो सूरह जिसमें निसा (औरतों) का ज़िक्र है वग़ैरह। (या'नी हज्जाज कह रहा था कि सूरतों के नाम इस तरह लेने चाहिए और सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान या सूरह निसा नहीं कहना चाहिए) अअमश (रह.) कहते हैं कि मैंने हज्जाज की इस बात का ज़िक्र इब्राहीम नख़ई (रह.) से किया तो उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) ने रिवायत बयान की है कि मैं जम्र–ए–अक़्बा पर कंकरियाँ मारते वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के साथ था और वो रम्ये जिमार के लिये वादी के नशीब में उतरे और दरख़्त के बराबर खड़े होकर जमरह की सीध बाँधी और सात अदद कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी पर यह तक्बीर पढ़ते जाते थे, **अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।** फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, क़सम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं! इसी जगह पर खड़े होकर उस हस्ती ने रम्ये जिमार की थी जिस पर सूर बक़र नाज़िल हुई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 138)**

बाब 55 : सर का मूँडना अफ़ज़ल है और बाल कतरवाना नाजाइज़ है

818. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने हज्ज (हज्जतुल विदाअ) में सरे मुबारक के बाल मुँडवाए थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 127)**

---

819. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! (हज्ज के मौक़े पर) सर मुँडाने वालों पर रहम फ़र्मा। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बाल कतरवाने वालों के लिये भी दुआ फ़र्माइये! आप (ﷺ) ने फिर वही कलिमात दोबारा दोहराए, ऐ अल्लाह! सर मुँडवाने वालों पर रहम फ़र्मा। सहाबा किराम (रज़ि.) ने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बाल कतरवाने वालों के लिये भी दुआ कीजिये। चुनाँचे (आख़िरकार) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, और ऐ अल्लाह! बाल कतरवाने वालों पर भी रहम फ़र्मा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 127)**

---

820. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! सर मुँडवाने वालों के गुनाह मुआफ़ फ़र्मा दे। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, और बाल कतरवाने वालों के लिये भी (या'नी उनके हक़ में भी दुआ कीजिए)। आप (ﷺ) ने दोबारा वही अल्फ़ाज़ दोहराए, **अल्लाहुम्मग़्फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन.** सहाबा किराम (रज़ि.) ने फिर कहा, और बाल कतरवाने वालों के लिये भी। तीन बार आप (ﷺ) ने सर मुँडवाने वालों के हक़ में दुआ–ए–मग़्फ़िरत फ़र्माई (और हर बार सहाबा किराम रज़ि.) ने बाल कतरवानों वालों के लिये दुआ की दरख़्वास्त की) चुनाँचे आख़िर में आप (ﷺ) ने फ़र्माया, और ऐ अल्लाह! बाल कतरवाने वालों के गुनाह भी मुआफ़ फ़र्मा दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 127)**

नोट : ऊपर बयान की गई अहादीष से ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हज्ज के मौक़े पर मर्दों के लिये सर मुण्डवाने को ज़्यादा पसन्द किया और उनके हक़ में बार–बार दुआ की। बाल कतरवाने (छोटे करवाने) वालों के हक़ में आप (ﷺ) ने उस वक़्त दुआ की जब सहाबा किराम लगातार इसरार करते रहे।

बाब 56 : सुन्नत यह है कि क़ुर्बानी के दिन पहले रम्ये जिमार करे फिर क़ुर्बानी करे फिर सर मुँडवाए और सर दाँए जानिब से मुँडवाना शुरू करे

821. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (हज्ज से फ़ारिग़ होकर) सरे मुबारक के बाल मुँडवाते तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) पहले शख़्स होते जो आप (ﷺ) के मूए मुबारक लिया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 33)**

बाब 57 : क़ुर्बानी से पहले सर मुँडवाना या रम्ये जिमार से पहले क़ुर्बानी करना जाइज़ है

822. हदीषे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना में लोगों के साथ मुलाक़ात की ग़र्ज़ से ठहरे रहे और लोग आप (ﷺ) से मसाइल पूछते रहे। एक शख़्स आया और उसने कहा कि मुझे ख़याल नहीं रहा और मैंने क़ुर्बानी से पहले सर मुँडवा लिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई हर्ज नहीं अब क़ुर्बानी कर लो! फिर एक और शख़्स आया और उसने कहा, मुझे ख़याल नहीं रहा और मैंने रम्ये जिमार से पहले क़ुर्बानी कर ली। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई बात नहीं अब रमी कर लो! अलग़र्ज़ आप (ﷺ) से जिस चीज़ के बारे में भी पूछा जाता रहा कि मुक़द्दम कर दी गई या मुअख़्ख़र कर दी गई तो आप (ﷺ) यही इर्शाद फ़र्माते रहे कि कोई हर्ज नहीं अब कर लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 23)**

---

823. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से क़ुर्बानी, सर मुँडवाने और रम्ये जिमरात में तक़्दीम व ताख़ीर (पहले व बाद में) के बारे में पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई हर्ज नहीं है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 130)**

बाब 58 : क़ुर्बानी के दिन तवाफ़े इफ़ाज़ा मुस्तहब है

824. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीअ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कहा, मुझे कुछ उमूर के बारे में बताइए जो आपने नबी करीम (ﷺ) को करते देखा हो। (मषलन) नबी करीम (ﷺ) ने यौमुत्तरविया (आठ ज़िल्हिज्ज को) जुहर और अस्र की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, मिना में। फिर मैंने पूछा कि आप (ﷺ) ने यौमुन्नफ़र (मिना से कूच के दिन) अस्र की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने कहा, अब्तह (मुहस्सब) में। फिर कहा, तुम वही करो जो तुम्हारे अमीर (सरदार) लोग करते हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 83)**

बाब 59 : कूच के दिन मुहस्सब में उतरना और यहाँ नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है

825. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि यह जगह (मुहस्सब) महज़ एक पड़ाव था जहाँ नबी करीम (ﷺ) इस ग़र्ज़ से उतरे थे कि वहाँ से निकलना आसान हो, (यह जगह से) आप (रज़ि.) की मुराद अब्तह या'नी मुहस्सब था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 147)**

---

826. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुक़ामे मुहस्सब पर क़ियाम मनासिके हज्ज में से नहीं है यह तो सिर्फ़ एक पड़ाव था जिस पर नबी करीम (ﷺ) उतरे थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 147)

---

827. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने यौमुन्नहर (क़ुर्बानी के दिन) की सुबह को जब आप (ﷺ) मिना में थे, फ़र्माया कल हम ख़ैफ़ बनी कनाना (मुहस्सिब) में उतरेंगे यह वो मुक़ाम है जहाँ उन लोगों ने कुफ़्र की हालत में क़सम खाकर आपस में मुआहदा (समझौता) किया था और वो वाक़िआ यह है कि क़ुरैश और कनाना ने आपस में एक-दूसरे को क़सम दिलाकर बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब या बनी मुत्तलिब के ख़िलाफ़ अहद किया था कि जब तक वो नबी करीम (ﷺ) को हमारे हवाले न कर दें हम उन (बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब) से न शादी ब्याह करेंगे और न ही ख़रीद व फ़रोख़्त (या'नी मुकम्मल मुक़ातअ या'नी बायकॉट किया जाएगा)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 45)**

बाब 60 : अय्यामे तशरीक़ में रात मिना में गुज़ारना वाजिब है लेकिन अहले सक़ाया (पानी पिलाने वालों) के लिये रुख़सत है

828. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्बास (रज़ि.) बिन अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्वास्त की थी कि सक़ायतुल हाज (हाजियों को आबे ज़मज़म पिलाना) की ख़ातिर उन्हें मिना की रातें या'नी 11,12 और 13 तारीख़ की रातें मक्का में गुज़ारने की इजाज़त दी जाए तो आप (ﷺ) ने उन्हें इजाज़त दे दी थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 75)**

बाब 61 : क़ुर्बानी का गोश्त, खाल और झोल सब सदक़ा कर देना चाहिए

829. हदीषे अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आप (ﷺ) के क़ुर्बानी के ऊँट की क़ुर्बानी करूँ और उनका गोश्त, खालें और झोलें सब (हक़दारों में) बांट दूँ और आप (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि इनमें से कोई चीज़ क़स्साब की मज़दूरी में न दी जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 121)

बाब 63 : ऊँट की क़ुर्बानी इस तरह की जाए कि वो बँधा हुआ खड़ा हो

830. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) एक शख़्स के पास आए जो ऊँट को बिठाकर नहर (ज़िब्ह) कर रहा था तो आप (रज़ि.) ने उससे कहा, उसे उठाकर, खड़ा करो और बाँधकर नहर करो यही हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की सुन्नत है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 118)**

बाब 64 : अगर (हज्ज पर) ख़ुद न जा सकता हो तो मुस्तहब है कि हद्य (क़ुर्बानी का जानवर) हरम में भेज दे। नीज़ हदी के गले में हार डालना और हारों का बटना भी मुस्तहब है। हदी भेजने वाले के लिये एहराम बाँधना ज़रूरी नहीं और न उस पर कोई चीज़ हराम होती है

831. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ऊँटों के हार मैंने ख़ुद अपने हाथों से बटे। फिर वो हार आप (ﷺ) ने ऊँटों के गले में पहना दिए और उनके कोहान चीरकर उन्हें निशानज़द किया और बतौरे हदी क़ुर्बानी के लिये हरम की तरफ़ रवाना कर दिया और इसके बावजूद आप (ﷺ) पर कोई ऐसी चीज़ हराम नहीं हुई जो पहले हलाल थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 106)**

---

832. हदीषे आइशा (रज़ि.) : ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से ख़त लिखकर पूछा कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जो शख़्स क़ुर्बानी का जानवर हरम की तरफ़ रवाना करता है उस पर क़ुर्बानी होने तक हर वो चीज़ हराम हो जाती है जो हाजी पर हराम होती है (क्या यह दुरुस्त है?) तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि जो कुछ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा है वो सहीह नहीं है। मैंने ख़ुद अपने हाथों से हुज़ूर नबी करीम (ﷺ) की हदी के लिये हार बटे फिर अपने दस्ते मुबारक से वो हार आप (ﷺ) ने अपनी क़ुर्बानी के जानवर के गले में पहनाए। फिर उसे मेरे वालिद (हज़रत अबूबक्र रज़ि.) के साथ (हरम की तरफ़) रवाना कर दिया लेकिन क़ुर्बानी के जानवर की ज़िब्ह होने तक आप (ﷺ) पर कोई ऐसी चीज़ हराम नहीं क़रार दी पाई जो अल्लाह तआला ने हलाल की है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 109)**

बाब 65 : ज़रूरत पेश आ जाए तो क़ुर्बानी के ऊँट पर सवारी जाइज़ है

833. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को ऊँट हाँककर ले जाते हुए देखा तो आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि उस पर सवार हो जाओ। कहने लगा, यह क़ुर्बानी का ऊँट है। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, इस पर सवार हो जाओ। उसने फिर कहा कि यह क़ुर्बानी का ऊँट है। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, सवार हो जा तेरा नास जाए! यह कलिमात आप (ﷺ) ने दूसरी या तीसरी बार फ़र्माए।
(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 103)

---

834. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स को ऊँट हाँककर ले जाते देखा तो उससे फ़र्माया, इस पर सवार हो जाओ। उसने कहा, यह क़ुर्बानी का है। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, सवार हो जाओ। उसने फिर कहा कि क़ुर्बानी का है। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, सवार हो जाओ। तीन बार यह बातचीत हुई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 103)**

बाब 67 : तवाफ़े विदाअ वाजिब है लेकिन हाइज़ा को मुआफ़ हो जाता है

835. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि लोगों को हुक्म है कि हज्ज में उनका सबसे आख़री अमल बैतुल्लाह की हाज़िरी (या'नी तवाफ़) हो लेकिन जिस औरत को हैज़ आ रहा हो उसे इस हुक्म से अलग कर दिया गया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 144)**

---

836. ह़दीसे़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उम्मुल मोमिनीन स़फ़िया बिन्ते हुय्यि इब्ने अख़्तब को हैज़ आ रहा है तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह शायद हमारे रुकने की वजह बनेंगी। (फिर फ़र्माया), क्या उन्होंने तुम सब लोगों के साथ कोई एक त़वाफ़ नहीं कर लिया था? मैंने कहा, क्यों नहीं, किया तो था (या'नी त़वाफ़े इफ़ाज़ा किया था)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर कोई ह़र्ज नहीं! चल पड़ें! । **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 27)**

---

837. ह़दीसे़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) को कूच के दिन (या'नी मिना से रवानगी के दिन जबकि आप यौमुन्नहर में त़वाफ़े इफ़ाज़ा कर चुकी थीं) हैज़ आना शुरू हो गया तो वो कहने लगीं, मेरा ख़याल है कि मैं तुम सब लोगों के रुकने की वजह बनूँगी। यह सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या उन्होंने यौमुन्नहर (क़ुर्बानी के दिन) त़वाफ़ किया था? कहा गया, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर उनसे कहा जाए (रुकने की ज़रूरत नहीं) सबके साथ ही चलें।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 151)

बाब 68 : ह़ाजी का काबा के अंदर जाना और वहाँ नमाज़ पढ़ना और उसके तमाम गोशों में दुआ माँगना मुस्तहब है

838. ह़दीसे़ बिलाल (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और ह़ज़राते उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उ़स्मान बिन त़लह़ा ह़ज्बी (ख़ानदानी कलीद बरदारे काबा) (रज़ि.) काबा के अंदर दाख़िल हुए और ह़ज़रत उ़स्मान बिन त़लह़ा (रज़ि.) ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कुछ देर अंदर ठहरे रहे। जब बाहर आए तो मैंने ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) से पूछा कि काबा के अंदर जाकर नबी करीम (ﷺ) ने क्या किया था? ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने बताया कि आप (ﷺ) ने एक सतून अपने दाँए जानिब रखा और एक सुतून अपने बाँए जानिब रखा और तीन सतून पीछे छोड़े और नमाज़ पढ़ी और उस ज़माने में काबा छः सुतून (खम्भों) पर क़ायम था। (तो एक आगे की जानिब होगा)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस़्स़लात बाब 96)**

---

839. ह़दीसे़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ख़ान-ए-काबा के अंदर दाख़िल हुए तो आप (ﷺ) ने उसके तमाम कोनों में खड़े होकर दुआ माँगी और नमाज़ नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि आप बाहर तशरीफ़ ले आए और बाहर आकर आप (ﷺ) ने काबा की ओर रुख़ करके दो रकअ़तें पढ़ी थीं और फ़र्माया था, 'यही क़िब्ला है।' **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस़्स़लात बाब 30)**

---

840. ह़दीसे़ अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उ़मरह किया तो बैतुल्लाह का त़वाफ़ किया और मुक़ामे इब्राहीम के पीछे खड़े होकर दो रकअ़तें पढ़ी। उस वक़्त आप (ﷺ) के साथ कुछ लोग थे जो आप (ﷺ) को लोगों से छुपाए हुए थे, ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से एक शख़्स़ ने पूछा कि क्या रसूलल्लाह (ﷺ) काबा के अंदर दाख़िल हुए थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 53)

बाब 69 : काबा को तोड़कर बनाने का बयान

841. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे इर्शाद फ़र्माया, अगर तुम्हारी क़ौम कुफ़्र से नई–नई ख़ुलासी पाकर इस्लाम में दाख़िल न हुई होती (या'नी नव मुस्लिम न होती) तो मैं काबा को तोड़कर दोबारा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बुनियादों पर ता'मीर कर देता क्योंकि क़ुरैश ने उसकी इमारत को छोटा कर दिया है और मैं उसके पिछली जानिब भी एक दरवाज़ा रखता।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 42)

---

842. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे इर्शाद फ़र्माया, तुमने देखा नहीं कि जब तुम्हारी क़ौम ने काबा को ता'मीर किया तो उसकी इमारत को हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बुनियादों से छोटा कर दिया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप उसे दोबारा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बुनियादों के मुताबिक़ ता'मीर नहीं फ़र्माएँगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारी क़ौम ताज़ा–ताज़ा कुफ़्र से होकर इस्लाम में दाख़िल न हुई होती तो मैं ऐसा ज़रूर करता।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने यह बात सुनी तो कहा, यक़ीनन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने यह बात नबी करीम (ﷺ) से सुनी होगी और मेरा ख़याल है इसी वजह से आप (ﷺ) ने उन दोनों कोनों को छूना छोड़ दिया था जो हज्रे अस्वद के परे हैं इसलिये कि (ज़मान–ए–जाहिलियत में) ख़ान–ए–काबा की ता'मीरे–नौ (पुनर्निर्माण) करते वक़्त इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की क़ायमकर्दा बुनियादों के मुताबिक़ मुकम्मल नहीं किया गया।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 42)

बाब 70 : काबा की दीवारों और दरवाज़ों का बयान

843. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) से पूछा गया कि ये दीवार (हतीम) काबा में शामिल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! मैंने अर्ज़ किया कि उन लोगों (क़ुरैश) को क्या हुआ जो इसे ख़ाना काबा के अंदर नहीं लिया? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारी क़ौम के पास सरमाया ख़त्म हो गया था (इसलिये उन्होंने दीवारे हतीम को बाहर छोड़कर इमारत को छोटा कर दिया)। फिर मैंने अर्ज़ किया, यह काबा के दरवाज़े का क्या मुआमला है यह इतना ऊँचा क्यूँ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह भी तुम्हारी क़ौम ने इस ग़र्ज़ से किया है ताकि जिसे चाहे अंदर जाने दें और जिसे चाहें अंदर जाने से रोक दें और अगर तुम्हारी क़ौम ने जाहिलियत को ताज़ा–ताज़ा न छोड़ा होता और मुझे यह डर न होता कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मैं (हतीम) को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और काबा के दरवाज़े को ज़मीन से बराबर कर देता।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 42)

बाब 71 : ऐसे शख़्स की तरफ़ से हज्ज करने का बयान जो बुढ़ापे या किसी और उज़्र की वजह से ख़ुद हज्ज न कर सकता हो या वफ़ात पा चुका हो

844. हदीषे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के रदीफ़ थे (या'नी सवारी पर आप ﷺ के पीछे बैठे हुए थे) कि क़बीला ख़ष्अम की एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आई और हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) उसकी तरफ़ देखने लगे

और वो भी हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) की तरफ़ देखने लगी। उस मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) का चेहरा (जब भी वो उसकी तरफ़ देखते) दूसरी तरफ़ मोड़ देते। अलग़र्ज़ उस औरत ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला का आयदकर्दा फ़रीज़ा हज्ज मेरे बाप पर ऐसे वक़्त फ़र्ज़ हुआ जब वो इस क़दर बूढ़ा हो गया है कि सवारी पर टिक भी नहीं सकता तो क्या उसकी तरफ़ से मैं हज्ज कर सकती हूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ। यह वाक़िआ हज्जतुल विदाअ का है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 1)**

---

845. हदीषे फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) : हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करते हैं कि जिस साल रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जे विदाअ किया था, आप (ﷺ) की ख़िदमत में क़बीले ख़ष्अम की एक औरत हाज़िर हुई और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़रीज़े हज्ज जो इंसानों पर अल्लाह तआला की तरफ़ से आयद किया गया है मेरे बाप पर ऐसे वक़्त वाजिब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और सवारी पर सीधा बैठने के क़ाबिल भी नहीं है तो क्या अगर उसकी तरफ़ से मैं हज्ज कर लूँ तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ!

(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 23)

नोट : ऊपर बयान की गई इन दो अहादीष से यह षाबित होता है कि बेटी अपने बाप की तरफ़ से हज्ज कर सकती है। या'नी ऐसी कोई क़ैद नहीं है कि मर्द की तरफ़ से हज्ज कोई मर्द ही कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने एक बेटी को उसके बाप की तरफ़ से हज्ज करने की इजाज़त दी।

बाब 73 : ज़िंदगी में एक बार हज्ज करना फ़र्ज़ है

846. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस क़दर बात में तुमको बता दूँ उसी पर क़िनाअत (बस) किया करो और मज़ीद तफ़्सीलात की कुरेद न किया करो। तुमसे पहली उम्मतें इसी वजह से हलाक हुईं कि वो अपने अंबिया (अलैहिस्सलाम) से तरह–तरह के सवालात किया करती थीं चुनाँचे मैं तुमको जब किसी चीज़ से मना कर दूँ तो उससे इज्तिनाब करो (बचो) और जब किसी काम को करने का हुक्म दूँ तो हस्बे इस्तिताअत (ताक़त के मुताबिक़) उसको बजा लाओ।

(सहीह बुख़ारी किताबुल एतसाम बाब 2)

बाब 74 : औरत जब भी कोई सफ़र करे, ख़्वाह सफ़र हज्ज हो या कोई और; (हर सफ़र) महरम के साथ करे

847. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत कोई ऐसा सफ़र जो तीन दिन का हो बग़ैर महरम के न करे। **(सहीह बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस्सलात बाब 4)**

---

848. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि चार बातें ऐसी हैं जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनीं और मुझे बहुत पसंद आईं और अच्छी लगीं, एक यह कि औरत दो दिन की मुसाफ़त (दूरी) का सफ़र शौहर या महरम के बग़ैर न करे। .... दूसरी यह कि क़स्द व इरादे के साथ ज़ियारत के लिये किसी जगह न जाओ सिवाए तीन मस्जिदों के, (1) मस्जिदुल हराम (2) मेरी यह मस्जिद (मस्जिदे नबवी) और (3) मस्जिदे अक़्सा (बैतुल मक़्दिस)। **(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 26)**

---

849. ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर वो औ़रत जो अल्लाह तआ़ला और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उसके लिये जाइज़ नहीं है कि एक दिन–रात का सफ़र इस त़रह़ करे कि उसके साथ कोई मह़रम मर्द न हो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब तफ़्सीरुस़्स़लात बाब 4)**

---

850. ह़दीष़े इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, कोई मर्द किसी ग़ैर–महरम औ़रत के साथ तन्हाई में न बैठे और कोई औ़रत बग़ैर मह़रम के तन्हा सफ़र न करे। यह सुनकर एक शख़्स़ उठा और उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अपना नाम फ़लाँ ग़ज़वे में लिखा दिया है और मेरी बीवी ह़ज्ज के लिये रवाना हो गई है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो तुम जाओ और अपनी बीवी के साथ ह़ज्ज करो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 140)**

बाब 76 : सफ़रे ह़ज्ज या किसी और सफ़र से वापस लौटे तो क्या दुआ़ पढ़े?

851. ह़दीष़े अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी ग़ज़वे से या सफ़रे ह़ज्ज से वापस तशरीफ़ लाते तो हर ऊँची जगह से गुज़रते वक़्त तीन बार '**अल्लाहु अकबर**' कहते और इसके बाद यह कलिमात पढ़ते, **ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक–लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुव अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर. आयबून ताइबून आ़बिदून लिरब्बिना हामिदून, स़दक़ल्लाह वअ़दहू व नस़र अ़ब्दहू व ह़ज़मल अह़ज़ाब वहदुहू.** (तर्जुमा) अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर! नहीं है कोई इ़बादत के लायक़, सिवाय अल्लाह के; जो यक्ता व बेमिष़ाल है जिसका कोई शरीक नहीं। हुकूमत भी उसी की है और हर त़रह़ की ह़म्दो–ष़ना भी उसी के लिये है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है हम उसी की त़रफ़ लौट रहे हैं। ग़ैरूल्लाह और बुराइयों से मुँह मोड़कर, उसी की इ़बादत करते हुए और हर वक़्त अपने रब की ह़म्दो–ष़ना करते हुए। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बन्दों की मदद की और तमाम लश्करों को उसने अकेले ही शिकस्त दी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल दअ़वात बाब 52)**

बाब 77 : ह़ज्ज और उ़मरह से वापस आने पर आख़िरी रात में बत़्हाए ज़ुलहुलैफ़ा में उतर कर आराम करने और नमाज़ पढ़ने का बयान

852. ह़दीष़े अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ुल हुलैफ़ा की बत़हा (कंकरीली ज़मीन) में अपना ऊँट बिठाया और वहाँ नमाज़ पढ़ी और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ख़ुद भी ऐसा किया करते थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 14)**

---

853. ह़दीष़े अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) 'मुअर्रिसे' ज़ुलहुलैफ़ा में वस्ते–वादी में क़ियाम फ़र्मा थे कि आपको ख़्वाब में दिखाया गया और कहा गया कि आप (ﷺ) इस वक़्त एक मुबारक बत़हा (कंकरीली ज़मीन में हैं, ह़दीष़ के एक रावी मूसा बिन उ़क़्बा कहते हैं कि) ह़ज़रत सालिम (रह.) ने भी हमारे साथ इस जगह को तलाश करके अपना ऊँट बिठाया जहाँ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के उतरने की जगह को ढूँढ़कर अपना ऊँट बिठाया करते थे और यह जगह उस मस्जिद

से नीचे की तरफ़ वाक़ेअ है जो बत़ने वादी में बनी हुई है और बत़ने वादी........और रास्ते के वस्त में है।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 16)

बाब 78 : कोई मुश्रिक बैतुल्लाह का त़वाफ़ न करे, न कोई शख़्स बरहना त़वाफ़ करे नीज़ ह़ज्जे—अकबर के दिन का बयान

854. ह़दीषे अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) : ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज्जतुल विदाअ से पहले जिस ह़ज्ज में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) को अमीरे ह़ज्ज बनाया था। उस ह़ज्ज के मौक़े पर क़ुर्बानी के दिन ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने मुझे भी उस जमाअत के साथ भेजा था जो लोगों में यह ऐलान करने के लिये रवाना की गई थी कि ख़बरदार! इस साल के बाद कोई मुश्रिक ह़ज्ज करने न आए और न कोई शख़्स बरहना (नंगा) होकर बैतुल्लाह का त़वाफ़ करे। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 67)**

बाब 79 : ह़ज्ज, उमरह और यौमे अरफ़ा की फ़ज़ीलत का बयान

855. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स एक उमरे के बाद दूसरा उमरह करता है तो दूसरा उमरह उन तमाम (छोटे) गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाता है जो पहले उमरे और दूसरे उमरे के बीच की मुद्दत में उससे सरज़द हुए थे और ह़ज्जे मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। (स़हीह़ बुख़ारी किताबुल उमरह बाब 1)

नोट : ह़ज्जे—मबरूर, ऐसे ह़ज्ज को कहते हैं जिसके बाद एक मुस्लिम, गुनाहों से इस तरह बरी हो जाता है जैसे कि उसकी माँ ने उसे आज ही के दिन पैदा किया हो। ऐसा हज्ज तभी हो सकता है जब एक मुस्लिम पूरी यकसूई के साथ, अल्लाह और यौमे—आख़िरत पर ईमान रखते हुए, सुन्नत तरीक़े से, पूरे आदाब व एहतिमाम के साथ हज्ज के फ़रीज़े अंजाम दे। वो हज्ज पर रवाना होने से लेकर वापस लौटने तक उन तमाम बातों से बचे जिससे अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने रोका और वो काम करे जिसका आप (ﷺ) ने हुक्म दिया या हज्ज के दौरान अमलन करके दिखाया। नीज़ निय्यत ये होनी चाहिये कि पहले जो लग़ज़िशें व ख़ताएं हो गईं, अब आइन्दा उसको नहीं दोहराऊँगा।

---

856. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **जिस शख़्स ने उस घर (बैतुल्लाह) का क़स्द किया (ह़ज्ज के इरादे से यहाँ आया) और न तो रफ़ष (बदगोई या जिमाअ) का मुर्तकिब हुआ और न उसने कोई ऐसी हरकत की हो जिससे शरीअत ने मना किया हो (गाली—गुलूच या और कोई बुरा काम) तो वो जब ह़ज्ज से फ़ारिग़ होकर वापस जाता है तो (गुनाहों से ऐसा पाक—स़ाफ़ होता है) गोया आज ही उसने माँ के पेट से जन्म लिया है।**

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मुहस़्स़र बाब 9)

बाब 80 : ह़ाजियों को मक्के में उतरने और मक्का के घरों की विराषत का ज़िक्र

857. ह़दीषे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) : ह़ज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मक्का में कहाँ क़ियाम फ़र्माएँगे? क्या अपने घर में? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या अक़ील (रज़ि.) (इब्ने अबी त़ालिब) ने हमारे लिये कोई मुहल्ला या घर बाक़ी छोड़ा है? (जहाँ जाकर हम क़ियाम करें?) आप (ﷺ) के

इस इर्शाद का पसेमंज़र यह है कि अबू त़ालिब की विराष़त आपके औलाद में से स़िर्फ़ अ़क़ील (रज़ि.) और त़ालिब को मिली थी क्योंकि यह दोनों उस वक़्त तक काफ़िर थे और मक्का ही में रह गए थे और ह़ज़रत ज़ा'फ़र और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने विराष़त में से कुछ नहीं लिया था क्योंकि यह दोनों मुसलमान हो गए थे (और बाद में हिजरत करके मदीना चले गए थे)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 44)**

बाब 81 : मुहाजिर को ह़ज्ज और उ़मरे से फ़ारिग़ होकर तीन दिन तक मक्का में क़ियाम की इजाज़त

858. ह़दीषे अ़ला बिन ह़जरमी (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ला (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, त़वाफ़े स़दर (जो मिना से लौटकर किया जाता है) के बाद मुहाजिरीन को स़िर्फ़ तीन दिन मक्का में रहने की इजाज़त है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 47)**

बाब 82 : मक्का मुकर्रमा के एह़तिराम का बयान और मक्का में शिकार करना दरख़्त और घास काटना हमेशा के लिये ह़राम है यहाँ तक कि गिरी पड़ी चीज़ का उठाना भी स़िर्फ़ उसके लिये जाइज़ है जो मालिक को उसका पता दे

859. ह़दीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़तह़े मक्का के दिन फ़र्माया, आज के बाद (मक्का से) हिजरत करना वाजिब नहीं रहा मगर जिहाद और निय्यत बाक़ी है। चुनाँचे जब तुमको जिहाद के लिये पुकारा जाए तो ज़रूर निकलो और यक़ीनन यह (मक्का) एक ऐसा शहर है जिसको अल्लाह तआ़ला ने उसी दिन से मुह़तरम ठहराया है जिस दिन उसने ज़मीन व आसमान को पैदा फ़र्माया। चुनाँचे यह अल्लाह के हुक्म से क़ियामत तक अदब व एह़तिराम की जगह क़रार पा चुका है और इस शहर में मुझसे पहले भी किसी के लिये जंग करना ह़लाल नहीं हुआ और मुझे भी स़िर्फ़ दिन की एक साअ़त के लिये जंग की इजाज़त मिली थी और अब यह फिर पहले की तरह क़ियामत तक के लिये अल्लाह के ह़राम करने से ह़राम हो गया। न तो इसका कांटा तोड़ा जाए और न ही इसके शिकार को भगाया जाए और न इस शहर की गिरी–पड़ी चीज़ को उठाया जाए सिवाय उस शख़्स़ के जो उस चीज़ को उसके मालिक तक पहुँचाए और न यहाँ की घास उखाड़ी जाए।

इस मौक़े पर ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सिवाए अज़ख़र के (अज़ख़र मक्का के गिर्द व नवा में पाई जाने वाली घास है) क्योंकि यह मक्का के सुनारों, लोहारों और घरों में इस्तेमाल के काम आती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! सिवाय इज़ख़र के। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब जज़ाउस्स़ैद बाब 10)**

---

860. ह़दीषे अबू शुरैह़ (रज़ि.) : जिस वक़्त अ़म्र बिन सईद मक्का पर चढ़ाई के लिये लश्कर रवाना कर रहा था (या'नी ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. से मुक़ाबले के लिये) उससे ह़ज़रत अबू शुरैह़ (रज़ि.) ने कहा, ऐ अमीर! मुझे इजाज़त दो कि मैं तुमको वो ह़दीष़ सुनाऊँ जो नबी करीम (ﷺ) ने फ़तह़े–मक्का के दूसरे दिन खड़े होकर बत़ौरे ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माई थी और जिसे मैंने ख़ुद अपने दोनों कानों से सुना था और मेरी इन आँखों ने आप (ﷺ) को कलाम करते देखा था और उस इर्शाद को मैंने अपने दिल में मह़फ़ूज़ कर लिया था। **आप (ﷺ) ने पहले अल्लाह की ह़म्द बयान की फिर इर्शाद फ़र्माया, मक्का को ह़राम व मुह़तरम अल्लाह तआ़ला ने क़रार दिया है; इसे हुर्मत व एह़तिराम का मुक़ाम इंसानों ने नहीं अ़त़ा किया, चुनाँचे किसी शख़्स़ के लिये जो अल्लाह**

और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है यह जाइज़ नहीं है कि सरज़मीने मक्का में ख़ून बहाए या उसका दरख़्त काटे। और अगर कोई शख़्स़ नबी करीम (ﷺ) के जंग करने को बहाना बनाकर यह कहे कि बवक़्ते ज़रूरत जंग करने की रुख़्स़त है तो उसे कहो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को अल्लाह तआला ने ख़ास़ तौर पर जंग की इजाज़त फ़र्माई थी और तुमको इजाज़त नहीं दी गई और आप (ﷺ) को स़िर्फ़ दिन की एक साअत में इजाज़त दी गई थी उसके बाद फिर उसकी अस़ली हुर्मत व अस़ली एह़तिराम लौट आया और वो आज फिर उसी त़रह़ ह़राम व मुह़तरम है जैसा कि कल था (यह ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माकर आप ﷺ ने यह हुक्म दिया था कि), जो लोग इस वक़्त ह़ाज़िर हैं उन पर लाज़िम हैं कि मेरे यह अह़काम उन सब लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ ह़ाज़िर नहीं! ह़ज़रत अबू शुरैह़ (रज़ि.) से पूछा गया, कि इसके जवाब में अ़म्र बिन सईद ने क्या कहा? फ़र्माया, उसने कहा कि ऐ अबू शुरैह़! मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ह़रम किसी नाफ़र्मान, मफ़रूर क़ातिल और लूटमार करके भागे हुए को पनाह नहीं देता। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 37)**

---

861. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथों मक्का फ़तह़ करा दिया तो आप (ﷺ) लोगों के सामने खड़े हुए। पहले आप (ﷺ) ने अल्लाह की ह़म्दो ष़ना की। मुझसे पहले किसी पर मक्का ह़लाल नहीं हुआ और मेरे लिये भी स़िर्फ़ दिन की एक साअत में ह़लाल हुआ और अब मेरे बाद किसी के लिये ह़लाल न होगा। चुनाँचे न तो इसके शिकार को भगाया जाए और न यहाँ का कांटा तोड़ा जाए और न इस शहर की गिरी-पड़ी चीज़ को उठाना किसी के लिये जाइज़ है सिवाय उस शख़्स़ के जो मालिक को तलाश करके वो चीज़ उसे पहुँचाए और जिसका कोई आदमी क़त्ल हो जाए उसे दो बातों का इख़्तियार है, ख़्वाह ख़ूँबहा (फिदया) ले ले या चाहे तो क़ातिल को क़िस़ास़ में क़त्ल करा दे।

इस मौक़े पर ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अज़ख़र के सिवा; या'नी अज़ख़र को काटने की इजाज़त दीजिए क्योंकि उसे हम अपनी क़ब्रों में इस्ते'माल करते हैं और घरों में काम आती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! अज़ख़र के सिवा। फिर यमन के रहने वाले एक शख़्स़ अबू शाह (रज़ि.) उठे और उन्होंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह (ख़ुत्बा) मुझे लिख दीजिए! चुनाँचे आप (ﷺ) ने हुक्म दिया कि अबू शाह (रज़ि.) को लिखकर दे दिया जाए। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लुक़्ता बाब 7)**

बाब 84 : मक्का में एह़राम के बग़ैर दाख़िल होना जाइज़ है

862. ह़दीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि फ़तह़ मक्का के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में दाख़िल हुए तो आप (ﷺ) 'ख़ूद' पहने हुए थे फिर जिस वक़्त आपने ख़ूद उतारा उसी वक़्त एक शख़्स़ ने आकर इत्तिला दी कि इब्ने ख़त़ल काबे में पर्दा पकड़े खड़ा है। आप (ﷺ) ने हुक्म दिया, उसे क़त्ल कर दो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब जज़ाउस़्स़ैद बाब 18)**

बाब 85 : मदीना की फ़ज़ीलत, इस शहर के ह़क़ में नबी करीम (ﷺ) की दुआ-ए-बरकत फ़र्माना और यहाँ शिकार करने और दरख़्त काटने को ह़राम क़रार देना नीज़ मदीना की हुर्मत और हुदूदे ह़रम का बयान

863. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम

(ﷺ) ने फ़र्माया, ह़ज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने मक्का को ह़रम क़रार दिया था और इसके लिये दुआ फ़र्माई थी, और मैंने मदीना को ह़रम क़रार दिया है ठीक उसी त़रह़ जिस त़रह़ ह़ज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने मक्का को ह़राम क़रार दिया था और मैंने मदीना के लिये दुआ की है कि अल्लाह उसके मुद और साअ़ में बरकत अ़त़ा करे जिस त़रह़ ह़ज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने मक्का के लिये दुआ–ए–बरकत की थी।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 53)

---

864. ह़दीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत अबू त़लह़ा (रज़ि.) से इर्शाद फ़र्माया, अपने लड़कों में से एक ऐसा लड़का तलाश करो जो मेरी ख़िदमत करे। चुनाँचे ह़ज़रत अबू त़लह़ा (रज़ि.) मुझे अपनी सवारी के पीछे बिठाकर (आप ﷺ की ख़िदमत में) ले आए और मैं (उस दिन से) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत करने लगा। जब आप (ﷺ) (सवारी से) उतरते थे तो मैं अकषर आप (ﷺ) को यह कलिमात इर्शाद फ़र्माते सुनता था, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल कस्लि वल जुब्नि व ज़लअ़द्दैनि व ग़लबतिर्रिजाल** (तर्जुमा) 'ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह का ख़्वास्तगार हूँ रंज व ग़म से, काम करने की स़लाह़ियत से मह़रूम होने और कामचोरी से, बुख़्ल (कंजूसी) और बुज़दिली से, क़र्ज़ तले दबने और लोगों के ग़लबे से।' उस दिन से मैं मुसलसल आप (ﷺ) की ख़िदमत करता रहा यहाँ तक कि हम ख़ैबर से वापस लौटकर आए और नबी करीम (ﷺ) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) बिन्ते हुय्यि बिन अख़त़ब को अपने साथ लाए। उन्हें आप (ﷺ) ने अपने लिये चुन लिया था। मैंने देखा कि आप (ﷺ) अपनी सवारी के पीछे चादर तान रहे हैं, फिर आप (ﷺ) ने ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) को अपने पीछे बिठा लिया। यहाँ तक कि जब हम मुक़ामे स़ह्बा में पहुँचे तो आप (ﷺ) ने **ह़ैस** तैयार कराके चमड़े के दस्तरख़्वान पर रखा। फिर मुझे लोगों को बुलाने के लिये भेजा, मैं जाकर लोगों को बुला लाया और उन्होंने यह खाना खाया। **यह दरअस़्ल आप (ﷺ) ने ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) से अपने निकाह़ का वलीमा किया था।** यहाँ से फ़ारिग़ होकर फिर चल पड़े यहाँ तक कि जब उहुद पहाड़ नज़र आने लगा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह वो पहाड़ है जो हमसे मुह़ब्बत करता है और हम इससे मुह़ब्बत करते हैं। फिर जब मदीना के पास पहुँचे तो फ़र्माया, ऐ मेरे रब! मैं मदीना के दोनों पहाड़ों के बीच के इलाक़ों को क़ाबिले एह़तिराम क़रार देता हूँ जिस त़रह़ ह़ज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने मक्का को क़ाबिले एह़तिराम क़रार दिया था, ऐ अल्लाह! मदीना वालों के मुद और स़ाअ़ में बरकत अ़त़ा फ़र्मा!!

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत तआ़म बाब 28)

नोट : हैस उस खाने को कहा जाता है जो खजूर, पनीर और घी को कूटकर षरीद की तरह तैयार किया जाता है, कभी इसमें सत्तू भी मिला लिया जाता है।

---

865. ह़दीषे अनस (रज़ि.) : आ़सिम (रह.) बयान करते हैं कि मैंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने मदीना के ह़ुदूदे–ह़रम मुतअ़य्यन फ़र्माई थीं? ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, हाँ! फ़लाँ मुक़ाम और फ़लाँ मुक़ाम के बीच जो इलाक़ा है, उसके बारे में आप (ﷺ) का ह़ुक्म है कि उसका दरख़्त भी न काटा जाए और जिस शख़्स़ ने यहाँ कोई बिदअ़त पैदा की तो उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और इंसानों की, सबकी लअ़नत।

आ़सिम (रह.) कहते हैं कि मुझे मूसा (रह.) बिन अनस (रज़ि.) ने ख़बर दी कि ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने **'अव आवा मुह़दिषन'** कहा था या'नी जिसने किसी ऐसे शख़्स़ को पनाह दी जिसने कोई बिदअ़त पैदा की हो या किसी जुर्म का इर्तिकाब किया हो।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ऐतस़ाम बाब 6)

---

866. हदीसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ). ने इर्शाद फ़र्माया, ऐ अल्लाह! बरकत अता फ़र्मा इनके पैमानों कैल, मुद और साअ में (या'नी उन चीज़ों में जो इन पैमानों में नापी जाएँ)। यह दुआ आप (ﷺ) ने अहले मदीना के हक़ में फ़र्माई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 53)**

---

867. हदीसे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! मदीना में उससे दो गुना ज़्यादा बरकत फ़र्मा जिस क़दर बरकत तूने मक्का को अता फ़र्माई।

(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ज़ाइले मदीना बाब 10)

---

868. हदीसे अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) ने पक्की ईंटों से बने हुए मिम्बर पर खड़े होकर ख़ुत्बा दिया और आपके पास एक तलवार थी जिसके साथ एक सहीफ़ा लटका हुआ था। हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! हमारे पास कोई किताब नहीं जिससे पढ़ा जाए मगर किताबुल्लाह (क़ुर्आन) या फिर यह सहीफ़े हैं। फिर आपने उस सहीफ़े को खोला तो उसमें ऊँट की उम्रों का ज़िक्र था (या'नी दियत और ज़कात में अदा किए जाने वाले ऊँटों की उम्र और ता'दाद का तनासुब मज़कूर था)। नीज़ उस सहीफ़े में लिखा हुआ था **हरमे मदीना की हद जबले ईर से फ़लाँ मुक़ाम तक है; लिहाज़ा जो शख़्स इसमें कोई नई बात (बिदअत या दस्तदराज़ी) करेगा तो उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और सब इंसानों की लअनत। अल्लाह तआला न तो उसकी फ़र्ज़ इबादत क़ुबूल करेगा और न नफ़्ली इबादत।** और उसमें यह भी दर्ज था कि **'और मुसलमानों के पास अहद और अमन देने की ज़िम्मेदारी सबकी मुशतरका (संयुक्त) ज़िम्मेदारी है। अगर कोई अदना मुसलमान भी किसी (ग़ैर मुस्लिम) को अमान देगा तो उसका भी ऐतबार किया जाएगा, पस अगर कोई शख़्स किसी मुसलमान के अहदे–अमान (शान्ति समझौते) को तोड़ेगा तो उस पर अल्लाह तआला, फ़रिश्तों और तमाम मुसलमानों की लअनत। न उसकी फ़र्ज़ इबादत अल्लाह तआला क़ुबूल फ़र्माएगा न नफ़्ली इबादत।'** और उस सहीफ़े में यह भी लिखा हुआ था कि **'जो शख़्स (आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम) अपने आक़ाओं की इजाज़त के बग़ैर किसी क़ौम से मुआहद–ए–मुवालात करेगा, उस पर भी अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लअनत, उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत और नफ़्ली इबादत अल्लाह तआला क़ुबूल न फ़र्माएगा।'** **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतसाम बाब 5)**

---

869. हदीस अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहा करते थे कि अगर मैं मदीना में किसी हिरन को चरते देखता हूँ तो उसे डराता और बिदकाता नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है, सरज़मीने मदीना का वो इलाक़ा जो काले पत्थरों वाले दोनों मैदानों के बीच है वो हरमे मदीना है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ज़ाइले मदीना बाब 4)

बाब 86 : मदीना में सुकूनत इख़्तियार करने की तरग़ीब और मदीना की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने का सवाब

870. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **ऐ अल्लाह! हमारे दिलों में मदीना की मुहब्बत डाल दे जैसा कि तूने मक्का को हमारे लिये महबूब**

बना दिया था बल्कि उससे भी ज़्यादा और मदीना के बुख़ार को जुअफ़ा की तरफ़ मुंतक़िल कर दे। ऐ अल्लाह! हमारे मुद और साअ में बरकत अता फ़र्मा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल दअवात बाब 43)**

नोट : जुअफ़ा मिस्र की सरहद पर एक इलाक़ा है। ये वो जगह है जो उन दिनों यहूदियों का ठिकाना था। जब आप (ﷺ) ने दुआ की तो मदीना में फैली हुई बुख़ार की बीमारी जुअफ़ा की तरफ़ मुन्तक़िल (ट्रांसफर) हो गई। ये आप (ﷺ) की दुआ में अल्लाह की तरफ़ से अताकर्दा एक मोजज़ा ही है कि आज भी अगर कोई शख़्स जुअफ़ा का पानी पी ले तो उसे बुख़ार हो जाता है।

बाब 87 : मदीना ताऊन (प्लेग) और दज्जाल से महफ़ूज़ रहेगा

871. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना के नाको और दरवाज़ों पर (हिफ़ाज़त की ख़ातिर) फ़रिश्ते तैनात हैं। लिहाज़ा इसमें न तो ताऊन (प्लेग) दाख़िल हो सकती है और न दज्जाल। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीना बाब 9)**

बाब 88 : मदीना बुरे लोगों को बाहर निकाल देता है

872. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे ऐसी बस्ती की तरफ़ हिजरत का हुक्म मिला था जो दूसरे शहरों को अपने अंदर जज़्ब (समाहित) कर लेगी। लोग उसे 'यसरिब' कहते हैं हालाँकि उसका सहीह नाम 'मदीना' है वो इंसानों को इस तरह छांटता है जिस तरह भट्टी लोहे को मैल–कुचैल से काटकर अलग कर देती है। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीना बाब 2)**

---

873. हदीसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक देहाती(देहाती) ने नबी करीम (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर इस्लाम की बैअत की। बाद में मदीना में रहते हुए उसे तेज़ बुख़ार आ गया तो वो आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे बैअत से आज़ाद कर दीजिये। आप (ﷺ) ने इंकार फ़र्मा दिया। चुनाँचे वो फिर दोबारा आया और वही अल्फ़ाज़ दोहराए कि मुझे अपनी बैअत से आज़ाद कर दीजिये।आप (ﷺ) ने फिर इंकार फ़र्मा दिया, फिर वो देहाती मदीने से अज़ख़ुद चला गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना भट्टी की तरह है, मैल–कुचैल को बाहर फेंक देता है और पाक–साफ़ को छांटकर अपने पास रख लेता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 47)**

---

874. हदीसे ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यह (मदीना) 'तय्यिबा' है और यह मैल–कुचैल को इस तरह बाहर निकाल फेंकता है जैसे आग चाँदी के मैल को दूर कर देती है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरह निसा बाब 15)**

बाब 89 : जो शख़्स मदीनावालों के साथ बुराई का इरादा करेगा अल्लाह उसे घुला देगा

875. हदीसे सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना, जो शख़्स मदीना वालों के साथ दग़ा और फ़रेब करेगा अल्लाह तआला उसे इस तरह घुला देगा

जैसे नमक पानी में घुल जाता है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीना बाब 7)**

बाब 90 : रसूलुल्लाह (ﷺ) का रग़बत दिलाना कि जब मुख़्तलिफ़ शहर फ़तह़ हों तो मदीना में सुकूनत इख़्तियार की जाए

876. ह़दीषे सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर (रज़ि.) : ह़ज़रत सुफ़ियान (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, जब यमन फ़तह़ होगा तो कुछ लोग अपने ऊँटों को हाँकते हुए आएँगे और अपने घरवालों को और उन लोगों को जो उनका कहना मानेंगे (मदीना से) लादकर ले जाएँगे हालाँकि मदीना उनके लिये बेहतर होगा, काश! वो इस बात को जानते। और जब मुल्के शाम फ़तह़ होगा तब भी एक जमाअ़त अपने ऊँट हाँकती हुई आएगी और अपने अहलो- अ़याल और उन लोगों को जो उनका कहना मानेंगे (मदीना से) लादकर ले जाएगी। काश! वो जानते कि मदीना उनके लिये बेहतर है। इसी तरह इराक़ फ़तह़ होगा तब भी कुछ लोग अपने जानवर हाँकते हुए आएँगे और मदीना से अपने अहल व अ़याल और मुत्तबिईन (समर्थकों) को निकालकर लाद ले जाएँगे। काश! कि वो जानते कि मदीना उनके लिये बेहतर था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीना बाब 5)**

बाब 91 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद, एक वक़्त आएगा जब अहले मदीना, मदीना को छोड़ देंगे

877. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना, एक वक़्त आएगा जब मदीना अपने बेहतरीन ह़ालात में होगा लेकिन लोग इसे छोड़कर चले जाएँगे और यहाँ सिर्फ़ दरिन्दे और परिन्दे रहेंगे और आख़िर में मुज़ैना के दो चरवाहे मदीना आएँगे ताकि अपनी बकरियाँ हाँक कर ले जाएँ लेकिन वहाँ सिर्फ़ वह़शी जानवर मिलेंगे फिर वो जब षनयतुल विदाअ़ तक पहुँचेंगे तो अपने मुँह के बल गिर जाएँगे (गोया क़ियामत आ जाएगी)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीना बाब 5)**

बाब 92 : क़ब्र मुबारक और मिम्बरे मुबारक के बीच ज़मीन का टुकड़ा, जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है

878. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद अलमाज़िनी (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे घर और मिम्बर के बीच की जगह जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़्लुस्स़लात फ़ी मस्जिद मक्का वल मदीना बाब 5)

नोट : आप (ﷺ) की क़ब्रे-मुबारक उसी कमरे में बनाई गई जो मस्जिदे-नबवी में था। यही कमरा उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) का हुजरा था। ह़दीष में इसी कमरे से लेकर मिम्बर के बीच की जगह का ज़िक्र है।

---

879. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे घर और मिम्बर के बीच जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है मेरा मिम्बर मेरे ह़ोज़ (कौष़र) पर है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़्लुस्स़लात फ़ी मस्जिदे मक्का वल मदीना बाब 5)

बाब 93 : कोहे उहुद हमें महबूब रखता है और हम उससे मुहब्बत करते हैं

880. हदीषे अबू हमीद (रज़ि.) : हज़रत अबू हमीद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की मइय्यत (नेतृत्व) में ग़ज़व–ए–तबूक से वापस आ रहे थे। जब हम मदीना के पास पहुँचे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह (मदीना) ताबह है और यह (उहुद) वो पहाड़ है जो हमसे मुहब्बत करता है और हम इससे मुहब्बत करते हैं।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 81)

बाब 94 : दो मसाजिद मक्का (मस्जिदुल हराम) व मदीना (मस्जिदे नबवी ﷺ) में नमाज़ की फ़ज़ीलत

881. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी ﷺ) में एक नमाज़ मस्जिदुल हराम के अलावा बाक़ी तमाम मसाजिद की हज़ार नमाज़ों से बेहतर है। **(स़हीह बुख़ारी किताब फ़ज़्लुस्सलात फ़ी मस्जिदे मक्का वल मदीना बाब 1)**

बाब 95 : तीन मस्जिदों के सिवा किसी मुक़ाम की ज़ियारत के लिये अ़ज़्मे सफ़र मना है

882. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क़स्द व इरादे से (बराए ज़ियारत) सफ़र न किया जाए, सिवाए तीन मस्जिदों के (1) मस्जिदुल हराम (2) मस्जिदे नबवी ﷺ (3) मस्जिदे अक़्सा (बैतुल मक़्दिस)।

(स़हीह बुख़ारी किताब फ़ज़्लुस्सलात फ़ी मस्जिदे मक्का वल मदीना बाब 1)

बाब 97 : मस्जिदे क़ुबा की फ़ज़ीलत और उसमें आने और नमाज़ पढ़ने का ष़वाब

883. हदीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) क़ुबा (मस्जिद) में तशरीफ़ लाया करते थे कभी पैदल और कभी सवारी पर।

(स़हीह बुख़ारी किताब फ़ज़्लुस्सलात फ़ी मस्जिदे मक्का वल मदीना बाब 4)

किताबुन् निकाह

884. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : अलक़मा (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के साथ जा रहा था कि मुक़ामे मिना में हज़रत उष्मान (रज़ि.) मिले और उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान (रज़ि.)! मुझे आपसे कुछ काम है। चुनाँचे वो दोनों अलग हटकर बातें करने लगे। फिर हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान (रज़ि.)! क्या आप पसंद करेंगे कि हम आपकी शादी एक कुँवारी लड़की से करा दें जो आपको जवानी के दिनों की याद ताज़ा करा दे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने महसूस किया कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है लिहाज़ा मुझे इशारे से बुलाया कि अलक़मा (रह.) इधर आओ! जब मैं क़रीब पहुँचा तो आप हज़रत उष्मान (रज़ि.) से मुख़ातिब होकर फ़र्मा रहे थे। अब चूँकि आपने यह बात कही है तो मैं आपको बताता हूँ कि नबी करीम (ﷺ) ने हमसे फ़र्माया था, **ऐ जवानों के गिरोह! जो तुममें से निकाह करने की ताक़त रखता है उसे चाहिए कि शादी कर ले और जिसमें इसकी क़ुव्वत या क़ुदरत न हो वो रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा जिन्सी शहवत को तोड़नेवाला है।**

(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 2)

---

885. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि तीन शख़्स अजवाज़े मुतह्हरात के हुज्रों के क़रीब आए और उन्होंने नबी (ﷺ) की इबादत के बारे में पूछा। जब उन्हें इसके बारे में बताया गया तो ऐसा मा'लूम होता है उन्होंने आप (ﷺ) की इबादत को कम ख़याल किया और कहने लगे कि हमारी और नबी करीम (ﷺ) की क्या बराबरी? आप (ﷺ) की अगली-पिछली तमाम लग़ज़िशें मुआफ़ फ़र्मा दी गई हैं। चुनाँचे उनमें से एक ने कहा, मैंने तो फ़ैसला कर लिया है कि मैं हमेशा सारी रात नमाज़ पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा, मैं मुसलसल रोज़े रखूँगा और कभी नाग़ा न करूँगा। तीसरे ने कहा, मैं औरतों से किनाराकश रहूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा।

इस बातचीत की ख़बर रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिली तो आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, क्या तुम ही लोग हो जिन्होंने यह और यह बातें की हैं? फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या अल्लाह की क़सम! यह वाक़िआ नहीं है कि मैं यक़ीनन तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और उसका तक़्वा इख़्तियार करने वाला हूँ? लेकिन मैं रोज़े भी रखता हूँ और इफ़्तार भी करता हूँ, (रातों को) नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और औरतों से निकाह भी करता हूँ। तो याद रखो! जो शख़्स मेरे मसनून तरीक़े से मुँह मोड़ेगा, उसका मेरे साथ कोई तअल्लुक़ नहीं (वो मुसलमान ही नहीं)।

(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 1)

---

886. हदीषे सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उष्मान बिन मज़ऊन (रज़ि.) को तर्के निकाह (मुजर्रद रहने) से मना फ़र्मा दिया था और अगर आप (ﷺ)

उन्हें बग़ैर निकाह़ रहने की इजाज़त दे देते तो हम सब ख़स्सी होना पसंद करते (या'नी शहवते नफ़्सानी को कम करने के ज़राए इख़्तियार करते)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 8)**

बाब 2 : मुतआ (आरज़ी निकाह) पहले जाइज़ था फिर इससे मना कर दिया गया बाद में फिर जाइज़ हुआ और फिर क़ियामत तक के लिये ह़राम कर दिया गया

887. ह़दीष़े अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक ग़ज़वे में शरीक थे और हमारे साथ औ़रतें न थीं तो हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, क्या हम ख़स्सी न हो जाएँ? तो आप (ﷺ) ने हमें ख़स्सी होने से मना फ़र्मा दिया। लेकिन बाद में आप (ﷺ) ने हमें इजाज़त दे दी कि किसी औ़रत से एक तयशुदा मुद्दत के लिये कपड़े के जोड़े के बदले में निकाह़ कर सकते हैं। फिर अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने यह आयत तिलावत की, **या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम** (अल माइदा : 87) तर्जुमा : 'ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो जो पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिये ह़लाल की हैं उन्हें ह़राम न कर लो।' **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरतुल माइदा बाब 9)**

---

888. ह़दीष़े जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह और सलमा बिन अल अक़्वा (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) और ह़ज़रत सलमा बिन अल अक़्वा (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक ग़ज़वे में हम लश्कर के साथ थे तो हमारे पास नबी करीम (ﷺ) आए और इर्शाद फ़र्माया, तुम्हें मुतआ (वक़्ती निकाह़) की इजाज़त दे दी गई है तो अब तुम मुतआ कर सकते हो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 31)**

---

889. ह़दीष़े अ़ली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) बयान करते हैं कि औ़रतों से मुतआ करने और पालतू गधों का गोश्त खाने की मुमानअ़त अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ग़ज़व—ए—ख़ैबर के दिन फ़र्माई थी (या'नी दोनों को ह़राम क़रार दे दिया था)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)**

नोट : मुतआ उस निकाह को कहते हैं जो कुछ दिनों के लिये किसी तयशुदा चीज़ के बदले किया जाए। तयशुदा वक़्त के ख़त्म हो जाने के बाद वो औ़रत बग़ैर तलाक़ दिये ख़ुद ब ख़ुद निकाह से बाहर हो जाती थी। ह़ज़रत रबीअ़ बिन समुरा (रज़ि.) से रिवायत है कि उनके वालिद ह़ज़रत समुरा ने फ़तहे मक्का के मौक़े पर आप (ﷺ) के साथ जिहाद किया था और आप (ﷺ) की इजाज़त से मक्का की एक औ़रत के साथ एक चादर के बदले तीन दिन के लिये मुतआ किया था। यह रिवायत सहीह मुस्लिम में मुतआ के मन्सूख़ होने और फिर उसके हराम होने के बाब में नक़ल की गई है। मुतआ अब क़ियामत तक के लिये हराम है, इस बात पर तमाम उ़लमा व मुहद्दिष़ीन का इत्तेफ़ाक़ है; सिवाय शियाओं के एक गिरोह को छोड़कर। मुतआ कब हराम हुआ इसके बारे में कुछ इख़्तिलाफ़ है;

(1) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) की रिवायत के मुताबिक़ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ख़ैबर की जंग के बाद मुतआ को हराम क़रार दिया,

(2) सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) की रिवायत के मुताबिक़ औतास की जंग के बाद मुतआ को हराम क़रार दिया गया,

(3) रबीअ़ बिन समुरा (रज़ि.) की रिवायत के मुताबिक़ फ़तहे—मक्का की जंग के कुछ दिन बाद अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुतआ को क़ियामत तक के लिये हराम क़रार दे दिया।

सवाल यह है कि आप (ﷺ) ने पहले मुतआ की इजाज़त दी फिर उसे हमेशा के लिये हराम क्यों क़रार दिया? इसका जवाब यह है कि मुतआ करने का मक़सद सिर्फ़ शहवत को ठण्डा करना था और मुतआ की इजाज़त भी स़िर्फ़ उन्हीं

लोगों को दी गई थी जो कि आप (ﷺ) के साथ किसी न किसी जंग में शरीक थे। यह इजाज़त शायद इसलिये दी गई थी ताकि मुस्लिम फौजी बदकारी पर आमादा न हो और उनकी वजह से इस्लामी फौजों की छवि ख़राब न हो। बाद में आप (ﷺ) ने हुक्म फ़र्माया कि जो निकाह की ताक़त नहीं रखते वो रोज़ा रखकर अपनी शहवत पर क़ाबू करें क्योंकि रोज़ा शहवते–नफ्सानी को तोड़ देता है। अस़ल में इस्लाम निकाह को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है;

(1) जो लोग निकाह की ताक़त रखते हैं, इस्लाम उन्हें निकाह करने की तर्ग़ीब दिलाता है।

(2) जो औरतें बिन शौहर की हों, उनके सरपरस्तों को इस्लाम उन्हें हुक्म देता है कि अच्छा रिश्ता सामने आते ही फौरन उनका निकाह करें।

(3) इस्लाम औरतों को यह ता'लीम देता है कि अकेली रहने से बेहतर है कि वो किसी अच्छे मुस्लिम की दूसरी–तीसरी या चौथी बीवी बनकर रहें।

(4) इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई मर्द–औरत बग़ैर निकाह किये जिस्मानी लज़्ज़त हासिल करें। आज के दौर में 'लिविंग टुगेदर' या 'बिन फेरे हम तेरे' रहने का जो चलन आम हो रहा है वो सरासर आवारागर्दी है।

अब सवाल यह उठता है कि इस्लाम निकाह को इतनी अहमियत क्यों देता है? निकाह को फ़रोग़ देने के लिये इतनी आसानियाँ क्यों रखी गई है? बदकारी करने से क्यों रोका है और बदकारी करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान क्यों रखा है? इसके जवाब के लिये नीचे लिखे तथ्यों पर ग़ौर करें,

(1) निकाह एक सामाजिक व पारिवारिक बंधन का नाम है। निकाह के नतीजे में एक ऐसा परिवार वजूद में आता है जिसमें मर्द व औरत पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती है जिन्हें पूरा करना उन पर लाज़मी होता है।

(2) निकाह के बाद मर्द व औरत पर अपने आबाई (पैतृक) रिश्तों के साथ–साथ ससुराली रिश्तों को निबाहने की ज़िम्मेदारी भी लागू होती है जिससे वे अधिक जवाबदेह बनते हैं।

(3) निकाह करने का एक मक़सद परिवार को बढ़ाना भी है, लिहाज़ा निकाह के बाद पैदा होने वाले बच्चों के पालने–पोसने पर ख़र्च करने को मर्द अपनी ज़िम्मेदारी समझता है, वहीं उन बच्चों की देख–रेख व तर्बियत करने को औरत अपना फ़र्ज़ समझती है। माँ–बाप के प्यार और अख़लाक़ी तर्बियत के माहौल में जो बच्चे बड़े होते हैं वो अच्छे इन्सान बनते हैं।

(4) आवारागर्दी से बने सम्बंधों में मर्द व औरत दोनों को, बच्चे आज़ादी में बाधक लगते हैं इसलिये हत्तल इम्कान वे बच्चे पैदा करने से बचते हैं और इसके लिये कई तरह के मेडिकल तरीक़े इस्तेमाल करते हैं।

(5) अगर 'लिविंग टुगेदर' रिश्तों के दौरान बच्चे पैदा हो भी जाएं तो यह मसला पैदा होता है कि उनकी तर्बियत किसके जिम्मे है? नाजाइज़ तरीक़े से जन्मी औलाद को न तो समाज क़ुबूल करता है और मर्द–औरत के परिवार वाले। नतीजन ऐसी औलाद विराष़त और सामाजिक संस्कारों से महरूम रहती है।

यही वजह है कि इस्लाम ने बदकारी (व्यभिचार) और जिस्मफ़रोशी (वेश्यावृत्ति) की किसी भी क़ीमत पर इजाज़त नहीं दी, वहीं मुतआ जैसे तयशुदा मुद्दत वाले निकाहों को भी हराम (वर्जित) क़रार देकर क़ियामत तक के लिये यह क़ानून बना दिया है कि बग़ैर निकाह के मर्द–औरत का जिन्सी रिश्ता इस्लाम को क़तई तौर पर क़ुबूल नहीं है। बल्कि अगर कोई ऐसा करता है तो इस्लाम की नज़र में दण्ड का भागी होता है।

बाब 3 : भतीजी–फूफी और ख़ाला–भांजी को एक साथ निकाह़ में रखना ह़राम है

890. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी औरत को उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह़ में जमा न किया जाए।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 27)

बाब 4 : बह़ालते एह़राम निकाह़ करना ह़राम और निकाह़ का पैग़ाम देना मकरूह है

891. ह़दीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने जब उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) से निकाह़ किया उस वक़्त आप (ﷺ) बह़ालते एह़राम थे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 12)

नोट : इस मसले में इख़्तिलाफ़ है, लेकिन यह हदीष़ स़हीहैन की है या'नी सहीह बुख़ारी व मुस्लिम दोनों में मौजूद है चूँकि इस हदीष़ को इमाम मुस्लिम ने मज़्कूरा बाब के तहत नक़ल किया है, इसलिये इसको यहाँ दर्ज किया गया है। इसी मसले से मुताल्लिक़ एक हदीष़ सहीह मुस्लिम में ह़ज़रत यज़ीद बिन अ़सम (रज़ि.) से मरवी है। वो कहते हैं कि ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) ने ख़ुद मुझे यह बात बताई कि जब नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे निकाह किया उस वक़्त आप (ﷺ) एहराम की हालत में नहीं थे और ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) मेरी और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) दोनों की ख़ाला हैं। दूसरी रिवायत ह़ज़रत उष़्मान (रज़ि.) की है उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि (हज्ज या उ़मरा का एहराम बांधा हुआ) मुहरिम न तो अपना निकाह कर सकता है और न किसी और का करा सकता है और न ही किसी औ़रत को निकाह का पैग़ाम भेज सकता है। बयान की गई इन दो हदीष़ों से ज़ाहिर है कि ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास को मुग़ालता हुआ है। ह़ज़रत उष़्मान (रज़ि.) की रिवायत से तो इस बात की भी ताकीद मिलती है कि अगर कोई शख़्स़ एहराम बाँधे हुए हो तो वो वकील बनकर किसी दूसरे का निकाह भी नहीं करवा सकता।

बाब 5 : किसी मुसलमान भाई ने किसी जगह निकाह़ का पैग़ाम दे रखा हो तो जब तक वो उसका ख़याल न छोड़ दे या इजाज़त न दे, (तब तक) दूसरे के लिये पैग़ाम देना जाइज़ नहीं है

892. ह़दीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मना फ़र्माया है कि कोई शख़्स़ किसी दूसरे शख़्स़ के सौदे पर सौदा करे (या'नी एक शख़्स़ किसी चीज़ को ख़रीद रहा है तो जब तक वो ख़रीददारी से दस्तबरदार न हो जाए दूसरे शख़्स़ के लिये उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करना जाइज़ नहीं)। इसी त़रह़ कोई शख़्स़ अपने मुसलमान भाई के पैग़ामे निकाह़ पर अपने लिये पैग़ामे निकाह़ न दे जब तक कि पहला शख़्स़ उस जगह से निकाह़ का इरादा तर्क न कर दे या उसको अपने पैग़ाम पर पैग़ाम देने की इजाज़त न दे दे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 45)

बाब 6 : निकाहे शिग़ार ह़राम और बात़िल है

893. ह़दीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने निकाहे–शिग़ार (अदले–बदले या अट्टे–सट्टे की शादी) से मना फ़र्माया है। निकाहे शिग़ार यह है कि कोई अपनी बेटी दूसरे शख़्स़ से इस शर्त पर ब्याह दे कि वो अपनी बेटी का निकाह़ उससे कर दे और दोनों के लिये कोई महर मुक़र्रर न किया जाए।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 27)

बाब 7 : बवक़्ते निकाह़ तयकर्दा शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है

894. ह़दीषे उ़क़्बा बिन आ़मिर (रज़ि.) : ह़ज़रत उ़क़्बा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे ज़्यादा पूरा किए जाने के मुस्तह़िक़ शर्तें वो हैं जिनसे तुमने औ़रतों को ह़लाल किया है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुश्शुरूत बाब 6)

बाब 8 : निकाह़ की इजाज़त त़लब करने पर कुँवारी लड़की की ख़ामोशी इजाज़त के मुतरादिफ़ (समान) हैं लेकिन षय्यिबा (जिसकी पहले एक मर्तबा शादी हो चुकी हो) का ज़ुबान से हाँ कहना ज़रूरी है

895. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ग़ैर बाकिरा लड़की का निकाह़ उस वक़्त तक न हो (स़ह़ीह़ नहीं) जब तक कि वो ज़ुबान से निकाह़ की इजाज़त न दे, और कुँवारी लड़की का निकाह़ न हो (या'नी स़ह़ीह़ नहीं) जब तक उससे इजाज़त त़लब न कर ली जाए, स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो कैसे इजाज़त दे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी इजाज़त यही है कि ख़ामोश रहे और इंकार न करे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 41)**

---

896. ह़दीषे आ़इशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या औ़रतों से उनके निकाह़ के सिलसिले में इजाज़त त़लब करना ज़रूरी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ। मैंने अ़र्ज़ किया, कुँवारी लड़की से पूछा जाए तो वो शर्म के बिना पर ख़ामोश रहेगी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी ख़ामोशी ही उसकी इजाज़त है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इकराह बाब 3)**

बाब 9 : बाप अपनी नाबालिग़ बेटी का निकाह़ कर सकता है

897. ह़दीषे आ़इशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) से मेरा निकाह़ उस वक़्त हुआ जबकि मेरी उ़म्र छः बरस की थी, फिर हम लोग मदीना में आ गए और क़बीला बनी ह़ारिष बिन ख़ज़रज में क़ियाम किया, यहाँ आकर मुझे बुख़ार आने लगा जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ गए बाद में मेरे बाल दोबारा उगने लगे और मेरी कनपट्टियों पर पूरे बाल भर गए। फिर एक दिन जबकि मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी मेरी वालिदा उम्मे रुम्मान (रज़ि.) मेरे क़रीब आईं और मुझे आवाज़ देकर बुलाया। मैं उनके पास आ गई, मुझे कुछ मा'लूम नहीं था कि वो क्या चाहती हैं? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के दरवाज़े पर खड़ा करके, इस ह़ाल में कि मेरा सांस फूल रहा था जो धीरे-धीरे बड़ी मुश्किल से बह़ाल हुआ, अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर मेरा मुँह सर स़ाफ़ किया और मुझे घर के अंदर ले गईं। घर के अंदर मैंने देखा कि कुछ अन्सारी ख़ातून मौजूद हैं, उन्होंने मुझे देखते ही कहा, ख़ैरो-बरकत के साथ आओ, अल्लाह नस़ीब अच्छे करे। फिर मेरी वालिदा ने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया और उन्होंने मेरा बनाव-श्रंगार किया। फिर उस वक़्त मेरी ह़ैरत की इंतिहा न रही जब चाश्त के वक़्त नबी करीम (ﷺ) आए और मेरी वालिदा ने मुझे आप (ﷺ) के सुपुर्द कर दिया, उस वक़्त मेरी उ़म्र नौ साल थी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्स़ार बाब 44)**

बाब 12 : महर का बयान : क़ुर्आन की ता'लीम देना भी महर क़रार पा सकता है और लोहे की कम क़ीमत अँगूठी जैसी चीज़ें महर बन सकती हैं, अलबत्ता साहिबे इस्तिताअत लोगों के लिये पाँच सौ दिर्हम महर मुक़र्रर करना मुस्तहब है

898. हदीषे सहल बिन सअद सअदी (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक औरत हाज़िर हुई और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं इसलिये हाज़िर हुई हूँ कि अपनी ज़ात आप (ﷺ) को हिबा कर दूँ। नबी करीम (ﷺ) ने उसे देखा और पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक जाइज़ा लिया फिर आपने अपना सरे मुबारक झुका लिया। जब उस औरत ने देखा कि आप (ﷺ) ने उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं फ़र्माया तो (एक तरफ़ होकर) बैठ गई। फिर सहाबा किराम (रज़ि.) में से एक सहाबी उठे और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर आप (ﷺ) को इसकी ज़रूरत न हो तो इसका निकाह मेरे साथ कर दीजिये। आप (ﷺ) ने पूछा, तुम्हारे पास (महर देने के लिये) कुछ है? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह की क़सम! या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे पास कुछ नहीं है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने घर में जाकर देखो क्या कोई चीज़ दस्तयाब हो सकती है? वो घर गया और वापस आकर अर्ज़ किया, अल्लाह की क़सम! या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे घर में भी कोई चीज़ नहीं मिली। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तलाश करो और देखो ख़्वाह लोहे की अँगूठी ही मिल जाए। चुनाँचे वो फिर घर गया और वापस आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! लोहे की अँगूठी भी नहीं है, अलबत्ता यह मेरा ज़ेर जामा (तहबन्द) ज़रूर है। हज़रत सहल (रज़ि.) ने कहा कि उसके पास चादर भी न थी। मैं इसमें से आधा (बतौर महर) इसे देने को तैयार हूँ। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, वो तुम्हारे तहबन्द को लेकर क्या करेगी क्योंकि इसे तो अगर तुम पहनोगे तो इस औरत पर कुछ न होगा और अगर इसे पहना दोगे तो तुम पर कुछ न होगा। इसके बाद वो शख़्स बैठ गया और काफ़ी देर बैठा रहा फिर उठा (और जाने लगा)।

जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे पीठ मोड़कर जाते देखा तो आप (ﷺ) ने उसे बुलवाया। जब वो आ गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हें क़ुर्आन में से क्या कुछ याद है? उसने अर्ज़ किया कि मुझे फ़लाँ–फ़लाँ सूरतें याद है। उसने गिनकर सूरतों के नाम बताए। आप (ﷺ) ने पूछा, क्या तुम इन सूरतों को ज़ुबानी अपने हाफ़ज़े की मदद से पढ़ सकते हो? उसने अर्ज़ किया, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा इसे ले जाओ यह मैंने तुम्हारे क़ब्ज़े में दी (या'नी इसे तुम्हारे निकाह में दिया) उस क़ुर्आन के ऐवज़ जो तुम्हें याद है (या'नी इतना क़ुर्आन इसे सिखा देना)।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन बाब 22)

---

899. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि **नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) (के लिबास) पर कुछ ज़र्द रंग के निशानात देखे तो आप (ﷺ) ने पूछा, यह निशान कैसे हैं? हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने कहा, मैंने एक (नवात) सोना महर मुक़र्रर करके एक औरत से निकाह कर लिया है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तुम्हें यह शादी मुबारक करे, वलीमा ज़रूर करो, ख़्वाह एक बकरी ही ज़िब्ह करो (और दोस्तों की ज़ियाफ़त कर दो)। (सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 56)**

बाब 13 : अपनी लौण्डी को आज़ाद करके उससे निकाह़ करने का ष़वाब

900. ह़दीषे अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर पर ह़मला किया तो हमने ख़ैबर के क़रीब फ़ज्र की नमाज़ मुँह अँधेरे पढ़ी। इसके बाद नबी करीम (ﷺ) सवार हो गए और अबू त़लह़ा (रज़ि.) भी सवार हो गए। मैं ह़ज़रत अबू त़लह़ा के पीछे बैठा था। जब नबी करीम (ﷺ) ख़ैबर के कूचे व बाज़ार में से गुज़र रहे थे तो मेरा घुटना नबी करीम (ﷺ) की रान से छू रहा था और आप (ﷺ) का तह़बन्द आपकी रान पर से खिसक गया था और मुझे आप (ﷺ) की रान की सफ़ेदी नज़र आ रही थी। फिर आप (ﷺ) ख़ैबर की बस्ती में दाख़िल हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **अल्लाह सबसे बड़ा है और ख़ैबर बरबाद हो गया। हम जब किसी क़ौम के आंगन में जा उतरते हैं तो मुतनब्बा किए (चेतावनी दिये) गये लोगों की शामत आ जाती है।** यह कलिमात आप (ﷺ) ने तीन बार इर्शाद फ़र्माये। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि लोग अपने काम–काज के लिये रवाँ–दवाँ थे (अचानक आप ﷺ को देखकर घबरा गये और) पुकार उठे, वो मुह़म्मद आ गए और फ़ौज आपके साथ है। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि फिर हमने ख़ैबर को बज़ोरे–शमशीर फ़तह़ कर लिया।

फिर जब क़ैदियों को जमा किया गया तो ह़ज़रत दह़िया कलबी (रज़ि.) आए और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ैदियों में से एक लौण्डी मुझे भी दे दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जाओ और जाकर एक लौण्डी तुम भी ले लो। उन्होंने ह़ज़रत स़फ़िया बिन्ते हुय्यि को ले लिया। फिर एक शख़्स़ ह़ाज़िर हुआ और उसने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने ह़ज़रत दह़िया (रज़ि.) को स़फ़िया बिन्ते हुय्यि अ़ता फ़र्मा दी वो तो बनी क़ुरैज़ा और बनी नज़ीर दोनों की सरदार हैं, वो तो आप (ﷺ) के सिवा किसी के लायक़ नहीं। चुनाँचे आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ह़ज़रत दह़िया (रज़ि.) और स़फ़िया दोनों को बुलाया जाए। फिर जब आप (ﷺ) ने स़फ़िया को देखा और ह़ज़रत दह़िया (रज़ि.) से फ़र्माया, तुम क़ैदियों में से कोई और लौण्डी ले लो। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि फिर नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) को आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह़ फ़र्मा लिया।

ह़दीष़ के रावी ह़ज़रत ष़ाबित (रह.) ने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू ह़मज़ा (रज़ि.)! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) का महर क्या मुक़र्रर फ़र्माया था? ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, बस उनकी ज़ात ही उनका महर था या'नी यही चीज़ कि आप (ﷺ) ने उनको आज़ाद किया और उनको उम्मुल मोमिनीन बना लिया। (ह़ज़रत अनस रज़ि. बयान करते हैं) यहाँ तक कि जब अभी हम रास्ते ही में थे, ह़ज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) का बनाव श्रृंगार करके उन्हें रात के वक़्त नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पेश कर दिया और सुबह़ आप (ﷺ) ने हुक्म दिया कि जिसके पास जो कुछ (खाने–पीने का सामान) हो वो ले आए और चमड़े का एक दस्तरख़्वान बिछा दिया गया फिर यह हुआ कि कोई शख़्स़ खजूर ला रहा है और कोई घी ला रहा है (रावी कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने सत्तू का भी ज़िक्र किया था) ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि फिर सबने मिलकर **हैस** तैयार किया और यह रसूलुल्लाह (ﷺ) का वलीमा था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस़्स़लात बाब 12)**

---

901. ह़दीषे अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स़ के पास कोई लौण्डी हो वो उसकी परवरिश पर ख़र्च करे और उसके साथ अच्छा सलूक करे फिर उसको आज़ाद करके उसके साथ निकाह़ कर ले तो उसको दोहरा ष़वाब मिलेगा (ता'लीम व तर्बियत करके आज़ाद करने और फिर उसको अपनी बीवी बनाने का)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 14)**

बाब 14 : उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से निकाह का बयान और हुक्मे हिजाब का नाज़िल होना और शादी के वलीमे का षुबूत

902. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अज़वाजे मुतह्हरात में से किसी का ऐसा वलीमा नहीं किया जैसा वलीमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश का किया था। उस मौक़े पर आप (ﷺ) ने एक बकरी ज़िबह करके दअवते वलीमा किया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 68)

---

903. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से निकाह किया तो लोगोंकी दअवत की और खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे ज़बकि आप (ﷺ) अंदर तशरीफ़ ले जाने की फ़िक्र में लगे थे। लेकिन यह लोग उठने का नाम ही न ले रहे थे, जब आप (ﷺ) ने यह बात महसूस की तो आप (ﷺ) मजलिस में से उठ गए और जब आप (ﷺ) उठे तो आप (ﷺ) के साथ बाक़ी लोग भी उठ गए लेकिन तीन शख़्स फिर भी बैठे रहे। नबी करीम (ﷺ) जब बाहर जाकर वापस अंदर तशरीफ़ ले आए तो देखा कि वो लोग अभी तक बैठे हुए हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग भी उठ गए तो मैंने नबी करीम (ﷺ) को ख़बर दी कि वो सब चले गए। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) अंदर तशरीफ़ लाए, मैंने भी अंदर जाना चाहा लेकिन आप (ﷺ) ने बीच में पर्दा डाल लिया। इस मौक़े पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई, **'ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो। नबी के घरों में बिला इजाज़त मत चले आया करो।'** (अल अहज़ाब : 53)

(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरह अहज़ाब बाब 8)

---

904. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि आयते हिजाब के बारे में लोगों में सबसे ज़्यादा बाख़बर मैं हूँ। हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) इसके बारे में मुझसे पूछा करते थे, नबी करीम (ﷺ) ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से निकाह फ़र्माया था। यह निकाह मदीना में हुआ था तो रात गुज़ारने के बाद दिन चढ़े आप (ﷺ) ने लोगों को खाने पर बुलाया था। लोगों के चले जाने के बाद जब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे तो आप (ﷺ) के साथ दूसरे कुछ लोग भी बैठे रह गए। यह देखकर आप (ﷺ) उठे और चलकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे के दरवाज़े तक तशरीफ़ ले गए और मैं भी आप (ﷺ) के साथ ही गया। फिर आप (ﷺ) ने ख़याल फ़र्माया कि अब तक वो लोग जा चुके होंगे, चुनाँचे आप (ﷺ) और मैं दोनों वापस आए तो देखा कि सब लोग उसी तरह अपनी जगह पर बैठे हैं तो आप (ﷺ) और आपके साथ मैं भी दोबारा वापस चल पड़े और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे के दरवाज़े तक गए और फिर वापस आए। अब वो लोग जाने के लिये उठ खड़े हुए थे तो आप (ﷺ) ने मेरे और अपने दरम्यान दरवाज़े का पर्दा करा दिया और इसी मौक़े पर यह आयते हिजाब नाज़िल हुई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अतइमा बाब 59)**

---

905. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब भी हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) (हज़रत अनस रज़ि. की वालिदा) के क़रीब से गुज़रते थे, आपके पास तशरीफ़ ले जाते और उन्हें सलाम करते। फिर हज़रत अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) से निकाह किया तो उम्मे सुलैम (रज़ि.) मुझसे कहने लगीं कि क्या अच्छा होता अगर आज हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में कोई तोहफ़ा पेश करते! मैंने भी उनकी ताईद की और कहा कि ज़रूर भेजो

(चुनाँचे उन्होंनें कुछ खजूरें, घी और पनीर लिया और सब चीजों का एक पत्थर की हाँडी में मालिदा या'नी हैसा बनाकर मेरे हाथ आप (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा। जब मैं वो लेकर आप (ﷺ) के पास पहुँचा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसे रख दो, और कुछ लोगों के नाम बताकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जाकर इन लोगों को बुला लाओ और उनके अलावा जो भी तुम्हें मिले उन्हें भी दअ़वत दे देना। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने आप (ﷺ) के हुक्म की ता'मील की और वापस आया तो क्या देखता हूँ कि घर लोगों से भरा हुआ है और आप (ﷺ) ने अपना दस्ते मुबारक हैसा पर रखकर कुछ कलाम जो अल्लाह ने चाहा पढ़ा। फिर आप (ﷺ) ने दस-दस आदमियों को बुलाना शुरू कर दिया। उन्हें फ़र्माते थे कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने सामने से खाओ। यहाँ तक कि सब खाकर उठ गए और कुछ लोग चले भी गए लेकिन कुछ लोग बैठ गए जो आपस में बातें करने लगे, इससे मुझे भी तकलीफ़ महसूस होने लगी। फिर आप (ﷺ) अज़वाजे मुतह्हरात के हुज्रों की तरफ़ तशरीफ़ ले गए और मैं भी आप (ﷺ) के पीछे गया और मैंने कहा कि वो लोग चले गए हैं। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाए और पर्दा डाल दिया और मैं अभी हुज्रे में ही था कि आप (ﷺ) यह आयते करीमा तिलावत फ़र्मा रहे थे, **'ऐ लोगों जो ईमान लाए हो! नबी के घरों में बिला इजाज़त न चले आया करो। न खाने का वक़्त ताकते रहो, हाँ अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आओ। मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, बातें करने में न लगे रहो। तुम्हारी यह हरकतें नबी (ﷺ) को तकलीफ़ देती है मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते और अल्लाह हक़ बात कहने में नहीं शर्माता।'** (अल अहज़ाब : 53) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) की दस साल ख़िदमत की है। **(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 64)**

बाब 15 : दअ़वत क़ुबूल करने का हुक्म

906. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स को दअ़वते वलीमा पर बुलाया जाए तो उसे चाहिए कि ज़रूर जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 71)

---

907. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहा करते थे, बदतरीन खाना उस दअ़वते वलीमा का है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और ग़रीबों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए और जिस शख़्स ने दअ़वते वलीमा में शिर्कत न की उसने अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाफ़र्मानी की। **(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब)**

बाब 16 : तीन तलाक़ों के बाद मुतलक़ा औरत तलाक़ देने वाले मर्द के लिये उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा निकाह न करे और दूसरा शौहर उससे जिमाअ़ करके उसे तलाक़ न दे दे और उसकी इद्दत पूरी न हो जाए

908. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत रिफ़ाआ क़रज़ी (रज़ि.) की बीवी नबी करीम (ﷺ) के पास आई और कहा, मैं रिफ़ाआ (रज़ि.) की बीवी थी उन्होंने मुझे तलाक़े मुग़ल्लज़ा (तीन तलाक़ें दे दी)। इसके बाद मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अज़्ज़ुबैर (रज़ि.) से निकाह कर लिया लेकिन उनके पास जो कुछ है वो सिर्फ़ कपड़े के फ़ुदने से तशबीह दिया जा सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तुम रिफ़ाआ के पास वापस जाना चाहती हो? नहीं! यह उस वक़्त तक नहीं हो सकता

जब तक कि तुम अ़ब्दुर्रह़मान (रज़ि.) की चाशनी और वो तुम्हारी चाशनी न चख लें (या'नी जब तक तुम जिमाअ़ न कर लो)। इस मौक़े पर ह़ज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) आप (ﷺ) के पास मौजूद थे और ह़ज़रत ख़ालिद बिन सईद अल आ़स (रज़ि.) ह़ाज़िर होने की इजाज़त के इंतिज़ार में थे। चुनाँचे ख़ालिद बिन सईद (रज़ि.) ने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कहा कि आप सुन रहे हैं। यह औ़रत नबी करीम (ﷺ) के हुज़ूर किस क़िस्म की गुफ़्तगू बुलन्द आवाज़ में कर रही है। (या'नी ऐसी बातचीत आप ﷺ के हुज़ूर करना ग़ैर– मुनासिब है आप इसे मना क्यों नहीं करते?)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 3)

---

909. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक शख़्स़ ने अपनी बीवी को तीन त़लाक़ें दे दीं और उसने दूसरा निकाह़ कर लिया, फिर दूसरे शौहर ने भी उसे त़लाक़ दे दी तो नबी करीम (ﷺ) से पूछा गया, क्या इसके लिये पहले शौहर से निकाह़ ह़लाल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! उस वक़्त तक पहले शौहर से निकाह़ जाइज़ नहीं जब तक कि इसका यह शौहर भी उसी त़रह़ इसकी शीरीनी का मज़ा न चख ले जिस त़रह़ पहले शौहर ने चखा था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 4)**

बाब 17 : जिमाअ़ के वक़्त यह दुआ मुस्तह़ब है

910. ह़दीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स़ बीवी से मुबाशरत के वक़्त यह दुआ माँगे, **बिस्मिल्लाहि, अल्लाहुम्–म जन्निबनिश्शैतानि व जन्निबिश्शैतान मा रज़क्तना** तर्जुमा : **'अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह! बचा हमको शैतान से और दूर रख शैतान को उस औलाद से जो तू हमको अ़त़ा करेगा।'** और इस मौक़े पर तक़दीरे इलाही के मुत़ाबिक़ ह़मल क़रार पा जाए और बाद में औलाद पैदा हो तो ऐसी औलाद को शैतान कभी नुक़्स़ान न पहुँचा सकेगा।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 66)

बाब 18 : जिमाअ 'फ़िल क़ुबुल' अगली जानिब से और पीछे की त़रफ़ से भी जाइज़ है बशर्ते कि 'दुबर' को न छेड़ा जाए

911. ह़दीषे जाबिर (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि यहूदी कहा करते थे कि अगर कोई शख़्स़ अपनी बीवी के पीछे की जानिब से जिमाअ़ करेगा तो औलाद भेंगी पैदा होगी। इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई, **'तुम्हारी औ़रतें तुम्हारी ख़ेतियाँ हैं तुम्हें इख़्तियार है जिस त़रह़ चाहो अपनी ख़ेती में जाओ।'** (अल बक़र : 223) **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरतुल बक़र बाब 39)**

बाब 19 : औ़रत के लिये मुनासिब नहीं कि शौहर को हमबिस्तरी से रोके

912. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई औ़रत अपने शौहर का बिस्तर छोड़कर रात अलग गुज़ारती है तो जब तक वापस न आ जाए फ़रिश्ते उस पर लअ़नत भेजते रहते हैं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 85)**

बाब 21 : अ़ज़्ल के मुता'ल्लिक़ हुक्म

913. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़वा बनिलमुस्तलिक़ के लिये गए तो जंग में कुछ अरब औरतें बतौरे क़ैदी हमारे हाथ लगीं और हमें औरतों की शदीद ख़्वाहिश हुई क्योंकि औरतों से अलग रहना हम पर बहुत शाक़ (भारी) गुज़र रहा था इस मौक़े पर हमने अ़ज़्ल करना पसंद किया और चाहा कि उनसे इस त़रह़ जिमाअ़ करें कि ह़मल न ठहरे। लेकिन फिर ख़याल आया कि नबी करीम (ﷺ) हमारे बीच मौजूद हों और हम आप (ﷺ) की इजाज़त के बग़ैर अ़ज़्ल करें यह मुनासिब नहीं है। चुनाँचे हमने नबी करीम (ﷺ) से इस बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, और अगर तुम अ़ज़्ल न करो तो क्या नुक़्सान है? क्योंकि क़ियामत तक जिस रूह़ को पैदा होना मुक़द्दर हो चुका है वो तो ज़रूर पैदा होगी।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 32)

---

914. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि कुछ क़ैदी औरतें हमारे हाथ आईं तो हमने उनसे अ़ज़्ल किया (या'नी जिमाअ़ इस त़रह़ किया कि इंज़ाल अंदर न हो और ह़मल न ठहरे) फिर हमने नबी करीम (ﷺ) से इस बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह तो तुम करते ही रहोगे। आप (ﷺ) ने तीन बार यही कलिमात दोहराए, फिर फ़र्माया, क़ियामत तक जिस रूह़ का पैदा होना लिखा जा चुका है वो तो पैदा होकर रहेगी ख़्वाह तुम कुछ भी करो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 96)**

---

915. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम अ़ज़्ल किया करते थे उस ज़माने में जबकि क़ुर्आन नाज़िल हो रहा था (अगर अल्लाह तआ़ला को मना करना होता तो मना फ़र्मा देता)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बाब)

किताबुर्रिज़ाअ़

रज़ाअ़त के मसाइल

बाब 1 : रज़ाअ़त से भी नसब की त़रह़ रिश्तेदारी पैदा हो जाती है और निकाह़ ह़राम हो जाता ह

916. ह़दीष़े आ़इशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ फ़र्मा थे कि उसी वक़्त मैंने एक शख़्स़ की आवाज़ सुनी जो उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ह़फ़्स़ा (रज़ि.) से उनके घर में आने की इजाज़त त़लब कर रहा था। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा ख़याल है, यह शख़्स़ ह़ज़रत ह़फ़्स़ा (रज़ि.) के रज़ाई चचा हैं और आप (रज़ि.) के घर में (या'नी ह़ज़रत ह़फ़्स़ा रज़ि. के घर में) अंदर आने की इजाज़त त़लब कर रहे हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, यह तो फ़लाँ शख़्स़ या'नी ह़ज़रत ह़फ़्स़ा (रज़ि.) के रज़ाई चचा हैं। इस पर ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने पूछा, अगर मेरे फ़लाँ रज़ाई चचा ज़िन्दा होते तो क्या वो भी मेरे पास आ सकते थे? जनाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! क्योंकि दरह़क़ीक़त (रज़ाअ़त से भी नसब की त़रह़ रिश्ता पैदा हो जाता है और) जिस त़रह़ नसब के रिश्ते से मख़्सूस़ रिश्तेदार मह़रम हैं, इसी त़रह़ रज़ाअ़त के रिश्ते से भी मह़रम बन जाते हैं।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 7)

---

917. ह़दीष़े आ़इशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ह़ज़रत अफ़लह (रज़ि.) ने जो कि अबुल क़ैस के भाई थे, अंदर आने की इजाज़त माँगी। यह उस ज़माने की बात है जब ह़िजाब का हुक्म आ चुका था तो मैंने ख़याल किया कि जब तक नबी करीम (ﷺ) से इजाज़त न ले लूँ मुझे उन्हें आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए क्योंकि मुझे दूध उनके भाई अबुल क़ैस ने तो नहीं पिलाया था बल्कि मैंने तो अबुल क़ैस की बीवी का दूध पीया है (गोया रिश्ता अबुल क़ैस की बीवी से पैदा हुआ न कि अबुल क़ैस के ख़ानदान वालों से)। बाद में जब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अबुल क़ैस के भाई अफ़लह (रज़ि.) ने मेरे घर में आने की इजाज़त माँगी थी लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक आप (ﷺ) से इजाज़त न ले लूँ, मैं इजाज़त नहीं दे सकती। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हें अपने चचा को आने की इजाज़त देने में क्या चीज़ मानेअ़ थी? मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे उस मर्द (अबुल क़ैस) ने तो दूध नहीं पिलाया था बल्कि अबुल क़ैस की बीवी ने पिलाया था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे हाथ ख़ाक आलूद हों, उन्हें आने की इजाज़त दो वो तुम्हारे चचा हैं।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरतुल अह़ज़ाब बाब 9)

---

918. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझसे हज़रत अफ़लह (रज़ि.) ने अंदर आने की इजाज़त माँगी। तो मैंने उन्हें इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा, आप मुझसे पर्दा करती हैं, मैं तो आपका चचा हूँ। मैंने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, आपको मेरे भाई की बीवी ने दूध पिलाया था और वो दूध उनमें मेरे भाई की वजह से पैदा हुआ था। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि इसके बारे में मैंने नबी करीम (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अफ़लह (रज़ि.) ने सच कहा उन्हें आने की इजाज़त दे दो।

(सहीह बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 7)

बाब 3 : रज़ाई भाई की बेटी से निकाह हराम है

919. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत हमज़ा (रज़ि.)की बेटी के सिलसिले में फ़र्माया था, वो मेरे लिये हलाल नहीं हैं क्योंकि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी हैं और रज़ाअत से वो सब अफ़राद (जिन्होंने एक ही औरत का दूध पिया हो) रिश्तेदार बन जाते और उनमें आपस में निकाह उसी तरह हराम हो जाता है जिस तरह नसबी रिश्ते से हुर्मत पैदा होती है। **(सहीह बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 7)**

नोट : बयान की गई अहादीष में रज़ाअत के अहम मसले बयान किये गये हैं। अगर कोई औरत अपने बच्चे के अलावा किसी दूसरे बच्चे, जिसकी दूध पीने की उम्र है, उसको दूध पिलाती है तो वो बच्चा उस औरत व मर्द की तमाम औलादों का दूध-शरीक बहन या भाई होगा। उनमें शादी की हुर्मत उसी तरह की होगी जिस तरह सगे भाई–बहन के बीच होती है। इसकी वजह यह है कि किसी औरत के पिस्तान में दूध तभी जारी होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है और बच्चा उसके शौहर के साथ हम्बिस्तरी की वजह से जन्मता है। इस तरह औरत के पिस्तान से जारी होने वाला दूध मर्द की वजह है, यही बयान की गई हदीषों का सार है।

बाब 4 : रबीबा (बीवी के पहले शौहर की बेटी) और बीवी की बहन से निकाह हराम ह

920. हदीषे उम्मे हबीबा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) को हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) की बेटी (या'नी मेरी बहन) में कुछ रग़बत है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने अर्ज़ किया, आप (ﷺ) उनसे निकाह कर लें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम इस बात को पसंद करती हो? मैंने कहा कि मैं अकेली ही तो आपके निकाह में नहीं हूँ (और भी अज़वाजे मुतह्हरात हैं) और मुझे यह बात पसंद है कि आप (ﷺ) की ज़ात में जो मेरे साथ शरीक हो वो मेरी बहन हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो मेरे लिये हलाल नहीं है। मैंने कहा, मैंने सुना है कि आप (ﷺ) ने किसी के लिये पैग़ाम दिया है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारी मुराद उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (रज़ि.) की बेटी (दुर्रा (रज़ि.) से है? मैंने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो तो अगर मेरी रबीबा (ज़ोजा के पहले शौहर की बेटी न भी होती तब भी मेरे लिये हलाल न थी क्योंकि मुझे और उसके बाप को षौबिया (रज़ि.) ने दूध पिलाया था (या'नी वो मेरी रज़ाई भतीजी हुई) तुम लोग अपनी बेटियों और बहनों को (निकाह के ख़याल से मेरे सामने पेश न किया करो।

(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 25)

बाब 8 : हुर्मते रज़ाअत सिर्फ़ उस दूध से पैदा होती है जो भूख में पिलाया गया हो

921. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए उस वक़्त मेरे पास एक शख़्स मौजूद था। आप (ﷺ) ने पूछा, ऐ आइशा (रज़ि.)! यह शख़्स कौन है? मैंने अर्ज़ किया मेरे दूधशरीक भाई हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ आइशा (रज़ि.)! अच्छी तरह देख लिया करो कि कौन वाक़ई भाई है क्योंकि रज़ाअत की हुर्मत सिर्फ़ उस शीरख़्वारगी से पैदा होती है जो (कमसिनी में और) भूख में हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुश्शहादत बाब 7)**

बाब 10 : औलाद उसी की है जिसकी लौण्डी या बीवी है और शुब्हात से बचने का हुक्म

922. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास और हज़रत अब्द बिन ज़म्अह (रज़ि.) के बीच एक लड़के के सिलसिले में झगड़ा हो गया। हज़रत सअद (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह लड़का मेरे भाई उत्बा बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) का बेटा है उन्होंने ख़ुद मेरे सामने ए'तिराफ़ किया था कि यह लड़का उनका बेटा है, आप मेरे भाई के साथ इसकी मुशाबिहत देख लीजिए और अब्द (रज़ि.) बिन ज़म्अह ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह लड़का मेरा भाई है, मेरे बाप के बिस्तर पर उसकी लौण्डी के बत्न से पैदा हुआ था। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी शुबाहत को देखा कि वाक़ेई उत्बा (रज़ि.) से वाजेह तौर पर मुशाबेह था, इसके बावजूद फ़र्माया, ऐ अब्द! यह तुम्हारा (भाई) है! (क़ानून यह है कि) औलाद उसी की होगी जिसकी बीवी या लौण्डी के बिस्तर पर पैदा हुई हो और ज़ानी के हिस्से में महरूमी और बेनसीबी का पत्थर! (और आप ﷺ ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा (रज़ि.) को हुक्म दिया) ऐ सौदा (रज़ि.) बिन्ते ज़म्अह! इस लड़के से पर्दा किया करो। (हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्अह रज़ि. हज़रत अब्द रज़ि. बिन ज़म्अह की बहन थीं और इस ऐतबार से उस लड़के की भी बहन हुईं)। चुनाँचे हज़रत सौदा (रज़ि.) उनके सामने कभी नहीं आईं **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 100)**

---

923. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, औलाद उसकी है जिसका फ़िराश या'नी बिस्तर हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़राइज़ बाब 18)**

बाब 11 : औलाद की निस्बत के मुआमले में क़याफ़ा–शनास (अनुमान लगाने वाले) की बात पर अमल का बयान

924. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक दिन नबी करीम (ﷺ) बहुत ख़ुशी की हालत में मेरे पास आए और फ़र्माया, आइशा (रज़ि.)! क्या तुम्हें मा'लूम नहीं? मुजज़्ज़िज़ मुदलिजी आया और उसने हज़रत उसामा और हज़रत ज़ैद (रज़ि.) को इस हालत में देखा कि दोनों एक ही चादर ओढ़े लेटे हुए थे और दोनों के चेहरे ढंके हुए और पाँव चादर से बाहर निकले हुए थे तो उन्हें देखकर कहने लगा, यह दोनों पाँव एक–दूसरे में से हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़राइज़ बाब 31)**

बाब 12 : ज़िफ़ाफ़ के बाद शौहर को बाकिरा बीवी के पास कितने दिन और षय्यिबा के पास कितने दिन क़ियाम करना चाहिये

925. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि सुन्नत यह है कि कोई शख़्स षय्यिबा बीवी की मौजूदगी में बाकिरा लड़की से शादी करे तो उसके पास सात दिन तक क़ियाम करे फिर इन्साफ़ के साथ बारी बांट दे और अगर कुँवारी बीवी की मौजूदगी में षय्यिबा औरत से शादी करे तो उसके पास तीन दिन क़ियाम करे फिर बारी मसावी (बराबर, न्यायपूर्वक) बांट दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 101)**

बाब 13 : बीवियों के लिये बारियाँ मुक़र्रर करने का बयान. सुन्नत यह है कि बीवी के लिये एक–एक दिन–रात मुक़र्रर किया जाए

926. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि शुरू में मैं उन औरतों पर ग़ैरत और शर्म महसूस करती थी जो अपने आप को नबी करीम (ﷺ) पर हिबा कर दिया करती थीं और मैं सोचती थी कि क्या औरत भी अपनी ज़ात हिबा कर सकती है? लेकिन फिर जब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई, **'तुमको इख़्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अलग रखो और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो इस मुआमले में तुम पर कोई मुज़ाइक़ा नहीं है।'** (अल अहज़ाब : 51) तो मैंने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, मैं देखती हूँ कि आप (ﷺ) का रब फ़ौरन उस बात को पसंद फ़र्मा लेता है जो आप (ﷺ) चाहते हों। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरतुल अहज़ाब बाब 7)**

बाब 14 : अपनी बारी सौकन को हिबा कर देना जाइज़ है

927. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : अता (रह.) बयान करते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) के जनाज़े में मुक़ामे सरिफ़ में शरीक हुए। उस मौक़े पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, यह ख़ातूने मुहतरम नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतह्हरा हैं लिहाज़ा तुम लोग जब इनका जनाज़ा उठाओ तो इस एहतिराम व इकराम से उठाना कि न तो कोई झटका लगे न हिले–डुले। निहायत नरमी से और आहिस्ता–आहिस्ता लेकर चलना। रसूलुल्लाह (ﷺ) की अज़वाजे मुताह्हिरात ब–यक वक़्त नौ रही हैं जिसमें से आठ के लिये आप (ﷺ) ने बारियाँ बाँध रखी थीं और एक (उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ि.) की बारी मुक़र्रर नहीं थी (आपने अपनी बारी हज़रत आइशा रज़ि. को हिबा कर रखी थी)। **(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 4)**

बाब 15 : दीनदार औरत से निकाह करना ज़्यादा बेहतर है

928. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत से निकाह चार औसाफ़ के बिना (गुणों के आधार) पर किया जाता है, माल व दौलत देखकर, अच्छे हसब व नसब की ख़ातिर, हुस्न व जमाल की वजह से और दीनदारी की बिना पर। तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों! किसी दीनदार औरत के हुसूल में कामयाबी हासिल कर। **(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 15)**

बाब 16 : कुँवारी लड़की से निकाह करना ज़्यादा बेहतर है

929. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने शादी की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे पूछा, तुमने कैसी औरत से शादी की है? मैंने कहा, षय्यिबा से। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हें कुँवारी लड़की से निकाह करने में क्या चीज़ मानेअ थी? कि तुम उससे खेलते और लुत्फ़अंदोज़ होते। महारिब (रह.) (यके अज़ रावियाने हदीष) कहते हैं कि मैंने इस हदीष का ज़िक्र अम्र बिन दीनार (रह.) से किया तो उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) को यह कहते सुना था कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने कुँवारी लड़की से निकाह क्यों न किया कि तुम उससे खेलते और वो तुमसे खेलती। **(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 10)**

---

930. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे वालिद का इंतिक़ाल हो गया और वो अपने पीछे सात या नौ बेटियाँ छोड़ गए इसलिये मैंने एक षय्यिबा औरत से शादी कर ली, तो मुझसे जनाबे नबी करीम (ﷺ) ने पूछा, जाबिर! तुमने शादी की है? मैंने कहा, हाँ। पूछा, कुँवारी लड़की से या षय्यिबा से? मैंने कहा, षय्यिबा से। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, कुँवारी लड़की से क्यों नहीं की? कि तुम उससे खेलते और वो तुमसे खेलती, और तुम उसे हँसाते और वो तुम्हें हँसाती। मैंने कहा, वालिद हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का इंतिक़ाल हो गया था और वो बेटियाँ छोड़ गए थे तो मुझे यह बात नामुनासिब मा'लूम हुई कि मैं उन्हीं की तरह की एक अलहड़ और नातजुर्बेकार लड़की ले आऊँ। इसलिये मैंने एक ऐसी औरत से शादी की है जो उनकी निगरानी और इस्लाह कर सकेगी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला तुम्हारे इरादे में बरकत डाले, या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत अच्छा किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुन नफ़क़ात बाब 12)**

---

931. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक ग़ज़वे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। जब हम उस ग़ज़वे से वापस लौट रहे थे तो मैं एक सुस्त रफ़्तार ऊँट पर सवार होकर जल्द चल पड़ा और मेरे पीछे– पीछे एक सवार आया और मुझसे आ मिला। मैंने पलटकर देखा तो मैं हैरान रह गया कि मेरे सामने रसूलुल्लाह (ﷺ) मौजूद हैं। आप (ﷺ) ने पूछा, तुम जल्दी किस लिये चल पड़े? मैंने कहा, मैंने नई–नई शादी की है। फ़र्माया, तुमने बाकिरा से शादी की है या षय्यिबा से? मैंने अर्ज़ किया, षय्यिबा से। फ़र्माया, तुमने कुँवारी लड़की से क्यों शादी नहीं की जिससे तुम खेलते और वो तुमसे खेलती।

हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम मदीना में पहुँच गए और घरों में दाख़िल होने लगे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ठहरो! जब रात हो जाए या'नी इशा के वक़्त घरों में जाना ताकि परेशान बालों वाली कँघी–चोटी कर ले और जिसने शौहर के ग़ैर–हाज़िर होने की वजह से ज़ाइद बालों की सफ़ाई न की हो वो उस्तरा कर ले।

और इसी हदीष में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ जाबिर! अब जिमाअ करना और बच्चा पैदा करना।

(सहीह बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 121)

---

932. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक ग़ज़वे में जनाबे नबी करीम (ﷺ) के साथ था कि मेरा ऊँट थक गया और उसकी वजह से मैं पीछे रह गया तो नबी करीम (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, जाबिर! मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! आप (ﷺ) ने पूछा, क्या बात है? किस हाल में हो? मैंने कहा, मेरे ऊँट ने थकन की वजह से देर लगाई और मैं पीछे रह गया। चुनाँचे आप (ﷺ) (अपनी सवारी से) उतरे और अपनी मुड़े हुए सिरे की लकड़ी का कुँडा मेरे ऊँट की गर्दन में डालकर– अपनी तरफ़ खींचा और फ़र्माया,

सवार हो जाओ। जब मैं उस पर सवार हुआ तो वो इस क़दर तेज़ हो गया कि मैं उसे रोकता था कि कहीं रसूलुल्लाह (ﷺ) से आगे न बढ़ जाए। आप (ﷺ) ने पूछा, क्या तुमने शादी की है? मैंने अ़र्ज़ किया, हाँ! फ़र्माया, कुँवारी से या ष़य्यिबा से? मैंने कहा, कुँवारी नहीं बल्कि ष़य्यिबा से। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कुँवारी लड़की से क्यों न की, जो तुमसे खेलती और तुम उससे खेलते? मैंने कहा, मेरी कई बहनें हैं इसलिये मैंने पसंद किया कि ऐसी औ़रत से निकाह़ करूँ जो उन्हें संभाल सके, उनकी कँघी–चोटी करे और उनकी देखभाल भी करे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अब जबकि तुम अपने घर जा रहे हो तो घर जाकर जिमाअ़ में कोताही न करना। फिर फ़र्माया, क्या तुम अपना यह ऊँट बेचना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ। चुनाँचे आप (ﷺ) ने मुझसे एक औक़िया चाँदी के बदले में उसे ख़रीद लिया। इसके बाद नबी करीम (ﷺ) तो (मदीना में) मुझसे पहले पहुँच गए और मैं दूसरे दिन पहुँचा। जब हम मस्जिद में आए तो मैंने नबी करीम (ﷺ) को मस्जिद के दरवाज़े पर मौजूद पाया। आप (ﷺ) ने पूछा, अब पहुँचे हो? मैंने कहा, जी हाँ। फ़र्माया, ऊँट यहीं छोड़ दो और मस्जिद में जाकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ो। मैंने अंदर जाकर दो रकअ़तें पढ़ीं, फिर आप (ﷺ) ने ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया कि वो एक औक़िया चाँदी तौलकर मुझे दे दें। ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने मेरे लिये चाँदी तौली और झुकती डंडी तौली। चुनाँचे वो लेकर चला और अभी मैं मुड़ा ही था कि आप (ﷺ) ने हुक्म दिया, जाबिर (रज़ि.) को बुलाओ। मैंने दिल में कहा कि आप (ﷺ) यह ऊँट फिर मुझे वापस लौटा देंगे, जबकि मुझे उससे शदीद नफ़रत थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपना यह ऊँट भी ले लो और इसकी क़ीमत भी रख लो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 34)**

बाब 18 : औ़रतों से हुस्ने सुलूक का बयान

933. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, औ़रत पसली की हड्डी की तरह़ है (टेढ़ी है) अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दोगे और अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहो तो फ़ायदा उठाओ और इसमें जो कजी है वो बाक़ी रहेगी।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 79)

---

934. ह़दीषे अबूहुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स़ अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है उस पर लाज़िम है कि अपने पड़ौसी को तक्लीफ़ न दे और (आप ﷺ ने फ़र्माया) औ़रतों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ क्योंकि औ़रतें पसली से बनी है और पसलियों में सबसे ज़्यादा टेढ़ी सबसे ऊपर वाली पसली है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसे तोड़ डालोगे और अगर उसे उसके ह़ाल पर छोड़ दोगे तो भी वो हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। चुनाँचे तुम औ़रतों के साथ अच्छा सुलूक करो।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 80)

---

935. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर बनी इस्राईल न होते तो गोश्त न सड़ता और अगर ह़व्वा (अ़लैहिस्सलाम) न होती तो कोई औ़रत अपने शौहर की ख़यानत न करती। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 1)**

नोट : ह़ज़रत क़तादा (रज़ि.) से रिवायतशुदा एक हदीष़ में है कि बनी इस्राईल पर अल्लाह तआ़ला ने (मन्न व) सलवा आसमान से नाज़िल किया था। उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि सलवा का गोश्त ज़ख़ीरा करके न रखें लेकिन उन्होंने लालच में आकर गोश्त जमा कर लिया और अल्लाह पर भरोसा न किया तो वो गोश्त सड़ गया। ऊपर बयान की गई हदीष़ में इसी वाक़िये की तरफ़ इशारा किया गया है।

किताबुत् तलाक़

तलाक़ के मसाइल

बाब 1 : हैज़ की हालत में औरत की मर्ज़ी के बग़ैर तलाक़ देना हराम है लेकिन अगर कोई शख़्स दे देगा तो वाक़ेअ हो जाएगी लेकिन उसे हुक्म दिया जाए कि रुजूअ कर ले

936. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। इस सिलसिले में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्हें (अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. को) हुक्म दो कि वो इस तलाक़ से रुजूअ कर लें और अपनी बीवी को उस वक़्त तक रोकें जब तक कि वो हैज़ से फ़ारिग़ न हो जाए और फिर उसे हैज़ आए और फिर पाक हो। इसके बाद चाहें तो उसे रोकें और चाहें तो तलाक़ दे दें, लेकिन इस वक़्त में उसे हाथ न लगाएँ यही वो इद्दत है जिसके हिसाब से अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 1)

---

937. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : युनुस बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से (बहालते हैज़ तलाक़ देने के बारे में) पूछा, तो उन्होंने कहा, इब्ने उमर (रज़ि.) ने भी हैज़ की हालत में अपनी बीवी को तलाक़ दे दी थी जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने इसके बारे में नबी करीम (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को हुक्म दिया कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कहें कि इससे रुजूअ कर लें और जब इद्दत शुरू होने का वक़्त आए तो उसे फिर तलाक़ दें (जो तलाक़ का सहीह तरीक़ा है उसके मुताबिक़)। मैंने पूछा, क्या वो तलाक़ (जो बहालते हैज़ दी थी) तलाक़ शुमार होगी? आपने फ़र्माया, क्यों नहीं! क्या अगर कोई शख़्स आजिज़ या मजबूर होकर हिमाक़त से तलाक़ दे दे तो क्या वो तलाक़ शुमार नहीं होगी?

(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 45)

बाब 3 : अगर कोई शख़्स तलाक़ की निय्यत के बग़ैर अपनी बीवी से कहे कि तू मुझ पर हराम है तो उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब होगा

938. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि जो शख़्स अपनी बीवी से कहे कि तू मुझ पर हराम है। वो कफ़्फ़ारा दे और आपने यह आयत तिलावत फ़र्माई, **लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना** तर्जुमा : **'दरहक़ीक़त तुम लोगों के लिये अल्लाह के रसूल (ﷺ) में एक**

बेहतरीन नमूना है।' (अल अह़ज़ाब : 21) **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरह अहज़ाब बाब 1)**

---

939. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ज़ैनब (रज़ि.) बिन्ते जहश के यहाँ बैठकर शहद तनावुल फ़र्माया करते थे तो मैंने और उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ह़फ़्सा (रज़ि.) ने आपस में मश्वरा किया हम दोनों में से जिस के घर भी नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाएँ तो वो आप (ﷺ) से कहे कि आप (ﷺ) से मग़ाफ़िर की बू आ रही है, क्या आप (ﷺ) ने मग़ाफ़िर खाया है? चुनाँचे आप (ﷺ) जब इन दोनों में से एक के पास तशरीफ़ लाए तो उसने यही बात कही। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! मैंने तो ज़ैनब (रज़ि.) बिन्ते जहश के यहाँ शहद पिया था और अब कभी नहीं पीऊँगा। इस मौक़े पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई, **या अय्युहन्नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लम .... इन्ततूबा इलल्लाहि तक** (सूरह तह़रीम : 4) तर्जुमा : **'ऐ नबी! तुम क्यूँ उस चीज़ को ह़राम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये ह़लाल की है? (क्या इसलिये कि) तुम अपनी बीवियों की ख़ुशी चाहते हो? अल्लाह मुआफ़ करने वाला और रह़म फ़र्माने वाला है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिये अपनी क़समों की पाबन्दी से निकलने का त़रीक़ा मुक़र्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम व ह़कीम है।'** (और यह मुआमला भी क़ाबिले तवज्जोह है कि) नबी (ﷺ) ने एक बात अपनी एक बीवी से राज़ में कही थी। फिर जब उस बीवी ने (किसी और पर) वो राज़ ज़ाहिर कर दिया तो अल्लाह ने नबी (ﷺ) को (उस इफ़्शाए राज़ की) ख़बर दे दी तो नबी (ﷺ) ने उस पर किसी ह़द तक (उस बीवी को) ख़बरदार किया और किसी ह़द तक उससे दरगुज़र किया। फिर जब नबी (ﷺ) ने उसे (राज़ की) यह बात बताई तो उसने पूछा आप (ﷺ) को इसकी ख़बर किस ने ख़बर दी? नबी ने कहा, मुझे उसने ख़बर दी है जो सब कुछ जानता और ख़ूब बाख़बर है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो (तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है)।

इसमें तुम दोनों से मुराद उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा और उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ह़फ़्सा (रज़ि.) हैं और **व इज़ असर्रन्नबी** या'नी राज़ की बात से मुराद आप (ﷺ) का यह फ़िक़रह है जो आप (ﷺ) ने जवाबन फ़र्माया था, 'नहीं! मैंने तो ज़ैनब बिन्ते जहश के पास शहद पीया था।' **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 8)**

नोट : मग़ाफ़ीर, मग़फ़ूर का बहुवचन है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने लिखा है कि मग़फ़ूर एक क़िस्म का गोंद होता है जिसका स्वाद तो मीठा होता है लेकिन ख़ुश्बू नापसंदीदा (अप्रिय) होती है। अगर कोई शख़्स क़सम खा ले और उसे तोड़ दे या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ तोड़नी पड़े तो उसका कफ़्फ़ारा यह है कि या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, इसकी ताक़त न हो तो दस मिस्कीनों को खाना खिलाए या कपड़ा दे और इसकी भी हैषियत न हो तो तीन दिन के रोज़े रखे।

---

940. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को शहद और शीरीनी बहुत पसंद थी और आप (ﷺ) का मअमूल था कि नमाज़े अस़र से फ़ारिग़ होकर अज़वाजे मुतह्हरात के पास तशरीफ़ ले जाया करते और उनमें से किसी एक से कुर्बत फ़र्माते थे। एक बार आप (ﷺ) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ह़फ़्सा (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ मअमूल से ज़्यादा ठहरे जिसकी वजहसे मुझे रश्क आया। फिर मैंने उसकी वजह पूछी तो मा'लूम हुआ कि ह़ज़रत ह़फ़्सा (रज़ि.) को उनके क़बीले की किसी औरत ने शहद की एक कुप्पी बत़ौरे त़ोह़फ़ा भेजी थी तो उन्होंने नबी करीम (ﷺ) को उसमें से कुछ शहद पिलाया था। चुनाँचे मैंने ख़ुद तै किया कि मैं इस सिलसिले में ज़रूर कोई हीला करूँगी (कि आप ﷺ आइन्दा यह शहद नोश न फ़र्माएँ) चुनाँचे मैंने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत सौदा (रज़ि.) बिन्ते ज़म्अह से कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) आप

(रज़ि.) के पास आएँ तो और आपके क़रीब आएँ तो आप कहिएगा, फिर यह बू कैसी है जो मुझे आपसे आ रही है? आप (ﷺ) यक़ीनन फ़र्माएँगे कि मुझे हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने थोड़ा सा शहद पिलाया था। इस पर कहियेगा, ग़ालिबन मक्खी शहद लेने के दरख़्ते उरफ़त (जिसका गोंद मग़ाफ़ीर कहलाता है) पर बैठी होगी और यही बात मैं कहूँगी और सफ़िया (रज़ि.) आप भी यही कहियेगा! हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत सौदा (रज़ि.) ने (इसके बाद मुझसे कहा) कि अल्लाह की क़सम! फिर ज्यों ही नबी करीम (ﷺ) दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए तो मैंने तुम्हारे डर से फ़ौरन वो बात आप (ﷺ) से कहनी चाही जो तुमने मुझसे कही थी। बहरहाल जब आप (ﷺ) तब हज़रत सौदा (रज़ि.) से क़रीब हुए तो हज़रत सौदा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) ने मग़ाफ़िर खाया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! हज़रत सौदा (रज़ि.) ने कहा, फिर यह बू कैसी है जो मुझे आप (ﷺ) से आ रही है? फ़र्माया, (हज़रत) हफ़्सा (रज़ि.) ने मुझे शहद पिलाया था। हज़रत सौदा (रज़ि.) ने कहा, हो सकता है मक्खी ने 'उरफ़त' चूस लिया हो। इसके बाद जब आप (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने भी आप (ﷺ) से यही कहा। नतीजा यह हुआ कि जब आप (ﷺ) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं शहद पेशे ख़िदमत करूँ? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं।

हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि हज़रत सौदा (रज़ि.) ने (इसके बाद) मुझसे कहा, हमने आप (ﷺ) को शहद से महरूम कर दिया है तो मैंने उनसे कहा, चुप रहो। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 8)**

बाब 4 : जब तक तलाक़ की निय्यत न हो औरत को रहने न रहने का इख़्तियार देने से तलाक़ वाक़ेअ नहीं होती

941. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को हुक्म हुआ कि अपनी बीवियों को इख़्तियार दें कि वो दुनिया और आख़िरत में किसी एक को मुंतख़ब कर लें तो जनाब नबी करीम (ﷺ) ने सबसे पहले मुझसे बात की और फ़र्माया, मैं तुमसे एक मुआमले का ज़िक्र करता हूँ लेकिन तुम इस सिलसिले में जल्दबाज़ी से काम न लेना और जब तक अपने वालदेन से मश्विरा न कर लो कुछ न कहना। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि आप (ﷺ) को यह यक़ीन था कि मेरे वालिदैन मुझे किसी सूरत में आप (ﷺ) से अलग होने का मश्विरा नहीं देंगे। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि यह हिदायत देने के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तबारक व तआला फ़र्माता है, **या अय्युहन्नबी! क़ुल लि अज़्वाजिक इन् कुन्तुन्न तुरिद्नल हयातद्दुन्या व ज़ीनतहा ...... अज्रन अज़ीमा तक** (अल अहज़ाब : 28–29) तर्जुमा : **'ऐ नबी! अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम दुनिया और इसकी ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीक़े से रुख़सत कर दूँ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आख़िरत की तलबगार हो तो जान लो कि तुममें से जो नेकोकार हैं अल्लाह ने उनके लिये बड़ा अज्र मुहय्या कर रखा है।'**

हज़रत आइशा (रज़ि.)बयान करती हैं कि, मैंने अर्ज़ किया, कि आख़िर इसमें कौनसी ऐसी बात है जिसके लिये मैं अपने वालिदैन से मश्विरा करूँ? मैं तो अल्लाह, रसूलुल्लाह और दारे आख़िरत की तालिब हूँ। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि इसके बाद तमाम अज़वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) ने वही जवाब दिया जो मैंने दिया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरतुल अहज़ाब बाब 5)

---

942. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब यह आयत नाज़िल हुई, **'तुमको इख़्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अलग रखो और**

जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो, इस मुआमले में तुम पर कोई मुज़ाइक़ा नहीं है।' (अल अहज़ाब : 51) तो इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें से किसी एक ज़ोजा मुतह्हरा की बारी के दिन किसी दूसरी बीवी के पास रहने की इजाज़त तलब कर लिया करते थे। मुआज़ा (रह.) कहती हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि आप क्या जवाब देती थीं (जब आप से इजाज़त तलब फ़र्माते थे)? कहने लगीं, मैं कहती थीं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मेरा इख़्तियार होता तो मैं यह हर्गिज़ न चाहती कि आपके क़ुर्ब के मुआमले में किसी के लिये ईषार (त्याग) करूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरतुल अहज़ाब बाब 33)**

---

943. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें (तलाक़ लेने या न लेने का) इख़्तियार दिया था तो हमने अल्लाह और रसूलुल्लाह का इंतिख़ाब किया था और उस इख़्तियार देने को आप (ﷺ) ने हमारे हक़ में कुछ भी (या'नी तलाक़ वग़ैरह) ख़याल नहीं किया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 5)

बाब 5 : बीवी से किनाराकश रहने की क़सम खाने (ईला) और बीवी को इख़्तियार देने का बयान नीज़ इर्शादे बारी तआला वइन तज़ाहिरा अलैहि की तफ़्सीर

944. हदीषे इब्ने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं पूरे एक साल तक हज़रत उमर (रज़ि.) से एक आयत के बारे में पूछने का इरादा करता रहा लेकिन मुझे आपके डर की वजह से पूछने की जुर्अत (हिम्मत) न होती थी। यहाँ तक कि जब आप हज्ज के लिये रवाना हुए और मैं भी आपके साथ हज्ज के लिये गया। वापसी के सफ़र में हम अभी रास्ते में ही थे कि हज़रत उमर (रज़ि.) अपनी ज़रूरत से उतरकर पीलुओं के झुण्ड की तरफ़ गये तो मैं आपके इंतज़ार में ठहरा रहा। यहाँ तक कि आप फ़ारिग़ होकर वापस आए। उस वक़्त आपके साथ-साथ चलते हुए मैंने पूछा, नबी करीम (ﷺ) की अज़वाजे मुतह्हरात में से वो दो हरमे मुहतरम कौन हैं जिन्होंने किसी सिलसिले में आप (ﷺ) के बारे में आपस में इत्तिफ़ाक़ राय कर लिया था? हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) थीं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा, अल्लाह की क़सम! मैं एक साल से इस बात के बारे में आपसे पूछने का इरादा कर रहा हूँ लेकिन आपकी हैबत दरयाफ़्त करने में मानेअ थी। आपने फ़र्माया, आईन्दा ऐसा न करना, जिस बात के बारे में तुम्हें ख़याल हो कि मुझे मा'लूम है वो ज़रूर मुझसे पूछ लिया करो। अगर मुझे मा'लूम होगी तो मैं तुमको बता दिया करूँगा। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! हम ज़माना जाहिलियत में औरतों की कुछ हक़ीक़त नहीं समझते थे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने औरतों के सिलसिले में जो अहकाम नाज़िल फ़र्माने थे, नाज़िल फ़र्माए और उनको जो हुक़ूक़ दिलवाने थे दिलवाए। हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दिन मैं अपने काम के सिलसिले में सोच-विचार कर रहा था कि मेरी बीवी ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते और यह करते तो बेहतर होता। मैंने उससे कहा, तुमको बोलने का क्या हक़ है और तुम यहाँ क्यों आई हो और जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसमें क्यों दख़लअंदाज़ होती हो? उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.)! तुम पर हैरत है, तुम यह चाहते हो कि कोई तुमसे बात या सवाल व जवाब ही न करे। जबकि तुम्हारी साहबज़ादी रसूलुल्लाह (ﷺ) से भी सवाल व जवाब कर लेती है और कभी-कभी नौबत इस हद तक पहुँच जाती है कि दिन भर नाराज़गी रहती है। हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि यह बात सुनकर मैं उसी वक़्त अपनी चादर लेकर उठ खड़ा हुआ और (उम्मुल मोमिनीन हज़रत) हफ़्सा (रज़ि.) के घर पहुँचा और उनसे पूछा, ऐ बेटी!

क्या तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस तरह जवाब देती हो कि आप (ﷺ) (बाज़ दफ़ा) दिनभर नाराज़ रहते हैं? हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! हम तो आप (ﷺ) से सवाल व जवाब कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा, ख़ूब ज़हन–नशीन कर लो (कि यह अच्छी बात नहीं है) मैं तुमको अल्लाह तआला के अज़ाब और रसूलुल्लाह (ﷺ) के ग़ज़ब से डराता हूँ, ऐ बेटी! तुम उसकी देखा–देखी धोखा न खाना जिसको उसके हुस्न और रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुहब्बत ने नाज़ा कर दिया है (आपकी मुराद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि. थी)।

हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि फिर मैं हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के घर से निकल कर सीधा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास पहुँचा क्योंकि उनसे मेरी रिश्तेदारी थी और मैंने उनसे इस मुआमले पर गुफ़्तगू की। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा, ऐ इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.)! तुम पर हैरत है, तुम हर मुआमले में दख़ल देने लगे हो यहाँ तक कि अब तुम चाहते हो कि जनाबे नबी करीम (ﷺ) और उनकी बीवियों के बीच भी मुदाख़लत करो और उन्होंने इस सख़्ती से मुझे आड़े हाथों लिया कि इस सिलसिले में जो कुछ मेरे दिल में था (या'नी गुस्सा या मुदाख़लत करने का ख़याल) वो सब निकल गया और मैं आपके पास से वापस चला आया।

मेरा एक अन्सारी साथी था, जब मैं ग़ैर–हाज़िर होता तो वो मुझे (दरबारे नबवी ﷺ की) ख़बर दिया करता था और जब वो ग़ैर–हाज़िर होता तो मैं उसे सब मा'लूमात और इत्तिलाआत दिया करता था। उन दिनों हम पर ग़स्सान के बादशाहों में से एक बादशाह का डर था क्योंकि हमें यह ख़बर मिली थी कि वो हम पर हमला करना चाहता है इसलिये हर वक़्त उसका धड़का लगा रहता था। फिर अचानक (एक दिन) मेरे दोस्त अन्सारी ने आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाया और कहा, खोलो–खोलो! मैंने पूछा, क्या ग़स्सानी आ गया? कहने लगा, नहीं! इससे भी बड़ी बात हो गई है। रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों से किनाराकश हो गए हैं। मैंने कहा, हफ़्सा (रज़ि.) और आइशा (रज़ि.) की नाक ख़ाक आलूद हो!(यह सब उन दोनों का किया–धरा है)। फिर मैंने कपड़े पहने और घर से निकल गया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा तो मैंने देखा कि आप (ﷺ) अपने बालाख़ाने (मकान की ऊपरी मंज़िल) में तशरीफ़ फ़र्मा हैं, जिस पर सीढ़ी के ज़रिये चढ़ा जाता था और सीढ़ियों में आप (ﷺ) का हब्शी गुलाम खड़ा था। मैंने उससे कहा, आप (ﷺ) को ख़बर दो कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) हाज़िर हैं। चुनाँचे आप (ﷺ) ने मुझे हाज़िर होन की इजाज़त दे दी।

हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने यह सारा वाक़िआ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में बयान किया यहाँ तक कि जब मैं हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की बात पर पहुँचा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मुस्कुराए। उस वक़्त आप (ﷺ) एक चटाई पर लेटे हुए थे और आप (ﷺ) के जिस्मे मुबारक और चटाई के बीच कोई बिछौना न था और सरे मुबारक के नीचे चमड़े का तकिया था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। आप (ﷺ) के पाँव के पास सिलम के पत्तों का ढेर था और सिरहाने की तरफ़ कच्चे चमड़े लटके हुए थे और मैंने देखा कि आप (ﷺ) के पैरों पर चटाई के निशानात पड़ गए हैं तो मैं रो पड़ा। आप (ﷺ) ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कैसर और किसरा तो कैसी ऐशो–इशरत में हैं और आप (ﷺ) अल्लाह के रसूल होकर इस हालत में। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम इस बात पर ख़ुश नहीं हो कि उनके लिये सिर्फ़ दुनिया है और हमारे लिये आख़िरत?

(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरह अहज़ाब बाब 2)

---

945. हदीषे उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे मुद्दत से यह आरज़ू थी कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) की उन दो बीवियों के बारे में पूछूँ जिनके बारे में यह इर्शादे बारी तआला नाज़िल हुआ है, **'अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो (तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है) क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं।'** (सूरह तहरीम : 4) (लेकिन पूछने का मौक़ा न मिलता)

हत्ताकि जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज्ज किया और मैं भी आपके साथ हज्ज के लिये रवाना हुआ तो सफ़र के दौरान हज़रत उमर (रज़ि.) एक जगह रास्ते से अलग हटकर एक तरफ़ गए और मैं भी आपके साथ पानी का छागल लेकर उसी तरफ़ गया, उस जगह आप हवाइजे ज़रूरिया से फ़ारिग़ हुए फिर जब वापस आए तो मैंने छागल से आपके हाथों पर पानी डाला और आपने वुज़ू किया। इस मौक़े पर मैंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! अज़वाजे मुतहहरात में से वो दो मुहतरम अज़वाज कौनसी हैं जिनके बारे में यह आयते करीमा **इन ततूबा इलल्लाह फ़क़द सग़त क़ुलूबकमा** नाज़िल हुई? हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने अब्बास (रज़ि.)! तुम पर हैरत है (तुमने अब तक क्यों न पूछा) वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) हैं।

इसके बाद हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूरी बात सुनाई और कहने लगे कि मैं और मेरा एक अन्सारी हमसाया हम दोनों मुहल्ला बनी उमय्या बिन ज़ैद में सकूनत पज़ीर (रहते) थे। यह क़बीला मदीना के मुज़ाफ़ात में वाक़ेअ था और हम दोनों जनाबे नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक के बाद एक बारी-बारी हाज़िर हुआ करते थे। या'नी एक दिन वो आया करते थे और एक दिन मैं हाज़िर हुआ करता था। चुनाँचे जिस दिन मैं हाज़िर होता उस दिन के तमाम वाक़िआत अज़ क़बील नुज़ूले-वह्य वग़ैरह उनसे बयान करता और जिस दिन वो दरबारे नबवी (ﷺ) में हाज़िर होते तो वो भी ऐसा ही करते (हर बात मुझे बता देते थे) और हम अहले क़ुरैश ऐसे लोग थे जो औरतों पर ग़ालिब रहते थे। लेकिन जब हम अंसारियों के पास (मदीना में) आए तो हमने देखा कि उन लोगों पर उनकी औरतें हावी थीं। यहाँ आने के बाद हमारी औरतों ने भी अन्सारी औरतों के तौर-तरीक़े लेने शुरू कर दिए। फिर एक मौक़े पर मैंने अपनी बीवी को डांटा तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैंने उसके जवाब देने पर सख़्त नापसंदीदगी का इज़हार किया। इस पर वो कहने लगीं, आप मेरे जवाब देने को इतना क्यों नापसंद करते हैं? जबकि अल्लाह की क़सम! नबी करीम (ﷺ) की अज़वाजे मुतहहरात आप (ﷺ) को भी जवाब दे लेती हैं और बसा औक़ात उनमें से कोई बीवी आप (ﷺ) से सारा दिन-रात बोलचाल बंद रखती है। यह बात सुनकर मैं सख़्त परेशान हो गया और मैंने उससे कहा कि अज़वाजे मुतहहरात में से अगर किसी ने ऐसा किया तो वो सख़्त घाटे में रहेगी।

फिर मैंने अपने कपड़े पहने और उतरकर (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के यहाँ पहुँचा और उनसे कहा, ऐ हफ़्सा (रज़ि.)! क्या यह दुरुस्त है कि तुममें से कोई एक नबी (ﷺ) से पूरे-पूरे दिन-रात तक नाराज़ रहती है? उन्होंने कहा, हाँ! मैंने कहा, फिर तो तुम नाकाम और नामुराद हो गईं! क्या तुम इस बात से बेख़ौफ़ हो कि नबी करीम (ﷺ) की नाराज़गी की वजह से अल्लाह तआला तुमसे नाराज़ हो जाए और तुम तबाह व बरबाद हो जाओ। ख़बरदार! नबी करीम (ﷺ) से कभी ज़्यादा तक़ाज़े और मुतालबे न करो, न कभी आप (ﷺ) से किसी बात पर हुज्जतबाज़ी करो और न कभी आप (ﷺ) से रूठ कर बैठो। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे माँगो और याद रखो! तुम्हें यह चीज़ धोखा न दे कि तुम्हारी हमसाई (उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि.) तुमसे ज़्यादा हसीन व जमील है और नबी करीम (ﷺ) को ज़्यादा महबूब हैं (और ऐसी बातें कर लेती हैं)।

हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं कि उन दिनों हम आपस में अकषर इस मौज़ूअ पर गुफ़्तगू करते रहते थे, कि हाकिमे ग़स्सान हम पर हमला करने के लिये कील-कांटे से लेस है और घोड़ों की नाल लगवा रहा है। फिर एक दिन मेरा साथी अपनी बारी पर दरबारे नबवी (ﷺ) में हाज़िर होने के लिये गया और इशा के वक़्त लौटा और आकर बड़े ज़ोर से उसने मेरा दरवाज़ा पीटा और पुकार कर पूछा, क्या कोई है? मैं घबरा गया और झपटकर बाहर निकला तो वो कहने लगा, आज बड़ा ग़ज़ब हो गया! मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या ग़स्सानी आ गया? कहने लगा, नहीं, इससे भी ज़्यादा हौलनाक और बड़ी बात हो गई है, नबी करीम (ﷺ) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी। मैंने कहा, हफ़्सा तबाह व बर्बाद हो गईं! मुझे पहले ही यक़ीन था कि यह सब अनक़रीब होकर ही रहेगा। फिर मैंने कपड़े पहने और नमाज़े फ़ज्र नबी करीम (ﷺ) के साथ पढ़ी, नमाज़ के बाद नबी करीम (ﷺ) अपने बालाख़ाने में तशरीफ़ ले गए

और सबसे किनाराकश होकर बैठ गए। मैं उसी वक़्त (उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत) ह़फ़्सा (रज़ि.) के पास गया देखा कि वो रो रही हैं! मैंने पूछा, रोती क्यों हो? क्या मैंने तुमको इसी दिन से बचने की तंबीह नहीं की थी? क्या नबी करीम (ﷺ) ने तुम सबको त़लाक़ दे दी? कहने लगीं, मुझे कुछ मा'लूम नहीं, बस इतना पता है कि आप (ﷺ) बालाख़ाने में सबसे अलग–थलग होकर तशरीफ़ फ़र्मा हैं। फिर मैं वहाँ से निकलकर मिम्बर के पास आया तो उसके गिर्द लोग जमा थे जिनमें बाज़ रो रहे थे। मैं भी थोड़ी देर उनके पास बैठा रहा, फिर मुझ पर मेरी परेशानी और इज़्तिराब ने ग़लबा किया और मैं उठकर उस बालाख़ाने के पास आया जहाँ आप (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे और ह़ब्शी लड़के से कहा, उ़मर (रज़ि.) के लिये ह़ाज़िर होने की इजाज़त त़लब करो। चुनाँचे वो गया और जाकर उसने नबी करीम (ﷺ) से बात की और वापस आकर बताया, मैंने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में दरख़्वास्त की थी और आपका ज़िक्र भी किया था लेकिन नबी करीम (ﷺ) ख़ामोश रहे कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर वापस आकर उन लोगों के साथ बैठ गया जो मिम्बर के पास जमा थे फिर मुझ पर मेरी बैचेनी और परेशानी का ग़लबा हुआ और मैंने फिर ह़ब्शी लड़के से कहा, जाओ! उ़मर (रज़ि.) के लिये इजाज़त त़लब करो! वो फिर गया और वापस आकर उसने बताया कि मैंने आप (ﷺ) की ख़िदमत में आप (रज़ि.) का ज़िक्र किया लेकिन आप (ﷺ) ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस आकर फिर उन लोगों के साथ बैठ गया जो मिम्बर के पास जमा थे लेकिन मुझ पर फिर इज़्तिराब और परेशानी का ग़लबा हुआ और मैंने फिर उस लड़के से आकर कहा, जाओ उ़मर (रज़ि.) के लिये इजाज़त त़लब करो! वो फिर गया और वापस आकर उसने फिर वही जवाब दिया कि मैंने आपका ज़िक्र किया था मगर आप (ﷺ) ख़ामोश रहे लेकिन जब मैं जाने के लिये मुड़ा तो ख़िलाफ़े उम्मीद उस लड़के ने मुझे पुकारा और कहने लगा, नबी करीम (ﷺ) ने आपको ह़ाज़िर होने की इजाज़त दे दी।

इजाज़त मिलने पर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गया तो देखा आप (ﷺ) पुट्ठे से बुनी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं, आप (ﷺ) के नीचे कोई बिछौना भी नहीं है। चटाई की बुनत के निशानात आप (ﷺ) के पहलुओं पर साफ़ नज़र आ रहे थे और चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी आप (ﷺ) के सिरहाने थी। मैंने आप (ﷺ) को सलाम किया और खड़े–खड़े ही कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आपने अज़्वाजे मुतह्हरात को त़लाक़ दे दी है? मेरे सवाल पर आप (ﷺ) ने नज़र उठाकर मेरी त़रफ़ देखा और फ़र्माया, 'नहीं।' यह सुनकर मैंने कहा, अल्लाहु अकबर! फिर मैंने खड़े–खड़े ही माहौल का बोझलपन दूर करने के लिये कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! काश आप (ﷺ) मेरी त़रफ़ मुतवज्जह हों, हम अहले क़ुरैश औ़रतों पर ग़ालिब रहते थे लेकिन जब हम मदीना में आए तो यह लोग ऐसे वाक़ेअ़ हुए थे कि इन पर इनकी औ़रतें हुकूमत करती थीं। यह सुनकर नबी करीम (ﷺ) हँस पड़े। फिर मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! काश आप मेरी त़रफ़ तवज्जुह फ़र्माएँ! मैं (ह़ज़रत) ह़फ़्सा (रज़ि.) के पास भी गया था और उनसे कहा था कि तुम अपनी हमसाई या'नी ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की वजह से धोखा न खा जाना, वो न सिर्फ़ तुमसे ज़्यादा ह़सीन व जमील है बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़्यादा महबूब भी हैं। मेरी यह बात सुनकर आप (ﷺ) दूसरी बार भी हँस पड़े। जब मैंने देखा कि आप (ﷺ) मुस्कुरा रहे हैं तो मैं बैठ गया और अब जो मैंने नज़र उठाकर आप (ﷺ) के घर को पूरी त़रह़ देखा तो मुझे वहाँ कोई क़ाबिले ज़िक्र चीज़ नज़र न आई सिवाय तीन अ़दद कच्ची खालों के। यह देखकर मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए कि वो आप (ﷺ) की उम्मत को फ़ारिग़ुल बाली और ख़ुशहाली अ़त़ा करे, क्योंकि रूमियों और फ़ारस को हर क़िस्म की फ़राग़त व कुशादगी मयस्सर है और उन्हें दुनिया का माल व दौलत ख़ूब दिया गया है हालाँकि वो अल्लाह की इ़बादत नहीं करते।

मेरी यह बात सुनकर आप (ﷺ) सीधे होकर बैठ गए जबकि पहले आप (ﷺ) तकिये की टेक लगाकर बैठे थे, फिर फ़र्माया, ऐ इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.)! क्या तुम इन ख़यालों में हो? यह तो वो क़ौमें हैं जिनको उनकी पसंदीदा चीज़ें इस दुनयवी ज़िंदगी में ही फ़िल फ़ौर अ़त़ा की गईं (और उनके लिये आख़िरत में कुछ नहीं रहा)।

मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे लिये अल्लाह से दुआ़ कीजिए कि वो मेरी ग़लती मुआ़फ़ फ़र्माए।

दरअसल बात यह थी कि नबी करीम (ﷺ) अपनी अज़वाजे मुतह्हरात से 29 रातों के लिये किनाराकश हो गए थे इस बात की वजह से जो ह़ज़रत ह़फ़्सा (रज़ि.) ने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) को बता दी थी और जिसके नतीजे में आप (ﷺ) को शदीद रंज पहुँचा और आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि मैं एक माह तक उनके पास न जाऊँगा। और अल्लाह तआ़ला ने इस फ़ैसले पर इज़्हारे नापसंदीदगी फ़र्माया था।

फिर जब 29 रातें गुज़र गईं तो आप (ﷺ) सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के पास तशरीफ़ ले गए। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने तो क़सम खाई थी कि आप (ﷺ) एक माह तक हमारे पास तशरीफ़ न लाएँगे और आप (ﷺ) ने 29वीं रात से हमारे पास तशरीफ़ लाना शुरू कर दिया। मैं तो एक–एक दिन गिनती रही हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, महीना 29 दिन का भी होता है और यह महीना 29 दिन का ही था। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, फिर अल्लाह तआ़ला ने आयते तख़ईर नाज़िल फ़र्माई तो उस मौक़े पर भी आप (ﷺ) ने तमाम बीवियों में से सबसे पहले मुझसे ही पूछा था और मैंने आप (ﷺ) को इख़्तियार कर लिया था। फिर आप (ﷺ) ने बाक़ी तमाम अज़वाज को इख़्तियार दिया और सबने वही जवाब दिया जो उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने दिया था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 83)**

नोट : आयते तख़ईर सूरह अहज़ाब की ये आयत है, या अय्युहन्नबी! क़ुल लि अज़्वाजिक इन् कुन्तुन्न तुरिद्नल हयातद् दुन्या व ज़ीनतहा ...... अज्रन अ़ज़ीमा तक (अल अहज़ाब : 28–29) तर्जुमा : 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम दुनिया और इसकी ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले त़रीक़े से रुख़्स़त कर दूँ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आख़िरत की त़लबगार हो तो जान लो कि तुममें से जो नेकोकार हैं अल्लाह ने उनके लिये बड़ा अज्र मुहय्या कर रखा है।' इस आयत के नाज़िल होने के बाद आप (ﷺ) ने सबसे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से पूछा था तो ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ रहना पसन्द किया। उनके बाद तमाम अज़वाजे–मुतह्हरात ने भी दुनियवी आराइश के बजाय आप (ﷺ) के साथ को पसन्द फ़र्माया। इसमें तमाम मुस्लिम औरतों के लिये नसीहत है कि अगर उनके शौहर दीनदार हों तो ख़ुशहाली हो या तंगी, हर हालत में उनके साथ रहने को पसन्द करे और उन्हें नाराज़ करने वाला काम न करे।

बाब 6 : जिस औरत को तीन त़लाक़ें दे दी गई हों वो नफ़्क़े की ह़क़दार नहीं

946. ह़दीषे आ़इशा व फ़ात़िमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के बारे में रिवायत है कि आप (रज़ि.) ने फ़ात़िमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) के बारे में कहा कि फ़ात़िमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) को क्या हो गया है? क्या अल्लाह से नहीं डरती? ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) का मक़स़द यह था कि फ़ात़िमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) यह कहते क्या अल्लाह से नहीं डरतीं कि मुत़ल्लक़ा औरत न रिहाइश की ह़क़दार है न नफ़्क़े की।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 41)

नोट : तलाक़शुदा औरत न तो शौहर के घर में रहने की ह़क़दार हैं और न नफ़्क़े की; यह बात फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) ने कही थी; जिस पर ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने तअ़ज्जुब जताते हुए कहा था कि क्या फ़ातिमा बिन्ते क़ैस यह कहते हुए अल्लाह से नहीं डरतीं? दरअसल ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के कहने का मतलब यह था कि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस पूरी बात क्यों नहीं बयान करतीं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उसे एक शदीद मजबूरी की हालत में शौहर के घर के अ़लावा किसी दूसरे के घर में तलाक़ की इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया था और ये आ़म हुक्म नहीं था। पूरा मुआमला सहीह मुस्लिम की किताबुत् तलाक़ के बाब में हदीष नं. 48 में मज़्कूर (वर्णित) है, जो इस तरह है;

अबू बक्र बिन जुहम (रह.) रिवायत करते हैं कि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया कि मेरे ख़ाविन्द अबू अ़म्र बिन हफ़्स़ (रज़ि.) ने मुझे तलाक़ भेज दी और किसी के साथ पाँच साअ़ (25 किलोग्राम) खजूर और पाँच साअ़ (25 किलो) जौ भेजे तो मैंने कहा कि क्या मेरा नफ़्क़ा स़िर्फ़ इस क़दर है (या'नी स़िर्फ़ इतना ही है)?

और क्या इद्दत के दिन मैं तुम्हारे घर में नहीं गुज़ारूंगी? उन्होंने कहा, नहीं! चुनाँचे मैंने अपने कपड़े सम्भाले और रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। आप (ﷺ) ने पूछा, तुमको कितनी तलाक़ें दी हैं? मैंने अर्ज़ किया, तीन। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर तो वो सच्चा है; तुमको यक़ीनन नफ़्क़ा का हक़ नहीं पहुँचता है। तुम ऐसा करो इद्दत के दिन अपने चचाज़ाद इब्ने मक्तूम (रज़ि.) के घर गुज़ारो क्योंकि वो नाबीना (अंधे) हैं, वहाँ तुम अपने कपड़े भी उतार सकोगी (या'नी बदल सकोगी) और तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो मुझे ख़बर देना। फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) कहती हैं कि इद्दत के दौरान मुझे कई लोगों की तरफ़ से निकाह के पैग़ाम मिले जिनमें से मुआविया (बिन अबू सुफ़्यान रज़ि.) और अबुल जहीम (रज़ि.) के पैग़ाम भी शामिल थे। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने मुझे मश्वरा देते हुए फ़र्माया, मुआविया तो ग़रीब व तंगदस्त आदमी है और अबुल जहीम के बारे में सुना गया है कि वो औरतों पर सख़्ती करता है या मारता–पीटता है या इसी क़िस्म की बातें मशहूर हैं। लिहाज़ा तुम उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से निकाह कर लो। फिर आप (ﷺ) ने हाथ से इशारा करके कहने लगे, उसामा! उसामा!! (लेकिन मैंने पसन्द नहीं किया तो) आप (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) का हुक्म मानने में तुम्हारे लिये भलाई है। चुनाँचे मैंने उसामा ही से निकाह किया। बाद में दूसरी औरतें मुझ पर रश्क़ करने लगीं कि काश! उसामा उनके शौहर होते। (सहीह मुस्लिम, किताबुत् तलाक़ हदीष नं. : 48)

ग़ौरतलब है कि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) को उनके शौहर अबू अम्र दो तलाक़ें पहले दे चुके थे और तीसरी भी दे दी थी जिसके आगे का वाक़िया ऊपर बयान की गई हदीष में आप पढ़ चुके हैं।

---

947. हदीषे आइशा (रज़ि.) व फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) : उरवा बिन अज़्ज़ुबैर (रह.) ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से ज़िक्र किया, क्या आपने देखा नहीं! फ़लाना बिन्ते अल हकम को, कि उसके शौहर ने तलाक़े मुग़ल्लज़ा दे दी है और वो उस घर से निकलकर कहीं और चली गई है। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, उसने बुरा किया। फिर उर्वा (रह.) ने कहा, क्या आपने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) की वो बात नहीं सुनी जो वो कहती हैं? आप (रज़ि.) ने कहा, फ़ातिमा (रज़ि.) के लिये इस बात का बयान करना अच्छा नहीं है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 41)

बाब 8 : वज़्अे हमल से मुतल्लक़ा और बेवा दोनों की इद्दत पूरी हो जाती है

948. हदीषे सबीअह बिन्ते हारिष (रज़ि.) : हज़रत सबीअह (रज़ि.) हज़रत सअद (रज़ि.) बिन ख़ौला (रज़ि.) की बीवी थीं। यह साहब क़बीला बनी आमिर बिन लौय से तअल्लुक़ रखते थे और ग़ज़्व–ए–बद्र में शरीक होने का शर्फ़ हासिल कर चुके थे, हज़रत सअद बिन ख़ौला (रज़ि.) का हज्जतुल विदा के मौक़े पर इंतिक़ाल हुआ। इंतिक़ाल के वक़्त उनकी बीवी सबीअह (रज़ि.) हमल से थीं और हज़रत सअद (रज़ि.) की वफ़ात के चंद दिनों बाद उनके बच्चा हो गया। चुनाँचे हज़रत सबीअह (रज़ि.) ने निफ़ास (जचगी) से फ़ारिग़ होते ही बनाव–श्रृंगार शुरू कर दिया ताकि उन्हें निकाह के पैग़ाम आने लगें। उसी वक़्त में उनके पास अबुस्सनाबिल बिन बअकिक (रज़ि.), जो क़बीला बनी अब्दुद्दार से तअल्लुक़ रखते थे, आए और कहने लगे, यह मैं क्या देख रहा हूँ तुम तो बनाव–श्रृंगार किए बैठी हो ताकि निकाह के पैग़ाम आने लगें, क्या तुम वाक़ई निकाह करना चाहती हो? अल्लाह की क़सम! तुम यक़ीनन निकाह नहीं कर सकतीं जब तक कि चार माह दस दिन की इद्दत पूरी न कर लो। सबीअह (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब उन्होंने यह बात कही उसी दिन शाम के वक़्त मैं अपने कपड़े ओढ़–पहनकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और मैंने आप (ﷺ) से इसके बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़तवा दिया कि बच्चा पैदा होते ही मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है और इजाज़त दी कि अगर कोई सूरत पैदा हो तो मैं निकाह कर सकती हूँ।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 10)

---

949. हदीषे उम्मे सलमा (रज़ि.) : हज़रत अबू सलमा (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के पास एक शख़्स आया, उस वक़्त हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) भी बैठे हुए थे और उसने पूछा, मुझे ऐसी औरत के बारे में फ़तवा दीजिए जिसके यहाँ शौहर के वफ़ात के चालीस दिन बाद बच्चा पैदा हो गया हो (क्या उसकी इद्दत पूरी हो गई?) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, दोनों मुद्दतों में से जो मुद्दत बाद में ख़त्म होती है उसके मुताबिक़ इद्दत पूरी करे। मैंने कहा, इर्शादे बारी तआला है, **'और हामला औरतों की इद्दत की हद यह है कि उनका वजअ हमल हो जाए।'** (सूरह तलाक़ : 4)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने भी मेरी ताईद करते हुए कहा कि मैं अपने भतीजे (अबू सलमा रज़ि.) के साथ हूँ, चुनाँचे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अपने गुलाम कुरैब (रह.) को उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजकर उनसे इस मसले के बारे में पुछवाया। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया, हज़रत सबीअह असलमिया (रज़ि.) के शौहर शहीद हो गए थे और वो हामला थीं तो उनके यहाँ शौहर की वफ़ात के चालीस दिन बाद बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद उनको निकाह के पैग़ाम आने लगे चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने उनको निकाह की इजाज़त दे दी और उनको निकाह का पैग़ाम देने वालों में हज़रत अबुस्सनाबिल (रज़ि.) भी शामिल थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़्सीर सूरतुत् तलाक़ बाब 2)

बाब 9 : जिस औरत का शौहर मर जाए उसके लिये सोग वाजिब है इसके अलावा किसी के लिये तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाना जाइज़ नहीं

950. हदीषे उम्मे हबीबा, ज़ैनब बिन्ते जेहश, उम्मे सलमा और ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा (रज़ि.) : हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) के वालिद हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) का इंतिक़ाल हुआ तो मैं आपके यहाँ गई। हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) ने एक ज़र्दी माइल (पीले रंगवाली) ख़ुश्बू मँगवाई, यह ख़ुश्बू ग़ालिबन ख़ुलूक़ थी या कोई दूसरे क़िस्म की थी। अलग़र्ज़ उन्होंने वो ख़ुश्बू पहले एक लड़की के लगाई, फिर हाथ अपने गालों पर फेर लिये। इसके बाद फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ुश्बू की कोई ज़रूरत न थी, यह जो मैंने लगाई है उसका सबब यह है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि किसी औरत के लिये जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती हो, यह जाइज़ नहीं है कि किसी मरने वाले पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाए सिवाय शौहर के, कि शौहर के मरने पर बीवी को चार माह दस दिन इद्दत गुज़ारना ज़रूरी है।

ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा बयान करती हैं कि फिर मैं उस मौक़े पर जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश के भाई का इंतिक़ाल हुआ था। हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) के यहाँ गई तो उन्होंने भी ख़ुश्बू मँगवाई और उसमें से कुछ लगाई और उसके बाद फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! हक़ीक़त यह है कि मुझे ख़ुश्बू की कोई ज़रूरत न थी दरअसल बात यह है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर फ़र्माते हुए सुना है, किसी औरत के लिये जो अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखती हो, जाइज़ नहीं कि वो किसी मरने वाले पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाए सिवाए शौहर के, कि शौहर के मरने पर बीवी की इद्दत चार माह दस दिन है।

ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) को कहते सुना है कि एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बेटी का शौहर वफ़ात पा गया है और उसकी आँखों में तकलीफ़ है क्या मैं उसकी आँखों में सुरमा लगा दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं!' उस औरत ने दो या तीन बार यही बात पूछी और आप (ﷺ) ने हर बार मना फ़र्मा

दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अब तो उसकी इद्दत सिर्फ़ चार माह दस दिन है जबकि ज़मान–ए–जाहिलियत में तुम औरतों को पूरे साल के बाद 'मेंगनी फेंकने' की इजाज़त मिलती थी।

हुमीद (रह.) (जिन्होंने ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा (रज़ि.) से यह हदीष रिवायत की है) कहते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) से पूछा, यह पूरे साल के बाद मेंगनी फेंकने की बात का क्या मफ़हूम है? उन्होंने कहा, ज़मान–ए–जाहिलियत में जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो वो एक घोंसलेनुमा तंग व तारीक (अंधेरी) कोठरा में दाख़िल हो जाती थी और फिर उसी के अंदर रहती थी, उसे बदतरीन कपड़े पहनने पड़ते थे और ख़ुश्बू को तो हाथ भी न लगा सकती थी, यहाँ तक कि जब एक साल इसी हालत में गुज़र जाता तो कोई एक जानवर मषलन गधा, बकरी या कोई परिन्दा उसके पास लाया जाता और उसको छू कर वो अपनी इद्दत तोड़ती और बहुत कम ऐसा होता था कि वो जानवर जिससे औरत अपनी इद्दत तोड़ती थी ज़िन्दा रहता हो, अकषर हलाक हो जाता था फिर वो वहाँ से निकलती थी तो उसे एक मेंगनी दी जाती थी, जिसे वो फेंकती थी इसके बाद उसे इजाज़त होती थी कि वो जो ख़ुश्बू वग़ैरह चाहे लगाए।

मालिक (रह.) (हदीष के रावियों में से एक रावी) से पूछा गया कि यह 'इद्दत तोड़ने' से क्या मुराद है? कहने लगे कि औरत उस जानवर को अपनी जिल्द के साथ मस्स करती थी (बस यही इद्दत तोड़ना कहलाता था)।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 46)

नोट : हमारे देश भारत में हिन्दू समाज में रिवाज है कि किसी शख़्स के मरने के कुछ दिनों बाद उठावने की रस्म होती है, उसके बाद मर्दों व औरतों का सोग ख़त्म होता है। उठावने की रस्म के लिये हिन्दू धर्म की बहुत सी बिरादरियों के लोग इकट्ठा होकर मन्दिर में जाते हैं, वहाँ मन्दिर का पुजारी गंगाजल और गौ–मूत्र (गाय का पैशाब) के छींटे सोगज़दा लोगों पर छिड़कता है। जबकि दीने इस्लाम ने सोग की मुद्दत बेवा हुई औरत के अलावा दूसरों के लिये अधिकतम तीन दिन रखी है और उसके बाद ख़ुश्बू लगाना सुन्नत से षाबित है। इस्लाम ने जहालत की तमाम रस्मों को रद्द किया है।

---

951. हदीषे उम्मे अतिया (रज़ि.) : हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हमको मना कर दिया गया था कि हम किसी मरने वाले पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न मनाए सिवाय शौहर के, शौहर के मरने पर औरत को चार माह और दस दिन इद्दत पूरी करने का हुक्म था। उन अय्याम (दिनों) में हमको न सुरमा लगाने की इजाज़त थी न ख़ुश्बू की, और षौबे असब के सिवा हर क़िस्म का रंगदार कपड़ा पहनना भी मना था अलबत्ता हमें यह इजाज़त थी कि हैज़ से पाक होकर जब कोई औरत गुस्ल करे तो 'कुसते इज़्फ़ार' (एक ख़ुश्बू का नाम) की क़लील मिक़्दार इस्ते'माल कर ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 12)**

किताबुल लिआन

लिआन की इस्तिलाह (परिभाषा) :

लिआन का मतलब है, एक—दूसरे पर लानत भेजना। शरई इस्तिलाहात में लिआन से मुराद वो क़ौली शहादत (मौखिक गवाही) ली जाती है जो शौहर और बीवी अल्लाह को गवाह बनाकर एक—दूसरे के ख़िलाफ़ दें। यह सूरत तब पेश आती है जब शौहर अपनी बीवी पर बदकारी की तोहमत लगाए और बीवी उसका इन्कार करे और दोनों ही के पास चार गवाह न हों। क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माता है,

'और जो लोग अपनी बीबियों पर इल्ज़ाम लगाएं और उनके पास गवाह न हों सिवाय ख़ुद के तो (इस सूरत में) उनमें से एक की (या'नी शौहर की) गवाही यह है कि वह चार बार अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि वो सच्चा है और पाँचवीं बार यह कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वह झूठ बोले। और औरत से सज़ा इस तरह टल सकती है कि वो चार बार अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि यह शख़्स (या'नी उसका शौहर) झूठा है और पाँचवीं बार यह कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो (या'नी शौहर) सच्चा है (और औरत झूठी है)।'

(सूरह नूर : 6-9)

ज़िना एक कबीरा गुनाह (महापाप) है, जिसकी सज़ा बड़ी सख़्त है। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करे तो उसकी सज़ा यह है कि उसे लोगों की एक जमाअत के सामने संगसार कर दिया जाए या'नी उसे पत्थर मार—मारकर हलाक़ कर दिया जाए। अगर कोई ग़ैर—शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करे तो उनकी सज़ा यह है कि उन पर सौ—सौ कोड़े लगाए जाएं। क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माता है,

'बदकार औरत और बदकार मर्द दोनों में से हर एक को सौ कोड़े मारो और अल्लाह के दीन के मामले में तुमको उन पर तरस न आए, अगर तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो। और उनको सज़ा देते वक़्त ईमानवालों का एक गिरोह मौजूद हो।' (सूरह नूर : 2)

अल्लाह के रसूल (ﷺ) के दौर में ज़िना चाहे शादीशुदा मर्द या औरत ने किया हो या कुँआरे मर्द या औरत ने; ज़िना की सज़ा दो ही सूरतों में दी जाती थी,

01. ज़ानी मर्द या औरत ख़ुद आकर इक़रार कर लेते थे कि उनसे यह गुनाह सरज़द हो गया है और उन्हें सज़ा देकर पाक कर दिया जाए। ज़्यादातर मामलों में यही सूरत नज़र आती है।
02. ज़िना करते हुए किसी मर्द—औरत को चार मोमिन लोगों ने देखा होता और वे उनके ख़िलाफ़ गवाही देते तो उनकी गवाही के आधार पर सज़ा दी जाती। लेकिन ऐसा तब ही मुमकिन होता था जब ज़ानी बेशर्मी के साथ किसी ऐसी जगह पर बदकारी करते जहाँ लोगों की नज़र पड़ जाती थी। ये तो साफ़ ज़ाहिर है कि बन्द कमरे में

किये गये ज़िना के लिये चार ऐसे चश्मदीद गवाह लाना, जिन्होंने किसी मर्द–औरत को इस तरह देखा हो जिस तरह सूई के अन्दर डोरा हो, बहुत ही मुश्किल काम था और आज भी है।

अगर कोई औरत, ग़ैर–मर्द के साथ अपने घर में या किसी और जगह पर ज़िना की मुर्तकिब हो और उसका शौहर उसे ग़ैर–मर्द के साथ इख़्तिलात की हालत में पाए तो यह बड़ी बेहूदगी की बात होगी कि वो बाहर जाकर चार मोमिन लोगों को बुलाकर लाए और उन्हें चश्मदीद गवाह बनाए। बाद में अगर बीवी से इस्लामी अ़दालत या शूरा उसके गुनाह की बाबत पूछताछ करे और वो औरत ज़िना का ए'तिराफ़ (स्वीकार) नहीं करे तो चार गवाह न होने के कारण उसे सज़ा भी नहीं दी जा सकती। लेकिन मर्द की ग़ैरत इस बात के लिये गवारा नहीं करती कि वो उस औरत को आइन्दा अपने घर में बीवी बनाकर रखे। यह पहली सूरत है जिसमें औरत गुनाहगार है लेकिन वो इक़रार नहीं करती तो लिआ़न कराना वाजिब हो जाता है।

अगर कोई शख़्स किसी औरत को ग़ैर–मर्द के साथ इख़्तिलात की हालत में देखे और यह समझे कि वो औरत उसकी बीवी ही है लेकिन ग़ैरत की वजह से उस वक़्त उस औरत के बारे में तस्दीक न करे और वहाँ से चला जाए। जब बीवी से पूछा जाए तो वो ज़िनाकारी से इन्कार कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि जिस औरत को वो आदमी अपनी बीवी ख़याल कर रहा हो वो उसकी बीवी से मिलती–जुलती शक्ल की कोई और औरत हो। यह दूसरी सूरत है जिसमें औरत का गुनाहगार होना षाबित नहीं है लेकिन मर्द के मन में वहम घर कर गया है और वो अपनी बीवी को अपने साथ रखना नहीं चाहता, ऐसी सूरत में भी लिआ़न ही कराया जाता है।

लिआ़न से मुताल्लिक़ चन्द अहम बातें :–

01. शौहर व बीवी के बीच लिआ़न कराने के बाद उनके बीच हमेशा के लिये जुदाई हो जाती है। अब वो किसी भी सूरत में दोबारा आपस में निकाह नहीं कर सकते।
02. जिस मर्द व औरत के बीच लिआ़न का मुआमला पेश आया है, उस औरत को ज़ानी नहीं कहा जाएगा क्योंकि न तो मुल्ज़िमा ने ज़िना का ए'तिराफ़ किया है और न उसके ख़िलाफ़ चार मोमिन गवाहों की गवाही मौजूद है।
03. अगर औरत हमल से है या उसके बच्चा पैदा हो चुका हो और उसका लिआ़न करने वाला शौहर उस बच्चे को अपना बच्चा मानने से इन्कार कर रहा हो तो बच्चा माँ की ओर मन्सूब किया जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में उस बच्चे को नाजायज़ औलाद नहीं कहा जाएगा।

****

952. ह़दीषे सहल बिन सअ़द साएदी (रज़ि.) : ह़ज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि, ह़ज़रत आ़सिम बिन अ़दी अन्सारी (रज़ि.) के पास ह़ज़रत उ़वैमर अ़जलानी (रज़ि.) आए और कहा, ऐ आ़सिम (रज़ि.)! मुझे बताओ कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे शख़्स को देखे तो क्या उसे क़त्ल कर दे जिसके बाद तुम लोग क़िसास़ में उसको क़त्ल कर दो? या वो क्या करे? ऐ आ़सिम (रज़ि.)! आप यह मसला मेरे लिये नबी करीम (ﷺ) से पूछिए। चुनाँचे ह़ज़रत आ़सिम (रज़ि.) ने यह मसला नबी करीम (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने उन सवालात को, जो उस सिलसिले में पूछे गए बुरा और मअ़यूब गरदाना (शर्मनाक) यहाँ तक उसके बारे में जो कुछ आ़सिम (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से सुना वो उन पर शाक़ गुज़रा।

चुनाँचे जब आ़सिम (रज़ि.) घर लौटकर आए और उ़वैमर (रज़ि.) ने आकर पूछा कि ऐ आ़सिम (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क्या इर्शाद फ़र्माया, तो आ़सिम (रज़ि.) ने जवाब दिया, तुम मेरे पास कोई भलाई लेकर नहीं आए थे। नबी करीम (ﷺ) ने उस सवाल को जो आप (ﷺ) से मैंने पूछा था नापसंद फ़र्माया। यह सुनकर उ़वैमर (रज़ि.) कहने लगे कि अल्लाह की क़सम! मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में ज़रूर पूछकर रहूँगा! चुनाँचे उ़वैमर (रज़ि.)

यह कहकर चल पड़े और नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे, जबकि आप (ﷺ) लोगों के बीच तशरीफ़ फ़र्मा थे और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे बताइये कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे शख़्स को (मह्वे इख़्तिलात् या'नी सम्भोगरत) देखे तो क्या करे? क्या उसे क़त्ल कर दे? अगर क़त्ल करता है तो क़ानून उसे क़िसास में क़त्ल करा देगा। तो फिर ऐसी सूरत में वो क्या करे? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बारे में हुक्म नाज़िल फ़र्मा दिया है, लिहाज़ा जाओ और उसे अपने साथ लेकर यहाँ आओ।

हज़रत सुहैल (रज़ि.) बयान करते हैं कि (वो दोनों हाज़िर हुए और) उन्होंने आपस में लिआन किया। मैं उस वक़्त सब लोगों के साथ नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था, फिर जब यह दोनों लिआन से फ़ारिग़ हुए तो उवैमर (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अब अगर मैं इसे अपनी बीवी बनाकर रखता हूँ तो इसके मअ़नी यह होंगे कि मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, चुनाँचे उन्होंने इससे पहले ही कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कोई हुक्म देते अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 4)**

---

953. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने लिआन करने वालों से फ़र्माया, तुम दोनों का हिसाब अब अल्लाह के सुपुर्द है तुममें से एक झूठा है (फिर आप ﷺ ने शौहर से फ़र्माया), अब तुझे इस औरत पर किसी क़िस्म का इख़्तियार नहीं है। उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा माल? फ़र्माया, तेरा अब कोई माल नहीं है, तूने अगर इल्ज़ाम लगाया अगर तू उसमे सच्चा है तो जो माल तूने दिया था वो बदला है इस बात का कि वो औरत तुझ पर हलाल हो गई थी और तू उससे फ़ायदा उठाता रहा है और अगर तूने झूठा इल्ज़ाम लगाया था तो तुझे उस माल का और भी हक़ नहीं पहुँचता और उस माल पर तेरे मुक़ाबले में उस औरत का हक़ ज़्यादा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 53)**

---

954. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स और उसकी बीवी के बारे में लिआन करवाया तो मर्द ने बच्चे से इंकार कर दिया फिर आप (ﷺ) ने उन दोनों में तफ़रीक़ (जुदाई) करा दी और बच्चे को माँ की तरफ़ मनसूब कर दिया।

(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 35)

---

955. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के सामने लिआन का ज़िक्र किया गया तो आसिम बिन अदी (रज़ि.) ने इस बारे में कुछ बातें कीं फिर वो चले गए। इसके बाद उनके पास उनके क़बीले का एक शख़्स आया और शिकायत करने लगा कि मैंने अपनी बीवी के साथ एक शख़्स को (नामुनासिब हालत में) देखा है। आसिम (रज़ि.) कहते हैं कि मैं इस बला में अपनी बातों की वजह से मुब्तला हुआ हूँ। चुनाँचे आसिम (रज़ि.) उसे लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उस शख़्स ने आप (ﷺ) को उस मर्द के बारे में बताया, जिसको अपनी बीवी के साथ देखा था। यह शख़्स (मुद्दई) ज़र्द रंग का पतला–दुबला और सीधे बालों वाला था और जिस पर उसने यह इल्ज़ाम लगाया था कि उसे अपनी बीवी के साथ देखा है वो पुरगोश्त पिण्डलियों वाला गंदुमी रंग और भरे हुए जिस्म का था। लिहाज़ा नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! हक़ीक़ते हाल वाज़ेह कर दे! चुनाँचे जब उस औरत के बच्चा हुआ तो वो उस शख़्स से मुशाबेह था, जिस पर उस औरत के शौहर ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसे मैंने अपनी बीवी के साथ देखा है। फिर नबी करीम (ﷺ) ने इन दोनों के बीच लिआन करवाया।

एक शख़्स़ ने जो मज्लिस में मौजूद था, ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से पूछा, क्या यह वही औ़रत थी जिसके बारे में नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया था कि अगर मैं गवाहों के बग़ैर किसी को संगसार करता तो उस औ़रत को करता? तो ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि नहीं! वो दूसरी औ़रत थी जो इस्लामी दौर में भी ऐ़लानिया बदकारी करती थी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 31)**

---

956. ह़दीषे मुग़ीरह बिन शुअ़बा (रज़ि.) : ह़ज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) ने कहा, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी ग़ैर मर्द को देखूँ तो उसे किसी ह़ालत में मुआ़फ़ न करूँ, और ज़रूर तलवार से क़त्ल कर दूँ। ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) के इस क़ौल की ख़बर नबी करीम (ﷺ) को हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम सअ़द (रज़ि.) की ग़ैरत पर तअ़ज्जुब करते हो? अल्लाह की क़सम! मैं उससे कहीं ज़्यादा ग़ैरतमंद हूँ और अल्लाह की क़सम! अल्लाह मुझसे भी कहीं ज़्यादा ग़ैरतमंद है और यह अल्लाह की ग़ैरत ही है जिसकी वजह से उसने बेह़याई की तमाम क़िस्मों को खुली हो या छुपी हुई ह़राम क़रार दे दिया है और किसी शख़्स़ को अल्लाह से ज़्यादा उ़ज्र पसंद नहीं इसी वजह से उसने (अपने रसूलों को) बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा (ताकि गुनाहगार सज़ा से पहले उ़ज्र मआ़ज़रत और तौबा कर लें) और किसी शख़्स़ को अल्लाह से ज़्यादा मदह़ पसंद नहीं है इसीलिये उसने (अपनी ह़म्दो ष़ना करने वालों के लिये) जन्नत का वादा फ़र्माया है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तौहीद बाब 20)

---

957. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स़ नबी करीम (ﷺ) के पास आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है जिसका रंग स्याह (काला) है (जबकि मेरा रंग स्याह नहीं है)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हारे पास ऊँटों का रेवड़ है? उसने कहा, हाँ है। फ़र्माया, उनके रंग क्या-क्या हैं? अ़र्ज़ किया, सुर्ख़ रंग के हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या उनमें कोई ख़ाकी रंग का भी है? उसने कहा, हाँ ख़ाकी भी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर यह ख़ाकी रंग का कहाँ से आ गया? कहने लगा, मुम्किन है कि उसमें उसके आबा व अजदाद (पूर्वजों) में से किसी का रंग आ गया हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो हो सकता है कि तुम्हारे इस बेटे ने भी अपने आबा व अजदाद में से किसी का रंग ले लिया हो!

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 26)

किताबुल इत्क़

958. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुश्तरका मिल्कियत (संयुक्त स्वामित्व) वाले गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद करे तो अगर उसके पास इतना माल हो जिससे गुलाम की बक़िया क़ीमत अदा हो सके तो गुलाम की दस्तूरी क़ीमत लगाकर दूसरे शरीकों को उनके हिस्से की रक़म उसके माल में से अदा कर दी जाएगी और पूरा गुलाम उसी की तरफ़ से आज़ाद होगा, वरना जितना हिस्सा उसने आज़ाद किया है उस गुलाम का उसी क़दर हिस्सा आज़ाद होगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 4)

बाब 1 : गुलाम मेहनत मज़दूरी करके अपनी क़ीमत अदा करे

959. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद करे तो उस पर लाज़िम है कि अपने माल से ही उसकी ख़ुलासी करवाए (पूरा आज़ाद करा दे), लेकिन अगर उसके पास माल न हो तो गुलाम की वाजिब क़ीमत लगाई जाए और गुलाम मेहनत-मज़दूरी करके बाक़ी की क़ीमत ख़ुद अदा करके आज़ाद हो जाए मगर इस सिलसिले में उसको मजबूर नहीं किया जाएगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुश्शिर्क: बाब 5)

बाब 2 : 'विला' उसी के लिये है जो आज़ाद करे

960. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि बरीरह (रज़ि.) ने आकर मुझसे अपनी 'मुक़ातबत' में मदद माँगी क्योंकि उस वक़्त वो अपनी किताबत की मुक़र्ररह रक़म में से कुछ अदा न कर सकी थीं, तो उनसे मैंने कहा कि अपने मालिकों से बात करो अगर वो यह पसंद करते हैं कि मैं तुम्हारी मुक़ातबत की रक़म अदा कर दूँ, तो मैं इसके लिये तैयार हूँ बशर्ते कि वो यह तस्लीम करें कि तुम्हारा 'विला' मेरे लिये होगा। चुनाँचे बरीरह (रज़ि.) ने इस बात का ज़िक्र अपने मालिकों से किया लेकिन वो न माने और कहने लगे कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) अगर षवाब की ख़ातिर तुम्हारी मुक़ातबत करना चाहती है तो कर दे लेकिन विला हमारा होगा, फिर इसका ज़िक्र मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम ख़रीद कर आज़ाद कर दो और विला बहरहाल उसी का होगा जो आज़ाद करेगा।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि फिर नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हुए और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों को क्या हो गया है? ऐसी शर्तें लगाते हैं जो अल्लाह तआला की किताब में नहीं हैं चुनाँचे जो

शख़्स कोई ऐसी शर्त लगाए जो किताबुल्लाह में नहीं है वो लग़्व और ग़ैर मुवष्षिर (बेकार और बेअषर/अप्रभावी) होगी, ख़्वाह वो ऐसी सौ शर्तें लगाए। वही शर्त दुरुस्त और मुहकम (मज़बूत/दृढ़) है जिसकी इजाज़त अल्लाह तआला ने दी है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मुकातिब बाब 2)**

नोट : जब किसी गुलाम और मालिक के बीच यह मुआहदा (एग्रीमेण्ट) हो जाए कि गुलाम मेहनत–मज़दूरी करके इतनी तयशुदा रक़म अदा कर देगा तो वो आज़ाद हो जाएगा, इसको किताबत या मुक़ातबत कहते हैं। मालिक व गुलाम दोनों मुकातिब कहलाते हैं। विला का लफ़्ज़ी मअना है दोस्ती, मदद, मुहब्बत और क़राबतदारी वग़ैरह। लेकिन इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल ख़ास तौर पर गुलाम आज़ाद कराने वाले शख़्स के साथ होता है। विला एक शरई तौर पर क़ानूनी हक़ है जो उस शख़्स को मिलता है जो कोई गुलाम आज़ाद करे। वो हक़ ये है कि आज़ाद करने वाला शख़्स उस गुलाम की विराषत में असबा (वारिष) क़रार पाता है।

---

961. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि बरीरह (रज़ि.) की वजह से तीन क़ानून दरयाफ़्त किये गए, उनमें से एक यह था कि जब वो आज़ाद हुई तो उन्हें अपने निकाह को बाक़ी रखने या तोड़ देने का हक़ दिया गया, (दूसरे) नबी करीम (ﷺ) ने (उन्हीं के मुआमले में) फ़र्माया, विला उसके लिये है जो गुलाम आज़ाद करे (तीसरा) नबी करीम (ﷺ) जब मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो हण्डिया गोश्त से लबालब भरी हुई पक रही थी, लेकिन आप (ﷺ) की ख़िदमत में रोटी और घर का आम (सादा) सालन पेश किया गया, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या मैं नहीं देख रहा हूँ कि हण्डिया में गोश्त मौजूद है? कहा, वो ~~ है, लेकिन सदक़े का है, जो हज़रत बरीरह (रज़ि.) को किसी ने दिया था और आप (ﷺ) सदक़ा नहीं खाते। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो उस (बरीरह रज़ि.) के लिये सदक़ा था, लेकिन अब (जब उसकी तरफ़ से हमें मिलेगा तो) हमारे लिये हदया होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तलाक़ बाब 14)**

नोट : इस हदीष से यह मसला निकलता है कि अगर कोई शख़्स ज़कात–ख़ैरात का मुस्तहिक़ हो और उसे कहीं से सदक़े की चीज़ मिले और वो अगर उसमें से किसी ऐसे शख़्स को पेश करे जो साहिबे–माल हो तो वो उसकी तरफ़ से मालदार शख़्स को हदया होगा। मालदार शख़्स जो ख़ुद सीधे तौर पर ज़कात या सदक़े का माल नहीं ले सकता लेकिन वो ऐसे किसी मिस्कीन के घर का खाना खा सकता है।

बाब 3 : 'विला' को बेचने और हिबा करने की मुमानअत

962. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने विला के बेचने और हिबा करने से मना फ़र्माया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब)**

बाब 4 : आज़ाद करने वाले के अलावा किसी दूसरे शख़्स को मौला बनाना हराम है

963. हदीषे अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) ने पकी ईंटों से बने हुए मिम्बर पर खड़े होकर ख़ुत्बा दिया और आपके पास एक तलवार थी जिसके साथ एक सहीफ़ा लटका हुआ था। हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! हमारे पास किताबुल्लाह (क़ुर्आन) के सिवा कोई और किताब नहीं है जो पढ़ी जाती हो या फिर यह सहीफ़े हैं। फिर आपने उस सहीफ़े को खोला तो उसमें ऊँट की उम्रों का ज़िक्र था (या'नी दियत और ज़कात में अदा किए जाने वाले ऊँटों की उम्रों और ता'दाद का तनासुब/अनुपात मज़कूर था) नीज़ उस सहीफ़े में लिखा हुआ था कि हरमे मदीना की हद जबले ईर से फ़लाँ मुक़ाम तक है। लिहाज़ा इसमें जो कोई शख़्स नई बात (बिदअत

या दस्तदराज़ी) करेगा तो उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और सब इंसानों की लअ़नत। अल्लाह तआ़ला न उसकी फ़र्ज़ इबादत कुबूल करेगा और न नफ़्ली इबादत। और उसमें यह भी दर्ज था, और मुसलमानों में पासे अ़हद और अमन देने की ज़िम्मेदारी सबकी मुश्तरका (संयुक्त) ज़िम्मेदारी है। अगर कोई अदना मुसलमान भी किसी ग़ैर–मुस्लिम को अमान देगा तो उसका भी ऐतबार किया जाएगा। चुनाँचे अगर कोई शख़्स किसी मुसलमान के अ़हदो अमान को तोड़ेगा तो उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लअ़नत! न उसकी फ़र्ज़ इबादत अल्लाह तआ़ला कुबूल फ़र्माएगा और न नफ़्ली इबादत। और सहीफ़े में यह भी लिखा था कि जो शख़्स किसी क़ौम से अपने आक़ाओं के इजाज़त के बग़ैर मुआहिद–ए–मुवालात करेगा उस पर भी अल्लाह, फ़रिश्तों और सब इंसानों की लअ़नत, उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत और नफ़्ली इबादत अल्लाह तआ़ला कुबूल न फ़र्माएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिसाम बाब 5)**

बाब 5 : गुलाम आज़ाद करने का षवाब और फ़ज़ीलत

964. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी मुसलमान (मर्द या औरत) गुलाम को आज़ाद करेगा अल्लाह तआ़ला उसके हर–हर हिस्से के बदले आज़ाद करने वाले के एक–एक हिस्से को जहन्नम से छुटकारा देगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अ़तक़ बाब 1)

किताबुल बुयूअ़

बाब 1 : बैअ़े मुलामसा और मुनाबज़ा बातिल है

965. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने बैअ़े मुलामसा और बैअ़-ए-मुनाबज़ा से मना फ़र्माया है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 63)**

नोट : बैअ़-ए-मुलामसा से मुराद वो सौदा है जिसमें ख़रीदने वाला, बेचने वाले से कहे कि अगर मैंने तुम्हारे कपड़े को छू लिया या तुमने मेरे कपड़े को छू लिया तो सौदा पक्का हो गया। कुछ फ़ुक़हा के नज़दीक बैअ़-ए-मुलामसा की सूरत ये होती है कि बेचे जाने वाले सामान को कपड़े के ऊपर से छूकर देखा जाए, कपड़ा उघाड़कर उस पर नज़र न डाली जाए और सौदा पक्का कर लिया जाए। बैअ़-ए-मुनाबज़ा से मुराद वो सौदा है जिसमें ज़बान से ख़रीदा या बेचा के अल्फ़ाज़ कहने के बजाय महज़ चीज़ों को उठाकर ख़रीदार की तरफ़ फैंक दिया जाए और सौदा पक्का कर लिया जाए। नबी करीम (ﷺ) के मना करने का मतलब यह है कि ऐसी ख़रीद-फ़रोख़्त करना हराम है। सौदा साफ़-सुथरे तरीक़े से किया जाए और ज़बरदस्ती ख़रीदार के गले न डाला जाए। सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की तिजारत में धोखे का अन्देशा रहता है और इस्लाम किसी भी सूरत में धोखेबाज़ी को पसन्द नहीं करता।

---

966. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि दो रोज़ों से और दो क़िस्मों के लेन-देन से मना किया जाता था (या'नी नबी करीम ﷺ के ज़माने में)। पहली चीज़ (जिन दिनों रोज़े रखने से मना किया जाता था वे दिन) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन थे और दूसरी चीज़ लेन-देन मुलामसा और मुनाबज़ा की। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्सौम बाब 67)**

---

967. ह़दीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने दो तरह़ के पहनावों से मना फ़र्माया है और लेन-देन में बैअ़-ए-मुलामसा और बैअ़-ए-मुनाबज़ा से मना फ़र्माया है। बैअ़े मुलामसा यह है कि एक शख़्स़ दूसरे शख़्स़ का कपड़ा रात के वक़्त या दिन के वक़्त अपने हाथ से छुए और कपड़े को छूकर सिर्फ़ बैअ़ की ग़र्ज़ से उलटाए और बैअ़-ए-मुनाबज़ा यह है कि एक शख़्स़ दूसरे की तरफ़ अपना कपड़ा फेंक दे और दूसरा अपना कपड़ा उसकी तरफ़ फेंक दे और (ज़ुबान से कुछ न कहें) बस यही उनकी बैअ़ हो बग़ैर देखे और बग़ैर रज़ामन्दी के और दो पहनावे जिससे मना किया है उनमें से एक 'इश्तिमाले स़माअ' है या'नी कपड़ा इस तरह़ ओढ़े कि एक कँधा खुला हो और दूसरे कँधे पर कपड़ा हो, और दूसरा पहनावा जिससे आप (ﷺ) ने मना फ़र्माया यह है कि एक कपड़ा लपेटकर इस तरह़ बैठा जाए कि अगली जानिब से शर्मगाह खुली रहे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 20)**

बाब 3 : पेट के बच्चे का बच्चा बेचना हराम है

967. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने 'हबलुल हब्ला' को बेचने से मना फ़र्माया है। ये बैअ ज़मान–ए–जाहिलियत में बहुत ज़्यादा आम थी उसकी सूरत यह थी कि एक शख़्स वो बच्चा ख़रीद लिया करता था जो हामिला ऊँटनी के पेट में मौजूद बच्चा जवान होने पर हामिला होगा और बच्चा जनेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 61)**

नोट : हब्लुल हब्ला से मुराद यह है कि कोई ऊँटनी मादा बच्चा जने और वो जवान होकर हामला हो और बच्चा जने, उसका सौदा किया जाए। इमाम शाफ़ई ने हब्लुल हब्ला से यही ताबीर मुराद ली है लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल ने इससे यह मुराद ली है कि हामला ऊँटनी के पेट में जो बच्चा हो उसका सौदा किया जाए। बहरहाल दोनों में से कोई भी सूरत हो, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ऐसी ख़रीद–फ़रोख़्त को हराम ठहराया है। इसके हराम होने की वजह यह है कि जो चीज़ अभी वजूद में नहीं आई और सामने हाज़िर नहीं है, उसका सौदा नाजाइज़ है।

बाब 4 : दूसरे शख़्स के सौदे पर सौदा करना या भाव–ताव करना और ख़रीदने के इरादे के बग़ैर ज़ाइद क़ीमत लगाना नीज़ धोखा देने के लिये थनों में दूध रोकना हराम है

969. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी मुसलमान को अपने मुसलमान भाई के सौदे पर सौदा नहीं करना चाहिए।
(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 58)

---

970. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, माल लादकर लाने वाले सवारों से आगे बढ़कर न मिलो, और दूसरे के सौदे पर सौदा न करो, ख़रीददारी के इरादे के बग़ैर किसी बिकाऊ माल की क़ीमत बढ़ाकर न लगाओ; इस ग़र्ज़ से की दूसरा धोखा खा जाए। और शहरी (मुक़ामी) बाहर से माल लाने वाले के माल को (ताकि महंगा बेच सके, इस नीयत से) फ़रोख़्त न करे। और न बकरी के थनों में दूध रोककर मुग़ालता दो, और अगर कोई शख़्स ऐसा जानवर (धोखे में आकर) ख़रीद ले तो दुहने के बाद (अगर धोखा मा'लूम हो तो ख़रीददार को दो सूरतों में से जो अच्छी लगे, अपनाने की इजाज़त दी गई है अगर वो जानवर उसे पसंद आ जाए तो वो रख ले और अगर नापसंद हो तो वापस कर दे और (दूध के बदले में) एक साअ (5 किलो) खजूर दे दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 64)**

---

971. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने नीचे लिखी बातों से मना फ़र्माया है, (एक) यह कि माले तिजारत लाने वाले क़ाफ़िलों से आगे जाकर न मिला जाए, (दूसरे) यह कि मुक़ामी शख़्स गाँव वालों से माल फ़रोख़्त (बेचने के लिये लाया गया माल) ख़रीद ले (ताकि ख़ुद महंगा बेचे), (तीसरे) यह कि निकाह के लिये कोई औरत यह शर्त लगाए कि पहली बीवी को (जो कि औरत और मुसलमान होने के नाते उसकी बहन है) तलाक़ दी जाए, (चौथे) यह है कि कोई शख़्स अपने भाई के सौदे पर सौदा करे, (पांचवीं) यह कि ख़रीदने के इरादे के बग़ैर किसी माल की क़ीमत बढ़ाकर लगा दे ताकि ख़रीददार ज़्यादा देने पर मजबूर हो जाए, (छठे) यह कि जानवर के थनों में दूध रोककर रखा जाए ताकि ख़रीददार ज़्यादा दूध देखकर धोखा खा जाए।
(सहीह बुख़ारी किताबुल शुरूत बाब 11)

नोट : इस हदीष में ज़िन्दगी से जुड़े कुछ अहम मामलात पर रहनुमाई की गई है जो इस तरह से है,

01. जब कोई तिजारती काफिला किसी दूसरे शहर से माल लेकर आए तो उसे मक़ामी शहर की मण्डी तक आने दिया जाए। किसी शख़्स के लिये यह जाइज़ नहीं है कि वो मण्डी में पहुँचने से पहले, बीच रास्ते में उस काफ़िले से जाकर मिले और माल ख़रीदे।

02. जब कोई देहाती अपना माल बेचने के लिये शहर में आए तो उसे ख़ुद माल बेचने दिया जाए। कोई शहरी जमाखोरी करने या महंगा बेचने की नीयत से उससे माल ख़रीद ले, यह हराम है।

03. कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी के होते हुए किसी और औरत से शादी करना चाहे और वो औरत ये शर्त लगाए कि पहले वाली बीवी को तलाक़ दो तो मैं शादी करूंगी, ऐसी शर्त लगाना हराम है।

04. अगर किसी शख़्स का किसी दुकान पर सौदा चल रहा हो तो उस पर न गिरा जाए या'नी उससे ज़्यादा रक़म ऑफर करके सौदे को न बिगाड़ा जाए।

05. जो माल ख़रीदना न हो उसकी क़ीमत हक़ीक़ी ख़रीदार से बढ़ाकर न लगाई जाए क्योंकि ऐसा करने से उस शख़्स को जिसे वाक़ई माल ख़रीदना है, ज़्यादा क़ीमत चुकानी पड़ेगी।

06. दूध देने वाले जानवर के थनों में दूध रोककर रखा जाए या'नी दुहने के वक़्त दुहा न जाए ताकि जब कोई ख़रीदार उस जानवर को खरीदने के लिये आए तो उसके भारी थन देखकर धोखा खा जाए और ज़्यादा क़ीमत दे बैठे।

बाब 5 : तिजारती क़ाफ़िलों से बैरूने शहर जाकर माल ख़रीद लेना हराम है

972. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जो शख़्स ऐसी बकरी ख़रीद ले जिसका दूध न दुहने की वजह से ज़ाइद दिखाया गया हो और वो उसे वापस करना चाहे तो उसके साथ एक साअ (खजूर) भी दे और यह कि नबी करीम (ﷺ) ने शहर से बाहर जाकर और आगे बढ़कर सामाने तिजारत ख़रीदने से मना फ़र्माया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 64)**

बाब 6 : मुक़ामी (शहरी) के लिये देहाती का माल फ़रोख़्त करना हराम है

973. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (माल लेकर आने वाले) सवारों से आगे जाकर न मिलो (इस ग़र्ज़ से कि उनसे सस्ती क़ीमत पर ख़रीद कर महंगा बेच सकें) और बस्ती का रहनेवाला (बाहर से माल लेकर आने वाले) देहाती का माल न ख़रीदे। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा कि, 'बस्ती वाला देहाती के लिये न बेचे' से क्या मुराद है? आपने कहा, इससे मुराद यह है कि दलाल न बने। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 68)**

---

974. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमको इससे मना कर दिया गया था कि कोई भी मुक़ामी शख़्स किसी बाहर से आने वाले का माल फ़रोख़्त करे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 34)

नोट : ऊपर बयान की गई इन अहादीष से दलाली और आढ़त की हुर्मत (मनाही) षाबित होती है। इस सिलसिले में इमाम शाफ़ई और उलम–ए–सलफ़िया का मसलक यही है कि अगर कोई शख़्स बाहर से माल लाने वाले का माल महंगा बेचने की ग़रज़ से अपने पास रखेगा तो वो हराम का मुर्तकिब होगा; लेकिन अगर उस माल की उस वक़्त शहरवालों को ज़रूरत न हो तो ऐसा माल ख़रीदकर रख लेना और जब ज़रूरत पैदा हो तब बेच देना हराम नहीं हैं। वल्लाहु अअलम!

बाब 8 : ख़रीदी हुई चीज़ को क़ब्ज़े में लेने से पहले दूसरे के हाथ बेचना जाइज़ नहीं

975. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो मुमानअत फ़र्माई है वो ग़ल्ले और अनाज के बारे में है कि उनको क़ब्ज़े में लेने से पहले आगे न बेचा जाए। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का ख़याल है कि इस हुक्म का इतलाक़ इसी क़िस्म की चीज़ों पर होगा तमाम चीज़ों पर नहीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 55)

---

976. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अनाज या ग़ल्ला ख़रीदे वो उसे दूसरे के हाथ उस वक़्त तक न बेचे जब तक कि उस पर क़ब्ज़ा न कर ले।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 51)

नोट : इमाम शाफ़ई (रह.) के नज़दीक अनाज ही की ख़ुसूसियत नहीं है बल्कि हर मन्क़ूला (या'नी हदीष में वर्णित) और ग़ैर–मन्क़ूला (अवर्णित) चीज़ें क़ब्ज़े में लेने से पहले दोबारा बेचना जाइज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ज़मीन, मकान या बाग़ वग़ैरह या'नी ग़ैर–मन्क़ूला चीज़ें क़ब्ज़े में लेने से पहले बेचना जाइज़ है और अक्षर उलमा इसी राय पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं।

---

977. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि लोग ग़ल्ला बालाई मण्डी में ख़रीदा करते थे और फिर उसे उसी जगह बेच दिया करते थे, उनको नबी करीम (ﷺ) ने मना फ़र्माया कि ग़ल्ले को उसी जगह न बेचा करें बल्कि वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाएँ और फिर बेचें।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 72)

नोट : अफ़सोस की बात यह है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने जिस बात से मना फ़र्माया है, उसी हराम दर्जे के सौदे में उम्मते–मुस्लिमा के ताजिर और मालदार लोग मुलव्विस (लिप्त) हैं। बहुत से व्यापारी और मालदार लोग रक़म इन्वेस्ट करके मण्डी की किसी दुकान में पड़ा माल ख़रीद लेते हैं और वो माल वहीं पड़ा रहता है। फिर बाद में जब माल के भाव बढ़ जाते हैं तो उसी दुकान (आढ़त या पेढ़ी) पर माल बेच देते हैं। या'नी ख़रीदा हुए माल की जगह तब्दील नहीं होती और माल दोबारा बिक जाता है।

बाब 10 : बायेअ और मुश्तरी (ख़रीदने वाला और बेचने वाला) जब तक मजलिसे बैअ में हों उन्हें सौदा बाक़ी रखने या तोड़ने का हक़ है

978. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीदने और बेचने वाले दोनों को सौदा बाक़ी रखने का इख़्तियार होता है जब तक कि वो दोनों उसी मजलिस में हों जहाँ सौदा हुआ है, सिवाय उस सूरत के जिसमें इख़्तियार की शर्त लगा दी गई हो (शर्त की सूरत में इख़्तियार शर्त के मुताबिक़ क़ायम रहता है)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 44)

---

979. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीददार और बेचने वाले को सौदा क़ायम रखने या तोड़ने का हक़ उस वक़्त तक रहता है जब तक वो उसी मजलिस में इकट्ठे मौजूद हों, जहाँ सौदा हुआ है या फिर दोनों एक–दूसरे को सौदा रखने या मंसूख़ (रद्द) करने का इख़्तियार दे दें, और इसके बाद दोनों बैअ को नाफ़िज़ करने पर रज़ामंद हो जाएँ तो भी सौदा मुकम्मल और लाज़िम हो जाएगा।

और अगर सौदा करने के बाद जुदा हो गए और जुदा होते वक़्त किसी ने सौदे को तर्क करने (छोड़ने) की बात नहीं की तो भी सौदा पक्का हो गया (और इख़्तियार ख़त्म हो गया)। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 45)**

बाब 11 : कारोबार में सच बोलने और सच्ची बात कहने का बयान

981. ह़दीषे ह़कीम बिन ह़िज़ाम (रज़ि.) : ह़ज़रत ह़कीम (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों को (सौदा रद्द करने या क़ायम करने का) इख़्तियार हासिल है जब तक कि वो एक–दूसरे से जुदा न हो जाएं या आप (ﷺ) ने यह फ़र्माया कि यहाँ तक कि दोनों जुदा न हो जाएं। अब अगर उन दोनों ने कारोबार करते वक़्त सच बोला है और स़ाफ़–स़ाफ़ हर बात एक–दूसरे को बताई है तो उन दोनों के लिये कारोबार में बरकत होगी और अगर एक–दूसरे से कुछ छुपाया है और झूठ बोला है तो उनके कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाएगी। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 1)**

नोट : या'नी अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उस सौदे को बरकत वाला बताया है जिसमें दोनों फ़रीक़ सही–सही बात करके सौदा पक्का करें। जो सौदा झूठ और फरेब की बुनियाद पर किया जाए उसमें बरकत नहीं होती।

---

981. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से एक शख़्स़ का ज़िक्र किया गया जिसे लोग कारोबार में धोखा दे देते थे, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (उसे कहा जाए कि) जब तुम कुछ ख़रीदो या बेचो तो कह दिया करो **'ला ख़लाबत'** फ़रेब नहीं!

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 48)

नोट : या'नी सीधे–साधे क़िस्म के इन्सान को यह इख़्तियार दिया गया है कि जब वो कोई चीज़ ख़रीदे या बेचे तो वो कह दे कि मुझसे धोखा न करना। अगर धोखा करोगे तो सौदा रद्द कर दिया जाएगा।

बाब 13 : फलों को क़ाबिले इस्तिफ़ादा (लाभ उठाने लायक़) होने से पहले दरख़्त पर फ़रोख़्त करना (बेचना) मना है, अगर काटने की शर्त न की गई हो

982. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फलों को बेचने से मना फ़र्माया है जब तक कि उनका क़ाबिले इस्तिफ़ादा पूरी त़रह़ वाज़ेह न हो जाए और आप (ﷺ) ने दोनों या'नी ख़रीदने वाले को (ख़रीदने से) और बेचने वाले को (बेचने से) मना फ़र्माया है।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 85)

नोट : जब तक पेड़ पर फल न लग जाएं और वो पकने के क़रीब न हों, तब तक उनका सौदा करना मना है क्योंकि हो सकता है कि जिन फलों का सौदा किया जा रहा हो वो फल आए ही नहीं और उसके पहले ही पेड़ बर्बाद हो जाए या उस पर कोई बीमारी लग जाए।

---

983. ह़दीषे जाबिर (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फलों को उस वक़्त तक बेचने से मना फ़र्माया है जब तक उनकी पुख़्तगी ज़ाहिर न हो जाएँ और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उनमें से कोई चीज़ न बेची जाए, मगर दिरहमो–दीनार के ऐवज़ (या'नी नक़द बेची जाए) अलबत्ता अ़राया की सूरत में (बग़ैर नक़द के भी बेचना जाइज़ है)। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 83)**

नोट : हदीष का मफ़हूम (भावार्थ) यह है कि नबी करीम (ﷺ) ने पेड़ पर लगी हुई ताज़ी खजूरों को सूखी खजूरों के बदले बेचने से मना फ़र्माया था। अगर ताज़ी खजूर बेची जाए तो वो नक़द रक़म के बदले बेची जाए न कि माल के बदले माल। लेकिन आप (ﷺ) ने अराया की सूरत में रुख़्सत (छूट) अता फ़र्मा दी थी। अराया को इस मिषाल से समझें; किसी ग़रीब आदमी के पास दो–चार फलदार पेड़ हों, जिन पर ताज़ा फल लगे हुए हों, लेकिन उस ग़रीब के पास खाने के लिये कुछ नहीं है। पेड़ के फल पकने में कुछ वक़्त लगेगा और उसके पास नक़द रक़म नहीं है कि उसके बदले सूखी खजूरें या फल खरीद सके। ऐसी सूरत में वो ग़रीब अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ वो ताज़ा फल किसी और के हाथ सूखे फलों के बदले में बेच दे। ये सूरत ग़रीबों के लिये जाइज़ रखी गई थी क्योंकि उनके पास सूखे व पके हुए फल खरीदने के लिये नक़द पैसा नहीं होता। अराया वालों को आप (ﷺ) ने यह इजाज़त दी थी कि वो अपनी पेड़ पर लगी हुई खजूरों को अन्दाज़े से सूखी खजूरों के बदले में बेच दें।

---

984. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने खजूर को उस वक़्त तक बेचने से मना फ़र्माया है जब तक कि वो पूरी तरह से खाने के क़ाबिल न हो जाएँ या वज़न न की जा सके, पूछा गया कि वज़न किये जाने से क्या मुराद है? तो एक शख़्स ने (जो मजलिस में मौजूद था) कहा या'नी जब तक ज़ख़ीरा करने के क़ाबिल न हो जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सिल्म बाब 4)**

बाब 14 : तर (गीली) खजूरों को ख़ुश्क (सूखी) खजूरों के बदले बेचना हराम है सिवाय 'अराया' के

985. हदीषे ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि जनाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अराया वालों को इजाज़त दे दी थी कि वो अपनी (दरख़्त पर लगी हुई) खजूरों को अंदाज़े से ख़ुश्क खजूरों के बदले में बेच दें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 82)**

---

986. हदीषे सहल बिन अबी हष्मा (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुश्क खजूरों के बदले में दरख़्त पर लगी हुई (ताज़ा या अधपकी) खजूर को बेचने से मना फ़र्माया है अलबत्ता अराया में इसकी इजाज़त दे दी थी कि अंदाज़े से फ़रोख़्त की जाए ताकि उसका मालिक ताज़ा खजूर खा सके।
(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 83)

---

987. हदीषे राफ़ेअ बिन ख़दीज व सहल बिन अबी हष्मा (रज़ि.) : हज़रत राफ़ेअ और हज़रत सहल (रज़ि.) दोनों बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने 'मुज़ाबना' से या'नी दरख़्त पर लगी हुई ताज़ा खजूर को ख़ुश्क खजूर के बदले में बेचने से मना फ़र्माया है मगर अराया वालों के लिये इसकी इजाज़त दी गई थी।
(सहीह बुख़ारी किताबुल मसाक़ात बाब 17)

नोट : मुज़ाबना सौदे की एक क़िस्म थी जिसमें एक शख़्स के पास फलदार पेड़ का बाग़ है या कुछ फलदार पेड़ हों, पेड़ के फल अभी पूरी तरह पके नहीं हों तो ऐसे फलों का अन्दाज़ लगाकर (मिषाल के तौर पर यह अन्दाज़ा लगाकर कि फलां पेड़ पर 100 किलो खजूर लगी है) उसके बदले पके हुए फल हासिल करना। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इस क़िस्म के सौदे या'नी मुज़ाबना से मना फर्माया है क्योंकि घर या गोदाम में रखे हुए फल तौले जा सकते हैं लेकिन पेड़ पर लगे फलों के सही तौल का अन्दाज़ा लगाना नामुमकिन है। चूँकि आप (ﷺ) का हुक्म है कि अगर चीज़ के बदले चीज़ ली जाए तो बराबर–बराबर लेन–देन होना चाहिये। आपने हदीष नं. 983 में पढ़ा कि अल्लाह

के रसूल (ﷺ) ने स़िर्फ़ ग़रीब लोगों को ऐसा सौदा करने की इजाज़त दी है क्योंकि वे मजबूर हैं।

---

988. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने बैअ़-ए-अ़राया की इजाज़त दी है मगर पाँच वसक़ में या पाँच वसक़ (15 क्विण्टल या इससे) कम में।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 83)

---

989. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने 'मुज़ाबना' से मना फ़र्माया है और मुज़ाबना से मुराद यह है कि खजूर के ताज़ा फ़ल को ख़ुश्क खजूर के बदले में ख़रीदा या बेचा जाए या मुनक़्क़ा के बदले ताज़ा अँगूर ख़रीदा या बेचा जाए। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 75)**

---

990. ह़दीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबिनह से मना फ़र्माया है (और मुज़ाबिनह यह है) कि कोई शख़्स़ अपने बाग़ का फल या'नी अगर ताज़ा खजूर हो तो उसे ख़ुश्क खजूर के बदले नाप के ह़िसाब से बेच दे या अगर ताज़ा अँगूर हो तो उसे ख़ुश्क अँगूर (मुनक़्क़ा) के बदले नाप के ह़िसाब से बेचें या अगर खेती हो तो उसे ग़ल्ले के बदले में नाप के ह़िसाब से बेचें। आप (ﷺ) ने ऐसी तमाम सूरतों से मना फ़र्माया है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 91)**

बाब 15 : अगर कोई शख़्स़ खजूर का ऐसा दरख़्त बेचे जिस पर फल लग चुका हो

991. ह़दीषे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स़ खजूर का दरख़्त ताबीर के बाद या'नी फल को बारवर करने के बाद बेचें तो उस दरख़्त का फल ख़रीददार का होगा सिवाय इसके कि बेचने वाला सौदा करते वक़्त (फल न देने की) शर्त लगा दे तो फल बेचने वाले का होगा। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 90)**

नोट : ताबीर से मुराद यह है कि मादा खजूर की बाली चीरकर उसमें नर खजूर की बाली पैवन्द की जाती है (रोपी जाती है) जिससे फल ज़्यादा होता है। अगर कोई शख़्स ऐसा करने के बाद खजूर का पेड़ बेचे तो लगने वाला फल ख़रीदार का होगा। अगर बेचने वाले ने यह शर्त लगाई हो कि इस साल जो फल लगेगा वो मेरा होगा तो उस सूरत में फल पेड़ बेचने वाले को मिलेगा।

बाब 16 : मुह़ाक़ला, मुज़ाबना और मुख़ाबरा की मुमानअ़त; नीज़ फलों का क़ाबिले इस्तिफ़ादा (लाभ उठाने योग्य) होने से पहले बेचना और 'मुआ़वमा' या'नी चंद सालों के फल बेचना मना है

992. ह़दीषे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुख़ाबरा, मुह़ाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़र्माया है, नीज़ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फलों को उस वक़्त तक न बेचा जाए जब तक कि उनका कारआमद पूरी तरह़ वाज़ेह़ (स्पष्ट) न हो जाए और यह कि फल न फ़रोख़्त किए जाएँ मगर दिरहम व दीनार के बदले (या'नी फल के बदले फल न बेचा जाए) सिवाए अ़राया के।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मसाक़ात बाब 17)

नोट : (1) मुहाक़ला का मतलब है खेत के खड़ी फसल को घर में पड़े अनाज के बदले में (अनुमान लगाकर) बेचना। उलमा के नज़दीक मुहाक़ला के मानी में इख़्तिलाफ़ है, कुछ के नज़दीक खेत को गेहूँ के बदले में बेचना है और कुछ के ख़याल में ज़मीन को गेहूँ के बदले में किराये पर देना मुराद है। गोया यह मुज़ारअत की वो क़िस्म है जिसे मुहारषा कहा जाता है। कुछ उलमा ने इसमें और मुख़ाबरा में कुछ फ़र्क़ नहीं किया है या'नी मुक़र्ररा हिस्से या'नी तिहाई या चौथाई के बदले मुज़ारअत करना ही मुहाक़ला है। कुछ ने इसके मानी यह किये हैं कि अनाज को बालियों में ही गेहूँ के बदले बेच दिया जाए और कुछ के नज़दीक मुहाक़ला के मानी खेती को पकने से पहले बेच देना है।

(2) मुज़ाबना का मतलब है खजूर के पेड़ पर लगे गीले व अधपके फलों को सूखी खजूरों के बदले (अन्दाज़े से बेचना)।

(3) मुख़ाबरा एक क़िस्म की मुज़ारअत है जिसमें बीज और मेहनत एक शख़्स की होती है और ज़मीन दूसरे की होती है। या इससे मुराद मुक़र्ररा हिस्से पर मुज़ारअत करना जैसे कि तिहाई या चौथाई हिस्से पर।

(4) मुआवमा का मतलब यह है कि बाग़ का मालिक किसी तयशुदा रक़म के बदले चन्द सालों के फल किसी के हाथ बेच दे। मिषाल के तौर पर कोई शख़्स 5 लाख रुपये लेकर उसके बदले किसी को यह अख़्तियार दे कि आइन्दा पाँच साल तक जितने फल लगेंगे वो तुम्हारे होंगे, ऐसा सौदा मुआवमा कहलाता है जो कि हराम है। इसके हराम होने की वजह यह है कि जो माल हाज़िर नहीं है उसकी क़ीमत लगाई जा रही है और इसकी कोई गारण्टी भी नहीं है कि बाग़ में फल लगेंगे या नहीं।

बाब 17 : ज़मीन किराए पर देने का बयान

993. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हममें से कुछ लोगों के पास फालतू ज़मीनें थीं, जो बेकार पड़ी थीं तो उन्होंने ख़याल किया कि ऐसी ज़मीन को हम षुलुष (तिहाई), रूबुअ (चौथाई) या निस्फ़ (आधी) बटाई पर देंगे। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसके पास ज़मीन हो उसे चाहिये कि उस पर ख़ुद काश्त (खेती) करे या अपने किसी मुसलमान भाई को (बिला मुआवज़ा) काश्त के लिये दे दे और अगर ऐसा न करे तो उसे यूँ हीं रहने दे (या'नी किराया या बटाई पर न दे)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 35)**

---

994. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसके पास ज़मीन हो उसे चाहिए कि ख़ुद काश्त करे या अपने किसी मुसलमान भाई को बिला मुआवज़ा काश्त करने के लिये दे दे और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो ज़मीन को रोके रखे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मुज़ारआ बाब 18)

---

995. हदीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना और मुहाक़ला से मना फ़र्माया है और मुज़ाबना दरख़्त पर लगे हुए खजूर के ताज़ा फल को ख़ुश्क खजूर के बदले बेचने को कहते हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 82)**

---

996. हदीषे इब्ने उमर व राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) : नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में और हज़राते अबूबक्र, उमर व उषमान (रज़ि.) के दौर में और हज़रत मुआविया की इमारत के शुरू दौर में भी अपनी ज़मीन किराए पर देते रहे। फिर हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) के हवाले से यह बात सुनने में आई के जनाबे नबी करीम (ﷺ) ने ज़मीन मुज़ारआ को किराए पर देने से

मना फ़र्माया था, चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) के पास गए और मैं भी आपके साथ गया और उनसे इसके बारे में पूछा, तो हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़मीन मुज़ारओं को किराए पर देने से मना फ़र्माया है। इस पर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, आपको मा'लूम है कि हम नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में अपनी ज़मीनें मुज़ारओं को उस पैदावार के बदले जो छोटी नहरों पर उगे किसी क़दर घास के बदले किराए पर दिया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मुज़ारअत बाब 18)**

नोट : इस हदीष से ब–ज़ाहिर ये मा'लूम होता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) की बात को तस्लीम (स्वीकार) नहीं किया था और पसन्द भी नहीं किया। लेकिन सहीह मुस्लिम में जो रिवायतें ज़िक्र की गई हैं उनमें यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने हज़रत राफ़ेअ से मसला मा'लूम करने के बाद ज़मीन किराये पर देना छोड़ दिया था। अगर कोई उनसे पूछता तो वे यही जवाब देते थे कि हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) के ख़याल के मुताबिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़र्माया था। यहाँ तक कि उनको ये गुमान होने लगा था कि हो सकता है रसूलुल्लाह (ﷺ) बाद में मना फ़र्मा दिया हो। इमाम नववी (रह.) ने इस मसले पर गुफ्तगू करते हुए लिखा है कि ज़मीन किराये पर देने या'नी मुज़ारअत के मसले पर उलमा में इख़्तिलाफ़ राय (विरोधाभासी विचार) है।

*** इमाम ताऊस (रह.) और इमाम हसन बसरी (रह.) के मुताबिक़ ज़मीन किराये पर देना जाइज़ नहीं है; चाहे वो अनाज के बदले हो या सोने–चाँदी के बदले हो या चाहे पैदावार की बटाई के रूप में हो।**

*** इमाम शाफ़ई (रह.) और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक सोने–चाँदी व दीगर सामान के बदले में ज़मीन किराये पर देना जाइज़ है लेकिन ज़मीन की पैदावार में बटाई के ऐवज़ देना ठीक नहीं।**

*** इमाम अहमद बिन हंबल (रह.), इमाम यूसुफ़ (रह.), इमाम मुहम्मद (रह.) और उलम–ए–मालिकिया की एक जमाअत के नज़दीक सोने–चाँदी, पैदावार में हिस्से और अनाज के बदले या'नी हर तरह से ज़मीन को किराये पर देना सहीह है और इसी को मुज़ारअत कहते हैं।**

*** इब्ने शुरैह (रह.), इब्ने ख़ुज़ैमा (रह.) ख़त्ताबी (रह.) और उलम–ए–सलफ़िया के मुहक़्क़िक़ीन ने भी यही मसलक इख़्तियार किया है और इसी को तरजीह दी है।**

और हदीष में मनाही की तावील ये की है कि आप (ﷺ) ने कराहत का इज़्हार किया था, मुज़ारअत को हराम के दर्जे में नहीं डाला था। आप (ﷺ) की मंशा लोगों को इस बात के लिये उभारने की थी कि अगर ख़ुद ज़मीन इस्तेमाल नहीं करो तो किसी दूसरे मुस्लिम भाई को उससे फ़ायदा हासिल करने दो, इसलिये आप (ﷺ) ने बिला मुआवज़ा देने की बात कही थी। आप (ﷺ) यहाँ जो मनाही की बात कही है वो इसलिये है कि लोग ज़्यादा नेकी की ओर माइल (आकर्षित) हों और अपने ग़रीब मुस्लिम भाई की मदद करें। सहीह मुस्लिम और दीगर अहादीष से जो दलील मिलती है उनके मुताबिक़ ज़मीन किराये पर देना जाइज़ है और इसमें कुछ शुबहा (शक) नहीं। वल्लाहु अअलम!

बाब 18 : ग़ल्ले (अनाज) के बदले ज़मीन को किराए पर देने का बयान

997. हदीषे ज़ुहैर बिन राफ़ेअ (रज़ि.) : हज़रत ज़ुहैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमें नबी करीम (ﷺ) ने एक ऐसे काम से मना फ़र्मा दिया था जो हमारे लिये फ़ायदेमंद था (रावी हदीष राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ि. कहते हैं) मैंने कहा, जो कुछ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया वो हर हालत में हक़ और सच है। ज़ुहैर (रज़ि.) कहने लगे कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे बुलाकर पूछा था, तुम अपने खेतों का क्या करते हो? मैंने कहा किराए पर देते हैं या चौथा हिस्सा बटाई पर या फिर खजूर के चंद वसक़ के बदले में। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा मत करो! या तो ख़ुद काश्त करो या दूसरे को काश्त के लिये दे दो (बिला मुआवज़ा) और या पड़ी रहने दो। हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने यह

हुक्म सुनकर कहा, हमने आप (ﷺ) का इर्शाद सुना और हम इसकी इत़ाअ़त करेंगे।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मुज़ारअ़त बाब 18)

बाब 21 : ज़मीन मुफ़्त दी जाए

998. ह़दीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुख़ाबरा (ज़मीन किराए पर देने) से मना नहीं फ़र्माया था बल्कि आप (ﷺ) ने यह इर्शाद फ़र्माया था कि अगर कोई शख़्स अपने भाई को बिला मुआवज़ा (अपनी ज़मीन) दे दे तो यह अम्र उससे कहीं बेहतर है कि ज़मीन के बदले में मुक़र्ररा रक़म बतौरे किराया वसूल करे। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मुज़ारअ़त बाब 10)**

किताबुल मसाक़ात

बाब 1 : मसाक़ात में फलों और फ़सलों की बटाई पर मुआमला करने का बयान

999. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर की ज़मीनों का मुआमला फलों और दीगर पैदा होने वाली जिन्सों के आधे हिस्से पर तै किया था। चुनाँचे उन महासिल में से अज़वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) को आप (ﷺ) सौ वसक़ दिया करते थे, अस्सी वसक़ खजूर और बीस वसक़ जौ। फिर जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने (अपने दौरे ख़िलाफ़त में) ख़ैबर की ज़मीन को बांट दिया तो उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि.) को इंतिख़ाब का इख़्तियार दे दिया कि जो पसंद फ़र्माएँ, उनके लिये क़िताआत और पानी की मिक़दार का हिस्सा मुक़र्रर कर दिया जाए और जो चाहें बदस्तूर अपने हिस्से के वसक़ लेती रहें। चुनाँचे बाज़ उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि.) ने ज़मीन लेना पसंद किया और बाज़ ने पैदावार का मुक़र्ररह हिस्सा वसक़ की सूरत में लेना पसंद किया और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ज़मीन लेना पसंद फ़र्माया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मुज़ारअत बाब 8)

1000. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने यहूदो नसारा को सरज़मीने हिजाज़ से जिलावतन (निष्कासित) कर दिया था क्योंकि जब ख़ैबर फ़तह हुआ था तब ख़ुद नबी करीम (ﷺ) ने भी उनको वहाँ से निकालना चाहा था; इसलिये कि जब यह इलाक़े जीत लिये गए तो क़ानूनन ज़मीन अल्लाह, रसूलुल्लाह (ﷺ) और मुसलमानों की हो गई। इसीलिये आप (ﷺ) ने उन इलाक़ों से यहूदो–नसारा को निकालने का इरादा किया था लेकिन यहूदियों ने आप (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि हमें अपनी ज़मीनों पर रहने दिया जाए हम इन ज़मीनों पर काम और मेहनत की ज़िम्मेदारी लेते हैं और हमको बतौरे मुआवज़ा पैदावार का आधा हिस्सा दिया जाए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, हम जब तक चाहेंगे तुमको इन ज़मीनों पर रहने देंगे। यह लोग वहाँ रहे और हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको तैमा और अरैहा की जानिब जलावतन किया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मुज़ारअत बाब 17)

बाब 2 : दरख़्त लगाने और खेती–बाड़ी करने का षवाब

1001. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो मुसलमान कोई दरख़्त लगाता है या खेती उगाता है तो उसमें से कोई परिन्दा या इंसान या चौपाया यह जानवर जो कुछ खाता है वो उस लगाने वाले की तरफ़ से सदक़ा होता है और उसे उसका षवाब मिलता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मुज़ारअत बाब 1)

बाब 3 : आफ़त—ज़दगी से जो नुक़्सान हो उसका मुआवज़ा दिया जाए

1002. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फलों को उस वक़्त तक बेचने से मना फ़र्माया है जब तक कि उनमें (पुख़्तगी का) रंग नुमाया न हो जाए। पूछा गया कि रंग नुमाया होने से क्या मुराद है? फ़र्माया, जब तक पक कर सुर्ख़ न हो जाएँ। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़ुद सोचो! अगर (वक़्त से पहले सौदा किया जाए और) अल्लाह फल को रोक ले तो बेचने वाला अपने भाई (ख़रीददार) का माल किस चीज़ के बदले में ले लेगा? **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 87)**

नोट : इस हदीष में साफ़ तौर पर यह हुक्म दिया गया है कि फलों का सौदा तभी किया जाए जब वो पक कर तैयार हो जाएं और बेचने लायक़ हो जाएं। अगर किसी ने पेशगी (एडवाँस) किसी से पैसे ले लिये हों और फसल ख़राब हो जाए तो उसे पैसे लौटाने होंगे क्योंकि जब माल ही ख़रीदार के सुपुर्द नहीं हुआ तो भुगतान किस बात का?

इमाम नववी (रह.) लिखते हैं कि फल पकने से पहले बेच दिये जाएं और बेचने वाला ख़रीदार को पेड़ पर लगे फल सुपुर्द कर दे; फिर फल पकने के वक़्त या पकने के दौरान किसी आफ़त की वजह से बर्बाद हो जाएं तो नुक़्सान की ज़िम्मेदारी उठाने के सिलसिले में उलमा के बीच इख़्तिलाफ़ है।

✻ इमाम शाफ़ई (रह.) और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक नुक़्सान ख़रीदार का होगा और बेचने वाला जिम्मेदारी से बरी है। लेकिन उसके लिये मुस्तहब (बेहतर) यही है वो ख़रीदार को नुक़्सान की भरपाई दे। इमाम शाफ़ई के दूसरे क़ौल और उलमा के एक गिरोह के मुताबिक़ बेचने वाले पर यह लाज़िम है कि वो नुक़्सान की भरपाई करे।

✻ इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक अगर नुक़्सान एक तिहाई से कम है तो मुजरा देना ज़रूरी नहीं है और अगर चौथाई या उससे ज़्यादा हो तो मुजरा देना वाजिब है।

बाब 4 : क़र्ज़ में छूट देना मुस्तहब है

1003. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरवाज़े पर किसी के झगड़ने की आवाज़ सुनी। दो शख़्स बुलन्द आवाज़ में झगड़ रहे थे, उनमें से एक, दूसरे से कुछ छोड़ देने और किसी क़दर नरमी से काम लेने की दरख़्वास्त कर रहा था और दूसरा कह रहा था, अल्लाह की क़सम! मैं हर्गिज़ ऐसा नहीं करूँगा। चुनाँचे आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ ले गए और फ़र्माया, कहाँ है वो शख़्स जो अल्लाह की क़सम खाकर कह रहा था कि मैं नेक काम नहीं करूँगा? एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो मैं था और मैं उसे इख़्तियार देता हूँ कि वो इसमें से जो चाहे रख ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सुलह बाब 10)**

नोट : सूरह बक़र में अल्लाह तआला ने क़र्ज़दार को मोहलत देने की तल्क़ीन की है, इर्शादे बारी तआला है,

'अगर क़र्ज़दार का हाथ तंग हो तो कुशादगी होने तक उसे मोहलत दो और अगर माफ़ कर दो तो यह तुम्हारे लिये और भी बेहतर है अगर तुम समझो। उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ़ लौटाए जाओगे, फिर हर शख़्स को उसकी कमाई का पूरा—पूरा बदला मिल जाएगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी।' (सूरह बक़र : 280-281)

लिहाज़ा क़र्ज़ देने वाले शख़्स को क़र्ज़दार के साथ नर्मी और दरगुज़र का बर्ताव करना चाहिये। सख़्ती करने और झगड़ा करने से बचना चाहिये। उसे यह याद रखना चाहिये कि वो भी अल्लाह का क़र्ज़दार है और आख़िरत के दिन उसकी भी अल्लाह के आगे पेशी होगी। दुनिया में नर्मी और दरगुजर करने वालों पर अल्लाह तआला क़ियामत के दिन रहमत नाज़िल फ़र्माएगा।

1004. हदीषे कअब बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने इब्ने

अबी ह़दरद (रज़ि.) से अपने क़र्ज़ का जो उनके ज़िम्मे था तक़ाज़ा किया उस मौक़े पर हम दोनों की आवाज़ इतनी बुलन्द हो गई कि नबी करीम (ﷺ) ने भी जो अपने घर में तशरीफ़ फ़र्मा थे, सुन ली। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उठकर अपने हुज्रे का पर्दा उठाया और आवाज़ दी, ऐ कअ़ब (रज़ि.)! मैंने अ़र्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़र्माया, अपने क़र्ज़ में से कुछ कम कर दो और हाथ से इशारा फ़र्माकर बताया कि आधा कम कर दो! कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अ़र्ज़ किया, जो हुक्म हुज़ूर (ﷺ) का, मैंने कमी कर दी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर उठो और उसका ह़क़ फ़ौरन अदा कर दो! (या'नी जो फ़ैसला हुआ है उसको बिला ताख़ीर अ़मली जामा पहनाओ!)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्स़लात बाब 71)

बाब 5 : अगर ख़रीददार मुफ़्लिस हो जाए और उसके पास ख़रीदी हुई चीज़ मौजूद हो तो बेचने वाला अपनी चीज़ वापस ले सकता है

1005. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (या ह़ज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने यह कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना कि) जो शख़्स़ ऐसे ख़रीददार के पास जो मुफ़्लिस हो गया हो (और क़ीमत अदा न कर सकता हो) अपना (बेचा हुआ) माल बजिन्सिही मौजूद पाए तो वो उससे अपना माल वापस लेने का ज़्यादा ह़क़दार है (बनिस्बत दूसरे क़र्ज़ख़्वाहों के)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इस्तिक़राज़ बाब 14)

बाब 6 : तंगदस्त को मुहलत देने का ष़वाब

1006. ह़दीषे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : ह़ज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमसे पहले लोगों में से एक शख़्स़ की रूह़ का फ़रिश्ते ने आगे बढ़कर इस्तिक़बाल किया और उससे पूछा, क्या तुमने कोई नेक काम किया है? (जो हमें तुम्हारे बेहतर इस्तिक़बाल का हुक्म मिला है)? उसने कहा, मैं अपने जवानों को हुक्म दिया करता था कि मुहलत दें और ख़ुशहाल लोगों से दरगुज़र करें। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इसीलिये अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि उसकी ख़ताओं से दरगुज़र करें (और उसके साथ बेहतर सलूक करें)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 17)

नोट : सहीह मुस्लिम की रिवायत में अल्फ़ाज़ ये हैं कि तंगदस्त को मुहलत दें और ख़ुशहाल से दरगुज़र करें। शायद बुख़ारी की रिवायत में लफ़्ज़ 'मुअ़स्सिर (तंगदस्त)' किसी रावी से किताबत में छूट गया है।

1007. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक ताजिर था जो लोगों को उधार दिया करता था, सो अगर वो किसी को तंगदस्त पाता तो अपने जवानों (मुलाज़िमों) से कहता इससे दरगुज़र करो (मुत़ालबा न करो) हो सकता है अल्लाह तआ़ला उसी के तुफ़ैल हमारे गुनाहों से दरगुज़र फ़र्माए। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने (उसके इसी नेक काम की वजह से) उससे दरगुज़र फ़र्माया (उसके गुनाह बख़्श दिए और ख़ताएँ मुआ़फ़ फ़र्मा दीं)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 18)

बाब 7 : मालदार शख़्स के लिये क़र्ज़ की अदायगी में देर करना हराम है और मक़रूज़ अपना क़र्ज़ किसी मालदार की तरफ़ मुंतक़िल करना चाहे तो ऐसा करना जाइज़ है और क़र्ज़ देने वाले के लिये यह सूरत कुबूल कर लेना मुस्तहब है

1008. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मालदार का (या'नी जो अपना क़र्ज़ अदा करने की ताक़त रखता हो) क़र्ज़ की अदायगी में देर करना ज़ुल्म है और अगर कोई शख़्स अपना क़र्ज़ किसी ऐसे शख़्स की तरफ़ मुंतक़िल कर दे जो उसको अदा करने की ताक़त रखता हो तो क़र्ज़ देने वाले को चाहिए कि (इस सूरत को कुबूल कर ले और) उससे तक़ाज़ा करे जिसकी तरफ़ क़र्ज़ मुंतक़िल किया गया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हवाला बाब 1)**

बाब 8 : ज़रूरत से फ़ालतू पानी बेचना हराम है

1009. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, न रोका जाए ज़ाइद अज़ ज़रूरत पानी से, इस ग़र्ज़ से कि रोका जाए उस तरीक़े से चारे को (या चराई को)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मसाक़ात बाब 2)

नोट : इमाम नववी (रह.) ने इस हदीष का मफ़हूम बयान करते हुए लिखा है कि अगर कोई शख़्स जंगल में कुँआ खोदे और उस जंगल में घास भी हो, लेकिन पानी कुँए के सिवा कहीं और न हो और चरवाहे उस कुँए से पानी पिलाए बग़ैर जानवरों को घास न चरा सकते हों तो कुँए वाले के लिये यह जाइज़ नहीं है कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी रोककर रखे और जानवरों को न पीने दे। उसके लिये यह भी जाइज़ नहीं है कि वो उस पानी की क़ीमत वसूल करे क्योंकि ऐसा करने से जानवर चरने से महरूम रहेंगे और जानवरों को चारे से रोकना हराम है। इसलिये ये काम (एक्स्ट्रा पानी से मना करना) भी हराम है। उलमा–ए–सलफ़िया के नज़दीक अगर आस–पास कहीं और पानी मौजूद न हो तो जानवरों को पीने के लिये पानी देना ज़रूरी है, बशर्ते कि वो पानी मालिक की ज़रूरत से ज़्यादा हो। जो शख़्स अपनी ज़मीन में कुँआ खोदता है वो उसकी मिल्कियत में होता है लेकिन कुछ उलमा का ख़याल है कि पानी तब तक मिल्कियत में नहीं होता जब तक कि अपने बर्तन में न ले लिया जाए।

बाब 9 : कुत्ते की क़ीमत, नुजूमी की मिठाई और ज़िना की उजरत हराम है

1010. हदीषे अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, ज़िना की उजरत और काहिन (या'नी नजूमी या ग़ैब की बातें बताने का दा'वा करने वाले) की मिठाई (खाने) से मना फ़र्माया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 113)**

नोट : जुम्हूर उलमा का मसलक यही है कि कुत्ते की ख़रीद–फ़रोख़्त करना नाजाइज़ है। अगर किसी का कुत्ता, किसी शख़्स के हाथों मारा जाए तो उस पर जुर्माना भरना वाजिब नहीं, चाहे कुत्ता सधाया हुआ हो या आम पालतू कुत्ता। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक मुफ़ीद और कारआमद कुत्तों का ख़रीदना–बेचना जाइज़ है, इस क़िस्म का कुत्ता अगर किसी के हाथों मारा जाए तो उसके मालिक को मुआवज़ा देना होगा।

ज़िना या'नी बदकारी या जिस्मफ़रोशी (वेश्यावृत्ति) करके कमाया हुआ पैसा हराम है, इस पर सभी उलमा का इत्तेफ़ाक़ है। इस हदीष की रू से तवायफ़ों के लिये दलाली करना, उनको मकान किराये पर देना भी हराम होगा क्योंकि तवायफ़ की आमदनी का ज़रिया ही हराम है। शरीयत ने उस शख़्स को बहुत ही बुरे नाम से (दय्यूस कहकर) पुकारा है जिसकी बीवी जिस्मफ़रोशी करके पैसा कमाती है और वो जानते–बूझते उस कमाई को खाता है। क़ुर्आन

मजीद में अल्लाह तआला ने ज़िना के क़रीब भी न जाने की ताकीद की है, 'और ज़िना के क़रीब भी न जाओ। यह खुली बेहयाई और बुरी राह है।' (बनी इस्राईल : 32) इस आयत की रोशनी में ज़िनाकारी को बढ़ावा देने वाले कामों की मज़दूरी भी हराम है जिनमें फ़हश (पोर्न, ब्ल्यू) फिल्में बनाना व बेचना भी शामिल है।

काहिन उस शख़्स को कहते हैं जो ग़ैब की बातें बताने का दा'वा करे। नुजूमी उस शख़्स को कहते हैं जो हाथों की लकीरें देखकर या सितारों की गर्दिश (ग्रह—दशा) के हवाले से तक़दीर का हाल बताने का दा'वा करे। इस्लाम ने कहानत को गुनाह क़रार दिया है, सितारा—परस्ती (नक्षत्रों पर विश्वास रखने) को शिर्क कहा है, इसलिये ऐसे पेशे में मुलव्विस लोगों की आमदनी से ख़रीदी हुई चीज़ें खाना हराम है।

बाब 10 : कुत्तों को हलाक करने का हुक्म

1011. हदीसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों को हलाक करने का हुक्म दिया था। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 17)**

नोट : इस बात पर तमाम उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि कटखने और पागल कुत्तों को मार डालना चाहिये। शिकारी कुत्तों और दीगर कुत्तों का मामला इससे अलग है। उलमा का क़ौल है कि शुरूआती दौर में नबी करीम (ﷺ) ने तमाम क़िस्म के कुत्तों को मार डालने का हुक्म दिया था जो बाद में मंसूख़ हो गया। बाद में आप (ﷺ) ने सधाए हुए शिकारी कुत्तों द्वारा रोके गये शिकार को ज़िब्ह करके उसका गोश्त खाने का भी हुक्म दिया।

1012. हदीसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने कुत्ता पाला सिवाए ऐसे कुत्ते के जो जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये हो या शिकारी हो तो उसके अमलों में से हर रोज़ दो क़ीरात के बराबर सवाब कम होता रहता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़बाइह वस्सैद बाब 6)

1013. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने कुत्ता रखा उसके अमल में से हर रोज़ एक क़ीरात के बराबर सवाब कम होता रहेगा सिवाय इसके कि कुत्ता खेत या जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये रखा हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मुज़ारअत बाब 3)**

1014. हदीसे सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर (रज़ि.) : हज़रत सुफ़ियान (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना, जिस शख़्स ने कुत्ता पाला और उससे वो न तो खेत की हिफ़ाज़त का काम लेता है और न थनों (जानवरों की) हिफ़ाज़त का तो उसके अमल में से रोज़ाना एक क़ीरात के बराबर सवाब घटता रहेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मुज़ारअत बाब 41)

नोट : कुत्तों के पालने के बारे में उलमा का मुत्तफ़क़ा क़ौल (सर्वसम्मत कथन) यही है कि बिना ज़रूरत के पालना हराम है। अलबत्ता शिकार के लिये, खेत और रेवड़ की हिफ़ाज़त के लिये कुत्ता पालना जाइज़ है। घर की हिफ़ाज़त के लिये कुत्ता पालने पर उलमा के बीच इख़्तिलाफ़ है लेकिन सहीहतर क़ौल यही है कि यह जाइज़ है, बशर्ते कि कुत्ता घर के बाहर रखा जाए। बग़ैर ज़रूरत के अगर कोई शौकिया तौर पर कुत्ता पालता है (जैसा कि आजकल बहुत से मॉडर्न ख़याल लोग पालते हैं), उन्हें इस बात से डरना चाहिये कि हर रोज़ उनकी नेकियाँ कम हो रही हैं।

बाब 11 : पछने लगाने की उजरत हलाल है

1015. हदीसे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) हज्जाम(पछने लगाने वाले) की उजरत के बारे में पूछा (कि यह उजरत हलाल है या नहीं) तो आपने बताया, नबी करीम (ﷺ) ने पछने लगवाए; हज़रत अबू तय्यिबा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) के पछने लगाए थे और आप (ﷺ) ने उनको दो साअ अनाज दिया था, और उनके मालिकों से (उनसे रोज़ाना वसूल की जाने वाली रक़म के सिलसिले में) बातचीत की थी। चुनाँचे उन्होंने उनके महसूल में तख़फ़ीफ़ (कमी) कर दी थी। नीज़ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बेहतरीन तदबीरे इलाज और बेहतरीन दवा यह दो चीज़ें हैं, (1) पछने लगवाना और (2) कुस्त बहरी। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तिब्ब बाब 13)**

नोट : पछने लगवाना या'नी जोंक के ज़रिये चुसवाकर ख़ून बाहर निकलवाना। यह मेडिकल साइंस की खोजों से भी साबित हो चुका है कि ख़ून में ख़राबी पैदा होने से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है। पछने लगवाने से गन्दा ख़ून बाहर निकल जाता है और यह तदबीर दवाओं के मुक़ाबले ज़्यादा इकसीर (कारआमद) साबित होती है। क़ुस्त बहरी का नाम कुछ लोगों ने ऊद हिन्दी लिखा है लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक ये कुस्त, कठ या कूठ है जो मशहूर भारतीय जड़ी–बूटी है।

1016. हदीसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने पछने लगवाए और हज्जाम को उस ख़िदमत की उजरत दी और आप (ﷺ) ने (चित लेटकर) नाक में दवा डलवाई। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तिब्ब बाब 9)**

बाब 12 : शराब का ख़रीदना–बेचना हराम है

1017. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब सूरह बक़र की (आख़री) आयात नाज़िल हुई जिनमें **'रिबा (सूद, ब्याज)'** के बारे में अहकाम है तो आप (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और वो आयात लोगों को पढ़कर सुनाईं। उसके बाद आप (ﷺ) ने शराब के खरीदने व बेचने को भी हराम क़रार दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 73)**

बाब 13 : शराब, मुरदार, सूअर और बुतों की तिजारत हराम है

1018. हदीसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने फ़तह मक्का के साल जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में थे आप (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, **'यक़ीनन अल्लाह तआला और अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने शराब, मुरदार, सूअर और बुतों का ख़रीदना–बेचना हराम कर दिया है।'** सवाल किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुरदार की चर्बी के बारे में क्या हुक्म है? क्योंकि उससे कश्तियों पर लेप किया जाता है और खालों को रोगनदार किया जाता है और लोग उसे रोशनी हासिल करने के लिये जलाते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! वो हराम है! फिर आप (ﷺ) ने उसी मौक़े पर फ़र्माया, अल्लाह तआला यहूदियों को तबाह करे। अल्लाह ने जब मुरदार की चर्बी को हराम कर दिया तो उन्होंने उसे पिघलाकर बेचना शुरू कर दिया और उसकी क़ीमत खाने लगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 112)**

1019. ह़दीषे उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) को ख़बर मिली कि फ़लाँ शख़्स़ ने शराब बेची है तो आपने कहा, फ़लाँ शख़्स़ पर अल्लाह की मार! क्या उसे मा'लूम नहीं है कि जनाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था, यहूद को अल्लाह तबाह करे कि उन पर जब जानवरों की चर्बी ह़राम की गई तो उन्होंने चर्बी को पिघला लिया और फिर उसे बेचना शुरू कर दिया।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 103)

नोट : हदीष का मफ़हूम (भावार्थ) यह है कि जिस चीज़ को हराम क़रार देकर इस्तेमाल करने से रोका गया है, उसकी तिजारत करना भी हराम (वर्जित) ही है।

1020. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूद पर अल्लाह की मार! कि उन पर जानवरों की चर्बियाँ ह़राम की गईं तो उन्होंने उन्हें बेचना शुरू कर दिया और उसकी क़ीमत खाने लगे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 103)**

बाब 14 : सूद (ब्याज) का बयान

1021. ह़दीषे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सोने को सोने के बदले में मत ख़रीदो मगर बराबर–बराबर। और एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत और तरजीह़ न दो (कम–ज़्यादा न बेचो)। इसी त़रह़ अगर चाँदी को चाँदी के बदले बेचो तो बराबर–बराबर बेचो और एक चाँदी को दूसरी चाँदी पर फ़ज़ीलत और तरजीह़ न दो और इन दोनों चीज़ों में उधार का लेन–देन न करो (नक़दो–नक़द एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 78)**

नोट : इस हदीष की रोशनी में रुपये का लेन–देन भी बराबर–बराबर होना चाहिये। उसमें कमी या ज़्यादती करना सूद है। या'नी एक हज़ार रुपये देकर एक हज़ार रुपये से ज़्यादा लेना सूद है।

बाब 16 : चाँदी को सोने के बदले में उधार बेचना मना है

1022. ह़दीषे बराअ बिन आ़ज़िब व ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) : अबुल मिनहाल (रह.) बयान करते हैं कि मैंने ह़ज़रत बराअ बिन आ़ज़िब और ह़ज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) से **'स़र्फ़'** के बारे में पूछा, (स़र्फ़ से मुराद चाँदी के बदले में सोना या चाँदी या उसके बरअ़क्स बेचना है) तो दोनों ह़ज़रात ने दूसरे स़ाह़ब के बारे में कहा कि वो मुझसे बेहतर हैं (या'नी उनसे पूछो) और दोनों ने यही बताया कि नबी करीम (ﷺ) ने सोने को चाँदी के बदले में उधार बेचने से मना फ़र्माया है। (या'नी दस्त–बदस्त या हाथों–हाथ हो तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 80)

1023. ह़दीषे अबूबक्र (रज़ि.) : ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने चाँदी को चाँदी के बदले में और सोने को सोने के बदले में बेचने से मना फ़र्माया है, मगर बराबर–बराबर। अलबत्ता हमें चाँदी को सोने और सोने को चाँदी के बदले में जैसे चाहें बेचने को इजाज़त दी है (या'नी कमी–बेशी जाइज़ है अलबत्ता उधार इनमें भी नाजाइज़ है)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 81)**

बाब 18 : खाने की चीज़ें (जब एक ही जिन्स की हो) बराबर–बराबर बेची जाएं

1024. हदीसे अबू सईद ख़ुदरी व अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) व हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को ख़ैबर के मुहासिल वसूल करने पर मुक़र्रर फ़र्माया तो वो वहाँ से उम्दा क़िस्म की खजूरें लेकर आया। आप (ﷺ) ने पूछा, क्या ख़ैबर की सब खजूरें ऐसी ही होती है? उसने कहा, नहीं! अल्लाह की क़सम! या रसूलल्लाह (ﷺ)! सब ऐसी नहीं होतीं बल्कि हम इस क़िस्म की (अअला) खजूरों का एक साअ दूसरी क़िस्म की खजूरों के दो साअ के बदले में या ऐसी खजूरों के दो साअ दूसरी घटया खजूरों के तीन साअ के बदले में ख़रीद लेते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दोबारा ऐसा न करो! बल्कि पहले सब (घटिया) खजूरें दिरहम के बदले में बेच दिया करो और उसके बाद उन दिरहम के बदले में अअला खजूरें ख़रीद लिया करो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 89)

1025. हदीसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में बरनी क़िस्म की खजूरें लाए। आप (ﷺ) ने पूछा, यह कहाँ से आई? हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने कहा, हमारे पास कुछ घटिया क़िस्म की खजूरें थीं। मैंने उनमें से दो साअ देकर इन खजूरों का एक साअ ले लिया है ताकि आप (ﷺ) की ख़िदमत में पेश करूँ। यह सुनकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अफ़सोस! अफ़सोस! यह तो ख़ालिस सूद है! ऐसा मत करो। बल्कि जब इस तरह का सौदा करना हो तो पहले अपनी खजूरें क़ीमतन बेच दिया करो और क़ीमत की रक़म से दूसरी क़िस्म की खजूरें ख़रीद लिया करो। (ताकि सूद का अन्देशा न रहे)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वकाला बाब 11)**

1026. हदीसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमको मिली–जुली या'नी घटिया क़िस्म की मख़्लूत खजूरें मिला करती थीं तो हम उनके दो साअ, एक साअ अच्छी खजूरों के बेच दिया करते थे इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, न तो दो साअ खजूरों की फ़रोख़्त एक साअ खजूरों के बदले में जाइज़ है और न दो दिर्हमों को एक दिर्हम के बदले बेचना जाइज़ है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 20)**

1027. हदीसे अबू सईद ख़ुदरी व उसामा (रज़ि.) : अबू स्वालेह ज़ियात (रह.)बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) को कहते हुए सुना कि दीनार के बदले में दीनार और दिर्हम के बदले में दिर्हम (बराबर–बराबर फ़रोख़्त किया जाए न कम न ज़्यादा) तो मैंने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से कहा कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) तो ऐसा नहीं कहते। तो हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने कहा कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसके बारे में पूछा था मैंने कहा था कि क्या आपने इस सिलसिले में कोई बात नबी करीम (ﷺ) से सुनी है? या उन्होंने कहा, आपको क़ुर्आन मजीद में कोई हुक्म इसके बारे में मिला है? मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता, जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के इर्शादात को आप हज़रात मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बल्कि बात यह है कि मुझसे हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने रिवायत बयान की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, रिबा (सूद) सिर्फ़ उधार में है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 79)**

बाब 20 : हलाल को हासिल करने और शक वाली चीज़ों को तर्क करने का हुक्म

1028. हदीसे नो'मान बिन बशीर (रज़ि.) : हज़रत नो'मान (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ)

को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, हलाल भी वाज़ेह हो चुका है और हराम की भी वाज़ेह तौर पर निशानदेही हो चुकी है लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसी मुशतबिहा (संदिग्ध, शक वाली) चीज़ें हैं जिनके बारे में अहकाम अकषर लोग नहीं जानते। चुनाँचे जो शख़्स उन शक वाले कामों से बचा उसने अपने दीन और अपनी आबरू को बचा लिया और जो मुशतबिहात में मुब्तला हो गया (उसके बारे में ख़तरा है कि वो बिल आख़िर हराम में मुब्तला न हो जाए); उसकी मिषाल उस चरवाहे की सी है जो महफ़ूज़ चारागाह की बाड़ के आस–पास अपने गल्ले को चराता है बहुत मुम्किन है कि उसके जानवर बाड़ के अंदर भी मुँह मार दें। ख़बरदार! हर बादशाह की एक महफ़ूज़ सरहद होती है और अल्लाह तआला की ज़मीन में उसकी महफ़ूज़ सरहद उसके हरामकर्दा काम हैं। और हर शख़्स को जानना चाहिए कि इंसानी जिस्म के अन्दर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा बदन दुरुस्त हो जाता है और अगर उसमें फ़साद (बिगाड़) पैदा हो जाए तो पूरा इंसानी जिस्म बिगड़ जाता है और याद रखो! वो गोश्त का लोथड़ा इंसान का दिल है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 39)**

बाब 21 : ऊँट का इस शर्त के साथ बेचना कि 'एक मर्तबा मैं सवारी करूँगा' जाइज़ है

1029. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक ऐसे ऊँट पर जा रहा था जो थक गया था कि नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ ले आए और आप (ﷺ) ने उसके लिये दुआ की और उसे मारा, फिर वो ऐसा चला कि पहले कभी न चला था। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसको मेरे हाथ एक औक़िया चाँदी के बेच दो। मैंने इंकार कर दिया। आप (ﷺ) ने दोबारा फ़र्माया, इसे एक औक़िया चाँदी के बदले मेरे हाथ बेच दो। चुनाँचे मैंने वो ऊँट आप (ﷺ) के हाथ बेच दिया और यह शर्त लगा कि मैं उसी पर सवार होकर अपने घर तक जाऊँगा। जब हम मदीना पहुँचे तो मैं वो ऊँट लेकर आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) ने उसकी क़ीमत मेरे हवाले कर दी। मैं पलटकर जाने लगा तो आप (ﷺ) ने मुझे फिर बुला भेजा और फ़र्माया, मेरा मक़सद तुम्हारा ऊँट लेना नहीं था लो अपना ऊँट भी ले जाओ यह अब तुम्हारा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल शुरूत बाब 4)**

1030. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक ग़ज़वे में जनाबे नबी करीम (ﷺ) के साथ था। फिर जिस वक़्त मैं अपने थके हुए ऊँट पर जो चलने के क़ाबिल नहीं था, सवार हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए और पूछा, तुम्हारे ऊँट को क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, थक गया है। हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) पीछे हटे और ऊँट को डाँटा और उसके लिये दुआ फ़र्माई इसके बाद तमाम रास्ते वो ऊँट बाक़ी ऊँटों से आगे ही चलता रहा। फिर आप (ﷺ) ने पूछा, अब तुम्हारा ऊँट कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है और यक़ीनन यह आप (ﷺ) की दुआ और बरकत का नतीजा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम इसे मेरे हाथ बेचते हो? जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि मैं शर्मा गया क्योंकि मेरे पास पानी लाने के लिये उसके सिवा कोई और ऊँट न था, इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने नई–नई शादी की है इसलिये मुझे (पहले) जाने की इजाज़त दे दीजिए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और मैं पूरे रास्ते लोगों के आगे–आगे रहा यहाँ तक कि मदीना पहुँच गया, मदीना पहुँचने पर मुझे मामूँ मिले उन्होंने मुझसे ऊँट के बारे में पूछा तो मैंने सारी बात बता दी कि मैंने ऊँट बेच दिया है। उन्होंने इस पर मुझे मलामत की (कि एक ही ऊँट था वो भी बेच दिया)। हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने जब नबी करीम (ﷺ) से जाने की इजाज़त तलब की तो आप (ﷺ) ने मुझसे पूछा, तुमने शादी कर ली? बाकिरा से की है या षय्यिबा से? मैंने कहा, मैंने षय्यिबा से शादी की है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने कुँवारी लड़की से क्यों शादी नहीं की? कि तुम उससे खेलते और वो

तुमसे मुलाइबत व मुदाइबत करती। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद का इंतिक़ाल हो गया है या (मैंने कहा कि) शहीद हो गए हैं और मेरी छोटी–छोटी बहनें हैं इसलिये मुझे ग़ैर–मुनासिब मा'लूम हुआ कि मैं उनके बराबर की लड़की से शादी करूँ जो न तो उनको अदब सिखा सके और न उनकी निगरानी कर सके। लिहाज़ा मैंने इसीलिये षय्यिबा से शादी की है कि वो उनकी निगरानी कर सके और उनकी तर्बियत करे। जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ ले आए तो मैं सुबह के वक़्त ऊँट लेकर आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) ने मुझे उसकी क़ीमत अदा फ़र्माई और उसके बाद ऊँट भी मुझे वापस दे दिया।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 113)

नोट : इस हदीष में एक बहुत बड़ी नसीहत की बात छुपी हुई है। एक जवान शख़्स ने अपनी बहनों को अदब सिखाने के इरादे से जवाँ–उम्र व कुँआरी लड़की से शादी नहीं की बल्कि षय्यिबा (विधवा या तलाक़शुदा) औरत से शादी की। उस शख़्स ने अपनी बहनों की हमउम्र या उससे थोड़ी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना मुनासिब (उचित) महसूस नहीं किया। जबकि आजकल लोगों की हालत ऐसी है कि अगर किसी शख़्स की बीवी का इंतक़ाल हो जाए और उसके घर में जवाँ–उम्र बेटी मौजूद हो तब भी अपने नफ़्स की ख़ातिर जवान लड़की या अपने से काफ़ी कम उम्र की औरत से शादी करने की कोशिश में रहता है। उसे अपनी औलाद की तर्बियत से ज़्यादा अपने नफ़्स की तस्कीन (संतुष्टि) प्यारी लगती है।

1031. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे ऊँट ख़रीदा दो औक़िया (चाँदी) और एक या दो दिर्हम के बदले में, फिर जब आप (ﷺ) मुक़ामे सरार पर पहुँचे तो एक गाय ज़िब्ह करने का हुक्म दिया। चुनाँचे गाय ज़िब्ह की गई और सबने उसका गोश्त खाया, फिर जब आप (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो मुझे हुक्म दिया कि मैं (पहले) मस्जिद में जाकर दो रकअत नफ़्ल पढ़ूँ और आप (ﷺ) ने मुझे ऊँट की क़ीमत तौल कर अदा की। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 199)**

नोट : सरार मदीना के पूरब में तीन मील के फ़ासले पर मौजूद एक जगह का नाम है। इन अहादीष के बारे में इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इससे बहुत सारे मसाइल मा'लूम होते हैं, मुलाहिज़ा फ़र्माएं :–

(01). गाय ज़िब्ह करना ऊँट ज़िब्ह करने से बेहतर है जबकि ऊँट का नह्र किया जाना भी जाइज़ है।

(02). सफ़र से लौटकर पहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नफ़्ल नमाज़ अदा करना मुस्तहब है।

(03). जिस तरह रात में नफ़्ल दो रकअत पढ़े जाते हैं, उसी तरह दिन में भी दो रकअत ही है।

(04). यह आप (ﷺ) का मोअजज़ा था कि सुस्त व थका–मांदा ऊँट पलभर में चुस्त व चाक–चौबन्द हो गया।

(05). किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले उसके मालिक से पूछना चाहिये।

(06). सौदा तय कर लेने के बाद क़ीमत चुकाना ज़रूरी है।

(07). अपने मातहतों और साथियों की ख़बरगीरी करना व हाल–चाल पूछना सुन्नत तरीक़ा है।

(08). नेक मश्वरा देना चाहिये।

(09). कुँआरी लड़की से शादी करना बेहतर है।

(10). इससे हज़रत जाबिर (रजि.) की यह फ़ज़ीलत मा'लूम हुई कि उन्होंने अपने नफ़्स (काम–इच्छा) के मुक़ाबले में घर के हालात और बहनों की ता'लीम व तर्बियत को मुक़द्दम रखा (ऊँचा स्थान दिया)। (लिहाज़ा अगर किसी के घर में ऐसे हालात हों तो उसे कुँआरी के बजाय षय्यिबा औरत से शादी करने को तरजीह देनी चाहिये)

(11). शादीशुदा आदमी पर अपनी बीवी का हक़ अदा करना लाज़िम है।

(12). मामला तय हो जाने के बाद अदायगी के वक़्त तयशुदा से ज़्यादा देना सुन्नत है।

(13). क़ीमत का वज़न कराना और वज़न कराने की मज़दूरी देना ख़रीदार की ज़िम्मेदारी है।

(14). नेक लोगों से बरकत हासिल करना जाइज़ है।

(15). लश्कर (या मजलिस) में से जाने से पहले इजाज़त तलब करना बेहतर है।

(16). हुक़ूक़ अदा करने में वकालत जाइज़ है। (हवाला : मक़ाला नववी रह.)

बाब 22 : कोई चीज़ क़र्ज़ लेना जाइज़ है लेकिन अदायगी उससे बेहतर होनी चाहिए

1032. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के पास आया और आप (ﷺ) से अपने क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने लगा और तक़ाज़ा करते वक़्त उसने सख़्त ज़ुबान इस्ते'माल की तो सहाबा किराम (रज़ि.) ने इरादा किया कि इसे इस गुस्ताख़ी की सज़ा दें। लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इसे छोड़ दो कुछ न कहो क्योंकि जिसे कुछ लेना हो उसे बातें बनाने का हक़ होता है। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसको उसी उम्र का ऊँट दे दो जैसा इसका था। सहाबा किराम (रज़ि.) ने कहा, इसके ऊँट जैसा ऊँट मौजूद नहीं है सब उससे बेहतर और अफ़ज़ल हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसे वो बेहतर ही दे दो क्योंकि तुममें अच्छा शख़्स वो है जो क़र्ज़ की अदायगी में अच्छा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वकाला बाब 6)**

बाब 24 : गिरवी रखना सफ़र और हज़र दोनों हालतों में जाइज़ है

1033. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक यहूदी से कुछ मुद्दत के बाद अदायगी के वादे पर कुछ अनाज़ ख़रीदा और उसके पास लोहे की एक ज़िरह गिरवी रख दी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 14)**

नोट : बयान की गई पहली हदीष से षाबित होता है कि आप (ﷺ) ने ज़रूरत पड़ने पर ऊँट उधार लिया और जब क़र्ज़ देने वाले ने आप (ﷺ) से वसूली का तक़ाज़ा करते हुए सख़्त–सुस्त लहज़े में बात की तब भी आप (ﷺ) ने बर्दाश्त से काम लिया और जैसा ऊँट बतौर क़र्ज़ लिया था उससे कहीं बेहतर ऊँट बदले में अदा किया। दूसरी हदीष से पता चलता है कि आप (ﷺ) ने जिरह गिरवी रखकर एक ग़ैर–मुस्लिम (यानी यहूदी) से अनाज उधार लिया।

बाब 25 : बैअ-ए-सलम का बयान

1034. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाए (तो देखा कि) अहले मदीना खजूर के दो–दो, तीन–तीन साल के पेशगी सौदे करते हैं तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी चीज़ का पेशगी सौदा करे तो ज़रूरी है कि उसके वज़न या पैमाईश की मिक़्दार भी मुक़र्रर और मा'लूम हो, और मियाद (अवधि) भी मुक़र्रर और तयशुदा हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलम बाब 2)**

नोट : बैअ-ए-सलम उस सौदे को कहते हैं जिसमें रक़म एडवाँस दी जाती है और माल बाद में हासिल किया जाता है। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने बैअ-ए-सलम की इन शर्तों के साथ इजाज़त दी है कि माल का वज़न या माप सौदे के वक़्त तय कर लिया जाए और यह भी तय कर लिया जाए कि तय किये गये सौदे की डिलीवरी कितनी मुद्दत बाद की जाएगी।

बाब 27 : लेन–देन के सिलसिले में क़सम खाने की मुमानअत

1035. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, क़सम खाने से माल तो बिक जाता है लेकिन कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 26)

नोट : इस हदीष में क़सम से मुराद झूठी क़सम है। आप (ﷺ) ने झूठी क़सम खाकर माल बेचने से मना फ़र्माया है। रहा सवाल जाइज़ और सच्ची क़सम का, तो वह अगर ज़रूरत के वक़्त खाई जाए तो उसमें कोई हरज़ नहीं।

बाब 28 : शुफ़आ का बयान

1036. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शुफ़आ का हुक्म दिया है हर उस ज़मीन में जो तक़्सीम (विभाजित) न हुई हो, लेकिन जब हदबन्दी हो जाए और रास्ते अलग–अलग मुतअय्यन (निर्धारित) कर दिए जाएँ तो हक़े शुफ़आ बाक़ी नहीं रहता।

(सहीह बुख़ारी किताबुश्शुफ़अति बाब 1)

बाब 29 : हमसाए (पड़ौसी) की दीवार में खूँटी ठोकने के बारे में हुक्म

1037. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई हमसाया अपने हमसाए को अपनी दीवार में खूँटी ठोकने से मना न करे। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहा करते थे, मैं देखता हूँ कि तुम इस हदीष से जी चुराते हो, अल्लाह की क़सम! मैं तो इसको पूरे ज़ोरो–शोर से तुम्हारे सामने बयान करूँगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 20)

बाब 30 : ज़ुल्म और ज़बरदस्ती से दूसरे की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना हराम है

1038. हदीषे सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नफ़ील (रज़ि.) : हज़रत सईद (रज़ि.) के ख़िलाफ़ मरवान बिन अल हकम की अदालत में उर्वा बिन्ते उवैस (नामी औरत) ने ज़मीन के किसी रक़बे के बारे में अपने हक़े–मिल्कियत (स्वामित्व) का दा'वा दायर किया। उनके ख़याल में हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने नाजाइज़ क़ब्ज़ा कर लिया था; तो इस मौक़े पर हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कहा, क्या मैं इसका हक़ मारूँगा जबकि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना है कि '**जो शख़्स किसी दूसरे की एक बालिश्त ज़मीन ग़सब करेगा (हड़पेगा) तो क़ियामत के दिन उस ज़मीन के सातों तबक़ उसके गले में तौक़ बनाकर डाल** दिए जाएँगे।'

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 2)

नोट : हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) अशरा–मुबश्शरा में से हैं, या'नी उन दस लोगों में से एक हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने जन्नत की बशारत दी थी। सहीह मुस्लिम की एक और रिवायत में इस वाक़िये की तफ़्सील बयान हुई है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद द्वारा इस हदीष के बयान करने के बाद मरवान ने कहा था कि मैं आपसे और कोई गवाह तलब नहीं करूँगा, या'नी मुझे आप की बात पर इत्मीनान और यक़ीन है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) ने उस ज़मीन की मिल्कियत छोड़ दी और यह दुआ माँगी थी कि ऐ अल्लाह! अगर ये औरत झूठी है तो यह अंधी हो जाए और यह ज़मीन ही उसकी क़ब्र बने। रावी बयान करते हैं कि मैंने बाद में उन्हें देखा था कि वो औरत अंधी हो गई थीं और दीवार टटोल–टटोलकर चलती थीं और कहा करती थीं कि मुझे

हज़रत सईद (रज़ि.) की बद्-दुआ लग गई। एक दिन वो अपने घर में चल रही थीं कि घर के आँगन में बने कुँए में गिर गई और उनका इंतिक़ाल हो गया। इस तरह वो घर ही उसकी क़ब्र बन गया। यह हदीष निशानदेही करती है कि किसी भी मुस्लिम को नाजायज़ तौर पर किसी ज़मीन के मालिकाना हक़ का दा'वा नहीं करना चाहिये क्योंकि झूठ बोलकर जिसका हक़ मारा जा रहा है उसकी बद् दुआ बर्बादी का सबब बन जाती है।

1039. हदीषे आइशा (रज़ि.) : हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरा कुछ लोगों के साथ (ज़मीन के सिलसिले में) झगड़ा था, मैंने इसका ज़िक्र उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से किया तो आप ने फ़र्माया, ऐ अबू सलमा (रज़ि.)! ज़मीन से बचो; इसलिये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है, जो शख़्स किसी दूसरे की बालिश्त भर ज़मीन नाहक़ लेगा (रोज़े क़ियामत) उसके गले में ज़मीन के सातों तबक़ (परतों) का तौक़ पहनाया जाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 13)**

बाब 31 : रास्ते की मिक़्दार (चौड़ाई) पर तनाज़ोअ (विवाद) का फ़ैसला

1040. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रास्ते के सिलसिले में झगड़े की सूरत में नबी करीम (ﷺ) ने फ़ैसला दिया था कि सात हाथ (या'नी लगभग 14-15 फुट चौड़ा) रास्ता छोड़ा जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 29)**

नोट : सुब्हान अल्लाह! इस्लाम ने हर क़दम पर लोगों की रहनुमाई की है। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने जो फ़ैसला दिया है उतनी चौड़ाई वाला रास्ता इन्सानों और जानवरों के गुज़रने के लिये काफ़ी है। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि ये तयशुदा मात्रा विवाद की सूरत में है। अगर ज़मीन के साझीदार आपस में सहमत हों तो जिस क़दर चाहें उतना चौड़ा रास्ता छोड़ सकते हैं। इस मिक़्दार पर कोई क़ानूनन या शरई पाबन्दी नहीं है।

लेकिन बेहतर यही है कि कम से कम सात गज़ चौड़ा रास्ता छोड़ा जाए, उससे ज़्यादा छोड़ा जाए तो अच्छा है लेकिन कम छोड़ना आइन्दा तकलीफ़ का सबब बनता है। वल्लाहु अअ़लम!

किताबुल फ़राइज़

(मीराष़ की तक़सीम के अहकाम व मसाइल)

बाब 1 : वारिषों को उनके मुक़र्ररा (निर्धारित) हिस्से अदा करो और उसके बाद अगर कुछ बच रहा हो तो मय्यित के क़रीबतरीन मर्द रिश्तेदार को दिया जाए

1041. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क़ुर्आन मजीद में जो वारिषों के हिस्से मुक़र्रर कर दिए गए हैं वो हक़दारों को अदा करो, उसके बाद जो कुछ बच जाए वो उस शख़्स को दिया जाए जो मरने वाले के सबसे ज़्यादा क़रीबी मर्द रिश्तेदार हो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़राइज़ बाब 5)

बाब 2 : लावारिष शख़्स की मीराष़ के अहकाम

1042. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा बीमार हुआ तो नबी करीम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) पैदल चलकर मेरी इयादत के लिये आए और आप (ﷺ) ने मुझे बेहोश पाया तो वुज़ू किया और वुज़ू से फ़ारिग़ होकर अपने वुज़ू का पानी मुझ पर छिड़का जिससे मैं होश में आ गया और मैंने देखा कि हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपने माल का क्या करूँ? उसे किस तरह तक़्सीम करूँ? नबी करीम (ﷺ) ने मुझे उस वक़्त कोई जवाब न दिया यहाँ तक कि मीराष़ की आयत नाज़िल हो गई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मरज़ा बाब 5)**

बाब 3 : सबसे आख़िर में नाज़िल होने वाली आयत 'आयते-कलाला' है

1043. हदीषे बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि सूरतों में सबसे आख़िर में सूरह बराअत नाज़िल हुई और सबसे आख़िरी आयत जो नाज़िल हुई वो यह आयत है, **यस्तफ़तूनक क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फिल कलाला ....** (अन् निसा : 176)। तर्जुमा : वे तुम से फ़तवा पूछते हैं, कहो! अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फ़तवा देता है। अगर कोई बे-औलाद शख़्स मर जाए और उसकी एक बहन हो तो उसे तरके का आधा मिलेगा और (अगर बहन मर जाए और भाई ज़िन्दा हो तो) वह बहन का वारिष़ होगा बशर्ते कि उस बहन की औलाद न हो। अगर बहनें दो हों तो वे उस तरके का दो तिहाई पाएंगी और कई भाई-बहन हों तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिये (अहकाम) वाज़ेह करता है ताकि तुम भटक न जाओ और (याद रखो) अल्लाह

को हर चीज़ का इल्म है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बाब)**

बाब 4 : मरने वाला जो तरका छोड़े वो वारिसों को दिया जाए

1044. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अगर किसी ऐसे शख़्स का जनाज़ा लाया जाता जिसके ज़िम्मे मरते वक़्त क़र्ज़ हो तो आप (ﷺ) पूछते, 'क्या इस शख़्स ने अपने क़र्ज़ की अदायगी के लिये कुछ ज़ाइद माल छोड़ा है?' फिर अगर बताया जाता कि उसने इतना माल छोड़ा है जिससे उसका क़र्ज़ अदा हो सकता है, तो आप (ﷺ) उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ते; वर्ना मुसलमानों से फ़र्माते, 'तुम लोग अपने साथी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो।' इसके बाद जब अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) पर फ़ुतूहात के दरवाज़े खोल दिये (और माले ग़नीमत आने लगा) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं मुसलमानों से उनकी जानों से भी ज़्यादा क़रीबतर और उनके क़रीबी अज़ीज़ों से भी ज़्यादा उनका महरबान दोस्त और उनका वाली व सरपरस्त हूँ लिहाज़ा अगर कोई मुसलमान वफ़ात पा जाए और उसके ज़िम्मे अगर कोई क़र्ज़ हो तो वो मैं अदा करूँगा और मरने वाला जो तरका छोड़े वो उसके वारिसों को मिलेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल किफ़ालत बाब 5)**

नोट : इस हदीस में क़र्ज़ की अदायगी की अहमियत बयान की गई है। यह हदीस तर्ग़ीब दिलाती है कि हर मुस्लिम को अपना क़र्ज़ अदा करने की फ़िक्र रहनी चाहिये और उसे ये कोशिश करनी चाहिये कि अपने जीते–जी अपने ज़िम्मे का क़र्ज़ अदा कर दे। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि नबी करीम (ﷺ) क़र्ज़दारों के जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे। ये दरअसल एक क़िस्म की तम्बीह थी कि जो लोग ज़िन्दा हैं वो इबरत (नसीहत व सबक़) हासिल करें और अपने क़र्ज़ की अदायगी की कोशिश करें और कहीं ऐसा न हो कि वो (क़र्ज़ की हालत में) मर जाए और सालेह लोगों की दुआ व इस्तिग़फ़ार से महरूम रह जाएं।

किताबुल हिबात

हिबा और सदक़ा के मसाइल

बाब 1 : किसी को कोई चीज़ बतौरे सदक़ा देना और वही चीज़ उससे ख़रीदना मकरूह है

1045. हदीषे उमर (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने एक घोड़ा फ़ी–सबीलिल्लाह (अल्लाह की राह में) सवारी के लिये दिया। लेकिन जिसको मैंने दिया था उसने उसे तबाह कर दिया, तो मैंने चाहा कि वो मैं ख़ुद ख़रीद लूँ क्योंकि मेरा ख़याल था कि अब वो उसे बहुत कम क़ीमत पर बेचेगा। लिहाज़ा मैंने इस सिलसिले में नबी करीम (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम उसे मत ख़रीदना ख़्वाह एक दिर्हम में मिले, या'नी अपने सदक़े को वापस मत लौटाना क्योंकि सदक़ा देकर वापस लेने वाले की मिषाल उस शख़्स की सी है जो क़ै (उल्टी) करके चाट ले।' **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 59)**

1046. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने एक घोड़ा मुजाहिदीन की सवारी के लिये अल्लाह की राह में दे दिया, उसके बाद आपने उसे बेचते देखा तो चाहा ख़ुद ख़रीद लें। चुनाँचे आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसे मत ख़रीदो, जो चीज़ तुम सदक़ा कर चुके हो उसे वापस मत लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 119)**

बाब 2 : हदया और सदक़ा देकर वापस लेना हराम है अलबत्ता अगर बाप या दादा अपनी औलाद को कोई चीज़ दें और फिर वापस ले लें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं

1047. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी को हदयतन या बतौरे सदक़ा कोई चीज़ देकर वापस लेने वाले की मिषाल उस कुत्ते की सी है जो क़ै करता है फिर उसे चाट लेता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 14)**

बाब 3 : हिबा (गिफ़्ट) करते वक़्त अपनी औलाद में फ़र्क़ व इम्तियाज़ रखना या'नी किसी को कम और किसी को ज़्यादा देना मकरूह है

1048. हदीषे नो'मान बिन बशीर (रज़ि.) : हज़रत नो'मान (रज़ि.) बयाने करते हैं कि मेरे वालिद मुझे साथ लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अपने इस बेटे को

एक गुलाम हिबा किया है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुमने अपने सब बेटों को इसी त़रह़ ग़ुलाम हिबा किया है? उन्होंने अ़र्ज़ किया, नहीं! फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर इससे भी वापस ले लो।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 12)

1049. ह़दीषे नो'मान बिन बशीर (रज़ि.) : आ़मिर (रह.) बयान करते हैं कि मैंने ह़ज़रत नो'मान बिन बशीर (रज़ि.) को मिम्बर पर कहते हुए सुना, मुझे मेरे वालिद ने एक अ़तिया दिया था तो (मेरी वालिदा) ह़ज़रत अ़मरह बिन्ते रवाह़ा (रज़ि.) ने कहा कि मैं तो उस वक़्त तक ख़ुश न होऊँगी जब तक कि तुम इस अ़तिये पर रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह न बनाओगे। चुनाँचे मेरे वालिद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अपने बेटे को जो अ़मरह बिन्ते रवाह़ा (रज़ि.) के बत़्न से है एक अ़तिया दिया तो अ़मरह (रज़ि.) ने मुझे कहा कि इस पर मैं आप (ﷺ) को गवाह बनाऊँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुमने अपने तमाम बेटों को इसी त़रह़ का अ़तिया दिया है? कहने लगे, नहीं! तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह से डरो! और अपनी औलाद के बीच इन्स़ाफ़ करो। नो'मान (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे वालिद ने वापस आकर अपना अ़तिया मुझसे वापस ले लिया। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 13)**

नोट : ऊपर बयान की गई अहादीष़ से ज़ाहिर है कि अगर किसी आदमी की एक से ज़्यादा औलाद हो; वो चाहे एक ही माँ के पेट से हो या अलग–अलग औ़रतों से, तो उसे उनके बीच इन्स़ाफ़ करना ज़रूरी है। अगर वो अपनी औलाद को कोई चीज़ तोहफ़े में देना चाहे तो उसके लिये यह लाज़िम है कि वो सबको वैसी ही चीज़ दे और अगर ऐसा न कर सके तो फिर किसी को न दे। इसी तरह नेक व स़ालेह लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई शख़्स़ अपनी औलाद के बीच भेदभाव करे तो उस पर गवाह न बनें क्योंकि ऐसा करना दूसरी औलाद पर ज़ुल्म है।

बाब 4 : उ़म्र भर के लिये किसी को कुछ हिबा करना

1050. ह़दीषे जाबिर (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने 'उ़मरा' के सिलसिले में यह फ़ैस़ला दिया कि वो उसी की होगी जिसको दी गई। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 32)**

1051. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उ़मरा 'जायज़' है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 32)**

नोट : उ़मरा वो अ़तिया (दान) है जो किसी को यह कहकर दिया जाए कि जब तक तुम ज़िन्दा हो इससे फ़ायदा उठाओ। इस अ़तिये के बारे में अगरचे उ़लमा के बीच इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हैं लेकिन राज़ेह व सहीह क़ौल यही है कि वो जिसको दिया गया, उसी का हो जाएगा। अगर कोई ये शर्त लगाए कि तेरे मरने के बाद मैं वापस ले लूंगा, यह शर्त फ़ासिद (ग़लत) है। उ़मरा जाइज़ है, इसका मतलब ये है कि ऐसी इम्दाद, इनआ़म, अ़तिया या बख़्शिश जिस किसी को दी जाए वो उसी की हो जाती है और उसके मरने के बाद उसके वारिष़ उसके मालिक होंगे और जिसने अ़तिया दिया है उसका उस पर कोई ह़क़ नहीं रहता।

किताबुल वसिय्यत

वसिय्यत के अहकाम व मसाइल

1052. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं कि उसके पास कोई चीज़ हो जिसकी वो वसिय्यत करना चाहता हो और उस पर दो रातें इस तरह गुज़र जाएँ कि उसकी वसिय्यत लिखी हुई न हो (या'नी मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं है कि उसकी दो रातें भी वसिय्यत लिखकर रखे बग़ैर गुज़रें)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वसाया बाब 1)**

बाब 1 : वसिय्यत एक तिहाई की करनी चाहिए

1053. हदीषे सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज्जतुल विदाअ के साल जब मैं एक शदीद (तीव्र, असहनीय) दर्द में मुब्तला था और नबी करीम (ﷺ) मेरी इयादत के लिये तशरीफ़ लाए तो मैंने आप (ﷺ) से कहा, **या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा यह दर्द (मर्ज़) इस क़दर बढ़ गया है और मैं मालदार आदमी हूँ और मेरा वारिष सिवाय एक बेटी के और कोई नहीं है तो क्या मैं अपना दो तिहाई माल सदक़ा कर दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! मैंने अर्ज़ किया, अच्छा आधा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं आधा भी नहीं! फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, एक तिहाई माल सदक़ा कर दो, अगरचे एक तिहाई भी बहुत ज़्यादा है, इसलिये यह बात की तुम अपने वारिषों को फ़ारिगुलबाल छोड़कर जाओ कहीं ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम उनको मुहताज और ज़रूरतमंद छोड़ो और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। दरअसल तुम जो कुछ भी ख़र्च करते हो, अगर ख़र्च करते वक़्त तुम्हारी निय्यत रज़ा-ए-इलाही हासिल करना हो तो तुमको उसका अज्र ज़रूर मिलेगा यहाँ तक कि वो ख़र्च भी जो तुम अपनी बीवी पर करते हो।** फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं अपने साथियों के मदीना चले जाने के बाद मक्का ही में छोड़ दिया जाऊँगा और उनसे पीछे रह जाऊँगा (या'नी आप ﷺ के साथ मदीना न जा सकूँगा)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम हर्गिज़ किसी से पीछे न रहोगे क्योंकि तुम ऐसा कारनामा अंजाम दोगे जिससे तुम्हारे दरजात और उलूवे मरातिब में लगातार इज़ाफ़ा होता जाएगा। फिर तुम तो अभी शायद उस वक़्त तक ज़िन्दा रहो कि तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचे और दूसरे बहुत लोगों को नुक़्सान पहुँचे। ऐ अल्लाह! मेरे अस्हाब की हिजरत की तक्मील कर दे और उन्हें उल्टे पाँव वापस मत फेर, लेकिन सअद बिन ख़ौला (रज़ि.) बेचारा बदनसीब था।' दरअसल आप (ﷺ) यह इर्शाद फ़र्माकर उनके मक्का में वफ़ात पाने और वहीं दफ़न होने पर इज़हारे रंज व अफ़सोस फ़र्मा रहे थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 37)**

नोट : बयान की गई हदीष़ से बहुत सारे मसले मालूम होते हैं,

01. अगर कोई शख़्स़ मालदार हो और उसकी औलाद में सिर्फ़ एक बेटी हो तो शरीयत के मुताबिक़ उस बेटी का हिस्सा कुल जायदाद का एक तिहाई होगा और बाक़ी जायदाद दीगर क़रीबी रिश्तेदारों में बाँटी जाएगी।

02. आप (ﷺ) ने इस बात को नापसन्द फ़र्माया कि कोई मालदार शख़्स़ वस़िय्यत करते वक़्त अपने क़रीबी रिश्तेदारों को तंगदस्त छोड़कर माल का स़दक़ा करे। ग़रीब रिश्तेदारों को माल देना अज्र के ऐतबार से ज़्यादा बेहतर है।

03. वस़िय्यत ज़्यादा से ज़्यादा एक तिहाई माल की, की जा सकती है।

04. ख़र्च करते वक़्त अगर यह निय्यत हो कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो तो उसका अज्र व ष़वाब मिलता है चाहे कोई शख़्स़ रज़ा-ए-इलाही के लिये अपनी बीवी पर ही माल क्यों न ख़र्च करे।

05. मुहाजिर स़हाबा, जो मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे, वे इस बात में कराहत महसूस करते थे कि जिस शहर या'नी मक्का को वे अल्लाह की रज़ा के लिये छोड़कर जा चुके हैं, वे उसी मक्का में मरें और वहीं दफ़न किये जाएं। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने भी अपने स़हाबा की आरज़ू को पसन्द फ़र्माया और हिज़रत की तकमील (पूर्णता) के लिये अल्लाह से दुआ की।

06. बीमारी और दर्द में मुब्तला होने पर हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास को अपनी मौत का एहसास होने लगा और उन्होंने मक्का में मरने और दफ़न किये जाने पर कराहत का इज़्हार किया तो आप (ﷺ) ने तन्दुरूस्ती की बशारत दी। आप (ﷺ) ने एक तरह से पेशीनगोई की थी कि तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और बहुत से लोगों को ज़रर (नुक़्स़ान) पहुँचेगा। आप (ﷺ) की पेशीनगोई आगे चलकर पूरी तरह हक़ ष़ाबित हुई। हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास के हाथों इराक़ व ईरान फ़तह हुए, मुसलमानों को इससे बेशुमार फ़ायदा हासिल हुआ और काफ़िरों को ज़बरदस्त नुक़्स़ान पहुँचा।

1054. हदीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि काश लोग (षुलष़ या'नी तिहाई से कम करके) एक चौथाई माल की वस़िय्यत किया करें, क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तिहाई और तिहाई भी बहुत है या ज़्यादा है। **(स़हीह बुख़ारी किताबुल वस़ाया बाब 3)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इन अहादीष़ से ष़ाबित होता है कि अगर वारिष़ मालदार हो तो मरने वाले का एक तिहाई माल की वस़िय्यत करना जाइज़ है और अगर वारिष़ीन ज़रूरतमंद और मुहताज हों तो एक तिहाई से भी कम वस़िय्यत करना बेहतर है। इस बात पर तमाम उ़लमा का इज्माअ़ (सर्वसम्मति) है कि अगर किसी शख़्स़ के वारिष़ मौजूद हो और वो एक तिहाई से ज़्यादा माल की वस़िय्यत करे तो वो एक तिहाई से ज़्यादा फ़ायदेमन्द नहीं होगी। अलबत्ता अगर वारिष़ीन इजाज़त दे तो जाइज़ है। ज़्यादातर उ़लमा का यही ख़याल है कि वस़िय्यत एक तिहाई से कम माल की करना ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अबू बक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) ने पाँचवें हिस़्स़े की वस़िय्यत की थी। हज़रत अ़ली (रज़ि.), इब्ने उ़मर (रज़ि.) और इस्हाक़ (रज़ि.) ने चौथाई माल की वस़िय्यत की थी। कुछ स़हाबा ने छठे हिस़्स़े की और कुछ ने दसवें हिस़्स़े की वस़िय्यत की थी। हज़रत अ़ली (रज़ि.), हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) व हज़रत आइशा (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि जिसके वारिष़ ज़्यादा हों उसके लिये मुस्तहब यह है कि वो वस़िय्यत न करे, ख़ुस़ूस़न उस वक़्त जब माल भी थोड़ा हो।

बाब 2 : मरने वाले को स़दक़ात का ष़वाब पहुँचता है

1055. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, कि एक शख़्स़ नबी करीम (ﷺ) के पास आकर कहने लगा, मेरी वालिदा का अचानक इंतिक़ाल हो गया है और मेरा ख़याल है कि अगर उनको बोलने का मौक़ा मिलता तो अल्लाह की राह में स़दक़ा देतीं। लिहाज़ा अब अगर मैं उनकी तरफ़ से स़दक़ा

करूँ तो क्या इसका षवाब उनको पहुँचेगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ पहुँचेगा।

—(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 95)

नोट : दीगर अहादीष से इस बात का भी षुबूत मिलता है कि आप (ﷺ) ने मरने वाले की तरफ़ से उसके वारिषों को हज्ज व उमरा करने की इजाज़त दी है। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि अगर मरने वाला नेकबख़्त है तो उसे हर उस नेकी का षवाब पहुँचता है जो उसके वारिष उसके हक़ में करते हैं।

बाब 4 : वक़्फ़ के अहकाम व मसाइल

1056. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को ख़ैबर में कुछ ज़मीन मिली तो आप नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए ताकि उसके बारे में आप (ﷺ) से रहनुमाई हासिल करें। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे ख़ैबर में कुछ ज़मीन मिली है जो इतनी अच्छी है कि ऐसा उम्दा माल मुझे कभी नहीं मिला तो उसके सिलसिले में मुझे आप (ﷺ) की क्या हिदायत है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, '**तुम अगर चाहो तो ज़मीन की असल मिल्कियत अपने लिये बाक़ी रखते हुए उस (की आमदनी) को सदक़ा करो।**' हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि आप (ﷺ) के इर्शाद की ता'मील करते हुए हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसको इस तरह सदक़ा किया कि असल ज़मीन न तो फ़रोख़्त की जा सकेगी और न किसी को हिबा की जाएगी और न वारिषों में तक़्सीम होगी और उस (की आमदनी) को मोहताजों, क़राबतदारों, गुलामों और क़र्ज़दारों की गर्दन आज़ाद कराने, नेक कामों, मुसाफ़िरों और मेहमानों पर ख़र्च किया जाएगा। अलबत्ता जो शख़्स उसका मुतवल्ली मुक़र्रर होगा उसे इजाज़त होगी कि उसकी आमदनी में जाइज़ व मुनासिब तरीक़े पर ख़ुद भी खाए और (अपने बाल–बच्चों को भी) खिलाए, लेकिन उसे माल जमा करने की इजाज़त न होगी। रावी बयान करते हैं कि मैंने यह हदीष इब्ने सीरीन (रह.) के सामने बयान की तो उन्होंने कहा, (कि हदीष के आख़िर में जो शर्त है) उसका मक़सद व मफ़हूम यह है कि मुतवल्ली को यह इजाज़त न होगी कि उस वक़्फ़ में कोई तसर्रुफ़ (ख़र्च) इस ग़र्ज़ से करे कि ख़ुद मालदार बन जाए और ज़ाती मुनाफ़ा (व्यक्तिगत लाभ) हासिल करे।

(सहीह बुख़ारी किताबुश्शुरूत बाब 19)

नोट : इस हदीष में अल्लाह की राह में जायदाद वक़्फ़ करने की फ़ज़ीलत और आदाब बयान किये गये हैं,

01. अगर कोई शख़्स अपनी जायदाद फ़ी–सबीलिल्लाह वक़्फ़ करे तो उससे हासिल होने वाली आमदनी को मोहताजों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिये ख़र्च किया जाना चाहिये। इस आमदनी से गुलामों को आज़ाद कराया जाए, क़र्ज़दारों का क़र्ज़ चुकाकर उनकी गर्दन छुड़ाई जाए। साथ ही वक़्फ़ जायदाद की आमदनी को मुसाफ़िरों की भलाई के लिये और दीगर नेक कामों के लिये ख़र्च किया जाना चाहिये।

02. वक़्फ़ जायदाद की देखरेख के लिये तनात किये गये मुतवल्ली उस आमदनी में से सिर्फ़ इतनी रक़म ले सकते हैं जो उनके गुज़र–बसर के लिये ज़रूरी हो। वक़्फ़ आमदनी से ज़ाती मिल्कियत (व्यक्तिगत सम्पत्ति) खड़ी करना मना है।

लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि आज भारतीय मुस्लिम समाज के पास बुज़ुर्गों द्वारा वक़्फ़ की गई लाखों–करोड़ों नहीं बल्कि अरबों–खरबों रूपयों की जायदाद मौजूद है लेकिन उनका सही इंतिज़ाम नहीं किया जा रहा है। कहीं–कहीं तो मुसलमान ख़ुद ही उन जायदादों को खुर्द–बुर्द कर रहे हैं। आज मुसलमानों के रहनुमा, देश के राजनेताओं के आगे क़ौम की बदहाली का रोना रोते रहते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी गई–बीती हो गई है। अगर वे सही मायनों में वक़्फ़ जायदाद का विकास व प्रबंधन करें तो किसी नेता या सरकार से भीख माँगे बग़ैर, पूरे मुस्लिम समाज की बदहाली दूर हो सकती है।

बाब 5 : जिसके पास वसिय्यत करने के लिये कुछ न हो वो अगर वसिय्यत न करे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं

1057. हदीषे अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) : तलहा बिन मुसर्रफ़ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से पूछा, क्या नबी करीम (ﷺ) ने वसिय्यत की थी? उन्होंने कहा, नहीं! मैंने सवाल किया, फिर लोगों पर वसिय्यत किस तरह फ़र्ज़ कर दी गई? या लोगों को किस तरह वसिय्यत का हुक्म दिया गया है? (ग़ालिबन रावी को शक है कि तलहा रह. ने किस तरह के अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किए थे)। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किताबुल्लाह को मज़बूती से थामने और उस पर अमल करने की वसिय्यत की थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वसाया बाब 1)**

नोट : ग़ौरतलब है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इस हालत में ज़िन्दगी गुज़ारी कि कभी माल को जमा नहीं किया। जब भी आप (ﷺ) के पास माल व दौलत आती तो आप (ﷺ) उस वक़्त तक अपने घर तशरीफ़ नहीं ले जाते थे जब तक कि उसे ज़रूरतमंदों में पूरी तरह बाँट न दें।

जिस वक़्त आप (ﷺ) का विसाल हुआ उस वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास दिये में डालने के लिये तेल भी नहीं था। आप (ﷺ) ने कोई माल व दौलत ही नहीं छोड़ा इसलिये उसके बाबत वसिय्यत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चूँकि आप (ﷺ) अल्लाह के आख़री नबी थे और अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) को लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिये मबऊष फ़र्माया था, इसलिये आप (ﷺ) ने लोगों से किताबुल्लाह या'नी क़ुर्आन मजीद और अपनी सुन्नत या'नी अहादीष को मज़बूती से थामने की वसिय्यत की थी।

1058. हदीषे आइशा (रज़ि.) : अस्वद बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं कि लोगों ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के सामने ज़िक्र किया कि हज़रत अली (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के वसी थे; तो आपने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें किस वक़्त वसिय्यत की थी? जबकि वाक़िआ यह है कि मैं आप (ﷺ) को सीने से लगाए बैठी थी (या आपने फ़र्माया) आप (ﷺ) मेरी गोद में थे। उसी वक़्त में आप (ﷺ) ने एक तश्त मँगवाया और (जब उठने की कोशिश की तो) आप (ﷺ) मेरी गोद में गिर पड़े और मुझे उस वक़्त यह भी पता न चल सका कि आप (ﷺ) की वफ़ात हो चुकी है तो फिर किस वक़्त आप (ﷺ) ने हज़रत अली (रज़ि.) को वसिय्यत की? **(सहीह बुख़ारी किताबुल वसाया बाब 1)**

1059. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जुम्अेरात के दिन का ज़िक्र किया और कहा, तुम लोगों को मा'लूम है जुम्अेरात का दिन क्या है? इतना कहने के बाद आप (रज़ि.) के आंसू बह निकले और इस क़दर रोए कि आपके आंसुओं से संगरीरे तक तर हो गए। फिर कहने लगे, जुम्अेरात के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के मर्ज़ ने शिद्दत इख़्तियार की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लिखने का सामान लाओ ताकि मैं तुमको एक दस्तावेज़ लिख दूँ जिसकी मौजूदगी में तुम कभी गुमराह न हो सकोगे। यह सुनकर लोग आपस में इख़्तिलाफ़ राय होने करने लगे हालाँकि नबी करीम (ﷺ) के सामने झगड़ना नामुनासिब था। कुछ लोगों ने कहा, क्या आप (ﷺ) हमें छोड़ रहे हैं? (या यह मा'नी भी हो सकते हैं कि क्या आप ﷺ ने जो कुछ इर्शाद फ़र्माया वो ग़ैर वाज़ेह है?) यह कैफ़ियत देखकर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे पास से हट जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो क्योंकि मैं जिस हाल में हूँ वो इससे बेहतर है जिसमें तुम लोग (अपने शोर व शग़ब और झगड़े की वजह से) मुझे मुब्तला कर रहे हो। और आप (ﷺ) ने ब–वक़्ते वफ़ात तीन वसिय्यतें फ़र्माई थीं (1) मुश्रिकों को जज़ीरतुल अरब से निकाल देना (2) और आने वाले वुफ़ूद (प्रतिनिधि मण्डलों) की उसी तरह मेहमान–नवाज़ी करना जिस तरह मैं करता हूँ और तीसरी

बात मैं भूल गया हूँ। (सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 176)

1060. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) का वक़्ते विसाल क़रीब था और आप (ﷺ) के घर में काफ़ी लोग जमा थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, 'लाओ मैं तुमको ऐसी तहरीर लिख दूँ जिसकी मौजूदगी में तुम गुमराह न होगे।' तो बाज़ लोगों ने कहा कि इस वक़्त आप (ﷺ) पर शिद्दते मर्ज़ तारी है, (इसलिये आप ﷺ को और ज़्यादा तक्लीफ़ न दी जाए) और हमारे पास क़ुर्आने हकीम मौजूद है और अल्लाह की यह किताब हमारे लिये काफ़ी है। इस पर घर में मौजूद लोगों में आपस में इख़्तिलाफ़ हो गया और आपस में झगड़ने लगे। बाज़ का ख़याल था कि सामाने किताबत (लेखन सामग्री) मुहय्या कराया जाए ताकि आप (ﷺ) ऐसी दस्तावेज़ लिख दें जिससे गुमराही का इमकान बाक़ी न रहे और बाज़ इस बात से इख़्तिलाफ़ करने लगे। अलग़र्ज़ जब ग़ैर ज़रूरी बातचीत और इख़्तिलाफ़ व हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'यहाँ से सब चले जाओ।' रावी हदीष उबैद (रह.) कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहा करते थे कि, यह मुसीबत जो मुसलमानों पर आई दरहक़ीक़त बहुत बड़ी मुसीबत थी क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वसिय्यत और हिदायात महज़ इस बिना पर न लिखवाईं क्योंकि उस वक़्त उन लोगों के बीच इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया और शोरो–गुल बरपा हो गया था। (सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 83)

किताबुन् नज़्र

मन्नत मानने के अह़काम व मसाइल

बाब 1 : नज़्र को पूरा करने का हुक्म

1061. ह़दीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से यह मसला पूछा कि मेरी वालिदा का इंतिक़ाल हो गया है और उन्होंने कोई नज़्र मान रखी थी जिसका पूरा करना उनके ज़िम्मे था। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तुम उनकी त़रफ़ से वो नज़्र पूरी कर दो!

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल वस़ाया बाब 19)

बाब 2 : नज़्र मानने की मुमानअ़त और यह की नज़्र किसी होने वाली बात को नहीं रोकती

1062. ह़दीषे इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नज़्र मानने से मना किया और फ़र्माया, नज़्र किसी होने वाली बात को ज़रा भी नहीं टाल सकती अलबत्ता यह ज़रूर है कि इसकी वजह से बख़ील भी माल ख़र्च करने पर मजबूर हो जाता है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल क़दर बाब 6)**

1063. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नज़्र कोई ऐसी चीज़ इंसान को नहीं देती जो उसकी तदबीर में न हो। अलबत्ता नज़्र इंसान को उस तक़्दीर से हमआहंग (क़रीब) कर देती है जो उसके लिये लिखी गई हो और इस त़रीक़े से अल्लाह तआ़ला बख़ील से भी माल ख़र्च करवाता है और इसकी वजह से वो चीज़ देता है जो नज़्र मानने से पहले हर्गिज़ नहीं देता।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अयमान वन् नज़्र बाब 26)

बाब 4 : जो शख़्स़ यह नज़्र माने कि कअ़बा तक पैदल चलकर जाऊँगा

1064. ह़दीषे अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक बूढ़े शख़्स़ को देखा कि वो अपने दो बेटों के बीच सहारा लेकर चल रहा है तो आप (ﷺ) ने पूछा, इसे क्या स़ूरतेह़ाल दरपेश है क्यों इस त़रह़ चल रहा है? लोगों ने कहा, इसने नज़्र मानी है कि कअ़बा तक पैदल चलकर जाएगा। आप (ﷺ) ने

फ़र्माया, अल्लाह तआला इस सज़ा से बेनियाज़ है जो यह शख़्स ख़ुद को दे रहा है और उसे हुक्म दिया कि सवार होकर जाओ।
(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 27)

1065. हदीषे उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) : हज़रत उक़्बा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरी बहन ने नज़्र मानी थी कि पैदल कअबतुल्लाह तक जाएगी और उन्होंने मुझे हिदायत की थी। मैं उनकी नज़्र के बारे में नबी करीम (ﷺ) से मसला पूछूँ लिहाज़ा मैंने नबी करीम (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसे चाहिए कि पैदल भी चले और सवार भी हो।
(सहीह बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैद बाब 27)

किताबुल अयमान

क़समों के अहकाम व मसाइल

बाब 1 : अल्लाह तआला के सिवा किसी और की क़सम खाने की मुमानअत

1066. हदीषे उमर (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझसे नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अल्लाह तआला ने शिद्दत के साथ इस बात से मना फ़र्माया है कि कोई शख़्स अपने बाप-दादा की क़सम खाए। हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि अल्लाह की क़सम! जब से यह इर्शाद सुना है उसके बाद से मैंने कभी बाप-दादा की क़सम नहीं खाई, न अपनी तरफ़ से (क़स्दन यानी जान-बूझकर) और न किसी दूसरे की तरफ़ से (नक़्लन यानी दूसरों की नक़ल करते हुए)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अयमान बाब 4)**

1067. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को कुछ सवारों के साथ (चलते हुए) इस हालत में देखा कि वे अपने बाप के नाम की क़सम खा रहे हैं, इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें बुलाया और फ़र्माया, ख़बरदार! अल्लाह तआला इस बात से सख़्ती के साथ मना फ़र्माता है कि तुम लोग अपने बाप-दादा के नामों की क़सम खाओ, लिहाज़ा जिसे क़सम खाना हो तो वो सिर्फ़ अल्लाह के नाम की क़सम खाए वरना ख़ामोश रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 74)**

बाब 2 : अगर कोई शख़्स लात या उज़्ज़ा की क़सम खा ले उसे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिये

1068. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने क़सम खाई और अपनी क़सम में कहा, क़सम है लात और उज़्ज़ा की तो उसे चाहिए कि कहे 'ला इलाहा इल्लल्लाह।' (नहीं है कोई इबादत के लायक़ सिवाए अल्लाह तआला के) और अगर कोई शख़्स किसी को कहे कि मैं तुझसे जुआ खेलूँगा, तो उसे चाहिए कि सदक़ा दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरह नज्म बाब 2)**

नोट : लात और उज्ज़ा उन बुतों के नाम हैं जिनकी दौरे-जहालत में अरब के लोग पूजा करते थे। हर मुस्लिम पर यह लाज़िम है कि वो तमाम क़िस्म के झूठे माबूदों की पूजा-परस्तिश से इन्कार करे। अब अगर कोई शख़्स ईमान लाने के बाद भी बुतों की क़सम खाए तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका ईमान नाक़िस (त्रुटिपूर्ण) है। अगर कोई मुसलमान किसी ऐसी शय की क़सम खाए जिसकी ग़ैर-मुस्लिम लोग पूजा करते हों तो उसे कलिम-ए-तय्यिबा पढ़ना चाहिये। इसी तरह किसी के आगे जुआ खेलने की बात भी नहीं करनी चाहिये।

बाब 3 : अगर कोई किसी काम को करने की क़सम खाए लेकिन फिर मा'लूम हो कि उसका न करना या कोई दूसरा काम बेहतर है तो मुस्तहब यह है कि जो बेहतर है उसे करे और क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दे

1069. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे साथियों ने जैशुल उसरा या'नी ग़ज़व–ए–तबूक के मौक़े पर मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा ताकि मैं आप (ﷺ) के सामने सवारियों की हुसूल की दरख़्वास्त पेश करूँ। चुनाँचे मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे साथियों ने मुझे आप (ﷺ) की ख़िदमत में यह दरख़्वास्त पेश करने के लिये भेजा है कि हमें सवारियाँ अता की जाएँ। यह सुनकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मैं तुम लोगों को कोई सवारी नहीं दूँगा। दरअसल सूरतेहाल यह थी कि जिस वक़्त मैं आप (ﷺ) के पास दरख़्वास्त लेकर पहुँचा; आप (ﷺ) गुस्से की हालत में थे लेकिन मुझे मा'लूम न था, चुनाँचे मैं आप (ﷺ) के इंकार फ़र्माने की वजह से और इस डर से भी कि कहीं आप (ﷺ) मुझसे भी नाराज़ न हो गए हों सख़्त रंजीदा लौटा और अपने अस्हाब (साथियों) के पास पहुँचकर उन्हें बताया कि नबी करीम (ﷺ) ने यह जवाब दिया है। उसके बाद अभी कुछ ज़्यादा देर न गुज़री थी कि मैंने हज़रत बिलाल (रज़ि.) की आवाज़ सुनी जो ब–आवाज़े बुलन्द कह रहे थे, अब्दुल्लाह बिन क़ैस (रज़ि.) कहाँ है? मैं उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास गया तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ! आँहज़रत (ﷺ) तुमको याद फ़र्मा रहे हैं। अलग़र्ज़ जब मैं आप (ﷺ) के पास गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऊँटों का यह जोड़ा ले लो, और यह जोड़ा भी ले लो, कुल छः ऊँट थे। जो आप (ﷺ) ने उसी वक़्त हज़रत सअद (रज़ि.) से ख़रीदे थे और इन्हें अपने साथियों के पास ले जाओ और उनसे कहा कि अल्लाह तआला ने (या आप ﷺ ने फ़र्माया) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यह ऊँट तुम्हारी सवारी के लिये अता फ़र्माए हैं, लिहाज़ा इन पर सवार होकर जिहाद पर जाओ। चुनाँचे मैं उन ऊँटों को लेकर अपने अस्हाब के पास आया और उनको बताया कि नबी करीम (ﷺ) ने यह ऊँट तुम्हारी सवारी के लिये दिए हैं लेकिन मैं उस वक़्त तक मुतमईन न होऊँगा और न यह मुआमला ख़त्म होगा जब तक कि आप हज़रात में से कुछ लोग मेरे साथ उन लोगों के पास न चलेंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की बातचीत सुनी थी (और तस्दीक़ न कर ले कि मैंने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था)। ताकि तुमको यह बदगुमानी न हो कि मैंने तुम्हें आकर कोई ऐसी बात कह दी थी जो आप (ﷺ) ने न फ़र्माई हो। वो सब कहने लगे कि आप हमारे ख़याल में सच्चे हैं (और इस तस्दीक़ की ज़रूरत तो कुछ नहीं है लेकिन) हम वही करेंगे जो आप पसंद करते हैं, अलग़र्ज़ अबू मूसा (रज़ि.) ने उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उन हज़रात के पास आए जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) की बातचीत और आप (ﷺ) का इंकार फ़र्माना सुना था (या'नी पूरे वाक़िअे से बाख़बर थे) चुनाँचे उन हज़रात ने भी वही सब कुछ बयान किया जो हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने बताया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 74)**

1070. हदीषे अबू मूसा (रज़ि.) : ज़हदम (रज़ि.) (अबू क़लाबा) बयान करते हैं कि हम हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे कि उनके पास (एक क़ाब) लाई गई (रावी ने मुर्ग़ी का ज़िक्र किया या'नी मुर्ग़ी की क़ाब लाई गई) और उनके पास बनी तैमुल्लाह का एक सुर्ख़ रंग का शख़्स बैठा हुआ था जो देखने में गुलाम लगता था, आपने उसे भी खाने की दअवत दी तो वो कहने लगा कि मैंने इसे (मुर्ग़ी को) कुछ (ग़लाज़त) खाते हुए देखा जिससे मुझे घिन आई और मैंने मुर्ग़ी न खाने की क़सम खा ली, तो हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा आओ और खाने में शरीक हो जाओ और मैं तुमको क़सम के बारे में एक हदीष सुनाता हूँ। मैं अशअरियों के चंद अफ़राद के साथ नबी करीम (ﷺ) के पास गया और हमने आप (ﷺ) से सवारी दिए जाने की दरख़्वास्त की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मैं तुमको सवारी के लिये जानवर नहीं दूँगा और मेरे पास ऐसे जानवर मौजूद ही नहीं है

जो मैं तुमको सवारी के लिये दूँ। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास माले ग़नीमत के कुछ ऊँट आए तो आप (ﷺ) ने हमारे बारे में पूछा कि वो अशअ़रियों का गिरोह (जो सवारियाँ माँग रहा था) कहाँ है? और आप (ﷺ) ने सफ़ेद कोहान वाले पाँच ऊँट हमको अ़ता करने का हुक्म दिया, फिर जब हम (वो ऊँट लेकर) जाने लगे तो हमने एक-दूसरे से कहा कि यह हमने क्या किया? (आप ﷺ के क़सम खाने के बावजूद ऊँट हमने ले लिये) यह हमारे लिये मुबारक षाबित न होंगे। चुनाँचे हम लौटकर आप (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमने जब सवारियों के लिये दरख़्वास्त की थी तो आप (ﷺ) ने क़सम खाई थी कि आप हमें सवारियाँ नहीं देंगे, तो क्या उसके बाद आप (ﷺ) को अपनी क़सम याद नहीं रही? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, (अव्वल तो) यह सवारियाँ तुमको मैंने नहीं अ़ता कीं बल्कि यह अल्लाह तआ़ला ने अ़ता फ़र्माई हैं (दूसरे) मैं तो अल्लाह की क़सम! अगर अल्लाह चाहे तो जब भी किसी काम के करने या न करने की क़सम खाऊँगा और देखूँगा कि उसके ख़िलाफ़ करना ख़ैर और बेहतर है तो मैं ज़रूर वो करूँगा जो ख़ैर और बेहतर होगा और क़सम तोड़ दूँगा और कफ़्फ़ारा अदा करूँगा।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 15)

1071. ह़दीषे अ़ब्दुर्रह़मान बिन समुरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **ऐ अ़ब्दुर्रह़मान! कभी इमारत व हुकूमत (ओ़हदे और सरदारी) के हुस़ूल की दरख़्वास्त न करना, इसलिये कि अगर हुकूमत व इमारत तुमको तुम्हारे चाहने पर दी जाएगी तो वो फिर तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारी होगी, (और अल्लाह तआ़ला की मदद के मुस्तह़िक़ न होओगे) और अगर यह बोझ तुम पर बग़ैर तलब किए डाल दिया जाएगा तो उस ज़िम्मेदारी को कुबूल करने की वजह से अल्लाह तआ़ला तुम्हारी इआ़नत और मदद फ़र्माएगा,** और अगर तुम किसी काम की क़सम खा लो फिर देखो कि उसके ख़िलाफ़ करना ख़ैर और बेहतर है तो अपनी क़सम तोड़कर उसका कफ़्फ़ारा अदा कर दो और वो काम करो जो बेहतर हो।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अयमान वन् नज़्र बाब 1)

बाब 5 : क़सम खाते वक़्त इंशाअल्लाह कहना

1072. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत सुलैमान बिन दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा, आज रात मैं अपनी सौ बीवियों से स़ोह़बत करूँगा और हर एक के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो अल्लाह की राह में जिहाद और काफ़िरों से जंग करेगा। इस मौक़े पर फ़रिश्ता (हातिफ़े ग़ैबी) ने कहा, 'इंशाअल्लाह कहो।' लेकिन ह़ज़रत सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) भूल गए और इंशाअल्लाह न कह सके। फिर उन्होंने अपनी बीवियों से स़ोह़बत फ़र्माई लेकिन एक औ़रत के आधे (नामुकम्मल) बच्चे के सिवा किसी और बीवी के यहाँ कोई औलाद न हुई। नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अगर सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) इंशाअल्लाह कह लेते तो अपने क़ौल में नाकाम न होते और इंशाअल्लाह कह लेने से मक़स़द पूरा होने की ज़्यादा उम्मीद होती।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन निकाह बाब 119)

1073. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ह़ज़रत सुलैमान बिन दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा था, मैं आज रात ज़रूर अपनी 70 बीवियों से स़ोह़बत करूँगा और हर औ़रत एक शहसवार को जन्म देगी जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। इस मौक़े पर उनके साथी ने कहा, इंशाअल्लाह कहिए! लेकिन वो न कह सके और नतीजा यह हुआ कि कोई औ़रत ह़ामला न हुई सिवाए एक के, जिसने एक ऐसे बच्चे

को जन्म दिया जिसके जिस्म का आधा हिस्सा नाकारा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर वो इंशाअल्लाह कह लेते तो सब (के यहाँ बच्चे पैदा होते जो) अल्लाह की राह में जिहाद करते। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 40)**

नोट : इन अहादीष से यह रहनुमाई मिलती है कि अगर कोई मुसलमान किसी काम को करने का इरादा करे तो उसे इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिये क्योंकि किसी भी इन्सान के क़ब्ज़–ए–क़ुदरत में यह नहीं है कि वो उस काम को पूरा कर सके जिसका उसने इरादा किया है, मगर अल्लाह जो चाहे। इंशाअल्लाह कहने से उस इरादे में अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो जाती है और इरादे के नाकाम होने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं।

बाब 6 : अगर क़सम की वजह से घरवालों को ईज़ा पहुँचती है तो क़सम पर इसरार करना मना है और ऐसी क़सम को तोड़ देना चाहिए बशर्ते कि वो काम जिसके न करने की क़सम खाई थी हराम न हो

1074. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! किसी शख़्स का अपने घरवालों (का फ़ायदा और भलाई न करने) के बारे में खाई हुई क़सम को पुख़्ता करना और उस पर क़ायम रहना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा गुनाह का बाइष है, बनिस्बत उसके कि ऐसी क़सम को तोड़कर उसका वो कफ़्फ़ारा अदा करे जो अल्लाह तआला ने मुक़र्रर किया है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अयमान वन् नज़्र बाब 1)

बाब 7 : कोई शख़्स अगर ब–हालते कुफ़्र नज़्र माने तो मुसलमान हो जाने के बाद उस नज़्र का क्या करे?

1075. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने जाहिलियत के दौर में एक दिन के ऐतिकाफ़ की नज़्र मानी थी (अब उसके सिलसिले में क्या करूँ?) आप (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को हुक्म दिया कि अपनी नज़्र को पूरा करो। नीज़ हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) को हुनैन के क़ैदियों में से दो लौण्डियाँ मिली थीं और हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें मक्का के एक घर में रख छोड़ा था। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि उसके बाद नबी करीम (ﷺ) ने हुनैन के क़ैदियों पर एहसान किया (और उन्हें आज़ाद कर दिया) तो वो मक्का के बाज़ारों में भागने–दौड़ने लगे। उस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह! देखो तो यह क्या बात है? उन्होंने बताया कि नबी करीम (ﷺ) ने क़ैदियों पर एहसान (करके उन्हें आज़ाद) किया है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, जाओ तुम भी उन दोनों लौण्डियों को आज़ाद कर दो। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 19)**

बाब 9 : उस शख़्स के लिये शदीद वईद (सख़्त चेतावनी) जो अपने गुलाम या लौण्डी पर ज़िना की तोहमत लगाए

1076. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने जनाब अबुल क़ासिम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि जिस शख़्स ने अपने बेगुनाह मम्लूक (गुलाम या लौण्डी) पर (ज़िना की) तोहमत लगाई, उसे रोज़े क़ियामत कोड़े मारे जाएँगे; सिवाय इसके कि वो मम्लूक वैसा हो जैसा उसके मालिक ने

कहा है (या'नी मालिक ने जो इल्ज़ाम उस पर लगाया है वो सहीह है तो उसे रोज़े क़ियामत सज़ा न मिलेगी)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 45)

बाब 10 : अपने गुलामों को वैसा ही खिलाओ और पिलाओ जैसा ख़ुद खाते और पहनते हो और उन पर ऐसे काम का बोझ न डालो जिसे करने की ताक़त उनमें न हो

1077. हदीषे अबू ज़र (रज़ि.) : मअरूर बिन सुवैद (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) मुक़ामे रबज़ह में मुझे मिले तो उन्होंने एक जोड़ा (क़मीस व इज़ार) पहन रखा था और उनके गुलाम ने भी (उसी तरह का) जोड़ा पहन रखा था। मैंने हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से इसके बारे में पूछा, (कि आपने अपने गुलाम को भी अपने जैसा लिबास क्यों पहना रखा है?) तो उन्होंने बताया कि मैंने एक बार एक शख़्स (गुलाम) को गाली दी और उसे उसकी माँ की वजह से शर्म दिलाई (उसने मेरी शिकायत नबी करीम ﷺ से की) तो नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, **ऐ अबू ज़र! क्या तुमने उसकी माँ पर तअ़न करके उसे शर्म दिलाई है? यक़ीनन तुम ऐसे शख़्स हो जिसमें ज़मान–ए–जाहिलियत के बाक़ियात (निशानियाँ) मौजूद हैं। तुम्हारे गुलाम और ख़िदमतगार (सेवक) भी तुम्हारे भाई हैं। जिन्हें अल्लाह तआला ने तुम्हारा ज़ेरे दस्त (अधीनस्थ) बनाया है तो जिस शख़्स के मातहत उसका कोई भाई हो उस पर लाज़िम है कि उसे वैसा ही खाना खिलाए जैसा ख़ुद खाता है और उसी तरह का लिबास पहनाए जैसा ख़ुद पहनता है और अपने गुलामों पर कामों का इतना बोझ न डालो कि वो उसके नीचे दबकर रह जाएँ बल्कि उनसे अगर कोई सख़्त काम लो तो उसमें उनकी मदद करो।** **(सहीह बुख़ारी किताबुल अयमान बाब 22)**

1078. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स के पास उसका ख़ादिम उसका खाना लेकर आए तो अगर वो शख़्स उसे अपने साथ खाने पर न बिठा सके (या'नी अगर खाना कम हो) तो उसे उसमें से एक–दो लुक़्मे ज़रूर दे दे क्योंकि उसी ने तो उसके बनाने की ज़हमत और पकाने की गर्मी बर्दाश्त की है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अतएमा बाब 55)**

बाब 11 : ऐसे गुलाम का अज्र व षवाब जो अपने आक़ा का ख़ैर–ख़्वाह हो और अल्लाह की इबादत भी अहसन तरीक़े से करता हो

1079. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो गुलाम अपने आक़ा का ख़ैर–ख़्वाह भी हो और अपने रब्बे हक़ीक़ी की इबादत भी अहसन तरीक़े से करे, उसे दोहरा अज्र व षवाब मिलेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 16)**

1080. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़रख़रीद गुलाम अगर नेक और सालेह हो तो उसे दोहरा अज्र मिलेगा। क़सम है उस ज़ात कि जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! अगर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, हज्ज और माँ की ख़िदमत की नेकियाँ न होतीं तो मैं पसंद करता कि मेरी मौत इस हाल में वाक़ेअ हो कि मैं गुलाम होऊँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 16)**

1081. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कितना अच्छा है किसी शख़्स के लिये जो उसे यह मौक़ा मयस्सर आए कि वो अपने रब्बे जलील की इबादत भी हुस्न व ख़ूबी के साथ करे और अपने दुनयावी आक़ा की भी ख़ैर–ख़्वाही बजा लाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 16)

बाब 12 : मुशतर्का (संयुक्त) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद करने का बयान

1082. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स मुशतर्का गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद करे और उसके पास इतना माल हो जिससे कि गुलाम की कुल क़ीमत अदा हो सके तो गुलाम की ठीक–ठीक क़ीमत लगाई जाए और वो दीगर साझीदारों को उनके हिस्से की क़ीमत अदा कर दे। इस सूरत में पूरा गुलाम उसी की तरफ़ से आज़ाद होगा और अगर उसके पास क़ीमत अदा करने के लिये माल न हो तो जिस क़दर हिस्सा उसने आज़ाद किया है, गुलाम का उतना हिस्सा ही आज़ाद होगा(बाक़ी दूसरे की मिल्क रहेगा)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 4)**

1083. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी मुशतर्का गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद करे उस गुलाम की (बाक़ी हिस्सेदारों से) ख़लासी भी उसी के माल से की जाए (अगर उसके पास माल हो)। और अगर उसके पास माल न हो तो गुलाम की ठीक–ठीक क़ीमत लगाई जाए और गुलाम से मेहनत मज़दूरी कराई जाए (ताकि वो बक़िया क़ीमत अदा करके आज़ाद हो सके) लेकिन इस सिलसिले में गुलाम पर जब्र न किया जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुश्शिरकति बाब 5)**

बाब 13 : मुदब्बर की फ़रोख़्त जाइज़ है

1084. हदीषे जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि अन्सार में से एक शख़्स ने अपने गुलाम को 'मुदब्बिर' कर दिया (अपने मरने के बाद आज़ाद कर दिया) और उसके पास उस गुलाम के सिवा और कोई माल भी न था। इस अम्र की ख़बर जब नबी करीम (ﷺ) को हुई तो आप (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) से इर्शाद फ़र्माया, कौन शख़्स मुझसे यह गुलाम ख़रीदता है? चुनाँचे उसे नईम बिन नह्हाम (रज़ि.) ने आठ सौ दिर्हम में ख़रीद लिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल कफ़्फ़ारात बाब 7)**

नोट : मुदब्बर ऐसे गुलाम को कहते हैं जिसका आक़ा यह कह दे कि तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो। लेकिन किसी शख़्स के पास उस गुलाम के अलावा कोई और माल या जायदाद न हो तो उसको उसके जीते–जी बेचा जा सकता है। इमाम शाफ़ई (रह.) का मसलक यही है कि आक़ा की मौत से पहले मुदब्बर गुलाम को बेचना जाइज़ है लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ऐसा करना ठीक नहीं।

इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इस हदीष में जिस सहाबी नईम बिन नह्हाम का नाम आया है वो ग़लत है, सहीह नाम नईम अन् नह्हाम है या'नी नह्हाम, नईम बिन अब्दुल्लाह का लक़ब है इनके बाप का नाम नहीं है। दूसरी रिवायत में यह ज़िक्र है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं जन्नत में गया तो वहाँ नईम का नहमा सुना (या'नी उनकी आवाज़ सुनी)

किताबुल क़सामा

(क़सामा, लड़ाई झगड़े और क़िसास व दियत के मसाइल)

बाब 1 : क़सामा का बयान

1085. हदीषे राफ़ेअ बिन ख़दीज व सहल बिन अबी हस्मा (रज़ि.) : बशीर बिन यूसार (रह.) जो कि अन्सार के आज़ादकर्दा गुलाम हैं, बयान करते हैं कि हज़रात राफ़ेअ बिन ख़दीज और सहल बिन हस्मा (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसह बिन मसऊद (रज़ि.) ख़ैबर गए और वहाँ पहुँचकर खजूरों के बाग़ में एक–दूसरे से जुदा हो गए। फिर अब्दुल्लाह बिन सहल (रज़ि.) को किसी ने क़त्ल कर दिया तो अब्दुर्रहमान बिन सहल (रज़ि.) और हुवैसह बिन मसऊद (रज़ि.) और मुहय्यिसह बिन मसऊद (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अपने साथी (के क़त्ल) के मुआमले पर गुफ़्तगू करने लगे। गुफ़्तगू की शुरूआत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने जो उनमें सबसे कम उम्र थे। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बड़ों को बड़ाई दो।' (हदीष के रावियों में से एक रावी कहते हैं कि इस फ़िक़रे का मतलब यह है कि जो बड़ा हो वो बात करे) चुनाँचे उन लोगों ने अपने साथी के मुआमले में बातचीत की तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम इसके लिये तैयार हो कि 50 क़समें खाकर अपने मक़्तूल या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने साथी (की दियत) के मुस्तहिक़ बन जाओ? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह मुआमला ऐसा है जिसे हमने अपनी आँखों से नहीं देखा (तो हम क़सम कैसे खाएँ?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर यहूदी 50 क़समें खाकर इस इल्ज़ाम से बरी हो जाएँगे। उन लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो तो काफ़िर हैं (झूठी क़समें भी खा लेंगे उनका क्या ऐतबार?) चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने उनको अपनी तरफ़ से दियत अदा कर दी।

सहल (रज़ि.) कहते हैं कि उन ऊँटों में से एक ऊँट को लेकर जब मैं बाड़े में गया तो उसने मुझे लात मारी थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 89)**

नोट : क़सामा, क़सम से बना है। इससे मुराद वो क़सम है जो किसी इलाक़े या मोहल्ले के लोगों को जमा करके उस सूरत में ली जाती है जब कोई क़त्ल, इक़रार या गवाही के ज़रिये से षाबित न हो सके और उन पर शक हो तो वो क़सम खाते हैं कि हमने क़त्ल नहीं किया या फिर मक़्तूल (मृतक) के वारिष किसी को क़ातिल षाबित करने के लिये क़सम खाते हैं।

दियत का मतलब है मुआवज़ा; अगर कोई शख़्स किसी को क़त्ल कर दे और मक़्तूल के वारिष दियत लेने पर राज़ी हों तो क़ातिल को क़िसास (बदले) में क़त्ल नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख़्स किसी दूसरे को कोई चोट पहुँचाए तो लाज़िम यही होगा कि उससे क़िसास लिया जाए या दियत वसूली जाए।

इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि यही हदीष क़सामा के बाब की बुनियाद है और जो उलमा क़सामा के क़ायल हैं उन्होंने इसी से इस्तदलाल किया है। क़सामा के मामले में चन्द मसाइल उलमा के नज़दीक मुख़्तलिफ़ पाए जाते हैं,

01. क़सामा की कैफ़ियत क्या है और क़सामा से क़िसास हो सकता है या नहीं? इमाम मालिक (रह.), औज़ाई (रह.) और लैष़ (रह.) के नज़दीक क़सामा से क़िसास हो सकता है। इमाम शाफ़ई (रह.) का पुराना क़ौल भी यही है।

02. अहले कूफ़ा के नज़दीक क़सामा से क़िसास नहीं हो सकता, दियत लाज़िम आएगी और इमाम शाफ़ई (रह.) का सहीह क़ौल भी यही है।

03. इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि क़सम कौन खाएगा? इमाम मालिक (रह.), इमाम शाफ़ई (रह.) और जुम्हूर (अधिकांश) उलमा के नज़दीक मक़्तूल (मृतक) के वारिष़ पचास क़समें खाएंगे (कि फलां शख़्स ने हमारे आदमी का क़त्ल किया है); अगर वो क़सम न खाएं तो जिन पर शक हो उनसे क़समें ली जाएंगी (कि हमने क़त्ल किया है या नहीं किया है)। अहले कूफ़ा के नज़दीक क़समें मुद्दा अलैह (प्रतिवादी) पर लाज़िम होगी।

04. अहले कूफ़ा, सुफ़यान ष़ौरी (रह.) और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक क़सामा सिर्फ़ उस सूरत में है कि लाश किसी मुहल्ले या गाँव में मिले और उस पर चोट या ज़ख़्म के निशान हों। इसके अलावा किसी और सूरत में क़सामा नहीं है।

05. लाश अगर किसी मस्जिद में से मिले तो मुहल्ले वालों से हलफ़ लिया जाएगा और दियत (मुआवज़ा) बैतुलमाल से अदा की जाएगी, बशर्ते कि मुहल्ले वालों पर क़त्ल का दा'वा किया जाए। इमाम औज़ाई (रह.) का ख़याल है कि जब किसी मुहल्ले में लाश मिले तो क़सामा वाजिब होगी, चाहे उस पर ज़ख़्म या चोट के निशान हो या न हो।

06. इस क़िस्म के मुक़द्दमे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दियत अपने पास से इसलिये अदा की क्योंकि मक़्तूल के वारिष़ क़सम खाकर मश्कूक (संदिग्ध) लोगों पर इल्ज़ाम लगाने के लिये तैयार नहीं थे और न इस बात पर राज़ी थे कि प्रतिवादी पक्ष यहूदियों से क़सम ली जाए। उनको यह अंदेशा था कि यहूदी झूठी क़सम खाकर इल्ज़ाम से बरी हो जाएंगे।

07. इस हदीष़ से यह बात पता चलती है कि आप (ﷺ) के दौर में मुसलमान क़सम की बहुत ज़्यादा अहमियत जानते थे। वे अपने किसी अज़ीज़ के क़त्ल कर दिये जाने पर भी बग़ैर षुबूत के किसी (मश्कूक या संदिग्ध व्यक्ति) के ख़िलाफ़ क़सम खाकर गवाही नहीं देते थे। आप (ﷺ) ने दियत अपने पास से इसलिये अदा की क्योंकि आप (ﷺ) नहीं चाहते थे कि हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का ख़ून रायगाँ (निरर्थक) जाए।

08. एक रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने सदक़े के ऊँटों में से सौ ऊँट दियत के रूप में दिये थे। लिहाज़ा मुसलमानों के इमाम को ऐसे मुक़द्दमों में दियत अदा करने के लिये बैतुलमाल से रक़म ख़र्च करने का इख़्तियार है।

बाब 2 : मुर्तदों और उन लोगों के बारे में अहकाम जो मुसलमानों के मुक़ाबले में मुसल्लह (हथियारबंद) होकर लड़ें

1086. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि क़बीले उकल के आठ अफ़राद ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर इस्लाम क़ुबूल किया। फिर उनको उस सरज़मीन की आबो–हवा मुवाफ़िक़ न आई और बीमार रहने लगे। चुनाँचे उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से अपनी बीमारी का शिकवा किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग हमारे चरवाहे के पास क्यों नहीं चले जाते ताकि ऊँटों के पास रहो और वहाँ उनका दूध और पेशाब मिलाकर पीयो। उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं! हम तैयार हैं! चुनाँचे वो ऊँटों के ग़ल्ले में चले गए और ऊँटो के दूध और पेशाब को मिलाकर पीते रहे और तंदरुस्त हो गये। फिर उन्होंने नबी करीम (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊँटों को हाँक कर ले गए। जब यह ख़बर नबी करीम (ﷺ) को पहुँची तो आप (ﷺ) ने उनके पीछे दस्ता भेजा और यह लोग गिरफ़्तार करके हाज़िर किए गए तो आप (ﷺ) ने हुक्म दिया और उनके हाथ और पाँव काटे गए और आँखों में सलाई फिरवाई गई इसके बाद उन्हें धूप में डाल दिया गया, यहाँ तक कि वे हलाक हो गए। **(सहीह बुख़ारी किताबुद् दियात बाब 22)**

नोट : इमाम मालिक (रह.) और इमाम अहमद (रह.) ने इस हदीष से दलील ली है कि हलाल जानवरों का पैशाब व गोबर पाक है। लेकिन उलम–ए–सलफ़िया और दीगर अइम्मा के ख़याल में यह हुक्म बतौरे–दवा इस्तेमाल करने के लिये था क्योंकि उनके नज़दीक दवाओं में मस्करात के सिवा नजिस चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़रूरतन जाइज़ है।

यह हदीष आयते करीमा 'इन्नमा जज़ा उल्लज़ीन युहारिबूनल्लाह व रसूलहु ....' की अमली तफ़्सीर है। इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक वो तमाम सज़ाएं दी जा सकती हैं जिनका ज़िक्र इस आयत में किया गया है या'नी क़त्ल करना, सूली चढ़ाना, हाथ–पाँव काटना और क़ैद करना। गोया इमाम को इख़्तियार है कि वो हालात को पेशे–नज़र रखते हुए जो सज़ा मुनासिब समझे वो दे, अलबत्ता क़त्ल की सूरत में क़त्ल करना ज़रूरी है।

इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और अबू मुसअब (रह.) के नज़दीक इमाम को हर सूरत में इख़्तियार है (कि वो जो मुनासिब समझे वैसी सज़ा दे)।

इमाम शाफ़ई (रह.) और बाक़ी उलमा के नज़दीक अगर हमलावरों ने सिर्फ़ क़त्ल किया है और माल नहीं लिया तो उन्हें बदले में क़त्ल किया जाएगा। अगर उन्होंने क़त्ल करने के साथ माल भी लूटा है तो तो क़त्ल भी किया जाएगा और सूली भी दी जाएगी। अगर सिर्फ़ माल लिया है तो बदले में हाथ–पाँव काटे जाएंगे और अगर सिर्फ़ डराया–धमकाया है तो ताज़ीरी (आपराधिक) क़ानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी।

उलमा ने कहा है कि इस रिवायत में जो आँखें फोड़ने का ज़िक्र आया है वो वाक़िया मष्ला (अंग–भंग) करने की मुमानअत से पहले का है, बाद में यह इजाज़त मंसूख (रद्द) हो गई, गोया अब इसकी इजाज़त नहीं है। कुछ उलमा का ख़याल है कि मंसूख़ नहीं है बल्कि आप (ﷺ) क़िसास के तौर पर इसका हुक्म दिया था क्योंकि उन अपराधियों ने चरवाहे के साथ भी ऐसा ज़ालिमाना सुलूक किया था। (अज़ नववी रह.)

बाब 3 : पत्थर, तेज़ धार आले या किसी भारी चीज़ से क़त्ल करने पर क़िसास है इसी तरह अगर मर्द औरत को क़त्ल करेगा तो क़िसास में उसे क़त्ल किया जाएगा

1087. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में एक यहूदी ने एक लड़की पर ज़्यादती की; जो ज़ेवरात उसने पहन रखे थे छीन लिये और उसका सर कुचल दिया। तो उस लड़की को उसके घरवाले नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में लेकर हाज़िर हुए ऐसी हालत में वो आख़िरी दमों पर थी और बोलने की हालत में न थी। नबी करीम (ﷺ) ने उससे पूछा, तुझे किसने क़त्ल किया है? और क़ातिल के अलावा किसी दूसरे के नाम लिया तो उसने सर के इशारे से कहा कि यह नहीं है, फिर एक दूसरे शख़्स के बारे में पूछा तो यह भी क़ातिल के अलावा था तो उसने इशारे से कह दिया कि यह भी नहीं है। फिर पूछा कि फ़लाँ या'नी उस शख़्स का नाम लिया जिसने वाक़िअतन क़त्ल किया था तो उसने इशारे से कहा कि हाँ यही है। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) के हुक्म से उस यहूदी का सर दो पत्थरों के बीच रखकर कुचल दिया गया।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तलाक़ बाब 24)

नोट : इमाम नववी (रह.) के मुताबिक़ इस हदीष से कई अहकाम षाबित होते हैं,

01. औरत के क़त्ल के बदले में उस मर्द को क़त्ल किया जाएगा जो कि वाक़ियतन क़ातिल है। इस्लाम से पहले के ज़माने में अगर कोई मर्द किसी औरत को क़त्ल कर देता था तो बदले में उसकी बीवी, बहन या बेटी को क़त्ल किया जाता था। लेकिन इस्लाम ने क़ातिल को क़िसास में क़त्ल करने का हुक्म जारी किया, यही इंसाफ़ की बात है।

02. इरादतन किये गये क़त्ल की सूरत में जिस तरह क़त्ल किया गया उसी तरह बदला लिया जाए। या'नी अगर तलवार से क़त्ल किया गया हो तो क़ातिल को भी तलवार से क़त्ल किया जाएगा और अगर लकड़ी या पत्थर के वार से क़त्ल किया गया हो तो उसी तरीक़े से बदला लिया जाएगा।

03. इस हदीष से यह भी षाबित होता कि किसी भारी चीज़ से किया गया क़त्ल भी इरादतन क़त्ल की परिभाषा में

आता है जैसे मोटी लकड़ी या बड़ा पत्थर मारकर क़त्ल करना और ऐसे क़त्ल पर क़िसास (बदला) लाज़िम है।

04. इस हदीष से यह भी षाबित होता है कि अगर क़ातिल ग़ैर—मुस्लिम हो तो भी उसे क़िसास में क़त्ल किया जाएगा।

05. मजरूह (घायल, चोटग्रस्त) के बयान सुनना और उससे क़ातिल के बारे में पूछ—ताछ करना ज़रूरी है। अगर क़ातिल इक़रार कर ले तो क़त्ल षाबित हो जाता है। अगर वो किसी भी सूरत में इक़रार न करे तो सिर्फ़ घायल के बयान पर उसे क़त्ल नहीं किया जाएगा। अक्षर उलमा का यही क़ौल है। इमाम मालिक के नज़दीक सिर्फ़ घायल के बयान पर क़त्ल षाबित हो जाता है और वे इसी हदीष से दलील पकड़ते हैं। लेकिन ये इस्तिदलाल सही नहीं है क्योंकि इसी हदीष की दूसरी रिवायत में है कि उस क़ातिल यहूदी ने अपने जुर्म का इक़रार कर लिया था।

बाब 4 : कोई शख़्स अपनी जान या हिस्से पर किए गए हमले का दिफ़ाअ (आत्म—रक्षा) करते हुए अगर हमलावर को मार दे या उसके किसी हिस्से को नुक़्सान पहुँचा दे तो कोई तावान (जुर्माना) नहीं

1088. हदीषे इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) : हज़रत इमरान (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने दूसरे शख़्स के हाथ पर दाँतों से काटा और उसने अपना हाथ उसके मुँह से छुड़ाने के लिये खींचा तो उसके सामने के चार दाँत टूटकर गिर गये। फिर यह दोनों अपना झगड़ा लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या कोई शख़्स अपने भाई के इस तरह काटता है जैसे ऊँट काटता है? (फिर काटने वाले से मुख़ातब होकर फ़र्माया) तुमको दियत नहीं मिलेगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुद् दियात बाब 18)**

1089. हदीषे यअ़ला बिन उमय्या (रज़ि.) : हज़रत यअ़ला (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं ग़ज़व—ए—तबूक (जैशुल उसरा) में नबी करीम (ﷺ) के साथ था; और मेरी उस ग़ज़वे में शिर्कत मेरे तमाम अमलों में सबसे ज़्यादा मेरे दिल के ऐतमाद व इत्मीनान का बाअ़िष था, अलग़र्ज़ मेरा एक नौकर था वो एक शख़्स से लड़ पड़ा और एक ने दूसरे की उँगली चबा डाली तो उसने (छुड़ाने के लिये) अपनी उँगली को खींचा तो काटने वाले के सामने के चार दाँत टूटकर गिर गए। फिर यह दोनों नबी करीम (ﷺ) के पास (फ़ैसले के लिये) हाज़िर हुए तो आप (ﷺ) ने उसके दाँतो का कोई तावान न दिलवाया और फ़र्माया, क्या तू चाहता है कि वो अपनी उँगली तेरे मुँह में देता ताकि तू उसे चबा जाता।

रावी कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि आप (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया था, जैसे ऊँट चबा डालता है।
(सहीह बुख़ारी किताबुल इजारा बाब 5)

बाब 5 : दाँत और इसी तरह के दीगर हिस्सों का क़िसास

1090. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत रबीअ (रज़ि.) ने (जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. की चाची थीं) एक अन्सारी लड़की के सामने के चार दाँत तोड़ दिए। उन लोगों ने क़िसास माँगा और नबी करीम (ﷺ) के पास आए तो आप (ﷺ) ने क़िसास का हुक्म दे दिया। उस मौक़े पर हज़रत अनस बिन नज़्र (रज़ि.) ने (जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि. के चचा थे) कहा, नहीं! अल्लाह की क़सम! या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसके (यानी रबीअ के) दाँत नहीं तोड़े जाएँगे। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अनस (रज़ि.)! क़िसास का फ़ैसला तो किताबुल्लाह का है। इसके बाद वो लोग राज़ी हो गए और दियत लेना क़ुबूल कर लिया। इस पर नबी

करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन! अल्लाह के कुछ बन्दे ऐसे भी होते हैं जो अगर अल्लाह के भरोसे पर क़सम खा लें तो अल्लाह उनकी क़सम को सच्चा कर देता है। **(स़हीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल माइदा बाब 6)**

नोट : इस हदीष़ में हज़रत अनस बिन नज़्र (रज़ि.) की क़सम का जो वाक़िया मिलता है उसके पीछे उनकी मंशा अल्लाह के रसूल (ﷺ) की हुक्म–उदूली (अवज्ञा) करना नहीं था बल्कि उनकी मंशा यह थी कि आप (ﷺ) सिफ़ारिश फ़र्माएं ताकि लड़की के घरवाले क़िसास की माँग छोड़कर दियत (मुआवज़ा) लेने पर रज़ामंद हो जाएं। इसी निय्यत से उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए क़सम खाकर कह दिया था कि इसके दाँत नहीं तोड़े जाएंगे और अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से उनकी क़सम को सच्चा कर दिया।

बाब 6 : वो उमूर जिनकी बिना पर एक मुसलमान का ख़ून मुबाह हो जाता है

1091. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी मुसलमान को जो **ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह** की गवाही देता हो क़त्ल करना जाइज़ नहीं, सिवाय इसके कि इन तीन सूरतों में से कोई सूरत हो (1) (उसने किसी को क़त्ल किया हो और) जान के बदले में जान का क़ानून उस पर नाफ़िज़ हो (2) या शादी–शुदा होने के बाद ज़िना करे (3) या दीन से ख़ारिज होकर जमाअते मुस्लिमा से अलग हो जाए। **(स़हीह बुख़ारी किताबुद् दियात बाब 6)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इसी हदीष़ से अहनाफ़ ने दलील लेते हुए कहा है कि ज़िम्मी (ग़ैर–मुस्लिम) के बदले में मुसलमान क़त्ल किया जाएगा, गुलाम के बदले के तौर पर आज़ाद को क़त्ल किया जाएगा (अगर वो क़ातिल है तो)। लेकिन इस मुद्दे पर इमाम मालिक (रह.), इमाम शाफ़ई (रह.), इमाम अहमद (रह.) और इमाम लैष़ (रह.) ने इख़्तिलाफ़ (मतभेद) किया है।

जान के बदले जान का क़ानून स़िर्फ़ मक़्तूल के वारिष़ को हास़िल है। उसके सिवा किसी और को यह हक़ नहीं है कि वो किसी को क़त्ल करे।

शादीशुदा (षय्यिब) से मुराद मर्द व औरत दोनों है। या'नी ज़िना करने वाला अगर शादीशुदा है तो उसके मर्द या औरत होने से सज़ा में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ज़ानियों को रज्म के ज़रिये क़त्ल किया जाएगा। अगर ज़ानी को रज्म के अलावा कोई दूसरा शख़्स क़त्ल कर दे तो इमाम शाफ़ई (रह.) के नज़दीक क़ातिल से क़िसास नहीं लिया जाएगा क्योंकि उस (ज़ानी) का ख़ून मुबाह हो चुका था।

दीन से ख़ारिज होने से मुराद मुर्तद हो जाना है या'नी मुर्तद अगर तौबा न करे तो वो वाजिबुल क़त्ल है। इस हुक्म में वो लोग भी शामिल हैं जो बिदअत और बग़ावत की रविश इख़्तियार करें और मुसलमानों की जमाअत से कट जाएं जैसे ख़ारजी वग़ैरह। वल्लाहु अअलम!

बाब 7 : जिसने इंसान को क़त्ल करने की इब्तिदा की थी उसके गुनाह की शिद्दत का बयान

1092. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब भी कोई शख़्स जुल्मन क़त्ल किया जाता है तो उसके ख़ून की ज़िम्मेदारी का एक हिस्सा आदम (अलैहिस्सलाम) के पहले बेटे (क़ाबील) के सर होता है क्योंकि यह पहला शख़्स है जिसने क़त्ल की इब्तिदा की। **(स़हीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 1)**

बाब 8 : रोज़े क़ियामत सबसे पहले ख़ून के मुक़द्दमात का फ़ैसला होगा

1093. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (रोज़े क़ियामत) लोगों के बीच सबसे पहले ख़ून के मुक़द्दमात का फ़ैसला किया जाएगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 48)

बाब 9 : इंसानी जान व माल और आबरू के एहतराम की शदीद ताकीद

1094. हदीषे अबूबक्र (रज़ि.) : हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया– ज़माना घूम–फिरकर फिर उसी हालत में आ गया है जो हालत उस दिन थी जिस दिन अल्लाह तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था– साल के बारह महीने हैं जिनमें चार माह हुर्मत वाले हैं तीन तो एक–दूसरे के बाद मुसलसल आते हैं, (1) ज़ीक़अद (2) ज़िल्हिज्ज (3) मुहर्रम और चौथा क़बील–ए–मुज़र का रजब है जो जमादि उष्षानी और शअबान के बीच है। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह कौनसा महीना है? हमने कहा, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं। इसके बाद आप (ﷺ) काफ़ी देर तक ख़ामोश रहे यहाँ तक कि हमें गुमान हुआ कि आप (ﷺ) शायद उसका कोई नया नाम तजवीज़ फ़र्माएँगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या यह ज़िल्हिज्ज का महीना है? हमने कहा, बजा इर्शाद (आपने सच फ़र्माया)!

फिर आप (ﷺ) ने पूछा, यह शहर कौनसा है? हमने कहा, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं। आप (ﷺ) फिर ख़ामोश रहे और इतनी देर यहाँ तक कि हमें गुमान हुआ कि शायद आप (ﷺ) इसका कोई नया नाम तजवीज़ फ़र्माएँगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या यह '**बलदतुल अमीन (अमन का शहर)**' नहीं है? हमने कहा, बजा इर्शाद (आपने सच फ़र्माया)।

फिर आप (ﷺ) ने पूछा, आज का यह दिन कौनसा है? हमने कहा, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं। आप (ﷺ) फिर ख़ामोश हो गए यहाँ तक कि हमें गुमान हुआ कि आप (ﷺ) इसका कोई और नाम तजवीज़ फ़र्माएँगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या यह यौमुन्नहर (क़ुर्बानी का दिन) नहीं है? हमने कहा, बजा इर्शाद (आपने सच फ़र्माया)।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **तो जान रखो कि तुम्हारे ख़ून तुम्हारे माल; मुहम्मद (जो इस हदीष के एक रावी हैं) कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि आप (ﷺ) ने यह भी फ़र्माया था, और तुम्हारी आबरूएँ, तुम्हारे लिये उसी तरह हराम व मुहतरम हैं जिस तरह आज का यह दिन तुम्हारे इस मुहतरम शहर और इस क़ाबिले एहतिराम महीने में, हराम व मुहतरम है।**

और याद रखो! अनक़रीब तुमको अपने रब के सामने हाज़िर होना है, सो वो तुमसे तुम्हारे अमलों के बारे में बाज़ पुर्स फ़र्माएगा तो ख़याल रहे कि तुम मेरे बाद दोबारा ऐसे गुमराह न हो जाना कि आपस में लड़ने लगो और एक–दूसरे की गर्दनें काटने लगो। और हाँ! हर हाज़िर व मौजूद पर लाज़िम है कि वो यह अहकाम उन लोगों तक पहुँचाए जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। इसलिये कि बहुत मुम्किन है कि कोई ऐसा शख़्स जिस तक यह अहकाम पहुँचाए जाएँ– उन बाज़ लोगों से ज़्यादा याद रखने और समझने वाला हो जो यहाँ मेरी बातें सुन रहे हैं। (रावी हदीष, मुहम्मद रह. जब इस हदीष को बयान करते तो कहा करते थे, 'मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ ने सच फ़र्माया था') फिर आप (ﷺ) ने पूछा, हाँ! तो क्या मैंने अल्लाह के अहकाम पहुँचा दिए? दो बार आप (ﷺ) ने यह कलिमात दोहराए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 77)**

बाब 11 : पेट के बच्चे की दियत का बयान, नीज़ यह कि क़त्ले ख़ता और शिबहे अमद में दियत की अदायगी क़ातिल के पिदरी (पैतृक) रिश्तेदारों पर है

1095. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि क़बील–ए–हुज़ैल की दो औरतें आपस में लड़ पड़ीं और एक ने पत्थर उठाकर दूसरी को दे मारा जो उसके पेट पर लगा और वो चूँकि हामला थीं, उसके पेट का बच्चा हलाक हो गया और उनका मुक़द्दमा नबी करीम (ﷺ) के सामने लाया गया। आप (ﷺ) ने फ़ैसला दिया कि उस पेट के बच्चे की दियत जो भी वो था या'नी लड़का या लड़की, एक चेहरा गुलाम या लौण्डी अदा की जाए। इस फ़ैसले को सुनकर मुजरिम औरत के सरबराह ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ऐसे बच्चे का ख़ूँ–बहा मैं कैसे अदा करूँ जिसने न कुछ खाया, न कुछ पिया और जो न बोला और चिल्लाया, ऐसे का ख़ूँबहा तो बेकार गया, इस पर नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, यह ज़रूर काहिनों में से है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत तिब्ब बाब 46)**

नोट : काहिन, ज्योतिषि को कहते हैं जो मुस्तक़बिल (भविष्य) की बातें बताने का दा'वा करता है। उलमा ने लिखा है कि नबी करीम (ﷺ) ने उस शख़्स की काहिन कहकर मज़म्मत (निन्दा) इस वजह से फ़र्माई कि उसने शरीयत के हुक्म को बातिल ठहराया।

1096. हदीसे मुग़ीरह बिन शुअबा व मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) : हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) नें इन दोनों बुज़ुर्गों से मश्विरा लिया कि अगर औरत के पेट का बच्चा भी (किसी की ज़र्ब से) वक़्त से पहले साक़ित (गर्भपात) होकर हलाक हो जाए तो उसकी दियत क्या होनी चाहिए। तो हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने कहा कि इसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक चेहरा गुलाम या लौण्डी देने का फ़ैसला फ़र्माया था और हज़रत मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने गवाही दी कि जिस वक़्त नबी करीम (ﷺ) ने यह फ़ैसला सादिर फ़र्माया था, मैं ख़ुद उस वक़्त हाज़िर था। **(सहीह बुख़ारी किताबुद् दियात बाब 25)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि

01. बच्चा हो या बच्ची अगर वो चोट की वजह से माँ के पेट से मुर्दा निकले तो उसकी दियत यही है या'नी एक गुलाम या लौण्डी उसके बदले देनी होगी।

02. अगर बच्चा ज़िन्दा निकले और बाद में मर जाए तो ऐसी सूरत में पूरी दियत लागू होगी यानी मर्द के लिये सौ ऊँट और औरत के लिये पचास ऊँट।

03. ये दियत मुजरिम के आक़िल पिदरी (समझदार पैतृक) रिश्तेदारों पर वाजिबुल अदा होगी न कि ख़ुद मुजरिम की ज़ात पर।

04. इमाम शाफ़ई (रह.), इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और अहले कूफ़ा का यही क़ौल है। इमाम मालिक (रह.) और अहले बसरा के नज़दीक दियत मुजरिम की ज़ात पर वाजिबुल अदा होगी। इमाम शाफ़ई (रह.) के नज़दीक मुजरिम पर कफ़्फ़ारा भी होगा जबकि इमाम मालिक (रह.) और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक कफ़्फ़ारा नहीं होगा।

किताबुल हुदूद

बाब 1 : चोरी की हद और चोरी के निसाब का बयान

1097. **हदीषे आइशा (रज़ि.) :** उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, चौथाई दीनार (चुराने) पर चोर का हाथ काटा जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 13)**

1098. **हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) :** हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक ढाल– जिसकी क़ीमत तीन दिर्हम थी– के चुराने पर (चोर का) हाथ काटने का हुक्म दिया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 13)**

1099. **हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) :** हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, चोर पर अल्लाह की लअ़नत कि वो अण्डा चुराता है तो उसका हाथ काटा जाता है और रस्सी चुराता है तो उसका हाथ काटा जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 7)**

बाब 2 : चोर ख़्वाह बाअषर और साहिबे वजाहत हो हाथ ज़रूर काटा जाएगा और हुदूद के मुआमले में सिफ़ारिश करने की मुमानअत

1100. **हदीषे आइशा (रज़ि.) :** उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक मख़ज़ूमी औरत ने चोरी की थी (नबी करीम ﷺ ने उसके हाथ काटने का हुक्म सादिर कर दिया था); अहले क़ुरैश उसके मुआमले में सख़्त फ़िक्रमंद थे। चुनाँचे उन लोगों ने आपस में मश्विरा किया कि उस (सारिक़ह) के बारे में कौन शख़्स नबी करीम (ﷺ) से बात करे, **बाज़ लोगों ने कहा कि इस सिलसिले में नबी करीम (ﷺ) से अगर कोई बात कह सकते हैं तो वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कह सकते हैं क्योंकि वो आप (ﷺ) के प्यारे हैं।** आख़िरकार उन लोगों ने हज़रत उसामा (रज़ि.) को इस मुआमले में नबी करीम (ﷺ) से बाते करने के लिये आमादा किया और हज़रत उसामा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में उनकी दरख़्वास्त पेश की। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) हज़रत उसामा (रज़ि.) से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, क्या तुम अल्लाह तआला की क़ायमकर्दा हुदूद (सज़ाओं) में से किसी एक हद के बारे में सिफ़ारिश करना चाहते हो? यह इर्शाद फ़र्माने के बाद आप (ﷺ) खड़े हो गए और लोगों के सामने ख़ुत्बा दिया जिसमें आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुमसे पहली उम्मतें इस वजह से हलाक हो गईं थी कि जब उनका कोई साहिबे हैषियत और वजाहत वाला शख़्स चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे और जब कोई कमज़ोर

आदमी चोरी करता तो उसे सज़ा देते थे। अल्लाह की क़सम! अगर फ़ातिमा (रज़ि.) बिन्ते मुहम्मद (ﷺ) ने भी चोरी की होती तो मैं उनका हाथ ज़रूर काट देता। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 54)**

बाब 4 : षय्यिब अगर ज़िना करे तो उसे रजम किया जाएगा

1101. हदीषे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को हक़ के साथ मबऊष फ़र्माया और आप (ﷺ) पर क़ुर्आन मजीद नाज़िल फ़र्माया और जो कुछ अल्लाह तआला ने नाज़िल फ़र्माया उसमें आयते रजम भी थी, जिसे हमने पढ़ा, समझा और याद रखा। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने भी हद्दे रजम नाफ़िज़ फ़र्माई और आप (ﷺ) के बाद हमने भी हद्दे रजम नाफ़िज़ की। लेकिन मैं डरता हूँ कि ज़्यादा मुद्दत गुज़र जाने के बाद कोई शख़्स यह न कह दे कि अल्लाह की क़सम! हमें तो किताबुल्लाह में वो आयत नहीं मिलती जिसमें रजम का हुक्म है और ऐसा कहने के नतीजे में मुसलमान एक ऐसा फ़र्ज़ छोड़ दें जो अल्लाह ने नाज़िल फ़र्माया था और गुमराह हो जाएँ; जबकि हद्दे रजम किताबुल्लाह के मुताबिक़ मुहसिन ज़ानी के लिये ख़्वाह मर्द हो या औरत बरहक़ है। बशर्ते कि गवाहों के ज़रिये षुबूत मुहय्या हो जाए या हमल मौजूद हो या फिर मुजरिम ख़ुद क़ुबूल कर ले कि उसने ज़िना का इर्तिकाब किया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 31)**

नोट : आयते–रजम क़ुर्आन से मंसूख़ कर दी गई लेकिन उसका हुक्म आज भी बाक़ी है। क़ुर्आने मजीद की आयते करीमा 'औयज्अलल्लाहु लहुन्न सबीला' तर्जुमा : या फिर अल्लाह उनके लिये कोई रास्ता निकाल दे। (सूरह निसा : 15) की तफ़्सीर ख़ुद नबी करीम (ﷺ) ने ये फ़र्माई है कि अल्लाह तआला ने उनके लिये रास्ता निकाल दिया है और वो ये है कि शादीशुदा को रजम किया जाए और कुँआरे को कोड़े मारे जाएं।

चुनाँचे मुस्नद अहमद में हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हुई। कुछ देर बाद जब वो मख़्सूस कैफ़ियत दूर हुई जो वह्य के वक़्त आप (ﷺ) पर तारी होती थी, तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'ख़ुज़ू अन्नी, क़द जअलल्लाहु लहुन्न सबीला, अष्षय्यिब बिष्षय्यिब वल बिक्र बिल बिक्रि, अष्षय्यिब जल्द मिअतिन व रज्जुम बिल हिजारति वल बिक्रि जल्द मिअतिन षुम्म नफ़्यु सनतिन' **लो महफ़ूज़ कर लो! अल्लाह ने उन औरतों के लिये छुटकारे की राह पैदा कर दी है, अगर शादीशुदा; शादीशुदा के साथ (ज़िना का इर्तिकाब करे) और कुँआरे एक–दूसरे के साथ (इस जुर्म के मुजरिम हों) तो शादीशुदा के लिये सौ कोड़े और पत्थर मारने की सज़ा है। और कुँआरे के लिये सौ कोड़े और एक साल के लिये जिला–वतनी (शहर निष्कासन, तड़ीपार) की सज़ा है।**

ग़ौरतलब है कि बदकार मर्द–औरत को रजम (पत्थर मार–मारकर हलाक करने की सज़ा) चार चश्मदीद मोमिन गवाहों की गवाही के बाद या मुजरिम के इक़बाले–जुर्म के बाद मुसलमानों का इमाम ही दे सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब किसी शहर या मुल्क में इस्लामी क़ानून लागू हों। रजम की आयत क़ुर्आन से क्यों मंसूख़ कर दी गई इसकी मस्लिहत अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है लेकिन इतना ज़रूर है कि क़ुर्आन में बयान किये गये अहकाम पर अमल करना हर मुसलमान पर लाज़मी होता है, चाहे वो इस्लामी देश में रहता हो या ग़ैर–मुस्लिमों की हुकूमत वाले देश में; जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना वग़ैरह। इबादतों से जुड़े मामले तो ग़ैर–मुस्लिमों की हुकूमत वाले देशों में भी हर मुस्लिम अदा कर सकता है लेकिन ताजीरात के मामलों के लिये इस्लामी हुकूमत होना लाज़मी है।

बाब 5 : जब कोई शख़्स ख़ुद जुर्मे ज़िना को क़ुबूल कर ले

1102. हदीषे अबू हुरैरह व जाबिर (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त आप (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे और वो आप (ﷺ) को बलन्द आवाज़ से मुख़ातब करके कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ज़िना किया है। आप (ﷺ) ने उसकी

तरफ़ से मुँह फेर लिया (लेकिन उसने फिर आप ﷺ के सामने आकर दोबारा ऐतिराफ़े ज़िना किया) यहाँ तक कि उसने यही बात चार बार आप (ﷺ) के सामने दोहराई। चुनाँचे जब वो ख़ुद अपने ख़िलाफ़ चार गवाहियाँ दे चुका तो आप (ﷺ) ने उसे क़रीब बुलाया और पूछा, क्या तुम दीवाने (पागल) हो? उसने कहा, नहीं! फिर आप (ﷺ) ने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? उसने कहा, हाँ! चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि इसे ले जाओ और इस पर हद्दे रजम नाफ़िज़ करो। हज़रते जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि उस शख़्स को रजम करने वालों में मैं भी शामिल था और हमने उसे ईदगाह में संगसार किया था और जब उस पर हर तरफ़ से पत्थर बरसने लगे तो वो उस मार को बर्दाश्त न कर सका और भाग उठा, यहाँ तक कि हमने उसे मदीने के संगलाख़ (जंगलों वाले) इलाक़े में जा लिया और उसी मुक़ाम पर उसे संगसार किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 22)**

नोट : इस हदीष से वाज़ेह (स्पष्ट) होता है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने एक ऐसे शख़्स को रजम करने का हुक्म दिया जिसने ख़ुद इस बात का इक़रार किया कि उसने शादीशुदा होते हुए ज़िना किया है। उसने चार बार बार ये बात दोहराई या'नी ख़ुद अपने ख़िलाफ़ चार बार गवाही दी। रजम की सज़ा सुनाने से पहले आप (ﷺ) ने उससे पूछा, क्या तुम दीवाने (पागल) तो नहीं हो? ऐसा इसलिये कि एक और हदीष में आया है कि क़लम तीन लोगों से उठा लिया गया है, (1) बच्चा, जो समझ-बूझ नहीं रखता (2) पागल (3) नींद में सोया हुआ इन्सान।

1103. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) व ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) व ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के पास आया और उसने कहा, मैं आप (ﷺ) को अल्लाह की क़सम दिलाता हूँ कि आप (ﷺ) हमारा फ़ैसला सिर्फ़ किताबुल्लाह के मुताबिक़ कीजिए। फिर उसका हरीफ़ उठा जो उससे ज़्यादा समझदार था और उसने कहा, यह दुरुस्त कहता है, आप हमारे तनाज़ोअ (विवाद) का फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक़ कीजिए और या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे लब कुशाई (कहने) की इजाज़त दीजिए। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, कहो जो कहना चाहते हो। उसने कहा, मेरा बेटा उस शख़्स के ख़ानदान में बतौरे मुलाज़िम था और इसने उस शख़्स की बीवी के साथ ज़िना का इर्तिकाब किया। लिहाज़ा मैंने उसे फ़िदये के तौर पर सौ बकरियाँ और एक ख़ादिम दिया। जब मैंने कुछ अहले इल्म हज़रात से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को सौ कोड़े मारे जाएँगे और एक साल के लिये शहर-बदर (तड़ीपार) किया जाएगा और उस शख़्स की बीवी को संगसार किया जाएगा। यह सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़-ए-क़ुदरत में मेरी जान है! मैं तुम्हारे क़ज़िये (मुक़द्दमे) का फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक़ करूँगा। सौ बकरियाँ और गुलाम जो तुमने बतौरे फ़िदया दिए थे वो तुम वापस ले लो और तुम्हारे बेटे को सौ कोड़े मारे जाएँगे और एक साल के लिये जला-वतन किया जाएगा: और ऐ अनीस (रज़ि.)! (एक सहाबी का नाम) कल तुम उस शख़्स की बीवी के पास जाओ और उससे पूछो, अगर वो भी अपने जुर्मे ज़िना का ऐतराफ़ (स्वीकार) कर ले तो उसे संगसार किया जाए। (चुनाँचे हज़रत अनीस रज़ि. ने उनसे जाकर पूछा) और उसने अपने गुनाह का ऐतराफ़ कर लिया और आप ने उसे रजम करने का हुक्म दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 46)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि हज़रत अनीस (रज़ि.) को उस औरत के पास ये जानने के लिये भेजा गया था कि फ़लां शख़्स ने तुम पर ज़िना की तोहमत लगाई है और अगर तुम चाहो तो उस पर हद्दे-क़ज़फ़ (झूठ बोलने की सज़ा) लगवा सकती हो। यअनी अगर ये बात ग़लत है तो तुम्हारे बयान के आधार पर उस शख़्स को 80 कोड़े मारे जाएंगे जिसने तुम पर ज़िना करने का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन उस औरत ने अपने जुर्म का ए'तिराफ़ कर लिया, इसलिये उसे संगसार किया गया। (अज़ इमाम नववी)

यहाँ यह बात ग़ौरतलब है कि इस्लाम में सज़ा देने के मामले में एकतरफ़ा सुनवाई और कार्रवाई का उसूल नहीं है बल्कि प्रतिवादी का पक्ष भी सुना जाना ज़रूरी क़रार दिया गया है। दूसरी बात यह कि इस हदीष और इससे पहले बयान की गई हदीष से ज़ाहिर होता है कि मोमिन मर्द व औरत गुनाह करने के बाद शर्मिन्दा होते हैं और वे दुनिया

में सज़ा भुगतकर आख़िरत की सज़ा से बचना ज़्यादा पसन्द करते हैं।

बाब 6 : जुर्मे ज़िना में ज़िम्मी यहूदी को रजम करने का बयान

1104. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के पास (मदीना के) यहूदी हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि हममें से एक मर्द और एक औरत ज़िना के मुर्तकिब हुए हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तौरात में रजम के बारे में क्या हुक्म है? वो कहने लगे, हम उनको (ज़िना करने वालों को) रुस्वा (तानाकशी) करते हैं और कोड़े मारते हैं। यह सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) कहने लगे, तुम झूठ कहते हो, तौरात में इस जुर्म की सज़ा रजम है। चुनाँचे वो लोग तौरात ले आए और उसे खोला तो एक यहूदी ने रजम वाली आयत पर अपना हाथ रखकर उसे छुपा लिया और उस आयत से पहले की और बाद की इबारत पढ़ने लगा। चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) ने कहा कि अपना हाथ हटाओ। जब उसने अपना हाथ हटाया तो वहाँ साफ़ तौर पर आयते रजम मौजूद थी। चुनाँचे यहूदी कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) ने सच कहा था, तौरात में रजम का हुक्म मौजूद है, चुनाँचे आप (ﷺ) ने उन दोनों को रजम करने का हुक्म दिया और उन्हें संगसार किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि (जब उन्हें सज़ा दी जा रही थी) मैंने देखा कि मर्द औरत के आगे आड़ बनकर ख़ुद पत्थर खा रहा था और उसे पत्थरों की मार से बचा रहा था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 26)**

1105. हदीषे अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) : शैबानी (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलल्लाह (ﷺ) ने हद्दे रजम लागू की थी? कहने लगे, हाँ! मैंने कहा, क्या आप (ﷺ) ने यह हद सूरह नूर नाज़िल होने से पहले लागू की थी या उसके बाद? कहने लगे, यह बात मुझे मा'लूम नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 21)**

नोट : सूरह नूर में इर्शादे बारी तआला है, 'अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदु कुल्लवं वाहिदिम मिन्हुमा मिअत जिल्द:' ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में एक हर को सौ कोड़े मारो (सूरह नूर : 2) शैबानी (रह.) ने यह सवाल इसलिये पूछा कि क़ुर्आन में सौ कोड़े मारने का जो हुक्म मौजूद है वो रजम के हुक्म से पहले का है या बाद का? अगर बाद का है तो गोया रजम का क़ानून मंसूख़ (रद्द) हो गया। लेकिन दीगर हवालों से ये बात षाबित होती है कि आप (ﷺ) ने सूरह नूर की ये आयते करीमा नाज़िल होने के बाद भी रजम की सज़ा लागू की थी। जिसकी दलील ये है कि सूरह नूर की बयानशुदा आयत सन् 5 या 6 हिजरी में नाज़िल हुई थी और रजम वाली हदीष के रावी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने सन् 7 हिजरी में इस्लाम कुबूल किया था। इस हदीष के दूसरे रावी इब्ने अब्बास (रज़ि.) सन् 9 हिजरी में अपनी वालदा के साथ मदीना आए थे।

1106. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर लौण्डी ज़िना करे और उसका जुर्म षाबित हो जाए (गवाहों से, या इक़रार से) तो उसे कोड़े मारे जाएँ और उसे बुरा–भला न कहा जाए। उसके बाद अगर फिर दोबारा ज़िना करे तब भी उसे कोड़ों की सज़ा दी जाए और उसे झिड़का–डांटा न जाए। फिर अगर तीसरी बार ज़िना करे तो उसे बेच दे ख़्वाह बालों से बनी हुई रस्सी ही उसका मुआवज़ा मिले। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 66)**

नोट : इस हदीष से कई मषले षाबित होते हैं,

01. मालिक अपनी लौण्डी या गुलाम पर ख़ुद हद नाफ़िज़ कर सकता है यअनी सज़ा दे सकता है। यही मसलक इमाम

शाफ़ई (रह.), इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर (अधिकांश) उलमा का है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक हद नाफ़िज़ करने का इख़्तियार सिर्फ़ हाकिम या मुसलमानों के इमाम को है। (अज़ इमाम नववी रह.)

02. लौण्डी अगर ज़िना करे तो उसे संगसार नहीं किया जाएगा क्योंकि लौण्डी और बीवी के दर्जे और रुतबे में फ़र्क़ है।

03. लौण्डी अगर दोबारा या तीसरी बार बदकारी करे तब भी उसे कोड़े ही मारे जाएंगे, रजम नहीं किया जाएगा।

04. कोड़े मारने की सज़ा देने के बावजूद अगर कोई लौण्डी अपनी आदत से बाज़ नहीं आती तो उसे बेच देने का हुक्म है। यहाँ यह बात ग़ौरतलब है कि इस्लामी शरीअत ने आम तौर पर मुसलमानों को यह तल्क़ीन की है कि लौण्डी और ग़ुलामों को आज़ाद कराओ। लौण्डी–ग़ुलामों को आज़ाद कराने को बहुत बड़ी नेकी क़रार दिया, यहाँ तक कि लौण्डी–ग़ुलामों की आज़ादी को अनेक गुनाहों का कफ़्फ़ारा बताया; वहीं इस हदीष में लौण्डी को बेचने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? इसके जवाब में यह बात ध्यान रखने लायक़ है कि अगर बदकारी (दूसरे लफ़्ज़ों में आवारगी) की आदी हो चुकी औरत को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो पूरे समाज को बिगाड़कर रख देगी। चूँकि ऐसी औरत को अगर आज़ाद कर भी दिया जाए तो कोई दूसरा मर्द उससे शादी करना पसन्द नहीं करेगा और किसी दूसरे आदमी के हाथ बेच देने से मुमकिन है कि वो आदत में सुधार पैदा कर ले।

1107. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) व ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह व ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से पूछा गया लौण्डी जो मुह्सिना न हो अगर ज़िना करे? (तो उसकी सज़ा क्या है?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर लौण्डी ज़िना करे (मुह्सिना हो या ग़ैर मुह्सिना) तो उसे कोड़े मारे जाएँ अगर दोबारा ज़िना करे तो फिर कोड़े मारे जाएँ और उसके बाद भी ज़िना करे तो (हद नाफ़िज़ करने के बाद) मालिक को चाहिए कि उसे बेच दे ख़्वाह उसका बदला बालों से बनी हुई रस्सी ही क्यों न मिले (या'नी वो इंतिहाई ग़ैर वक़ीअ और बेहैषियत व हक़ीर चीज की तरह है)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 66)**

नोट : मुह्सिना का मतलब शादीशुदा आक़िल व बालिग़ औरत है।

बाब 8 : शराबनोशी की हद (सज़ा) का बयान

1108. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने शराब पीने के जुर्म में जूतियों और छड़ियों से मारने की सज़ा दी और अबूबक्र (रज़ि.) ने उस जुर्म में चालीस कोड़ों की सज़ा दी।
(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 4)

1109. हदीषे अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं अगर किसी पर हद क़ायम करूँ और वो हलाक हो जाए तो मुझे कुछ ख़याल न होगा सिवाए शराबी के। अगर शराबी सज़ा की वजह से हलाक हो जाए तो मैं उसकी दियत दिलाऊँगा इसलिये कि नबी करीम (ﷺ) ने इस जुर्म की कोई हद (सज़ा) मुतअय्यिन (निर्धारित) व मुक़र्रर नहीं की। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 4)**

नोट : उलमा में इस सिलसिले में इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ई (रह.), अबू षौर (रह.), दाऊद ज़ाहिरी (रह.) और दीगर अहले ज़ाहिर के नज़दीक शराबी की सज़ा 40 कोड़े है। इमाम मालिक (रह.), इमाम अबू हनीफ़ा (रह.), औज़ाई (रह.), सुफ़यान षौरी (रह.), इमाम अहमद (रह.) और इमाम इस्हाक़ (रह.) के नज़दीक शराबी की सज़ा 80 कोड़े है। इस बात पर उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि 40 या 80 कोड़ों की जगह इतनी ही बार जूतियों और छड़ियों से भी पिटाई की जा सकती है। (अज़ इमाम नववी रह.)

बाब 9 : तअ़ज़ीर में कितने कोड़े मारना जाइज़ है

1110. ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि अल्लाह तआ़ल की मुक़र्ररकर्दा ह़दों (सज़ाओं) के सिवा (किसी जुर्म की तअ़ज़ीरी सज़ा में) उस से ज़्यादा कोड़े (यअ़नी 100 कोड़े से ज़्यादा) न मारे जाएँ। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 42)**

बाब 10 : ह़द का निफ़ाज़ (लागू होना) मुजरिम के जुर्म का कफ़्फ़ारा हो जाता है

1111. ह़दीष़े ड़बादा बिन स़ामित (रज़ि.) : ह़ज़रत ड़बादा (रज़ि.) (जो कि ग़ज़्वा–ए–बद्र में शिर्कत का ऐ़ज़ाज़ रखने के अ़लावा उन नक़्बा में से एक हैं जो बैअ़ते ड़क़्बा ष़ानिया में शरीक थे) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे वक़्त जबकि आप (ﷺ) के पास स़ह़ाबा किराम की एक जमाअ़त मौजूद थी, इर्शाद फ़र्माया, इस अ़हद पर मेरी बैअ़त करो कि न तो हम किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक बनाएँगे, न ज़िना करेंगे, न अपनी औलाद को क़त्ल (ज़िन्दा दरगौर) करेंगे और न अपनी ओर से गढ़कर किसी पर झूठी तोह़मत लगाएँगे और न किसी जाइज़ और क़ानूनी हुक्म की इत़ाअ़त से सरताबी (अवज्ञा) करेंगे। अब जो शख़्स़ तुममें से अपने इस अ़हद की पासदारी करेगा और अपना अ़हद निभाएगा वो अल्लाह से अपना पूरा अज्र पाएगा। जो इन जराइम में से किसी जुर्म का मुर्तकिब होगा और अगर उसे दुनिया में ही उस जुर्म की सज़ा मिल गई तब तो वो सज़ा उसके गुनाह का कफ़्फ़ारा बन जाएगी और **अगर इर्तिकाबे जुर्म के बावजूद (दुनिया में सज़ा से बचा रहा) अल्लाह ने उसके जुर्म की पर्दापोशी फ़र्मा दी तो उसका मुआ़मला अल्लाह के सुपुर्द है वो चाहे (रोज़े आख़िरत) उसे बख़्श दे और चाहे तो उसे सज़ा** दे। चुनाँचे हम सबने उन उमूर का अ़हद करते हुए आप (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर बैअ़त की।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 11)

बाब 11 : बेज़ुबान जानवर के पहुँचाए हुए ज़ख़्म और खान या कुँए में गिरकर हलाक या ज़ख़्मी होने की दियत नहीं है

1112. ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेज़ुबान जानवर अगर किसी शख़्स़ को ज़ख़्मी या हलाक कर दे तो उसका तावान या दियत नहीं है। इसी त़रह़ अगर कोई शख़्स़ कुँए या खान में गिरकर ज़ख़्मी या हलाक हो जाए तो उसकी भी न दियत है न कोई तावान (जुर्माना) और दफ़ीने या ख़ज़ाने के बरामद होने पर उसमें से ख़ुमुस (5वाँ ह़िस्स़ा) बैतुलमाल में दिया जाएगा।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 66)

किताबुल अक़्ज़िया

मुक़द्दमात का फ़ैसला करने के अहकाम व मसाइल

बाब 1 : क़सम मुद्दअ अलैहि (प्रतिवादी) पर लाज़िम आती है

1113. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : दो औरतें एक घर या एक कमरे में मौज़े सिया करती थीं। (एक दिन) उनमें से एक औरत कमरे से इस हालत में बाहर निकली कि मौज़े सीने का सूआ उसके हाथ में गड़ा हुआ था। उसने दा'वा किया कि यह सूआ उस दूसरी औरत ने मेरे हाथ में चुभाया है। यह मुआमला हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सामने पेश हुआ तो उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि महज़ लोगों के दा'वा करने की बिना पर अगर उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाता तो बहुत से लोगों के जान व माल बर्बाद हो जाते। फिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने लोगों से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, उस औरत को अल्लाह याद दिलाओ और उसे यह आयते करीमा पढ़कर सुनाओ, **'जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी क़समों को थोड़ी क़ीमत पर बेच देते हैं उनके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह क़ियामत के रोज़ न उनसे बात करेगा और न ही उनकी तरफ़ देखेगा, और न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये तो सख़्त दर्दनाक सज़ा है।'** (सूरह आले इमरान : 77) चुनाँचे लोगों ने उसे नसीहत की और उसने अपने जुर्म को कुबूल कर लिया (कि वाक़ई सूआ उसी ने चुभोया है)। फिर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि क़सम मुद्दअ अलैहि पर लाज़िम आती है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल आले इमरान बाब 3)

नोट : दूसरी रिवायत में है, 'अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अन्कर' यअनी षुबूत या गवाह पेश करने का भार मुद्दई (वादी) पर है और अगर वो षुबूत या गवाह पेश न कर सके तो मुद्दअ अलैहि (प्रतिवादी) से क़सम ली जाएगी। अगर वो क़सम खा लेगा तो फ़ैसला उसके हक़ में होगा और क़सम खाने से इन्कार कर देगा तो दा'वा षाबित हो जाएगा। ये हदीष मुआमलात के बाब में एक बहुत बड़ी उसूली हैषियत रखती है। इस्लामी शरीअत में तमाम मुक़द्दमों के फ़ैसले इसी के मुताबिक तय पाए जाते हैं। अब इस बात पर फ़ुक़हा के बीच इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि मुद्दा अलैह (प्रतिवादी) को क़सम किस सूरत में खिलाई जाएगी।

इमाम शाफ़ई (रह.) और जुम्हूर उलमा का मसलक यह है कि हर दा'वे की सूरत में मुद्दा अलैह को क़सम खिलाई जाएगी जबकि मुद्दई दा'वा पेश करने के बाद गवाह पेश न कर सके, चाहे मुद्दा अलैह का मुद्दई के साथ कोई वास्ता या ता'ल्लुक़ हो या न हो। लेकिन इमाम मालिक (रह.) और मदीना के फ़ुक़हा का क़ौल ये है कि सिर्फ़ उस सूरत में मुद्दा अलैह को क़सम खिलाई जाएगी, जब उसका और मुद्दई का उस मुआमले या कारोबार में एक-दूसरे के साथ रब्त (सम्पर्क), ता'ल्लुक़ या मेल-जोल रहा हो; वर्ना तो हर कमीना शख़्स उठकर किसी शरीफ़ आदमी पर दा'वा करके उसे क़सम खाने पर मजबूर करके परेशान करता रहेगा। लेकिन इस राय की सनद न तो सुन्नते-रसूल (ﷺ) से मिलती है और न ही उलमा के इजमाअ (सर्वसम्मति) से। (अज़ नववी रह.)

इस हदीष से एक अहम नुक्ते (बिन्दु) का पता चलता है, वह यह है कि जिस पर इल्ज़ाम है उसे अल्लाह के ख़ौफ़

से डराया जाए। ऐसा करने का फ़ायदा यह है कि अगर उसने वाक़ई वो गुनाह किया है तो आख़िरत की जवाबदेही के डर से वो अपने जुर्म का इक़रार कर लेगा और मज़लूम को इंसाफ़ मिल जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि गुनाहगार गुनाह करने के बाद अपने गुनाह का इक़रार नहीं करते, अगर करना भी चाहें तो उसके वकील उसे सज़ा से डराकर गुनाह का इन्कार करने पर आमादा करते हैं। इसी वजह से हर देश की अदालतों में मुक़द्दमों का अम्बार लगा हुआ है।

बाब 3 : फ़ैसला ज़ाहिरी हालात के मुताबिक़ किया जाएगा और चर्ब–ज़ुबानी (लफ़्फ़ाज़ियों/हुज्जत) से काम लेकर कामयाब हो जाने वाले के बारे में हुक्म

1114. हदीसे उम्मे सलमा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने हुज्रे के क़रीब झगड़े की आवाज़ सुनी। आप बाहर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, याद रखो! मैं भी इंसान हूँ इसलिये बहुत मुम्किन है कि मेरे पास कोई क़ज़िया (मुक़द्दमा) फ़ैसले के लिये आए और कोई एक फ़रीक़ दूसरे से ज़्यादा फ़सीह और बलीग़ (चर्ब ज़ुबान) हो और उसकी बातचीत सुनकर मैं यह ख़याल करूँ कि वो सच कह रहा है और उसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ; तो याद रखो अगर कभी ऐसा हो जाए और एक के हक़ में फ़ैसला दे दूँ जबकि अस्ल में हक़ दूसरे मुसलमान का हो तो मेरे फ़ैसले के मुताबिक़ हासिल होने वाला फ़ायदा आग का टुकड़ा है। अब जिसका जी चाहे उस जहन्नम की आग को ले ले और जो चाहे उस जहन्नम की आग को छोड़ दे और उससे बच जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 16)**

नोट : इस हदीस से जुम्हूर (अधिकाँश) उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि हाकिम के फ़ैसला कर देने से वाक़ियत (यानी हक़ीक़त या सच्चाई) नहीं बदलती और बातिन (जो नज़र न आ रहा हो उस) पर कोई असर नहीं पड़ता; न हराम, हलाल होता है और न ही हलाल, हराम होता है। (अज़ इमाम नववी रह.)

बाब 4 : हिन्दा (रज़ि.) (अबू सुफ़ियान रज़ि. की बीवी) के झगड़े का फ़ैसला

1115. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हिन्दा (रज़ि.) बिन्ते उत्बा नबी करीम (ﷺ) के पास आईं और कहने लगीं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) कंजूस शख़्स हैं, मुझे इतना ख़र्च नहीं देते जो मेरी और मेरी औलाद की किफ़ालत कर सके (यानी दिया जाने वाला ख़र्च कम होने के कारण अपर्याप्त है)। इन हालात में मैं उस रक़म से काम चलाती हूँ जो मैं उसके माल में से उसके इल्म के बग़ैर ले लेती हूँ। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तुम उसके माल में से दस्तूर के मुताबिक़ इस क़दर ले लिया करो जो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिये काफ़ी हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुन् नफ़क़ात बाब 9)**

1116. हदीसे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हिन्दा (रज़ि.) बिन्ते उत्बा नबी करीम (ﷺ) के पास आईं और कहने लगीं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (एक वक़्त था जब) पूरी ज़मीन पर कोई घर ऐसा न था जिसका ज़लील होना, आप (ﷺ) के घरवालों के ज़लील होने से ज़्यादा पसंद होता। लेकिन फिर यह हालत हो गई कि आज रू–ए–ज़मीन (इस धरती) पर कोई ऐसा घर नहीं है जिसका इज़्ज़तमंद होना मुझे आप (ﷺ) के घरवालों के मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम (सम्मानित व प्रिय) होने से ज़्यादा महबूब हो। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, और क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़–ए–कुदरत मे मेरी जान है! अभी तुम्हारी इस मुहब्बत में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (मेरे शौहर) अबू सुफ़ियान एक कंजूस शख़्स

हैं तो क्या यह बात ग़ैर–मुनासिब होगी कि मैं (उसकी इजाज़त के बग़ैर) उसके माल में से अपने और अबू सुफ़ियान के बच्चों पर ख़र्च कर लिया करूँ? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मैं इस ख़र्च करने को जाइज़ नहीं समझता मगर सिर्फ़ उस सूरत में जबकि यह ख़र्च दस्तूर के मुताबिक़ हो। **(सहीह बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्सार बाब 23)**

नोट : इन अहादीष से ज़ाहिर होता है कि अगर कोई शख़्स मा'कूल ता'दाद (पर्याप्त मात्रा) में कमाने के बावजूद अपनी बीवी और बच्चों के लिये वाजिब ख़र्चा न देता हो तो बीवी को यह हक़ हासिल है कि वो उसके माल में से घर की ज़रूरत के मुताबिक़, उसकी इजाज़त के बग़ैर ले सकती है। उसका ऐसा करना चोरी या ख़यानत नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा करना, इन्सानी हुक़ूक़ के नाते सिर्फ़ ज़रूरत के लिहाज़ से जाइज़ होगा, हुक़ूक़ुल्लाह (अल्लाह के हुक़ूक़) में जाइज़ नहीं होगा।

बाब 5 : बिला ज़रूरत ज़्यादा सवालात पूछने, अपने ज़िम्मे वाजिबशुदा हुक़ूक़ अदा न करने लेकिन दूसरों से बग़ैर इस्तिहक़ाक़ के मुतालबा करने की मुमानअत

1117. हदीषे मुग़ीरह बिन शेअबह (रज़ि.) : हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने तुम पर हराम किया है, (1) माँओं की नाफ़र्मानी करना (2) बेटियों को ज़िन्दा क़ब्र में दफ़न करना (3) दूसरों को तो उनका हक़ न देना, लेकिन उनसे ऐसे मुतालबात (माँग) करना जिनका तुमको हक़ न हो। नीज़ तुम्हारे लिये मकरूह क़रार दिया है। (1) क़ील व क़ाल करना, (2) बिला ज़रूरत ज़्यादा सवालात करना और (3) माल को बर्बाद करना। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तिक़राज़ बाब 19)**

बाब 6 : हाकिम जब अपने इज्तिहाद से कोई फ़ैसला करता है तो सहीह फ़ैसला करे या ग़लत दोनों सूरतों में उसे अज्र मिलता है

1118. हदीषे अम्र बिन अल आस (रज़ि.) : हज़रत अम्र बिन अल आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि जब कोई हाकिम अपनी मक़दूर (सामर्थ्य) भर कोशिश करके किसी मुआमले का फ़ैसला करता है और दुरुस्त फ़ैसला करने में कामयाब हो जाता है तो उसे दो अज्र मिलते हैं। लेकिन अगर पूरी कोशिश के बावजूद उसका फ़ैसला ग़लत हो जाता है तो उसको फिर भी एक अज्र ज़रूर मिलता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिसाम बाब 21)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि यहाँ हाकिम से मुराद ऐसा हाकिम है जो आलिम हो और फ़ैसला करने की सलाहियत (योग्यता) रखता हो। जाहिल हाकिम को तो फ़ैसला करना ही जाइज़ नहीं है बल्कि ऐसा हाकिम अगर हुक्म देगा या फ़ैसला करेगा तो वो गुनाहगार होगा, चाहे इत्तिफ़ाक़न उसका फ़ैसला दुरुस्त ही क्यों न हो जाए। यही हुक्म मुज्तहिद के बारे में है कि वो नेक निय्यती से अपने बिसात भर इल्म व अक़्ल को काम में लेते हुए किसी मसले पर फ़ैसला करता है तो चाहे वो फ़ैसला ग़लत हो, उसे एक अज्र मिलता है क्योंकि उसने दयानतदारी से हक़ (सत्य) और हक़ीक़त (वास्तविकता) को तलाश करने की कोशिश की और ये उसी कोशिश का अज्र है। इस हदीष से षाबित हुआ कि उम्मते–मुहम्मदिया (ﷺ) में जितने भी उलमा व मुज्तहिदीन गुज़रे हैं जैसे चारों इमाम; इमाम अबू हनीफ़ा (रह.), इमाम मालिक (रह.), इमाम शाफ़ई (रह.), इमाम अहमद बिन हंबल (रह.); यहाँ तक कि इमाम दाऊद ज़ाहिरी (रह.), इमाम सुफ़यान षौरी (रह.), इमाम औज़ाई (रह.), इमाम इस्हाक़ बिन राहवै (रह.), इमाम बुख़ारी (रह.), इमाम अश्हब (रह.), इमाम सहनून (रह.), इमाम इब्ने मुबारक (रह.), इमाम शुब्रमा (रह.) इमाम अबू

यअला (रह.), इमाम वकीअ (रह.), इमाम अबू यूसुफ़ (रह.), इमाम मुहम्मद (रह.), इमाम ज़फ़र (रह.), इमाम मज़्नी (रह.), इमाम तहावी (रह.), इमाम अबू षौर (रह.), इमाम इब्ने मुन्ज़िर (रह.), इमाम लैष बिन सईद (रह.), इमाम इब्ने तैमिया (रह.), इमाम इब्ने जरीर तबरी (रह.), इमाम शौकानी (रह.), इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) वग़ैरह।

इन हज़रात को हर इख़्तिलाफ़ी मसले पर भी अज्रो–षवाब ज़रूर मिलेगा, चाहे किसी मसले में उनका इज्तिहाद ग़लत ही क्यों न हो और उनसे ख़ता (भूल) सरज़द हुई हो। यही वजह है कि उम्मत को इन अइम्मा में से हर एक का एहसानमंद होना चाहिये कि महज़ अल्लाह की ख़ातिर उन्होंने दीन के मसाइल हल करने में कोशिश व मेहनत की। इन हज़रात पर तानाकशी करने में ज़बान चलाने से गुरेज करना चाहिये। अल्लाह तआला उन सबको उनकी नेक निय्यती और अमल के लिये दौड़–धूप करने का अज्र व षवाब अता फ़र्माए, आमीन!!

बाब 7 : क़ाज़ी के लिये गुस्से की हालत में मुक़द्दमे का फ़ैसला करना मकरूह है

1119. हदीषे अबूबक्र (रज़ि.) : हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अपने बेटे को जो सजिस्तान में (क़ाज़ी) थे (ख़त में) लिखा था, जब तुम गुस्से की हालत में होओ तो हर्गिज़ दो शख़्सों के क़ज़िये (मुक़द्दमे) का फ़ैसला न करो क्योंकि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना है कि कोई फ़ैसला करने वाला दो शख़्स के बीच हर्गिज़ फ़ैसला न करे जबकि वो गुस्से की हालत में हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 13)**

बाब 9 : ग़लत फ़ैसलों को बातिल क़रार देने और नौ–पैदाशुदा उमूर (बिदआत) को रद्द कर देने का हुक्म

1120. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस शख़्स ने हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा की जो दीन (किताब व सुन्नत) में मौजूद नहीं वो बात मर्दूद (नाक़ाबिले क़ुबूल और बातिल) है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सुलह बाब 5)**

बाब 10 : मुज्तहिदों में इख़्तिलाफ़े राय (फ़ित़री बात है)

1121. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि दो औरतें अपना–अपना बच्चा गोद में उठाए जा रही थीं कि एक भेड़िया आया और उनमें से एक के बच्चे को (छीनकर) ले गया। तो उनमें से एक ने अपनी साथी औरत से कहा कि भेड़िया तेरा बच्चा ले गया है और दूसरी ने कहा कि मेरा नहीं! तेरा बच्चा ले गया है। फिर वो अपना क़ज़िया लेकर दाऊद (अलैहिस्सलाम) की अदालत में हाज़िर हुईं तो हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) ने बड़ी औरत के हक़ में फ़ैसला दे दिया (या'नी जो बच्चा मौजूद है वो बड़ी औरत का है या'नी छोटी औरत का बच्चा भेड़िया ले गया है)। फिर वो दोनों हज़रत सुलैमान बिन दाऊद (अलैहिस्सलाम) के पास आईं और उनको सारा वाक़िआ बताकर अपने झगड़े का फ़ैसला तलब किया। तो हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने फ़र्माया, मुझे एक छुरी ला दो ताकि मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करके एक–एक दोनों को दे दूँ। यह सुनकर छोटी औरत कहने लगीं, नहीं! ऐसा न कीजिए!! अल्लाह तआला आप पर अपना रहम फ़र्माए। मैं क़ुबूल करती हूँ कि यह बच्चा इसी (बड़ी औरत) का है। चुनाँचे हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम)

ने फ़ैसला दिया कि बच्चा छोटी औरत का है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 40)**

नोट : यहाँ यह बात ग़ौरतलब है कि हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम), हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) के बेटे हैं। अल्लाह तआला ने उन दोनों को नुबूव्वत बख़्शी थी। हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने जैसे ही बच्चे के दो टुकड़े करने की बात कही, बच्चे की असली माँ तड़प उठी और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसके हक़ में फ़ैसला दिया। लेकिन इस इख़्तिलाफ़ के बावजूद हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) के मर्तबे को कमतर आँकना भी सहीह नहीं होगा।

बाब 11 : हाकिम का दोनों फ़रीक़ों के बीच सुलह करा देना मुस्तहसन है

1122. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स ने दूसरे शख़्स से ज़मीन ख़रीदी थी, उसे ज़मीन में से एक हण्डिया मिली जिसमें सोना था। चुनाँचे उसने बेचने वाले से कहा कि लो तुम यह अपना सोना ले लो, मैंने तुमसे सिर्फ़ ज़मीन ख़रीदी थी सोना नहीं ख़रीदा था। लेकिन ज़मीन बेचने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हारे हाथ ज़मीन और हर वो चीज़ जो ज़मीन में थी सब बेच दी थी (सोने से मेरा कोई तअल्लुक़ नहीं)। चुनाँचे उन दोनों ने अपना झगड़ा, फ़ैसले के लिये एक शख़्स के पास पेश किया। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारी कोई औलाद है? एक ने कहा मेरा एक लड़का है और दूसरे ने कहा कि मेरी एक लड़की है। फ़ैसला करने वाले ने कहा कि अच्छा तुम दोनों अपने लड़के और लड़की की शादी कर दो और यह सोना उन दोनों पर भी ख़र्च करो और उसमें से अल्लाह की राह में सदक़ा भी दो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 54)

किताबुल लुक़्ता

गिरी–पड़ी चीज़ उठाने के मसाइल

1123. हदीषे ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के पास आया और उसने आप (ﷺ) से लुक़्ता (गिरी–पड़ी चीज़) के बारे में पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी थैली और उसके ढकने को अच्छी तरह पहचान कर लो, फिर एक साल तक उसकी तशहीर (जानकारी आम) करो। (इस वक़्त में) अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे दे दो वरना तुमको हक़ है कि उसको जिस मुसरफ़ में चाहो लाओ। फिर उसने पूछा, अगर किसी को खोई हुई बकरी मिले तो उसके बारे में क्या हुक्म है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो या तो तेरी है या तेरे किसी भाईबंद या भेड़िये की। फिर उसने गुमशुदा ऊँट के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उससे तुझे क्या सरोकार? उसके साथ उसकी मश्क और उसकी जूती मौजूद है। प्याऊ पर पहुँचकर पानी पीता है और दरख़्तों के पत्ते खाता है यहाँ तक कि उसे उसका मालिक मिल जाता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मसाक़ात बाब 12)

नोट : लुक़्ता का लुग़वी मा'ना है, उठाई हुई चीज़। शरई तौर पर हर उस चीज़ को कहते हैं जो कुछ न कुछ क़ीमत रखती है और किसी की मिल्कियत हो लेकिन ग़ैर–महफ़ूज़ (असुरक्षित) पड़ी होने के कारण उसके बर्बाद होने के इम्कान हो और वो चीज़ ऐसी हो जो ख़ुद अपनी हिफ़ाज़त न कर सकती हो। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि गिरी–पड़ी चीज़ उठाने के मसले में उलमा के बीच इख़्तिलाफ़ है। लेकिन सहीह क़ौल यही है कि उठा लेना मुस्तहब है; दूसरा क़ौल यह है कि वाजिब है। एक और क़ौल ये है कि अगर वो जगह, जहाँ कोई चीज़ पड़ी नज़र आई, वो अमन की जगह है तो उठा लेना मुस्तहब है; अगर ग़ैर–मामून (असुरक्षित) जगह हो तो वाजिब है ताकि मुसलमान का माल बर्बाद न हो।

उसकी पहचान कराने और एक साल तक लोगों की जानकारी में लाने के सिलसिले में यह बात है कि अगर वो चीज़ क़ीमती है तो इत्तिफ़ाक़ राय से उसकी पहचान कराना और एक साल तक जानकारी आम करना वाजिब है। अगर किसी शख़्स ने सिर्फ़ हिफ़ाज़त की ग़रज़ से वो चीज़ उठाई है तो पहचान कराना वाजिब नहीं बल्कि उसके मालिक के आने तक उसे महफ़ूज़ रखे। लेकिन सहीह यही है कि पहचान कराना उस सूरत में भी ज़रूरी है ताकि उसका असल मालिक मिल सके। अलबत्ता अगर चीज़ मा'मूली और कम क़ीमत की है तो उसका विज्ञापन और पहचान सिर्फ़ उतने दिनों तक काफ़ी है कि यक़ीन हो जाए कि अब इसका मालिक नहीं आएगा।

तशहीर (विज्ञापन) की सूरत यह है कि जहाँ वो चीज़ मिली हो उस जगह और बाज़ारों, मस्जिदों और इज्तिमाआत में ऐलान कराया जाए कि अगर किसी की कोई चीज़ गुम हुई हो तो वो आकर अपनी चीज़ की निशानी बताकर ले जाए। फिर अगर तयशुदा मुद्दत के अन्दर मालिक आ जाए और अपनी चीज़ की पहचान कर ले तो वो चीज़ उसके हवाले कर दी जाएगी। अगर मुद्दत के बाद आए लेकिन पाने वाले तयशुदा मुद्दत से पहले उसे अपनी मिल्कियत में दाख़िल कर लिया हो, चाहे उस दौरान उसमें कोई इज़ाफ़ा हो चुका हो; जैसे वो चीज़ कोई जानवर था जिसने बच्चा दे दिया हो, या मोटा हो गया हो तो भी अगर उसका मालिक उसकी पहचान बता दे तो उसे दिलवाई

जाएगी। अगर पाने वाले ने तयशुदा मुद्दत यानी एक साल गुज़र जाने के बाद उसे अपनी मिल्कियत में दाख़िल कर लिया तो उसे अब वापस करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। (अज़ इमाम नववी रह.)

1124. हदीषे उबय बिन कअब (रज़ि.) : हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में एक थैली मिली जिसमें सौ दीनार थे। मैं उसे लेकर नबी करीम (ﷺ) के पास आया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, एक साल तक (मालिक की तलाश में) उसकी पहचान और तशहीर (विज्ञापन) कराओ। चुनाँचे मैंने एक साल तक उसकी तशहीर करवाई। उसके बाद मैं फिर नबी करीम (ﷺ) के पास आया (और पूछा कि अब इस थैली का क्या किया जाए?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मज़ीद (और) एक साल तक पहचान और तशहीर का अमल जारी रखो। मैंने मज़ीद एक साल उसकी तशहीर की। दूसरे साल के बाद मैंने फिर हाज़िर होकर पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मज़ीद एक साल तक शिनाख़्त और तशहीर कराओ। मैंने मज़ीद एक साल तक उसकी तशहीर और ऐलान किया। फिर चौथी मर्तबा हाज़िर हुआ (और पूछा) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसकी गिनती कर लो और उसका सरबंद और बर्तन अच्छी तरह पहचान कर लो, फिर अगर कभी उसका मालिक आ जाए (तो उसे दे दो) वरना उससे ख़ुद फ़ायदा उठाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लुक़्ता बाब 10)**

नोट : इस हदीष के मफ़हूम (भावार्थ) से साफ़ ज़ाहिर है कि अगर पाई हुई चीज़ ज़्यादा क़ीमत की हो तो तीन साल तक उसके असली मालिक का इंतज़ार करना चाहिये।

बाब 2 : मालिक की इजाज़त के बग़ैर जानवर का दूध दुहना हराम है

1125. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स किसी दूसरे का जानवर उसकी इजाज़त के बग़ैर हर्गिज़ न दूहे। क्या तुममें से कोई शख़्स इस बात को पसंद करेगा कि कोई शख़्स उसकी कोठरी में दाख़िल होकर उसका ख़ज़ाना तोड़े और उसके खाने–पीने का सामान निकाल कर ले जाए? इसी तरह जानवरों के थन उनके मालिकों के लिये सामाने ख़ुर्द व नोश के ख़ज़ाने हैं। चुनाँचे कोई शख़्स किसी दूसरे के जानवर को उसकी इजाज़त के बग़ैर न दूहे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल लुक़्ता बाब 8)

बाब 3 : मेहमान नवाज़ी का बयान

1126. हदीषे अबू शुरैह अदवी (रज़ि.) : हज़रत अबू शुरैह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरी दोनों आँखों ने देखा। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह और रोज़े–आख़िरत पर ईमान रखता है, उस पर लाज़िम है कि अपने पड़ौसी का एहतराम करे; और जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उस पर लाज़िम है कि अपने मेहमान की ख़ातिर व मदारात करे। पूछा गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह ख़ातिर व मदारात कब तक ज़रूरी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, एक दिन–रात और मेहमान–नवाज़ी तीन दिन तक और जो इससे भी ज़्यादा दिन तक हो वो (मेज़बान की तरफ़ से) मेहमान के लिये सदक़ा होगा। और जो शख़्स अल्लाह और रोज़े जज़ा पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अगर बोले तो अच्छी बात कहे या फिर ख़ामोश रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 31)**

1127. हदीषे अबू शुरैह कअबी (रज़ि.) : हज़रत अबू शुरैह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखता है, उस पर लाज़िम है कि वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। ख़ातिर व मदारात एक दिन–रात तक है और मेहमानदारी तीन दिन तक और उससे ज़्यादा सदक़ा है और मेहमान के लिये जाइज़ नहीं कि मेज़बान के पास इतने दिन तक ठहरे रहे जो उसके लिये बाअिषे ज़हमत (बोझ) बन जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 85)

1128. हदीषे उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) : हज़रत उक़्बा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि आप (ﷺ) हमें भेजते हैं तो हम कई बार ऐसे लोगों के पास क़ियाम करते हैं जो हमारी मेहमानदारी नहीं करते तो उस सूरत में आप (ﷺ) का क्या हुक्म है? (हमको क्या करना चाहिए?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम किसी क़बीले में जाकर क़ियाम करो और वो तुम्हारे लिये ऐसा इंतिजाम व एहतिमाम कर दें जो मेहमान के लिये होना चाहिए तो उसे क़ुबूल कर लो और वो अज़ख़ुद ऐसा न करें तो उनसे मेहमान का हक़ वसूल कर लो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 18)

नोट : इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) और इमाम लैष (रह.) ने इस हदीष को ज़ाहिरी मा'नी में लिया है और जुम्हूर (अधिकाँश) उलमा ने इसकी तावील की है और कहा है कि इससे मुराद वो सूरत है जब इज़्तिरार (बेचैनी) की कैफ़ियत हो और मेहमान भूख के मारे मरा जा रहा हो और ऐसी सूरत में भी मेजबान उसकी ज़ियाफ़त न करे तो वो जबरन अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ वसूल कर ले। या ज़बान से उनको अपना हक़ बताकर अपनी ज़रूरत की चीज़ माँग ले। कुछ लोगों का ख़याल ये है कि ये सूरत इस्लाम के शुरूआती दिनों में थी, बाद में मन्सूख़ (निरस्त) हो गई लेकिन इसके मंसूख़ होने का कोई षुबूत नहीं है।

किताबुल जिहाद

बाब 1 : जिन काफ़िरों को इस्लाम की दअवत दी जा चुकी हो (और फिर भी उन्होंने इस्लाम क़ुबूल न किया हो) उन पर पेशगी ख़बर दिए बग़ैर अचानक हमला करना जाइज़ है

1129. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने बनी अल मुस्तलक़ पर हमला किया था जबकि वो ग़ाफ़िल थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उनमें से लड़ने वालों को क़त्ल करवा दिया और उनके बाल–बच्चों को क़ैदी बना लिया था। उसी दिन हज़रत जुवैरिया (रज़ि.) क़ैद हुईं थीं और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ख़ुद उस लश्कर में शरीक थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 13)

बाब 3 : जंग के मौक़े पर दुश्मनों के साथ नरमी का बर्ताव करने का हुक्म और ऐसी बातों की मुमानअत जिनसे नफ़रत पैदा हो

1130. हदीषे अबू मूसा और मुआज़ (रज़ि.) : सईद बिन अबी बुरदा (रह.) अपने वालिद के हवाले से बयान करते हैं कि मेरे दादा हज़रत अबू मूसा और हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को नबी करीम (ﷺ) ने जब यमन की तरफ़ भेजा तो इर्शाद फ़र्माया, नरमी का बर्ताव करना और सख़्ती न करना और उनसे ऐसी बातें न करना जो उनके लिये ख़ुशी और तमानियत (इत्मीनान, सांत्वना) का बाइष हों, नफ़रत पैदा करने वाली बातों से बचना और ख़ुशदिली से आपस का इत्तिफ़ाक़ क़ायम रखना। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 60)**

1131. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आसानी पैदा करो और सख़्ती में मुब्तला न करो लोगों को ख़ुश–ख़बरी दो और ऐसी बातें न करो जिनसे नफ़रत पैदा हो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 11)

बाब 4 : अहद-शिकनी (वा'दा तोड़ना) हराम है

1132. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत के दिन हर अहद-शिकनी करने वाले का झण्डा नसब किया (गाड़ा) जाएगा और कहा जाएगा कि यह

फ़लाँ बिन फ़लाँ की अ़हद शिकनी है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 99)**

1133. हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत के दिन हर दग़ाबाज़ का एक झण्डा होगा जो उस दिन नसब किया जाएगा और उस झण्डे से वो पहचाना जाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिज़्या बाब 22)**

बाब 5 : जंग में दुश्मन को धोखा देना और जंगी चालें चलना जाइज़ है

1134. हदीषे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जंग फ़रेब और चालबाज़ी है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 157)**

1135. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने जंग को धोखादेही और चालबाज़ी का नाम दिया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 157)**

नोट : ये इर्शाद आप (ﷺ) ने ग़ज़्वा–ए–ख़न्दक़ के मौक़े पर फ़र्माया था; जब आप (ﷺ) ने नुऐम बिन मस्ऊद (रज़ि.) को इस ग़रज़ से भेजा था कि वो जाकर क़ुरैश, बनी ग़तफ़ान और यहूदियों के बीच एक–दूसरे के ख़िलाफ़ बातें फैलाकर नफ़रत और बे–ऐतमादी (अविश्वास) पैदा करें। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इस बात पर तमाम उ़लमा का इत्तेफ़ाक़ है कि जंग के मौक़े पर काफ़िरों के साथ हर क़िस्म की चालबाज़ी और मक्र करना जाइज़ है, जिसमें अमान देने के बाद वा'दाख़िलाफ़ी न हो क्योंकि अमान देने के बाद अहदशिकनी करना या धोखा देना जाइज़ नहीं है और इसकी सख़्ती से मुमानअ़त है। (अज़ नववी रह.)

बाब 6 : जंग की आरज़ू करना मकरूह है और जब दुश्मन से मुक़ाबला पेश आ जाए तो सब्र और इस्तिक़लाल से काम लेना लाज़िम है

1136. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दुश्मन से मुक़ाबला दरपेश आने की आरज़ू न करो लेकिन जब जंग शुरू हो जाए तो सब्र व इस्तिक़ामत से काम लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 156)**

1137. हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) : जब उ़मर (रज़ि.) बिन उ़बैदुल्लाह हरूरिया की तरफ़ (ख़ारजियों से मुक़ाबले के लिये) गये तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) ने उन्हें लिखा था कि नबी करीम (ﷺ) ने अपनी बाज़ जंगों में एक मौक़े पर उस वक़्त तक इंतिज़ार किया कि सूरज ढल गया। फिर आप (ﷺ) लोगों के बीच खड़े हुए और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ लोगों! कभी जंग की तमन्ना न करो और हमेशा अल्लाह तआ़ला से आफ़ियत की दुआ माँगते रहो लेकिन जब दुश्मन से मुक़ाबला पेश आ जाए तो सब्र व इस्तिक़ामत से लड़ो और याद रखो जन्नत तलवारों की छाँव में है। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **अल्लाहुम्म मुनज़्ज़िलुल किताब व मुज्रिस्सहाब व हाज़िमुल अहज़ाब, इहज़िम्हुम वन्सुर्ना अ़लैहिम** 'ऐ अल्लाह! जिसने किताब नाज़िल की, बादलों को चलाया और दुश्मन के जत्थों को शिकस्त दी, उन दुश्मनों को भी भगा दे और हमको उन पर अपनी मदद से कामयाबी अ़ता फ़र्मा।' **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 156)**

बाब 8: जंग में औरतों और बच्चों को क़त्ल करना हराम है

1138. हदीसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के किसी ग़ज़वे में एक औरत मक़्तूल पाई गई तो आपने औरतों और बच्चों के क़त्ल को नापसंदीदा क़रार देकर इससे मना फ़र्मा दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 137)**

बाब 9 : सबख़ूँ मारते वक़्त अगर बग़ैर इरादे के (अनजाने में) औरतें और बच्चे क़त्ल हो जाएँ तो जाइज़ है

1139. हदीसे सअब बिन जष्मामह (रज़ि.) : हज़रत सअब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) मुक़ामे अब्वाअ या मुक़ामे वद्दान के पास से गुज़रे और मैं आप (ﷺ) के साथ था। आप (ﷺ) से पूछा गया कि अगर दारुल हरब (शत्रु–भूमि, दुश्मन देश) के मुश्रिकों पर सबख़ूँ (रात्रिकालीन छापा) मारा जाए और हमले में मुश्रिकों की औरतें और बच्चे भी क़त्ल हो जाएँ तो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो उन्हीं में से हैं (या'नी इस सूरत में बच्चों और औरतों का भी वही हुक्म है जो दूसरे मुश्रिकों का)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 146)**

नोट : शबख़ूँ यानी रात को किया गया हमला।

बाब 10 : काफ़िरों के दरख़्त काटना और जलाना जाइज़ है

1140. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी नज़ीर के खजूरों के दरख़्त जो बुवैरह कहलाते थे काटे और जलाए तो यह आयते करीमा नाज़िल हुई **मा क़तअतुम्मिनल लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह** तर्जुमा : **'तुम लोगों ने खजूरों के जो दरख़्त काटे या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया यह सब अल्लाह ही के इज़्न से था।'** (सूरह हश्र : 5) **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 14)**

बाब 11 : माले ग़नीमत इस उम्मत के लिये बतौरे ख़ास हलाल किया गया है

1141. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पहले अंबिया में से एक नबी ने जिहाद का इरादा किया तो अपनी क़ौम के लोगों से कहा कि मेरे साथ वो शख़्स न चले जिसने ताज़ा– ताज़ा निकाह किया हो और अपनी बीवी के साथ शबे ज़िफ़ाफ़ गुज़ारना चाहता हो। लेकिन अभी उसे इसका मौक़ा न मिला हो और न कोई ऐसा शख़्स चले जिसने घर बनाया हो लेकिन अभी उसकी छत बुलन्द न की हो और न वो शख़्स चले जिसने बकरियाँ या गाभिन ऊँटनियाँ ख़रीदी हो और उसे उनके जनने का इंतिज़ार हो (इसलिये कि इन तमाम सूरतों में इन लोगों का दिल उन चीज़ों में लगा रहेगा)।

फिर वो नबी (अलैहिस्सलाम) जिहाद के लिये रवाना हुए और अस्र के वक़्त या अस्र के क़रीब उस बस्ती तक पहुँचे तो उन्होंने सूरज से कहा, तू भी पाबन्दे अहकाम है और मैं भी हुक्म का बन्दा हूँ। ऐ अल्लाह! इसे हमारे ऊपर रोक दे। चुनाँचे सूरज को रोक दिया गया यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनको उस बस्ती वालों पर फ़तह अता फ़र्मा दी। फिर उस नबी (अलैहिस्सलाम) ने माले ग़नीमत जमा किया और (कुर्बानगाह में रख दिया) उसे खाने के लिये आग आई लेकिन उसने उसे न खाया। नबी (अलैहिस्सलाम) ने कहा, यक़ीनन तुममें से किसी ने

चोरी की है लिहाज़ा हर क़बीले में से एक-एक शख़्स मेरे हाथ पर बैअत करे (हलफ़ उठाए)। बैअत के दौरान एक शख़्स का हाथ नबी (अलैहिस्सलाम) से चिपक गया तो उन्होंने फ़र्माया, तुम्हारे क़बीले में ही कोई चोर है चुनाँचे पूरा क़बीला बैअत करे। फिर बैअत करते वक़्त उस क़बीले के दो या तीन शख़्सों का हाथ चिपक गया तो आप (अलैहिस्सलाम) ने फ़र्माया, तुम्हीं में से कोई चोर है। चुनाँचे एक सोने का बना हुआ गाय का सर लाए और उसे ढेर में रख दिया गया। फिर आग आई और सारे माले ग़नीमत को खा गई। उसके बाद अल्लाह तआला ने हमारे लिये माले ग़नीमत को हलाल कर दिया। दरअसल अल्लाह तआला ने हमारी कमज़ोरी और इज्ज़ देखा और इस बिना पर हमारे लिये माले ग़नीमत हलाल कर दिया। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 8)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि ये नबी हज़रत यूशा बिन नूह (अलैहिस्सलाम) थे जो कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के ख़लीफ़ा थे और ये बस्ती मुल्के शाम (सीरिया) का शहर अरयहा था। ये हमला जुम्आ के दिन किया गया था और हज़रत यूशा ने सूरज के रुकने की दुआ इसलिये माँगी थी कि सूरज डूबने के बाद सब्त (हफ़्ता या सनीचर) का दिन शुरू हो जाता और बनी इस्राईल के लिये सब्त के दिन लड़ाई मना थी। चुनाँचे आप की दुआ की वजह से चमत्कारिक तौर पर सूरज को (गुरूब होने से) रोक दिया गया, यहाँ तक कि बस्ती जीत ली गई। हज़रत यूशा (अलैहिस्सलाम) ने नव-विवाहित लोगों, जानवरों और मकानवालों को जिहाद में शरीक होने से इसलिये रोक दिया था क्योंकि उनका दिल उन्हीं कामों में लगा रहेगा जो वे अधूरा छोड़ आए थे और वे पूरी दिलजूई से जिहाद में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हदीष से ये भी मा'लूम होता है कि पहले वाली उम्मतों के लिये माले-ग़नीमत (युद्ध में जीता हुआ माल) हलाल न था और ऐसे माल को कुर्बानगाह में रख दिया जाता था जिसे आग आकर जला देती थी और यही चीज़ इस बात की दलील होती थी कि उनका जिहाद और कुर्बानी मक़्बूल (स्वीकार्य) है।

बाब 12 : माले ग़नीमत के बांटने का बयान

1142. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने नज्द की जानिब एक सरिय्या (हमलावर दस्ता) भेजा जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ख़ुद भी शरीक थे उस दस्ते को वहाँ बहुत से ऊँट माले ग़नीमत में मिले और हर शख़्स के हिस्से में 12-12 या 11-11 ऊँट आए और एक-एक ऊँट मज़ीद (अतिरिक्त) सबको इनाम में मिला। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 15)**

1143. हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जो सरिय्या (हमलावर दस्ते) रवाना किया करते थे उनमें से बाज़ को बतौरे ख़ास उनकी ज़ात के लिये आम लश्कर के हिस्से से कुछ ज़ायद हिस्सा दिया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 15)**

बाब 13 : मक़्तूल के माल व सामान का हक़दार वो मुजाहिद है जिसने उसे क़त्ल किया

1144. हदीषे अबू क़तादा (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि जिस साल जंगे हुनैन हुई थी हम नबी करीम (ﷺ) के हमरकाब थे। फिर जब दुश्मन से मआरका (मुक़ाबला) पेश आया तो शुरू में मुसलमानों को हारना पड़ा। उसी वक़्त मैंने एक मुश्रिक को देखा कि मुसलमान पर ग़लबा पाए हुए है (हावी है) तो मैं घूमकर उसके पीछे से आया और उसके शाने (कंधे) पर तलवार का वार किया। वो मुझपर झपट पड़ा और उसने मुझे इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी आँखों में मौत की तस्वीर फिर गई। फिर वो मर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से आकर मिला और मैंने पूछा कि मुसलमानों को क्या हुआ है? आपने कहा,

अल्लाह का हुक्म (रज़ा) यही था।

फिर लोग लौट आए (और मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई) और नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा हुए और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने किसी (काफ़िर) को क़त्ल किया हो और उसके पास उस क़त्ल की शहादत भी मौजूद हो तो मक़्तूल का माल व सामान उसी को मिलेगा। यह सुनकर मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, (मैंने एक काफ़िर को क़त्ल किया है) क्या कोई है जो मेरे हक़ में गवाही दे? यह कहकर मैं बैठ गया। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने किसी को क़त्ल किया हो और उसके पास शहादत मौजूद हो मक़्तूल का माल व सामान उसी का है। मैं फिर उठा और मैंने दोबारा कहा, कोई है जो मेरे हक़ में गवाही दे? यह कहकर मैं फिर बैठ गया और नबी करीम (ﷺ) ने तीसरी बार फिर वही बात दोहराई (जिसने किसी काफ़िर को क़त्ल किया हो और उसके पास उस क़त्ल की शहादत मौजूद हो तो मक़्तूल के माल व सामान का हक़दार वही है)। फिर एक शख़्स उठा और उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह (यानी हज़रत अबू क़तादह रज़ि.) सच कहते हैं और उस मक़्तूल का माल व सामान मेरे पास है और आप (ﷺ) उन्हें (हज़रत अबू क़तादह रज़ि. को) इस बात पर राज़ी कर दीजिए (कि यह माल मेरे पास रहने दें)। यह सुनकर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, नहीं! अल्लाह की क़सम हर्गिज़ नहीं!! इसका मतलब तो यह हुआ कि तू चाहता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अल्लाह के एक शेर को जो अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से लड़ा, उसे यह हुक्म दें कि वो अपने मक़्तूल का सामान व माल तुझको दे दे।

चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने सच कहा है और उसने वो सामान और माल मुझे दे दिया और मैंने उसमें से एक ज़िरह बेची और उसकी क़ीमत से मैंने बनी सलमा के मुहल्ले में एक बाग़ ख़रीद लिया और यह पहला माले ग़नीमत था जो मुसलमान होने के बाद मैंने हासिल किया था।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 18)

1145. हदीसे अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) : हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़ज़्व-ए-बद्र के दिन जब मैं सफ़ में खड़ा था, मैंने अपने दाँए-बाँए देखा तो मुझे दो कमसिन अन्सारी लड़के नज़र आए (उनको देखकर) मेरे दिल में आरज़ू पैदा हुई कि काश! मैं उनके बजाय ज़्यादा क़वी (मज़बूत) नौजवानों के बीच होता। (उसी वक़्त) उनमें से एक लड़के ने मुझे आँख से इशारा किया और पूछा, चचाजान! क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने कहा, हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन भतीजे! तुम्हें उससे क्या ग़र्ज़? कहने लगा कि मुझे मा'लूम हुआ है कि वो नबी करीम (ﷺ) की शान में बदगोई करता है। क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़-ए-क़ुदरत में मेरी जान है, अगर मैं उसे देख पाऊँ तो मैं उससे उस वक़्त तक जुदा न होऊँगा, जब तक कि हममें से एक जिसकी मौत पहले आई होगी, वो हलाक न हो जाएगा। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान हो रहा था कि दूसरे लड़के ने उसे ठोका दिया और वही बातचीत की जो पहले वाले ने की थी। उसी वक़्त मेरी नज़र अबू जहल पर पड़ गई जो लोगों के बीच फिर रहा था। मैंने उन लड़कों से कहा, लो यह रहा वो शख़्स जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे। यह सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लेकर उसकी तरफ़ झपटे और उस पर टूट पड़े यहाँ तक कि उसे क़त्ल कर दिया।

फिर दोनों वहाँ से लौटकर नबी करीम (ﷺ) के पास आए और आप (ﷺ) को उसके क़त्ल की ख़बर दी। आप (ﷺ) ने पूछा, तुममें से किसने उसे क़त्ल किया है? दोनों में से हर एक ने कहा, मैंने उसे क़त्ल किया है। आप (ﷺ) ने पूछा, क्या तुमने अपनी तलवारें साफ़ कर लीं? उन्होंने कहा, नहीं। चुनाँचे आप (ﷺ) ने दोनों की तलवारों का मुलाहिज़ा (अवलोकन) किया और फ़र्माया, ठीक है, तुम दोनों ने उसे क़त्ल किया है, उसका माल व सामान मुआज़ (रज़ि.) बिन अम्र बिन अल जमूअ को दिया जाए और इन दोनों लड़कों में से एक मुआज़ (रज़ि.) बिन अ़फ़रा था और दूसरा मुआज़ (रज़ि.) बिन अम्र बिन जमूअ था।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 18)

नोट : क़त्ल में दोनों लड़के शरीक थे लेकिन तलवारें देखकर आप (ﷺ) ने ये अन्दाज़ा लगाया कि किसकी तलवार ज़्यादा कारी (भरपूर) पड़ी थी और उसी के आधार पर आपने सामान के सिलसिले में मुआज़ बिन अम्र बिन अल जमूअ के हक़ में फ़ैसला फ़र्माया था।

बाब 15 : फ़ै या'नी उस माले ग़नीमत का बयान जो जंग के बग़ैर (बिना लड़े) मुसलमानों के हाथ आए

1146. हदीषे उमर (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि बनी नज़ीर का माल व दौलत ऐसा माले ग़नीमत था जो अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुद अता फ़र्माया था और उसके लिये मुसमलानों ने उन (बनी नज़ीर) पर घोड़ों और ऊँटों से चढ़ाई नहीं की थी। यही वजह है कि यह माल महज़ नबी करीम (ﷺ) के लिये मख़्सूस थे और आप (ﷺ) उसमें से अपने अहलो अयाल का एक साल का ख़र्च निकाल लिया करते थे और बाक़ी बचे को हथियारों, घोड़ों और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तैयारी में ख़र्च करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 56)

1147. हदीषे उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : मालिक (रह.) बिन औस बिन हदषान नसरी बयान करते हैं कि मुझे हज़रत उमर (रज़ि.) ने बुलाया। (जिस वक़्त मैं आपके पास हाज़िर था) उसी वक़्त आपका दरबान यरफ़ा हाज़िर हुआ और कहा कि हज़रत उषमान, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत जुबैर और हज़रत सअद (रज़ि.) हाज़िर होने की इजाज़त चाहते हैं, क्या उन्हें इजाज़त है? हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, आने दो। चुनाँचे दरबान उन्हें अंदर ले आया। फिर दोबारा आया और पूछा कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली (रज़ि.) आए हैं, क्या उन्हें भी आने की इजाज़त है? हज़रत उमर (रज़ि.) ने इजाज़त दे दी। जब यह दोनों अंदर आ गए तो हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! मेरे और इन (हज़रत अली रज़ि.) के बीच झगड़े का फ़ैसला कर दीजिए। उनका यह झगड़ा उस माले ग़नीमत के सिलसिले में था जो अल्लाह तआला ने बनी नज़ीर से नबी करीम (ﷺ) को बतौरे फ़ै अता फ़र्माया था। इस बातचीत के दौरान हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत अब्बास (रज़ि.) के बीच सख़्त–कलामी भी हो गई।

चुनाँचे हाज़िरे मजलिस लोगों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! ज़रूर इन दोनों के इस झगड़े का फ़ैसला कर दीजिये और दोनों का एक–दूसरे से पीछा छुड़ा दीजिए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, ठहरो! ज़ल्दबाज़ी से काम न लो। मैं तुम सब लोगों को उस अल्लाह की क़सम दिलाता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान क़ायम हैं। क्या तुमको मा'लूम है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है, **'हमारी मीराष तक़्सीम नहीं होती और हमारा तर्का सदक़ा है।'** और आप (ﷺ) की मुराद उससे अपनी ज़ात थी। सब हाज़िरीन कहने लगे, हाँ यह तो आप (ﷺ) ने ज़रूर फ़र्माया था। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) हज़राते अब्बास व अली (रज़ि.) से मुख़ातब हुए और कहा कि मैं तुम दोनों को अल्लाह की क़सम दिलाकर पूछता हूँ कि क्या तुमको भी मा'लूम है कि नबी करीम (ﷺ) ने यह बात इर्शाद फ़र्माई थी? दोनों कहने लगे, हाँ आप (ﷺ) ने यक़ीनन यह इर्शाद फ़र्माया था। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, अब मैं तुमको इस मुआमले के मुता'ल्लिक़ असल बात बताता हूँ। यक़ीनन अल्लाह तआला ने उसे माले ग़नीमत के सिलसिले में नबी करीम (ﷺ) को ऐसा ख़ास हक़ अता फ़र्माया था जो आप (ﷺ) के अलावा किसी दूसरे को अता नहीं फ़र्माया, चुनाँचे इर्शादे बारी तआला है, **'और जो माल अल्लाह ने उनके क़ब्ज़े में से निकालकर अपने रसूल की तरफ़ पलटा दिए वो ऐसे माल नहीं हैं जिन पर तुम अपने घोड़े और ऊँट दौड़ाए हों बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है तसल्लुत अता**

फ़र्मा देता है और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है।' (सूरह हश्र : 6)

लिहाज़ा इस क़िस्म के तमाम माल ख़ालिसतन रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये थे, दूसरों का उस पर कोई हक़ न था। मगर फिर भी अल्लाह की क़सम! आप (ﷺ) ने उन मालों को तुमसे बचाकर नहीं रखा और न माल को तुम पर तरजीह दी बल्कि वो अमवाल तुमको अ़ता फ़र्मा दिए और तुममें ही उनको तक़्सीम कर दिया; यहाँ तक कि उन अमवाल (फ़ै) में से सिर्फ़ यह माल बचा था। और रसूलुल्लाह (ﷺ) उसमें से अपने अहलो अ़याल का साल भर का नफ़्क़ा लिया करते थे और बाक़ी बचा माल को अल्लाह के बैतुलमाल में दे दिया करते थे। सो यह तरीक़े कार था जो नबी करीम (ﷺ) ने अपने हीने—वक़्ते—हयात (जीवन काल) में इख़्तियार फ़र्माया था। फिर आपका विसाल हो गया और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा कि मैं नबी करीम (ﷺ) का जानशीन हूँ और उन मालों को अपनी तहवील (सुपुर्दगी) में ले लिया और उनको उन्हीं मसारिफ़ में ख़र्च करते रहे और वैसा ही तसर्रुफ़ करते रहे जैसा कि नबी करीम (ﷺ) फ़र्माया करते थे। फिर आप (रज़ि.) ने हज़रत अ़ली (रज़ि.) और हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) से मुख़ातब (सम्बोधित) होकर फ़र्माया, तुम लोग उस वक़्त भी उनके तर्जे अ़मल का शिकवा करते रहे और उनके बारे में भी कई तरह की बातें बनाते रहे हालाँकि अल्लाह तआ़ला जानता है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) अपने तर्जे अ़मल में सच्चे थे, राहे रास्त पर थे और हक़ पर कारबंद थे।

फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) का भी इंतिक़ाल हो गया और मैंने नबी करीम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की मस्नदे—नियाबत (उत्तराधिकार) संभाली और अब मेरी इमारत के दौरान दो साल से वो माल मेरी तहवील हैं और मैंने उनके सिलसिले में वही तरीक़—ए—कार इख़्तियार कर रखा है जो नबी करीम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) का था और अल्लाह तआ़ला जानता है कि मैं इस मुआ़मले में सच्चा हूँ, दुरुस्तकार हूँ, राहे रास्त पर हूँ और हक़ पर कारबंद हूँ। फिर आप दोनों हज़रात मेरे पास आए और दोनों एक ही बात कहते थे और दोनों का मसला भी एक ही था और आप भी ऐ अ़ब्बास (रज़ि.) मेरे पास आए तो मैंने आप दोनों से कहा कि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि हमारी (गिरोहे अंबिया की) मीराष तक़्सीम नहीं होती हमारा तर्का सदक़ा है। फिर जब मैंने यह फ़ैसला किया कि उन मालों को तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ तो मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम दोनों चाहो तो मैं यह माल तुम्हारे सुपुर्द कर देता हूँ इस शर्त पर कि तुम दोनों अल्लाह तआ़ला और रसूलुल्लाह (ﷺ) से किए गए अहदो—पैमान को पूरा करो और उन मालों का इंतिज़ाम व तसर्रुफ़ इसी नहज पर करो जिस पर ख़ुद नबी करीम (ﷺ) ने, (उनके बाद) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने और मैंने अ़मल किया, जबसे मैं वाली—ए—अम्र (ख़लीफ़ा) बना। और अगर आप दोनों को यह शर्त मंज़ूर नहीं तो फिर आप इस सिलसिले में मुझसे कोई बात न करें। आप ने कहा कि इन शराइत पर यह माल हमारे सुपुर्द कर दीजिए और मैंने वो आपके सुपुर्द कर दिए। अब क्या आप दोनों हज़रात मुझसे इससे अलग कोई और फ़ैसला चाहते हैं? अगर ऐसा है तो क़सम है उस अल्लाह की! जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान क़ायम हैं, मैं इस मुआ़मले में क़ियामत तक कोई ऐसा फ़ैसला न करूँगा जो उस फ़ैसले से मुख़्तलिफ़ (अलग) हो। अलबत्ता अगर तुम दोनों इसके इंतिज़ाम से आ़जिज़ आ गए तो यह माल दोबारा मेरी तहवील में दे दो, मैं इनका इंतिज़ाम संभाल कर तुम्हें इस सरदर्दी और परेशानी से नजात दिला दूँगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 14)**

बाब 16 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद 'हमारा कोई वारिष नहीं हमारा तर्का सदक़ा है'

1148. हदीषे आइशा (रज़ि.) : नबी करीम (ﷺ) की विसाल के बाद उम्महातुल मोमिनीन ने चाहा था कि हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) को हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास भेजें ताकि हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) से उस मीराष का मुतालबा करें जो उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि.) का हक़ है। उस मौक़े पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया था, क्या यह रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद नहीं है? 'हमारी (अंबिया की) मीराष किसी को नहीं मिलती,

हम जो माल अपने पीछे छोड़ते हैं वो सदक़ा होता है।' (सहीह बुख़ारी किताबुल फ़राइज़ बाब 3)

1149. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास किसी को भेजा और आपसे नबी करीम (ﷺ) के उन मालों में से जो मदीना और फ़दक में आप (ﷺ) को अल्लाह तआला ने बतौरे ख़ास अता किए थे। नीज़ जो ख़ैबर के ख़ुम्स में से बाक़ी थे, अपनी मीराष के हिस्से का मुतालबा किया तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, यक़ीनन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था, **'हमारा कोई वारिष नहीं होता और हम जो तर्का छोड़ते हैं वो सदक़ा है।'** अलबत्ता यह ज़रूर है कि नबी करीम (ﷺ) के अहले ख़ानदान उन मालों में से अपनी ज़रूरियात हासिल करते रहेंगे। और मैं अल्लाह की क़सम! नबी करीम (ﷺ) के सदक़ात को उस हालत से ज़रा भी नहीं बदलूँगा जो आपके ज़माने में थी। और उनके सिलसिले में उसी तरह अमल करूँगा जिस तरह नबी करीम (ﷺ) ख़ुद करते थे। यह कहकर हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को उनमें से कुछ भी देने से इंकार कर दिया और इसी वजह से हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से नाराज़ हो गईं और आपसे मिलना–जुलना छोड़ दिया और फिर अपनी वफ़ात तक हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से बात न की।

हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के बाद छः माह तक ज़िन्दा रहीं जब आपका इंतिक़ाल हुआ तो आपके शौहर हज़रत अली (रज़ि.) ने आपको रातों–रात दफ़न कर दिया और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को आपकी वफ़ात की ख़बर न दी और ख़ुद ही आपकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की ज़िन्दगी में हज़रत अली (रज़ि.) को लोगों में एक ख़ास मुक़ाम हासिल था, लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) का इंतिक़ाल हो गया तो हज़रत अली (रज़ि.) ने लोगों के रुख़ को फिरा हुआ पाया और आपने चाहा कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से सुलह हो जाए और आपने उनकी बैअत कर ली।

हज़रत अली (रज़ि.) ने उन छः महीनों तक आपसे बैअत नहीं की थी चुनाँचे आपने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को पैग़ाम भेजा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अकेले आएँ कोई और आपके साथ न हों (दरअसल वे हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) के साथ हज़रत उमर (रज़ि.) के आने को नापसंद करते थे इसलिये यह कहलाया था कि कोई और आपके साथ न हो)। हज़रत अली (रज़ि.) के इस पैग़ाम पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, नहीं! अल्लाह की क़सम! आप उनके पास अकेले न जाएँगे। इस पर हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्यों! तुम क्या उम्मीद रखते हो कि वो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे? अल्लाह की क़सम! मैं ज़रूर उनके पास अकेला जाऊँगा। चुनाँचे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) अकेले तशरीफ़ ले गए और हज़रत अली (रज़ि.) ने अल्लाह तआला की हम्दो–षना के बाद कहा कि हमको यक़ीनन आपकी फ़ज़ीलत का इरफ़ान हासिल है और जो कुछ अल्लाह तआला ने आपको अता किया है वो भी हमें मा'लूम है और हमको आपसे किसी ऐसी ख़ैर पर कोई रश्क नहीं है जो अल्लाह तआला ने आपको दी है। लेकिन आप इस अम्रे ख़िलाफ़त में ख़ुद मुख़्तार बन गए हैं हालाँकि हम समझते थे कि क़राबते रसूल (ﷺ) की बिना पर उस (के मश्विरों) में हमारा भी हिस्सा है यह बातचीत सुनकर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की आँखों में आंसू आ गए।

फिर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) बोलने के क़ाबिल हुए तो आपने कहा, क़सम है उस ज़ात कि जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़राबत का लिहाज़ मुझको अपनी क़राबत की रिआया से ज़्यादा महबूब है और ये जो तुममें और मुझमें उन मालों (फ़िदक, अमवाले बनी नज़ीर और ख़म्से खैबर वग़ैरह) के बारे में इख़्तिलाफ़ हुआ है तो वाक़िआ यह है कि मैंने उनके मुआमले में ख़ैर (भलाई) व सवाब (दुरूस्तगी) के तरीक़े से ज़रा भी इनहिराफ़ (नाफ़र्मानी या किसी की ओर फिर जाने का अमल) नहीं किया और मैंने उनके सिलसिले में कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो मैंने नबी करीम (ﷺ) को करते हुए देखा था।

फिर ह़ज़रत अ़ला (रज़ि.) ने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कहा, हम बैअ़त के लिये आपके साथ तीसरे पहर का वक़्त मुक़र्रर करते हैं। फिर जब ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ज़ुहर की नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मिम्बर पर चढ़े और आपने अल्लाह की ह़म्दो-षना के बाद ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) की मुलाक़ात का ज़िक्र किया और उनके बैअ़त से पीछे रहने और उसके वो अस्बाब व वजूह (कारण) बयान किए जो ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने बतौरे उ़ज़्र पेश किए थे। **उसके बाद ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने इस्तिग़फ़ार की और अल्लाह की ह़म्दो-षना बयान की और ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के ह़क़ की फ़ज़ीलत को मान लिया और कहा, मैंने जो कुछ इस सिलसिले में किया उसका सबब न तो ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से ह़सद है और न ही इसका कारण ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की फ़ज़ीलत व मरतबत (श्रेष्ठता) का इंकार करना है जो अल्लाह तआ़ला ने उनको अ़ता की है। बल्कि हम यह ख़याल करते थे कि ख़िलाफ़त में हमारा भी ह़िस्सा है और ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अकेले ही हमारे मश्विरे के बग़ैर यह काम संभाल लिया है, इस वजह से हमको रंज हुआ था। यह बातें सुनकर सब मुसलमान ख़ुश हो गए और कहने लगे कि आपने दुरुस्त इक़दाम किया है (यानी अब आपने सहीह क़दम उठाया है) और मुसलमान फिर ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के क़रीब हो गए जब उन्होंने अम्रे मअ़रूफ़ की तरफ़ रुजूअ़ किया** (या'नी ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि. की बैअ़त कर ली)।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)

1150. ह़दीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) की बेटी ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात के बाद ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से मुतालबा किया कि आप नबी करीम (ﷺ) के तर्के में से और उन मालों में से जो आप (ﷺ) को अल्लाह तआ़ला ने बतौरे फ़ै अ़ता किए थे, मीराष का मेरा ह़िस्सा तक़्सीम करके मुझे दे दें। ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था, **हमारी कोई मीराष नहीं हम जो तर्का छोड़ें वो सदक़ा है।** यह जवाब सुनकर ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) नाराज़ हो गईं और ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से बोल-चाल बन्द कर दी और फिर अपनी वफ़ात तक आपके तअ़ल्लुक़ात ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) से बहाल नहीं हो सके। ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात के बाद सिर्फ़ छः माह ज़िन्दा रहीं। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से उन मालों में से अपना ह़िस्सा तलब किया था जो नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर, फ़दक और सदक़ात मदीना में छोड़े थे। लेकिन ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) का मुतालबा मानने से इंकार कर दिया था और कहा था कि जो कुछ (उन मालों के सिलसिले में) नबी करीम (ﷺ) किया करते थे वही मैं भी करूँगा। मैं उस तरीक़-ए-कार में कोई बदलाव न करूँगा और न कोई बात छोड़ूँगा क्योंकि मुझे डर है कि मैं आप (ﷺ) के अह़काम में से किसी एक हुक्म पर भी अ़मल न करूँगा तो गुमराह हो जाऊँगा। उसके बाद मदीना का सदक़ा ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ह़ज़रत अ़ली और ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) को दे दिया था लेकिन ख़ैबर और फ़दक को ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अपनी तह़वील में रखा और कहा कि यह दोनों (ख़ैबर और फ़दक) नबी करीम (ﷺ) के ऐसे सदक़े थे जो हुक़ूक़ की अदायगी में और ऐसे कामों में ख़र्च हुआ करते थे जो आप (ﷺ) को दरपेश होते थे। इसलिये उनका इंतिज़ाम उसके पास रहेगा जो वाली-ए-अम्र (अमीरुल मोमिनीन) होगा। चुनाँचे उन दोनों का मुआ़मला आज तक उसी पर चला आ रहा है। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 1)**

1151. ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी विराषत का एक दीनार भी तक़्सीम नहीं किया जाएगा। मेरे तर्के में से अज़वाजे मुतह्हरात के नफ़्क़ात (घर-

ख़र्च) और इंतिज़ाम करने वाले (व्यवस्थापक) के अख़राजात पूरे करने के बाद जो कुछ बचे वो सब सदक़ा है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वसाया बाब 55)

बाब 19 : क़ैदी को बाँधना या क़ैदख़ाने में रखना या एहसान की ख़ातिर (फ़िदये के बग़ैर) छोड़ देना जाइज़ है

1152. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने सवारों का एक दस्ता नजद की तरफ़ भेजा यह लोग बनी हनीफ़ा के एक शख़्स को– जिसका नाम सुमामा बिन उस्साल था पकड़ लाए और मस्जिद के एक ख़म्बे से बाँध दिया। उसके बाद उसके पास नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए और उससे पूछा, ऐ सुमामा तुम्हारा अपने बारे में क्या ख़याल है? कहने लगा, ऐ मुहम्मद! सब ठीक है, अगर आप मुझे क़त्ल करेंगे तो एक ऐसे शख़्स को क़त्ल करेंगे जिसके ज़िम्मे ख़ून है; और अगर आप एहसान करेंगे तो एक ऐसे शख़्स पर करेंगे जो शुक्रगुज़ार होना जानता है; और आप अगर मेरे बदले में माल चाहते हैं तो जितना जी चाहे माँग लें। फिर दूसरे दिन आप (ﷺ) ने उससे दोबारा पूछा कि ऐ सुमामा! अब तुम्हारा क्या ख़याल है? कहने लगा, वही जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आप एहसान करेंगे तो एक ऐसे शख़्स पर एहसान करेंगे जो शुक्रगुज़ार होना जानता है। चुनाँचे आप (ﷺ) ने फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन पूछा, ऐ सुमामा! तुम्हारा क्या ख़याल है? कहने लगा, मेरा वही जवाब है जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। आप (ﷺ) ने हुक्म दिया कि सुमामा को आज़ाद कर दो। चुनाँचे आज़ाद होने के बाद उसने मस्जिद के पास एक तालाब पर जाकर ग़ुस्ल किया फिर मस्जिद में आया और कहने लगा, **अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह.**

ऐ मुहम्मद (ﷺ)! अल्लाह की क़सम!! पहले रू–ए–ज़मीन पर आप (ﷺ) के चेहरे से ज़्यादा नापसंदीदा चेहरा कोई न था लेकिन अब आप (ﷺ) का चेहरा मुबारक मेरे लिये दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा और महबूब चेहरा है। और अल्लाह की क़सम! कोई दीन मुझे आप (ﷺ) के दीन से ज़्यादा नापसंद न था लेकिन अब यही दीन मेरे लिये सबसे ज़्यादा महबूब दीन है। इसी तरह आप (ﷺ) के शहर से ज़्यादा नापसंद मुझे कोई और शहर न था लेकिन अब वही शहर मेरे लिये सबसे ज़्यादा पसंदीदा बन गया है। (दूसरी बात जो मुझे कहना है वो यह है कि) जिस वक़्त आप (ﷺ) के सवारों ने मुझे गिरफ़्तार किया मैं उम्रे के इरादे से जा रहा था इस सिलसिले में अब आप (ﷺ) का क्या हुक्म है? आप (ﷺ) ने उन्हें बशारत दी और उम्रा अदा करने का हुक्म दिया। चुनाँचे जब वो (उम्रा करने) मक्का में आए तो उनसे किसी ने कहा, तू भी बेदीन हो गया? कहने लगे, नहीं! बल्कि मैं हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के हाथ पर मुशर्रफ़–ब–इस्लाम हो गया हूँ और कान खोलकर सुन लो, अल्लाह की क़सम! अब तुमको यमामा से गेहूँ का एक दाना भी उस वक़्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि नबी करीम (ﷺ) इजाज़त न देंगे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 70)

बाब 20 : यहूदियों का सरज़मीने हिजाज से निकाला जाना

1153. हदीसे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम लोग मस्जिद में बैठे थे कि जनाब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, यहूद की तरफ़ चलो। लिहाज़ा हम आप (ﷺ) के साथ चल पड़े यहाँ तक कि हम बैतुल मिदरास में आ गए। फिर नबी करीम (ﷺ) खड़े हुए और आवाज़ दी, ऐ गिरोहे यहूद! इस्लाम कुबूल कर लो, महफ़ूज़ रहोगे। उन लोगों ने कहा, ऐ अबुल क़ासिम! आपने पैग़ाम पहुँचा दिया।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा मक़सद भी यही था। फिर दूसरी बार आप (ﷺ) ने वही कलिमात दोहराए तो यहूद ने फिर वही जवाब दिया, ऐ अबुल क़ासिम! आपने तब्लीग़ का ह़क़ अदा कर दिया। फिर आप (ﷺ) ने तीसरी बार अपनी बात दोहराई और फ़र्माया, **तुमको मा'लूम होना चाहिए कि ज़मीन अल्लाह की और अल्लाह के रसूल (ﷺ) की मिल्कियत है और मैं चाहता हूँ कि तुमको इस इलाक़े से निकाल दूँ, लिहाज़ा तुममें से जिसके पास कोई माल हो और वो उसे बेच सके तो बेच दे, वरना याद रखो! ज़मीन अल्लाह की और उसके रसूल (ﷺ) की है।** **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इकराह बाब 2)**

नोट : बैतुल मिदरास, वो मुक़ाम था जहा बैठकर यहूदी तौरात की तिलावत करते थे। इस ह़दीष़ से आप (ﷺ) के बेहतरीन अख़लाक़ का इज़हार (प्रदर्शन) होता है। आप (ﷺ) ने हुज्जत पूरी हो जाने की हद तक यहूदियों के आगे इस्लाम की दअ़वत पेश की। आप (ﷺ) के बार–बार तल्क़ीन करने के बाद भी जब उन्होंने इस्लाम क़ुबूल नहीं किया तब भी आप (ﷺ) ने उन्हें पूरी मोहलत दी कि वे अपना माल बेचकर मदीना से चले जाएं।

1154. ह़दीष़े इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि बनी नज़ीर और बनी क़ुरैज़ा ने (मुसमलानों से) जंग की तो नबी करीम (ﷺ) ने बनी नज़ीर को जलावतन (देश निकाला) कर दिया था और बनी क़ुरैज़ा को उनके इलाक़ों में रहने की इजाज़त दे दी थी बल्कि उन पर एह़सान व इकराम भी फ़र्माया था। यहाँ तक कि बनी क़ुरैज़ा फिर लड़े (और उन्होंने बदअहदी की) तो आप (ﷺ) ने उनके मर्दों को क़त्ल करवा दिया और उनकी औ़रतों, बच्चों और उनके माल व दौलत को मुसलमानों में बांट दिया। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग नबी करीम (ﷺ) के पास आ गए थे। आप (ﷺ) ने उनको अमन दे दिया था और वो मुसलमान हो गए थे। नीज़ आप (ﷺ) ने मदीने के तमाम यहूदियों को जलावतन कर दिया था, मष़लन बनी क़ैनक़ाअ़ को जो ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) का क़बीला था और बनी ह़ारिष़ा के यहूदियों को। अलग़र्ज़ तमाम उन यहूदियों को जो मदीना में मौजूद थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 14)**

बाब 22 : अ़हद–शिकनी करने वालों से जंग करना और क़िलाबंद दुश्मन को किसी स़ाइबुर्राय और आ़दिल शख़्स़ के हुक्म पर हथियार डालने की इजाज़त देना जाइज़ है

1155. ह़दीष़े अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब बनू क़ुरैज़ा ने ह़ज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) को हुकम तस्लीम करके हथियार डालना क़ुबूल कर लिया तो आप (ﷺ) ने ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) को बुलवा भेजा– उस वक़्त ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) आप (ﷺ) के पास ही थे– ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) एक गधे पर सवार होकर आए। जिस वक़्त ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के पास पहुँचे तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अपने सरदार के एह़तराम (सम्मान) व इस्तिक़बाल (स्वागत) के लिये खड़े हो जाओ! ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) आकर नबी करीम (ﷺ) के पास बैठ गए तो आप (ﷺ) ने उन्हें बताया कि उन लोगों ने इस शर्त पर हथियार डालना क़ुबूल कर लिया है कि आप जो फ़ैसला करेंगे उन्हें मंज़ूर होगा। ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) कहने लगे, मैं यह फ़ैसला देता हूँ कि उनके तमाम लड़ाकू जवानों को क़त्ल कर दिया जाए और बच्चों और औ़रतों को क़ैद कर लिया जाए। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन तुमने उनके बारे में ऐसा फ़ैसला किया है जो बादशाह का (अल्लाह तआ़ला का) फ़ैसला है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 168)**

नोट : बनी क़ुरैज़ा के यहूदी मदीना के एक क़बीले औस के ह़लीफ़ (दोस्त) थे, जिसके सरदार ह़ज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) थे। बनी क़ुरैज़ा पर नबी करीम (ﷺ) ने एह़सान व इकराम फ़र्माकर उनकी ज़मीनों और उनके क़िलों में आबाद रहने की इजाज़त दी थी। लेकिन उन्होंने ग़ज़वा–ए–ख़न्दक़ के मौक़े पर वा'दा–ख़िलाफ़ी की और कुफ़्फ़ारे–

क़ुरैश का साथ दिया था। जंग ख़त्म होते ही आप (ﷺ) ने बनी क़ुरैज़ा का घेराव कर लिया जो कि 25 दिन तक जारी रहा। जब वो लोग थक गये तो इस शर्त पर क़िले का दरवाज़ा खोलने पर आमादा हुए कि हमारे क़ज़िये का फ़ैस़ला हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) से कराया जाए। वे जो फ़ैस़ला कर देंगे, हमें मंज़ूर होगा। उनका ख़याल था कि क़बीला औस हमारा दोस्त है इसलिये सअ़द बिन मुआ़ज़ हमारे साथ नर्मी का बर्ताव करेंगे। लेकिन हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ ने जो फ़ैस़ला किया वो तौरात के मुताबिक़ था और अपने ज़माने में बनी इस्राईल के बादशाह जंगी क़ैदियों के बारे में ख़ुद इसी क़िस्म का फ़ैस़ला किया करते थे। हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) ग़ज़्व–ए–ख़न्दक़ में ज़ख़्मी हो गये थे और नबी करीम (ﷺ) ने आपके इलाज और ख़बरगीरी की सहूलत के लिये मस्जिदे नबवी में ही आपके लिये एक ख़ैमा लगवा दिया था। चुनाँचे जब इस फ़ैस़ले के लिये उनको बुलवाया गया तो वो अपने गधे पर सवार होकर आए तो आप (ﷺ) अन्स़ार के लोगों को उनके क़बीले के सरदार की अगवानी के लिये खड़े होने का हुक्म दिया। (अज़ नववी रह.)

1156. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ह़ज़रत सअ़द (बिन मुआ़ज़ रज़ि.) ग़ज़्व–ए–ख़ंदक़ में ज़ख़्मी हो गए थे। आपको क़ुरैश के ह़िब्बान बिन अल अर्फ़ा नामी शख़्स ने तीर मारा था जो आपकी गर्दन की रग (नहरुल बदन) में लगा। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने आपके लिये मस्जिद में ही एक ख़ैमा लगवा दिया ताकि क़रीब होने की बिना पर ख़बरगीरी में आसानी रहे। फिर जब नबी करीम (ﷺ) ग़ज़्व–ए–ख़ंदक़ से फ़ारिग़ होकर वापस तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) ने हथियार डालकर रख दिए और ग़ुस्ल किया। उस वक़्त ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) इस ह़ालत में आए कि वो अपने ग़ुबार से अटे हुए सर से धूल झाड़ रहे थे और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने हथियार उतार दिए हालाँकि अल्लाह की क़सम! हमने तो अभी तक हथियार नहीं उतारे। आप (ﷺ) ने पूछा, तो फिर कहाँ जाना है? ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) ने बनी क़ुरैज़ा की त़रफ़ इशारा किया। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) बनी क़ुरैज़ा की त़रफ़ तशरीफ़ ले गए और उन लोगों ने आप (ﷺ) को हुक्म मानते हुए हथियार डालना क़ुबूल कर लिया लेकिन आप (ﷺ) ने फ़ैस़ला ह़ज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) की त़रफ़ फेर दिया। लिहाज़ा ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) ने कहा, मैं इनके बारे में यह फ़ैस़ला देता हूँ कि लड़ने वालों को क़त्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाए और उनके माल मुसलमानों में बांट दिए जाएँ। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 30)**

1157. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ह़ज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह! तू ख़ूब जानता है कि मुझे उससे ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं कि तेरी राह में उन लोगों से जिहाद करूँ जिन्होंने तेरे रसूल को झुठलाया और आप (ﷺ) को जलावत़न कर दिया था। और ऐ मेरे मौला! मैं गुमान करता हूँ कि तूने हमारे और हमारे दुश्मनों के बीच लड़ाई को ख़त्म कर दिया है लिहाज़ा अभी अगर क़ुरैश के साथ जंग में कुछ बाक़ी है तो मुझे भी ज़िन्दा रख ताकि मैं तेरी राह में उनसे जिहाद करूँ और अगर तूने यह लड़ाई वाक़िअ़तन ख़त्म कर दी है तो मेरे ज़ख़्मों को खोल दे और उसमें से ख़ून ज़ारी कर दे और इसी ज़ख़्म को मेरी मौत का सबब बना दे। चुनाँचे आपका ज़ख़्म हंसली के मुक़ाम से बहने लगा और लोग उस वक़्त दहशतज़दा हो गए जब आपका ख़ून बहकर बनी ग़िफ़ार के ख़ैमे तक पहुँच गया जो मस्जिद में ही था और वो घबराकर कहने लगे, ऐ ख़ैमे वालों! यह तुम्हारे ख़ैमे की जानिब से इधर क्या आ रहा है? चुनाँचे जाकर देखा गया तो ह़ज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) के ज़ख़्मों से ख़ून बह रहा था आख़िर उसी ज़ख़्म की वजह से आपका इंतिक़ाल हो गया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 3)**

बाब 23 : जब एक ज़रूरी काम की मौजूदगी में दूसरा ज़रूरी काम आ पड़े

1158. हदीसे इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ग़ज़्वा–ए–अहज़ाब (ख़ंदक़) से फ़ारिग़ होकर लौटे तो आप (ﷺ) ने हुक्म दिया, कोई शख़्स नमाज़े अस्र न पढ़े जब तक कि बनी क़ुरैज़ा में न पहुँच जाए। फिर बाज़ लोगों को अस्र का वक़्त बीच रास्ते में ही आ गया तो उनमें से कुछ कहने लगे हम तो जब तक बनी क़ुरैज़ा में न पहुँच जाएँ नमाज़े अस्र न पढ़ेंगे और कुछ ने कहा नहीं हम तो नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि आप (ﷺ) की यह मुराद न थी कि नमाज़ क़ज़ा की जाए (बल्कि इरादे का मुद्दा यह था कि रवानगी में जल्दी की जाए)। उसके बाद जब उस मुआमले का ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) से किया गया तो आप (ﷺ) दोनों में से किसी के तर्ज़े अमल पर नाराज़ न हुए। **(सहीह बुख़ारी किताब सलातुल ख़ौफ़ बाब 5)**

बाब 24 : अन्सार ने मुहाजिरीन को जो अतियात मसलन दरख़्त और फल दिए थे मुहाजिरीन ने उन्हें उस वक़्त वापस कर दिए थे जब वो फ़ुतूहात व ग़नीमतों की वजह से बेनियाज़ हो गए

1159. हदीसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब मुहाजिरीन मक्का से मदीना में आए थे उनके पास कुछ न था; जबकि अन्सार ज़मीनों और जागीरों के मालिक थे। **अन्सार ने मुहाजिरीन के साथ अपना माल आपस में इस तरह बांट लिया था कि हर साल उन्हें अपनी पैदावार में से फल दिया करते थे, जबकि मुहाजिरीन उनके साथ मिलकर मेहनत व काम किया करते थे।** हज़रत अनस (रज़ि.) की वालिदा हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) जो अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा की भी वालिदा थीं, **उन्होंने नबी करीम (ﷺ) को खजूर का एक पेड़ दिया जो आपने अपनी आज़ादकर्दा लौण्डी उम्मे ऐमन (रज़ि.) को दे दिया था जो कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद की माँ थीं।** फिर जब नबी करीम (ﷺ) ख़ैबर की लड़ाई से फ़ारिग़ होकर मदीना में तशरीफ़ लाए तो मुहाजिरीन ने अन्सार को वो तमाम अतियात वापस लौटा दिए जो उन्होंने कुछ क़िस्मों के फल वग़ैरह के पेड़ मुहाजिरीन को दिए थे और नबी करीम (ﷺ) ने भी मेरी वालिदा को खजूर का वो दरख़्त वापस कर दिया था और आप (ﷺ) ने हज़रत उम्मे ऐमन (रज़ि.) को उसके बदले में अपने बाग़ के कुछ दरख़्त दे दिए थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 35)**

1160. हदीसे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, (जब नबी करीम ﷺ मदीना में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक़्त सूरतेहाल यह थी कि) कोई शख़्स नबी करीम (ﷺ) को खजूर के दरख़्त दे रहा है (और कोई कुछ और चीज़)। यहाँ तक कि बनी क़ुरैज़ा और बनी नज़ीर के इलाक़े फ़तह हुए (जब यह इलाक़े फ़तह हो गए तो) मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे नबी करीम (ﷺ) के पास भेजा ताकि मैं आप (ﷺ) से उन दरख़्तों के बारे में पूछूँ जो उन्होंने आप (ﷺ) को दिए थे कि वो सब या उनमें से कुछ आप (ﷺ) वापस लौटा दें और सूरतेहाल यह थी कि नबी करीम (ﷺ) वो दरख़्त उम्मे ऐमन को दे चुके थे। यह ख़बर मिलते ही हज़रत उम्मे ऐमन (रज़ि.) आईं और मेरे गर्दन में कपड़ा डाला और कहने लगीं, हर्गिज़ नही! क़सम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं! नबी करीम (ﷺ) यह दरख़्त तुमको हर्गिज़ न देंगे क्योंकि यह दरख़्त आप (ﷺ) मुझे दे चुके हैं– या हज़रत उम्मे ऐमन (रज़ि.) ने उसी क़िस्म की कोई और बात कही– और नबी करीम (ﷺ) फ़र्मा रहे थे, लो तुम यह ले लो लेकिन वो यही इसरार किए जा रही थी कि नहीं! हर्गिज़ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उम्मे ऐमन

(रज़ि.) को उसी के बदले में उसी तरह के दस दरख़्त अता फ़र्माए– या जैसा कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, (रावी को मुग़ालता है)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 64)**

बाब 25 : दुश्मन के इलाक़े में जो सामाने ख़ूरद व नोश मिले?

1161. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने ख़ैबर के क़िले का मुहासरा (घेराव) कर रखा था कि उसी दौरान एक शख़्स ने कुप्पी फेंकी जिसमें चर्बी भरी हुई थी। उसे देखते ही मैंने जस्त लगाई ताकि मैं उसे ले सकूँ लेकिन ज्यों ही मैंने पलटकर देखा तो नबी करीम (ﷺ) को मौजूद पाया और आप (ﷺ) को देखकर मुझे शर्म आ गई। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 20)**

बाब 26 : नबी करीम (ﷺ) का नामा–ए–मुबारक (चिट्ठी) हिरक़्ल के नाम जिसमें उसे इस्लाम की दअवत दी गई थी

1162. हदीषे अबू सुफ़ियान (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सुफ़ियान (रज़ि.) की जुबान से बराहे रास्त यह बातचीत सुनी थी। हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) ने कहा कि जिस ज़माने में मेरे और नबी करीम (ﷺ) के बीच सुलह (सुलहे हुदैबिया) हुई थी। मैं सफ़र पर रवाना हुआ (सफ़र के दौरान) जब मैं मुल्के शाम में था, हिरक़्ल के नाम नबी करीम (ﷺ) का नामा (लैटर) पहुँचा जो हज़रत दहिय्या कल्बी लेकर आए थे। उन्होंने वो ख़त बसरा के सरदार को दे दिया और बसरा के रईस ने वो नामा–ए–मुबारक हिरक़्ल को पहुँचा दिया। जब यह नामा–ए–मुबारक हिरक़्ल को मिला तो उन्होंने पूछा, क्या इस इलाक़े में कोई ऐसा शख़्स मौजूद है जिसका तअल्लुक़ उस शख़्स की क़ौम से हो जिसने नुबुव्वत का दा'वा किया है? लोगों ने कहा, हाँ! है। हज़रत सुफ़ियान (रज़ि.) कहते हैं कि मुझे बुलाया गया और मेरे साथ क़ुरैश के कुछ और लोग भी थे। हम सब हिरक़्ल के पास पहुँचे तो उसने हमें अपने सामने बिठाया और उसने पूछा तुममें से कौन शख़्स नसब के लिहाज़ से उस शख़्स के ज़्यादा क़रीब है जो ख़ुद को नबी कहता है? हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा क़रीब हूँ। चुनाँचे उन लोगों ने मुझे हिरक़्ल के सामने बिठा दिया और मेरे साथियों को मेरे पीछे बिठाया। फिर उसने अपने तर्जुमान (अनुवादक प्रतिनिधि) को बुलवाया और उससे कहा कि इन सब लोगों को बता दो कि मैं (हिरक़्ल) इस शख़्स (अबू सुफ़ियान) से उस शख़्स के बारे में जो ख़ुद को नबी कहता है कुछ सवालात करूँगा। लिहाज़ा अगर यह शख़्स (अबू सुफ़ियान) मुझसे झूठ बोले तो तुम उसको झुठला देना।

हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम! अगर मुझे यह डर न होता कि मेरे साथी मुझे झुठला देंगे तो मैं ज़रूर झूठ बोलता। फिर हिरक़्ल ने अपने तर्जुमान से कहा कि इससे पूछो कि **उस शख़्स का हसब–नसब कैसा है?** मैंने कहा कि **वो तो हममें से बहुत ही आली नसब हैं।** उसने पूछा, **क्या उनके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुज़रा है?** मैंने कहा, **नहीं!** उसने पूछा, **क्या तुमने दा'वा–ए–नुबूव्वत से पहले उन्हें कभी झूठ बोलते हुए सुना?** मैंने कहा, **नहीं!** फिर उसने पूछा, **उनकी पैरवी रईस लोग करते हैं या ग़रीब?** मैंने कहा, **नहीं! बल्कि ग़रीब लोग।** उसने पूछा, **उनके मानने वालों की ता'दाद बढ़ रही है या कम हो रही है?** मैंने कहा, **कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है।** उसने पूछा, **क्या उनकी इत्तिबाअ करने वालों में से कोई शख़्स उनका दीन क़ुबूल कर लेने के बाद उनके दीन को बुरा समझकर उससे फिरा भी है?** मैंने कहा,

नहीं! उसने पूछा, **क्या तुम लोगों ने उससे जंग की है?** मैंने कहा, **हाँ!** उसने पूछा, **तो उनसे तुम्हारी लड़ाई का नतीजा क्या रहा?** मैंने कहा, **जंग हमारे और उनके बीच डोल की तरह है कभी उन्होंने हम पर कामयाबी हासिल कर ली और कभी हम उन पर कामयाब हो गए।** फिर उसने पूछा, **क्या वो कभी अहद-शिकनी भी करते हैं?** मैंने कहा, **नहीं! और इस वक़्त भी हमारे और उनके बीच एक मुद्दत के लिये मुआहदा है लेकिन हमें नहीं मा'लूम कि वो इस बार क्या करते हैं (या'नी अहद पूरा करते हैं या बदअहदी करते हैं)।** अबू सुफ़ियान (रज़ि.) कहते हैं कि **अल्लाह की क़सम! इस तमाम बातचीत के दौरान में मुझे इस फ़िक़्रे के अलावा और कोई बात अपनी तरफ़ से शामिल करने का मौक़ा न मिला।** उसने पूछा, **क्या इस क़िस्म का दा'वा उससे पहले किसी और शख़्स ने किया है?** मैंने कहा, **नहीं!**

उसके बाद हिरक़्ल ने अपने तर्जुमान से कहा, इनसे कहो कि मैंने तुमसे उनके ख़ानदान के बारे में पूछा था तो तुमने कहा कि वो हममें बहुत आली नसब हैं **वाक़िआ यह है कि तमाम अंबिया (अलैहिस्सलाम) अपनी क़ौम के सबसे ऊँचे ख़ानदानों में मबऊ़ष हुए हैं।** फिर मैंने तुमसे पूछा था कि क्या उनके आबा व अजदाद में से कोई बादशाह गुज़रा है। तुमने कहा, नहीं! **तो मैंने यह नतीजा निकाला कि अगर उनके आबा व अजदाद में से कोई बादशाह हुआ होता तो यह समझा जाता कि यह शख़्स अपने बाप–दादा की हुकूमत चाहता है।** फिर मैंने उनके पैरोकारों के बारे में पूछा कि वो कमज़ोर तबक़े के लोग हैं या सरदारी वाले लोग। तुमने कहा, ग़रीब लोग। **और वाक़िआ यह है कि अंबिया (अलैहिस्सलाम) के पैरोकार यही लोग होते हैं।** मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने उसे दा'वा–ए–नुबूव्वत से पहले कभी झूठ बोलते हुए सुना तो तुमने कहा, नहीं। **तो मैं समझ गया कि जिस शख़्स ने लोगों से और लोगों के मुआमलात में कभी झूठ नहीं बोला, यह कैसे मुम्किन है कि वो अल्लाह के बारे में झूठ बोले।** फिर मैंने तुमसे उनके पैरोकारों के बारे में पूछा कि क्या कभी उनमें से कोई उस दीन को नापसंद करके उस दीन से बरगश्ता भी हुआ (यानी फिरा) है। तुमने कहा कि नहीं! **और यही ईमान की कैफ़ियत है कि जब वो दिल में रज़ाकाराना तरीक़े पर आता है तो फिर निकलता नहीं।** फिर मैंने पूछा कि आप (ﷺ) के साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो तुमने कहा कि बढ़ रहे हैं। **यही ईमान की सूरत होती हैं कि वो बढ़ता ही रहता है यहाँ तक कि अपने कमाल पर पहुँचे।** मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुमने उनसे जंग की है तो तुमने कहा कि हाँ हमारी उनसे जंग होती रही है और लड़ाई में कभी उनका पलड़ा भारी रहा तो कभी हमारा, कभी हम कामयाब हुए और कभी वो। **यही हाल तमाम रसूलों का है कि शुरू में उनकी आजमाइश होती रही और आख़िरकार कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है।** मैंने तुमसे पूछा कि क्या वो बदअहदी या वादा ख़िलाफ़ी करते हैं तो तुमने कहा कि नहीं! **और अंबिया कभी अहद-शिकनी और धोखेबाज़ी नहीं करते।** मैंने तुमसे पूछा कि क्या यह दा'वा आप (ﷺ) से पहले किसी और ने भी किया था, तुमने कहा, नहीं! **तो मैं समझ गया था कि अगर आप (ﷺ) से पहले यह दा'वा किसी और ने भी किया होता तो यह मानना पड़ता कि यह शख़्स ऐसी बात की नक़्ल कर रहा है जो उससे पहले कही गई थी।**

हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) ने कहा कि फिर हिरक़्ल ने पूछा **यह शख़्स तुमको किन बातों का हुक्म देता है?** मैंने कहा कि **वो हमको नमाज़, ज़कात, सिलह–रहमी और पाकबाज़ी का हुक्म देता है।** हिरक़्ल ने कहा, **उनके बारे में जो कुछ तुमने बताया है अगर वो सच है तो यक़ीनन यह शख़्स नबी है और मुझे यह बात पहले से मा'लूम है कि एक रसूल आने वाला है लेकिन मेरा यह ख़याल नहीं था कि वो तुममें से होगा और अगर मैं यह समझता कि मैं उन तक पहुँच सकूँगा तो मैं ज़रूर उनसे मिलना पसंद करता, और अगर मैं उनके पास होता तो ज़रूर उनके पाँव धोता और यक़ीनन उनकी हुकूमत इस सरज़मीन तक आ पहुँचेगी जो आज मेरे ज़ेरे–नगीं (मातहत) है।**

हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) बयान करते हैं कि इस बातचीत के बाद हिरक़्ल ने नबी करीम (ﷺ) का नामा–ए–मुबारक माँगा और उसे पढ़ा तो उसमें तहरीर था, **बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से जो अल्लाह के रसूल हैं शाहे हिरक़्ल के नाम– सलाम हो उस पर जो हिदायत का पैरोकार हो– अम्मा बअ़द! मैं कलिम–ए–तौहीद के ज़रिये से तुमको मुसलमान होने की दअ़वत देता हूँ। इस्लाम क़ुबूल कर लो! यही दीन तुम्हारी सलामती का ज़ामिन है। अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो अल्लाह तआ़ला तुम्हें दोहरा अज्र अ़ता करेगा लेकिन अगर तुमने इस्लाम की दअ़वत क़ुबूल न की तो तुमको अरीसिय्यीन का गुनाह होगा,**

'ऐ अहले किताब! आओ ऐसी बात की तरफ़ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक जैसी है। यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएँ और हममें से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बनाएँ, इस दअ़वत को क़ुबूल करने से अगर वो मुँह मोड़े तो स़ाफ़ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम (स़िर्फ़ अल्लाह की बंदगी व इताअ़त करने वाले) हैं।' (सूरह आले इमरान : 64)

जब हिरक़्ल नामा–ए–मुबारक पढ़ चुका तो लोगों की आवाज़ें बलन्द हो गईं, शोर बेह़द बढ़ गया और तरह़–तरह़ की बातें होने लगीं तब हिरक़्ल ने अपने कारिन्दों को हुक्म दिया और हमें बाहर भेज दिया गया।

हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हम वहाँ से निकले तो मैंने अपने साथियों से कहा, 'अबू कब्शा के बेटे (मुराद नबी करीम ﷺ) का दर्जा बहुत बुलन्द हो गया।' आज उससे बनी अल अस़फ़र (रोमियों) का बादशाह भी डरने लगा है। और उसके बाद से मुझे यह यक़ीन हो गया था कि नबी करीम (ﷺ) ज़रूर अ़नक़रीब ग़ालिब आकर रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे मुसलमान होने की तौफ़ीक़ अ़ता की।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरह आले इमरान बाब 4)

बाब 28 : ग़ज़व–ए–हुनैन का बयान

1163. हदीषे बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) से एक शख़्स ने पूछा, ऐ अबू अ़म्मारा (रज़ि.)! क्या तुम लोग ग़ज़व–ए–हुनैन में भाग उठे थे? हज़रत बराअ (रज़ि.) ने कहा, नहीं! अल्लाह की क़सम!! नबी करीम (ﷺ) ने हर्गिज़ पीठ नहीं दिखाई थी बल्कि आपके साथियों में से चंद जल्दबाज़ जिनके पास हथियार न थे, आगे बढ़ गए थे और उनका साबक़ा ऐसे तीरंदाज़ों से पड़ा जिनका कभी कोई तीर ख़ता (ख़ाली) न जाता था। यह लोग क़बीले हवाज़िन और बनी नस़र के थे। उन तीरंदाज़ों ने तीरों की ऐसी बौछार की कि कोई तीर ख़ता न गया। फिर उस वक़्त यह लोग नबी करीम (ﷺ) के बिलमुक़ाबिल आ गए, उस वक़्त आप (ﷺ) एक सफ़ेद रंग के ख़च्चर पर सवार थे और आप (ﷺ) के चचाज़ाद भाई हज़रत अबू सुफ़ियान बिन अल हरष बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) आप (ﷺ) के ख़च्चर की बाग थामे आगे से उसे चला रहे थे। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) अपने ख़च्चर से नीचे उतर आए और आप (ﷺ) ने लोगों को मदद के लिये पुकारा उस वक़्त आप (ﷺ) यह रजज़ पढ़ रहे थे, **अनन्नबिय्यु ला कज़िब अनब्नु अ़ब्दिल् मुत्तलिब** मैं यक़ीनन अल्लाह का नबी हूँ और हर्गिज़ झूठा नहीं हूँ, और मैं अ़ब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। फिर आप (ﷺ) ने स़हाबा किराम की नये सिरे से स़फ़बंदी की (और दुश्मन का डटकर मुक़ाबला किया)।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 97)

1164. हदीषे बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) से बनी क़ैस के एक शख़्स ने पूछा, क्या तुम लोग ग़ज़व–ए–हुनैन के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) को छोड़कर भाग उठे थे? हज़रत बराअ (रज़ि.) ने कहा, यह बात दुरुस्त है लेकिन नबी करीम (ﷺ) मैदान छोड़कर नहीं भागे थे। हुआ यह था कि क़बीले हवाज़िन के लोग तीरंदाज़ी में बहुत

माहिर थे और हमने जब उन पर हमला किया और वो हारकर भाग उठे तो हम माले ग़नीमत पर टूट पड़े। फिर उन्होंने हमारा इस्तिक़बाल (स्वागत) तीरों की बौछारों से किया और उस मौक़े पर मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा कि आप (ﷺ) एक सफ़ेद रंग के ख़च्चर पर सवार थे और हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) उस ख़च्चर की लगाम थामे हुए थे और नबी करीम (ﷺ) यह रजज़ पढ़ रहे थे, **अनन्नबिय्यु ला कज़िब** मैं अल्लाह का नबी और सच्चा हूँ।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 54)

बाब 29 : ग़ज़व–ए–ताइफ़ का बयान

1165. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ने ताइफ़ का मुहासरा (घेराव) किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वापस चले जाएँगे। यह बात सहाबा किराम (रज़ि.) पर गिराँ (भारी) गुज़री और कहने लगे कि क्या हम इसे फ़तह किए बग़ैर ही वापस लौट जाएँगे? (बाज़ रिवायतों में लफ़्ज़ 'नज़्हब' है और बाज़ में 'नक़्फ़ुल' है मा'नी दोनों लफ़्ज़ों के एक ही हैं)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा कल फिर जंग करो। चुनाँचे दूसरे दिन सुबह फिर लड़ाई हुई जिसमें मुसलमानों को ज़ख़्म पहुँचे तो आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, हम इंशाअल्लाह कल वापस चले जाएँगे। अब आप (ﷺ) का यह इर्शाद सबको पसंद आया यह कैफ़ियत देखकर आप (ﷺ) मुस्कुरा दिए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 56)

नोट : आप (ﷺ) के मुस्कुराने की वजह यह थी कि पहली बार जब आप (ﷺ) ने वापस लौटने का इरादे का इज़हार फ़र्माया था तो मुसलमानों की जमाअत को यह बात नागवार गुज़री थी और उन्होंने ऐतराज़ किया था और वे लड़ने पर आमादा था। लेकिन जब अगले दिन की जंग के बाद ज़ख़्मी हुए तो लौटने पर राज़ी हो गये और आप (ﷺ) की राय को पसंद किया। इस क़िले को जीते बग़ैर वापस लौटने का इरादा आप (ﷺ) ने इसलिये फ़र्माया था क्योंकि ताइफ़ वालों ने पहले ही पूरा इंतिज़ाम कर रखा था और एक साल का खाने–पीने का सामान और हथियार जमा कर रखे थे। जब ग़ज़व–ए–औतास में उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो ये लोग ताइफ़ के क़िले में क़िलाबंद होकर बैठ गये थे और उन पर मुसलमानों को किसी तरह कामयाबी न हुई। यही हालात थे जिनके आधार पर आप (ﷺ) ने वापस लौटने का फ़ैसला फ़र्माया था।

बाब 32 : कअबा को बुतों से पाक करने का बयान

1166. हदीषे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) (फ़तह मक्का के दिन) मक्का में दाख़िल हुए तो कअबा के चारों तरफ़ तीन सौ साठ बुत आवेज़ाँ थे। चुनाँचे आप (ﷺ) एक छड़ी से जो आप (ﷺ) के हाथ में थी एक–एक बुत को कचोके देते जाते थे और कहते जाते थे, **जा–अल हक़्क़ु व ज़हबल बातिलु इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा** 'हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बातिल तो मिटने ही वाला है।' (सूरह बनी इस्राईल : 81) **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 32)**

बाब 34 : मुक़ामे हुदैबिया पर सुलह का बयान जिसका नाम 'सुलह हुदैबिया' है

1167. हदीषे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ने हुदैबिया वालों से सुलह की तो हज़रत अली (रज़ि.) ने दोनों फ़रीक़ों की तरफ़ से एक दस्तावेज़ लिखी और उसमें लिखा, **'मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) तो मुश्रिक कहने लगे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) न लिखो क्योंकि**

अगर हम यह बात मान लेते कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपसे जंग ही नहीं करते। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से कहा कि उसे (लफ़्ज़े रसूलुल्लाह को) मिटा दो तो ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा, मैं तो उसको मिटाने की जुरअत नहीं कर सकता। चुनाँचे वो इबारत ख़ुद नबी करीम (ﷺ) ने अपने हाथ से मिटा दी। उस मौक़े पर मुश्रिकों से (जिन शर्तों पर) सुलह़ हुई थी (उनमें एक यह थी) कि आप (ﷺ) ख़ुद और आप (ﷺ) के साथी तीन दिन के लिये (मक्का में) आएंगे और जब मक्का में दाख़िल होंगे तो उनके हथियार जलबान (परतले) में होंगे। लोगों ने ह़ज़रत बराअ (रज़ि.) से पूछा, 'जलबान' क्या है? आपने कहा, म्यान और जो कुछ उसमें हो।'

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्सुलह बाब 6)

1168. ह़दीषे सहल बिन ह़नीफ़ (रज़ि.) : अबू वाईल (रह.) बयान करते हैं कि हम लोग जब सिफ़्फ़ीन (वो जगह जहाँ ह़ज़रत अ़ली रज़ि. और ह़ज़रत मुआ़विया रज़ि. की जंग हुई थी) में थे तो ह़ज़रत सहल बिन ह़नीफ़ (रज़ि.) खड़े हुए और कहने लगे, ऐ लोगों! अपनी ग़लती को पहचानो क्योंकि सुलह़ हुदैबिया के मौक़े पर हम जब नबी करीम (ﷺ) के साथ थे तो (मौक़ा ऐसा था कि) अगर हम लड़ना चाहते तो जंग हो जाती। उस मौक़े पर ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ह़ाज़िर हुए और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या यह ह़क़ीक़त नहीं है कि हम ह़क़ पर हैं और वो (मुश्रिक) झूठ पर हैं? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क्यों नहीं? ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, तो फिर किस लिये हम अपने दीन की ज़िल्लत गवारा करें? क्या हम उसी त़रह़ लौट जाएँगे जबकि अल्लाह तआ़ला ने हमारे और उनके बीच (कामयाबी और नाकामी का) फ़ैसला नहीं किया? इसके जवाब में नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने ख़त्ताब! मैं यक़ीनन अल्लाह का रसूल हूँ और वो मुझे कभी बर्बाद व रुस्वा न करेगा। यह जवाब सुनकर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास गए और उनसे भी वही बातें कहीं जो आपने नबी करीम (ﷺ) के सामने की थीं तो ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने भी वही जवाब दिया कि आप (ﷺ) यक़ीनन अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह तआ़ला आपको कभी रुस्वा व बर्बाद नहीं करेगा। उसी मौक़े पर सूरह फ़तह़ नाज़िल हुई थी और नबी करीम (ﷺ) यह पूरी सूरत आख़िर तक ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) को पढ़कर सुनाई। सुनने के बाद ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (सुलह़ हुदैबिया) फ़तह़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ!। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिज़्या बाब 18)**

नोट : सुलहे–हुदैबिया के मौक़े पर सूरह फ़तह नाज़िल हुई थी और आप (ﷺ) ने सुलहे–हुदैबिया को फ़तह (जीत) क़रार दिया था। हालांकि स़ह़ाब–ए–किराम की समझ में उस वक़्त ये बात नहीं आई थी कि इतनी नापसंदीदा शर्तों पर की गई सुलह, फ़तह कैसे हो सकती है? सुलह हुदैबिया नीचे लिखी इन शर्तों पर हुई थी

01. रसूलुल्लाह (ﷺ) और उनके साथी इस साल मक्का में दाख़िल हुए बग़ैर वापस चले जाएंगे और अगले साल तीन दिन के लिये आएंगे, उनके साथ स़िर्फ़ तलवारें होंगी वे भी म्यान में।

02. दस साल तक दोनों फ़रीक़ जंग बन्द रखेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा।

03. जो क़बीला क़ुरैश या मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहे, उसे इख़्तियार है और वो उसी फ़रीक़ का एक ह़िस्सा समझा जाएगा।

04. क़ुरैश का जो आदमी अपने सरबराह की इजाज़त के बग़ैर मुहम्मद के पास जाएगा, उसे वापस करना होगा। लेकिन मुहम्मद के साथियों में से जो शख़्स क़ुरैश के पास आएगा, उसे वापस नहीं किया जाएगा।

लेकिन बाद के वाक़ियात से षाबित हुआ कि ह़क़ीक़त में यह सुलह ही मुसलमानों की बहुत बड़ी फ़तह और कामयाबी थी। ह़ज़रत सहल बिन हनीफ़ (रज़ि.) ने जंगे–स़िफ़्फ़ीन के मौक़े पर सुलह हुदैबिया का पसमंज़र बयान करके उस वक़्त ये मश्वरा दिया था कि जंग की बजाय सुलह हो जानी चाहिये चाहे वो कैसी ही शर्तों पर क्यों न हो; आख़िरकार उसके नतीजे बेहतर ही होंगे।

बाब 37 : ग़ज़व–ए–उहुद का बयान

1169. हदीषे सहल बिन सअ़द (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) से ग़ज़व–ए–उहुद में नबी करीम (ﷺ) के ज़ख़्मी होने की तफ़्सील पूछी गई तो आपने बताया कि नबी करीम (ﷺ) का चेहरा मुबारक ज़ख़्मी हुआ था और आप (ﷺ) के सामने के दाँत शहीद हो गए थे और ख़ूद (जंगी टोप) टूटकर आप (ﷺ) के सिर में धंस गया था। चुनाँचे हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ख़ून धो रही थीं और हज़रत अ़ली (रज़ि.) पानी डाल रहे थे। **फिर जब हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने देखा कि ख़ून किसी तरह रुकता नहीं बल्कि उसकी मिक़्दार (मात्रा) में बढ़ोतरी हो रही है तो आपने टाट का एक टुकड़ा जलाया और जब वो (जलकर) राख बन गया तो उसे ज़ख़्म पर चिपका दिया और उसके बाद ख़ून रुक गया। (स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 85)**

1170. हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि गोया मैं इस वक़्त भी नबी करीम (ﷺ) को देख रहा हूँ कि आप एक नबी (अ़लैहिस्सलाम) का क़िस्सा बयान फ़र्मा रहे हैं जिसे उसकी क़ौम ने मार–मारकर लहूलुहान कर दिया था और वो अपने चेहरे से ख़ून साफ़ करते जाते थे और कहते जाते थे, **ऐ अल्लाह! मेरी क़ौम को मुआफ़ कर देना, क्योंकि यह लोग नादान हैं।**

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 54)

बाब 38 : जिस बदनसीब को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हाथ से क़त्ल किया उस पर अल्लाह का शदीद ग़ज़ब नाज़िल हुआ

1171. हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला का शदीद ग़ज़ब नाज़िल हुआ उस क़ौम पर जिसने अपने नबी के साथ यह किया, यह इर्शाद फ़र्माते वक़्त आप (ﷺ) ने अपने दाँतों की तरफ़ इशारा किया और अल्लाह तआ़ला का शदीद ग़ज़ब नाज़िल हुआ उस बदनसीब पर जिसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करते हुए अपने हाथों से क़त्ल किया।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 24)

बाब 39 : उन मसाइब (आज़माइशों) व तकलीफ़ों का बयान जो नबी करीम (ﷺ) को मुश्रिकों और मुनाफ़िक़ों के हाथों पहुँची

1172. हदीषे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ख़ान–ए–कअ़बा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके चंद साथी वहाँ बैठे हुए थे कि अचानक उन्होंने आपस में एक–दूसरे से कहा, तुममें से कौन यह काम कर सकता है कि फ़लाँ क़बीले में जो ऊँट की ओझड़ी पड़ी है वो लाकर आपकी पीठ पर रख दे, जब आप सज्दे में जाएँ? तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा बदबख़्त था (उ़क़्बा बिन अबी मुईत़) उठा और जाकर वो ओझड़ी उठा लाया। उसके बाद इंतिज़ार करने लगा यहाँ तक कि जब आप (ﷺ) सज्दे में गए तो उस बदबख़्त ने वो ओझड़ी आप (ﷺ) के शानों (कंधों) पर रख दी। उस वक़्त मेरी हालत यह थी कि मैं सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। काश उस वक़्त मुझे कुछ ऐसे ज़राए (स्रोत) हासिल होते कि मैं उस बेहूदगी को रोक सकता। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि यह बेहूदा हरकत

करने के बाद यह लोग हँसते जाते थे और इस हरकत की ज़िम्मेदारी एक–दूसरे के सर डालते जाते थे (यह मा'नी भी हो सकते हैं कि हँसते वक़्त एक–दूसरे पर गिरते थे)। उधर नबी करीम (ﷺ) (उस बोझ की वजह से) सज्दे में ही पड़े रहे और आप (ﷺ) ने अपना सर सज्दे से न उठाया कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) आईं और उन्होंने यह बोझ आप (ﷺ) की पीठ से उतार फेंका और आप (ﷺ) ने सर सज्दे से उठाया। फिर आप (ﷺ) ने तीन बार यह बद्दुआ फ़र्माई, **अल्लाहुम्मा! अलैक बि कुरैश 'ऐ अल्लाह! कुरैश को उनकी बदआमालियों की सज़ा दे।'** और आप (ﷺ) की बद्दुआ उन लोगों को बहुत गिराँ (नागवार) गुज़री। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि उन लोगों का ऐतिक़ाद था इस शहर (मक्का) में जो दुआ माँगी जाए वो ज़रूर कुबूल होती है। उसके बाद आप (ﷺ) ने एक–एक का नाम लेकर बद्दुआ की फ़र्माया, ऐ अल्लाह! अबू जहल की गिरफ़्त फ़र्मा। उत्बा बिन रबीअ, शुअबा बिन रबीअ, वलीद बिन उत्बा, उमय्या बिन ख़ल्फ़ व उक़्बा बिन अबी मुईत की गिरफ़्त फ़र्मा! और इन सबको इनकी ज़्यादतियों की सज़ा दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने सातवाँ नाम भी गिनवाया था लेकिन वो रावी को याद नहीं रहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! यह तमाम लोग जिनके नाम लेकर आप (ﷺ) ने बद्दुआ की थी, मैंने ख़ुद उनको गड्ढे में औंधे मुँह पिछड़ा हुआ देखा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 69)**

1173. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) से पूछा गया, क्या आप (ﷺ) पर ग़ज़व–ए–उहुद से ज़्यादा भी सख़्त दिन आया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तेरी क़ौम के हाथों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। और सबसे ज़्यादा शदीद दुख जो मुझे पहुँचा वो उक़्बा के दिन पहुंचा था जब मैंने ख़ुद को इब्ने अब्दे यालील बिन अब्दे कलाल के सामने पेश किया था और उसने मेरी बात मानने से इंकार कर दिया था तो मैं शदीद रंज व ग़म में जिधर मुँह उठा चल पड़ा और मुझे उस वक़्त होश आया जब मैं क़र्ने षआलिब में पहुँच गया। फिर जब मैंने सर उठाकर देखा तो मुझपर एक बदली साए किए हुए थी, जब मैंने गौर से देखा तो उसमें हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) थे और उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा, यक़ीनन! अल्लाह तआला ने तुम्हारी क़ौम की बातें और वो जवाब जो उन्होंने आप (ﷺ) को दिया था सब सुन लिया है और अल्लाह ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में मलकुल जिबाल (पहाड़ों के निगरान फ़रिश्ते) को भेजा है ताकि अपनी क़ौम के बारे में आप (ﷺ) जो फ़ैसला चाहते हैं उसे हुक्म दें। फिर मुझे मलकुल जिबाल की आवाज़ सुनाई दी उसने सलाम किया, उसके बाद कहा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! अब मुआमला आपकी मर्ज़ी पर मुनहसिर (आधारित) है अगर आप (ﷺ) हुक्म दें तो मैं उन्हें मक्का के दो पहाड़ों अबू क़ैस और अबू क़ेअकिआन के बीच कुचल दूँ। इस पेशकश को सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! बल्कि मैं तो यह उम्मीद रखता हूँ कि उनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह वाहिद की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक न बनाएँगे। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 7)**

1174. हदीषे जुन्दुब बिन सुफ़ियान (रज़ि.) : हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) किसी मअरके में शरीक थे कि आप (ﷺ) की उँगली ज़ख़्मी हो गई और उसमें से ख़ून निकल आया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो तू महज़ एक उँगली है जो ज़ख़्मी और ख़ून आलूदा हुई है और फिर यह सब (दुख़) जो तुझे पहुँचा है अल्लाह की राह में पहुँचा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 9)**

1175. हदीषे जुन्दुब बिन सुफ़ियान (रज़ि.) : हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) बीमार हो गए और दो या तीन रातें (तहज्जुद के लिये) खड़े न हुए तो एक औरत (औरा बिन्ते हरब जो अबू सुफ़ियान

रज़ि. की बहन थीं और अबू लहब की बीवी थी जिसे क़ुर्आन मजीद ने **हम्मा लतल हतब** का लक़ब दिया है) आई और कहने लगीं, ऐ मुहम्मद! मेरा ख़याल है कि ग़ालिबन तुमको तुम्हारे शैतान ने छोड़ दिया है यही वजह है कि दो-तीन रातों से उसको मैंने तुम्हारे पास आते हुए नहीं देखा उसी मौक़े पर अल्लाह तआला ने यह आयात नाज़िल फ़र्माईं, **वज़् ज़ुहा. वललैलि इज़ा सजा. मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला.** 'क़सम है रोज़े रोशन की और रात की जबकि वो सुकून के साथ तारी हो जाए, (ऐ नबी) तुम्हारे रब ने तुमको हर्गिज़ नहीं छोड़ा और न वो नाराज़ हुआ।' (सूरह ज़ुहा : 1-3) **(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुज़्ज़ुहा बाब 1)**

बाब 40 : नबी करीम (ﷺ) का अल्लाह की तरफ़ दअवत देना और मुनाफ़िक़ों की तरफ़ से पहुँचने वाली ईज़ा पर सब्र करना

1176. हदीषे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) : हज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) एक गधे पर सवार होकर जिस पर एक पालान पड़ा हुआ था और उसके नीचे फ़दक की बनी हुई एक चादर बिछी हुई थी। उसी गधे पर आप (ﷺ) के पीछे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) बैठ गए। आप (ﷺ) बनी हारिष बिन अल ख़ज़रज के मुहल्ले में हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) की इयादत के लिये जा रहे थे- यह वाक़िआ ग़ज़व-ए-बद्र से पहले का है- रास्ते में आप (ﷺ) एक ऐसी मजलिस के पास से गुज़रे जिसमें सब क़िस्म के लोग या'नी मुसलमान, मुश्रिक और यहूद मिले-जुले बैठे थे। उन्हीं लोगों में अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल (मुनाफ़िक़) भी था और उसी मजलिस में अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) भी मौजूद थे। जब सवारी की धूल उन लोगों पर पड़ी तो अब्दुल्लाह बिन उबई ने अपनी नाक पर चादर डाल ली और कहने लगा, हम पर गर्दो-गुबार न उड़ाओ! नबी करीम (ﷺ) ने उन लोगों को सलाम किया फिर रुककर सवारी से नीचे उतर आए और उनको इस्लाम की दअवत दी और क़ुर्आन पढ़कर सुनाया। तो अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, ताहम जो कुछ आप कहते हैं अगर सच भी हो तो भी आप मजलिसों में आकर हमको तक्लीफ़ न दिया करें बल्कि अपने ठिकाने पर वापस चले जाएँ फिर हममें से जो शख़्स आप (ﷺ) के पास आएँ उसे आप अपनी बातें सुनाएँ। हज़रत इब्ने रवाहा (रज़ि.) कहने लगे कि आप (ﷺ) ज़रूर हमारी मजलिसों में तशरीफ़ लाकर हमें यह बातें सुनाया करें क्योंकि हम इन बातों को पसंद करते हैं। फिर बात इस क़दर बढ़ गई कि मुसलमानों, मुश्रिकों और यहूदियों ने एक-दूसरे को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक-दूसरे पर हमला करने के लिये तैयार हो गए। नबी करीम (ﷺ) मुसलसल उन्हें ख़ामोश करने की तलक़ीन करते रहे और झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे।

उसके बाद आप (ﷺ) अपनी सवारी पर सवार हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) के पास तशरीफ़ ले गए और फ़र्माया, ऐ सअद (रज़ि.)! क्या तुमने नहीं सुना इस शख़्स अबू हब्बाब या'नी अब्दुल्लाह बिन उबई ने क्या कहा है? उस शख़्स ने यह और यह बातें की हैं। हज़रत सअद (रज़ि.) ने कहा कि उसे मुआफ़ कर दीजिए और दरगुज़र से काम लीजिए। इसलिये अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला ने जो कुछ आप (ﷺ) को दिया है वो (दौलत व नेअमत) और किसी के नसीब में कहाँ? और वाक़िआ यह है कि उस बस्ती वालों ने यह फ़ैसला कर लिया था कि उस शख़्स (अब्दुल्लाह बिन उबई) को ताज पहना दें और उसके सर पर सरदारी की पगड़ी बँधवा दें लेकिन यह तजवीज़ अल्लाह तआला ने उस हक़ के ज़रिये से जो आप (ﷺ) को दिया है, रद्द कर दी तो वो इस आधार पर आप (ﷺ) से जलने लगा है और यह जो कुछ उसने किया है या'नी जो आप (ﷺ) ने देखा यह उसी हसद का नतीजा है। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उसे मुआफ़ फ़र्मा दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तअज़ान बाब 20)**

1177. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से लोगों ने कहा, क्या अच्छा होता अगर आप (ﷺ) अब्दुल्लाह बिन उबई के पास तशरीफ़ ले जाते (और उसकों दअवते इस्लाम देते)। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) उसके पास तशरीफ़ ले गए और आपके साथ मुसलमान भी गए। आप (ﷺ) एक गधे पर सवार थे और मुसलमान आप (ﷺ) के साथ पैदल चल रहे थे (जिस रास्ते से यह लोग गुज़र रहे थे) यह रेतीली और बंजर ज़मीन थी (जिसमें गर्दो—गुबार उड़ता है) तो जब आप (ﷺ) उसके पास पहुँचे तो वो बदबख़्त कहने लगा, मुझसे दूर रहिए! अल्लाह की क़सम! आपके गधे की बू से मुझे सख़्त तक्लीफ़ पहुँच रही है। यह सुनकर अन्सार में से एक शख़्स ने कहा, अल्लाह की क़सम! नबी करीम (ﷺ) के गधे की बू तेरी बदबू से कहीं ज़्यादा ख़ुशगवार है, इस बात पर अब्दुल्लाह के आदमियों में से एक शख़्स को गुस्सा आ गया और दोनों आपस में एक—दूसरे को बुरा—भला कहने लगे और उसके बाद तो दोनों तरफ़ से हर एक के साथी एक—दूसरे पर बिफर गए और उनमें लकड़ियों, हाथों और जूतियों से ख़ूब मार—कटाई हुई। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि उसके बाद हमें मअलूम हुआ कि यह आयते करीमा, **व इन ताइफ़तानि मिनल मूमिनीनक़ ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा 'और अगर अहले ईमान में से दो गिरोह आपस में लड़ जाएँ तो उनके बीच सुलह कराओ।'** (सूरह हुजुरात : 9) उन्हीं के बारे में नाज़िल हुई थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सुलह बाब 1)**

बाब 41 : अबू जहल का क़त्ल

1178. हदीषे अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ज़्व—ए—बद्र के दिन फ़र्माया था, कौन जाकर ख़बर लाता है कि अबू जहल का क्या अंजाम हुआ? यह सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) गये तो आपने देखा कि उसे उफ़रा के बेटों ने क़त्ल कर दिया था और ठण्डा होने के क़रीब था। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसकी दाढ़ी पकड़कर पूछा, तू ही अबू जहल है? कहने लगा, तो क्या उस (ख़ुद अबू जहल) से बड़ा कोई और भी है जिसे उसकी क़ौम ने क़त्ल किया हो? या उसने कहा था, जिसे तुमने क़त्ल किया हो? **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 8)**

बाब 42 : कअब बिन अशरफ़ का क़त्ल जो यहूदियों का सबसे बड़ा शैतान था

1179. हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, कोई है जो कअब बिन अशरफ़ को अंजाम तक पहुँचाए कि उस शख़्स ने अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) को बहुत सताया है। यह सुनकर मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) उठे और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप पसंद फ़र्माएँगे कि मैं उसे क़त्ल कर दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने कहा, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उससे मौक़े के लिहाज से जो बातें ज़रूरी हैं करूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको इजाज़त है जैसी गुफ़्तगू ज़रूरी हो करो।

चुनाँचे मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) कअब बिन अशरफ़ के पास गए और कहा, वाक़िआ यह है कि यह शख़्स (मुराद नबी करीम ﷺ) हमसे ज़कात व सदक़ात तलब करता है और इस तरह उसने हमको सख़्त तक्लीफ़ में मुब्तला कर रखा है और मैं तुम्हारे पास तुमसे क़र्ज़ माँगने आया हूँ। कहने लगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ तुमको यह शख़्स और ज़्यादा तक्लीफ़ व मुशक़्क़त में मुब्तला करेगा। हज़रत मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने कहा, हम चूँकि उसकी इताअत क़ुबूल कर चुके हैं इसलिये यह भी अच्छा मा'लूम नहीं होता कि उसका अंजाम देखने से पहले उसका साथ छोड़ दें। इसलिये हम यह चाहते हैं कि (इस वक़्त) तुम हमें एक या दो वसक़ खजूर (तक़रीबन 200

किलोग्राम) उधार दे दो। **कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे पास (इसके बदले में कोई चीज़) गिरवी रख दो। मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने पूछा, तुम कौनसी चीज़ गिरवी रखना चाहते हो? कहने लगा, अपनी औरतें गिरवी रख दो। उन्होंने कहा, हम अपनी औरतें तेरे पास कैसे गिरवी रख सकते हैं जबकि तू अरबों में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील शख़्स है। कहने लगा, अच्छा अपना बेटा गिरवी रख दो। उन्होंने कहा, बेटे तेरे पास कैसे गिरवी रख दें अगर हम ऐसा करेंगे तो कल उनको तअ़ना दिया जाएगा कि यह वो हैं जो एक या दो वसक़ के बदले में गिरवी रखे गए थे।** ज़ाहिर है कि यह बात हमारे लिये बाइसे आर (शर्मनाक) होगी। हाँ! अलबत्ता हम तेरे पास अपने हथियार गिरवी रख देते हैं। यह मुआमला तै पा गया) और मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने उससे वादा किया कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा।

फिर मुहम्मद बिन मुस्लिमा उसके पास रात के वक़्त गए और आप (रज़ि.) के साथ अबू नाइला भी थे जो कअ़ब बिन अशरफ़ के रज़ाई (दूध–शरीक) भाई थे। उसने उन्हें अपने क़िले के अंदर बुला लिया और ख़ुद भी उनके पास आने के लिये नीचे उतरने लगा तो उसकी बीवी ने उससे कहा, इस वक़्त कहाँ जाते हो? कअ़ब ने कहा, कोई हर्ज नहीं; यह मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) और मेरा भाई नाइला (रज़ि.) ही तो हैं। वो कहने लगीं, मुझे तो इस आवाज़ से ख़ून टपकता महसूस हो रहा है (या इस आवाज़ में से ख़ून की बू आ रही है) कअ़ब कहने लगा, कुछ नहीं! सिर्फ़ मुहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरा रज़ाई भाई नाइला ही तो हैं, फिर अगर इज़्ज़त व आबरू वाले शख़्स को तो अगर रात के वक़्त भी नेज़ा खाने की दअ़वत दी जाए तो वो यह दअ़वत क़ुबूल कर लेता है।

रावी बयान करते हैं कि मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) अपने साथ दो और आदमियों को लाए थे और उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि जिस वक़्त या'नी कअ़ब आएगा तो मैं उसके सर के बाल सूँघूँगा, जब तुम देखो कि मैंने उसका सर क़ाबू में कर लिया है तो तुम आगे बढ़कर उसे क़त्ल कर देना। और एक बार मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने यह कहा था, फिर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम भी इसके बाल सूँघो (तो तुम आगे बढ़कर उसका काम तमाम कर देना)। अलग़र्ज़ कअ़ब बिन अशरफ़ उतरकर उनके पास चादर ओढ़े इस हाल में आया कि उसके जिस्म से ख़ुश्बू के भभके उठ रहे थे। यह देखकर मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने तो आज तक ऐसी अच्छी ख़ुश्बू नहीं देखी। कअ़ब कहने लगा, मेरे पास एक ऐसी औरत है जो अरब की सब औरतों से ज़्यादा ख़ुश्बू में बसी रहती है और हुस्न व जमाल में भी कामिल (परिपूर्ण) है। हज़रत मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने कहा, क्या तुम मुझे इजाज़त देते हो कि मैं तुम्हारा सर सूँघूँ? उसने कहा हाँ सूँघ लो। चुनाँचे उन्होंने पहले ख़ुद उसके सर को सूँघा और फिर उसके बाद अपने साथियों को सुँघाया। फिर कहा, एक बार और इजाज़त दे दो। उसने कहा, इजाज़त है। चुनाँचे इस बार हज़रत मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने उसका सर मज़बूती से क़ाबू में कर लिया और अपने साथियों से कहा, तुम लोग आगे आओ और अपना काम अंजाम दो। चुनाँचे उन्होंने उसे क़त्ल कर दिया। उसके बाद यह लोग नबी करीम (ﷺ) के पास आए और आपको उसके क़त्ल की ख़बर दी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 15)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने कअ़ब बिन अशरफ़ के क़त्ल का हुक्म दिया और मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने उसको फ़रेब में लेकर क़त्ल किया; उसकी वजह यह थी कि उस शख़्स ने अहद करके धोखा व फ़रेब किया था। उसने आप (ﷺ) से अहद किया था कि आपके दुश्मनों का साथ नहीं दूँगा, मगर मक्का जाकर मुश्रिकों को नबी करीम (ﷺ) और मुसलमानों से लड़ने के लिये उभारा; उनके मक्तूलीन (मृतकों) के मर्सिये (शोक–संदेश) पढ़े। फिर मदीना आकर मुसलमान औरतों के बारे में नाज़ेबा (अशोभनीय) ग़ज़लें कहना शुरू किया और नबी करीम (ﷺ) की शान में गुस्ताख़ीभरे शे'र भी कहे। इसलिये उसका क़त्ल किया जाना वा'दे की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं था।

कअ़ब बिन अशरफ़ के क़त्ल को ग़दर (धोखा या अहदशिकनी) इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि ग़दर उस सूरत में होता है जब किसी शख़्स को अमान (शरण) देने के बाद क़त्ल किया जाए। हक़ीक़त तो यह है कि ग़दर

तो कअ़ब बिन अशरफ़ ने किया था, इसलिये उसको सज़ा–ए–मौत दी गई और उसके क़त्ल के लिये जैसे हालात थे उसके मुताबिक़ अमल किया गया। (अज़ नववी रह.)

इस हदीष से यह भी ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों के साथ चालबाज़ी और विश्वासघात करने का गुनाहगार कअ़ब बिन अशरफ़ ज़ाती (व्यक्तिगत) तौर पर ख़ुद था। मुसलमानों के लिये उसे बाक़ायदा जंग की चुनौती देकर क़त्ल करना भी नामुमकिन नहीं था क्योंकि जंग में मुसलमानों का मददगार अल्लाह होता है और यह बात बद्र के मैदान में षाबित भी हो चुकी थी। अगर कअ़ब बिन अशरफ़ को जंग के लिये ललकारा जाता तो उसका क़बीला भी उसकी हिमायत में लड़ने के लिये मजबूर होता और उसके साथ–साथ और भी कई लोग मारे जाते। इसलिये उसके क़त्ल के लिये यह हिकमत इख़्तियार की गई की जो अस़ल मुजरिम है, स़िर्फ़ उसी को सज़ा दी जाए।

बाब 43 : ग़ज़व–ए–ख़ैबर का बयान

1180. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर के क़रीब पहुंचकर फज्र की नमाज़ मुँह अंधेरे पढ़ी। उसके बाद नबी करीम (ﷺ) सवार हो गए और अबू तलहा (रज़ि.) भी सवार हो गए। मैं हज़रत अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। जब नबी करीम (ﷺ) ख़ैबर के कूचे व बाज़ार में से गुज़र रहे थे तो मेरा ज़ानू नबी करीम (ﷺ) की रान को छू रहा था और आप (ﷺ) का तहबन्द आपकी रान से खिसक गया था और मुझे आप (ﷺ) की रान की सफ़ेदी नज़र आ रही थी। फिर जब आप (ﷺ) ख़ैबर की बस्ती में दाख़िल हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **अल्लाहु अकबर! ख़ारिबत ख़ैबरु इन्ना इज़ा नज़ल्ना बिसाहति क़ौमिन फ़साअ सबाहुल मुन्ज़िरीन.** तर्जुमा : **अल्लाह सबसे बड़ा है! ख़ैबर बर्बाद हो गया, हम जब किसी क़ौम के आंगन में जा उतरते हैं तो मुतनब्बह किये (चेतावनी दिये) गये लोगों की शामत आ जाती है।** ये कलिमात आप (ﷺ) ने तीन बार इर्शाद फ़र्माए। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि लोग अपने काम के लिये रवाँ दवाँ थे (कि उन्होंने आप ﷺ को देखा) और कहने लग; मुहम्मद आ गये और फौज आपके साथ है! हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, फिर हमने ख़ैबर को ब–ज़ोरे शमशीर फ़तह कर लिया। **(स़हीह़ बुखारी फ़ी किताबुस़्स़लात बाब 12)**

1181. हदीष सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हम नबी करीम (ﷺ) के हमराह ख़ैबर पर हमले के लिये निकले तो रात के वक़्त सफ़र किया। रास्ते के दौरान एक शख़्स़ ने आमिर (रज़ि.) से कहा, ऐ आमिर (रज़ि.)! क्या तुम हमें अपने अश्आर नहीं सुनाओगे? दरअसल आमिर (रज़ि.) बिन अल अक्वा (हज़रत सलमा रज़ि. के भाई) शायर थे। ये सुनकर हज़रत आमिर (रज़ि.) नीचे उतरे और ये हुदी गाकर लोगों को सुनाने लगे :

अल्लाहुम्मा लव ला अन्ता मह तदयना वला तस़द्दक़्ना वला स़ल्लयना

ऐ हमारे आक़ा व मौला! अगर तेरा करम न होता तो हम न हिदायत पाते और न नमाज़ पढ़ते न स़दक़ा देते।

फ़ग़्फ़िर फ़िदाअल्लका मा अब्क़यना वष़ब्बितिल् अक़्दामा इल्ला क़यना

हमारी जानें तेरे लिये कुर्बान! ज़िन्दगी में हमसे जो ख़ताएँ सरज़द हों वो मुआफ़ फ़र्मा दे और जब दुश्मन से मुक़ाबला [illegible]श हो तो हमें षाबित क़दमी अ़ता फ़र्मा।

व अल्क़ियन सकीनतन अ़ लैना इन्ना इज़ास़ीह बिना अबयना

और हमें सकीनत व तमानियत की दौलत से नवाज़। हमें जब बातिल (की मदद) के लिये पुकारा गया तो हमने इंकार कर दिया

वबिस्सयाहि अव्वलू अलैना

और काफ़िर शोर–गुल मचाते हुए हमारे ख़िलाफ़ महाज़ आरा हैं

ये अश्आर सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने पूछा, ये हदी–ख़्वाँ कौन लोग हैं? लोगो ने कहा, आमिर बिन अल अक्वा! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **यरहमुल्लाह** (अल्लाह तआला उस पर अपनी रहमत नाज़िल फ़र्माए)। आप (ﷺ) का ये इर्शाद सुनकर सहाबा किराम (रज़ि.) में से एक साहब (हज़रत उमर रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो अब शहादत और जन्नत का हक़दार हो गया, काश! आप (ﷺ) हमें इनसे फ़ायदा उठाने और लुत्फ़अंदोज़ होने की मोहलत दी होती। फिर हम ख़ैबर पहुँच गये और हमने उन (के क़िले) का मुहासरा (घेराव) कर लिया (जो इतना लम्बा हो गया कि) इसके दौरान हमें सख़्त फ़ाक़ाकशी बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर अल्लाह तआला ने ख़ैबर पर मुसलमानों को फ़तह अता फ़र्मा दी।

जिस दिन ख़ैबर फ़तह हुआ उसी दिन शाम को मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा आग जलाई तो नबी करीम (ﷺ) ने पूछा, किसका गोश्त (पकाया)? कहा गया, पालतू गधों का गोश्त। नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया, इस गोश्त को फेंक दो और बर्तनों को (जिनमें पकाया है) तोड़ दो। एक शख़्स ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गोश्त को फेंक दें और बर्तनों को धो डालें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, चलो ऐसा कर लो। फिर ऐसा हुआ कि जंग शुरू हो गई तो हज़रत आमिर बिन अल अक्वा (रज़ि.) ने एक यहूदी की पिंडली पर अपनी तलवार से वार किया। लेकिन चूँकि आप की तलवार छोटी थी इसलिये पलटकर आप ही के घुटने की चपनी पर लगी और यही ज़ख़्म आपकी शहादत का बाइष (कारण) बना और आपकी वफ़ात हो गई। हज़रत सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) कहते हैं कि जब हम ख़ैबर से वापस लौट रहे थे तो नबी करीम (ﷺ) ने जो मेरा हाथ पकड़े हुए थे मुझे (कुछ ग़मज़दा) देखा तो फ़र्माया, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे माँ–बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान! लोगों का गुमान ये है कि हज़रत आमिर बिन अल अक्वा (रज़ि.) के अमल बर्बाद हो गए। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने ऐसी बात कही वो झूठा है और आप (ﷺ) ने अपनी दोनों उँगलियाँ जोड़कर इशारे से बताया कि उसे दो गुना अज्र मिलेगा। वो तो अल्लाह की राह में सर–तोड़ मेहनत व कोशिश करने वाला मुजाहिद था, बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने इस जंग में उन जैसी कारगुज़ारी दिखाई हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)**

बाब 44 : ग़ज़्व–ए–अहज़ाब या'नी ग़ज़्वए ख़न्दक का बयान

1182. हदीषे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) : हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने ग़ज़्व–ए–अहज़ाब में रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस तरह मिट्टी उठाते हुए देखा कि मिट्टी ने आप (ﷺ) के पेट की सपेदी को छुपा लिया था और आप (ﷺ) ये रजज़ पढ़ रहे थे,

लवला अन्ता महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लयना

ऐ अल्लाह! अगर तू हिदायत न देता तो हम न राहयाब होते (सीधी राह पाते) और न ज़कात देते, न नमाज़ पढ़ते।

फ़अन्ज़िलिस्सकीनत अलैना वषब्बितिल अक़्दामा इल्ला क़यना

पस तू हम पर तस्कीन व तमानियत नाज़िल फ़र्मा और जब दुश्मन से मुक़ाबला दरपेश हो तो हमें षाबित क़दम रहने की तौफ़ीक़ अता कर।

इन्नल उला क़द बग़ो अलैना इज़ा अरादू व फ़ित्नतन अबयना

उन लोगों ने (मक्का वालों ने) हम पर चढ़ाई कर दी है क्योंकि उन्होंने जब तेरे दीन की मुख़ालफ़त की तो हमने उनकी

बात न मानी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 34)**

1183. हदीषे सहल बिन सअ़द (रज़ि.): हज़रत सहल बिन सअ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि (ग़ज़्व–ए–ख़न्दक़ के दिन) हज़रत नबी करीम (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाए जबकि हम ख़न्दक़ खोद–खोदकर उसकी मिट्टी अपने कंधो पर उठाकर ढो रहे थे तो आप (ﷺ) ने ये रजज़ इर्शाद फ़र्माया,

अल्लाहुम्मा ला अ़यशा इल्ला अ़यशल आख़िरा फ़ग़्फ़िर लिल् मुहाजिरीन वल् अन्सार

ऐ अल्लाह! ज़िन्दगी तो सिर्फ़ आख़िरत की ज़िन्दगी है इसलिये तू मुहाजिरीन और अन्सार की मग़्फ़िरत फ़र्मा दे।

(सहीह बुख़ारी किताब मनाकिबुल अन्सार बाब 9)

1184. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने (जब मुहाजिरीन और अन्सार को इंतिहाई तकलीफ़ और भूख की हालत में ख़ंदक़ खोदते देखा तो) ये रजज़ पढ़ा,

ला अ़यशा इल्ला अ़यशल आख़िरह फ़ग़्फ़िर लिल् मुहाजिरीन वल् अन्सार

ऐ अल्लाह! ज़िन्दगी तो सिर्फ़ आख़िरत की ज़िन्दगी है इसलिये तू मुहाजिरीन और अन्सार की मग़्फ़िरत फ़र्मा दे।

(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 9)

1185. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़ज़्व–ए–ख़न्दक़ के दिन अन्सार ये रजज़ पढ़ रहे थे :

नहनुल्लज़ी बायऊ मुहम्मदुन अ़लल् जिहाद मा हय्यना अबदन

हम हैं जिन्होंने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की बैअ़त की है कि अल्लाह के रास्ते में ज़िन्दगी भर हमेशा जिहाद करते रहेंगे।

अल्लाहुम्मा ला अ़यशा इल्ला अ़यशल आख़िरह फ़अक्रिमिल मुहाजिरीन वल अन्सार

ऐ अल्लाह! हक़ीक़ी ज़िन्दगी तो आख़िरत की ज़िन्दगी है इसलिये तू (इस ज़िन्दगी में) अन्सार व मुहाजिरीन की इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़र्मा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 110)**

बाब 45 : ग़ज़्व–ए–ज़ी क़र्द व दीगर ग़ज़्वात का बयान

1186. हदीष सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं सुबह की अज़ान से पहले (घर से) निकला। नबी करीम (ﷺ) की दूध वाली ऊँटनियाँ मुक़ामे ज़ीक़र्द में चर रही थीं। रास्ते में मुझे हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) का एक गुलाम मिला और उसने बताया कि नबी करीम (ﷺ) की ऊँटनियाँ पकड़ी गई हैं। मैंने पूछा किसने पकड़ लीं? कहने लगा : क़बीला ग़त्फ़ान ने। हज़रत सलमा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने तीन बार बाआवाज़े बुलन्द या **सबाहा (मदद के लिये आओ)** इस तरह पुकारा कि तमाम अहले मदीना को इत्तिला मिल गई। फिर मैं मुँह उठाए सरपट उनकी तरफ़ दौड़ उठा हत्ताकि मैंने उन्हें पकड़ लिया। उन लोगो ने अभी अपने जानवरों को पानी पिलाना शुरू भी न किया था कि मैंने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए क्योंकि मैं एक अच्छा तीरअंदाज़ था और मैं ये रजज़ पढ़ रहा था।

अना इब्नुल अक्वा अल्यौम यौमुर्रजअ

मैं अक्वा का बेटा हूँ और आज के दिन पहचान होगी कि किसने शरीफ़ का दूध पिया है और किसने रज़ील का। और मैंने ये रजज़ पढ़ते पढ़ते उनसे ऊँटनियों को छुड़ा लिया बल्कि तीस अदद चादरें भी उनसे छीन ली। हज़रत सलमा (रज़ि.) कहते हैं कि फिर नबी करीम (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) पहुँच गए तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने उन लोगों को पानी नहीं पीने दिया था और अभी ये लोग प्यासे होंगे इसलिये उनके पीछे इसी वक़्त कोई दस्ता रवाना कर दीजिए। ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने अक्वा (रज़ि.)! तुम उन पर ग़ालिब आकर अपनी चीज़ें ले चुके हो इसलिये अब उनका पीछा छोड़ दो। फिर हम वापस इस तरह चले कि मुझे हज़रत नबी करीम (ﷺ) ने अपनी ऊँटनी पर पीछे बिठा रखा था यहाँ तक कि हम मदीना में पहुँच गए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 37)

बाब 47 : औरतों का मर्दों के साथ जंग में शरीक होना

1187. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जिस दिन जंगे उहुद हुई और लोग नबी करीम (ﷺ) को छोड़कर पस्पा (हतोत्साहित, हताश) हो गए। तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) थे जो आप (ﷺ) के सामने खड़े होकर एक ढाल से ओट किये हुए थे और हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) बहुत अच्छे तीरंदाज़ थे। आपकी कमानों की तांत बहुत सख़्त होती थी और उस दिन आप दो–तीन कमानें तोड़ चुके थे और जब भी कोई शख़्स क़रीब से तीरों का तरकश लेकर गुज़रता तो नबी करीम (ﷺ) उससे फर्माते, ये तरकश अबू तलहा (रज़ि.) के सामने डाल दो! और जब नबी करीम (ﷺ) झांककर काफ़िरों की तरफ़ देखने लगते तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) कहते, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ–बाप आप पर क़ुर्बान! आप (ﷺ) इस तरह न झांकें, हो सकता है कि उन लोगों का कोई तीर आप (ﷺ) को आ लगे, मेरा सीना आप (ﷺ) के सीने के आगे है (या'नी मैं आप ﷺ पर क़ुर्बान होने के लिये हाज़िर हूँ)। (हज़रत अनस रज़ि. कहते हैं) और मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) और हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) को देखा कि दोनों ने अपने दामन इस तरह उठा रखे थे कि उनकी पिंडलियों में पाज़ेब नज़र आ रहे थे और अपनी पीठ पर मश्क लाद लादकर लातीं और प्यासे ज़ख़्मियों के मुँह में पानी डालती थीं और जब मश्कीज़ा ख़ाली हो जाता तो वापस जाकर उसे फिर भर लातीं और फिर लोगों के मुँह में पानी डालतीं। और उस दिन हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के हाथ से दो या तीन बार तलवार छूटकर गिरी। **(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 18)**

बाब 49 : नबी करीम (ﷺ) के ग़ज़्वात की ता'दाद

1188. हदीष अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत बराअ बिन आज़िब और हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) के साथ (बारिश की दुआ के लिये) निकला और उन्होंने नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ी तो अपने दोनों पांव के बल बग़ैर मिम्बर के खड़े हुए और पहले इस्तिग़फ़ार की फिर दो रकअत नमाज़ अदा की जिसमें बा–आवाज़े बुलन्द क़िरअत की, लेकिन न अज़ान कही न इक़ामत।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तिस्क़ा बाब 15)

1189. हदीष ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.): अबू इस्हाक़ (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) के पहलू में बिठा था कि आपसे पूछा गया, नबी करीम (ﷺ) ने कुल कितने ग़ज़्वात किये (यानी कुल कितनी

जंगें लड़ीं)? उन्होंने जवाब दिया, उन्नीस। फिर पूछा आप कितने ग़ज़्वात में नबी करीम (ﷺ) के साथ शरीक हुए? जवाब दिया 17 में? मैंने पूछा, सबसे पहला ग़ज़्वा कौनसा था? कहा उसैरा या अशीर।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 1)

1190. हदीष बुरैदा (रज़ि.) : हज़रत बुरैदा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ सोलह ग़ज़्वात में शिरकत की। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 89)**

1191. हदीष सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ सात ग़ज़्वात में शिरकत की और जो लश्कर आप (ﷺ) रवाना करते थे (यानी सराया) उनमें से नौ में शरीक हुआ। एक बार हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) लश्कर के सालार (सैनापति) थे और एक बार हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 45)**

बाब 50 : ग़ज़्व–ए–ज़ातुर्रिक़ाअ

1192. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते है कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ जिहाद के लिये निकले और हालत ये थी कि हम छः आदमियों के पास एक ऊँट था जिस पर हम बारी–बारी सवार होते थे। यही वजह थी कि हमारे पांव फट गए और मेरे तो दोनों पांव ज़ख़्मी हो गए और नाख़ून गिर पड़े और हम अपने पैरों पर चीथड़े लपेटते थे। इस ग़ज़्वे का नाम ग़ज़्व–ए–ज़ातुर्रिक़ाअ भी इसीलिये पड़ गया कि हम अपने पांव के ज़ख़्मों पर कपड़े की पट्टियाँ बाँधते थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने ये हदीष बयान तो कर दी लेकिन बाद में उन्हें कुछ नागवारी का एहसास हुआ और कहने लगे, मैं इसका ज़िक्र करना नहीं चाहता था। गोया वो अपने अमलों में से किसी अमल को इस तरह बयान करके इसका इज़्हार पसन्द नहीं करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 31)

किताबुल इमारह

हुकूमत करने के आदाब व मसाइल

बाब 1 : ख़िलाफ़त व हुकूमत में अ़वाम क़ुरैश के ताबेअ़ हैं

1193. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सरदारी और हुकूमत के मामले में आ़म लोग क़ुरैश के पैरोकार हैं। मुसलमान अ़वाम मुसलमान क़ुरैश के ताबेअ़ हैं और काफ़िर अ़वाम काफ़िर क़ुरैशियों के ताबेअ़ हैं। **(स़ह़ीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 1)**

नोट : इस हदीष़ से मुराद यह है कि ख़िलाफ़त के मुआ़मले में आ़म लोग क़ुरैश के ताबेअ़ (अन्तर्गत) रहेंगे क्योंकि क़ुरैश को दूसरों पर फ़ज़ीलत व बरतरी हास़िल है। कुछ उ़लमा का ख़याल है कि ये ख़बर हुक्म के दर्जे में है, यानी ऐसा होना चाहिये कि लोग ख़िलाफ़त व इमारत (अध्यक्षता) के मुआ़मले में क़ुरैश की पैरवी करें। ग़ौरतलब है, यहाँ क़ुरैश से मुराद (तात्पर्य) अ़रब के उस क़बीले से है जिस क़बीले से आप (ﷺ) का तअ़ल्लुक़ था। हमारे देश में बहुत से लोग ख़ुद को क़बील–ए–क़ुरैश से मुन्सलिक (जुड़ा हुआ) बताते हैं। अगर वे वाक़ई अल्लाह के रसूल (ﷺ) की नस्ल वाले क़ुरैश से सम्बंध रखते हैं तो उनका रुतबा अफ़ज़ल है। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने लायक़ है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन लोगों पर लअ़नत फ़र्माई है जो फ़ज़ीलत हासिल करने के इरादे से ऐसे क़बीले से ख़ुद का जुड़ाव ज़ाहिर करते हैं जिनसे उनका हक़ीक़त में कोई तअ़ल्लुक़ नहीं हो।

1194. हदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.): ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये मुआ़मला (या'नी ख़िलाफ़त) हमेशा क़ुरैश में रहेगा जब तक कि दुनिया में क़ुरैश में से दो आदमी भी बाक़ी होंगे। **(स़ह़ीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 2)**

नोट : मुराद ये है कि ख़िलाफ़त के अस़ल हक़दार क़ुरैश ही हैं, जब तक दुनिया में क़ुरैशी मौजूद हैं। याद रहे यहाँ क़ुरैशियों से मुराद वो क़ुरैशी क़बीला है जिससे ख़ुद अल्लाह के रसूल (ﷺ) का तअ़ल्लुक़ था। उसके अ़लावा किसी और क़बीले के लिये यह हुक्म नहीं है, भले ही वो क़ुरैशी होने का दावा करे। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इस हदीष़ से ष़ाबित होता है कि ख़िलाफ़त क़ुरैश के साथ ख़ास़ है और किसी दूसरे को ख़लीफ़ा बनाना जाइज़ नहीं और इस बात पर स़हाब–ए–किराम (रज़ि.) और बाद के ज़मानों में उम्मत का इजमाअ़ हो चुका है। जिन लोगों ने इस फ़ैस़ले की मुख़ालफ़त की है वो बिदअ़ती हैं और इजमाअ़–ए–उम्मत (उम्मत की सर्वसम्मति) से उनके ख़िलाफ़ हुज्जत क़ायम है। इस हदीष़ में आप (ﷺ) का ये फ़र्माना कि ये सूरते–हाल क़ियामत तक इसी तरह क़ायम रहेगी, जब तक कि दुनिया में इन्सान भी मौजूद रहेंगे। आप (ﷺ) का ये इर्शाद हर दौर में सच्चा ष़ाबित होता रहा है क्योंकि मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) दौर में ग़ैर–क़ुरैश ने हुकूमत पर क़ब्ज़ा किया और लोगों को दबाकर हुकूमत की, लेकिन सब इस हक़ीक़त का ए'तिराफ़ (स्वीकारोक्ति) करते रहे कि ख़िलाफ़त के वास्तविक हक़दार क़ुरैश ही हैं। गोया इस हदीष़ का मफ़हूम ये है कि ख़लीफ़ा (अमीरुल मोमिनीन)

कहलाने का हक़दार तो सिर्फ़ कुरैश ही है, चाहे हुकूमत पर क़ाबिज़ कोई भी हो जाए।

1195. हदीष जाबिर बिन समुरा और उनके वालिद समुरा बिन जनादा सवाई (रज़ि.) : हज़रत जाबिर बिन समुरा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, बारह अमीर होंगे। उसके बाद आप (ﷺ) ने एक कलिमा पढ़ा था जो मैं न सुन सका तो मेरे वालिद ने बताया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था, वो सब के सब कुरैश में से होंगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 51)**

बाब 2. ख़लीफ़ा नामज़द करने या न करने का बयान

1196. हदीष उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा गया, आप ख़लीफ़ा नामज़द क्यों नहीं कर देते? आपने जवाब दिया, अगर मैं ख़लीफ़ा नामज़द कर दूँ तो ये भी दुरुस्त है क्योंकि एक ऐसा शख़्स जो मुझसे बेहतर था या'नी हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ख़लीफ़ा नामज़द कर चुके हैं और अगर मैं नामज़द नहीं करता तो (ये भी सहीह होगा कि) एक ऐसी हस्ती ने जो मुझसे बेहतर थी या'नी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़लीफ़ा नामज़द नहीं किया था। ये बात सुनकर लोगों ने आपकी ता'रीफ़ की तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, लोग दो क़िस्म के हैं कुछ वो हैं जिन्हें ख़िलाफ़त की रग़बत (चाहत) है और कुछ ऐसे हैं जो उससे डरते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस बोझ से पूरी तरह ओहदाबरा मुस्तअफ़ी (एक तरफ़) हो जाऊँ; न मुझे इससे फ़ायदा पहुँचे और न मुझे इसका कोई वबाल हो, (इस आधार पर मैं किसी को ख़लीफ़ा नामज़द नहीं करना चाहता क्योंकि ज़िन्दगी में तो ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी ही, इस तरह मरने के बाद भी इसका बोझ मुझ पर होगा)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 51)

बाब 3 : हुकूमत व इमारत की ख़्वाहिश करना और उसे तलब करना मना है

1197. हदीष अब्दुर्रहमान बिन समुरा (रज़ि.) : हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अब्दुल्लाह! हुकूमत व इमारत की तलब व दरख़्वास्त न करना क्योंकि (ये ऐसी चीज़ है कि) अगर ये तुम को मांगने और तलब करने पर मिली तो सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारे सर होगी (अल्लाह की तरफ़ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी) और अगर बिना माँगे तुमको मिली तो उसकी ज़िम्मेदारियों को निभाने में अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारी मदद की जाएगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान वन नुज़ूर बाब 1)**

1198. हदीष अबू मूसा व मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ उस वक़्त अशअरियों में से दो शख़्स मेरे साथ थे एक मेरी दाईं ओर और दूसरा मेरी बाईं ओर; और (उस वक़्त) नबी करीम (ﷺ) मिस्वाक कर रहे थे। उन दोनों ने आप (ﷺ) से (ओहदा) तलब किया तो आप (ﷺ) ने मुझे मुख़ातिब (सम्बोधित) करके फ़र्माया, ऐ अबू मूसा! या ऐ अबू अब्दुल्लाह बिन क़ैस! (तुम क्या कहते हो?) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम है उस ज़ात की जिसने आप (ﷺ) को हक़ के साथ भेजा! इन दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया कि इनके दिलों में क्या है और मुझे हर्गिज़ महसूस न हुआ था कि ये दोनों ओहदे के लिये दरख़्वास्त करेंगे। हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं गोया उस वक़्त भी आप (ﷺ) की मिस्वाक को देख रहा था जो आप (ﷺ) के होठों में दबी हुई थी। आप

(ﷺ) ने फ़र्माया, हम उस शख़्स़ को जो ओहदे का त़लबगार हो, काम और ओहदे की ज़िम्मेदारियाँ सुपुर्द नहीं करते लेकिन, ऐ अबू मूसा (रज़ि.)! (या आप ﷺ ने फ़र्माया था) ऐ अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बिन क़ैस! तुम यमन की त़रफ़ (ह़ाकिम बनकर) जाओ।

फिर आप (ﷺ) ने उनके पीछे ह़ज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) को रवाना किया। जब ह़ज़रत मुआ़ज़ (रज़ि.) ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) के पास (यमन) पहुँचे तो ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने ह़ज़रत मुआ़ज़ (रज़ि.) के लिये एक गद्दा बिछा दिया और कहा कि उतरो! उस वक़्त ह़ज़रत मुआ़ज़ (रज़ि.) ने आपके पास एक आदमी को बँधा हुआ देखा तो पूछा, ये क्या मामला है? ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने बताया, ये शख़्स़ पहले यहूदी था फिर मुसलमान हो गया था उसके बाद दोबारा यहूदी हो गया। (ये बताकर) ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, बैठ जाइए! ह़ज़रत मुआ़ज़ (रज़ि.) कहने लगे कि मैं उस वक़्त तक हर्गिज़ नहीं बैठूँगा जब तक कि अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले के मुत़ाबिक़ इस शख़्स़ को क़त्ल नहीं कर दिया जाता। ये बात आपने तीन बार कही। चुनाँचे ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने हुक्म दिया और उसे क़त्ल कर दिया गया। **फिर उन्होंने एक-दूसरे से क़ियामुल्लैल (रात की नमाज़) के बारे में बातचीत शुरू की। एक ने कहा कि मैं तो रात को क़ियाम भी करता हूँ और सोता भी हूँ और तवक़्क़ो (आशा) रखता हूँ कि मुझे नींद का भी वैसा ही ष़वाब मिलेगा जैसा क़ियामुल्लैल और शब बेदारी (रातों को जागने) का। (स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इस्तिताबतुल मुर्तदीन बाब 2)**

बाब 5 : इमामे आ़दिल (न्यायप्रिय इमाम) की फ़ज़ीलत और ज़ालिम ह़ाकिम के लिये अ़ज़ाब; रइय्यत (प्रजा) के साथ नरमी का सलूक करने की तल्क़ीन और लोगों को मशक़्क़त में डालने की मुमानअ़त

1199. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से हर शख़्स़ पासबान और निगराँ है और इसी आधार पर उसकी रुइयत (प्रजा) के बारे में उससे बाज़पुर्स होगी। **चुनाँचे जो शख़्स़ लोगों का ह़ाकिम है वो उनका निगराँ और उनकी ह़िफ़ाजत का ज़िम्मेदार है और उससे लोगों और उनके उमूर व मुआ़मलात के बारे में पूछ-गछ होगी और एक आ़म शख़्स़ भी अपने घरवालों का निगराँ व मुहाफ़िज़ है और उससे भी उनके बारे में बाज़पुर्स होगी। उसी तरह़ औरत अपने शौहर के घर और उसकी औलाद की निगराँ और उनके मस़ालेह़ (फ़ैस़लों) की मुहाफ़िज़ व ज़िम्मेदार है और उससे उनके सिलसिले में पूछगछ होगी और गुलाम अपने आक़ा के माल के मुहाफ़िज़ व निगरां है और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। लिहाज़ा याद रखो तुम में से हर शख़्स़ निगरां और ज़िम्मेदार है और अपनी अपनी रुइयत के बारे में जवाबदेह है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 17)**

1200. ह़दीष़ मअ़क़ल बिन यसार (रज़ि.): ह़सन (रह.) बयान करते हैं कि उ़बैदुल्लाह बिन ज़ियाद, ह़ज़रत मअ़क़ल बिन यसार (रज़ि.) के मर्ज़ुल मौत (अन्तिम समय) में आपकी इ़यादत के लिये आए तो ह़ज़रत मअ़क़ल (रज़ि.) ने उससे कहा कि मैं तुमसे एक ऐसी ह़दीष़ बयान करता हूँ जो मैंने ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) से सुनी है। मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना है, जिस बन्दे को अल्लाह ने रइय्यत का हाकिम व मुह़ाफ़िज़ बनाया और उसने भलाई और ख़ैरख़्वाही के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ रइय्यत की ह़िफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो वो जन्नत की ख़ुश्बू भी न पा सकेगा। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अह़काम बाब 8)**

बाब 6 : माले ग़नीमत में से चोरी करना सख़्त हराम है

1201. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हुए और आप (ﷺ) ने माले ग़नीमत में से चोरी करने का ज़िक्र फ़र्माया और उसको बहुत बड़ा गुनाह क़रार दिया और उसकी बहुत सख़्त सज़ा बयान फ़र्माई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत के दिन तुम में से कोई शख़्स मुझे इस हाल में न मिले कि उसकी गर्दन पर एक बकरी सवार हो जो मिमिया रही हो या उसकी गर्दन पर एक हिनहिनाता हुआ घोड़ा सवार हो, फिर वो शख़्स मुझसे कहे कि या रसूलल्लाह (ﷺ) ! मेरी मदद फ़र्माइए और मैं जवाब दूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुमको तमाम अहकाम पहुँचा दिए थे या उसकी गर्दन पर ऊँट सवार हो जो बिलबिला रहा हो और वो कहे, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! मुझे बचा लीजिए! और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिये अब कुछ नहीं कर सकता मैंने तुमको हर बात (नेक व बद) बता दी थी, या कोई शख़्स इस तरह आए कि उसकी गर्दन पर सोना–चांदी लदा हुआ हो और वो कहे, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! मेरी मदद कीजिए! और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी ज़रा भी मदद नहीं कर सकता। मैंने तुमको सब कुछ पहुँचा दिया था या उसकी गर्दन पर कपड़े लदे हुए हों जो उसके क़ाबू में न आ रहे हों और वो कहे, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! मेरी मदद कीजिए! और मैं कहूँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रा भी नहीं कर सकता, मैंने अल्लाह के तमाम अहकाम तुमको पहुँचा दिए थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 189)

बाब 7 : सरकारी मुलाज़िमों (कर्मचारियों) को तोहफ़ा और हदिया लेना हराम है

1202. हदीष अबू हमीद सअदी (रज़ि.) : हज़रत अबू हमीद सअदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स को सदक़ात वसूल करने पर मुक़र्रर किया। जब ये शख़्स अपने काम से फ़ारिग़ होकर आया तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! ये माल आपका है और ये मुझे बतौरे हदिया मिला है। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, तुम अपने माँ–बाप के घर क्यों न बैठे रहे, फिर देखते कोई तुमको हदिया देता है या नहीं? फिर आप (ﷺ) ने इशा की नमाज़ के बाद खड़े हुए और आप (ﷺ) ने कलिम–ए–शहादत पढ़ा और अल्लाह की हम्दो–षना बयान की जिसका वो मुस्तहिक़ है।

फिर फ़र्माया, अम्मा बाद! इन आमिलों (सरकारी कर्मचारियों) को क्या हो गया है? हम एक शख़्स को आमिल बनाकर भेजते हैं फिर वो हमारे पास आता है और कहता है, ये माल वो है जिसकी तहसील (वसूली) के लिये मुझे भेजा गया था और ये माल मुझे बतौरे तोहफ़ा या हदिया मिला है। वो आख़िर अपने माँ–बाप के घर में क्यूँ न बैठा रहा फिर देखता कि उसे कोई हदिया (उपहार) मिलता है या नहीं? क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! उन वसूल करने वालों में जो शख़्स ख़यानत करेगा क़ियामत के दिन वो चोरी किया हुआ माल अपनी गर्दन पर लादे हुए चला आ रहा होगा। अगर ऊँट (चुराया होगा) तो उसे इस तरह लादकर लाएगा कि वो बड़बड़ा रहा होगा और अगर गाय होगी तो वो चिल्ला रही होगी और अगर बकरी होगी तो वो मिमिया रही होगी। याद रखो! मैं ने अल्लाह के अहकाम तुम तक पहुँचा दिए हैं। ये इर्शाद फ़र्माते हुए नबी करीम (ﷺ) ने अपना दस्ते मुबारक ऊँचा उठाया यहाँ तक कि हमको आप (ﷺ) की बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अयमान वन् नुज़ूर बाब 3)

बाब 8 : हाकिमों की इताअत ऐसे अहकाम में जो अहकामे इलाही के ख़िलाफ़ न हों वाजिब है और इर्तिकाबे गुनाह के हुक्म की इताअत हराम है

1203. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि आयते करीमा **अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिन्कुम, ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल (ﷺ) की और उन लोगों की जो तुममें से साहिबे अम्र हो** (सूरह निसा : 59)। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा बिन क़ैस बिन अदी (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई थी जब उनको नबी करीम (ﷺ) ने एक दस्ते का सरदार बनाकर भेजा था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 1)**

1204. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मेरी इताअत की उसने दरहक़ीक़त अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी नाफ़र्मानी की उसने दरहक़ीक़त अल्लाह की नाफ़र्मानी की और जिसने मेरे मुक़र्ररकर्दा अमीर की इताअत की उसने फ़िल मअनी मेरी इताअत की और जिसने मेरे मुक़र्ररकर्दा अमीर की नाफ़र्मानी की उसने दरअसल मेरी नाफ़र्मानी की।
(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 1)

1205. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मुसलमान पर वाजिब है कि (अपने हाकिम की) बात सुने और (अमीर के हुक्म की) इताअत करे ख़्वाह उसे वो बात और हुक्म पसंद हो या नापसंद, जब तक कि उसे किसी गुनाह का हुक्म न दिया जाए। लिहाज़ा जब कोई अमीर या हाकिम नाजाइज़ और गुनाह के काम को करने का हुक्म दे तो उसे न सुनना वाजिब है और न उसकी इताअत करना वाजिब है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 4)**

1206. हदीष अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक दस्ता रवाना किया और फिर उसका अमीर एक अन्सारी को मुक़र्रर फ़र्माया और उन लोगों को हुक्म दिया कि इताअत करना। ये शख़्स (एक मौक़े पर) उनसे नाराज़ हो गया और कहने लगा, क्या ये वाक़िया नहीं है कि नबी करीम (ﷺ) ने तुमको हुक्म दिया था कि मेरी इताअत करना? सबने कहा, दुरुस्त है। उसने कहा, मैंने ये फ़ैसला किया है कि तुम लोग लकड़ियाँ जमा करो फिर आग लगाओ और उस आग में दाख़िल हो जाओ। चुनाँचे उन लोगों ने लकड़ियाँ जमा की और आग जलाई लेकिन जब उसमें दाख़िल होने का इरादा किया तो रुककर एक–दूसरे को देखा और उनमें से कुछ ने अर्ज़ किया, हमने नबी करीम (ﷺ) की इताअत आग से बचने के लिये क़ुबूल की थी तो क्या अब हम फिर आग ही में कूद जाएँ? उसी दौरान में जब वो लोग ये बातें कर रहे थे आग बुझ गई और उस शख़्स का गुस्सा भी ठण्डा हो गया। इसके बाद उस बात का नबी करीम (ﷺ) से ज़िक्र किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर ये लोग आग में दाख़िल हो जाते तो फिर कभी आग से न निकलते और हमेशा जहन्नम की आग में जलते रहते। इताअत सिर्फ़ जाइज़ अहकाम की ज़रूरी है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अहकाम बाब 4)**

1207. हदीष उबादा बिन सामित (रज़ि.) : जनादा (रह.) बिन अबी उमय्या बयान करते हैं कि हम हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) के पास गए जबकि वो बीमार थे और हमने अर्ज़ किया, अल्लाह तआला आपको सेहत

अ़त़ा करे हमें कोई ऐसी ह़दीष़ बयान कीजिए जो आपने ख़ुद नबी करीम (ﷺ) से सुनी हो ताकि अल्लाह तआ़ला आपको भी उससे नफ़ा (ष़वाब) पहुँचाए। उन्होंने बयान किया, नबी करीम (ﷺ) ने हमें बैअ़त के लिये दअ़वत दी तो हमने आप (ﷺ) की बैअ़त की, और बैअ़त में आप (ﷺ) ने हमसे अ़हद व पैमान लिये थे उनमें ये भी थ कि हम बैअ़त करते हैं अह़काम को सुनने और उनकी इत़ाअ़त करने पर, हर ह़ाल में या'नी वो अह़काम हमको पसंद हों या नापसंद, हम तंगदस्त हों या ख़ुशह़ाल और ख़्वाह हमारी ह़क़तलफ़ी ही हो रही हो और ये कि हम अहले हुकूमत से हुकूमत के मुआ़मले में झगड़ा न करेंगे। (नीज़ आप ﷺ ने फ़र्माया) मगर उस सूरत में जब ऐलानिया ऐसे कुफ़्र का इर्तिकाब किया जा रहा हो जिसके बारे में तुम्हारे पास अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ से वाज़ेह़ दलील और ष़ुबूत मौजूद हो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 2)**

नोट : इस ह़दीष़ से नीचे लिखे मसले मालूम होते हैं,

01. इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि कुफ़्र से मुराद मआ़स़ी (नाफ़र्मानी) हैं और मतलब ये है कि जब हाकिम को ऐलानिया शरई अहकामात की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते देखो तो ख़ामोश न रहो बल्कि उससे ह़क़ बात कहना और बयान करना ज़रूरी है। लेकिन मुसलमान हाकिम के ख़िलाफ़ बग़ावत करना हराम है; अगरचे वो फ़ासिक़ या ज़ालिम ही हो। इस पर अहले इस्लाम का इजमाअ़ (एक राय) है और इसकी दलील में बहुत सी ह़दीष़ें हैं।

02. इसके अ़लावा अहले सुन्नत का इस पर भी इजमाअ़ है कि फ़िस्क़ (दीनी अहकाम की नाफ़र्मानी) की वजह से इमाम मअ़ज़ूल (पदमुक्त) नहीं होता और उसका कारण यह है कि मअ़ज़ूल करने की सूरत में फ़साद व ख़ून–ख़राबे का ख़तरा है।

03. क़ाज़ी अ़याज़ (रह.) ने लिखा है कि उ़लमा–ए–किराम का इजमाअ़ है कि काफ़िर की इमामत सहीह नहीं और अगर इमाम काफ़िर हो जाए तो वो मअ़ज़ूल हो जाएगा। इसी तरह अगर इमाम नमाज़ छोड़ दे या बिदअ़तें शुरू कर दे तो भी मअ़ज़ूल हो जाएगा। कुफ़्र (मअ़सियत, दीनी कामों की नाफ़र्मानी) इख़्तियार करने की वजह से उसकी इताअ़त साक़ित (निरस्त) हो जाएगी और मुसलमानों पर वाजिब होगा कि उसको हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे आ़दिल (न्यायप्रिय) शख़्स़ को अमीर बनाएं। अगर ऐसी क़ुदरत न हो तो उस इलाक़े से हिजरत करना ज़रूरी है, वल्लाहु अअ़लम! (अज़ नववी रह.)

बाब 10 : ख़लीफ़ा से की हुई बैअ़त की पासदारी ज़रूरी है और जिसकी पहले बैअ़त की है उसकी इत़ाअ़त पहले लाज़िम है

1208. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल की हुकूमत पैग़म्बरों के हाथ में थी जब एक नबी का इंतिक़ाल हो जाता है तो दूसरा नबी उसका ख़लीफ़ा बनता। लेकिन मेरे बाद कोई और नबी नहीं होगा अलबत्ता ख़ुलफ़ा होंगे और बहुत होंगे। स़ह़ाबा किराम ने अ़र्ज़ किया कि इस सिलसिले में हमें आप (ﷺ) का क्या हुक्म है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम पर लाज़िम है कि उनसे की हुई बैअ़त के पाबन्द रहो और जिससे पहले बैअ़त कर ली जाए इत़ाअ़त का ह़क़ भी पहले उसका ही है, तुम उनका ह़क़ अदा करो। (और अगर वो अपने ह़ुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियाँ पूरी न करेंगे तो) अल्लाह तआ़ला उनसे ख़ुद हिसाब ले लेगा उन उमूर के बारे मे जिसका उसने उनको मुह़ाफ़िज़ व निगराँ बनाया था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अंबिया बाब 50)**

1209. ह़दीष़ इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) रिवायत करते है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया अनक़रीब ह़क़तल्फ़िया (अधिकार हनन) भी होंगी और बातें भी जिन्हें तुम नापसंद करोगे। स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ऐसे ह़ालात में हमारे लिये आप (ﷺ) का हुक्म क्या है? आप

(ﷺ) ने फ़र्माया, तुम वो हक़ अदा करो जो तुम्हारे ज़िम्मे है और जो तुम्हारा हक़ है (अगर हाकिम उसको अदा न करे तो) वो अल्लाह तआला से मांगो (कि अल्लाह तआला उसको हिदायत दे या उसको बदलकर तुम पर कोई आदिल हाकिम मुक़र्रर करे जो तुम्हारे हुक़ूक़ अदा करे)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

बाब 11 : हाकिमों के मज़ालिम और हक़तल्फ़ियों पर सब्र करने का हुक्म

1210. हदीष उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) : हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि अन्सार में से एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने जिस तरह फ़लाँ शख़्स को हुकूमत अता फ़र्माई है उसी तरह मुझे भी (किसी इलाक़े की) हुकूमत दे दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अनक़रीब मेरे बाद तुमको हक़तल्फ़ियों से दोचार होना पड़ेगा तो ऐसी सूरत में तुम सब्र करना यहाँ तक कि तुम मुझसे हौज़े कौसर पर आकर मिलो।

(सहीह बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्सार बाब 8)

बाब13 फ़ित्ना व फ़साद के वक़्त जमाअत के साथ जुड़े रहने का हुक्म

1211. हदीष हुज़ैफ़ा बिन अल यमान (रज़ि.) : अबू इदरीस ख़ौलानी (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को बयान करते हुए सुना है कि लोग आम तौर पर रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ैर के बारे में पूछा करते थे और मैं इस डर से कि कहीं शर (बुराई) में मुब्तला (लिप्त) न हो जाऊँ, आप (ﷺ) से शर के बारे में सवाल किया करता था।

चुनांचे (एक दिन) मैंने आप (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम जाहिलियत और शर में मुब्तिला थे कि अल्लाह तआला ने इस ख़ैर (इस्लाम) से हमें मुशर्रफ़ फ़र्माया तो क्या इस ख़ैर के बाद भी किसी शर का इम्कान है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! मैंने अर्ज़ किया और क्या उस शर के बाद भी ख़ैर आएगी? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ लेकिन उसमें कुदूरत (गन्दगी) होगी। मैंने अर्ज़ किया, ये कैसी कुदूरत होगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे तरीक़े की बजाय दूसरे तरीक़ों की तरफ़ रहनुमाई करेंगे। तुम उनकी बाज़ बातों को अच्छा पाओगे और कुछ बातें बुरी होंगी। मैंने अर्ज़ किया, क्या इस ख़ैर के बाद फिर किसी क़िस्म का शर पैदा होगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! लोग इस तरह गुमराही फैलाएँगे गोया वो जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े लोगों को बुला रहे हैं, जो उनकी पुकार पर लब्बैक कहेगा वो उसे जहन्नम में डाल देंगे।

मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उनके कुछ औसाफ़ (गुण या निशानियाँ) बयान फ़र्माइए आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो हमारी ही तरह के लोग होंगे और हमारी ही ज़ुबान में बात करेंगे (बज़ाहिर मुसलमान होंगे और इस्लाम की बातें करेंगे)। मैंने अर्ज़ किया, ये ज़माना अगर मुझ पर आ गया तो मेरे लिये आप (ﷺ) का क्या हुक्म और हिदायत है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम ऐसे वक़्त में जमाअते मुस्लिमीन और मुसलमानों के इमाम से वाबस्ता रहना। मैंने अर्ज़ किया, अगर उस वक़्त मुसलमानों की जमाअत और इमाम न हो तो क्या करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो तुम तमाम ऐसे फ़िर्क़ों से किनाराकश रहना चाहे तुमको पेड़ों की जड़ें चबाना पड़ें यहाँ तक कि जब तुम्हें मौत आए तो इस हालत में आए कि तुम उनमें से किसी के साथ न हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

1212. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते है कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि जिस शख़्स को हाकिमे वक़्त में दीन व शरअ के ऐतबार से कोई नापसंदीदा बात (फ़िस्क़ वग़ैरह) नज़र आए उसे चाहिए कि सब्र करे इसलिये कि जो शख़्स अमीर की इताअत से बालिश्त भर भी बाहर हुआ वो जाहिलियत की मौत मरा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 2)**

बाब 18 : जंग के मौक़े पर इमाम का मुजाहिदीन से बैअत लेना मुस्तहब है, नीज़ बैअतुर्रिज़्वान का बयान जो दरख़्त के नीचे मुनअक़िद हुई थी

1213. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि सुलह हुदैबिया के दिन नबी करीम (ﷺ) ने हमसे फ़र्माया था, आज तुम अहले ज़मीन में सबसे बेहतर लोग हो और उस दिन हम चौदह सौ थे। और अगर मेरी बीनाई दुरुस्त होती तो मैं तुमको उस दरख़्त के मुक़ाम की निशानदेही कराता। (जिसके नीचे ये बैअत मुनअक़िद हुई थी)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 35)**

1214. हदीष मुसय्यिब (रज़ि.) बिन हुज़्न (रज़ि.) : हज़रत मुसय्यिब (रज़ि.) बयान करते है कि मैंने वह दरख़्त (जिसके नीचे बैअते रिज़वान मुनअक़िद हुई थी) देखा था लेकिन उसके बाद जब मैं वहाँ आया तो उसे न पहचान सका। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 35)**

1215. हदीष सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : यज़ीद (रह.) बिन अबी उबैद बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) से पूछा, सुलह हुदैबिया के मौक़े पर आप हज़रात ने नबी करीम (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर बैअत करते वक़्त किस बात का अहद किया था? आपने कहा, मौत का (या'नी मैदान से न भागने और शहीद हो जाने का)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 35)**

1216. हदीष अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि वाक़िया हर्रा के ज़माने में मुझसे एक शख़्स ने आकर कहा कि इब्ने हन्ज़ला (रह.) लोगों से मौत के अहद पर बैअत ले रहे हैं तो मैंने कहा कि (मैंने मौत के अहद पर रसूलुल्लाह ﷺ के हाथ पर बैअत की थी) अब रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद मैं किसी दूसरे के हाथ पर मौत के अहद पर बैअत नहीं करूँगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 110)**

नोट : जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने यज़ीद की बैअत का इन्कार करते हुए अपनी ख़िलाफ़त का ऐलान कर दिया तो उस मौक़े पर दोनों पक्षों के बीच जंग हुई जिसमें बहुत से बेगुनाह मुसलमान शहीद हुए। आख़िरकार हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) को भी हज्जाज ने शहीद कर दिया।

बाब 19 : मुहाजिर का हिजरत के बाद वतन में वापस आकर आबाद होना हराम है

1217. हदीष सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) हज्जाज के पास आए तो उसने आपसे कहा, ऐ इब्ने अक्वा (रज़ि.)! क्या आप अपनी ऐड़ियों के बल वापस फिर गए हैं और आपने (दारुल हिजरत या'नी मदीना छोड़कर) फिर से बदवी जिन्दगी इख़्तियार कर ली है? आपने फ़र्माया, नहीं! (जो तुम समझते हो ग़लत है)

बल्कि मुझे नबी करीम (ﷺ) ने गांव में रहने की इजाज़त दे दी थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 14)**

बाब 20 : फ़तहे मक्का के बाद इस्लाम, जिहाद और नेकी पर बैअत करने का बयान और फ़तह के बाद हिजरत नहीं, के मा'नी

1218. हदीष मुजाशेअ बिन मसऊद व अबू मअबद (रज़ि.) : अबू उष्मान नहदी (रह.) बयान करते है कि हज़रत मुजाशेअ बिन मसऊद (रज़ि.) ने कहा कि मैं हज़रत अबू मअबद (रज़ि.) को लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ताकि वो हिजरत पर आप (ﷺ) की बैअत कर ले तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हिजरत तो मुहाजिरीन के साथ ख़त्म हो चुकी है। अब मैं उनसे इस्लाम और जिहाद के लिये बैअत लेता हूँ। अबू उष्मान (रज़ि.) कहते हैं कि फिर मैं अबू मअबद (रज़ि.) से मिला और उनसे इस रिवायत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हज़रत मुजाशेअ (रज़ि.) ने सच कहा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 53)**

1219. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन फ़र्माया, अब हिजरत नहीं रही लेकिन जिहाद और निय्यत का षवाब बाक़ी है और जब तुमको जिहाद के लिये बुलाया जाए तो फ़ौरन हाज़िर हो जाओ। (सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 194)

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि उलमा-ए-हदीष ने कहा है कि दारुल हरब (इस्लाम विरोधी दुश्मन देश) से दारुल इस्लाम की ओर हिजरत हमेशा बाक़ी रहेगी। इस हदीष का मतलब ये है कि अब मक्का से हिजरत बाक़ी नहीं रही क्योंकि मक्का ख़ुद दारुल इस्लाम बन गया है। एक मा'नी यह भी हो सकता है कि फ़तहे मक्का से पहले हिजरत का जिस क़दर षवाब था वो अब नहीं रहा और जो मक़ाम (स्थान) मक्का से मदीना गये मुहाजिरीन को मिल गया वो उन्हीं का हिस्सा था। उनकी बराबरी अब कोई दूसरा नहीं कर सकता। (अज़ नववी रह.)

1220. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक देहाती ने नबी करीम (ﷺ) से हिजरत की इजाज़त तलब की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नादान! हिजरत बहुत मुश्किल काम है (या'नी तुम नहीं कर सकोगे फिर आप ﷺ ने उससे पूछा) क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं और क्या तुम उनकी ज़कात अदा करते हो? उसने अर्ज़ किया, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर करते रहो, तुम अगर समुन्दरों के उस पार रहते हुए भी नेक अमल करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारे किसी अमल को ज़ाया (बर्बाद) नहीं करेगा और उसका अज्र तुमको मिलकर रहेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 36)**

बाब 21 : औरतों से बैअत किस तरह ली जाए

1221. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब मोमिन औरतें हिजरत करके (मक्का से मदीना) आती थीं तो नबी करीम (ﷺ) इस इर्शाद बारी तआला **याअय्युहल् लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअमिनातु मुहाजिरातिन फ़म्तहिनूहुन्न** तर्जुमा **ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएँ तो (उनको मोमिन होने की) जाँच पड़ताल कर लो।** (सूरह मुम्तहिना : 10-12) के मुताबिक़ उनकी जाँच पड़ताल कर लिया करते थे।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जो मोमिन औरत उन शर्तों का (जो सूरह मुम्तहिना में मज़्कूर

हैं) इक़रार कर लेती तो गोया वो बैअ़त का इक़रार कर लेती और नबी करीम (ﷺ) हर उस औ़रत को जो अपनी ज़ुबान से इक़रार कर लेती, फ़र्मा देते कि जाओ मैंने तुमसे बैअ़त ले ली। क़सम अल्लाह की! नबी करीम (ﷺ) का दस्ते मुबारक हर्गिज़ कभी किसी औ़रत के हाथ से मस नहीं हुआ (या'नी नहीं छुआ)। बस इतना हुआ कि आप (ﷺ) ने उनसे ज़ुबानी बैअ़त ले ली और अल्लाह की क़सम! नबी करीम (ﷺ) ने किसी औ़रत से सिवाय इस इक़रार के जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है कभी कोई इक़रार नहीं लिया और जब अ़हद ले चुकते तो उसे सिर्फ़ ज़ुबान से फ़र्मा देते, मैंने तुमसे बैअ़त ले ली। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तलाक़ बाब 20)**

बाब 22 : बैअ़त के वक़्त समिअ़्ना–त़ाअ़त बक़द्रे इस्तित़ाअ़त कहना चाहिये

1222. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम जब नबी करीम (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर सुनने और इत़ाअ़त करने के अ़हद के साथ बैअ़त किया करते थे तो आप (ﷺ) हमें तल्क़ीन फ़र्माया करते थे कि कहो **ह़स्बे इस्तित़ाअ़त।** **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अह़काम बाब 43)**

बाब 23 : बालिग़ होने की उ़म्र का बयान

1223. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं जंगे उहुद के दिन नबी करीम (ﷺ) के सामने पेश हुआ उस वक़्त मेरी उ़म्र चौदह साल थी तो आप (ﷺ) ने मुझे मुजाहिदीन में शामिल होने की इजाज़त न दी। फिर मैं दोबारा जंगे ख़ंदक के मौक़े पर आप (ﷺ) के सामने पेश हुआ उस वक़्त मैं 15 साल का हो चुका था तो आप (ﷺ) ने मुझे मुजाहिदीन में शामिल होने की इजाज़त दे दी।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 18)

बाब 24 : कुर्आन मजीद लेकर दारुल ह़रब में जाने की मुमानअ़त, अगर ये डर हो कि दुश्मन के हाथ आ जाएगा (और वो उसकी बेहुर्मती करेंगे)

1224. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने कुर्आन मजीद लेकर दुश्मन की सरज़मीन में सफर करने से मना फ़र्माया है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 129)

बाब 25 : घुड़दौड़ कराने और घोड़ों को सधाने का बयान

1225. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने सधाए हुए कोतल घोड़ों के दरम्यान घुड़दौड़ करवाई और उसकी हद ह़फ़िया से ष़निय्यतुल विदाअ़ तक मुक़र्रर की और जो कोतल नहीं थे उन्हें ष़निय्या से मस्जिदे बनी ज़रीक़ तक दौड़ाया और ख़ुद ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) इन सवारों में शामिल थे जिन्होंने उस घुड़दौड़ में ह़िस्सा लिया था।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्स़लात बाब 41)

बाब 26 : घोड़ों की पेशानियो में ख़ैरो–बरकत क़ियामत तक के लिये है

1226 हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, घोड़ों की पेशानी में ख़ैरो–बरकत है जो क़ियामत तक रहेगी।
(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 43)

1227. हदीष उर्वा बारक़ी (रज़ि.) : हज़रत उर्वा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़ैरो–बरकत घोड़ों की पेशानियों से बँधी हुई है क़ियामत तक के लिये (मुराद) षवाब और माले ग़नीमत है।
(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 44)

1228. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हजरत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बरकत घोड़ों की पेशानियों में है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 43)**

बाब 28 : जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये निकलने का षवाब

1229. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला उस शख़्स के लिये जो उसकी राह में जिहाद करने निकलता है, इस बात का ज़ामिन (ज़मानती) है कि या तो उसे षवाब और माले ग़नीमत के साथ जो उसने हासिल किया है घर वापस लौटा दे। या उसे शहादत के मर्तबे पर फ़ाइज़ करके जन्नत में दाख़िल करे, बशर्ते कि वो उस जिहाद के निकलने पर ईमान बिल्लाह और तस्दीक़ बिर्रसूल की वजह से आमादा हुआ हो, और उस की ग़र्ज़ इसके सिवा कुछ और न हो। नीज़ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मुझे ये ख़याल न होता कि मेरी उम्मत मशक़्क़त में पड़ जाएगी तो मैं हर छोटे दस्ते के साथ भी ख़ुद जिहाद के लिये जाता और (किसी मअरके से) पीछे न रहता। **और मैं यक़ीनन इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊँ फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ और फिर ज़िन्दा किये जाने के बाद दोबारा शहीद किया जाऊँ।** **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 26)**

1230. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने ज़िम्मा ले लिया है कि जो शख़्स अल्लाह की राह में जिहाद करे उसे जन्नत में दाख़िल करे या उसे षवाब और माले ग़नीमत के साथ उसके घर वापस पहुँचा दे बशर्ते कि उसकी ग़र्ज़ सिर्फ़ अल्लाह तआला की ख़ातिर जिहाद करना और उसके इर्शादात की तस्दीक़ करना हो। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 8)**

1231. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर ज़ख्म जो मुसलमान को अल्लाह की राह में लगता है वो क़ियामत के दिन बिलकुल उसी सूरत में होगा जैसा कि उस वक़्त था जब वो लगा था और उसमें से ख़ून बह रहा होगा, जिसका रंग तो ख़ून का सा होगा लेकिन ख़ुश्बू मुश्क (कस्तूरी) की होगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 67)**

बाब 29 : अल्लाह की राह में शहीद होने की फ़ज़ीलत

1232. हदीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स भी जन्नत में दाख़िल हो जाएगा वो हर्गिज़ दुनिया में वापस आना पसंद नहीं करेगा; ख़्वाह उसे दुनिया की सारी चीज़ें दे दी जाएँ सिवाय शहीद के जो ये तमन्ना करेगा कि वो दोबारा दुनिया में जाए और दस मर्तबा (अल्लाह की राह में) शहीद हो क्योंकि वो शहादत की वजह से हासिल होने वाले ऐज़ाज़ व इकराम को देख चुका होगा। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 21)**

1233. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे ऐसा अमल बताईए जो जिहाद का बदल हो सके। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे ऐसा कोई अमल नहीं मिलता जो जिहाद के बराबरी कर सके। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि जब मुजाहिद अल्लाह की राह में जिहाद के लिये रवाना हो तो तुम मस्जिद में दाख़िल हो जाओ और बग़ैर वक़्फ़े के क़ियाम करते रहो और मुसलसल इस तरह रोज़े रखो कि बीच में इफ़्तार न करो? उसने कहा, ऐसा कौन कर सकता है? **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 1)**

नोट : या'नी अल्लाह की राह में जिहाद करना इतनी बड़ी नेकी है कि अगर कोई उसकी बराबरी करना चाहे तो लगातार नमाज़ें पढ़ता रहे और बिल्कुल आराम न करे; साथ ही लगातार रोज़े रखता रहे और इफ़्तार न करे।

बाब 30 : अल्लाह की राह में एक सुबह या एक शाम गुज़ारने का ष़वाब

1234. हदीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की राह में एक सुबह या एक शाम गुज़ारना पूरी दुनिया व दुनिया के मालो–मताअ से बेहतर है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 5)**

1235. हदीष़ सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की राह में एक शाम और एक सुबह गुज़ारना दुनिया और दुनिया के मालो–मताअ से बेहतर है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 5)**

1236. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की राह में एक सुबह या एक शाम का चलना बेहतर है उन सब चीज़ों से जिन पर सूरज तुलूअ व गुरूब होता है (या'नी पूरी दुनिया से)। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 5)**

बाब 34 : अल्लाह की राह में जिहाद करने और दुश्मन से मुक़ाबले के लिये तैयार रहने का ष़वाब

1237. हदीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से पूछा गया कि, सबसे अच्छा शख़्स कौन है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, वो मोमिन जो अल्लाह की राह में अपने

जान व माल से जिहाद करता है। लोगों ने अर्ज़ किया, उसके बाद कौनसा शख़्स सबसे अच्छा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो मोमिन जो पहाड़ की किसी घाटी में जा बैठे और अल्लाह तआला से डरता रहे और लोगों को अपने शर से महफ़ूज़ रखे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 2)**

बाब 35 : दो शख़्सों का बयान जिनमें से एक ने दूसरे को क़त्ल किया होगा लेकिन दोनों जन्नत में जाएँगे

1238. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला दो ऐसे शख़्सों को देखकर इज़्हारे मसर्रत (ख़ुशी) के तौर पर हंसता है जिनमें से एक दूसरे का क़त्ल करेगा, उसके बावजूद ये दोनों जन्नत में जाएँगे (वो इस तरह कि) एक अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहीद होगा; फिर अल्लाह तआला उसके क़ातिल को भी तौबा की तौफ़ीक़ देगा और (मुसलमान होकर) वो भी शहीद होगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 28)

बाब 38 : अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों की इआनत (मदद) सवारी वग़ैरह देकर करने का षवाब

1239. हदीष ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **जिस शख़्स ने अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ग़ाज़ी को साज़ो-सामान से आरास्ता किया उसने गोया ख़ुद जिहाद किया उसी तरह जिसने अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ग़ाज़ी के घर-बार की ख़बरगिरी की उसने भी गोया ख़ुद जिहाद किया।**

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 38)

बाब 40 : मअज़ूर अफ़राद (असमर्थ लोगों) पर जिहाद फ़र्ज़ नहीं

1240. हदीष बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब आयते करीमा **ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मूमिनीन** नाज़िल हुई तो नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) को बुलवाया और उन्होंने शाने की एक हड्डी लेकर उस पर ये आयत लिख ली। फिर हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम ने नबी करीम (ﷺ) से ये शिकायत की कि मैं नाबीना (अंधा) हूँ (इसलिये जिहाद में शरीक नहीं हो सकता तो क्या मेरा दर्जा दूसरों से कम रहेगा)? उसके बाद इस आयत का आख़िरी हिस्सा नाज़िल हुआ **ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मूमिनीन ग़ैरु ऊलिज़्ज़ररि, तर्जुमा मुसलमानों में से वो लोग जो किसी मअज़ूरी के बग़ैर (बे-वजह) घर बैठे रहते हैं और वो जो अल्लाह की राह मे जान व माल से जिहाद करते हैं, बराबर नहीं हो सकते।** (सूरः निसा : 95)

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 31)

बाब 41 : शहीद के लिये जन्नत का षुबूत

1241. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि उहद

के दिन एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मैं (इस जंग में) मारा जाऊँ तो मैं कहाँ होऊँगा ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में। ये सुनकर उसने वो खजूरें जो उसके हाथ में थीं फेंक दीं उसके बाद जंग की यहाँ तक कि वो शहीद हो गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 17)**

1242. हदीष़ अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने जो सत्तर क़ारी बनी आमिर की तरफ़ भेजे थे उनमें बनी सुलैम के कुछ अफ़राद भी थे। ये लोग जब वहाँ (बीरे मऊना) पहुँचे तो मेरे मामू (हराम बिन मलहान रज़ि.) ने कहा, मैं तुमसे पहले जाता हूँ अगर उन्होंने मुझे अमन दे दिया कि मैं उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का पैग़ाम पहुँचा दूँ तब तो ठीक वरना तुम मुझसे क़रीब ही होगे (और वक़्त पर मेरी मदद कर सकोगे)। चुनाँचे वो आगे बढ़े और काफ़िरों ने उन्हें अमन दे दी फिर जब वो उनसे बातें कर रहे थे और नबी करीम (ﷺ) का पैग़ाम उन्हें पहुँचा रहे थे अचानक उन लोगों ने अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने मेरे मामू के सीने से नेज़ा पार कर दिया उन्होंने नारा–ए–तक्बीर बुलन्द किया और कहा, रब्बे काबा की क़सम! मैंने अपना मक़्सद पा लिया। इसके बाद ये लोग बाक़ी अफ़राद पर टूट पड़े और उन सबको शहीद कर दिया। सिर्फ़ एक शख़्स बचा जो लंगड़ा था और पहाड़ पर चढ़ गया था। हुमाम (रह.) (हदीष़ के रावियों में से एक रावी) कहते हैं कि, मेरा ख़याल है कि एक और शख़्स भी उसके साथ बच गया था। फिर हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने नबी करीम (ﷺ) को ख़बर दी कि वो सब हज़रात (जिन्हें आप ﷺ ने तब्लीग़ के लिये भेजा था) अपने परवरदिगार से जा मिले और उनका रब उनसे राज़ी और वो सब अपने रब से राज़ी हैं। चुनाँचे हम लोग (क़ुर्आन में) इस तरह तिलावत किया करते थे, **अन् बल्लिग़ू क़ौमना अन् क़द् लक़ीना रब्बना फ़रज़िया अन्ना व अरज़ाना.** लेकिन इसके बाद उसकी तिलावत मन्सूख़ (रद्द) हो गई। फिर नबी करीम (ﷺ) ने चालीस दिन तक क़बील–ए–रअल, बनी ज़कवान, बनी लिह्यान और बनी उसैय्यह के लिये बद्दुआ की। इन्हीं लोगों ने अल्लाह और नबी करीम (ﷺ) की नाफ़र्मानी की। (या'नी बदअहदी और धोखेबाज़ी) की थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 9)**

बाब 42 : सिर्फ़ उस शख़्स की जंग जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है जो अल्लाह के दीन को ग़ालिब करने के लिये लड़े

1243. हदीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक आदमी माले ग़नीमत हासिल करने के लिये जंग में शरीक होता है, एक शख़्स नेकनामी के लिये लड़ता है और एक अपनी क़द्रो–मन्ज़िलत (रुतबा) बढ़ाने के लिये लड़ता है तो उनमें से किसकी जंग जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह होगी? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अल्लाह की राह में जिहाद सिर्फ़ उस शख़्स का है जो सिर्फ़ अल्लाह के दीन को बलन्द और ग़ालिब करने के लिये लड़ता है।
(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 15)

1244. हदीष़ अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कौनसी सूरत में होगा? क्योंकि कोई शख़्स ग़ुस्से की हालत में (अपना इंतिक़ाम लेने के लिये) लड़ता है और कोई अपनी इज़्ज़त और हमिय्यित के लिये जंग करता है। ये सुनकर आप (ﷺ) ने साइल की तरफ़ अपना चेहरा मुबारक उठाया। रावी कहते हैं कि आप (ﷺ) ने चेहरा मुबारक इसलिये उठाया कि साइल खड़ा था और फ़र्माया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ़ उस शख़्स की

जंग है जो महज़ इस ग़र्ज़ से लड़ता हो कि अल्लाह का दीन ग़ालिब हो। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 45)**

बाब 45 : नबी करीम (ﷺ) के इर्शाद, 'हर अमल का दारोमदार निय्यत पर है', में जिहाद और दीगर तमाम अअ़माल दाख़िल हैं

1245. हदीष़ उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, बेशक अ़मलों का ऐतबार और उनके अज्रो–ष़वाब का दारोमदार निय्यत पर है और हर शख़्स को सि़र्फ़ वही कुछ मिलता है, जिसके हुसूल की वो निय्यत करता है। लिहाज़ा जो सिर्फ़ अल्लाह और रसूल (ﷺ) की ख़ातिर हिजरत करेगा उसी की हिजरत दरह़क़ीक़त अल्लाह और अल्लाह के रसूल (ﷺ) के लिये होगी जबकि जो शख़्स दुनिया ह़ासिल करने के लिये या किसी औ़रत से शादी करने के लिये हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उसी मक़सद के लिये होगी जिसके लिये उसने हिजरत की है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अयमान वन् नुज़ूर बाब 23)**

नोट : इस हदीष़ का पसमंज़र यह है कि एक शख़्स ने मक्का से मदीना हिजरत की, लेकिन उसका मक़सद एक औ़रत (उम्मे क़ैस) से शादी करना था क्योंकि उस औ़रत ने ये शर्त रखी थी कि अगर उसके साथ शादी करनी है तो मदीना आकर रहना होगा। इसीलिये लोग उसे 'मुहाजिरे उम्मे क़ैस' कहते थे। जब इसका ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) से किया गया तो आप (ﷺ) ने हिजरत फ़ी–सबीलिल्लाह के तक़ाज़े बयान फ़र्माए। इस हक़ीक़त पर तमाम उ़लमा का इजमाअ़ है कि हर इबादत का ता'ल्लुक़ निय्यत से है, अगर निय्यत सहीह होगी तो उसका अज्र मिलेगा।

बाब 49 : समन्दर में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का ष़वाब

1246. हदीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ह़ज़रत उम्मे ह़राम बिन्ते मलह़ान (रज़ि.) के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे और उम्मे ह़राम (रज़ि.) आप (ﷺ) की ख़िदमत में खाना पेश करती थीं। ह़ज़रत उम्मे ह़राम (रज़ि.) ह़ज़रत उ़बादा बिन स़ामित (रज़ि.) के निकाह में थीं। एक बार नबी करीम (ﷺ) आपके घर तशरीफ़ लाए और उम्मे ह़राम (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में खाना पेश किया। फिर आप (ﷺ) के सर में जुँएं देखने लगीं। इस ह़ालत में नबी करीम (ﷺ) सो गए। थोड़ी देर के बाद आप (ﷺ) हंसते मुस्कुराते हुए बेदार हुए तो उम्मे ह़राम (रज़ि.) कहती हैं, मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप किस बात पर हंस रहे हैं ? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (ख़्वाब में) मेरी उम्मत के कुछ अफ़राद मेरे सामने पेश किये गये जो अल्लाह की राह में जिहाद की ग़र्ज़ से समन्दर में बह़री (पानी के) जहाज़ पर सवार होंगे, ये लोग तख़्तनशीन (राजगद्दी पर बैठे) बादशाहों की तरह़ नज़र आ रहे थे।

उम्मे ह़राम कहती हैं, मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए, कि वो मुझे उन लोगों में शामिल कर ले चुनाँचे आप (ﷺ) ने उनके ह़क़ मे दुआ़ की। उसके बाद आप फिर लेटकर सो गए, कुछ देर बाद आप (ﷺ) फिर हंसते–मुस्कुराते हुए बेदार हुए तो मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप किस बात पर हंस रहे हैं ? फ़र्माया मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने पेश किये गए जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। गोया आप (ﷺ) ने फिर वही कुछ कहा जो पहली बार कहा था। उम्मे ह़राम (रज़ि.) कहती हैं, मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह से दुआ़ कीजिये कि वो मुझे भी उनमें शामिल कर ले। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम पहले गिरोह में शामिल हो। (रावी कहते हैं) ह़ज़रत उम्मे ह़राम (रज़ि.) ह़ज़रत मुआ़विया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) के दौरे हुकूमत में समन्दरी जहाज़ में सवार हुईं और जब ख़ुश्की पर उतरीं तो सवारी से गिरकर हलाक हो गईं।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 3)

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि महरम औरत का, महरम मर्द के सर को छूना, उसके साथ तन्हाई में बैठना या उसके घर में सोना जाइज़ है। हज़रत उम्मे हराम (रज़ि.) या तो आप (ﷺ) की दूधशरीक ख़ाला थीं या फिर आपके वालिद या दादा की ख़ाला थीं। इस हदीष में नबी करीम (ﷺ) के कई मोअजज़ात का ज़िक्र है; जैसे

(1) अपनी उम्मत की तरक़्क़ी की पेशीनगोई करना

(2) समन्दरी जहाज में सवार होकर जिहाद के लिये जाने की इत्तिला देना

(3) ये कि हज़रत उम्मे हराम (रज़ि.) उस जिहाद के वक़्त तक ज़िन्दा रहेंगी और वे उन मुजाहिदों के साथ शहीद होंगी, वग़ैरह। ये जिहाद हज़रत उष्मान ग़नी (रज़ि.) के दौरे–ख़िलाफ़त में हज़रत मुआविया (रज़ि.) की सरबराही (नेतृत्व) में हुआ था। ये तारीख़ी ऐतबार से ज़्यादा सहीह है, अगरचे कुछ लोगों का ख़याल है कि ये जिहाद हज़रत मुआविया के दौरे–ख़िलाफ़त में हुआ था। इस हदीष से ये भी षाबित होता है कि औरतें और मर्द दोनों समन्दरी सफ़र (लम्बी यात्रा) कर सकते हैं। (अज़ नववी रह.)

बाब 51 : शहीदों का बयान

1247. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स रास्ते में चला जा रहा था कि उसे राह में एक कांटेदार टहनी पड़ी नज़र आई और उसने उसे उठाकर रास्ते से हटा दिया। अल्लाह तआला ने उसे इस नेकी का ये अज्र दिया कि उसे बख़्श दिया गया।

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच क़िस्म के लोग शहीद हैं (1) जो ताऊन (प्लेग) से हलाक हो (2) जो पेट की बीमारी से हलाक हो (3) जो पानी में डूबकर मरे (4) जो किसी चीज़ के नीचे दबकर मरे और (5) जो अल्लाह की राह में शहीद हो। (सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 32)

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि दीगर अहादीष में इनके अलावा कुछ और लोगों का ज़िक्र है जो कि शहीद के दर्जे में शामिल हैं; जैसे (1) ज़ातुल जम्ब (निमोनिया) की बीमारी से मरने वाला (2) किसी हादसे में जलकर मरने वाला (3) जो औरत जचगी (डिलीवरी) के दौरान मर जाए (4) जो शख़्स अपना माल, अपने घरवालों और अहलो–अयाल की हिफ़ाज़त (रक्षा) करते हुए मारा जाए, वो भी शहीद है। आख़िरत में ऊपर बयान की गई तमाम क़िस्मों के लोगों को शहीद का षवाब मिलेगा लेकिन इनको दफ़न करने से पहले गुस्ल दिया जाएगा जबकि मैदाने–जंग में अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हो जाने वाले को गुस्ल नहीं दिया जाता। (अज़ नववी रह.)

1248. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : अनस बिन मालिक (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मुसलमान जो ताऊन (प्लेग) से हलाक हो वो शहीद है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 30)

बाब 53 : इर्शादे नबवी (ﷺ) मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा हक़ पर क़ायम रहेगा और ग़ालिब आएगा

1249. हदीष मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) : हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग हमेशा हक़ पर क़ायम और ग़ालिब रहेंगे यहाँ तक कि क़ियामत आएगी तब भी वो ग़ालिब होंगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 28)**

1250. हदीष़ मुआविया (रज़ि.) : हज़रत मुआविया (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में से एक जमाअत हमेशा अहकामे इलाही पर क़ायम और कारबन्द रहेगी जो कोई उनको ज़लील करना या उनकी मुख़ालफ़त करना चाहेगा, वो उनको कुछ नुक़्सान न पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि क़ियामत आ जाएगी तब भी वो उसी तरह अहकामे इलाही पर कारबन्द होंगे।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 28)

बाब 55 : सफ़र एक अज़ाब है मुसाफ़िर को चाहिए कि अपने काम से फ़ारिग़ होते ही घर लौटे

1251. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सफ़र एक तरह का अज़ाब है जिसकी वजह से इंसान खाने–पीने और सोने से महरूम रहता है इसलिये मुसाफ़िर को चाहिए कि वो अपने काम से फ़ारिग़ होते ही अपने अहलो–अयाल के पास पहुँचने में जल्दी करे।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल उम्रह बाब 19)

बाब 56 : सफ़र से लौटने वाले के लिये रात के वक़्त (अचानक) अपने घर में दाख़िल होना मकरूह है

1252. हदीष़ अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) (सफ़र से लौटकर) अपने अहलो–अयाल के पास रात के वक़्त (अचानक) नहीं जाया करते थे बल्कि सुबह या शाम के वक़्त घर में दाख़िल हुआ करते थे। **(स़हीह बुख़ारी किताबुल उम्रति बाब 15)**

1253. हदीष़ जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक ग़ज़वे से लौटकर आए थे। जब हमने घर में दाख़िल होना चाहा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ठहरो! (अभी घर न जाओ) शाम के वक़्त जाना ताकि परागन्दा (बिखरे) बालों वाली औरतें कंघी–चोटी कर लें और शौहर के घर न होने की वजह से जिन औरतों ने ज़ाइद बालों की सफ़ाई न की हो वो उस्तरा कर लें।

(स़हीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 10)

नोट : इस हदीष़ से नीचे लिखी हिदायतें मिलती हैं :–

01. जब कोई शख़्स सफ़र से लौटे तो फौरन घरों में दाखिल न हो बल्कि पहले अपने घरवालों को अपने आने की इत्तिला दे। आजकल टेलीफोन–मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल करते हुए घर पहुँचने की पेशगी इत्तिला देनी चाहिये ताकि घर में बीवी अपने शौहर का इस्तिक़बाल करने के लिये ज़हनी और जिस्मानी (मानसिक व शारीरिक) तौर पर तैयार रहे।

02. औरत का बनाव–सिंगार अपने शौहर के लिये है। जब शौहर के घर लौटने का वक़्त हो तो वो अपना हुलिया संवार ले। इसी तरह शौहर की ज़िम्मेदारी है कि पेशगी इत्तिला दे ताकि औरत को कंघी–चोटी करने और बनाव–सिंगार करने का मौक़ा मिल सके।

किताबुस्सैद वल ज़बाइह व मायूकलु मिनल हैवान

जानवरों को शिकार और ज़िब्ह करने के मसाइल और हलाल जानवरों का बयान

बाब 1 : सधाए हुए कुत्तों से शिकार के अहकाम

1254. हदीष अदी बिन हातिम (रज़ि.) : हज़रत अदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम सधाए हुए कुत्तों से शिकार करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, शिकार गिराने के बाद अगर कुत्ते मालिक के इंतिज़ार में शिकार को रोक रखें तो उस शिकार को खाओ। मैंने अर्ज़ किया, और अगर कुत्ते शिकार को मार डालें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, और अगरचे कुत्ते शिकार को मार डालें। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग मिअराज़ (बिना फल का नेज़ा) फेंककर शिकार करते हैं (उसका क्या हुक्म है?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मअराज़ सीधा लगे और शिकार में घुस जाए तो उस शिकार को खाओ लेकिन अगर आड़ा पड़े (और जिस्म में न घुसे) तो मत खाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 3)**

नोट : इस हदीष में सधाए हुए पालतू शिकारी कुत्तों के ज़रिये शिकार करने के मसाइल का ज़िक्र किया गया है। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि शिकार की अबाहत पर उलमा का इत्तेफ़ाक़ है, बशर्ते कि ज़रूरत के मातहत, या पेशे (कारोबार) के तौर पर या और किसी क़िस्म का फ़ायदा हासिल करने के लिये किया जाए। बिना ज़रूरत या खेल व तफ़रीह (दिल्लगी) के तौर पर शिकार करना इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक मकरूह है। अलबत्ता लैष (रह.) और इब्ने अब्दुल हकम के नज़दीक जाइज़ है बशर्ते कि निय्यत ये हो कि इसको ज़िबह करके इससे फ़ायदा हासिल करूंगा और अगर ये निय्यत न हो तो उनके नज़दीक बिना ज़रूरत किसी जानवर की जान लेना हराम है। कुत्ते से शिकार के सिलसिले में इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि शिकार के लिये जानवर छोड़ते वक़्त या ज़िब्ह करते वक़्त अल्लाह का नाम लेना यानी बिस्मिल्लाह कहना चाहिये, इस पर सबका इजमाअ (सर्वसम्मति) है।

इस हदीष के मुताबिक़ शिकारी कुत्ते का किया हुआ शिकार हलाल है बशर्ते कि वो सधाया हुआ (ट्रेण्ड) हो, वो चाहे किसी भी रंग का हो। इमाम मालिक (रह.), इमाम शाफ़ई (रह.), इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है लेकिन इमाम हसन बसरी (रह.), इमाम नख़ई (रह.), इमाम क़तादा (रह.), इमाम अहमद (रह.) और इमाम इस्हाक़ (रह.) के नज़दीक काले कुत्ते का किया हुआ शिकार सहीह नहीं क्योंकि काला कुत्ता शैतान है। (दीगर अहादीष में आप ﷺ का ये क़ौल मौजूद है)

अगर कुत्ता सधाया हुआ (ट्रेण्ड) न हो तो उसके द्वारा किया गया शिकार हराम है; इस बात पर तमाम उलमा का इत्तेफ़ाक़ व इजमाअ (सर्वसम्मति) है। मिअरज उस लकड़ी के डण्डे को कहते हैं जिस पर नुकीला लोहा लगा हुआ हो या उस लकड़ी की नोक तीखी हो। दरअसल ये एक नेज़े (भाले) के समान लकड़ी होती है जिसके सिरे पतले और बीच में से मोटी होती है। (अज़ नववी रह.)

1255. हदीष अदी बिन हातिम (रज़ि.) : हज़रत अदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग कुत्तों के ज़रिये शिकार करते हैं। आप (ﷺ) ने फर्माया, जब तुमने अपना सधाया हुआ कुत्ता शिकार के लिये छोड़ा हो ओर उस पर बिस्मिल्लाह कहा हो तो अगर कुत्ते ने शिकार गिराने के बाद उसे तुम्हारे लिये रोक रखा हो तो उसे तुम खा सकते हो (या'नी वो हलाल है) ख़्वाह वो मर चुका हो अलबत्ता अगर उसमें से कुत्ते ने कुछ खा लिया हो तो फिर (वो मश्कूक यानी संदिग्ध है और) मुझे डर है कि उसने शिकार को अपने लिये मारा था (और उसका खाना जाइज़ नहीं)। इसी तरह अगर तुम्हारे कुत्ते के साथ शिकार के वक़्त दूसरे कुत्ते (जंगली या किसी ग़ैर-मुस्लिम के शिकारी कुत्ते) शामिल हो गए हों तो भी उसे न खाओ।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 7)

1256. हदीष अदी बिन हातिम (रज़ि.) : हज़रत अदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से मअराज़ के ज़रिये से शिकार के बारे में पूछा, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मअराज़ का धारदार हिस्सा शिकार को लगे तो उस शिकार को खाओ और आड़ा-तिरछा लगे (और शिकार मर जाए) तो उसे न खाओ क्योंकि वो मौक़ूज़ह है (या'नी वो जानवर जो लकड़ी या पत्थर वग़ैरह से मारा जाए)।

मौक़ूज़ह की हुर्मत क़ुर्आन में सराहतन मज़्कूर है। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बिस्मिल्लाह कहकर मैं अपना कुत्ता शिकार के लिये छोड़ता हूँ लेकिन जब शिकार के पास पहुँचता हूँ तो वहाँ एक और कुत्ते को भी मौजूद पाता हूँ जिसको छोड़ते वक़्त मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा था और मुझे ये भी पता नहीं चलता कि ये शिकार किस कुत्ते ने गिराया है (तो उस सूरत में क्या किया जाए?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसे न खाओ क्योंकि तुमने सिर्फ़ अपने कुत्ते को छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह कहा था, दूसरे कुत्ते पर तुमने बिस्मिल्लाह नहीं कहा था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 3)

1257. हदीष अदी बिन हातिम (रज़ि.) : हज़रत अदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, कि मिअराज़ से किये हुए शिकार का हुक्म किया है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जिस शिकार को मिअराज़ का धारदार हिस्सा लगे उसे तो खाओ लेकिन जिस शिकार को मिअराज़ आड़ा-तिरछा लगे (और वो मर जाए) वो मुर्दार है। फिर मैंने आप (ﷺ) से कुत्तों के ज़रिये से किये गए शिकार के बारे में पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शिकार को कुत्ता तुम्हारे लिये रोके रखे उसे तो खाओ क्योंकि कुत्ते का शिकार को पकड़ना शिकार को ज़िब्ह करने के समान है, लेकिन अगर तुम्हारे (सधाए हुए) कुत्तों के साथ (शिकार के पास जंगली या किसी ग़ैर-मुस्लिम का) कोई और कुत्ता भी मौजूद हो तो ये इम्कान है कि उस शिकार को उस कुत्ते ने (जो सधाया हुआ नहीं था) पकड़ा हो और हलाक कर दिया हो (तो वो मुर्दार हो गया) उसे न खाओ क्योंकि तुमने तो सिर्फ़ अपने कुत्ते को छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह कहा था; दूसरे कुत्तों पर अल्लाह का नाम नहीं लिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़िब्ह वस्सैदि बाब 1)**

1258. हदीष अदी बिन हातिम (रज़ि.) : हजरत अदी (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुमने बिस्मिल्लाह कहकर अपना कुत्ता शिकार के लिये छोड़ा और उसने शिकार को गिराकर तुम्हारे लिये रोके रखा (उसमें से ख़ुद नहीं खाया) तो उस शिकार को खाओ ख़्वाह कुत्ते ने उसे हलाक ही कर दिया हो। लेकिन अगर कुत्ते ने उसमें से कुछ खा लिया हो तो उसे न खाओ (उसका खाना हराम है) क्योंकि ये शिकार उसने अपने लिये किया है। और अगर शिकार के वक़्त तुम्हारे कुत्तों के साथ ऐसे कुत्ते भी शरीक हो जाएँ जिनको छोड़ते वक़्त अल्लाह

का नाम न लिया गया हो और कुत्तो ने शिकार को पकड़कर हलाक कर दिया हो तो उस शिकार को न खाओ क्योंकि तुमको नहीं मा'लूम कि शिकार किस कुत्ते ने हलाक किया है। और अगर तुमने शिकार पर तीर चलाया और वो शिकार एक या दो दिन बाद (मरा हुआ मिला) और उस पर तुम्हारे तीर के अलावा और कोई निशान (जो उसकी मौत का सबब बन सकता हो) न था तब तो उसे खाओ लेकिन अगर तीर लगने के बाद वो शिकार पानी में जा गिरा (और मर गया) तो उसको न खाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 8)**

1259. हदीष अबू षअलबा ख़श्नी(रज़ि.) : हज़रत अबू षअलबा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम ऐसे लोगों के इलाक़ों में रहते हैं जो अहले किताब हैं तो क्या हम उनके बर्तनों में खाना खा सकते हैं? और हमारे इलाक़े में शिकार बहुत पाया जाता है मैं अपनी कमान से भी शिकार करता हूँ और कुत्तों के ज़रिये भी। और कुत्ते सधाए हुए भी होते हैं और बिना तर्बियत–याफ़्ता (अन–ट्रेण्ड) भी तो उनमें से किस क़िस्म का शिकार दुरुस्त (और उसका खाना भी जाइज़) है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने अहले किताब के बर्तनों के बारे में जो पूछा है उसके सिलसिले में ये है कि अगर तुमको उनके अलावा दूसरे बर्तन मयस्सर हों तब तो अहले किताब के बर्तनों में न खाओ; लेकिन अगर और बर्तन मुहय्या न हो तो उन बर्तनों को धोकर उनमें खाना खा सकते हो। और शिकार के बारे में ये है कि जो शिकार तीर–कमान से किया जाए अगर उस पर तीर चलाते वक़्त अल्लाह का नाम (बिस्मिल्लाह) लिया गया हो तो (वो हलाल है) उसे खाओ। और सधाए हुए कुत्ते से शिकार करते वक़्त अगर कुत्ते को बिस्मिल्लाह कहकर छोड़ा हो तो (वो भी हलाल है) उसे खाओ। ग़ैर–तर्बियतयाफ़्ता कुत्ते के ज़रिये से जो शिकार किया जाए वो अगर उस हालत में मिले कि उसको ज़िब्ह किया जा सके तब तो (अल्लाह का नाम लेकर ज़िब्ह करो और) खाओ (वर्ना न खाओ)। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 4)**

नोट : अबू दाऊद की रिवायत में इसकी और ज़्यादा वज़ाहत (स्पष्टीकरण) मौजूद है। अहले किताब अपनी हण्डियों में सुअर पकाते हैं और अपने बर्तनों में शराब पीते हैं, इसलिये आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर दूसरे बर्तन दस्तयाब (उपलब्ध) हों तो उनके बर्तन इस्तेमाल न किये जाएं लेकिन अगर दूसरे बर्तन उपलब्ध न हो तो मजबूरी की हालत में अच्छी तरह धोकर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। (अज़ नववी रह.)

आज के दौर में टेण्ट वालों से जो किराये के बर्तन लिये जाते हैं उनको अच्छी तरह धोने के बाद ही इस्तेमाल करने चाहिये क्योंकि उनसे दूसरे लोग भी बर्तन ले जाते हैं और उसमें न जाने क्या–क्या पकाते हैं और खाते–पीते हैं।

बाब 3 : कुचलियों वाले दरिन्दों और पंजों वाले परिन्दों का खाना हराम है

1260. हदीष अबू षअलबा (रज़ि.) : हज़रत अबू षअलबा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने कुचली वाले दरिन्दों के खाने से मना किया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 29)**

नोट : हदीष में लफ़्ज़ 'ज़ी नाब' आया है, 'नाब' कुचलियों या 'खूण्टे दाँत' को कहते हैं जिनके ज़रिये दरिन्दा (वहशी) जानवर काटता है और उन्हें शिकार में गाड़कर मज़बूती से पकड़ता है। दरिन्दे से मुराद शेर, चीता, भेड़िया, बन्दर वग़ैरह हैं। 'ज़ी मख़लब' से मुराद पंजे वाले परिन्दे हैं जैसे बाज़, चील, गिद्ध वग़ैरह।

बाब 4 : समन्दरी या दरियाई जानवर ख़्वाह मुर्दा हो उसका खाना मुबाह है

1261. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें क़ुरैश के क़ाफ़िले की निगरानी के लिये भेजा। हम तीन सौ सवार थे और हमारे अमीर हज़रत अबू उबैदह बिन

ज़र्राह़ थे। हमें साहिले समुन्दर (समुद्र तट) पर आधे महीने तक क़ियाम करना पड़ा जिसकी वजह से हमें सख़्त भूख से दोचार होना पड़ा यहाँ तक कि हम दरख़्तों के पत्ते तक खा गए। इसीलिये उस लश्कर का नाम जैशुल ख़बत़ (पत्तों का लश्कर) पड़ गया और फिर समुन्दर ने हमारे लिये एक जानवर जिसे अ़म्बर कहा जाता है, किनारे पर फेंक दिया और उसे हम 15 दिन तक खाते रहे और उसकी चर्बी जिस्म पर मलते रहे। यहाँ तक कि हमारे जिस्म दोबारा उसी तरह़ तंदरुस्त हो गए जैसे पहले थे (ये जानवर इस क़दर अ़ज़ीमुल् जुष्षा था कि) ह़ज़रत अबू उ़बैदह (रज़ि.) ने उसकी एक पसली खड़ी की और सबसे त़वीलुल क़ामत (लम्बे कद के) शख़्स को ऊँट पर बिठाकर उस पसली के नीचे से गुज़ारा तो वो आसानी से गुज़र गया। ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि (नौबत यहाँ तक आ गई थी कि) लश्कर में से एक शख़्स ने तीन ऊँट ज़िब्ह किये, फिर तीन ऊँट और ज़िब्ह किये उसके बाद तीन ऊँट मज़ीद ज़िब्ह कर डाले लेकिन उसके बाद ह़ज़रत अबू उ़बैदह (रज़ि.) ने उसे और ऊँट ज़िब्ह़ करने से मना कर दिया।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 65)

बाब 5 : पालतू गधे का गोश्त खाना ह़राम है।

1262. ह़दीष़ अ़ली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़ज़व–ए–ख़ैबर के दिन नबी करीम (ﷺ) ने औरतों के साथ निकाह़े मुतआ़ (वक़्ती निकाह़ या अस्थाई शादी) करने और घरेलू पालतू गधों का गोश्त खाने से मना कर दिया था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)**

1263. ह़दीष़ अबू ष़अ़लबा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू ष़अ़लबा (रज़ि.) रिवयत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने घरेलू पालतू गधों का गोश्त खाने से मना फ़र्मा दिया था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़िब्ह़ वस्सैदि बाब 28)**

1264. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने घरेलू पालतू गधों का गोश्त खाना मम्नूअ़ क़रार दे दिया था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)**

1265. ह़दीष़ इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि ख़ैबर के घेराव की रातों में हमें भूख से दोचार होना पड़ा। फिर जिस दिन ख़ैबर फ़तह हुआ तो हम पालतू गधों पर टूट पड़े और उन्हें ज़िब्ह़ किया, लेकिन जब देगें पक रही थीं रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से एक मुनादी ने ऐलान किया, देगों को औंधा कर दो और पालतू गधों के गोश्त में से ज़रा भी न खाओ। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि ये ऐलान सुनकर हमने ख़याल किया कि आप (ﷺ) ने उन गधों का गोश्त खाने से इसलिये मना किया है कि उनमें से ख़ुमुस (पांचवाँ ह़िस्सा) वसूल नहीं किया गया, लेकिन कुछ और लोगों ने कहा कि (नहीं ये बात नहीं है बल्कि) पालतू घरेलू गधों को अल्लाह तआ़ला ने क़त़अ़न ह़राम कर दिया है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 20)

1266. ह़दीष़ बराअ व अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) : ह़ज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ थे (ग़ज़व–ए–ख़ैबर में) कि पालतू गधे (बत़ौरे माले ग़नीमत) हमारे हाथ आए तो हमने उनका गोश्त पकाया, उसी दौरान नबी करीम

(ﷺ) की तरफ़ से एक मुनादी करने वाले ने ऐलान किया कि देगों को उलटा दो। (गधों का गोश्त न खाओ)।
(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)

1267. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते है कि मुझे नहीं मा'लूम नबी करीम (ﷺ) ने गधों को खाने से इस आधार पर मना फ़र्माया था कि ये जानवर लोगों के बोझ उठाने के काम आता है और आप (ﷺ) ने ये बात नापसंद फ़र्माई कि इस तरह लोगों का बोझ उठाने का ज़रिया ज़ाया (नष्ट) हो जाए या फ़िल् वाक़ेअ आप (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन पालतू गधों के गोश्त को हराम कर दिया था।
(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)

1268. हदीष सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ज़व–ए–ख़ैबर के मौक़े पर कई मुक़ामात पर आग जलती देखकर पूछा, ये आगें कैसी जल रही हैं? लोगों ने अर्ज़ किया, घरेलू पालतू गधों का गोश्त पक रहा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन बर्तनों को तोड़ दो और तमाम गोश्त ज़ाया कर दो। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, क्या ऐसा न किया जाए कि गोश्त फेंक दें और बर्तनों को धो लिया जाए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ, बर्तनों को धो लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 32)**

बाब 6 : घोड़े का गोश्त खाने का बयान

1269. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़ज़व–ए–ख़ैबर के दिन नबी करीम (ﷺ) ने गधे का गोश्त खाने से मना फ़र्मा दिया था और घोड़े का गोश्त खाने की इजाज़त दी थी।
(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)

1270. हदीष अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हमने नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में एक घोड़ा ज़िब्ह किया था और उसका गोश्त खाया था।
(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 24)

बाब 7 : गोह का गोश्त हलाल है

1271. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने गोह के बारे मे फ़र्माया, मैं न तो गोह का गोश्त खाता हूँ और न उसको हराम क़रार देता हूँ।
(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 33)

1272. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के सहाबा किराम (रिज़) मे से कुछ अस्हाब जिन में हज़रत सअद (रज़ि.) भी शामिल थे गोश्त खाने लगे तो उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि.) में से एक ख़ातून ने बा–आवाज़े बलन्द उनसे कहा कि ये गोह का गोश्त है इसलिये रुक जाओ (न खाओ) ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, खा लो! क्योंकि ये गोश्त हलाल है या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके खाने

में कुछ हर्ज नहीं, लेकिन मैं इसे नहीं खाता। **(सहीह बुख़ारी किताब अख़बारुल आहाद बाब 6)**

1273. हदीष ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) : हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि .) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना (रज़ि.) के घर गया। हज़रत मैमूना (रज़ि.) मेरी भी खाला थीं और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की भी ख़ाला थीं। तो मुझे उनके पास भुनी हुई गोह नज़र आई जो उनकी बहन हज़रत हफ़ीदा (रज़ि.) बिन्ते हारिष नजद से लाई थीं। हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने वो गोह नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश की। आप (ﷺ) की आदते मुबारका थी कि जब तक पेशकर्दा खाने के बारे में आप (ﷺ) को बता न दिया जाए और उसका नाम न लिया जाए, आप (ﷺ) खाने की तरफ़ अपना दस्ते मुबारक बहुत कम बढ़ाया करते थे। चुनांचे जब आप (ﷺ) ने अपना हाथ उस गोह की तरफ़ बढ़ाया तो हाज़िर ख़्वातीन में से एक ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़बर कर दो कि तुमने आप (ﷺ) की ख़िदमत में क्या चीज़ पेश की है (फिर ख़ुद ही कहने लगी)। या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये गोह है। ये सुनते ही नबी करीम (ﷺ) ने अपना दस्ते मुबारक उस खाने से खींच लिया, ये देखकर हज़रत खालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या गोह हराम हे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं, हराम नहीं है लेकिन चूँकि ये हमारे इलाक़े में नहीं होती इसलिये मेरी तबीअत इसको खाने से ऊबा करती है। हजरत ख़ालिद (रज़ि.) कहते हैं कि फिर उसको (गोह वाले बर्तन को) मैंने अपनी तरफ़ खींच लिया और खा लिया और आप (ﷺ) मुझे खाते हुए देख रहे थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमति बाब 10)**

1274. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरी खाला हज़रत उम्मे हफ़ीदा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पनीर, घी और गोह बतौरे तोहफ़ा भेजे तो आप (ﷺ) ने पनीर और घी तो तनावुल फ़र्माया और गोह से घिन महसूस करते हुए उसे छोड़ दिया (न खाया)। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि गोह आप (ﷺ) के दस्तरख़्वान पर खाई गई और अगर हराम होती तो नबी करीम (ﷺ) के दस्तरख़्वान पर न खाई जाती। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 7)**

बाब 8 : टिड्डियाँ हलाल हैं

1275. हदीष इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने नबी करीम (ﷺ) के साथ छः या सात ग़ज़्वात में शिरकत की और आप (ﷺ) के साथ रहते हुए टिड्डियाँ खाते रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैद बाब 13)**

बाब 9 : खरगोश हलाल है

1276. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं मर्रुज़्ज़हरान के पास हमने एक ख़रगोश का पीछा किया और लोगों ने (उसे पकड़ने के लिये) भागदौड़ की लेकिन सब थककर बैठ गए, मगर मैं उस तक पहुँच गया और उसे पकड़कर हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के पास लाया उन्होंने उसे ज़िब्ह किया और उसकी पीठ का गोश्त या रानें नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में भेजीं। आप (ﷺ) ने उसे क़ुबूल फ़र्माया और उसमें से तनावुल फ़र्माया (खाया)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 5)**

बाब 10 : ऐसे तमाम ज़रायेअ इख़्तियार करना जाइज़ है जिससे शिकार करने और दौड़ने में मदद ली जा सके अलबत्ता कंकरियाँ मारना मकरूह है

1277. हदीष अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने एक शख़्स को देखा कि वो शिकार को कंकरियाँ मार रहा है तो आपने उसे मना किया कि कंकरियाँ न मारो क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शिकार को कंकरियाँ मारने से मना किया है। या आप (ﷺ) शिकार को कंकर मारना नापसंद फ़र्माते थे इसलिये कि कंकर से न तो शिकार होता है और न उससे दुश्मन मरता है अलबत्ता कभी–कभी दांत टूट जाता है या आँख फूट जाती है। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने उस शख़्स को फिर कंकर मारते देखा तो उससे कहा कि **मैंने तुमको नबी करीम (ﷺ) की हदीष सुनाई थी कि आप (ﷺ) ने कंकर मारने से मना फ़र्माया है या आप (ﷺ) कंकर मारने को नापसंद फ़र्माते थे और तुम ये सुनने के बाद भी कंकर मार रहे हो, मैं अब तुमसे किसी क़िस्म की बातचीत नहीं करूँगा। (सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 5)**

बाब 12 : जानवरों को बांधकर निशाना बनाना और मारना मना है

1278. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते है कि नबी करीम (ﷺ) ने इस बात से मना फ़र्माया है कि जानवरों को बांधकर (उनका निशाना लगाकर) हलाक किया जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 25)

1279. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : सईद बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के साथ था कि हमारा गुज़र चंद जवानों या लोगों के पास से हुआ जिन्होंने एक मुर्ग़ी को बतौरे हदफ़ बांध रखा था और उस पर तीरंदाज़ी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को देखा तो उसे छोड़कर इधर–उधर हो गए, तो हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने पूछा कि ये किसने किया है? और कहा, नबी करीम (ﷺ) ने उस शख़्स पर लअनत भेजी है जो ऐसे काम करता है (या'नी किसी जानदार को बांधकर उस पर तीरंदाज़ी करता है)। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 25)**

किताबुल अज़ाही

कुर्बानी के अह्काम व मसाइल

बाब 1 : कुर्बानी का वक़्त

1280. हदीष जुन्दुब (रज़ि.) : हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ईदुल अज़्हा के दिन पहले नमाज़ पढ़ी फिर ख़ुत्बा दिया, उसके बाद कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह किया। और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स नमाज़ से पहले जानवर ज़िब्ह कर ले उसे चाहिए कि उसके बदले में एक और जानवर ज़िब्ह करे और जिसने (नमाज़ से) पहले कुर्बानी नहीं की वो अल्लाह का नाम लेकर (**बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर** कहकर नमाज़ के बाद) ज़िब्ह करे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 23)**

1281. हदीष बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे मामू ने जिनका नाम हज़रत अबूबुर्दा (रज़ि.) था, नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह कर दिया तो नबी करीम (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, तुम्हारी बकरी तो गोश्त की बकरी हुई (कुर्बानी न हुई) तो मेरे मामू ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे पास बकरी का एक पला हुआ नौ उम्र (छोटा) बच्चा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम उसी को ज़िब्ह कर दो लेकिन (ये इजाज़त बतौरे ख़ास सिर्फ़ तुम्हारे लिये है) तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के लिये बकरी के बच्चे की कुर्बानी जाइज़ नहीं है। उसके बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने नमाज़े ईद से पहले जानवर ज़िब्ह कर दिया उसने गोया सिर्फ़ अपने लिये (गोश्त खाने के लिये) जानवर ज़िब्ह किया और जिसने नमाज़े ईद के बाद जानवर ज़िब्ह किया उसकी कुर्बानी अदा हो गई और उसने मुसलमानों के तरीक़े पर अमल किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ाही बाब 8)**

1282. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी कर ली उसे चाहिए कि दोबारा कुर्बानी करे, ये सुनकर एक शख़्स उठा और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (मैं कुर्बानी कर चुका हूँ) क्योंकि इस दिन लोगों को गोश्त की ख़्वाहिश होती है। फिर उसने अपने हमसायों (की तलब व ख़्वाहिश और ज़रूरत) का ज़िक्र किया और गोया नबी करीम (ﷺ) ने भी उसकी ताईद की। फिर उसने कहा, मेरे पास बकरी का एक बच्चा है आप (ﷺ) ने उसे (उस बच्चे की कुर्बानी करने की) इजाज़त दे दी (हज़रत अनस रज़ि. कहते हैं कि) लेकिन मुझे ये नहीं मा'लूम कि ये इजाज़त उस शख़्स (हज़रत अबू बुर्दा रज़ि.) के अलावा दूसरे लोगों के लिये भी है या नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईदैन बाब 5)**

1283. हदीष उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) : हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे सहाबा किराम (रज़ि.) में तक़्सीम करने के लिये कुछ बकरियाँ दीं और (तक़्सीम कर देने के बाद) बकरी का एक साला बच्चा बाक़ी बचा तो मैंने उसका ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) से किया आपने फ़र्माया, तुम उसकी क़ुर्बानी कर लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वकालत बाब 1)**

बाब 3 : क़ुर्बानी का जानवर दूसरे से ज़िब्ह कराने की बजाय अपने हाथ से ज़िब्ह करना मुस्तहब है और ज़िब्ह के वक़्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहना

1284. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने दो मेंढों की क़ुर्बानी की जिनका रंग काला–सफ़ेद (चितकबरा) था और सींगों वाले थे। उन दोनों को आप (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से ज़िब्ह किया और ज़िब्ह करते वक़्त **बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर** कहा और अपना पांव उनकी गर्दन पर रखा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ाही बाब 14)**

बाब 4 : हर ऐसी चीज़ से ज़िब्ह करना जाइज़ है जिसके इस्तेमाल से ख़ून बहे सिवाय दांत नाख़ून और हड्डी के

1285. हदीष राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) : हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कल सुबह दुश्मन से हमारा मुक़ाबला दरपेश है और हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उज्लत से ज़िब्ह करो (जानवरों को) हर उस चीज़ से जो ख़ून बहा दे और जिस ज़बीहा पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाओ और न ज़िब्ह करो दांत और नाख़ून से, और मैं तुमको उसकी वजह बताता हूँ और वो ये है कि दांत हड्डी है (और हड्डी से ज़िब्ह करना जाइज़ नहीं) और नाख़ून हब्शियों की छुरी है।

(रावी बयान करते हैं) एक बार ग़नीमत में हमें ऊँट और बकरियाँ मिलीं तो उनमें से एक ऊँट भाग उठा और एक शख़्स ने उस पर तीर चला दिया जिससे वो रुक गया। तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इन ऊँटों में से भी कुछ ऊँट जंगली जानवरों की तरह वहशी हो जाते हैं। लिहाज़ा अगर उनमें से कोई ऊँट क़ाबू से बाहर हो जाए तो उसके साथ ऐसा ही तरीक़ा इख़्तियार करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह वस्सैदि बाब 23)**

1286. हदीष राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) : हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ मुक़ामे ज़ुलहुलैफ़ा में थे कि लोगों को भूख लगने लगी, उनको (ग़नीमत में) बकरियाँ और ऊँट मिले थे। राफ़ेअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) पीछे रह जाने वाले लश्कर के साथ थे (अभी उस जगह न पहुँचे थे) तो लोगों ने जल्दबाज़ी से काम लिया, तक़्सीम से पहले ही जानवर ज़िब्ह कर दिये और हण्डियाँ चढ़ा दी। लिहाज़ा नबी करीम (ﷺ) के हुक्म से हण्डियाँ उलट दी गईं। फिर आप (ﷺ) ने माले ग़नीमत तक़्सीम किया और दस बकरियाँ एक ऊँट के बराबर क़रार दीं। उन ऊँटों में से एक ऊँट बिदककर भाग उठा तो लोगों ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसने सबको थका दिया। उस वक़्त लोगों के पास घोड़े बहुत कम थे। एक शख़्स ने उस ऊँट को तीर खींच मारा और अल्लाह तआला ने उसे रोक दिया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया। इन चौपायों में भी जंगली जानवरों की तरह बिदकने वाले वहशी होते हैं। लिहाज़ा अगर तुम उन पर क़ाबू न पा सको तो उनके साथ ऐसा ही तरीक़ा इख़्तियार करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमें ख़तरा है कि कल दुश्मन से मुक़ाबला दरपेश हो और हमारे पास

छुरियाँ नहीं हैं तो क्या हम बांस से ज़िब्ह कर लें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर वो चीज़ जिससे ख़ून बह निकले (उससे ज़िब्ह कर लो) और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए (बवक़्ते ज़िब्ह) उसे खाओ। अलबत्ता दांत और नाख़ून से ज़िब्ह न करो और मैं तुमको उसकी वजह बताता हूँ, दांत से तो इसलिये नहीं कि वो हड्डी है और नाख़ून से इसलिये नहीं क्योंकि वो हब्शियों की छुरी है। **(सहीह बुख़ारी किताबुश्शिर्का बाब 3)**

बाब 5 : इस्लाम के शुरू में कुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा रखने की मुमानअत थी जो बाद में मन्सूख़ हो गई अब अगर कोई ज़्यादा दिन तक रखना चाहे तो उसे इजाज़त है

1287. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुर्बानी का गोश्त तीन दिन तक खाओ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) मिना से रवानगी के बाद ज़ैतून के तेल से रोटी खाते थे क्योंकि वो कुर्बानी का गोश्त न खा सकते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ाही बाब 16)

नोट : उलमा में से एक गिरोह ने इसी हदीष पर अमल किया है और उनके नज़दीक कुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा रखना हराम है लेकिन जुम्हूर (अधिकांश) उलमा के नज़दीक ये हदीष मन्सूख़ (रद्द) है और गोश्त को ज़्यादा दिन रखना और ज़ख़ीरा (संग्रह) करना जाइज़ है। (अज़ नववी रह.)

1288. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि कुर्बानी का कुछ गोश्त हम नमक लगाकर रख लिया करते थे उसके बाद ये गोश्त नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में मदीना में पेश करते। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कुर्बानी का गोश्त सिर्फ़ तीन तक खाओ। लेकिन ये कोई ताकीदी हुक्म नहीं था बल्कि आप (ﷺ) का मक़्सद ये था कि ये गोश्त लोगों (मुस्तहिक़्क़ीन) को खिलाया जाए, और अल्लाह बेहतर जानता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ाही बाब 16)**

नोट : इस हदीष से मा'लूम होता है कि कुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा रखना मना नहीं है अलबत्ता इसमें से सदक़ा देना चाहिये और खाना भी चाहिये। उलमा ने कहा है कि एक तिहाई ख़ुद खाए, एक तिहाई सदका दे और एक तिहाई दोस्तों में बाँटे। एक क़ौल ये है कि आधा ख़ुद खाए और आधा ख़ैरात करे। कुर्बानी के गोश्त का खाना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। (अज़ नववी रह.)

1289. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि पहले हम अपनी कुर्बानियों का गोश्त मिना में तीन दिन से ज़्यादा नहीं खाते थे। उसके बाद नबी करीम (ﷺ) ने इजाज़त दे दी और फ़र्माया कि खाओ भी और ज़ख़ीरा भी करो। चुनाँचे हमने खाया भी और जमा भी किया।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 124)

1290. हदीष सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : हज़रत सलमा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कुर्बानी करे उसे चाहिए कि तीन दिन के बाद उसके घर में उस गोश्त में कुछ मौजूद न हो लेकिन फिर आइन्दा साल लोगों ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या इस साल भी हम वही करें जो गुज़िश्ता साल किया था? (या'नी गोश्त ख़त्म कर दें?) आपने फ़र्माया खाओ, मुस्तहिक़ लोगों

को खिलाओ और ज़ख़ीरा भी करो। उस साल (गुज़िश्ता साल) लोग तक्लीफ़ मे थे इसलिये मैंने चाहा था कि तुम उनकी मदद करो (और गोश्त तक़्सीम कर दो ताकि उनकी तंगी दूर हो, इसलिये जमा करने से मना किया था)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ाही बाब 16)

बाब 6 : फ़रअ और अतीरह का बयान

1291. हदीस अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़रअ और अतीरह दोनों बातिल हैं। (रावी कहते हैं कि) फ़रअ से मुराद ऊँट का पहला बच्चा है जो बुतों के नाम पर कुर्बान किया जाता था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अक़ीक़ा बाब 3)**

नोट : अतीरह से मुराद वो ज़बीहा (कुर्बानी) है जो रजब के पहले अशरे में किया जाता था और उसे रजबी भी कहते थे। फ़रअ के मुता'ल्लिक़ एक क़ौल यह है कि जिस शख़्स के पास सौ ऊँट पूरे हो जाते तो वो उसके बाद पहले पैदा होने वाले बच्चे को बुतों (मूर्तियों) के नाम पर कुर्बान करता था। ये दोनों जाहिलियत के ज़माने की मुशरिकाना रस्में थीं। नबी करीम (ﷺ) ने इनसे मना फ़माते हुए कहा कि इन दोनों की कोई अस्ल नहीं और ये बातिल हैं। अगर कोई शख़्स शुक्राने के तौर पर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना चाहे तो जाइज़ है। (अज़ नववी रह.)

किताबुल अश्रबा

पीने की चीज़ों के अह़काम व मसाइल

बाब 1 : शराब की हुर्मत का बयान; शराब कच्ची पकी खजूर, अंगूर और किशमिश से बनाइ जाती थी

1292. ह़दीष़ अ़ली (रज़ि.) : ह़जरत अ़ली (रज़ि.) का बयान है कि मेरे पास एक ऊँटनी थी जो मुझे ग़ज़व-ए-बद्र के माले ग़नीमत में से मिली थी और एक ऊँटनी मुझे नबी करीम (ﷺ) ने ख़ुमुस (अपने पाँचवें हिस्से) में से अ़त़ा की थी। चुनाँचे जब मैंने ह़ज़रत फ़ाति़मा (रज़ि.) बिन्ते मुह़म्मद (ﷺ) को रुख़्स़ती कराकर घर लाने का इरादा किया तो बनी क़ैनक़ाअ़ के एक सुनार से तै किया कि वो मेरे साथ चले और हम जाकर अज़ख़र घास ले आएँ। मेरा इरादा ये था कि अज़्ख़र सुनारों के हाथ बेच दूँगा और जो रक़म ह़ासि़ल होगी उससे अपनी शादी के वलीमे का इंतिज़ाम करूँगा। उस दौरान में मैं अपनी उन ऊँटनियों के लिये मुतअ़ल्लिक़ा सामान अज़ क़बीले, क़जावा, घास रखने का जाल और रस्सियाँ वग़ैरह जमा कर रहा था और मेरी ये दोनों ऊँटनियाँ एक अन्स़ारी के घर के पास बैठी हुई थीं। जब मैं ये सामान लेकर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी ऊँटनियों के कोहान (कूबड़) काट लिये गए हैं और उनके कूल्हे चीरकर उनकी कलेजियाँ निकाल ली गईं है। ये मन्ज़र देखकर मुझे अपनी आँखों पर क़ाबू न रहा (शिद्दते ग़म से आंसू आ गए) और मैंने पूछा कि ये कार्रवाई किसने की है? लोगों ने बताया कि ह़ज़रत ह़म्ज़ा बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब ने। ह़ज़रत ह़म्ज़ा उसी घर में कुछ अंस़ारियों के साथ बैठे शराब पी रहे थे।

चुनाँचे मैं सीधा नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ, उस वक़्त आप (ﷺ) के पास ह़ज़रत ज़ैद बिन ह़ारिष़ा (रज़ि.) बैठे हुए थे। नबी करीम (ﷺ) ने मेरे चेहरे से मेरी दिली कैफ़ियत का अंदाज़ा लगाते हुए पूछा, ये क्या ह़ालत बना रखी है? मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे जितनी तकलीफ़ आज पहुँची है पहले कभी नहीं पहुँची। ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) ने मेरी ऊँटनियों पर दस्तदराज़ी की, उनके कोहान काट डाले और उनके कूल्हे चीर दिये और वो क़रीब ही एक घर में कुछ लोगों के साथ बैठे शराब पी रहे हैं। ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने अपनी चादर मंगवाकर ओढ़ी और चल पड़े। मैं और ज़ैद बिन ह़ारिष़ा (रज़ि.) आप (ﷺ) के साथ थे। आप (ﷺ) ने उस घर पर पहुँचकर अन्दर आने की इजाज़त तलब की जिस घर में ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) शराबनोशी में मशग़ूल थे। उन लोगों ने आप (ﷺ) को आने की इजाज़त दे दी, अन्दर पहुचकर आप (ﷺ) ने देखा कि वे लोग शराब पीने में मशग़ूल हैं तो आप (ﷺ) ह़म्ज़ा (रज़ि.) को उनकी इस हरकत पर मलामत करने लगे मगर ह़ज़रत ह़म्ज़ा (रज़ि.) की आँखें सुर्ख़ हो रही थीं और वो बदमस्त थे। उसी ह़ालत में उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ नज़र डाली, फिर नज़र उठाकर आप (ﷺ) के घुटनों को देखा, फिर और ऊपर की तरफ़ आप (ﷺ) की नाफ को देखा। फिर मज़ीद नज़र ऊँची की और आप (ﷺ) के चेहरे मुबारक को देखा। उसके बाद कहा, तुम लोग क्या हो? वही न, जो मेरे

बाप के गुलाम थे। ये कैफ़ियत देखकर आप (ﷺ) समझ गए कि हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) नशा में बदमस्त हैं, चुनाँचे आप (ﷺ) वहाँ से उलटे पांव लौट आए और हम भी आप (ﷺ) के साथ ही वहाँ से निकल आए।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 1)

नोट : ये उस दौर की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। इसी वजह से हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) से नशे की हालत में जो काम सरज़द हुए उस पर उनकी पकड़ नहीं की गई। बहुत मुमकिन है कि बाद में उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) को उन ऊँटों का जुर्माना अदा कर दिया हो। (अज़ नववी रह.)

एक और बात जो इस हदीष से पता चलती है, वो यह कि शराब के नशे में आदमी को यह होश नहीं रहता कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है? नशे में आदमी ऊल–जलूल तो बकता ही है बल्कि छोटे–मोटे एहसान भी गिनाने लगता है और अपने आप पर व अपने कुनबे–क़बीले पर घमण्ड करने लगता है। यहाँ तक कि वो अपने भाई की भी भाई समझकर इज़्ज़त नहीं करता।

1293. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते है कि मैं हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के घर में लोगों को शराब पिला रहा था। उस ज़माने में लोग खजूर की शराब इस्ते'माल करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने एक ऐलान करने वाले को हुक्म दिया कि ऐलान कर दे, लोगों! ख़बरदार हो जाओ!! शराब हराम कर दी गई है। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मुझसे हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा कि जाओ शराब को बाहर जाकर बहा दो। चुनाँचे मैंने घर से बाहर जाकर शराब को बहा दिया। फिर शराब मदीना की गलियों में बहने लगी। उस मौक़े पर कुछ लोगों ने कहा, वो लोग तबाह हो गए जिनके पेट में शराब मौजूद थी, तो अल्लाह ने ये आयते करीमा नाज़िल फ़र्माई, **लैष अलल् लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति** .... तर्जुमा **जो लोग ईमान ले आए, और नेक अमल करने लगे उन्होंने पहले जो कुछ खाया–पिया था उस पर कोई गिरफ़्त नहीं बशर्ते कि वो आइन्दा उन चीज़ों से बचे रहें जो हराम की गई हैं और ईमान पर षाबित क़दम रहें और अच्छे काम करें।** (अल माइदा : 93)

(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 21)

बाब 5 : खजूर और अंगूर को मिलाकर भिगोना मकरूह है

1294. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अंगूर और खजूर और कच्ची–पक्की खजूरों (को मिलाकर भिगोने और नबीज़ बनाने) से मना फ़र्माया है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 11)

नोट : इन दोनों को इकट्ठा भिगोने से नशा जल्दी पैदा हो जाता है और पीने वाला ये ख़याल करता है कि अभी ख़मीर नहीं उठा होगा, इसलिये वो मुग़ालते में (भूलवश) पी लेता है, जबकि हक़ीक़त में नशा पैदा हो चुका होता है।

1295. हदीषे अबू क़तादा (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने गदरी खजूर और पुख़्ता खजूर को, और खजूर और अंगूर को नबीज़ के लिये मिलाकर भिगोने से मना किया है और आप (ﷺ) का इर्शाद है कि नबीज़ बनाने के लिये उन चीज़ों में से हर एक को अलग–अलग भिगोया जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 11)

बाब 6 : रोग़नी मर्तबान, कद्दू के तूम्बे, सब्ज़ (हरे) लाखी घड़े और लकड़ी के बर्तनों में नबीज़ बनाने की शुरू में मुमानअत थी, जो बाद में मन्सूख़ हो गई और अब अगर उन बर्तनों में नशा पैदा करने की ख़ासियत न आ जाए तो उनका इस्ते'माल जाइज़ है

1296. हदीषे अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कद्दू के तूम्बे और रोग़नी मर्तबान में नबीज़ न बनाया करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 4)**

1297. हदीषे अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने दुब्बाअ (कद्दू के तूम्बे) और मुज़फ़्फ़त (रोग़नी मर्तबान) के इस्ते'माल से मना किया है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 8)**

1298. हदीषे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) : इब्राहीम (रह.) रिवायत करते हैं कि मैंने अस्वद (रह.) से पूछा, क्या आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा था किन बर्तनों में नबीज़ बनाना मना है? वो कहने लगे, हाँ मैंने सवाल किया था कि ऐ उम्मुल मोमिनीन! नबी करीम (ﷺ) ने किन–किन बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना करते थे? आपने फ़र्माया, नबी करीम (ﷺ) ने हमको कद्दू के तूम्बे और रोग़नी (चिकनी) मिट्टी के मर्तबान में नबीज़ बनाने से मना फ़र्मा दिया था। (इब्राहीम रह. कहते हैं कि) मैंने कहा, क्या हज़रत आइशा (रज़ि.) ने घड़े और लाखी बर्तन का ज़िक्र नहीं किया? अस्वद (रह.) ने कहा, कि मैंने तुमसे वही कुछ बयान किया है जो सुना था, क्या मैं कोई ऐसी बात बयान करूँ जो मैंने नहीं सुनी? **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 8)**

1299. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, और मैं तुमको मना करता हूँ कद्दू के तूम्बे, सब्ज़ लाखी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन और रोग़नी मर्तबान से (या'नी इन बर्तनों में नबीज़ बनाने से, क्योंकि इन्हीं बर्तनों में शराब तैयार की जाती थी और शराब की हुर्मत के बाद इन बर्तनों के इस्तेमाल से मना कर दिया गया)।

1300. हदीषे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ने शराब पीने के बर्तनों के इस्ते'माल से मना किया तो आप (ﷺ) से अर्ज़ किया गया कि (बर्तन कम दस्तयाब हैं) हर शख़्स को बर्तन मुहय्या नहीं हो सकता तो आप (ﷺ) ने उन्हें ऐसा मटका इस्ते'माल करने की इजाज़त दे दी जो रोग़नदार (तैलीय) न हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 8)**

बाब 7 : हर नशावर चीज़ ख़म्र है और ख़म्र हराम है

1301. हदीषे आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मशरूब (पीने की चीज़) जो नशा पैदा करती है, वो हराम है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 71)

1302. हदीष अबू मूसा व मुआज़ (रज़ि.) : नबी करीम (ﷺ) ने जब हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) और हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को यमन (का वाली बनाकर) भेजा तो फ़र्माया, आसानी पैदा करना और लोगों के लिये तंगी न पैदा करना, खुशखबरी देना और नफ़रत न पैदा करना और आपस में इत्तिफ़ाक़ क़ायम रखना और खुश दिली से रहना। उस मौक़े पर हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे इलाक़े में एक शराब जौ से तैयार की जाती है जिसे मर्ज़ कहते हैं और एक शराब शहद से बनाई जाती है जिसे बतअ कहा जाता है (उनका क्या हुक्म है?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नशावर चीज़ हराम है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 6)**

नोट : **इस हदीष में मर्ज़ नामी जिस मशरूब (पेय पदार्थ) का ज़िक्र किया गया है, वो तक़रीबन वही है जिसे आजकल बीयर कहा जाता है। दूसरी हदीष में ये ज़िक्र मौजूद है कि जिस मशरूब की ज़्यादा तादाद से नशा पैदा होता है, उसकी थोड़ी तादाद भी हराम है।** (अज़ नववी रह.)

बाब 8 : शराबी अगर तौबा किये बग़ैर मर गया तो आख़िरत में शराबे तहूर से महरूम रहेगा

1303. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने दुनिया में शराब पी और उसके बाद उसने तौबा न की वो आख़िरत में शराबे तहूर (जन्नत की शराब जिसमें नशा न होगा, उस) से महरूम रहेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 1)**

बाब 9 : जिस नबीज़ में तेज़ी न आई हो और नशा भी न पैदा हुआ हो वो हलाल है

1304. हदीष सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू उसैद साएदी (रज़ि.) ने अपनी शादी में नबी करीम (ﷺ) की दअवत की। उस दिन उनकी बीवी जो दुलहन थी, ख़ुद ही उनके घर में काम कर रही थी। हज़रत सहल (रज़ि.) कहते हैं कि तुमको मा'लूम है कि उसने नबी करीम (ﷺ) को क्या पिलाया था? रात को उसने खजूरें पानी में भिगो दी थीं, फिर जब आप (ﷺ) खाना खा चुके तो उसने आप (ﷺ) को यही नबीज़ पिलाया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 71)**

1305. हदीष सहल (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हज़रत अबू उसैद (रज़ि.) ने शादी की तो नबी करीम (ﷺ) और सहाबा किराम (रिज़.) की दअवत की और उस मौक़े पर जो खाना तैयार किया गया और मेहमानों को पेश किया गया वो ख़ुद अबू उसैद (रज़ि.) की दुल्हन उम्मे उसैद (रज़ि.) ने तैयार और पेश किया था। उसने पत्थर के एक घड़े में रात को खजूरें भिगों दी थीं, जब नबी करीम (ﷺ) खाने से फ़ारिग़ हो गए तो उसने यही खजूरें मलकर और पानी में घोलकर आपको पिलाई थीं और ये शरबत बतौरे ख़ास आप (ﷺ) को पेश किया गया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 77)**

1306. हदीष सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से अरब की एक औरत (की ख़ूबियों) का ज़िक्र किया गया तो आप (ﷺ) ने हज़रत अबू उसैद (रज़ि.) को हुक्म दिया कि उसको (आप ﷺ की तरफ़ से निकाह का) पैग़ाम दें। **चुनाँचे हज़रत अबू उसैद (रज़ि.) ने उसे पैग़ाम दिया और उसने (मदीना में) आकर बनी साएदा की गढ़ी में क़ियाम किया। फिर नबी करीम (ﷺ)**

वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस औरत को देखा तो वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपना सर झुका रखा था और जब आप (ﷺ) ने उससे बातचीत की तो वो बोली, मैं आपसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तुझको ख़ुद से बचा दिया (जा चली जा)। लोगों ने उससे कहा, तुझे मा'लूम है तू किससे मुख़ातिब (सम्बोधित) थी? कहने लगी, नहीं! मुझे नहीं मा'लूम। उसे बताया गया कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) थे और तेरे साथ मंगनी के इरादे से तशरीफ़ लाए थे। कहने लगी, मैं सख़्त बदबख़्त हूँ तब ही तो मेरे मुँह से ऐसी बात निकली। फिर उस दिन नबी करीम (ﷺ) जब वापस तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) सक़ीफ़ा बनी साअ़दा में आकर बैठे और मुझे मुख़ातब करके फ़र्माया, ऐ सहल (रज़ि.)! हमें कुछ पिलाओ, तो मैंने ये प्याला निकाला और उसमें उन सबको पिलाया। रावी कहते हैं कि हज़रत सहल (रज़ि.) ने वो प्याला निकालकर हमें दिखाया और हम सबने उसमें (तबर्रुकन) पानी पिया। उसके बाद वो प्याला हज़रत सहल (रज़ि.) से हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रज़ि.) ने मांग लिया था और आपने उन्हें अ़ता कर दिया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 3)**

नोट : इस हदीष से ये षाबित होता है कि निकाह के रिश्ते इन्सान के चाहने से नहीं होते बल्कि शादी अल्लाह के यहाँ मुक़र्ररकर्दा अम्र है। जिस औरत के नसीब में हज़रत मुहम्मद (ﷺ) जैसा शख़्स नहीं लिखा था, उसने सर उठाकर देखने तक की ज़हमत नहीं की और अल्लाह की पनाह तलब करके हमेशा के लिये आप (ﷺ) को खो दिया। बाद में जब उसको पता चला तो वो पछताईं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होना था।

बाब 10 : दूध पीने का जवाज़

1307. हदीष अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) : अबू इस्हाक़ (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत बराअ (रज़ि.) से सुना हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए और सुराक़ा बिन जअशम ने आप (ﷺ) का पीछा किया और आप (ﷺ) ने उसे बद्दुआ दी और उसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया तो उसने आप (ﷺ) से गुज़ारिश की कि आप (ﷺ) मेरे लिये अल्लाह से दुआ कीजिए (कि वो मुझे इस मुसीबत से नजात दे) और मैं आप (ﷺ) को कोई नुक़्सान नहीं पहुँचाऊँगा तो आप (ﷺ) ने उसके लिये दुआ फ़र्माई। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को प्यास महसूस हो रही थी कि हमारा गुज़र एक गडरिये के पास से हुआ और मैंने एक प्याला लेकर उसमें आप (ﷺ) के लिये थोड़ा सा दूध दुह लिया और वो लेकर आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) ने दूध पी लिया जिससे मेरा जी खुश हो गया।

(सहीह बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्सार बाब 45)

1308. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि शबे मेअराज नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में बैतुल मक़दिस में दो प्याले लाए गए जिनमें से एक में शराब थी और दूसरे में दूध। आप (ﷺ) ने दोनों प्यालों को देखा और दूध का प्याला ले लिया तो हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा, शुक्र है अल्लाह का जिसने फ़ितरत की तरफ़ आप (ﷺ) की रहनुमाई फ़र्माई (या'नी आप ﷺ को ऐसी चीज़ उठाने की तरफ़ रहनुमाई फ़र्माई जो इंसानी फ़ितरत से मुनासिबत रखती है)। अगर आप (ﷺ) शराब का प्याला उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़सीर सूरह बनी इस्राईल बाब 17)**

बाब 11 : नबीज़ पीने और बर्तन को ढांकने का बयान

1309. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक अन्सारी जिनका नाम अबू हमीद (रज़ि.) था मक़ामे नक़ीअ से नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में दूध का एक प्याला लाए तो नबी करीम (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, तुम इसे ढांककर क्यों नहीं लाए, ख़्वाह उस पर लकड़ी का एक टुकड़ा रख देते (और उसी से ढंक देते)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 12)**

बाब 12 : बर्तन को ढांकने, मश्क का मुँह बन्द करने, दरवाज़ों को बन्द रखने, सोते वक़्त चिराग़ और आग को बुझाने और मग़रिब के बाद बच्चों और जानवरों को (घर में) रोककर रखने की हिदायत

1310. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब रात की आमद हो या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब शाम का वक़्त हो जाए तो बच्चों को घरों में रोक लो (घर से बाहर न निकलने दो) क्योंकि शैतान उस वक़्त हर तरफ़ फैल जाता है और जब एक पहर रात गुज़र जाए तो उन्हें आज़ाद कर दो और अल्लाह का नाम लेकर (बिस्मिल्लाह पढ़कर) दरवाज़े बन्द कर दो क्योंकि शैतान बन्द दरवाज़े को नहीं खोल सकता। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 15)**

1311. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सोते वक़्त अपने घरों में आग जलती न छोड़ो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 49)**

1312. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मदीना में रात के वक़्त अहले ख़ाना (घरवालों) की मौजूदगी में एक घर आग से जल गया जब उस हादषे की ख़बर नबी करीम (ﷺ) को हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये आग तुम्हारी दुश्मन है इसलिये जब सोने लगो तो आग बुझा दिया करो।
(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 49)

बाब 13: खाने–पीने के आदाब और अहकाम

1313. हदीष उमर बिन अबी सलमा (रज़ि.) : हज़रत उमर बिन अबी सलमा बयान करते हैं कि मैं बच्चा था और नबी करीम (ﷺ) के ज़ेरे निगरानी परवरिश पा रहा था **(उमर बिन अबी सलमा की वालिदा हज़रत उम्मे सलमा रज़ि. थीं जो बाद में उम्मुल मोमिनीन बनीं)** और खाते वक़्त मेरा हाथ प्याले में हर तरफ़ घूमा करता था, तो नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, ऐ लड़के! बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाहिने हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ। आप (ﷺ) के इस इर्शाद के बाद से मेरे खाने का अंदाज़ हमेशा उसी के मुताबिक़ रहा है।
(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमह बाब 2)

1314. ह़दीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मश्क को उलटा करके उसके मुँह से मुँह लगाकर पानी पीने से मना फ़र्माया है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 23)

बाब 15 : आबे ज़मज़म खड़े होकर पीने का बयान

1315. ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को आबे ज़मज़म पिलाया और आप (ﷺ) ने वो पानी खड़े-खड़े पिया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ह़ज्ज बाब 74)**

बाब 16 : पानी पीते वक़्त बर्तन के अंदर सांस छोड़ना मकरूह है और बर्तन से मुँह हटाकर तीन बार सांस लेना मुस्तह़ब है

1316. ह़दीष़ अबू क़तादा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स़ पानी पिये तो बर्तन के अंदर सांस न छोड़े। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 18)**

1317. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : षुमामा बिन अ़ब्दुल्लाह (रह.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बर्तन से पानी पीते वक़्त तीन बार सांस लिया करते थे और आप बयान करते थे कि नबी करीम (ﷺ) भी (पानी पीते वक़्त) तीन बार सांस लिया करते थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 26)**

बाब 17 : पानी, दूध या इसी तरह़ की दीगर चीज़ों की तक़्सीम दाहिनी त़रफ़ से शुरू की जाए

1318. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) हमारे घर तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने पीने के लिये पानी त़लब किया तो हमने अपनी एक बकरी का दूध निकाला और उसमें अपने इस कुँए का पानी मिलाया और आप (ﷺ) की ख़िदमत में पेश कर दिया। उस मौक़े पर ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आप (ﷺ) से बाँए जानिब थे, ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) सामने और एक देहाती आप (ﷺ) से दाईं त़रफ़ था। जब आप (ﷺ) उसमें से पी चुके तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि अबूबक्र (रज़ि.) को दीजिए, लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने देहातीको दिया; फिर फ़र्माया, पहले दाईं जानिब वाले को, पहले दाँए जानिब वाले को, याद रखो! दाईं जानिब से शुरू करना चाहिए। फिर ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने तीन बार कहा; तो यही या'नी दाँए जानिब से शुरू करना सुन्नत है, दाँए जानिब से शुरू करना सुन्नत है, दाँए जानिब से शुरू करना सुन्नत है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 4)

1319. ह़दीष़ सहल बिन सअ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में किसी ने दूध का प्याला भेजा तो आप (ﷺ) ने उसमें से किसी क़दर ख़ुद पिया। उस वक़्त आप (ﷺ) के दाहिने तरफ़ एक लड़का बैठा हुआ था जो ह़ाज़िरीन में सबसे छोटा था और बड़ी उ़म्र के लोग आप (ﷺ) के बाईं तरफ़ बैठे

हुए थे। लिहाज़ा आप (ﷺ) ने उस लड़के से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, ऐ लड़के! क्या तुम मुझे इजाज़त देते हो कि मैं ये (दूध) बुज़ुर्गों को दे दूँ? वो लड़का कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपके बचे हुए तबर्रुक के सिलसिले में किसी दूसरे के लिये ईषार (त्याग) नहीं कर सकता (किसी दूसरे को ख़ुद पर तरजीह नहीं दे सकता)। चुनाँचे आप (ﷺ) ने वो दूध उसे दे दिया। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुश्शुर्ब वल मसाक़ात बाब 1)**

बाब 18 : खाने के बाद उँगलियाँ चाटना और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करना नीज़ ज़मीन पर गिरे हुए लुक़्मे से मिट्टी साफ़ करके उसे खाना मुस्तह़ब है

1320. ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स खाना खाए तो उसे चाहिए कि अपने हाथ उस वक़्त तक न पोंछे जब तक अपनी उँगलियों को चाट न ले या चटा न दे। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अतइमा बाब 52)**

बाब 19 : मेहमान के साथ अगर कोई तुफ़ैली लग जाए तो बेहतर ये है कि तुफ़ैली के लिये मेज़बान से इजाज़त त़लब कर ले।

1321. ह़दीष़ अबू मसऊ़द (रज़ि.) : ह़जरत अबू मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक अन्सारी ने जिनकी कुन्नियत अबू शुऐ़ब (रज़ि.) थी अपने गुलाम से जो गोश्त बेचा करता था कहा कि मेरे लिये खाना तैयार करो जो पाँच अफ़राद के लिये काफ़ी हो, मैं नबी करीम (ﷺ) की दअ़वत करना चाहता हूँ (आप ﷺ के अ़लावा चार अफ़राद और होंगे) पाँचवें आप (ﷺ) होंगे क्योंकि मैंने आप (ﷺ) के चेहरे पर भूख के अषरात देखे हैं। चुनाँचे उन स़ाह़ब ने नबी करीम (ﷺ) (और मज़ीद चार अफ़राद) को बुलाया तो उनके साथ एक और शख़्स भी हो लिया। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये शख़्स हमारे साथ आ गया है, तुम चाहो तो उसे इजाज़त दे दो और अगर तुम चाहो तो ये वापस चला जाएगा। उन्होंने अ़र्ज़ किया, नही वापस जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने उन्हें इजाज़त दे दी है।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 21)

बाब 20 : अगर मेज़बान की रज़ामन्दी का पूरा यक़ीन हो तो मेहमान अपने साथ दूसरे शख़्स को भी खाने पर ले जा सकता है और मिलकर खाना खाना मुस्तह़ब है

1322. ह़दीष़ जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि जिन दिनों ख़न्दक़ खोदी जा रही थी, मैंने नबी करीम (ﷺ) को सख़्त भूख की ह़ालत में देखा तो मैं अपनी बीवी के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारे पास (खाने के लिये) कुछ है? क्योंकि मैंने देखा है कि नबी करीम (ﷺ) सख़्त भूख की ह़ालत में हैं। उसने एक थैला निकाला जिसमें एक स़ाअ़ जौ थे और हमारे पास बकरी का एक पला हुआ बच्चा था। मैंने उसे ज़िब्ह़ किया और मेरी बीवी ने जौ का आटा तैयार किया और हम दोनों जल्दी-जल्दी उन कामों से फ़ारिग़ हुए, फिर मैंने गोश्त काटकर हण्डिया में डाल दिया और लौटकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में जाने लगा तो मेरी बीवी ने कहा, (खाना कम है ज़्यादा आदमी लाकर) मुझे नबी करीम (ﷺ) और उनके अस्ह़ाब (रज़ि.) के सामने रुस्वा न करना, चुनाँचे मैंने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर होकर राज़दाराना त़रीक़े से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमने एक बकरी का बच्चा ज़िब्ह़ किया है और एक स़ाअ़ जौ हमारे पास थे उनका आटा बनाया

है। लिहाज़ा आप (ﷺ) और आप (ﷺ) के साथ चन्द लोग तशरीफ़ ले चलें। ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने बआवाज़े बुलन्द पुकारकर फ़र्माया, ऐ ख़न्दक़ वालों! जाबिर ने तुम्हारे लिये खाना पकाया है। लिहाज़ा सब आओ तुम्हारी सबकी दअ़वत है और नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, जब तक मैं न पहुँच जाऊँ हण्डिया को चूल्हे से न उतारना और न आटे की रोटी पकाना। चुनाँचे मैं अपने घर की तरफ़ चल दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी लोगों को साथ लिये उनके आगे–आगे चलते हुए तशरीफ़ ले आए। जब मैं अपनी बीवी के पास आया तो वो कहने लगीं, अब तेरी ही रुस्वाई होगी और तेरे बारे में ही लोग बातें बनाएँगे। मैंने कहा, तुमने जो कुछ कहा था मैंने वही किया था (या'नी मैंने आप (ﷺ) से सारी सूरतेहाल अ़र्ज़ कर दी थी, लेकिन आप ﷺ सब लोगों को साथ लेकर तशरीफ़ ले आए) मेरी बीवी ने आप (ﷺ) के सामने आटा पेश किया। नबी करीम (ﷺ) ने उसमें अपना लुआबे–दहन डाला और बरकत की दुआ फ़र्माई। फिर हमारी हण्डिया की तरफ़ मुतवज्जह हुए और उसमें भी लुआबे दहन डाला और दुआ–ए–बरकत फ़र्माई। फिर फ़र्माया, रोटी पकाने वाली को बुलाओ। जो साथ के साथ रोटी पकाती जाए और हण्डिया में से प्यालों में डालते जाओ और उसे चूल्हे से नीचे न उतारना। उस वक़्त लोगों की तअ़दाद एक हज़ार थी और मैं अल्लाह की क़सम खाकर कहता हूँ कि सबने सैर होकर खा लिया बल्कि बचा दिया और जब ये लोग वापस गए तो हमारी हण्डिया उसी तरह जोश खा रही थी, जैसे पहले थी और आटे से मुसलसल रोटियाँ तैयार हो रही थीं और वो भी वैसे का वैसा था जैसा पहले था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 29)**

1323. हदीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने हज़रत उम्मे सुलैम से कहा, मैंने नबी करीम (ﷺ) की आवाज़ में कमज़ोरी महसूस की है मेरा ख़याल है कि आप (ﷺ) पर भूख का असर है, क्या तुम्हारे पास (खाने की) कोई चीज़ मौजूद है? हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने कहा, हाँ है। फिर उन्होंने जौ की कुछ रोटियाँ निकालीं और अपनी चादर उठाकर उसके कुछ हिस्से में रोटियाँ लपेट दीं और उन्हें मेरे (हज़रत अनस रज़ि. के) हाथों में पकड़ा दिया और बक़िया चादर मुझे ओढ़ाकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में रवाना कर दिया। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब मैं वो रोटियाँ लेकर पहुँचा तो आप (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे और आप (ﷺ) के पास और लोग भी मौजूद थे। मैं जाकर उन लोगों के पास खड़ा हो गया। नबी करीम (ﷺ) ने पूछा, तुमको अबू तलहा (रज़ि.) ने भेजा है? मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! फ़र्माया, खाने के लिये? मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! नबी करीम (ﷺ) ने ये सुनकर सब लोगों से जो हाज़िर थे फ़र्माया, उठो! चुनाँचे आप (ﷺ) भी रवाना हुए और मैं भी आप (ﷺ) के आगे–आगे चलकर हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के पास पहुँचा और उनके सूरतेहाल से मुत्तलअ़ (सूचित) किया। हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, ऐ उम्मे सुलैम (रज़ि.)! नबी करीम (ﷺ) लोगों को साथ लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे पास इस क़दर खाना नहीं है जो सबको खिलाया जा सके। हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं।

फिर अबू तलहा (रज़ि.) भी (अपने घर से) रवाना हुए और नबी करीम (ﷺ) से (रास्ते में) आ मिले और **हज़रत नबी करीम (ﷺ) अबू तलहा (रज़ि.) को साथ लिये उनके घर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, ऐ उम्मे सुलैम (रज़ि.)! जो कुछ तुम्हारे पास है ले आओ, चुनाँचे उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने वही रोटियाँ लाकर पेश कर दीं। नबी करीम (ﷺ) के हुक्म से रोटियों के टुकड़े तोड़े गए और उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने उस पर घी डाल दिया, ये गोया सालन था। फिर नबी करीम (ﷺ) ने उस पर पढ़ा जो अल्लाह ने चाहा और फ़र्माया, दस आदमियों को (खाने पर) बुलाओ। चुनाँचे दस अफ़राद को बुलाया गया और उन्होंने ख़ूब सैर होकर (भरपेट) खाया और चले गए। उसके बाद आप (ﷺ) ने और दस आदमियों को बुलाने का हुक्म दिया। मज़ीद दस आदमियों को बुलाया गया, वो आए और ख़ूब सैर होकर खाकर चले गए**

आप (ﷺ) ने फिर मज़ीद दस आदमियों को बुलाने का हुक्म दिया। मज़ीद दस आदमियों को बुलाया गया, वो भी ख़ूब सैर होकर खाकर चले गए। आपने फिर मज़ीद दस आदमियों को बुलाने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि सब लोगों ने उसी तरह शिकमसैर होकर (पेट भर) खाना खाया और ये सब कोई सत्तर या अस्सी अफ़राद थे। (सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)

बाब 21 : शोरबा खाना जाइज़ और कद्दू का खाना मुस्तहब है

1324. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दर्ज़ी ने खाना तैयार किया और नबी करीम (ﷺ) की दअवत की। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि उस खाने पर मैं भी नबी करीम (ﷺ) के साथ गया। उस शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में रोटियाँ, कद्दू का शोरबा और भुना हुआ गोश्त पेश किया। मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा कि आप (ﷺ) प्याले के अतराफ़ (किनारों) में से कद्दू तलाश करके खा रहे थे। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि उस दिन के बाद से मैं हमेशा कद्दू को पसन्द करता हूँ।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ 34 बाब 30)

बाब 23 : ककड़ी और खजूरों को मिलाकर खाने का बयान

1325. हदीष अब्दुल्लाह बिन जा'फ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को खजूर और ककड़ी को मिलाकर खाते हुए देखा था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमा बाब 39)

नोट : कद्दू और ककड़ी मिलाकर खाने में हिकमत ये है कि ये दोनों एक दूसरे की ख़ामियाँ दूर करने वाली हैं और आपस में मिलकर एक मो'तदिल ग़िज़ा (संतुलित आहार) बन जाती है, साथ ही दोनों में मौजूद नुक्सानदेह अषरात दूर हो जाते हैं। ककड़ी प्यास में राहत देती है, मुक़व्वी (ठोस) है और पेट की गर्मी को दूर करती है और ये जिल्द (त्वचा) निखारती है। खजूर पेट की सर्दी को दूर करती है, ये प्यास लगाती है, इससे जिल्द खुर्द होती है और ख़ून में हिद्दत (गर्मी) पैदा करती है और सरदर्द का कारण बनती है। गोया इस तरह दोनों एक–दूसरे से विपरीत प्रभाव रखने वाली हैं और मिलकर जिस्म के लिये मुफीद (लाभदायक) बन जाती हैं।

बाब 25 : जब बहुत से लोग एक दस्तरख़्वान पर खा रहे हों तो ये जाइज़ नहीं कि कोई शख़्स दूसरों की इजाज़त के बग़ैर खजूर या दूसरी चीज़ एक निवाले में दो–दो लेकर खाए

1326. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत जबला (रह.) बयान करते हैं कि हम चन्द इराक़ियों के साथ मदीना में ठहरे हुए थे कि हमें क़हत (अकाल) से दोचार होना पड़ा। उन दिनों हज़रत इब्नुज़्ज़ुबैर (रज़ि.) हमें खजूरें खिलाया करते थे (एक बार) हम खा रहे थे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हमारे पास से गुज़रे और उन्होंने कहा, नबी करीम (ﷺ) ने दो–दो खजूरें मिलाकर खाने से मना किया है, ऐसा न करो। ये सिर्फ़ उस सूरत में जाइज़ है जब कोई शख़्स अपने साथियों से इजाज़त हासिल कर ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 14)**

बाब 27 : मदीने की खजूरों की फ़ज़ीलत

1327. ह़दीष़ सअ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, जो शख़्स़ सुबह़ के वक़्त सात अ़दद (मदीना की) खजूरें खा ले उसे उस दिन किसी क़िस्म का ज़हर और जादू नुक़्सान नहीं पहुँचा सकता। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 52)**

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इस हदीष़ में जिन ख़जूरों का ज़िक्र हुआ है वे बिल्ख़ुसूस़ अजवा ख़जूर है। इस क़िस्म की खजूर रोज़ाना सात नग खाने से बयान किये हुए फ़ायदे हासिल होते हैं। ऐसा क्यों है; ये बहष़ का विषय नहीं है; ये ग़ैब के उमूर में से हैं और हमारा काम इतना ही है कि चूँकि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इसके फ़ायदे बयान किये हैं, इसलिये उस पर यक़ीन रखें क्योंकि आप (ﷺ) ने सच के सिवा कभी कुछ नहीं कहा।

बाब 28 : खुम्ब (या खुम्बी) की फ़ज़ीलत और उसके ज़रिये से आँख का इ़लाज

1328. ह़दीष़ सईद बिन ज़ैद (रजि.) : ह़ज़रत सईद बिन ज़ैद (रजि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, खुम्बी (मशरूम) मन्न की क़िस्म है और उसका पानी आँख की बीमारियों के लिये शफ़ा है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह बक़रह)

नोट : मन्न वो खाना है जो अल्लाह तआ़ला ने बनी इस्राईल के लिये आसमान से नाज़िल किया था। खुम्बी को मन्न की तश्बीह (उपमा) इसलिये दी गई है कि खुम्बी भी मन्न की तरह बग़ैर मेहनत के और बग़ैर बीज बोये हासिल होती है। इसका पानी आँखों के बारे में इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि कुछ बीमारियों में ये ख़ालिस़ (शुद्ध) पानी फ़ायदा देता है और कुछ बीमारियों में दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुफ़ीद (लाभप्रद) होने का मुशाहदा (अनुभव) मैंने ख़ुद किया है कि हमारे वक़्त के शैख़े—कामिल जनाब अ़ब्दुल्लाह दमिश्क़ी नाबीना (अंधे, नैत्रहीन) थे; उन्होंने इस हदीष़ पर ऐतक़ाद (भरोसा) व यक़ीन रखते हुए अपनी आखों में ख़ालिस़ खुम्बी का पानी इस्तेमाल किया और अल्लाह तआ़ला ने उनकी बीनाई (आँखों की रोशनी) लौटा दी। ये एक मशहूर वाक़िया है।

बाब 29 : करीर के दरख़्त के पके हुए फल (पीलू) की फ़ज़ीलत

1329. ह़दीष़ जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ मिलकर करीर के पेड़ का फल पीलू चुना करते थे और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था, स्याह (काले) रंग के चुनो, क्योंकि स्याह रंग का फल अच्छा होता है। लोगों ने आप (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) बकरियाँ चराते रहे हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई नबी ऐसा भी है जिसने बकरियाँ न चराई हों? सब नबी बकरियाँ ज़रूर चराते रहे हैं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 60)**

बाब 32 : मेहमान की खातिरदारी करने और ख़ुद तकलीफ़ उठाकर मेहमान को खिलाने का ष़वाब

1330. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के पास एक शख़्स़ (मेहमान) आया तो आप (ﷺ) ने अपनी अज़्वाजे मुत़ह्हरात को खाने का कहलवाया। उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास पानी के सिवा कुछ नहीं है। फिर आप (ﷺ) ने स़ह़ाबा किराम से पूछा, कौन शख़्स़ इसको मेहमान

बनाता है? एक अन्सारी सहाबी ने अर्ज़ किया, मैं इनकी मेहमानदारी करूँगा। **चुनाँचे ये साहब उस शख़्स को अपने घर लेकर गए और (अपनी बीवी) से कहा, नबी करीम (ﷺ) के मेहमान की ख़ातिर–मदारत करो। वो कहने लगीं, हमारे पास तो सिर्फ़ बच्चों का खाना है (यानी सिर्फ़ इतना खाना है जिससे बच्चों का पेट भर सके)। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम खाना तैयार करो घर में चिराग़ जला दो और बच्चे अगर रात का खाना माँगे तो उन्हें (किसी तरह) सुला देना। चुनाँचे उनकी बीवी ने खाना तैयार किया, चिराग़ जला दिया और बच्चों को (भूखा) सुला दिया। फिर इस अंदाज़ से उठीं गोया चिराग़ की लौ दुरुस्त कर रही हैं और चिराग़ बुझा दिया और (अंधेरे में मुँह चलाकर) दोनों ने मेहमान पर ये ज़ाहिर किया कि वो ख़ुद भी खा रहे हैं। लेकिन दोनों ने ये रात बग़ैर कुछ खाए–पीये गुज़ारी। सुबह के वक़्त जब नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आज जो कुछ तुमने किया है उसको अल्लाह तआला ने पसन्द फ़र्माया और ये आयते करीमा नाज़िल फ़र्माई, व युअषिरूना अला अन्फ़ुसिहिम व लौ कान बिहिम् ख़सासतुन; व मंय्यूक़ शुह्हा नफ़्सिही व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून (तर्जुमा) : और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं ख़्वाह अपनी जगह ख़ुद मोहताज हों। हक़ीक़त ये है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिये गए वही फ़लाह पाने वाले हैं।** (अल हश्र : 9)

(सहीह बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्सार बाब 10)

1331. हदीष अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रजि) : हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि (एक मौक़े पर) नबी करीम (ﷺ) के साथ हम एक सौ तीस अफ़राद थे। आप (ﷺ) ने साथियों से पूछा, क्या तुममें से किसी के पास खाने की कोई चीज़ है? इत्तिफ़ाक़न एक शख़्स के पास एक साअ या उसके लगभग आटा मौजूद था। चुनाँचे वो गूंध लिया गया। फिर एक लम्बा तड़ंगा बिखरे बालों वाला मुश्रिक बकरियाँ हाँकता हुआ आया तो उससे नबी करीम (ﷺ) ने पूछा, बेचोगे या बतौरे अतिया या हिबा दोगे? उसने कहा, बेचूँगा। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उससे एक बकरी खरीदी और उसे ज़िब्ह किया गया और आप (ﷺ) ने कलेजी भूनने का हुक्म दिया। और अल्लाह की क़सम! 130 आदमियों में से एक भी शख़्स ऐसा नहीं बचा जिसको आप (ﷺ) ने उस कलेजी में से एक टुकड़ा न दिया हो। अगर कोई शख़्स मौक़े पर मौजूद था तो उसे उसी वक़्त उसका हिस्सा दे दिया और अगर ग़ैर–हाज़िर था तो उसके लिये बचाकर रख लिया। फिर उसके गोश्त के दो बड़े प्याले भरे गए और सबने इकट्ठे बैठकर खाना खाया और सब सैर हो गए और दो प्याले बच गए जिसे हम ऊँट पर लाद लाए। या जैसा हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने कहा। (रावी को शक है कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ि. ने क्या अल्फ़ाज़ कहे थे)

(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 28)

1332. हदीष अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) : हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि अस्हाबे सुफ़्फ़ा मुफ़्लिस (ग़रीब) लोग थे। (एक मौक़े पर) नबी करीम (ﷺ) ने सहाबा किराम से इर्शाद फ़र्माया, जिस शख़्स के पास दो आदमियों का खाना हो वो अपने साथ तीसरा (अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से एक) खाने वाला ले जाए और जिसके पास चार आदमियों का खाना हो वो पाँचवाँ और जिसके पास पाँच का खाना हो वो (अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से) छठा अपने साथ ले जाए। चुनाँचे हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) अपने साथ तीन अफ़राद को ले गए और नबी करीम (ﷺ) दस अफ़राद को ले गए। हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि (हमारे घर में) मैं था, मेरे वालदैन थे, मेरी बीवी थी और एक ख़ादिम था जो मेरे और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) दोनों के घरों में काम करता था। और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उस दिन नबी करीम (ﷺ) के पास खाना खाया फिर वहीं ठहरे रहे यहाँ तक कि इशा की

नमाज़ पढ़ी गई। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर भी हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) वहीं रुके रहे यहाँ तक कि नबी करीम (ﷺ) ने भी रात का खाना खाया। उसके बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) जब अपने घर तशरीफ़ लाए तो रात काफ़ी गुज़र चुकी थी। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की बीवी ने आपसे पूछा, आपको अपने मेहमानों के पास आने में क्या चीज़ मानेअ (रोकने वाली) रही? हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने बताया, क्या तुमने उन लोगों को अभी तक रात का खाना नहीं खिलाया? कहने लगीं, उन्होंने इंकार कर दिया था कि जब तक आप नहीं आएँगे वो खाना नहीं खाएँगे। बल्कि हमने उन्हें खाना पेश किया था, उन्होंने फिर इंकार कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) कहते हैं कि मैं (हज़रत अबूबक्र रज़ि. की नाराज़गी के डर की वजह से) वहाँ से हट गया और जाकर छुप गया, तो हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने आवाज़ दी कि ओ काहिल, नालायक़! तेरी नाक कटे और बुरा–भला कहा, फिर मेहमानों से मुख़ातब होकर कहा, आप लोग खाना खाएँ, अगरचे ये बे–वक़्त खाना कुछ ज़्यादा ख़ुशगवार न होगा और अल्लाह की क़सम! मैं तो खाना हर्गिज़ न खाऊँगा।

हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) बयान करते हैं, अल्लाह की क़सम! हम उस खाने में से ज्योंही एक लुक़्मा उठाते थे वो नीचे की तरफ़ से बढ़कर पहले से ज़्यादा हो जाता था, और फिर ऐसा हुआ कि सबने शिकमसैर होकर (पेट भर) खाना खा लिया और खाना उससे भी ज़्यादा बच रहा जितना पहले था। चुनाँचे जब उसे हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने देखा कि वो इतने का इतना ही है जिस क़दर पहले था या उससे कुछ ज़्यादा ही है तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ऐ बनी फ़रास की बहन! (हज़रत अबूबक्र की बीवी का नाम उम्मे रुम्मान था और उनका क़बीला बनी फ़रास था) ये क्या मामला है? वो कहने लगीं, मेरी आँखों की ठण्डक (नबी करीम ﷺ) की क़सम! ये तो उस वक़्त पहले के मुक़ाबले में तीन गुना ज़्यादा है। चुनाँचे उसमें से हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसमें से एक लुक़्मा और खाया और फिर वो खाना आप उठाकर नबी करीम (ﷺ) के पास ले गए और सुबह तक वहीं रहा। हमारे और एक दूसरे क़बीले के बीच एक मुआहदा (समझौता) था जिसकी मियाद (अवधि) गुज़र गई थी तो आप (ﷺ) ने हमको बारह अफ़राद की सरकर्दगी (नेतृत्व) में बारह टोलियों में तक़्सीम कर दिया था और हर शख़्स के साथ काफ़ी आदमी थे। मैं ये नहीं बता सकता कि कुल कितने थे, ये बात अल्लाह बेहतर जानता है कि हर एक के साथ कितने–कितने अफ़राद थे। चुनाँचे उन सबने वो खाना खाया। (रावी कहते हैं) या जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने कहा। (सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ीतिस्सलात बाब 41)

बाब 33 : खाना थोड़ा होने के बावजूद उसमें दूसरे को शरीक करने का षवाब; नीज़ ये कि अगर खाना दो आदमियों को हो और उसमें एक और को शामिल कर लिया जाए तो तीनों के लिये काफ़ी हो जाता है

1333. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दो आदमियों का खाना तीन आदमियों के लिये काफ़ी हो जाता है और तीन आदमियों का खाना चार आदमियों के लिये काफ़ी हो जाता है (अगर मिलकर खाएँ)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमह बाब 11)**

बाब 34 : मोमिन एक आंत में खाता है और क़ाफ़िर सात आंतों में

1334. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन एक आंत में खाता है और काफ़िर या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुनाफ़िक़ सात आंतों में खाता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमह बाब 12)

नोट : इस हदीष में मोमिन के कम खाने पर राज़ी हो जाने और काफ़िर के ज़्यादा खाने का लालची होने की मिषालें बयान की गई है। ज़मख़शरी (रह.) ने लिखा है कि इस हदीष में मोमिन को कम खाने की तर्ग़ीब दिलाई गई है क्योंकि भरपेट खाने से इन्सान पत्थरदिल हो जाता है और उसके दिल पर स्याही (कालिख) छा जाती है और वो हैवानी शहवतों (जानवरों की तरह वासनाओं) के पीछे लग जाता है। इसलिये मोमिन को ज़्यादा खाने से बचना चाहिये। क़स्तलानी (रह.) ने लिखा है, इस बात की ताकीद कि ज़्यादा खाना काफ़िरों का गुण है, इसकी ताईद (पुष्टि) क़ुर्आन मजीद की इस आयत से भी होती है, 'वल्लज़ीन कफ़रू व यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अन्आमु वन्नारु मष्वल्लहुम' (तर्जुमा) **: और कुफ़्र करने वाले दुनिया की चन्द रोज़ा ज़िन्दगी के मज़े लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा-पी रहे हैं और उनका आख़िरी ठिकाना जहन्नम है।** (सूरह मुहम्मद : 12) **तो हदीष का मफ़हूम (भावार्थ) ये हुआ कि मोमिन खाने का लालची नहीं होता, उसके खाने-पीने की मात्रा कम होती है और वो थोड़े पर क़नाअत (संतोष) करता है। जबकि काफ़िर खाने का बेहद लालची होता है, वो ज़्यादा खाता-पीता है, जैसा कि जानवर खाते हैं और वो ऐश करता है। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि नबी करीम (ﷺ) ने ये इर्शाद उस मौक़े पर फ़र्माया था जब आप (ﷺ) ने एक काफ़िर की दअवत की थी और वो सात प्याले दूध पी गया था। लेकिन यही शख़्स जब दूसरे दिन मुसलमान हो गया तो महज़ एक प्याले दूध पर सैर हो गया।**

1335. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स बहुत ज़्यादा खाया करता था फिर वो मुसलमान हो गया और बहुत कम खाने लगा चुनाँचे इस बात का ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) के सामने किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन एक आंत में खाता है और काफ़िर सात आंतों में।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमह बाब 12)

बाब 35 : खाने में ऐब और नुक़्स नहीं निकालना चाहिये

1336. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हर्गिज़ कभी किसी खाने में नुक़्स नहीं निकाला। अगर आप (ﷺ) को रग़बत होती (अच्छा लगता) तो तनावुल फ़र्मा लेते वरना न खाते (लेकिन उसके बारे में नुक्ताचीनी न फ़र्माते और न ऐब निकालते)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)

लिबास और ज़ेबो-ज़ीनत के मसाइल

बाब 1 : सोने और चाँदी के बर्तनों में खाना–पीना मर्द–औरत दोनों के लिये हराम है

1337. हदीष उम्मे सलमा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स चाँदी के बर्तन में पानी पीता है वो हक़ीक़त में अपने पेट के अंदर हर घूंट के साथ जहन्नम की आग उतारता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 28)**

बाब 2 : सोने–चाँदी के बर्तनों के इस्ते'माल का मर्द–औरत दोनों के लिये हराम होना, सोने की अँगूठी और रेशमी लिबास का मर्द के लिये हराम और औरत के लिये जाइज़ होना, नीज़ मर्दों के लिये रेशमी बेल–बूटों वाला कपड़ा इस्तेमाल करने के जवाज़ (जाइज़ होने) की शर्त

1338. हदीष बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते है कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें सात काम करने का हुक्म दिया और सात बातों से मना फ़र्माया, जिन सात बातों के करने का हुक्म दिया वो ये है–

1. मरीज़ की इयादत करना 2. जनाज़े के साथ जाना 3. जिसे छींक आए वो अगर अल्हम्दु लिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यर्हमुकल्लाह कहना 4. दअवत कुबूल करना 5. सलाम को आम करना और फैलाना 6. मज़्लूम की मदद करना 7. और क़सम को पूरा करना।

और जिन सात बातो से मना फ़र्माया वो ये है–

1. सोने की अँगूठी पहनना 2. चाँदी के बर्तन में पानी पीना 3. रेशमी ज़ीनपोश इस्ते'माल करना 4. क़स (जगह का नाम) का बना हुआ कपड़ा इस्ते'माल करना 5. रेशम पहनना 6. दीबाज (मोटा रेशमी कपड़ा) पहनना 7. और इस्तबरक़ (बारीक रेशमी कपड़ा) पहनना। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रिबह बाब 28)**

1339. हदीष हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला (रह.) बयान करते हैं कि हम हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बिन अल यमान (रज़ि.) के पास (बैठे) थे कि आपने पानी माँगा तो आपके लिये एक मजूसी पानी लाया। जब उसने प्याला हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के हाथ पर रखा तो आपने वो प्याला पानी समेत ज़मीन पर दे मारा और फ़र्माया, अगर मैं ने इसको एक दो नहीं बहुत बार मना न किया होता (कि मुझे इस बर्तन में पानी न पिलाया करो)। गोया आप ये कहना चाहते थे कि, तो मैं ऐसा न करता (या'नी बर्तन को ज़मीन पर न पटकता) लेकिन मैंने नबी करीम (ﷺ)

को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, रेशम और दीबाज (मोटा रेशमी कपड़ा) न पहनो और सोने–चाँदी के बर्तन में पानी न पियो और न सोने–चाँदी की प्लेटों में खाना खाओ क्योंकि ये चीज़ें दुनिया में काफ़िरों के लिए हैं और आख़िरत में हमारे लिये होंगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमह बाब 29)**

1340. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने मस्जिद के दरवाज़े पर ख़ालिस रेशमी कपड़े का एक जोड़ा देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! काश ये जोड़ा आप ख़रीद लेते और उसे जुम्आ के दिन और बाहर से आने वाले वफ़ूद (प्रतिनिधि मण्डलों) से मुलाक़ात के वक़्त ज़ेबतन फ़र्माते (पहनते)। नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, ये तो वो पहने जिसके लिये आख़िरत की ज़िन्दगी में किसी क़िस्म का हिस्सा न हो।

उसके बाद उसी क़िस्म के कुछ जोड़े नबी करीम (ﷺ) के पास कहीं से आए और आप (ﷺ) ने उनमें से एक जोड़ा हज़रत उमर (रज़ि.) को भी अता फ़र्माया तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप ये जोड़ा मुझे पहनने के लिये अता फ़र्मा रहे हैं जबकि आप (ﷺ) ही ने इस जोड़े के बारे में जो अतारद (अतारद बिन ज़र्राह तमीमी जो वफ़्द बनी तमीम के साथ नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ था और जो इस क़िस्म के रेशमी जोड़े बेचने के लिये अपने साथ लाया था) के पास था वो बातें इर्शाद फ़र्माई थीं। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये जोड़ा मैंने तुमको इस ग़र्ज़ से नहीं दिया कि तुम ख़ुद इसे पहनो। चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने वो जोड़ा अपने एक भाई को दे दिया जो मक्का में था और अभी मुश्रिक था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जुम्आ बाब 7)**

1341. हदीष उमर (रज़ि.) : अबू उष्मान नहदी (रह.) बयान करते हैं कि हम आज़रबैजान में उत्बा बिन फ़िरक़द (रह.) के साथ थे कि हमारे पास हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का ख़त आया (जिसमें लिखा था) कि नबी करीम (ﷺ) ने रेशमी कपड़ा पहनने से मना किया है, मगर इस क़दर और (ये इर्शाद फ़र्माते वक़्त) नबी करीम (ﷺ) ने अपनी उन दो उँगलियों से इशारा फ़र्माया था जो अंगूठे से मुत्तसिल (जुड़ी) हैं। रावी कहते हैं कि उससे जो कुछ हम समझे ये था कि आपने सिर्फ़ इस क़दर या'नी दो उँगलियों के ब–क़दर बेल बूटों वाले कपड़े की इजाज़त दी है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल्लिबास बाब 25)

1342. हदीष अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के पास ख़ालिस रेशम का एक जोड़ा हदियतन (तोहफ़े में) आया तो वो मैंने पहन लिया। फिर मैंने आप (ﷺ) के चेहरा–ए–मुबारक पर (उस जोड़े के पहनने की वजह से) ग़ुस्से के आषार देखे तो मैंने उसे फाड़कर अपने ख़ानदान की औरतें में बांट दिया।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 27)

1343. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने दुनिया में रेशमी कपड़ा पहना वो आख़िरत में उसे हर्गिज़ न पहन सकेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल्लिबास बाब 25)

1344. हदीष उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) : हज़रत उक़्बा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को रेशम की एक क़ुब्बा बतौरे हदिया पेश की गई तो आप (ﷺ) ने उसे पहनकर नमाज़ पढ़ी। फिर वापस आकर उसे बड़ी शिद्दत से उतार फेंका गोया कि आप (ﷺ) उससे सख़्त नफ़रत फ़र्माते हों और फ़र्माया, मुत्तक़ी लोगों को ऐसे कपड़े पहनना मुनासिब नहीं है। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 16)**

बाब 3: मर्दों को रेशम का कपड़ा पहनने की सिर्फ़ उस सूरत में इजाज़त है जब उन्हें ख़ारिश (खुजली) वग़ैरह हो

1345. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) और हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) को ख़ारिश की वजह से रेशम की क़मीस पहनने की इजाज़त दे दी थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 91)**

बाब 5 : यमनी चादर पहनने की फ़ज़ीलत

1346. (हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, नबी करीम (ﷺ) को कौनसा कपड़ा ज़्यादा पसंद था? उन्होंने जवाब दिया, हिब्रह या'नी यमन की बनी हुई धारीदार सूती चादर। **(सहीह बुख़ारी किताबुल्लिबास बाब 18)**

बाब 6 : लिबास के सिलसिले में इन्किसार व तवाज़ुअ (विनम्रता अपनाने) और मोटा–झोटा कपड़ा पहनने का बयान

1347. (हदीष आयशा रजि) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हमें एक कम्बल और एक मोटा तहबन्द निकालकर दिखाया और फ़र्माया कि जिस वक़्त नबी करीम (ﷺ) ने वफ़ात पाई, आपने ये दोनों कपड़े पहन रखे थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 19)**

बाब 7: क़ालीन या सौज़नी इस्ते'माल करने का जवाज़

1347. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास किसी क़िस्म का क़ालीन या सौज़नी है? मैंने अ़र्ज किया, हमारे पास क़ालीन कहाँ से आएगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अनक़रीब तुम्हारे पास क़ालीन होंगे। अब सूरत हाल ये है कि मैं उससे (या'नी अपनी बीवी से) कहता हूँ कि अपना ये क़ालीन तुम मेरे पास से हटा लो, तो वो कहती हैं, क्या नबी करीम (ﷺ) ने ये इर्शाद नहीं फ़र्माया था कि अनक़रीब तुम्हारे पास क़ालीन होंगे? ये सुनकर मैं उसे उसके हाल पर छोड़ देता हूँ।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)

बाब 9 : किब्रो ग़ुरूर से कपड़े को घसीटकर चलना ह़राम है, ज़ेर जामे को किस ह़द तक लटकाना जाइज़ है और मुस्तह़ब क्या है?

1349. ह़दीष इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उस शख़्स पर नज़रे करम नहीं डालेगा जो ग़ुरूर व तकब्बुर से अपने ज़ेर जामे को ज़मीन पर घसीटकर चलता है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 1)**

1350. ह़दीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उस शख़्स की त़रफ़ नज़रे करम नहीं फ़र्माएगा जो अपने ज़ेर जामे को फ़ख़्रो–ग़ुरूर से घसीटकर चलता है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 5)**

बाब 10 : अपने लिबास पर फ़ख़्र करते हुए मटककर चलना ह़राम है

1351. ह़दीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि ह़ज़रत अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स (पहली उम्मतों में से) कपड़े का नफ़ीस जोड़ा पहने अपने ऊपर फ़ख़्र करता चला जा रहा था और उसने अपने बालों को भी ख़ूब सँवार रखा था (और उसे अपने बालों पर भी फख़्र था) कि अल्लाह तआ़ला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वो क़ियामत तक ज़मीन में नीचे ही नीचे धंसता चला जाएगा।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 5)

बाब 11 : सोने की अंगूठी फेंक देने का बयान

1352. ह़दीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़र्माया है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 45)**

1353. ह़दीष इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई और उसे पहनते रहे, आप (ﷺ) उसका नगीना हाथ के अंदर की जानिब कर लिया करते थे। लिहाज़ा लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन आप (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा हुए, वो अंगूठी हाथ से उतारी और फ़र्माया, मैं ये अंगूठी पहनता था और इसका नग अंदर की जानिब रखता था; ये फ़र्माकर आप (ﷺ) ने वो अंगूठी फेंक दी, फिर फ़र्माया, क़सम अल्लाह की! अब मैं ये अंगूठी कभी नहीं पहनूँगा। चुनाँचे ये सुनते ही लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ उतारकर फेंक दीं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अयमान वन्नुज़ूर बाब 6)**

बाब 12 : नबी करीम (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी पहनी जिस पर मुह़म्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) नक़्श था और आप (ﷺ) के बाद ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन ने वो अंगूठी पहनी

1354. ह़दीष इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई जिसे आप (ﷺ) दस्ते मुबारक में पहने रहते थे। फिर आप (ﷺ) के बाद वो ह़ज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़

(रज़ि.) के हाथ में रही और ह़ज़रत सि़द्दीक़ (रज़ि.) के बाद ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के हाथ में रही; ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के बाद ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) के हाथ में उस वक़्त तक रही यहाँ तक कि उरैस नामी कुँए में गिर गई। उस अंगूठी पर मुह़म्मदुर्रसूलल्लाह मन्क़ूश (खुदा हुआ) था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 50)**

1355. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अंगूठी बनवाई और फ़र्माया, हमने अंगूठी तैयार करवाई है और इस पर कुछ अल्फ़ाज़ नक़्श करवाए हैं तो कोई शख़्स अपनी अंगूठी पर ये अल्फ़ाज़ नक़्श न करवाए (ह़ज़रत अनस रज़ि. कहते हैं कि) आप (ﷺ) की छुंगली में चमकती हुई ये अंगूठी इस वक़्त भी मेरी आँखों के सामने फिर रही है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 51)**

बाब 13 : नबी करीम (ﷺ) ने जब शाहे ईरान को ख़त़ लिखने का इरादा किया तो मुहर वाली अंगूठी तैयार करवाई

1365. ह़दीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने नाम–ए–मुबारक (पत्र) लिखवाया, या जब नाम–ए–मुबारक लिखवाने का इरादा फ़र्माया, तो आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया गया, ये लोग (अजमी यानी ग़ैर अ़रबी) कोई ख़त़ नहीं पढ़ते जब तक उस पर (लिखने वाले की) मुहर न हो। चुनाँचे आप (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी तैयार कराई जिस पर मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह नक़्श था। मेरी निगाहों में इस वक़्त भी आप (ﷺ) के हाथ में उस अंगूठी की सपेदी फिर रही है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 7)**

बाब 14 : अंगूठियों के फेंक देने का बयान

1357. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के दस्ते मुबारक में एक दिन चाँदी की अंगूठी देखी तो फिर लोगों ने भी चाँदी की अंगूठियाँ बनवाकर पहन लीं और आप (ﷺ) ने अपनी (सोने की) अंगूठी उतारकर फेंक दी फिर लोगों ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ फेंक दीं।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास)

बाब 19 : जूता पहनते वक़्त पहले दाँयें पांव में पहने और उतारते वक़्त पहले बाँये पांव से उतारे

1358. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स जूता पहने तो उसे चाहिए कि पहले दाँए पांव में पहने और जब उतारे तो पहले बाँए पांव का उतारे ताकि दायाँ पांव जूता पहनते वक़्त पहला और उतारते वक़्त आख़िरी हो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 39)**

1359. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स सि़र्फ़ एक पांव में जूता पहनकर न चले या तो दोनों जूतियाँ उतार दे या दोनों पांव में पहने।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 40)

बाब 22 : चित लेटना और एक पांव दूसरे पांव पर रखना जाइज़ है

1360. हदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को मस्जिद में इस तरह चित्त लेटे देखा कि आप (ﷺ) का एक पांव दूसरे पांव पर रखा था।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुस्स़लात बाब 85)

बाब 23 : मर्दों के लिये ज़ाफ़रान (केसर) बत़ौर रंग के इस्ते'माल करना मना है

1361. हदीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इस बात से मना फ़र्माया कि मर्द ज़ाफ़रान से रंगे हुए कपड़े पहनें। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 33)**

बाब 25 : ख़िज़ाब के इस्ते'माल में यहूदियों की मुख़ालफ़त करने का हुक्म

1362. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूद व नस़ारा ख़िज़ाब इस्ते'माल नहीं करते। लिहाज़ा तुम उनकी मुख़ालफ़त करो (या'नी ख़िज़ाब इस्ते'माल करो)।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 50)

बाब 26 : जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते

1363. हदीष़ अबू त़लहा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू त़लहा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।

(स़हीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 7)

1364. हदीष़ अबू त़लहा (रज़ि.) : बसर बिन सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने मुझसे ह़दीष़ बयान की (और जिस वक़्त ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ि. ने ये ह़दीष़ बयान की उस वक़्त) मेरे साथ उ़बैदुल्लाह ख़ौलानी (रह.) भी थे जो उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) के ज़ेरे परवरिश थे। ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) ने हम दोनों से बयान किया कि ह़ज़रत अबू त़लहा (रज़ि.) ने मुझसे ह़दीष़ बयान की कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो। बिसर (रह.) कहते हैं कि फिर ह़ज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) बीमार हुए तो हम उनकी अ़यादत के लिये गए और अचानक हमें उनके घर में एक पर्दा नज़र आया जिस पर तस्वीरें बनी हुई थीं। मैंने उ़बैदुल्लाह ख़ौलानी (रह.) से कहा, क्या ह़ज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद(रज़ि.) ने हमसे तस्वीरों के बारे में ह़दीष़ बयान नहीं की थी? उ़बैदुल्लाह ख़ौलानी (रह.) ने कहा, उन्होंने ये भी कहा था, मगर वो तस्वीरें जो कपड़े पर नक़्श हों (वो जाइज़ हैं) क्या तुमने ये बात नहीं सुनी थी? मैंने कहा, नहीं! कहने लगे, हाँ! उन्होंने ये भी कहा था।

(स़हीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 7)

नोट : इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि जानदारों की तस्वीर बनाना हराम है और कबीरा गुनाह है, चाहे वो कपड़े पर बनाई जाए या या रुपये, अशर्फ़ी, बर्तन और दीवारों पर। अलबत्ता पेड़ों, पालानों और ऐसी ही दीगर बेजान चीज़ों की तस्वीर बनाना हराम नहीं है। इसी तरह अगर जानदार की तस्वीर दीवार पर लटकाई जाए या कपड़े में पहनी जाए तो वो हराम है। लेकिन अगर ऐसी जगह जहाँ वो पाँवों में रौंदी जाए और उसकी तज़लील (बेइ़ज़्ज़ती) हो;

जैसे फर्श या तकिये वग़ैरह पर तो हराम नहीं है। लेकिन इसमें फिर इख़्तिलाफ़ है कि ऐसी तस्वीर की मौजूदगी में फ़रिश्ते घर में दाख़िल होंगे या नहीं। कुछ का ख़याल है कि वो तस्वीर हराम है जिसकी परछाई पड़े। लेकिन जुम्हूर (अधिकांश) उ़लमा, स़ह़ाबा (रज़ि.) व ताबेईन जैसे इमाम सुफ़यान ष़ौरी (रह.), इमाम मालिक (रह.), इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का यही मसलक है कि तस्वीर चाहे सायादार हो या ग़ैर–सायादार इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, ये नाजाइज़ है।

1365. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और मैंने घर के एक मचान को ऐसे पर्दे से ढंक रखा था जिसपर तस्वीरें बनी हुई थीं। जिस वक़्त ये पर्दा नबी करीम (ﷺ) ने देखा तो उसे फाड़ दिया और फ़र्माया, रोज़े क़ियामत सबसे शदीद अ़ज़ाब उन लोगों को दिया जाएगा जो तख़्लीक़ में अल्लाह तआ़ला के साथ मुशाबहत (समरूपता) पैदा करते हैं (या'नी जानदारों की शक्लें बनाते हैं)। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि फिर हमने उस पर्दे से एक या दो तकिये बना लिये। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 19)**

1366. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने एक तौशक खरीदी जिसमें तस्वीर बनी हुई थीं। उस तौशक को जब नबी करीम (ﷺ) ने देखा तो दरवाज़े पर रुक गये और घर में दाख़िल न हुए। मैंने जब आप (ﷺ) के चेहर–ए–मुबारक पर नापसंदीदगी के आषार देखे तो अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) के सामने तौबा करती हूँ, मुझसे क्या गुनाह सरज़द हुआ है? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये तौशक कैसी है? मैंने अ़र्ज़ किया, ये मैंने इस ग़र्ज़ से खरीदी है कि आप (ﷺ) इस पर बैठा करें और बतौरे तकिया इस्ते'माल करें। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इन तस्वीरों के बनाने वालों को क़ियामत के दिन ये सज़ा दी जाएगी कि उनसे कहा जाएगा, ये जो कुछ तुमने बनाया था उनको ज़िन्दा करो (और ये काम उनके बस में नहीं होगा)। नीज़ नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस घर में तसवीरें हों उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 40)**

1367. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन उन लोगों को जो तस्वीरें बनाते हैं रोज़े क़ियामत सख़्त सज़ा दी जाएगी, उनसे कहा जाएगा, ये जो कुछ तुमने बनाया था उसे ज़िन्दा करो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 89)**

1368. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, क़ियामत के दिन शदीदतरीन अ़ज़ाब के मुस्तह़िक़ अल्लाह के नज़दीक यक़ीनन तस्वीरें बनाने वाले होंगे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 89)**

1369. ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : सईद बिन अबिल ह़सन (रह.) बयान करते हैं कि मैं ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास बैठा था कि आपके पास एक शख़्स़ आया और उसने कहा, ऐ अबुल अ़ब्बास (रज़ि.)! मैं एक ऐसा शख़्स़ हूँ कि मेरा रोज़गार मेरे हाथ की कारीगरी में है और मैं इस क़िस्म की तस्वीरें बनाता हूँ। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, मैं तुमसे सिर्फ़ वही ह़दीष़ बयान करूँगा जो मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुनी है। मैंने

आपको इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, जो शख़्स कोई तस्वीर बनाएगा उसे अल्लाह तआला ये सज़ा देगा कि वो उसमें जान डालकर ज़िन्दा करे और ज़ाहिर है कि वो उसमें जान डालने पर कभी क़ादिर न होगा। ये सुनकर उस शख़्स पर कपकपी तारी हो गई, सांस फूल गया और चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, तेरा नाश जाए! अगर तू उसे नहीं छोड़ सकता तो फिर ऐसा कर दरख़्त वग़ैरह और ऐसी चीज़ों की तस्वीरें बना जिनमें जान नहीं है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 104)**

1370. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू ज़रआ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं मदीना में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ एक घर मे दाख़िल हुआ। आपने देखा कि उसके ऊपर एक मुसव्विर (चित्रकार) तस्वीरें बना रहा है तो आपने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है, (अल्लाह तआला फ़र्माता है) उस शख़्स से बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो मेरी मख़्लूक़ की जैसी मख़्लूक़ पैदा करने का इरादा करे (अगर तख़्लीक़ का इतना ही शौक़ है तो) उसे चाहिए कि गेहूँ का एक दाना या एक चींटी पैदा करके दिखाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 90)**

बाब 28 : ऊँट की गर्दन में तांत का क़लादा डालना मकरूह है

1371. हदीष अबू बशीर अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू बशीर अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र में नबी करीम (ﷺ) के साथ था तो ऐसे वक़्त जबकि लोग अभी अपनी ख़्वाबगाहों (नींद) में थे, नबी करीम (ﷺ) ने एक क़ासिद (संदेशवाहक) के ज़रिये कहला भेजा कि किसी ऊँट की गर्दन में तांत का क़लादा बाक़ी न रहने दिया जाए। या आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ऊँट की गर्दन में जो तांत का क़लादा नज़र आए काट डाला जाए।
(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 139)

बाब 30 : इंसान के अलावा दीगर जानवरों के जिस्म को दाग़ना जाइज़ है सिवाय चेहरे के और ज़कात और जिज़्या के जानवरों को दाग़ना मुस्तहब है

1372. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐ अनस! ज़रा इस बच्चे का ख़याल रखना इसके अंदर कोई चीज़ न जाने पाए जब तक तुम उसे सुबह जनाब नबी करीम (ﷺ) के पास न ले जाओ और आप (ﷺ) उसे घुट्टी न दे लें। चुनाँचे मैं सुबह उसे लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, उस वक़्त आप (ﷺ) एक बाग़ में तशरीफ़ फ़र्मा थे और आप (ﷺ) ने एक हरीषी ऊनी चादर ओढ़ रखी थी और आप (ﷺ) उन ऊँटों को दाग रहे थे जो फ़तह में आप (ﷺ) के पास आए थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 22)**

बाब 31 : क़ज़अ मकरूह है

1373. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को क़ज़अ (सर मुँडवाना लेकिन कहीं—कहीं बाल बाक़ी छोड़ देना) से मना करते सुना है।
(सहीह बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 72)

नोट : हिन्दू बिरादरी में जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके क़रीबी रिश्तेदार अपना सर मुण्डवाते हैं और एक चुटिया

बाक़ी रखते हैं। आजकल नौजवान अंग्रेज़ों की नक़ल करते हुए फिल्मी स्टाइल में सर के कुछ हिस़्से को मुण्डवा लेते हैं और कुछ पर बाल बाक़ी रहने देते हैं और इसे फैशन कहा जाता है। दीने इस्लाम में ऐसा करना मना है।

बाब 32 : रास्ते पर बैठना मना है और अगर बैठना ज़रूरी हो तो रास्ते को उसका ह़क़ देना चाहिये

1374. ह़दीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रास्तों पर बैठने से परहेज़ करो। सह़ाबा किराम ने अ़र्ज़ किया, उसके बग़ैर हमारा गुज़ारा नहीं। यही मक़ामात हमारे चौपाल के हैं, जहाँ बैठकर हम बातें करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम लोग उन मक़ामात पर बैठे बग़ैर नहीं रह सकते हो तो रास्ते को उसका ह़क़ दो। लोगों ने पूछा, रास्ते का ह़क़ क्या है? फ़र्माया, नज़रें नीची रखना, किसी को तकलीफ़ न होने देना, सलाम का जवाब देना और नेक काम करने का हुक्म देना और बुरे कामों से रोकना। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 22)**

बाब 33 : बालों में जोड़ लगाने और लगवाने, जिस्म गोदने और गुदवाने, बाल और रूएँ नोचने और नुचवाने और दाँतों को कुशादा करने और करवाने वालियों या'नी अल्लाह की तख़्लीक़ को बदलने वालियों पर अल्लाह की लअ़नत

1375. ह़दीष़ अस्मा (रज़ि.) : ह़ज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक औ़रत ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बेटी के चेचक निकली थी और उसके बाल झड़ गए हैं और अब मैंने उसकी शादी की है तो क्या मैं उसके बालों में मस्नूई (नक़ली) बाल जोड़ दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बालों में जोड़ लगाने और लगवाने वालियों पर अल्लाह की लअ़नत। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल लिबास बाब 85)**

1376. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक अन्स़ारी औ़रत ने अपनी बेटी की शादी की। उस लड़की के सर के बाल झड़ गए थे तो वो औ़रत नबी करीम (ﷺ) के पास आई और आप (ﷺ) से सारी बात बयान करके उसने अ़र्ज़ किया, मेरा शौहर कहता है कि मैं उस लड़की के बालों में मस्नूई (नक़ली) बाल जोड़ दूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! बालों में जोड़ लगाने वालियों पर अल्लाह की लअ़नत भेजी गई है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन्निकाह़ बाब 49)**

1377. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह तआ़ला की लअ़नत उन औरतों पर जो हुस्न के लिये गोदती और गुदवाती हैं, बाल नोचती और नुचवाती हैं और जो अपने दाँतों के बीच फ़ास़ले करवाती हैं और इस तरह़ अल्लाह तआ़ला की तख़्लीक़ को बदलती हैं। जब ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की ये बात बनी असद की एक ख़ातून जिसका नाम उम्मे यअ़क़ूब था, को पहुँची तो वो आपके पास आई और कहने लगीं, मुझे ख़बर मिली है कि आपने इन–इन औ़रतों पर लअ़नत भेजी है। आपने जवाब दिया, मैं आख़िर उन पर क्यों न लअ़नत भेजूँ जिन पर नबी करीम (ﷺ) ने लअ़नत भेजी है और जिनकी मज़म्मत क़ुर्आन मजीद में की गई है। वो औ़रत कहने लगी, मैंने पूरा क़ुर्आन पढ़ा है मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं मिली जो आप कहते

हैं। आपने कहा, अगर तुमने वाक़ई क़ुर्आन को पढ़ा होता तो तुमको ज़रूर वो बात मिल जाती जो मैं कहता हूँ। क्या तुमने ये आयत क़ुर्आन मजीद में नहीं पढ़ी **वमा आताकुमुर्रसूलु फ़खुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू** (तर्जुमा) : **जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करे रूक जाओ।** (अल हश्र : 7) कहने लगी, क्यूँ नहीं! आपने कहा, नबी करीम (ﷺ) ने उससे मना फ़र्माया है। वो कहने लगी, मैंने आपकी बीवी को देखा है वो ऐसा करती हैं। आपने कहा, जाओ जाकर देखो (ऐसा नहीं है) चुनाँचे वो गई और उसे वहाँ अपने मतलब की कोई बात न मिली, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कहा, अगर ऐसा होता जैसा ये औरत कहती है तो मैं उन (अपने घरवालों) के साथ न रहता। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह हश्र बाब 4)**

1378. हदीस मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) : हमीद बिन अब्दुर्रहमान (रह.) बयान करते हैं कि मैंने जिस साल हज्ज किया था, हज़रत मुआविया (रज़ि.) को मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हुए सुना, आपने बालों का एक गुच्छा हाथ में लिया जो उनके मुहाफ़िज़ के पास था और फ़र्माया, ऐ अहले मदीना! तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने नबी करीम (ﷺ) को इस क़िस्म की चीज़ों से मना करते हुए सुना है। आप (ﷺ) फ़र्माते थे कि बनी इस्राईल उस वक़्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने (बनाव श्रृंगार के लिये) इस क़िस्म की चीज़ें इख़्तियार कर लीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 54)

बाब 35 : लिबास से फ़रेब देने और जो चीज़ हासिल न हो उसकी शेख़ी बघारने की मुमानअत

1379. हदीस अस्मा (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक औरत ने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी एक सौकन है तो क्या मुझे गुनाह होगा अगर मैं (उसे जलाने के लिये) उसके सामने अपने शौहर की तरफ़ से ऐसी चीज़ों के दिये जाने की डींग मारूँ जो उसने मुझे नहीं दी हैं? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो ऐसी चीज़ों की डींगें मारता है जो उसे हासिल नहीं हैं वो उस शख़्स की तरह है जो ऐसा लिबास पहनता है जिससे दूसरों को धोखे में डाल सके। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 106)**

किताबुल आदाब

आदाबे–ज़िन्दगी

बाब 1 : अबुल क़ासिम बतौरे कुन्नियत (पहचान) इख़्तियार करने की मुमानअत और पसंदीदा नामों का बयान

1380. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि बक़ीअ में एक शख़्स ने या अबुल क़ासिम कहकर किसी को पुकारा तो नबी करीम (ﷺ) ने पलटकर उसकी तरफ़ देखा उसने कहा, मेरी मुराद आप (ﷺ) से नहीं थी। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग मेरे नाम पर (अपने बच्चों का) नाम रखो लेकिन कुन्नियत इख़्तियार न करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 49)**

1381. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे एक आदमी के यहाँ लड़का पैदा हुआ और उसने बच्चे का नाम क़ासिम रख दिया तो अन्सार कहने लगे, हम तेरी कुन्नियत अबुल क़ासिम नहीं होने देंगे और न (इस कुन्नियत की बिना पर) तेरी आँखों को ठण्डक पहुँचाएँगे। चुनाँचे वो शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है और मैंने उसका नाम क़ासिम रखा है लेकिन अन्सार कहते हैं कि हम तेरी कुन्नियत अबुल क़ासिम नहीं होने देंगे और न (तेरा एहतराम करके) तेरी आँखें ठण्डी करेंगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अन्सार ने बहुत अच्छा किया। तुम लोग मेरा नाम तो रख सकते हो लेकिन मेरी कुन्नियत इख़्तियार नहीं कर सकते क्योंकि क़ासिम (अल्लाह की रहमत तक़सीम करने वाला) सिर्फ़ मैं हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 7)**

1382. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हममें से एक शख़्स के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उसने उसका नाम क़ासिम रखा तो हमने कहा, हम तुझे अबुल क़ासिम न रखने देंगे और न तेरा एहतराम करेंगे। उसने इस बात का ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) से किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने बेटे का नाम अब्दुर्रहमान रखो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 105)**

1383. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुन्नियत मत इख़्तियार करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 20)**

बाब 3 : नामुनासिब (अनुचित) नाम को बदलकर अच्छा नाम रखना मुस्तहब है

1384. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) (बिन्ते जहश) का नाम पहले बर्रा था तो लोगों ने कहा कि ये खुद को नेक पाक समझती हैं, लिहाज़ा नबी करीम (ﷺ) ने आपका नाम ज़ैनब (रज़ि.) रख दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 108)**

बाब 4 : मलिकुल अम्लाक (शहंशाह) वग़ैरह क़िस्म के नाम रखना हराम है

1385. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा ज़लील नाम वो है कि कोई शख़्स अपना नाम मलिकुल अम्लाक (बादशाहों का बादशाह) रख ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 114)**

बाब 5 : बच्चे को विलादत के फ़ौरन बाद घुट्टी देना और किसी नेक इंसान के पास ले जाकर उससे घुट्टी दिलवाना मुस्तहब है और जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन उसका नाम रख देना जाइज़ है; नीज़ अब्दुल्लाह, इब्राहीम वग़ैरह या'नी अम्बिया के नाम रखना मुस्तहब है

1386. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) का बच्चा बीमार था लेकिन हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) बाहर चले गए और वो बच्चा मर गया। फिर जब हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) वापस घर आए और उन्होंने पूछा, मेरे बेटे का क्या हाल है? तो हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) (अबू तलहा रज़ि. की बीवी और हज़रत अनस रज़ि. की वालिदा) ने कहा, वो पहले से ज़्यादा पुरसुकून है। फिर हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) को रात का खाना पेश किया और उन्होंने खाना खाया। उसके बाद अबू तलहा (रज़ि.) ने उम्मे सुलैम (रज़ि.) से सुहबत की। जब अबू तलहा (रज़ि.) फ़ारिग़ हो गए तो हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा, जाओ बच्चे को दफन कर आओ। सुबह का वक़्त जब अबू तलहा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे सारा माजरा बयान किया तो आप (ﷺ) ने दरयाफ्त किया, क्या तुमने रात अपनी बीवी से सुहबत की थी? अबू तलहा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, हाँ! आप (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई, ऐ अल्लाह! इन दोनों को बरकत अता फ़र्मा। फिर जब उम्मे सुलैम (रज़ि.) के लड़का हुआ तो हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने मुझसे कहा, ज़रा इसका ख़याल रखना, यहाँ तक कि तुम उसे नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ले जाओ। फिर उसे मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में लेकर गया और उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने उसके साथ कुछ खजूरें भी भेजी थीं। नबी करीम (ﷺ) ने बच्चे को ले लिया और दरयाफ्त किया, क्या इसके साथ कोई चीज़ भी लाए हो? मैंने कहा, हाँ! कुछ खजूरें हैं। चुनाँचे आप (ﷺ) ने खजूर लेकर उसे चबाया, फिर अपने मुँह से निकालकर बच्चे के मुँह में डाली और इस तरह उसे घुट्टी दी और उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अक़ीक़ा बाब 1)**

1387. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो मैं उसको लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) ने उसका नाम इब्राहीम रखा और एक खजूर चबाकर उसके मुँह में डाली (उसे घुट्टी दी) और उसके लिये बरकत की दुआ फ़र्माई और मुझे दे दिया। ये

बच्चा हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) का सबसे बड़ा लड़का था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अक़ीक़ा 7 बाब 1)**

1388. हदीष अस्मा (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) मेरे पेट में थे और जब मैं (हिज्रत की ख़ातिर मक्का से) निकली तो पूरे दिनों से थी और मदीना जाते हुए कुबा में क़ियाम किया तो कुबा में ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) पैदा हुए। फिर मैं उन्हें लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और मैंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) को आप (ﷺ) की गोद में बिठा दिया। फिर आप (ﷺ) ने एक खजूर मंगवाई और चबाकर अब्दुल्लाह (रज़ि.) के मुँह में डाल दी और इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के पेट में जो चीज़ सबसे पहले गई वो रसूले करीम (ﷺ) का लुआबे दहन (थूक) था। आप (ﷺ) ने उन्हें खजूर की घुट्टी दी और उसके बाद उनके लिये दुआ की और फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इस बच्चे को बरकत अता कर और (हिजरत के बाद मदीना में) मुसलमानों के यहाँ पैदा होने वाला ये पहला बच्चा था।

(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 45)

1389. हदीष सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि अबू उसैद (रज़ि.) के बेटे मुन्ज़िर (रज़ि.) जब पैदा हुए थे और उन्हें नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ले जाया गया तो आप (ﷺ) ने उसे अपनी रान पर बिठा लिया। उस वक़्त अबू उसैद (रज़ि.) (आप ﷺ के पास) बैठे हुए थे। फिर नबी करीम (ﷺ) किसी चीज़ की तरफ़ जो आप (ﷺ) के सामने रखी हुई थी मुतवज्जह हो गए। ये देखकर अबू उसैद (रज़ि.) ने अपने बेटे को नबी करीम (ﷺ) की रान पर से उठा लेने को कहा (और वो उठा लिया गया)। उसके बाद जब नबी करीम (ﷺ) उस मसरूफ़ियत (व्यस्तता) से फ़ारिग़ हुए तो आप (ﷺ) ने दरयाफ्त किया, बच्चा कहाँ है? अबू उसैद (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसे घर भिजवा दिया। आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया कि उसका नाम क्या है? उन्हों ने बताया कि फ़लाँ नाम रखा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं उसका नाम मुन्ज़िर है। चुनाँचे उस दिन से उसका नाम मुन्ज़िर रख दिया गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 108)**

1390. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) का हुस्ने अख़्लाक़ सब इंसानों से बढ़कर था। मेरा एक भाई था जिसे अबू उमैर कहा जाता था और उसका दूध छुड़ाया जा चुका था। ये बच्चा जब नबी करीम (ﷺ) के पास आता आप फ़र्माते, **या अबा उमैर! मा फ़अलन्नग़ीर? ऐ अबू उमैर तुम्हारे सुर्ख़ का क्या हाल है? अबू उमैर के पास एक सुर्ख़ चिड़िया थी जिसके साथ वो खेला करता था।**

(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 112)

बाब 7 : घर के अंदर आने की इजाज़त तलब करना

1391. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं अंसार की मज्लिस में बैठा था कि हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) आए और ऐसा मा'लूम होता था कि वो परेशान और खौफ़ज़दा हैं (हमने पूछा कि क्या मामला है?) कहने लगे, मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से तीन बार अंदर आने की इजाज़त तलब की थी लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली तो मैं वापस आ गया। उसके बाद हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा कि तुम अंदर क्यों नहीं आए? मैंने कहा, कि मैंने तीन बार इजाज़त तलब की थी लेकिन मुझे इजाज़त न मिली इसलिये

मैं वापस चला गया क्योंकि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि जब कोई शख़्स तीन बार इजाज़त तलब करे और इजाज़त न मिले तो उसे चाहिए कि वापस लौट जाए। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! तुमको इस हदीष की सिहत (सत्यता) के लिये गवाह पेश करने होंगे। (हज़रत अबू मूसा रज़ि. ने पूछा) क्या आप लोगों में से कोई ऐसा शख़्स है जिसने ये हदीष नबी करीम (ﷺ) से सुनी हो? इस पर हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! इस गवाही के लिये तो तुम्हारे साथ हममें से सबसे कम उम्र शख़्स भी जा सकता है। (अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. कहते हैं कि) उनमें सबसे छोटा मैं था, लिहाज़ा मैं उठकर उनके साथ चल पड़ा और हज़रत उमर (रज़ि.) को बताया कि नबी करीम (ﷺ) ने ये बात इर्शाद फ़र्माई थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 13)

बाब 8 : इजाज़त तलब करते वक़्त अगर पूछा जाए, कौन है? तो मैं कहना मकरूह है

1392. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं उस क़र्ज़ के सिलसिले में जो मेरे वालिद के ज़िम्मे वाजिबुलअदा था। नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और दरवाज़ा खटखटाया तो आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, कौन है? मैंने कहा, मैं! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं मैं! गोया आप (ﷺ) को इस तरह जवाब देना पसन्द नहीं आया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 17)**

बाब 9 : दूसरे के घर के अंदर ताक–झांक करना हराम है

1393. हदीष सहल बिन सअद साअदी (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) के दरवाज़े के सूराख़ से अंदर झांककर देखा, उस वक़्त आप (ﷺ) के हाथ में एक पुश्त ख़ार (लोहे का कँघा जिससे सिर या कमर को खुजाया जाता है) था; जिससे आप (ﷺ) अपना सरे मुबारक खुजा रहे थे। चुनाँचे जब उस शख़्स को आप (ﷺ) ने (झांकते हुए) देखा तो फ़र्माया, अगर मुझे मा'लूम होता कि तू मुझे देख रहा है तो मैं ये पुश्तख़ार तेरी आँखों में चुभो देता और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये इजाज़त लेना इसी ग़र्ज़ से है कि आँख बचे (या'नी पोशीदा चीज़ें न देखे और गुनाह से बचे)। **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दियात बाब 23)**

1394. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) के हुज्र–ए–मुबारक में झांककर देखा तो आप (ﷺ) एक तीर या कई तीर लेकर इस अंदाज़ से उठे। वो मंज़र इस वक़्त भी मेरी नज़रों में फिर रहा है कि गोया आप (ﷺ) उसकी बेख़बरी में वो तीर उसकी आँख में चुभा देंगे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 11)

1395. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, अगर किसी शख़्स ने तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर तुम्हारे घर के अंदर झांका और तुमने उसे कंकर खींच मारा जिससे उसकी आँख फूट गई तो तुम पर कोई गुनाह नहीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुद्दियात बाब 15)

किताबुस्सलाम

सलाम करने के आदाब व अहकाम

बाब 1 : सवार पैदल को और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें

1396. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सवार पैदल चलने वाले को और चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े लोग ज़्यादा को सलाम करें।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 5)

बाब 3 : मुसलमानों के एक—दूसरे पर जो हुक़ूक़ हैं उनमें से एक हक़ दूसरे मुसलमान के सलाम का जवाब देना भी है

1397. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर पाँच हक़ हैं :— 1. सलाम का जवाब देना 2. बहालते मर्ज़ इयादत करना (बीमारी में हाल—चाल पूछना) 3. जनाज़े के साथ जाना 4. दअ़वत क़ुबूल करना 5. छींक का जवाब देना।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 2)

बाब 4 : अहले किताब को सलाम में पहल करना मना है और उनके सलाम का जवाब कैसे दिया जाए

1398. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर अहले किताब तुम्हें सलाम करे तो तुम कहो वअ़लैकुम (तुम पर भी)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 22)

1399. हदीष अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुमको यहूदी सलाम करेंगे तो यक़ीनन उनमें से कोई शख़्स कहेगा, अस्सामु अ़लैक (तुमको मौत आए) तो तुम कहो वअ़लैक (तुमको भी)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 22)

1400. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में यहूदियों की एक जमाअत आई और उन लोगों ने कहा, अस्सामु अलैक (आप पर मौत आए) और मैंने उनकी शरारत को समझ लिया और जवाबन कहा, व अलैकुमुस्साम वल्लअनत (तुमको मौत आए और तुम पर अल्लाह की लअनत) तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ आइशा! ठहरो! (ऐसा मत कहो) क्योंकि अल्लाह तआला तमाम मुआमलात में नरमी को पसन्द फ़र्माता है। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने सुना नहीं इन लोगों ने क्या कहा है? तो आपने फ़र्माया, मैंने भी कह दिया था, वअलैकुम (या'नी तुम पर भी वही जो तुमने कहा है)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 22)

बाब 5 : बच्चों को सलाम करना मुस्तहसन है

1401. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बच्चों के पास से गुज़रे तो आपने उनको सलाम किया और कहा, नबी करीम (ﷺ) ऐसा किया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 15)**

बाब 7 : औरतों को क़ज़ा–ए–हाजत के लिये बाहर जाना जाइज़ है

1402. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा (रज़ि.) पर्दे का हुक्म आ जाने के बाद क़ज़ा–ए–हाजत के लिये बाहर निकलीं। आप भारी भरकम जिस्म की मालिक थीं और जिसने आपको देखा हो वो आपको (चादर में भी) पहचान सकता था। रास्ते में आप (रज़ि.) को हज़रत उमर (रज़ि.) ने देखा और कहा, ऐ सौदा (रज़ि.)! अल्लाह की क़सम! आप हमसे न छुप सकीं (हमने आपको पहचान लिया) इसलिये सोचें आप (क़ज़ा–ए–हाजत के लिये) बाहर कैसे जाएँगी? हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि, हज़रत सौदा (रज़ि.) ये बात सुनकर वापस लौट आईं, उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) मेरे घर में रात का खाना खा रहे थे और आप (ﷺ) के हाथ में एक हड्डी थी जिस पर गोश्त चिमटा हुआ था, उसी वक़्त हज़रत सौदा (रज़ि.) अंदर दाख़िल हुईं और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपनी ज़रूरत से बाहर गई थी तो मुझे देखकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये कुछ कहा है। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उसी वक़्त अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल की। उसके बाद (जब आप ﷺ पर से वो हालत दूर हुई तो) आप (ﷺ) ने सरे मुबारक उठाया। उस वक़्त भी वो हड्डी आप (ﷺ) के हाथ में थी, उसे आप (ﷺ) ने रखा न था। और फर्माया, लो तुम औरतों को इजाज़त मिल गई कि तुम अपनी ज़रूरी हाजतों के लिये घर से बाहर निकल सकती हो।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह अहज़ाब बाब 8)

बाब 8: अजनबी औरत के साथ ख़ल्वत में बैठना और अगर वो घर में तन्हा हो तो घर में जाना हराम है

1403. हदीष उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) : हज़रत उक़्बा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, औरतों के पास (अगर वो घर में तन्हा हों) जाने से ख़ुद को बचाओ। एक अन्सारी सहाबी (रज़ि.) ने दरयाफ़्त किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! देवर के बारे में क्या हुक्म है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, देवर तो मौत (के समान) है। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 111)**

बाब 9 : अगर कोई शख़्स औरत के साथ तन्हाई में बैठा हो और वो औरत उसकी बीवी या मह़रम हो तो उसके लिये बेहतर ये है कि देखने वालों को बता दे कि ये फ़लाँ औरत (या'नी मेरी बीवी या बहन वग़ैरह) है ताकि बदज़नी पैदा न हो

1404. ह़दीष़ स़फ़िया (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत स़फ़िया (रज़ि.) बयान करती हैं कि रमज़ान के आख़री अशरे में जब नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में बह़ालते ऐतिकाफ़ थे। मैं आप (ﷺ) से मिलने गई और कुछ देर आप (ﷺ) के पास बैठकर बातें करती रही। फिर जब मैं वापस जाने के लिये उठी तो नबी करीम (ﷺ) भी मेरे साथ उठे ताकि मुझे पहुँचा दें, ह़त्ताकि जिस वक़्त मैं मस्जिद के दरवाज़े और उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के हुज्रे के पास पहुँची तो दो अन्स़ारी (हमारे पास से) गुज़रे और उन्हों ने नबी करीम (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, ज़रा ठहरो! ये स़फ़िया (रज़ि.) बिन्ते हुय्यी बिन अख़्तब हैं। वो दोनों कहने लगे, सुब्ह़ानल्लाह या रसूलल्लाह (ﷺ)! गोया आप (ﷺ) का ये कहना इन पर गिराँ गुज़रा। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, शैत़ान इंसान के जिस्म में ख़ून की तरह़ दौड़ता है मुझे ये डर पैदा हुआ था कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में शक पैदा न कर दे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ऐतिकाफ़ बाब 8)

बाब 10 : जो शख़्स मह़फ़िल में आए उसे चाहिये अगर गुंजाइश हो तो बीच में बैठे वरना लोगों के पीछे बैठ जाए

1405. ह़दीष़ अबू वाक़िद लैष़ी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू वाक़िद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे और लोग भी आप (ﷺ) के पास बैठे थे कि उसी दरम्यान तीन शख़्स आए उनमें से दो तो नबी करीम (ﷺ) की जानिब आ गए और एक चला गया। रावी कहते हैं कि ये दोनों आप (ﷺ) के पास जाकर ठहरे फिर एक को ह़ल्क़े में एक जगह ख़ला (रिक्त स्थान) नज़र आया और वो उस ख़ला में बैठ गया और दूसरा लोगों के पीछे बैठ गया जबकि तीसरा वापस चला गया। फिर जब नबी करीम (ﷺ) फ़ारिग़ हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुम लोगों को उन तीन शख़्सों के बारे में न बताऊँ? उनमें से एक ने अल्लाह की पनाह ली और अल्लाह ने उसे पनाह दे दी और दूसरा शर्माया तो अल्लाह तआला भी उससे शर्मा गया और रह गया तीसरा, सो वो मुँह मोड़कर चला गया और अल्लाह ने भी उससे मुँह मोड़ लिया (नाराज़ हो गया)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 8)

बाब 12 : किसी शख़्स को उठाकर ख़ुद उसकी जगह बैठना ह़राम है बशर्ते कि वो जगह जिस पर वो पहले से बैठा था ऐसी हो जिस पर बैठना मुबाह़ हो

1406. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स किसी दूसरे शख़्स को उसकी जगह से उठाकर ख़ुद उस जगह न बैठे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 31)

बाब 13 : मुख़न्नष़ (हिजड़ा) अजनबी औरतों के पास न जाए

1407. ह़दीष़ उम्मे सलमा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी

करीम (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए उस वक़्त मेरे यहाँ एक मुख़न्नष (हिजड़ा) बैठा था, नबी करीम (ﷺ) ने उसे अब्दुल्लाह बिन उमय्या से कहते हुए सुना, ऐ अब्दुल्लाह! देखो, अगर कल तुम लोग अल्लाह तआला के हुक्म से ताइफ़ फ़तह कर लो तो बिन्ते ग़ैलान को ज़रूर हासिल करना, वो (इस क़दर पली हुई है कि) जब सामने से आती है तो उसके पेट पर चार बल पड़ते हैं और जब पीठ मोड़कर जाती है तो आठ बल पड़ते हैं। उसकी ये बातचीत सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आइन्दा मुख़न्नष हर्गिज़ तुम्हारे पास न आएँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 56)**

बाब 14 : अजनबी औरत अगर रास्ते में थक जाए तो उसे अपनी सवारी के पीछे बिठा लेना जाइज़ है

1408. हदीष अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझसे हज़रत जुबैर (रज़ि.) ने शादी की तो उनके पास सिवाए एक पानी लाने वाली ऊँटनी और एक घोड़े के और कोई माल न था या'नी न ज़मीन थी न नक़द और न गुलाम वग़ैरह थे और न कोई और चीज़ थी। लिहाज़ा घोड़े को चारा भी मैं ही डालती थी, पानी भी मैं पिलाती थी, डोल को भी मैं सीती और मरम्मत करती थी और आटा भी मैं ही गूंधती थी। लेकिन रोटियाँ मैं अच्छी न पका सकती थी, इसलिये रोटियाँ मेरी अन्सार पड़ोसन पका दिया करती थीं और ये ख़्वातीन इंतिहाई मुख़्लिस थीं और मैं हज़रत जुबैर (रज़ि.) की उस ज़मीन से जो उनको नबी करीम (ﷺ) ने बिलमक़्तअ अता की थी। गुठलियाँ अपने सर पर लादकर लाया करती थीं और ये ज़मीन हमारे घर से दो मील के फ़ासले पर थी। चुनाँचे एक दिन मैं अपने सर पर गुठलियाँ उठाकर ला रही थी कि रास्ते में नबी करीम (ﷺ) मिले। आप (ﷺ) के साथ अन्सार के कुछ और लोग भी थे। आप (ﷺ) ने मुझे बुलाया फिर अख़–अख़ कहकर अपनी ऊँटनी को बिठाया ताकि मुझे अपने पीछे बिठा लें। लेकिन मैं मर्दों के साथ चलने से शर्मा गई और मुझे हज़रत जुबैर (रज़ि.) और उनकी ग़ैरत का ख़याल आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग़ैरतमन्द थे।

चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने ये बात जान ली कि मैं शर्मा रही हूँ और आप (ﷺ) आगे बढ़ गए। फिर मैंने हज़रत जुबैर (रज़ि.) से ज़िक्र किया कि रास्ते में मुझे नबी करीम (ﷺ) मिले थे, मैंने सर पर गुठलियाँ उठा रखी थीं और आप (ﷺ) के साथ सहाबा किराम (रिज़.) की एक जमाअत थी और आप (ﷺ) ने मुझे सवार करने के लिये अपनी ऊँटनी बिठाई थी लेकिन मैं शर्मा गई और मुझे आपकी ग़ैरतमन्दी का ख़याल आ गया। हज़रत जुबैर (रज़ि.) कहने लगे कि तुम्हारा गुठलियाँ उठाना मुझ पर ज़्यादा गिराँ है, बनिस्बत उसके कि तुम नबी करीम (ﷺ) के साथ सवार होकर आ जातीं। हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि फिर कुछ अर्से के बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने मेरे पास एक नौकर भेज दिया जिसने घोड़े का तमाम काम संभाल लिया और गोया उसने मुझे आज़ाद कर दिया।
(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 107)

बाब 15 : दो आदमियों का तीसरे की रज़ामन्दी के बग़ैर आपस में सरगोशी करना हराम है

1409. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तीन शख़्स हों तो उनमें से दो शख़्स तीसरे को नज़र अंदाज़ करके आपस में सरगोशी न करें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 45)**

1410. हदीस अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तीन अफ़राद हों तो उनमें से दो शख़्स तीसरे को नज़रअंदाज़ करके आपस में सरगोशी न करें यहाँ तक कि और लोग तुमसे आ मिलें। ये एहतियात इसलिये ज़रूरी है कि इस तरह उसे रंज होगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 47)

अबवाबे तिब्ब (इलाज के अध्याय)

बाब 16 : बीमारियाँ, उनके इलाज और झाड़-फूँक का बयान

1411. हदीस अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नज़र लगना बरहक़ है। (सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 36)

बाब 17 : जादू का बयान

1412. हदीस आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) पर जादू किया गया तो आप (ﷺ) की कैफ़ियत ये थी कि आप (ﷺ) को गुमान गुज़रता कि आप (ﷺ) अज़्वाजे मुतह्हरात के पास तशरीफ़ ले जा चुके हैं, हालाँकि न गये होते। (हदीस के रावियों में से एक रावी) सुफ़ियान (रह.) कहते हैं कि अगर किसी की ये हालत हो जाए तो ये सख़्ततरीन जादू है (हज़रत आयशा रज़ि. फ़र्माती हैं कि) फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ आयशा! तुम्हें मा'लूम है कि अल्लाह तआला ने मुझे इस मुश्किल का हल बता दिया जिसके बारे में मैंने उससे पूछा था। मेरे पास (बहालते ख़्वाब) दो शख़्स आए, उनमें से एक मेरे सिरहाने बैठ गया और दूसरा पाँव की जानिब, फिर उस शख़्स ने जो सिरहाने बैठा था दूसरे से पूछा कि इस शख़्स को क्या हुआ है? उसने जवाब दिया, इस पर जादू किया गया है। उसने पूछा, किसने जादू किया है? दूसरे ने जवाब दिया, लुबैद बिन आसिम ने (ये शख़्स बनी ज़रीक़ में से था और यहूदियों का हलीफ़ और मुनाफ़िक़ था)। पहले ने पूछा, ये जादू किसमें किया है? कहा, कँघी और कँघी से झड़े हुए बालों में। उसने पूछा, कहाँ किया है? नर खजूर की बाली के ग़िलाफ़ में रखकर बीर ज़रवान के पत्थर के नीचे दबा दिया है। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) उस कुँए पर तशरीफ़ ले गए ताकि इस जादू को निकलवाएँ और फ़र्माया, यही कुँआ है जो मुझे दिखाया गया है। उस कुँए का पानी मेहन्दी के ज़लाल की मानिन्द (सुर्ख़) हो गया था और वहाँ के खजूर के पेड़ ऐसे थे जैसे शैतानों के सर हों। फिर आप (ﷺ) के हुक्म से वो जादू उसमें से निकलवाया गया। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, आप (ﷺ) ने नशरह (जादू का तोड़) क्यों नहीं किया? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! जब अल्लाह तआला ने मुझे शिफ़ा अता कर दी तो मैं पसन्द नहीं करता कि किसी शख़्स पर बुराई के साथ हमलावर हों। (सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 49)

बाब 18 : ज़हर का बयान

1413. हदीस अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक यहूदी औरत नबी करीम (ﷺ) के पास बकरी का ज़हर आलूदा गोश्त लेकर आई और आप (ﷺ) ने उसमें से कुछ तनावुल फ़र्माया

(खाया)। उसके बाद उस औरत को (गिरफ़्तार करके) आप (ﷺ) के पास लाया गया और किसी ने कहा, क्या आप (ﷺ) उसे क़त्ल नहीं करेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि उसके बाद मैं उस ज़हर का अष़र हमेशा आप (ﷺ) के ह़लक़ के कव्वे में देखता रहा।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 28)

बाब 19 : बीमार पर दम–झाड़ करना मुस्तहब है

1414. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब किसी मरीज़ के पास तशरीफ़ ले जाते या आप (ﷺ) के पास कोई मरीज़ लाया जाता तो आप (ﷺ) फ़र्माते, **अज़्हिबिल बअस रब्बन नासि इश्फ़ि व अन्तश्शाफ़ी, ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअल्ला युग़ादिरु सक़ीमा** (तर्जुमा) : **ऐ इंसानों के आक़ा और मालिक, तकलीफ़ दूर कर दे। शिफ़ा अ़ता कर, कि तू ही शिफ़ा देने वाला है शिफ़ा स़िर्फ़ तेरी ही शिफ़ा है ऐसी शिफ़ा अ़ता कर कि बीमारी मुत्लक़न बाक़ी न रहे।** **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मरज़ा बाब 20)**

बाब 20 : मरीज़ पर मुअ़व्वज़ात पढ़कर दम करना

1415. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब बीमार होते तो मुअ़व्वज़ात **क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल अऊज़ूबि रब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ूबि रब्बिन्नास** पढ़कर ख़ुद पर दम किया करते थे। फिर जब आप (ﷺ) की अ़लालत (बीमारी) ने शिद्दत पकड़ ली तो ये मुअ़व्वज़ात पढ़कर, मैं आप (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर दम करके, आप (ﷺ) के जिस्मे अत़्हर पर आप ही का दस्ते मुबारक बरकत की उम्मीद में फ़ेरा करती थी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन बाब 14)**

बाब 21 : नज़र लगने, मर्ज़ नम्ला और ज़हरीले कीड़े–मकोड़ों के काटे हुए शख़्स़ के लिये दम करना मुस्तहब है

1416. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.): अस्वद बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से ज़हरीले कीड़े–मकोड़े के काटे पर दम करने के बारे में पूछा तो आपने कहा, नबी करीम (ﷺ) ने हर ज़हरीले कीड़े के डसने पर पढ़कर दम करने की इजाज़त दी है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 37)**

1417. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ये दुआ पढ़कर मरीज़ पर दम किया करते थे, **बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्ज़िनाबिरीक़ति बअ़ज़िना, यश्फ़ी सक़ीमना, बिइज़्नि रब्बिना** (तर्जुमा): **अल्लाह के नाम से, हमारे मुल्क की मिट्टी हममें से किसी के थूक के साथ, उससे शिफ़ा पाएगा हमारा बीमार, हमारे रब के हुक्म से।**

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 38)

1418. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया, या हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि अगर बुरी नज़र लग जाए तो उस पर कुछ पढ़कर दम किया जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 35)**

1419. हदीष उम्मे सलमा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मेरे घर में एक लड़की को देखा जिसके मुँह पर छालियाँ (झाइयाँ) थीं तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस पर पढ़कर दम करो क्योंकि इसे नज़र लग गई है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 35)**

बाब 23 : क़ुर्आन मजीद या कोई और दुआ पढ़कर इलाज़ करने का मुआवज़ा लेना जाइज़ है

1420. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के सहाबा किराम (रज़ि.) की एक जमाअत एक सफ़र पर रवाना हुई और अरब के किसी क़बीले के पास जाकर ठहरी और अहले क़बीला से उन्होंने चाहा कि वो (हस्बे दस्तूर) उनकी ज़ियाफ़त करें (यानी मेहमाननवाज़ी की परम्परा के अनुसार उन्हें खाना खिलाए)। लेकिन क़बीले वालों ने ज़ियाफ़त देने से इंकार कर दिया। फिर उस क़बीले के सरदार को (सांप या बिच्छू ने) डस लिया और उन्होंने उसके इलाज के सिलसिले में हर क़िस्म का भाग-दौड़ की। लेकिन उसे ज़रा भी फ़ायदा न हुआ तो उनमें से कुछ लोगों ने मश्विरा दिया कि अगर तुम लोग उनसे जाकर पूछो जो यहाँ आकर ठहरे हैं तो बहुत मुम्किन है उनमें से किसी के पास कोई चीज़ हो (जिससे सरदार का इलाज हो सके)।

चुनाँचे वो लोग सहाबा किराम (रज़ि.) की इस जमाअत के पास आए और कहने लगे, ऐ लोगों ! हमारे सरदार को बिच्छू या सांप ने डस लिया है और हमने हर क़िस्म का इलाज करके देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ तो क्या तुममें से किसी के पास (उसके इलाज के सिलसिले में) कोई चीज़ है? उनमें से एक शख़्स ने कहा, हाँ! अल्लाह की क़सम! है, मैं उस पर दम कर सकता हूँ लेकिन अल्लाह की क़सम! हमने तुमसे ज़ियाफ़त तलब की थी लेकिन तुमने हमारी ज़ियाफ़त न की। इसलिये मैं उस वक़्त तक उस पर दम और इलाज नहीं करूँगा जब तक तुम कोई मुआवज़ा मुक़र्रर न करोगे। बिलआख़िर बकरियों का एक रेवड़ बतौरे मुआवज़ा देने पर फ़ैसला हो गया और वो शख़्स उनके साथ चला गया और सूरह फ़ातिहा पढ़कर उस पर दम करता रहा और उसका अषर ऐसा हुआ कि गोया उस शख़्स के तमाम बन्धन खुल गए और उठकर चलने लगा और उस पर तकलीफ़ का ज़रा भी अषर बाक़ी न रहा। रावी कहते हैं कि उन लोगों ने तयशुदा मुआवज़ा पूरा-पूरा अदा कर दिया तो कुछ लोगों ने कहा कि उसे आपस में तक़्सीम कर लिया जाए लेकिन जिसने दम झाड़ किया वो कहने लगा, इसे उस वक़्त तक तक़्सीम न करो जब तक कि हम नबी करीम (ﷺ) के पास न पहुँच जाएँ और आप (ﷺ) को सारा माजरा न सुना दें। फिर देखेंगे आप (ﷺ) क्या फ़ैसला फर्माते हैं। चुनाँचे ये लोग नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप (ﷺ) से सारा वाक़िआ बयान किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **तुमको कैसे मा'लूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा दम-झाड़ का काम भी देती है। फिर फ़र्माया, तुमने ठीक किया, उन बकरियों को तक़्सीम कर लो और अपने साथ उसमें मेरा भी हिस्सा रखो।** ये फ़र्माकर आप (ﷺ) इज़्हारे मसर्रत (ख़ुशी) के तौर पर मुस्कुराए।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इजारह बाब 16)

बाब 26 : हर बीमारी की दवा है और इलाज करना मुस्तहसन काम है

1421. हदीष जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना हैं कि अगर तुम्हारी दवाओं और बीमारियों के इलाज की तदबीरों में से किसी तदबीर मे भलाई है तो वो ये है कि :– 1. पछने लगवाना 2. शहद का पीना 3. और आग से दाग़ देना। लेकिन मैं दाग़ को पसन्द नहीं करता। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 4)**

नोट : इस हदीष में तिब्बी नज़रिये (चिकित्सकीय दृष्टिकोण) से बहुत अहम बात बयान की गई है। वैद्य व यूनानी हकीम लोग अपने तजुर्बे के आधार पर बताते हैं कि आम तौर पर ज़्यादातर बीमारियाँ बादी (वायु, वात), ख़ून की तेज़ाबियत (पित्त की ख़राबी) या बलग़म (कफ) की वजह से होती हैं। मिषाल के तौर पर खाँसी, जुकाम, दमा, टीबी वग़ैरह बीमारियाँ बलग़मी बीमारियाँ हैं और उनके इलाज के लिये अलग–अलग तरीक़े से शहद का इस्तेमाल करना मुफ़ीद षाबित होता है। इसी तरह जो बीमारियाँ बादी की वजह से होती हैं उनमें गर्म सेक करने से आराम मिलता है। ख़ून की ख़राबी से होने वाली बीमारियाँ पछने लगवाने (जोंक के ज़रिये या किसी और ज़रिये से थोड़ा ख़ून जिस्म से बाहर निकलवाने) से ठीक होती हैं। हमारे जिस्म के क़ुदरती सिस्टम से नया ख़ून बनता रहता है, जो कि शरीर से निकलवाए हुए बीमार ख़ून की भरपाई कर देता है।

1422. हदीष इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने पछने लगवाए और पछने लगाने वाले को इस काम की उज्रत (मज़दूरी) दी।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल उज़ारह बाब 18)

1423. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) पछने लगवाया करते थे (और इस ख़िदमत की उज्रत अ़ता करते थे क्योंकि) आप (ﷺ) किसी मज़दूर की मज़दूरी बाक़ी न रखते थे।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल उजारह बाब 18)

1424. हदीष इब्ने उ़मर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बुख़ार जहन्नम की आग के खोलने के अषर से है इसलिये उसे पानी से ठण्डा करो।

(स़हीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 10)

1425. हदीष अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) के पास जब कोई औ़रत बुख़ार की ह़ालत में लाई जाती ताकि आप उसके लिये दुआ़ करें तो आप पानी लेकर उसके गिरेबान में डालती थीं और कहती थीं कि नबी करीम (ﷺ) हमें हुक्म दिया करते थे कि हम बुख़ार को पानी से ठण्डा करें।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 28)

1426. हदीष राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) : हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, बुखार जहन्नम की आग के खौलने के अषर से है लिहाज़ा उसे पानी से ठण्डा करो।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 28)

बाब 27 : मरीज़ के मुँह में ज़बरदस्ती दवा डालना मकरूह है

1427. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) बीमार थे हमने आपके दहने मुबारक (मुँह) में दवा डाली तो आप (ﷺ) ने इशारे से मना फ़र्माया कि इस तरह दवा मत डालो लेकिन हमने ख़याल किया कि जिस तरह हर मरीज़ दवा को नापसन्द करता है, आप (ﷺ) भी नापसन्दीदगी की वजह से मना कर रहे हैं। फिर जब आप (ﷺ) को इफ़ाक़ा (तन्दुरूस्ती) हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुमको मना नहीं किया था कि इस तरह दवा न पिलाओ? हमने अ़र्ज़ किया, हमारा ख़याल था कि आप (ﷺ) का मना करना ऐसा ही है जैसा हर मरीज़ दवा से नफ़रत करता है और मना करता है। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, (अब तुम्हारी सज़ा ये है कि) घर में जितने लोग हैं सबके मुँह में दवा डाली जाए, सिवाय हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) के, क्योंकि वो उस वक़्त मौजूद न थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 83)**

बाब 28 : ऊ़द हिन्दी या'नी कुस्त (कुस्त शीरीं, कूठ मीठा) से इलाज का बयान

1428. हदीष उम्मे क़ैस बिन्ते मुहस्सिन (रज़ि.) : हज़रत उम्मे क़ैस (रज़ि.) बयान करती हैं कि **मैं अपने एक छोटे लड़के को जिसने अभी अनाज खाना शुरू नहीं किया था लेकिर नबी करीम (ﷺ) के पास गई तो आप (ﷺ) ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसने आप (ﷺ) के कपड़ों पर पेशाब कर दिया। लिहाज़ा आप (ﷺ) ने पानी मँगवाया और उस कपड़े पर छिड़क दिया और धोया नहीं।**

(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 59)

1429. हदीष उम्मे क़ैस बिन मुहस्सिन (रज़ि.) : हज़रत उम्मे क़ैस (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि तुम पर लाज़िम है कि ऊ़द हिन्दी (कुस्त) इस्ते'माल करो क्योंकि इसमें सात बीमारियों का इलाज है। उ़ज्रह (गले की सूजन) की बीमारी में इसको नाक में चढ़ाया जाए और ज़ातुल जम्ब (निमोनिया) में पिलाया जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 10)**

बाब 29 : हब्बतुस्सौदा (कलौंजी) को बतौरे दवा इस्ते'माल करने का बयान

1430. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, हब्बतुस्सौदा (काला दाना, कलौंजी या काली ज़ीरी) मौत के अलावा हर बीमारी के लिये शिफ़ा बख़्श है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 7)**

बाब 30 : तलबीना बीमार के दिल को सुकून बख़्शता है

1431. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में रिवायत हैं कि **जब आपके रिश्तेदारों में कोई शख़्स मर जाता और उस मौक़े पर औरतें जमा होतीं तो उनके चले जाने के बाद जब सिर्फ़ अहले ख़ाना (घरवाले) और ख़ास़-ख़ास़ औरतें बाक़ी रह जातीं। आप (हज़रत आइशा) एक पत्थर की हण्डिया में तलबीना तैयार करने का हुक्म देतीं। चुनाँचे वो पकाया जाता फिर षरीद तैयार किया जाता और तलबीना षरीद के ऊपर डाल दिया जाता। फिर आप मौजूद ख़्वातीन से फ़र्मातीं, खाओ**

क्योंकि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है, तल्बीना मरीज़ के दिल को सुकून देता है और रंज व ग़म में कमी कर देता है। (सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमह बाब 24)

नोट : तलबीना एक क़िस्म का हरीरा (मलीदा, हलवा) है जो आटे की भूसी (सूजी) या आटे और मेदे को मिलाकर तैयार किया जाता है और कभी–कभी उसमें शहद भी शामिल कर लिया जाता है। इसका रंग सफेद होने की वजह से इसको तलबीना कहते हैं। गोश्त या किसी सब्ज़ी के शोरबे में रोटियों के टुकड़े तोड़कर डाल देने को षरीद कहते हैं।

बाब 31 : शहद के ज़रिये से बीमारियों का इलाज

1432. हदीष अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, मेरे भाई के पेट में तकलीफ़ है (दस्त आ रहा है)। नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, उसे शहद पिलाओ। वो शख़्स दोबारा हाज़िर हुआ (और उसने कहा कि उसे आराम नहीं हुआ)। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, उसे शहद पिलाओ। फिर तीसरी बार आया, आप (ﷺ) ने फिर यही फ़र्माया, उसे शहद पिलाओ। उसने चौथी बार आकर अर्ज़ किया, मैंने उसे शहद पिलाया था (लेकिन उसे आराम नहीं हुआ) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने सच फ़र्माया है और तेरा भाई का पेट झूठ बोलता है उसे शहद पिलाओ। चुनाँचे उसने जाकर उसे फिर शहद पिलाया और वो तन्दुरुस्त हो गया। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 4)**

नोट : **क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने शहद को शिफ़ाउ लिन्नास (इन्सानों के लिये शिफ़ा) कहा है। शहद अनेक बीमारियों का इलाज है। पेट की ख़राबियों में शहद का इस्तेमाल कारगर षाबित होता है। जब किसी को दस्त लग रहे हों तो उसे पानी में घोलकर शहद तब तक पिलाया जाना चाहिये ज़ब तक कि उसे आराम न हो जाए। आजकल डॉक्टर लोग दस्त की बीमारी में नमक–शक्कर का घोल पिलाने की तजवीज करते हैं। शहद से बहुत सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, इसके लिये अलग से पूरी किताब उपलब्ध है।**

बाब 32. ताऊन (प्लेग), बदशगूनी लेने और कहानत (ज्योतिष) का बयान

1433. हदीष उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) : हज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ताऊन (प्लेग) अज़ाब है जो बनी इस्राईल पर, या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन लोगों पर जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं, नाज़िल किया गया था। लिहाज़ा जब तुम सुनो कि किसी इलाक़े में ताऊन फैली हुई है तो वहाँ न जाओ और अगर उस इलाक़े में ताऊन फैल जाए जहाँ तुम रहते हो तो उससे भागने के लिये वहाँ से न निकलो। (और एक रिवायत में ये अल्फ़ाज़ हैं) वहाँ से इस ख़याल से न निकलो कि गोया तुम ताऊन से भागना चाहते हो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 54)

1434. हदीष अब्दुर्रहमान (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) शाम (वर्तमान सीरिया) जाने के लिये निकले यहाँ तक कि आप जब मक़ामे सुरग़ में पहुँचे तो आपसे सरदाराने लश्कर या'नी हज़रत अबू उबैदह (रज़ि.) इब्नुल जर्राह और उनके साथी आकर मिले और उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) को बताया कि सरज़मीने शाम में वबा (महामारी) फैली हुई है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, सहाबा किराम (रज़ि.) में से मुहाजिरीने अव्वलीन को मेरे पास बुलाया जाए। चुनाँचे उनको बुलाया गया और आपने उनको बताया कि शाम में वबा फैली हुई है और उनसे मश्विरा किया (कि इस सूरत में क्या किया जाए)।

उन्होंने मुख़्तलिफ़ आराँ (सलाहें) पेश कीं। कुछ ने कहा कि आप एक काम की ख़ातिर निकले थे और हमारे ख़याल में उसको मुकम्मल (पूरा) किये बग़ैर आपका लौट जाना मुनासिब नहीं। कुछ ने कहा कि आपके साथ बाक़ी लोग और स़ह़ाबा किराम भी हैं और हमारे ख़याल में उन सबको उस वबा के इलाक़े में ले जाना मुनासिब नहीं। उनके इस इख़्तिलाफ़ (मतभेद) को देखकर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आप लोग तशरीफ़ ले जाएँ। फिर कहा कि अन्स़ार को बुलाया जाए चुनाँचे मैं उनको बुलाकर लाया और आपने उनसे मश्विरा तलब़ किया तो उनमें भी इख़्तिलाफ़े राय हो गया और वही कुछ उन्होंने भी कहा जो मुहाजिरीन ने कहा था। तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनसे भी यही कहा कि आप लोग तशरीफ़ ले जाएँ। फिर फ़र्माया कि यहाँ जो क़ुरैश के मशाएख़ फ़तह़ के बाद हिजरत करके आने वालों में से मौजूद हों उन्हें बुलाया जाए। चुनाँचे मैं उनको बुलाकर लाया तो उनमें से दो आदमियों ने भी इख़्तिलाफ़े राय न किया और सबने कहा कि हमारे ख़याल में आप सबके साथ वापस चले जाएँ। लोगों को इस वबा के इलाक़े में लेकर नहीं जाना चाहिए। आख़िरकार ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने मुनादी करा दी कि मैं कल सुबह़ सवार हो जाऊँगा और बाक़ी सब लोग भी सुबह के वक़्त जाने के लिये तैयार होकर आ गये।

(उस मौक़े पर) ह़ज़रत अबू उ़बैदह (रज़ि.) ने कहा, क्या आप अल्लाह की तक़दीर से भागकर जा रहे हैं? ये सुनकर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, ऐ अबू उ़बैदा! काश ये बात किसी और ने कही होती, हाँ! हम अल्लाह की तक़्दीर से भागकर अल्लाह की तक़्दीर की त़रफ़ जा रहे हैं। मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास ऊँट हों और तुम एक ऐसी वादी में उतर जाओ जिसके दो किनारे हों; एक सरसब्ज़ (हरा-भरा) व शादाब और दूसरा ख़ुश्क बंजर, तो क्या ये स़ह़ीह़ नहीं कि तुम अगर अपने ऊँटों को सरसब्ज़ ह़िस़्से में चराओगे तो अल्लाह की तक़्दीर से चराओगे और अगर बंजर ह़िस़्से में चराओगे तो भी अल्लाह की तक़्दीर से चराओगे? अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि फ़िर ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) वापस आ गए जो अपने किसी काम की वजह से ग़ैर ह़ाज़िर थे और उन्होंने ने कहा, मेरे पास इस मसले के सिलसिले में इल्म (ह़दीष़) है। मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है, जब तुम सुनो कि किसी सरज़मीन में वबा फूट पड़ी है तो वहाँ न जाओ और अगर उस इलाक़े में त़ाऊ़न फूट निकले जिसमें तुम रहते हो तो उस वबा से भागने के ख़याल से वहाँ से न निकलो। ये ह़दीष़ सुनकर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा किया और लौट गए। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत़िब बाब 30)**

बाब 33 : छूत, बदशगूनी, हाम्मा, स़फ़र, सितारों के मुवष़्ष़िर (प्रभावी) होने का अ़क़ीदा रखना और भूत-प्रेत का तस़व्वुर; सब लग़्व (फालतू) और बात़िल हैं, अल्बत्ता बीमार को तन्दुरुस्त के साथ न रखा जाए

1435. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, न तो छूतछात का वहम दुरुस्त है और न स़फ़र और हाम्मा की कोई ह़क़ीक़त है। ये सुनकर एक आ़राबी ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! तो आख़िर ऐसा क्यूँ होता है कि मेरे ऊँट रेगिस्तान में ऐसे स़ाफ़-सुथरे होते हैं जैसे हिरण, फिर एक ख़ारिश वाला ऊँट आकर उनमें दाख़िल हो जाता है और सबको ख़ारिश हो जाती है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर ये छूत की वजह से है तो पहले ऊँट को किसकी छूत लगी थी? **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 25)**

नोट : छूत के बारे में दौरे जाहिलियत में लोगों का अ़क़ीदा था कि एक शख़्स़ या जानवर की छूत, दूसरे को लग जाती है। वो ह़क़ीक़त में अल्लाह तआ़ला को मुवष़्ष़िर (प्रभावशाली) नहीं मानते थे। ह़दीष़ में इसी अ़क़ीदे को बात़िल क़रार दिया गया है। स़फ़र पेट की एक बीमारी है जिसके बारे में मुश्रिकों का अ़क़ीदा था कि पेट में एक जानवर घुस जाता है जो भूख के वक़्त ख़ूब तकलीफ़ पैदा करता है, यहाँ तक कि कई बार मरीज़ मर जाता है और उनका

ख़याल था कि ये बीमारी ख़ारिश (खुजली) से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हाम्मा के बारे में अरब के जाहिलों का अक़ीदा था कि मरने वाले की रूह (आत्मा) किसी परिन्दे में घुस जाती है। अरब के लोग उल्लू को मनहूस ख़याल करते थे, उनका वहम था कि अगर ये परिन्दा किसी के घर पर आकर बैठ जाए तो उस घर में किसी न किसी की मौत होगी। ये सब बातें ग़लत हैं।

1436. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बीमार ऊँटों को तन्दरुस्त ऊँटों के पास लाकर न रखा जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 53)**

बाब 34 : बदशगुनी और नेक शगुन लेना और मनहूस चीज़ों का बयान

1437. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, न छूतछात है और न बुरा शगुन लेना जाइज़ है। अल्बत्ता फ़ाल (नेक शगुन) लेना मुझे पसन्द है। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, फ़ाल क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पाकीज़ा कलिमा (अच्छी बात)।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 54)

1438. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना, शगुने-बद नहीं लेना चाहिए और बेहतरीन शगुन फ़ाल है। लोगों ने पूछा, फ़ाल क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई अच्छी बात जो कोई शख़्स सुनता है (और उससे अच्छा शगुन लेता है)।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 43)

नोट : किसी मौक़े पर कोई बात सुनकर या कोई कलाम सुनकर उससे अच्छा नतीजा निकालना (सकारात्मक सोच) बनाना, फ़ाल है और ये जाइज़ है।

1439. हदीष उमर (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, न तो छूतछात है और न शगुने बद लेना दुरुस्त है और नहूसत तीन चीज़ों में हो सकती है, औरत, घर और चौपाया में।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 43)

नोट : छूत से मुराद वो चीज़ है जिससे आजकल डॉक्टर वग़ैरह ख़याल करते हैं कि फलां बीमारी के मरीज़ को देखने या छूने से दूसरे तन्दुरूस्त आदमी को भी वो बीमारी हो जाएगी। बद शगुन से मुराद वो तोहमतें हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई शख़्स कहीं जा रहा हो और उसे पीछे से कोई आवाज़ दे या छींक दे तो माना जाता है कि जिस काम से वो आदमी जा रहा था, वो अब नहीं होगा। ऐसी और भी कई मिषालें हैं, लेकिन ऐसे बद शगुन लेना इस्लाम में मना है। मनहूस होने का मतलब है कि कोई शय किसी के लिये फ़ायदेमन्द न हो।

नहूसत के औरत, घर और चौपाये या सवारी में होने का मतलब यह है कि अगर कोई औरत झगड़ालू मिजाज़ की हो, या अंधविश्वासी हो, या शौहर की नाफ़र्मान हो और हर दम घर में क्लेश करती रहती हो तो उसकी वजह से पारिवारिक सिस्टम बिखर जाता है, ऐसी औरत मनहूस है। नेक औरत अपने शौहर के लिये सुकून का ज़रिया होती है, कभी उसकी नाफ़र्मानी नहीं करती, ग़लती हो जाने पर अड़ने या लड़ने-झगड़ने के बजाय माफ़ी तलब करती है, शौहर की ग़ैर-मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त और शौहर के माल की हिफ़ाज़त करती है।

जिस घर में सुकून व इत्मीनान न मिले, जो बहुत छोटा व तंग हो, जिसके पड़ौसी झगड़ालू और बुरी आदतों वाले

हों; वो घर मनहूस है। जो सवारी काहिल व सुस्त हो, मंज़िले—मक़सूद (लक्ष्य) पर न पहुँचाए और अल्लाह की राह में काम न आए; वो सवारी मनहूस है।

1440. ह़दीष़ सहल बिन सअ़द साअ़दी (रज़ि.) : ह़ज़रत सहल (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी में नहूसत का होना मुम्किन है तो वो औ़रत, घोड़ा और मकान हैं।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियर बाब 47)

बाब 37 : साँप वग़ैरह को हलाक करने का बयान

1441. ह़दीष़ इब्ने उ़मर व अबू लुबाबा (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को मिम्बर पर ख़ुत्बे में इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, साँपों को हलाक कर दो, ख़ास़ तौर पर उन साँपों को जिन पर दो धारियाँ होती हैं और दुम बुरीदा साँपों को ज़रूर हलाक करो क्योंकि ये अँधा कर देते हैं और उन (के डर) से ह़मल गिर सकता है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) कहते हैं कि एक बार मैं एक साँप को ढूँढ़ रहा था ताकि उसे हलाक करूँ तो मुझे ह़ज़रत अबू लुबाबा (रज़ि.) ने आवाज़ दी कि उसे न हलाक करना। मैंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने साँपों को हलाक करने का हुक्म दिया है। अबू लुबाबा (रज़ि.) ने कहा, बाद में आप (ﷺ) ने घर में रहने वाले साँपों को जिन्हें अ़वामिर कहा जाता है, मारने से मना कर दिया था। एक रिवायत में इस तरह है, मुझे अबू लुबाबा (रज़ि.) या ज़ैद बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने देखा और मारने से मना किया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 14)**

1442. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक ग़ार (गुफा) में बैठे थे कि आप (ﷺ) पर सूरह **वल मुर्सिलात** नाज़िल हुई और हमने ये सूरह आप (ﷺ) की जुबाने मुबारक से सीखी। अभी आप (ﷺ) ये सूरह तिलावत फ़र्मा ही रहे थे कि एक साँप निकल आया, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उसे मार दो। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम उसे मारने के लिये झपटे लेकिन वो हमसे तेज़ निकला (और भाग गया) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो तुम्हारे शर से बच गया और तुम उसके शर से। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह मुर्सलात बाब 1)**

बाब 38 : गिरगिट का मारना मुस्तह़ब है

1443. ह़दीष़ उम्मे शुरैक (रज़ि.) : ह़ज़रत उम्मे शुरैक (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे गिरगिट (छिपकली वग़ैरह) के मारने का हुक्म दिया था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब15)**

1444. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने गिरगिट को फ़ुवेसिक़ (मूज़ी शरीर) ज़रूर फ़र्माया लेकिन मैंने आप (ﷺ) को उसके मारने का हुक्म देते नहीं सुना।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब जज़ाउस्सैदि)

बाब 39 : चींटियों को मारने की मुमानअ़त

1445. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, एक चींटी ने किसी नबी के काट खाया तो उनके हुक्म से चींटियों की पूरी बस्ती को जला दिया गया। लिहाज़ा अल्लाह तआ़ला ने उनकी त़रफ़ वह्य नाज़िल फ़र्माई, एक चींटी ने तुम्हें काटा लेकिन तुमने (इंतिक़ाम के तौर पर) एक पूरी उम्मत को जला दिया, हालाँकि ये उम्मत अल्लाह की तस्बीह़ बयान करती थी।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 153)

बाब 40 : बिल्ली को हलाक करना ह़राम है

1446. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक औ़रत को बिल्ली की वजह से अ़ज़ाब दिया गया। उस औ़रत ने बिल्ली को क़ैद कर दिया यहाँ तक कि वो हलाक हो गई और औ़रत इस जुर्म की वजह से जहन्नम में गई। उस औ़रत ने जबसे उसे क़ैद किया था न उसे कुछ खिलाया और न पिलाया और न उसे आज़ाद किया कि ज़मीन के कीड़े–मकोड़े खा सकती।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 54)

बाब 41 : ग़ैर मूज़ी (हानि रहित) जानवरों को खिलाने और पानी पिलाने का ष़वाब

1447. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स कहीं जा रहा था कि उसे सख़्त प्यास लगी चुनाँचे उसने एक कुँए में उतरकर पानी पिया और बाहर निकल आया। अचानक उसे एक कुत्ता नज़र आया जो हाँप रहा था, उसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई थी और प्यास के मारे गीली मिट्टी चाट रहा था, तो उस शख़्स ने सोचा कि इस कुत्ते का भी प्यास से वही ह़ाल हो रहा होगा जो मेरा था। लिहाज़ा उसने (कुँए में उतरकर) अपना मौज़ा पानी से भरा, उसे मुँह में पकड़कर बाहर निकला और कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह तआ़ला ने उसकी इस नेकी को क़ुबूल फ़र्मा लिया और उसे बख़्श दिया। स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या जानवरों को खिलाने–पिलाने का भी हमें अज्र मिलता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर तर–जिगर (जीवधारी) को खिलाने पिलाने का ष़वाब है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मसाक़ात बाब 9)

1448. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक प्यासा कुत्ता जो प्यास की वजह से क़रीबुल मर्ग (मौत के क़रीब) था, एक कुँए के इर्द–गिर्द चक्कर काट रहा था कि उसे बनी इस्राईल की एक बदकार औरत (कँजरी) ने देखा और अपना मौज़ा उतारकर उसमें उसे पानी पिलाया। उसकी इस नेकी के बदले में अल्लाह तआ़ला ने उसके गुनाह बख़्श दिये।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 54)

किताबुल अल्फ़ाज़ मिनल अदबि व ग़ैरहा

बोलचाल और लफ़्ज़ों के इस्ते'माल के आदाब

बाब 1 : ज़माने को गाली देने की मुमानअ़त

1449. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, बनी आदम मुझे तकलीफ़ देते हैं (इस तरह) कि ज़माने को गाली देते हैं जबकि ज़माना मैं ख़ुद हूँ, तमाम उमूर (कामों) का इख़्तियार मेरे हाथ में है; मैं ही दिन और रात का उलटफेर करता हूँ।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह जाषि़या बाब1)

बाब 2 : अँगूर को करम कहना मकरूह है

1450. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोग अँगूर की बेल को करम कहते हैं हालाँकि करम तो सिर्फ़ मोमिन का लक़ब है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 102)

बाब 3 : अ़ब्द (बन्दा) व अम्त (बन्दी) और मौला व सय्यिद वग़ैरह अल्फ़ाज़ बोलने के बारे में अह़काम

1451. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स़ को (अपने गुलाम से) ये नहीं कहना चाहिए कि अपने रब (मालिक) को खाना खिलाओ या अपने रब को वुज़ू कराओ या अपने रब को पानी पिलाओ बल्कि कहना चाहिए कि अपने सय्यद या मौला (आक़ा) को (खिलाओ, वुज़ू कराओ या पानी पिलाओ वग़ैरह)। इसी तरह कोई शख़्स़ (अपने गुलाम और लौण्डी को) अ़ब्दी और अमती न कहे बल्कि मेरे लड़के मेरी लड़की या मेरे ख़ादिम कहना चाहिए। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 17)**

बाब 4 : ये कहना कि मेरा नफ़्स ख़बीष़ (शैतान) हो गया, मकरूह है

1432. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स़ को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा नफ़्स ख़बीष़ हो गया है बल्कि (इसी मा'नी को अदा

करने के लिये कोई लफ़्ज़ इस्ते'माल करना चाहिए मष़लन) कहे, **लक़सत नफ़्सी** (मअ़ना तक़रीबन एक ही है)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 100)

1453. ह़दीष़ सहल बिन ह़नीफ़ (रज़ि.) : ह़ज़रत सहल (रज़ि.) रिवायत करते हैं नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स़ को इस तरह़ नहीं कहना चाहिए कि मेरा नफ़्स ख़बीष़ हो गया है बल्कि कहना चाहिए, **लक़सत नफ़्सी** (मअ़नी एक ही हैं)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 100)**

किताबुश्शेर

1454. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे सच्ची बात जो किसी शायर ने कही वो लुबैद का ये मिस्रा है, **अला कुल्लु शैइन मा ख़ललल्लाहि बातिलुन** अल्लाह तआला के सिवा हर चीज़ फ़ानी है। और उमय्या बिन सुल्त भी क़रीब था कि मुसलमान हो जाए (या'नी अपने अश्आर में तौहीद के मज़ामीन बयान करने के बावजूद उसे मुसलमान होने की तौफ़ीक़ न मिली)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 90)

1455. हदीष अबू हुरैरह(रजि) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये कि किसी शख़्स का पेट पीप से भर जाए (जो उसको अंदर ही अंदर खा जाए) उससे कहीं बेहतर है कि कोई शख़्स अपने बातिन को शे'र से भर ले। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 92)**

किताबुररूया

ख़्वाब और उनकी ताबीर का बयान

1456. हदीष अबू क़तादा (रज़ि.) : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, अच्छे ख़्वाब अल्लाह तआला की तरफ़ से होते हैं और बुरे ख़्वाब शैतान की तरफ़ से। लिहाज़ा अगर किसी को ख़्वाब में कोई नापसन्दीदा चीज़ नज़र आए तो उसे चाहिए कि बेदार होते ही तीन बार थू–थू करे और शैतान और उसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करे तो उस ख़्वाब से उसे कोई नुक़्सान नहीं पहुँचेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तिब बाब 39)

1457. हदीष अबू हुरैरह (रजि) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब ज़माना मुअतदिल होता है (या'नी दिन और रात बराबर होते हैं और मौसम ख़ुशगवार होता है) तो मोमिन का ख़्वाब अकषर झूठा नहीं होता और नुबुव्वत के छियालीस हिस्सों में से एक हिस्सा मोमिन का ख़्वाब भी है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तअबीर बाब 26)

1458. हदीष उबादह बिन सामित (रज़ि.) : हज़रत उबादह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन का ख़्वाब नुबुव्वत के छियालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तअबीर बाब 4)

1459. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन का ख़्वाब छियालीस अजज़ा–ए–नुबुव्वत में से एक जुज़ है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तअबीर बाब 10)**

1460. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन का ख़्वाब नबुव्वत के छियालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है। (सहीह बुख़ारी किताबुत्तअबीर बाब 4)

नोट : इन तमाम अहादीष का मफ़हूम (भावार्थ) यह है कि अल्लाह तआला ख़्वाबों के ज़रिये मोमिनों की रहनुमाई करता है। नबुव्वत का छियालीसवां हिस्सा होने का मतलब ये है कि सच्चे ख़्वाब भी नुबुव्वत का एक हिस्सा हैं क्योंकि ये हदीष है कि नबी का ख़्वाब भी वह्य होता है यानी अल्लाह की तरफ़ से होता है। जब कोई मोमिन अल्लाह से किसी मामले में इस्तिख़ारा करता है तो अल्लाह तआला की तरफ़ से उसे ख़्वाब के ज़रिये रहनुमाई मिलती है।

बाब 1 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद, जिसने मुझे ख़्वाब में देखा उसने फ़िल हक़ीक़त मुझे ही देखा

1461. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते सुना, जिसने मुझे ख़्वाब में देखा अनक़रीब वो मुझे बहालते बेदारी भी देखेगा (या'नी बरोज़े क़ियामत) और पहचान लेगा) क्यूँकि शैतान मेरी शक्ल में नमूदार नहीं हो सकता। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तअबीर बाब 10)**

बाब 3 : ख़्वाबों की तअबीर का बयान

1462. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, मैंने ख़्वाब में गुज़िश्ता रात देखा कि एक बदली है और उसमें से घी और शहद क़तरा-क़तरा (बून्द-बून्द) टपक रहा है और लोग उसको अपने चुल्लुओं में भर रहे हैं, कुछ लोगों ने ज़्यादा लिया और कुछ ने कम। फिर मैंने देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक रस्सी लटक रही है, फिर मैं देखता हूँ कि आप (ﷺ) ने उस रस्सी को पकड़ा और उसके ज़रिये से आसमान पर पहुँच गए; फिर आपके बाद एक और शख़्स ने उस रस्सी को पकड़ा और वो भी उसकी मदद से आसमान पर पहुँच गया; फिर एक और शख़्स ने वो रस्सी थामी और वो भी पहुँच गया। उसके बाद एक ओर शख़्स ने पकड़ी तो वो रस्सी कट गई, लेकिन फिर जुड़ गई। ये ख़्वाब सुनकर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान! मुझे इजाज़त दीजिए कि इस ख़्वाब की तअबीर मैं बयान करूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बयान करो।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, वो बदली जो उस शख़्स ने ख़्वाब में देखी उससे मुराद दीने इस्लाम है और उस बदली में से जो घी और शहद टपक रहा है वो क़ुर्आन है, गोया क़ुर्आन की शीरनी (मिठास) टपक रही है। अब कुछ लोग हैं, जिन्होंने क़ुर्आन ज़्यादा सीखा और कुछ ने कम हासिल किया, और ये जो रस्सी आसमान से ज़मीन तक लटक रही है, ये वो हक़ व सदाक़त है जिस पर आप (ﷺ) क़ायम हैं, और उसी हक़ को मज़बूत थाम लेने से अल्लाह तआला आप (ﷺ) को बुलन्दियों तक पहुँचाएगा। आप (ﷺ) के बाद एक और शख़्स इस रस्सी को थामेगा और वो भी उसकी मदद से बुलन्दियों तक पहुँच जाएगा। फिर एक और शख़्स उस रस्सी को पकड़ेगा और वो भी बुलन्दियों पर पहुँच जाएगा। फिर एक और शख़्स उस रस्सी को पकड़ेगा लेकिन उसके हाथों में रस्सी टूट जाएगी लेकिन फिर जुड़ जाएगी और वो भी बुलन्दी पर पहुँच जाएगा। या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान! मुझे बताइए कि मैंने तअबीर सही बयान की है या इस ख़्वाब की तअबीर में ग़लती की है? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुछ सही है और कुछ में तुमसे ग़लती हुई है। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, आप (ﷺ) को अल्लाह की क़सम! आप (ﷺ) मुझे बताएँ कि मैंने क्या क्या ग़लत तअबीर की है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम मत दिलाओ। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तअबीर बाब 47)**

बाब 4 : नबी करीम (ﷺ) के ख़्वाब

1463. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने ख़्वाब में देखा कि मैं मिस्वाक कर रहा हूँ। उसी दौरान में मेरे पास दो शख़्स आए जिनमें एक दूसरे से बड़ा था। मैंने छोटे को मिस्वाक दी तो मुझसे कहा गया, बड़े को दीजिए। चुनाँचे मैंने मिस्वाक बड़े को दे दी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 74)

1464. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने ख़्वाब में देखा कि मैं मक्का से एक ऐसी सरज़मीन की तरफ़ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ खजूर के दरख़्त हैं तो मुझे ख़याल गुज़रा कि वो मक़ाम यमामा या हिज्र होगा। लेकिन दरहक़ीक़त वो मदीना या'नी यष्रिब था और मुझे अपने उसी ख़्वाब में नज़र आया कि मैंने एक तलवार हिलाई और वो बीच में से टूट गई, ये दरअसल वो मुसीबत थी जो उहुद के दिन मुसलमानों पर आई। फिर मैंने वही तलवार दोबारा हिलाई तो वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हालत में हो गई। और ये वो फ़तह थी जो अल्लाह तआला ने (उसके बाद) अता फ़र्माई थी और मुसलमान मुत्तहिद व मुज्तमअ हो गए और मैंने ख़्वाब में गाएं देखीं और अल्लाहु ख़ैरुन (सुना)। ये गाएं तो मुसलमानों में से वो लोग थे जो उहुद के दिन शहीद हुए और खैर से वो ख़ैर व ष्वाब मुराद है जो अल्लाह तआला ने हमको बद्र के बाद से अब तक अता फ़र्माई है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

1465. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब (मदीना में) आया और उसने कहना शुरू कर दिया कि मुहम्मद (ﷺ) अपने बाद मुझे अपना नायब मुक़र्रर कर दें तो मैं आप (ﷺ) की इताअत करने को तैयार हूँ। मुसैलमा अपने साथ अपनी क़ौम के बहुत से अफ़राद लाया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके पास तशरीफ़ ले गए उस वक़्त आप (ﷺ) के साथ षाबित बिन क़ैस बिन शम्मास (रज़ि.) भी थे और नबी करीम (ﷺ) के दस्ते मुबारक में लकड़ी का एक टुकड़ा था, आप (ﷺ) मुसैलमा और उसके साथियों के पास आकर खड़े हो गये और आपने फ़र्माया, ऐ मुसैलिमा! तू अगर मुझसे ये लकड़ी का टुकड़ा भी माँगे तो मैं तुझे न दूँगा और तेरे बारे में जो अल्लाह का हुक्म है, मामला उससे तजावुज़ नहीं करेगा। अगर तूने मुझसे रूगर्दानी की तो अल्लाह तआला तुझे हलाक कर देगा और मैं तो तुझे वैसा ही देख रहा हूँ जैसा तू मुझे ख़्वाब में दिखाया गया था। और ये (हज़रत) षाबित (रज़ि.) बिन क़ैस तुझे मेरी तरफ़ से जवाब देगा। ये फर्माकर आप (ﷺ) वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि उसके बाद मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) के इस इर्शाद का क्या मफ़्हूम था कि मैं तुझे वैसा ही देख रहा हूँ जैसा तू मुझे ख़्वाब मे दिखाया गया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 70)**

1466. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने मुझे बताया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने ख़्वाब में देखा कि मेरे दोनों हाथों में सोने के दो कँगन हैं, उन्हें देखकर मुझे रंज हुआ तो अल्लाह तआला ने मुझे बज़रिये वह्य उन पर फूँकने का हुक्म दिया और मैंने उन पर फूँका तो वो दोनों उड़ गए। मैंने उसकी ये तअबीर ली कि उनसे मुराद दो कज़्ज़ाब हैं जो मेरे बाद ख़ुरूज करेंगे एक अबुल अस्वद अन्सी और दूसरा मुसैलिमा कज़्ज़ाब। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 70)**

1467. हदीष समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) : हज़रत समुरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) अकषर फ़र्माया करते थे, क्या तुममें से किसी ने कोई ख़्वाब देखा है? रावी बयान करते हैं, तो जिसके बारे में अल्लाह ने चाहा होता वो अपना ख़्वाब आप (ﷺ) से बयान करता। फिर एक दिन सुबह के वक़्त आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आज रात मेरे पास दो फ़रिश्ते आए और उन्होंने मुझे नींद से बेदार करके (जगाकर) खड़ा किया और कहा, चलिये! चुनाँचे मैं उनके साथ चल पड़ा और हम एक शख़्स के पास पहुँचे जो लेटा हुआ था और एक दूसरा शख़्स उसके पास पत्थर उठाए खड़ा था। अचानक मैं देखता हूँ कि उस शख़्स ने वो पत्थर उसके सर पर दे मारा, जिससे उसका सर फट जाता है, जब वो पत्थर लुढ़ककर दूर चला जाता तो वो शख़्स उसके पीछे जाता और उसे उठा लेता, लेकिन वो

अभी वापस न आया होता कि उसका सर फिर पहले की तरह सहीह व सालिम हो जाता और वो शख़्स फिर दोबारा वही पत्थर उसके सर पर दे मारता जैसे पहले मारा था। मैं ने ये देखकर तअज्जुब से उनसे पूछा, सुब्हानल्लाह! ये दोनों शख़्स कौन हैं और उनका मामला क्या है?

उन दोनों (फ़रिश्तों) ने मुझसे कहा, आगे चलिये।

नबी करीम (ﷺ) फ़र्माते हैं, हम फिर आगे चल पड़ते हैं और एक शख़्स के पास पहुँचते हैं जो गुद्दी के बल चित्त लेटा हुआ है और एक दूसरा शख़्स लोहे का एक आँकड़ा लेकर उसके सर पर खड़ा है और वो आँकड़ा उस शख़्स के चेहरे के एक जानिब में गाड़कर उसके एक गाल एक नथुने और एक आँख को गुद्दी तक चीर डालता है। फिर वो उस शख़्स के चेहरे की दूसरी जानिब की तरफ़ मुड़ता है और उस हिस्से को भी उसी तरह चीर देता है लेकिन अभी वो चेहरे की इस जानिब से फ़ारिग़ भी नहीं हो पाता कि दूसरी जानिब फिर पहले की तरह सही सालिम हो जाती है और वो शख़्स उसके साथ फिर वही अमल दोहराता है जो पहले किया था। ये देखकर मैंने हैरत से पूछा, सुब्हानल्लाह! ये दोनों शख़्स कौन हैं और ये उनका मामला क्या है?

उन दोनों ने कहा, आगे चलिये।

चुनाँचे हम चल पड़े और एक तन्नूर-नुमा चीज़ पर पहुँचे तो वहाँ कुछ शोर और मुख़्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई दीं, आप (ﷺ) फ़र्माते हैं कि हमने झांककर देखा तो उसमें कुछ मर्द और कुछ औरतें बरहना (नंगे) नज़र आए जिनके नीचे की जानिब से उनके पास आग की एक लपट आती थी, जब ये लपट आती तो ये लोग चीख़ने चिल्लाने लगते। मैं ने पूछा ये कौन लोग हैं और इनका क्या मामला है?

उन दोनों ने कहा, आगे चलिये।

आप (ﷺ) फ़र्माते हैं कि फिर हम और आगे चल पड़े और एक नहर पर पहुँचे जो बिलकुल ख़ून की तरह लाल रंग थी और नहर के अंदर एक शख़्स तैर रहा है और उस नहर के किनारे पर एक शख़्स खड़ा है जिसके पास बहुत पत्थर हैं। जब वो तैरने वाला शख़्स तैरकर उस शख़्स के पास पहुँचता जिसने पत्थर जमा कर रखे थे तो उसके आगे अपना मुँह खोल देता और उसके मुँह में एक पत्थर डाल देता और तैरता हुआ चला जाता फिर दोबार लौटकर वापस आता जैसे पहले आया था और उसके आगे अपना मुँह खोल देता और वो उसके मुँह में फिर एक पत्थर डाल देता। मैंने उन दोनों से पूछा, ये दोनों शख़्स कौन हैं और इनका क्या मामला है?

उन्होंने कहा, चलो आगे चलो।

चुनाँचे हम फिर चल पड़े तो एक शख़्स के पास पहुँचे जो इतना करीयहुल—मंज़र (ख़ौफ़नाक नज़ारा) था जितना ज़्यादा करीयहुल—मंज़र कोई तुम देख सकते हो और उसके पास आग थी जिसे वो दहका रहा था और उसके पास तवाफ़ कर रहा था। मैंने अपने साथियों से पूछा ये कौन हैं और क्या कर रहे हैं?

उन्होंने कहा, आगे चलिये और आगे चलिये।

चुनाँचे हम मज़ीद आगे चले और बाग़ में पहुँचे जिसमें घनी हरियाली थी और उसमें मौसमे बहार के हर तरह के फूल खिले हुए थे और उस बाग़ के बीच में एक शख़्स था जिसका क़द इस क़दर लम्बा था कि मैं उसके सर को जो आसमान तक चला गया था, देखने से क़ासिर (असमर्थ) था और उसके आसपास इतने बच्चे मौजूद थे कि मैंने पहले कभी नहीं देखे ' मैंने अपने दोनों साथियों से पूछा, ये शख़्स कौन है और ये बच्चे कैसे हैं?

उन्होंने कहा, आगे और आगे चलिये।

हम आगे बढ़े तो एक बाग़ में पहुँचे जिससे बड़ा और ख़ूबसूरत बाग़ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन

दोनों ने मुझसे कहा, ऊपर तशरीफ़ ले जाइये।

नबी करीम (ﷺ) बयान फ़र्माते हैं कि हम उस बाग़ में चढ़ते चले गए यहाँ तक कि एक शहर में जा पहुँचे जो सोने और चाँदी की ईंटों का बना हुआ था। हम उस शहर के दरवाज़े पर पहुँचे और दरवाज़ा खोलने के लिये कहा जो खोल दिया गया और हम अंदर गए तो वहाँ हमें ऐसे लोग नज़र आए जिनका आधा जिस्म तो इस क़दर ख़ूबसूरत था जितना ज़्यादा से ज़्यादा ख़ूबसूरत होना मुम्किन है और आधा बदन इतना बदसूरत था जिस क़दर ज़्यादा से ज़्यादा बदसूरत हो सकता है।

उन दोनों शख़्सों ने उन लोगों से कहा, जाओ इस नहर में उतर जाओ।

नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, और हमारे सामने अर्ज़ (ज़मीन) में एक नहर बह रही थी जिसका पानी ख़ालिस दूध की तरह सफ़ेद था। चुनाँचे ये लोग जाकर उस नहर में उतर गए और फिर निकलकर हमारे पास लौट आए और उनकी सारी बदसूरती जाती रही और वो बहुत ही ख़ूबसूरत शक्ल वाले हो गये। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उन दोनों शख़्सों ने मुझसे कहा, ये जन्नते अदन है और यही आपकी क़ियामगाह है।

नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर मैंने ऊपर की जानिब अपनी निगाह उठाई तो मुझे एक महल नज़र आया जो बादल की तरह बिलकुल सफ़ेद था। उन्होंने कहा, ये आप (ﷺ) का महल है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने उन दोनों से कहा कि अल्लाह तआला तुमको बरकत अता करे मुझे उस महल के अंदर जाने की इजाज़त दो। वो कहने लगे, अभी नहीं अल्बत्ता आप (ﷺ) उसमें ज़रूर दाख़िल होंगे।

मैंने उन दोनों से कहा कि आज रातभर मैंने जो अजीबो–ग़रीब चीज़ें देखी हैं उनके बारे में बताओ कि वो क्या थीं? वो कहने लगे, लीजिए हम आपको बता देते हैं।

वो पहला शख़्स जिसके पास आप पहुँचे थे जिसका सर पत्थर से फोड़ा जा रहा था, वो ऐसा शख़्स था जिसने क़ुर्आन का इल्म हासिल किया और फिर उस पर अमल नहीं किया और फ़र्ज़ नमाज़ों से लापरवाही बरतता था।

और वो शख़्स जिसके पास आप (ﷺ) गए थे जिसका जबड़ा गुद्दी तक चीरा जा रहा था और उसका नथुना भी और आँख भी गुद्दी तक चीरी जा रही थी ये ऐसा शख़्स था जो सुबह–सुबह अपने घर से निकलकर ऐसी झूठी अफ़वाहें गढ़ता था जो पूरी दुनिया में फैल जाती थीं।

और वो बरहना (नंगे) मर्द और औरतें जो तन्नूर में देखी थीं वो ज़िनाकार (बदकार) मर्द और ज़ानी औरतें थीं।

और वो शख़्स जो नहर में तैर रहा था और पत्थर का लुक़्मा खा रहा था वो सूदख़ोर था।

और वो बदसूरत शख़्स जो आप (ﷺ) को आग के पास नज़र आया जो आग दहका रहा था और उसके आसपास चक्कर काट रहा था वो दोज़ख़ का दारोग़ा मालिक था।

और वो लम्बे शख़्स जो आप (ﷺ) को बाग़ में नज़र आए हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) थे और बच्चे जो आप (ﷺ) ने उनके आसपास देखे वो ऐसे बच्चे थे जो दीने फ़ितरत(इस्लाम) पर मरे।

रावी बयान करते हैं कि कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुश्रिकों के बच्चे कहाँ होंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुश्रिकों के बच्चे भी वहीं होंगे।

और वो लोग जिनका आधा जिस्म ख़ूबसूरत और आधा बदसूरत था, ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ नेक आमाल किये और उनके साथ बुरे आमाल ख़लत़–मलत़ कर दिये गये लेकिन अल्लाह तआला ने उन्हें मुआफ़ फ़र्मा दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तअबीर बाब 48)**

किताबुल फ़ज़ाइल

बाब 3 : रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअजज़ात

1468. ह़दीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को उस ह़ालत में ख़ुद देखा है कि अ़स्र की नमाज़ का वक़्त हो गया था और लोग वुज़ू के लिये पानी की तलाश में थे लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। फिर नबी करीम (ﷺ) के वुज़ू के लिये पानी लाया गया तो आप (ﷺ) ने उस बर्तन में अपना दस्ते मुबारक रख दिया और लोगों को हुक्म दिया कि वो वुज़ू करें। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने देखा कि पानी आपकी उंगलियों में से फूट रहा था यहाँ तक कि सब लोगों ने अव्वल से लेकर आख़िर तक उस पानी से वुज़ू किया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 32)**

1469. ह़दीष़ अबू ह़मीद साअ़दी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू ह़मीद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम ग़ज़व-ए-तबूक में नबी करीम (ﷺ) के साथ थे। जब आप (ﷺ) वादी-ए-क़ुरा में पहुँचे तो एक बाग़ में एक औ़रत नज़र आई। आप (ﷺ) ने अपने स़ह़ाबा किराम से फ़र्माया, उसके फल का अंदाज़ा लगाओ और ख़ुद आप (ﷺ) ने उसके फल का अंदाज़ा दस वसक़ (30 क्विण्टल) लगाया और उस औ़रत से फ़र्माया, इस बाग़ का जो फल उतरे उसका ह़िसाब रखना। फिर जब हम तबूक पहुँचे तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, आज रात सख़्त आँधी चलेगी तो तुममें से कोई शख़्स़ उठकर खड़ा न हो और जिसके साथ ऊँट हो वो उसे बाँधकर रखे। चुनाँचे हमने अपने ऊँटों को बाँध दिया और इस क़दर शदीद आँधी आई कि एक शख़्स़ उठा तो उसे आँधी ने उठाकर तैइ पहाड़ पर फेंक दिया और उसी मौक़े पर ईला के बादशाह ने नबी करीम (ﷺ) को बत़ौर तोह़फ़ा एक सफ़ेद खच्चर भेजा और आप (ﷺ) ने उसे चादर बत़ौरे ख़िल्अ़त अ़त़ा फ़र्माई और उसके मुल्क की हुकूमत का परवाना उसे अ़त़ा कर दिया।

फिर जब हम वादी क़ुरा में वापस पहुँचे तो आप (ﷺ) ने उस औ़रत से पूछा, तेरे बाग़ का फल कितना हुआ था उसने बताया कि दस वसक़ पैदावार उतरी थी, या'नी नबी करीम (ﷺ) ने जो अंदाज़ा लगाया था उसी के मुत़ाबिक़। फिर नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मैं मदीना जल्दी पहुँचना चाहता हूँ तुममें से जिसका इरादा जल्दी जाने का हो वो फ़ौरन मेरे साथ चल पड़े।

फिर जब मदीना मुनव्वरा नज़र आने लगा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये त़ाब्बह है। फिर जब आप (ﷺ) ने कोहे उहुद को देखा तो फ़र्माया, ये पहाड़ी हमसे मुह़ब्बत करती है और हम उससे मुह़ब्बत करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुमको अन्स़ार के सबसे बेहतर घरों के बारे में न बताऊँ? स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, ज़रूर या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे बेहतर घर बनी नज्जार के हैं , फिर बनी अ़ब्दुल अश्हल के, फिर बनी साइदह के या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी ह़ारिष़ बिन ख़ज़रज के और अन्स़ार के सब घरों में भलाई और

ख़ैर मौजूद है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 54)**

(रावी बयान करते हैं) फिर ह़ज़रत सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) हमसे आकर मिले तो ह़ज़रत अबू उसैद (रज़ि.) ने कहा, क्या आपने नहीं देखा कि नबी करीम (ﷺ) ने अन्स़ार के घरों की बेहतरी बयान की तो हमको सबसे आख़िर में रखा। ये सुनकर ह़ज़रत सअ़दी (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अन्स़ार के घरों की फ़ज़ीलत बयान की गई तो हमको सबसे आख़िर में रखा गया। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क्या तुम्हारे लिये इतना काफ़ी नहीं है कि तुम भी बेहतरीन लोगों में शामिल हो।

(स़हीह़ बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्स़ार बाब 7)

बाब 4 : नबी करीम (ﷺ) के तवक्कुल का बयान और अल्लाह तआ़ला का आप (ﷺ) को लोगों के हाथों से मह़फ़ूज़ (सुरक्षित) रखना

1470. ह़दीष़ जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने नबी करीम (ﷺ) के साथ ग़ज़्व–ए–नजद में शिरकत की। जब सख़्त गर्मी का वक़्त हुआ तो आप (ﷺ) एक ऐसी वादी में उतरे जिसमें अ़ज़ाअ (एक काँटेदार बड़ा दरख़्त) के दरख़्त बहुत थे तो आप (ﷺ) ने एक दरख़्त के नीचे पड़ाव किया और उसके साये में आराम फ़र्माने लगे, और आप (ﷺ) ने अपनी तलवार उस दरख़्त के साथ लटका दी। बाक़ी लोग भी बिखरकर अलग दरख्तों के साये में आराम करने लगे। हम इसी ह़ाल में थे कि हमें जनाब नबी करीम (ﷺ) ने आवाज़ दी, चुनाँचे हम नबी करीम (ﷺ) के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि आप (ﷺ) के रूबरू एक बदवी बैठा है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं सो रहा था कि ये शख़्स़ आया और उसने मेरी तलवार सूंत ली। जब मैं जागा तो ये शख़्स़ मेरे सर पर नंगी तलवार सूंते खड़ा था, उसने मुझसे पूछा, तुमको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा, अल्लाह! ये सुनकर उसने तलवार नियाम में कर ली फिर बैठ गया और वो शख़्स़ ये है। ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने उस शख़्स़ को कोई सज़ा नहीं दी।

(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 32)

बाब 5 : उस इ़ल्म व हिदायत की मिष़ाल जो नबी करीम (ﷺ) लेकर आए

1471. ह़दीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ने जो हिदायत और इ़ल्म देकर मुझे भेजा है उसकी मिष़ाल घनी बारिश की सी है जो ज़मीन पर बरसती है तो कोई ज़मीन तो आ़ला दर्जे की होती है जो पानी को जज़्ब कर लेती है और उसमें ख़ूब चारा और सब्ज़ा उगता है; और कोई ज़मीन सख़्त होती है जो पानी को रोक लेती है और अल्लाह उस पानी से लोगों को नफ़ा पहुँचाता है कि वो उसे पीते हैं और खेतीबाड़ी के काम में लाते हैं; और यही बारिश ऐसी ज़मीन पर बरसती है जो सपाट और चिकनी होती है न तो पानी को रोककर जमा करती है और न उसमें चारा उगता है। वो (पहली दो) मिष़ालें तो उस शख़्स़ की हैं जिसने अल्लाह के दीन को समझा और उसको उस इ़ल्म ने जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है नफ़ा पहुँचाया, उसने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों को इ़ल्म सिखाया और ये (तीसरी) मिष़ाल उस शख़्स़ की है जिसने अपने ग़ुरूर व तकब्बुर की वजह से उस तरफ़ तवज्जुह ही नहीं दी और अल्लाह की उस हिदायत को जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है क़ुबूल नहीं किया। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल इ़ल्म बाब 20)**

बाब 6 : नबी करीम (ﷺ) की अपनी उम्मत के लिये शफ़क़त और नुक़्सानदेह चीज़ों से अपने उम्मतियों को डराने और बचाने का बयान

1472. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, मेरी और (मेरी उम्मत के) लोगों की मिषाल ऐसी है जैसे एक शख़्स आग रोशन करता है और जब उसके चारों तरफ़ रोशनी फैल जाती है और पतंगे व परवाने जो आग में गिरा करते हैं, आकर उस आग में गिरने लगते हैं तो वो शख़्स उनको खींचता और रोकता है लेकिन वो नहीं रुकते और आग में गिर जाते हैं। इसी तरह मैं तुमको तुम्हारी कमर पकड़कर जहन्नम की आग में गिरने से रोकता हूँ, लेकिन लोगों का हाल ये है कि वो जहन्नम में गिरे जाते हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 26)**

बाब 7 : नबी करीम (ﷺ) के ख़ातिमुन्नबिय्यीन होने का बयान

1473. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी और मुझसे पहले आने वाले अम्बिया की मिषाल ऐसी है जैसे एक शख़्स ने एक मकान बनाया जिसे बेहतरीन सूरत में ता'मीर किया और सजाया बनाया, लेकिन एक पहलू में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी और लोग उस मकान के आसपास फिरते हैं और उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये ईंट क्यों नहीं लगाई गई? तो मैं दरअसल वो ईंट हूँ और उसी लिहाज़ से ख़ातिमुन्नबिय्यीन हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 18)**

1474. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिषाल ऐसी है गोया एक शख़्स ने एक घर बनाया, उसे मुकम्मल किया और बहुत ख़ूबसूरत ता'मीर किया लेकिन एक ईंट की जगह बाक़ी रहने दी अब लोग उस घर में दाख़िल होते हैं और हैरान होकर कहते हैं कि अगर ये ईंट की जगह खाली न होती तो मकान मुकम्मल हो जाता।
(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 18)

बाब 9 : हौज़े कौषर का षुबूत और उसके औसाफ़ (गुण)

1475. हदीष जुन्दुब (रज़ि.) : हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, मैं हौज़े (कौषर) पर तुम सबसे पहले पहुँचा हुआ होऊँगा (और उस पर तुम्हारा इस्तिक़बाल करूँगा)।
(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)

1476. हदीष सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं हौज़े (कौषर) पर तुम सबसे पहले पहुँचकर वहाँ तुम्हारा इस्तिक़बाल करूँगा और जो शख़्स मेरे पास आएगा वो उसमें से पीयेगा और जो पी लेगा फिर उसे कभी प्यास नहीं लगेगी और कुछ लोग मेरे सामने वारिद होंगे जिन्हें मैं पहचानता होऊँगा और वो मुझे पहचानते होंगे उसके बावजूद उन्हें मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा।
(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)

1477. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : मज़्कूरा बाला (ऊपर बयान की गई) हदीष हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने भी रिवायत की है, उसमें ये इज़ाफ़ा (बढ़ोतरी) है, उन्हें देखकर मैं कहूँगा, ये लोग तो मेरे (उम्मती) हैं। तो मुझे बताया जाएगा, आप (ﷺ) को नहीं मा'लूम, इन लोगों ने आप (ﷺ) के बाद क्या कुछ किया (या'नी क्या क्या बिदअतें पैदा कीं या दीन से फिर गए)। तो मैं कहूँगा, दफ़ा (करो) दूर (करो)! वो जिन्होंने मेरे बाद दीन में तग़य्युर किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)**

1478. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा हौज़ एक महीने की राह के बराबर लम्बा होगा (या'नी अगर कोई उसके किनारे–किनारे चले तो एक माह तक चलता रहे)। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफेद होगा और उसकी ख़ुश्बू मुश्क (कस्तूरी) से ज़्यादा खुशगवार होगी और उस पर जो आबख़ोरे (गिलास) रखे होंगे वो अपनी कष़रते ता'दाद की बिना (आधार) पर आसमान के सितारों का मंज़र (नज़ारा) पेश करेंगे। जो शख़्स उस हौज़ से एक बार पानी पी लेगा वो फिर कभी प्यास महसूस नहीं करेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)**

1479. हदीष अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं हौज़ पर मौजूद होऊँगा और तुममें से हर आने वाले को देखूँगा, और कुछ लोगों को मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा तो मैं कहूँगा ऐ मेरे रब! ये तो मेरे लोग हैं, मेरे उम्मती हैं। तो मुझसे कहा जाएगा कि आप (ﷺ) को मा'लूम है इन लोगों ने आप (ﷺ) के बाद क्या किया? अल्लाह की क़सम! ये लोग आप (ﷺ) के बाद हमेशा जाहिलियत की तरफ़ वापस लौटने की कोशिश करते रहे (उन तमाम बिदआत की तरफ़, जो ज़मान–ए–जाहिलियत में मुरव्वज (प्रचलित) थीं फिर से इस्लाम में राइज करने की कोशिश करते रहे)। ये हदीष बयान करके हज़रत अबू मुलैकह (रह.) (जो हज़रत अस्मा रज़ि. से इस हदीष के रावी हैं) कहा करते थे। ऐ अल्लाह! हम इस बात से तेरी पनाह तलब करते हैं कि हम फिर अपनी ऐड़ियों के बल उलटे फिर जाएँ और अपने दीन के मामले में फ़ित्ने में मुब्तला (आज़माइश में गिरफ़्तार) हों। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)**

नोट : इस हदीष में चेतावनी दी गई है कि जो लोग मुसलमान हैं; वे अगर अपने बाप–दादाओं के रस्मो–रिवाज को नहीं छोड़ते और उन रिवाजों को अल्लाह के रसूल (ﷺ) की सुन्नत पर तरजीह (प्राथमिकता) देते हैं तो उन्हें हौज़े–कौष़र के क़रीब नहीं जाने दिया जाएगा। बड़े अफ़सोस की बात है कि आजकल हमारे मुस्लिम समाज में शादी–ब्याह और मौत–ग़मी के मामले में ऐसे रिवाजों पर अमल किया जाता है जो कि दूसरे धर्मों में प्रचलित हैं। गोया कि जिन रिवाजों पर उनके आबा व अजदाद (पूर्वज) जाहिलियत के दिनों में क़ायम थे, उन्हीं रिवाजों पर आज के मुसलमान अमल कर रहे हैं।

1480. हदीष उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) : हज़रत उक़्बा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने उहुद के शुहदा पर आठ साल के बाद इस अंदाज़ से नमाज़ (जनाज़ा) पढ़ी जैसे आप (ﷺ) ज़िन्दा लोगों को और जिनका इंतिक़ाल हो चुका है, सबको अलविदा कह रहे हों। फिर आप (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, मैं तुम्हारे आगे बतौरे पेश–रौ और मीरे क़ाफ़िला (सरदार के तौर पर) जा रहा हूँ और मैं तुम पर गवाह और निगराँ हूँ और अब तुमसे मेरी मुलाक़ात हौज़े कौष़र पर होगी और मैं यहाँ खड़ा हुआ भी उसे (हौज़ को) देख रहा हूँ **और मुझे तुमसे अब इस बात का तो ख़तरा नहीं कि तुम मुश्रिक हो जाओगे लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इस दुनिया से ख़तरा है कि कहीं तुम उसकी रग़बत व मुहब्बत में मुब्तला न हो जाओ।** (सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 17)

1481. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ह़ौज़े कौष़र पर मैं तुमसे पहले पहुँचा हुआ होऊँगा और वहाँ तुम्हारा इस्तिक़बाल करूँगा और तुममें से कुछ लोग मेरे सामने पेश किये जाएँगे, फिर उनको मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब! ये तो मेरे साथी हैं। तो कहा जाएगा, आप (ﷺ) को नहीं मा'लूम, इन लोगों ने आप (ﷺ) के बाद दीन में क्या-क्या नई बातें पैदा कर ली थीं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)**

1482. ह़दीष़ ह़ारिष़ा बिन वहब (रज़ि.) : ह़ज़रत ह़ारिष़ा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को ह़ौज़े कौष़र का ज़िक्र करते हुए सुना। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ह़ौज़े कौष़र की लम्बाई इस क़दर होगी जितना फ़ास़ला मदीना और सनआ-ए-यमन के बीच है।

1483. तो ह़ज़रत ह़ारिष़ा (रज़ि.) से ह़ज़रत मुस्तवरिद (रज़ि.) ने कहा, क्या आपने नबी करीम (ﷺ) को बर्तनों का ज़िक्र फ़र्माते हुए नहीं सुना? ह़ज़रत ह़ारिष़ा (रज़ि.) ने कहा, नहीं! ह़ज़रत मुस्तवरिद (रज़ि.) ने कहा, (आप ﷺ ने फ़र्माया था) तुमको ह़ौज़े कौष़र पर बर्तन सितारों की तरह़ नज़र आएँगे (या'नी ता'दाद में इस क़दर ज़्यादा और उनका मंज़र भी इतना ह़सीन होगा जैसे आसमान के सितारे)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)**

1484. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे सामने एक ह़ौज़ होगा जिस (के दोनों किनारों) का फ़ास़ला इतना होगा जितना जुरबा और अज़रह़ के बीच है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)**

नोट : इमाम क़स्तलानी (रह.) ने लिखा है कि जुरबा और अज़रह दोनों शाम (सीरिया) के शहर हैं जिनके बीच की दूरी इतनी है कि तीन दिन-रात चलने पर तय हो।

1485. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है! मैं अपने ह़ौज़ से कुछ लोगों को ऐसे दूर हटाऊँगा (धुत्कारूँगा) जिस तरह़ अजनबी ऊँट को ह़ौज़ पर से दूर हटाया जाता है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मसाक़ाति बाब 10)**

1486. ह़दीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा ह़ौज़ इतना बड़ा है जितना फ़ास़ला ऐला से स़नआ-ए-यमन का है और उस पर इतने बर्तन होंगे जितने कि आसमान पर सितारे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)**

नोट : ईला शाम (सीरिया) का एक शहर है और सनआ, यमन का मशहूर शहर है।

1487. ह़दीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे साथियों में से कुछ लोग ह़ौज़ पर मेरे पास आएँगे और मैं उन्हें पहचान भी लूँगा, लेकिन फिर उन्हें मेरे पास से खींचकर दूर हटा दिया जाएगा तो मैं कहूँगा ये तो मेरे साथी हैं। कहा जाएगा, आप (ﷺ) को नहीं मा'लूम कि इन लोगों ने आप (ﷺ) के बाद क्या क्या बिदअ़तें पैदा की थीं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 53)**

बाब 10 : ग़ज़व–ए–उहुद के दिन जिब्रईल और मीकाईल (अ़लैहिमुस्सलाम) का नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ से जंग लड़ना

1488. ह़दीष़ सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) : ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने ग़ज़व–ए–उहुद के दिन देखा कि नबी करीम (ﷺ) के साथ दो शख़्स़ हैं जो आप (ﷺ) की मुदाफ़िअ़त (सुरक्षा) में काफ़िरों से जंग कर रहे हैं। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और बड़ी शिद्दत से लड़ाई में मस़रूफ़ (व्यस्त) थे। उन दोनों शख़्स़ों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था और न उसके बाद कभी देखा। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 18)**

बाब 11 : नबी करीम (ﷺ) की शुजाअ़त (बहादुरी) और जंग के लिये आप (ﷺ) की पेशक़दमी का बयान

1489. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) सब लोगों से ज़्यादा ह़सीन शक्ल व सूरत वाले और सबसे ज़्यादा शुजाअ़ थे। एक रात अहले मदीना डर गए और उस आवाज़ की तरफ़ जाने के लिये निकले (जिससे डरे थे)। लेकिन उनका इस्तिक़बाल नबी करीम (ﷺ) ने किया। आप (ﷺ) उस वक़्त तक पूरी बात का पता लगा चुके थे और आप (ﷺ) अबू त़लह़ा (रज़ि.) के घोड़े पर सवार थे, जिस पर काठी भी न थी और आप (ﷺ) ने अपने कँधे से तलवार लटका रखी थी और फ़र्मा रहे थे, न डरो, डर की कोई बात नहीं। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस घोड़े को मैंने तेज़ रफ़्तारी में समुन्दर की तरह़ पाया। या ये घोड़ा तो तेज़ रफ़्तारी में समुन्दर है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 82)**

बाब 12 : नबी करीम (ﷺ) सख़ावत मे चलती हवा से भी बढ़कर थे

1490. ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) सब लोगों से ज़्यादा सख़ी थे और आप (ﷺ) की सख़ावत का मुज़ाहरा (प्रदर्शन) सबसे ज़्यादा माहे रमज़ान में होता था जब ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) आप (ﷺ) के पास आते थे और रमज़ान के महीने में ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) हर रात आप (ﷺ) के पास आया करते थे और आप (ﷺ) उनके साथ क़ुर्आन का दौर किया करते थे। ह़क़ीक़त ये है कि नबी करीम (ﷺ) दाद व दहिश (अल्लाह की राह में ख़र्च करने) में चलती हवा से भी ज़्यादा सख़ी थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल वह़्य बाब 5)**

बाब 13 : नबी करीम (ﷺ) सब इंसानों से ज़्यादा हुस्ने ख़ुल्क़ के मालिक थे

1491. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़जरत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) की दस साल तक ख़िदमत की, लेकिन उस तमाम मुद्दत में आप (ﷺ) ने मुझे न तो कोई सख़्त कलिमा कहा और न कभी ये फ़र्माया कि तुमने ऐसा क्यूँ किया या ऐसा क्यूँ न किया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 39)**

1492. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो ह़ज़रत अबू त़लह़ा (रज़ि.) (ह़ज़रत उम्मे सुलैम रज़ि. के शौहर और ह़ज़रत अनस रज़ि. के सौतेले वालिद)

ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अनस (रज़ि.) यक़ीनन एक अक़्लमन्द लड़का है, लिहाज़ा ये आप (ﷺ) की ख़िदमत किया करेगा। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) की सफ़र व हज़र में ख़िदमत की लेकिन अल्लाह की क़सम! आप (ﷺ) ने कभी किसी काम के बारे में जो मैंने किया हो, मुझसे ये कभी नहीं फ़र्माया कि तुमने ये काम इस तरह क्यूँ किया और न कभी किसी काम के बारे में जो मैंने न किया हो ये फ़र्माया कि तुमने ऐसा क्यूँ नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी किताबुद्दियात बाब 27)

बाब 14 : नबी करीम (ﷺ) से जब भी कोई चीज़ माँगी जाती आप (ﷺ) ने नहीं कभी नहीं कहा और आप (ﷺ) की कषरते दाद व दहश का बयान

1493. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी करीम (ﷺ) से कोई चीज़ माँगी गई हो और आप (ﷺ) ने **नहीं** कहा हो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 39)**

1494. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने (अपने दस्ते मुबारक से इशारा करके) फ़र्माया था कि अगर बहरीन के मुहासिल (लगान) आ जाते तो मैं तुमको इतना और इतना और इतना देता, लेकिन बहरीन से मुहासिल मौसूल न हुए यहाँ तक कि नबी करीम (ﷺ) रहलत फ़र्मा गए। फिर बहरीन से माल आया तो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने मुनादी करने का हुक्म दिया कि जिस किसी से नबी करीम (ﷺ) ने कभी कोई वादा किया हो या आप (ﷺ) पर किसी का क़र्ज़ हो वो मेरे पास आए मैं उसे अदायगी करूँगा। चुनाँचे मैंने कहा, मुझसे आँहज़रत (ﷺ) ने ऐसे ऐसे फ़र्माया था। तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने मुझे दोनों कफ़े दस्त भरकर सिक्के अता फ़र्माए, मैंने उन्हें गिना तो वो पाँच सौ थे। आपने फ़र्माया, इससे दोगुने और ले लो।

(सहीह बुख़ारी किताबुल किफ़ाला बाब 3)

बाब 15 : नबी करीम (ﷺ) का बाल-बच्चों पर शफ़क़त फ़र्माना और ऐसा करने का षवाब

1495. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ अबू सैफ़ लोहार के घर गए। ये शख़्स हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) (नबी करीम ﷺ के बेटे) को दूध पिलाने वाली दाया के शौहर थे। (वहाँ पहुँचकर) जनाब नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) को गोद में लिया, उसे प्यार किया और चूमा। उसके बाद एक बार फिर हम अबू सैफ़ के घर आए उस वक़्त हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) अपने आख़िरी दमों पर थे (जान निकलने की हालत में थे) उनकी ये हालत देखकर नबी करीम (ﷺ) की चश्मे मुबारक बह निकलीं तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप भी रोते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने औफ़! ये तो रहमत व शफ़क़त के आंसू हैं। फिर आप (ﷺ) ने अपने इस इर्शाद की मज़ीद वज़ाहत फ़र्माई, आँख यक़ीनन आंसू बहाती है और दिल ज़रूर रंज व ग़म से मुताष्षिर (प्रभावित) होता है लेकिन हमारी ज़ुबान से सिर्फ़ वही कलिमात निकलेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो, और ऐ इब्राहीम! हम तुम्हारी जुदाई में ग़मगीन हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 44)**

1496. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक देहाती ह़ाज़िर हुआ और कहने लगा, आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं लेकिन हम बच्चों को नहीं चूमते हैं। ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर अल्लाह तआला ने तुम्हारे दिल से रह़म और शफ़क़त छीन ली है तो क्या मैं पैदा करने पर क़ादिर हूँ? **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 18)**

1497. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत ह़सन बिन अ़ली (रज़ि.) का बोसा लिया, उस वक़्त आप (ﷺ) के पास अक़रअ़ बिन ह़ाबिस तमीमी (रज़ि.) बैठे थे, वो बोले, मेरे दस बच्चे हैं लेकिन मैंने तो उनमें से किसी का बोसा नहीं लिया। ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने (ह़ैरत से) उनकी तरफ़ देखा फिर फ़र्माया, **जो शख़्स़ रह़म व शफ़क़त नहीं करता उस पर रह़म व शफ़क़त नहीं किया जाता।** **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 18)**

1498. ह़दीष़ जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : ह़ज़रत जरीर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स़ रह़म नहीं करता उस पर रह़म नहीं किया जाता। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 27)**

बाब 16 : नबी करीम (ﷺ) की शर्म व ह़या का बयान

1499. ह़दीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) कुँवारी लड़की से भी जो पर्दे में रहती हो, ज़्यादा ह़यादार थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)**

1500. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन अल् आस़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) न तो त़ब्अन फ़ह़शगो थे और न फ़ह़शगोई किया करते थे (यानी आप ﷺ को घटिया व अश्लील बातों से सख़्त नफ़रत थी) और आप (ﷺ) फ़र्माया करते थे, तुममें सबसे बेहतर शख़्स़ वो है जिसके अख़्लाक़ सबसे अच्छे हों। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)**

नोट : आम तौर पर लोगों की आ़दत होती है कि बातचीत करते समय फ़ह़शकलामी (अश्लील वार्तालाप) करते हैं। बातचीत में गालियों का इस्तेमाल आजकल मुसलमानों में आ़म हो चला है। ऐसा में देखने में आता है कि लोग अपने ही घर के मेम्बरान से बातचीत करते हुए माँ–बहन की गाली का इस्तेमाल कर बैठते हैं, उन्हें ज़रा भी इस बात की ग़ैरत नहीं आती कि वो किसके बारे में फ़ह़शकलामी कर रहे हैं?

बाब 18 : नबी करीम (ﷺ) का औ़रतों के साथ रह़मत व शफ़क़त से पेश आने का हुक्म

1501. ह़दीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) सफ़र में थे और आप (ﷺ) के साथ एक ह़ब्शी गुलाम था जिसे अंजशा कहा जाता था ये गुलाम ह़ुदी गाकर ऊँटों को तेज़ हाँक रहा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरी ख़राबी ऐ अंजशा! ज़रा आहिस्ता चल आबगीनों का ख़याल रख। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 95)**

नोट : ये गुलाम सुरीला गायक था और ऊँट उसके गीत सुनकर मस्त हो जाया करते थे और तेज़ चलने लगते थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि आबगीनों यानी औरतों का ख़याल रख और ऊँटों को तेज़ न चला। लेकिन कुछ मुहद्दिषीन ने इस हदीष से ये मफ़हूम लिया है कि वो सुरीला गायक गुलाम इश्क़िया अश्आर पढ़ रहा था और आप (ﷺ) ने महसूस किया कि इन अश्आर से औरतों के दिलों पर बुरा अषर हो, इस वजह से मना फ़र्माया था।

बाब 20 : नबी करीम (ﷺ) का गुनाहों से दूर रहने, जाइज़ उमूर में से आसान को इख़्तियार करने और अपनी ज़ात के लिये इंतिक़ाम न लेने का बयान

1502. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) को जब दो बातों में से एक के इंतिख़ाब (चुनाव) करने का इख़्तियार दिया जाता तो आप (ﷺ) आसान बात का इंतिख़ाब करते बशर्ते कि वो बात गुनाह न हो। और अगर वो आसान बात गुनाह हो तो फिर आप (ﷺ) उससे सब लोगों से ज़्यादा दूर रहने वाले होते थे। और नबी करीम (ﷺ) ने अपनी ज़ात के लिये कभी इंतिक़ाम नहीं लिया। हाँ! मगर उस वक़्त ज़रूर लेते थे जब अल्लाह तआला के अह्काम का एहतिराम मअरिज़े-ख़तर में होता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)

बाब 21 : नबी करीम (ﷺ) के जिस्मे अतहर की महक खुशगवार और जिल्द (त्वचा) निहायत नरम व नाज़ुक थी

1503. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने कभी कोई रेशम या मख़मल भी नबी करीम (ﷺ) के कफ़े दस्त (हथेली) से ज़्यादा नरम नहीं देखा और न कभी कोई महक या बू नबी करीम (ﷺ) की महक और ख़ुश्बू से बेहतर सूँघी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)**

बाब 22 : नबी करीम (ﷺ) का पसीना खुश्बूदार और मुतबर्रक था

1504. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के लिये खाल का बिस्तर बिछा दिया करती थीं और आप (ﷺ) उनके यहाँ उस बिस्तर पर क़ैलूला फ़र्माया करते थे। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) सो जाते तो हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) आप (ﷺ) के मू-ए-मुबारक (सर के बाल) और आप (ﷺ) का पसीना एक शीशी में जमा कर लेती थी। फिर उसके बाद उसे एक ख़ास ख़ुश्बू सक के साथ मिलाकर रख लेतीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 41)**

बाब 23 : नबी करीम (ﷺ) को सर्दियों में वह्य नाज़िल होते वक़्त पसीने का आना

1505. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत हारिष बिन हिशाम (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) पर वह्य किस तरह नाज़िल होती है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कभी तो मुझ पर वह्य आती है कि उसकी आवाज़ घण्टी की आवाज़ से मुशाबेह (मिलती हुई) होती है और वह्य की ये क़िस्म मेरे लिये मशक़्क़त (तकलीफ़) भरी होती है, फिर ये कैफ़ियत दूर हो जाती है और जो कुछ कहा जाता है वो मुझे हिफ़्ज़ (याद) हो जाता है और कभी फ़रिश्ता मेरे पास इंसानी सूरत में

आता है और मुझसे हमकलाम होता है (यानी बात करता है) और जो कुछ वो कहता है, मैं याद कर लेता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने सख़्त सर्द दिन में आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल होते देखी है और जब वह्य नाज़िल होने की कैफ़ियत ख़त्म होती तो आप (ﷺ) की ज़बीने मुबारक (चेहरे) से पसीना बह रहा होता। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल वह्य बाब 2)**

बाब 25 : नबी करीम (ﷺ) का हुलिय–ए–मुबारक, आपका चेहर–ए–मुबारक सब लोगों से ख़ूबसूरत था

1506. हदीष बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) का क़द दरम्याना (मध्यम) और सीना चौड़ा था और आप (ﷺ) के बाल कानों की लौ तक थे। मैंने आप (ﷺ) को लाल जोड़ा पहने देखा है (उस हालत में) आप (ﷺ) इस क़दर हसीन थे कि मैंने आप (ﷺ) से ख़ूबसूरत कोई चीज़ नहीं देखी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)**

1507. हदीष बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) का चेहरा मुबारक सब लोगों से ज़्यादा हसीन था और आप (ﷺ) अख़्लाक़े करीमाना के ऐतबार से सब इंसानों में बेहतर व बरतर थे, आप (ﷺ) का क़दे मुबारक न ज़्यादा लम्बा था न कोताह। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)**

बाब 26 : नबी करीम (ﷺ) के बालों की कैफ़ियत का बयान

1508. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के मू–ए–मुबारक न बहुत ज़्यादा घुँघराले थे न बिलकुल सीधे बल्कि दरम्यानी कैफ़ियत के थे जो आप (ﷺ) के दोनों कानों के बीच शानों तक थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल् लिबास बाब 68)**

1509. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के बाल आप (ﷺ) के कँधों को छूते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल् लिबास बाब 68)**

बाब 29 : नबी करीम (ﷺ) के बुढ़ापे का बयान

1510. हदीष अनस (रज़ि.) : मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, क्या नबी करीम (ﷺ) ने बालों में ख़िज़ाब इस्ते'माल किया? उन्होंने कहा, आप (ﷺ) पर बुढ़ापे के आषार बहुत कम ज़ाहिर हुए थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल् लिबास बाब 66)**

1511. हदीष अबू जुहैफ़ा सवाई (रज़ि.) : हज़रत जुहैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा है और मैंने आप (ﷺ) के बालों के उस हिस्से में सफ़ेदी देखी जो निचले होंठ के नीचे है (या'नी छोटी दाढ़ी पर)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)**

1512. हदीष अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत हसन बिन अली (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से शक्ल व सूरत में मुशाबा (मिलते–जुलते) थे। (सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)

बाब 30 : मुहरे नुबुव्वत का षबूत, उसकी कैफ़ियत और जिस्मे अतहर में उसका मुक़ाम

1513. हदीष साइब बिन यज़ीद (रज़ि.) : हज़रत साइब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरी ख़ाला मुझे नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ले गईं और आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा ये भाँजा बीमार है। नबी करीम (ﷺ) ने मेरे सर पर दस्ते मुबारक फेरा और मेरे लिये बरकत की दुआ की, **फिर आप (ﷺ) ने वुज़ू किया और मैंने आपके वुज़ू से बचा हुआ पानी पिया फिर मैं आप (ﷺ) के पुश्त की जानिब खड़ा हो गया और** मैंने आप (ﷺ) के दोनों कँधों के बीच मुहरे नुबूव्वत देखी जो छप्पर खट की घुण्डी से मुशाबा थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 40)

बाब 31 : नबी करीम (ﷺ) का हुलिया मुबारक, बेअषत के वक़्त आप (ﷺ) की उमर और सन शरीफ़

1514. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) का हुलिया मुबारक बयान करते हैं कि मियाना क़ामत थे (यानी) न लम्बे और न कोताह (ठिगना) क़द। रंग सुर्ख़ी लिये हुए सफ़ेद था जो न बेहद सफ़ेद और न गन्दुमी, बाल न बहुत ज़्यादा घुँघराले थे और न बिलकुल सीधे। आप (ﷺ) चालीस साल के थे जब आप (ﷺ) पर वह्य की शुरूआत हुई और मक्का मुकर्रमा में दस साल तक आप पर कुर्आन नाज़िल होता रहा और मदीना मुनव्वरा में भी दस साल कुर्आन नाज़िल होता रहा और आप (ﷺ) के सर और दाढ़ी में कोई बीस बाल भी सफ़ेद न थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)**

बाब 32 : बवक़्ते वफ़ात नबी करीम (ﷺ) की उम्र मुबारक

1515. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) की उम्र बवक़्ते वफ़ात 63 साल थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 19)**

बाब 33 : नबी करीम (ﷺ) की मक्का और मदीना में क़ियाम की मुद्दत

1516. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मक्का मुकर्रमा में तेरह साल क़ियाम फ़र्माया और बवक़्ते वफ़ात आप (ﷺ) की उम्र 63 साल थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 14)

बाब 34 : नबी करीम (ﷺ) के अस्मा-ए-गिरामी

1517. हदीष ज़ुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) : हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे पाँच नाम हैं, मेरा नाम मुहम्मद भी है और अहमद भी, मेरा नाम माही भी है जिसके मअनी ये है कि अल्लाह तआला ने मेरे ज़रिये से कुफ्र को मिटा दिया और मेरा नाम हाशिर भी है जिसके मा'नी ये हैं कि हशर के दिन लोग मेरे नक़्शे क़दम (दीन) पर उठाए जाएँगे और मेरा नाम आक़िब भी है (या'नी सबके बाद आनेवाला)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब17)

बाब 35 : नबी करीम (ﷺ) का इल्म और अल्लाह तआला से आपका सख़्त डरना

1518. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने कोई काम किया फिर आप (ﷺ) ने उसके करने या न करने की रुख़्सत दे दी तो कुछ लोगों ने रुख़्सत पर अमल करने से परहेज़ किया। चुनाँचे जब इस बात की ख़बर नबी करीम (ﷺ) को पहुँची तो आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माया जिसमें पहले अल्लाह तआला की हम्दो षना की, फिर फ़र्माया कि लोगों को क्या हुआ है कि ऐसे काम से परहेज़ करते हैं जिसको मैं ख़ुद करता हूँ।

अल्लाह की क़सम! मैं अल्लाह तआला के बारे में सब लोगों से ज़्यादा जानता हूँ और अल्लाह तआला से डरने वाला भी सब लोगों से ज़्यादा मैं हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 72)**

बाब 36 : नबी करीम (ﷺ) की पैरवी करना वाजिब है

1519. हदीष अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक अन्सारी ने नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) के साथ हर्रह की नहर के सिलसिले में जिससे खजूर के पेड़ों को सैराब किया जाता था, झगड़ा किया। अन्सारी ने हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) से कहा कि पानी को बहने दो लेकिन हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया। फिर ये दोनों अपना मुक़द्दमा लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, ऐ ज़ुबैर (रज़ि.)! पहले तुम अपने पेड़ों को पानी पिला लो फिर पानी अपने पड़ौसी की तरफ़ छोड़ दो। ये फ़ैसला सुनकर अन्सारी नाराज़ हो गया और कहने लगा, ये फ़ैसला आप (ﷺ) ने इसलिये सादिर फ़र्माया है कि हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) आप (ﷺ) के फूफीज़ाद हैं। ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया (बदल गया) और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ुबैर! अपने पेड़ों को सैराब करो फिर पानी को उस वक़्त तक रोके रखो कि वो बाग़ की मुँडेरों तक पहुँच जाए।

1520. हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं समझता हूँ कि ये आयते करीमा उस वाक़िये के बारे में नाज़िल हुई है, **नहीं! ऐ मुहम्मद (ﷺ)! तुम्हारे रब की क़सम! ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपसी इख़्तिलाफ़ात में ये तुमको फ़ैसला करने वाला न मान लें, फिर जो कुछ तुम फ़ैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी न महसूस करें बल्कि सर झुकाकर तस्लीम कर लें।** (अन निसा : 65)

(सहीह बुख़ारी किताबुल मसाक़ात बाब 6)

बाब 37 : नबी करीम (ﷺ) की तअज़ीम व तौक़ीर का हुक्म और आप (ﷺ) से ग़ैर–ज़रूरी मसाइल पूछने की मुमानअत, जिनकी न शरअन एहतियाज हो और न जिनका वुक़ूअ (अस्तित्व) में आना मुम्किन हो

1521. हदीष सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमानों में सबसे बड़ा जुर्म उस शख़्स का है जिसने किसी ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया जो हराम न थी और उसके सवाल करने पर हराम कर दी गई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिसाम बाब 3)**

1522. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ऐसा ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माया कि उससे पहले मैंने इस अंदाज़ का ख़ुत्बा नहीं सुना था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, काश! अगर तुम वो बातें जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। आप (ﷺ) का इर्शाद सुनकर सहाब–ए–किराम (रज़ि.) ने अपने चेहरे ढांप लिये और उनकी हिचकियाँ बँध गईं। फ़िर एक शख़्स ने आप (ﷺ) से पूछा, मेरा बाप कौन था? आपने फ़र्माया, फ़लाँ! उस पर ये आयते करीमा नाज़िल हुई **या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तस्अलू अन् अश्याअ इन तुब्द लकुम तसुअकुम** (तर्जुमा) : **ऐ ईमानवालों! ऐसी बातें न पूछा करो जो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें नागवार गुज़रे।** (सूरह माइदा : 101) **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह माइदह बाब 12)**

1523. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि (एक बार) लोगों ने नबी करीम (ﷺ) से ज़्यादा सवालात पूछ–पूछकर आप (ﷺ) को परेशान कर दिया, तो नबी करीम (ﷺ) ग़ज़बनाक हो गए और मिम्बर पर खड़े होकर फ़र्माया, आज तुम लोग मुझसे जो बात भी पूछोगे वो मैं तुमसे बयान कर दूँगा। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि आप (ﷺ) के इस इर्शाद के बाद मैंने दाँए–बाँए देखा तो हर तरफ़ लोग अपना मुँह कपड़े में लपेटकर रो रहे थे। उसी वक़्त एक शख़्स उठा, ये शख़्स जब लोगों से झगड़ता तो लोग उसे ये ताना देते थे कि तू किसी और का बेटा है (या'नी हरामज़ादा है) और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा बाप कौन था? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हुज़ाफ़ा। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने जुर्अत की और अर्ज़ किया, राज़ी हैं हम अल्लाह को रब मानने, इस्लाम को बतौरे दीन इख़्तियार करने और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को अल्लाह का रसूल तस्लीम करने पर और अल्लाह की पनाह तलब करते हैं फ़ित्नों से। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने ख़ैर और शर आज की तरह पहले कभी नहीं देखा। मेरे सामने (आज) जन्नत और जहन्नम की इस तरह मंज़रकशी की गई कि मैंने इन दोनों को इस दीवार के पिछली तरफ़ हूबहू देख लिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 35)**

1524. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से कुछ चीज़ों के बारे में सवालात किये गए, जिन्हें आप (ﷺ) ने नापसन्द फ़र्माया और जब सवालात की कषरत हो गई तो आप (ﷺ) नाराज़ हो गए और लोगों से फ़र्माया, पूछो जो तुम पूछना चाहते हो! इस पर एक शख़्स ने पूछा, मेरा बाप कौन था? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरा बाप हुजाफ़ा था। फिर एक और शख़्स उठा और उसने भी पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा बाप कौन था? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरा बाप सालिम था जो शेबा का गुलाम था। फिर जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने आप (ﷺ) के चेहर–ए–मुबारक पर नागवारी के आषार देखे तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम अल्लाह तआला के हुज़ूर तौबा करते हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 28)**

1525. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन तुम पर ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा कि उस वक़्त तुम्हारा मुझे देख पाना तुम्हें अपने घरवालों और माल व दौलत के पाने से कहीं ज़्यादा महबूब होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

बाब 40 : हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के फ़ज़ाइल

1526. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, मैं हज़रत मसीह बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) से सब लोगों की ब–निस्बत (अपेक्षाकृत) ज़्यादा क़रीब हूँ और तमाम अम्बिया एक बाप की औलाद की तरह हैं; नीज़ मेरे और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के बीच कोई नबी नहीं है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 48)**

नोट : अल्लाह तआला ने इस ज़मीन पर बहुत सारे नबी मबऊष फ़र्माए हैं। नबियों का सिलसिला कभी लगातार जारी रहा तो कभी एक साथ कई नबी बनाए गये; मिषाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत लूत (अलैहिस्सलाम) को एक ही दौर में नुबुव्वत मिली थी। हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के दोनों बेटों हज़रत इस्माईल व इस्हाक़ (अलैहिमुस्सलाम) को भी नबी बनाए गये। हज़रत इस्हाक़ (अलैहिस्सलाम) की औलाद में नुबुव्वत का लगातार सिलसिला रहा है। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) से लेकर हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के दौरे–नुबुव्वत के बीच भी अनेक नबी आने का ज़िक्र मिलता है। लेकिन इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर होता है कि हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) से लेकर हज़रत मुहम्मद (ﷺ) तक क़रीब साढ़े पाँच सौ साल के दौर में अल्लाह की तरफ़ से कोई और नबी नहीं बनाया गया। दूसरे लफ़्ज़ों में इस हदीष का मअनी यह है कि हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) की फ़ज़ीलत यह है कि उनकी नुबुव्वत क़रीब साढ़े पाँच सौ साल तक रही।

1527. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, बनी आदम में से कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसे बवक़्ते विलादत शैतान न छूता हो, और वो शैतान के छूने की वजह ही से चीखता है सिवाय, हज़रत मरयम (अलैहिस्सलाम) और उनके बेटे हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) के। ये हदीष बयान करने के बाद हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ये आयत तिलावत फ़र्माया करते थे, **व इन्नी उओज़ुहा बिक व ज़ुर्रीयतहा मिनश्शैतानिर्रजीम** (तर्जुमा) **और मैं उसे और उसकी आइन्दा नस्ल को शैतान मरदूद के फ़ित्ने से तेरी पनाह में देती हूँ।** (आले इमरान : 36) **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 44)**

1528. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) ने एक शख़्स को चोरी करते देखा, तो आप (ﷺ) ने उससे पूछा, क्या तूने चोरी की है? उसने कहा, हर्गिज़ नहीं! उस अल्लाह की क़सम कि नहीं है कोई मअबूद सिवाए उसके। उसका ये जवाब सुनकर हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाया (या'नी अल्लाह की क़सम की वजह से तुम्हारा यक़ीन कर लिया) और मेरी आँखों ने झूठ बोला। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 48)**

बाब 41 : हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (अलैहिस्सलाम) के कुछ फ़ज़ाइल

1529. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जिस वक़्त ख़त्ना किया, उस वक़्त आप (अलैहिस्सलाम) की उम्र 80 साल थी और आपने बसौले से ख़त्ना किया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 8)**

1530. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जो ये कहा, **'ऐ मेरे रब! मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िन्दा करता है?'** (अल बक़र : 260)

पूछा गया, क्या तुम्हें यक़ीन नहीं है? हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा, क्यों नहीं! यक़ीन तो है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को (वो) इत्मीनान हासिल हो (जो आँखों से देखने से हासिल होता है) ये अगर शक करना था तो हम हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की निस्बत शक करने के ज़्यादा हक़दार हैं (मुराद ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल शक की वजह से हर्गिज़ न था) और अल्लाह तआला हज़रत लूत (अलैहिस्सलाम) पर रहम करे कि वो मज़बूत सहारे (अल्लाह तआला) की पनाह चाहते थे। और अगर मुझे इतनी मुद्दत क़ैदख़ाने में रहना पड़ता जितनी मुद्दत हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) रहे थे, तो मैं क़ैदख़ाने से बाहर आने की दअवत फ़ौरन क़ुबूल कर लेता। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 11)**

1531. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कभी झूठ नहीं बोला, मगर तीन झूठ जिनमें से दो अल्लाह तआला के लिये थे मष़लन आप (अलैहिस्सलाम) का ये कहना, **इन्नी सक़ीम,** (तर्जुमा) **मेरी तबीअत ख़राब है।** (सूरह साफ़्फ़ात : 89) और आप (अलैहिस्सलाम) का ये कहना **बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा** (तर्जुमा) **नहीं बल्कि ये काम तो उनके उस बड़े ने किया है।** (अल अंबिया : 63) (और तीसरे का वाक़िया है कि) हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत सारा (आपकी बीवी) एक दिन (सफ़र के दौरान) एक ज़ालिम बादशाह के इलाक़े में पहुँचे तो उसको ख़बर दी गई कि यहाँ एक शख़्स (आया) है जिसके साथ एक सबसे ज़्यादा हसीन ख़ातून है। उस ज़ालिम बादशाह ने आदमी भेजकर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से पुछवाया कि ये औरत कौन है? हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया, मेरी बहन है। फिर आप (अलैहिस्सलाम) हज़रत सारा के पास आए और उनसे कहा, ऐ सारा! रूए ज़मीन पर इस वक़्त मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और मोमिन मौजूद नहीं है और उस (बादशाह) ने मुझसे (तुम्हारे बारे में) पूछा था तो मैंने उसे बताया है कि तुम मेरी बहन हो, तो तुम मुझे न झुठलाना।

फिर आप (अलैहिस्सलाम) ने हज़रत सारा को उस बादशाह के पास भेज दिया और जब हज़रत सारा उसके पास पहुँची तो उसने आपको अपने हाथ से पकड़ना चाहा लेकिन उसका हाथ जकड़ा गया तो उसने हज़रत सारा से दरख़्वास्त की कि मेरे लिये अल्लाह से दुआ करो, और मैं तुमको कोई नुक़्सान नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत सारा ने दुआ की और उसका हाथ खुल गया, उसने दोबारा हज़रत सारा की तरफ़ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ फिर पहले की तरह या पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ जकड़ा गया तो उसने फिर कहा मेरे लिये अल्लाह से दुआ कीजिए और मैं आपको किसी क़िस्म का नुक़्सान नहीं पहुँचाऊँगा। चुनाँचे हज़रत सारा ने फिर दुआ की और वो फिर उस मुसीबत से छुटकारा पा गया। उसके बाद उसने अपने दरबान को बुलाया और कहा, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि शैतान को लाए हो और हज़रत सारा की ख़िदमत के लिये उसने उन्हें हाजरा दे दी। हज़रत सारा, हज़रत इब्राहीम

(अ़लैहिस्सलाम) के पास आईं तो आप (अ़लैहिस्सलाम) नमाज़ पढ़ रहे थे। आप (अ़लैहिस्सलाम) ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? ह़ज़रत सारा (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा, अल्लाह ने उस काफ़िर या फ़ाजिर की चालें उसी की गर्दन पर लौटा दीं और हमें ख़िदमत के लिये हाजरा मिल गईं।

ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ये ह़दीष़ बयान करने के बाद कहा करते थे, 'ऐ आसमानी पानी के बेटों! ये हैं तुम्हारी माँ! (या'नी ह़ज़रत हाजरा)।' **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 8)**

बाब 42 : ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के कुछ फ़ज़ाइल

1532. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल नंगे नहाया करते थे और उस ह़ालत में एक-दूसरे को देखते रहते थे लेकिन मूसा (अ़लैहिस्सलाम) अकेले ग़ुस्ल किया करते थे तो बनी इस्राईल ने कहा कि मूसा (अ़लैहिस्सलाम) जो हमारे साथ मिलकर ग़ुस्ल नहीं करते उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि उन्हें फ़तक़ का मर्ज़ है। फिर एक बार मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ग़ुस्ल कर रहे थे और आप (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने कपड़े एक पत्थर पर रख दिये थे, वो पत्थर आपके कपड़े लेकर भाग उठा और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) पानी में से बाहर निकलकर उसके पीछे भागे और कहते जाते थे, ऐ पत्थर मेरे कपड़े मुझे दो! उसी ह़ालत में बनी इस्राईल ने देखा और कहने लगे, अल्लाह की क़सम! मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को तो कोई बीमारी नहीं है। फिर मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने पत्थर से अपने कपड़े ह़ासिल किये और उन्हें मारने लगे। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि अल्लाह की क़सम! उस पत्थर पर मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की ज़र्ब (चोट) के छः या सात निशान पड़ गए थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ग़ुस्ल बाब 20)**

1533. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के पास मलकुल मौत (मौत के फ़रिश्ते) को भेजा गया तो ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने उसकी आँख पर थप्पड़ मारा (जिससे आँख निकल गई)। मलकुल मौत लौटकर अल्लाह तआ़ला के पास गया और अ़र्ज़ किया, तूने मुझे ऐसे बन्दे की रूह़ क़ब्ज़ करने के लिये भेजा था जो मरना नहीं चाहता। तो अल्लाह तआ़ला ने मलकुल मौत की आँख दोबारा अ़ता की और हुक्म दिया कि उनके पास वापस जाओ और कहो कि अपना हाथ बैल की कमर पर रखें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएँगे हर बाल के बदले उन्हें ज़िन्दगी का एक साल मिल जाएगा। ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने पूछा, ऐ रब! उसके बाद फिर क्या होगा? अल्लाह तआ़ला ने जवाब दिया, फिर मौत आएगी। ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) कहने लगे तो फिर अभी आ जाए और ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अल्लाह तआ़ला से दरख़्वास्त की कि मुझे मुक़द्दस सरज़मीन से इतने फ़ास़ले पर मौत आए कि अगर उस मुक़ाम से पत्थर फेंका जाए तो वो मुक़द्दस ज़मीन तक पहुँच जाए। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मैं उस जगह होता तो तुमको ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की क़ब्र दिखाता जो लाल रेत के टीले के पास रास्ते के एक जानिब बनी हुई है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 69)**

1534. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि दो शख़्स़ या'नी एक मुसलमान और एक यहूदी आपस में लड़ पड़े। मुसलमान ने कहा, क़सम उस ज़ात की जिसने ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) को पूरे जहान पर मुन्तख़ब फ़र्माया! और यहूदी ने कहा, क़सम उस ज़ात की जिसने ह़ज़रत मूसा को पूरे आ़लम में से इन्तिख़ाब फ़र्माया! ये सुनकर मुसलमान ने हाथ उठाया और यहूदी के मुँह पर तमाचा दे मारा। वो यहूदी नबी करीम (ﷺ) की

ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से सारा माजरा जो उसके और मुसलमान के बीच पेश आया था, बयान किया। नबी करीम (ﷺ) ने उस मुसलमान को बुलाया और उससे उस वाक़िये के बारे में पूछा तो उसने भी आप (ﷺ) को सारा वाक़िया बताया। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग मुझे हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) पर फ़ौक़ियत न दिया करो, इसलिये कि क़ियामत के दिन सब लोग बेहोश होंगें और मैं भी बेहोश होने वालों में शामिल होऊंगा, फिर मैं पहला शख़्स होऊँगा जो होश में आएगा। उस वक़्त मैं देखूँगा कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) अर्शे इलाही के एक कोने को मज़बूती से थामे खड़े हैं। अब मुझे मा'लूम नहीं कि वो बेहोश होने वालो में शामिल थे और मुझसे भी पहले होश में आ गए या उनको अल्लाह तआला ने बेहोशी से मुस्तष्ना (अलग) कर दिया था।

(सहीह बुख़ारी किताबुल ख़ुसूमात बाब 1)

1535. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे कि अचानक एक यहूदी आया और कहने लगा, ऐ अबुल क़ासिम (ﷺ)! आपके सहाबा (रज़ि.) में से एक शख़्स ने मेरे मुँह पर तमाचा मारा है। आप (ﷺ) ने पूछा, किसने? उसने कहा, वो एक अन्सारी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसे बुलाओ (वो आया और)। आप (ﷺ) ने उससे पूछा, क्या तुमने इसे तमाचा मारा है? उसने अर्ज़ किया, मैंने उसे बाज़ार में इस तरह क़सम खाते सुना था, क़सम उस ज़ात की जिसने हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को सब इंसानों पर मुन्तख़ब किया! ये सुनकर मैंने कहा, ऐ ख़बीष! क्या हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर भी? और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुँह पर थप्पड़ मारा। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग अम्बिया को एक-दूसरे पर तरजीह न दिया करो! इसलिये कि क़ियामत के दिन जब सब लोग बेहोश होकर गिर जाएँगे (या'नी नफ़्ख़-ए-ऊला के वक़्त) तो मैं सबसे पहला शख़्स होऊँगा जिसके लिये ज़मीन शक़ होगी और बाहर निकलूँगा। उस मौक़े पर मैं देखूँगा कि मेरे सामने हज़रत मूसा हैं जो अर्श का पाया थामे खड़े होंगे, अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो बेहोश होने वालों में शामिल थे या उनकी वो बेहोशी जो उन पर कोहे तूर पर तारी हुई थी, नफ़्ख़-ए-ऊला की बेहोशी के बदले महसूब (गिनती) कर ली गई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ख़ुसूमात बाब 1)**

बाब 43 : हज़रत यूनुस (अलैहिस्सलाम) का ज़िक्र

1536. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी अल्लाह के बन्दे को ये नहीं कहना चाहिए कि वो हज़रत यूनुस (अलैहिस्सलाम) बिन मत्ता से बेहतर है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 35)

1537. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी अल्लाह के बन्दे को ये नहीं कहना चाहिए कि वो हज़रत यूनुस (अलैहिस्सलाम) बिन मत्ता से बेहतर है। मत्ता हज़रत यूनुस (अलैहिस्सलाम) के बाप का नाम था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 24)**

बाब 44 : हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के कुछ फ़ज़ाइल

1538. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि पूछा गया या रसूलल्लाह (ﷺ)! इंसानों में से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ (सम्मानित) कौन शख़्स हैं? आपने फ़र्माया, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता

और उसके अहकाम पर अमल करता है। पूछने वालों ने अर्ज़ किया, हमने इस पहलू से सवाल नहीं किया था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) जो ख़ुद भी अल्लाह के नबी थे और अल्लाह के नबी के बेटे थे; या'नी जिनके बाप (हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम) भी नबी थे और जिनके परदादा (हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम) भी नबी थे। पूछने वालों ने कहा, हमारा सवाल इस पहलू से भी नहीं था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो क्या तुम अरब के क़बीलों और उनकी शाख़ों के बारे में पूछ रहे हो? उनमें जो लोग ज़मान–ए–जाहिलिय्यत में मुन्तख़ब (चुनिन्दा) और बरगुज़ीदा थे वही लोग मुसलमान होने के बाद भी बरगुज़ीदा और सरदार हैं बशर्ते कि वो दीन में समझ हासिल कर लें। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 8)**

बाब 46 : हज़रत ख़िज्र (अलैहिस्सलाम) के कुछ फ़ज़ाइल

1539. हदीष उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) : हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) बनी इस्राईल में ख़ुत्बा दे रहे थे कि किसी ने पूछा, सबसे बड़ा आलिम कौन है? हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़र्माया, मैं! आप (अलैहिस्सलाम) की इस बात पर अल्लाह तआला का एताब नाज़िल हुआ कि उन्होंने ये क्यूँ नहीं कहा, अल्लाह तआला सबसे ज़्यादा जानता है। लिहाज़ा अल्लाह तआला ने उन पर वह्य नाज़िल की मज्मअुल बहरैन (दो दरियाओं के संगम) पर मेरा एक बन्दा है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने पूछा, ऐ मेरे रब! मैं उस तक कैसे पहुँचू? कहा गया, अपने साथ जम्बील में एक मछली ले जाओ, जिस जगह तुम मछली को न पाओ वही वो मक़ाम होगा जहाँ तुम उस शख़्स को पा सकते हो। चुनाँचे हज़रत मूसा रवाना हुए और आपके साथ आपके ख़ादिम हज़रत यूशअ़ बिन नून भी चले और उन्होंने अपने साथ ज़म्बील में मछली उठा ली। यहाँ तक कि जब ये दोनों चट्टान के पास पहुँचे तो दोनों उस चट्टान पर अपना सर रखकर सो गए और वो मछली ज़म्बील में से निकल गई और उसने समुन्दर में जाने का रास्ता इस तरह बना लिया जैसे कोई सुरंग लगी हुई हो। ये चीज़ हज़रत मूसा और उनके खादिम के लिये बड़ी अजीब थी लेकिन वो चलते रहे और रात का बाक़ी बचा हिस्सा और पूरा दिन चले। फिर जब सुबह हुई तो मूसा ने अपने खादिम से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में तो हम बेहद थक गए।

लेकिन मूसा (अलैहिस्सलाम) थके उस वक़्त जब उस मक़ाम से आगे गुज़र गए जहाँ जाने का उन्हें अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था उस वक़्त उनके ख़ादिम ने कहा, देखिए जब हमने उस चट्टान पर क़ियाम किया था उस वक़्त मुझे मछली का बिलकुल ख़याल न रहा। हज़रत मूसा ने कहा, उसी की तो हमें तलाश थी चुनाँचे वो दोनों उलटे पांव वापस पहुँचे और जब उस चट्टान के पास पहुँचे तो उन्हें एक शख़्स मिला जो पूरी तरह कपड़े में लिपटा हुआ था। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उसको सलाम किया। उसने कहा, तुम्हारी सरज़मीन में सलाम कहाँ? मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, क्या! बनी इस्राईल के मूसा? हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा, हाँ! क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आपके साथ रहूँ ताकि जो इल्म व हिदायत आपको हासिल है वो मुझे भी सिखाएँ? हज़रत ख़िज्र (अलैहिस्सलाम) ने कहा, ऐ मूसा! तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? मुझे अल्लाह तआला के इल्म में से ऐसा इल्म हासिल है जो ख़ुद अल्लाह ने अता किया है और जो आपको हासिल नहीं है और आपको भी अल्लाह के इल्म में से ऐसा इल्म हासिल है जो अल्लाह तआला ने आपको सिखाया है वह इल्म मुझे हासिल नहीं। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएँगे और मैं आपके किसी हुक्म से सरताबी न करूँगा।

इस बातचीत के बाद ये दोनों दरिया के किनारे किनारे चलते रहे क्यों कि उनके पास कश्ती न थी फिर उनके सामने से एक कश्ती गुज़री। कश्तीवालों से उन्होंने कहा कि हमें सवार कर लो। उन्होंने हज़रत ख़िज्र को पहचान

लिया और उन दोनों को बग़ैर किराये के सवार कर लिया। **फिर एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई और उसने दरिया में से एक या दो चोंच पानी लिया तो ह़ज़रत ख़िज़्र ने कहा, ऐ मूसा! मुझे और आप को जो इल्म ह़ासिल है ये अल्लाह के इल्म के मुक़ाबले में उतना भी नहीं जितना इस चिड़िया ने दरिया में से अपनी चोंच में पानी भरा है।** फिर ह़ज़रत ख़िज़्र ने उस कश्ती के तख़्तों में से एक तख़्ता उखाड़ दिया। ये देखकर ह़ज़रत मूसा ने कहा, इन लोगों ने हमें बग़ैर किराये के कश्ती पर सवार किया और आपने क़स़दन (जान–बूझकर) उनकी कश्ती को फाड़ दिया ताकि कश्ती और सवार सब डूब जाएँ। ह़ज़रत ख़िज़्र (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा, क्या मैंने पहले ही आपसे न कहा था कि आप मेरे साथ रहते हुए स़ब्र नहीं कर सकेंगे? ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा मुझसे भूल हो गई, इस पर गिरफ़्त न कीजिए और ये ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की पहली भूल थी।

लिहाज़ा ये फिर आगे चल पड़े और उन्हें एक बच्चा नज़र आया जो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, ह़ज़रत ख़िज़्र (अ़लैहिस्सलाम) ने उसका सिर पकड़ा और अपने हाथों से गर्दन से जुदा कर दिया। ये देखकर मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा, आपने एक बेगुनाह को नाह़क़ क़त्ल कर दिया? ह़ज़रत ख़िज़्र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहते हुए स़ब्र न कर सकेंगे।

उसके बाद फिर ये दोनों आगे चल पड़े और एक बस्ती में पहुँचे। उन्होंने बस्ती वालों से खाना त़लब किया लेकिन उन्होंने मेहमान–नवाज़ी से इंकार कर दिया फिर उनको (उस बस्ती में) एक दीवार नज़र आई जो झुक गई थी और गिरने के क़रीब थी। ह़ज़रत ख़िज़्र ने उसे हाथ के इशारे से सीधा कर दिया तो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम का मुआवज़ा (मज़दूरी/पारिश्रमिक) ले सकते थे। ह़ज़रत ख़िज़्र ने कहा, ये आख़िरी मौक़ा था, अब आपके और मेरे बीच जुदाई का होना लाज़िम है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला मूसा (अ़लैहिस्सलाम) पर रह़म करे! अगर वो स़ब्र करते तो कितना अच्छा होता और हमें उन वाक़िआ़त के बारे में तफ़्स़ील मा'लूम हो जाती। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 44)**

नोट : इस वाक़िये की तफ़्स़ील क़ुर्आन मजीद की सूरह कहफ़ (आयत नं. 60 से 82 तक) में मौजूद है। इस ह़दीष़ के मज़मून से ज़ाहिर है कि ये सूरह कहफ़ की इन आयतों के नाज़िल होने के पहले की है। सूरह कहफ़ की आयत नं. 79 से 82 के बीच उन तीन बातों का ख़ुलासा बयान किया गया है जिसका इल्म ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को नहीं था, जिसकी वजह से वे स़ब्र न कर सके।

01. **नाव का मामला यह है कि वह कुछ मिस्कीनों की थी जो समन्दर में मेहनत–मज़दूरी किया करते थे। मैंने चाहा कि उसको ऐबदार कर दूँ क्योंकि आगे (नदी किनारे) एक बादशाह था जो हर अच्छी नाव को ज़बरदस्ती छीन लेता था।** (सूरह कहफ़ : 79)

02. **लड़के का मामला यह है कि उसके माँ–बाप ईमानवाले थे। मुझे डर हुआ कि ये लड़का अपने कुफ़्र और सरकशी से उन्हें तकलीफ़ में न डाले। इसलिये मैंने चाहा कि उनका रब उसकी जगह उनको ऐसी औलाद दे जो उसके मुक़ाबले में पाकीज़गी के लिहाज़ से भी बेहतर हो।** (सूरह कहफ़ : 80-81)

03. **रही दीवार (की बात); तो वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी, जिसके नीचे उनका ख़ज़ाना दबा था और उनका बाप एक नेक आदमी था। आपके रब ने चाहा कि वे दोनों अपनी जवानी को पहुँचें और अपना ख़ज़ाना निकाल लें। यह आपके रब की रहमत से हुआ, मैंने जो कुछ किया अपने इख़्तियार से नहीं किया। यह है उन बातों की ह़क़ीक़त, जिन पर आप स़ब्र न कर सके।** (सूरह कहफ़ : 82)

किताब फ़ज़ाइले सहाबा

बाब 1 : हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1540. हदीष अबूबक्र (रज़ि.) : हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि जिस वक़्त हम ग़ारे (षौर) में थे, मैंने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, अगर उन (काफ़िरों) में से कोई शख़्स अपने पैरों से नीचे की जानिब देख ले तो हम उसको नज़र आ जाएँगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबूबक्र! तुम्हारा क्या गुमान है उन दो शख़्सों के बारे में जिनके साथ तीसरा अल्लाह तआला है? **(सहीह बुख़ारी किताबु फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 2)**

1541. हदीष अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, अल्लाह तआला ने अपने एक बन्दे को दो चीज़ों में से एक चीज़ को मुंतख़ब करने का इख़्तियार दिया कि वो चाहे तो उसे दुनिया का ऐशो–इशरत और माल व दौलत जिस क़दर चाहे दे दिया जाए और अगर चाहे तो वो चीज़ ले ले जो अल्लाह तआला के पास है। तो उस बन्दे ने वो चीज़ मुंतख़ब की जो अल्लाह तआला के पास है। ये सुनकर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) रोने लगे और उन्हों ने नबी करीम (ﷺ) से मुख़ातिब होकर अर्ज़ किया, हम और हमारे माँ–बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान हो जाएँ! ये देखकर हम सब हैरान हुए और लोगों ने कहा, इस बूढ़े को देखो, नबी करीम (ﷺ) एक बन्दे के बारे में इत्तिला दे रहे हैं कि उसे अल्लाह तआला ने इख़्तियार दिया कि चाहे दुनिया का ऐशो–आराम ले ले और चाहे तो वो चीज़ इंतिख़ाब (चुनाव) कर ले जो अल्लाह के पास है और ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हम और हमारे माँ–बाप सब आप (ﷺ) पर क़ुर्बान हो जाएँ। हालाँकि बात ये थी कि जिस बन्दे को इख़्तियार दिया गया था वो ख़ुद नबी करीम (ﷺ) थे और इस बात को हममें से सिर्फ़ हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने समझा था।

इसके आगे नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है, अपनी रफ़ाक़त (दोस्ती) और अपने माल से लोगों में सबसे ज़्यादा मेरी ख़िदमत करने और साथ देने वाले (हज़रत) अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) हैं और अगर मुझे उम्मत में से किसी को दोस्त (ख़लील) बनाना होता तो मैं (हज़रत) अबूबक्र (रज़ि.) को अपना दोस्त बनाता, लेकिन अब हममें इस्लामी ख़ुल्लत (दोस्ती) का रिश्ता है और मस्जिदे (नबवी) में किसी शख़्स की खिड़की बाक़ी न रहने दी जाए सिवाय हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की खिड़की के। **(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 45)**

1542. हदीष अम्र बिन आस (रज़ि.) : हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जनाब नबी करीम (ﷺ) ने मुझे उस लश्कर पर मुक़र्रर किया जो ज़ातुस्सलासिल (मदीना से सीरिया की तरीफ क़बीला बनी जुज़ाम के एक चश्मे का नाम है) की ओर भेजा था तो **मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने पूछा,**

आप (ﷺ) को सबसे ज़्यादा कौन शख़्स़ मह़बूब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा (रज़ि.)! मैंने अर्ज़ किया, मर्दों में से कौन? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के वालिद। मैंने अर्ज़ किया, उनके बाद कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उनके बाद उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.)। उनके अलावा भी आप (ﷺ) ने कई और अफ़राद के नाम लिये। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस़्ह़ाबिन्नबी ﷺ बाब 5)**

1543. ह़दीष़ जुबैर बिन मुत़इम (रज़ि.) : ह़ज़रत जुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुई (कुछ त़लब करने के लिये) तो आप (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि फिर आओ। उसने अ़र्ज़ किया कि अगर मैं फिर आऊँ और आप (ﷺ) को न पाऊँ तो क्या करूँ? उसका मत़लब था कि अगर आप (ﷺ) रह़लत फ़र्मा जाएँ तो? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम मुझे न पाओ तो अबूबक्र (रज़ि.) के पास आना। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस़्ह़ाबिन्नबी ﷺ बाब 5)**

1544. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई, उसके बाद आप (ﷺ) लोगों की त़रफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, एक शख़्स़ एक बैल हाँक रहा था फिर वो उस पर सवार हो गया और उसे मारा तो बैल कहने लगा, हम सवारी के लिये नहीं पैदा किये गये हम तो खेती–बाड़ी के लिये पैदा किये गये हैं। ये सुनकर लोग कहने लगे, सुब्ह़ानल्लाह! (तअ़ज्जुब है!) क्या बैल भी बात कर सकता है? इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फर्माया, मैं तो इस बात पर यक़ीन रखता हूँ, मैं भी और अबूबक्र (रज़ि.) और उ़मर (रज़ि.) भी (ये बात आप ﷺ ने उस वक़्त फ़र्माई जब कि ये दोनों ह़ज़रात वहाँ मौजूद भी न थे)।

और एक शख़्स़ अपनी बकरियाँ चरा रहा था कि एक भेड़िये ने घात लगाई और उन बकरियों में से एक बकरी ले गया, तो वो शख़्स़ उसकी तलाश में गया और उसे छुड़ा लाया। भेड़िया कहने लगा, ऐ शख़्स़! तूने ये बकरी मुझसे छीन ली है लेकिन उस दिन इनकी ह़िफ़ाज़त कौन करेगा जिस दिन दरिन्दे तुझे भगा देंगे और उन बकरियों का निगराँ मेरे सिवा कोई न होगा? ये सुनकर कहने लगे, सुब्ह़ानल्लाह! (तअ़ज्जुब है) क्या भेड़िया भी बोल सकता है? इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तो इस बात पर यक़ीन रखता हूँ। मैं भी और अबूबक्र (रज़ि.) व उ़मर (रज़ि.) भी (ये बात आप ﷺ ने फ़र्माई) जब कि ये दोनों उस वक़्त वहाँ मौजूद भी न थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 54)**

बाब 2 : ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1545. ह़दीष़ अ़ली (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) को (शहादत के बाद) जनाज़ा उठने से पहले ताबूत पर लिटाया गया तो आपको लोगों ने चारों तरफ़ से घेर लिया जो आप के लिये दुआ और नमाज़ की ग़र्ज़ से जमा हुए थे और मै भी उन लोगों में शामिल था। उस वक़्त अचानक एक शख़्स़ ने मेरा शाना (काँधा) पकड़ा जिसकी वजह से मैं घबरा गया। मैंने देखा तो वो ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) थे, उन्होंने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के लिये रह़मत की दुआ की और कहा, ऐ उ़मर (रज़ि.)! आपने अपने पीछे एक शख़्स़ भी ऐसा न छोड़ा कि मुझे आपके मुक़ाबले में उसके अ़मलों जैसे कोई अ़मल लेकर अल्लाह तआ़ला के सामने जाना पसन्द हो। और क़सम अल्लाह की! मुझे यक़ीन था कि अल्लाह तआ़ला आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा। और ये ख़याल मुझे इस आधार पर था कि में अक्षर सुनता था कि नबी करीम (ﷺ) इस अंदाज़ से इर्शाद फ़र्माया करते थे, मैं और अबूबक्र व उ़मर (रज़ि.) गए। मैं और अबूबक्र (रज़ि.) व उ़मर (रज़ि.) दाख़िल हुए। मैं (ﷺ) और अबूबक्र (रज़ि.) व उ़मर (रज़ि.) बाहर निकले। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस़्ह़ाबन्नबी ﷺ बाब 6)**

1546. हदीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं सो रहा था कि मैंने ख़्वाब देखा, मेरे सामने लोग लाए जा रहे हैं और उन्होंने क़मीस़ पहन रखी हैं। कुछ की क़मीस़ सीने तक है और कुछ की उससे कम। फिर मेरे सामने (हज़रत) उ़मर (रज़ि.) पेश किये गए उन्होंने ऐसी क़मीस़ पहन रखी थी जो ज़मीन पर घिसट रही थी। स़हाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने उसकी तअ़बीर क्या ली? फ़र्माया, दीन (या'नी क़मीस़ से मुराद दीन है और जिसकी क़मीस़ जितनी बड़ी या छोटी थी उसका दीना उतना ज़्यादा या कम था)। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 15)**

1547. हदीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, मैं सो रहा था कि मैंने ख़्वाब में देखा कि मेरे पास दूध का प्याला लाया गया है जिसे मैंने ख़ूब सैर होकर पिया यहाँ तक कि सैराबी मेरे नाख़ूनों से बाहर निकलती महसूस हुई। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को दे दिया। स़हाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने उसकी क्या तअ़बीर ली? फ़र्माया, इल्म। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 22)**

नोट : यानी दूध के प्याले से मुराद अ़लामती तौर पर इल्म है जिसे अल्लाह के रसूल (ﷺ) को सबसे ज़्यादा नवाज़ा गया। बचा हुआ दूध हज़रत उ़मर (रज़ि.) को देने से मुराद ये है कि आप (ﷺ) के बाद हज़रत उ़मर (रज़ि.) को दीने इस्लाम का फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) होने का शरफ़ (श्रेय) हास़िल होगा।

1548. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, मैंने सोते में ख़्वाब देखा कि मैं एक कुँए पर खड़ा हूँ जिसमें डोल पड़ा हुआ है। मैंने उस कुँए में से पानी खींचा जिस क़दर कि अल्लाह तआ़ला ने चाहा। फिर वो डोल हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने ले लिया और एक या दो भरे हुए डोल निकाले। लेकिन उनके खींचने के अंदाज़ में कमज़ोरी झलक रही थी अल्लाह तआ़ला उनकी कमज़ोरी को माफ़ करे। फिर वो डोल मा'मूली डोल से एक बड़े डोल की शक्ल इख़्तियार कर गया और उसे हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ले लिया और मैं ने किसी पहलवान को इस अंदाज़ से डोल निकालते नहीं देखा जैसे उ़मर (रज़ि.) ने उसे डोल को खींचा। यहाँ तक कि लोग सैराब हो गए और अपने जानवरों को भी सैराब करके आराम की जगह बिठा दिया। **(स़हीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस़्हाबन्नबी ﷺ बाब 5)**

1549. हदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने ख़्वाब में देखा कि मैं एक कुंए पर एक ऐसा डोल खींच रहा हूँ, जिससे एक ऊँटनी सैराब हो सकती है। फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आए और उन्होंने भी एक या दो डोल खींचे, लेकिन नातवानी के साथ। अल्लाह उन्हें माफ़ करे। फिर हज़रत उ़मर (रज़ि.) आए तो वो डोल चरसा (बड़े डोल) में तब्दील हो गया और मैंने कोई बड़े से बड़ा शख़्स़ उनकी तरह काम करने वाला नहीं देखा यहाँ तक कि सब लोग सैराब हो गए और उन्होंने अपने जानवरों को भी सैराब करके आराम की जगह पहुँचा दिया। **(स़हीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस़्हाबिन्नबी ﷺ बाब 6)**

1550. हदीष़ जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं जन्नत में दाख़िल हुआ या आप (ﷺ) ने ये अल्फ़ाज़ कहे कि मैं जन्नत में गया तो मैंने एक महल देखा। मैंने पूछा ये किसका महल है? कहा गया, उ़मर (रज़ि.) बिन ख़त्ताब का। फिर मैंने चाहा कि मैं उसमें दाख़िल हो

जाऊँ लेकिन ऐ उमर (रज़ि.)! मैं इस वजह से रुक गया कि मुझे तुम्हारी ग़ैरत का पता था, हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान! क्या मैं आप (ﷺ) पर ग़ैरत खाऊँगा?

(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 107)

1551. हदीस अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम लोग नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने ख़्वाब देखा कि मैं जन्नत में हूँ और एक औरत एक महल के पहलू में वुज़ू कर रही है मैंने पूछा कि ये महल किसका है? बताया गया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का, तो मुझे उमर (रज़ि.) की ग़ैरत का ख़याल आ गया और मैं उलटे पांव वापस लौट आया। ये सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) रो पड़े और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं आप पर भी ग़ैरत खा सकता हूँ?

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क बाब 8)

1552. हदीस सअद बिन अबी वक्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अंदर आने की इजाज़त तलब की, उस वक़्त आप (ﷺ) के पास कुरैश की कुछ औरतें बैठी बाते कर रही थीं और बढ़-चढ़कर बोल रही थीं और उनकी आवाज़े बुलन्द थी। लेकिन जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने अंदर आने की इजाज़त तलब की तो वो औरतें पर्दे में जाने के लिये लपकीं और नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को अंदर आने की इजाज़त दी तो आप (ﷺ) हँस रहे थे। ये देखकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला आपको सदा मुस्कुराता रखे। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं उन औरतों पर हैरान हो रहा हूँ जो यहाँ मौजूद थीं कि ज्योंहीं उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी पर्दे की तरफ़ भाग गईं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! दरहक़ीक़त आप इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि औरतें आप (ﷺ) से डरें। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन औरतों से मुख़ातिब होकर कहा, ऐ अपनी जान की दुश्मनों! तुम मुझसे डरती हो और रसूलुल्लाह (ﷺ) से नहीं डरतीं। उन्होंने कहा, हाँ! इसलिये कि आप नबी करीम (ﷺ) से ज़्यादा गुस्सैल और सख़्त मिज़ाज़ है। उस मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से फ़र्माया, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! अगर शैतान कभी किसी रास्ते पर तुमको आता देख ले तो वो उस राह को छोड़कर जिस पर कि तुम चल रहे होगे दूसरी राह पकड़ लेगा। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क बाब 11)**

1553. हदीस इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई मरा तो उसके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और दरख़्वास्त की कि आप (ﷺ) अपनी क़मीसे मुबारक उसे अता कर दें ताकि वो अपने बाप को उसमें कफ़नाएँ। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें अपनी क़मीस अता कर दी। फिर उन्होंने दरख़्वास्त की कि आप (ﷺ) उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाएँ तो नबी करीम (ﷺ) उठकर तशरीफ़ ले जाने लगे ताकि उसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएँ। उस मौक़े पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने उठकर नबी करीम (ﷺ) का दामन पकड़ लिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप उस शख़्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ेंगे, जबकि अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) को उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ने से मना किया है? तो रहमते दो आलम (ﷺ) ने फ़र्माया, दरहक़ीक़त अल्लाह तआला ने मुझे इख़्तियार दिया है कि चाहूँ तो उनके लिये तलबे मग़्फ़िरत करूँ और चाहूँ न करूँ, और ये कि अगर तुम उनके लिये 70 बार भी तलबे मग़्फ़िरत करोगे.....। तो मैने फ़ैसला किया कि मैं 70 बार से ज़्यादा तलबे मग़्फ़िरत करूँगा। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो तो यक़ीनन मुनाफ़िक़ था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि फिर नबी

करीम (ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई इस पर अल्लाह तआला ने ये आयते करीमा नाज़िल फ़र्माई, **व ला तुसल्लि अला अहदिम्मिन्हुम मा–त अबदंव् व लन ला तक़ुम अला क़ब्रिही** (तर्जुमा) : **और आइन्दा उनमें से जो कोई मर उनकी नमाज़े जनाज़ा भी तुम हर्गिज़ न पढ़ना और न उनकी क़ब्रों पर (जाकर) खड़े होना।** (सूरह तौबा : 84) **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़सीर सूरह बरात बाब 12)**

बाब 3 : हज़रत उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1554. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं मदीना के एक बाग़ में नबी करीम (ﷺ) के साथ बैठा था कि एक शख़्स आया और उसने दरवाज़ा खोलने के लिये कहा, तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत की बशारत दे दो। चुनाँचे मैंने दरवाज़ा खोला तो वो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) थे। मैंने उन्हें नबी करीम (ﷺ) के इर्शाद के मुताबिक़ जन्नत की बशारत दे दी और उन्होंने इस पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया।

फिर एक और शख़्स आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने की दरख़्वास्त की। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दरवाज़ा खोल दो और इसे भी जन्नत की बशारत दे दो। चुनाँचे मैंने दरवाज़ा खोला तो ये हज़रत उमर (रज़ि.) थे, मैंने उनको भी नबी करीम (ﷺ) के इर्शाद से मुत्तलअ कर दिया (या'नी जन्नत की बशारत दे दी)। उन्होंने भी अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया।

फिर एक और शख़्स ने दरवाज़ा खुलवाया तो आपने मुझे हुक्म दिया कि उनके लिये भी दरवाज़ा खोल दो और उन्हें बशारत दे दो कि तुमको एक मुसीबत में से गुज़रना होगा और जन्नत में जाओगे। चुनाँचे मैं गया तो ये हज़रत उष्मान (ﷺ) थे मैंने उनको भी वो सब कुछ बता दिया जो नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया था। और उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्लाह ही मदद फ़र्माने वाला है।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 6)

1555. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अपने घर में वुज़ू किया और अपने दिल में सोचा कि आज मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में रहूँगा और सारा दिन आप (ﷺ) के पास गुज़ारूँगा। अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि ये सोचकर मैं मस्जिद में आया और नबी करीम (ﷺ) के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि बाहर तशरीफ़ ले गए हैं, और ये कि आप (ﷺ) का रुख़ उस तरफ़ था। चुनाँचे मैं आप (ﷺ) के पांव के निशान को देखता और आप (ﷺ) के बारे में पूछता और उसी तरफ़ चल पड़ा यहाँ तक कि बीरे उरैस पर पहुँचकर दरवाज़े के पास बैठ गया। उसका दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था, यहाँ तक कि नबी करीम (ﷺ) अपने हवाइजे ज़रूरियात से फ़ारिग़ हुए और आप (ﷺ) ने वुज़ू किया तो मैं उठकर आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त आप (ﷺ) उरैस के कुँए की मेड़ पर दरम्यान में तशरीफ़ फ़र्मा थे और आप (ﷺ) ने अपनी पिण्डलियाँ खोलकर कुँए में लटका रखी थीं। मैंने आप (ﷺ) को सलाम किया और वापस आकर दरवाज़े पर बैठ गया और दिल में सोचा कि आज नबी करीम (ﷺ) का दरबान मैं होऊँगा।

फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन साहब हैं? कहा, अबूबक्र! मैंने कहा, ज़रा ठहरिये! फिर नबी करीम (ﷺ) के पास गया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अबूबक्र (रज़ि.) आए हैं और हाज़िर होने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्हें इजाज़त दे दो और जन्नत की बशारत भी दे दो। मैं वापस गया और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) अंदर आ गए और नबी करीम (ﷺ) के

दाँए जानिब कुँए की मेड़ पर बैठ गए और आपने भी नबी करीम (ﷺ) की तरह अपनी पिण्डलियाँ खोलकर दोनों पांव कुँए में लटका दिये।

मैं लौटकर फिर दरवाज़े पर आ बैठा। मैं (जब घर से चला था तो) अपने भाई को वहीं छोड़ आया था कि वो भी वुज़ू करके मेरे पास आ जाएगा और मैंने दिल में सोचा कि अगर अल्लाह तआला को उसकी भलाई मंज़ूर होगी तो आज उसे मेरे पास (यहाँ) भेज देगा। उसी वक़्त एक शख़्स ने दरवाज़ा खटखटाया; मैंने पूछा, कौन है? कहने लगे, उमर बिन ख़त्ताब! मैंने कहा, ठहरिये! फिर मैं जनाब नबी करीम (ﷺ) के पास आया और आपको सलाम करने के बाद अर्ज़ किया, हज़रत उमर (रज़ि.) हाज़िर होने की इजाज़त चाहते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्हें इजाज़त दे दो और साथ ही जन्नत की बशारत भी दो। चुनाँचे मैं वापस आया और हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा, तशरीफ़ लाइए। और नबी करीम (ﷺ) ने आपको जन्नत की बशारत दी है। हज़रत उमर (रज़ि.) अंदर आए और नबी करीम (ﷺ) के बाँए जानिब कुँए की मेड़ पर बैठ गए और आपने भी अपने दोनों पांव कुँए में लटका दिये।

मैं फिर लौटकर दरवाज़े पर आ बैठा और सोचने लगा कि अगर अल्लाह तआला को फ़लाँ शख़्स (मेरे भाई) की भलाई मंज़ूर हुई तो आज उसे यहाँ भेज देगा। फिर एक और शख़्स ने आकर दरवाज़ा बजाया। मैंने पूछा कौन है? कहने लगे, उष्मान बिन अफ़्फ़ान! मैंने कहा, ठहरिये! फिर मैंने नबी करीम (ﷺ) के पास आया और आप (ﷺ) को (उनके आने की) इत्तिला दी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्हें आने की इजाज़त दो और बशारत दो कि उन पर एक मुसीबत पड़ेगी जिसके नतीजे में वो जन्नत में जाएँगे। मैं उनके पास वापस आया और कहा कि तशरीफ़ लाइये और आपको नबी करीम (ﷺ) ने बशारत दी है कि एक मुसीबत में से गुज़रकर आप जन्नत में जाएँगे। चुनाँचे वो अंदर आ गए लेकिन देखा कि कुँए की मेड़ भर चुकी है (उस पर बैठने की जगह नहीं बची थी)। लिहाज़ा आप नबी करीम (ﷺ) के सामने की जानिब कुँए के दूसरे हिस्से पर बैठ गए।

हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब (रह.) जिन्होंने हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से इस हदीष को रिवायत किया है कहते हैं कि मेरे नज़दीक उसकी तावील ये है कि उनकी क़ब्रें भी उसी तरह बनी हैं।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 5)

बाब 4 : हज़रत अली (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1556. हदीष सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ग़ज़्व–ए–तबूक के लिये रवाना हुए तो हज़रत अली (रज़ि.) को (मदीना में) अपना नाइब मुक़र्रर किया। उस मौक़े पर हज़रत अली (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, क्या आप (ﷺ) मुझे बच्चों और औरतों के साथ पीछे छोड़कर जा रहे हैं? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैषियत मेरी निस्बत से वही हो जो हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के साथ हज़रत हारून (अलैहिस्सलाम) की थी, फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि (वो दोनों नबी थे और) मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 78)**

1557. हदीष सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने ग़ज़्व–ए–ख़ैबर के दिन नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, अब मैं झण्डा ऐसे शख़्स को दूँगा जिसके हाथ पर अल्लाह तआला (ख़ैबर) फ़तह कराएगा तो लोग इस आरज़ू में ठहरे रहे और सोचते रहे कि देखें (कल झण्डा) किसको मिलता है? फिर सुबह हुई तो कैफ़ियत ये थी कि हर शख़्स ये आस लगाए हुए था कि (झण्डा) उसे मिल जाएगा, लेकिन आप (ﷺ) ने पूछा, अली कहाँ हैं? अर्ज़ किया गया, उनकी आँख में तकलीफ़ है। फिर आप (ﷺ) के हुक्म से हज़रत

अ़ली (रज़ि.) को बुलाया गया और नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) की आँखों में अपना लुआबे दहन डाला और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) उसी वक़्त ऐसे तन्दरुस्त हो गए गोया आपको कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। फिर ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने पूछा, क्या हम उनसे उस वक़्त तक जंग करें जब तक वो हमारी तरह़ (मुसलमान) न हो जाएँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम आहिस्तगी और वक़ार के साथ चलो यहाँ तक कि उनके मैदान में जा उतरो, उसके बाद उन्हें इस्लाम की दअ़वत दो और उनको बताओ कि उन पर क्या फ़राइज़ आइद होते हैं। इसलिये कि अल्लाह की क़सम! अगर तुम्हारे ज़रिये से एक शख़्स भी मुसलमान हो जाए तो ये बात तुम्हारे लिये सुर्ख़ ऊँटों के हासिल करने से कहीं बेहतर है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 106)**

1558. ह़दीष़ सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) : ह़ज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के मौक़े पर ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से पीछे रह गये थे क्योंकि आपकी आँखें दुख रही थीं, तो ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने दिल में ख़याल किया कि क्या मैं नबी करीम (ﷺ) का साथ न दे सकूँगा। (ये बहुत बुरी बात होगी) ये ख़याल आते ही ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) चल पड़े और जनाब नबी करीम (ﷺ) से जा मिले। फिर जब उस दिन की शाम आई जिसकी अगली सुबह़ ख़ैबर फ़तह़ हुआ, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं झण्डा उसे दूँगा, या आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कल झण्डा वो शख़्स लेगा जिसे अल्लाह तआ़ला और रसूल (ﷺ) दोस्त रखते हैं या आप (ﷺ) ने फ़र्माया था जो अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) से मुह़ब्बत करता है और अल्लाह तआ़ला उसके हाथों (ख़ैबर) फ़तह़ कराएगा। फिर ग़ैर मुतवक़्क़ अ़ तौर पर (अनायास) हमें ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) नज़र आए तो लोगों ने कहा, लीजिये! अ़ली (रज़ि.) आ गए, फिर नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें झण्डा अ़ता कर दिया और अल्लाह तआ़ला ने उनके हाथों ख़ैबर फ़तह़ कराया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 121)**

1559. ह़दीष़ सहल बिन सअ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) घर तशरीफ़ ले गए, और वहाँ ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को न पाया तो ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) से पूछा, तुम्हारा चचाज़ाद कहाँ हैं? ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, मेरे और उनके दरम्यान कुछ रंजिश थी, लिहाज़ा वो मुझसे नाराज़ होकर बाहर चले गए और यहाँ मेरे पास क़ैलूला नहीं किया। तो नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स से कहा, ज़रा देखो ह़ज़रत अ़ली कहाँ हैं? उसने वापस आकर बताया, या रसूलल्लाह (ﷺ)!वो मस्जिद में लेटे हुए हैं। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) लेटे हुए थे और उनके पहलू से चादर उतर चुकी थी और उनके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी तो नबी करीम (ﷺ) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के जिस्म से मिट्टी पोंछते जाते थे और फ़र्माते जाते थे, ऐ अबू तुराब उठो, ऐ अबू तुराब उठो! **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 58)**

बाब 5 : ह़ज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1560. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि (किसी सफ़र में) नबी करीम (ﷺ) जागते रहे फिर जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, काश मेरे अस्ह़ाब में से कोई नेक शख़्स आज रात मेरे घर पर पहरा दे, आप (ﷺ) ये फ़र्मा ही रहे थे कि हमें हथियारों के बजने की आवाज़ सुनाई दी, आप ने दरयाफ़्त फ़र्माया, कौन है? कहा, मैं सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ हूँ और आप (ﷺ) के दर पर पहरा देने के लिये ह़ाज़िर हुआ हूँ। ये सुनने के बाद नबी करीम (ﷺ) सो गए। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियरि बाब 70)**

1561. हदीष अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सअद (रज़ि.) के सिवा किसी शख़्स को नहीं देखा (कि नबी करीम ﷺ उसकी कारकर्दगी पर इतने ख़ुश हुए हों) कि उस पर निहाल होने का फ़र्माया हो, अल्बत्ता सअद (रज़ि.) के बारे में मैंने आप (ﷺ) को फ़र्माते सुना है, ख़ूब तीर चलाओ! तुम पर मेरे माँ–बाप क़ुर्बान! **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियरि बाब 80)**

1562. हदीष सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि ग़ज़्व–ए–उहुद के दिन जनाब नबी करीम (ﷺ) ने मेरे लिये (ये फ़र्माते हुए कि मेरे माँ–बाप तुम पर क़ुर्बान) अपने वालिद और वालिदा दोनों को यकजा ज़िक्र फ़र्माया। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 15)**

बाब 6 : हज़रात तलहा और ज़ुबैर (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1563. हदीष तलहा व सअद (रज़ि.) : अबू उ़ष्मान (रह.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ने काफ़िरों के साथ जंग की तो कुछ दिन ऐसे भी आए कि आप (ﷺ) के साथ हज़रत तलहा और हज़रत सअद (रज़ि.) के सिवा कोई और न रहा (या'नी दूसरे लोग मैदान छोड़ गए) ये बात मुझे (अबू उ़ष्मान को) हज़रत तलहा (रज़ि.) और हज़रत सअद (रज़ि.) बिन अबी वक़्क़ास ने ख़ुद बताई। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 14)**

1564. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ज़्व–ए–अहज़ाब (ख़न्दक़) के मौक़े पर फ़र्माया, कोई है जो जाकर दुश्मनों के हालात मा'लूम करे और वापस आकर मुझे मुत्तलअ़ (सूचित) करे? हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, मैं हाज़िर हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई है जो दुश्मनों के बारे में मा'लूमात हासिल करे और मुझे खबर करे? हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा, मैं जाता हूँ। उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नबी के हवारी (मददगार व जाँनिषार) होते हैं और मेरे हवारी हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियरि बाब 40)**

1565. हदीष ज़ुबैर (रज़ि.) : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं ग़ज़्व–ए–अहज़ाब (ख़न्दक़) में मौजूद था लेकिन (बच्चा होने की वजह से) मुझे और उ़मर बिन अबी सलमा (रज़ि.) को औरतों के साथ रखा गया था। वहाँ से मैंने देखा कि हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) अपने घोड़े पर सवार होकर बनी क़ुरैज़ा की तरफ़ दो या तीन बार गए और आए। फिर जब हम लौटकर घर आए तो मैंने कहा, अब्बाजान! मैंने देखा था कि आप आ और जा रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ बेटे! क्या तुमने भी मुझे देखा था। मैंने कहा, हाँ! उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद था, कोई शख़्स है जो बनी क़ुरैज़ा में जाकर वहाँ के हालात मा'लूम करके आए। लिहाज़ा मैं चला गया। फिर जब मैं वापस आया तो नबी करीम (ﷺ) ने अपने माँ–बाप दोनों को यकजा करके मुझे फ़र्माया, मेरे माँ–बाप तुम (ज़ुबैर) पर क़ुर्बान हों। **(सहीह बुख़ारी किताबु फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 13)**

बाब 7 : हज़रत अबू उबैदह बिन जर्राह (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1566. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर उम्मत का एक अमीन होता है और हमारे या'नी इस उम्मत के अमीन अबू उबैदह (रज़ि.) बिन जर्राह हैं।
(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 21)

1567. हदीष हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने अहले नजरान से फ़र्माया था, मैं तुम्हारे पास ऐसा अमीन भेजूँगा जो फ़िल वाक़ेअ अमीन होगा। ये सुनकर सहाबा किराम (रज़ि.) (दिल में तमन्ना लिये) आप (ﷺ) की ख़िदमत में आने लगे, लेकिन आप (ﷺ) ने उनकी तरफ़ अबू उबैदह (रज़ि.) को भेजा। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 21)**

बाब 8 : हज़रात हसन व हुसैन (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1568. हदीष अबू हुरैरह दौसी (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) दिन के एक हिस्से में बाहर तशरीफ़ लाए। मैं आप (ﷺ) के साथ था और हम दोनों बिलकुल खामोश थे, न आप (ﷺ) ने मुझसे कोई बात की और न मैं कुछ बोलने की जुर्अत कर सका, यहाँ तक कि आप (ﷺ) बाज़ारे बनी क़ैनक़ाअ तक आए। फिर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के सहन में आकर बैठ गए और फ़र्माया, बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? लेकिन उन्हें (हज़रत हसन रज़ि. को) हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने कुछ देर के लिये रोक लिया। तो मैं समझ गया कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) उन्हें ख़ुश्बू का हार पहना रही हैं या नहला रही हैं फिर हज़रत हसन (रज़ि.) बड़ी तेज़ी से आए और आते ही नबी करीम (ﷺ) के सीने से लग गए और आप (ﷺ) ने उन्हें प्यार किया और फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इन्हें लोगों का महबूब बना और जो इनसे मुहब्बत रखे तू भी उनसे मुहब्बत कर। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 49)**

1569. हदीष बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने देखा कि हज़रत हसन (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के कँधे पर बैठे हैं और आप (ﷺ) फ़र्मा रहे हैं, ऐ अल्लाह! मैं इससे मुहब्बत करता हूँ लिहाज़ा तू भी उसे महबूब रखियो। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 22)**

बाब 10 : हज़रत ज़ैद बिन हारिषा (रज़ि.) और हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1570. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हज़रत ज़ैद बिन हारिषा (रज़ि.) को जो जनाब नबी करीम (ﷺ) के आज़ादकर्दा गुलाम थे। पहले सिर्फ़ ज़ैद बिन मुहम्मद (ﷺ) कहकर पुकारा करते थे यहाँ तक कि क़ुर्आन मजीद की ये आयते करीमा नाज़िल हुई, **जिन्हें तुमने मुँह बोला बेटा बनाया है उन्हें उनके हक़ीक़ी बापों की निस्बत से पुकारो। ये चीज़ अल्लाह तआला के नज़दीक ज़्यादा मुंसिफ़ाना है।** (अल अहज़ाब : 5) **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह अहज़ाब बाब 2)**

1571. हदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक दस्ता रवाना किया और उसका अमीर ह़ज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) को बनाया तो उनके अमीर बनने पर कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुमको उनकी इमारत (नेतृत्व) पर ऐतराज़ है तो ये कोई नई बात नहीं है (वही पुरानी जाहिलाना ज़हन की पैदावार है जिसके ज़ेरे–अष़र) तुम लोगों ने उनके बाप (ह़ज़रत ज़ैद बिन ह़ारिष़ा रज़ि. की इमारत पर पहले भी ऐतराज़ किया था। हालाँकि अल्लाह की क़सम! वो दरहक़ीक़त न सिर्फ़ सरदारी के क़ाबिल थे बल्कि मुझे सब लोगों से ज़्यादा महबूब थे और उनके बाद ये उनके बेटे मेरे सबसे ज़्यादा महबूब लोगों में हैं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस़्ह़ाबिन्नबी ﷺ बाब 17)**

बाब 11 : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जा'फ़र (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1572. हदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन जा'फ़र (रज़ि.): ह़ज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जा'फ़र (रज़ि.) से कहा, क्या आपको याद है जब हम या'नी मैं, आप और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) को रास्ते जाकर मिले थे। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जा'फ़र (रज़ि.) ने कहा, हाँ! याद है। फिर आपने हम दोनों (अ़ब्दुल्लाह बिन जा'फ़र और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) को तो सवार कर लिया और आपको छोड़ दिया था।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियरि बाब 196)

बाब 12 : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1573. हदीष़ अ़ली (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, दुनिया की औ़रतों में से सबसे बेहतरीन औ़रत (अपने वक़्त में) ह़ज़रत मरयम बिन्ते इमरान थीं और दुनिया की औ़रतों में सबसे बेहतरीन औ़रत (इस उम्मत और इस ज़माने में) ह़ज़रत ख़दीजा (रज़ि.) हैं।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 45)

1574. हदीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मर्दों में अहले कमाल अफ़राद बहुत हुए हैं लेकिन औ़रतों में स़ाह़िबे कमाल सिर्फ़ फ़िरऔ़न की बीवी ह़ज़रत आसिया और ह़ज़रत मरयम बिन्ते इमरान थीं और औ़रतों पर ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) को जो फ़ज़ीलत हासिल है उसकी मिष़ाल वो बरतरी है जो ष़रीद को तमाम खानों पर ह़ासिल है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 32)**

1575. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ख़दीजा (रज़ि.) आ रही हैं उनके पास एक बर्तन में शोरबा या खाना या पानी है (मुराद ये है कि ह़ज़रत जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम ने तीन चीजों में से किसी एक का नाम लिया था और मुग़ालत़ा रावी को है)। लिहाज़ा जब वो आप (ﷺ) के पास आएं तो उन्हें उनके रब की तरफ़ से और मेरी तरफ़ से सलाम कहिएगा और जन्नत में जोफ़दार मोतियों से बने हुए घर की ख़ुशख़बरी दीजिएगा जिसमें न शोरो–गुल होगा और न किसी क़िस्म की तकलीफ़।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 20)

1576. हदीष अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) : इस्माईल (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से पूछा, क्या नबी करीम (ﷺ) ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) को ख़ुशख़बरी दी थी? उन्होंने कहा, हाँ! जन्नत में जोफ़दार मोतियों से बने हुए घर की ख़ुशख़बरी दी थी जिसमें न शोरो–गुल होगा और न किसी तरह की तकलीफ़। **(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 20)**

1577. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझे नबी करीम (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात में से किसी पर इतना रश्क नहीं आया जितना उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) पर आता था। हालाँकि मैंने उन्हें देखा भी न था लेकिन नबी करीम (ﷺ) उनका बहुत ज़िक्र किया करते थे और कई बार जब आप (ﷺ) बकरी ज़िब्ह करते और उसके टुकड़े करके हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की सहेलियों को भिजवा देते तो कई बार मैं कहती, आप (ﷺ) की नज़र में तो दुनिया की औरतों में जैसे हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के सिवा कोई और औरत जचती ही नहीं तो आप (ﷺ) फ़र्माते, उनमें ये ये ख़ूबियाँ थीं और उन्हीं में से तो मेरी औलाद हुई थी। **(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 20)**

नोट : अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हज़रत ख़दीजा की वफ़ात के बाद हालात के मुताबिक़ दस निकाह और किये थे, लेकिन उनमें से किसी के बतन से औलाद पैदा नहीं हुई। हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के बतन से चार लड़कियाँ और दो लड़के पैदा हुए थे (दोनों लड़कों का छोटी उम्र में ही इंतिक़ाल हो गया था)। हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के अलावा आप (ﷺ) का एक लड़का इब्राहीम, हज़रत मारिया (रज़ि.) से हुआ था जो कि छोटी उम्र में ही इंतिक़ाल कर गया। हज़रत मारिया (रज़ि.) आप (ﷺ) की बाँदी थीं, बीवियों में शामिल न थीं।

1578. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की बहन हज़रत हाला (रज़ि.) बिन्ते ख़ुवेलिद ने नबी करीम (ﷺ) से अंदर आने की इजाज़त मांगी तो आप (ﷺ) को हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के इजाज़त मांगने का जाना–पहचाना अंदाज़ याद आ गया और आप (ﷺ) ग़मगीन हो गए और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, या अल्लाह! हाला बिन्ते ख़ुवेलिद आई हैं! हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि ये कैफ़ियत देखकर मुझे रश्क आया (ईर्ष्या हुई) और मैंने कहा, अब आप (ﷺ) क़ुरैश की बूढ़ी औरतों में से एक बुढ़िया को क्या याद करते हैं जिसके मुँह में एक दाँत बाक़ी न रहा था; सिर्फ़ सुर्ख़ी ही सुर्ख़ी थी और जो इंतिक़ाल फ़र्मा चुकी हैं और अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) को उससे बेहतर बीवियाँ अता की हैं।
(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 20)

बाब 13 : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

1579. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, तुम दो बार मुझे ख़्वाब में दिखाई गईं। मैंने देखा कि तुम एक सफ़ेद रेशम के टुकड़े में लिपटी हुई हो और कोई कह रहा है कि ये आप (ﷺ) की बीवी हैं, मैं उसे खोलकर देखता हूँ तो उसमें तुम थीं। मैंने कहा, अगर ये ख़्वाब अल्लाह की तरफ़ से है तो पूरा होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िबुल अन्सार बाब 44)**

1580. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे मा'लूम हो जाता है कि तुम किस वक़्त मुझसे ख़ुश होती हो और कब नाराज़। हज़रत आइशा

(रज़ि.) कहती हैं कि मैंने अर्ज किया, आप (ﷺ) को कैसे मा'लूम चल जाता है? आप (ﷺ)-ने फ़र्माया, जब तुम ख़ुश होती हो तो कहती हो, नहीं! ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) के रब की क़सम! और जब नाराज़ होती हो तो कहती हो, नहीं! ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के रब की क़सम! मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! बात तो यही है सिर्फ़ आप (ﷺ) का नाम लेना छोड़ती हूँ। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन्निकाह़ बाब 108)**

1581. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) की मौजूदगी में लड़कियों के साथ खेलती थी। मेरी कुछ सहेलियाँ थीं जो मेरे साथ खेला करती थीं लेकिन जब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाते और वो छुप जातीं तो आप (ﷺ) उनको फिर मेरे पास भेज देते और मैं उनके साथ खेलने लग जाती। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 81)**

1582. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि लोग (नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में) अपने हदिये भेजने की ख़ातिर उस दिन को ज़्यादा बेहतर ख़याल करते थे जिस दिन आप (ﷺ) मेरे घर होते थे और वो मेरे ज़रिये से या उस दिन हदिया भेजने से नबी करीम (ﷺ) की ख़ुशनूदी ह़ासिल करना चाहते थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 7)**

1583. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) अपनी उस बीमारी के दिनों में जिसमें आप (ﷺ) ने रह़लत फ़र्माई मुसलसल पूछा करते थे कि मैं कल किस (ज़ोजा मुहतरमा) के घर होऊँगा? गोया आप (ﷺ) ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की बारी का दिन मा'लूम करना चाहते थे। उस कैफ़ियत की पेशे–नज़र आप (ﷺ) की तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात ने इजाज़त दे दी थी कि आप (ﷺ) जहाँ चाहें रहें। लिहाज़ा उसके बाद आप (ﷺ) अपने वक़्ते विसाल तक ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के घर में ही क़ियाम फ़र्मा रहे और आप (ﷺ) ने उसी दिन वफ़ात पाई जो दिन आप (ﷺ) के मेरे यहाँ तशरीफ़ लाने का था और आप (ﷺ) का विसाल इस ह़ालत में हुआ कि आप (ﷺ) का सरे मुबारक मेरे सीने और गर्दन के बीच था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 83)**

1584. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात के वक़्त इंतिक़ाल से पहले जब कि आप (ﷺ) मेरे साथ अपनी पीठ लगाए बैठे थे मैंने अपना कान क़रीब ले जाकर सुना आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे, **ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे, मुझ पर रह़म फ़र्मा और मुझे मेरे रफ़ीक़े आ़ला से मिला दे। (स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 83)**

1585. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं , मैं सुना करती थी कि कोई नबी उस वक़्त तक दुनिया से रह़लत नहीं फ़र्माया करते जब तक उसे दुनिया और आख़िरत में से एक को इंतिख़ाब करने का इख़्तियार नहीं दिया जाता। चुनाँचे जब तक मैंने नबी करीम (ﷺ) को मर्ज़ुल मौत के दिनों में, जबकि आपकी आवाज़ भी बैठ चुकी थी, ये फ़र्माते हुए सुना, **मअ़ल्लज़ीना अनअ़मल्लाहु अ़लैहिम** (तर्जुमा) **उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इन्आम किया है** (अन् निसा 69) तो मैं समझ गई कि आप (ﷺ) को इख़्तियार दिया गया है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 83)**

1586. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) बह़ालते सेह़त (स्वस्थ) थे तो आप (ﷺ) फ़र्माया करते थें कि किसी नबी की रूह़ उस वक़्त तक क़ब्ज़ नहीं की जाती जब तक उसे जन्नत में उसकी क़ियामगाह न दिखा दी जाए। उसके बाद उसको इख़्तियार दे दिया जाता है (कि वो चाहे दुनिया में रहे या दारे आख़िरत को पसन्द करे)। फिर जब आप (ﷺ) बीमार हुए और रह़लत का वक़्त क़रीब आ गया तो आप (ﷺ) का सरे मुबारक मेरे ज़ानू पर था और आप (ﷺ) बेहोश थे। फिर आप (ﷺ) की उस कैफ़ियत में इफ़ाक़ा (आराम) हुआ तो आप (ﷺ) ने अपनी नज़रें घर की छत पर गाड़ दीं और फ़र्माया, ऐ मेरे आक़ा व मौला! मुझे मेरे रफ़ीक़े आला से मिला। लिहाज़ा मैं समझ गई कि अब आप (ﷺ) और ज़्यादा हमारे पास क़ियाम न फ़र्माएँगे और मुझे मा'लूम हो गया कि ये दरअस़ल आप (ﷺ) के उस इर्शाद की तफ़्सीर है जो आप (ﷺ) फ़र्माया करते थे और अब ज़ाहिर होरही है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 83)**

1587. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब सफ़र पर रवाना होते तो अपनी बीवियों के दरम्यान क़ुरआअंदाज़ी करते। एक मौक़े पर क़ुरआ मेरे और उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ह़फ़्स़ा (रज़ि.) के नाम का निकला और जब आप (ﷺ) रात को सफ़र करते तो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के साथ बातें करते हुए चला करते थे। (इस बार) ह़ज़रत ह़फ़्स़ा (रज़ि.) ने मुझसे कहा, ऐसा क्यूँ न करें कि तुम मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊँट पर सवार हो जाऊँ? और जो कुछ होगा तुम भी देखना और मैं भी देखूँगी। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अच्छा! और वो ह़ज़रत ह़फ़्स़ा (रज़ि.) के ऊँट पर सवार हो गईं। और नबी करीम (ﷺ) ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के ऊँट की जानिब तशरीफ़ ले गए, लेकिन उस पर ह़ज़रत ह़फ़्स़ा (रज़ि.) सवार थीं। आप (ﷺ) ने उन्हें सलाम किया फिर रवाना हो गए यहाँ तक कि फिर जब सब लोग एक जगह पड़ाव करने के लिए उतरे, तो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) को एह़सास हुआ कि नबी करीम (ﷺ) उनके साथ नहीं हैं तो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) उतरने के बाद अपने पाँव अज़्ख़र घास में डालती जाती थीं और कहती जाती थीं, ऐ अल्लाह! कोई बिच्छू या साँप भेज दे जो मुझे डस ले, अब मैं नबी करीम (ﷺ) के बारे में कुछ कहने की तो जुर्अत नहीं कर सकती।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुन्निकाह़ बाब 97)

1588. हदीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, औरतों पर उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) को जो फ़ज़ीलत ह़ासिल है वो उस फ़ज़ीलत की मानिन्द है जो ष़रीद को तमाम क़िस्म के खानों पर ह़ासिल है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबु फ़ज़ाइले अस़्ह़ाबिन्नबी ﷺ बाब 30)

1589. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ आइशा (रज़ि.)! ह़ज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आए हैं और तुम्हें सलाम कहते हैं। तो मैंने कहा, उन पर भी सलाम हो और अल्लाह की रह़मत और बरकतें नाज़िल हों। आप (ﷺ) जो कुछ देखते हैं वो मैं नहीं देख सकती। ये बात ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से मुख़ात़िब होकर अर्ज़ की।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 6)

बाब 14 : उम्मे ज़रअ की कहावत

1590. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ग्यारह औरतें बैठीं और उन्होंने आपस में अहदो—पैमान (वादे) किये कि अपने शौहरों के बारे में एक—दूसरे से कोई बात न छुपाएँगी।

पहली औरत ने कहा, मेरे शौहर की मिष़ाल दुबले ऊँट के ऐसे गोश्त की सी है जो किसी पहाड़ की चोटी पर रखा हो न तो उस तक पहुँचने का रास्ता आसान है और न वो गोश्त मोटा ताज़ा है कि कोई उसे वहाँ से उठा लाए।

दूसरी औरत ने कहा, मेरा शौहर ऐसा है कि मैं उसके बारे में ख़बर नहीं फैला सकती क्योंकि डरती हूँ (ऐसा करने की सूरत में) कहीं उसको छोड़ना न पड़ जाए (या दूसरे मा'नी ये हो सकते हैं कि मैं डरती हूँ, अगर बयान करूँ तो पूरा बयान न कर सकूँगी और उसके ऐबों का बयान अधूरा छोड़ना पड़ेगा) अगर मैं उसके बारे में कुछ बयान करूँगी तो वो उसके ज़ाहिरी और बातिनी ऐब होंगे (उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है)।

तीसरी औरत ने कहा, मेरा शौहर लम्बा बेढब (असभ्य), अह़मक़ (बेवकूफ़) और नामाक़ूल (नाकारा) है अगर मैं उसके बारे में बातें करती हूँ तो मुझे तलाक़ मिल जाएगी और अगर चुप रहती हूँ तो मुअल्लक़ रहती हूँ (न बीवी बनाकर रखता है और न छोड़ता है)।

चौथी औरत ने कहा, मेरा शौहर तो ऐसा है जैसे तहामा (हिजाज़ और मक्का) की रात न गरम है न सर्द, न उससे किसी तरह़ का डर है न रंज (ये उसकी ता'रीफ़ है कि उम्दा अख़्लाक़ का मालिक है और मुअतदिलुल मिज़ाज यानी संतुलित स्वभाव का है)।

पाँचवीं औरत ने कहा, मेरा शौहर जब घर में होता है तो चीते की मानिन्द और जब बाहर जाता है तो शेर की मानिन्द होता है और जो माल व अस्बाब घर में छोड़ जाता है उसके बारे में कुछ नहीं पूछता। (या'नी घर में होता है तो सोता रहता है और किसी को नहीं सताता और बाहर शेर की मानिन्द बहादुर होता है और खुले दिल और खुले हाथ का मालिक है)।

छटी औरत ने कहा, मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ चट कर जाता है और पीता है तो तलछट तक नहीं छोड़ता, लेटता है तो बदन लपेटकर लेटता है और मुझ पर हाथ नहीं डालता कि मेरा दुख दर्द पहचाने (ये भी मज़म्मत है कि उसे बैल की तरह़ खाने—पीने के सिवा और कोई काम नही, औरत की ख़बर तक नहीं पूछता)।

सातवीं औरत ने कहा, मेरा शौहर नामर्द है या शरीर (बदमाश) है और ऐसा अह़मक़ है कि कलाम करना नहीं जानता। दुनिया भर की बीमारियाँ उसमें हैं ज़ालिम ऐसा कि या तो तेरा सर फोड़ेगा या हाथ तोड़ेगा या सर और हाथ दोनों मरोड़ देगा।

आठवीं औरत ने कहा, मेरा शौहर छूने में ख़रगोश की तरह़ नरम और उसकी बू ज़रम्ब की ख़ुश्बू की मानिन्द है। (ज़रम्ब एक ख़ुश्बूदार घास का नाम है)

नवीं औरत ने कहा, मेरा शौहर ऊँचे सतूनों (मह़ल्लात) वाला, लम्बे पर तले वाला (बहुत बहादुर), बहुत ज़्यादा राख वाला (या'नी सख़ी कि उसका बावरचीख़ाना हर वक़्त गरम रहता है), उसका घर चौपाल (मजलिस गाह, सराय, मुसाफ़िरखाना) से क़रीब है (हर वक़्त लोग आते और खाते—पीते रहते हैं। या'नी सरदार बहादुर और सख़ी है)।

दसवीं औरत ने कहा, मेरे शौहर का नाम मालिक है। लेकिन कैसा मालिक! ऐसा कि वो मेरी उस तअरीफ़ से भी बेहतर और अफ़ज़ल है। उसके बहुत से शुत्तरख़ाने हैं लेकिन चरागाहें कम हैं (या'नी ज़ियाफ़तों में ऊँट ज़िब्ह ज़्यादा होते हैं और चारागाहों में चरने कम जाते हैं) उसके ऊँट जब बाजे की आवाज़ सुनते हैं, यक़ीन कर लेते हैं कि

अब उनके हलाक होने का वक़्त क़रीब आ गया है।

ग्यारहवीं औरत ने कहा, मेरे शौहर का नाम अबू ज़रअ है और ज़रअ के क्या कहने! उसने मेरे दोनों कानों को ज़ेवर से बोझल कर दिया और मेरे बाज़ुओं को चर्बी से भर दिया (या'नी ख़ूब ज़ेवर पहनाया और खिला–पिलाकर ख़ूब मोटा कर दिया) और उसने मुझे बहुत ख़ुश किया कि मैं ख़ुद पर नाज़ करने लगी। उसने मुझे कड़ी मेहनत की ज़िन्दगी बसर करने वाले चरवाहों के ख़ानदान में पाया था लेकिन उसने मुझे घोड़ों, ऊँटों, खेत और खलियानों का मालिक बना दिया (या'नी मैं बहुत नादार और ग़रीब थी उसने मुझे मालदार और इज़्ज़त वाली कर दिया)। मैं उसके सामने बात करती हूँ तो मुझे बुरा नहीं कहता और सोती हूँ तो सुबह कर देती हूँ और पीती हूँ तो सैराब हो जाती हूँ (या'नी कोई टोका–टोकी नहीं है और न कुछ काम –काज करना पड़ता है, ऐश की ज़िन्दगी गुज़ार रही हूँ) और अबू ज़रअ की माँ भी क्या खूब माँ है! जिसकी गठरियाँ बड़ी–बड़ी और घर कुशादा। अबू ज़रअ का बेटा भी क्या बेटा है! जिसकी ख़्वाबगाह गोया तलवार की म्यान (नाज़नीन बदन) और शिकमसैर हो जाता है बकरी का एक बाज़ू खाकर (या'नी कम खाने वाला है) और अबू ज़रअ की बेटी भी क्या ख़ूब बेटी है! अपने माँ–बाप की फ़र्मांबरदार और अपने लिबास को पूरा भर देने वाली (या'नी मोटी, अरब के नुक़्ते –निगाह से मोटी औरत क़ाबिले ता'रीफ़ है) और अपनी सौकन के लिये बाइषे रंज व हसद (या'नी शौहर की प्यारी) और अबू ज़रअ की लौण्डी भी क्या लौण्डी है! जो न तो हमारी बात इधर–उधर फैलाती है और हमारे ज़ख़ीरे को कम करती है और न घर को कूड़े–करकट से आलूदा रखती है (यानी घर को साफ़–सुथरा रखती है)।

उम्मे ज़रअ ने बयान किया कि एक दिन अबू ज़रअ घर से ऐसे वक़्त बाहर निकले जब मश्कों में दूध बिलोया जा रहा था (घी निकाला जा रहा था) और उसकी मुलाक़ात एक ऐसी औरत से हुई जिसके दो लड़के थे। ऐसे गोया चीते के दो बच्चे, जो उसकी गोद में बैठे उसके अनार जैसे पिस्तानों से खेल रहे थे उस औरत की वजह से अबू ज़रअ ने मुझे तलाक़ दे दी और उससे निकाह कर लिया उसके बाद मैं ने भी एक ऐसे शख़्स से निकाह कर लिया जो एक मुंतख़ब इंसान है, शहसवार और नेज़ा बाज़ है उसने मुझे बहुत से मवेशी और ऊँट दिये हर जानवर का जोड़ा–जोड़ा दिया और उसने मुझसे कहा, ऐ उम्मे ज़र्आ! ख़ुद खा और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को खिला।

उम्मे ज़र्आ बयान करती हैं कि (इतने अच्छे सुलूक और दाद व दहश के बावजूद) उस शौहर ने जो कुछ मुझे दिया वो सब का सब अबू ज़रअ के एक छोटे बर्तन के बराबर भी नहीं था।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, मैं तुम्हारे लिये वैसा हूँ जैसा कि अबू ज़रअ, उम्मे ज़रअ के लिये था। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 82)**

बाब 15 : नबी करीम (ﷺ) की बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़ुहरा (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1591. हदीष मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.): इब्ने शिहाब (रह.) बयान करते हैं कि जब हज़रत अली इब्ने हुसैन (रह.) (हज़रत ज़ैनुल आबेदीन रह.) हज़रत इमाम हुसैन (रज़ि.) की शहादत के बाद यज़ीद बिन मुआविया (रज़ि.) के पास से मदीना आए तो आपसे हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) ने मुलाक़ात की और कहा, क्या मेरे लायक़ कोई खिदमत है जो मैं बजा लाऊँ? हज़रत जैनुल आबेदीन (रह.) ने कहा, नहीं! फिर हज़रत मुसव्विर बिन मुहज्जमा (रज़ि.) ने कहा, क्या आप नबी करीम (ﷺ) की तलवार मेरे सुपुर्द करने को तैयार हैं, क्योंकि मुझे डर है कि ये लोग वो तलवार आपसे ज़बरदस्ती न छीन लें? और अल्लाह की क़सम! अगर आप मुझे दे दें तो जब तक मैं ज़िन्दा हूँ वो हर्गिज़ उन लोगों के हाथ में न जाएगी। (और हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा रज़ि. ने बयान किया कि) हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की मौजूदगी में अबू जहल की बेटी को निकाह का पैग़ाम दिया। तो मैंने नबी करीम (ﷺ) को

उस मौक़े पर अपने उसी मिम्बर पर ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, मैं उन दिनों बालिग़ जवान था, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़ातिमा (रज़ि.) मेरे जिगर का टुकड़ा है और (अगर उन पर सौकन आ गई तो) मुझे डर है कि वो अपने दीन के मामले में फ़ित्ने में पड़ जाएँगी। फिर आप (ﷺ) ने अपने एक दामाद का ज़िक्र फ़र्माया, जो बनी अब्दे शम्स में से था और उसके रवैये की तअरीफ़ की जो उसने बतौर दामाद आप (ﷺ) से रवा रखा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसने जो बात मुझसे कही सच कही और जो वादा किया पूरा किया और मैं किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल क़रार नहीं दे रहा लेकिन अल्लाह की क़सम! ये वाक़िया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी और दुश्मने अल्लाह (अबू जहल) की बेटी दोनों एक घर में हर्गिज़ जमा नहीं हो सकतीं। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 5)**

1592. हदीष मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) : हज़रत मिस्वर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैग़ाम भेजा और उस बात की ख़बर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को हुई तो आप नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया, लोगों का ख़याल है कि अगर कोई शख़्स आपकी बेटियों को तकलीफ़ दे तब भी आप (ﷺ) गुस्से में नहीं आते। यही वजह है कि (हज़रत) अली, अबू जहल की बेटी से निकाह करने पर आमादा हैं। ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) खड़े हुए और मैंने सुना कि पहले आप (ﷺ) ने हम्दो-षना की, उसके बाद इर्शाद फ़र्माया, मैंने अबुल आस बिन अर्रबीआ का (अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब से) निकाह किया तो उसने मुझसे जो बात की सच्ची की और यक़ीनन फ़ातिमा (रज़ि.) मेरे जिगर का टुकड़ा है और हर वो बात जो उसे तकलीफ़ दे मुझे नापसन्द है और अल्लाह की क़सम! अल्लाह के रसूल (ﷺ) की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी दोनों एक ही शख़्स के निकाह में जमा नहीं हो सकतीं। आप (ﷺ) का इर्शाद सुनकर हज़रत अली (रज़ि.) ने (बिन्ते अबू जहल से) मँगनी का इरादा तर्क कर दिया (त्याग दिया)।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 16)

1593. हदीष आइशा (रज़ि.) व फ़ातिमा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम सब अज़्वाजुन्नबी (नबी करीम ﷺ की बीवियाँ) नबी करीम (ﷺ) के पास जमा थीं। कोई एक भी ऐसी न थी जो मौजूद न हो उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) तशरीफ़ लाईं। क़सम अल्लाह की! आप हूबहू नबी करीम (ﷺ) के चलने के अंदाज़ से चलती थीं। जब नबी करीम (ﷺ) ने आपको आते देखा तो उन्हें ख़ुश आमदीद कहा और फ़र्माया, मेरी बेटी को मरहबा। फिर उन्हें अपनी दाँए जानिब या बाँए जानिब बिठा लिया और उसके बाद आप (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) से चुपके चुपके कुछ इर्शाद फ़र्माया, जिसे सुनकर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) बहुत रोईं। जब नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें ग़मगीन देखा तो दोबारा आपसे राज़दाराना अंदाज़ में कुछ फ़र्माया, जिसे सुनकर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) हँसने लगीं तो तमाम अज़्वाजे मुतहहरात में से सिर्फ़ मैंने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) से मुख़ातब होकर कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने हम सब में सिर्फ़ आपको राज़दाराना अंदाज़ में बात करने का ऐज़ाज़ (सम्मान) बख़्शा। फिर भी आप रोईं? उसके बाद जब नबी करीम (ﷺ) वहाँ से तशरीफ़ ले गए तो मैंने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) से पूछा, वो क्या बात थी जो चुपके से नबी करीम (ﷺ) ने आपसे कही थी? हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) कहने लगीं, मैं हर्गिज़ वो राज़ जो नबी करीम (ﷺ) ने मुझे बताया है इफ़्शा (उजागर) नहीं कर सकती। फिर जब नबी करीम (ﷺ) रहलत फ़र्मा गए तो मैंने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) से कहा, उस हक़ की क़सम जो मेरा तुम पर है, मुझे वो बात ज़रूर बताओ (जो रसूलुल्लाह ﷺ ने राज़दाराना अंदाज़ से की थी)। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने कहा, हाँ! अब मैं बताती हूँ। चुनाँचे उन्होंने मुझे बताया, कहने लगीं, पहली बार जो बात आप (ﷺ) ने चुपके से मुझे बताई, ये थी कि हर साल जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) मेरे साथ एक बार क़ुर्आन का दौर करते थे लेकिन इस साल दो बार क़ुर्आन का दौर

किया है और मेरा ख़याल है कि अब वक़्त क़रीब आ गया है (या'नी वक़्ते रहलत क़रीब आ गया है) लिहाज़ा तुम अल्लाह से डरना और स़ब्र करना क्यूँकि तुम्हारे लिये बेहतरीन पेशरौ मैं ही हूँ। ये सुनकर मैं रोई थी जो आपने देखा था। फिर जब नबी करीम (ﷺ) ने मेरा रोना देखा तो दोबारा मुझसे सरगोशी की और फ़र्माया, ऐ फ़ातिमा (रज़ि.)! क्या तुम इस बात पर ख़ुश नहीं हो कि तुम तमाम मोमिनों की औरतों की सरदार हो या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस उम्मत की औरतों की सरदार हो। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 43)**

बाब 16 : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1594. हदीष़ उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) : ह़ज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) ह़ाज़िर हुए उस वक़्त आप (ﷺ) के पास ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बैठी थीं। ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) नबी करीम (ﷺ) से बातें करते रहे फिर चले गए तो नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से पूछा, ये कौन थे? उसामा (रज़ि.) कहते हैं, ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा, ह़ज़रत दहया (रज़ि.) थे। ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि अल्लाह की क़सम! मैं उनको दहया (रज़ि.) ही समझती रही, यहाँ तक कि मैंने नबी करीम (ﷺ) का ख़ुत्बा सुना जिसमें आप (ﷺ) ने ये ख़बर दी कि वो जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) थे। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

बाब 17 : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ज़ैनब (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1595. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) से कुछ अज़्वाजे मुत़ह्हरात ने पूछा कि हममें से सबसे पहले आप (ﷺ) से कौन आकर मिलेगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसके हाथ सबसे लम्बे होंगे। ये सुनकर अज़्वाजे मुत़ह्हरात एक लकड़ी के टुकड़े से अपने हाथों को नापने लगीं तो उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत सौदा (रज़ि.) के हाथ सबसे लम्बे निकले। लेकिन उसके बाद हमें मा'लूम हुआ कि हाथों के लम्बे होने से मुराद ज़्यादा स़दक़ा देना था और हममें सबसे पहले नबी करीम (ﷺ) से मिलने वाली ह़ज़रत (ज़ैनब) थीं क्योंकि वो स़दक़ा देना महबूब रखती थीं। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 11)**

बाब 19 : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) की वालिदा, उम्मे सुलैम (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1596. हदीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) अपनी अज़्वाजे मुत़ह्हरात के घरों के अ़लावा मदीना के किसी घर में तशरीफ़ नहीं ले जाया करते थे, सिवाय ह़ज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) के घर के। आप (ﷺ) से उनके घर जाने की वजह पूछी गई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे उन पर बहुत रह़म आता है क्योंकि उनका भाई मेरी ह़िमायत में (लड़ता हुआ) शहीद हुआ।
(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियरि बाब 38)

बाब 22 : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) और उनकी वालिदा के कुछ फ़ज़ाइल

1597. हदीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं और मेरे भाई यमन से (मदीना) आए तो एक मुद्दत तक हम यही समझते रहे कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) नबी करीम

(ﷺ) के अहले बैत (घरवाला) में से हैं क्योंकि हम उनको और उनकी वालिदा को नबी करीम (ﷺ) के घर में अकषर जाते देखा करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 27)**

1598. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ख़ुत्बा दिया और फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मैंने सत्तर से ज़्यादा सूरतें ख़ुद नबी करीम (ﷺ) की जुबाने मुबारक से सीखी हैं और अल्लाह की क़सम! सहाबा किराम (रज़ि.) जानते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अस्हाबिन्नबी (ﷺ) में किताबुल्लाह को सबसे ज़्यादा जानते हैं उसके बावजूद मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ।

इस हदीष के एक रावी शक़ीक़ (रह.) कहते हैं कि (हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. के ये बात कहने के बाद) मैं लोगों के मुख़्तलिफ़ हल्क़ों में बैठा ताकि देखूँ वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं लेकिन मैंने किसी को रद्दे अमल (प्रतिक्रिया) के तौर पर कोई ऐसी बात कहते हुए नहीं सुना जो आपकी बात से अलग हो।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन बाब 8)

1599. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, क़सम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं! किताबुल्लाह में नाज़िल होने वाली सूरतों में से कोई सूरत ऐसी नहीं जिसके बारे में मैं ये न जानता हूँ कि वो कब नाज़िल हुई। और इसी तरह क़ुर्आन मजीद की कोई आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में मैं न जानता हूँ कि वो किसके बारे में नाज़िल हुई और अगर मुझे ये मा'लूम हो कि कोई शख़्स किताबुल्लाह के बारे में मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है और उस तक ऊँट पहुँचा सकता हूँ तो मैं ज़रूर उसके पास जाऊँगा।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन बाब 8)

नोट : इस हदीष में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) की यह ख़ूबी बयान की गई है कि क़ुर्आन का हद–दर्जा इल्म होने के बावजूद उनको इस बात का कोई घमण्ड नहीं था और वे इल्म सीखने की इतनी तलब रखते थे कि अगर कोई शख़्स क़ुर्आन के बारे में कुछ इल्म रखता हो और उस तक ऊँट पर बैठकर पहुँचा जा सकता हो तो वो जाने के ख़्वाहिशमंद थे।

1600. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत मसरूक़ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के सामने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का ज़िक्र किया गया तो आपने कहा, ये एक ऐसा शख़्स है कि मैं उससे उस वक़्त के बाद से हमेशा मुहब्बत करता हूँ जब से मैंने नबी करीम (ﷺ) को ये इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि क़ुर्आन का पढ़ना चार शख़्सों से सीखो, (1). अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) आपने सबसे पहले उनका नाम लिया; (2). हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ह (रज़ि.) (3). उबय बिन कअब (रज़ि.) (4). हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.)। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 26)**

बाब 23 : हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) और अन्सार में से कुछ लोगों के फ़ज़ाइल

1601. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़मान–ए–मुबारक में चार शख़्सों ने क़ुर्आन जमा किया था और ये सबके सब अन्सार में से थे, (1). हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) (2). हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) (3). हज़रत अबू ज़ैद और (4). हज़रत ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.)।

(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 17)

1602. हदीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं **लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू** (अल बय्यिनति) या'नी यह सूरह पढ़कर तुमको सुनाऊँ। हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) ने पूछा, क्या अल्लाह तआ़ला ने मेरा नाम लेकर फ़र्माया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! ये सुनकर उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) (ख़ुशी के मारे) रोने लगे। **(स़हीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 16)**

बाब 24 : हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1603. हदीष़ जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) की मौत से अ़र्शे इलाही थर्रा गया।

(स़हीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 12)

1604. हदीष़ बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को रेशम का एक जोड़ा हदियतन आया तो स़ह़ाबा किराम उसे छू–छूकर देखते थे और उसकी नरमी देखकर हैरान होते थे ये कैफ़ियत देखकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग इस जोड़े की नरमी देखकर हैरान हो रहे हो? हालाँकि (जन्नत में) हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) के रूमाल इससे कहीं ज़्यादा उ़म्दा और नरम व नाज़ुक होंगे।

(स़हीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 12)

1605. हदीष़ अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को संदुस (रेशम) का एक जुब्बा बतौरे हदिया आया, आप (ﷺ) रेशम पहनने से मना किया करते थे, लोग उस जुब्बे (की नरमी) को देखकर हैरान हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़–ए–क़ुदरत में (हज़रत) मुहम्मद (ﷺ) की जान है! जन्नत में हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (रज़ि.) के रूमाल इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 28)

बाब 26 : हज़रत जाबिर (रज़ि.) के वालिद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन हराम (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1606. हदीष़ जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि उहुद के दिन मेरे वालिद (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि. के जिस्म) को लाकर नबी करीम (ﷺ) के सामने रखा गया और एक बड़े कपड़े से ढाँप दिया गया। काफ़िरों ने आपके जिस्मानी हिस्सों को मष़लन कान, नाक वग़ैरह काटकर आपकी बेहुर्मती की थी। मैंने आगे बढ़कर उन पर से कपड़ा उठाना चाहा तो मेरे क़बीले के लोगों ने मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं फिर उठा और उन पर से कपड़ा उठाना चाहा तो फिर मुझे क़बीले वालों ने मना कर दिया। उसके बाद नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया और उनका जिस्म उठा लिया गया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी तो पूछा, ये कौन रो रही है? लोगों ने अ़र्ज़ किया, अ़म्र की बेटी या अ़म्र की बहन (या'नी हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ि. की बहन या फूफी) है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो क्यूँ रो रही है? या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो न रोए! क्योंकि (इनका मक़ाम व मर्तबा तो इतना बुलन्द है कि) फ़रिश्ते मुसलसल इन पर अपने परों से साया किये हुए थे यहाँ तक कि उन्हें

उठा लिया गया। (सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 35)

बाब 28 : हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1607. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) को जनाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) के मब्ऊष होने की ख़बर मिली तो उन्हों ने अपने भाई से कहा, उठो और सवार होकर वादी–ए–मक्का तक जाओ और मुझे उस शख़्स के बारे में मुकम्मल ख़बर लाकर दो, जो ये दा'वा करता है कि वो नबी है और उसके पास आसमान से वह्य नाज़िल होती है और उसका कलाम भी सुनो और सुनकर मेरे पास लाओ। चुनाँचे उनके भाई रवाना हो गए, यहाँ तक कि आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप (ﷺ) से कुछ बातें सुनीं, फिर लौटकर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) के पास वापस पहुँचे और उन्हें बताया, मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा है, आप (ﷺ) अच्छे अख़लाक़ इख़्तियार करने का हुक्म देते हैं और मैंने आप (ﷺ) का कलाम भी सुना है लेकिन वो शे'र नहीं है।

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने कहा, उसके बारे में जो चाहता था उसमें तुमने मेरी पूरी तसल्ली नहीं की। फिर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने ख़ुद ज़ादे राह और एक मश्क में अपने साथ पानी लिया और चल पड़े यहाँ तक कि मक्का पहुँच गए और मस्जिदे हराम में आ गए और नबी करीम (ﷺ) को तलाश करना शुरू किया। हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) न आप (ﷺ) को पहचानते थे और न किसी से आप के बारे में पूछना पसन्द करते थे यहाँ तक कि उसी तलाश में रात हो गई। उस वक़्त उन्हें हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने देखा और जान लिया कि मुसाफ़िर हैं और उनके पीछे चलने लगे लेकिन दोनों में से किसी ने एक–दूसरे से कोई बात नहीं पूछी यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) अपनी मश्क और सामान ख़ुर्दो–नोश (खाने–पीने का सामान) उठाकर मस्जिदे हराम में ही ले आए और सारा दिन गुज़र गया लेकिन वो नबी करीम (ﷺ) को न देख पाये यहाँ तक कि शाम हो गई तो वो उसी जगह वापस लौट आए जहाँ गुज़िश्ता रात लेटे थे। उस वक़्त फिर आपके पास से हज़रत अ़ली (रज़ि.) गुज़रे और कहा, क्या अभी भी वो वक़्त नहीं आया कि इस शख़्स को (या'नी तुमको) अपना ठिकाना मा'लूम हो? तो उनको हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने खड़ा कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गए लेकिन दोनों ने एक–दूसरे से कोई बात नहीं पूछी।

यहाँ तक कि जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत अ़ली (रज़ि.) फिर उनके पास गुज़िश्ता दिन की तरह आए और उनके पास ठहरकर पूछा, क्या आप मुझे अपने आने की ग़र्ज व ग़ायत न बताएँगे? हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने कहा, अगर आप मुझसे पक्का वादा करें कि मुझे मेरी मंज़िल तक पहुँचा देंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने वादा कर लिया। चुनाँचे हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने उनको अपने आने का मक़्सद बताया। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा वो (हज़रत मुहम्मद ﷺ) बरहक़ हैं और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लिहाज़ा कल सुबह आप मेरे पीछे पीछे चलें, जब मैं कोई ऐसी बात देखूँगा जिससे मुझे आपके लिए कुछ ख़तरा महसूस होगा तो मैं इस तरह ठहर जाऊँगा जैसे पानी बहा रहा हूँ। फिर जब मैं चल पड़ूँ तो आप मेरे पीछे–पीछे चलते रहना यहाँ तक कि जहाँ मैं दाख़िल होऊँगा आप भी वहीं दाख़िल हो जाएँ। चुनाँचे हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने ऐसा ही किया उनके पीछे–पीछे चलते रहे यहाँ तक कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँच गए और उनके साथ हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) भी आप (ﷺ) की ख़िदमत में आ गए। फिर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से बातचीत की और उसी जगह (फ़ौरन) इस्लाम क़ुबूल कर लिया। आपको नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया, तुम वापस अपने क़बीले में जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ और वहीं ठहरे रहो यहाँ तक कि तुम तक मेरा हुक्म पहुँचे।

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने कहा, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! मैं तो उन (मक्का वालों)

के सामने कलिम–ए–शहादत बुलन्द आवाज़ से सुनाऊँगा। ये कहकर ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बाहर आ गये और मस्जिदे ह़राम में पहुँचकर अपनी बुलन्द तरीन आवाज़ में ऐलान किया, **अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुह़म्मदर्रसूलुल्लाह** (मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई मअबूद सिवाए अल्लाह के और ये कि मुह़म्मद ﷺ अल्लाह तआला के रसूल हैं) फिर ये हुआ कि लोग उठ खड़े हुए और उन्हें मारने लगे और मारते मारते उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। फिर ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) वहाँ आए और उनके ऊपर झुक गए और लोगों से कहा, तुम्हारा बुरा हो! क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि ये शख़्स क़बीला ग़िफ़ार का है और जब तुम तिजारत के लिये शाम की त़रफ़ जाते हो तो उसी क़बीले के पास से गुज़र कर जाते हो। ये कहकर ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने उनको उन लोगों से छुड़ाया, लेकिन ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने दूसरे दिन फिर वही किया या'नी बाआवाज़े बुलन्द कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया और उन लोगों ने फिर आपको मारा और आप पर ह़मलावर हुए और ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने फिर उनके ऊपर झुककर उन्हें बचाया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 33)**

बाब 29 : ह़ज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

1608. ह़दीष़ जरीर (रज़ि.) : ह़ज़रत जरीर (रज़ि.) बयान करते हैं कि जबसे मुसलमान हुआ हूँ नबी करीम (ﷺ) ने मुझे कभी अंदर आने से नहीं रोका और जब भी आप (ﷺ) ने मेरी तरफ़ देखा आप (ﷺ) का चेहरा मुस्कुराता नज़र आया और मैंने आप (ﷺ) से शिकायत की कि मैं घोड़े पर जमकर नहीं बैठ पाता तो आप (ﷺ) ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर मारा और फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इसको जमा दे और इसे राह दिखाने वाला और राहयाब बना। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 162)**

1609. ह़दीष़ जरीर (रज़ि.) : ह़ज़रत जरीर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, क्या तुम मुझे ज़ुल ह़ुलैफ़ा की तरफ़ से बेफ़िक्र नहीं कर सकते? ज़ुल ह़ुलैफ़ा क़बीला ख़ष्अम का एक बुतख़ाना (मन्दिर) था जिसे कअबतुल यमानिया कहा जाता था। ह़ज़रत जरीर (रज़ि.) कहते हैं कि मैं क़बील–ए–अह़मस के डेढ़ सौ सवारों को लेकर चल पड़ा, वो सब घुड़सवार थे और मैं घोड़े पर जमकर नहीं बैठ सकता था; तो आप (ﷺ) ने मेरे सीने पर अपना दस्ते मुबारक मारा कि आप (ﷺ) की उंगलियों के निशान अपने सीने पर मैंने ख़ुद देखे और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इसे जमा दे और इसे हिदायत देने वाला और हिदायतयाफ़्ता बना। अल् ग़र्ज़ ह़ज़रत जरीर (रज़ि.) उस बुतख़ाने की तरफ़ गए और उसे तोड़ा और जला दिया। फिर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक आदमी भेजकर ख़बर कराई, उस वक़्त जरीर (रज़ि.) के क़ासिद ने आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, क़सम उस ज़ात की! जिसने आप (ﷺ) को ह़क़ व स़दाक़त देकर भेजा है। मैं आप (ﷺ) की ख़िदमत में उस वक़्त चला हूँ जब वो घर ख़ाली पेट ऊँट या खारिश्ती ऊँट की मानिन्द हो चुका था। ये सुनकर आप (ﷺ) ने अह़मस के घुड़सवारों और पैदल सवारों के लिए पाँच बार बरकत की दुआ की। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब154)**

बाब 30 : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1610. ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) बैतुल ख़ला (पाख़ाना) में तशरीफ़ ले गए तो मैंने आप (ﷺ) के लिये वुज़ू का पानी रखा। (बाहर आकर) आप (ﷺ) ने पूछा, ये पानी किसने रखा है? बताया गया कि (ह़ज़रत) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने रखा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया,

ऐ अल्लाह! उसे दीन का फ़हम व शऊर अता कर। **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 10)**

बाब 31 : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1611. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के दौरे हयात में जब कोई शख़्स ख़्वाब देखता तो आप (ﷺ) के सामने बयान करता लिहाज़ा मुझे भी ये आरज़ू हुई कि मैं भी कोई ख़्वाब देखूँ और आप (ﷺ) से बयान करूँ, मैं उस वक़्त एक जवान लड़का था और नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मस्जिद में सोया करता था। एक रात मैंने ख़्वाब देखा कि जैसे दो फ़रिश्तों ने मुझको पकड़ लिया है और जहन्नम की तरफ़ ले जा रहे हैं। मैं झुककर उसे देखता हूँ तो वो कुँए की तरह पेच दरपेच बना हुआ है और उस पर दो लकड़ियाँ लगी हुई हैं जैसे कुँए पर लगी होती हैं और उसके अन्दर कुछ लोग हैं जिन्हें मैं पहचान लेता हूँ तो मैं कहना शुरू कर देता हूँ कि मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ जहन्नम से। फिर एक और फ़रिश्ता हमारे पास आता है और मुझसे कहता है, तुमको नहीं डरना चाहिए। ये ख़्वाब मैंने (अपनी बहन) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) से बयान किया। उन्होंने ये ख़्वाब नबी करीम (ﷺ) से बयान किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अब्दुल्लाह बहुत अच्छा आदमी है काश ये रात को नमाज़ (यानी तहज्जुद) पढ़ता। आप (ﷺ) के इस इर्शाद के बाद से हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रात को बहुत कम सोया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तहज्जुद बाब 2)**

बाब 32 : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1612. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अनस (रज़ि.) आप (ﷺ) का ख़िदमतगुज़ार है उसके लिये दुआ कीजिए, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! अनस (रज़ि.) का माल भी ज़्यादा कर और औलाद भी, और जो कुछ तूने उन्हें दिया है उसमें बरकत अता फ़र्मा। **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 47)**

1613. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे एक राज़ की बात बताई। जिसके बारे में मैंने आप (ﷺ) के बाद किसी को कुछ नहीं बताया बल्कि मुझसे उसके बारे में (मेरी वालिदा) हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने पूछा तो मैंने उनको भी नहीं बताया।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 46)

बाब 33 : हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1614. हदीष सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को सिवाए हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) के किसी ज़मीन पर चलने वाले शख़्स के लिये ये कहते हुए नहीं सुना कि ये अहले जन्नत में से है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये आयते करीमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई है **व शहिद शाहिदुम् मिम् बनी इस्राईल अला मिष्लिही फ़आमन वस्तक्बर्तुम** (तर्जुमा) **और उस जैसे एक कलाम पर तो बनी इस्राईल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है वो ईमान ले आया और तुम अपने घमण्ड में रहे।** (अल अहक़ाफ़ : 10)। **(सहीह बुख़ारी किताब मनाक़िबिल अन्सार बाब 19)**

1615. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) : क़ैस (रह.) बिन अ़ब्बाद बयान करते हैं कि मैं मदीना की मस्जिद में बैठा था कि एक शख़्स मस्जिद में दाख़िल हुआ और उसके चेहरे पर अल्लाह के डर के आष़ार नज़र आ रहे थे लोगों ने उसके बारे में कहा कि ये शख़्स अहले जन्नत में से है। उस शख़्स ने दो हल्की रकअ़तें पढ़ीं और बाहर चला गया। मैं उनके पीछे हो लिया और मैंने उनसे कहा कि जब आप (रज़ि.) मस्जिद में आये थे तो लोगों ने कहा था कि ये शख़्स अहले जन्नत में से है। वो कहने लगे, अल्लाह की क़सम! किसी को कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसके बारे में उसे इल्म न हो। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यूँ कहा। मैंने नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में एक ख़्वाब देखा था जिसका ज़िक्र मैंने नबी करीम (ﷺ) से किया था। मैंने ख़्वाब में देखा था कि मैं एक बाग़ में हूँ (उन्होंने तफ़्सील से बाग़ की वुस्अ़त तरोताज़गी और हरियाली का ज़िक्र किया) उस बाग़ के बीच में लोहे का एक सुतून है जिसका नीचे का हिस्सा तो ज़मीन में है और ऊपर का हिस्सा आसमान तक चला गया है, उसके ऊपर के हिस्से में एक दस्ता या कुण्डा लगा हुआ है। मुझसे कहा जाता है, उस पर चढ़ जाओ। मैं कहता हूँ, मैं नहीं चढ़ सकता। फिर एक ख़ादिम मेरे पास आता है और पिछली तरफ़ से मेरे कपड़े उठा लेता है और मैं उस सतून पर चढ़ जाता हूँ यहाँ तक कि सबसे ऊपर के हिस्से में पहुँचकर उस कुण्डे को पकड़ लेता हूँ। मुझसे कहा जाता है कि ख़ूब मज़बूती से थामे रहो। जागते वक़्त तक वो कुण्डा मेरे हाथ में ही रहता है। ये ख़्वाब मैंने नबी करीम (ﷺ) से बयान किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये बाग़ इस्लाम है और सुतून से मुराद अरकाने इस्लाम हैं और कुण्डा उर्वतुल वुष्क़ा (या'नी अल्लाह का मज़बूत कुण्डा) है। इस ख़्वाब की तअ़बीर ये है कि तुम मरने के वक़्त तक इस्लाम पर क़ायम रहोगे। **(स़ही़ह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 19)**

बाब 34 : ह़ज़रत ह़स्सान बिन ष़ाबित (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1616. ह़दीष़ ह़स्सान बिन ष़ाबित (रज़ि.) : सईद बिन मुसय्यिब (रह.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) मस्जिद में से गुज़रे, उस वक़्त ह़ज़रत ह़स्सान बिन ष़ाबित (रज़ि.) शे'र पढ़ रहे थे (ह़ज़रत उ़मर रज़ि. ने उन्हें टोका) तो उन्होंने कहा, मैं मस्जिद में उस वक़्त भी शे'र पढ़ा करता था, जब उस मस्जिद में वो हस्ती मौजूद थी जो आपसे बहुत बेहतर थी (या'नी नबी करीम ﷺ और आपने मुझे मना नहीं किया)। फिर ह़ज़रत ह़स्सान (रज़ि.) ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जह हुए और कहा, मैं आपको अल्लाह की क़सम दिलाता हूँ कि आप बताएँ, क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये इर्शाद फ़र्माते हुए नहीं सुना है? (ऐ ह़स्सान!) मेरी त़रफ़ से (उन क़ाफ़िरों को) जवाब दो। ऐ अल्लाह! उनकी रूहुल क़ुदुस (ह़ज़रत जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम) से मदद फ़र्मा। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, हाँ! मैंने ये सुना है। **(स़ही़ह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 6)**

1617. ह़दीष़ बराअ (रज़ि.) : ह़ज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ह़ज़रत ह़स्सान (रज़ि.) से फ़र्माया था, उन काफ़िरो की हिज्व (मज़म्मत) करो ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) तुम्हारे मददगार हैं। **(स़ही़ह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 6)**

1618. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : ह़ज़रत उ़र्वा (रह.) बिन अ़ज़्ज़ुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के सामने ह़ज़रत ह़स्सान (रज़ि.) को कुछ सख़्त-सुस्त कहना चाहा तो ह़ज़रत उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) ने मना फ़र्माया, कि उन्हें कुछ न कहो क्योंकि ये (ह़ज़रत ह़स्सान रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ से काफ़िरों को जवाब दिया करते थे। **(स़ही़ह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 16)**

1619. हदीष आइशा (रज़ि.) : मसरूक़ (रह.) बयान करते हैं कि हम लोग उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए उस वक़्त आपके पास हज़रत हस्सान (रज़ि.) बिन षाबित बैठे अपनी ग़ज़ल का एक शे'र सुना रहे थे और वो ये था, (तर्जुमा) :– **पाकदामन और निहायत अक़्लमन्द हैं आप पर किसी क़िस्म का इल्ज़ाम नहीं और सुबह के वक़्त उठती हैं तो ग़ाफ़िल औरतों के गोश्त से उनका पेट ख़ाली होता है।**

ये सुनकर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं।

मसरूक़ (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत उम्मुल मोमिनीन से अर्ज़ किया, आप इन्हें अपने पास आने की इजाज़त क्यूँ देती हैं? जबकि अल्लाह तआला ने इन्हीं के बारे में फ़र्माया है। **वल्लज़ी तवल्ला किब्रहू मिन्हुम लहू अज़ाबुन अलीम** (तर्जुमा) **और जिस शख़्स ने उस (तोहमत) की ज़िम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया उसके लिये तो अज़ाबे अज़ीम है।** (अन् नूर : 11)

हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, नाबीना हो जाने से बढ़कर और सज़ा क्या होगी (हज़रत हस्सान रज़ि.) नाबीना हो गए थे) फिर आपने उनके बारे में फ़र्माया, ये शख़्स नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ से काफ़िरों को जवाब दिया करता था या उनकी हिज्व किया करता था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 34)**

1620. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत हस्सान (रज़ि.) बिन षाबित ने जनाब नबी करीम (ﷺ) से मुश्रिकों की हिज्व करने की इजाज़त तलब की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उनकी हिज्व करोगे तो मेरे नसब को कैसे बचाओगे? (जबकि वो नसब में मेरे साथ शरीक हैं) हज़रत हस्सान (रज़ि.) ने कहा, मैं आप (ﷺ) को उनमें से इस तरह निकाल लूँगा जैसे ख़मीर में से बाल।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 16)

नोट : इस हदीष का मफ़हूम यह है कि हज़रत हस्सान (रज़ि.) ने मुश्रिकीने मक्का की हिज्व (मज़म्मत या निन्दा) करने की जब इजाज़त माँगी तो आप (ﷺ) ने अन्देशा ज़ाहिर किया कि जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे नसब को हिज्व से कैसे बचाओगे क्योंकि वे लोग आप (ﷺ) के ख़ानदान में से हैं। इस पर हज़रत हस्सान (रज़ि.) ने कहा था कि मैं आप (ﷺ) के ख़ानदान पर आँच आने दिये बग़ैर मुश्रिकीन की हिज्व करूंगा।

बाब 35 : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1621. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, आप लोग ख़याल करते हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की हदीषें ज़्यादा बयान करता है। हालाँकि अल्लाह के हुज़ूर पेश होकर हिसाब देने का दिन मुक़र्रर है (यानी अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी और अगर तुम ग़लत गुमान करते हो तो तुमको जवाबदेही करनी होगी)। बात दरअसल ये है कि मैं एक ग़रीब शख़्स था और मैंने सिर्फ़ पेट भरने पर क़नाअत (संतोष) करके नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर रहना ख़ुद पर लाज़िम कर लिया था। जबकि मुहाजिरीन का कारोबार उनको बाज़ार में मसरूफ़ (व्यस्त) रखता था और अन्सार अपने मालों की हिफ़ाज़त में मशग़ूल रहते थे। चुनाँचे मैं एक दिन जब नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कौन अपनी चादर फैलाता है ताकि जब मैं अपनी गुफ़्तगू मुकम्मल कर लूँ तो वो उसको समेट ले। जो ऐसा करेगा वो मुझसे सुनी हुई कोई बात कभी न भूलेगा। चुनाँचे मैंने अपनी चादर जो मैं ओढ़े हुए था, फैला दी। और क़सम उस ज़ात की जिसने नबी करीम (ﷺ) को हक़ देकर भेजा! कोई बात जो मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुनी कभी नहीं भूला। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतिसाम बाब 22)**

बाब 36 : अहले बद्र (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल और हज़रत हातिब (रज़ि.) बिन अबी बल्तआ का वाक़िया

1622. हदीस़ अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मिक़्दाद बिन अल अस्वद (रज़ि.) को हुक्म दिया था, फ़ौरन रवाना हो जाओ यहाँ तक कि मक़ामे रोज़-ए-ख़ाख़ पर जा पहुँचों वहाँ एक ऊँट पर सवार औरत मिलेगी उसके पास एक ख़त है वो उससे ले आओ। चुनाँचे हम अपने घोड़े दौड़ाते हुए चल पड़े और मक़ामे रोज़-ए-ख़ाख़ पर पहुँच गए। अचानक हमें एक होदज सवार औरत नज़र आई। हमने उससे कहा, ख़त निकालकर हमें दे दो। कहने लगीं, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। हमने कहा, या तो ख़त दे दो वरना हम तेरे कपड़े उतारकर तलाशी लेंगे। चुनाँचे उसने अपने जूड़े में से ख़त निकाला और हम उसे लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो गए। उस ख़त में लिखा था, हातिब (रज़ि.) बिन अबी बल्तआ की तरफ़ से मक्का के मुश्रिकों के नाम। और उसमें उनको नबी करीम (ﷺ) के कुछ मुआमलात की इत्तिला मुहय्या की गई थी। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हातिब (रज़ि.)! ये क्या है? हज़रत हातिब (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे इस मामले में जल्दबाज़ी से कोई फ़ैसला न फ़र्माइएगा। (पहले मेरी अर्ज़दाश्त सुन लीजिए) मैं एक ऐसा शख़्स हूँ जो क़ुरैश में से नहीं था बल्कि उनके ज़ेरे साया रहता था (या'नी उनका हलीफ़ था) और आप (ﷺ) के साथ जो दूसरे मुहाजिरीन हैं, उन सबकी मक्का में रिश्तेदारियाँ हैं जिसकी वजह से उनके माल और अहलो-अयाल महफ़ूज़ (सुरक्षित) हैं। लिहाज़ा मैंने चाहा था कि चूँकि मुझे नसब के आधार पर तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) हासिल नहीं है इसलिये उन पर मेरा कोई एहसान हो जाए जिसके नतीजे में मेरे रिश्तेदारों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। मैंने न कुफ़्र का इर्तिकाब किया है और न मैं मुर्तद हुआ हूँ और न इस्लाम क़ुबूल करने के बाद कुफ़्र को पसन्द करता हूँ। उनकी ये गुफ़्तगू सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इसने जो कुछ फ़र्माया है सच कहा है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस मुनाफ़िक़ को क़त्ल कर दूँगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये शख़्स ग़ज़्व-ए-बद्र में शरीक हो चुका है और तुमको क्या मा'लूम, कि अल्लाह तआला ने अहले बद्र की कारकरदगी का खुद जायज़ा ले रहा हो। इसीलिये तो उसने उनसे फ़र्मा दिया कि अब जो जी चाहे करो मैंने तुमको बख़्श दिया।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियरि बाब 141)

बाब 38 : हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अबू आमिर अशअरी (रज़ि.) के कुछ फ़ज़ाइल

1623. हदीस़ अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था जब आप (ﷺ) मक़ामे जिअराना में तशरीफ़ फ़र्मा थे। ये जगह मक्का और मदीना के बीच वाक़ेअ है। और आप (ﷺ) के साथ हज़रत बिलाल (रज़ि.) भी थे कि एक देहाती आप (ﷺ) के पास आया और कहने लगा, क्या आप (ﷺ) ने मुझसे जो वादा किया था वो पूरा न करेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरे लिये ख़ुशख़बरी है। वो देहाती कहने लगा, आप (ﷺ) मुझे बहुत ज़्यादा ख़ुशख़बरियाँ दे चुके हैं। ये सुनकर नबी करीम (ﷺ) गुस्से की हालत में हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) और हज़रत बिलाल (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, इस शख़्स ने ख़ुशख़बरी लौटा दी है, तुम दोनों क़ुबूल कर लो। दोनों ने अर्ज़ किया, हमने क़ुबूल की। **फिर आप (ﷺ) ने पानी का एक प्याला मंगवाया उसमें अपने हाथ और चेहरा मुबारक धोए और उसके अंदर ही कुल्ली की, फिर फ़र्माया, इसमें से पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो और तुम्हारे लिये ख़ुशख़बरी है। चुनाँचे दोनों ने वो प्याला लिया और आप (ﷺ) के हुक्म पर अमल किया उसी वक़्त उम्मुल मोमिनीन**

हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने पर्दे के पीछे से आवाज़ दी कि अपनी वालिदा मुहतरमा (उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ि.) के लिये भी बचा लेना। चुनाँचे उन दोनों ने उम्मुल मोमिनीन के लिये भी उसमें से कुछ हिस्सा बचा दिया। (सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 56)

1624. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब ग़ज़्व–ए–हुनैन से फ़ारिग़ हुए तो आप (ﷺ) ने हज़रत अबू आमिर (रज़ि.) को एक लश्कर का सरदार बनाकर औतास की तरफ़ भेजा और उनका मुक़ाबला दरीद बिन अस्सुमा से हुआ जिसमें दरीद मारा गया और अल्लाह ने उसके साथियों को पस्पा (पराजित) कर दिया। हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझे भी हज़रत अबू आमिर (रज़ि.) के साथ भेजा। हज़रत अबू आमिर (रज़ि.) के घुटने में तीर आकर लगा। ये तीर बनी जुशम के किसी शख़्स ने चलाया था जो उनके घुटने में आकर गड़ गया था। मैं हज़रत अबू आमिर (रज़ि.) के पास पहुँचा और पूछा, ऐ चचाजान! आपको किसने तीर मारा है? उन्होंने एक शख़्स की तरफ़ इशारा करके अबू मूसा (रज़ि.) को बताया कि वो शख़्स ये है जिसने मुझ पर तीर चलाया था और मुझे क़त्ल किया है। चुनाँचे मैं उसकी ताक में चला और उसे पकड़ लिया, उसने जब मुझे देखा तो पीठ मोड़कर भाग उठा। लेकिन मैं उसके पीछे लग गया और कहता जाता था, ओ बेग़ैरत! तुझे शर्म नहीं आती? ठहरता क्यूँ नहीं? ये सुनकर वो रुक गय और हमने एक–दूसरे पर तलवार से वार किये और मैंने उसे क़त्ल कर दिया। फिर जाकर हज़रत अबू आमिर (रज़ि.) को बताया, अल्लाह ने आपके क़ातिल को हलाक कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा, ये तीर निकाल दो। मैंने वो तीर खींचा तो उसके निकलते ही (ज़ख़्म में से) पानी बह निकला। हज़रत अबू आमिर (रज़ि.) ने कहा, ऐ भतीजे! नबी करीम (ﷺ) से मेरा सलाम कहना और दरख़्वास्त करना कि मेरे लिये दुआ–ए–मग़्फ़िरत फ़र्माए और उन्होंने उस लश्कर पर मुझे अपना नायब मुक़र्रर कर दिया। उसके बाद वो थोड़ी देर ज़िन्दा रहे फिर उनका इंतिक़ाल हो गया।

मैं जब वापस पहुँचा तो नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आप (ﷺ) के घर हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) बान से बनी हुई चारपाई पर लेटे थे जिस पर फ़र्श था (सही ये है कि फ़र्श नहीं था, किताबत यानी लिखने की ग़लती की वजह से किसी मरहले में लफ़्ज़े मा (नहीं) रह गया है) और चारपाई के बान के निशानात आप (ﷺ) के पहलू और पुश्त (पीठ) पर पड़ गए थे। और मैंने आप (ﷺ) से तमाम हालात बयान किये और हज़रत अबू आमिर (रज़ि.) की शहादत का वाक़िया भी बयान किया और उनकी दुआ–ए–मग़्फ़िरत की गुज़ारिश भी पहुँचाई तो **आप (ﷺ) ने पानी तलब किया, वुज़ू फ़र्माया फिर हाथ उठाकर दुआ–ए–मग़्फ़िरत की,** ऐ अल्लाह! उबैद या'नी अबू आमिर (रज़ि.) को बख़्श दे! **(दुआ मांगते वक़्त आप ﷺ ने अपने हाथ इतने बुलन्द किये कि) मैने आप (ﷺ) की दोनों बग़लों की सफ़ेदी देखी,** फिर फ़र्माया, ऐ अल्लाह! उसका (यानी हज़रत अबू आमिर रज़ि. को) रोज़े क़ियामत इज़्ज़त का मक़ाम अता फ़र्मा। अबू बुर्दा (रह.) जो इस हदीष के रावी हैं बयान करते हैं कि उन दुआओं में से एक हज़रत अबू आमिर (रज़ि.) के लिये थी और दूसरी हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) के लिये। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 55)**

बाब 39 : अशअरी क़बीले से तअल्लुक़ रखनेवालों की फ़ज़ीलत

1625. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं अशअरियों को उनके कुर्आन पढ़ने की आवाज़ से पहचान लेता हूँ। जब वो रात को आते हैं और उनके ठहरने की जगह को भी उनके रात को कुर्आन पढ़ने की आवाज़ों से जान लेता हूँ। अगरचे मैंने दिन के वक़्त वो जगह नहीं देखी होती जहाँ वह उतरे हों। और अशअरियों में एक शख़्स हकीम है जो सवारों से मुक़ाबला के वक़्त या आप

(ﷺ) ने फ़र्माया, दुश्मन से मुक़ाबले के वक़्त उनसे कहता है, मेरे साथी तुमको हुक्म देते हैं कि तुम उनका इंतिज़ार करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)**

1626. हदीस अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अशअरी लोग जब बहालते जंग हों और उनका सफ़र–ख़र्च ख़त्म हो जाए या शहर में रहते हुए भी उनको बाल–बच्चों के लिये खाने–पीने के सामान की क़िल्लत महसूस हो तो ये लोग सब मिलकर जो कुछ उनके पास मौजूद हो एक कपड़े में जमा कर लेते हैं, और फिर एक बर्तन से उसे आपस में बराबर बराबर बाँट लेते हैं। चुनाँचे (इस ख़ूबी की बिना पर) वो मुझमें से हैं और मैं उनमें से हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुश्शिर्कति बाब 1)**

बाब 41 : हज़रत जा'फ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) और उनकी कश्ती वालों के फ़ज़ाइल

1627. हदीस अबू मूसा व अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम लोग यमन में थे। जब हमें नबी करीम (ﷺ) के हिज्रत करके मक्का से निकलने की ख़बर मिली तो हम भी या'नी मैं और मेरे भाई; जिनमें सबसे छोटा मैं था, हिज्रत करके आप (ﷺ) की तरफ़ चल पड़े। मेरे एक भाई का नाम अबू बुर्दा था और दूसरे भाई का नाम अबू रहिम और हमारे साथ मेरे क़बीले के बावन या तिरेपन अफ़राद और थे। हम सब कश्ती में सवार होकर चल पड़े तो हमारी कश्ती ने हमें नज्जाशी की सरज़मीन (हब्शा) में जा उतारा। वहाँ हमारी मुलाक़ात ख़िलाफ़े तवक़्क़ोअ (अनपेक्षित रूप से) हज़रत जअफ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) से हुई और हम उनके पास ही ठहरे रहे यहाँ तक कि फिर हम सबके सब इकट्ठे (मदीना) पहुँचे और नबी करीम (ﷺ) से उस वक़्त तक मुलाक़ात हुई जब आप (ﷺ) ख़ैबर फ़तह कर चुके थे और हमसे (या'नी उन लोगों से जो कश्ती के ज़रिये पहुँचे थे) कुछ लोगों ने कहा कि हम हिज्रत के ऐतबार से तुम पर सबक़त (श्रेष्ठता) रखते हैं। तो हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) जो उन लोगों में शामिल थीं जो हमारे साथ (हब्शा से) आए थे, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास मुलाक़ात के लिये गईं और जिस वक़्त हज़रत अस्मा (रज़ि.) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के पास बैठी थीं उसी वक़्त वहाँ हज़रत उमर (रज़ि.) आए और हज़रत अस्मा (रज़ि.) को देखकर पूछा कि ये कौन हैं? हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा, अस्मा (रज़ि.) बिन्ते उमैस हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) कहने लगे कि वही हब्शा से हिज्रत करके आने वाली? समुन्दरी राह से आने वाली? हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने कहा, हाँ! हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, हमने तुमसे पहले हिज्रत की है इस बिना पर हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ तुमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं।

ये सुनकर हज़रत अस्मा (रज़ि.) को गुस्सा आ गया और कहने लगीं, अल्लाह की क़सम! हर्गिज़ नहीं! तुम लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, तुममें से अगर कोई भूखा होता तो आप (ﷺ) उसे खाना खिलाते थे और अगर कोई किसी मसले से लाइल्म होता तो आप (ﷺ) उसे नसीहत फ़र्माते। और हम ऐसे मुल्क में या आपने फ़र्माया, हम सरज़मीने हब्शा में ऐसे इलाक़े में थे जो न सिर्फ़ दूर था बल्कि दीने इस्लाम से नफ़रत रखता था और ये सब कुछ हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल (ﷺ) की ख़ातिर बर्दाश्त किया था और अल्लाह की क़सम! मैं उस वक़्त तक न खाना खाऊँगी और न पानी पीऊँगी जब तक कि नबी करीम (ﷺ) से इन बातों का ज़िक्र न कर लूँ जो आप (रज़ि.) ने कही हैं। हमको वहाँ तकलीफ़ें पहुँची है और हम वहाँ हर वक़्त ख़ौफ़ में मुब्तला रहते थे। मैं ये सब कुछ नबी करीम (ﷺ) से बयान करूँगी और आपसे दरयाफ़्त करूँगी (कि क्या जो कुछ हज़रत उमर रज़ि. ने कहा है वो दुरुस्त है?) और अल्लाह की क़सम! मैं न झूठ बोलूँगी न बातचीत में झूठ इख़्तियार करूँगी और न जो सहीह वक़्ते वाक़िया

है उसमें इज़ाफ़ा करूँगी। चुनाँचे जब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो हज़रत अस्मा (रज़ि.) बिन्ते उमैस ने कहा, या नबी (ﷺ)! (हज़रत) उमर (रज़ि.) ने ये और ये बातें कही हैं। आप (ﷺ) ने पूछा, तो तुमने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने ये और ये कहा, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो तुमसे ज़्यादा मेरे साथ हक़ नहीं रखते। उनकी और उनके साथियों की एक हिज्रत है और तुम अहले सफ़ीना की दो हिज्रतें हैं। हज़रत अस्मा (रज़ि.) कहती हैं, उसके बाद मैंने देखा कि हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) और कश्ती वाले लोग मेरे पास गिरोह–दर–गिरोह आते थे और इस हदीष के बारे में पूछा करते थे और उन लोगों के लिये दुनिया में नबी करीम (ﷺ) के इस इर्शाद से ज़्यादा खुशकुन और ज़्यादा अज़ीम कोई और चीज़ न थी। अबू बर्दा (रह.) जो इस हदीष के रावी हैं बयान करते हैं कि हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने ये भी कहा कि मैंने देखा कि हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ये हदीष मुझसे बार–बार दोहराकर सुना करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)**

बाब 43 : अंसारुन्नबी (ﷺ) के कुछ फ़ज़ाइल

1628. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं आयते करीमा **इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिन्कुम अन् तफ़्शला।** (तर्जुमा) **याद करो जब तुममें से दो गिरोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे।** (आले इमरान : 122) हमारे बारे में या'नी बनी सलमा और बनी हारिषा के बारे में नाज़िल हुई थी और हम ये पसन्द नहीं करते कि ये आयत न उतरी होती क्योंकि इसमें फ़र्माया गया है, **वल्लाहु वलिय्युहुमा** (तर्जुमा) **हालाँकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था।** (आले इमरान : 122) **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 18)**

1629. हदीष ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि वाक़िया हर्रा में जो लोग शहीद हुए थे उनकी वजह से मुझे बहुत रंज पहुँचा था और मेरे रंज व ग़म की शिद्दत की इत्तिला जब ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) को पहुँची तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना है, ऐ अल्लाह! अन्सार और अन्सार की औलाद को बख़्श दे।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह मुनाफ़िक़ून बाब 6)

1630. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने औरतों और बच्चों को किसी शादी से आते देखा तो आप (ﷺ) उठकर सामने खड़े हो गए और फ़र्माया, अल्लाह अल्लाह! तुम लोग मुझे सब लोगों से ज़्यादा महबूब हो। ये बात आप (ﷺ) ने तीन बार फ़र्माई।

(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 5)

1631. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि अंसार की एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई, उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी था। उस औरत से नबी करीम (ﷺ) ने बातें कीं और फ़र्माया, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! तुम लोग मुझे सब इंसानों से ज़्यादा महबूब हो। ये बात आप (ﷺ) ने तीन बार इर्शाद फ़र्माई। **(सहीह बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्सार बाब 5)**

1632. ह़दीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अन्स़ार मेरी जमाअ़त है और मेरे भरोसेमन्द लोग हैं और अ़न्क़रीब दूसरे लोग ता'दाद में ज़्यादा हो जाएँगे और अन्स़ार कम होते जाएँगे। लिहाज़ा उनमें से जो लोग नेकोकार हैं उनकी अच्छी बातों को क़ुबूल करो, और जो ग़लत़कार हैं, उनसे दरगुज़र करो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 11)**

बाब 44 : अन्स़ार (रज़ि.) के सबसे बेहतरीन ख़ानदानों का बयान

1633. ह़दीष़ अबू उसैद (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू उसैद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अन्स़ार के घरों में सबसे अच्छा घर बनी नज्जार का है फिर बनी अ़ब्दुल अश्हल का उसके बाद बनी अल् ह़ारिष बिन ख़ज़रज का फिर बनी साअ़दा का और अंसार के सब घरों में भलाई और बेहतरी है।

ये सुनकर ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) ने कहा, मुझे तो ऐसा मह़सूस होता है कि नबी करीम (ﷺ) ने दूसरे लोगों को हम पर फ़ज़ीलत दी है तो जवाबन आपसे कहा गया, तुमको भी तो आप (ﷺ) ने दूसरे बहुत से लोगों पर फ़ज़ीलत दी है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबु मनाक़िबिल अन्स़ार बाब 7)**

बाब 45 : अन्स़ार के ह़ुस्ने सुलूक का बयान

1634. ह़दीष़ जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र में ह़ज़रत जरीर (रज़ि.) बिन अ़ब्दुल्लाह के साथ था तो वो मेरी ख़िदमत किया करते थे हालाँकि वो मुझसे उ़मर में बड़े थे। उसकी वजह से ह़ज़रत जरीर (रज़ि.) ने ये बयान किया कि मैंने अन्स़ार को ऐसा काम करते देखा है (या'नी नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत और नुस़रत करते देखा है) कि मुझे जो भी अन्स़ार मिलता है मैं उसका एह़तिराम और ख़िदमत करता हूँ। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 71)**

बाब 46 : नबी करीम (ﷺ) का क़बाइल बनी ग़िफ़ार व बनी असलम के लिये दुआ फ़र्माना

1635. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़बीला असलम! अल्लाह तआ़ला उसे सलामत रखे। और क़बीला बनी ग़िफ़ार! अल्लाह तआ़ला उनके गुनाह माफ़ करे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 6)**

1636. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मिम्बर पर फ़र्माया, क़बीला ग़िफ़ार की अल्लाह तआ़ला मग़्फ़िरत फ़र्माए और क़बीला बनी असलम को अल्लाह तआ़ला सलामत रखे और क़बीला अ़स़िय्या ने अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाफ़र्मानी की।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 6)

बाब 47 : क़बाइले ग़िफ़ार, असलम, ज़ुहैना, अश्जअ़ा, मुज़ैना, तमीम, दौस और तै के फ़ज़ाइल

1637. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुरैश व अन्सार और क़बाइले जुहैना व मुज़ैना व असलम व अश्जअ़ व ग़िफ़ार सब मेरे दोस्त और मददगार हैं और उनके आक़ा व सरपरस्त अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सिवा कोई और नहीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 2)

1638. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (स) ने फ़र्माया, क़बाइले असलम व ग़िफ़ार (पूरे के पूरे) और क़बाइले मुज़ैना व जुहैना में से कुछ लोग (या आप ﷺ ने फ़र्माया) जुहैना व मुज़ैना में से कुछ लोग अल्लाह के नज़दीक बेहतर हैं (या आप ﷺ ने फ़र्माया) क़ियामत के दिन बेहतर होंगे क़बाइले असद, तमीम, हवाज़िन और ग़त्फ़ान से। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 11)**

1639. हदीष़ अबूबक्र (रज़ि.) : हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अक़रअ़ बिन हाबिस (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि क़बाइले असलम व ग़िफ़ार व मुज़ैना व जुहैना में से आप (ﷺ) की बैअ़त उन लोगों ने की है जो (ज़मान–ए–जाहिलियत में) हाजियों की चोरियाँ करते थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या ऐसा नहीं है कि अगर क़बाइले असलम व ग़फ़्फ़ार और मुज़ैना व जुहैना बेहतर हों बनी तमीम, बनी आ़मिर, बनी असद और बनी ग़त्फ़ान से तो ये लोग (या'नी बनी तमीम वग़ैरह) तो तबाह व बर्बाद हो गए? उन्होंने कहा, हाँ! तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! वो (या'नी असलम व ग़िफ़ार वग़ैरह) यक़ीनन उनसे (या'नी बनी तमीम वग़ैरह से) बेहतर हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 6)**

1640. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि तुफ़ैल बिन अ़म्र दोसी (रज़ि.) और उनके साथी नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़बीला दौस ने नाफ़र्मानी की है और मुसलमान होने से इंकार कर दिया है तो आप (ﷺ) उनके लिये बद्–दुआ़ कीजिए। किसी ने कहा, क़बील–ए–दौस हलाक हो गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! दौस वालों को हिदायत दे और उन्हें मुसलमान कर दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब100)**

1641. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं बनी तमीम से उस वक़्त से मुहब्बत रखता हूँ जबसे ये तीन बातें मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुनी हैं,

01. मैंने आप (ﷺ) को फ़र्माते सुना है कि बनी तमीम दज्जाल के लिये मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा सख़्त ष़ाबित होंगे।

02. जब बनी तमीम के सदक़ात आए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, ये हमारी क़ौम के सदक़ात हैं।

03. बनी तमीम की एक क़ैदी औरत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास थी। नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से फ़र्माया, उसे आज़ाद कर दो क्यों कि ये हज़रत इस्माईल (ﷺ) की औलाद में से है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 13)

बाब 48 : बेहतरीन लोगों का बयान

1642. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों को तुम कानों की मानिन्द पाओगे जो लोग ज़मान–ए–जाहिलियत में बेहतर थे वही लोग मुसलमान होने के बाद भी बेहतर हैं बशर्ते कि वो दीन का शऊर और फ़हम ह़ास़िल कर लें। **और तुम साहिबे इक़्तिदार लोगों में सबसे अच्छा उसे पाओगे जो इक़्तिदार व हुकूमत को सबसे ज़्यादा नापसन्द करता है और सबसे बुरा इंसान दो चेहरों वाले शख़्स़ को पाओगे जो कुछ लोगों से एक चेहरे से मिलता हो और दूसरे लोगों के लिये उसका चेहरा दूसरा हो।**

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 1)

बाब 49 : क़ुरैश की ़औरतों के कुछ फ़ज़ाइल

1643. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, क़ुरैश की ़औरतें उन सब ़औरतों में बेहतर हैं जो ऊँट की सवारी करती हैं (या'नी पूरे ़अरब की ़औरतों में बेहतर हैं) ये अपने बच्चे पर सबसे ज़्यादा शफ़क़त करने वाली और अपने शौहर के माल की बहुत ज़्यादा ह़िफ़ाज़त करने वाली होती हैं। ये ह़दीष़ बयान करने के बाद ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते थे, ह़ज़रत मरयम ़अलैहिस्सलाम) बिन्ते इमरान कभी ऊँट पर सवार नहीं हुईं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 46)**

बाब 50 : नबी करीम (ﷺ) का स़ह़ाबा किराम (रिज़.) को एक–दूसरे का भाई बना देने का बयान

1644. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ़आस़िम अह़वल (रह.) बयान करते हैं कि मैंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, क्या आपको ये ख़बर मिली है कि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि इस्लाम में मुआहिदे ह़लफ़ नहीं है? ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब दिया, नबी करीम (ﷺ) ने मुह़ालफ़त या'नी अन्स़ार और मुहाजिरीन के बीच मुआहद–ए–मुवाख़ात मेरे घर बैठकर ख़ुद कराया था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल किफ़ालह बाब 2)**

बाब 52 : स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) और ताबेईन व तबअ–ताबेईन (रह.) की फ़ज़ीलत

1645. ह़दीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) रिवायत करते हैं नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **एक ज़माना आएगा कि जब लोगों के गिरोह जिहाद के लिये जाएँगे तो पूछा जाएगा, क्या आप में से कोई शख़्स़ नबी करीम (ﷺ) का स़ह़ाबी है? जवाब मिलेगा, हाँ है! और फिर उसकी बरकत से उस जंग में फ़तह ह़ास़िल हो जाएगी। उसके बाद एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें पूछा जाएगा, क्या आप में से कोई ऐसा शख़्स़ भी है जिसने अस़्ह़ाबुन्नबी (ﷺ) का फ़ैज़े स़ुह़बत ह़ास़िल किया हो? कहा जाएगा, हाँ है! और फिर उसकी बरकत से फ़तह ह़ास़िल हो जाएगी। उसके बाद एक वक़्त ऐसा आएगा जब पूछा जाएगा, क्या आप में कोई ऐसा शख़्स़ भी है जिसे अस़्ह़ाबुन्नबी (ﷺ) के साथियों में से किसी का फ़ैज़े स़ुह़बत मयस्सर आया हो? कहा जाएगा, हाँ है! और फिर उसकी बरकत से फ़तह ह़ास़िल हो जाएगी।**

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद वस्सियरि बाब 76)

1646. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे दौर में हैं, फिर वो लोग हैं जिनका ज़माना मेरे ज़माने के लोगों से मुत्तसिल (जुड़ा हुआ) और फ़ौरन बाद होगा। फिर वो लोग हैं जिनका ज़माना उन लोगों के फ़ौरन बाद और मुत्तसिल होगा। उनके बाद ऐसे लोग होंगे जिनकी गवाही उनकी क़सम पर और क़सम पर गवाही सबक़त ले जाया करेगी।

(सहीह बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 9)

1647. हदीष इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) : हज़रत इमरान (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें सबसे बेहतर वो लोग हैं जो मेरे दौर में मौजूद हैं, फिर वो लोग (सबसे बेहतर हैं) जो मेरे दौर के लोगों के मुत्तसिल बाद होंगे, फिर वो लोग (ख़ैर व बेहतर हैं) जो उन लोगों के मुत्तसिल बाद होंगे। हज़रत इमरान (रज़ि.) कहते हैं कि मुझे सहीह तौर पर मा'लूम नहीं कि आप (ﷺ) ने अपने दौर के बाद दो ज़मानों का ज़िक्र फ़र्माया था या तीन ज़मानों का। नीज़ नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे बाद ऐसे लोग होंगे जो ख़यानत करेंगे लिहाज़ा उनके पास अमानत नहीं रखी जाएगी (उन पर भरोसा नहीं किया जाएगा) और ये लोग तलब किये बग़ैर शहादत देंगे और अगर नज़्र मानेंगे तो पूरी नहीं करेंगे, नीज़ उनमें मोटापा आम होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुश्शहादात बाब 9)**

बाब 53 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद, इस सदी के आख़िर तक आज के लोगों में से कोई बाक़ी न होगा

1648. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि अपनी हयात तय्यिबा के आख़िरी अय्याम में नबी करीम (ﷺ) ने एक रात इशा की नमाज़ पढ़ाई, फिर सलाम फेरने के बाद आप (ﷺ) ने खड़े होकर फ़र्माया, क्या तुम लोगों ने आज ये रात देखी है? याद रखो! आज से पूरे एक सौ साल बाद इन लोगों में से एक शख़्स भी ज़िन्दा न होगा जो आज ज़मीन पर मौजूद हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 22)**

बाब 54 : सहाबा किराम (रज़ि.) को बुरा कहना हराम है

1649. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे अस्हाब को बुरा मत कहो इसलिये कि तुममें से कोई शख़्स अगर कोहे उहुद के बराबर सोना भी खर्च करे तब भी सहाबा किराम (रिज़.) के एक मुद बल्कि आधा मुद ग़ल्ला ख़र्च करने के षवाब को नहीं पहुँच सकता।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 5)

बाब 59 : अहले फ़ारस की फ़ज़ीलत का बयान

1650. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे कि आप (ﷺ) पर सूरह जुम्आ नाज़िल हुई जिसमें ये आयते करीमा है **वआख़िरीना मिन्हुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम** (तर्जुमा) **और (उस रसूल की बेअषत) उन दूसरे लोगों के लिये भी है जो अभी उनसे नहीं मिले।** (सूरह जुमुआ : 3) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये लोग कौन हैं? लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने उस बात का जवाब नहीं दिया यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरह

(रज़ि.) ने यही बात तीन बार पूछी। उस वक़्त हममें हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) भी मौजूद थे। आप (ﷺ) ने अपना दस्ते मुबारक हज़रत सलमान (रज़ि.) पर रखा और फ़र्माया, ईमान अगर षुरैया सितारे (सप्तऋषि, सात तारों का समूह) में भी होगा तो इन लोगों में से (हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि. के लोगों में से) कुछ लोग उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (इन लोगों में से) एक शख़्स उसे ज़रूर हासिल कर लेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह जुमुआ बाब 1)

बाब 60 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद, लोग ऊँटों की मानिन्द हैं कि सौ में भी कोई एक अच्छा मुश्किल से मिलता है

1651. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, लोगों की मिषाल ऊँटों की–सी है कि सौ हों तो भी उनमें से कोई एक–आध ही सवारी के क़ाबिल निकलता है। (उसी तरह इंसानों में भी सौ में से बमुश्किल कोई एक मुहज़्ज़ब, आक़िल, नेक, नेकबख़्त, ख़ुश–अख़्लाक़ या सालेह और परहेज़गार वग़ैरह होता है)। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 35)**

किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब

हुस्ने–सुलूक़, सिलारह़मी व दीगर आदाबे–मुआशरत का बयान

बाब 1 : वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का बयान और ये कि माँ और बाप हुस्ने सुलूक के सबसे ज़्यादा ह़क़दार हैं

1652. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स़ नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया और उसने अ़र्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा ह़क़दार कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरी माँ! उसके बाद कौन? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरी माँ! उसने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरी माँ! उसने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके बाद तेरा बाप। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब 78 बाब 2)**

1653. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स़ नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और उसने आप (ﷺ) से जिहाद में जाने की इजाज़त चाही। आप (ﷺ) ने पूछा, क्या तेरे वालदेन ज़िन्दा हैं? उसने अ़र्ज़ किया, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर उन दोनों (की ख़िदमत) में ही जद्दोजहद करो (यही तुम्हारा जिहाद है)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 138)**

बाब 2 : वालिदैन की ख़िदमत नफ़्ली नमाज़ और इसी क़िस्म की दूसरी इ़बादतों पर मुक़द्दम है

1654. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, गहवारे में सिर्फ़ तीन शख़्स़ों ने बातें की हैं,

(1). ह़ज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) ने

(2). बनी इस्राईल का जुरैज नामी एक शख़्स़ नमाज़ पढ़ रहा था कि उसकी माँ आई और उसने उसे आवाज़ दी, जुरैज सोचता रह गया कि उसे जवाब दूँ या नमाज़ पढ़ता रहूँ। उसकी माँ ने उसे बद्–दुआ़ दी कि ऐ अल्लाह! उसे

मौत न आए जब तक उसे ज़ानिया औरतों से वास्ता न पड़े (फिर ऐसा हुआ कि) जुरैज अपने इबादतख़ाने में था कि एक औरत ने ख़ुद को उसके आगे पेश किया (और बदकारी की) ख़्वाहिश का इज़्हार किया। जुरैज ने इंकार कर दिया फिर वो औरत एक चरवाहे के पास गई और चरवाहे को अपने साथ ज़िना करने दिया। फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये बच्चा जुरैह का है। ये सुनकर लोग उस पर चढ़ दौड़े और उसके इबादतख़ाने को तहस–नहस कर दिया और उसे नीचे उतार लाए और बुरा–भला कहा। जुरैज ने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर उस बच्चे के पास गया और पूछा, ऐ बच्चे! तेरा बाप कौन है? बच्चे ने कहा, वो चरवाहा। ये सुनकर लोगों ने कहा, हम तेरा इबादतख़ाना सोने का बना देते हैं। उसने कहा, नहीं सिर्फ़ मिट्टी का बना दो।

(3). एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसके पास से एक सवार गुज़रा जिसने बहुत अच्छी पोशाक पहन रखी थी। उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह! मेरे बेटे को उस शख़्स की मानिन्द कर दे तो बच्चा माँ की छाती छोड़कर उस सवार की तरफ़ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह! तू मुझे इस जैसा न बनाइयो! फिर मुड़कर माँ की छाती से दूध पीने लगा।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि मेरी नज़रों में इस वक़्त भी वो मंज़र फिर रहा है कि किस तरह नबी करीम (ﷺ) ने अपनी उँगली चूस कर दिखाई थी।

उसके बाद उसके पास से लोग एक लौण्डी को लेकर जा रहे थे तो उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह! मेरे बेटे को उस लौण्डी जैसा न बनाइयो। ये सुनकर फिर बच्चे ने अपनी माँ की छाती छोड़ दी और कहने लगा, ऐ अल्लाह! मुझे इस जैसा बना दे उसकी माँ ने पूछा, क्यूँ, तू ऐसा क्यूँ बनना चाहता है? बच्चा कहने लगा कि वो सवार एक ज़ालिम शख़्स था जबकि इस लौण्डी के बारे में लोग कहते हैं कि उसने चोरी की है ज़िना किया है हालाँकि उसने ऐसा नहीं किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 48)**

बाब 6 : सिलारहमी का षवाब और रिश्ता तोड़ने की हुर्मत

1655. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मख़्लूक़ात पैदा फ़र्माई, फिर जब सब कुछ पैदा कर चुका तो रहम उठकर खड़ा हुआ और उसने रहमान का दामन थाम लिया। पूछा, क्या बात है? कहने लगा, क़त्अ-रहमी या'नी रिश्तेदारी का नाता तोड़ने से मैं तेरी पनाह तलब करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, क्या तू इस पर राज़ी नहीं कि जो सिलारहमी करे मैं भी उसके साथ अच्छा सुलूक करूँ और मेहरबानी से पेश आऊँ और जो क़त्अ रहमी करे मैं भी उस पर रहम न करूँ। रहम ने कहा, क्यों नहीं, ऐ मेरे रब! फ़र्माया, तो ये हक़ तुझे मिल गया।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, अगर तुमको षुबूत चाहिए तो ये आयते करीमा पढ़ लो, (तर्जुमा) **अब अगर तुम उलटे मुँह फिर जाओ तो तुमसे उसके सिवा और क्या तवक़्क़ुअ की जा सकती है कि ज़मीन में फ़साद मचाओ और एक–दूसरे से क़त्ए–क़राबत करो।** (सूरह मुहम्मद : 22)

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह मुहम्मद बाब 1)

1656. हदीष जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) : हज़रत जुबैर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, क़त्अ रहमी करने वाला (रिश्तेदारी तोड़ने वाला) जन्नत में नहीं जाएगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 11)

1657. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते सुना, जो शख़्स ये बात पसन्द करता है कि उसके रिज़्क़ में फ़राख़ी हो और उसकी उम्र लम्बी हो उसे चाहिए कि सिलारहमी करे (या'नी रिश्ते जोड़े और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 13)

बाब 7 : हसद और बुग़्ज़ रखने वालों और बोलचाल बन्द करने की मुमानअत

1658. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक–दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, किसी से हसद न करो और आपस में बोलचाल बन्द न करो और सब अल्लाह के बन्दे एक–दूसरे के भाई बनकर ज़िन्दगी गुज़ारो और किसी मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं है कि तीन दिन से ज़्यादा अपने भाई से तअल्लुक़ात या बोलचाल तर्क करे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 57)**

बाब 8 : शरई उज़्र के बग़ैर तीन दिन से ज़्यादा तर्के तअल्लुक़ात हराम है

1659. हदीष अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स के लिये जाइज़ नहीं है कि तीन रात से ज़्यादा अपने भाई से तर्के तअल्लुक़ात करे या'नी ये कि जब एक–दूसरे से सामना हो तो एक मुँह फेरकर इधर–उधर हो जाए और दूसरा मुँह मोड़कर उधर हो जाए और दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 62)**

बाब 9 : बदगुमानी करना, टोह लगाना, हसद करना और धोखा देने के लिये दूसरे से बढ़कर क़ीमत लगाना हराम है

1660. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है, और न छुपकर दूसरों की बातें सुनो, न टोह लगाओ, न दूसरे के सौदे पर सिर्फ़ धोखा देने के लिये बढ़ाकर क़ीमत लगाओ, न आपस में एक–दूसरे से हसद करो, न आपस में बुग़्ज़ रखो, और न आपस में बोलचाल बन्द करो और सब अल्लाह के बन्दे और आपस में भाई–भाई बन जाओ।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 85)

बाब 14 : मोमिन को जो बीमारी या रंज व ग़म पहुँचता है यहाँ तक कि अगर काँटा भी चुभता है तो उसे उसका षवाब मिलता है

1661. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़्यादा किसी पर बीमारी की शिद्दत नहीं देखी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मरज़ा बाब 2)**

1662. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) बुख़ार की तकलीफ़ में मुब्तला थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह

(ﷺ)! आपको तो सख़्त बुख़ार है। फ़र्माया, हाँ! मुझे जो बुख़ार चढ़ता है वो तुम लोगों के दो आदमियों के बुख़ार के बराबर होता है। मैंने अर्ज़ किया, आप (ﷺ) के लिये अज्र भी दोगुना है। फ़र्माया, हाँ! बात यही है। (वैसे भी) किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती है ख़्वाह कांटा चुभने की हो या उससे बड़ी, अल्लाह तआला उसके बदले में उस मुसलमान के गुनाह माफ़ कर देता है और (उस हालत में) गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख़्त के पत्ते झड़ते हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मर्ज़ा बाब 3)**

1663. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान को जो तकलीफ़ या मुसीबत पहुँचती है यहाँ तक कि अगर कोई उसके कांटा भी चुभाता है तो अल्लाह तआला उस तकलीफ़ को उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा बना देता है।

1664. हदीष अबू सईद ख़ुदरी व अबू हुरैरह (रज़ि.) : हदीष अबू सईद (रज़ि.) और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान को जो परेशानी, दर्द, ग़म, रंज, तकलीफ़ और दुख पहुँचती है यहाँ तक कि अगर उसके कोई कांटा भी चुभाया जाए तो अल्लाह तआला उस तकलीफ़ को उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा बना देता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मर्ज़ा बाब 1)**

1665. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : अता (रह.) बिन अबी रिबाह बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि क्या मैं तुमको एक जन्नती औरत न दिखाऊँ? मैंने कहा, ज़रूर! कहने लगे, ये काली औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई थी और उसने अर्ज़ किया था, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और उस हालत में मेरा सतर खुल जाता है, लिहाज़ा आप (ﷺ) अल्लाह से मेरे लिये दुआ कीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम चाहो तो (इस तकलीफ़ पर) सब्र करो, इसके बदले में तुमको जन्नत मिलेगी और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुमको इस तकलीफ़ से नजात दे। वो कहने लगी, मैं सब्र करूँगी। फिर कहने लगी कि मेरा सतर खुल जाता है उसके लिये अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये न खुला करे। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने उसके लिये दुआ फ़र्माई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मर्ज़ा बाब 6)**

बाब 15 : ज़ुल्म करना हराम है

1666. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ुल्म क़ियामत के दिन अँधेरों का बाइष होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 8)**

1667. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान, मुसलमान का भाई है, और भाई न तो अपने भाई पर ज़ुल्म करता है और न उसको ज़ुल्म या तकलीफ़ में मुब्तला देख सकता है और जो शख़्स अपने भाई की हाजत रवाई में मसरूफ़ रहता है अल्लाह तआला उसकी ज़रूरियात का कफ़ील हो जाता है और जो शख़्स किसी मुसलमान की एक तकलीफ़ दूर करता है अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसकी तकालीफ़ में से एक तकलीफ़ दूर फ़र्माएगा और जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 3)**

1668. ह़दीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला यक़ीनन ज़ालिम को ढील देता है (और वो अपने ज़ुल्म में मगन रहता है) यहाँ तक कि जब उसको पकड़ता है तो फिर उसको (सज़ा दिये बग़ैर) नहीं छोड़ता। ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं, ये इर्शाद फ़र्माकर आप (ﷺ) ने ये आयते करीमा तिलावत फ़र्माई। **व कज़ालिक अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल्क़ुरा व हिय ज़ालिमतुन इन्न अख़्ज़हू अलीमुन शदीद** (तर्जुमा) **और तेरा रब जब किसी ज़ालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है, फ़िल् वाक़ेअ उसकी पकड़ बड़ी सख़्त और दर्दनाक होती है।** (सूरह हूद : 102) **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह हूद बाब 5)**

बाब 16 : अपने भाई की मदद हर ह़ाल में करो ख़्वाह ज़ालिम हो या मज़्लूमं (ज़मान-ए-जाहिलियत का नारा)

1669. ह़दीष़ जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) : ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम एक जिहाद में शरीक थे कि एक मुहाजिर ने एक अंसारी के सुरीन (कूल्हे) पर हाथ से या तलवार से ज़र्ब लगाई तो अन्स़ार ने अन्स़ार को पुकारा, कहाँ हैं अन्सार, मदद को आएँ! और मुहाजिरीन ने मुहाजिरों को पुकारा, कहाँ हैं मुहाजिरीन, मदद को पहुँचे! ये हँगामा नबी करीम (ﷺ) ने सुना तो फ़र्माया, ये क्या है? ये तो ज़मान-ए-जाहिलियत का नारा है? लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुहाजिरीन में से एक शख़्स़ ने अन्स़ार के एक आदमी की सुरीन पर ज़र्ब लगाई है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस पुकार को छोड़ दो, ये सख़्त गन्दी और बदबूदार है। इस बात की ख़बर जब अ़ब्दुल्लाह बिन उबई (मुनाफ़िक़) को हुई तो उसने कहा, अच्छा, उन लोगों ने ऐसा किया है! ज़रा हमें मदीना पहुँच लेने दो, वहाँ पहुँचकर इ़ज़्ज़तवाले ज़लील लोगों को मदीना से निकाल बाहर करेंगे। (या'नी हम जो मदीना के अस़्ल बाशिन्दे हैं और इ़ज़्ज़तवाले हैं इन बाहर से आए हुए मुहाजिरीन को निकाल देंगे)।

उस (मुनाफ़िक़) की ये बात जब नबी करीम (ﷺ) को पहुँची तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) उठकर खड़े हुए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे इजाज़त दीजिए! मैं उस मुनाफ़िक़ को क़त्ल कर दूँ। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उसे उसके ह़ाल पर छोड़ दो, कहीं लोग ये न कहने लगें कि (ह़ज़रत) मुह़म्मद (ﷺ) अपने साथियों को क़त्ल करते हैं। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह मुनाफ़िक़ून बाब 5)**

बाब 17 : मोमिन आपस में रह़ीमो-श़फ़ीक़ और एक-दूसरे के दस्तो-बाज़ू होते हैं

1670. ह़दीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन आपस में एक-दूसरे के लिये ऐसे हैं जैसे इमारत में एक ईंट दूसरी को सहारा दिये हुए उसकी पुख़्तगी का बाइ़ष़ बनती है। ये इर्शाद फ़र्माते हुए आप (ﷺ) ने अपने एक हाथ की उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों में डालकर दिखाया (कि इस तरह़ मोमिन एक-दूसरे का सहारा और आपस में मिलकर कुव्वत ह़ासि़ल करते हैं)।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुस्स़लात बाब 88)

1671. ह़दीष़ नो'मान बिन बशीर (रज़ि.) : ह़ज़रत नो'मान (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन आपस में एक-दूसरे के साथ महरबानी, मुह़ब्बत और शफ़क़त करने के आधार पर एक जिस्म की तरह़ हैं कि अगर जिस्म के एक ह़िस़्से में दर्द हो तो सारा जिस्म उसकी तकलीफ़ में शरीक होकर बेख़्वाबी और बुख़ार

में मुब्तला हो जाता है। (सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 27)

बाब 22 : अगर किसी से फ़हशगोई और बदकलामी का ख़तरा हो तो उसके साथ ज़ाहिरदारी और नरमी जाइज़ है

1672. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) से एक शख़्स ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इजाज़त दे दो उस शख़्स को जो ख़ानदान का बदतरीन भाई या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बेटा है। उसके बाद जब वो अंदर आ गया तो आप (ﷺ) ने उसके साथ बड़ी नरमी से बातचीत की। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने इस शख़्स के बारे में ये कुछ फ़र्माया था लेकिन फिर आप (ﷺ) ने उससे बड़ी नरम बातचीत की। फ़र्माया, ऐ आइशा (रज़ि.)! बदतरीन इंसान वो है जिसकी बदकलामी से बचने के लिये लोग उससे तर्के तअल्लुक़ात कर लें। या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लोग उसे छोड़ दें।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 48)

बाब 25 : अगर किसी शख़्स पर नबी करीम (ﷺ) ने कभी लअनत भेजी या सख़्त सुस्त कहा या बद्-दुआ दी जबकि वो उसका मुस्तहिक़ न था तो ये उसके लिये गुनाह का कफ़्फ़ारा बन जाएगा और उसे अज्र मिलेगा और रहमत नाज़िल होगी

1673. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, ऐ अल्लाह! मैंने अगर कभी किसी मोमिन को सख़्त-सुस्त कहा हो तो ये चीज़ उसके लिये क़ियामत के दिन अपने (या'नी अल्लाह के) क़ुर्ब का ज़रिया बना दे। **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 34)**

बाब 27 : झूठ बोलना हराम है नीज़ किस क़िस्म की ग़लतबयानी मुबाह है

1674. हदीष उम्मे कुलषूम बिन्ते उक़्बा (रज़ि.) : हज़रत उम्मे कुलषूम (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते सुना, वो शख़्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरम्यान सुलह कराने के लिये एक की भलाई दूसरे के सामने बयान करता है। या उसके बारे में कोई अच्छी बात कहता है (कि दो शख़्सों के दिलों की कुदूरत या नफ़रत दूर हो जाए)। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सुलह बाब 2)**

बाब 29 : झूठ बुरा है और सच अच्छा और अफ़ज़ल है

1675. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सच नेकी की तरफ़ बुलाता है और नेकी जन्नत में ले जाती है, यक़ीनन किसी शख़्स का सच बोलते रहना उसे एक दिन सिद्दीक़ बना देता है और झूठ गुनाह की तरफ़ ले जाता है और गुनाह जहन्नम में पहुँचाता है। यक़ीनन किसी शख़्स के झूठ बोलते रहने से नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दिन वो अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लिख लिया जाता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 69)**

बाब 30 : उस शख़्स की फ़ज़ीलत जो गुस्सा की हालत में ख़ुद पर क़ाबू रखे और गुस्सा दूर करने की तदबीर

1676. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बहादुर वो नहीं है जो दूसरे को पछाड़ दे बल्कि फ़िल् वाक़ेअ बहादुर वो है जो गुस्से के वक़्त ख़ुद पर क़ाबू रखे।
(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 76)

1677. हदीष सुलैमान बिन सुर्द (रज़ि.) : हज़रत सुलेमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के क़रीब दो शख़्स आपस में झगड़ पड़े, हम भी उस वक़्त आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे। उनमें से एक–दूसरे को गुस्से में गालियाँ दे रहा था और उसका चेहरा सुर्ख़ था। ये कैफ़ियत देखकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे एक ऐसा कलिमा मा'लूम है कि अगर ये शख़्स पढ़ ले या'नी अगर ये शख़्स **अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम** पढ़ ले तो उसकी ये कैफ़ियत दूर हो जाए। ये इर्शाद सुनकर लोगों ने उस शख़्स से कहा, क्या तुमने नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद नहीं सुना? कहने लगा, मैं दीवाना नहीं हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 76)**

बाब 32 : चेहरे पर मारने की मुमानअत

1678. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुममें से कोई शख़्स किसी से लड़ाई करे तो उसे चाहिए कि मुँह पर मारने से इज्तिनाब करे (बचे)।
(सहीह बुख़ारी किताबुल इत्क़ बाब 20)

बाब 34 : अगर कोई शख़्स मस्जिद, बाज़ार या ऐसे मक़ाम पर जहाँ लोगों का इज्तिमाअ हो, (वहाँ) हथियार लेकर चले तो उसे हुक्म दिया जाए कि हथियार के पैकान को सम्भालकर चले

1679. हदीष जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स तीर लेकर मस्जिद में से गुज़रा तो नबी करीम (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया, इन तीरों के पैकानों को सम्भाल कर चलो।
(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 66)

1680. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स मस्जिद या बाज़ार में से तीर लेकर गुज़रे तो उसे चाहिए कि उनके फलों (पैकानों) को मज़बूती से थामकर और महफ़ूज़ तरीक़े से सम्भालकर ले जाए। या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तीरों के फल को हाथ से पकड़कर गुज़रे कि कहीं किसी मुसलमान को न लग जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 7)**

बाब 35 : मुसलमान को हथियार दिखाकर धमकाना मना है

1681. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई को हथियार दिखाकर न धमकाए क्योंकि हो सकता है शैत़ान उसका हाथ डगमगा दे और (वो शख़्स हलाक या ज़ख़्मी हो जाए और नतीजतन) ये ह़रकत करने वाला जहन्नम में जा गिरे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 7)

बाब 36 : रास्ते से नुक़्स़ानदेह चीज़ को हटाने का ष़वाब

1682. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स रास्ते पर चला जा रहा था कि उसने सरे राह एक कांटेदार टहनी पड़ी देखी और उसे परे हटा दिया तो अल्लाह तआला ने उसकी इस नेकी को क़ुबूल कर लिया और उसे बख़्श दिया।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 32)

बाब 37 : नुक़स़ान न पहुँचाने वाले जानवरों को सताना ह़राम है

1683. हदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अ़ज़ाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को क़ैद में रखा यहाँ तक कि वो मर गई और जब से क़ैद किया न उसे कुछ खिलाया न पिलाया और न उसे कहीं जाने दिया कि ज़मीन के कीड़े–मकोड़े खा सकती और वो औरत इस गुनाह की वजह से जहन्नम में गई।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 54)

बाब 42 : पड़ौसी के ह़क़ अदा करने और पड़ौसी के साथ अच्छा सुलूक करने की ताकीद

1684. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) मुझे पड़ौसी के सिलसिले में बार–बार इस क़दर ताकीद करते रहे कि मुझे गुमान गुज़रा कि उसे मीराष़ में से ह़िस्स़ा दिलवाएँगे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 28)**

1685. हदीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) मुझे लगातार पड़ौसी के बारे में ताकीद करते रहे यहाँ तक कि मुझे ख़याल होने लगा कि अ़न्क़रीब उसे मीराष़ में ह़िस्स़ा दिलवाएँगे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 28)**

बाब 44 : जाइज़ काम के लिये सिफ़ारिश करना मुस्तह़ब है

1686. हदीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में जब कोई साइल आता या आप (ﷺ) से कोई ज़रूरत पूरी करने को कहा जाता तो आप (ﷺ) फ़र्माते, सिफ़ारिश

करो तुमको अज्र मिलेगा और अपने नबी (ﷺ) की ज़ुबान से तो अल्लाह तआला वही फ़ैसला कराएगा जो वो चाहे।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 21)

बाब 45 : नेक लोगों की सुहबत में बैठना और बुरे हमजोलियों से दूर रहना मुस्तहब है

1687. हदीष अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नेक मुसाहिब और बुरे हमनशीन की मिषाल मुश्क बेचने वाले और भट्टी धोंकने वाले की सी है। मुश्क बेचने वाला या तो तुझे तोहफ़तन मुश्क देगा या तू उससे ख़रीदेगा वरना तुझे कम अज़ कम उससे अच्छी ख़ुश्बू तो पहुँचेगी लेकिन भट्टी धोंकने वाला या तो तेरे कपड़े जला देगा या तुझे उससे बदबू पहुँचेगी।

(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़ाइह वस्सैद बाब 31)

बाब 46 : बेटियों के साथ अच्छा सुलूक करने का षवाब

1688. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे पास एक औरत आई, जिसके साथ दो बेटियाँ थीं और उसने मुझसे सवाल किया। उस वक़्त मुझे एक खजूर के सिवा देने को कुछ न मिला, मैंने खजूर दे दी तो उसने वो खजूर अपनी दोनों बेटियों में बांट दी और ख़ुद कुछ न खाया और उठकर चली गई। फिर नबी करीम (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने आप (ﷺ) से उसका वाक़िया बयान किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसके घर बेटियाँ हों जिनको आम तौर पर मुसीबत समझा जाता है, उसके लिये ये बेटियाँ रोज़े क़ियामत आग के आगे पर्दा बन जाएँगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात बाब 10)**

बाब 47 : उस शख़्स का षवाब जिसका बेटा मर जाए और वो उस पर अल्लाह की ख़ातिर सब्र करे

1689. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस मुसलमान के तीन बच्चे मर जाएँ (और वो उनकी मौत पर सब्र करे) तो जहन्नम में नहीं जाएगा मगर इतना जिससे क़सम पूरी हो जाए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 6)**

1690. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक औरत हाज़िर हुई और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मर्द तो आपके इर्शादात से पूरी तरह मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होते हैं, आप (ﷺ) हमारे लिये भी एक दिन मुक़र्रर कर दीजिए ताकि उस दिन हम औरतें आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हों और आप (ﷺ) हमको वो बातें तल्क़ीन करें जो आपको अल्लाह तआला ने ता'लीम फ़र्माई है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम औरतें फ़लाँ दिन फ़लाँ मकान में जमा हो जाया करो। चुनाँचे वो सब जमा हो गईं और नबी करीम (ﷺ) वहाँ तशरीफ़ लाए और उनको दीन की वो बातें तअलीम फ़र्माई जो आप (ﷺ) को अल्लाह तआला ने ता'लीम फ़र्माई थीं। उसके बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर वो औरत जिसके तीन बच्चे वफ़ात पा जाएँ (और वो उस पर साबिर रहे) ये बच्चे उसके लिये जहन्नम से पर्दा बन जाएँगे। ये सुनकर एक

औरत ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! और अगर दो हों ? रावी बयान करते हैं कि उस औरत ने ये बात दो बार दोहराई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ, दो भी, दो भी, दो भी (तीन बार)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ऐतसाम बाब 9)**

1691. **हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) :** अब्दुर्रहमान अस्फ़हानी (रह.) ने ज़क्वान (रह.) के हवाले से ये हदीष़ हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत की है और अब्दुर्रहमान अस्फ़हानी (रह.) बयान करते हैं कि मैंने अबू हाज़िम (रह.) को हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से यही हदीष़ बयान करते सुना (जिसमें ये वज़ाहत भी है) कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन बच्चे जो बालिग़ न हुए हों (अगर किसी औरत के वफ़ात पा जाएँ तो वो उसके लिये जहन्नम से पर्दा बन जाएँगे)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 36)**

बाब 48 : अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से मुहब्बत करता है तो उसे अपने बन्दों का महबूब बना देता है

1692. **हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) :** हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला जब अपने किसी बन्दे से मुहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) को याद फ़र्माकर ख़बर करता है कि अल्लाह तआला फ़लाँ शख़्स से मुहब्बत करता है लिहाज़ा तुम भी उसे महबूब रखो। चुनाँचे हज़रत जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) भी उससे मुहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) आसमान में मुनादी कर देते हैं कि अल्लाह तआला फ़लाँ शख़्स से मुहब्बत करता है लिहाज़ा तुम सब भी उससे मुहब्बत करो। फिर अहले आसमान उससे मुहब्बत करने लगते हैं और ज़मीन वालों में भी उसके लिये मक़्बूलियत पैदा कर दी जाती है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 33)**

बाब 50 : आदमी उसी का साथी है जिससे मुहब्बत करता है

1693. **हदीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) :** हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (स)! क़ियामत कब आएगी? आप (स) ने फ़र्माया, तुमने उसके लिये क्या तैयारी की है? कहने लगा, **मैंने उसकी तैयारी के सिलसिले में न तो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं न बहुत रोज़े रखे हैं न बहुत ज़्यादा सदक़ा किया है अल्बत्ता मैं अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) से मुहब्बत करता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तू उसी के साथ है जिससे तू मुहब्बत करता है। (सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 96)**

1694. **हदीष़ अबू मूसा (रज़ि.) :** हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम(ﷺ) से पूछा गया कि एक शख़्स कुछ लोगों से मुहब्बत करता है लेकिन आमाल में उनकी बराबरी नहीं कर पाता? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान उन्हीं के साथ होगा जिनसे मुहब्बत करता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 96)**

किताबुल क़द्र

तक़दीर का बयान

बाब 1 : माँ के पेट में तख़्लीक़े–इंसान की कैफ़ियत और उसके रिज़्क़, उम्र, आमाल, बदबख़्ती और ख़ुशबख़्ती का लिखा जाना

1695. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हमसे नबी करीम (ﷺ) ने हदीष बयान फ़र्माई, आप (ﷺ) सादिक़ हैं और आप (ﷺ) का सादिक़ होना मुसल्लम है। फ़र्माया, तुममें से हर शख़्स की पैदाइश माँ के पेट में इस तरह तश्क़ील पाती है कि पहले चालीस दिन तक (नुत्फ़े की सूरत में) रहता है फिर उतने ही दिन ख़ूने बस्ता की शक्ल में रहता है फिर उतने ही दिन मज़्ग़ा गोश्त की सूरत में रहता है उसके बाद अल्लाह तआला एक फ़रिश्ते को भेजता है और उसे चार बातों का हुक्म दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि उसके आमाल, उसका रिज़्क़ और उसकी उम्र लिखो और ये भी लिखो कि ये बदबख़्त होगा या ख़ुशबख़्त। फिर उसमें रूह फूँकी जाती है। और फिर होता ये है कि तुममें से एक शख़्स (नेक) काम करता रहता है और वो कोई काम जहन्नमियों का सा कर गुज़रता है (और जहन्नम में चला जाता है) उसी तरह एक शख़्स (बुरे) काम करता रहता है इतने ज़्यादा कि उसके और दोज़ख़ के बीच एक गज़ का फ़ासला रह जाता है फिर उस तक़्दीर का लिखा ग़ालिब आ जाता है और कोई काम जन्नतियों का सा कर गुज़रता है (और जन्नत में चला जाता है)। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क बाब 6)**

1696. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने रहम पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर कर रखा है जो कहता है, या रब! अभी नुत्फ़ा है। या रब! अभी ख़ून की फटकी है। या रब! अब गोश्त का लोथड़ा है। फिर अगर अल्लाह तआला उसकी तख़्लीक़ का फ़ैसला सादिर फ़र्मा देता है तो वो फ़रिश्ता कहता है। ये लड़का है या लड़की? बदबख़्त है या नेकबख़्त? इसका रिज़्क़ कितना है? इसकी उम्र कितनी है? और फिर ये सब बातें माँ के पेट में ही लिख दी जाती हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हैज़ बाब 17)**

1697. हदीष अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम एक जनाज़े के साथ बक़ीअ ग़रक़द (मदीना का क़ब्रिस्तान) में थे कि नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ ले आए और बैठ गये और हम सब भी आप (ﷺ) के आसपास बैठ गए, आप (ﷺ) के दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी, आपने अपना सर झुका लिया और छड़ी से ज़मीन कुरेदने लगे। फिर फ़र्माया, तुममें से एक भी (या'नी एक भी जानदार) ऐसा नहीं कि जन्नत में या दोज़ख़ में उसका मक़ाम लिखा हुआ न हो। गोया ये बात पहले से तहरीरशुदा है कि ये रूह बदबख़्त है या नेकबख़्त। एक शख़्स ने

कहा, अगर ये बात है या रसूलल्लाह (ﷺ)! तो फिर हम तक़्दीर के लिखे पर भरोसा करके क्यों न बैठे रहें और अ़मल क्यों न छोड़ दें? क्योंकि हममें से जो शख़्स़ ख़ुशनस़ीब में से होगा वो अज़ ख़ुद ख़ुशबख़्तों की तरह अ़मल करेगा और जो बदबख़्तों में से होगा वो अज़ ख़ुद बदबख़्तों की तरह अ़मल करेगा। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ह़क़ीक़त ये है कि अहले सआ़दत (ख़ुशनस़ीबों) को अच्छे और नेक काम करने की तौफ़ीक़ मयस्सर आती है और बदनस़ीबों को बुरे कामों की तौफ़ीक़ नस़ीब आती है। फिर आप (ﷺ) ने ये आयते करीमा तिलावत फ़र्माई **वस्समाइ व मा बनाहा. वल अर्ज़ि व मा तहाहा. व नफ़्सिंव व मा सव्वाहा. फ़अल्हमा फ़ुजूरहा व तक़्वाहा. क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा. व क़द ख़ाब मन दस्साहा.** (तर्जुमा) **तो जिसने (अल्लाह की राह में) माल दिया और (अल्लाह की नाफ़र्मानी से) परहेज़ किया और भलाई को सच माना उसको मैं आसान रास्ते की सहूलत दूँगा। और जिसने बुख़्ल किया और (अल्लाह से) बेनियाज़ी बरती और भलाई को झुठलाया उसको मैं सख़्त रास्ते के लिए सहूलत दूँगा।** (सूरह लैल : 5-10) **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 83)**

1698. ह़दीष़ इमरान बिन ह़ुस़ैन (रज़ि.) : ह़ज़रत इमरान (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स़ ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या अहले जन्नत और अहले जहन्नम (पहले से) एक–दूसरे से मुम्ताज़ और मअ़रूफ़ हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर शख़्स़ वही अ़मल करता है जिसके लिए वो पैदा किया गया है, या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसकी उसे तौफ़ीक़ दी गई। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल क़द्र बाब 2)**

1699. ह़दीष़ सहल बिन सअ़द साएदी (रज़ि.) : ह़ज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स़ लोगों के देखने में अहले जन्नत के से अ़मल करता है लेकिन वो जहन्नमी होता है उसी त़रह़ एक शख़्स़ लोगों के देखने में दोज़ख़ियों जैसे अ़मल करता है लेकिन वो जन्नती होता है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 77)

बाब 2 : ह़ज़रत आदम (अ़लैहिस्सलाम) और ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का मुनाज़रा

1700. ह़दीष़ अबू ह़ुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू ह़ुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ह़ज़रत आदम और ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने एक–दूसरे से मुनाज़रा किया। ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा, ऐ आदम (अ़लैहिस्सलाम)! आप हमारे बाप हैं लेकिन आपने हमें नामुराद किया! हमें जन्नत से निकलवा दिया। जवाबन ह़ज़रत आदम (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा, ऐ मूसा (अ़लैहिस्सलाम)! अल्लाह तआ़ला ने तुमको अपनी हमकलामी से बरगुज़ीदा किया और तुमको अपने हाथ से (अलवाह़ तौरात) लिखकर दी (इतने बुलन्द मर्तबे पर फ़ाइज़ होते हुए) क्या तुम मुझे एक ऐसी बात पर मलामत करना चाहते हो जो ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने मेरी तख़्लीक़ से चालीस साल पहले मेरी तक़्दीर में लिख दी थी? (नबी करीम ﷺ ने फ़र्माया) तो इस दलील के ज़ोर से आदम (अ़लैहिस्सलाम) ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) पर ग़ालिब आ गए, ये बात आपने तीन बार फ़र्माई।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल क़द्र बाब 11)

बाब 5 : इब्ने आदम के लिये ज़िना वग़ैरह का कुछ न कुछ हिस्सा मुक़द्दर है

1701. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने इब्ने आदम की तक़्दीर में (कम व बेश) ज़िना का हिस्सा लिख दिया है जो बहरहाल उसे मिलता है। लिहाज़ा (ग़ैर औरत को शहवत की नज़र से देखना) आँखों का ज़िना है और (ग़ैर औरत से नाजाइज़ बातचीत करना) ज़ुबान का ज़िना है और नफ़्से इंसानी आरज़ुएं करता और शहवात में मुब्तला (लिप्त) रहता है (ये फ़िक्र का ज़िना है) लेकिन शर्मगाह इस अमल को सच्चा षाबित कर देती या झूठा षाबित कर देती है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल इस्तीज़ान बाब 12)

बाब 6 : इस बात का बयान कि हर बच्चा दीने फ़ित्रत पर पैदा होता है और ये सवाल कि काफ़िरों और मुसलमानों की जो औलाद बचपन में मर जाती है वो जन्नती है या जहन्नमी?

1702. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर बच्चा (काफ़िर का या मुसलमान का) दीने फ़ित्रत (या'नी इस्लाम) पर पैदा होता है उसके ब'ाद उसके माँ-बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। बिलकुल उसी तरह जैसे चौपाया जानवर हमेशा सालिमुल अअज़ा बच्चा जनता है। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी जानवर का बच्चा कान कटा पैदा हुआ हो? ये हदीष बयान करने के बाद हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ये आयते करीमा तिलावत किया करते थे, **फ़-अक़िम वज्हक लिद्दीनि हनीफ़न फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़लक़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिमु व लाकिन्न अक्षरन्नासि ला यअलमून** (तर्जुमा) **अल्लाह की वो फ़ित्रत जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया, अल्लाह की बनाई हुई साख़्त बदली नहीं जा सकती, यही बिलकुल रास्त और दुरुस्त दीन है।** (सूरह रूम : 30)

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 8)

1703. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से मुश्रिकीन की नाबालिग़ औलाद के बारे में पूछा गया (कि वो जन्नत में जाएगी या दोज़ख़ में?) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला बेहतर जानता है कि बड़े होकर वो क्या अमल करने वाले थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 93)

1704. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से मुश्रिकों की औलाद (जो नाबालिग़ मर जाए) के बारे में पूछा गया (कि वो जन्नती है या जहन्नमी?) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्हें चूँकि पैदा अल्लाह तआला ने फ़र्माया है इसलिये वही बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर क्या करने वाली थीं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 93)

किताबुल इल्म

बाब 1 : क़ुर्आन मजीद की मुतशाबेह आयात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और जो शख़्स़ ऐसा करे उससे बचना ज़रूरी है

1705. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ये आयते करीमा तिलावत फ़र्माई, **हुवल्लज़ी अन्ज़ल अलैकल किताब ....** तर्जुमा : **उसी अल्लाह ने ये किताब तुम पर नाज़िल की है। इस किताब में दो तरह़ की आयात हैं। एक मुह़कमात जो किताब की अस़्ल बुनियाद हैं और दूसरी मुतशाबिहात। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ापन है वो फ़ित्ने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मा'नी पहनाने की कोशिश करते हैं। हालाँकि उनका ह़क़ीक़ी मफ़्हूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ब–ख़िलाफ़ इसके जो लोग इल्म में पुख़्ताकार हैं वो कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ़ से हैं। और सच ये है कि किसी चीज़ से स़ही सबक़ स़िर्फ़ दानिशमन्द लोग ही ह़ास़िल करते हैं।** (आले इमरान : 7)

ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (स) ने फ़र्माया, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो क़ुर्आन मजीद की मुतशाबिह आयात का खोज लगाने की कोशिश करते हैं तो ये समझ लो कि यही वो लोग है जिनका नाम अल्लाह तआला ने अस़्ह़ाबे ज़ेग़ व फ़ित्ना रखा है ऐसे लोगों से बचकर रहो।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह आले इमरान बाब 1)

1706. ह़दीष़ जुन्दुब (रज़ि.) : ह़ज़रत जुन्दुब (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुर्आन मजीद को पढ़ो उस वक़्त तक जब तक तुम्हारा दिल और ज़ुबान एक–दूसरे के मुताबिक़ हो और जब दिल व ज़ुबान में इख़्तिलाफ़ हो जाए, पढ़ना छोड़ दो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन बाब 37)**

बाब 2 : सख़्त झगड़ालू लोगों का बयान

1707. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा क़ाबिले नफ़रत वो शख़्स़ है जो सख़्त झगड़ालू हो। (या'नी ह़क़ के ख़िलाफ़ और बात़िल की ह़िमायत में लड़ता हो)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 15)**

बाब 3 : यहूद व नस़ारा के त़रीक़ों को इख़्तियार करने का बयान

1708. ह़दीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन तुम लोग अपने से पहले लोगों के त़ौर–त़रीक़ों की बालिश्त–ब–बालिश्त और गज़–ब–गज़ पैरवी करोगे यहाँ तक कि अगर वो गोह के बिल में दाख़िल हुए होंगे तो तुम उसमें भी उनकी पैरवी करोगे। हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या यहूद व नस़ारा की? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो और किसकी?

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल ऐ़तस़ाम बाब 14)

बाब 5 : क़ियामत के क़रीब इल्म उठा लिया जाएगा और जिहालत व फ़ित्ना आ़म होगा

1709. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत बरपा होने की शराइत़ में से ये भी है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जिहालत का दौर दौरा होगा, शराब कष़रत से पी जाएगी और ज़िना आ़म हो जाएगा। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 21)**

1710. ह़दीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत से पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि उसमें इल्म उठा लिया जाएगा, जहल नाज़िल होगा और हरज की कष़रत होगी। हरज से मुराद क़त्ल है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 5)**

1711. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब ज़माना क़ियामत से क़रीब हो जाएगा तो (नेक) अ़मल घट जाएँगे, लोगों के दिलों में बुख़्ल (कंजूसी) और लालच डाल दिया जाएगा। हर तरफ़ फ़ित्ना व फ़साद आ़म हो जाएगा और हरज की कष़रत होगी। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हरज से क्या मुराद है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़त्ल! (आप ﷺ ने ये लफ्ज़ दो बार फ़र्माए)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 5)**

1712. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, अल्लाह तआ़ला इल्म को इस तरह़ नहीं उठाएगा कि उसे लोगों के दिलों में से मह़्व (ख़त्म) कर देगा बल्कि इल्म इस तरह़ ख़त्म होगा कि उ़लमा ख़त्म हो जाएँगे यहाँ तक कि जब एक भी आ़लिम बाक़ी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे और उनसे इस्तिफ़्सारात किये जाएँगे और वो इल्म के बग़ैर फ़तवे देंगे जो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 34)

ज़िक्रे इलाही, दुआ, तौबा और इस्तिग़फ़ार का बयान

बाब 1 : अल्लाह को याद करने के फ़वाइद

1713. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मैं अपने बन्दे के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है और जब बन्दा मेरा ज़िक्र करता है (मुझे याद करता है) उस वक़्त में उसके साथ होता हूँ, अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। और अगर वो मुझे किसी जमाअत में बैठकर याद करता है तो मैं उससे बेहतर जमाअत (फ़रिश्तों) में उसका ज़िक्र करता हूँ और बन्दा अगर मेरी तरफ़ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ़ एक हाथ बढ़ता हूँ और अगर वो मेरी तरफ़ एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ़ दो हाथ बढ़ता हूँ और अगर वो मेरी तरफ़ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ़ दौड़ता हुआ आता हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 15)**

बाब 2 : अस्मा–ए–बारी तआला का बयान और उनको याद करने वाले की फ़ज़ीलत

1714. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला के निन्नानवे (99) नाम हैं या'नी एक कम सौ। जो शख़्स इन नामों को याद करेगा वो जन्नत मे जाएगा और एक दूसरी रिवायत में इतना इज़ाफ़ा है कि अल्लाह तआला वित्र (वाहिदुल अहद, बेनज़ीर व बेमिषाल) है इसलिये वो अमलों में वित्र (ताक़) पसन्द फ़र्माता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुश्शुरूत बाब 18, सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 68)

नोट : इस हदीष का मफ़हूम यह नहीं है कि लोग अल्लाह के नामों को रटकर याद कर लें या अल्लाह तआला के पाक नामों को लिखकर घर में टांग लें बल्कि अल्लाह के नामों को याद करने का मतलब यह है कि बन्दे के दिल में अल्लाह की अज़्मत दाख़िल हो जाए, जो अल्लाह के नामों से ज़ाहिर होती है। मिषाल के तौर पर अल्लाह का एक नाम 'सलाम' है जिसका मतलब है, सलामती देने वाला; इस नाम को याद करने का मतलब है कि बन्दा सच्चे दिल से ये यक़ीन करे कि उसकी सलामती सिर्फ़ अल्लाह के इख़्तियार में है, किसी और के हाथों में नहीं। इसी तरह अल्लाह का एक नाम 'रज़्ज़ाक़' है जिसका मतलब होता है, रिज़्क़ (आजीविका) देने वाला; इस नाम को याद करने का मतलब है कि रोज़ी देने का इख़्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। न तो कोई इन्सान उसे रिज़्क़ दे सकता है और न ही उसके मुक़द्दर में लिखा हुआ रिज़्क़ छीन सकता है। लिहाज़ा जन्नत में जाने के लिये ज़रूरी है कि अल्लाह के जितने भी नाम हैं, उनके मतलब के मुताबिक़ अल्लाह पर कामिल ईमान रखा जाए।

बाब 3 : दुआ पूरे वुषूक़ व ऐतिमाद (भरोसे) से माँगना चाहिए ये नहीं कहना चाहिए कि ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो ऐसा कर दे वग़ैरह

1715. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से कोई शख़्स़ जब दुआ माँगे तो बड़े अ़ज़्म व ऐतिमाद से अल्लाह तआ़ला से सवाल करे ये हर्गिज़ न कहे, ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझे दे दे, इसलिये कि अल्लाह तआ़ला वो ज़ात है जिसे कोई मजबूर नहीं कर सकता।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुद्दअ़वात 80 बाब 21)

1716. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स़ को दुआ में ये नहीं कहना चाहिए कि ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझे बख़्श दे। ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझ पर रह़म फ़र्मा, बल्कि पुरज़ोर त़रीक़े से और पूरे वुषूक़ व ऐतिमाद के साथ सवाल करे इसलिये कि अल्लाह तआ़ला को कोई मजबूर नहीं कर सकता। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुद्दअ़वात बाब 21)**

नोट : लोग दुनियावी ग़रज़ से जब किसी नेता या अफ़सर को दरख़्वास्त (प्रार्थना पत्र) लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं, 'मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी फलां माँग पर ज़रूर ग़ौर करेंगे ....।' कितनी अ़जीब बात है कि जब एक इन्सान किसी दूसरे इन्सान से सवाल करता है तो उससे पूरी उम्मीद व भरोसा रखता है, लेकिन वही इन्सान जब अल्लाह से सवाल करता है तो शक वाले अल्फ़ाज़ काम में लेता है कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे फ़लां चीज़ दे ....। बयान की गई ह़दीष़ का मफ़हूम यही है कि जब अल्लाह से कुछ माँगा जाए तो उस पर पूरा-पूरा यक़ीन रखा जाए कि अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर-ज़रूर सुनेगा और उसकी माँग पूरी करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अल्लाह से दुआ माँगते हैं और बज़ाहिर हमें वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं लेना चाहिये कि अल्लाह ने उसकी दरख़्वास्त नामंज़ूर कर दी है। एक ह़दीष़ में अल्लाह के रसूल (ﷺ) का इर्शादे-गिरामी है,

जो शख़्स़ अल्लाह से सवाल करता है तो अल्लाह तआ़ला तीन चीज़ों में से एक ज़रूर दे देता है; (1) या तो उसे वही चीज़ अता कर देता है जिसका उसने सवाल किया, (2) या उससे बेहतर कोई और चीज़ अता कर देता है, (3) या उसके ज़रिये कोई आने वाली बड़ी मुसीबत को उससे दूर कर देता है। (अहमद, तिर्मिज़ी, हिस्ने हसीन)

नबी-ए-करीम (ﷺ) ने यह भी इर्शाद फ़र्माया, दुआ करने से आजिज़ मत हो और उससे ग़फ़लत मत करो क्योंकि दुआ करने वाला कभी बर्बाद व हलाक़ नहीं होता है। (इब्ने हिब्बान)

एक और ह़दीष़ में आप (ﷺ) ने यह इर्शाद फ़र्माया, दुआ उस बला से नजात दिलाती है जो उतर चुकी है और उससे भी जो अभी तक नहीं उतरी है (बल्कि उतरने वाली है)। जब कोई बला व मुसीबत नाज़िल होती है तो दुआ उससे जाकर टकराती है और दोनों से लड़ती है यानी बला आसमान से उतरना चाहती है और दुआ उसे रोकती है। दुआ और बला का यह मुक़ाबला क़यामत तक जारी रहेगा। (बज़्ज़ार, तबरानी, मिश्कात)

बाब 4 : तकलीफ़ या मुसीबत के वक़्त मौत की आरज़ू करना मकरूह है

1717. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी पर अगर कोई तकलीफ़ या मुसीबत नाज़िल हो जाए तो वो (उससे घबराकर) मौत की तमन्ना हर्गिज़ न करे। अगर मौत की तमन्ना करना बहुत ज़रूरी हो तो फिर इस तरह़ दुआ मांगे, ऐ अल्लाह! मुझे ज़िन्दा रख उस वक़्त तक जब तक ज़िन्दा रहना मेरे लिये ख़ैर व बेहतर हो और अगर मौत मेरे लिये ख़ैर व बेहतर है तो मुझे मौत दे दे।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुद्दअ़वात बाब 30)

1718. हदीष़ ख़ब्बाब (रज़ि.) : क़ैस बिन अबी हाज़िम (रह.) बयान करते हैं कि मैं ह़ज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) के पास गया, उन्होंने (किसी बीमारी की वजह से) अपने पेट पर सात दाग़ लगवाए थे। उस ह़ालत में मैं उनको कहते सुना, अगर नबी करीम (ﷺ) ने मौत की दुआ मांगने से मना न किया होता तो मैं इस वक़्त मौत की दुआ ज़रूर मांगता।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 30)

बाब 5 : जो अल्लाह तआला से मुलाक़ात का ख़्वाहिशमन्द हो अल्लाह भी उससे मिलना पसन्द फ़र्माता है और जो अल्लाह तआला से मिलना नापसन्द करता हो अल्लाह भी उससे मिलना नापसन्द करता है।

1719. हदीष़ उबादा बिन सामित (रज़ि.) : ह़ज़रत उबादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो अल्लाह तआला से मुलाक़ात का ख़्वाहिशमन्द हो अल्लाह तआला भी उससे मुलाक़ात करना पसन्द फ़र्माता है और जो अल्लाह तआला से मिलना नापसन्द करे तो अल्लाह तआला भी उससे मिलना नापसन्द करता है।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 41)

1720. हदीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला से मिलना पसन्द करता है अल्लाह तआला भी उससे मिलना पसन्द करता है और जो शख़्स अल्लाह तआला से मिलना नापसन्द करता है अल्लाह तआला भी उससे मिलना नापसन्द करता है।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 41)

बाब 6 : ज़िक्रे इलाही, दुआ और अल्लाह तआला का क़ुर्ब तलाश करने की फ़ज़ीलत

1721. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माता है कि मैं अपने बन्दे के लिये वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है।** और जब मेरा बन्दा मेरा ज़िक्र करता है (मुझे याद करता है) उस वक़्त मैं उसके साथ होता हूँ, अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ और अगर वो मुझे किसी जमाअत में बैठकर याद करता है तो मैं उससे बेहतर जमाअत (फ़रिश्तों) में बैठकर याद करता हूँ। और बन्दा अगर मेरी तरफ़ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ़ एक हाथ बढ़ता हूँ और अगर वो मेरी तरफ़ एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ़ दो हाथ बढ़ता हूँ और अगर वो मेरी तरफ़ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ़ दौड़ता हुआ आता हूँ।

(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 15)

नोट : इस हदीष़ से नीचे लिखी बातों का पता चलता है :–

01. अल्लाह बन्दे के गुमान के साथ है; यानी बन्दा जैसा ख़याल अल्लाह के बारे में रखता है, अल्लाह तआला उसी के मुताबिक़ उसके साथ सुलूक करता है। अगर बन्दा अल्लाह के बारे में कामिल ईमान रखते हुए गुमान करता है कि अल्लाह दुआओं को सुनता है और वो मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा तो अल्लाह तआला उसके गुमान के मुताबिक़ उसे अज्र अता करता है। इसी तरह अगर कोई अल्लाह के बारे में बदगुमानी करता है कि अल्लाह तो मेरी फ़रियाद सुनता ही नहीं है तो अल्लाह तआला उसे उसके हाल पर छोड़ देता है क्योंकि अल्लाह तआला किसी नाशुक्रे को

पसन्द नहीं करता।

02. जब बन्दा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह उसके साथ होता है। यानी जब बन्दा सच्चे दिल से अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह की रहमत उसे अपने साये में ले लेती है।

03. जब बन्दा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी उसे याद करता है। मतलब यह है कि जो बन्दा अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल हो तो अल्लाह उस बन्दे से बेनियाज़ है, यानी अल्लाह को ऐसे बन्दे की कोई ज़रूरत नहीं।

04. बन्दा जब अल्लाह की राह में क़दम बढ़ाता है तो अल्लाह की रहमत उससे दोगुनी रफ़्तार से आगे बढ़कर उसका इस्तिक़बाल करती है और उसकी मदद करती है।

बाब 8 : ज़िक्रे इलाही की मजलिसें मुनअक़िद करने का षवाब

1722. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में फिरते हैं और अहले ज़िक्र को तलाश करते हैं। फिर अगर उन्हें कहीं कुछ लोग अल्लाह का ज़िक्र करते मिल जाते हैं तो वो अपने साथियों को पुकारते हैं कि आ जाओ! जिस चीज़ की तुम्हें तलाश थी मिल गई। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर फ़रिश्ते अहले ज़िक्र हज़रात को अपने परों से आसमान तक ढांप लेते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर उनसे अल्लाह तआला पूछता है हालाँकि वो ख़ुद ज़्यादा जानता है। मेरे बन्दे क्या कहते हैं? फ़रिश्ते जवाब देते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी बड़ाई बयान करते हैं, तेरी हम्द करते हैं और तेरी बुज़ुर्गी बयान करते हैं। अल्लाह तआला पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फ़रिश्ते जवाब देते हैं, नहीं अल्लाह की क़सम! उन्होंने तुझे नहीं देखा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, रब्बे करीम इर्शाद फ़र्माता है, अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो फिर उनकी क्या कैफ़ियत होती? फ़रिश्ते कहते हैं कि अगर उन्होंने तुझे देख लिया होता तो ये तेरी इबादत करने में और तेरी बुज़ुर्गी बयान करने में और ज़्यादा शिद्दत इख़्तियार करते और तेरी तस्बीह और ज़्यादा करते।

बारी तआला पूछता है, ये मुझसे क्या मांगते हैं? फ़रिश्ते कहते हैं, ये तुझसे जन्नत के तलबगार हैं। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला पूछता है, क्या उन लोगों ने जन्नत देखी है? फ़रिश्ते कहते हैं, नहीं अल्लाह की क़सम! ऐ रब्बे करीम उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। रब्बे करीम फ़र्माता है, अगर उन लोगो ने जन्नत को देख लिया होता तो उनकी कैफ़ियत क्या होती? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि अगर कहीं उन्होंने जन्नत को देख लिया होता तो यक़ीनन उन्हें उसकी ख़्वाहिश कहीं ज़्यादा होती, ज़्यादा शिद्दत से उसके तलबगार होते और उनको उसकी रग़्बत और ज़्यादा होती।

बारी तआला पूछता है, अच्छा ये लोग किस चीज़ से पनाह मांगते हैं? मलाइका कहते हैं, दोज़ख़ से पनाह मांगते हैं। अल्लाह तआला पूछता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? मलाइका अर्ज़ करते हैं, नहीं अल्लाह की क़सम! उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। रब्बे करीम पूछता है कि अगर उन्होंने दोज़ख़ को देखा होता तो उनकी कैफ़ियत क्या होती? मलाइका अर्ज़ करते हैं, अगर कहीं उन्होंने उसे देख लिया होता तो उससे और ज़्यादा दूर भागते और कहीं ज़्यादा डरते।

रब्बे करीम इर्शाद फ़र्माता है, अच्छा तुम सब गवाह रहना, मैंने उनको बख़्श दिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त एक फ़रिश्ता अर्ज़ करेगा, उनमें फ़लाँ शख़्स भी था जो उन ज़ाकिरीन (ज़िक्र करने वालों) में शामिल नहीं है महज़ अपने किसी काम से वहाँ आ गया था। रब्बे करीम कहेगा, ये सब हमनशीन थे और उनके साथ उस मजलिस में बैठनेवाला एक भी बदनसीब न रहेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 66)**

नोट : इस हदीष में अल्लाह का ज़िक्र करने वालों की फ़ज़ीलत बयान की गई है। जो लोग अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उनकी तलाश में अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते रहते हैं। फ़रिश्ते अल्लाह के सामने उन बन्दों के ज़िक्रो-अज़्कार की कैफ़ियत बयान करते हैं, हालाँकि अल्लाह दिलों का भेद जानता है, वो अन्तर्यामी है। फ़रिश्ते जब नेक लोगों के

अज़्कार की अल्लाह के आगे गवाही देते हैं तो अल्लाह उनके सामने उन नेक बन्दों को बख़्श देने का ऐलान करता है। इस ह़दीष़ में ऐसे शख़्स़ के लिये भी बख़्शिश की बशारत दी गई है जो ख़ुद तो ज़िक्र करने वालों में शामिल नहीं था लेकिन उन ज़िक्र करने वालों से मिलने आया था।

बाब 9 : ये दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया ह़सनतंव व फ़िल् आख़िरति ह़सनतंव् व क़िना अ़ज़ाबन्नार मांगने का ष़वाब

1723. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की दुआ अकष़र ये हुआ करती थी, **अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया ह़सनतंव् व फ़िल् आख़िरति ह़सनतंव व क़िना अ़ज़ाबन्नार** तर्जुमा : **ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी अच्छाई अ़ता कर और आख़िरत की अच्छाई भी अ़ता कर और आग के अ़ज़ाब से बचा।** **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुद्दअ़वात बाब 55)**

नोट : इसा दुआ में दोनों जहान की कामयाबी छुपी हुई है। अगर किसी बन्दे को दुनिया और आख़िरत दोनों जगह भलाई मिल जाए जाए तो उससे ज़्यादा ख़ुशनस़ीब और कौन होगा? लिहाज़ा इस दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा मांगा जाना चाहिये और यह हमारी आ़दत बन जानी चाहिये।

बाब 10 : ला इलाहा इल्लल्लाह और सुब्ह़ानल्लाह कहने और दुआ मांगने का ष़वाब

1724. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स़ हर रोज़ सौ बार ये कलिमात पढ़ता है, **ला इलाहा इल्लल्लाहु वह़दहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क वलहुल ह़म्दु व हुव अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर** तर्जुमा : **अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वो यकता (अकेला) व बेमिष़ाल (अद्वितीय) है, कोई उसका (किसी बात में) कोई शरीक नहीं, हुकूमत भी उसी की है और हर तरह़ की ह़म्दो–ष़ना (प्रशंसा, वन्दना) भी उसी के लिये है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है;** उसे दस गुलाम आज़ाद करने के बराबर ष़वाब मिलेगा, उसके नाम–ए–आमाल में सौ नेकियाँ लिखी जाएँगी और उसमें से सौ गुनाह मिटा दिये जाएँगे और ये कलिमात उस दिन सुबह़ से शाम तक के लिए शैत़ान से उसकी ह़िफ़ाज़त करेंगे और उस दिन उससे बेहतर अ़मल किसी और का न होगा सिवाए उसके जिसने ये कलिमात सौ बार से ज़्यादा पढ़े होंगे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 11)**

1725. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स़ ने दिन में सौ बार ये कलिमात पढ़े, **सुब्ह़ानल्लाह वबिह़म्दिही** तर्जुमा : **पाक है ज़ाते–बारी तआ़ला हर नुक़्स़ व ऐ़ब से और मैं उसकी ह़म्दो–ष़ना बयान करता हूँ,** उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाएँगे ख़्वाह वो समुन्दर की झाग की त़रह़ बहुत ज़्यादा ही क्यूँ न हों। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुद्दअ़वात बाब 65)**

1726. ह़दीष़ अबू अय्यूब अन्स़ारी (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू अय्यूब अन्स़ारी (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स़ ने दस बार ये कलिमात पढ़े, **ला इलाहा इल्लल्लाहु वह़दहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल ह़म्दु व हुव अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर** तर्जुमा : **नहीं कोई लायक़े इबादत सिवाए अल्लाह के, वो यकता व बेमिष़ाल है कोई उसका (किसी बात में) शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और**

हर तरह की हम्दो-षना भी उसी के लिये है और वो हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है, उसे इतना षवाब मिलेगा गोया उसने औलादे इस्माईल (अलैहिस्सलाम) में से एक गुलाम आज़ाद कराया।

(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 64)

1727. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दो कलिमे हैं जो ज़ुबान पर तो हल्के हैं लेकिन मीज़ाने-हिसाब में भारी और रब्बे रहीम को बहुत पसन्द हैं (वो ये हैं) **सुब्हानल्लाह वबि हम्दिही सुब्हानल्लाहिल् अज़ीम** तर्जुमा : **पाक है ज़ात अल्लाह की जो बहुत अज़्मत वाला है, अल्लाह तआला हर तरह के ऐबों व नुक़्सों से, अज़्मत वाला और पाक है और मैं उसकी हम्दो-षना करता हूँ।** (सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 65)

बाब 13 : जिक्रे इलाही पस्त (धीमी) आवाज़ में मुस्तहब है

1728. हदीष अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ैबर पर हमला किया, या आपने कहा था कि जब नबी करीम (ﷺ) ख़ैबर की तरफ़ रवाना हुए; तो लोग बुलन्दी से एक वादी को देखकर बुलन्द आवाज़ से तक्बीर कहने लगे, **अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ला इलाहा इल्लल्लाह!** तो नबी करीम (ﷺ)) ने फ़र्माया, **अपने ऊपर नर्मी करो और इस तरह न चीखो! तुम किसी बहरे या ग़ैर-हाज़िर को नहीं पुकार रहे; तुम उसको पुकार रहे हो जो हर वक़्त सुनता है, तुमसे क़रीब है बल्कि वो तो तुम्हारे साथ है।** (हज़रत अबू मूसा रज़ि. कहते हैं) मैं उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) की सवारी के पीछे था, आप (ﷺ) ने मुझे कहते सुना, **ला हौल व ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह** तर्जुमा : **न क़ुव्वत है और न ताक़त मगर अल्लाह के हुक्म से;** तो आप (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ैस! मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक! या रसूलल्लाह (ﷺ)! (या रसूलल्लाह ﷺ! मैं हाज़िर हूँ) फ़र्माया, **क्या मैं तुमको एक ऐसा कलिमा न बताऊँ जो जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है?** मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान! ज़रूर बताइए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (वो कलिमा है) **ला हौल व ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह।** (सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 38)

1729. हदीष अबूबक्र (रज़ि.) : हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से गुज़ारिश की कि मुझे कोई दुआ तल्क़ीन कीजिए जो मैं नमाज़ में पढ़ा करूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दुआ पढ़ा करो, **अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन कषीरंव व ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़्फ़िरली मग़्फ़िरतम् मिन् इन्दिका वरहम्नि इन्नका अन्तल् ग़फ़ूरुर्रहीम** तर्जुमा : **ऐ मेरे मअबूद! मैं ने ख़ुद पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है और गुनाह तेरे सिवा कोई नहीं बख़्शता लिहाज़ा तू मुझे अपनी मग़्फ़िरते ख़ास से नवाज़ और मुझ पर रहम फ़र्मा क्योंकि तू बहुत ही ज़्यादा मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला है।** (सहीह बुख़ारी किताबुल अज़ान बाब 149)

1730. हदीष अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने जनाब नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे कोई ऐसी दुआ ता'लीम फ़र्माइये जो मैं अपनी नमाज़ में पढ़ा करूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दुआ मांगा करो, **अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन कषीरंव व ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अन्ता फ़ग़्फ़िरली मग़्फ़िरतम् मिन् इन्दिका वरहम्नी इन्नका**

अन्तल् ग़फ़ूरुर्रहीम तर्जुमा : ऐ मेरे मअबूद! मैं ने ख़ुद पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है और गुनाह तेरे सिवा कोई नहीं बख़्शता लिहाज़ा तू मुझे अपनी मग़्फ़िरते ख़ास से नवाज़ और मुझ पर रहम फ़र्मा क्योंकि तू बहुत ही ज़्यादा मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। (सहीह बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 9)

बाब 14 : फ़ित्नों वग़ैरह के शर से पनाह मांगना

1731. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ये दुआ मांगा करते थे, **अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक मिन् फ़ित्नतिन्नारि, व अज़ाबन्नारि, व फ़ित्नतिल् क़ब्रि, व अज़ाबिल्क़ब्रि व शर्रि फ़ित्नतिल् ग़िना व शर्रि फ़ित्नतिल् फ़क़्रि। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन शर्रि फ़ित्नतिल् मसीहिद्दज्जाल। अल्लाहुम्मग़्सिल क़ल्बी बिमाइष्षल्जि वल् बर्दि वनक़्क़ि क़ल्बी मिनल् ख़ताया, कमा नक़्क़यतष्षौबल् अब्यज़ मिनद्दनसि। वबाइद बैनि व बयना ख़तायाय कमा बाअत्ता बयनल मश्रिकी वल् मग़्रिबी। अल्लाहुम्म! इन्नी अऊज़ुबिक मिनल् कस्लि वल् माषिमि वल् मग़रमि। तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम के फ़ित्ने से और जहन्नम के अज़ाब से और क़ब्र के फ़ित्ने से और क़ब्र के अज़ाब से और दौलतमन्दी के फ़ित्ने की बुराई से और मोहताजी के फ़ित्ने की बुराई से। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ मसीह दज्जाल के फ़ित्ने के शर से। ऐ अल्लाह! मेरे दिल को बर्फ़ और ओलों के पानी से धो दे और मेरे दिल को ग़ल्तियों और गुनाहों से इस तरह पाक व साफ़ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मेल–कुचैल से पाक होता है। और मेरे और मेरे गुनाहों के बीच इतना फ़ासला कर दे जितना फ़ासला तूने मश्रिक़ और मग़्रिब के बीच रखा है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ काहिली से और ऐसे अस्बाब व ज़राय से जो गुनाह और क़र्ज़ में मुब्तला करें।**

(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 46)

बाब 15 : इज्ज़ और सुस्ती वग़ैरह से पनाह मांगने का बयान

1732. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ये दुआ मांगा करते थे, **अल्लाहुम्म! इन्नी अऊज़ुबिका मिनल इजज़ि वल् कस्लि वल् जिब्नि वल् हरमि व अऊज़ुबिक मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ुबिका मिन फ़ित्नतिल् महया वल् ममाति। तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी से सुस्ती से बुज़दिली से और ऐसे बुढ़ापे से जो नाकारा कर दे और मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ क़ब्र के अज़ाब से और तेरी पनाह तलब करता हूँ ज़िन्दगी के फ़ित्ने से और मौत के फ़ित्ने से। (सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 38)**

बाब 16 : क़ज़ा–ए–बद और बदबख़्ती वग़ैरह में मुब्तला होने से पनाह मांगने का बयान

1733. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) बला की शिद्दत, बदबख़्ती में मुब्तला होने, क़ज़ा–ए–बद से और दुश्मनों के ख़ुश होने से पनाह मांगा करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 28)

बाब 17 : सोते वक़्त बिस्तर पर लेटकर क्या दुआ पढ़ें?

1734. हदीष़ बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम बिस्तर पर जाने का इरादा करो तो पहले वुज़ू करो जैसे नमाज़ के लिये करते हो, फिर दाँए पहलू के बल लेटकर ये दुआ पढ़ो, **अल्लाहुम्मा! इन्नी अस्लम्तु वज्हिया इलैका व फ़वज़्तु अम्री इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतंव व रहबतन् इलैक ला मल्जआ वला मन्जआ मिन्क इल्ला इलैक. अल्लाहुम्म! आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल्त व बिनबिय्यिकल्लज़ी अर्सल्त** तर्जुमा : **ऐ अल्लाह! मैं ने अपना मुँह (या'नी सर और पूरा वजूद) झुका दिया तेरे आगे और अपने तमाम मुआमलात तेरे सुपुर्द कर दिये और तुझ पर भरोसा कर लिया। मैं तेरे ष़वाब के शौक़ में और तेरे अ़ज़ाब के डर से तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं और न कोई पनाहगाह है और अगर है तो वो ख़ुद तेरी ज़ात है। ऐ अल्लाह! मैं ईमान लाया तेरी किताब पर जो तूने नाज़िल फ़र्माई और तेरे नबी (ﷺ) पर जो तूने मबऊ़ष फ़र्माया।**

ये दुआ पढ़ने के बाद अगर तुम उसी रात मर गये तो तुम दीने इस्लाम पर मरोगे और ये दुआ तुम्हारा आख़िरी कलाम होना चाहिए (या'नी इसको पढ़ने के बाद कोई दुनियावी बात न करे) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने इस दुआ को नबी करीम (ﷺ) के सामने दोहराया और जब मैं इन कलिमात पर पहुँचा, **अल्लाहुम्म आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल्त** मैंने कहा, **व रसूलुकल्लज़ी अर्सल्त** तो आप (ﷺ) ने कहा, नहीं! कहो, **व नबिय्यिकल्लज़ी अर्सल्त।** **(सहीह बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 75)**

1735. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स अपने बिस्तर पर जाए तो उसे चाहिए कि पहले बिस्तर को अपने तहबन्द से झाड़ ले क्योंकि उसे नहीं मा'लूम उसके पीछे उस पर क्या चीज़ आई फिर कहे, **बिस्मिक रब्बि वज़अतु जम्बी व बिक अर्फ़उहू इन अम्सक्त नफ़्सी फ़र्हम्हा व इन अर्सल्तहा फ़हफ़िज़्हा बिमा तहफ़िज़ु बिहिस्सालिहीन** तर्जुमा : **ऐ मेरे मालिक! मैं तेरे ही नाम से अपना पहलू बिस्तर पर रखा हूँ और तेरा ही नाम लेकर उसे बिस्तर से उठाऊँगा। अगर (आज) तू मेरी रूह क़ब्ज़ कर ले तो उस पर रहम फ़र्माइयो और अगर तू उसे आज़ाद कर दे तो उसकी उस तरह हिफ़ाज़त फ़र्माइयो जैसे तू अपने नेक बन्दों की हिफ़ाज़त फ़र्माता है।** **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 13)**

बाब 18 : अपने कर्दा और नाकर्दा आमाल के शर से पनाह मांगने का बयान

1736. हदीष़ इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ये दुआ पढ़ा करते थे, **अऊ़ज़ुबि बिइज़्ज़तिकल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अन्तल्लज़ी ला यमूतु वल जिन्नु वल इन्सु यमूतून** तर्जुमा : **मैं पनाह चाहता हूँ तेरे इ ज़्ज़त व जलाल की (ऐ मेरे मअ़बूद) कि नहीं है कोई लायक़े इ बादत सिवाए तेरे, तू जो कभी नहीं मरेगा जबकि जिन्न व इन्स सबको मौत आएगी।** (सहीह बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 7)

1737. हदीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ये दुआ मांगा करते थे, **रब्बिग़्फ़िरली ख़तीअती वजह्ली व इस्राफ़ी फ़ी अम्री कुल्लिही वमा अन्त अअ़लमु बिही मिन्नी. अल्लाहुम्मग़्फ़िरली ख़तायाय व अ़म्दी व जह्ली वहज़्ली व कुल्लु ज़ालिक इन्दी. अल्लाहुम्मग़्फ़िरली मा क़द्दम्तु वमा अख़्ख़र्तु वमा अस्रर्तु वमा अअ़लन्तु अन्तल् मुक़द्दिमु व अन्तल**

मुअख़्ख़िरु व अन्त अला कुल्लि शैइन क़दीर तर्जुमा : **ऐ मेरे मालिक! बख़्श दे मेरी चूक, मेरी नादानी और मेरी वो ज़्यादती जो मैंने ख़ुद अपने तमाम मुआमलात में की है जिसको तू मुझसे ज़्यादा जानता है। ऐ अल्लाह! मेरी ग़ल्तियाँ मेरा क़स्दे गुनाह और मेरी नादानी और मेरी हिमाक़त सब मुआफ़ कर दे, ये सब बातें मुझमें हैं। ऐ अल्लाह! मेरे तमाम अगले और पिछले, छुपे और ज़ाहिर गुनाह मुआफ़ कर दे। तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है और तू हर चीज़पर क़ादिर है।** **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 60)**

1738. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (स) ये दुआ पढ़ा करते थे, **ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहु वअजज़ जुन्दहू वन्सर अब्दहू व ग़लबल् अह्ज़ाब वह्दहू फ़ला शैइन बअदहू** तर्जुमा : **नहीं है कोई मअबूद सिवाए अल्लाह के, जो यकता व बेमिषाल है जिसने अपने लश्कर को इज़्ज़त दी, अपने बन्दे की मदद की और उसने तन्हा ही (दुश्मन के) लश्करों को मग़्लूब कर दिया उसके बाद कोई चीज़ नहीं।** **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 29)**

बाब 19 : सुबह के वक़्त और सोते वक़्त तस्बीह करने का बयान

1739. हदीष अली (रज़ि.) : हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) चक्की की मशक़्क़त की वजह से बीमार हो गईं और जब नबी करीम (ﷺ) के पास कुछ क़ैदी आए तो हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) आप (ﷺ) के पास गईं, लेकिन आपको मौजूद न पाया। हज़रत आइशा (रज़ि.) मौजूद थीं। लिहाज़ा हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से सारा माजरा बयान कर दिया। उसके बाद जब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के आने का ज़िक्र किया। फिर नबी करीम (ﷺ) हमारे यहाँ ऐसे वक़्त तशरीफ़ लाए कि हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे। आप (ﷺ) को देखकर मैंने उठने का इरादा किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लेटे रहो! फिर आप (ﷺ) हमारे बीच इस तरह बैठ गये कि मैंने आप (ﷺ) के क़दमों की ठण्डक अपने सीने पर महसूस की और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुमको उससे बेहतर चीज़ न सिखाऊँ जो तुमने मुझसे मांगी है? **जब तुम सोने के लिये लेटो तो 34 बार अल्लाहु अकबर 33 बार सुब्हानल्लाह और 33 बार ही अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो ये तस्बीह व तक्बीर तुम्हारे लिये ख़ादिम से बेहतर है** (जो तुमने मांगा था)। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइल अस्हाबिन्नबी ﷺ बाब 9)**

बाब 20 : मुर्ग़ की अज़ान सुनकर दुआ करना मुस्तहब है

1740. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **जब तुम मुर्ग़ की चीख़ (आवाज़) सुनो तो अल्लाह तआला से उसका फ़ज़्ल मांगा करो क्योंकि वो फ़रिश्ते को देखता है (तब चीखता है) और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ो (पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की, शैताने मर्दूद से) क्योंकि वो शैतान को देखकर चीखता है।**

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क बाब 15)

बाब 21 : बेचैनी और परेशानी के वक़्त पढ़ने की दुआ

1741. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) परेशानी और बेचैनी के वक़्त ये दुआ पढ़ा करते थे, **ला इलाहा इल्ललल्लाहुल् अज़ीमुल हलीम. ला इलाहा इल्ललल्लाहु रब्बिल अर्शिल अज़ीम. ला इलाहा इल्ललल्लाहु रब्बुस्समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम.** तर्जुमा : **कोई मअबूद नहीं सिवाय अल्लाह के जो बड़ी अज़्मत वाला बुर्दबार है। कोई मअबूद नहीं सिवाय अल्लाह के जो बड़े अर्श का मालिक है। कोई मअबूद नहीं सिवाए अल्लाह के जो मालिक है आसमानों का और ज़मीन का और अर्शे करीम का मालिक है)।** **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 27)**

बाब 25 : हर दुआ कुबूल होती है अगर बेसब्रा न हो जाए या'नी अगर ये न कहे कि मैंने दुआ मांगी थी मगर कुबूल नहीं हुई

1742. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर शख़्स की दुआ कुबूल होती है मगर उस शख़्स की जो जल्दबाज़ और बेसब्रा होकर ये कहे, मैंने दुआ मांगी थी लेकिन मेरी दुआ कुबूल नहीं हुई। **(सहीह बुख़ारी किताबुद्दअवात बाब 22)**

नोट : अगर कोई इन्सान दुआ माँगे और बज़ाहिर वो पूरी होती हुई दिखाई न दे तो उसे ये नहीं समझना चाहिये कि अल्लाह ने उसकी दुआ नहीं सुनी बल्कि उसे यह अक़ीदा रखना चाहिये कि हो सकता है कि अल्लाह ने उसके बदले कोई और चीज़ अता कर दी है। तफ्सील के लिये हदीष नं. 1716 का नोट देखें।

बाब 26 : अहले जन्नत की अकषरियत फ़ुक़रा (ग़रीबों) पर मुश्तमिल (आधारित) होगी और दोज़ख़ में जाने वालों की अकषरियत औरतों पर मुश्तमिल होगी

1743. हदीष उसामा (रज़ि.) : हज़रत उसामा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ (तो मैंने देखा कि) जन्नत में जाने वाले बिल उमूम वो लोग हैं जो (दुनिया में) मिस्कीन और ग़रीब थे और जाह व मर्तबा वाले लोग रोक लिये गए (हिसाब किताब के लिये दरवाज़े पर रोक लिये गए) अल्बत्ता दोज़ख़ियों को दोज़ख़ में ले जाए जाने का हुक्म सादिर कर दिया गया और मैं दोज़ख़ के दरवाज़े पर खड़ा हुआ (तो मैंने देखा कि) दोज़ख़ में आम तौर पर औरतें दाख़िल हो रही हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 87)**

1744. हदीष उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) : हज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी बेअषत के बाद दुनिया में जो फ़ित्ना बाक़ी रह गया हैं उनमें मर्दों के लिये औरतों से ज़्यादा नुक़्सान देने वाला फ़ित्ना और कोई नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 17)**

नोट : इस हदीष में लफ़्ज़ फ़ित्ना से मुराद आज़माइश है। आज के दौर में देखा जाए तो यह हदीष पूरी तरह नुमाया नज़र आती है। नारी–स्वतंत्रता के नाम पर औरतों ने जिस तरह ख़ुद को मर्दों के आगे परोसा है उससे सबसे बड़ा सामाजिक और अख़लाक़ी बिगाड़ पैदा हुआ है। मामूली दुनियावी फ़ायदे हासिल करने के लिये आज की औरतें अपने जिस्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करने में शर्म महसूस नहीं करती। यहाँ तक कि अपनी सुन्दरता को दिखाने के नाम पर औरतें ख़ुद–ब–ख़ुद, अपनी मर्ज़ी से नंगी होने के लिये तैयार है तो बताइये इससे बड़ा फ़ित्ना और क्या होगा?

बाब 27 : ग़ार वाले तीन आदमियों को क़िस्स़ा और नेक अ़ामाल को वसीला बनाकर दुआ मांगने का बयान

1745. ह़दीष इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने बयान फ़र्माया, तीन शख़्स़ घर से निकलकर चले, रास्ते में बारिश होने लगी तो वो पहाड़ की एक ग़ार (गुफा) में दाख़िल हो गए। (उसी दरम्यान) ग़ार पर एक पत्थर आ गिरा (जिससे ग़ार का दहाना बन्द हो गया) तो उन्होंने आपस में एक–दूसरे से कहा, ज़िन्दगी में जो बेहतरीन अ़मल तुमने किया हो उसका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ़ मांगो।

उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह! मेरे माँ–बाप बूढ़े ज़ईफ़ (कमज़ोर) थे और मैं भेड़–बकरियाँ चराया करता था जब मैं वापस आता तो दूध दुहता और दूध का प्याला लेकर अपने माँ–बाप के पास जाता और जब वो दोनों पी लेते तो उसके बाद मैं अपने बच्चों, घरवालों और बीवी को पिलाता। एक रात मुझे देर हो गई और जिस वक़्त (दूध लेकर) मैं अपने वालिदैन के पास पहुँचा तो वो सो चुके थे। मैंने उनको जगाना पसन्द न किया जबकि बच्चे मेरे क़दमों में बिलख–बिलखकर शोर मचा रहे थे। फिर हुआ ये कि वो सोते रहे और मैं उसी ह़ालत में खड़ा रहा यहाँ तक कि सूरज तुलूअ़ हो गया। ऐ अल्लाह! जैसा कि तू जानता है अगर मैंने ये काम तेरी ख़ुशनुदी के लिये किया था तो हमारी ग़ार से पत्थर को इतना हटा दे कि हम उसमें से आसमान को देख सकें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी दुआ़ के अषर से उनके ग़ार का मुँह थोड़ा सा खुल गया।

फिर दूसरे शख़्स़ ने दुआ़ मांगी, ऐ अल्लाह! तुझे मा'लूम है कि मैं अपनी चचाज़ाद बहनों में से एक लड़की से शदीद मुह़ब्बत करता था इतनी शदीद मुह़ब्बत जितनी एक मर्द औरत से कर सकता है। उस लड़की ने कहा, तू मुझे उस वक़्त तक ह़ास़िल नहीं कर सकता जब तक सौ दीनार अदा न कर दे। लिहाज़ा मैंने सौ दीनार ह़ास़िल करने के लिये कोशिश की और वो जमा कर लिये लेकिन जब मैंने उसके साथ ज़िना की कोशिश की तो उसने कहा, अल्लाह से डर और नाजाइज़ त़रीक़े से मुहर न तोड़। ये सुनकर मैं उठ गया और उसे छोड़ दिया। ऐ अल्लाह! जैसा कि तू जानता है ये काम मैंने अगर तेरी रज़ा की ख़ात़िर किया था तो हमारा रास्ता खोल दे। चुनाँचे उनका दो तिहाई रास्ता खुल गया।

तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह! जैसा कि तू जानता है कि मैंने एक मज़दूर को एक फ़िरक़ ज्वार के बदले मुलाज़िम रखा था और जब (काम के बाद) उसे उजरत दी तो उसने लेने से इंकार कर दिया और मैंने वो ज्वार ज़मीन में बो दी और (उसकी आमदनी इतनी हुई कि) मैंने उससे गाएँ और चरवाहा ख़रीद लिया उसके बाद वो मज़दूर आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बन्दे मुझे मेरा ह़क़ अदा कर दे। मैंने उससे कहा, जाओ गाएँ और चरवाहा ले लो, वो सब तुम्हारा है। वो कहने लगा, क्या तुम मुझसे मज़ाक़ कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तुमसे मज़ाक़ नहीं कर रहा क्योंकि वो सब है ही तुम्हारा। ऐ अल्लाह! जैसा कि तू जानता है, अगर ये सब मैंने तेरी रज़ा की ख़ात़िर किया था तो हमारा रास्ता खोल दे और हमारी मुश्किल आसान कर दे। चुनाँचे उनका रास्ता खुल गया और उनकी मुस़ीबत टल गई।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 94)

नोट : इस ह़दीष से स़ाफ़ ज़ाहिर होता है कि

01. अगर **कोई इन्सान किसी बड़ी मुस़ीबत में फंस जाए तो वो अपने नेक काम का वसीला देकर अल्लाह से दुआ़ माँग सकता है।**

02. **स़िर्फ़ अल्लाह की रज़ा ह़ास़िल करने के लिये, नेक निय्यत से किये काम की बरकत से मुस़ीबत दूर होती है।**

तौबा के मसाइल

बाब 1 : तौबा की तहरीक व तर्ग़ीब और ये कि तौबा से अल्लाह तआ़ला ख़ुश होता है

1746. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़र्माता है कि मैं अपने बन्दे के लिये वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है और जिस वक़्त मेरा बन्दा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ और अगर वो मुझे जमाअ़त में बैठकर याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर जमाअ़त (फ़रिश्तों) में याद करता हूँ और बन्दा अगर मेरी त़रफ़ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी जानिब हाथ भर बढ़ता हूँ और वो अगर एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी जानिब दो हाथ आता हूँ और बन्दा अगर चलकर आता है तो मैं उसकी त़रफ़ दौड़कर आता हूँ। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 15)**

नोट : तफ़्स़ील के लिये ह़दीष़ नं. 1721 का नोट देखें।

1747. ह़दीष़ अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन अल्लाह अपने बन्दे की तौबा से उस शख़्स़ से भी ज़्यादा ख़ुश होता है जो किसी ऐसे मक़ाम पर आकर उतरे जहाँ जान का ख़त़रा हो और उस शख़्स़ के पास अपनी सवारी हो जिस पर खाने-पीने का सामान लदा हुआ हो और वो उस मक़ाम पर उतरकर थोड़ी देर के लिये सो जाए। लेकिन जब नींद से जागे तो देखे कि उसकी सवारी कहीं चली गई है (वो उसे तलाश करे लेकिन न मिले) यहाँ तक कि गर्मी अपनी इंतिहा को पहुँच जाए, प्यास के मारे बुरा ह़ाल हो और हर वो कैफ़ियत जो ऐसी ह़ालत में त़ारी होती है सब उस पर वारिद हो। (थक हारकर) वो दिल में फ़ैस़ला करे कि मुझे अपनी क़ियामगाह पर वापस जाना चाहिए, चुनाँचे वो वापस अपनी क़ियामगाह पर पहुँचे और थोड़ी देर के लिये सो जाए और जागने के बाद जब सर उठाकर देखे तो उसकी सवारी उसके पास मौजूद हो (ज़ाहिर है उस वक़्त उसे किस क़दर ख़ुशी होगी अल्लाह तआ़ला को अपने बन्दे की तौबा से उससे भी ज़्यादा मुसर्रत होती है)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुद्दअ़वात बाब 4)**

1748. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला अपने बन्दे की तौबा से उस शख़्स़ से भी ज़्यादा मसरूर होता है जिसको अचानक उसका वो ऊँट मिल जाए जिसे वो किसी बेआब व गियाह और दुश्वार गुज़ार सेह़रा (यानी ऐसे बियाबान रेगिस्तान में जहाँ पानी भी उपलब्ध न हो) में गुम कर चुका हो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुद्दअ़वात बाब 4)**

बाब 4 : रहमते बारी तआला की वुस्अत का बयान और ये कि अल्लाह तआला की रहमत उसके ग़ज़ब पर सबक़त ले गई

1749. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने जब इस कायनात को पैदा फ़र्माया तो अपनी उस किताब में जो उसके पास और अर्श के ऊपर है, ये तहरीर फ़र्मा दिया, यक़ीनन मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब है। **(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 1)**

1750. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते सुना, अल्लाह तआला ने रहमत के सौ हिस्से किये जिसमें से निन्नानवे हिस्से अपने पास रोक लिये और ज़मीन पर सिर्फ़ एक हिस्सा नाज़िल फ़र्माया उसी एक हिस्से की वजह से लोग आपस में एक–दूसरे के साथ रहमत व शफ़क़त से पेश आते हैं यहाँ तक कि घोड़ा जो अपने बच्चे के ऊपर से अपना खुर उठा लेता है इस डर से कि कहीं उसे नुक़सान न पहुँच जाए (ये भी रहमत के उसी एक हिस्से का अषर है)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 19)**

1751. हदीष उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के पास कुछ क़ैदी आए, उन क़ैदियों में एक औरत थी जिसकी छाती से (जैसे) दूध उबल रहा था और जब उसे कोई बच्चा मिल जाता तो वो उसे पकड़कर अपने पेट के साथ चिमटा लेती और दूध पिलाती। उसको देखकर नबी करीम (ﷺ) ने हमसे मुख़ातिब होकर पूछा, तुम लोगों का क्या ख़याल है, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? हमने अर्ज़ किया, नहीं, अगर वो इस बात पर क़ादिर हो कि न फेंके तो कभी आग में न फेंकेगी। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन अल्लाह तआला अपने बन्दों पर उससे कहीं ज़्यादा मेहरबान व रहीम है जितनी ये औरत अपने बच्चे के लिए मेहरबान है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अदब बाब 18)**

1752. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स ने जिसने कभी कोई नेकी नहीं की थी, (उसने) मरते वक़्त कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना और मेरी राख आधी खुश्की (सूखी धरती) में बिखेर देना और आधी समुन्दर में डाल देना, इसलिये कि अगर मैं कहीं अल्लाह तआला के हाथ आ गया तो वो मुझे ऐसा सज़ा देगा जो उसने दुनिया वालों में से किसी को न दी होगी (उसके वारिषों ने उसकी वसिय्यत के ऊपर अमल किया)। फिर अल्लाह तआला ने समुन्दर को हुक्म दिया और उसने उसकी तमाम राख इकट्ठी कर दी, उसी तरह ख़ुश्की को हुक्म दिया, उसने भी जो राख उस पर बिखरी हुई थी जमा कर दी और (और ज़िन्दा फ़र्माकर) उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, तेरे डर से। और तू ये बात अच्छी तरह जानता है। ये जवाब सुनकर अल्लाह तआला ने उसे बख़्श दिया। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 35)**

1753. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमसे पहले (जो उम्मतें थीं उनमें) एक शख़्स था जिसे अल्लाह तआला ने ख़ूब माल व दौलत से नवाज़ा था जब उसकी मौत का वक़्त क़रीब आया तो उसने अपने बच्चों को पूछा, मैं तुम्हारे लिये कैसा बाप था? उन्होंने कहा, बेहतरीन बाप! कहने लगा, मैंने कभी कोई नेक काम नहीं किया लिहाज़ा जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला डालना और पीसकर जिस दिन तेज़ हवा चल रही हो मुझे हवा में उड़ा देना। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह तआला ने

उसके हिस्सों को जमा किया और (दोबारा ज़िन्दा करके) उससे पूछा, तुमने जो हरकत की उसका कारण क्या था? कहने लगा, मैंने तेरे डर से ऐसा किया था। ये जवाब सुनकर अल्लाह तआला ने उसे अपनी रहमत से नवाज़ा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 54)

नोट : इन हदीषों से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह से डरना सबसे बड़ी नेकी है। अपने आमाल को आला न समझते हुए, हकीर समझना तक़वा है। अल्लाह के आगे हाज़िर होने का एहसास करना और ये यक़ीन रखना कि अल्लाह एक-एक चीज़ का हिसाब लेने वाला है, इसी का नाम एहसासे-आख़िरत है। जो कोई शख़्स अल्लाह से डरे, तक़वा इख़्तियार करे और उसे गुनाहों के सबब सज़ा पाने की हक़ीक़त पर जिसका ईमान हो, वो शख़्स मोमिन है और अल्लाह ने मोमिनों के लिये जन्नत का वादा किया है।

बाब 5 : तौबा बहरहाल क़ुबूल होती है ख़्वाह बन्दा बार-बार गुनाह करे और बार-बार तौबा करे

1754. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, यक़ीनन जब बन्दे से गुनाह हो जाता है या शायद आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि जब बन्दा गुनाह कर बैठता है और फिर कहता है, ऐ मेरे मौला! मैंने गुनाह किया है (या शायद आप ﷺ ने फ़र्माया था) ऐ मेरे मौला! मुझसे गुनाह सरज़द हुआ है तू मुझे माफ़ कर दे तो अल्लाह तआला फ़र्माता है, क्या मेरे बन्दे को ये मा'लूम है कि उसका कोई रब है जो गुनाह मुआफ़ भी करता है और गुनाह पर गिरफ़्त भी करता है? अच्छा इसी बात पर मैंने उसे मुआफ़ किया।

फिर कुछ मुद्दत, जितनी अल्लाह चाहता है वो रुका रहता है और उसके बाद फिर उससे गुनाह सरज़द हो जाता है या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, गुनाह कर बैठता है। फिर कहता है, ऐ मेरे आक़ा! मैंने फिर गुनाह कर लिया या मुझसे फिर गुनाह हो गया तू मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह तआला फ़र्माता है, क्या मेरा बन्दा ये बात जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उस पर गिरफ़्त भी करता है? मैंने उसको मुआफ़ किया।

फिर वो बन्दा कुछ मुद्दत जो अल्लाह तआला को मंज़ूर होती है रुका रहता है और उसके बाद फिर गुनाह कर गुज़रता है या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उससे गुनाह हो जाता है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर वो कहता है, ऐ मेरे रब! मुझसे गुनाह सरज़द हो गया या कहता है कि मैंने एक और गुनाह कर लिया तू मुझे बख़्श दे। तो अल्लाह तआला फ़र्माता है, क्या मेरे बन्दे को मा'लूम है कि उसका एक रब है जो गुनाह मुआफ़ करता और गुनाहों पर गिरफ़्त करता है? मैंने अपने बन्दे को मुआफ कर दिया। (ये कलिमात अल्लाह तआला तीन बार फ़र्माता है) अब वो जो चाहे करे।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 35)

बाब 6 : अल्लाह तआला की ग़ैरत का बयान

1755. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला से ज़्यादा ग़ैरत वाला और कोई नहीं, यही वजह है कि उसने तमाम बेहयाइयाँ खुली हो या छुपी हराम कर दी हैं और अल्लाह तआला को हम्दो-षना से ज़्यादा कोई चीज़ पसन्द नहीं, यही वजह है कि उसने ख़ुद अपनी हम्द फ़र्माई है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह अल् अन्आम बाब 7)**

1756. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ग़ैरत करता है और अल्लाह तआला की ग़ैरत इस बात पर होती है कि मोमिन ऐसे उमूर का इर्तिकाब करे जो अल्लाह ने हराम किये हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 107)**

1757. हदीष अस्मा (रज़ि.) : हज़रत अस्मा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, अल्लाह तआला से ज़्यादा ग़ैरत वाला कोई नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्निकाह बाब 107)**

बाब 7 : इर्शादे बारी तआला, इन्नल हसनाति युज़्हिब्नस्सय्यिआति का बयान

1758. हदीष इब्ने मसऊद (रज़ि.) : हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने किसी औरत का बोसा लिया, उसके बाद वो नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से अपने गुनाह का ज़िक्र किया तो ये आयत नाज़िल हुई, **अकिमिस्सलात तरफ़इन्नहारि व ज़ुलफ़म्मिनल्लैलि** तर्जुमा **नमाज़ क़ायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुज़रने पर। दरहक़ीक़त नेकियाँ बुराईयों को दूर कर** देती हैं। (सूरह हूद : 14)

तो उस शख़्स ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये हुक्म क्या सिर्फ़ मेरे लिये है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे तमाम उम्मतियों के लिये है। **(सहीह बुख़ारी किताबु मवाक़ितिस्सलात बाब 4)**

1759. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था कि आप (ﷺ) के पास एक शख़्स आया और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं एक ऐसा गुनाह कर बैठा हूँ जिस पर हद लाज़िम आती है लिहाज़ा आप (ﷺ) मुझ पर हद नाफ़िज़ कर दीजिए। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि आप (ﷺ) ने उससे उसके बारे में कोई सवाल न किया। फिर नमाज़ का वक़्त हो गया और उस शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। जब नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ चुके तो वो फिर आप (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक ऐसा गुनाह किया है जिस पर हद लाज़िम आती है तो आप (ﷺ) मुझपर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ हद नाफ़िज़ कीजिए। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी? उसने कहा, हाँ! पढ़ी थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने तेरा गुनाह मुआफ़ कर दिया (या आप ﷺ ने फ़र्माया) तेरी हद मुआफ़ कर दी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल हुदूद बाब 27)**

बाब 8 : तौबा क़ातिल की भी क़ुबूल हो जाती है चाहे उसने बहुत ज़्यादा क़त्ल किये हा

1760. हदीष अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल में एक शख़्स था जिसने 99 इंसानों का क़त्ल किया था। वो पूछते–पूछते एक राहिब (सन्यासी) के पास पहुँचा और उससे उसने पूछा, क्या मेरी तौबा क़ुबूल हो सकती है? राहिब ने जवाब दिया, नहीं! उस शख़्स ने (ग़ुस्से में आकर) उस राहिब को भी क़त्ल कर दिया। उसके बाद उसने फिर (किसी ऐसे शख़्स के बारे में जो उसे तौबा के मुता'ल्लिक़ बताए) पूछना शुरू कर दिया तो एक शख़्स ने उससे कहा कि फ़लाँ बस्ती में जाओ (वहाँ कुछ लोग अल्लाह की इबादत में मशग़ूल हैं) उनके साथ मिलकर इबादत करो तुम्हारी तौबा क़ुबूल हो जाएगी) लेकिन उसे रास्ते ही में मौत आ गई तो उसने मरते वक़्त अपने सीने को उस बस्ती के रुख़ कर लिया। उस (रूह को ले जाने

के) मसले में रह़मत के फ़रिश्ते और अ़ज़ाब के फ़रिश्ते आपस में झगड़ने लगे तो अल्लाह तआ़ला ने उस बस्ती को (जहाँ जाकर वो तौबा करना चाहता था) हुक्म दिया कि तू उसके क़रीब हो जा और उस बस्ती को (जहाँ से वो चला था) हुक्म दिया कि तू उससे दूर हो जा और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि दोनों बस्तियों से उसका फ़ासला नापो। चुनाँचे जब पैमाईश की गई तो वो शख़्स़ (दूसरी बस्ती के मुक़ाबले में) तौबा वाली बस्ती से एक बालिश्त क़रीब था लिहाज़ा उसकी बख़्शिश हो गई। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 54)**

1761. ह़दीष इब्ने उ़मर (रज़ि.): स़फ़्वान (रह.) बिन महरज़े माज़नी बयान करते हैं कि मैं ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के साथ उनका हाथ पकड़े हुए चला जा रहा था कि रास्ते में एक शख़्स़ मिला और उसने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा, आपने नबी करीम (ﷺ) से सरगोशी के बारे में क्या सुना है? ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते सुना है कि (रोज़े क़ियामत) अल्लाह तआ़ला मोमिन के क़रीब होकर उस पर अपनी रह़मत का दामन डालेगा और उसमें उसे छुपा लेगा फिर उससे पूछेगा, क्या तू अपने फ़लाँ गुनाह का ए'तिराफ़ करता है? बन्दा कहेगा, हाँ ऐ मेरे रब! (उसी तरह़ एक-एक गुनाह के बारे में पूछेगा) यहाँ तक कि जब उसने उसके तमाम गुनाहों का इक़रार व ए'तिराफ़ करा लेगा और बन्दा अपने दिल में ये समझ रहा होगा कि बस मैं तो अब हलाक हुआ (या'नी अब तो जहन्नम में जाना पड़ेगा) तो अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, मैंने तेरे गुनाहों को दुनिया में भी पोशीदा रहने दिया था और आज भी मैं तेरे गुनाहों को बख़्श रहा हूँ। चुनाँचे उसे उसकी नेकियों का आ़मालनामा थमा दिया जाएगा (और गुनाह मिटा दिये जाएँगे) लेकिन काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से मामला अलग होगा (उनके सिलसिले में गवाह त़लब किये जाएँगे) और गवाह कहेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झूठ बोला। (और अम्बिया को झुठलाकर अपने ऊपर जुल्म किया) लिहाज़ा ज़ालिमों पर अल्लाह की लअ़नत हो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 2)**

बाब 9 : ह़ज़रत कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) और उनके दोनों साथियों की तौबा का क़िस़्स़ा

1762. ह़दीष कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत कअ़ब (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं ग़ज़्व-ए-तबूक के सिवा किसी ऐसे ग़ज़्वे में शिरकत के शर्फ़ (श्रेय) से मह़रूम (वंचि) नहीं रहा जिसमें ख़ुद नबी करीम (ﷺ) शरीक हुए। अल्बत्ता में ग़ज़्व-ए-बद्र में भी शरीक नहीं था लेकिन आप (ﷺ) किसी ऐसे शख़्स़ पर नाराज़ नहीं हुए जो ग़ज़्व-ए-बद्र में शरीक नहीं हो सका था। दरअस़ल बद्र के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) क़ुरैश के क़ाफ़िले पर ह़मला करने निकले थे कि अल्लाह तआ़ला ने वक़्त त़य किये बग़ैर मुसलमानों का सामना दुश्मन से करा दिया था। मैं उ़क़्बा के मौक़े पर भी नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ था या'नी जब हमने मुसलमान होने का अ़हद किया था और मैं ये बात पसन्द नहीं करता कि मुझे बैअ़ते-उ़क़्बा के बदले में ग़ज़्व-ए-बद्र में शिरकत का मौक़ा मिल होता अगरचे बद्र लोगों में उ़क़्बा से ज़्यादा मशहूर है।

मेरा (ग़ज़्व-ए-तबूक में शरीक न होने का) क़िस़्स़ा ये है कि मैं जिस ज़माने में तबूक से पीछे रहा इतना तनोमन्द और ख़ुशह़ाल था कि उससे पहले कभी न हुआ था। उससे पहले मेरे पास दो ऊँटनियाँ कभी जमा न हुई थीं जबकि उस मौक़े पर मेरे पास दो ऊँटनियाँ मौजूद थीं। नबी करीम (ﷺ) जब भी किसी जंग का इरादा करते तो आप (ﷺ) तोरिया से काम लेते हुए किसी और मक़ाम का नाम लिया करते थे लेकिन ग़ज़्व-ए-तबूक की तैयारी नबी करीम (ﷺ) ने सख़्त गर्मी के मौसम में की थी। दूर का सफ़र दरपेश था और रास्ता ऐसा बेआब (पानी रहित) व

ग्याह और संगलाख़ (चटियल) था जिसमें हलाकत का डर था, दुश्मन ज़्यादा ता'दाद में थे, इसलिये आप (ﷺ) ने मुसलमानों को खोलकर हर बात बता दी थी ताकि जंग की तैयारी पूरे एहतिमाम से कर लें और उन्हें वो सिम्त (दिशा) भी बता दी थी जिधर जाना था। नबी करीम (ﷺ) के साथ मुसलमानों की तअ़दाद भी इतनी कष़ीर थी जिसको किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा सकता था।

हज़रत कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं कि सूरतेहाल ऐसी थी कि जो शख़्स लश्कर में से ग़ायब होना चाहता वो ये सोच सकता था कि अगर बज़रिये वह्य आप (ﷺ) को ख़बर न दी गई तो मेरी ग़ैर-हाज़िरी का पता किसी को न चलेगा। नबी करीम (ﷺ) ने उस ग़ज़्वे का इरादा ऐसे वक़्त किया था जब फल पक चुके थे और हर तरफ़ साया आम था। आप (ﷺ) ने जिहाद की तैयारी कर ली और मुसलमानों ने भी आप (ﷺ) के साथ ख़ूब तैयारी की और मेरी ये कैफ़ियत थी कि मैं सुबह के वक़्त इस इरादे से निकलता कि मैं भी बाक़ी मुसलमानों के साथ मिलकर तैयारी करूँगा लेकिन जब शाम को वापस आता तो कोई फ़ैसला न कर सका होता। फिर मैं अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेता कि मैं तैयारी मुकम्मल करने पर पूरी तरह क़ादिर हूँ। इसी तरह वक़्त गुज़रता गया यहाँ तक कि लोगों ने ज़ोरो-शोर से तैयारी कर ली। फिर एक सुबह नबी करीम (ﷺ) और आपके साथ मुसलमान रवाना हो गए और मैं अपनी तैयारी के सिलसिले में कुछ भी न कर सका। फिर मैंने अपने दिल में कहा कि मैं आप (ﷺ) की रवानगी के एक या दो दिन बाद तैयारी मुकम्मल कर लूँगा और उनसे जा मिलूँगा लेकिन उनके रवाना हो जाने के बाद भी कैफ़ियत यही रही कि मैं सुबह के वक़्त तैयारी के ख़याल से निकलता लेकिन जब घर लौटता तो वही कैफ़ियत होती या'नी कुछ भी न कर सका होता। फिर दूसरी सुबह को भी उसी ख़याल से निकलता लेकिन जब घर वापस आता तो कुछ न किया होता। मेरी कैफ़ियत मुसलसल यही रही यहाँ तक कि मुसलमान तेज़-तेज़ चलकर आगे बढ़ गए। मैंने फिर इरादा किया कि मैं भी चल पड़ूँ और उनसे जा मिलूँ। काश! मैंने ऐसा कर लिया होता लेकिन ये सआ़दत (सौभाग्य) मेरे मुक़द्दर में ही न थी। नबी करीम (ﷺ) के चले जाने के बाद हालत ये थी कि मैं जब बाहर लोगों के पास जाता और उनमें चल-फिरकर देखता तो जो बात मुझे ग़मगीन करती ये थी कि जो शख़्स नज़र आता वो सिर्फ़ ऐसा होता जिस पर निफ़ाक़ का इल्ज़ाम था या फिर वो ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग होते जिनको अल्लाह तआला ने मअ़ज़ूर (असमर्थ) कर दिया था।

नबी करीम (ﷺ) को मेरा ख़याल न आया यहाँ तक कि आप (ﷺ) तबूक पहुँच गए। फिर एक मौक़े पर आप (ﷺ) लोगों के साथ तशरीफ़ फ़र्मा थे कि आप (ﷺ) ने पूछा, कअ़ब (रज़ि.) कहाँ है? बनी सलमा के एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसे सेहत व ख़ुशहाली की दो चादरों ने रोक रखा है वो अपनी उन चादरों के किनारों को देखने में मशग़ूल होगा। ये सुनकर हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) ने उससे कहा, तुमने बहुत बुरी बात कही है। या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! हमने कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) में भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा। ये गुफ़्तगू सुनकर नबी करीम (ﷺ) ख़ामोश हो गए।

कअ़ब (रज़ि.) बिन मालिक बयान करते हैं कि फिर जब मुझे ख़बर मिली कि रसूले अकरम (ﷺ) वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो मुझे आ परेशानी ने आ घेरा। मैं तरह-तरह के झूठे बहाने सोचने और याद करने लगा। मैं दिल में कहता कि ऐसा कौनसा हीला (बहाना) हो जिससे मैं जनाब नबी करीम (ﷺ) की नाराज़गी से बच सकूँ और उस सिलसिले में मैंने अपने ख़ानदान के हर साहिबुर्राय (समझदार) शख़्स से भी मदद मांगी।

फिर जब ये सुनने में आया कि नबी करीम (ﷺ) बस तशरीफ़ ला ही रहे हैं तो मेरे सामने से हर क़िस्म का झूठ छट गया और मैंने जान लिया कि मैं आप (ﷺ) की नाराज़गी से किसी ऐसी बात से कभी छुटकारा नहीं पा सकूँगा जिसमें झूठ की आमेज़िश (मिलावट) होगी आख़िरकार मैंने सच बात बताने का फ़ैसला कर लिया।

नबी करीम (ﷺ) सुबह के वक़्त तशरीफ़ लाए। आप (ﷺ) का दस्तूर था कि जब सफ़र से वापस आते तो

सबसे पहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ पढ़ते, फिर लोगों से मुलाक़ात के लिये तशरीफ़ फ़र्मा होते। चुनाँचे जब आप (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ होकर मुलाक़ात के लिये बैठे तो पीछे रह जाने वालों ने आना शुरू कर दिया और क़समें खा–खाकर आप (ﷺ) के सामने तरह–तरह के बहाने पेश करने लगे। उन लोगों की ता'दाद 80 से कुछ ज़्यादा थी। नबी करीम (ﷺ) ने उनके बयानकर्दा बहानों को कुबूल कर लिया, उनसे बैअत ली और उनके लिये मग़्फ़िरत की दुआ फ़र्माई और उनकी निय्यतों को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल् ग़र्ज़ मैं भी आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मैंने जब आप (ﷺ) को सलाम किया तो आप (ﷺ) मुस्कुराए लेकिन ऐसी मुस्कुराहट जिसमें गुस्से की आमेज़िश थी। फिर फ़र्माया, इधर आओ। मैं आगे बढ़ा और आप (ﷺ) के सामने जाकर बैठ गया। आप (ﷺ) ने पूछा, तुम क्यों पीछे रह गये? क्या तुमने सवारी नहीं ख़रीदी थी? मैंने अ़र्ज़ किया, बजा इर्शाद! मैं अल्लाह की क़सम! अगर आप (ﷺ) के अ़लावा किसी और दुनियावी शख़्सियत के सामने होता तो मैं ज़रूर ये ख़याल करता कि मैं किसी बहाने से उसके ग़ज़ब से नजात पा सकता हूँ क्योंकि मैं बोलना और दलाइल देना जानता हूँ, लेकिन अल्लाह की क़सम! मुझे यक़ीन है कि अगर आज मैं आप (ﷺ) के सामने झूठ बोलकर आप (ﷺ) को राज़ी भी कर लूँ तो अ़नक़रीब अल्लाह तआ़ला आप (ﷺ) को हक़ीक़ते–हाल बता देगा और आप (ﷺ) मुझसे फिर नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन अगर मैं आप (ﷺ) से सारी बात सच–सच बयान कर दूँ तो आप (ﷺ) मुझसे नाराज़ तो होंगे ताहम मुझे उम्मीद है इस सूरत में अल्लाह तआ़ला मुझे मुआफ़ कर देगा।

वाक़िया ये है कि अल्लाह की क़सम! मुझे कोई मअ़ज़ूरी न थी और ये हक़ीक़त है कि अल्लाह की क़सम! मैं इतना ताक़तवर और ख़ुशहाल कभी न था जितना इस मौक़े पर था जिसमें मैं आप (ﷺ) के साथ जाने से रह गया। मेरी ये गुफ़्तगू सुनकर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये शख़्स है जिसने सहीह बात बताई है। फिर मुझसे मुख़ातिब होकर फ़र्माया, अच्छा जाओ और इंतिज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला करे। चुनाँचे मैं उठ गया और जब मैं जाने लगा तो बनी सलमा के कुछ लोग मेरे गिर्द हो गए और साथ चलने लगे। उन्होंने कहा अल्लाह की क़सम! हमारे इल्म में नहीं है कि तुमने आज से पहले कभी कोई गुनाह किया हो तो तुम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में बहाना पेश करने से क्यों क़ासिर रहे जैसा कि दूसरे पीछे रह जाने वालों ने आप (ﷺ) की ख़िदमत में बहाने पेश किये हैं तुमने जो गुनाह किया था उसकी तलाफ़ी के लिये तो नबी करीम (ﷺ) की दुआ–ए–इस्तिग़फ़ार तुम्हारे लिये काफ़ी थी। अल्लाह की क़सम! उन लोगों ने मुझे इतनी मलामत की कि एक बार तो मैंने इरादा किया कि मैं वापस जाऊँ और जो कुछ मैंने आप (ﷺ) से कहा था उसके बारे में कहूँ कि वो सब झूठ था (और कोई बहाना पेश करूँ) फिर मैंने उन लोगों से (जो मुझे मलामत कर रहे थे) पूछा, क्या ये मामला जो मेरे साथ पेश आया है मेरे अ़लावा किसी और के साथ भी हुआ है? वो कहने लगे हाँ! दो और शख़्सों ने भी वही कुछ कहा था जो तुमने कहा है और उनको भी वही जवाब मिला जो तुमको मिला है। मैंने पूछा, वो दोनों कौन हैं? उन्होंने बताया, एक हज़रत मुरारह बिन अर्रबीअ़ अल उ़म्री (रज़ि.) और दूसरे हज़रत हिलाल बिन उमय्या वाक़िफ़ी (रज़ि.)। गोया उन्होंने मेरे सामने दो ऐसे नेक शख़्सों के नाम लिये जो ग़ज़्व–ए–बद्र में शरीक थे और उनका तर्ज़े–अ़मल मेरे लिये क़ाबिले तक़्लीद मिसाल था चुनाँचे उन दोनों का ज़िक्र सुनकर मैं (ने अपना इरादा बदल दिया और) आगे चल पड़ा। और नबी करीम (ﷺ) ने बाक़ी तमाम पीछे रह जाने वालों में से सिर्फ़ हम तीनों के साथ बातचीत करने से लोगों को मना किया था। लिहाज़ा लोग हमसे दूर–दूर रहने लगे और हमारे लिये इस हद तक बदल गए कि मैं महसूस करने लगा (ये वो इलाक़ा नहीं है जहाँ मैं रहता था) कोई अजनबी सरज़मीन है। हम पचास दिन तक उसी हाल में रहे।

मेरे दोनों साथी तो (इस कैफ़ियत से) थक–हारकर घर में बैठ गए और (दिन–रात) रोते रहे। लेकिन मैं चूँकि उन में से जवान और ताक़तवार था लिहाज़ा मैं बाहर निकला करता था, मुसलमानों के साथ नमाज़ में शरीक हुआ करता था और बाज़ारों में फिरा करता था लेकिन मुझसे कोई शख़्स बात नहीं करता था। मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होता उस वक़्त जब आप (ﷺ) नमाज़ के बाद लोगों के साथ तशरीफ़ फ़र्मा होते। मैं जब

आप (ﷺ) को सलाम करता तो अपने दिल में यही सोचता रहता कि मेरे सलाम के जवाब में नबी करीम (ﷺ) के लब मुतहर्रिक हुए थे या नहीं? फिर में आप (ﷺ) के क़रीब ही नमाज़ पढ़ता और दर्दभरी नज़रों से आप (ﷺ) की त़रफ़ देखता रहता जिस वक़्त मैं नमाज़ की त़रफ़ मुतवज्जह होता तो आप (ﷺ) मेरी त़रफ़ देखते और जब मैं आप (ﷺ) की तरफ़ देखता तो आप (ﷺ) दूसरी त़रफ़ देखने लगते।

जब लोगों की ये बे-ऐतेनाई (बेरूखी) बहुत लम्बी और नाक़ाबिले बर्दाश्त (असहनीय) हो गई तो एक दिन मैं ह़ज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) के घर की दीवार फलाँगकर अंदर चला गया, ये स़ाह़ब मेरे चचाज़ाद भाई और मेरे महबूबतरीन दोस्त थे। मैंने उन्हें सलाम किया लेकिन अल्लाह की क़सम! उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा, ऐ अबू क़तादा (रज़ि.)! मैं तुमको अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ। क्या तुम मेरे बारे में ये नहीं जानते कि मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुह़ब्बत करता हूँ? लेकिन वो ख़ामोश रहे। मैंने उनसे दोबारा यही सवाल किया लेकिन वो फिर भी ख़ामोश रहे। मैंने फिर यही बात दोहराई तो कहने लगे, अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतर जानते हैं। ये सुनकर मेरी आँखों में आंसू आ गये और मुँह मोड़कर वापस चल पड़ा और दीवार फलाँगकर बाहर आ गया।

ह़ज़रत कअ़ब (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दिन मैं मदीना के बाज़ार में से गुज़र रहा था, मैंने देखा कि इलाक़ा-ए-शाम का एक नब्ती जो मदीना में ग़ल्ला बेचने आया था लोगों से पूछ रहा है, कोई शख़्स़ है जो मुझे कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) का घर बता सके? लोग मेरी त़रफ़ इशारा करके उसे बताने लगे (कि वो है)। जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे शाहे ग़स्सान का एक ख़त़ दिया जिसमें लिखा हुआ था, अम्मा बअ़द! मुझे मा'लूम हुआ है कि तुम्हारे स़ाह़ब ने तुम पर ज़्यादती की है हालाँकि (तुम स़ाह़िबे इ़ज़्ज़त वाज हो) तुमको अल्लाह तआ़ला ने इसलिये नहीं बनाया कि तुम ज़लील व ख़्वार और बर्बाद हो लिहाज़ा तुम हमारे पास आ जाओ हम तुमको तुम्हारी ह़ैसियत के मुत़ाबिक़ इ़ज़्ज़त व मर्तबा देंगे। मैंने जब ये ख़त़ पढ़ा तो दिल में कहा, ये भी एक इम्तिह़ान है और वो ख़त़ लेकर मैं तन्नूर (चूल्हे) की तरफ़ गया और उसे नज़्रे आतिश (आग के हवाले) कर दिया।

फिर जब पचास दिनों में से चालीस रातें गुज़र गईं तो मेरे पास नबी करीम (ﷺ) की त़रफ़ से एक क़ासिद आया और उसने कहा, नबी करीम (ﷺ) ने तुमको हुक्म दिया है कि तुम अपनी बीवी से किनाराकश (अलग) हो जाओ। मैंने पूछा, उसे त़लाक़ दे दूँ? या क्या करूँ? कहने लगा, नहीं! त़लाक़ नहीं, बल्कि उससे अलग हो जाओ और उसके पास मत जाओ। मेरे दोनों साथियों को भी यही हुक्म दिया गया था। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम अपने मायके चली जाओ और जब तक अल्लाह तआ़ला इस मामले का फ़ैस़ला स़ादिर नहीं फ़र्माता वहीं मुक़ीम रहो।

ह़ज़रत कअ़ब (रज़ि.) बयान करते हैं कि ह़ज़रत हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) की बीवी नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुईं और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हिलाल (रज़ि.) एक नातवाँ बूढ़ा शख़्स़ है उसके पास कोई ख़ादिम भी नहीं है तो क्या आप (ﷺ) ये भी पसन्द नहीं करेंगे कि मैं उनकी ख़िदमत करती रहूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! लेकिन तुम उनके क़रीब न जाना। उन्होंने अ़र्ज़ किया, अल्लाह की क़सम! उन्हें तो किसी बात का होश ही नहीं है और अल्लाह की क़सम! जिस दिन से ये मामला पेश आया है वो मुसलसल रो रहे हैं। ये सुनकर मेरे कुछ घरवालों ने मुझे मश्विरा दिया कि अगर तुम भी नबी करीम (ﷺ) से अपनी बीवी के सिलसिले में इजाज़त ले लो तो क्या ह़र्ज है। जैसे आप (ﷺ) ने हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) की बीवी को ख़िदमत करने की इजाज़त दे दी है (तुमको भी इजाज़त मिल जाएगी)। मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं इस सिलसिले में नबी करीम (ﷺ) से हर्गिज़ इजाज़त न त़लब करूँगा, नामा'लूम मेरे इजाज़त त़लब करने पर आप (ﷺ) क्या जवाब दें? क्योंकि मैं एक जवान शख़्स़ हूँ। अल् ग़र्ज़ उसके बाद दस दिन और गुज़र गये, यहाँ तक कि जिस दिन नबी करीम (ﷺ) ने लोगों को हमारे साथ बोलचाल बन्द करने का हुक्म दिया था; उस दिन से पचास दिन पूरे हो गए, तो पचासवीं रात की सुबह़ को मैं अपने एक घर की छत पर सुबह़ की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर बैठा था और मेरी ह़ालत उस वक़्त

बिल्कुल वही थी जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने किया है कि मैं अपनी जान से तंग था और ज़मीन अपनी फ़राख़ी (विस्तार) के बावजूद मुझ पर तंग हो चुकी थी कि अचानक मैंने किसी पुकारने वाले की आवाज़ सुनी जो कोहे सलअ पर चढ़कर अपनी बुलन्दतरीन आवाज़ में पुकार रहा था, ऐ कअब (रज़ि.)! खुश हो जाओ। मैं ये सुनते ही (अल्लाह के आगे) सज्दे में गिर गया और समझ गया कि मुसीबत का वक़्त ख़त्म हो गया है। दरअसल नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र के बाद ऐलान फ़र्माया था कि अल्लाह तआला ने उनकी तौबा कुबूल कर ली है, लिहाज़ा लोग हमें ख़ुशख़बरी देने चल पड़े। कुछ लोग ख़ुशख़बरी देने मेरे दूसरे दोनो साथियों की तरफ़ गये और एक शख़्स घोड़ा दौड़ाकर मेरी तरफ़ चला और एक दौड़ने वाला जो क़बील-ए-असलम का फ़र्द था दौड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और उसकी आवाज़ घोड़े से तेज़ निकली। लिहाज़ा जब वो शख़्स जिसकी आवाज़ में मैंने ख़ुशख़बरी सुनी थी मेरे पास पहुँचा तो मैंने अपने कपड़े उतारकर ख़ुशख़बरी देने के इन्आम में उसे दे दिये और अल्लाह की क़सम! मेरे पास उस दिन उन कपड़ों के अलावा और कोई जोड़ा न था इसलिये मैंने दो कपड़े उधार मांगकर पहने और नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में जाने के लिये चल पड़ा (रास्ते में) लोग गिरोह-दर-गिरोह मुझसे मिलते और तौबा कुबूल होने की मुबारकबाद देते हुए कहते, तुमको मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली और तुमको मुआफ़ कर दिया।

हज़रत कअब (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब मैं मस्जिद में पहुँचा तो नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे और लोग आप (ﷺ) के आसपास बैठे थे। मुझे देखते ही हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (रज़ि.) दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। अल्लाह की क़सम! मुहाजिरीन में से उनके अलावा कोई और शख़्स मेरी तरफ़ उठकर नहीं आया और मैं हज़रत तलहा (रज़ि.) के इस सुलूक को कभी नहीं भूला।

हज़रत कअब (रज़ि.) बयान करते हे कि जब मैंने नबी करीम (ﷺ) को सलाम किया तो आप (ﷺ) ने ख़ुशी से दमकते चेहरे के साथ इर्शाद फ़र्माया, तुमको आज का दिन मुबारक हो, ये दिन उन तमाम दिनों में सबसे बेहतर है जो तुम्हारी पैदाइश के बाद से आज तक तुम पर गुज़रे हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये मुआफ़ी आप (ﷺ) की तरफ़ से है या अल्लाह तआला की तरफ़ से? फ़र्माया, नहीं! ये मुआफ़ी अल्लाह तआला की तरफ़ से है। नबी करीम (ﷺ) जिस वक़्त मसरूर (ख़ुश) होते थे तो आप (ﷺ) का चेहरा इस तरह दमक उठता था जैसे वो चाँद का टुकड़ा हो और हम उसी चीज़ को देखकर जान लिया करते थे कि आप (ﷺ) ख़ुश हैं। अल्ग़र्ज़ जब मैं आप (ﷺ) के सामने बैठा तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस तौबा की ख़ुशी में मैं चाहता हूँ कि मैं अपना माल अल्लाह और उसके रसूलल्लाह (ﷺ)! के लिये बतौरे सदक़ा दे दूँ। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सब नहीं! कुछ माल अपने पास भी रखो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिये बेहतर होगा। मैंने अर्ज़ किया, अच्छा मैं अपना वो हिस्सा जो ख़ैबर में है रोके लेता हूँ। फिर मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चूँकि अल्लाह तआला ने मुझे सिर्फ़ सच की बरकत से नजात दी है इसलिये मैं अपनी इस तौबा की ख़ुशी में ये अहद करता हूँ कि जब तक ज़िन्दा रहूँगा हमेशा सिर्फ़ सच बात कहूँगा। चुनाँचे अल्लाह की क़सम! मेरे इल्म में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसका सच बोलने के सिलसिले में अल्लाह तआला ने इतना उम्दा इम्तिहान लिया हो जितना मेरा उस दिन से लिया है जिस दिन मैंने नबी करीम (ﷺ) के रूबरू ये अहद किया था। मैंने जिस दिन नबी करीम (ﷺ) से ये बात कही उस दिन से आज तक कभी क़सदन (जान-बूझकर) झूठ नहीं बोला और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तआला बाक़ी ज़िन्दगी में भी मुझे झूठ से महफ़ूज़ रखेगा।

इस मौक़े पर अल्लाह तआला ने नबी करीम (ﷺ) पर ये आयात नाज़िल फ़र्माई, **ल-क़त्ताबल्लाहु अलन्नबिय्यि वल्मुहाजिरीन वल् अन्सारिल्लज़ीनत्तबऊहु फ़ी साअतिल-उस्रति मिम्बअदि मा का-द यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिन्हुम सुम्म ताब अलैहिम इन्नहू बिहिम रऊफुर्रहीम. व अलस सलासतिल्लज़ीन ख़ुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा ज़ाकत अलैहिमुल अर्जु बिमा रहुबत व ज़ाकत अलैहिम अन्फ़ुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्म ताब अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाह हुवत्तव्वाबुर्रहीम. या**

अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन तर्जुमा : **अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया नबी (ﷺ) को और उन मुहाजिरीन व अन्सार को जिन्होंने बड़ी तंगी की हालत में नबी करीम (ﷺ) का साथ दिया। अगरचे उनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ़ माइल हो चले थे (मगर जब उन्होंने उस कजी का इत्तिबाअ न किया बल्कि नबी ﷺ का साथ ही दिया तो) अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह का मामला उन लोगों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का है। और उन तीनों को भी मुआफ़ किया जिनके मामले को मुल्तवी कर दिया गया था। जब ज़मीन अपनी सारी वुस्अत के बावजूद उन पर तंग कर दी गई थी और उनकी अपनी जानें भी उन पर भार होने लगीं और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई पनाह की जगह ख़ुद अल्लाह ही के दामने–रहमत के सिवा और कोई नहीं हैं तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ़ पलटा ताकि वो उसकी तरफ़ पलट आएँ। यक़ीनन वो बड़ा मुआफ़ करने वाला और रहीम है। ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो।** (सूर तौबा : 117-119)

अल्लाह की क़सम! जबसे मुझे अल्लाह तआला ने दीने–इस्लाम की तरफ़ रहनुमाई की है उसके बाद से अल्लाह तआला ने मुझे जो नेअमतें अता की हें उनमें सबसे बड़ी नेअमत मेरे नुक़्त–ए–निगाह से ये है कि मुझे नबी करीम (ﷺ) से सच बोलने की तौफ़ीक़ अता हुई और मैं झूठ बोलकर हलाक न हुआ जैसे दूसरे वो लोग हलाक हो गये जिन्होंने झूठ बोला था क्योंकि अल्लाह तआला ने नुज़ूले वह्य के वक़्त उन लोगों के बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किये थेजिससे ज़्यादा बुरे अल्फ़ाज़ किसी और के लिये नहीं फ़र्माए, इर्शादे बारी तआला है, **सयह़्लिफ़ून बिल्लाहि लकुम इज़न्क़लब्तुम इलैहिम लितुअरिज़ू अन्हुम फअअरिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुंव व मअवाहुम जहन्नमु जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून. यह़्लिफ़ून लकुम लितर्ज़ौ अन्हुम फ़इन तरज़ौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यर्ज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन** तर्जुमा : **तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने क़समें खाएँगे ताकि तुम उनसे सर्फ़े नज़र करो। तो बेशक तुम उनसे सर्फ़े नज़र ही कर लो क्योंकि ये गंदगी हैं और उनका असली मक़ाम जहन्नम है जो उनकी कमाई के बदले में उन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने क़समें खाएँगे ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ, हालाँकि अगर तुम उनसे राज़ी हो भी गए तो अल्लाह हर्गिज़ ऐसे फ़ासिक़ लोगों से राज़ी न होगा।** (सूरह तौबा : 95-96)

ह़ज़रत कअब (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम तीनों का मामला उन लोगों के मामले से मुअख़्ख़र कर दिया था जिनके बहाने नबी करीम (ﷺ) ने उनकी क़समों के आधार पर कुबूल कर लिये थे और उनसे बैअत ले ली थी और उनके गुनाह मुआफ़ होने की दुआ की थी और हमारे मुक़द्दमे का फ़ैसला मुअल्लक़ (लम्बित) कर दिया था यहाँ तक कि उसका फ़ैसला अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़र्माया है, **और वो तीनों जिनका फ़ैसला मुअख़्ख़िर छोड़ दिया गया था, उनकी भी तौबा क़ुबूल की गई।** इस आयत में (ख़ुल्लिफ़ू) से मुराद ये नहीं है कि उन्हें जिहाद से पीछे छोड़ दिया गया था बल्कि उससे मुराद यही है कि उनको मुअल्लक़ छोड़ दिया गया था और उनके मुक़द्दमे का फ़ैसला मुअख़्ख़र कर दिया गया था जबकि उन लोगों के बहाने क़ुबूल कर लिये गए थे जिन्हों ने क़सम खा–खाकर बहाने पेश किये थे। **(सह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 79)**

नोट : इस ह़दीष़ से नीचे लिखी बातें मा'लूम होती हैं,

01. **अल्लाह के रसूल (ﷺ) के हुक्म की तामील करना हर मुस्लिम पर लाज़मी है। जब अल्लाह की राह में जिहाद करने का मौक़ा हो तो उससे फ़रारी इख़्तियार नहीं करनी चाहिये। ह़ज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) के इस तफ़्सीली वाक़िये से हमें यह जानकारी मिलती है कि वे अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ जिहाद में शरीक होना चाहते थे लेकिन कारोबार में इस क़दर उलझकर रह गये कि रोजाना मंसूबे बनाते रहे लेकिन आप (ﷺ) के कारवाँ में शामिल न हो सके। उनकी निय्यत तो जिहाद में शामिल होने की थी लेकिन आज हम मुसलमानों की हालत ऐसी है कि हमें अल्लाह के दीन को सरबलन्द करने के लिये माल ख़र्च करने की भी तौफ़ीक़ नहीं होती और इसके**

बावजूद हमारे दिल में शर्मिन्दगी का एहसास पैदा नहीं होता। इस हदीष के पसमंज़र में हमें सोचना चाहिये कि कहीं हमारे ईमान का दावा झूठा तो नहीं है।

02. दुनियवी आराम की चीज़ें जैसे कि खेती–बाड़ी, कारोबार और माल–दौलत; इन्सान को अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने के फ़रीजे से ग़ाफ़िल कर देते हैं।

03. अगर ख़ुदा–न–ख़्वास्ता ऐसी कोई सूरत पेश आ जाए कि अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के किसी हुक्म की नाफ़र्मानी का गुनाह सरज़द हो जाए तो बजाय झूठ बोलने के अपने गुनाह का एं'तिराफ़ कर लेना चाहिये। उसके बाद अपने गुनाह पर शर्मिन्दा होते हुए अल्लाह तआला के आगे सच्ची तौबा करनी चाहिये। ऐसे गुनाह पर अगर कोई इस्लामी सज़ा मुतय्यन हो तो उसे आख़िरत के अज़ाब से कमतर मानते हुए क़ुबूल कर लेनी चाहिये क्योंकि जब कोई मुस्लिम अपने गुनाह की सज़ा दुनिया में ही भुगत लेता है तो वो सज़ा उसके गुनाह का कफ़्फ़ारा बन जाती है।

04. गुनाह की जब तौबा करें तो अल्लाह की राह में माल ख़र्च करना चाहिये; ताकि जिस माल ने दीन के फ़रीजे से ग़ाफ़िल किया था उसकी मुहब्बत कुछ कम हो।

05. जिन लोगों के दिल में निफ़ाक़ की बीमारी है, वे अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सामने भी झूठ बोलने में शर्म महसूस नहीं करते। ये वे लोग हैं जिनका कि गोया इस बात पर ईमान नहीं है कि अल्लाह उनके झूठ का पर्दाफाश करने पर क़ादिर है। ऐसे झूठों को क़यामत के दिन सख़्त सज़ा से दो–चार होना पड़ेगा।

06. ईमानवाले शख़्स की शान ये है कि अगर उसे किसी गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़े और कोई इस्लाम–दुश्मन शख़्स उसके साथ हमदर्दी जताए तो वे उसकी उन हमदर्दी भरी बातों को बुरा समझता है।

07. ईमानवाले लोग जब किसी से मुहब्बत करते हैं तो अल्लाह की ख़ातिर करते हैं और जब नफ़रत करते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के हुक्म की वजह से करते हैं।

बाब 10 : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) पर तोहमत लगाने का वाक़िया और तोहमत लगाने वालों की तौबा कुबूल होने का बयान

1763. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) पर तोहमत लगाने वालों ने जो कुछ कहा था उसके बारे में उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) बयान करती हैं, नबी करीम (ﷺ) जब सफ़र का इरादा फ़र्माते तो अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात के बीच क़ुर्आ डालते और जिसका नाम क़ुर्आ में निकलता उसे अपने साथ सफ़र में ले जाते।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक ग़ज़्वे के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) ने जब हमारे बीच क़ुर्आअंदाज़ी की तो मेरा नाम निकला; लिहाज़ा मैं आप (ﷺ) के साथ रवाना हो गई चूँकि ये वाक़िया हुक्मे हिजाब नाज़िल होने के बाद का है इसलिये मुझे कज़ावे में सवार कर दिया जाता था और उसी में बैठे–बैठे उतार लिया जाता था। अल्ग़र्ज़ हम सफ़र पर रवाना हुए यहाँ तक कि जब नबी करीम (ﷺ) उस ग़ज़्वे से फ़ारिग़ हो गए और वापसी का सफ़र शुरू हुआ और हम लोग मदीना से दो पड़ाव के फ़ासले पर पहुँच गए तो एक रात कूच का ऐलान कर दिया गया। मैं कूच का ऐलान सुनकर उठी और लश्कर से दूर जाकर अपने हवाइजे–ज़रूरिया से फ़ारिग़ हुई, जब लौटकर अपने कजावे के क़रीब पहुँची और मैंने अपने सीने को छूकर देखा तो मेरा ज़फ़ार के नगीनों का हार टूटकर कहीं गिर गया था लिहाज़ा मैं वापस जाकर हार ढूँढ़ने लगी और उसकी तलाश में मुझे देर हो गई।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि वो लोग जो मेरा हौदज उठाया करते थे, आए और उन्होंने मेरा हौदज उठाकर मेरी ऊँटनी पर जिस पर मैं सवार हुआ करती थी, रख दिया। वो यही ख़याल करते रहे कि मैं हौदज के अन्दर हूँ। उस ज़माने में औरतें हल्की–फुल्की हुआ करती थीं, मोटी–ताज़ी न थीं और न गोश्त की तहें चढ़ी होती थीं क्योंकि खाना थोड़ा खाती थीं। चुनाँचे जब उन लोगों ने मेरा हौदज उठाया तो उसका हल्कापन उनको कुछ ख़िलाफ़े

मा'मूल महसूस न हुआ क्योंकि मैं वैसे भी एक नौउम्र (कमसिन) लड़की थी। फिर उन्होंने ऊँट को उठाया और चल दिये। जब लश्कर रवाना हो गया तो मुझे मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर के पड़ाव की जगह वापस आई। उस वक़्त वहाँ न कोई पुकारने वाला मौजूद था और जवाब देने वाला। (ये कैफ़ियत देखकर) मैं उस मक़ाम की तरफ़ रवाना हुई जहाँ मेरा क़ियाम था और मुझे यक़ीन था कि अन्क़रीब जब वो लोग मुझे न पाएँगे तो मेरी तरफ़ वापस आएँगे। जिस वक़्त में उस जगह बैठी थी जहाँ हमने क़ियाम किया था मुझ पर नींद का ग़लबा हुआ और मैं सो गई।

हज़रत सफ़्वान बिन मुअत्तल सुलमी षुम्म ज़क्वानी (रज़ि.) लश्कर के पीछे चल रहे थे, वो सुबह के वक़्त मेरे पड़ाव की जगह पर पहुँचे तो उन्हें किसी सोए हुए आदमी का हयूला नज़र आया और जब उन्होंने मुझे देखा तो पहचान लिया, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले उन्होंने मुझे देखा था। मुझे पहचानकर जब उन्होंने **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊन** पढ़ा तो मैं बेदार हो गई और मैंने अपनी चादर से अपना चेहरा ढंक लिया। अल्लाह की क़सम! हमने आपस में एक–दूसरे से एक बात भी नहीं की और न मैंने उनको सिवाय **इन्ना लिल्लाह** के कुछ और कहते सुना। फिर उन्होंने अपने ऊँट को बिठाने के लिये उसके अगले पांव ज़मीन पर बिछा दिये और मैं उस पर सवार हो गई और वो ऊँट की नकेल पकड़कर आगे–आगे चलने लगे यहाँ तक कि चिलचिलाती दोपहर के वक़्त जब लश्कर एक जगह पड़ाव किये हुए था हम भी उसके साथ जा मिले।

हज़रत उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) बयान करती हैं कि (बस वाक़िया इतना है जिसकी वजह से जिस–जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया) वो तबाह व बर्बाद हुआ। और उस तोहमत की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जिसने अपने सर ली वो शख़्स अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल (मुनाफ़िक़) था।

(इस हदीष के रावियों में से एक रावी) उर्वा (रह.) कहते हैं कि उस शख़्स (अब्दुल्लाह बिन उबई) की मज्लिस में इस तोहमत के मौज़ूअ पर खुलकर गुफ़्तगू होती थी, तरह–तरह की बातें बनाई जाती थीं और ये उनको ताईद करता, हर बात ग़ौर से सुनता और इस अंदाज़ से उस पर गुफ़्तगू करता जिससे बात मज़ीद बढ़ती और फैलती।

हज़रत उर्वा (रह.) कहते हैं कि उन तोहमत लगाने वालों में सिर्फ़ ये चन्द नाम मा'लूम हैं। हस्सान बिन षाबित (रज़ि.), मस्तह बिन अषाषा (रज़ि.) और हम्नह बिन्ते जहश (रज़ि.), उनके अलावा कुछ और लोग भी थे जिनके बारे में मुझे मा'लूम नहीं अल्बत्ता इतना मा'लूम है कि ये लोग उस्बा (गिरोह) थे जैसा कि कुर्आन मजीद में वारिद है कि **इन्नल्लज़ीन जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिन्कुम ला तह्सबूहु शर्रल्लकुम बल हुव ख़ैरुल्लकुम लिकुल्लिम्रिइम मिन्हुम मकतसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहू मिन्हुम लहू अज़ाबुन अज़ीम** तर्जुमा : **जो लोग ये बोहतान गढ़ लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है, उसको अपने हक़ में बुरा न समझना बल्कि वह तुम्हारे लिये अच्छा है। उनमें से जिस शख़्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिये उतना वबाल है और जिसने उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है, उसको बड़ा अज़ाब होगा।** और इन बोहतान लगाने वालों में सबसे ज़्यादा बढ़–चढ़कर हिस्सा अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल ने लिया था, जिसके लिये कुर्आने–करीम में बड़े अज़ाब की चेतावनी दी गई है।

उर्वा (रह.) बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) इस बात को नापसन्द करती थीं कि कोई शख़्स उनके सामने हज़रत हस्सान बिन षाबित (रज़ि.) को बुरा कहे। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहा करती थीं कि हज़रत हस्सान (रज़ि.) ही ने ये शे'र कहा है, **फ़इन्न अबी व वलिदुहू व अर्ज़ी, लिअर्ज़ि मुहम्मदिम्मिन्कुम विक़ाउन्** तर्जुमा : **मेरे बाप और माँ और मेरी आबरू तुम्हारे मुक़ाबले में हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त के लिये है।**

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उसके बाद हम मदीना में आ गए और मदीना आने के बाद मैं एक माह तक बीमार रही। लोग तोहमत लगाने वालों की बातों पर ख़ूब तब्सरे करते थे लेकिन मुझे

उसके बारे में कुछ पता न था; अल्बत्ता जिस बात से मुझे कुछ शक पड़ता, ये थी कि बीमारी के दिनों में मैंने नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ से वो शफ़क़त नहीं देखी जो आप (ﷺ) उससे पहले जब मैं बीमार होती तो मुझ पर फ़र्माया करते थे। उस बीमारी के दिन आप (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाते सलाम करते और (दूसरों से) पूछते, तुम्हारी इस औरत का क्या हाल है? बस यही एक बात थी जिससे मुझे शक होता था लेकिन मुझे असल शरारत का क़त्अन पता न था। अल्ग़र्ज़ जब मेरे मर्ज़ में कुछ आराम हुआ तो मैं उम्मे मिस्तह (रज़ि.) के साथ मक़ामे-मनासेअ की तरफ़ गई, ये मक़ाम हमारे बोल, बराज़ की जगह थी और हम औरतें क़ज़ा-ए-हाजत के लिये एक रात के बाद फिर अगली रात को जाया करती थीं (या'नी दिन के वक़्त नहीं जाती थीं) ये उस ज़माने का ज़िक्र है जब अभी हमारे घरों के क़रीब बैतुलख़ला नहीं बने थे और हम क़दीम अरबों की आदत के मुताबिक़ क़ज़ा-ए-हाजत के लिये जंगल की तरफ़ जाया करते थे और घरों के क़रीब लोग बैतुलख़ला बनाने से नफ़रत करते थे।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं और उम्मे मिस्तह (रज़ि.) जो अबू रहम बिन मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफ़ की बेटी थीं और उनकी वालिदा बिन्ते सख़र बिन आमिर हज़रत अबूबक्र (रजि) की ख़ाला थीं और उनका बेटा मिस्तह (रज़ि.) बिन अषाषा, अब्बाद बिन मुत्तलिब का बेटा था। (हम अपने हवाइजे ज़रूरिया से फ़ारिग़ होकर) अपने घर की तरफ़ वापस आ रही थीं तो उम्मे मिस्तह (रज़ि.) का पांव अपनी चादर में उलझ गया और वो बोलीं, हलाक हो मिस्तह (रज़ि.)! मैंने कहा, तुमने बहुत बुरी बात कही, क्या तुम ऐसे शख़्स को बुरा कहना चाहती हो जो ग़ज़्व-ए-बद्र में शरीक हो चुका है? वो कहने लगीं, भोली लड़की! क्या तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा है? मैंने पूछा, आख़िर उसने क्या कहा है? उस वक़्त उसने मुझे बताया कि उन तोहमत लगाने वालों ने क्या-क्या बातें बनाई हैं। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं पहले ही बीमार थी, उसकी बातें सुनकर मेरी बीमारी में और बढ़ोतरी हो गई। जब मैं अपने घर पहुँची तो नबी करीम (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने सलाम किया, उसके बाद फ़र्माया, अब उस औरत का क्या हाल है?

मैंने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, क्या आप (ﷺ) मुझे अपने माँ-बाप के घर जाने की इजाज़त देते हैं? हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मेरा मक़्सद ये था कि मैं अपने माँ-बाप के घर जाकर उस ख़बर की तहक़ीक़ करूँ। आप (ﷺ) ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी तो मैंने अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान! लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटी! उस बात को दिल पर न लगाओ इसलिये कि अल्लाह की क़सम! ऐसा बहुत कम होता है कि किसी शख़्स की ख़ूबसूरत बीवी हो और वो उसे चाहता भी हो और उसकी सौकनें उसमें बहुत ज़्यादा ऐब न निकालें। मैंने कहा, सुब्हानल्लाह! (तअज्जुब है) क्या अब और लोगों ने भी ये बातें बनाना शुरू कर दी हैं? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, उस रात में सारी रात रोती रही यहाँ तक कि सुबह हो गई, न तो मेरे आंसू थमे और न आँख लगी यहाँ तक कि सुबह हुई तो उस वक़्त भी मैं रो रही थी।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब वह्य आने में देर हो गई तो नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) और हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) को बुलवाया और उन दोनों से आप (ﷺ) ने अपनी ज़ोज-ए-मुतहहरा (हज़रत आयशा रजि) से अलहदगी इख़्तियार कर लेने के सिलसिले में मश्वरा किया तो हज़रत उसामा (रज़ि.) ने उसी के मुताबिक़ मश्वरा दिया जो वो नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुहतरमा की नेकी और पाकबाज़ी के बारे में जानते थे और जो उनको अज़्वाजे-मुतह्हरात के बारे में फ़िलवाक़ेअ मा'लूम था। चुनाँचे हज़रत उसामा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अपनी ज़ोज-ए-मुहतरमा (रज़ि.) को ख़ुद से जुदा न कीजिए और हम उनके बारे में सिवाय ख़ैर के और कुछ नहीं जानते, लेकिन हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) के लिये कोई तंगी नहीं रखी है और आइशा (रज़ि.) के अलावा और औरतें बहुत हैं। नीज़ आप (ﷺ) उनकी लौण्डी (हज़रत बरीरा रज़ि.) से पूछिये वो आप (ﷺ) को सच बात बता देंगी।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत बरीरा (रज़ि.) को बुलवाया और उनसे पूछा, ऐ बरीरा (रज़ि.)! क्या तुमने कभी कोई ऐसी बात देखी जिसके आधार पर तुमको हज़रत आइशा (रज़ि.) पर किसी क़िस्म का शक हुआ हो? हज़रत बरीरा (रज़ि.) ने कहा, क़सम उस ज़ात की जिसने आप (ﷺ) को हक़ देकर मब्ऊष फ़र्माया, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी जिसकी बिना पर मैं उन पर किसी क़िस्म का ऐब लगाऊँ, सिवाए उसके कि वो एक नौ–उम्र लड़की हैं जो अपने घरवालों का गुंथा हुआ आटा खुला छोड़कर सो जाती हैं और बकरी आकर उसे खा लेती है।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) उस गुफ़्तगू के बाद उसी दिन मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने अब्दुल्लाह इब्ने उबई (मुनाफ़िक़) को (उसकी उस ईज़ा रसानी पर) सज़ा देने के बारे में लोगों से पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ मुसलमानों! कोई है जो मेरा इंतिक़ाम ले उस शख़्स से जिससे ईज़ा और तकलीफ़ मुझे मेरे अहले बैत के सिलसिले में पहुँची है? अल्लाह की क़सम! मैं अपने अहले बैत के बारे में सिवाय ख़ैर के कुछ नहीं जानता और उन लोगों ने इस सिलसिले में जिस शख़्स का नाम लिया है मैं उसके बारे में भी सिवाय ख़ैर के और कुछ नहीं जानता और ये शख़्स जब कभी मेरे घर आया मेरे साथ आया, मेरी अदम मौजूदगी (अनुपस्थिति) में कभी नहीं आया।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि आप (ﷺ) का ये इर्शाद सुनकर हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) जो क़बीला बनी अब्दुल अश्हल में से थे उठे और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपका बदला लूँगा अगर वो शख़्स क़बीला औस में से होगा तो मैं ख़ुद उसको क़त्ल करूँगा और अगर वो हमारे बिरादर क़बील–ए ख़ज़रज में से होगा तो उसके बारे में आप (ﷺ) जो हुक्म देंगे हम उसकी ता'मील करेंगे। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि ये बात सुनकर क़बीला ख़ज़रज में से एक शख़्स जो हज़रत हस्सान (रज़ि.) की वालिदा के चचाज़ाद भाई थे उठ खड़े हुए। उनका नाम सअद बिन उबादा (रज़ि.) था और ये क़बीला ख़ज़रज के सरदार थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि ये शख़्स फ़िल् जुम्ला एक नेक इंसान थे लेकिन उस मौक़े पर उनको ज़मान–ए–जाहिलियत के तअस्सुब ने अंगेख़्त दी और हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) से कहने लगे, हय्यते–बारी तआला की क़सम! तुमने झूठ कहा, तुम उसे क़त्ल नहीं करोगे और न तुम उसको क़त्ल करने पर क़ादिर हो अगर वो तुम्हारे क़बीले का फ़र्द होगा तो तुम ये बात पसन्द न करोगे कि वो क़त्ल कर दिया जाए। ये सुनकर हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) जो हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) के चचाज़ाद भाई थे उठे और उन्होंने सअद बिन उबादा (रज़ि.) से कहा, क़सम हय्यते बारी तआला की! तुमने झूठ कहा। हम उसे ज़रूर क़त्ल कर देंगे और तुम तो मुनाफ़िक़ हो और मुनाफ़िक़ों के दिफ़ाअ में लड़ रहे हो। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उस बातचीत की वजह से दोनों क़बीले या'नी औस और ख़ज़रज भड़क उठे और लड़ाई पर आमादा हो गये और ये झगड़ा ऐसी हालत में हुआ जबकि नबी करीम (ﷺ) मिम्बर पर खड़े थे और मुसलसल दोनों क़बीलों के लोगों को झगड़े से बाज़ रहने के लिये कह रहे थे यहाँ तक कि सब लोग ख़ामोश हो गये और आप (ﷺ) भी ख़ामोश हो गये। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं उस रोज़ सारा दिन रोती रही न मेरे आंसू थमते थे और न मुझे नींद आती थी।

उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे वालिदैन मेरे पास ही थे और मुझे रोते हुए दो रातें और एक दिन गुज़र चुका था, न आंसू रुकते थे और न नींद आती थी और हालत ये हो गइ थी कि मैं महसूस कर रही थी कि रोने की वजह से मेरा कलेजा फट जाएगा। उसी वक़्त जबकि मेरे वालिदैन मेरे पास बैठे थे और मैं रोए जा रही थी, एक अंसारी औरत ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने उसे आने की इजाज़त दे दी और वो भी बैठकर मेरे साथ रोने लगी। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जिस वक़्त हम उस हाल में थे, नबी करीम (ﷺ) हमारे

यहाँ तशरीफ़ लाए, आप (ﷺ) ने सलाम किया और बैठ गए। उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) बयान करती हैं कि उस तमाम अर्से में जबसे ये बोहतान तराशी शुरू हुई थी, आप (ﷺ) आज से पहले मेरे पास नहीं बैठे थे और एक महीना गुज़र गया था लेकिन मेरे उस क़ज़िये के बारे में आप (ﷺ) पर कोई वह्य नहीं उतरी थी।

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि तशरीफ़ फ़र्मा होने के बाद पहले आप (ﷺ) ने तशह्हुद पढ़ा, फिर फ़र्माया, अम्मा बअ़द! ऐ आइशा (रज़ि.)! मुझे तुम्हारे बारे में ये बात पहुँची है लिहाज़ा अगर तुम बेगुनाह हो तो अन्क़रीब अल्लाह तआ़ला तुम्हारी बेगुनाही ज़ाहिर कर देगा और अगर तुमसे कोई गुनाह हुआ हो ही गया है तो अल्लाह तआ़ला से अपने गुनाह पर तौबा व इस्तिग़्फ़ार करो **क्योंकि बन्दा जब अल्लाह तआ़ला के सामने अपने गुनाह का ए'तिराफ़ करता है और उस गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़ुबूल कर लेता है।** उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ज्योंही नबी करीम (ﷺ) ने अपनी बात ख़त्म की मेरे आंसू इस तरह थम गए कि उसके बाद मैंने अपने चेहरे पर आंसुओं का एक क़तरा भी महसूस न किया और मैंने अपने वालिद मुहतरम से कहा कि जो कुछ नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया है मेरी तरफ़ से उसका जवाब आप दीजिए। हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) कहने लगे, अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं इस सिलसिले में नबी करीम (ﷺ) से क्या अ़र्ज़ करूँ। फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप नबी करीम (ﷺ) की बात का जवाब दीजिये। मेरी वालिदा ने भी यही कहा कि अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं आप (ﷺ) से क्या कहूँ।

उसके बाद मैंने बात शुरू की हालाँकि मैं एक नौ–उम्र लड़की थी और क़ुर्आन भी ज़्यादा पढ़ी हुई न थी, मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! मुझे मा'लूम है कि आप लोगों ने ये बात (तोहमत व इल्ज़ामतराशी) सुनी और वो सबके दिलों में बैठ गई और सबने उसको सच मान लिया है; लिहाज़ा अब अगर मैं कहती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ तो आप लोगों को मेरी बात का यक़ीन नहीं आएगा और अगर मैं किसी ऐसे गुनाह का ए'तिराफ़ कर लूँ जिसके बारे में अल्लाह तआ़ला जानता है कि मैंने नहीं किया और मैं क़त्अ़न बेगुनाह हूँ तो आप लोग मेरा यक़ीन कर लेंगे। लिहाज़ा अल्लाह की क़सम! मैं लोगों की इस कैफ़ियत और अपनी हालत के लिये सिवाय हज़रत यअ़क़ूब (अलैहिस्सलाम) की मिषाल के और कोई मिषाल नहीं पाती और इस मौक़े पर जो कुछ उन्होंने कहा था वही मैं कहती हूँ, **फ़सब्रुन जमीलुन, वल्लाहुल मुस्तआ़न अ़ला मा तसिफ़ून** तर्जुमा : **अच्छा! तो मैं सब्र करूँगा और बख़ूबी करूँगा, जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है।** (सूरह यूसुफ़ : 18)

इस बातचीत के बाद मैं अपना पहलू बदलकर बिस्तर पर लेट गई, मेरा यक़ीन था कि अल्लाह ख़ूब जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ और यक़ीनन वो मेरी बेगुनाही ज़ाहिर कर देगा। लेकिन अल्लाह की क़सम! ये बात मेरे वहम व गुमान में भी न थी कि अल्लाह तआ़ला मेरे इस मामले में ऐसी वह्य नाज़िल करेगा जिसकी (क़ियामत तक) तिलावत होती रहेगा। मेरे ख़याल में मेरा मक़ाम व मर्तबा उससे कहीं कमतर थो कि अल्लाह तआ़ला मेरे बारे में बतौरे ख़ास कलाम फ़र्माए, अल्बत्ता मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी कि नबी करीम (ﷺ) को ख़्वाब में कोई ऐसी बात नज़र आ जाएगी जिससे अल्लाह तआ़ला मेरी बेगुनाही षाबित कर देगा। लेकिन अल्लाह की क़सम! हुआ ये कि न तो नबी करीम (ﷺ) अपनी जगह से उठे और न घरवालों में से कोई और शख़्स घर से बाहर गया और आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हो गई और आप (ﷺ) पर शदीद तकलीफ़ की वही कैफ़ियत तारी हुई जो नुज़ूले वह्य के वक़्त होती थी यहाँ तक कि सर्द मौसम में भी उस कलाम के बोझ की वजह से जो आप (ﷺ) पर नाज़िल होता था, आपके जिस्मे अत्हर से मोतियों की तरह पसीने के क़तरे टपकने लगते थे।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब आप (ﷺ) पर से ये कैफ़ियत ख़त्म हुई तो आप (ﷺ) मुस्कुरा रहे थे और पहली बात जो आप (ﷺ) ने फ़र्माई ये थी, ऐ आइशा (रज़ि.)! अल्लाह तआ़ला

ने तुमको बेगुनाह क़रार दे दिया है। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) कहती हैं कि ये बात सुनकर मेरी वालिदा ने कहा, उठो! और आप (ﷺ) का शुक्रिया अदा करो! मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं नहीं उठूँगी और सिवाए अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के किसी का शुक्रिया अदा न करूँगी। उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उस मौक़े पर अल्लाह तआ़ला ने ये आयात नाज़िल की,

जो लोग ये बोहतान गढ़ लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक टोला हैं। इस वाक़िये को अपने ह़क़ में शर न समझे बल्कि ये भी तुम्हारे लिये ख़ैर ही है। जिसने इसमें जितना ह़िस़्स़ा लिया उसने उतना ही गुनाह समेटा और जिस शख़्स़ ने इसकी ज़िम्मेदारी का बड़ा ह़िस़्स़ा अपने सर लिया उसके लिये तो अ़ज़ाबे–अ़ज़ीम है। जिस वक़्त तुम लोगों ने उसे सुना था उसी वक़्त क्यूँ न मोमिन मर्दों और मोमिन औ़रतों ने अपने आपसे नेक गुमान किया और क्यों न कह दिया कि ये स़रीह़ बोहतान है? वो लोग (अपने इल्ज़ाम के षुबूत में) चार गवाह क्यूँ न लाए? अब कि वो गवाह नहीं लाए हैं, अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आख़िरत में अल्लाह का फ़ज़्ल और रह़म व करम न होता तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी सज़ा में बड़ा अ़ज़ाब तुम्हें आ लेता। (ज़रा ग़ौर तो करो उस वक़्त तुम कैसी ग़लती कर रहे थे) जबकि तुम्हारी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान उस झूठ को लेती चली जा रही थी और तुम अपने मुँह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म न था। तुम उसे एक मा'मूली बात समझ रहे थे हालाँकि अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी बात थी। क्यूँ न उसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात ज़बान से निकालना ज़ेबा (शोभा) नहीं देता। सुब्ह़ानल्लाह! ये तो एक बोहताने अ़ज़ीम है अल्लाह तुमको नस़ीहत करता है कि आइन्दा कभी ऐसी ह़रकत न करना अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह तुम्हें स़ाफ़–स़ाफ़ हिदायात देता है और वो अ़लीम व ह़कीम है।

जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के गिरोह में फ़ह़श फैले वो दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तह़िक़ हैं अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसका रह़म व करम तुम पर न होता और ये बात न होती कि अल्लाह बड़ा शफ़ीक़ व रह़ीम है (तो ये चीज़ जो अभी तुम्हारे अंदर फैलाई गई थी बदतरीन नतीजे दिखा देती)।

ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो शैतान के नक़्शे–क़दम पर न चलो, उसकी पैरवी कोई करेगा तो वो तो फ़ह़श व बदी ही का हुक्म देगा। अगर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसका रह़म व करम तुम पर न होता तो तुममें से कोई शख़्स़ पाक न हो सकता। मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है।

तुममें से जो लोग स़ाह़िबे फ़ज़्ल और स़ाह़िबे मुक़द्दरत हैं वो इस बात की क़सम न खा बैठें कि अपने रिश्तेदार, मिस्कीन और मुहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की मदद न करेंगे। उन्हें मुआ़फ़ कर देना चाहिए और दरगुज़र करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें मुआ़फ़ करे? और अल्लाह की स़िफ़त ये है कि वो ग़फ़ूर व रह़ीम है।

जो लोग पाकदामन बेख़बर मोमिन औ़रतों पर तोहमतें लगाते हैं उन पर दुनिया और आख़िरत में लअ़नत की गई और उनके लिये बड़ा अ़ज़ाब है। वो उस दिन को भूल न जाएँ जबकि उनकी अपनी ज़बानें और उनके अपने हाथ–पांव उनकी करतूतों की गवाही देंगे उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर देगा जिसके मुस्तह़िक़ वो हैं और उन्हें मा'लूम हो जाएगा कि अल्लाह तआ़ला ही ह़क़ है सच को सच कर दिखाने वाला।

ख़बीष़ औ़रतें, ख़बीष़ मर्दों के लिये और ख़बीष़ मर्द, ख़बीष़ औ़रतों के लिये, और पाकीज़ा

औरतें, पाकीज़ा मर्दों के लिये हैं और पाकीज़ा मर्द, पाकीज़ा औरतों के लिये। उनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं। उनके लिये मग़्फ़िरत है और रिज़्क़े करीम। (सूरह नूर : 11-26)

उस वक़्त जब ये आयाते करीमा अल्लाह तआला ने मेरी बेगुनाही के सिलसिले में, नाज़िल फ़र्माईं थी, हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.), मिस्तह (रज़ि.) बिन अषाषा की (उनसे अपनी रिश्तेदारी और उनकी ग़रीबी की वजह से) माली मदद किया करते थे लेकिन (जब उन्होंने अफ़वाह फैलाने में हिस्सा लिया तो) हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मिस्तह (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में जो कुछ कहा है उसके बाद मैं उन पर कभी कोई रक़म खर्च नहीं करूँगा। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, (तर्जुमा) **तुममें से जो लोग साहिबे फ़ज़्ल और साहिबे मुक़द्दरत हैं वो इस बात की क़सम न खा बैठें कि अपने रिश्तेदार, मिस्कीन और मुहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की मदद न करेंगे। उन्हें मुआफ़ कर देना चाहिए और दरगुज़र करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे? और अल्लाह की सिफ़त ये है कि वो ग़फ़ूर व रहीम है।** इस आयत के नाज़िल होने पर हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, हाँ! अल्लाह की क़सम! मैं पसन्द करता हूँ कि अल्लाह तआला मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा दे चुनाँचे उन्होंने मिस्तह (रज़ि.) का नफ़्क़ा जो उन्हें पहले दिया करते थे फिर से जारी कर दिया और कहा, अब मैं ये नफ़्क़ा कभी बन्द न करूँगा।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मेरे इस मामले के मुतअल्लिक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से भी पूछा था। आप (ﷺ) ने उनसे पूछा था कि तुम क्या जानती हो? या तुमने क्या देखा है? तो हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने कहा था, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपने कानों और आँखों के मामले में एहतियात बरतती हूँ (बिना देखे और बिन सुने कोई बात नहीं कहती) अल्लाह की क़सम! मैं (हज़रत आइशा रज़ि. के बारे में) सिवाय भलाई के और कुछ नहीं जानती।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि अज़्वाजे मुतहहरात में से हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) बिन्ते जहश ही वाहिद वो हरमे मुहतरम थीं जो मेरे हम-पल्ला होने का दा'वा करती थीं लेकिन उनकी परहेज़गारी ने उनको बचा लिया, जबकि उनकी बहन हम्ना (रज़ि.) जो उनकी हिमायत में हमेशा लड़ती रहती थीं दूसरे तोहमत लगाने वालों के साथ शरीक होकर बर्बाद हो गई।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि अल्लाह की क़सम! वो शख़्स जिसको मेरे साथ तोहमत में मुलव्विष किया गया था, कहता था, पाक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन क़सम उसकी जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! मैंने आज तक कभी किसी औरत का पर्दा नहीं खोला। उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) बयान करती हैं कि उसके बाद ये साहब अल्लाह की राह में शहीद हो गए। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 34)**

नोट : बयान की गई इस हदीष से नीचे लिखी बातें पता चलती हैं,

01. पाकदामन मोमिन औरतों पर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाना मुनाफ़िक़ों का काम है।

02. जब तक किसी औरत को चार मर्द बदकारी करते हुए अपनी आँखों से न देख लें, तब तक उस पर बदकारी की तोहमत नहीं लगाई जा सकती।

03. शक एक ऐसी बीमारी है जिसकी गिरफ़्त में बड़े से बड़ा दीनदार आदमी भी आ जाता है। शक की वजह से मियाँ-बीवी के रिश्तों से भरोसा व यक़ीन उठ जाता है।

04. अगर किसी औरत के बारे में बदकारी की तोहमत लगाई जाए तो उसके शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके अख़लाक़ के बारे में मोतबर लोगों से गवाही ले। जब वे उसकी पाकदामनी की गवाही दें तो शौहर को चाहिये कि अपनी बीवी पर शक करने के बजाय इल्ज़ाम लगानेवालों को अपने लिये तकलीफ़देह समझे।

05. जब किसी मर्द या औरत के बारे में गवाही तलब की जाए तो सच्ची बात कहनी चाहिये। अगर कोई मर्द या औरत

पाकबाज़ हो तो मज़बूत लहज़े में उसके अख़लाक़ की गवाही देनी चाहिये।

06. अगर किसी औरत के बारे में ग़लत बात फैलाई जाए तो उस औरत को चाहिये कि वो सब्र से काम ले और अल्लाह से मदद माँगे। जब कोई मोमिना औरत सब्र करते हुए अल्लाह पर भरोसा करती है तो अल्लाह तआला उसकी बेगुनाही षाबित करने वाले हालात पैदा करता है।

07. एक मोमिन को दूसरे मोमिन के बारे में नेक गुमान करना चाहिये। अगर वो किसी मोमिन मर्द या औरत के बारे में ग़लत बात सुने तो उस पर न तो यक़ीन करे और न ही उसे आगे फैलाए।

08. जो लोग मुस्लिम समाज में बेहयाई फैलाने की कोशिश करते हैं वे दोनों जहान में कड़ी सज़ा के हक़दार हैं।

09. जिन लोगों को अल्लाह ने मालदार बनाया है उनकी ज़िम्मेदारी है कि ग़रीबों–मिस्कीनों की मदद करते रहें। ख़ुदा–न–ख़्वास्ता अगर उस ग़रीब से ऐसी ग़लती हो जाए जो उस मालदार आदमी के लिये बेइज़्ज़ती और तकलीफ़ का सबब हो, तब भी उस मालदार को उस ग़रीब की मदद बन्द नहीं करनी चाहिये। यह बहुत बड़ी नेकी का काम है।

10. जब किसी मुस्लिम मर्द या औरत को अल्लाह अपने फ़ज़्ल से बेगुनाह षाबित कर दे तो उस मर्द या औरत को चाहिये कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें।

1764. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब मेरे मुता'ल्लिक़ इल्ज़ामतराशी की गई हालाँकि मैं उसके बारे में क़त्अन बेख़बर थी तो नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हुए, पहले आप (ﷺ) ने कलिम–ए–शहादत पढ़ा। फिर अल्लाह तआला की हम्दो–षना की जो उसके शायाने शान है, उसके बाद इर्शाद फ़र्माया, तुम लोग मुझे मश्विरा दो उन लोगों के बारे में जिन्होंने मेरे अहले बैत पर तोहमत लगाई है। और अल्लाह की क़सम! अपने अहलो–अयाल के बारे में मेरे इल्म में कभी कोई बुरी बात नहीं आई और जिसको मेरे अहले बैत के साथ इस इल्ज़ाम में शामिल किया गया है अल्लाह की क़सम! मैं उसके बारे में भी किसी क़िस्म की कोई बुरी बात क़त्अन नहीं जानता और वो शख़्स कभी मेरे घर में मेरी ग़ैरहाज़िरी में नहीं आया और जब कभी में सफ़र की वजह से ख़ुद ग़ैर–हाज़िर हुआ हूँ वो भी मेरे साथ गया है।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) मेरे घर भी तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने मेरी ख़ादिमा से मेरे बारे में पूछा तो उसने कहा, हर्गिज़ नहीं! अल्लाह की क़सम! उसने हज़रत आइशा (रज़ि.) में कभी किसी क़िस्म का ऐब नहीं पाया सिवाय इसके कि वो (कभी–कभी) सो जाया करती हैं और बकरी आकर उनका आटा खा जाती है। उस ख़ादिमा को नबी करीम (ﷺ) के कुछ अस्हाब ने झिड़का भी, बल्कि उसे सख़्त–सुस्त कहा, लेकिन उसने कहा, सुब्हानल्लाह! अल्लाह की क़सम! मैं उनके बारे में उसी तरह जानती हूँ जैसे एक सर्राफ़ (सुनार) ख़ालिस सोने के टुकड़े के बारे में जानता है (या'नी क़त्अन बेऐब और पाकीज़ा) और जब उस तोहमत की ख़बर उस शख़्स को हुई जिसके साथ मुझे इस इल्ज़ाम में शामिल किया गया था तो उन्होंने कहा, सुब्हानल्लाह! अल्लाह की क़सम! मैंने आज तक कभी किसी औरत का पर्दा नहीं खोला। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ये साहब उसके बाद अल्लाह की राह में शहीद हो गए।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह नूर बाब 11)

मुनाफ़िक़ों के ख़साइल और उनके बारे में बयान

1765. हदीष ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र पर गए जिसमें लोगों को सख़्त तकलीफ़ हुई तो अब्दुल्लाह बिन उबई ने अपने साथियों से कहा, तुम उन लोगों को जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हैं, कुछ न दो ताकि वो आप (ﷺ) को छोड़ जाएँ और उसने ये भी कहा कि हम ज़रा मदीना वापस पहुँच लें तो जो इज़्ज़तवाला है वो ज़लील को वहाँ से निकाल बाहर करेगा। ये सुनकर मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने आप (ﷺ) को सब बातें बता दीं। आप (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन उबई के पास आदमी भेजकर पुछवाया। उसने क़सम खाकर मुझे झुठलाने की कोशिश की और कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो लोग कहने लगे कि ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से झूठ कहा है। उन लोगों की इस बात से मुझे शदीद रंज हुआ यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने सूरह मुनाफ़िक़ून नाज़िल फ़र्माकर मुझे सच्चा षाबित कर दिया फिर नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें बुलवाया ताकि उनके लिये दुआ करें कि अल्लाह तआला उनका क़ुसूर मुआफ़ कर दे मगर उन्होंने अपने सर मोड़ लिये (न आए) अल्लाह तआला ने फ़र्माया है **कअन्नहुम ख़ुश्बुम्मुसन्नद** तर्जुमा : **ये देखने में ऐसे नज़र आते हैं गोया लकड़ी के कुँदे हों।** (सूरह मुनाफ़िक़ून : 4)

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह मुनाफ़िक़ून बाब 3)

1766. हदीष जाबिर (रज़ि.) : हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई को क़ब्र में उतारा जा चुका तो नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए, उसे निकलवाया और अपना लुआबे दहन उस पर डाला और अपनी क़मीस मुबारक उसे पहनाई। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 23)**

1767. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं जब अब्दुल्लाह बिन उबई का इंतिक़ाल हुआ तो उसका बेटा नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप अपनी क़मीस मुझे अता कर दीजिए ताकि मैं उसे (यानी अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उबई को) आप (ﷺ) की क़मीस का कफ़न दूँ और आप (ﷺ) उसके लिए दुआ-ए-रहमत व मग़्फ़िरत कीजिए। चुनाँचे नबी रहमत (ﷺ) ने अपनी क़मीस उसे अता कर दी और फ़र्माया, मुझे ख़बर कर देना मैं उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाऊँगा। लिहाज़ा उन लोगों ने आप (ﷺ) को ख़बर दी फिर जब नबी करीम (ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने का इरादा किया तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने आप (ﷺ) का दामन पकड़कर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) को मुनाफ़िक़ों की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने से मना नहीं फ़र्माया? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे दोनों बातों

का इख़्तियार है। इर्शादे बारी तआला है **इस्तग़्फ़िर लहुम औ ला तस्तग़्फ़िर लहुम इन तस्तग़्फ़िर लहुम सब्ओन मर्रतन फ़लंय्यग़्फ़िरल्लाहु लहुम ज़ालिक बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यह्दिल क़ौमल फ़ासिक़ीन** तर्जुमा : ऐ नबी (ﷺ)! **तुम ख़्वाह ऐसे लोगों के लिए मुआफ़ी की गुज़ारिश करो या न करो, अगर तुम सत्तर बार भी उन्हें मुआफ़ कर देने की गुज़ारिश करोगे तो अल्लाह उन्हें हर्गिज़ मुआफ़ नहीं करेगा।** (सूरह तौबा : 80)

लिहाज़ा आप (ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी इस पर ये आयत नाज़िल हुई, **व ला तुसल्लि अला अहदिम्मिन्हुम मात अबदंव् व ला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फ़ासिक़ून** तर्जुमा : **और आइन्दा उनमें से जो कोई भी मरे उसकी नमाज़े जनाज़ा भी तुम हर्गिज़ न पढ़ाना और न कभी उसकी क़ब्र पर खड़े होना।** (सूरह तौबा : 84) **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 23)**

1768. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि बैतुल्लाह के क़रीब (तीन शख़्स) जिनमें से दो क़ुरैशी थे और एक षक़्फ़ी या दो षक़्फ़ी थे और एक क़ुरैशी जमा हुए, उनके पेटों की चर्बी ज़्यादा और दिलों में अक़्ल व शऊर कम था उनमें से एक ने कहा, तुम्हारा क्या ख़याल है, क्या अल्लाह तआला हमारी बातें सुनता है? दूसरा कहने लगा, सुनता है अगर हम बुलन्द आवाज़ से बोलें और अगर चुपके–चुपके बातें करें तो नहीं सुनता। तीसरा कहने लगा, अगर वो बुलन्द आवाज़ में की गई बातें सुनता है तो आहिस्ता आवाज़ में की गई बातें भी सुनता होगा। उस मौक़े पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल की, **व माकुन्तुम तस्ततिरून अंय्यशहद अलैकुम सम्उकुम व ला अब्सारुकुम व ला जुलूदुकुम व लाकिन् ज़नन्तुम अन्नल्लाह ला यअलमु कषीरम् मिम्मा तअमलून** तर्जुमा : **तुम दुनिया में जराइम (अपराध) करते वक़्त जब छुपते थे तो तुम्हें ख़याल न था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी अपनी आँखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी। बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से अमलों की अल्लाह को भी ख़बर नहीं।** (सूरह हा–मीम अस्सजद्दा : 22) **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह फ़ुस्सिलत बाब 2)**

1769. हदीष ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) ग़ज़्व–ए–उहुद के लिये निकले तो आप (ﷺ) के अस्हाब में से कुछ लोग वापस लौट गए (जंग में शरीक न हुए) तो मुसलमानों में से एक गिरोह ने कहा, कि हम उनको क़त्ल कर देंगे और दूसरा गिरोह कहने लगा, कि हम उनको क़त्ल नहीं करेंगे। उस मौक़े पर ये आयते करीमा नाज़िल हुई, **फ़मा लकुम फिल् मुनाफ़िक़ीन फ़िअतैनि वल्लाहु अर्कसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तह्दू मन अज़ल्लल्लाहु व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ़ लन् तजिद लहू सबीला** तर्जुमा : **फिर तुम्हें ये क्या हो गया है कि मुनाफ़िक़ों के बारे में तुम्हारे बीच दो रायें पाई जाती हैं हालाँकि उन्होंने जो बुराइयाँ की हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उलटा फेर चुका है।** (सूरह निसा : 88)
(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीनति बाब 10)

1770. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मुनाफ़िक़ों में से कुछ लोग ऐसा किया करते थे कि जब नबी करीम (ﷺ) किसी ग़ज़्वे के लिये निकलते तो वो आप (ﷺ) के साथ न जाते और रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म की खिलाफ़वर्जी करके घर बैठे रहने पर ख़ुश होते, फिर जब नबी करीम (ﷺ) वापस तशरीफ़ ले आते तो आप (ﷺ) के सामने क़समें खाकर बहाने पेश करते और

चाहते कि उनके ऐसे कारनामों पर उनकी ता'रीफ़ की जाए जो उन्होंने अंजाम नहीं दिये। लिहाज़ा ये आयते करीमा नाज़िल हुई, **ला तह्सबन्नल्लज़ी यफ़्रहून बिमा अतव्व युहिब्बून अंय्युहमदू बिमा लम यफ़्अलू फ़ ला तह्सबन्नहुम बि मफ़ाज़तिम् मिनल अ़ज़ाबि व लहुम अ़ज़ाबुन अलीम** तर्जुमा : **तुम उन लोगों को अ़ज़ाब से महफ़ूज़ न समझो जो अपने करतूतों पर ख़ुश होते हैं और चाहते हैं कि ऐसे कारनामों की ता'रीफ़ उन्हें हासिल हो जो फ़िल वाक़ेअ़ उन्होंने किये ही नहीं।** (आले इमरान : 188)

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह आले इमरान बाब 16)

1771. हदीष इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : अ़ल्क़मा (रह.) बिन वक़्क़ास बयान करते हैं कि मरवान ने अपने दरबान राफ़ेअ़ से कहा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास(रज़ि.) के पास जाओ और कहो कि अगर हर वो शख़्स जो अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ है जो अपने किये हुए कामों पर ख़ुश होता हो और चाहता हो कि ऐसे कामों पर भी उसकी ता'रीफ़ की जाए जो उसने नहीं किये तो हममें से हर शख़्स को अ़ज़ाब होगा (क्योंकि हम सब में ये ऐब मौजूद है) जवाबन हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, तुम्हारा इस आयत से क्या वास्ता? ये आयत तो उस मौक़े पर नाज़िल हुई थी जब नबी करीम (ﷺ) ने यहूद को बुलवाकर उनसे किसी बात के बारे में पूछा था तो उन्होंने सहीह-सहीह बता दी है जो आप (ﷺ) ने पूछी थी इसलिये वो ता'रीफ़ के मुस्तहिक़ हैं जबकि वो अस़ल बात छुपाने पर ख़ुश भी थे। ये बयान करके हज़रत इब्ने अ़ब्बास(रज़ि.) ने ये आयत तिलावत की,

व इज़् अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहू लिन्नासि व ला तुक्तुमूनहू फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन् क़लीलन् फ़ बिअस मा यश्तरून. ला तह्सबन्नल्लज़ी यफ़्रहून बिमा अतव्व युहिब्बून अंय्युहमदू बिमा लम यफ़्अलू फ़ ला तह्सबन्नहुम बि मफ़ाज़तिम् मिनल अ़ज़ाबि व लहुम अ़ज़ाबुन अलीम तर्जुमा : **उन अहले किताब को वो अ़हद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे छुपा लिया था कि तुम्हें किताब की ता'लीमात को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें पोशिदा नहीं रखना होगा। मगर उन्होंने किताब को पसे-पुश्त डाल दिया और थोड़ी क़ीमत पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को अ़ज़ाब से महफ़ूज़ न समझो जो अपने करतूतों पर ख़ुश होते हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की ता'रीफ़ उन्हें हासिल हो जो फ़िल् वाक़ेअ़ उन्होंने नहीं किये हैं।** (आले इमरान : 187-188)

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह आले इमरान बाब 16)

1772. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि **एक शख़्स जो पहले ईसाई था मुसलमान हो गया और उसने सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान पढ़ ली और नबी करीम (ﷺ) का कातिब बन गया। उसके बाद वो फिर ईसाई हो गया और कहने लगा कि मुहम्मद (ﷺ) सिर्फ़ उतना ही जानते हैं जो मैंने उनको लिखकर दिया है। फिर उसको अल्लाह तआला ने हलाक कर दिया और लोगों ने उसे दफ़न कर दिया लेकिन सुबह के वक़्त जब उन्होंने देखा कि ज़मीन ने उसे बाहर फेंक दिया है तो कहने लगे कि ये नबी करीम (ﷺ) और आपके साथियों का काम है क्योंकि हमारा ये साथी उनसे भागकर आ गया था इसलिये उन्होंने उसकी क़ब्र खोद डाली। चुनाँचे उन्होंने उसके लिये फिर गड्ढा खोदा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा गहरा खोद सकते थे खोदकर उसे उस गड्ढे में डाल दिया, लेकिन सुबह के वक़्त उन्होंने देखा कि ज़मीन ने फिर उस (की लाश) को बाहर फेंक दिया है तो उनकी समझ में ये बात आ गई कि ये इंसानों का काम नहीं है (बल्कि उसे अल्लाह तआला की तरफ़ से सज़ा मिल रही है ताकि दूसरों को इबरत मिले) लिहाज़ा उन्होंने उसे वैसे ही पड़ा रहने दिया।** (सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)

बाब 1 : क़ियामत और जन्नत–जहन्नम का बयान

1773. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत के दिन (अल्लाह तआला के हुज़ूर) एक बड़ा और मोटा आदमी पेश किया जाएगा लेकिन अल्लाह तआला के नज़दीक वो मच्छर के एक पर के बराबर भी औक़ात न रखता होगा। (हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने कहा) ये आयत पढ़ लो, **फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल् क़ियामति वज़्ना** तर्जुमा : **क़ियामत के दिन मैं उन्हें कोई वज़न नहीं दूंगा।** (सूरह कहफ़ : 105) **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह कहफ़ बाब 6)**

1774. हदीष अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि यहूदियों का एक आलिम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! हमें हमारी किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि (क़ियामत के दिन) अल्लाह तआला सातों आसमानों को एक उँगली पर उठाएगा और ज़मीनों को एक उँगली पर और दरख़्तों को एक उँगली पर और पानी और मिट्टी को एक उँगली पर और बाक़ी बचे तमाम मख़्लूक़ात को एक उँगली पर और फ़र्माएगा, बादशाह मैं हूँ। ये बात सुनकर नबी करीम (ﷺ) इस हद तक मुस्कुराए कि आपकी कुचलियाँ नज़र आने लगीं, गोया आप (ﷺ) ने उस आलिम की तस्दीक़ की। उसके बाद ये आयत तिलावत की, **वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही वल् अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहू यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून** तर्जुमा : **उन लोगों ने अल्लाह की क़द्र ही नहीं की जैसा कि उसकी क़द्र करने का हक़ है (उसकी क़ुदरते कामिला का हाल तो ये है कि) क़ियामत के रोज़ पूरी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके हाथ में लिपटे हुए होंगे। पाक और बालातर है वो उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं।** (सूरह ज़ुमर : 67) **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह अज़्ज़ुमर बाब 2)**

1775. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला (रोज़े क़ियामत) ज़मीन को मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाहिने हाथ में लपेट लेगा फिर फ़र्माएगा, बादशाह तो मैं हूँ, कहाँ हैं वो जो ज़मीन में बादशाही के दावेदार था? **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 44)**

1776. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हें कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान उसके दाँये हाथ में होंगे, उसके बाद फ़र्माएगा, बादशाह मैं हूँ। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तौहीद बाब 19)**

बाब 2 : हश्र व नश्र का और क़ियामत के दिन ज़मीन की हालत का बयान

1777. हदीष सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते सुना, रोज़े क़ियामत इंसानों को ऐसी ज़मीन पर जमा किया जाएगा जो सफ़ेद सुर्ख़ी माइल (लालिमा युक्त सफेद) होगी जैसे मेदे की रोटी। उस वक़्त उस पर किसी इमारत, मकान, मीनार वग़ैरह का नामो–निशान न होगा।
(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 44)

बाब 3 : अहले जन्नत की ज़ियाफ़त का बयान

1778. ह्रदीष़ अबू सईद (रज़ि.) : ह्ज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रोज़े क़ियामत ज़मीन एक रोटी की तरह् होगी जिसे अल्लाह तआ़ला अपने हाथ से उसी तरह् उलट—पलट करेगा जैसे तुम लोग सफ़र में अपनी रोटी (पकाते वक़्त) उलटते—पलटते हो और ये (रोटी) अहले जन्नत की ज़ियाफ़त के लिये होगी। उसी वक़्त एक यहूदी आया और उसने कहा, ऐ अबुल क़ासिम (ﷺ)! रह्मान आप पर अपनी बरकतें नाज़िल करे। क्या मैं आप (ﷺ) को न बताऊँ कि रोज़े क़ियामत अहले जन्नत की ज़ियाफ़त कैसे होगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बताओ। उसने कहा, ज़मीन एक रोटी की तरह् होगी। या'नी वही बात जो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माई थी उसने भी कही। तो आप (ﷺ) ने हमारी तरफ़ देखा, फिर आप (ﷺ) मुस्कुराए यहाँ तक कि आप (ﷺ) की कुचलियाँ नज़र आने लगीं। फिर उस यहूदी ने कहा, क्या मैं अहले जन्नत के सालन के बारे में न बताऊँ? कहने लगा, उनका सालन बालाम और नून होगा। स़ह्राबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, बालाम और नून क्या है? वो कहने लगा, बैल और मछली जिनकी कलेजी के एक टुकड़े से सत्तर हज़ार अफ़राद सैर होंगे। **(स़ह्रीह्र बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 44)**

1779. ह्रदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह्ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर यहूदियों में से दस शख़्स (या'नी उनके दस बड़े) मुझ पर ईमान ले आते तो तमाम यहूदी मुसलमान हो जाते। **(स़ह्रीह्र बुख़ारी किताब मनाक़िबुल अन्स़ार बाब 52)**

बाब 4 : यहूद का नबी करीम (ﷺ) से रूह् के बारे में सवाल करना और इर्शादे बारी तआ़ला, यस्अलूनक अ़निर् रूह् की तफ़्सीर

1780. ह्रदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह्ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ खेतों में चला जा रहा था और आप (ﷺ) खजूर की लकड़ी से बने हुए एक अ़स़ा (लाठी) पर टेक देते हुए चल रहे थे। उसी ह्रालत में हम यहूदियों के एक गिरोह के पास से गुज़रे तो उनमें से कुछ ने एक—दूसरे से कहा कि आप (ﷺ) से रूह् के बारे में सवाल करो और कुछ ने कहा कि न पूछो, कहीं आप (ﷺ) कोई ऐसी बात न फ़र्मा दे जो तुम्हें नापसन्द हो फिर उनमें से कुछ ने फ़ैस़ला किया कि वो आप (ﷺ) से ज़रूर सवाल करेंगे। चुनाँचे उनमें से एक शख़्स उठा और कहने लगा, ऐ अबुल क़ासिम (ﷺ)! रूह् क्या है? ये सवाल सुनकर आप (ﷺ) ख़ामोश हो गये तो मैं समझ गया कि आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हो रही है लिहाज़ा मैं खड़ा हो गया। फिर जब आप (ﷺ) पर से बवक़्ते नुज़ूले वह्य तारी होने वाली कैफ़ियत ख़त्म हुई तो आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **व यस्अलूनक अ़निर्रूहि क़ुलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इ़ल्मि इल्ला क़लीला** तर्जुमा : **ये लोग तुमसे रूह् के बारे में पूछते हैं। कहो! ये रूह् मेरे रब के हुक्म से आती है मगर तुम लोगों ने इ़ल्म से कम ही बहरा पाया है।** (सूरह बनी इस्राईल : 85) **(स़ह्रीह्र बुख़ारी किताबुल इ़ल्म बाब 47)**

1781. ह्रदीष़ ख़ब्बाब (रज़ि.) : ह्ज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) बयान करते हैं कि ज़मान—ए—जाहिलियत में मैं लोहार था और आ़स़ बिन वाइल के ज़िम्मे मेरा कुछ क़र्ज़ था लिहाज़ा मैं उससे अपने क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने गया तो वो कहने लगा कि मैं तुमको उस वक़्त तक कुछ नहीं दूँगा जब तक तुम नबी करीम (ﷺ) की नुबुव्वत का इंकार नहीं करोगे। मैंने कहा, मैं तो आप (ﷺ) की नुबुव्वत का इंकार हर्गिज़ नहीं करूँगा यहाँ तक कि तुम मर जाओ और फिर

ज़िन्दा किये जाओ। वो कहने लगा, अच्छा तो तुम अब मुझसे तक़ाज़ा न करो यहाँ तक कि मैं मरकर दोबारा ज़िन्दा न हो जाऊँ, जब मैं दोबारा ज़िन्दा होकर उठूँगा तो मुझे माल भी मिलेगा और औलाद भी और मैं तुम्हारा क़र्ज़ अदा कर दूँगा। उस पर ये आयत नाज़िल हुई **अफ़रऐतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना व क़ाल लऊतयन्न मालंव्व वलदा. अत्तल अल ग़ैब अमित्तख़ज़ इन्दर्रह्मानि अह्दा** तर्जुमा : **फिर तूने देखा उस शख़्स को जो मेरी आयतों को मानने से इंकार करता है और कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाज़ा जाऊँगा? क्या उसे ग़ैब का पता चल गया है या उसने रह़मान से कोई अ़हद ले रखा है?** (सूरह मरयम : 77-78)

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 29)

बाब 5 : इर्शादे बारी तआ़ला, वमा कानल्लाहु लियुअ़ज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम, की तफ़्सीर

1782. ह़दीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि अबू जहल ने कहा था, ऐ अल्लाह! अगर ये दीन सच्चा और तेरी त़रफ़ से आया है तो तू हम पर पत्थर बरसा, या हमें (न मानने वालों को) दर्दनाक अ़ज़ाब दे। उस पर ये आयते करीमा नाज़िल हुई, **व मा कानल्लाहु लियुअ़ज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम व मा कानल्लाहु मुअ़ज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़्फ़िरून. व मा लहुम अल्ला युअ़ज़्ज़िब हुमुल्लाहु व हुम यस़ुद्दून अ़निल मस्जिदिल ह़रामि व मा कानू औलियाअहू इन औलियाउहू इल्लल मुत्तक़ून व लाकिन्न अक्सरहुम ला यअ़लमून** तर्जुमा : **उस वक़्त तो अल्लाह उन पर अ़ज़ाब नाज़िल करने वाला न था जबकि तुम उनके बीच मौजूद थे और न अल्लाह का ये क़ाइदा है कि लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हों और वो उनको अ़ज़ाब दे दे लेकिन अब क्यूँ न वो उन पर अ़ज़ाब नाज़िल करे जबकि वो मस्जिदे ह़राम का रास्ता रोक रहे हैं हालाँकि वो उस मस्जिद के जाइज़ मुतवल्ली नहीं हैं उसके जाइज़ मुतवल्ली तो स़िर्फ़ अहले तक़्वा ही हो सकते हैं मगर अकषर लोग इस बात को नहीं जानते।** (सूरह अन्फ़ाल : 33-34)

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह अल अन्फ़ाल बाब 4)

बाब 7 : दुख़ान (धुंए) का बयान

1783. ह़दीष अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ये (धुंए का) वाक़िया इस त़रह़ पेश आया कि जब कुरैश ने नबी करीम (ﷺ) के ख़िलाफ़ सरकशी इख़्तियार की तो आप (ﷺ) ने उन्हें बद्दुआ़ दी कि ऐ अल्लाह! इन पर क़ह़तसाली भेज जैसी क़ह़तसाली ह़ज़रत यूसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम) के ज़माने में पड़ी थी। चुनाँचे उनमें अकाल पड़ गया और इस क़दर तंगी हुई कि लोगों ने हड्डियाँ तक खा लीं और ह़ालत ये हो गई कि कोई शख़्स जब आसमान की त़रफ़ देखता तो उसे अपने और आसमान के बीच धुंआ सा नज़र आता था और ये कैफ़ियत भूख की शिद्दत से पैदा होती थी। उसी के बारे में अल्लाह तआ़ला ने ये आयात नाज़िल फ़र्माईं, **फ़र्तकिब यौम तअतिस्समाउ बिदुख़ानिम् मुबीन. यग़शन्नास हाज़ा अ़ज़ाबुन अलीम** तर्जुमा : **अच्छा इंतिज़ार करो उस दिन का जब आसमान स़रीह़ धुंआ लिये हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा, ये है दर्दनाक सज़ा।** (सूर दुख़ान : 10-11)

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन लोगों की त़रफ़ से नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में दरख़्वास्त पेश की गई कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़बील—ए—मुज़र के लिये अल्लाह तआ़ला से बारिश की दुआ़

कीजिए इसलिये कि वो (क़हतसाली से) तबाह हो गए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुज़र के लिये (दुआ की दरख़्वास्त कर रहे हो?) यक़ीनन तुम बड़ी जुर्अत से काम ले रहे हो! चुनाँचे आप (ﷺ) ने उनके लिये दुआ की और उन पर बारिश हुई, फिर ये आयते करीमा नाज़िल हुई, **इन्ना काशिफ़ुल अ़ज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून** तर्जुमा : **मैं ज़रा अ़ज़ाब हटा देता हूँ तो तुम लोग फिर वही कुछ करने लगते हो जो पहले किया करते थे।** (सूरह दुख़ान : 15)

चुनाँचे जब उन पर ख़ुशहाली का दौर आया तो वो फिर पहले की त़रह सरकशी करने लगे उस पर अल्लाह तआ़ला ने ये आयते करीमा नाज़िल की, **यौम नब्तिशुल बत्शतल कुब्रा इन्ना मुन्तक़िमून** तर्जुमा : **जिस रोज़ मैं बड़ी ज़र्ब लगाऊँगा वो दिन होगा जब मैं तुमसे इंतिक़ाम लूंगा।** (सूरह दुख़ान : 16)

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा कि (बड़ी ज़र्ब) से मुराद ग़ज़्व–ए–बद्र है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर बाब 44)

बाब 8 : मोअ़जज़ा–ए–शक़्क़ुल क़मर का बयान

1784. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में चाँद फट कर दो टुकड़ों में तक़्सीम हो गया था और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था, गवाह रहो।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 27)

1785. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि अहले मक्का ने नबी करीम (ﷺ) से मुत़ालबा किया था कि आप उन्हें कोई मोअ़जज़ा दिखाएं तो आप (ﷺ) ने (अल्लाह के हुक्म से) उनको चाँद के दो टुकड़े करके दिखा दिया। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 27)**

1786. ह़दीष़ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में चाँद फटकर दो टुकड़ों में बंट गया था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 27)**

बाब 9 : ईज़ा पर स़ब्र व बर्दाश्त करनेवाला अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा कोई और नहीं है

1787. ह़दीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ईज़ा देने वाली बातें सुनकर स़ब्र व बर्दाश्त से काम लेने वाला अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा और कोई नहीं है क्योंकि लोगों ने तो इस ह़द तक कह दिया कि अल्लाह की औलाद है और वो उनको फिर भी फ़ौरन सज़ा नहीं देता बल्कि उनको रिज़्क़ भी देता है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 71)**

बाब 10 : काफ़िर आरज़ू करेगा कि उसके पास ज़मीन भर सोना होता तो वो (अज़ाब से बचने के लिये) उसे भी बतौरे फ़िदया दे देता।

1788. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) मरफ़ूअन नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि अल्लाह तआला उस दोज़ख़ी से जिसको सबसे कम अज़ाब दिये जाने का फ़ैसला होगा फ़र्माएगा, अगर तुझे तमाम दुनिया की चीज़ें मिल जाएँ तो क्या तू वो सब कुछ (इस अज़ाब से बचने के लिये) बतौरे फ़िदया देगा? वो कहेगा, हाँ! तो **अल्लाह तआला फ़र्माएगा, जब तू हज़रते आदम (अलैहिस्सलाम) की पुश्त में था तो मैंने तुझसे उससे बहुत कम चीज़ का मुतालबा किया था और वो ये कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक न बनाओगे, लेकिन तूने उस (छोटी सी बात) को मानने से इंकार कर दिया और शिर्क का इर्तिकाब करता रहा।**

(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 1)

बाब 11 : काफ़िर को (क़ियामत के दिन) औंधे मुँह उठाया जाएगा

1789. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ये सही है कि काफ़िर क़ियामत के दिन मुँह के बल उठाए जाएँगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या वो ज़ात जिसने उनको दुनिया में दोनों पांव पर चलाया, इस बात पर क़ादिर नहीं कि क़ियामत के दिन मुँह के बल चलाए?

(ये हदीष बयान करने के बाद हदीष के रावी) हज़रत अबू क़तादा (रह.) ने कहा, क्यों नहीं! हमारे रब की इज़्ज़त की क़सम! ज़रूर क़ादिर है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह फ़ुर्क़ान बाब 1)**

बाब 14 : मोमिन और काफ़िर की मिषाल

1790. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन की मिषाल खेत के नर्म व नाज़ुक पौधों की सी है कि हवा चलती है तो वो झुक जाते हैं, उसी तरह मोमिन जब ज़रा सीधा होता है तो बला और मुसीबत उसे झुका देती है और काफ़िर की मिषाल सनोबर के पेड़ की सी है जो सख़्त होता है और सीधा रहता है लेकिन जब अल्लाह तआला चाहता है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मर्ज़ा बाब 1)

1791. हदीष कअब बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत कअब (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन की मिषाल खेती के नर्म पौधे की सी है जिसे हवा कभी झुकाती है और कभी सीधा कर देती है और मुनाफ़िक़ की मिषाल सनोबर के पेड़ की सी है कि वो हमेशा एक सी हालत में रहता है यहाँ तक कि जब उखड़ता है तो एकाएक उखड़कर गिर पड़ता है (फिर नहीं उठता)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मर्ज़ा बाब 1)**

बाब 15 : मोमिन की मिषाल खजूर के पेड़ की सी है

1792. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक पेड़ है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिषाल उस पेड़ की सी है। तुम लोग बताओ वो कौनसा पेड़

है? लोग ये सुनकर जंगली पेड़ों के बारे में सोचने लगे (ह़ज़रत इब्ने ड़मर रज़ि. कहते हैं) मुझे ख़याल आया कि वो खजूर का पेड़ है लेकिन मैं शर्मा गया। फिर स़हाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप ही फ़र्माइये! वो कौनसा पेड़ है? आपने फ़र्माया, वो खजूर का पेड़ है। **(स़हीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 4)**

बाब 17 : जन्नत में कोई शख़्स अपने अ़मलों के बलबूते पर नहीं दाख़िल होगा बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की रहमत की बिना पर जाएगा

1793. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से किसी शख़्स को उसके अ़मल नजात नहीं दिलाएँगे। स़हाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) को भी नहीं? फ़र्माया, हाँ! मुझे भी अ़मल नजात नहीं दिलाएँगे। नजात का तो बस एक ही ज़रिया है और वो ये है कि अल्लाह तआ़ला मुझे अपने दामने रहमत से ढांप ले। तुम बस सीधे और दुरुस्त रास्ते पर चलते रहो। (बख़्शिश का मामला उस रह़ीम व करीम पर छोड़ दो)। **(स़हीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 18)**

1794. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया तुम सीधे और दुरुस्त रास्ते पर चलते रहो और ह़त्तल मक़्दूर (यथासम्भव) दुरुस्तगी की कोशिश करते रहो और अपने अ़मलों पर ख़ुद को (मुष्बत अंदाज़ में) ष़वाब की बशारत देते रहो (दामने उम्मीद हाथ से न जाने दो) इसलिये कि किसी शख़्स को उसके अ़मल जन्नत में नहीं ले जाएँगे। स़हाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपको भी नहीं? फ़र्माया, मैं भी अ़मल की वजह से जन्नत में नहीं जाऊँगा। जन्नत में जाने का वाहि़द ज़रिया सिर्फ़ ये है कि मुझे अल्लाह तआ़ला अपने रहमत व मग़्फ़िरत के दामन में ढांप ले। **(स़हीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 18)**

बाब 18 : कष़रत से अ़मल करने और इबादत की जद्दोजहद करने का बयान

1795. हदीष़ मुग़ीरह बिन शुअ़बा (रज़ि.) : ह़ज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) रात को खड़े होकर नमाज़ पढ़ते रहते थे यहाँ तक कि आप (ﷺ) के दोनों पांव या पिण्डलियाँ सूज जाया करती थी। लिहाज़ा आप (ﷺ) से इस सिलसिले में अ़र्ज़ किया गया (कि अल्लाह तआ़ला ने तो आप ﷺ की अगली-पिछली सब फ़रोगुज़ाश्तें मुआ़फ़ कर दी हैं फिर आप ﷺ इतनी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करते हैं?) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो क्या मैं (अल्लाह तआ़ला के इस एह़सान का) शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ। **(स़हीह बुख़ारी किताबुत्तहज्जुद बाब 6)**

बाब 19 : वअ़ज़ व नसीह़त में एतिदाल (बैलेंस) से काम लेने का बयान

1796. हदीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) हर जुमेरात के दिन लोगों में वअ़ज़ किया करते थे, एक शख़्स ने आपसे कहा, ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान (रज़ि.)! क्या अच्छा होता अगर आप हमें रोज़ाना वअ़ज़ व नसीह़त करते। आपने कहा, इस बात से मुझे सिर्फ़ ये ख़याल रोकता है कि कहीं तुम मेरे वअ़ज़ से बेज़ार न हो जाओ। मैं तुम्हारे लिये वअ़ज़ का उसी तरह दिन मुक़र्रर कर लेता हूँ जैसे कि नबी करीम (ﷺ) हमारे लिये दिन मुक़र्रर कर लिया करते थे, इस ख़याल से कि कहीं हम पर गिराँ न गुज़रे। **(स़हीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 12)**

जन्नत, जन्नत की नेअ़मतों और जन्नतियों के औस़ाफ़ का बयान

1797. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जहन्नम शहवाते नफ़्सानी से ढाँपी गई है और जन्नत तकालीफ़ और मशक़्क़तों से ढाँपी गई है।
(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 28)

1798. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि मैंने अपने नेक बन्दों के लिये वो चीज़ (जन्नत) तैयार कर रखी है जिसको न तो किसी आँख ने देखा और न किसी कान ने उसके बारे में सुना और न किसी इंसान के ख़याल व तस़व्वुर की उस तक रसाई हुई। (ह़ज़रत अबू हुरैरह रज़ि. कहते हैं कि) अगर तुम उसका षुबूत चाहते हो तो क़ुर्आन मजीद की ये आयत पढ़ लो **फ़ला तअ़लमु नफ़्सुम्मा उख़्फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अअ़युन.** तर्जुमा : **फिर जैसा कुछ आँखों की ठण्डक का सामान उनके आमाल की जज़ा में उनके लिये छुपाकर रखा गया है उसकी किसी मुतनफ़्फ़िस को ख़बर नहीं है।** (अस् सज्दा : 17) **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 8)**

बाब 1 : जन्नत में एक पेड़ है जिसके साये में कोई सवार अगर सौ साल तक चलता रहे तब भी उसका साया ख़त्म न हो

1799. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ये ह़दीष़ बयान करते हैं और उसको नबी करीम (ﷺ) से मन्सूब करते हैं कि जन्नत में एक ऐसा दरख़्त है जिसके साये में अगर एक सवार सौ साल तक चलता रहे तब भी उसके साये की इंतिहा तक न पहुँच सके। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह वाक़िया बाब 1)**

1800. ह़दीष़ सहल बिन सअ़द (रज़ि.) : ह़ज़रत सहल बिन सअ़द (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन जन्नत में एक ऐसा दरख़्त है कि उसके साये में अगर एक सवार सौ साल तक चलता रहे तब भी उसके साये की इंतिहा तक न पहुँच सके। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)**

1801. हदीष अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, यक़ीनन जन्नत में एक ऐसा दरख़्त है कि अगर तेज़ रफ़्तार कोतल घोड़े का सवार उसके नीचे सौ साल तक चले तब भी वो उसकी इंतिहा को न पहुँच सके। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)**

बाब 2 : अहले जन्नत पर रज़ा–ए–इलाही का नुज़ूल कि अल्लाह तआला अब कभी उनसे नाराज़ न होगा!

1802. हदीष अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला अहले जन्नत से फ़र्माएगा, ऐ अहले जन्नत! वो कहेंगे, हम हाज़िर हैं तेरे हुज़ूर ऐ हमारे रब! जनाबे बारी तआला इर्शाद फ़र्माएगा, क्या तुम ख़ुश हो? वो अर्ज़ करेंगे, आख़िर हम ख़ुश क्यों न हों जबकि तूने हमको वो कुछ अता कर दिया है जो अपनी मख़्लूक़ में से किसी को अता नहीं किया? जनाबे बारी तआला इर्शाद करेगा, मैं तुमको इससे भी अफ़ज़ल और बेहतर चीज़ अता करूँगा। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब! इससे अफ़ज़ल चीज़ और क्या होगी? अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माएगा, मैं तुमको अपनी रज़ा से नवाज़ूँगा और आज के बाद तुमसे कभी नाराज़ न होऊँगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)**

बाब 3 : अहले–जन्नत का जन्नत में अपने झरोखों से एक–दूसरे को आसमान के सितारों की मानिन्द देखना

1803. हदीष सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अहले जन्नत, जन्नत में एक–दूसरे के बालाखानों को उसी तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान पर सितारों को देखते हो। रावी कहते हैं कि मैंने ये हदीष नो'मान बिन अयाश (रह.) से बयान की तो उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) को ये हदीष बयान करते ख़ुद सुना है और उसमें वो ये इज़ाफ़ा करते थे कि जैसे तुम मश्रिक़ी और मग़्रिबी उफ़ुक़ (पूर्वी व पश्चिमी क्षितिज) पर डूबते हुए सितारे को देखते हो।
(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)

1804. हदीष अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अहले जन्नत अपने ऊपर बालाखाने वालों को इस तरह देखेंगे जैसे तुम मश्रिक़ी व मग़्रिबी उफ़ुक़ पर पीछे रह जाने वाले चमकदार सितारे को देखते हो, ये इस वजह से होगा कि उनके दरजात में फ़र्क़ होगा। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ये बालाखाने अम्बिया के घर होंगे जहाँ उनके अलावा कोई दूसरा न पहुँच सकेगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्यों नहीं! क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! ये वो लोग होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाए और जिन्होंने रसूलों की तस्दीक़ की।
(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 8)

बाब 6 : जन्नत में दाख़िल होने वाली पहली जमाअत जो चौदहवीं के चाँद की तरह होगी, के औसाफ़ और उनकी बीवियों का बयान

1805. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पहली जमाअत जो जन्नत में दाख़िल होगी उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह दरख़्शाँ (चमकदार) होंगे उनके बाद जो लोग जन्नत में जाएँगे उनके चेहरे उस चमकदार मोतीनुमा सितारे की तरह होंगे जो आसमान पर सबसे ज़्यादा रोशन नज़र आता है। जन्नती न पेशाब–पाखाना करेंगे न थूकेंगे और न नाक सींकेंगे। उनकी कँघियाँ सोने की होंगी और उनके पसीने में से मुश्क की ख़ुश्बू आएगी। उनकी अँगीठियों में ख़ुश्बूदार ऊ़द सुलग रहा होगा और उनकी बीवियाँ बड़ी–बड़ी स्याह आँखों वाली औरतें होंगी। सबकी सूरतें एक जैसी अपने बाप हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) की मानिन्द और क़द की बुलन्दी साठ हाथ होगी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 1)**

बाब 9 : जन्नतियों के ख़ैमों और उनमें मौजूद मोमिनों की बीवियों के औसाफ़

1806. हदीष अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (जन्नतियों का) ख़ैमा एक मोती होगा जिसे अंदर से तराशा गया होगा जिसकी ऊँचाई तीस मील होगी और उसके हर गोशे में मोमिनों के लिये बीवियाँ होंगी लेकिन उन्हें दूसरे न देख सकेंगे।

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 8)

बाब 11 : जन्नत में कुछ लोग दाख़िल होंगे जिनके दिल परिन्दों के दिलों की तरह होंगे

1807. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) को पैदा फ़र्माया। उस वक़्त उनके क़द की लम्बाई साठ हाथ थी और कहा, जाओ उन फ़रिश्तों को जाकर सलाम करो और सुनो कि वो तुम्हारे सलाम के जवाब में क्या कहते हैं, जो वो कहेंगे वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम व जवाबे–सलाम होगा। चुनाँचे हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) ने जाकर उन्हें अस्सलामु अलयकुम कहा। उन्होंने जवाब में कहा, अस्सलामु अलयकुम व रहमतुल्लाह। गोया उन्होंने वरहमतुल्लाह ज़्यादा कहा। जन्नत में जो भी जाएगा उसकी सूरत आदम (अलैहिस्सलाम) की तरह होगी। उसके बाद अब तक लोगों का क़द मुसलसल कम हो रहा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 1)**

बाब 12 : नारे–जहन्नम की गर्मी की शिद्दत और जहन्नम की तह की गहराई का बयान

1808. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारी आग के मुक़ाबले में जहन्नम की आग सत्तर गुना तेज़ है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (जलाने के लिये तो) ये आग भी काफ़ी थी। फ़र्माया, जहन्नम की आग को तुम्हारी आग पर उन्हत्तर गुना बरतरी हासिल है और उसके सत्तर हिस्सों में से हर हिस्सा तेज़ी में तुम्हारी आग की मानिन्द है।

(सहीह बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 10)

बाब 13 : जहन्नम में ज़ोरआवर लोग और जन्नत में कमज़ोर लोग जाएँगे

1809. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत और जहन्नम ने आपस में मुनाज़रा किया। जहन्नम ने कहा, मुझे इस लिहाज़ से बरतरी हासिल है कि मुझमें मुतकब्बिर और ज़ोरआवर लोग दाख़िल होंगे और जन्नत ने कहा, मुझे क्या? मुझमें तो सिर्फ़ व ही लोग दाख़िल होंगे जो कमज़ोर, आजिज़ और गिरे–पड़े होंगे। अल्लाह तआला ने जंन्नत से कहा, तू मेरी रहमत है तेरे ज़रिये से मैं अपने बन्दों में से जिस पर चाहूँगा रहमत करूँगा और जहन्नम से कहा, तू सिर्फ़ अज़ाब है तेरे ज़रिये से मैं अपने बन्दों में से जिसको चाहूँगा अज़ाब दूँगा और दोनों से वादा है कि उनको भरा जाएगा। लेकिन जहन्नम तो उस वक़्त तक न भरेगी जब तक उसमें जनाबे बारी तआला अपना क़दम न रखेगा और (जब जहन्नम में अल्लाह तआला अपना पांव रखेगा) तो जहन्नम कहेगी, बस! बस!! बस!!! तो गोया वो उस वक़्त भर जाएगी और अपने आप में सिकुड़–सिमट जाएगी और अल्लाह तआला अपनी मख़्लूक़ में से किसी पर ज़ुल्म नहीं करेगा (कि जहन्नम को भरने के लिये उसे उसमें डाल दे) रही जन्नत तो उसे भरने के लिये यक़ीनन अल्लाह तआला कुछ और मख़्लूक़ पैदा फ़र्माएगा (तब जाकर जन्नत भरेगी)। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह क़ाफ़ बाब 1)**

1810. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जहन्नम मुसलसल कहती रहेगी, कुछ और है तो लाओ, यहाँ तक कि रब्बुल इज़्ज़त अपना पांव उस पर रखेगा तो वो कहेगी, तेरी इज़्ज़त की क़सम! बस!! बस!!! और वो ख़ुद में सिकुड़–सिमट जाएगी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अयमान वन्नुज़ुर बाब 11)

1811. हदीष अबू सईद (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (रोज़े क़ियामत) मौत को एक सफ़ेद मेंढ़े की सूरत में लाया जाएगा और एक मुनादी करने वाला आवाज़ देगा, ऐ अहले जन्नत! जन्नती अपनी गर्दन उठा–उठाकर उसे देखेंगे। उनसे पूछा जाएगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? चूँकि उन्होंने उसे पहले भी देखा था इसलिये कहेंगे, हाँ! ये मौत है, फिर वो मुनादी करने वाला जहन्नमियों को आवाज़ देगा। वो भी गर्दनें उठा–उठाकर देखेंगे तो उनसे पूछेगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? वो भी चूँकि उस पहले देख चुके होंगे इसलिये कहेंगे, हाँ! ये मौत है। फिर उसे ज़िब्ह कर दिया जाएगा और मुनादी करने वाला कहेगा, ऐ अहले जन्नत! अब ज़िन्दगी अब्दी (हमेशा की) है, अब मौत न आएगी और ऐ अहले जहन्नम! अब ज़िन्दगी अब्दी है, अब मौत न आएगी। फिर आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **व अन ज़िर्हुम यौमल हस्रति इज़् क़ुज़ियल अम्रु व हुम फ़ी ग़फ़्लतिंव्वहुम ला युअमिनून** तर्जुमा : **ऐ मुहम्मद (ﷺ)! इस हालत में जबकि ये लोग ग़ाफ़िल हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं उन्हें उस दिन से डराओ जबकि फ़ैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारा न होगा।** (सूरह मरयम : 39)

ग़फ़लत में व अहले दुनिया हैं जो ईमान नहीं लाते। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह मरयम बाब 1)**

1812. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएँगे और जहन्नमी जहन्नम में पहुँच जाएँगे तो मौत को लाकर जन्नत और जहन्नम के बीच खड़ा कर दिया जाएगा। फिर उसे ज़िब्ह कर दिया जाएगा, फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ऐ जन्नत वालों! आज के बाद मौत नहीं है और अहले जहन्नम! आज के बाद मौत नहीं है। इस ऐलान से अहले जन्नत की ख़ुशी और मुसर्रत में इज़ाफ़ा होगा और अहले जहन्नम के रंज व ग़म में इज़ाफ़ा होगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)

1813. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, काफ़िर के दोनों कँधों के बीच इतना फ़ासला होगा कि एक तेज़ रफ़्तार सवार उन पर तीन दिन तक चल सकेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 51)

1814. हदीष हारिषा बिन वहब ख़ुज़ाई (रज़ि.) : हज़रत हारिषा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने जनाब नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते सुना, क्या मैं तुमको अहले जन्नत के बारे में न बताऊँ? हर वो शख़्स जो कमज़ोर और आजिज़ व इंकिसार वाला हो जिसे लोग भी हक़ीर और ज़लील समझें लेकिन वो अल्लाह के भरोसे पर क़सम खा ले तो अल्लाह उसको सच्चा षाबित कर दे। और क्या मैं तुमको जहन्नमियों के हाल के बारे में न बताऊँ? हर झगड़ालू, कंजूस (या मोटा और मटककर चलने वाला या ठिंगना और बड़े पेट वाला) मग़रूर व मुतकब्बिर (घमण्डी) शख़्स होगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह क़लम बाब 1)

1815. हदीष अब्दुल्लाह बिन ज़म्आ (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़म्आ (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) को ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माते सुना। आप (ﷺ) ने (हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की) ऊँटनी का ज़िक्र किया और उस शख़्स का भी ज़िक्र किया जिसने उसकी कूँचें काटी थीं। नबी करीम (ﷺ) ने ये आयत तिलावत की, **इज़िम्बअष अश्क़ाहा** तर्जुमा : **जब उस क़ौम का सबसे ज़्यादा शक़ी आदमी बिफरकर उठा।** (सूरह अश् शम्स : 12)

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ऊँटनी की कूँचें काटकर उसे हलाक करने उठा था, वो बड़ा ताक़तवर, शरीर (नुक़्सानदेह), फ़सादी और अपने क़बीले में बड़ा मुँहज़ोर था जैसा कि अबू ज़म्आ था। फिर आप (ﷺ) ने औरतों का ज़िक्र किया और फ़र्माया, तुममें से कुछ लोग अपनी बीवी को गुलाम की मार मारते हैं और फिर शायद उसी दिन के आख़िरी हिस्से में वो उसे अपने साथ लिटाते हैं (ये तर्ज़े अमल निहायत ग़ैर–मुनासिब है) उसके बाद आप (ﷺ) ने लोगों को नसीहत फ़र्माई कि किसी के हवा ख़ारिज करने (पादने यानी गोज़ की आवाज़ पैदा करने) पर हँसना बुरी बात है कोई शख़्स दूसरे की ऐसी बात पर क्यूँ हँसे जो वो ख़ुद भी करता है?

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह अशशम्स बाब 1)

नोट : इस हदीष के ख़ुलासे से नीचे लिखी बातें पता चलती हैं,

01. ताक़तवर और ज़ोरआवर लोग अपनी ताक़त के घमण्ड में अल्लाह से सरकशी करते हैं और इसी वजह से वे लोग जहन्नम में जलाए जाएंगे।

02. कोई ग़लती हो जाने पर बीवी को गुलामों की तरह मारना मना है क्योंकि उसके बिना शौहर का काम नहीं चलता।

03. हवा ख़ारिज होने जैसी बात पर किसी का मज़ाक़ उड़ाना मना है क्योंकि जो शख़्स मज़ाक़ उड़ा रहा है, वो ख़ुद भी उससे पाक नहीं है।

1816. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने अम्र बिन आमिर बिन लुहय्यी ख़ुज़ाई को देखा कि वो जहन्नम में अपनी आंतें घसीट रहा है। यही वो शख़्स है जिसने सबसे पहले बुतों के नाम की मन्नत मानकर ऊँटनी को खुला छोड़ने की मुश्रिकाना रस्म शुरू की थी।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 9)

बाब 14 : दुनिया के फ़ना होने और क़ियामत के दिन सब इंसानों के इकट्ठा किये जाने का बयान

1817. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (क़ियामत के दिन) लोग जब उठाए जाएँगे तो सब नंगे पांव और नंगे बदन होंगे और किसी का ख़त्ना नहीं हुआ होगा। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मर्द और औरतें (नंगे) सब एक–दूसरे को देख रहे होंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लोग इतनी सख़्त मुसीबत में मुब्तला होंगे कि किसी को एक–दूसरे की तरफ़ देखने का ख़याल ही न रहेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 45)**

1818. हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) हमारे बीच ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माने के लिये खड़े हुए और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम क़ियामत के रोज़ उठोगे तो नंगे पांव, नंगे बदन और बग़ैर ख़त्ना किये हुए होंगे जैसे कुर्आन मजीद में इर्शाद है, **कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन् नुईदुहू** तर्जुमा : **मैंने शुरू में इंसान को जैसा पैदा फ़र्माया था फिर वैसा ही कर दूंगा।** क़ियामत के दिन सबसे पहले जिसे कपड़े पहनाए जाएँगे वो हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) होंगे। नीज़ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उस दिन मेरी उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा, फिर उन्हें बाँए बाज़ू वाले लोगों में शामिल कर दिया जाएगा तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब! ये तो मेरे साथी हैं। तो रब्बे करीम फ़र्माएगा, तुमको मालूम नहीं, उन्होंने तुम्हारे बाद क्या–क्या नई नई बातें पैदा कर ली थीं तो मैं वही बात कहूँगा जो अल्लाह के नेक बन्दे (हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम) ने कही **व कुन्तु अलैहिम शहीदम्मा दुम्तु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अन्तर्रक़ीब अलैहिम व अन्त अला कुल्लि शैइन शहीद. इन तुअज़्ज़िब्हुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़्फ़िर लहुम फ़इन्नक अन्तल अज़ीज़ुल हकीम** तर्जुमा : **मैं उसी वक़्त तक उनका निगराँ था जब तक कि मैं उनके बीच था। जब तूने मुझे वापस बुला लिया तो तू उन पर निगराँ था और तू तो सारी ही चीज़ों पर निगराँ हैं। अब अगर तू उन्हें सज़ा दें तो वो तेरे बन्दे हैं और अगर मुआफ़ कर दें तो तू ग़ालिब और दाना है।** (अल माइदा : 117-118)

फिर मुझसे कहा जाएगा, ये लोग (आप ﷺ के बाद) मुर्तद हो गये थे और हमेशा उसी हालत में रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 45)**

नोट : इस हदीष के ख़ुलासे से नीचे लिखी बात पता चलती है,

01. दीन में नई बात (बिदअत) पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह है, इसका नतीजा जहन्नम में जाने के सिवा कुछ नहीं।

02. दीन के नाम पर नई–नई ख़ुराफ़ातें गढ़ने वालों की हिमायत क़ियामत के दिन कोई भी नबी नहीं करेगा। अल्लाह के आख़री नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) भी उन्हें अपने से दूर रखने को कहेंगे।

1819. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हश्र के दिन लोगों के तीन गिरोह होंगे एक गिरोह तो राग़ेबीन व राहेबीन का होगा। (दूसरा गिरोह में) किसी ऊँट पर दो सवार होंगे किसी ऊँट पर तीन, किसी ऊँट पर चार और किसी ऊँट पर दस सवार होंगे। बाक़ी लोगों को आग इकट्ठा करेगी। ये आग दोपहर को भी उनके साथ ही ठहरेगी जब ये दोपहर के वक़्त कहीं पड़ाव करेंगे और रात को भी उनके ही साथ रहेगी जब ये कहीं रात गुज़ारेंगे और सुबह के वक़्त भी उनके साथ होगी जब ये सुबह के वक़्त उठेंगे और शाम को भी उनके साथ होगी जब शाम का वक़्त होगा (या'नी ये लोग जहाँ और जिस हाल में होंगे आग उनके साथ रहेगी और उनका पीछा न छोड़ेगी)। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 45)**

बाब 15 : रोज़े क़ियामत की हौलनाकी का बयान

1820. हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस दिन लोग रब्बे कायनात के हुज़ूर खड़े होंगे। उस दिन कैफ़ियत ये होगी कि कुछ लोग अपने कानों के निस्फ़ तक अपने ही पसीने मे डूबे हुए होंगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन)**

1821. हदीस अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत के दिन लोगों को इस क़दर पसीना आएगा कि ज़मीन में सत्तर गज़ तक पसीना बह रहा होगा और मुँह और कानों तक पसीना ही पसीना होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 47)**

बाब 17 : मय्यित को उसका जन्नत या जहन्नम का ठिकाना दिखाए जाने का बयान नीज़ अज़ाबे क़ब्र का और अज़ाब से पनाह मांगने का सुबूत

1822. हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से जब कोई शख़्स मर जाता है तो उसको (रोज़ाना) सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है अगर वो जन्नती है तो उसको जन्नतियों का ठिकाना दिखाया जाता है और अगर वो जहन्नमी है (तो उसे जहन्नमियों का ठिकाना दिखाया जाता है) फिर कहा जाता है, ये है तेरा असल ठिकाना जहाँ तुझे इसके बाद पहुँचना है जब अल्लाह तआला तुझे क़ियामत के दिन दोबारा उठाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 90)**

1823. हदीस अबू अय्यूब (रज़ि.) : हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) घर से बाहर तशरीफ़ ले गए ऐसे वक़्त जब सूरज गुरूब हो चुका था और आप (ﷺ) ने कोई आवाज़ सुनी तो फ़र्माया, किसी यहूदी की आवाज़ है जिसे क़ब्र में अज़ाब दिया जा रहा है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 90)**

1824. हदीस अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बन्दे को जब क़ब्र में उतारकर उसके साथी वापस लौटते हैं और वो अभी उनकी जूतियों की आवाज़ सुन रहा होता है, उसी वक़्त उसके पास दो फ़रिश्ते आ जाते हैं और उसे बिठा लेते हैं उसके बाद उससे नबी करीम (ﷺ) के बारे में पूछते हैं, तुम उस शख़्स के बारे में क्या कहते हो? चुनाँचे अगर वो मोमिन है तो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि आप (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। फिर उससे कहा जाता है, देखो! ये था तुम्हारा जहन्नम का ठिकाना जिसके बदले में अल्लाह तआला ने अब तुमको जन्नत में क़ियामगाह अता कर दी है और वो अपने दोनों ठिकानों को देख लेता है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 87)**

1825. हदीस बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) : हज़रत बराअ (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मोमिन को उसकी क़ब्र में बिठाया जाता है और उसके पास (मुंकर–नकीर) आते हैं तो फिर वो गवाही देता है, **अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह** यही दरअसल इस आयते करीमा के मा'नी हैं, **युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल् क़ौलिस्साबिति फ़िल् हयातिद्दुन्या व फ़िल् आख़िरति**

तर्जुमा : ईमान लाने **वालों को अल्लाह एक क़ौले षाबित की बुनियाद पर दुनिया और आख़िरत दोनों में षुबात** अता **करता है।** (सूरह इब्राहीम : 27) **(सहीह बुख़ारी किताबुल जनाइज़ बाब 87)**

1826. हदीष अबू तलहा (रज़ि.) : हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ज़्व–ए–बद्र के दिन क़ुरैश के सरदारों में से चौबीस अफ़राद के बारे में हुक्म दिया और उनको बद्र के एक गन्दे और नापाक कुँए में डाल दिया गया। नबी करीम (ﷺ) का दस्तूर था कि आप (ﷺ) जब किसी क़ौम पर फ़तह हासिल करते तो उसी मक़ाम पर (तीन दिन और) तीन रातों तक क़ियाम फ़र्माया करते थे चुनाँचे जब ग़ज़्व–ए–बद्र का तीसरा दिन हुआ तो आप (ﷺ) ने अपनी सवारी लाने का हुक्म दिया और उस पर काठी कसी गई। फिर आप (ﷺ) रवाना हुए और सहाबा किराम (रज़ि.) भी आप (ﷺ) के साथ चल पड़े। सहाबा किराम (रज़ि.) का ख़याल था कि आप (ﷺ) किसी काम से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप (ﷺ) उस कुँए के किनारे जाकर ठहर गए और आप (ﷺ) ने उन (मक़्तूल सरदारों) को उनके अपने और उनके बापों के नामों से मुख़ातब करके फ़र्माया, ऐ फ़लाँ बिन फ़लाँ! और ऐ फ़लाँ बिन फ़लाँ! क्या तुमको अब ये बात अच्छी मा'लूम होती है कि तुमने अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत की होती? यक़ीनन हमने तो उस वादे को जो हमसे हमारे रब ने किया था सच्चा पाया, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? रावी कहते हैं कि ये सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ऐसे जिस्मों से जिनमें रूह नहीं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! जो मैं उनसे कह रहा हूँ उसको ये मुर्दे तुमसे ज़्यादा सुन और समझ रहे हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 8)**

बाब 18 : हिसाब का बयान

1827. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं जब भी कोई ऐसी बात सुनती थी जो मा'लूम न हो तो मैं नबी करीम (ﷺ) से उसके बारे में पूछा करती थी ताकि मैं उस बात को पूरी तरह समझ लूँ। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने (एक बार) फ़र्माया, जिससे हिसाब लिया गया वो अज़ाब में मुब्तला हो गया। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह तआला ने ये इर्शाद नहीं फ़र्माया? **फ़सौफ़ युहासबु हिसाबय्यंसीरा** तर्जुमा : **उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा।** (सूरह इंशिक़ाक़ : 8)

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया, (उससे मुराद हिसाब लिया जाना नहीं बल्कि) ये तो सिर्फ़ आमालनामे का दिखाया जाना है लेकिन जिस पर हिसाब के वक़्त जिरह की जाएगी, वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म बाब 35)**

1828. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अल्लाह तआला किसी क़ौम पर अज़ाब नाज़िल फ़र्माता है तो अज़ाब उन सब लोगों को पहुँचता है जो उस वक़्त उनमें मौजूद होते हैं (या'नी नेक व बद सबको) लेकिन क़ियामत के दिन सब अपने अपने अमलों के मुताबिक़ उठाए जाएँगे (और हर शख़्स से उसके अपने अमलों का हिसाब लिया जाएगा)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 19)

फ़ित्नों और क़यामत की निशानियों का बयान

बाब 1 : फ़ित्नों का क़रीब आना और याजूज–माजूज के बन्द का खुलना

1829. हदीष ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन मेरे यहाँ घबराए हुए तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, **ला इलाहा इल्लल्लाहु!** ख़राबी है अरब के लिये उस आफ़त से जो क़रीब आ गई। आज याजूज–माजूज के बन्द में इतना शिगाफ़ (सुराख़) पड़ गया है। ये फ़र्माते हुए आप (ﷺ) ने अपने अंगूठे और उसके साथ वाली उँगली को मिलाकर हल्क़ा (गोला) बनाया (या'नी मिक़्दार बताई कि इतना शिगाफ़ पड़ गया है)। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम इसके बावजूद हलाक हो जाएँगे कि हममें नेक लोग मौजूद होंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! जब फ़िस्क़ व फ़ुजूर की कष़रत हो जाएगी (तो नेकियों की मौजूदगी भी हलाकत से न बचा सकेगी)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 7)

1830. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, याजूज माजूज के बन्द में अल्लाह ने इतना शिगाफ़ डाल दिया है और उन्होंने अपने हाथ से नव्वे का हिन्दसा बनाया।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 7)

बाब 2 : उस लश्कर के ज़मीन में धंसने की पेशीनगोई जो कअ़बा पर हमले के इरादे से आएगा

1831. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक लश्कर कअ़बा पर हमले के इरादे से आएगा और जब वो अभी मक़ामे बैदा पर होगा तो इब्तिदा से आख़िर तक सारा लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो सब शुरू से आख़िर तक कैसे धंस जाएँगे जबकि उनमें बाज़ार वाले भी होंगे और ऐसे लोग भी होंगे जो उनमें शामिल न थे? आपने फ़र्माया कि (उस वक़्त तो) शुरू से आख़िर तक सब धंसाए जाएँगे उसके बाद जब उठेंगे तो अपनी अपनी निय्यत के मुताबिक़ उठेंगे (मुजरिमों को सज़ा मिलेगी और बेगुनाहों को अलग कर दिया जाएगा)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ़ बाब 49)

बाब 3 : फ़ित्ने इस तरह नाज़िल होंगे जैसे बारिश के क़तरे गिरते हैं

1832. हदीष उसामा (रज़ि.) : हज़रत उसामा (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) मदीना के एक ऊँचे मकान पर चढ़े और फ़र्माया, क्या तुमको वो कुछ नज़र आता है जो मैं देख रहा हूँ? मैं तुम्हारे घरों के बीच में फ़ित्ना व फ़साद बरपा होने के मक़ामात को इस तरह देख रहा हूँ जैसे बारिश का क़तरा गिरने की जगह नज़र आती है। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीना बाब 8)**

1833. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अन्क़रीब ऐसे फ़ित्ने बरपा होंगे कि उस वक़्त बैठा हुआ शख़्स खड़ा होने वाले से और खड़ा हुआ चलने वाले से और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा और जो शख़्स उन फ़ित्नों को झांककर भी देखेगा फ़ित्ना उसे खींच लेगा उस वक़्त जिसको कोई पनाहगाह मयस्सर आ जाए उसे चाहिए कि उसमें छुपकर बैठ रहे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

बाब 4 : जब दो मुसलमान एक-दूसरे का सामना तलवार से करते हैं?

1834. हदीष अबूबक्र (रज़ि.) : अहनफ़ बिन क़ैस (रह.) बयान करते हैं कि मैं इस इरादे से निकला कि उस शख़्स (हज़रत अली रज़ि.) की मदद करूँ तो मुझे रास्ते में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) मिले और पूछा कहाँ का इरादा है? मैंने बताया कि उस शख़्स की मदद के लिये जा रहा हूँ। कहने लगे, लौट जाओ! क्योंकि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है, जब दो मुसलमान आपस में तलवार से लड़ते हैं तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों जहन्नम में जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ातिल का जहन्नम में जाना तो ज़ाहिर है मगर मक़्तूल क्यों जहन्नम में जाएगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसलिये कि वो ख़ुद भी तो अपने मुक़ाबिल को क़त्ल करने का ख़्वाहिशमन्द था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 22)**

1835. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत बरपा नहीं होगी जब तक कि (मुसलमानों के) दो बड़े गिरोह आपस में न लड़ेंगे उन दोनों गिरोह के बीच शदीद जंग होगी जबकि दोनों का दावा एक ही होगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

बाब 6 : नबी करीम (ﷺ) का क़ियामत तक होने वाली तमाम बातों की ख़बर देना

1836. हदीष हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल् यमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (स) ने ख़ुत्बा दिया जिसमें आप (स) ने क़ियामत बरपा होने तक वक़ूअ-पज़ीर (घटित) होने वाली तमाम बातों का इस तरह ज़िक्र किया कि कोई बात बयान होने से न रही। जान लिया उन बातों को उसने जिसने याद रखा और न जाना वो जिसने उनको भुला दिया (या'नी कुछ लोगों ने उस ख़ुत्बे में बयानकर्दा बातों को समझा और याद रखा और कुछ ने भुला दिया) और अब मेरी ये कैफ़ियत है कि अगर मैं आप (ﷺ) की बयानकर्दा बातों में से किसी फ़रामोश शुदा बात को घटित होते देखता हूँ तो मैं उसे इस तरह पहचान लेता हूँ जैसे कोई शख़्स किसी ऐसी चीज़ को देखकर पहचान लेता है जिसे उसने पहले देखा था लेकिन नज़रों से ओझल हो जाने की वजह से भूल गया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुल क़द्र बाब 4)**

बाब 7 : उस फ़ित्ने का ज़िक्र जो समन्दर की मौजों की तरह बिफरकर आएगा

1834. हदीष़ हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल् यमान (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हज़रत उ़मर (रज़ि.) के पास बैठे थे कि आपने पूछा, तुममें से किसी शख़्स को नबी करीम (ﷺ) का वो इर्शाद याद है जो आप (ﷺ) ने फ़ित्ने के बारे में फ़र्माया था? मैंने कहा मुझे याद है और बिल्कुल उसी तरह याद है जिस तरह आप (ﷺ) ने फ़र्माया था। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, तुम इस सिलसिले में बहुत जुर्अतमन्द हो। मैंने कहा, इंसान का वो फ़ित्ना जिसमें वो अपने घर, माल, औलाद और पड़ौसी की वजह से मुब्तला होता है उसका कफ़्फ़ारा तो नमाज़, रोज़े, सदक़े और अम्र बिल मअरूफ़ व नही अ़निल मुंकर से हो जाता है। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, मैंने उस फ़ित्ने के बारे में पूछा था, मेरी मुराद उस फ़ित्ने से थी जो समन्दर की मौजों की तरह बढ़ता चला आएगा। मैंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! आपको उससे कोई ख़तरा नहीं, आपके और उस फ़ित्ने के बीच एक बन्द दरवाज़ा है। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने पूछा, वो दरवाज़ा खुलेगा या टूटेगा? हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, टूटेगा। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, इसके मा'नी ये हुए कि फिर कभी बन्द न होगा।

(हदीष़ के एक रावी कहते हैं कि) हमने हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछा, क्या हज़रत उ़मर (रज़ि.) दरवाज़े के बारे में जानते थे? (कि कौन है?) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, हाँ! उसी तरह जानते थे जैसे इस बात को जानते थे कि कल सुबह के आने से पहले रात ज़रूर आएगी। मैंने उनसे एक सह़ीह़ ह़दीष़ बयान की थी जिसमें किसी क़िस्म का शक नहीं था। (रावी कहते हैं) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की हैबत की वजह से हम आपसे मज़ीद न पूछ सके तो हमने हज़रत मसरूक़ (रह.) से कहा और उन्होंने हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने कहा, वो दरवाज़ा ख़ुद हज़रत उ़मर (रज़ि.) थे। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताब मवाक़ीतुस़्स़लाति बाब 4)**

बाब 8 : क़ियामत नहीं बरपा होगी जब तक कि फ़रात के नीचे से सोने का एक पहाड़ न बरामद होगा

1838. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अ़न्क़रीब दरया–ए–फ़रात ख़ुश्क हो जाएगा और उसके नीचे से सोने का एक ख़ज़ाना बरामद होगा। लिहाज़ा जो शख़्स उस वक़्त मौजूद हो (और उस ख़ज़ाने को देखे) उसे चाहिए कि उसमें से कुछ न ले)।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 24)

बाब 14 : क़ियामत बरपा न होगी जब तक सरज़मीने हिजाज से एक आग बरामद न होगी

1839. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि सरज़मीने हिज्जाज (अ़रब की धरती) से एक आग बरामद न होगी जिसकी रोशनी इस क़दर ज़्यादा होगी कि उसी वजह से बस़रा (इराक़ का एक शहर) में ऊँटों की गर्दनें चमक उठेंगी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 24)**

बाब 16 : फ़ित्ना मश्रिक़ में उस जगह है जहाँ से शैतान के दोनों सींग तुलूअ होते हैं

1840. हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को मश्रिक़ की तरफ़ रुख़ करके फ़र्माते सुना, याद रखो! फ़ित्ना उस तरफ़ है जहाँ से शैतान के सींग उगते हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 16)

बाब 17 : क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक क़बील–ए–दौस ज़ुल ख़ल्सा की परस्तिश न करने लगेगा

1841. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि क़बील–ए–दौस की औरतें (पूजा के लिये) ज़ुल ख़ल्सा का तवाफ़ न करने लगेंगी। ज़ुल ख़ल्सा क़बील–ए–दौस का बुत था जिसकी ये लोग ज़मान–ए–जाहिलियत में पूजा किया करते थे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 23)**

बाब 18 : क़ियामत उस वक़्त तक बरपा न होगी जब तक कि फ़ित्ना–फ़साद की वजह से हालत ये न हो जाएगी कि एक ज़िन्दा शख़्स जब किसी क़ब्र के पास से गुज़रेगा तो आरज़ू करेगा कि काश! इस क़ब्र में इस मुर्दे की जगह में होता

1842. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत उस वक़्त तक बरपा न होगी जब तक कि (फ़ित्ना–फ़साद की वजह से) हालत ये न हो जाएगी कि जब कोई ज़िन्दा शख़्स किसी क़ब्र के पास से गुज़रेगा तो ये तमन्ना करेगा कि काश! इस क़ब्र में इस मुर्दे की जगह मैं होता।

(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 22)

1843. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कअबा को उजाड़ेगा हब्शा का दो छोटी–छोटी पिण्डलियों वाला एक शख़्स।

(सहीह बुख़ारी किताबुल हज्ज बाब 47)

1844. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि क़बील–ए–क़हतान से एक शख़्स न उठेगा जो (इतना ताक़तवर हो जाएगा कि) लोगों को अपनी लाठी से (जिधर चाहेगा) हाँकेगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 7)**

1845. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत बरपा नहीं होगी जब तक कि ऐसी क़ौम से जंग नहीं कर लोगे जिनकी जूतियाँ बालों की होंगी और क़ियामत क़ायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी क़ौम से जंग नहीं कर लोगे जिनके चेहरे चपटी ढालों की मानिन्द होंगे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 96)

1846. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुरैश में से ये क़बीला लोगों को हलाक करेगा। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, तो उसके सिलसिले में हमारे लिये आप (ﷺ) का क्या हुक्म है? फ़र्माया, काश! ऐसा हो सकता कि लोग उनसे किनाराकश रहें। (उनका साथ न दें)। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

1847. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसरा (शहंशाहे ईरान) हलाक हो गया। उसके बाद अब कोई किसरा न होगा और क़ैसर भी यक़ीनन हलाक हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई क़ैसर न होगा और तुम उन दोनों के ख़ज़ाने फ़ी सबीलिल्लाह तक़्सीम करोगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 157)**

1848. हदीष जाबिर बिन समुरा (रज़ि.): हज़रत जाबिर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसरा हलाक हो जाएगा तो उसक बाद कोई किसरा न होगा और जब क़ैसर हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई क़ैसर न होगा और क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! यक़ीनन तुम उन दोनों (किसरा और क़ैसर) के ख़ज़ानों को अल्लाह की राह में तक़्सीम करोगे। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़र्ज़ुल ख़ुमुस बाब 8)**

1849. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को फ़र्माते सुना, तुमसे यहूदी जंग करेंगे फिर तुम उन पर ग़लबा पा लोगे और हालत ये हो जाएगी कि पत्थर आवाज़ देकर कहेंगे, ऐ मुसलमानों! ये मेरे पीछे यहूदी छिपा है इसको क़त्ल करो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

1850. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ियामत नहीं बरपा होगी जब तक कि तीस के क़रीब झूठे दज्जाल (मक्कार फ़रेबी) न पैदा हो लें जिनमें से हर एक ये दा'वा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

बाब 19 : इब्ने सय्याद का ज़िक्र

18 51. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) सहाबा किराम (रज़ि.) की एक जमाअत के साथ इब्ने सय्याद की जानिब गए तो उसको बनी मग़ाला के क़िले के क़रीब बच्चों के साथ खेलता हुआ पा लिया। उस वक़्त तक इब्ने सय्याद बुलूग़ के क़रीब पहुँच चुका था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसको हमारे आने का पता न चला, यहाँ तक कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने हाथ से उसकी पीठ ठोंकी। फिर आप (ﷺ) ने उससे पूछा, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? ये सुनकर इब्ने सय्याद ने नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ देखा फिर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मियों के रसूल हैं। फिर इब्ने सय्याद ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसके जवाब में नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही।**

नबी करीम (ﷺ) ने उससे पूछा, तुझे क्या नज़र आता है? इब्ने सय्याद ने कहा, मेरे पास सच्चा भी आता है

और झूठा भी। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरे लिये मामला उलझ गया और सच झूठ तुझ पर मुश्तबह हो गया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तेरे लिये एक बात छुपा कर रखी है (भला बता वो क्या है?) इब्ने स़य्याद कहने लगा, वो दुख़ है। जनाबे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़लील कहीं का! तू अपनी औक़ात से न बढ़ सका। (या'नी काहिन लोग इसी क़दर जान सकते हैं जितना तूने जाना)। तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह दुख़ान का ख़याल फ़र्माया था, **यौम तअतिस्समाइ बि दुख़ानिम्मुबीन** तो इब्ने स़य्याद को उसमें से कुछ हिस़्से का पता चला और कुछ न जान सका) उस मौक़े पर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसे क़त्ल कर दूँ। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर ये वही दज्जाल है (जिसको आना है) तब तो तुम इस पर ग़लबा न पा सकोगे और अगर वो नहीं है तो उसको क़त्ल करने का कोई फ़ायदा नहीं है।

(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 178)

1852. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) और ह़ज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) उस नख़्लिस्तान की जानिब रवाना हुए जहाँ इब्ने स़य्याद रहता था यहाँ तक कि जब उस बाग़ में दाख़िल हो गए तो नबी करीम (ﷺ) खजूर के तनों के पीछे छुपकर खड़े हो गये। आप (ﷺ) चाहते थे कि उससे पहले कि इब्ने स़य्याद आप (ﷺ) को देखे, आप उसकी कुछ बातें उसकी ग़फ़लत की ह़ालत में सुन लें। उस वक़्त इब्ने स़य्याद अपने बिस्तर पर एक चादर ओढ़े चित्त लेटा हुआ था और उस चादर के अंदर से नाक़ाबिले फ़हम (समझ में न आने वाली) धीमी–धीमी आवाज़ आ रही थी। जिस वक़्त नबी करीम (ﷺ) खजूर के तने के पीछे छुप रहे थे, तब इब्ने स़य्याद की माँ ने आप (ﷺ) को देख लिया और उसे आवाज़ दी, ऐ स़ाफ़! (ये इब्ने स़य्याद का नाम था) ये आवाज़ सुनकर इब्ने स़य्याद तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर उसकी माँ उसे ख़बर न करती तो हमें उसके बारे में ह़क़ीक़ते–ह़ाल मा'लूम हो जाती। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 187)**

1853. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं (ह़दीष़ नं. 1852 से पेवस्ता) उसके बाद नबी करीम (ﷺ) ने लोगों के लिये ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माया, पहले अल्लाह तआ़ला की शायाने शान ह़म्दो–स़ना की फिर दज्जाल का ज़िक्र किया और फ़र्माया मैं तुमको उस (के शर) से डराता हूँ और कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने अपनी क़ौम को उससे न डराया हो यहाँ तक कि ह़ज़रत नूह़ (अ़लैहिस्सलाम) ने भी अपनी क़ौम को उससे डराया था लेकिन मैं तुमको उसके बारे में ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी क़ौम को न बताई। तुम जान लो कि वो काना है और यक़ीनन अल्लाह तआ़ला काना नहीं है। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल जिहाद बाब 178)**

बाब 20 : दज्जाल का हुलिया और जो कुछ उसके साथ होगा उसका बयान

1854. ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक दिन जनाब नबी करीम (ﷺ) ने लोगों के सामने मसीह़ दज्जाल का ज़िक्र किया और फ़र्माया, यक़ीनन अल्लाह तआ़ला काना नहीं है जबकि मसीह़ दज्जाल यक़ीनन दाहिनी आँख से काना है उसकी ये आँख उभरे हुए अंगूर की तरह़ नुमायाँ नज़र आएगी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 48)**

1855. ह़दीष़ अनस (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो नबी भी मब्ऊ़ष़ हुआ उसने अपनी क़ौम को काने और झूठे दज्जाल से ज़रूर डराया है और याद रखो वो काना होगा

और तुम्हारा रब्बे करीम काना नहीं है उसकी दोनों आँखों के बीच लिखा होगा काफ़िर।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 26)

1856. हदीष़ हुज़ैफ़ा (रज़ि.) : उक़्बा बिन अ़म्र (रह.) ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान (रज़ि.) से कहा, क्या आप हमें वो हदीषें न सुनाएँगे जो आपने ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हैं? हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, मैंने जनाब नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना है, जब दज्जाल का ज़ुहूर (उदय) होगा तो उसके साथ पानी भी होगा और आग भी, लेकिन होगा ये कि जिस चीज़ को लोग आग देखेंगे वो ठण्डा पानी होगा और जिसे वो बज़ाहिर ठण्डा देखेंगे वो जलाने वाली आग होगी लिहाज़ा तुममें जिसको दज्जाल से वास्ता पड़े उसे चाहिए कि ख़ुद को उसमें डाले जो देखने में आग नज़र आए इसलिये कि वो मीठा और ठण्डा (पानी) होगा।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 50)

1857. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या मैं तुमको दज्जाला के बारे में एक ऐसी बात न बताऊँ जो किसी नबी ने अपनी क़ौम को न बताई? वाक़िया ये है कि वो काना होगा और उसके पास ख़ुद की बनाई हुई जन्नत और जहन्नम होंगे लेकिन जिसे वो जन्नत कहेगा वो जहन्नम होगी और मैं तुमको उससे उसी तरह डराता हूँ जिस तरह उससे हज़रत नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम को डराया था।

(स़हीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 3)

बाब 21 : दज्जाल का बयान और ये कि दज्जाल मदीना में दाख़िल नहीं हो सकेगा

1858. हदीष़ अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हमसे दज्जाल के बारे में बहुत लम्बी बातचीत की, जो कुछ आप (ﷺ) ने बयान फ़र्माया उसमें ये भी था कि दज्जाल के लिये मदीना के कूचे व बाज़ार में दाख़िला चूँकि हराम कर दिया गया है इसलिये वो मदीना के उन इलाक़ों से जो पथरीले हैं किसी एक इलाक़े में आएगा तो उसके पास एक शख़्स जाएगा जो उस वक़्त मदीना के लोगों में सबसे बेहतर होगा। या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना के अच्छे लोगों में से एक होगा और जाकर उससे कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसके बारे में नबी करीम (ﷺ) ने अपनी हदीष़ में ज़िक्र किया है। दज्जाल लोगों से कहेगा, तुम्हारा क्या ख़याल है! अगर मैं इस शख़्स को क़त्ल कर दूँ और फिर ज़िन्दा कर दूँ तो क्या तुमको फिर भी मेरे बारे में शक रहेगा? वो कहेंगे, नहीं! चुनाँचे दज्जाल उस शख़्स को पहले क़त्ल करेगा फिर ज़िन्दा कर देगा। जब दज्जाल उसे ज़िन्दा करेगा तो वो शख़्स कहेगा, अल्लाह की क़सम! मुझे इतना नूरे–बसीरत पहले कभी हासिल नहीं हुआ था जितना आज हुआ है तो दज्जाल कहेगा, उसे क़त्ल कर दो क्योंकि मैं इस पर ग़लबा नहीं पा सकता।

(स़हीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीना बाब 9)

1859. हदीष़ मुग़ीरह बिन शुअ़बा (रज़ि.) : हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से दज्जाल के बारे में जितना मैंने पूछा और किसी ने नहीं पूछा होगा और आप (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, तुमको उससे क्या नुक़्सान पहुँचेगा? मैंने अ़र्ज़ किया, इसलिये (डरता हूँ) कि लोग कहते हैं उसके साथ रोटियों का पहाड़ और पानी की नहर होगी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, होगी! लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी ज़रा भी वक़अ़त नहीं। या'नी जो

कुछ उसके पास है उसके ज़रिये से वो मोमिनों को गुमराह न कर सकेगा।

(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 26)

बाब 23 : दज्जाल का ज़ुहूर और उसका ज़मीन पर ठिकाना

1860. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल न जाएगा सिवाए मक्का और मदीना के, इन शहरों का कोई कूचा व बाज़ार ऐसा नहीं जिस पर फ़रिश्ते सफ़ बाँधे उसकी हिफ़ाज़त न कर रहे हों। फिर मदीना अपने रहने वालों को तीन झटके देगा जिनके नतीजे में अल्लाह तआला (शहरे–) मदीना में से काफ़िर और मुनाफ़िक़ों को निकाल बाहर करेगा।

(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल मदीना बाब 9)

बाब 26 : कुर्बे क़ियामत का बयान

1861. हदीष इब्ने मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते हुए सुना, जिन लोगों पर उनके जीते जी क़ियामत बरपा होगी वो दुनिया के बदतरीन लोग होंगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल फ़ितन बाब 5)**

1862. हदीष सहल बिन सअद (रज़ि.) : हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने देखा कि जनाब नबी करीम (ﷺ) ने अपनी दरम्यानी उँगली और अंगूठे के बराबर वाली उँगली को मिलाकर दिखाते हुए फ़र्माया, मुझे और क़ियामत को इस तरह मुत्तसिल (जोड़कर) भेजा गया है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर बाब 79)

1863. हदीष अनस (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे और क़ियामत को इस तरह साथ–साथ भेजा गया है (जैसे हाथ की ये दोनों उँगलियाँ या'नी आप ﷺ ने अंगूठे के बराबर वाली और बीच वाली उँगली एक–दूसरे से मिलाकर दिखाई)। **(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 39)**

बाब 27 : दोनों सूरों के फूँके जाने के बीच किस क़दर वक़्फ़ा होगा

1864. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दोनों सूरों के फूँके जाने के बीच चालीस होंगे। किसी ने पूछा, क्या चालीस दिन? हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, मैं नहीं बता सकता। पूछा, चालीस महीने? कहा, मैं नही बता सकता। पूछा, चालीस साल? मैंने कहा, मैं नहीं बता सकता। (हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. ने रिवायत जारी रखते हुए कहा) नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फिर आसमान से अल्लाह तआला पानी बरसाएगा जिसके अषर से लोग इस तरह उगेंगे जैसे सब्ज़ा उगता है। इंसान के जिस्म की हर चीज़ गलकर राख हो जाएगी सिवाए एक हड्डी के और अजबुजम्ब है। उसी हड्डी से क़ियामत के दिन मख़्लूक़ को दोबारा जोड़ा जाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर बाब 78)**

दुनिया से नफ़रत दिलाने और दिल को नरम करने वाली अहादीष

1865. हदीष अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यित के साथ तीन चीज़ें जाती हैं जिनमें से दो वापस आ जाती हैं और एक उसके साथ रहती है। तीन चीज़ें जो साथ जाती हैं ये हैं :

01. मुर्दे के अहलो–अयाल 02. उसका माल 03. उसके आमाल

चुनाँचे अहलो–अयाल और माल तो वापस लौट आते हैं और अमल बाक़ी रह जाता है।

(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 42)

1866. हदीष उमर बिन औफ़ अन्सारी (रज़ि.) : हज़रत उमर (रज़ि.) बिन औफ़ जो कि बनी आमिर बिन लव्वी के हलीफ़ और ग़ज़्व–ए–बद्र के शरीक होने वालों में से हैं, कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत अबू उबैदह बिन जर्राह (रज़ि.) को बहरीन भेजा ताकि वहाँ से जिज़्या वसूल करके ले आएँ। नबी करीम (ﷺ) ने अहले बहरीन से सुलह कर ली थी और उन पर हज़रत अला बिन हज़रमी (रज़ि.) को अमीर बना दिया था। जब हज़रत अबू उबैदह (रज़ि.) बहरीन से माल लेकर आए तो अन्सार ने उनके आने के बारे में सुन लिया और सुबह की नमाज़ में सब नबी करीम (ﷺ) के साथ जमा हुए और जब हज़रत अबू उबैदह (रज़ि.) नमाज़ से फ़ारिग़ होकर वापस जाने लगे तो अन्सार ने उनसे इशारे–किनाए में पूछने की कोशिश की (कि आप माल ले आए) ये देखकर नबी करीम (ﷺ) मुस्कुराए और फ़र्माया, मेरा ख़याल है तुमने सुन लिया है कि अबू उबैदह (रज़ि.) कुछ लाए हैं। अन्सार कहने लगे, बेशक या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे लिये ख़ुशख़बरी है और उम्मीद रखो तुमको वही मिलेगा जिससे तुम ख़ुश होओगे। लेकिन अल्लाह की क़सम! मुझे तुम पर फ़क़ीरी का डर नहीं है बल्कि मैं जिस बात से डरता हूँ वो ये है कि तुमको भी उसी तरह दुनिया की फ़राख़ी और ख़ुशहाली मयस्सर न आ जाए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों को मयस्सर आई थी और तुम भी दुनिया की रग़बत में एक–दूसरे से बाज़ी ले जाने की कोशिश में लग जाओ जैसे तुमसे पहली उम्मतों के लोग लग गए और ये दुनिया तुमको भी उसी तरह हलाक कर दे जैसे उसने उनको हलाक किया।

(सहीह बुख़ारी किताबुल जिज़्या बाब 1)

1867. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से कोई किसी ऐसे शख़्स को देखे जिसे माल और तख़्लीक़ में तुम पर बरतरी अता की गई हो तो उसे

चाहिए कि ऐसे लोगों पर भी नज़र डाले जो उससे कमतर हों। **(सहीह बुख़ारी किताबरिक़ाक़ बाब 30)**

1868. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना कि बनी इस्राईल के तीन लोगों को जिनमें एक कोढ़ी, एक गंजा और एक अँधा था, अल्लाह तआ़ला ने आज़माना चाहा। चुनाँचे उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा, ये फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास गया और उससे पूछा, तुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महबूब है? उसने जवाब दिया, ख़ूबसूरत रंग और हसीन जिल्द और ये कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और उसकी वो बीमारी दूर हो गई और उसे ख़ूबसूरत जिल्द और हसीन रंग मिल गया फिर फ़रिश्ते ने पूछा, तुझे कौनसा माल पसन्द है? उसने कहा, ऊँट। चुनाँचे उसे दस माह की हामला ऊँटनियाँ दे दी गईं और फ़रिश्ते ने उसे दुआ दी कि अल्लाह तआ़ला तेरे इस माल में बरकत अ़ता करे।

फिर वो फ़रिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा, तुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महबूब है? उसने जवाब दिया, ख़ूबसूरत बाल और ये कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। चुनाँचे फ़रिश्ते ने हाथ फेरा और उसकी बीमारी दूर हो गई और उसे ख़ूबसूरत बाल मिल गए। फिर फ़रिश्ते ने उससे पूछा, तुझे कौनसा माल पसन्द है? उसने कहा, गायें। चुनाँचे उसने उसे हामला गायें दे दीं और दुआ दी कि अल्लाह तआ़ला तेरे माल में बरकत अ़ता करे।

फिर फ़रिश्ता अँधे के पास पहुँचा और उससे पूछा, तुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महबूब है? उसने कहा, ये कि अल्लाह तआ़ला मेरी आँखें लौटा दे जिससे मैं लोगों को देख सकूँ। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और अल्लाह तआ़ला ने उसे बीना (देखने वाला) कर दिया। फ़रिश्ते ने उससे पूछा, तुझे कौनसा माल सबसे ज़्यादा पसन्द है? उसने कहा, बकरियाँ। चुनाँचे उसे हामला बकरियाँ दे दीं।

फिर हुआ ये कि ऊँटनियों और गायों ने भी बच्चे दिये और बकरियों के भी बच्चे हुए कि कोढ़ी के पास ऊँटों का मैदान, गंजे के पास गायों का गल्ला और अँधे के पास बकरियों का रेवड़ हो गया।

फिर वही फ़रिश्ता अपनी उसी शक्ल व सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहने लगा, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ। दौराने सफ़र तमाम ज़राय से महरूम हो चुका हूँ और अब हालत ये है कि मैं अपने घर तक भी अल्लाह की और तुम्हारी मदद के बग़ैर नहीं पहुँच सकता। मैं तुमसे उस ज़ात के नाम पर जिसने तुमको ख़ूबसूरत जिल्द, रंग–रूप और माल अ़ता किया है, एक ऊँट माँगता हूँ जिसकी मदद से मैं अपने घर तक पहुँच सकूँ। **कोढ़ी ने जवाब दिया, मेरी ज़िम्मेदारियाँ और ख़र्चे बहुत हैं (इसलिये मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता) फ़रिश्ते ने कहा, ग़ालिबन मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम कोढ़ी न थे कि लोग तुमसे नफ़रत करते थे? और क्या तुम ग़रीब न थे फिर तुमको अल्लाह तआ़ला ने ये माल अ़ता किया? उसने कहा, ये माल तो मुझे नस्ल दर नस्ल विराषत में मिला है। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तआ़ला तुम्हें फिर पहले जैसा कर दे।**

उसके बाद फ़रिश्ता पहली शक्ल व सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही कुछ कहा जो कोढ़ी को कहा था और गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया था चुनाँचे उसे भी फ़रिश्ते ने बद्दुआ दी कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह तआ़ला फिर पहले जैसा कर दे।

फिर फ़रिश्ता अपनी पहली सूरत में अँधे के पास गया और उससे कहा कि मैं एक मिस्कीन और मुसाफ़िर हूँ और मेरा ज़ादे–राह (सफ़र–ख़र्च) ख़त्म हो गया है और आज मैं अपने घर तक अल्लाह की और तेरी मदद के बग़ैर नहीं पहुँच सकता। मैं तुझसे उस ज़ात के नाम पर जिसने तेरी आखों की रोशनी लौटाई है, सवाल करता हूँ तू

मुझे एक बकरी दे जिसके सहारे मैं अपना सफ़र तय कर सकूँ। **अँधे ने कहा, मैं नाबीना था अल्लाह तआला ने मुझे बीनाई अ़ता की। मैं फ़क़ीर था अल्लाह तआला ने मुझे मालदार कर दिया, उसके शुक्राने में मेरी तरफ़ से तुझे इख़्तियार है कि जो तेरा जी चाहे ले ले। अल्लाह की क़सम! आज तू जो चीज़ भी अल्लाह के नाम पर लेगा मैं तुझे मना नहीं करूँगा।**

फ़रिश्ते ने कहा, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक हो ये तो सिर्फ़ इम्तिहान था जिसके नतीजे में अल्लाह तआला तुमसे ख़ुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ हो गया। **(स़हीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 51)**

नोट : इस हदीष़ में हमारे लिये बहुत बड़ी इबरत की बात मौजूद है। आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब अल्लाह तआला किसी ग़रीब इन्सान को मालदार बना देता है तो वो अपनी अस़लियत को भूल जाता है। अगर कोई उसे उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश करे तो वो ख़ुद को ख़ानदानी अमीर बताने और तकब्बुर करने लगता है, ऐसा करने वालों को याद रखना चाहिये कि अल्लाह उन्हें फिर से पुरानी हालत में लौटाने पर क़ादिर है।

1869. हदीष़ सअ़द (रज़ि.) : हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं पहला अ़रब हूँ जिसने अल्लाह की राह में तीरंदाज़ी की और हमने ऐसी हालत में भी अल्लाह की राह में जिहाद किया जबकि हमारे पास खाने के लिये कुछ न था सिवाय जबला और समर के पत्तों के, और हालत ये थी कि हम उन दिनों एकसा पाख़ाना करते थे जो बकरी की मेंगनियाँ की मानिन्द होता था और उसमें कुछ और मिला न होता था (ख़ास़ पत्ते होते थे) और उसके बावजूद आज ये बनी असद मुझे तेरे इस्लाम पर सज़ा दिलवाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं नामुराद हुआ और मेरा किया धरा अकारथ गया। **(स़हीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 17)**

1870. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **ऐ अल्लाह! आले मुहम्मद (ﷺ) को उसी क़दर रोज़ी अ़ता कर जो उनके गुज़ारे के लिये काफ़ी हो।**
(स़हीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 17)

1871. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मदीना में आने के बाद आले मुहम्मद (ﷺ) ने कभी तीन दिन तक मुसलसल गेहूँ की रोटी पेट भरकर नहीं खाई और जनाब नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात तक यही हालत रही। **(स़हीह बुख़ारी किताबुल अ़त्इमति बाब 23)**

1872. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि आले मुहम्मद (ﷺ) ने जिस दिन भी दो खाने खाये उनमें एक खाना ज़रूर खजूर होता था। **(स़हीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 17)**

नोट : इन अहादीष़ में उन दिनों का ज़िक्र है जब अ़रब में गेहूँ बाहर मुल्कों से आता था और बेहद क़ीमती चीज़ समझा जाता था। इसके बरअक्स खजूर वहां उगने वाली आम व मामूली चीज़ थी जिस तरह हमारे देश भारत में नीम, पीपल व बबूल के पेड़ होते हैं जिनके फलों की कुछ ख़ास़ क़ीमत नहीं होती। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ खजूर के मुक़ाबले गेहूँ सस्ती चीज़ है। हदीष़ का मफ़हूम यही है कि शुरूआती दौर में मुसलमानों को महंगी ग़िज़ा मयस्सर (उपलब्ध) नहीं थी।

1873. हदीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने एक बार हज़रत उ़र्वा (रज़ि.) से

कहा, ऐ भान्जे! हम एक चाँद देखते दूसरा चाँद देखते, इसी तरह दो महीनो में तीन चाँद नज़र आ जाते और उस मुद्दत में नबी करीम (ﷺ) के घरों में आग न जलती।

(उर्वा रज़ि. कहते हैं) मैंने कहा, खालाजान! फिर आप क्या खाते थे? **उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) ने कहा, दोनों स्याह चीज़ें या'नी खजूर और पानी। हाँ! कभी-कभी ऐसा भी होता था कि नबी करीम (ﷺ) के कुछ अंसारी पड़ौसी जिनके पास दुधारू जानवर थे वो नबी करीम (ﷺ) के लिये उनका कुछ दूध भेज दिया करते थे और वो दूध आप (ﷺ) हमको पिला देते थे। (सहीह बुख़ारी किताबुल हिबा बाब 1)**

1874. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात के वक़्त तक हम दो स्याह चीज़ों या'नी खजूर और पानी से सैर हुआ करते थे।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमति बाब 6)

1875. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के ख़ानदान ने कभी तीन दिन मुसलसल सैर होकर गेहूँ की रोटी नहीं खाई और आप (ﷺ) की वफ़ात तक यही हालत रही।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अत्इमति बाब 1)

बाब 1 : अगर अज़ाबयाफ्ता लोगों की बस्तियों में से गुज़रो तो रोते हुए गुज़रो

1876. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उन लोगों (की बस्तियों) के क़रीब जिन पर अज़ाब नाज़िल हुआ, मत जाओ अल्बत्ता ये कि जब वहाँ जाओ तो रोते हुए जाओ और अगर रो नहीं सकते तो वहाँ मत जाओ कहीं तुम पर भी वही अज़ाब न आ जाए जो उन पर आया था। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 53)**

1877. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि लोग नबी करीम (ﷺ) के साथ अर्ज़े षमूद या'नी इलाक़-ए-हजर में उतरे और उन्होंने वहाँ के कुँओं में से पानी निकाला और उससे आटा गूँधा, तो नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि कुँए में से जो पानी निकाला है उसे बहा दें और उस पानी से जो आटा गूँधा है वो ऊँटों को खिला दें और उन्हें हुक्म दिया कि उस कुँए में से पानी निकालकर पियें जिसमें से (हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की) ऊँटनी पानी पिया करती थी। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 17)**

बाब 2 : बेवा, बेसहारा औरतों और मिस्कीनों, यतीमों के साथ हुस्ने-सुलूक करने का हुक्म

1878. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) . हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बेवा और बेसहारा औरतों, मिस्कीनों और यतीमों की ख़िदमत व बहबूदी के लिये कोशिश करता है वो उन लोगों की तरह है जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं या उन लोगों की तरह है जो दिन को रोज़ा रखते और रात को क़ियाम करते हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुन्नफ़क़ात बाब 1)**

बाब 3 : मस्जिद बनाने का षवाब

1879. हदीष उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) : उबैदुल्लाह ख़ौलानी (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को उस वक़्त जब लोगों ने मस्जिद नबवी (ﷺ) की तअमीर के सिलसिले में ऐतराज़ किया, ये कहते सुना, तुमने बहुत बातें बना लीं हालाँकि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना है कि जिस शख़्स ने मस्जिद बनाई और उस काम से उसकी निय्यत ख़ालिसतन रज़ा–ए–इलाही का हासिल करना हो तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में वैसा ही घर बनाएगा। **(सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात बाब 65)**

बाब 5 : रिया (नमूदो–नुमाईश) हराम है

1880. हदीष जुन्दुब (रज़ि.) : हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **जो शख़्स अपने नेक काम लोगों को सुनाता है अल्लाह तआला (रोज़े क़ियामत उसकी निय्यते फ़ासिदा) लोगों को सुनाएगा और जो अपनी नेकियाँ लोगों को दिखाता है अल्लाह तआला (उसका अज़ाब रोज़े क़ियामत) लोगों को दिखाएगा। (सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 36)**

बाब 6 : ज़ुबान की हिफ़ाज़त करने का हुक्म

1881. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हें कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, इंसान कई बार कोई कलिमा ज़ुबान से निकाल बैठता है जिसके बारे में वो ये नहीं सोचता कि उसका मफ़्हूम और नतीजा क्या होगा और उसी एक कलिमे की वजह से फिसलकर आग में इतनी दूर उतर जाता है जितना फ़ासला एक मश्रिक़ से दूसरे मश्रिक़ तक है (या मश्रिक़ से मग़्रिब तक है)।

(सहीह बुख़ारी किताबुर्रिक़ाक़ बाब 23)

बाब 7 : उस शख़्स का अज़ाब जो दूसरों को नेक काम करने की नसीहत करता है मगर ख़ुद उस पर अमल नहीं करता और बुरे काम से रोकता है लेकिन ख़ुद बुरा काम करता है

1882. हदीष उसामा (रज़ि.) : हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से कहा गया, क्या अच्छा होता कि आप फ़लाँ शख़्स (मुराद हज़रत उष्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि.) के पास जाते और उनसे बात करते। कहने लगे, तुम्हारा ख़याल है कि क्या मैं उनसे उसी वक़्त बात कर सकता हूँ जब तुमको सुनाऊँ? मैं उनसे अलग में बात करूँगा। ऐसे तरीक़े पर कि किसी फ़ित्ने का दरवाज़ा न खुले और फ़ित्ने का दरवाज़ा खोलने वाला पहला शख़्स मैं न होऊँ और न मैं किसी शख़्स को उसके बाद से जब से नबी करीम (ﷺ) से एक बात सुनी है सिर्फ़ इस बिना पर कि वो मुझ पर अमीर मुक़र्रर हो गया है, ये कहता हूँ कि वो ख़ैरुन्नास है (सबसे अच्छा है)। लोगों ने कहा, आपने नबी करीम (ﷺ) को क्या इर्शाद फ़र्माते सुना है? कहने लगे, मैंने आप (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना है कि **क़ियामत के दिन एक शख़्स को लाया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा और उसकी आँतें फिसलकर आग में जा पड़ेंगी तो वो उनको लेकर इस तरह चक्कर काटेगा जैसे गधा ख़रास चलाते वक़्त उसके गिर्द चक्कर काटता है। लिहाज़ा अहले जहन्नम उसके गिर्द जमा हो जाएँगे और पूछेंगे, ऐ शख़्स! तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम नेक काम**

करने और बुरे काम न करने की नस़ीहत नहीं किया करते थे? वो कहेगा, हाँ! मैं तुमको नेक काम करने की नस़ीहत किया करता था लेकिन ख़ुद नेक काम नहीं किया करता था और तुमको बुरे कामों से मना करता था लेकिन ख़ुद बुरे काम किया करता था। (स़हीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 10)

बाब 8 : इंसान को अपने पोशीदा गुनाहों का पर्दाफ़ाश नहीं करना चाहिये

1883. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुना, मेरी तमाम उम्मत के गुनाह बख़्शे जाएँगे सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों का पर्दा ख़ुद फ़ाश करते हैं और ये भी बेहूदगी और बेह़याई है कि आदमी रात के वक़्त कोई बुरा काम करे और सुबह़ के वक़्त उठे तो उसके गुनाह पर अल्लाह तआ़ला ने तो पर्दा डाल रखा हो लेकिन वो ख़ुद लोगों से कहता फिरे, ऐ शख़्स़! मैंने कल रात ये और ये बुरा काम किये। गोया उसके रब ने तो (जो हर बात से बाख़बर है और जो हर चीज़ देखता है) उसकी पर्दापोशी फ़र्माई थी लेकिन वो सुबह़ उठता है और अल्लाह के डाले हुए पर्दे को खोल देता है। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 60)**

बाब 9 : छींकने वाले को (यरहमुकल्लाह) कहने और जम्हाई लेने की कराहत का बयान

1884. ह़दीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : ह़ज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की मौजूदगी में दो शख़्सों को छींक आई तो आप (ﷺ) ने एक के लिये **यरहमुकल्लाह** (अल्लाह तुझ पर रह़म करे) कहा और दूसरे के लिये न कहा। आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया गया (कि आप ﷺ ने ऐसा क्यों किया?) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसने (जिसके लिये आप ﷺ ने यरहमुकल्लाह कहा, उसने छींक आने पर) **अल्ह़म्दुलिल्लाह** कहा था और उस दूसरे ने अल्ह़म्दुलिल्लाह नहीं कहा था। **(स़हीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 123)**

1885. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जम्हाई शैत़ान की त़रफ़ से है लिहाज़ा तुममें से जब किसी को जम्हाई आए तो ह़त्तल मक़्दूर (यथासम्भव) उसे दफ़ा करने की कोशिश करे। **(स़हीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 11)**

बाब 11 : चूहे का ज़िक्र, चूहा मस्ख़शुदा नस्ल है

1886. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल का एक गिरोह गुम हो गया था, कुछ पता न चला कि वो कहाँ गया और मेरा ख़याल है कि हो न हो चूहे वही (नस्ल) हैं क्योंकि उनके आगे जब ऊँट का दूध रखा जाता है तो नहीं पीते और जब बकरियों का दूध रखा जाता है तो पी जाते हैं। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने ये ह़दीष़ कअ़ब अह़बार (रज़ि.) को सुनाई तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या ये बात आपने नबी करीम (ﷺ) को इर्शाद फ़र्माते सुनी है। मैंने कहा, हाँ! और जब उन्होंने मुझसे यही सवाल कई बार किया तो मैंने कहा, तो क्या मैं तौरात पढ़ता हूँ? (कि उसमें से देखकर ये बात कह रहा हूँ)।
(स़हीह़ बुख़ारी किताब बदउल ख़ल्क़ बाब 15)

बाब 12 : मोमिन एक सूराख़ से दो बार नहीं डसा जाता

1887. ह़दीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन एक सूराख़ से दो बार डंक नहीं खाता (या'नी एक बार तल्ख़ तजुर्बा होने के बाद दोबारा उसी ग़लती को नहीं दोहराता, मोमिन में कम अज़ कम इतनी फ़रासत ज़रूर होनी चाहिए)। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 83)**

बाब 14 : किसी की इतनी ज़्यादा ता'रीफ़ करना मना है जिससे उसके मुग़ालत़े में मुब्तला होने का ख़त़रा हो

1888. ह़दीष़ अबूबक्र (रज़ि.) : ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के सामने एक शख़्स़ ने किसी शख़्स़ की ता'रीफ़ की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने बुरा किया, तुमने तो अपने दोस्त की गर्दन काट दी। ये बात आपने कई बार दोहराई। फिर फ़र्माया, तुममें से जिसे ज़रूर ही अपने भाई की ता'रीफ़ करना हो तो उसे चाहिए कि इस त़रह़ कहे, मैं ख़याल करता हूँ जबकि ह़क़ीक़ते—ह़ाल तो अल्लाह ही जानता है और मैं अल्लाह के मुक़ाबले में किसी की पाकबाज़ी ष़ाबित नहीं कर रहा स़िर्फ़ मेरा ख़याल है कि वो ऐसा और ऐसा है और ये बातें भी स़िर्फ़ उस सूरत में कहे जबकि उसके बारे में ज़ाती त़ौर पर जानता हो। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुश्शहादत बाब 16)**

1889. ह़दीष़ अबू मूसा (रज़ि.) : ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स़ को किसी की ता'रीफ़ बढ़ा—चढ़ाकर करते सुना तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने उसे हलाक कर दिया। या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने उस शख़्स़ की कमर तोड़ दी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुश्शहादत बाब 17)**

बाब 15 : बड़ी उ़म्र वाले को (पहले) देने का बयान

1890. ह़दीष़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने (ख़्वाब में) देखा कि मैं मिस्वाक कर रहा हूँ उसी वक़्त मेरे पास दो शख़्स़ आए जिनमें से एक—दूसरे से बड़ा था और मैंने वो मिस्वाक उसे दी जो उनमें से छोटा था तो मुझे कहा गया, बड़े को दो। चुनाँचे मैंने वो मिस्वाक उसे दे दी जो बड़ा था। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल वुज़ू बाब 74)**

बाब 16 : बात इत़्मीनान से ठहर—ठहरकर करने और इ़ल्म को लिखने का बयान

1891. ह़दीष़ आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) गुफ़्तगू करते वक़्त बात इस त़रह़ करते थे कि अगर कोई शख़्स़ आप (ﷺ) की बातों को गिनना चाहे तो गिन ले। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 23)**

बाब 19. रसूलुल्लाह (ﷺ) की हिजरत का वाक़िया

1892. हदीष़ अबूबक्र (रज़ि.) : हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) मेरे बाप के पास उनके घर आए और उनसे एक कजावा ख़रीदा और उन्होंने मेरे वालिद आ़ज़िब (रज़ि.) से कहा कि अपने बेटे को मेरे साथ भेजो ताकि ये कजावा उठाकर मेरे घर पहुँचा दे चुनाँचे मैं कजावा उठाकर उनके साथ चलने लगा और मेरे वालिद भी चले ताकि उसकी क़ीमत वसूल कर लें। उस वक़्त मेरे बाप ने कहा, ऐ अबूबक्र (रजि)! मुझे उस दिन की कैफ़ियत सुनाओ जब आप नबी करीम (ﷺ) के साथ रवाना हुए थे।

हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, अच्छा। (ये वाक़िया इस तरह है कि) हम सारी रात चले और फिर सुबह के वक़्त भी चलते रहे यहाँ तक कि सूरज ख़ूब बलन्द हो गया और दोपहर का वक़्त आ गया और रास्ते इस क़दर सुनसान हो गए कि उनमें कोई राहगीर नहीं चल रहा था। उस हालत में हमें अपने सामने एक लम्बी चट्टान नज़र आई जिसका अच्छा–ख़ासा साया था और उस जगह धूप न आती थी। हम उसके पास उतर गए और मैंने अपने हाथों से ज़मीन हमवार (समतल) की ताकि उस पर जनाब नबी करीम (ﷺ) आराम करें और उस जगह पर कम्बल बिछा दिया और नबी करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप आराम करें और मैं आप (ﷺ) की हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से अत़राफ़ (चारों ओर) का जायज़ा लेता और निगरानी करता हूँ। चुनाँचे मैं उठकर आसपास का जायज़ा लेने लगा तो अचानक मुझे एक गडरिया नज़र आया जो अपनी बकरियाँ लिये हुए उसी चट्टान की त़रफ़ आ रहा था और वो भी वही चाहता था जो हमने किया था (या'नी उसी चट्टान के साये में ठहरना और आराम करना चाहता था) मैंने उससे पूछा, लड़के तुम किसके गुलाम हो? उसने कहा, मदीना या मक्का (रावी को शक है) के फ़लाँ शख़्स़ का गुलाम हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारी बकरियों के थनों में दूध है? कहने लगा, हाँ! मैंने कहा, क्या तुम दूध दोगे? कहने लगा, हाँ! फिर उसने एक बकरी को पकड़ा। मैंने कहा, उसके थनों पर से मिट्टी, बाल और मेल–कुचैल झाड़कर स़ाफ़ कर लो। (रावी कहते हैं , मैंने ह़ज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि. को देखा कि वो हदीष़ बयान करते वक़्त अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारकर और झाड़कर दिखाते थे कि इस त़रह़) चुनाँचे उसने एक प्याले में थोड़ा सा दूध दुह दिया और मेरे पास चमड़े का एक डोल था जो मैंने साथ ले लिया था ताकि नबी करीम (ﷺ) के लिये पानी रख लूँ, जिसमें से आप वुज़ू करें और पियें। अल्ग़र्ज़ मैं (वो दूध लेकर) नबी करीम (ﷺ) के पास आया। मैं आप (ﷺ) को जगाना पसन्द न करता था लेकिन इत्तिफ़ाक़न ऐसा हुआ कि जिस वक़्त में पहुँचा उसी वक़्त आप (ﷺ) बेदार हुए थे। मैंने दूध पर थोड़ा पानी डाला ताकि वो ठण्डा हो जाए और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! नोश फ़र्माइये। चुनाँचे आप (ﷺ) ने सैर होकर तनावुल फ़र्माया कि मेरा जी ख़ुश हो गया। फिर आप (ﷺ) ने पूछा, क्या अभी रवानगी का वक़्त नहीं हुआ? मैंने अ़र्ज़ किया, क्यों नहीं? चुनाँचे जब सूरज ढल गया तो हम रवाना हो गए। सुराक़ा बिन मालिक ने हमारा पीछा किया तो मैंने नबी करीम (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो लोग हम तक पहुँच गए! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **ला तहज़न इन्नल्लाह मअ़ना** तर्जुमा : **ग़म न कर, अल्लाह हमारे साथ है।** (सूरह तौबा : 40)

फिर आप (ﷺ) ने उसे बद्दुआ दी तो उसका घोड़ा सवार समेत पेट तक ज़मीन में धंस गया हालाँकि वो ज़मीन सख़्त थी तो सुराक़ा ने कहा, मेरा ख़याल है तुम दोनों ने मुझे बद्दुआ दी है (जिसके नतीजे में ये हुआ है) लिहाज़ा अब मेरे लिये दुआ करो (कि अल्लाह तआ़ला मुझे इस कैफ़ियत से नजात दे) अल्लाह तुम्हारे साथ है और (उसके बदले में) मैं हर उस शख़्स़ को जो तुम्हारी तलाश में आएगा, तुम्हारी त़रफ़ आने से रोक दूँगा। चुनाँचे आप (ﷺ) ने उसके लिये दुआ की और वो उस मुसीबत से नजात पा गया और जो भी रास्ते में मिलता उससे कहता, मैं इस त़रफ़ अच्छी तरह देखभाल कर चुका हूँ वो इधर नहीं हैं, और हर शख़्स़ को वापस भेज देता। हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने कहा, और सुराक़ा ने अपनी बात पूरी की। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 25)**

किताबुत् तफ़सीर

1893. हदीष़ अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल को हुक्म दिया गया था कि **वद् ख़ुलुल बाब सुज्जदवं व क़ूलू हित्ततुन** तर्जुमा : **बस्ती के दरवाज़े में सज्दारेज़ होते हुए दाख़िल होना और कहते जाना हित्ततुन हित्ततुन।** (सूरह बक़र : 58) लेकिन उन्होंने हुक्म के मअ़नी में तहरीफ़ की, सुरीन के बल घिसटते हुए दाख़िल हुए और (**हित्ततुन** की बजाय) हब्बतुन फ़ी शअरतिन (बाली में दाना) कहने लगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल अम्बिया बाब 28)**

1894. हदीष़ अनस बिन मालिक (रज़ि.) : हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) पर आप (ﷺ) की हयाते तय्यिबा के आख़िरी दौर में अल्लाह तआला ने पे–दर–पे और मुसलसल वह्य नाज़िल फ़र्माई और आप (ﷺ) की वफ़ात से पहले आप (ﷺ) पर बहुत ज़्यादा वह्य नाज़िल हुई और उसके बाद आप (ﷺ) का विसाल हुआ। **(सहीह बुख़ारी किताब फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन बाब 1)**

1895. हदीष़ उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से एक यहूदी ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है जिसे तुम तिलावत करते हो। काश! वो आयत अगर हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को जिस दिन वो नाज़िल हुई ईद का दिन बना लेते। हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, वो कौनसी आयत है? कहने लगा, **अल्यौम अक्मल्तु लकुम दीनकुम व अत्मम्तु अलैकुम निअ़मती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन** तर्जुमा : **आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिये मुकम्मल कर दिया और अपनी नेअ़मत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैषियत से क़ुबूल कर लिया है।** (अल माइदा : 3)

हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, हमें वो दिन अच्छी तरह मा'लूम है बल्कि वो जगह भी जहाँ ये आयते करीमा नबी करीम (ﷺ) पर नाज़िल हुई थी। वो जुम्अे का दिन था और आप (ﷺ) मक़ामे अरफ़ात में (ख़ुत्बे के लिये) खड़े थे। (गोया जुम्अे का दिन तो पहले ही मुसलमानों के लिये ईद का दिन है)।

(सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान बाब 33)

1896. (हदीष़ आयशा रज़ि) : हज़रत उर्वा (रह.) बिन अज़्ज़ुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से उस इर्शादे बारी तआला के बारे में पूछा, **व इन् ख़िफ़्तुम अल्ला तुक्सितू फ़िल्यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन्निसाइ मस्ना षुलाष़ व रुबाअ़** तर्जुमा : और अगर तुमको अंदेशा हो कि

यतीमों के साथ इंसाफ़ न कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसन्द आएँ उनमें से दो-दो, तीन-तीन और चार-चार से निकाह कर लो। (सूरह निसा : 3)

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, भान्जे! उससे मुराद वे यतीम लड़की है जो किसी वली के ज़ेरे किफ़ालत व तर्बियत हो और वो अपने वली को अपने माल में शरीक कर ले, फिर उसके वली को उसका माल और (उसका) जमाल (सुन्दरता) पसन्द आ जाए और वली ये चाहे कि उससे निकाह कर ले बग़ैर इसके कि उसके साथ महर के मामले में इंसाफ़ करे या'नी (उस यतीम लड़की का वली) ये चाहे कि उसको इतना महर न दे जितना दूसरी औरत को देना पड़ता, तो इस आयत में इस बात से मना कर दिया गया कि ऐसी लड़कियों के साथ महर के मामले में इंसाफ़ किये बग़ैर निकाह न किया जाए और वली अगर उसके साथ निकाह करे तो उसे भी वो पूरा महर अदा करे जो ज़्यादा से ज़्यादा उसे मिल सकता है और ये हुक्म दिया गया कि उन लड़कियों के अलावा जो औरतें तुमको पसन्द हों उनसे निकाह कर लो।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि इस आयत के नुज़ूल के बाद लोगों ने फिर नबी करीम (ﷺ) से इस बारे में फ़त्वा तलब किया तो ये आयते करीमा नाज़िल हुई, **व यस्तफ़्तूनक फ़िन्निसाइ कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़ीहिन्न व मा युत्ला अलैकुम फ़िल किताबि फ़ी यतामन्निसाइल्लाती ला तुअतूहुन्न मा कुति ब लहुन्न व तर्ग़बून अन्तन्किहूहुन्न वल मुस्तज़्अफ़ीन मिनल विल्दानि व अन तक़ूमु लिल्यतामा बिल् क़िस्ति** तर्जुमा : **लोग तुमसे औरतों के मामले में फ़त्वा पूछते हैं। कहो कि अल्लाह तुम्हें उनके मामले में फ़त्वा देता है और साथ ही वो अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं या'नी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों के बारे में हैं जिनके हक़ तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज़ रहते हो (लालच की बिना पर तुम ख़ुद उनसे निकाह कर लेना चाहते हो) और वो अहकाम जो उन बच्चों के बारे में हैं जो बेचारे कोई ज़ोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ़ पर क़ायम रहो।** (सूरह निसा : 127)

और अल्लाह तआला ने ये जो फ़र्माया कि किताब में उसका हुक्म तुम्हारे लिये बयान हो चुका है उससे मुराद वो पहली आयत है जिसमे कहा गया है, **व इन् ख़िफ़्तुम अल्ला तुक्सितू फ़िल्यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन्निसाइ मस्ना षुलाष व रुबाअ** तर्जुमा : **और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ़ न कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसन्द आएँ उनसे निकाह कर लो।** (सूरह निसा : 3)

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि दूसरी आयत (127) में ये जो फ़र्माया **व तर्ग़िबून अन्तकिहुन्न** उससे मुराद यही है कि अगर किसी को अपनी ज़ेरे परवरिश यतीम लड़की में किसी क़िस्म की रग़बत हो या'नी अगर वो माल व जमाल में कमतर हो (तो ये रग़बत कि उसका निकाह न हो ताकि कोई उसका सरधरा पैदा न हो जाए और उसका माल ख़ुद हड़प कर लिया जाए) और अगर लड़की साहिबे माल व जमाल हो तो ये रग़बत कि ख़ुद उससे निकाह कर लिया जाए, दोनों सूरतों में हुक्म ये दिया गया हे कि यतीम लड़कियों से इंसाफ़ किया जाए अगर ख़ुद निकाह करना हो तो दस्तूर के मुताबिक़ पूरा-पूरा महर अदा करें और अगर उनसे ख़ुद निकाह करने की रग़बत न हो तो भी इंसाफ़ किया जाए और किसी दूसरी मुनासिब जगह उनका निकाह कर दिया जाए।

(सहीह बुख़ारी किताबुश्शिरकति बाब 7)

1897. हदीष आइशा (रज़ि.) : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि **व मन् कान ग़निय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ व म[illegible] न फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिल् मअरूफ़ि** तर्जुमा : **यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेज़गारी से काम ले और जो ग़रीब हो वो मअरूफ़ तरीक़े से खाए।** (सूरह निसा : 6)

ये आयते करीमा यतीम के ऐसे वली के बारे में नाज़िल हुई है जो यतीम का निगराँ हो और उसके माल की देखभाल करता हो वो ख़ुद अगर फ़क़ीर हो तो यतीम के माल में से जाइज़ और दस्तूरी तरीक़े से खाए तो कोई हर्ज नहीं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ बाब 95)**

1898. **हदीष आइशा (रज़ि.) :** उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, आयते करीमा **व इनिम्रअतुन ख़ाफ़त मिम्बअलिहा नुशूज़न औ इअराज़न** तर्जुमा : **जब किसी औरत को अपने शौहर से बदसुलूकी या बेरुख़ी का ख़तरा हो।** (सूरह निसा : 128)

ऐसे शख़्स के बारे में नाज़िल हुई है जिसकी बीवी मौजूद हो लेकिन वो उसकी तरफ़ ज़्यादा तवज्जह न देता हो और चाहता हो कि उसे छोड़ दे तो वो औरत उससे कहे मैं तुमको इजाज़त देती हूँ कि दूसरी शादी कर लो। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मज़ालिम बाब 11)**

1899. **हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) :** हज़रत सईद बिन जुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आयत के मफ़्हूम के सिलसिले में अहले कूफ़ा के बीच इख़्तिलाफ़े–राय (मतभेद) हो गया तो मैं हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास गया और उनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आयते करीमा **व मंय्यक़्तुल मुअमिनम्मुतअम्मिदन फ़ जज़ाउहू जहन्नमु** तर्जुमा : **जो शख़्स किसी मोमिन को जान–बूझकर क़त्ल कर दे तो उसकी जज़ा जहन्नम है।** (सूरह निसा : 93) आख़िरी आयत है जो इस सिलसिले में नाज़िल हुई है और उसे किसी दूसरी आयत ने मन्सूख़ नहीं किया। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह निसा बाब 16)**

1900. **हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) :** अब्दुर्रहमान (रह.) बिन अब्ज़ी बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नीचे लिखी दो आयतों के बारे में पूछा गया,

01. **व मंय्यक़्तुल मुअमिनम्मुतअम्मिदन फ़ जज़ाउहू जहन्नमु** तर्जुमा : **जो शख़्स किसी मोमिन को जान–बूझकर क़त्ल करे तो उसकी जज़ा जहन्नम है।** (सूरह निसा : 93) और

02. **वल्लज़ीन ला यद्ऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलूनन् नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल् हक़्क़ि व ला यज़्नून व मंय्यफ़अल ज़ालिक यल्क़ अषामा** तर्जुमा : **जो अल्लाह के सिवा किसी और मअबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक़ क़त्ल नहीं करते और न ज़िना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा।** (सूरह फ़ुर्क़ान : 68)

चुनाँचे मैंने उनके बारे में पूछा तो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, ये दूसरे आयत जब नाज़िल हुई तो अहले मक्का ने कहा कि हमने तो शिर्क भी किया है और उस जान को भी क़त्ल किया जिसका क़त्ल करना अल्लाह ने हराम किया है और बेहयाइयों का इर्तिकाब भी किया (तो गोया हम तो सीधे जहन्नम मे जाएँगे और बख़्शिश की कोई सबील नहीं) तो उस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, **इल्ला मन् ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़ उलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कानल्लाहु ग़फ़ूर्रहीमा** तर्जुमाः **सिवाय ये कि कोई (उन गुनाहों के बाद) तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अमले सालेह करने लगा हो, ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा ग़फ़ूरुर्रहीम है।** (अल फ़ुर्क़ान : 70) **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह फ़ुर्क़ान बाब 3)**

1901. हदीस इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, **व ला तकूलू लि मन् अल्क़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिनन तब्तग़ून अरज़ल हयातिदुन्या** तर्जुमा : **और जो तुम्हारी तरफ़ सलाम से तक़्दीम करे उसे फ़ौरन न कह दो कि तू मोमिन नहीं है। अगर तुम दुनयवी फ़ायदा चाहते हो तो.........** (सूरह निसा : 94)

ये आयते करीमा उस मौक़े पर नाज़िल हुई जब एक शख़्स को जिसके पास कुछ बकरियाँ थीं। मुसलमान मिले तो उसने कहा, **अस्सलामुअलयकुम** लेकिन मुसलमानों ने उसे क़त्ल कर दिया और उसकी बकरियाँ ले लीं। आयते करीमा में **अर्ज़ुल हयातुदुन्या** से मुराद उसकी ये थोड़ी सी बकरियाँ ही हैं।

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह निसा बाब 17)

1902. हदीस बराअ (रज़ि.) : हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) बयान करते हैं कि आयते करीमा **व लैसल् बिर्रु बिअन् तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा व लाकिन्नल् बिर्र मनित्तक़ा वअतुल बुयूत मिन् अब्वाबिहा** तर्जुमा : **ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ़ से दाख़िल होते हो। नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़गी से बचे लिहाज़ा तुम अपने घरों में दरवाज़े ही से आया करो।** (सूरह बक़र : 189)

हमारे बारे में नाज़िल हुई थी। अन्सार की आदत थी कि जब हज्ज करके वापस आते तो अपने घरों में दरवाज़ों से दाख़िल नहीं होते थे बल्कि घर के पिछली जानिब से अंदर आते थे। चुनाँचे एक मौक़े पर एक अन्सारी हज्ज करके आया घर में दरवाज़े की जानिब से दाख़िल हो गया उसकी इस बात पर उसे शर्म दिलाई गई तो ये आयत नाज़िल हुई, **व लैसल् बिर्रु बिअन् तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा व लाकिन्नल् बिर्र मनित्तक़ा वअतुल बुयूत मिन् अब्वाबिहा।** **(सहीह बुख़ारी किताबुल उम्रति बाब 18)**

1903. हदीस इब्ने मसऊद (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) आयते करीमा **इला रब्बिहिमुल वसीलत** के बारे में बयान करते हैं कि आयत इंसानों के उस गिरोह के बारे में नाज़िल हुई जो जिन्नों में से कुछ अश्ख़ास की पूजा किया करते थे फिर वो जिन्न मुसलमान हो गए लेकिन इंसानों का ये गिरोह उनकी इबादत से चिमटा रहा तो ये आयत नाज़िल हुई **उलाइकल्लज़ीन यदऊन यब्तग़ू न इला रब्बिहिमुल वसीलत अय्युहुम अक़्रबु व यर्जून रहमतहू यख़ाफ़ून अज़ाबहू** तर्जुमा : **जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो ख़ुद अपने रब के हु ज़ूर रिसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं कि कौन उनसे क़रीब तर हो जाए और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार और उसके अज़ाब से ख़ाइफ़ हैं।** (बनी इस्राईल : 57)

(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह बनी इस्राईल बाब 7)

बाब 5 : सूरह बरात, सूरह अन्फ़ाल और सूरह हश्र की तफ़्सीर

1904. हदीस इब्ने अब्बास (रज़ि.) : हज़रत सईद (रह.) बिन जुबैर (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सूरह तौबा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सूरह तौबा तो ज़लील करने वाली है (काफ़िरों ओर मुनाफ़िक़ों को) इस सूरत में मुसलसल **व मिन्हुम व मिन्हुम** (और उनमें कोई ऐसा है जो ये कहता है और उनमें से कोई ऐसा है जो ये कहता है) नाज़िल हो रहा है और ऐसा गुमान होता है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबका ज़िक्र कर दिया जाएगा। फिर मैंने आपसे सूरह अन्फ़ाल के बारे में पूछा तो आपने कहा, ये सूरत ग़ज़्व–ए–बद्र के सिलसिले में नाज़िल हुई थी। मैंने सूरह हश्र के बारे में पूछा तो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि इस

सूरत में बनी नज़ीर के बारे में ज़िक्र है। **(सहीह बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर सूरह हश्र बाब 1)**

बाब 6 : शराब की हुर्मत नाज़िल होने का बयान

1905. हदीष़ उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने मिम्बरे नबवी (ﷺ) पर खड़े होकर ख़ुत्बा दिया और फ़र्माया, शराब के हराम होने का हुक्म नाज़िल हुआ उस वक़्त शराब पाँच चीज़ों से तैयार की जाती थी,

01. अंगूर 02. खजूर 03. गेहूँ 04. जौ 05. शहद

ख़म्र से मुराद हर वो चीज़ है जो अक़्ल पर पर्दा डाल दे। इसके अलावा तीन बातें ऐसी हैं कि मेरी शदीद ख़्वाहिश थी कि नबी करीम (ﷺ) हमसे जुदा होने से पहले उनके बारे में वाज़ेह अहकाम दे देते,

01. दादा 02. लावारिष़ मरने वाला 03. सूद की एक क़िस्म।

(सहीह बुख़ारी किताबुल अश्रबति बाब 5)

बाब 7 : इर्शादे बारी तआला हाज़ानि ख़स्मानिख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम की तफ़्सीर

1906. हदीष़ अबू ज़र (रज़ि.) : क़ैस (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) को क़सम खाकर कहते सुना कि ये आयते करीमा **हाज़ानि ख़स्मानिख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम** तर्जुमा : **ये दो फ़रीक़ हैं जिनके बीच अपने रब के मामले में झगड़ा है।** (सूरह हज्ज : 19)

उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई थी जो ग़ज़्व–ए–बद्र के दिन सफ़ से निकलकर एक–दूसरे के बिल–मुक़ाबिल दस्त–ब–दस्त लड़े थे या'नी (मुसलमानों की तरफ़ से) 01. हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) 02. हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) 03. हज़रत उबैदा बिन अल् हारिष़ा (रज़ि.) (और काफ़िरों की तरफ़ से) रबीआ के दोनों बेटे 01. उत्बा और 2. शैबा और 3. वलीद बिन उत्बा। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी बाब 8)**

ख़त्मुल किताब वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन

मुनाजात (दुआएं)

हकीम मुहम्मद सिद्दीक़ ग़ौरी

रब्बे-आज़म अर्शे-आज़म पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रब्बुलउला।

हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद
सिर्फ़ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया।

लामका, बेख़ानमां, तू है नही हरगिज़ रफ़ीअ
अर्श पर है तू यक़ीनन, है पता मुझको तेरा।

अर्श पर होकर भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब
इतना मेरे पास है मै कह नही सकता ज़रा।

अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो-कुदरत से क़रीब
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर ख़ुदा।

अर्श पर है तू यक़ीनन और वह 'मकतूब' भी
'तेरी रहमत है फ़ज़ू तेरे ग़ज़ब से ऐ ख़ुदा।

अरबो खरबो रहमते हो, बरकते लाखो सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो है मुहम्मद मुस्तफ़ा।

क़ाबिले-तारीफ़ तू है मेरे रब्बुल आलमीन
तू है रहमानो-रहीमो-मालिके-यौमे-जज़ा।।

हम तुझी को पूजते है तू ही इक माबूद है
हम मदद चाहते नही, हरगिज़ कभी तेरे सिवा।

तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू
फ़क्र भी तू दूर कर दे क़र्ज़ भी या रब मेरा।

मै ज़मीनो-आसमां पर डालता हू जब नज़र
कोई भी पाता नही हूं मै 'ख़ुदा' तेरे सिवा।

चाँद-तारे दे रहे है अपने सानेअ की ख़बर
तेरी कुदरत से अया है बिलयक़ीन होना तेरा।

मै तुझे कुछ जानता हू, तेरे कुछ औसाफ़ भी
तू क़यामत मे भी होगा जाना-पहचाना मेरा।

तू मेरा ज़ाकिर रहे मै भी रहू ज़ाकिर तेरा
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां मे हो मेरा।

क़ल्बे-मुज़्तर को सुकूं मिल जाए तेरी याद से
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मइन ये दिल मेरा।

रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठो पहर, चौसठ घड़ी
तू ही तू दिल मे रहे कोई न हो तेरे सिवा।

मै हमेशा याद रक्खू अपनी मजलिस मे तुझे
तू भी मुझको याद रक्खे अपनी मजलिस मे सदा।

बन्द तेरी याद से मेरी ज़ुबा या रब न हो
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा।

ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर
माही-ए-बेआब हो बेज़िक्रये बन्दा तेरा।

मै दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊ क़रीब
गोया तहतुलअर्श मे हू तेरे क़दमो मे पड़ा।

हालते सद-यास मे भी ऐ ख़ुदा तेरी क़सम
जी न हारू और मै करता रहू तुझसे दुआ।

बह रही हो मेरी आँखे मेरी गर्दन हो झुकी
नाक रगड़े, पस्त होकर, तुझसे मै मांगू दुआ।

तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त बस्ता, सर नगू
मै रहू या रब खड़ा भी तेरे क़दमो मे पड़ा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की क़सम
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो जिस से टल जाए पहाड़
ग़ार वालो से भी बढ़कर तेरी रहमत से ख़ुदा।

हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अगर तक़सीम हो
तेरे बन्दो पर तो बख़्शे जाएं लाखो बे-सज़ा।

नेकियो मे तू बदल दे और उनको बख़्श दे
उम्र भर के अगले पिछले सब गुनाहो को ख़ुदा।

हज मेरे मबरूर हो सब कोशिशे मशकूर हो
दे तिजारत तू भी वह जिसमे न हो घाटा ज़रा।

तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी
खाना पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा।

जो क़सम खाई या खाऊ तुझ पे करके ऐतमाद
मअ फ़लाहे दोजहा के साथ पूरी हो ख़ुदा।

मै न छोड़ू, मै न छोड़ू संगे-दर तेरा कभी
आ गया हू, आ पड़ा हू, तेरे दर पर ऐ ख़ुदा।

हर नज़ाई कोई शय हो मै तेरी तौफ़ीक़ से
सिर्फ़ चाहू तुझसे या तेरे नबी से फ़ैसला।

उम्र भर मेरी नज़र इस पर रहे हो जुस्तजू
तूने या रब क्या कहा? मुस्तफ़ा ने क्या कहा?

आख़िरत मे अपनी या रब कितनी ही मख़्लूक़ पर
मुझ को मेरी आल को तू फ़ौक़ियत करना अता।

उम्र मेरी आख़री है दिन है मरने के क़रीब
मै रहू गिरया के तू ख़न्दा मिले मुझसे ख़ुदा।

फ़ज़्ल फ़रमा मरते दम तक मै रहू इस हाल मे
तुझ से हो उम्मीद बेहद डर भी हो मुझको तेरा।

मै रहू बेचैन बेहद तुझसे मिलने के लिये
जान जब निकले तो तड़पे कब वह हो तन से जुदा।

मौत की ताख़ीर भी हो मौत ही मेरे लिए
हो दमे-आख़िर मुझे इतना तेरा शौक़े लिक़ा।

बख़्श दे तू, रहम कर, आला रफ़ीक़ो से मिलू
हो मुझे उस वक़्त बेहद शौक़ मिलने का तेरा।

'क़ौल साबित' पर रहू साबित ख़ुदाया हो नसीब
ला इलाह इल्ला अन्तल्लाह पे मरना मेरा।

आख़री हिचकी मुझे दे तेरी रहमत की ख़बर
आँख जब बन्द हो तो देखू तेरी जन्नत की फ़िज़ा।

तेरी रहमत की तरफ़ हो मेरा दुनिया से ख़ुरूज
जाकनी के वक़्त पाऊ मुज़दा हाए जाफ़िज़ा।

क्या मेरा मस्कन ज़मीनो-आसमा तक रो पड़े
मेरे मरने पर ख़ुदाया अर्श हिल जाए तेरा।

'रब्बे राज़ी की तरफ़ चल हो के राज़ी तू निकल'
रूह से मेरी फ़रिश्ते यह कहे वक़्ते क़ज़ा।

तेरी रहमत के फ़रिश्ते मुझको लेने के लिए
आएं वह, लेकर चढ़े, मुझको जहा है तू ख़ुदा।

रूह का जब आसमा मे हो फ़रिश्तो पर वरूद
हो यही उनकी सदाएं 'मरहबा सद मरहबा।'

'क़द्दे मुनी, क़द्दे मुनी ले चलो जल्दी चलो'
जब जनाज़ा ले चले कहता रहे बन्दा तेरा।

तू मुसल्ली हो मलाइक भी तेरे हो बिलख़ुसूस
मुझ ग़रीबो-बेनवा का जब जनाज़ा हो पड़ा।

हो मेरा मस्कन वहा, तुझ को जहा भी हो पसन्द
जो ज़मी हो तुझको पियारी वह बने मदफ़न मेरा।

कर चुके जब दफ़न मुझको आए जब मुन्कर नकीर
'रब्बे साबित रब्बे सब्बितनी' हो लब पर ऐ ख़ुदा।

क़ब्र हो मुश्ताक़ मेरी उसका बेहतर हो सुलूक
पाऊ मै आग़ोश मादर की तरह उसको ख़ुदा।

ज़िन्दगी के इस सफ़र मे तू मेरा साहिब रहे
कुल मेरे पसमान्दगा मे तू ख़लीफ़ा हो मेरा।

तू सफ़र मे भी 'हज़र मे' क़ब्र मे भी हश्र मे
मेहरबा मुझ पर रहे बेहद निगहबा भी मेरा।

जाकनी हो, क़ब्र हो या हश्र हो या पुलसिरात
सह्ल तेरे फ़ज़्ल से हो मरहला इक इक मेरा।

'रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम हसबुना नेअमुलवकील'
हश्र के कुल मरहलो मे हो यही कलमा मेरा।

रोज़े महशर हो तेरे रूए मुबारक पर नज़र
जब तेरी पिण्डली ख़ुले सज्दे मे हो बन्दा तेरा।

अर्श का साया मिले सातो तरह से हश्र मे
मुझको, मेरी आल को जो हो क़यामत तक ख़ुदा।

गो पलक झपके न झपके मुझसे तै हो पुलसिरात
इस कठिन मंज़िल मे मेरी मेरे मौला काम आ।

'जल्द इसको पार कर यह सर्द कर देगा मुझे'
जब जहन्नुम पर से गुज़रू वह कहे तुझको ख़ुदा।

आएगा बन्दा तेरा इक दिन कफ़न पहने हुए
तेरे आने, बख़्श देना आफ़ियत करना अता।

रास्ता सीधा दिखा, इनआम कर हम पर मदाम
उम्मते-अहमद मे मुझको ख़ास दर्जा कर अता।

उम्र भर की कुल ख़ताएं उनकी ग़ाफ़िर बख़्श दे
तू मेरे मां-बाप की कर मग़्फ़िरत बेइन्तिहा।

Al Lu' Lu' Wal Marjaan

इस किताब की चन्द अहम खुसूसियात (विशेषताएँ)

- हदीस की दो सहीह तरीन किताबें सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम हैं। इन दोनों किताबों की हदीसें सही होने पर पूरी उम्मत का इज्मा है, तमाम मुहद्दिसीन ने ऐसी हदीसों को जो दोनों किताबों में मुश्तरक हैं हदीस की सबसे आला किस्म शुमार किया है और इसके लिए मुत्तफक अलैह के अल्फाज़ मुकर्रर किये हैं।
- इस किताब में जो कि आपके हाथों में है, इसमें वो हदीसें जमा की गई हैं जो सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं, इसलिये सिहत के लिहाज से इन्तेहाई बुलन्द मक़ाम वाली हैं।
- किताब में सहीह बुख़ारी की सिर्फ वो हदीसें मुन्तख़ब की गई हैं जो न सिर्फ सहीह मुस्लिम में भी मौजूद हैं, बल्कि उसका मतन, अल्फाज़ और रावी के ऐतबार से ज़्यादा से ज़्यादा मुताबिकत रखती हैं।
- सिर्फ वो हदीसें इन्तखाब की गई हैं जो दोनों किताबों में एक ही सहाबी (रजि.) की रिवायत से मौजूद हैं।
- हदीस का मतन और अल्फाज़ सहीह बुख़ारी के लिए गये हैं जबकि अबवाब के उन्वान सहीह मुस्लिम से माख़ूज़ हैं। तर्तीब भी सहीह मुस्लिम के मुताबिक रखी गई है।
- यह किताब हासिल करके आप हक़ीक़त में सच्चे मोती और असली जवाहरात से अपने दिल, दिमाग़ और रूह को आरास्ता (सुसज्जित) कर रहे हैं।
- इस किताब का इस यक़ीन के साथ मुतालआ करें कि इसमें जो कुछ दर्ज है, यह ज़रूर आँहज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इर्शाद फर्माया है।
- तर्जुमा की ज़बान सादा, दिलनशीं और आम फहम है।
- उम्दा काग़ज़ बेहतरीन छपाई, आकर्षक डिज़ाइनिंग, मज़बूत पायदार जिल्द।

प्रकाशक

शोबा नश्र व इशाअत

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राजस्थान)